

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_176841**

UNIVERSAL  
LIBRARY

















# सरदार वल्लभभाळी

पहला भाग

लेखक

नरहरि द्वा० परीख

अनुवादक

रामनारायण चौधरी



नवजीवन प्रकाशन मंदिर  
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक  
जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद

सर्वाधिकार प्रकाशक संस्थाके आधीन  
प्रथम आवृत्ति, प्रति ५०००

# निवेदन

१

भारतमें ब्रिटिश शासन शुरू होनेके बाद सन् १८५७ में उसके विरुद्ध पहला ऐसा विद्रोह हुआ जिसे लगभग देशव्यापी कहा जा सकता है। ब्रिटिश शासकोंने उसे दबा ही नहीं दिया बल्कि वे अितनी निश्चिन्तता अनुभव करने लगे कि हमने ऐसी स्थिति भी नहीं रहने दी है जिससे हिन्दुस्तानमें स्थापित हमारी हुकूमतको फिर कोअी चुनौती दी जा सके। परन्तु किसी भी जातिकी स्वतंत्रताकी आकांक्षाओं दबानेसे नहीं दबतीं, अिस सत्यके प्रमाण स्वरूप उसके केवल डेढ़ दो पीढ़ीके अर्सेके बाद ही सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा अर्थात् कांग्रेसकी स्थापना हुई। कांग्रेसने अपने कार्यकालके आरम्भसे ही लोगोंकी राष्ट्रीयताकी भावनाको जगाने और विकसित करनेका काम शुरू कर दिया। बादके अितिहासका निरीक्षण करनेवाले सभी स्वीकार करेंगे कि अन्तमें अिस जाग्रति और राष्ट्रीयताकी भावनाके विकासके फलस्वरूप अिस देश परसे विदेशी हुकूमत अुठ गयी।

अिसी अितिहासका निरीक्षण करनेवालेके अेक और हकीकत भी ध्यानमें आये बिना नहीं रह सकती। पिछली सदीके अन्तिम पंद्रह और वर्तमान शताब्दीके प्रारंभिक और पंद्रह कुल मिलाकर तीस वर्षके अरसेमें हुअे भारतीय सार्वजनिक जीवनके विकासकी गति और प्रकारमें और उसके बादके सन् १९४७ तकके ३२ वर्षके अरसेमें हुअे विकासकी तेजी और प्रकारमें बड़ा और मौलिक अन्तर दिखायी देता है। गांधीजीने १९१५के आरंभमें भारतके राष्ट्रीय जीवनमें प्रवेश किया और यहां सत्याग्रहकी कार्यपद्धति अमलमें लानी शुरू की, अुसीसे यह बड़ा परिवर्तन हो सका।

सारे हिन्दुस्तानकी बात छोड़कर यहां अपने घर गुजरातकी बात लें तो वह परिवर्तन अधिक स्पष्ट दिखायी देता है। अेक तो गांधीजीने अपने निवास-स्थानके लिये अहमदाबादको चुना और दूसरे गुजरातकी भूमिको सत्याग्रहकी कार्यपद्धतिके अमलके लिये पसन्द करके गुजरातको सत्याग्रहके रास्ते लगाया, अिसलिये अूपर-अूपरसे देखनेवालेको भी यह फर्क मालूम हुअे बिना नहीं रहता।

यह अन्तर यहां गुजरातमें साफ दिखायी देनेका अेक और भी महत्त्वपूर्ण कारण है। गांधीजीकी कार्यपद्धतिकी सफलताको देखकर अपने-अपने प्रान्तोंकी

जनजाग्रति, शिक्षा और निर्माणके लिये अन्हें अपनावेवाले समर्थ नेता गांधीजीको हरअेक प्रान्तमें मिल गये। गुजरातके सौभाग्यसे सत्याग्रहकी कार्यपद्धतिके प्रति दृढ़ निष्ठावाला, शिष्यको शोभा देनेवाली नम्रतासे अुस पद्धतिको अुसके प्रणेतासे अच्छी तरह सीखकर अुस पर अमल करनेकी वृत्तिवाला और अुस पद्धतिके अमलके लिये जरूरी लगन, होशियारी और व्यवस्थाशक्तिवाला बिलकुल निडर और अत्यन्त तेजस्वी नेता भी गांधीजीको गुजरातमें मिल गया। परन्तु दूसरे प्रान्तोंमें गांधीजीको मिल जानेवाले नेताओं और सरदार वल्लभभाभी पटेलमें अेक बड़ा फर्क था। अन्होंने अंग्रेजी और बैरिस्टरीकी शिक्षा पायी थी और बैरिस्टरी की भी थी, परन्तु अुनका स्वभाव किसानका है। गुजरातके देहाती जीवनका अन्हें बचपनसे अनुभव था। बल्कि वे शहरमें नहीं, परन्तु अपने गांवमें बड़े हुअे थे।

जिन दो अरसोंकी जनजाग्रतिके वेग और प्रकारमें अन्तर होनेकी बात मने कही है अुनमें से पिछले बत्तीस वर्षकी अवधिमें हुअी गुजरातीभाषी लोगोंकी जाग्रति और अुनके निर्माणकी कथा जैसी अद्भुत है वैसी ही सत्याग्रहकी कार्यपद्धति और गुजरातके सार्वजनिक जीवनके विकास और कार्यपद्धतिको समझनेकी अिच्छा रखनेवालेके लिये बारीकीसे अध्ययन करने लायक है। अिस सदीके शुरूके वर्षोंमें हुअी जाग्रति पैदा करनेवाले बलोंका भावी सन्तानोंको परिचय होनेके लिये भी वह अितिहास संग्रह करके रखनेकी जरूरत है। अिस अरसेके सार्वजनिक जीवनके विकासका सांगोपांग अितिहास तो जब लिखा जायगा तब देखा जायगा, परन्तु अिस निर्माणमें भाग लेनेवाले प्रमुख व्यक्तियोंके भाषणों, लेखों और चरित्रोंसे अुन बलोंकी कल्पना की जा सकती है।

गांधीजीके भाषणों और लेखोंको व्यवस्थित रूपमें संग्रह करके प्रकाशित करनेका काम नवजीवन संस्था वर्षोंसे कर रही है। अुनका सांगोपांग चरित्र लिखनेका काम भी नवजीवनकी तरफसे भाभी प्यारेलालने हाथमें ले रखा है। अिसी आशयसे सरदार वल्लभभाभी पटेलके भाषणोंका अेक भाग नवजीवनने पिछले साल प्रकाशित किया है। अुसीके साथ अुनका जीवनचरित्र गुजरातके लोगोंके सामने रखनेकी मेरी बड़ी अुत्कंठा थी। अुसके लिये सामग्री भी जहां कहींसे हो सकी अिकट्ठी करके रखी थी। लेकिन अुस सामग्रीको व्यवस्थित करके और दूसरी आवश्यक सामग्री जुटाकर अुसमें से सरदारके चरित्रकी पुस्तक तैयार कर देनेका भार जब तक श्री नरहरिभाभीने अुत्साहपूर्वक अुठा नहीं लिया तब तक मेरी यह अिच्छा पूरी नहीं हुअी थी। आज वह अेक हद तक पूरी हो गयी है और सरदार वल्लभभाभीके चरित्रका पूर्वभाग गुजराती जनताके सामने पेश करते हुअे मुझे आनन्द हो रहा है।

सरदार वल्लभभाजी झवेरभाजी पटेलके चरित्रकी वर्तमान और भावी भारतीय सन्तानोंको अंक और दृष्टिसे भी जरूरत है। पंडित जवाहरलालने अंक जगह कहा है कि जिन लोगोंने गांधीजीके साथ रहकर काम किया है उनके सिवाय और लोगोंके लिअे और आनेवाली पीढ़ियोंके लिअे गांधीजी अंक पौराणिक कथाके पात्र जैसे व्यक्ति बन गये हैं। पंडित नेहरूकी गांधीजीके बारेमें कही हुअी यह बात उनके साथ रहकर भारतीय जनताका निर्माण करनेवाले और हिन्दुस्तानकी आजादीकी लड़ाीमें प्रमुख भाग लेनेवाले उनके साथियोंमें से खुद पंडित नेहरू, सरदार वल्लभभाजी, राजेन्द्रप्रसाद या चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे पुरुषोंके लिअे भी अंक हद तक सही है। असलिअे अिन समर्थ प्रभावशाली और साथ ही अपने जमानेके अितिहास पर असर छोड़ जानेवाले सभी पुरुषोंका सच्चा परिचय देनेवाले चरित्रोंका लिखा जाना भावी सन्तानोंकी शिक्षाकी दृष्टिसे जरूरी है। अिनमें से गांधीजी, पंडित जवाहरलाल और राजेन्द्रबाबू वगैराने अपनी रचनायें और आत्मकथायें हमें दे दीं। अंक सरदार वल्लभभाजी ही अिनमें से अैसे पुरुष है जिनकी कोअी खास रचनायें हमारे पास नहीं है और अपने मित्रोंके सामने अुन्होंने प्रसंगोपात्त अपने जीवनकी कोअी बात कह दी हो अुसके सिवाय और कोअी चीज आत्मकथा जैसी अुनसे हमें नहीं मिली। असलिअे अुनके जीते ही अुनकी नजरसे निकला हुआ अुनका चरित्र लिखा जाना बड़ा जरूरी था।

साथ ही, राजनैतिक क्षेत्रमें निर्भयतासे अपना पक्ष अुपस्थित करनेवाले, ढीलेढाले लोगोंको अपने आग्रह और प्रेमसे काबूमें रखकर सीधे रास्ते चलानेवाले और अनेक विरोधियोंको मात करनेवाले अिस पुरुषके बारेमें सच्ची झूठी कअी बातें भी प्रचलित हो गअी हैं। अुन परसे सरदार पटेलका जो भ्रामक चित्र लोकमानसमें खड़ा होता है अुसके स्थान पर अुनके स्वभाव और चरित्रका सच्चा चित्र लोगोंको मिलना चाहिये।

बहुत लोग मानते और समझते हैं कि सरदार पटेलने राजनीतिके क्षेत्रमें सफलता और सिद्धि अपने मनमाने और निरंकुश स्वभावसे और विरोधीको हरानेके लिअे तरह तरहकी पेंतरेबाजी करनेकी कुशलतासे प्राप्त की है। अुनके सम्बन्धमें लोगोंमें भांति-भांतिकी बातें भी फैली हुअी हैं और फैलती रहती हैं। सरदार पटेलका यह चित्र कितना गलत है और राजनीतिके क्षेत्रमें अुन्हें मिली हुअी सफलता और लोगोंके हृदयमें अुनका प्राप्त किया हुआ स्थान लोगोंकी भलाअीके लिअे अुनकी की हुअी कितनी साधनाके कारण हैं, यह अिस चरित्रके अध्याय स्पष्ट कर देते हैं।

एक और खयाल यह फैला हुआ है कि सरदार पटेल सत्याग्रहके सिद्धान्तका ककहरा भी नहीं समझते और न समझना चाहते हैं। गांधीजीके हिन्दुस्तानमें आनेके बाद इस देशके लोगोंको धर्मकी बातोंसे अलूटे रास्ते लगानेवाले साधुओंकी जमातमें से ही यह भी कोजी है, असी सशंक दृष्टिसे शुरू-शुरूमें गांधीजीकी तरफ देखनेवाले परन्तु बादमें उस पुरुषकी वाणीसे सत्य और अभयकी गूँज अठती हुअी देखकर ही उनके साथ उनके कामोंमें नम्रभावसे शरीक होकर उनके दिये हुअे पाठोंको धीरजसे वर्षों तक पचानेवाले, अनुकी अच्छा और आदेशोंका लगनसे पालन करनेवाले और सत्याग्रहका बड़े-बड़े सार्वजनिक हितके क्षेत्रोंमें अमल करके दिखा देनेवाले इस समर्थ लोकनायकका सत्याग्रहका ज्ञान कितना गहरा है, यह भी इस चरित्रमें देखनेको मिलता है।

सरदार पटेलके भाषणों परसे उनके चरित्रके कुछ लक्षण अनुकी शैली द्वारा प्रगट होते हैं। अन्यायके प्रति रोष और भारतके नरम स्वभाववाले किसानोंके प्रति अनुकी गहरी भावना उनके भाषणोंमें खास तौर पर देखनेको मिलती है। परन्तु लोगोंको संगठित करनेके लिये आवश्यक व्यवस्थाशक्ति, बहुतसे लोगोंको साथ रखकर उनसे सोचा हुआ काम पूरा करवाने और अन्हें अिकट्टा रखनेके लिये जरूरी होशियारी और प्रेम, दुःखी और संकटमें आ पड़नेवालोंकी मददके लिये दौड़ जानेकी बेचैनी, किसी भी मुद्देको पकडकर उसका सार निकालनेके लिये आवश्यक तीक्ष्ण विचक्षण बुद्धि, और इसी तरहके दूसरे सरदार पटेलके नेतृत्वके आवश्यक लक्षण इस चरित्रके बिना हमें देखने या समझनेको न मिलते।

बड़े-बड़े शासनतंत्र खड़े करने, उन पर काबू रखने और अन्हें सीधे रास्ते चलानेकी कला आजके जमानेमें अत्यन्त आवश्यक है। सरदार पटेलमें यह काम सफलतापूर्वक करनेकी शक्ति बीजरूपसे पहलेसे ही थी, यह हकीकत भी इस चरित्रमें हमें अच्छी तरह देखनेको मिलती है।

परन्तु अिन सबसे भी अधिक उनमें जो तत्त्वनिष्ठा, गांधीजीके प्रति वफादारी और स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये लोगोंको लड़ाअीके जरिये तैयार करके ताकतवर बनानेकी आकांक्षा है उसके दर्शन हमें अिन अध्यायोंमें स्पष्ट रूपसे होते हैं।

अिन अध्यायोंको पढ़ लेनेवाले सभी देख सकेंगे कि सरदार पटेलमें सोअी पड़ी हुअी बीजरूप शक्तियोंको जगाकर जनताकी तालीम और सेवाके मार्ग पर लगानेवाले गांधीजी हैं, यह सरदार खुद अनेक स्थानों पर स्वीकार करते हैं। परन्तु इससे भी अधिक जो हकीकत अिन अध्यायोंसे जाननेको मिलती है वह यह है कि गांधीजीके मार्ग पर लोगोंको तैयार करनेके लिये आवश्यक

साधना सरदार पटेलने वर्षों तक बड़ी दृढ़ता, धीरज और लगनके साथ की थी। अंक तरहसे कहें तो इस पुस्तकमें अुस साधनाकालकी विस्तृत बातें ही आयी हैं। अुस साधनाके द्वारा सरदारने जिस-जिस शक्तिका विकास किया अुसका लाभ भारतीय जनताको किस ढंगसे मिला और देशकी स्वतंत्रताकी लड़ाकीको सफल करनेमें और अुसके सफल हो जानेके बाद कठिन समयमें देशकी पतवार धीरज और दृढ़ताके साथ संभालकर आज अुन शक्तियोंका वे कैसा अुपयोग कर रहे हैं, इसकी तफसील भविष्यमें प्रकाशित होनेवाले इस चरित्रके अुत्तर भागमें आयेगी। यह जानकर पाठक प्रसन्न होंगे कि वह भाग पूरा कर देनेका भार नरहरिभायीने अुठा लिया है।

अंक दो बातोंका और यहां अुल्लेख कर देना चाहिये। सरदारके विषयमें अंक मान्यता यह प्रचलित है कि रचनात्मक कार्यक्रमके बारेमें वे न कुछ समझते हैं और न अुसकी अुन्हें कोयी परवाह है। लोगोंके विकासके लिये कैसे-कैसे रचनात्मक कार्य करने होते हैं, इसकी कल्पना अधिक लोगोंको नहीं होती। परन्तु गांधीजीके साथ होनेके बाद सरदार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षाके क्षेत्रमें सरकारके मुकाबलेमें सफल किये हुअे काम, खादीके क्षेत्रमें किये गये कार्य, बाढ़के संकठके बाद पुनर्रचनाके समय किये हुअे काम, गूजरात विद्यापीठके निर्माण और संगोपनमें दिखायी गयी सावधानी, अहमदाबाद शहरके विकासके लिये म्युनिसिपैलिटीके द्वारा किया गया श्रम आदि सब बातोंसे इसकी स्पष्ट कल्पना हो जाती है कि रचनाके कार्योंके बारेमें सरदारका कैसा आग्रह या ममता है।

अंक और बात सरदारके बारेमें यह मानी जाती है कि अुनके पारिवारिक जीवन जैसी कोयी चीज न थी और न है और इस मामलेमें अुन्हें कोयी भावना भी नहीं है। अंक प्रकारसे यह सच है कि राष्ट्रके कार्योंमें पड़नेके बाद सरदार पटेलने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवनके और इसी प्रकारके अन्य जंजाल बहुत अधिक नहीं रखे। राष्ट्रकी सेवा और कर्तव्य सिर पर ले लेनेके बाद बिलकुल संन्यासीकी तरह नहीं तो भी तपस्वीकी भांति अुन्होंने अपना जीवन बिताया है, यह भी अिन अध्यायोंसे मालूम होता है। परन्तु शुरूके अध्यायोंमें दी गयी पारिवारिक जीवनकी बातोंसे और 'गृहजीवनकी झांकी'वाले स्वतंत्र अध्यायसे यह साफ दिखायी देता है कि सरदारको अपने निकट सम्बन्धियों और बच्चोंके लिये कितना गहरा प्रेम था और अुनकी सेवा करनेकी वे हमेशा कितनी कोशिश करते रहते थे। अपनी अुत्कट भावनाओंको भीतर ही भीतर संग्रहित रखने और अुनके बारेमें कभी अधिक न बोलनेकी प्रकृतिसे पैदा होनेवाली सरदार सम्बन्धी यह गलतफहमी भी इस चरित्रके अध्यायोंसे दूर हो जाती है।

नवजीवन संस्थाके कार्यके सिलसिलेमें गांधीजी, सरदार और महादेवभाजी और अिसी प्रकार दूसरे बुजुर्गोंसे मेरा काम पड़ा। संस्था और अुसके कामके साथ मेरा जो सम्बन्ध है अुसके कारण अिन सबके साथ मेरा निकट सम्बन्ध रहा है। परन्तु अुन सबमें से अुपरोक्त तीनोंके साथ केवल कामके सम्बन्धके सिवाय व्यक्तिगत ममताका सम्बन्ध भी पैदा हो गया है। अिन तीनोंके प्रति अपना ऋण चुकानेमें अिन तीनोंका चरित्र देनेकी नवजीवन संस्थाके सिवाय मैं अपनी निजी जिम्मेदारी भी मानता रहा हूं। अिसलिअे महादेवभाजीके पूर्वचरितकी तरह अिस चरित्रके सिलसिलेमें भी केवल प्रकाशकका औपचारिक निवेदन करनेके बजाय यह व्यक्तिगत निवेदन करनेका मैंने साहस किया है।

सरदार वल्लभभाजी पटेलके लिअे गुजराती बोलनेवाले लोगोंमें गहरा प्रेम है। साथ ही भारतकी अन्य भाषायें बोलनेवाले लोग भी अुनका चरित्र जाननेकी अिच्छा करें, यह स्वाभाविक है। यह बात ध्यानमें रखकर अिस चरित्रका हिन्दीमें और भारतकी अन्य भाषाओंमें अनुवाद करानेका निश्चय किया गया है। अुसमें से यह हिन्दी अनुवाद पाठकोंकी सेवामें अुपस्थित किया जा रहा है। अितना कहकर अिस व्यक्तिगत और जरा विस्तृत निवेदनको समाप्त करता हूं।

अहमदाबाद, १०-१०-'५०

**जीवणजी ढाह्याभाजी देसाओ**



## प्रस्तावना

सरदारने अेक बार कहा था : “मैने तो समझा था कि बापूके जीवन-चरित्रके साथ महादेव हमारुा भी जीवनचरित्र लिखेगा। अुसने तमारुा बातें नोट कर रखी हैं और सब अवसरों पर मौजूद और अुनसे ओतप्रोत होनेके कारण अुसके पास जरा-जरासी बातकी जानकारी है। परन्तु ओश्वरकी माया अगम्य है।” यह जीवन-चरित्र लिखनेकी पूरी योग्यता महादेवभाओीमें ही थी। अुनका अधूरा छोड़ा हुआ काम मुझे से हो सके तो यथाशक्ति आगे बढ़ाअूं, अिस भावनासे मैने अिस कामको हाथमें लेनेका साहस किया। परन्तु अुनकी अद्भुत साहित्यिक कला और मोहक शैली मै कहाँसे लाअूं? मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझमें वह चीज नहीं है अिसीलिअे जिसे जीवनचरित्र कहा जा सकता हो, जिसमें चरित्रनायकके जीवनके मौजूदा जमाने पर पड़े हुअे और भावी युग पर पड़नेवाले प्रभावका योग्य मूल्यांकन किया गया हो, अैसी कोओी बात करनेका मैने प्रयत्न नहीं किया। मैने तो सरदारके जीवनचरित्रके लिअे जो सामग्री मुझे मिली अुसे जैसा मुझे आया अुस ढंगसे ठीकठाक करके पेश कर दिया है और अुनके जीवनकी मुख्य-मुख्य घटनाओंका वर्णन कर दिया है। मेरा यह संग्रह साहित्यिक शक्तिवाले समर्थ चित्रकारके काम आये तो मै अपना प्रयत्न सार्थक समझूंगा।

और अिस तरहका यह काम करनेकी मुझे कल्पना भी नहीं हुओी थी। परन्तु सन् १९४५में जेलसे बाहर आनेके बाद मणिबहन मुझसे कहती ही रहती थीं कि बापू (सरदार) का जीवनचरित्र कौन लिखेगा? यह काम आप ही को करना चाहिये। महादेवभाओी होते तब तो वे करते परन्तु वे तो चले गये। मै कहता कि वैसा लिखनेकी मुझमें कला कहाँ है? अुसके जवाबमें वे मुझे कहतीं कि जैसा लिख सकओ वैसा आप ही को लिखना चाहिये। मेरे पास सब फाइलें रखी हुओी हैं परन्तु हमारी निजी मंडलीके पूरे विश्वस्त आदमीके सिवाय मै किसे दूं? अिस प्रकार अुनके लगातार आग्रहके मारे मैने अिकरार कर लिया। और मणिबहनने अुनके पास जितनी सामग्री थी वह सब मुझे सौंप दी। यहां तक कि अपनी डायरियां भी जिनमें अुनकी निजी और गुप्त मानी जानेवाली बातें लिखी हुओी हैं, बिना मांगे मुझे दे दीं। अिस कामके हाथमें लेनेमें मुझे अधिक आग्रह और सबसे बड़ी प्रेरणा मणिबहनकी है।

सरदारका मेरे प्रति विश्वास और प्रेम भी यह पुस्तक लिखना स्वीकार करनेका बड़ा कारण है। सरदार मुझे अुस समय न पहचानते हैं परन्तु मै

अन्हें सन् १९१४से जानता हूं। उसके बाद वकालतके कामके सिलसिलेमें अेक दो बार अनुसे साबिका पड़ा था। बादमें मैं १९१७में आश्रममें भरती हुआ और वे भी गांधीजीके समागममें आये। तबसे वे सदा मुझे अेक छोटा भाभी समझते रहे हैं। अिन तैंतीस वर्षोंके अुनके निकट परिचयमें मुझे अुनके अेक विश्वस्त साथीके तौर पर काम करनेका सुअवसर बहुत मिला है। अिसमें कभी-कभी अुनका जी दुखानेका भी अवसर आया है। अुनकी बात अच्छी तरह न समझ सकनेके कारण या अपने भिन्न विचारकी वजहसे, न मान सकनेके कारण कभी-कभी अैसा हुआ है कि मैंने अुनका कहा नहीं माना, परन्तु अिससे मेरे प्रति अुनके ममत्व और प्रेमभावमें रत्तीभर भी कमी नहीं हुअी। अुन्हें अच्छी तरह न जान सकें हों अैसे लोगोंमें अेक खयाल यह फैला हुआ है कि जो अिनका विरोध करता है अुसे जड़से अुखाड़ फेंकनेका अिनका स्वभाव है। मुझे अैसा मालूम हुआ है कि कोअी आदमी देशको नुकसान पहुंचानेवाला काम करता हो या सेवाके नाम पर अपना स्वार्थ साधनेकी कोशिश करता हो तो अुसकी वे चलने नहीं देते और यह भी सच है कि अुसे सफल भी नहीं होने देते। परन्तु कोअी मनुष्य अीमानदारीसे अुनसे भिन्न मत रखता हो और अुसके अनुसार अपना काम करता हो तो वे अुससे कोअी छेड़छाड़ नहीं करते बल्कि अुसकी कद्र करते हैं।

सरदार लौह पुरुष कहलाते हैं। सार्वजनिक कामकाजमें अपने विरोधी या अपने दलमें घुसे हुअे खराब आदमीके लिअे वे भले ही लौह पुरुष माने जायं परन्तु व्यक्तिगत सम्बन्धों और व्यवहारोंमें तो मैंने अुन्हें अितने नरम स्वभाव और 'होगा, जाने भी दो' वाली अुपेक्षावृत्तिवाले पाया है कि अुनके लौह पुरुष होनेके बारेमें शंका अुत्पन्न होती है। सार्वजनिक जीवनमें वे बज्रसे भी कठोर बन सकते हैं परन्तु निजी या खानगी सम्बन्धोंमें तो कुसुमसे भी मृदु हैं। केवल अपनी भीतरकी मृदुताका वे बाह्य प्रदर्शन नहीं करते, अिसलिअे अूपर-अूपरसे देखनेवाले मनुष्य अुसे न समझ सकें, यह जरूर होता है।

जिसे अपना मान लिया अुसके प्रति अुनकी ममत्वकी भावना बड़ी जबरदस्त होती है। अुसके दुःख-सुखमें भाग लेने और कठिनाअियोंमें अुसकी मदद करनेके लिअे वे हमंशा तैयार रहते हैं। मनुष्यको वे अुसकी चालसे पहचान लेते हैं, खराब आदमीको अलग कर देते हैं परन्तु चुने हुअे आदमियोंमें से किसे क्या काम सौंपा जा सकता है यह वे अच्छी तरह जानते हैं और अुसीके अनुसार अुससे काम लेते हैं। मनुष्यको चुनते समय वे पक्का विचार कर लेते हैं परन्तु अेक बार काम सौंप देनेके बाद अुस पर पूरा भरोसा रखते हैं, अुसके काममें कुछ भी दखल नहीं देते और अुसे जितनी चाहिये अुतनी सहायता खुले दिलसे

और मुक्त हाथों देते हैं। यह मैं अपने अनुभवसे कह रहा हूँ। इस कारण सारे देशमें अकेले गांधीजीको छोड़कर और किसी भी नेताकी अपेक्षा अुनके पास वफादार कार्यकर्त्ताओं और साथियोंका सबसे बड़ा समूह है। गांधीजी सेनापति होनेके सिवाय स्वभावसे आदर्श शिक्षक भी थे, इसलिये वे जहां गये वहां अुन्होंने साथियोंको तालीम देकर तैयार कर लिया, जब कि सरदार शिक्षक नहीं, केवल सेनापति हैं। अुन्होंने अपनी सेनाके लिये नये आदमी तैयार नहीं किये और जो मिले अुन्हें और तैयार करनेका प्रयत्न भी नहीं किया। परन्तु मनुष्यमें जितनी शक्ति हो अुसका पूरी तरह अुपयोग किया है। हां, मनुष्यको अपने आप आगे बढ़ना हो और अुसमें शक्ति हो तो सरदारकी तरफसे अुसे सब रियायतें, अवसर और सहायता मिल जाती हैं। अपने आसपास खड़े सैनिकोंका समूह बनाने और हरअेककी योग्यताके अनुसार अुससे काम लेनेकी विलक्षण कलाके कारण नागपुर, बोरसद तथा बारडोलीकी सत्याग्रहकी लड़ाियोंमें और १९२७के बाढ़-संकटके कार्यमें सरदारको कार्यकर्त्ताओंकी कमी नहीं रही और अच्छा यश प्राप्त हुआ। अुनकी सफलताकी मुख्य कुंजी ही यह है कि वे अैन वक्त पर तुरन्त सही फैसला करते हैं और अुसके अमलके लिये अपनी सहायताके लिये योग्य आदमीको चुन लेते हैं।

अिस पुस्तकमें हकीकतकी कोअी भूल न रह जाय, अिस दृष्टिसे श्री दादा-साहब मावलंकरने सारी हस्तलिपि पढ़ ली और अुन्होंने कुछ बहुत अुपयोगी सुधार कराये हैं। अैसे कुछ अध्याय जिनके बारेमें मुझे काफी जानकारी नही थी या तफसीलके बारेमें कोअी शंका थी, मैंने सरदारसे भी पढ़वा लिये हैं। कुछ अध्यायोंमें अुन्होंने बड़े महत्त्वकी वृद्धि कराअी है। अिस प्रकार मैं यह कहनेकी स्थितिमें हूँ कि अिस पुस्तकके सारे तथ्य साधार और निश्चित हैं।

सरदारके पूर्व जीवनकी कुछ बातें मुझे नडियादवाले सरदारके गाढ़ मित्र स्व० काशीभाअी शामिलभाअीकी पत्नीसे मालूम हुअी हैं। जब वे बोरसदमें रहे अुस समयकी कुछ बातें बोरसदके बहुत पुराने वकील श्री फूलाभाअी नरसी-भाअीसे मालूम हुअी हैं। सरदारके छोटे भाअी काशीभाअीने कुटुम्बका पुराना हाल मालूम करनेमें अच्छी मदद दी है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका हाल अुसके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मणिभाअी चतुरभाअी शाहने जुटा दिया है। अिसी तरह सूरत म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष डॉ० घीयाने तथा नडियाद म्युनिसिपैलिटीके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विठ्ठलदास पुरुषोत्तमदास देसाअीने अुन म्युनिसिपैलिटियोंके कागजातसे हाल मालूम कर मुहैया कर दिया है। खेड़ा सत्याग्रहकी विस्तृत बातें मेरे बड़े भाअी श्री शंकरलाल परीख कृत 'खेड़ाकी लड़ाअी' नामक पुस्तकसे ली गअी हैं। बोरसदकी लड़ाअीकी कुछ बातें बोरसदके वकील श्री रामभाअी

पटलेसे मिली हैं। सरदारके कुछ पुराने सहपाठियोंसे भी मणिबहनने पत्र द्वारा जानकारी प्राप्त की है। जिन-जिन भाअियों और बहनोसे मदद मिली है उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं।

परन्तु सबसे अधिक बातें तो मुझे महादेवभाअीकी 'वीर वल्लभभाअी' और 'अक धर्मयुद्ध' पुस्तिकाओंसे, 'नवजीवन'के अुनके लेखोंसे, 'बारडोली सत्याग्रहका अितिहास' पुस्तकसे तथा अुनके फुटकर कागज-पत्रोंसे मिली हैं। असलमें तो सामग्रीका जो भण्डार वे छोड़ गये हैं, अुसे जरा व्यवस्थित करके अुपस्थित कर देनेका काम ही मैंने किया है।

अिस भागमें सरदारका दिसम्बर १९२९की लाहौर कांग्रेस तकका जीवन-चरित्र आ जाता है। अिसमें दिया हुआ अधिकांश जीवन गुजरातकी राजनैतिक रचनाके साथ गुंथा हुआ है। यह कहनेमें भी हर्ज नहीं कि पिछले ३२ वर्षका गुजरातका राजनैतिक जीवन सरदारने ही गांधीजीसे प्रेरणा लेकर बनाया है अिसलिये स्वाभाविक रूपमें ही अुस रचनाका अितिहास अिस पुस्तकमें आ जाता है। अिससे गुजरातके युवक-युवतियोंको प्रेरणा मिलेगी और अिस प्रकार मेरे हाथसे अुनकी थोड़ीसी सेवा हो जायगी, यही भावना यह पुस्तक लिखते वक्त सदा मेरे दिलमें रही है और मैंने धन्यता अनुभव की है।

हरिजन आश्रम, साबरमती

ता० ३०-९-५०

नरहरि परीख

## अनुक्रमणिका

निवेदन	जीवणजी देसाजी	३
प्रस्तावना		९
१	माता-पिता	३
२	विद्याभ्यास	१०
३	वकालत	१९
४	विलायतमे	३४
५	बैरिस्टरी	३९
६	म्युनिसिपैलिटीकी सफाजी	४७
७	म्युनिसिपैलिटीमें रचनाकार्यका आरंभ	६१
८	गुजरात सभा	६९
९	खेड़ा सत्याग्रह - १	८०
१०	खेड़ा सत्याग्रह - २	१०६
११	अहमदाबादकी मजदूर हड़ताल	१३२
१२	सैनिक भरती	१३६
१३	रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलन	१४०
१४	असहयोग	१५०
१५	म्युनिसिपैलिटी द्वारा असहयोग	१७४
१६	अहमदाबादकी कांग्रेस - १९२१	१९९
१७	म्युनिसिपैलिटीकी बरखास्तगीके बाद	२०७
१८	नड़ियाद और सूरत म्युनिसिपैलिटीकी लड़ाजी	२१८
१९	लड़ाजीकी चुनौती, चौरीचोरा हत्याकांड और गांधीजीकी गिरफ्तारी	२४०
२०	गांधीजीकी गिरफ्तारीके बाद	२६३
२१	नागपुर झंडा सत्याग्रह	२८८
२२	बोरसदके डाकू और 'हैड़िया कर'	३२१
२३	गृहजीवनकी झांकी	३५८
२४	कोकोनाड़ा, गांधीजीकी रिहाजी और स्वराज्य दल	३७२

२५	म्युनिसिपल अध्यक्षके रूपमें	३८५
२६	गुजरातमें बाढ़-संकट	४०२
२७	बारडोली सत्याग्रह	४१९
२८	१९२५ से १९२८ तककी राजनैतिक परिस्थिति	४९६
२९	१९२९ का तैयारीका वर्ष	५०४
३०	पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव सूची	५२८ ५३४

### चित्रसूची

१	सरदार वल्लभभाभी	मुखपृष्ठ
२	नड़ियादमें विद्यार्थी	१२
३	गोधरामें वकील	१७
४	बैरिस्टर भाभी	४९
५	खेड़ा सत्याग्रहके समय	११३
६	गुजरातका गौरव	२७३
७	नागपुर और बोरसदकी लड़ावियोंके विजेता	३०५
८	बाढ़-संकटके समय नड़ियादमें	३६९
९	बारडोली सत्याग्रहके बाद	४३३
१०	वीर योद्धा	५१३

सरदार वल्लभभाळी





## माता-पिता

अपने दफ्तरमें तीस-अेक वर्षकी अम्के वकील वल्लभभाभी आराम कुर्सी पर पड़े पड़े पासमें रक्खा हुआ रबरकी लम्बी नलीवाला हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे । बोरसद, तालुकेका मुख्य गांव होने पर भी बम्बयी या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरोंके मुकाबिलेमें छोटसे गांव जैसा माना जायगा । दफ्तरका सारा फर्निचर फैशनेबल या फैंसी नहीं था, परन्तु बोरसदके हिसाबसे अच्छा था और मुघड़ ढंगसे टीपटापके साथ रक्खा हुआ था । सारे कमरेको ढके हुअे जाजम साफ और जरा भी सल पड़े बिना बिछी हुअी थी । वकील साहबकी मेजके सामने कुछ कुर्सियां लगी हुअी थी । अिसके सिवाय गद्दी-तकियेकी भी बैठक थी । गद्दीकी चादर और तकियेका गिलाफ बगुलेके पंख जैसा सफेद था । मेज और सभी कुर्सिया रौगन की हुअी और साफ थीं । आलमारियोंमें किताबें और फाइलें अच्छी तरह जमाकर रक्खी हुई थीं । सारे कमरेमें कोने-खांचेमें कहीं भी धूल या कूड़ेका नाम नहीं था । खिड़की दरवाजे सब साफ झाड़े हुअे थे । तमाम चीजें साफ और चमकदार थी । दफ्तरमें कोअी चीज भड़कीली नहीं थी, परन्तु जो कुछ था वह अपने स्थान पर भलीभांति रक्खा हुआ था ।

अेक वृद्ध परन्तु तन्दुरुस्त और कसे हुअे शरीरवाले सशक्त पुरुष सीढ़िया चढ़कर अूपर आये । वे बिलकुल सफेद पोशाक पहने हुअे थे । धोती, कुर्ता, खेस और पगड़ी भी सफेद थी । सभी कपड़े दूधकी तरह अुजले थे ।

अिन्हें देखते ही मुंहमें से हुक्केकी नली निकालकर वल्लभभाभी खड़े हो गये और बोले : “ पिताजी, आप कहांसे ? ”

“ भाअी, तुमसे काम पड़ा है, अिसीलिअे तो आया हूं । ”

“ परन्तु मुझे क्यों नहीं कहलवा दिया ? मे करमसद आ जाता । लाड़बाअीसे भी मिलना हो जाता । ”

“ परन्तु काम बोरसदमें है, अिसलिअे तुम्हें वहां बुलाकर क्या करता ? ”

“ अैसा क्या काम है ? ”

“ सारे जिलेमें तुम्हारी धाक है और हमारे महाराज पर वारंट निकले. क्या यह ठीक है ? तुम्हारे बैठे महाराजको पुलिस पकड सकती है ? ”

“महाराज पर और वारंट, यह कैसे ? वे तो पुरुषोत्तम भगवानके अवतार कहलाते हैं। हम सबको संसार-सागरसे पार अतारनेवाले हैं। अन्हें पकड़ने-वाला कौन हो सकता है ?”

“अिस वक्त तुम अपनी दिल्लगी रहने दो। मैंने पक्के तौर पर सुना है कि वड़ताल और बोचासणके मंदिरोंके कब्जेके बारेमें झगड़ा हुआ है और अुसमे हमारे महाराज पर भी वारंट निकला है। तुम्हें यह वारंट रद्द कराना ही पड़ेगा। महाराजको पकड़ लें, तब तो मेरे साथ तुम्हारी भी अिज्जत जायगी।”

“हमारी अिज्जत क्यों जायगी ? जो अैसे करम करेगा अुसकी जायगी। परन्तु मैं जांच करूंगा। योही वारंट थोड़े निकलते हैं। मुझसे हो सकेगा सो सब करूंगा।”

बादमें जरा गंभीर होकर परन्तु नम्रतासे पिताजीको बताया : “अब आप अिन साधुओंको छोड़ दीजिये। जो अिस तरहके प्रपंच करते हैं, झगड़े करके अदालतोंमें जाते हैं और जो अिस लोकमें अपनी रक्षा नहीं कर सकते, वे परलोकमें हमें क्या तारेंगे, हमारा क्या अुद्धार करेंगे ?”

“यह सब झंझट हम क्यों करें ? परन्तु देखो, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि महाराज पर वारंट निकला हो तो वह रद्द होना ही चाहिये।”

यह कहकर पिताजी दफ्तरसे चले गये।

पिताजी स्वामीनारायणके महा भक्त थे। पिछली अुम्रमें तो सोना-बैठना भी गांवके स्वामीनारायणके मंदिरमें ही करते थे। अेक बार भोजन करते थे और भोजनके लिये ही घर आते थे। वे मार्च १९१४ में लगभग ८५ वर्षकी अुम्रमें गुजरे। तब तक हर पूनमको वड़ताल जानेसे अेक बार भी नहीं चूके। सरदार भी कभी बार वड़ताल गये थे। १७ वर्षके हुअे तब तक पिताजीके पास करमसदमें ही रहे और तब तक निराहारी और कभी कभी निर्जला अेकादशीके बिना शायद ही कोअी अेकादशी गयी हो। अिस प्रकार स्वामीनारायण सम्प्रदायमें पले होने पर भी अुस सम्प्रदायके प्रति अुन्हें खास श्रद्धा नहीं रही। आगे पढ़नेके लिये करमसद छोड़ा तो अुसीके साथ वहांके व्रत-यात्रादि भी छोड़ दिये। सहजानन्द स्वामी और अुनके सम्प्रदायके बारेमें बातें करत हैं, तब सरदार पहलके साधुओंके पवित्र जीवनकी बड़ी तारीफ करते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि अिस सम्प्रदायने बहुतसे साधारण मनुष्योंके—पिछड़ी हुअी जातियोंके अपढ़ लोगोंके—जीवन सुधारनेमें अच्छा काम किया है। परन्तु वे कहते हैं कि बादमें अिस सम्प्रदायमें स्वार्थ और लोभ घुस गया और सम्प्रदायका सुधारका जोश जाता रहा।

अपरोक्त प्रसंगकी हकीकत यह है कि यज्ञपुरुषोत्तमदासजी नामके अेक साधुने, जो विद्वान ब्राह्मण होनेके कारण शास्त्रीजी कहलाते थे, वड़तालकी गद्दीसे अलग होकर बोचासणमें गद्दी स्थापित की और वहां अेक बड़ा शिखर-वाला मंदिर बनाना शुरू किया । सरदारके पिताजी अिन बोचासणवालोंके नये पंथमें मिल गये थे और शास्त्रीजीके अनुयायी बन गये थे । ये शास्त्रीजी बलवा करके वड़तालसे अलग हुअे, तब उनके साथ कुछ साधु और चेले भी गये और अिस सुधारके मंडलीने वड़तालके मंदिरके मातहत गांव गांव जो मंदिर थे, अून पर अधिकार करना शुरू कर दिया । ये कब्जा करने जाते तब वड़तालके मूल पक्षके जिन साधुओं और चंलोंके कब्जेमें ये मंदिर थे, अुनके साथ मार-पीट होती । अिस प्रकार गांव गांव बलप्रयोगकी घटनायें होनेसे जिलेमें शांति भंग होने लगी । अिसलिये दोनों पक्षके साधुओं और चेलों पर शांति भंग न करनेके लिये जमानत लनेके वास्ने अेक दूसरेके विरुद्ध मुकदमे चलाये गये । अैसे ही अेक मुकदमेमें वे शास्त्रीजी पहले नंबरके अभिपुक्त थे और अुनके साथ अुनके पक्षके दूसरे दस-बारह साधु और चेले थे । यह मुकदमा वोरसदके रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें पेश हुआ । पिताजीके आग्रहके कारण सरदारने यह केस हाथमें लिया और समझौता कराकर दोनों पक्षके अभिपुक्तोंको छोड़ा दिया ।

अैसा कहा जाता है कि पंजाबसे कुछ लेअुवा पाटीदार गुजरातमें आये थे और अुन्होंने नड़ियाद, वसो, करमसद, भादरण, धर्मज और सोजित्रा वगैरा बारह गांव बसाये थे । अिनमें से ये छः गांव बड़े और अधिक कुलीन माने जाते हैं । करमसद गांवको बसानेवाले मूल अेक ही पुरुष थे, अिसलिये करमसदमें रहनेवाले सभी पाटीदार मूल अेक ही कुटुम्बकी सन्तान माने जाते हैं । अिस कुटुम्बकी शाखायें और अपुशाखायें गांवके अलग अलग मोहल्लोंमें बसी हुअी हैं । झवेरभाओके मोहल्लेमें बस्ती कुछ ज्यादा थी, अिसलिये झवेरभाओके हाथ दस-अेक बीघे ही जमीन आओी । और झवेरभाओका खेतीमें जरा भी ध्यान नहीं था, अिसलिये स्थिति गरीब रह गओी । परन्तु वे बहुत स्वतंत्र प्रकृतिके और कड़े स्वभावके थे । किसी भी मामलेमें किसीसे दबते नहीं थे । पहलेमे धर्म-परायण वृत्तिके थे और मंदिरोंमें अधिक समय बिताते थे । सरदार घरमें हों तब बैठते नहीं परन्तु चक्कर काटते हैं । अुन्हें यह आदत पिताजीकी तरफसे विरासतमें मिली है । झवेरभाओी मंदिरमें कभी बैठे नहीं रहते थे । माला फेरते फेरते या भजन गुनगुनाते हुअे चक्कर काटनकी अुनकी आदत थी । गांवकी झंझटमें वे कभी भाग लेते ही नहीं थं । परन्तु भक्त पुरुषके रूपमें गांवमें अुनकी अिज्जत अच्छी मानी जाती थी । सब अुनका आदर करते थे और

किसीका दोष होने पर वे दो शब्द कह देते तो सबको सुनने पड़ते थे। विट्ठलभाभी और सरदार वगैरा भाभी अन्हें बड़े काका कहते थे। परन्तु गांवमें सब अन्हें राजभा कहते थे। यह किस परसे कहते थे, सो मुझे खबर देनेवाले नहीं बता सकते।

महादेवभाभीने 'वीर वल्लभभाभी' में लिखा है कि "पिताजीने छुटपनमें सन् ५७ के गदरमें झांसीकी रानीके प्रदेशमें भाग लिया था। दो-तीन वर्ष तक घर पर उनका पता नहीं लगा। मल्हारराव होल्करने अन्हें कैद कर लिया था। कैद करके अन्हें अपने सामने बंधा हुआ रखकर अेक बार मल्हारराव शतरंज खेल रहे थे। अिस शतरंजमें राजा गलत चाल चलते, तब झवरभाभी कहते रहते: 'राजा, अिस मोहरेको यूँ चलिये।' मल्हारराव चकित हो गये और कैदीको छोड़कर मित्र बना लिया।"

बोरसद तथा नडियादमें से सरदारके कुछ समयस्कोसे मिला था। अन्होंने मुझे कहा कि हमें यह बात याद नहीं है। परन्तु अिस असेमें वे करमसद छोड़कर परदेसमें, बहुत करके अिन्दौरकी तरफ, किसीसे कहे बिना चले जरूर गये थे। अिस प्रकार महादेवभाभीकी बात ठीक हो सकती है।

सरदारकी ननसाल नडियादमें देसायी मोहल्लेमें है। उनका जन्म भी वहीं हुआ था। उनके नानाका नाम जीजीभाभी वस्ताभाभी देसायी और मामाका नाम डूगरभाभी था। उनकी आर्थिक स्थिति झवेरभाभीकी तुलनामें अच्छी थी। विट्ठलभाभीकी अंग्रेजी पढ़ाई सारी ननसालमें ही हुई थी और सरदार भी हाथीस्कूलके तीनेक वर्ष नडियादमें रहे थे। परन्तु वे ननसालमें न रहकर अपने विद्यार्थी मित्रोंकी अेक अलग क्लब खोलकर अुसमें रह। माता लाड़बायी नरम और सुशील स्वभावकी थी और घर सम्हालनेमें बहुत कुशल थीं। स्थिति गरीब होने पर भी मेहमान-पाहुनोंकी अच्छी तरह आवभगत करती थीं। किसीके साथ झगड़ा करना तो उनके स्वभावमें ही नहीं था। सेवाभावी वृत्तिकी थीं। पड़ोसीका भी काम कर देती थीं। आसपासवाले सभीका प्रेम सम्पादन करनेकी अुनमें सहज शक्ति थी। बहुओंको भी वे बहुत अच्छी तरह रखती थी। छोटे लड़के काशीभाभीके विधुर हो जानेके बाद अुनका घर सम्हालती और बच्चोंको सम्हालतीं। लगभग ८५ वर्षकी अुमरमें जब वे सन् १९३२ में गुजरीं, तब तक काशीभाभी सब कुछ तैयार कर देते थे और वे बैठी बैठी पकाकर खिला देतीं। अिस तरह अुन्होंने घरका काम किया। गांधीजीने चरखा जारी किया, अुसके बादसे तो फुरसत मिलते ही फौरन चरखा लेकर बैठ जातीं। पिताजी भी ८५ वर्षकी अुम्रमें सन् १९१४ में गुजर गये। अिस प्रकार माता-पिताके बीच अुम्रमें १८ वर्षका अन्तर था। अिसका कारण यह था कि पिताजीका

पहला विवाह सुणाव गांवमें हुआ था, परन्तु पहली पत्नी निस्संतान गुजर गयीं और माता लाड़बायी दूसरी पत्नी थी ।

भायी-बहनोंमें वे पांच भायी और अंक बहन थी । बुद्धि-प्रभाव और स्वभाव देखते हुअे यह कहा जा सकता है कि सबसे बड़े सोमाभायी और सबसे छोटे काशीभायीमें मां के गुण अधिक आये होंगे और दूसरे, तीसरे और चौथे अर्थात् नरसिंहभायी, विट्ठलभायी और सरदारमें बापके गुण ज्यादा आये होंगे । नरसिंहभायी अंग्रेजी नहीं पढ़े थे । अन्होंने करमसदमें किसानके रूपमें ही जीवन बिताया । अुनके बारेमें सरदार अक्सर कहते है कि वे अंग्रेजी नहीं पढ़े और गांवसे बाहर नही निकले, असलिअे प्रसिद्धि नहीं पायी, वैसे बुद्धि-प्रभाव और व्यवहार-कुशलतामें मुझसे और विट्ठलभायीसे कही बढ कर थे । बहन डाहीबा सबसे छोटी थीं । वे नामके अनुसार ही बड़ी समझदार, ठंडी और विवेकशील थी । वे सब भाअियेकी वहुत लाड़ली थीं । सरदारका अुन पर विशेष प्रेम था । वे सन् फरवरी १९१६ में गुजर गयी ।

सरदारको माता-पिताके धर्मपरायण और संयममय जीवनका अुत्तराधिकार काफी मात्रामें मिला है । साधारण प्रचलित अर्थमें सरदारको शायद ही कोअी धार्मिक मनुष्य कहेगा । परन्तु अुनकी यह अनन्य श्रद्धा कि जिस समय और जिस जगह अीश्वर हमें अुठा लेना चाहता है अुसमें मनुष्य कितनी ही अुखाड़-पछाड़ करे तो भी जरा फेरबदल नहीं हो सकता और असलिअे मौतके डरका अभाव ही नहीं, बल्कि प्राप्त संयोगोंमें शरीरकी रक्षाके लिये तमाम संभव सावधानी रखनके बाद बीमारी या मृत्युके प्रति बेपरवाही; जो काम हाथमें ले लिया अुसे सफल करनेका जी-तोड़ प्रयत्न करनेके बाद परिणामके विषयमें निश्चिन्तता; जिन साथियों पर विश्वास कर लिया, वे अपनेसे बड़े हों या छोटे, अुनकी गोदमें सिर रख देनेकी पूरी तैयारी; ये सब बातें धर्मपरायणतामें गिनी जाती हों, तो यह धर्मपरायणता अुनमें पूरी तरह है । धार्मिक वृत्तिके मनुष्यमें जो संयम होता है, और अुसका जो तितिक्षामय और तपोमय जीवन होता है, अुसकी अुत्कट अधीरता सरदार कभी नहीं दिखाते । फिर भी अुस जीवनके लिअे प्रयत्न करनेवाले, अुसके लिअे प्रार्थना करनेवाले और विविध व्रत पालनेवालेसे अनायास ही अुनका जीवन कम संयममय, तितिक्षामय या तपोमय नहीं है । अस चीजको मैं मातापितासे मिली हुअी विरासत मानता हूं । बाहर दिखायी दे या नहीं, परन्तु जीवनमें भीतर ही भीतर धार्मिकता या किसी मंगल-स्वरूप अदृश्य शक्तिके प्रति श्रद्धाका स्रोत बहता हो, तो ही निःस्वार्थ सेवावृत्ति और कोअी हिसाब लगाये बिना शरीरको मिटा डालनेकी अुत्कटता आती है । हां, सरदारकी धार्मिकता प्रचलितसे भिन्न प्रकारकी, विशेष

स्वरूपकी मानी जायगी। पौराणिक भाषा काममें लें तो यों कहा जा सकता है कि सरदार ब्रह्मर्षि नहीं परन्तु राजर्षि है। उनका धार्मिकता, उनका संयम, उनका त्याग, उनका तितिक्षा साधु-संतोंकी नहीं, परन्तु क्षत्रिय वीरोंकी है। उनका वर्णन एक ही शब्दमें करना हो तो यही कहना चाहिये कि वे महायोद्धा हैं, वीर सुभट हैं। अिसीलिअे लोकहृदयने अुन्हें सरदारके रूपमें अपनाया है। आग्रह, दृढ़ता, हंसत मुंह शारीरिक दुःख सहन करनेकी अपार शक्ति, संपूर्ण निर्भयता आदि महायोद्धाके जो गुण सरदारमें पराकाष्ठामें पाये जाते हैं, व पिताके संयममय और आग्रही जीवनकी ही विरासत हैं। ये गुण पितामें बीजरूप होंगे पर अिनमें विकसित होकर अुत्कर्षको पहुंच गये। अिसके सिवाय बड़े तंत्र या संगठन रचने और चलानेकी शक्ति भी अुनमें जन्मजात है। आजकल हमारे स्वराज्यका तंत्र चलानेमें वे जिस राजनीतिज्ञताका परिचय दुनियाको दे रहे हैं वह अुनमें जन्मजात है, यह कहना मुश्किल है। परन्तु चरोतरमें\* बहुतसे राजनीतिज्ञ पैदा हुअे हैं। अुनमें जो अेक विशेष प्रकारकी बहादुरीवाली राजनीतिज्ञता पाअी जाती है वही सरदारमें आअी है अंसा कहा जा सकता है। सरदारको ज्यों ज्यों मौके मिलते गये और अुनका कार्यक्षेत्र विशाल होता गया त्यों त्यों अिस गुण या शक्तिका विकास होता गया है। अिन गुणोंका दर्शन तो पाटक जैसे जैसे यह जीवन-चरित्र पढ़ता जायगा, वैसे वैसे अुसे होता जायगा।

सरदारको शारीरिक सहनशक्ति या तितिक्षा भी विरासतमें मिली है। जब वकालतकी पढ़ाअी कर रहे थे तब वे, अपने अेक मित्रके साथ पढ़नेको दो महीना बाकरोल रहे थे। वहां अुनकी कांखमें फोड़ा हो गया। देहातमें और तो क्या अुपाय हो सकता था? किसीने कहा कि गांवमें अमुक नाअी है, जो नशतर लगाकर कैसे भी फोड़ेको फोड़ देनेमें बड़ा होशियार है, अुसे बुलवाअिये। नाअीको बुलवाया, अुसने चीरा लगानेके लिअे सलाख आगमें डालकर फोड़ेके लगा दी, परन्तु अन्दरसे सारा पीप निकाल देनेकी अुसकी हिम्मत नहीं हुअी। सरदारने अुससे कहा : “अिस तरह क्या देख रहे हो, लाओ तुमसे न हो सके तो मैं करूं।” यह कहकर सलाख हाथमें ली और तुरन्त अन्दर घुसेड़ दी और अन्दर चारों तरफ घुमाकर सारा पीप निकाल दिया।

विलायतमें वे अेक मकानकी मालकिनके यहां रहते थे। मअी १९११ में अेक दिन नहाते समय चक्कर खाकर गिर पड़े। बादमें खूब बुखार चढ़ा और पैरमें नहरुआका दर्द मालूम हुआ। डाक्टर पी०टी० पटेल, जो बादमें बम्बअी

\* मही और साबरमती नदीके बीचका गुजरातका प्रदेश।

कार्पोरेशनमें थे, उस समय वहां पढ़ते थे। उनकी सलाहसे एक नर्सिंग होममें भरती हुआ। वहां आपरेशन किया गया, परन्तु सर्जनको इस बीमारीका अच्छी तरह पता नहीं था। इसलिये नहूरू पूरी तरह बाहर नहीं निकला। उसने दूसरी बार आपरेशन किया। उससे तो अल्टी बीमारी बढ़ गयी और धनुर्वात हो गया। स्थिति गंभीर हो गयी। उस सर्जनने कहा कि जान बचानी हो तो तुरन्त पैर काट डालना पड़ेगा। हिन्दुस्तान लौटकर बैरिस्टरी करनी थी, सो लंगड़े पैरसे करनेमें क्या शोभा? इसलिये उस सर्जनको छोड़ दिया। डाक्टर पी० टी० पटेलके एक प्रोफेसरने जांच करके फिर आपरेशन करके आजमानेको कहा। परन्तु उसने यह भी कहा कि बेहोशीकी दवा न सूंघो, तो अच्छा होनेकी अधिक संभावना है। सरदारने कहा कि मुझे तो क्लोरोफार्म लेनेकी जरूरत ही नहीं है। कितनी ही पीड़ा या दुःख हो तो भी मैं सहन कर सकता हूँ; और खूबी यह थी कि आपरेशन पूरा होने तक उन्होंने एक आह भी नहीं भरी। सर्जन और उसके सहायक चकित हो गये और बोले: “ऐसा बीमार हमें पहली ही बार मिला है।”

सरदारको स्वच्छता और सुघड़पनकी आदत भी माताकी तरफसे ही विरासतमें मिली है। केवल व्यक्तिगत स्वच्छता ही नहीं, परन्तु आसपासकी चीजें, आंगन, मोहल्ला और आजकल दिल्लीमें जिस बंगलेमें रहते हैं, उसके कम्पाउन्डका एक अक कोना साफ रखनेका उनका आग्रह होता है। मैं उनके साथ बहुतसी संस्थाओंमें घूमा हूँ। वहाँके मकानों तथा कम्पाउन्डमें कुछ भी टूटफूट या अव्यवस्था हो और उसके नक्शे या रचनामें कोअी खामी हो, तो उसकी तरफ उनका ध्यान गये बिना नहीं रहता। इसी तरह सब कुछ ठीक हो तो उसकी कदर करनेकी भी उनकी सहज ही वृत्ति हो जाती है। यह चीज उनके सारे परिवारमें है। करमसदका उनका घर, जिसमें आजकल उनके छोटे भायी काशीभायी रहते हैं, यों तो तड़क-भड़कवाला नहीं है, परन्तु वह बाहर और भीतरसे सुघड़ है। अन्दर तमाम चीजें आप हमेशा व्यवस्थित रक्खी हुआ पायेंगे। घरके सामने जो थोड़ीसी खाली जमीन है, वह भी साफ है। उसमें अक आध पेड़ और थोड़ेसे फूलोंके पेड़ हैं। उनका बारडोलीका आश्रम देखें, तो वहाँ भी आदर्श स्वच्छता और सुघड़पन दिखायी देगा। सरदारमें जो अँचे दर्जकी म्युनिसिपल दृष्टि है, उसके बीज उनके सारे परिवारमें हैं और वे आजकल उनसे संबन्ध रखनेवाली हरअक चीजमें पाये जाते हैं।

## विद्याभ्यास

सरदारके किसान परिवारमें पैदा होनेके कारण उनके घरमें विद्या-व्यासंगका कोअी वातावरण था ही नहीं। अन्हें अपनी जन्म-तिथिका भी पता नहीं। माताको शायद तिथिका पता होगा, परन्तु वे भी साल या तारीख नहीं जानती थीं। आजकल ३१ अक्टूबर १८७५ अुनकी पैदाअिशकी तारीख मानी जाती है। वह अुनके मैट्रिकके सर्टीफिकेटसे मिली है। वह सही है या गलत, अिसका बहुत भरोसा तो नहीं है। सरदार तो हसते हंसते कहते हैं कि जैसा जीमें आया अुसीके अनुसार परीक्षाके मंडपमें मैने तारीख लिख दी होगी। १९३७ के चुनावमें कांग्रेसने पूरी तरह भाग लिया था। अुस वक्त जन्म-तिथिकी जरूरत पड़ी। सरदारको याद नहीं थी। श्री मन्शी अुस समय मौजूद थे। अुन्होंने एक रुपया जमा कराकर अुनका मैट्रिकका सर्टीफिकेट निकलवाया और अुससे जन्म-तिथि ली। जब प्राथमिक पाठशालामें पढ़ते थे तब पढ़ाअीकी किताबोंकी अपेक्षा अुन्हें आसपामके खेतों और देहातका ज्यादा ज्ञान होगा। फिर भी सरदार कहते हैं कि, “मेरे पिताको मुझे पढ़ानेका बड़ा शौक था। रोज सवेरेके समय मुझे खेतमें ले जाते, खेतमें काम करनेके लिये नहीं परन्तु आते-जाते रास्तेमें पहाड़े बुलवाने और रटवानेके लिये।” सरदार १७-१८ वर्षके हुअे, तब तक करमसदमें ही रहे थे, अिसलिये खेतमें काम करना तो आ ही गया था। सरदार कहते हैं कि, “हम सब भाअियोंने खेतमें काम किया था। अकेले विट्ठलभाअीने शायद नहीं किया हो, क्योंकि वे अंग्रेजकी पहली कक्षासे ही नडियाद ननसालमें रहे थे।” सरदारने गुजराती सात पुस्तकोंकी पढ़ाअी करमसदमें ही पूरी की। अुस समयके और कोअी संस्मरण अुनसे नहीं मिलते हैं। परन्तु वे अेक बात बड़े महत्वकी कहते हैं। बचपनके अुनके अेक शिक्षक अैसे थे जिनसे कुछ पूछने जाय तो गाली देकर कहते : “मुझसे क्या पूछते हो? अपने आप पढ़ो।” और यह सूत्र मानो अुनके जीवनकी कुंजी है। अपनी सारी पढ़ाअी अुन्होंने अपने आप ही की। अुसमें किसी शिक्षकका कोअी हाथ दिखाअी नहीं देता। और गांधीजी शिक्षक मिले तब तकके अपने जीवनकी रचना भी अुन्होंने अपने आप ही बिना किसीकी मदद या सहारेके की है। गांधीजीको शिक्षकके रूपमें स्वीकार किया, तो वह भी अपना व्यक्तित्व कायम रखकर। महादेवभाअी कहते



हैं कि, “गांधीजी जैसे शिक्षकका शिष्य होकर जो व्यक्तित्व खो बैठे, वह अपनेको और गांधीजी दोनोंको लजाता है।” सब जानते हैं कि सरदारने गांधीजीको लज्जित होनेका जरा भी कारण नहीं दिया। अतना ही नहीं, परन्तु अपने शिष्यत्वको सुशोभित किया है।

करमसदकी पाठशालाके शिक्षकको अुनके जो विद्यार्थी सात किताब पास कर लें, अुन सबको सीनियर ट्रेन्ड मास्टर बनानेकी बड़ी लगन थी। परन्तु सरदारमें छुटपनसे ही, किसीका भी प्रोत्साहन या प्रेरणा न होने पर भी, बड़ा आदमी बननेकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी। और अुन दिनों बड़ा आदमी बननेका अर्थ था वकील या बैरिस्टर बनना। सातवी पुस्तक खतम कर ली अुस समय वकील या बैरिस्टर बननेकी स्पष्ट कल्पना अुनके मनमें पैदा नहीं हो पायी होगी। परन्तु दिलमें यह तो निश्चय ही था कि किसी भी तरह आगे अंग्रेजी पढ़ना है। गांवमें अंग्रेजी पाठशाला नहीं थी। विट्ठलभाभी अंग्रेजी पढ़नेको ननसालमें नड़ियाद रहते ही थे। दूसरे लड़केको भी ननसाल भेजना पिताजीको ठीक नहीं लगा होगा। अिसलिये अैसा मालूम होता है कि सरदार चार छः महीने करमसदमें अिसी विचारमें भटकते रहे कि अंग्रेजी पढ़नेका मंसूबा किस तरह पूरा किया जाय। अितनेमें वहा तीसरे स्टेन्डर्ड तककी अेक खानगी अंग्रेजी पाठशाला खुली। अुसमें वे भरती हो गये और तीसरी अंग्रेजी तक वहां पढ़े। अुस समय अुनकी आयु सत्रह वर्षकी होगी।

बादमें आगे पढ़नेके लिये पेटलादमें अंग्रेजी पांचवें दर्जे तककी जो पाठशाला थी अुसमें भरती हुअे। वहां अेक छोटासा मकान किराये लेकर छः सात विद्यार्थी क्लब जैसा बनाकर रहते थे। हरअेक आदमी अपने घरसे सप्ताह भरका खानेका सामान हर रविवारको ले आता और बारी-बारीसे हाथों भोजन बनाकर सब लोग खाते।

अुन्होंने विद्याभ्यासका समय कितनी गरीबी और सादगीमें बिताया है, अिसका अेक अुदाहरण यही देता हूं। नड़ियादमें अेक बार मेरा अुनके साथ विट्ठल कन्याविद्यालयमें जाना हुआ। सारा दिन बातचीत और चर्चाओंमें बिताया। शामको मुझसे कहने लगे कि घूमने चलें। ब्यालूममें थोड़ी देर थी और घूमे बिना तो अुन्हें चैन नहीं पड़ता। बाहर जाना न हो सके तो घरमें ही चक्कर काटते रहनेकी अुनकी आदत है। विद्यालयके सामनेके तंग रास्तेसे बातें करते हुअे चलते चलते रेलवे क्रासिंगसे आगे पहुंचे तब मुझसे कहने लगे: “जब मैं नड़ियादमें ननसालमें रहता था, तब कभी कभी करमसद जाता तो मेरी दादी मुझे यहां तक छोड़ने आती थीं। नड़ियादसे

बाणन्द तक रेल थी परन्तु करमसद जानेके लिये हम कभी रेलगाड़ीका उपयोग नहीं करते थे। घरसे निकलते तब दादी खानेके लिये दो चार आने देती थीं, परन्तु हम रेल-किरायेमें खर्च न कर डालें अिसलिये यहां तक पहुंचा जाती थीं।” अंग्रेजी चौथी और पांचवीं पेटलादमें पूरी की। पेटलादके ही निवासी अुनके अेक सहपाठी कहते हैं कि शिक्षकोंका मजाक बुड़ाने और दिल्लगी करने तथा अुनके नाम रखनेमें वे प्रमुख भाग लेते थे। अिसके सिवाय पेटलादके दो बरसके जीवनमें कोअी लिखने लायक बात मिली नहीं।

पेटलादसे छठे (अंग्रेजी) दर्जेमें नडियाद गये। मैट्रिकमें अेक साल फेल हो गये। अिसलिये मैट्रिक होने तक तीन साल नडियादमें रहे। बीचमें जब मैट्रिक क्लासमें थे, तब दो-अेक महीने बड़ौदा हाईस्कूलमें हो आये थे। सन् १८९७ में लगभग २२ वर्षकी अुमरमें मैट्रिक पास हुअे।

नडियादमें ननसाल होने पर भी स्वतंत्र रहनेके लिये अन्होंने अेक बोर्डिंग खोला और अुसीमें रहते। नडियादके हाअीस्कूलमें अिनकी अंग्रेजी अच्छी मानी जाती थी। अंग्रेजी पुस्तकें पढ़ने और अुनमेसे अंश रट लेनेका भी अिन्हें शौक था। अुनके सहपाठी कहते हैं कि वे विद्यार्थियोंकी सभायें करके अुनमें अंग्रेजीमें भाषण देते थे। नडियादसे बड़ौदा जानेका मुख्य कारण यह था कि अन्होंने सुना था कि वहां अंग्रेजी ज्यादा अच्छी पढ़ाअी जाती है। अिस प्रकार अैसा जान पड़ता है कि जब हाअीस्कूलमें थे, तब अुनको अंग्रेजीका शौक होगा। परन्तु बादमें अन्होंने काम लायक अंग्रेजीका अुपयोग करनेके सिवाय कभी अपनी अंग्रेजी भाषाका ज्ञान बढ़ानेका विशेष प्रयत्न नहीं किया।

नडियाद और बड़ौदेके ये तीन वर्ष अैसी घटनाओंसे भरे हैं, जो विद्यार्थियोंके लिये स्मरणीय कहे जा सकते हैं। ये घटनायें हमें भावी दीर योद्धाके दर्शन कराती हैं।

नडियाद हाअीस्कूलमें सरदार विद्यार्थियोंके सेनापति बन गये थे। छठे दर्जेमें अेक पारसी शिक्षक बड़े सख्त थे। बेंतकी छड़ीका खूब अुपयोग करते थे। अेक रोज अेक लड़के पर जुर्माना कर दिया और वह जुर्माना न लाया तो अुसे क्लासके बाहर निकाल दिया। विद्यार्थी वल्लभभाअीको खयाल हुआ कि अिसका कोअी अिलाज करना ही चाहिये। अपनी कक्षाको अन्होंने तुरन्त खाली तो करा ही दिया। दो पहरकी छुट्टीमें सारे स्कूलके लड़कोंको अिकट्ठा करके हड़ताल भी करा दी और कोअी विद्यार्थी स्कूल न जाय अिसके लिये अच्छी तरह पहरा लगवा दिया। विद्यार्थियोंके

बैठनेके लिये अके धर्मशालामें अन्तजाम कर दिया और वहां पीनेके पानी बगैराकी व्यवस्था कर दी। हड़ताल तीन दिन तक रही। स्कूलके हेडमास्टर बड़े तरकीववाले थे। अन्होंने सरदारको बुलाकर समझाया और यह कहकर समझौता करा दिया कि किसी विद्यार्थीको गलत तौर पर या जरूरतसे ज्यादा सजा भविष्यमें न दी जायगी।

अके शिक्षक अपनी कक्षामें काम आनेवाली पुस्तको और विद्यार्थियोंके कामके कागज, पेन्सिल और कापियां वगैरा सामानका व्यापार करता और अपने ही पाससे ये सब चीजें खरीदनेके लिये कक्षाके विद्यार्थियोंको विवश करता। सरदारके पास यह शिकायत आन पर अन्होंने विद्यार्थियोंसे अस शिक्षकका असा बहिष्कार करवाया कि अन्तमें अुस शिक्षकको अपना व्यापार छोड़कर झुकना पड़ा।

असी लड़ावियोंके सिवाय वे सार्वजनिक स्वरूपकी कही जा सकनवाली प्रवृत्तियोंमें भी भाग लेते थे। म्युनिसिपल चुनावमें स्कूलके महानन्द नामक अके मास्टर अुम्मीदवार बनकर खड़े हुअे थे। सरदारने स्कूलके तमाम लड़कोको महानन्द मास्टरके पक्षमें काम करनेको तैयार किया। मुकाबलेमें नडियादके देसाजी परिवारके अके भाजी थे। अन्होंने कह दिया था कि अिस मास्टरके सामने हार जाऊं तो मूछ मड़वा डालू। सरदारने विद्यार्थियोंकी मददसे मतदाताओंमें असा मजबूत काम किया कि महानन्द मास्टरकी बहुत बड़े बहुमतसे जीत हुअी। तुरन्त सरदार तो पचासेक छोरोंकी टोलीके साथ अके हज्जामको लेकर देसाजीको मूछ मड़वानेको कहनेके लिये निकल पड़े!

बडौदेका अके पराक्रम तो बड़ा मजेदार है। अूपर कहा जा चुका है कि जब मैट्रिकमें थे, तब सरदार बडौदा हाजीस्कूलमें चले गये थे। संस्कृतमें बहुत रस न होनेसे अन्होंने मैट्रिकमें संस्कृत छोडकर गुजराती ले ली थी। श्रेयःसाधक अधिकारी वर्गके प्रसिद्ध छोटालाल मास्टर अुस वक्त वहां गुजराती पढ़ाते थे। वे गुजराती पढ़ाते थे परन्तु देवभाषा छोड़कर गुजराती सीखने आनेवालेके प्रति अन्हें जरा अरुचि रहती थी। सरदार अुनकी कक्षामें दाखिल हुअे कि छोटालाल मास्टरने तुरन्त अुनसे कहा: “आअिये महापुरुष! कहासे आये? संस्कृत छोड़कर गुजराती लेते है। परन्तु यह पता है कि संस्कृतके बिना गुजराती आती ही नहीं है?” यह कहकर संस्कृतके बहुतसे लाभ गिनाये। अिस पर विद्यार्थी वल्लभभाजीने कहा: “परन्तु साहब, हम सब संस्कृतमें ही रहते तो फिर आप पढ़ाते किसे?” शिक्षक बिगड़े और हुक्म दिया: “महापुरुष, जाअिये। अेकसे लगाकर दस तकके पहाड़े लिख लाअिये।” अके दिन हुआ, दो दिन हुअे, महापुरुष क्यों लिखकर लाते?

मास्टर साहब रोज नाराज होते रहते और रोज सजा बढ़ाते जाते। “जाओ, कल दो बार लिखना।” “कल चार बार”, “कल आठ बार” अिस तरह बढ़ते बढ़ते दो सौ पहाड़े लिखनेका हुक्म हुआ। परन्तु ‘महापुरुष’ पर कोअी असर नहीं हुआ। शिक्षक सजा बढ़ाते गये और शिष्य अुस सजाको चुपचाप सुनते रहे। फिर तो छोटालाल मास्टरने पूछा: “क्यों लिखकर लाना है या नहीं? या दूसरी सजाका विचार करूँ?” शिष्यने जवाब दिया: “दो सौ प(ह)ाड़े लाया तो था, परन्तु अुनमें से अेक अितना मारकना निकला कि अुससे बिदककर सभी दरवाजेके सामनेसे भाग गये। अिसलिये अेक भी प(ह)ाड़ा नहीं रहा!” अपने विद्यार्थीका अितना मस्त विनोद समझने और सहन करनेके लिये तो शिक्षकमें भी अुतनी ही मस्ती चाहिये न! छोटालाल मास्टर अिससे सहन न कर सके और धमकाकर ताकीद की। दूसरे दिन फिर पूछा गया। जरा भी घबराये बिना विद्यार्थीने विनोदको आगे बढ़ाया: “हां, साहब लिख लाया हूं।” यह कहकर अेक कागज दिखाया। अुसमें लिखा था: “दो सौ पहाड़े।” महादेवभाभी लिखते है कि, “छोटालाल मास्टरकी अहिंसा धन्य है कि अुन्होंने अिस अपमानका स्थूल प्रहारसे जवाब न देकर अिस न सुधर सकनेवाले नटखट लड़केको मुख्य शिक्षक नरवणेके पास भेज दिया।” सरदारका अिस बधाअीके विरुद्ध अेतराज है। वे कहते है: “स्थूल प्रहार क्या करता? मैं अैसा था कि कोअी भी शिक्षक मुझे पीटनेसे डरता।” अुस मुख्य शिक्षकके सामने विद्यार्थीने बयान दिया: “अैसी भी कोअी सजा होती है? मेरी पढाअीमें से कुछ लिखवायें तो मुझे फायदा भी हो। पहली पुस्तकके अिकाअीके पहाड़ेसे तो किसीको लाभ नहीं हो सकता, अुल्टे यह लिखते देखकर मुझे सब मूरख कहेंगे।” मुख्य शिक्षकने मनमें अिस तर्ककी कद्र की और विद्यार्थीको शांतिसे समझाया।

छोटालाल मास्टर तो अपने विद्यार्थीको महापुरुष हुआ देखनेको जिन्दान रहे, परन्तु नरवणे मास्टरको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे गर्वके साथ कहते थे: “वल्लभभाभी मेरे हाथके नीचे पढ़े थे।”

अिस घटनाके बाद सरदार अधिक समय बड़ीदा नहीं रहे। अेक और शिक्षकके साथ झगड़ा करके वे दो ही महीनेमें वहांसे नड़ियाद चले आये। नड़ियादमें मामाने पूछा: “क्यों लौट आये?” तो कहा: “वहां किसी मास्टरको पढ़ाना ही नहीं आता।”

अन्तमें नड़ियाद हाअीस्कूलसे सन् १८९७ में मैट्रिक हुअे। अुस समय अुनकी अुमर लगभग बाअीस वर्षकी थी।

मैट्रिक पास होनेके बाद क्या करें, यह प्रश्न सामने आकर खड़ा हुआ। गुजराती सात किताबें पास करनेके बाद जैसे सीनियर ट्रेड मास्टर बननेकी सलाह मिली थी, अुसी तरह अिस बार भी घरकी स्थिति साधारण है और किसी नौकरी धंधेसे लग जाय तो अच्छा हो, यह सोचकर मामा डुगरभाजीने, जो अेल० सी० अी० पास होनेके कारण अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें मुख्य अिजीनियर थे और म्युनिसिपैलिटी और शहरमें जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी, कहा कि अहमदाबाद आ जाय तो म्युनिसिपैलिटीमें मुकद्दमकी जगह दिलवा दू। जैसे काम सीखेगा वैसे आगे बढ़नेका अच्छा मौका मिलेगा। परन्तु अैसी नौकरी-वौकरीसे स्वतंत्र प्रकृतिके अुस साहसी युवकको मन्तोष नहीं हो सकता था। अुसके मस्तिष्कमें बचपनसे बड़ी-बड़ी महत्त्वाकांक्षायें भरी हुअी थीं। परन्तु गुजराती सात पुस्तकें पास करने तक करमसद, आणन्द और वडतालके सिवाय बाहरकी दुनिया बहुत देखी नहीं थी, अिसलिये स्कूलका शिक्षक नहीं बनना है, अिसके सिवाय अुन महत्त्वाकांक्षाओने कोअी निश्चित स्वरूप नहीं लिया था। अिस बार अुन्होंने नडियाद और बडौदेमें वकीलोंको देखा होगा और किसी बैरिस्टरका नाम भी सुना होगा। अिसलिये युवक मस्तिष्कमें तरह-तरहके सपने अुमडते होंगे। अिस अरसेके अपने मनोराज्यमें हमें खुद सरदारने ही सन् १९२१ की स्वराज्यकी बाढ़के दिनमें असहयोगके वारेमें मोड़ासामें अेक हृदयस्पर्शी भाषण देते हुअे प्रवेश कराया है:

“भाअी मोहनलालने मेरा परिचय देते हुअे कहा कि मैं पहले अंग्रेजोकी हूबहू नकल करता था, यह सच है। साथ ही यह बात भी सही है कि मैं फुरसतका समय खेलकूदमें बिताता था। अुस समय मेरा विश्वास यह था कि अिस अभागे देशमें विदेशियोंकी नकल करना ही अुत्तम कार्य है। मुझे शिक्षा भी अैसी ही दी गअी थी कि अिस देशके लोग हलके और नालायक हैं और हम पर राज्य करनेवाले परदेशी ही अच्छे और हमारा अुद्धार करनेमें समर्थ हैं; अिस देशके लोग तो गुलामीके ही योग्य हैं, अैसा जहर अिस देशके तमाम बच्चोंको पिलाया जाता है। मैं बचपनमे ही यह देखने और जाननेको तड़पता रहता था कि जो लोग सात हजार मील दूर विदेशसे राज्य करने आते थे अुनका देश कैसा होगा। मैं तो साधारण घरानेका था। मेरे पिताजी मंदिरमें जिन्दगी बिताते थे और अुसीमें अुन्होंने वह पूरी की। मेरी अिच्छा पूरी करनेका अुनके पास साधन नहीं था। मुझे मालूम हुआ कि दस-पन्द्रह हजार रुपया मिल जाय तो विलायत जा सकता हूं। मुझे कोअी अितना रुपया देनेवाला नहीं था। मेरे अेक मित्रने कहा कि अीडर स्टेटमें दरबारसे रुपया ब्याज पर मिल सकता है। अुस मित्रके काका अीडरमें ही

रहते थे, जिसलिये मेरा वह मित्र और मैं दोनों अडर गये और शेखचिल जैसे विचार करके गांवकी प्रदक्षिणा करके वापस चले आये । अन्त निश्चय हुआ कि विलायत जाना हो तो रुपया कमाकर जाना चाहिये बादमें वकालतकी पढ़ाई की और वकालतका धंधा करके खर्च लाय कमायी करके विलायत जानेका निश्चय किया ।”

अेक बार सरदारके ही कहे हुअे शब्दोंमें कहूं तो ‘सस्ता पढ़नेका अं आसानीसे कमानेका धंधा’ कौनसा है, यह सोचकर वकालतका विचार किय सो भी अेल-अेल० बी० होनेका नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट प्लीडर बननेका किय कालेजमें जाकर साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करने जितना घरमें रुपया नही था परन्तु बड़ा कारण तो यही था कि अेल-अेल० बी० होनेमें छः वर्ष लगेंगे पढ़ाईमें अितने अधिक वर्ष बिता देना अुन्हें मुनासिब नही दिखायी दिया अुमर बडी हो गयी थी और यथाशक्ति जल्दी वकील बनकर रुपया कमाव विलायत जाना था । डिस्ट्रिक्ट प्लीडरकी परीक्षाके लिये घर पर रहव पढ़ा जा सकता था और खर्च कुछ भी नही होता था । यह भी अुन चुनावका अेक कारण जरूर था । वकीलोंसे कानूनकी पुस्तकें मांग ला और तीन साल पढ़ाईमें बिताकर सन् १९०० में डिस्ट्रिक्ट प्लीडरकी परीक्ष पास कर ली ।

वकालतकी पढ़ाईके दिनोंमें वे ज्यादातर अपने मित्र काशीभाट्ट शामिलभाजीके यहां रहते थे । यहां अेक घटना हो गयी थी । अुससे अुन जीवनका अेक अंसा पहलू प्रगट होता है, जिसे सरदारके खूब निकट रहनेवा भी बहुत कम लोग पहचान सके हैं । काशीभाजीके पिताके अेक मित्र डूंगरभाट्ट मूलजीभाजी नडियादके प्रख्यात वकील थे । जब काशीभाजीके पिता गुजर ग तब अिन डूंगरभाजीने काशीभाजीके कुटुम्बकी तमाम देखरेख की थी । जि समय सरदार काशीभाजीके घर रहते थे, अुस समय डूंगरभाजीकी पत्नी अेक अेक महीनेका अिकलौता लड़का छोड़कर चल बसीं । जिसलिये काशीभाजीके माताजी अुसे पालनेके लिये अपने घर ले आयीं । काशीभाजी और सरदार मकानके पहले मजले पर पढ़ते और सोते-बैठते थे । अिन दोनोंने लड़केके मांकी तरह पालपोस कर बड़ा किया । सरदार तो लड़केको अपने पास सुलाते और रातको अुठकर अुसे दो-तीन बार दूध पिलाते । रातको लड़के टट्टी-पेशाब कर देता तो अुसके पोतड़े बदलते और सब कुछ साफ कर फिर अपने ही पास सुलाते । तीनेक वर्षका हुआ तब तक अुस लड़केको पालपोस कर बड़ा करनेमें सरदारने खूब ही परिश्रम किया । सरदारमें अिस प्रकार मातृवृत्ति नैसर्गिक है । परन्तु अुनकी कठोर आकृति और कम बोलनेके कार





गोधरामें वकील

[ पृष्ठ १९ ]



औरोंको वह दिखायी नहीं देती। यरवदा जेलमें जब वे सन् ३२-३३ में गांधीजीके साथ रहे, तो गांधीजीने उसे अच्छी तरह पहचान लिया था और सरदार यहां 'मेरी मां' बन गये हैं, ऐसा गांधीजीका अनेक बार कहा हुआ महादेवभाजीने अपनी डायरीमें दर्ज किया है। अच्छी लगनेवाली चीज प्रेमपूर्वक आग्रह करके खिलानेकी अनकी आदतका परिचय तो उनके साथ रहनेवाले मित्रों और साथियोंको कभी बार हुआ है। यरवदासे गांधीजीके अपवासके दिनोंमें जब अन्हें नासिक जेलमें भेज दिया था, तब सन् ३३-३४ में वहांके और ४१ की जेलके दिनोंमें वहांके उनके साथियोंको उनके अिस स्वभावका दर्शन पहली ही बार हुआ, यह उनका कहा हुआ सुनकर बहुतेकोंको सानन्द आश्चर्य हुआ होगा। जेलमें सबके लिये दोनों वक्त चाय सरदार स्वयं ही बनाते थे। किसीको सिर्फ अेक प्याला तो पीना ही नहीं था, फिरसे अधिक चाय लेनी ही पड़ती थी। नाश्तेमें अलग अलग चीजें मंगाकर या तैयार करके खुद ही परोसते और आग्रह कर-करके खिलाते और भोजनालयकी स्वयं ही देखरेख रखते थे। ये सब बातें अब बहुतेरे लोग जानते हैं।

हमारे हिन्दू समाजमें और वह भी उस जमानेमें विद्याभ्यासके समय ही लड़कोंकी शादियां हो जाना कोअी आश्चर्यकी बात नहीं थी। सरदारका विवाह उनकी १८ वर्षकी अुम्रमें हो गया था। यह तो जरा बड़ी अुम्रमें हुआ समझिये। उनकी पत्नी झवेरबाकी अुम्र उस वक्त बारह-तेरह सालकी होगी। वे पास ही के गाना गांवकी थीं। उस समय शादीके पांच-सात वर्ष बाद स्त्रियोंके ससुराल जानेका रिवाज था। अिस प्रकार सरदारका गृहस्थाश्रम वकील बन जानेके बाद या कुछ समय पहले शुरू हुआ।

समझने लगे तभीसे अुन्हें पाटीदार जातिके दहेज वगैरा रिवाजोंसे घृणा थी, परन्तु वे अपना तिरस्कार सुधारका अपदेश देकर या सुधार पर भाषण करके व्यक्त नहीं करते थे। भाषण या अपदेशके बजाय हड्डियों तक अुतर जानेवाले तीखे कटाक्ष और मार्मिक अपहाससे असर डालनेकी अनकी पद्धति आज भी है। किसीके दहेज लेनेकी बात सुनते हैं तो पूछते है कि "सांड़के पांच हजार आये या सात हजार?" जब उनके सम्बंधियोंमें ही अेक लड़केकी सगायी करते वक्त टीकेकी रकम तय करनेकी बातें हो रही थीं, तब कहने लगे: "ये सब झंझटें छोड़कर अिस लड़केको बाजारमें क्यों नहीं रख देते!"

भाषाके अैसे प्रयोग किसी शिक्षकसे या पुस्तकसे कहां सीखे जा सकते हैं? मैंने अिस अध्यायका शीर्षक विद्याभ्यास रखा है, परन्तु अध्याय पढ़ लेनेके बाद सहज ही मालूम हो जायगा कि स्कूलकी पढ़ाईका या स्कूलके किसी

शिक्षकका अुनके बननेमें कोअी खास हाथ नहीं रहा; रहा भी हो तो बहुत कम, न कुछ-सा । अुन्होंने तो जो कुछ प्राप्त किया सो, जैसा पहले कहा जा चुका है, अपने आप पढ़कर, खुद ही निरीक्षण और परीक्षण करके प्राप्त किया है । वे खुद अिसे 'कोठा विद्या' कहते हैं । जो अनुभवसे प्राप्त की हुअी और पेटमें पचाअी हुअी या अच्छी तरहसे हजम की हुअी हो वही सच्ची विद्या है । यह विद्या वे बचपनसे ही पढ़ते आये हैं और अब भी पढ़ते रहते हैं । जिसे अिस विद्याका अभ्यास करना आता है, अुसका विद्याभ्यास कभी पूरा ही नहीं होता ।

## वकालत

सरदारने वकालत गोधरामें शुरू की। नड़ियादमें बड़े बड़े वकीलोंने अन्हें अपने साथ रहकर वकालत करनेका निमंत्रण दिया। अपरोक्त डूगरभाभी मूलजीभाभी तो सरकारी वकील थे। अन्होंने अपने साथ रहकर वकालत करनेका खूब ही आग्रह किया, परन्तु अन्होंने स्वतन्त्र रहनेके लिये गोधराका छोटासा क्षेत्र चुना। गोधराको चुननेका अेक और कारण यह भी प्रतीत होता है कि विट्ठलभाभी १८९५ में वकील बननेके बाद गोधरामें ही वकालत करते थे और थोड़े ही समय पहले बोरसद गये थे; अिसलिये अुनकी जान-पहचान और असरका लाभ मिल जाय। विट्ठलभाभीने तो अपने साथ बोरसद रहनेका ही आग्रह किया था, परन्तु सरदार अिस विचारके थे कि दूसरेकी छायाके नीचे रहनेसे मनुष्यकी अपनी शक्तिका पूरी तरह विकास नहीं हो सकता। अिसलिये सरदारने अपने ही पैरों पर खड़ा रहनेका निश्चय किया। जब गोधरे गये, तब अुनके पास कुछ भी साधन नहीं था। घर बसानेके लिये आवश्यक बर्तन-भांडे और दूसरा फर्नीचर भी सस्ता मिले, अिसके लिये नड़ियादके गुदड़ी-बाजारमें से और वह भी कर्ज करके खरीदा। अिस प्रकार बड़ी तंगीमें जीवनका प्रारम्भ किया।

गोधराके निवासकालका अेक संस्मरण लिखने लायक है। सरदार गोधरा गये अुसी असेमें वहां खूब प्लेग फैला। अुसमें अदालतके नाजिरका, जो अुनके स्नेही थे, लड़का फंस गया। सरदार अुसकी सेवा-शुश्रूषामें लगे परन्तु बीमार बचा नहीं। बीमारको स्मशानमें रखकर आने पर खुद प्लेगमें फंस गये। बड़ी गांठ निकली। सरदार घबराये बिना पत्नीके साथ गाड़ीमें बैठे। आणन्द आकर पत्नीसे कहा: “तुम करमसद जाओ, मैं नड़ियाद जाता हूं। वहां अच्छा हो जाऊंगा।” प्लेगमें पड़े हुअे पतिको छोड़कर जानेकी हिम्मत किस पत्नीकी हो सकती है? परन्तु पत्नीको जानेका आग्रह करने और भेज देनेकी सरदारकी हिम्मत हो गयी। खुद नड़ियादमें रहकर अच्छे हो गये।

गोधरामें दो ही वर्ष रहकर १९०२ में वे बोरसद आ गये। जल्दी बोरसद आ जानेका मुख्य कारण यह था कि बोरसदके स्थानीय अफसरोंके साथ विट्ठलभाभीका जबरदस्त झगड़ा हो गया था। बोरसदके मुख्य अधिकारियोंमें रेसीडेन्ट फस्टक्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार तथा फस्टक्लास सब-जज थे। ये

तीनों विट्ठलभाजीके साथ दुश्मनी रखते थे, क्योंकि पहलेके सब-जज पर रिश्त लेनेके मामलेमें जांच करनेके लिये विट्ठलभाजीने कमीशन नियुक्त करवाया था और उसके खिलाफ सारी पैरवी करके उसे मौकूफ करवाया था। असलिये ये लोग विट्ठलभाजीके विरुद्ध कुछ भी मसाला मिल जाय तो उनसे बदला लेना चाहते थे। बोरसदसे बहुतसे वकीलोंके जो पत्र आते, उनसे सरदारको अस बातका पता चला। मैं बोरसदमें हूंगा तो विट्ठलभाजीको मदद दे सकूंगा, अस अद्देश्यसे अन्होंने अपना स्थान अेकदम बोरसद बदल लिया।

बोरसदमें सरदार अलग मकान लेकर रहने लगे। बाहरका सारा दिखावा और व्यवहार अैसा रखते थे कि सभी अफसर यह मानने लगे कि दोनों भाअियोंमें बिलकुल नहीं बनती। किसी किसी मुकदमेमें दोनों विरोधमें खड़े होते, तो लोगोंको बहुत ही मजा आता। सरदारने थोड़े ही समयमें तमाम अफसरों पर अच्छा प्रभाव डाल दिया। सरदारके पासके अेक मुकदमेमें तहसीलदार अच्छी तरह फंस गया था और रेसीडेन्ट मजिस्ट्रेट असका मित्र होनेके कारण असे बचाना चाहता था। असलिये अफसरोंको सरदारकी शरणमें जाना ही पड़ा। मगर जब सरदारने नहीं माना तो अन्हें विट्ठलभाजीकी मदद लेनी पड़ी। विट्ठलभाजीने सिफारिश की तो अंनके विरुद्ध अफसर लोग जो खटपट और षड्यंत्र करते थे, वह सबके सामने प्रगट करके विट्ठलभाजीका विरोध छोड़ देनेके लिये सरदारने अफसरोंको समझाया और दोनोंमें दोस्ती करवायी, और तहसीलदार पर घिरे हुअे बादल भी दूर करा दिये। सरदारके पासके अस मुकदमेकी तफसील अिसी अध्यायमें आगे चलकर अिनकी वकालतकी जो घटनायें दी गई हैं, अंनमें दी गयी हैं।

बोरसदमें थोड़े ही असेमें सरदारकी वकालतमें खूब प्रतिष्ठा जम गयी और कमायी भी अच्छी होने लगी। बम्बअी अिलाके भरमें सबसे अधिक फौजदारी अपराध खेड़ा जिलेमें होते थे और जिलेमें सबसे ज्यादा बोरसद तालुकेमें होते थे। असलिये सरकारने अस तालुकेमें अेक खास रेसिडेन्ट फर्स्टक्लास मजिस्ट्रेटकी नियुक्ति की, जिसे पहले दर्जेके मुकदमें सुननेके सिवाय और कोअी काम नहीं था। अस अदालतमें महत्त्वपूर्ण मामले चलानेके लिये सरकारकी तरफसे अहमदाबादके सरकारी वकीलको रक्खा जाता था। बचाव पक्षके हर मामलेमें वल्लभभाजीको ही वकील किया जाता था। तमाम मुकदमोंमें अभियुक्त छूटने लगे, तो वे सरकारी वकील और पुलिस अधिकारी घबराये। सरकारने भी जवाब तलब किया। अंन लोगोंने रिपोर्ट की कि जब तक यहां वल्लभभाजी वकील हैं, तब तक अभियुक्तोंके छूट जानेकी पूरी पूरी संभावना है। असलिये यह अदालत यहांसे हटाकर आणन्द ले जानी चाहिये। आणन्द जिलेका

केन्द्र-स्थान होनेके कारण सारे जिलेके मुकदमे वहां चलानेमें गवाहोंको भी आने-जानेकी अनुकूलता रहेगी। असलिये अदालत आणन्दमें हटा दी गयी। सरदारने भी अपना डेरा बोरसदसे अुठाकर आणन्दमें लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि जिलेके अधिकांश मामलोंमें रिहाअियाँ होने लगीं। अन्तमें अेक वर्षमें थककर अदालत वापस बोरसद ले जायी गयी।

सरदारकी वकालतमें कानूनी बारीकियोंकी सूक्ष्म छानबीनकी अपेक्षा अुनके गहरे व्यावहारिक ज्ञान, मानव स्वभावकी सूक्ष्म परख, गवाहोंकी जिरहकी अद्भुत चतुरायी और शहादतकी छानबीन करनेकी जबरदस्त शक्ति, आदि गुणोंका अधिक भाग रहा है। दीवानी मामला तो वे शायद ही कभी लेते थे। असि बारेंमें पूछने पर अुन्होंने कहा: "मैं अैसे ही मुकदमे लेता था, जिनमें थोड़े समयमें अधिकसे अधिक कमाया जा सके। दीवानी मामले बहुत कम लेता था और अुनमें भी जहां कानूनके गली-कूचोंमें जाना पड़े वैसे नहीं लेता था। परन्तु अैसे ही मामले लेता था, जिनमें प्रमाणके विरुद्ध प्रमाण पेश करना हो या विरोधी पक्षके सारे प्रमाण रद्द कर देना हो।" फौजदारी वकीलकी हैसियतसे अुनकी प्रतिष्ठा खूब जमी और थोड़े ही समयमें सारे खेड़ा जिलेमें अुनकी धाक बैठ गयी। अधिकांश फौजदारी वकील मजिस्ट्रेटोंकी तबियत रखकर और पुलिस अधिकारियोंके साथ दोस्ती करके अपना काम चलाते हैं। परन्तु सरदारका यह ढंग नहीं था। मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियोंका वे कभी जरा भी लिहाज नहीं करते थे। अुनकी खूबी अपने मामलेकी बारीकसे बारीक बातोंका खूब अध्ययन करके, मुद्दी पक्षके कमजोर मुद्दे ढुंढ-ढुंढकर रख देने और मुद्दीकी तरफसे खड़े किये गये साक्षियोंको जिरहमें तोड़ लेनेमें थी। यह काम वे अितने सुन्दर ढंगसे करते थे कि बयान ले लेनेके बाद अुनके लिये ज्यादा बहस करनेका काम ही नहीं रहता था। अदालतमें अुनकी बहसके भाषण दूसरे वकीलोंके मुकाबलेमें बहुत छोटे, सीधे और सप्रमाण होते थे। जनताको सतानेवाले पुलिस अधिकारियों और वकीलोंका अपमान करनेवाले और अुनको धमकानेवाले मजिस्ट्रेटोंको वे सीधा रखते थे। सरदार जिस मुकदमेमें वकील बनकर आते, अुसमें अदालत और मुद्दीके वकील दोनोंको बहुत सावधान रहना पड़ता था।

बोरसद आनेके बाद तीन ही बरसमें विलायत जानेके लिये रुपया पासमें हो गया तो जानेकी तैयारी करने लगे। पहले तो विलायत जानेका अेक ही मनोरथ था, परन्तु अब तो अेक और ठोस कारण भी मिल गया। बड़ मामलोंमें जहां मुवन्निकल धनवान होते, वहां वे सरदारको वकील करते, तो भी अुनके मनमें अधीरता रहती। असलिये अहमदाबादसे

बैरिस्टर ले आते । मजिस्ट्रेटोंके सामने घड़ाकेसे बोलकर और अखाड़-पछाड़ करके अपनी होशियारी दिखानेवाले दो तीन बैरिस्टर खेड़ा जिलेमें अच्छे जम गये थे । वे सरदारकी अपेक्षा ज्यादा फीस लेते । सरदार देखते कि मुकदमा चलानेकी जानकारी या होशियारीमें तो ये लोग अउनकी जरा भी बराबरी नहीं कर सकते थे । फिर भी जैसे बैरिस्टरोको फीस ज्यादा मिलती और अुन्हीके सहायक बनकर अदालतमें बैठना पड़ता । यह अउनको बहुत ही अखरता था । अुन्हें विस्वास था कि वे खुद बैरिस्टर बन जायें तो अिन सब बैरिस्टरोको कहीं भी मात दे सकते हैं, असलिये अुन्होंने सन १९०५ में विलायत जानेका पक्का निश्चय कर लिया । विलायत जानेके लिये जहाज वगैराका प्रबन्ध करनेको टॉमस कुक एण्ड सन्स कम्पनीके साथ पत्र-व्यवहार किया । फिर भी अेक छोटीसी आकस्मिक घटना अैसी हो गयी, जिससे सरदारके बजाय विट्ठलभात्री पहले विलायत गये । सब कुछ तय हो जानेका जो अन्तिम अुत्तर आया वह दोनों भात्री अंग्रेजीमें वी० जे० पटेल कहलाते थे असलिये विट्ठलभात्रीके हाथमें आया । विट्ठलभात्रीने सरदारसे कहा : “ मैं तुमसे बड़ा हूँ असलिये मुझे जाने दो । मेरे आ जानेके बाद तुम्हें जानेका मौका मिलेगा, परन्तु तुम्हारे आनेके बाद मेरा जाना नहीं हो सकेगा । ” सरदारने विट्ठलभात्रीकी बात मान ही नहीं ली, बल्कि अुनका विलायतका खर्च भेजनेकी भी जिम्मेदारी ले ली । घरमें या और किसीको बताये बिना दोनों भात्री मुक्किलोंके कामका बहाना बनाकर बम्बयी गये और विट्ठलभात्री विलायतके लिये रवाना हो गये ।

जब सरदार बोरसद लौटे तब विट्ठलभात्रीके जानेका सबको पता चला । विट्ठलभात्रीकी पत्नीने खूब कलह मचाया । अब तक बोरसदमें दोनों भात्री अलग रहते थे, परन्तु विट्ठलभात्रीके चले जानेके बाद सरदारने भात्रीको अपने यहां रहनेको बुलवा लिया । भात्रीके भात्री और भावज विट्ठलभात्रीके यहां रहते थे । अुन्हें भी सरदारने अपने घर पर रखा । विट्ठलभात्रीकी पत्नी मानताअें मनाने लगीं और ब्राह्मण भोजन कराने लगीं, और अस प्रकार फजूलखर्ची करने लगी । अिसे सरदारने जरा भी जी दुखाये बिना सहन किया, लेकिन देवरानी जिठानीमें रोज झगड़ा होने लगा और घरमें जबरदस्त क्लेश घुस गया । भात्री विदेश गये हुअे थे, असलिये सरदारने भात्रीसे कुछ न कहकर अपनी पत्नी झवेरबाको पीहरमें भेज दिया और वे विट्ठलभात्रीके लौट आने तक यानी दो-अेक साल पीहर ही रहीं । अस प्रकार सरदारके सिर पर घरका खर्च बढ़ गया, हर मास विलायत रकम भेजनेका खर्च बढ़ गया और झवेरबाको पीहर रखना पड़ा सो अलग । परन्तु सरदारने

अिस बारेमें किसीके सामने बात तक नहीं की। खर्च बढ़ जानेकी तो मुन्हें कुछ भी परवाह नहीं थी। वकालतका धंधा हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा था।

बोरसदमें वकालत करते थे, तब मणिबहनका जन्म अप्रैल १९०४ में और डाह्याभाजीका जन्म नवम्बर १९०५ में हुआ। दोनों अपने ननसाल गानामें पैदा हुअे थे।

सरदारके पाटीदार ढंगकी पगड़ी लगाकर मजिस्ट्रेटकी अदालतोंमें वकालत करनेकी कल्पना करना आजकल जरूर बहुत मुश्किल है, परन्तु गोधरामें वे अैसी ही पगड़ी पहनते थे। अुनके अेक सहपाठीने मुझसे कहा था कि जब वे नड़ियाद हाअीस्कूलमें पढ़ते थे, तब अेक-दो बार दिल्लगी करनेके लिये कक्षामें पगड़ी पहनकर गये थे। बोरसद जानेके बाद माल-विभागके अफसर जिस ढंगका साफा अुस जमानेमें और अुसके बाद बहुत समय तक पहनते थे, अुसी ढंगका जरीदार किनारका सफेद साफा वे पहनते थे।

विट्ठलभाजी १९०६ के आरम्भमें विलायत गये, सो ढाअी वर्षमें बैरिस्टर बनकर १९०८ के मध्यमें वापस आये। अुन्होंने बम्बअीमें वकालत शुरू की और वहां गृहस्थी जुटाकर पत्नी सहित रहने लगे। अितनेमें अवेरबा बीमार पड़ीं। अुन्हें अंतड़ियोंका रोग था। विट्ठलभाजी १९०८ के अन्तमें अुन्हें अिलाजके लिये बम्बअी ले गये। साथमें मणिबहन और डाह्याभाजी भी बम्बअी गये और तबसे वे विट्ठलभाजीके पास रहने लगे। डॉक्टरोंकी सलाह हुअी कि अवेरबाका आपरेशन करना पड़ेगा। अिसके लिये अुन्हें कामा अस्पतालमें भरती किया गया। सरदार अुस समय वहां गये थे। परन्तु अस्पतालके डॉक्टरने बतलाया कि दूसरी तरह जरा तबियत सुधर जाय, तो पन्द्रहेक दिन बाद आपरेशन किया जा सकेगा। यह कहकर कि आपरेशन करनेका निश्चय हो जाय तब मुझे बुलवा लेना, वे अेक हत्याके बड़े महत्त्वपूर्ण मुकदमेमें हाजिर रहनेके लिये दूसरे दिन आणन्द चले आये। मगर डॉक्टरका विचार बदल गया। अुसे अेक दम आपरेशन करनेकी जरूरत जान पड़ी। अिसलिये अुसने सरदारको खबर दिये बिना जल्दी आपरेशन कर डाला। सरदारको तार मिला कि “आपरेशन सफलतापूर्वक हो गया।” परन्तु दूसरे ही दिन स्थिति बिगड़ गअी और जब वे अदालतमें मुकदमेकी पैरवी कर रहे थे, तब वहीं अवेरबाके गुजर जानेके निर्दय समाचारोंवाला तार मिला (११-१-१९०९), सरदारके लिये यह अवसर अत्यन्त दुःख और धर्म-संकटका था। हत्याका मुकदमा था, अभियुक्त प्रतिष्ठित आदमी था। महत्त्वपूर्ण गवाहसे सरदार जिरह कर रहे थे। अुसी दिन सावधानीसे वह पूरी न हो तो मामला बिगड़ जाय और

अभियुक्तकी जान जोखममें पड़ जाय, क्योंकि अुसमें फांसीकी सजा हो सकती थी । असलिअे अितना दुःखद तार मिलने पर भी अत्यन्त दृढ़ता रखकर, जी कड़ा करके अुन्होंने काम पूरा किया । शामको अदालतका काम पूरा होने पर तारके समाचार औरोंको सुनाये । अन्तिम समय पत्नीसे भेंट न हो सकी, असका सरदारके दिलमें जबरदस्त आघात रह गया । अुस समय अुनकी अुम्र तैंतीस वर्षकी थी । दुबारा शादी कर लेनेका आग्रह सरदारसे सगे-संबन्धियों और मित्रोंने बहुत किया । परन्तु पुनर्विवाह न करनेके विचारमें वे खूब मजबूत थे । विलायत गये तब वहां भी मित्र अच्छी अच्छी कन्याओंके नामों सहित पत्र लिखते और अेक-दो लड़कियोंके तो अुन्हें फोटो भी भेजे गये थे । पत्रोंके अुत्तरमें और सब बातें तो लिखते, परन्तु अस बातका जवाब ही हजम कर जाते ।

थोड़े समय बाद विट्ठलभायीकी पत्नी बीमार पड़ीं । अुन्हें बोरसद बुलवाकर अपने यहां रखा । वहां वे १९१० के आरम्भमें चल बसीं । सरदारको अस बीमारीके कारण विलायत जाना मुलतवी करना पड़ा था । सो अब अुन्होंने निश्चय कर लिया और अुसके सिलसिलेकी सारी व्यवस्था कर दी । मणिबहन और डाह्याभायीको जरा बड़े होने पर विलायतमें रखकर वहीकी शिक्षा दिलानेका विचार था । असकी पूर्व तैयारीके रूपमें अुन्हें बम्बयीके सेण्ट मेरिज स्कूलकी अेक मिस विल्सनके यहां 'बोर्डर' — छात्रके तौर पर रख दिया, ताकि वे सीधी बातचीत (डिरेक्ट मेथड) द्वारा अंग्रेजी सीख सकें । अुन दोनोंके लिअे सौ सौ रुपया महीना देना पड़ता था । विट्ठलभायीका विलायतका खर्च दस हजार रुपया हुआ था । अपना भी कमसे कम अितना खर्च तो होगा ही । असके सिवाय जब तक खुद विलायतमें रहें, तब तक तीन वर्षमें बच्चोंका बोर्डिंग और दूसरा खर्च मिलकर लगभग दस हजार रुपया खर्च हो जायगा । अस सारे खर्चकी व्यवस्था वकालतकी कमायीसे बचायी हुयी रकममें से हो सकी । अस प्रकार सारा अिन्तजाम पक्का करके सरदार अगस्त १९१० में विलायतके लिअे रवाना हुअे ।

अब अिन दस वर्षोंकी वकालतके समयकी कुछ घटनाओंका अुल्लेख करूंगा :

१. अुनके अेक स्नेही रेलवे पुलिसमें अिन्स्पेक्टर थे । अुनकी अपने अंचे अफसरके साथ, जो सुपरिन्टेंडेंट था, अनबन थी । सुपरिन्टेंडेंटेने अुस अिन्स्पेक्टरको अेक न कुछसे मामलेमें फंसा दिया और अुस मामलेको बहुत बड़ा रूप दे दिया । रेलके डब्बेमें से अेक रुपयेकी कीमतकी जलाअू लकड़ीकी



अपने नौकरसे चोरी करानेका अिलजाम लगाकर अुन्हें कैद करा दिया । सुपरिन्टेंडेंट बहुत बड़े प्रभाववाला अंग्रेज था । अुसका भाभी बम्बयी सरकारमें होम-मेम्बर था । अुन दिनों रेलवेमें चोरी-डाकेकी बहुत वारदातें होती थीं । अिस बहाने अिस तुच्छ मामलेको बहुत बड़ा रूप दे दिया गया और यह बताकर कि अभियुक्त प्रभावशाली है मुकदमा चलानेके लिअे अेक विशेष मजिस्ट्रेटकी नियुक्ति करायी गयी । मामला खेड़ा जिलेमें चलनेवाला था, फिर भी अहमदाबाद जिलेके सरकारी वकीलको अुसकी पैरवीके लिअे खास तौरपर रखा गया । मामला अदालतमें भेजनेसे पहले सारी जांच अुस सुपरिन्टेंडेंटेने स्वयं की थी । अभियुक्तको पहले कभी सजा हुयी थी क्या, अिसकी जानकारी प्राप्त करनेके लिअे वह खूब कोशिश करने लगा । अिस बातका पता चलने पर अभियुक्तने सरदारकी सलाहसे स्वयं ही सुपरिन्टेंडेंटसे मिलकर कह दिया कि : “ आप बेकार अितना परिश्रम क्यों कर रहे हैं । मैं खुद स्वीकार करता हूं कि मुझे पहले अेक बार नौ महीनेकी सजा हुयी थी और सारे समय अेकान्त कैदमें रखा गया था । परन्तु अिस बातको तो बहुत समय हो गया । तीस बरस पहले यह सजा भुगती थी, अिसलिअे अुसका कोअी महत्त्व नहीं हो सकता । ” यह हकीकत अुस सुपरिन्टेंडेंटेने चार्जशीट पर दर्ज कर दी और मुकदमा अदालतमें भेज दिया । जब मामला पेश हुआ, तब सरदार बीमार पड़ गये थे । अिसलिअे अभियुक्तकी तरफसे पैरवी करनेके लिअे अुनके बजाय विट्टलभायी गये । सरकारी वकीलके साथ अुनकी खूब कहासुनी और तकरार हो गयी । जैसा सोच रखा था अुसीके अनुसार मजिस्ट्रेटने अभियुक्तको अपराधी ठहराकर छः मासकी सख्त कैदकी सजा दे दी और फैसलेमें विट्टलभायीके विरुद्ध कड़ी आलोचना की । अिस मुकदमेकी अपील सरदारने अहमदाबादकी सेशन्स अदालतमें पेश करायी । अभियुक्तको जमानत पर छोड़नेकी दरखास्त देनेके लिअे वहांके अेक मशहूर बैरिस्टरको रखा गया । सरकारकी तरफसे जमानत पर छोड़नेका कड़ा विरोध किया गया । सरकारी वकीलने मामलेके महत्त्व पर खास जोर देकर जमानतकी अर्जी नामंजूर करा दी । अिसलिअे सरदारने अपीलकी सुनवायी तुरन्त ही करनेकी मांग की । वह मंजूर हो गयी और दो-तीन दिनमें अपीलकी पेशी रख दी गयी । अैसे मामले मुश्किलसे ही पकड़े जाते हैं और अभियुक्त पुलिसका अफसर है, अिस बात पर बार बार जोर देकर, मामला बहुत कमजोर होने पर भी, सरकारी वकील जोशके साथ बहस करते थे । सफायीके बैरिस्टर यह दलील देते थे कि जुर्म साबित न हो जाय, तब तक अिस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता कि अभियुक्त कौन है । न्यायाधीशका मन डामा-डोल हो रहा था । सरकारी वकीलने यह दलील और दी कि अभियुक्तको पहले

नौ मासकी सजा हो चुकी है, यह बात भी ध्यानमें रखी जाय । यह कहकर उसने चार्जशीट पर किया हुआ इस विषयका अल्लेख जजको बताया । यह सुनकर सफाीके बैरिस्टर तो स्तब्ध हो गये और जजने इसका जवाब मांगा, तो वे सरदार पर बहुत नाराज हुअे और कहने लगे कि इस बातकी मुझे पहले ही जानकारी दे दी होती, तो मैं अपील न करनेकी सलाह देता । यह कहकर वे तो बैठ गये । अभियुक्तका भविष्य तराजूमें तौला जा रहा था । मामला रस्साकशीका होनेके कारण सारी अदालत खचाखच भर गयी थी । उस वक्त सरदारने खड़े होकर अदालतसे प्रार्थना की कि अभियुक्तको पहले सजा होनेका सबूत हमें दिखाया जाय । जजने वह अल्लेख सरदारको देखनेके लिये देनेका हुकम दिया । सरकारी वकील क्रुद्ध होकर तर्क करने लगे कि अभियुक्तने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे पहले अेक बार नौ महीनेकी सजा हो चुकी है और उस अल्लेख पर अभियुक्तके हस्ताक्षर भी ले लिये गये हैं, फिर और क्या सबूत चाहिये ? सरदारने वह अल्लेख देखकर जजको बताया । उसमें लिखा था कि तीस साल पहले मुलजिमको नौ महीनेकी अेकान्त जेलकी सख्त सजा हुयी थी । इसके बाद सरदारने चार्जशीटमें अभियुक्तकी अुम्र तीस वर्षकी लिखी हुयी थी उसकी तरफ अदालतका ध्यान खींचा । अदालतमें बैठे हुअे सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े । सरकारी वकील तो बिलकुल फीके पड़कर बैठ गये । फिर सरदारने अपना सपाटा चलाया कि जांच करनेवाले सुपरिंटेंडेंटमें कितनी बुद्धि होनी चाहिये ? और अैसी बातों पर जोर देनेवाले सरकारी वकीलको खास तौर पर अहमदाबादसे बुलवाकर सरकारका व्यर्थ खर्च करानेवाले और अैसे तुच्छ मामलेको अनुचित महत्त्व देकर विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त करानेवाले सभी अधिकारियों पर कठोर प्रहार करके विट्टलभाभी पर की गयी आलोचनाअें रद्द करने और अभियुक्तको निर्दोष करार देकर छोड़ देनेके लिये मजेदार परन्तु जोरदार बहस की । अभियुक्त छूट गया । विट्टलभाभी पर की गयी आलोचनाअें रद्द की गयी; अुलटे सुपरिंटेंडेंटकी कड़ी आलोचना हुयी, जिसके कारण अुसे अिस्तीफा देना पड़ा ।

२. अेक अंग्रेज मजिस्ट्रेटके घमंडका पार नहीं था । वह अहमदाबादके बड़े बड़े वकीलोंका भी अपमान करता था । उसके पास जाते हुअे सब डरते थे । उसके सामने अेक हत्याके मामलेमें पैरवी करनेका काम सरदारके जिम्मे आया । यह मजिस्ट्रेट गवाहोंको शर्मिदा करने और दबानेके लिये हरअेक साक्षीके सामने बड़ा आभिना रखवा देता था । इस मामलेमें अेक पटेल अभियुक्त था । अुसने इसके सामने आभिना रखवाया और आभिनेमें देखते हुअे बयान देनेका हुकम

दिया। सरदारने तुरन्त ही मजिस्ट्रेटसे कह दिया: “अिस बातको दर्ज कर लीजिये कि अिस आअिनेको सामने रखकर अभियुक्तका बयान लिया जाता है।” मजिस्ट्रेटने कहा: “अैसा अुल्लेख करनेकी कोअी जरूरत नही।” सरदारने कहा: “यह आअिना तो शहादतमें पेश हुआ माना जायगा और मुकदमेके कागजातके साथ सेशन्स कोर्टमें पहुंचेगा।” अब वह जरा घबराया, क्योंकि अिस तरह चुनौती देनेवाला सेरका सवासेर कोअी वकील अुसे मिला नही था। फिर भी अुसने सरदारकी बात नही मानी और आपसमें गरमागरम तकरार हो गयी। अन्तमें सरदार जब यह अर्जी देने लगे कि मुझे यह मामला आपके सामने नही चलाना है, दूसरी अदालतमें चलवाना चाहिये, तो वह नरम पड़ा और सरदारसे सफाअीके गवाह लाने को कहा। सरदारने कहा: “मैं यहां अेक भी गवाह पेश नही करना चाहता। परन्तु अिस बन्द लिफाफेमें मैं साक्षियोंके नाम लिख देता हूँ, जिन्हें मैं सेशन्स कोर्टमें पेश करूँगा।” यह लिफाफा सेशन्स कोर्टमें ही खोला जाय, अैसा अुस पर लिखकर अदालतको दे दिया। मजिस्ट्रेट अब और घबराया। अुसने लिफाफा खोला तो अुसमें गवाहके तौर पर पहला नाम अुस मजिस्ट्रेटका ही था। जिस स्त्रीकी हत्या होनेका अिलजाम था, अुसी स्त्रीको गवाहके तौर पर रखा गया था और अुसमें कुछ और चीजें भी अैसी थीं, जो अुस मजिस्ट्रेटको घबराहट और परेशानीमें डाल सकती थीं। यह सब देखकर मजिस्ट्रेट पानी-पानी हो गया। अुसने पुलिसके अधिकांश गवाहों पर भरोसा करनेसे अिन्कार कर दिया और अुनके खिलाफ आलोचनाओं की। परन्तु प्रारम्भिक सबूतके आधार पर केस सेशन्स कोर्टके सुपुर्द होना चाहिये, अिसलिअे सेशन्सके सुपुर्द कर दिया। सरदारको अितना ही चाहिये था। सेशन्समें मामला पहले ही दिन अुड़ गया।

३. बड़ौदा राज्यकी हुकूमतमें अेक छोटे रजवाड़ेका ठाकुर पुत्र-सन्तानके बिना गुजर गया। अिसलिअे मृत ठाकुरके भाअीका गद्दी पानेका हक हो गया। अुसने स्टेट अपने नाम पर करानेके लिअे बड़ौदा राज्यके सर सूबाको दरखास्त दी। ठकुरानीको विधवा हुआ छ: महीने हो जानेके बाद अुसका भाअी बोरसद तालुकेके किसी गांवमें, जहां अुसका पीहर था, अुसे ले आया। ठकुरानीका बाप गांवका मुखिया था। अुसे खयाल हुआ कि मृत ठाकुरका भाअी गद्दी पर बैठे और मेरी लड़कीको थोड़ीसी आजीविका ही मिले, यह कैसे सहन किया जाय? अिसलिअे अुसने यह बात फैलाअी कि अुसकी लड़कीको गर्भ है। और नौ महीने पूरे होने पर पुत्र पैदा हुआ है, कहकर कोअी नवजात शिशु खरीदकर ले आया और अुसे लड़कीके पास रख दिया। खूद मुखिया था अिसलिअे अपने पासके जन्म-मरण पत्रकमें अपनी लड़कीके लड़का होनेका

अुल्लेख कर दिया और बड़ोदे सर सूबाको तार देकर नवजात वारिसके नाम पर स्टेट करनेकी दरखास्त दे दी। मृत ठाकुरके भाओीको यह सब षड्यंत्र मालूम हुआ, क्यौंकि छः महीने तक जब विधवा स्त्री अुसके घर थी, तब अुसे गर्भ होनेकी कोओी बात मालूम नहीं हुओी थी। असलिये अिस षड्यंत्रसे अुसका हक न मारा जाय, अिसका अुपाय करनेके लिये अहमदाबाद जाकर अुसने वहांके बड़े बड़े वकीलोंसे सलाह ली। सब अुसे दीवानी दावा दायर करनेकी सलाह देने लगे। अन्तमें वह सरदारके पास बोरसद गया। अुन्होंने तुरन्त देख लिया कि दीवानी दावा करनेसे कुछ नहीं होगा, क्यौंकि कितनी ही जल्दी की जाय तो भी कमसे कम साल भर पहले दीवानी दावा पेश नहीं होगा और तब तक डाक्टरी जांचमें भी कुछ पता नहीं लग सकता कि स्त्रीको प्रसूति हुओी थी या नहीं; और कोओी बात साबित नहीं हो सकती। किसी भी तरह जल्दीसे स्त्रीकी डाक्टरी जांच की जाय, तो ही सच्चा हाल मालूम हो सकता है। असलिये अुन्होंने बोरसदके रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेटकी अदालतमें स्त्रीके बाप, भाओी और स्त्री तीनों पर फौजदारी दावा दायर करा दिया। अभियोग यह लगाया कि जो चीज असलमें हुओी ही नहीं, अुसका होना जाहिर करके असली हकदारका हक डुबोनेवाला झूठा सबूत अिन तीन अभियुक्तोंने मिलकर पैदा किया है। अिसीके साथ अर्जी दी कि स्त्रीको सचमुच प्रसूति हुओी है या नहीं, अिसका पता लगानेके लिये अुसकी डाक्टरी जांच होनी चाहिये और बोरसदके मिशन अस्पतालकी लेडी डाक्टरसे या अहमदाबाद या बम्बओीसे लेडी डाक्टर बुलवाकर स्त्रीकी हमारे खर्चसे जांच की जाय। मजिस्ट्रेटके पास अैसा दावा यह पहला और नये ही ढंगका था। अुसने कहा कि दरखास्त तो बहुत ध्यान और खूबीके साथ तैयार की गओी है। परन्तु यह मामला साफ तौर पर दीवानी ढंगका है, असलिये आप यहां न्याय मांगने नहीं आ सकते। अन्तमें सरदारकी दलीलें सुननेके बाद अुसने तीनों अभियुक्तों पर नोटिस जारी किया कि वे कारण बतायें कि अुन पर वारंट क्यौं न निकाले जायं। अिस नोटिसको रद्द करानेके लिये अभियुक्तोंने सेशन्स कोर्टमें अपील की। सेशन्स जजके सामने तो सरदारको कोओी बहस करनेकी भी जरूरत नही हुओी। मुद्दओीकी दरखास्त और अुसके साथके शपथ-पत्र पढ़कर अुसने कह दिया कि अैसे हालातमें तुरन्त स्त्रीकी डाक्टरी जांच होनी ही चाहिये। सरदारका मुद्दा यह था कि स्त्रीको सचमुच पुत्र हुआ हो, तो हमारे कुटुम्बके लड़केको गद्दी मिलनेसे हम खुश हैं। परन्तु हमारी आपत्ति अिस बात पर है कि कोओी दूसरा ही लड़का गद्दी पर न बैठ जाय। असलिये हमने पक्की जांच करानेका हुक्म हासिल करनेके लिये यह प्रार्थना-पत्र

दिया है। सेशनस जजने अभियुक्तकी अपील नामंजूर की और स्त्रीकी डाक्टरी जांच करानेका हुकम दिया।

अिसी बीच मुद्दानी खेड़ा जिलेके कलेक्टरको भी दरखास्त दी थी और उस परसे उसने बोरसदके तहसीलदारको हुकम दिया था कि वह अिस मामलेकी जांच करके अपनी रिपोर्ट भेजे। अिस हुकम परसे तहसीलदारने मुखियाको बुलवाया। मुखियाने तहसीलदार साहबको रिश्वत दी और उसने दाीका बयान लिया और लड़केके जन्मकी खुशीमें नाजी-धोबी वगैराको जो अिनाम दिया था, उनका बयान लेकर यह रिपोर्ट कर दी कि सब ठीक है। और वह रिपोर्ट रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेटके मार्फत कलेक्टरके पास भेज दी।

सेशनस कोर्टका हुकम आया तो रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेट स्त्रीकी डाक्टरी जांच करनेका काम तहसीलदारको ही सौपनेका हुकम दे रहे थे। अिस पर सरदारने आपत्ति की कि अिस मामलेमें अेक मुखिया सम्मिलित है और वह तहसीलदारका ही आदमी माना जायगा, अिसलिये जांचका काम और किसी स्वतंत्र आदमीको सौपना चाहिये। अिस पर मजिस्ट्रेटने यह काम अेक वकीलको सौंपा, जो पुलिस प्रोसिक्यूटर थे। वे लेडी डाक्टरको लेकर उस मुखियाके गांव गये। साथमें सरदार और मुद्दानी भी थे। मुखियाने कहा: “अिसमें जांच क्या करनी है? अिस सारी चिन्ता-फिकरमें बेचारी लड़कीका दूध तो सूख गया है। अब क्या जांच करोगे?” सरदारने कहा: “यह लेडी डाक्टर आयी हैं वे जरूरत हो तो दूसरी स्त्रियोंकी मौजूदगीमें ही जांच करेंगी। मुखियाने कहा: “मैं कोअी जांच नहीं करने दूंगा और न आपको घरमें घुसने दूंगा।” परन्तु जांचके हुकमसे वह घबराया तो जरूर ही और किसी भी तरह मामलेमें राजीनामा देनेको तैयार हुआ। परन्तु अभियोग फौजदारी कानूनकी अैसी धाराके अनुसार था कि अदालतकी मंजूरीके बिना खानगी तौर पर समझौता नहीं हो सकता था। मुद्दानीसे सरदारने कलेक्टरको अर्जी दिलवायी कि तहसीलदारने अच्छी तरह सावधानीसे जांच करके अपनी रिपोर्ट नहीं की है। मैंने रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेटकी अदालतमें अिस मामलेमें जो दावा किया है, उसमें मजिस्ट्रेटकी राय मेरे विरुद्ध बन जाय, अिस अुद्देश्यसे उसने बिना किसी प्रयोजनके अपनी रिपोर्ट रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेटके मार्फत भेजी है और साथ ही स्त्रीका बाप स्त्रीकी डाक्टरी जांच नहीं करने देता। यह सब हाल जानकर कलेक्टर तहसीलदार पर खूब नाराज हुआ, उससे जवाब तलब किया और मामलेका जो परिणाम हो उसकी अित्तिला देनेका हुकम दिया। रेसिडेन्ट मजिस्ट्रेट भी, चूंकि उसे सेशनस जजके हुकमसे जल्दी ही डाक्टरी जांचका हुकम देना पड़ा और जिस मामलेको वह दीवानी ढंगका बताता था उसका

दावा बहुत वाजिब और सार्वजनिक हितका निकला, जिससे नरम पड़ गया था। कलेक्टरके हुकमसे घबराकर तहसीलदार और मजिस्ट्रेट दोनों कोआी रास्ता निकालनेकी कोशिश करने लगे। सरदारकी सम्मतिके बिना रास्ता निकल नहीं सकता था। परन्तु अन्हें किस तरह कहा जाय? अधिकारियोंके साथ सरदारने इस तरहका व्यवहार रखा था कि वे लोग अनसे कुछ भी कहनेका साहस नहीं कर सकते थे। अक मात्र रास्ता यही था कि अन्हें विट्टलभाभीके मार्फत कहलाया जाय। परन्तु अंनके विरुद्ध तो अिन अधिकारियोंकी खटपट चल रही थी। विट्टलभाभीके विरुद्ध समस्त आक्षेप वापस हम ले लेंगे, भविष्यमें अंनके मामलेमें कभी बाधक नहीं होंगे और अब तकके बर्तावके लिअे हमें अफसोस है—अिस तरहकी बातें तीसरे आदमीके द्वारा कहलाकर पूरी तरह सुलह कर डालनेके लिअे अिन लोगोने विट्टलभाभीके यहां जलपान रखवाया। अिसमें सरदारको बुलवानेका भी निश्चय किया गया। वहां अुस मुकदमेकी बात भी निकाली। प्रथम तो सरदारने बात ही नहीं सुनी, परन्तु अन्तमें विट्टलभाभीके आग्रहसे यह तय किया गया कि अंनकी शर्तोंके अनुसार रास्ता निकाला जाय। वह लड़का तो झूठा था ही। अिसलिअे जिसका था अुसे वापस दिया जाय; यह घोषणा करके कि ठकुरानीका लड़का मर गया, मुखिया अुसीके अनुसार जन्म-मृत्यु के पत्रकमें अुल्लेख कर दे; मुखिया बड़ैदेके सरसूबाको लड़केके मर जानेकी खबर दे; लड़केके मां-बापको सरदार जो रकम तय कर दें वह लड़केके भरण-पोषणके लिअे दी जाय;—ये सब बातें अंन लोगोंने सरदारके कहे अनुसार मंजूर कीं। मुद्दीको तो जो चाहिये था सो मिल गया। अिसलिअे अपने सम्बन्धी पर फौजदारी मुकदमा चलानेकी अुसकी अिच्छा न रही। मुद्दी और अुसके गवाह सब दूसरे अिलाकेके थे। वे सरदारकी सलाहसे अदालतमें हाजिर ही नहीं हुअे। अन्तमें चार-पांच पेशियां डालकर मामला खारिज कर दिया गया और कलेक्टरको खबर दे दी गयी कि लड़का मर गया है और मुद्दी हाजिर नहीं होता, अिसलिअे दरखास्त रद्द कर दी गयी है। कलेक्टरको संदेह और क्रोध भी हुआ, परन्तु अिन हालातमें कुछ कर नहीं सका। विट्टलभाभी भी यह समझीता हो जानेके बाद अफसरोंकी खटपटसे मुक्त हो गये। सरदारका अब बोरसदमें रहनेको जी नहीं हुआ और अन्होंने विलायत जानेका विचार कर लिया। अहमदाबादके बड़े बड़े वकील तो अनसे यह कहते थे कि आपके जैसी कमाअीकी प्रेक्टिस तो हमारी भी नहीं चलती, अैसी प्रेक्टिस छोड़कर किसलिअे विलायत जानेका विचार करते हैं? सरदार कहते थे कि अिसमें तो दरज्जेका (स्टेटसका) सवाल है।

४. जब बोरसदमें 'हैडिया कर'\* की लड़ाजी जारी थी, अुस समय सरकारका जनताके विरुद्ध अेक आरोप यह था कि गांधीजीकी खेड़ा सत्याग्रहकी और असहयोगकी लड़ाअियोंसे लोगोंको हुकूमतका डर नहीं रहा और जो डाकू पैदा हुअे अुन्हें लोगोंने प्रोत्साहन दिया । साधारण मनुष्योंको डाकू बनानेमें किस तरह सरकारी अफसर ही कारण बनते हैं, अिसका सभामें वर्णन करते हुअे सरदारने अपनी वकालतके अनुभवोंमें से अेक अुदाहरण दिया था :

“सिगलावका वह गुलाबराजा जब डाकू बनकर निकला, तब तो गांधीजी हिन्दुस्तानमें आये भी नहीं थे । वह अुस समयके कलेक्टर वुडको मारनेकी फिराकमें था, क्योंकि अुसने गुलाबराजाको झूठे मामलेमें फंसाकर सजा दिलवाजी थी । अेक बार कलेक्टरका मुकाम सिगलाव गांवमे था । वहां अुसने सुना कि गुलाबराजा नामका आदमी गायकवाड़ी हदमें डाके डाल रहा है और अंग्रेजी राज्यकी पुलिसकी अुसे मदद है । अुसने अिसकी जांच करना शुरू की । अुस वक्त वह गुलाबराजा जरीदार साफा और कमर-बन्द लगाये पास ही खड़ा था । अुसने कहा : 'मैं हूं गुलाबराजा' । वुडने कहा : 'तेरे हाथ और खुले हों ? तुझे तो वेड़ियां पहनानी चाहियें ।' गुलाबराजाने कहा : 'अपराधमें पकड़ा जाअू तब तेरी ताकत हो सो सजा देना । परन्तु आज तो मैं राजा हूं ।' बादमें अुसे जुर्ममें फंसानेके लिये कलेक्टरके कहनेसे अुस पर मुकदमा खड़ा किया गया । तहसीलदारके सिखानेसे अेक बनियेने थाने पर गुलाबराजाको गाली दी । अिससे बिगड़कर अुसने अुसके सिरमें कंकर मार दिया । अिस बातका मुकदमा चला । गुलाबराजाने मुझे वकील किया । केसमें कुछ हो नहीं सकता था । परन्तु कलेक्टरने जजसे मिलकर अुसे नौ महीनेकी सजा दिलवा दी । अुसे अिस बातकी गंध आ गजी थी, अिसलिये फेंसलेके दिन वह अदालतमें हाजिर ही न हुआ और अुसी दिनसे डाके डालना शुरू कर दिया । अिस तरह अेक छोटीसी बातसे कलेक्टरने अेक बेगुनाह मनुष्यको डाकू बना दिया । फिर तो अुसने बावन डाके डाले और पच्चीस-तीस हत्याओं की । अुसे सतानेमें पुलिस सुपरिन्टेंडेंट भी था । कलेक्टरको खबर दी जाती कि गुलाबराजा रोज रातको वल्लभभाजी वकीलके घर आता है । अिसलिये अुसने मुझे बुलवाया और बड़ी बड़ी जगहें देनेकी लालचें देकर अुसे पकड़वा देनेके लिये कहा । मैंने कहा : 'कानून मैं भी कुछ जानता

\* अेक कर जो हर बालिग मनुष्य पर लगाया गया था । अिसका विस्तृत वर्णन आगे २२ वें प्रकरणमें देखिये ।

हूँ। मेरे घर वह आता हो तो मुझे खुद ही बता देना चाहिये। न बताऊँ तो मैं जानता हूँ कि यह अपराध माना जायगा। वैसे आपकी नौकरीकी लालचसे उसे पकड़वानेके काममें पड़ूँ तो यह काला कारनामा कहा जायगा और वैसे भी मैं तो सरकारी नौकरीकी लात मारता हूँ।' कलेक्टर स्तब्ध होकर सुनता रहा। कलेक्टरको जब यह पता चला कि गुलाबराजा उसे मारनेकी फिराकमें है, तो वह अन्तमें लम्बी छुट्टी लेकर विलायत चला गया।”

५. नीचे लिखी घटना वकालतका नहीं परन्तु सरदारकी स्वतंत्र प्रकृति और हाजिरजवाबीका नमूना है। जानकीदास नामके एक महाराज १९०६ में बोरसद आये थे और गांवके बाहर एक सज्जनके बंगलेमें ठहरे थे। वे कथा बहुत अच्छी करते और गांवसे बहुत लोग उसे सुनने जाते थे। मिलने आनेवाले सभीको वे बीड़ी छोड़ने और चोटी रखनेका अपदेश देते थे। सरदार अंसे महाराजोंसे क्या मिलने जाते? परन्तु एक दिन सब मित्र जा रहे थे, तो अुनके आग्रहसे वे भी अुनके साथ चले गये। अुस दिन भी अुन्होंने बहुतोंको बीड़ी छोड़नेका अपदेश दिया। सरदार दूर बैठे-बैठे सब कुछ देख रहे थे। एक जनने सरदारको बताकर महाराजसे पूछा: “अुनसे क्यों नहीं कुछ कहते? वे भी बीड़ी पीते हैं।” महाराजने कहा: “मैंने अुनके बारेमें बहुत सुना है। अुनसे कहनेकी बात नहीं है। ओगना दाना करोड़ों मन अधिन जला देने पर भी नहीं सीजता।” अब तक सरदार कुछ नहीं बोले थे, परन्तु यह सुनकर तुरन्त महाराजको सुना दिया: “मुझसे बीड़ी छोड़वानी हो, तो अपने ये भगवे अुतारकर मेरे पास कहने आअिये, नहीं तो पहले अपने भगवा पहननेवालोंसे ही, जो गांजा-तम्बाकू ज्यादा पीते हैं कहिये।”

६. १९०८ में बोरसदमें एक मुन्सिफ आये। अुन्होंने अदालतके कमरेका एक तरफका दरवाजा बन्द करवा दिया। वकीलोंको अपने कमरेमें जानेके लिये घूमकर जाना पड़ता और अडचन होने लगी। परन्तु किसीका मुन्सिफसे कहनेका साहस न होता था। सरदारका दीवानी अदालतमें क्वचित ही जाना होता था। परन्तु अिस बातका पता लगते ही अुन्होंने वकीलोंको सलाह दी कि आप लोग अिस मुन्सिफका बहिष्कार क्यों नहीं कर देते? दोनों पक्षके वकील अिसकी अदालतमें हाजिर न हों तो वह मुकदमे किस तरह चलायेगा? वकीलोंने यह सलाह मान ली और मुन्सिफ साहब दो ही दिनमें समझौता करनेको तैयार हो गये। वकीलोंने कहलाया कि समझौता तो वल्लभभाभीके मार्फत ही हो सकता है। सरदारने कहलवा दिया कि मुन्सिफको समझौता करना हो तो मेरे पास आये। अन्तमें मुन्सिफने कहा कि मैं सब वकीलोंको अपने यहां



जलपानके लिये आमन्त्रित करूं और इस तरह हम समझौता कर लें। इसमें भी पहले तो सरदारने जानेसे अिन्कार कर दिया, परन्तु सब वकीलोंने खूब आग्रह किया तो चले गये।

७. जिसदिन विलायत जानेके लिये बोरसदसे प्रस्थान करनेवाले थे, उस दिन कलेक्टरके सामने पेश की गयी अेक अपीलमें बड़े मजेकी बात की। अेक सुनार पर अेक स्त्रीके साथ व्यभिचार करनेके लिये घरमें घुस जानेका अभि-प्रोग था। अुसे छः महीनेकी सजा हो गयी थी और कलेक्टरके यहां अुसकी अपील थी। कलेक्टरका मुकाम बोरसदमें था। कलेक्टर साहब शराबमें चूर होकर बैठे थे। असलिये सरिश्तेदार ही बीच-बीचमें सवाल पूछने लगा। अुसे धमकाकर सरदारने कहा : “मैं सरिश्तेदारके सामने पैरवी करने नहीं आया हूं। मैं तो यह समझकर आया हूं कि मुझे साहबके सामने पैरवी करनी है।” फिर जो चखचख हुयी अुसे सुनकर कलेक्टरको होश आया और अुसने सरदारसे पूछा : “क्या बात है?” सरिश्तेदार बोलने ही वाला था कि अुसे “Keep quiet—बक बक न करो” कहकर चुप किया और सरदारसे अपनी बहस जारी रखनेका अनुरोध किया। थोड़ी देर बाद अुसने पूछा : “Is adultery a crime — क्या व्यभिचार कानूनमें अपराध है ?” सरदारने कहा : “नहीं, साहब सुधरे हुअे देशोंमें यह अपराध ही नहीं है, मगर इस पिछड़े हुअे देशमें सरिश्तेदार और नीचेकी अदालतके मजिस्ट्रेट जैसे पुराने कट्टर-पंथी और संकीर्ण विचारके ब्राह्मण इस कामको बड़ी कड़ी नजरसे देखते हैं!” अुसने पांच मिनटमें अभियुक्तको छोड़ दिया। सरिश्तेदार कुछ नहीं समझा, परन्तु गुस्सेसे जलकर रह गया। सरदार अुसी दिन बम्बयी जाकर दूसरे दिन विलायतके जहाजमें रवाना हो गये।

## विलायतमें

विट्टलभाभीकी तरह सरदारने भी अपने विलायत जानेकी बात बोरसदमें पहलेसे किसीको नहीं कही थी । बोरसदसे रवाना होनेके दिन कोर्टसे घर आनेके बाद अपने मित्र अेक डाक्टर और दूसरे दो-चार जनोंसे बात की । बच्चोंकी, अुनके खर्चकी और विलायतके अपने खर्चकी तमाम व्यवस्था तो अुन्होंने पहले ही कर दी थी । छोटे भाभी काशीभाभी ताजे ही वकील बनकर बोरसद आये थे । अुन्हें घर और काम-काज सौंप दिया और रातको बम्बअीके लिअे रवाना हो गये । वहांसे अगस्त १९१० को जहाज पर बैठे । जहाज कभी देखा नहीं था । विलायती पोशाक तो अुसी दिन पहनी थी । मेज-कुर्सी पर छुरी-कांटेसे कैसे खाते हैं, सो न देखा था, न जाना था । ज्योंके त्यों देहातीकी तरह जहाज पर चढ़ गये । बम्बअीसे रवाना होते वक्त विट्टलभाअीने काठियावाड़के अेक छोटे रजवाड़ेके ठाकुरका साथ कर दिया था । अदन तक समुद्रमें खूब तूफान रहा, असलिअे कै खूब हूअी और बेचैनी बहुत रही । सरदार कहते हैं कि चार दिनमें सारा पेट साफ हो गया । बादमें कुछ ठीक लगने लगा । विट्टलभाअीसे कुछ कानूनकी पुस्तकें साथ ले ली थीं । अुनमेंसे जस्टिनियनका रोमन लॉ अदनसे मारसेल्स पहुंचने तक पूरा पढ़ डाला ।

लन्दन पहुंचनेके बाद पहले दिन तो अुस ठाकुरके साथ सेसिल होटलमें ठहरे । परन्तु वह अितनी महंगी थी कि बदलकर दूसरे ही दिन श्री जोराभाअी भाअीबाभाअी पटेल, जो बेज वाटरमें रहते थे, अुनके यहां चले गये । बादमें बोर्डरोंको रखनेवाली अेक स्त्रीके यहां रहनेकी व्यवस्था कर ली ।

बैरिस्टरीकी पढ़ाअीके लिअे मिडिल टेम्पलमें\* भरती हुअे । थोड़े ही समयमें परीक्षा होनेवाली थी और रोमन लॉ तो अुन्होंने जहाजमें ही पढ़ डाला था ।

\* बैरिस्टरीकी परीक्षा लेनेवाली और परीक्षामें पास होनेवालोंका बैरिस्टरोमें नाम लिखनेवाली डिप्लैडमें चार संस्थाअें या मंडलियां हैं । लिन्कन्स अिन, अिनर टेम्पल, मिडिल टेम्पल, और ग्रेज अिन । अिन चार संस्थाओंके सिवाय और किसीको बैरिस्टर बनानेका अधिकार नहीं है । परीक्षा पास कर लेने पर भी किसीका बैरिस्टरोमें नाम लिखने या न लिखनेका और अेक बार अपनी संस्थामें बैरिस्टरके तौर पर दर्ज हो जानेके बाद किसीका व्यवहार अनुचित मालूम हो, तो बैरिस्टरोमें से अुसका नाम निकाल देनेका अधिकार अिन चार संस्थाओंको है ।

अिसलिये अिस परीक्षामें रोमन लॉके पचमें बैठे और बहुत अच्छे नम्बरोसे आनसके साथ पहले नंबर पास हुअे ।

पुस्त अुम्र और जीवनका अनुभव लेकर विलायत जानेके कारण हमारे कुछ नौजवानोंकी विलायतमें जो दशा होती है, अुसके होनेका सरदारको डर नहीं था । यहां हाअीस्कूलमें विद्यार्थी दशामें जितने शरारती थे, विलायतमें वे अुतने ही स्थिर और अेकाग्रतावाले बन गये । अुन्हें तो बैरिस्टर बनकर भरसक जल्दी लौटना था । बिना मांके दो बच्चोंको दूसरी स्त्रीके सुपुर्द करके वे गये थे, अिसलिये विलायतमें और किसी प्रवृत्तिमें फंसे बिना अेकाग्र चित्तसे परीक्षाकी तैयारी करने लगे । जहां रहते थे वहांसे 'मिडिल टेम्पल' का पुस्तकालय ११-१२ मील दूर था । खुदके पास तो थोड़ी ही पुस्तकें थीं और वहां नअी खरीदनी नहीं थीं । अिसलिये हर रोज अुतना पैदल चलकर वहांके पुस्तकालयमें जाकर ही पढ़नेका निश्चय किया । रोज सवेरे नौ बजे वहां पहुंचते और शामके छः बजे टेम्पलका पुस्तकालय बन्द हो जाता, सब चले जाते और चपरासी आकर कहता कि "साहब, अब सब चले गये" तब वहांसे अुठते । दोपहरका खाना और शामका चाय-नाश्ता वगैरा वहीं मंगाकर करते । अिन दिनोंमें अुन्होंने रोज दस-बारह घंटे पढ़ा होगा । रातको वापस पैदल ही घर जाते । अिस प्रकार रोज बाअीस-तेअीस मील चलना पड़ता और व्यायाम ठीक हो जाता ।

बैरिस्टर बननेके लिये कुल बारह टर्म (हरअेक टर्म तीन मासकी) पूरी करनी पड़ती थी । हरअेक टर्ममें कुछ भोज (डिनर्स) होते हैं । अुनमें से कमसे

ये संस्थाअें अपना काम-काज अपनी-अपनी कार्यकारिणी समिति द्वारा करती हैं । हरअेक संस्थाकी कार्यकारिणीके सदस्य अुस संस्थाके 'बेंचर' कहलाते हैं । ये बेंचर ज्यादातर बड़-बड़ प्रतिष्ठित अज और सीनियर बैरिस्टर होते हैं । मिडिल टेम्पलकी ख्याति ऐसी है कि बड़े-बड़े नामी बैरिस्टर अुसीमें से निकले हैं । अिनर टेम्पलमें पढ़नेवाले अधिकतर अमीर लोग और बड़े फैशनमें रहनेवाले होते हैं । गांधीजी अिनर टेम्पलके बैरिस्टर थे । अुन्हें अज १९२२में राजद्रोहके अभियोगमें छः वर्षकी सजा हुअी, तब अिनर टेम्पलने अपनी सूचीमें से अुनका नाम निकाल दिया था ।

हरअेक संस्थाके मकानोंमें अेक बड़ा भोजन-गृह, अेक दीवानखाना (कॉमन रूम), अेक पुस्तकालय और अेक गिरजा तो होता ही है । अिसके सिवाय भी हरअेक संस्थाके पास बहुतसी स्थावर और अंगम संपत्ति होती है । चारों संस्थाअें सामूहिक रूपमें "अिन्स आफ कोर्ट" के नामसे मशहूर हैं ।

कम कुछ तो हरअेक अुम्मीदवारको लेने ही पड़ते हैं । असललअे आम तौर पर तीन वर्षमें बैरिस्टर होते हैं । परन्तु छः टर्म पूरे करनेके बाद यानी डेढ़ साल बाद किसीको पूरी परीक्षा देनी हो, तो अुसे देने दी जाती है । अस पूरी परीक्षामें जो आनर्समें पास होता है, अुसे दो टर्मकी माफी मिलती है ।

सरदारने छः टर्म पूरी करके पूरी परीक्षामें बैठनेकी तैयारी की । पूरी परीक्षा देनेसे पहले तैयारीकी पूर्व परीक्षाके तौर पर अेक परीक्षा होती है । अुसमें 'अिक्विटी'के विषयमें जो प्रथम आता, अुसे पांच पाअुंडका अिनाम मिलता । सरदार अस परीक्षामें बैठे और 'अिक्विटी'का अिनाम अुनके और मि. जी. डेविसके बीचमें बांटा गया । ये मि. डेविस बादमें आअी०सी०अेस० बनकर हिन्दुस्तान आये और अहमदाबादमें डिस्ट्रिक्ट अेन्ड सेशन जज हुअे । बादमें वे सिधकी चीफ कोर्टके प्रधान न्यायाधीश बने । सरदारकी और अुनकी अच्छी मित्रता थी ।

अंतिम संपूर्ण परीक्षा अुन्होंने जून १९१२ में पास की । अुसमें प्रथम श्रेणीमें आनर्सके साथ पहले नंबर पास हुअे और अुन्हें पचास पाअुंडका नकद अिनाम मिला । परीक्षामें अैसी अद्भुत सफलता मिली, अससे वहांके हिन्दुस्तानियोंमें अुनका बहुत नाम हुआ । अँगलो-अिडियोंका भी अुनकी तरफ ध्यान आकर्षित हुआ । मि. शंपडं नामक अेक निवृत्त आअी०सी०अेस०, जो अुत्तरी विभागके कमिश्नरके रूपमें गुजरातमें नौकरी कर चुके थे और अुस समय गुजरातकी पाटीदार जातिके समाज सुधारके काममें बहुत ही दिलचस्पी लेते थे, अखबारमें यह पढ़कर कि सारे साम्राज्यसे बैरिस्टर बननेके ललअे आनेवालोंमें अेक गुजराती और पाटीदार प्रथम आया और अुसे अिनाम मिला, अपने आप सरदारसे मिलने गये, अपना परिचय देकर अुन्हें बधाअी दी और अुन्हें अपने घर खानेको बुलाया ।

अिस प्रकार सारी परीक्षा बड़ी अिज्जतके साथ पास करके बैरिस्टरकी संपूर्ण योग्यता प्राप्त की और छः महीनेकी माफी हासिल की । परन्तु अब भी दो टर्म बाकी रह गये थे । अस अरसेमें भोज लेनेके सिवाय सरदारको और कोअी काम करना बाकी नहीं रहा था । असललअे अुन्होंने अपनी अिनकी कार्यकारिणीको दरखास्त दी । अुसमें यह हाल लिखकर कि अुन्हें नारूके रोगके कारण (अिसका हाल पहले अध्यायके अन्तमें लिखा जा चुका है ) आपरेशन कराना पड़ा था और बीमारी भुगतनी पड़ी थी, यह प्रार्थना की कि अिग्लैंडकी सर्दियोंमें अधिक रहना अुनके स्वास्थ्यके ललअे खतरनाक है और व्यर्थ अिग्लैंडमें रहनेका खर्च अुठाना भारी पड़ेगा । और अुन्होंने पूरी परीक्षा तो आनर्सके साथ पास कर ही ली है,

असलिये अन्हें बाकी रही दो टर्मकी माफी देकर अुनका नाम जल्दी बैरिस्टरोमें लिख लिया जाय । कार्यकारिणीमें अस दरखास्त पर विचार हुआ । असमें दो बैचरोनें, जो वहांके थे, तो सम्मति दे दी, परन्तु अंग्लो-अिडियन (हिन्दुस्तानमें लम्बे समय रह चुके अंग्रेज) बैचरोने कड़ा विरोध किया । अुनकी दलील यह थी कि अस तरह थोड़े समय और थोड़े खर्चमें बैरिस्टर बना जा सकेगा, तो हिन्दुस्तानसे बैरिस्टर होनेके लिये विलायत आनेवालोंकी बाढ़ आ जायगी । अिन लोगोंके विरोधके कारण सरदारका प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया गया ।

अब कुछ भोज लेनेके सिवाय और किसी खास कामके बिना छः महीने सरदारको विलायतमें रहना पड़ा । असलिये अिग्लैंडमें वे काफी घूमे । अस समय बैरिस्टर बननेके लिये वहां गये हुअे लोगोंमें गुजराती श्री मगनभाभी चतुरभाभी पटेल, श्री नगीनदास सेतलवाड, श्री अिन्द्रवदन नारायणभाभी महेता और श्री सूर्यशंकर देवशंकर महेता थे । अुनसे कभी-कभी मिलते, यद्यपि किसीके साथ गहरा परिचय या दोस्ती जैसी चीज़ नहीं हुअी । दूसरे विद्यार्थियोंके भी थोड़े-बहुत परिचयमें आये । खुद सरदारको तो देशके सार्वजनिक जीवनका बिल्कुल अनुभव नहीं था, परन्तु वहां गये हुअे दूसरे भारतीय विद्यार्थी सार्वजनिक जीवनकी बातें बहुत करते थे, यद्यपि अस समय भारतीय विद्यार्थियोंके लिये अिग्लैंडमें वातावरण गरम था । धीगराने कर्जन वायलीकी हत्या की थी, सावरकरको राज्य विरोधी षड्यन्त्रके लिये आजन्म कैदकी सजा मिली थी, और विपिनचन्द्र पाल वहां गरमागरम भाषण दे गये थे । ये सब बातें अिसी अरसेमें या थोड़े ही समय पहले हो चुकी थीं, असलिये हिन्दुस्तानी छात्रों पर काफी जासूसी होती थी । कुल मिलाकर तो सरदारको वहांके भारतीय विद्यार्थियोंका सार्वजनिक जीवन निर्जीव मालूम हुआ । अधिकांश छात्र वहां अैश-आराममें पड़ गये जान पड़ते थे । अेक विद्यार्थीने अपनी कठिनायियोंकी झूठी-झूठी बातें बनाकर सरदारसे पचहत्तर पाअुन्ड हाथ-अुधार ले लिये थे, अुन्हें वापस वसूल करनेमें अुन्हें बड़ी मुश्किल हुअी । विलायतमें जब सरदार बीमार थे और आपरेशन कराया था, तब रुपयेकी ज़रूरत हुअी; और अससे दिये हुअे रुपयेकी मांग की, तो असने नाराज होकर पत्र लिखा और सरदारसे मिलना-जुलना बन्द कर दिया । वैसे बाकी रही हुअी रकम असने हिन्दुस्तान आनेके बाद भेज दी । अस समय जो पत्र लिखा असमें अपने असभ्य व्यवहारके लिये क्षमा मांगी और सरदारकी सज्जनता और प्रेमकी कद्र की । परन्तु सारी बातें देखते हुअे अधिकांश विद्यार्थियोंसे सरदारको निराशा हुअी ।

वहां बैरिस्ट्रीका पदवीदान समारोह और विधि लगभग हमारे यहांके विश्वविद्यालयों जैसी ही होती है। सारी टर्म पूरी होने पर सरदारका नाम बैरिस्ट्रीमें लिखनेका समय आया। वहांके रिवाजके अनुसार अेक 'बेंचर'को अुम्मीदवारका नाम बैरिस्ट्रीके रूपमें दर्ज करनेका प्रस्ताव करना पडता है और दूसरे 'बेंचर'को अुसका समर्थन करना पडता है। सरदारने अपनी अिनके तमाम बेंचरोंकी सूची देख ली और किसी भी परिचय या सिफारिशके बिना अेक सीनियर बेंचरके पास जा पहुँचे और अपने लिअे प्रस्ताव करनेकी प्रार्थना की। अुस भाअीने प्रेमसे सरदारका स्वागत किया और प्रस्ताव करना ही स्वीकार नहीं किया, बल्कि समर्थक भी तय कर दिया। ये महाशय अुस समयके बम्बअीके प्रधान न्यायाधीश सर बेसिल स्कॉटके चचेरे भाअी होते थे, यह बात तो सरदारको बादमें मालूम हुअी।

यह प्रस्ताव वगैराकी विधिकी सभा जिस हालमें होती है, वहां बडे ठाटबाटसे जुलूसके आकारमें जाना पडता है। पहले नंबरसे पास होनेके कारण सरदारको बडे सम्मानका स्थान मिला। जुलूसके आगे कार्यकारिणीका अध्यक्ष, अुसके पीछे आनर्समें पहले नंबर पर आये हुअे विद्यार्थीकी हैसियतसे सरदार और अुनके पीछे सारे बेंचर और अुनके पीछे नये बैरिस्ट्री बननेवाले — अिस क्रमसे जुलूस सभाभवनकी तरफ चला। स्वाभाविक रूपमें ही तमाम दर्शकोंका ध्यान सरदारकी तरफ आकर्षित हुआ।

यह विधि पूरी होने पर अुनके नामका प्रस्ताव रखनेवाले बेंचरने सरदारको दूसरे दिन अपने यहां खानेका निमंत्रण दिया। परन्तु सरदारने बताया कि दूसरे दिन वहांसे चल देनेके लिअे जहाजका टिकट वगैरा ले रखा है और अितनी जल्दी करनेका कारण बताया कि दो मातृहीन छोटे बच्चोंको अढ़ाअी वर्षसे घर पर छोड़कर आया हूं। अिसलिअे अुस बेंचर महाशयने भोजनका आग्रह छोड़ दिया। परन्तु अपने भाअीके नाम, जो बम्बअीमें चीफ जस्टिस थे, पत्र ले जानेको कहा और बताया कि अगर बम्बअी रहना चाहो तो यह पत्र अुपयोगी होगा। मेरे भाअी आपको अवश्य सहायता देंगे। सरदारने बड़ी कृतज्ञतापूर्वक पत्र ले लिया और अपने प्रबन्धके अनुसार दूसरे ही दिन अिग्लैडका किनारा छोड़ दिया।

## बैरिस्टरी

गुरुवार १३ फरवरी, १९१३ को सरदार हिन्दुस्तानके किनारे बम्बयी बन्दरगाह पर अतरे। अन्हें दूसरे ही दिन अहमदाबाद पहुंचना था। असलिये आये असी दिन बम्बयी हाजीकोर्टके चीफ जस्टिस सर बेसिल स्कॉटके नाम जो पत्र लाये थे, असे लेकर अुनसे मिलने गये। सर बेसिलने अुनका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया और कहा कि बम्बयी रहनेवाले हों तो मैं मदद दूंगा। चिट्ठीमें अुन महाशयने लिखा था कि अंसे आदमीको न्याय विभागमें अूंकी जगह देनी चाहिये। सरदारको नौकरी तो चाहिये ही नहीं थी। अुन्होंने कहा बम्बयीमें रहूं तो प्रैक्टिस जमनेमें कुछ वर्ष लगेंगे। बहुत बड़ा खर्च कर चुका हूं, अस कारण भी अितनी प्रतीक्षा करने जैसी मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है। अुन्होंने कहा, गवर्नमेन्ट लॉ स्कूलमें (अुस समय अेल-अेल० बी० की पढ़ाई करनेवालोंको शामके साढ़े पांचसे साढ़े छः तक अेक घंटा ही देना पड़ता था, असलिये वह कालेज नहीं परन्तु स्कूल ही कहलाता था) प्रोफेसरकी जगह दी जा सकेगी। परन्तु सरदारको अससे सन्तोष नहीं हो सकता था। असलिये घन्यवाद देकर खेद प्रगट किया। अहमदाबादमें प्रैक्टिस मिलनेका भरोसा था, बल्कि मुकदमे अुनकी बाट देख रहे थे। बम्बयीके वकील समुदायमें चमकनेकी महत्त्वाकांक्षा नहीं होगी और अुस समय भीतर ही भीतर यह अच्छा भी होगी कि अहमदाबादमें रहना हो तो लोगोंकी कुछ सेवा की जा सकेगी। किसी भी कारणसे सही, वे बम्बयी नहीं रहे और अहमदाबाद आ गये। असमें भारत-भाग्य-विधाताका हाथ अवश्य होना चाहिये। दो वर्ष बाद ही गांधीजी हिन्दुस्तानमें आकर अहमदाबादमें बसनेवाले थे। सरदार अहमदाबादमें थे, अिसीलिये गांधीजीके साथ अुनका मिलाप हुआ, यह हमें साधारण मानव बुद्धिसे प्रतीत होता है।

सरदारके लिये अहमदाबाद आकर जल्दी रुपया कमाना शुरू करनेका भेक और कारण भी था। जब वे विलायतमें थे तभी विट्टलभायी सार्वजनिक जीवनमें पड़ चुके थे और अुत्तरी विभागकी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओंकी तरफसे बम्बयीकी धारासभामें सदस्य हो गये थे। वकालत और लोकसेवाका काम साथ-साथ नहीं हो सकता था। असलिये दोनों भाअियोंने तय किया

था कि विट्टलभाजी धारासभाके काममें अपना सारा वक्त लगायें और सरदार प्रैक्टिस करके विट्टलभाजीका भी खर्च उठा लें । सरदारके पूर्वोक्त मोड़ासाके सन् १९२१ के भाषणमें अन्होंने कहा है :

“ स्वतंत्रता चाहिये तो इस देशमें संन्यासी होना चाहिये, स्वार्थत्याग करके सेवा करनी चाहिये । इसलिये हम दोनोंने निश्चय किया कि दोनोंमें से एक देशसेवा करे और दूसरा कुटुम्ब-सेवा करे । उस वक्तसे मेरे भाजीने अतना अच्छी तरह चलता हुआ थंधा छोड़कर देशसेवाका काम शुरू कर दिया और घरका काम चलानेका भार मेरे सिर पर आया । इस प्रकार पुण्य कार्य अुनके हिस्सेमें आया और मेरे सिर पर पापका काम आ पड़ा । परन्तु यह समझकर मनको बहलाता था कि अुनके पुण्यमें मेरा हिस्सा है । ”

दूसरे दिन सरदार अहमदाबाद आये । लाल दरवाजेके पासवाले कामाके होटलमें ठहरकर तुरन्त अेक मुकदमेके सिलसिलेमें पंचमहालके लिअ रवाना हो गये । वहांसे लौटनेके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्टके पास अेक मकान किराये लिया । अुस मकानमें आठेक महीने रहे होंगे । बादमें भद्रमें दादासाहब भावलंकरके चाचाके बंगलेमें रहने चले गये । बम्बलीसे खास तौर पर मंगाये हुअे फॅशनेबल फर्नीचरसे अपना दफ्तर सजाया और ठाटसे रहने लगे । फर्नीचरका चुनाव करनेमें सरदारकी सुशुचिका बखान करते हुअे सेठ कस्तूरभाजी अकसर कहते थे कि सरदारके दफ्तर जैसा फर्नीचर मैंने अहमदाबादमें और किसी दफ्तरमें नहीं देखा । फर्नीचर अधिक नहीं था परन्तु सादा, अूंचे दर्जेका और सुन्दर था । अुस वक्तका अुनका शब्द-चित्र दादासाहब भावलंकर सरदारकी सत्तरवीं जयंती पर लिखे गये अेक लेखमें इस प्रकार देते हैं :

“ बांका जवान, ठेठ नये ढंगके काटवाले कोट-पतलून पहने हुअे, अूंचे-से-अूंचे किस्मकी बनातका हैट जरा टेढ़ा रक्खा हुआ; सामनेवाले आदमीको देखते ही भांप जानेवाली तेजस्वी आंखें; बहुत कम बोलनेकी आदत; मुंहसे जरा मुस्कराकर मिलने आनेवालोंका स्वागत करें, परन्तु अुनके साथ ज्यादा बातचीतमें न पड़ें; मुखमुद्रा दृढ़ता सूचक और गम्भीर; कुछ अपनी श्रेष्ठताके भानके साथ दुनियाको देखनेवाली तीखी नजर; जब भी बोलें तब अुनके शब्दोंमें आत्म-विश्वास और प्रभावसे भरी हुअी दृढ़ता; दीखनेमें कठोर और सामनेवाले मनुष्यको अपनी अिज्जत करनेके लिअे मजबूर करनेवाले — अैसे ये नये बैरिस्टर अहमदाबादमें वकालत करने आये । अुस समय अहमदाबादमें कुल छः-सात बैरिस्टर थे । अुनमें



अधिक प्रैक्टिस वाले तो दो या तीन ही थे। स्वाभाविक तौर पर ही अिस नौजवान बैरिस्टरकी तरफ नये और युवक वकीलोंका ध्यान आकर्षित हुआ। अनिके व्यक्तित्व और व्यवहारमें ही कुछ विशेषता थी। कुछ आकर्षण, कुछ सम्मान और कुछ चकाचौंध, और दूसरोंके प्रति वे जिस ढंगसे देखते, उसके कारण शायद कुछ रोष भी — ऐसी मिलीजुली भावनाओंसे वकील मंडलीमें अनिका स्वागत हुआ।”

वकीलकी हैसियतसे अुनकी कुशलताके बारेमें दादासाहब अुसी लेखमें कहते हैं :

“अुनकी प्रैक्टिस अधिकांश फौजदारीकी थी। गवाहोंकी अुनकी जिरह संक्षिप्त किन्तु मुद्देवार होती थी। देखते ही वे पहचान जाते कि साक्षी किस प्रकारका है और अुसी ढंगसे जिरहमें प्रश्नोंकी झड़ी लगाते थे। पैरवी करनेके अुनके ढंगसे ही मालूम हो जाता कि मुकदमेकी तफसील पर अुनका पूरा काबू है। विरोधी पक्ष किस-किस मुद्दे पर अपने पक्षका आधार रखता है और किस लाइन पर अपना मामला पेश करनेवाला है, अिसका निश्चित अन्दाज अुनके पास होता था और ये सब बातें जानकर किस ढंगसे अपना सफाओका मामला पेश किया जाय और किस तरीके पर विरोधी पक्ष पर हमला किया जाय, अिसकी निश्चित विचारी हुआी योजना भी अुनके पास होती थी। परन्तु अिन सबमें सब लोगोंका अेकदम ध्यान खींचनेवाला अुनका बड़ा गुण तो यह था कि अदालतके साथ अुनका व्यवहार पूर्ण निर्भयताका रहता था। अिसी गुणने अुन्हें समस्त वकील समुदायका आदर-पात्र बना दिया था। जजको सभ्यताकी मर्यादाके बाहर वे कभी तिल भर भी नहीं जाने देते और अिसी तरह अन्यायपूर्ण या अनुचित ढंगसे कोर्ट यदि मुद्दओ या पुलिसके प्रति जरा भी झुकने लगे, तो वह भी बरदाश्त न करते। अुन्हें हमेशा प्रतिवादीकी तरफसे ही कोर्टमें आना होता था। अुन्हें वकील बनाकर अुनके मुवक्किलोंको निश्चिन्तता रहती थी। वे अदालत और मुद्दओको अुचित मर्यादामें रखते थे। कभी जजको, मुद्दओ पक्षको या पुलिसको अुसकी बात या रवैया जरा भी अनुचित होता तो छटकने नहीं देते और जैसा हो वैसा मुंह पर कह देते थे। १९१३-१४ में अिस किस्मका रवैया रखनेमें कितनी मुश्किलें आती थीं, अिसकी कल्पना आजकलके जवान वकीलोंको होना कठिन है। आज तो अधिकारियोंके प्रति आदर और सभ्यताकी कल्पनाओंके बारेमें लोगोंमें और वकीलोंमें बहुत भारी परिवर्तन हो गया है। अुन दिनों सभ्यता और आदर रखनेका अर्थ यही माना जाता था कि खुशामद की जाय और झुककर रहा जाय। सरदार

अस वक्त भी अिन चीजोंसे परे थे और किसी जजकी तेजी या मनमानीकी आलोचना करने या असकी कलअी खोल देनेसे अस जजके सामने अपनी प्रैक्टिसको धक्का लग जायगा अस डरसे वे अस चीजको बरदास्त नहीं करते थे । अस प्रकार लोगों और वकीलोंके स्वाभिमानके वे जबरदस्त रक्षक बनकर रहते थे । ”

कोर्टके साथ वे किस तरह लड़ते थे, असका अंक अुदाहरण दादासाहब असि लेखमें देते हैं :

“सरकारी अधिकारी खेड़ा जिलेको बड़ा अपराधी वृत्तिवाला और शरारती जिला समझते थे । अुन दिनों खेड़ा जिलेकी सेशन्स कोर्ट अहमदाबादमें थी । असलिअे खेड़ा जिलेके बड़े फौजदारी मुकदमे वही आते थे । सेशन्स कोर्ट अहमदाबादमें होनेके कारण जूरी अहमदाबादके सज्जनोंकी बनती थी, परन्तु खेड़ा जिलेके अभियुक्तोंको अुनके मुकदमे जूरी द्वारा चलाये जानेका हक नहीं दिया गया था । अेक हत्याके अभियोगमें दो भाअियोंके विरुद्ध प्रारम्भिक सबूत लगभग नहींके बराबर होने पर भी अुनका मामला सेशन्सके सुपुर्द कर दिया गया था । और सेशन्स जजने अभियुक्तोंकी जमानत पर छोड़नेकी अर्जी नामंजूर कर दी थी । अभियुक्तोंकी तरफसे तुरन्त सरदारको रख लिया गया । मुकदमेके शुरूमें ही अुन्होंने अभियुक्तोंको जमानत पर छोड़नेके लिअे अर्जी दी और अस अर्जीके समर्थनमें बहस करते हुअे सेशन्स जज पर ही हमला कर दिया । ‘अभियुक्तोंकी जमानतकी दरखास्त किसलिअे नामंजूर कर दी गअी ? असिलिअे कि पुलिसकी तरफसे अुनकी रोजमर्राकी दलील दी गअी कि अभियुक्त आज्ञाद होंगे, तो मुद्अी पक्षके सबूतमें गड़बड़ मचायेंगे; और यह मामला खेड़ा जिलेका होनेके कारण अभियुक्तोंको भयंकर आदमी मानना चाहिये । मुझे बड़े अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि अस अदालतमें खेड़ाके किसी भी अभियुक्तको अुचित रूपमें न्याय नहीं मिलता । असके खिलाफ जरासा सबूत मिल जाय, तो अस नाकाफी सबूत पर भी अुसे सजा हो जाती है; क्योंकि अभियुक्त खेड़ा जिलेका है, असलिअे असने शहादतमें जरूर गड़बड़ की होगी । यह यहांका न्याय है ! शहादत ठीक हो या न हो, खेड़ा जिला अपराधी वृत्तिवाला है, असलिअे अभियुक्तको सजा देनी ही चाहिये । अैसा दिखाअी देता है कि यह अदालत भी असि ढंग पर चलती है । अगर अैसा न हो, तो मैं समझ नहीं सकता कि अैसे मामलेमें जहां अभियुक्तके विरुद्ध जरा भी प्रारम्भिक सबूत नहीं है, अदालतको किस लिअे असकी जमानतकी दरखास्त नामंजूर करनी चाहिये ? ’

“जब सरदार पैरवी करते होते, तब बहुतसे वकील देखनेको बैठते । असलिअे कोर्ट वकीलोंसे ठसाठस भरी हुआ थी, वहां सरदारने ये शब्द कहे । अपने पर किया गया सीधा आक्षेप सुनकर जज भी स्तब्ध हो गया । सफाजी पक्षके बैरिस्टर द्वारा अपने पर किये गये आक्षेपकी सत्यताका भान भी उसके दिलमें होगा । उसने कहा : ‘ मि. पटेल. आप कुछ अुत्तेजित होकर अदालतके विरुद्ध अैसा गम्भीर आक्षेप करते मालूम होते हैं । अभी हम कोर्टको मुलतबी कर देते हैं । आधे घंटे बाद मिलेंगे । ’

“जज चेम्बरमें गये और थोड़े ही समय पहले नामंजूर की हुआ जमानतकी दरखास्त तुरन्त मंजूर कर ली । मुकदमेमें अभियुक्त निर्दोष छूट गये । ”

अब अुनकी जिरहके अेक-दो नमने बताता हूं । नीचे लिखी बात तो अुनकी जिरहका शिकार हुआ अेक मुखियाने ही मुझे कही है ।

अेक बारैयाकी हत्या अुसके अपने ही घरमें हुआ थी । पुलिसने अलग-अलग गांवोंके दो बारैयों पर हत्याका अभियोग लगाकर मुकदमा चलाया और पुलिस पटेल शहादतमें गये । अेक बारैयाने सरदारको वकील बनाया था ।

सरदार— (अुस पुलिस पटेलसे) तुम्हारी पहली रिपोर्टमें हत्यारोंके जो नाम लिखे हुआ है, अुन्हें काटकर क्यों बदला है ?

पटेल— मरनेवालेके बापने पहली बार दो नाम दिये थे, परन्तु बादमें अुसकी स्त्रीने ये दो दूसरे नाम दिये । असलिअे मैंने अुन्हें बदल दिया ।

सरदार— तुमने नाम बदलनेके कितने रुपये लिये ?

पटेल— मैंने कुछ नहीं लिया ।

सरदार— वाह ! धर्मराजके अवतार मालूम होते हो, परन्तु मैं तुम पुलिस पटेलोंको जानता हूं । तुम लोग तो हत्या करा दो, आग लगवा दो, छिपी धमकियां दिलवा दो, चोरियां करा दो और चोरीका माल भी रख लो । असलिअे भगवानको सिर पर रखकर बयान दे रहे हो, तो सच बोलो । नहीं तो सवाल पूछ-पूछकर तुम्हारी सब पोल मुझे खोल देनी पड़ेगी ।

वह मुखिया तो धबरा ही गया और सब बातें खूब तैयार करके आया होगा, फिर भी बयान देनेमें बिलकुल टूट गया । वे दोनों अभियुक्त छूट गये ।

अिस अरसेमें अुमरेठ गांवमें झूठे दस्तावेज बनानेकी हवा चली थी । अिन दस्तावेजोंके जोर पर कितने ही आदमियों पर झूठे दावे हुआ । किसीसे अदावत हो तो अुसके खिलाफ झूठा दस्तावेज तैयार करके दावा कर दिया जाता और अुसे परेशान किया जाता । अिसके मुकदमे ठेठ हाजीकोर्ट तक पहुंचे और जहां दस्तावेजोंके झूठेपनका विश्वास हो गया, वहां हाजीकोर्टके जजोंने

कड़ी आलोचना की और ऐसे दस्तावेज पेश करनेवालों पर फौजदारी मुकदमे चलानेके हुकम जारी किये । अन्तमें जांच करके अपराधियोंको पकड़नेके लिये अेक विशेष पुलिस अफसर नियत किया गया । अुसने अेक झूठे दस्तावेज बनानेवालेको 'अेप्रूवर' ( जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अपराधमें शरीक होनेवाले सभीके नाम बता देता है और अिसके बदलेमें अुसे सरकारकी तरफसे माफी दी जाती है ) बनाया । अिसके परिणामस्वरूप झूठे दस्तावेज बनानेके अभियोगके झूठे-सच्चे बहुतसे मामले खड़े हो गये । अन सब मुकदमोंकी पैरवीके लिये सरकारने अेक खास वकील मुकर्रर किया । अनमेंसे अधिकांश मामलोंमें अभियुक्तोंकी तरफसे अपने बचावके लिये सरदारको रखा जाता था ।

सरदारने अेक गवाहसे जिरह करना शुरू किया । अुससे पूछा : " तुम साहूकार हो ? " अुसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो फिर पूछा : " तुम साहूकार हो ? " जवाब न मिला तब तीसरी दफा पूछा : " तुम साहूकार हो ? " वह कुछ न बोला तो सरदारने कहा : " जो हो सो कह दो न । मैं तो तुम्हें जानता हूं, ' सत्रह पंजे पंचानवे, अुसमें से पांच रखे छूटके, ला नब्बे ! ' तुम यह धंधा करनेवाले हो । परन्तु यहां लालचट पगड़ी और अिस्त्री किया हुआ अंगरखा और खेस ओढ़कर आये हो, अिसलिये मैंने समझा कि साहूकारीकी दुकान खोली होगी । " वह गवाह लेनदेनका धंधा करता था, परन्तु अुसकी दुकान अैसी नहीं थी कि साहूकार कहा जा सके । अिस हमलेसे वह घबरा गया और बयानमें टिक न सका ।

अिन मुकदमोंमें सरदार अधिकांश अभियुक्तोंको छुड़ा सके थे । अेक केसमें सरदारके साथ वकीलके तौर पर दादासाहब मावलंकर थे । मुद्दअी पक्षको अपना यह मामला मजबूत मालूम होता था, परन्तु वह टूटकर चूरा हो गया । मुद्दअी पक्षके बेचारे वकीलने अेसेसरोंके सामने कहा : " बुद्धिमान और होशियार मावलंकर वकीलकी मेहनतका और वल्लभभाभी जैसे विचक्षण बैरिस्टरकी सफाअीका लाभ अभियुक्तको मिल जाय, तब हमारी क्या चले ? "

अुस समय महादेवभाभी और मैं बिलकुल नये वकील थे और जिन मुकदमोंमें खास तौर पर मजा आता, अुन्हें सेशनस कोर्टमें सुनने बैठ जाते । हमने कुछ वकीलोंके नाम रख लिये थे । सरकारी वकील श्री मणिलाल भगूभाभी बड़े हआबदार और घमंडी थे और विरोधी पक्ष पर अैसे तमकते कि अुसका वकील कच्चा-पच्चा होता तो दब ही जाता । हम अुन्हें बाघ कहते थे । अेक त्रम्बकराय मजमुदार बैरिस्टर वयोवृद्ध थे और बहुत थोड़े मुकदमोंमें आते थे । परन्तु जब आते तब बड़ी गर्जना करके अदालतको गूंजा देते थे । ये वही मजमुदार बैरिस्टर

थे, जो गांधीजी बैरिस्टर बनने विलायत गये तब उनके साथ जहाजमें थे और विलायतमें जिन्होंने गांधीजीको “तुममें यह कलजुग कैसा ! तुम्हारा यह काम नहीं, तुम यहांसे भागो।” यह कहकर पतित होनेसे बचाया था। यह बात उस दिन हम कुछ जानते नहीं थे, परन्तु उनकी आकृति और उनकी गर्जनाके कारण हम अन्हें सिंह कहते थे। एक दिन मैंने महादेवसे कहा : ‘यह वल्लभभाभी बैरिस्टर भी सिंह ही है।’ महादेव कहने लगे : ‘है जरूर परन्तु अभी छोटा सिंह है। सिंहका बच्चा है, हम अन्हें सिंह-शावक कहेंगे।’ वे बादमें सारे देशमें पुरुषसिंहके रूपमें प्रसिद्ध होनेवाले थे। परन्तु जैसे सिंहका बच्चा बड़े हाथी पर कूदकर चढ़ जाता है और उसके गंडस्थलको चीर डालता है, इसी तरह उस समयका यह सिंह-शावक भी बड़े जबरदस्त वकीलों और जजोंके लिये भारी पड़ता था।

मैं कभी-कभी अिन मजमुदार बैरिस्टरके घर जाया करता था। बातों ही बातोंमें अन्होंने जो कहा था, वह मुझे अच्छी तरहसे याद रह गया है— “वल्लभभाभीकी तरह अच्छी तरह पैरवी करनेवाला और कोअी बैरिस्टर मैंने नहीं देखा।” सरदारमें केसके मूल मुद्दे निकालकर पकड़ लेने और अन्य बातोंको अेक तरफ रखकर अपनी पैरवी करनेकी अजीब शक्ति थी। गवाहोंसे भी अितने अुपयुक्त सवाल पूछते कि अुनकी जिरह बड़ी संक्षिप्त परन्तु गवाहको तोड़कर धराशायी कर देनेवाली होती थी। अदालतके सामने अुनकी दलीलें भी बहुत ही मुद्देवार और प्रबल होती थीं। इसलिये पैरवी करते समय अुनके सम्बन्धमें कभी अैसा नहीं होता था कि दूसरे वकीलोंकी तरह अुन्हें प्रस्तुत विषयों पर आने या प्रस्तुत बात पर ही कायम रहनेके लिये कोर्टको कहना पड़ता हो या टोकना या रोकना पड़ता हो। पैरवी करनेमें दूसरे वकीलोंकी अपेक्षा वे आधा समय भी नहीं लेते थे, फिर भी काम बढ़िया करते थे।

साथ ही बहुतसे केस लेनेकी भी सरदार परवाह नहीं करते थे। उस वक्त अहमदाबादमें बैरिस्टरोंकी फीसकी जो दर थी, उससे सरदारने अपनी फीसकी दर अूची रखी थी। मम्बअीमें विट्टलभाअीका खर्च, अहमदाबादमें अपना घरखर्च और कुटुम्बको कुछ मदद करनी होती, वह सब दस-बारह दिनके कामसे ही वे कमा लेते थे। अदालतके कामके बाद गुजरात क्लबमें चले जाते और वहां ब्रिज खेलते। बैरिस्टर श्री चिमनलाल ठाकुरके साथ अिनकी बड़ी दोस्ती हो गयी थी और ब्रिजमें ज्यादातर दोनों ही भीड़ होते थे। ब्रिज खेलनेमें अिनकी होशियारीकी बात थोड़े ही अरसेमें प्रसिद्ध हो गयी थी। श्री वाड़िया नामके अेक पुराने बैरिस्टरने गुजरात क्लबमें ब्रिजका खेल जारी कराया था और अुनको घमंड था कि ब्रिज खेलनेमें वे बड़े होशियार हैं। इसी तरहका घमंड रखनेवाले अेक

श्री ब्रोकर नामके वकील थे। अिन दो जनोंने सरदार और अनके भीड़ श्री चिमनलाल ठाकुरको हरानेका विचार करके शर्त लगाकर ब्रिज खेलनेकी अन्हें चुनौती दी। सरदारने कहा कि पाँअिन्टका आना दो आना शर्त लगाकर हमें नहीं खेलना है। खेलना हो तो पांच पाअुन्डके सौ पाँअिन्टकी शर्त लगायें। वाड़िया बैरिस्टर और ब्रोकर वकीलको तो बड़ा घमंड था कि हम ही जीतेंगे। असलिअे वे लोग रजामन्द हो गये। परन्तु पहले ही दिन पन्दह-बीस पाअुन्ड हार गये। तो भी दूसरे दिन खेले और दूसरे दिन भी पचीस-तीस पाअुन्ड हार गये। क्लबमें हाहाकार मच गया। कुछ वकील तो यह विचार भी करने लगे कि अितनी बड़ी शर्त लगाकर खेलनेकी क्लबमें मनाही करनी चाहिये। तीसरे दिन वाड़ियाकी पत्नीको पता लगा, तो वह लगभग चार बजे ही गाड़ी लेकर क्लबके दरवाजे आकर खड़ी हो गयी। ज्यों ही कोर्टसे वाड़िया क्लबमें जाने लगे, त्यों ही कहने लगी: “चलो घर, क्लबमें नहीं जाना है।” आठ-दस दिन तक अिसी तरह किया और फिर सरदारसे मिल कर प्रार्थना की कि कृपा करके मेरे पतिको अिस तरहकी आदत न लगाअिये। सरदार तो अैसी शर्त लगाकर खेलना पसन्द करते ही न थे। परन्तु अुन लोगोंका घमंड अुतारनेके खातिर ही शर्त लगाकर खेलनेको तैयार हुअे थे।

यों तो यह समझा जायगा कि सरदारने लगभग १९१९ के अन्त तक वकालत की। परन्तु जब मार्च १९१८ में खेड़ा सत्याग्रहकी लड़ाअीमें पड़कर गांधीजीके साथ नड़ियाद गये तभीसे वे वकालतमें ध्यान नहीं दे सके। लगभग चार महीने तो खेड़ाकी लड़ाअीके सिलसिलेमें वे नड़ियाद रहे। बादमें भी अहमदाबादमें अुनकी सार्वजनिक प्रवृत्तियां बढ़ती ही जा रही थीं। १९१९ के आरम्भसे रौलट सत्याग्रहके बाजे बजने लगे। अुसके सिलसिलेमें जो फसाद हुअे, अुनमें जनताको सीधे रास्ते ले जाने और जो लोग आफतमें फंस गये थे, अुनके लिअे राहतकी व्यवस्था करनेमें अुनका अधिकतर वक्त जाता था। फिर नड़ियाद और बारेजड़ीके बीचकी पटरियां अुखाड़नेके अभियुक्तोंके मुकदमें चलानेके लिअे विशेष अदालत नियुक्त हुअी। अुनके मुकदमे लगभग चारैक महीने चले। अुनमें अधिकांश अभियुक्तोंने अपने बचावके लिअे सरदारको रखा था। अदालतमें वकालतका यह अुनका आखिरी काम था। वैसे स्वराज्यके लिअे जनताकी वकालत तो हमें स्वराज्य मिला तब तक अुन्होंने की ही है, और आजकल कांटोंके ताजका जो बोझा हमारे नेताओंको अुठाना पड़ा है, अुसमें मुख्य भाग लेकर वे शरीरको खपा रहे हैं, सो तो हमारी आंखोंके सामने ही है।

## म्युनिसिपैलिटीकी सफाई

विलायतसे बैरिस्टर होकर आनेके बाद विट्टलभाभी और सरदार द्वारा किये हुअे कामके बंटवारेकी योजनाके अनुसार सरदार दोनोंके खर्चके लिअे कमानेके काममें लग गये । मगर अिस प्रकारका कार्य-विभाजन लम्बे समय तक नहीं टिका । अहमदाबादमें आते ही स्वाभाविक तौर पर सरदार गुजरात क्लबके सदस्य बने और रोज क्लबमें जाने लगे । अुस समयके अहमदाबादके कुछ कार्यकर्ता श्री गोविन्दराव पाटील, श्री शिवाभाभी पटेल, श्री चिमनलाल ठाकुर, श्री मगनभाभी चतुरभाभी पटेल वगैरा भी रोज क्लबमें आते थे । ये सब नेता वकील भी थे । अुस जमानेमें सार्वजनिक काम, फिर वह राजनैतिक हो या सामाजिक ढंगका हो, वकील-बैरिस्टरोंका विशेष क्षेत्र माना जाता था । सर रमणभाभी नीलकंठ तथा दीवान बहादुर हरिलाल देसाभीभाभी भी अहमदाबादके प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ता थे । परन्तु अुनके पास अपने वकालतके धंधेके सिवाय सार्वजनिक सेवाके अितने अधिक विभाग थे कि अुन्हें क्लबमें आनेकी शायद ही फुरसत मिलती थी । क्लबमें दूसरी गपशपके साथ अहमदाबादके सार्वजनिक जीवन और साथ ही देशकी राजनैतिक, सांसारिक और आर्थिक स्थितिकी भी चर्चाओं होती थीं । ये नेता तो मुख्यतः अिसीकी चर्चा करते और अुससे नौजवानोंको काफी सीखने और जाननेको मिलता था ।

सन् १९१४ में सरकारने जिला म्युनिसिपल अेक्टमें सुधार करके अधिक आबादीवाले मुफस्सिल शहरोंकी म्युनिसिपैलिटियोंको म्युनिसिपल कमिश्नरके रूपमें सिविलियन अफसरको रखनेके लिअे मजबूर कर दिया । सिविलियन अफसरका मतलब था कलेक्टर और कमिश्नरकी बराबरीका आदमी, और अुसके हाथमें म्युनिसिपैलिटीका सारा काम-काज रहे, तो म्युनिसिपल कौंसिलर अुसके असरमें बह जायेंगे और अुस पर कोअी काबू नहीं रख सकेंगे, यह स्पष्ट था । सन् १९१६ में बम्बअी प्रान्तकी जो राजनैतिक परिषद अहमदाबादमें हुअी थी, अुसमें प्रस्ताव लाकर यह भय प्रगट भी किया गया था । और यह बताकर कि मुफस्सिल शहरोंकी म्युनिसिपैलिटियोंके लिअे अैसा अधिकारी बहुत भारी पड़ेगा, अिस प्रथाको बन्द करनेका प्रस्ताव पास किया गया था । परन्तु सरकारने अिस बारेमें कोअी फेरबदल नहीं किया ।

पहले ही म्युनिसिपल कमिश्नर मि० शिलिडी नामक आये। वे अितने अफसरी घमंड और तेज मिजाजवाले थे कि अधिकांश लोगोंको अनुसे असंतोष हो गया। अहमदाबादके वकील समुदायमें सबने सरदारकी होशियारी, चतुराजी और विशेषतः अनुकी निर्भयता देख ली थी। सबको लगा कि म्युनिसिपल कमिश्नरकी जगहको अुठा देनेके लिये आन्दोलन करने और जब तक यह जगह अुठा न दी जाय तब तक गोरे सिविलियनको अंकुशमें रखनेका काम सरदार ही कर सकते हैं। असिलिये मित्र लोग अुन्हें म्युनिसिपैलिटीमें जानेका आग्रह करने लगे। और अुस समय यह माना जाता था कि वकालत या अपना जो भी धंधा हो, अुसे संभालकर अैसे काम हो सकते हैं। असिलिये सरदारकी पारिवारिक व्यवस्थामें कोअी बाधा नहीं आ सकती थी। परन्तु अुनके खास दोस्त चिमनलाल ठाकुर अुनसे कहते थे कि अहमदाबादके सार्वजनिक जीवनमें पड़ना ठीक नहीं है। अहमदाबादके लोग गोरी चमड़ीसे कितने डरते हैं, असिका वे अपने अनुभवका अेक अुदाहरण देते थे। छप्पनके अकालके समय (सन् १९०० में) मवेशी बहुत सस्ते मिलतं थे। असिलिये अुन्हें कत्ल करके मांस, चरबी, चमड़ा वगैरा विदेश भेजनेके लिये अेक युरोपियनने अहमदाबादमें जमालपुर दरवाजेके बाहर अेक खानगी कसाअीखाना खोल लिया था। अहमदाबादकी सारी जनता अससे व्याकुल हो अुठी और सब यह चाहते थे कि यह बला यहांसे चली जाय। पांचेक वकील, जिनमें श्री चिमनलाल ठाकुर भी थे, कसाअीखाना वहांसे हटा देनेके लिये अुस युरोपियनको समझानेके अिरादेसे गये। अुस युरोपियनने अिन लोगोंका अपमान किया और अपने आदमियों द्वारा अुन्हें पकड़वाकर बांध रखा। दूसरे वकील गाड़ियोंमें बैठकर गये थे, परन्तु चिमनलाल ठाकुर घोड़े पर थे, असिलिये वहांसे निकल भागे और घोड़ेको मारते हुअे शहरमें आकर पुलिसको और पकड़े हुअे वकीलोंके घर पर खबर दी। शहरमें से लोग लाठियां लेकर झुण्ड के झुण्ड अुलट पड़े। वह गोरा अपनी जान बचानेको रातोंरात वहांसे भाग गया। अुसे अहमदाबादसे कसाअीखाना हटाना पड़ा। परन्तु श्री चिमनलाल ठाकुरका विचार हमला, हब्स बेजा, और मानहानि करनेके लिये अुस पर फौजदारी मुकदमा चलानेका था। अुसमें किसीने अुनका साथ नहीं दिया। अससे अुनकी यह राय बन गअी थी कि अहमदाबादियोंमें सार्वजनिक जोश जैसी चीज ही नहीं है। परन्तु सरदारने कहा कि लोग कैसे भी हों, परन्तु हम सार्वजनिक काम करेंगे तभी अुन्हें शिक्षा मिलेगी न? अस विचारसे वे म्युनिसिपैलिटीमें जानेको तैयार हो गये।

ये सब विचार हो रहे थे अितनेमें दरियापुर वार्डके म्युनिसिपल मेम्बर गुजर गये। अुनके रिक्त स्थानके लिये जो अुपचुनाव हुवा, अुसमें सरदार





वैरिस्टर भाओ

अुम्मीदवार खड़े हुअे और चुन लिये गये । दरियापूरके प्रमुख सज्जन श्री चन्दूलाल महादेवियाने, जिनके साथ अुनके मामाके समयसे सरदारका घरोपा था, अिस चुनावमें सरदारकी बड़ी सहायता की थी । परन्तु अिस चुनावके विरुद्ध कूछ आपत्तियां की गयीं और वह ता० २६-३-१७ के डिस्ट्रिक्ट कोर्टके हुकमसे रद्द हो गया । ता० १४-५-१७ को फिर चुनाव हुआ और अुममें सरदारके विरुद्ध कोअी अुम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, अिसलिये वे निर्विरोध चुन लिये गये ।

अुस समय बोर्ड चालीस सदस्योंका था । सर रमणभाअी अुसके अध्यक्ष थे और रा० सा० हरिलाल देसाअीभाअी मेनेजिग कमेटीके सभापति थे । ये दोनों म्युनिसिपैलिटीका काम होशियारी और सेवा-भावसे करते थे । परन्तु अुनके काममें साथ देनेवाला दल म्युनिसिपैलिटीमें अुस वक्त नहीं था । अिन दोनों नेताअुसे सरदार स्वभाव और विचार दोनोंमें बहुत भिन्न थे, परन्तु तहेदिलसे शहरकी सेवा करनेकी तमन्ना तीनोंमें समान थी । अिसलिये तीनों मिलकर अेकरागसे म्युनिसिपैलिटीका काम करने लगे । असहयोगके दिनोंमें तीनोंके रास्ते अलग-अलग हो गये, तब भी अेक-दूसरेके प्रति सद्भाव और आदर कायम रहा । क्योकि राजनैतिक विचार अलग-अलग होने पर भी सरकारके अन्याय और मनमानीमें वे दोनों नेता भी सरकारकी हां में हां मिलानेवाले नहीं थे । आम तौर पर किसी विद्वानके प्रति सरदारका प्रेम अुमडता हुआ नहीं पाया गया । परन्तु स्व० रमणभाअी अपनी ऋजुता, निःशंक प्रामाणिकता और अुत्कट सेवा-भावसे अुनका दिल जीत सके थे । अधिकारियोंके साथ लड़नेकी हिम्मतसे और शहरके सुधारके कामोंको तेजीसे आगे बढ़ानेके अुत्साहसे सरदार म्युनिसिपैलिटीके भावी नेताके रूपमें जाते ही सामने आ गये ।

यह तो अब साबित हो चुका था कि म्युनिसिपल कार्यमें सरदारकी स्वाभाविक रुचि और कुशलता है । भले ही अुस सिविलियनको सीधा करनेका काम अुनके म्युनिसिपल प्रवेशका निमित्त बना हो, परन्तु अुस समय भी अुनका अुद्देश्य तो अहमदाबादकी सूरत बदलकर शहरकी सेवा करना ही था । परन्तु अेसा करनेके लिये साथी कौसिलर वफादार और होशियार चाहिये और म्युनिसिपल अधिकारी भी कुशल और कर्तव्यनिष्ठ चाहिये । यहां तो कुछ मुख्य कर्मचारी भी अकसर शहरके हितके प्रति लापरवाह और गैर-जिम्मेदार पाये जाते थे । साथ ही कलेक्टर और कमिश्नरका भी म्युनिसिपल काममें काफ़ी हस्तक्षेप रहता था । अिस कारण सारे तंत्रमें अंधेरे और सुस्ती घुस गयी थी । सरदारके म्युनिसिपल कार्यकालके शुरूके

लगभग दो वर्ष अिन सब बातोंकी सफाई करनेमें ही चले गये। पहला काम सरदारने म्युनिसिपल कमिश्नरको ठीक करनेका हाथमें लिया। अुसके कामकाजकी बारीकीसे जांच करने लगे और थोड़े ही समयमें अुसे अच्छी तरह पकड़ लिया।

अहमदाबादमें कांकरिया तालाबके पास शुष्कर नामक छोटा तालाब है। वह सरकारकी तरफसे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको सन् १९१४ में सौंप दिया गया था। तालाबके कारण आसपासके मुहल्लेमें मच्छर बहुत थे, अिसलिअे म्युनिसिपैलिटीकी योजना अुस तालाबको भरवा डालनेकी थी। परन्तु अुस समयके अेक म्युनिसिपल काँसिलर फतेहमुहम्मद मुनशीकी तालाबके पास ही दियासलाअीकी मिल थी और दियासलाअियां बनानेके लिअे लकड़ियां भिगोकर रखनेको अुन्हें तालाबकी बड़ी जरूरत थी। अुस पर स्वामित्वके हकका दावा करके अुन्होंने सरकार पर मुकदमा भी चला दिया था। अुसमें हाअीकोर्ट तक लड़े और अन्तमें फैसला अुनके विरुद्ध हुआ। परन्तु अुन्होंने युद्ध-ऋणमें काफ़ी रकम दी थी, अिसलिअे वे म्युनिसिपल कमिश्नर मि० शिलिडीके पास पहुंच गये और अुन्हें समझाया कि किसी भी तरह तालाबका अधिकार अुनके पास रहे और म्युनिसिपैलिटी द्वारा तालाबको भरवाया न जाय। मि० शिलिडीने अुनकी युद्ध-सहायताकी कदर करनेके लिअे सरकारका स्पष्ट निश्चय होने पर भी तालाब पर म्युनिसिपैलिटीका कोअी हक नहीं, वह म्युनिसिपैलिटीके किसी कामका नहीं, वगैरा अूटपटांग बहाने बनाकर अँसी तजवीज की कि मुनशीका कब्जा जारी रहे। अन्तमें जब अुत्तरी विभागके कमिश्नरने दुबारा त्रय किया कि तालाब म्युनिसिपैलिटीकी संपत्ति है, तब मि० शिलिडीने सरकारसे सिफारिश की कि अुसे स्थायी पट्टे पर मुनशीको दे दिया जाय। अिस प्रकार तरह-तरहके बहाने बनाकर वे बोर्डकी बैठकोंमें अुअे निश्चयों पर अमल नहीं करते थे और किसीकी सुनते नहीं थे।

सरदारका म्युनिसिपैलिटीमें चुनाव निश्चित हो गया, तो अुन्होंने पहला काम यही हाथ में लिया। अुन्होंने सरकारी वकील श्री० मणिलाल भगूभाअीसे अिस बातकी सारी जानकारी प्राप्त की कि मुनशी सरकार पर अपने दावेमें किस तरह असफल रहे और म्युनिसिपल कागजातसे मि० शिलिडीकी मनमानीके अुदाहरण खोज निकाले। अिस प्रकार अिनके विरुद्ध मजबूत केस तैयार करके तमाम तफसीलके साथ लम्बा प्रस्ताव जनरल बोर्डकी तारीख ७-६-१७ की बैठकमें लाये। प्रस्ताव अिस आशयका था :

“शुष्कर तालाबके मामलेमें म्युनिसिपल कमिश्नरने जो रवैया अस्तियार किया है, अउसे बोर्ड बड़ी विषम स्थितिमें पड़ जाता है। या तो अउसे म्युनिसिपल कमिश्नरका असा प्रतिगामी रवैया और असम्य व्यवहार चुपचाप सहन कर लेना चाहिये या अउके पास जो दूसरा अेक ही मार्ग खुला है वह अस्तियार करना चाहिये।

“मि० शिलिडीने बोर्डसे पूछेताछे बगैर ही सरकारको अपनी राय लिखकर बताअी है कि ‘म्युनिसिपैलिटीको अस तालाबकी कोअी जरूरत नहीं, अउके लिये असका कोअी अुपयोग नहीं, सेनिटरी कमेटीके पहले प्रस्तावमें यह जो मान लिया गया है कि तालाब म्युनिसिपैलिटीकी सम्पत्ति है सो निराधार है। अउस कमेटीके अन्तिम प्रस्तावमें भी अउसने अस तरह मान लिया है मानो हरअेक विवादास्पद मुद्दा अउके पक्षमें साबित हुआ है और कुछ करदाताओंकी म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षके नाम दरखास्त आअी है कि यह तो सेनिटरी कमेटीका खड़ा किया हुआ षड्यंत्र है।’

“अिस बोर्डको अफसोस होता है कि मि० शिलिडीके जसा स्थान रखनेवाले अेक म्युनिसिपल अधिकारीको लगभग ५३,००० गज जमीनकी, जो अेक लाख रुपयेसे कम कीमतकी नहीं मानी जा सकती और जो कांकरिया रेलवे स्टेशनके नजदीक शहरके आग्नेयकोणमें स्थित होनेके कारण अहमदाबाद जसे बढ़ते हुअे और बहुत भीड़वाले शहरके लिये मकानात बनानेके वास्ते भविष्यमें बहुत अुपयोगी हो सकती है, कोअी कीमत नहीं।

“अिस बोर्डको यह भी अफसोस होता है कि म्युनिसिपल कमिश्नरने म्युनिसिपैलिटीके कीमती मालिकी हककी रक्षा करनेका अपना फर्ज नहीं समझा; अितना ही नहीं परन्तु म्युनिसिपैलिटीने जब अपने स्वामित्वके अधिकार पर अमल करनेकी कोशिश की, तब म्युनिसिपैलिटीके प्रस्तावके साथका ता० ६-१२-१६ का अपना पत्र सरकारको भेजकर अउस कोशिशको अुलट देनेकी तरकीब की। असा करके वे व्यक्तिगत हितोंके सामने सार्वजनिक हितोंको गौण पद देनेके आक्षेपके पात्र बने हैं।

“अुनका अुद्धत जवाब, अुनके निराधार आक्षेप और कौंसिलरोंके प्रस्तावोंकी हंसी अुड़ानेकी अुनकी आदत संगठनकी अेकरागताके लिये हानिकारक हैं; अितना ही नहीं, परन्तु असन्तोष और बेमेल पैदा करनेवाले हैं।

“साथ ही अध्यक्ष महोदयके बोर्डके सामने पेश कर देनेके बाद जब सारे कागजात बोर्डके अधिकारमें आ चुके थे, उसके बाद भी अपने सरकारको लिखे हुअे पत्रके अन्तिम अंशके तेरह शब्दोंको काट डालनेमें अन्होंने जैसा बरताव किया है, उसके लिअे नरमसे नरम शब्द काममें लिये जायें, तो भी अितना तो कहना ही पड़ेगा कि यह बरताव बहुत ही आपत्तिजनक है।

“अैसे हालातमें म्युनिसिपैलिटीका काम मिलजुलकर हो, असके लिअे यह निश्चय करना बोर्डके लिअे लाजिमी हो जाता है कि मि० शिलिडी अस म्युनिसिपैलिटीके म्युनिसिपल कमिश्नरके पद पर नहीं बने रह सकते यह स्पष्ट है। असलिअे बोर्ड अध्यक्ष महोदयसे प्रार्थना करता है कि जब म्युनिसिपैलिटीकी शासन रिपोर्ट सरकारको भेजी जाय, तब उसके साथ अस प्रस्तावकी नकल भी भेज दी जाय।”

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके कार्यकालमें अेक गोरे सिविलियनके विरुद्ध अैसा कड़ा प्रस्ताव पेश होनेका शायद यह पहला ही मौका होगा। सरकारके खैरख्वाह कौंसिलरोंको तो शायद अस प्रस्तावसे अैसा लगा होगा कि आकाश टूट पड़ा है, परन्तु वे असकी अेक भी तफसीलसे अनकार नहीं कर सकते थे। फिर भी प्रस्तावको नरम बना डालनेके लिअे तीन-चार संशोधन आये। अेक संशोधन तो कागजातको दाखिल दफतर करने तकके लिअे आया। अन सब पर मत लेने पर अन्तमें सरदारका प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया।

अन मि० शिलिडीने अपने अधिकारसे बाहर जाकर कुछ खरीदियां की थीं और कुछ आर्डर दिये थे तथा कन्ट्राक्ट किये थे। अुनके बारेमें भी बोर्डकी बैठकमें प्रस्ताव पास करके अुनसे जवाब मांगा गया था। परन्तु पहला प्रस्ताव सरकारके पास पहुंचते ही अुन्हें अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीसे वापस बुला लिया गया और वे चले गये तो दूसरे प्रस्तावका काम छोड़ दिया गया।

मि० शिलिडीके जानेके बाद मि० मास्टर म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर आये। वे नरम थे और अपने काममें भी ढीले थे। अुन्हें तो म्युनिसिपैलिटीकी नौकरीसे भरसक आर्थिक लाभ अुठा लेना था। अुन्होंने अपने वेतनके सिवाय कुछ भत्तोंकी मांग की। सरदार अुस वक्त सेनिटरी कमेटीके चेयरमैन थे। सरदारके पास ये कागज आये तो अुन्होंने दबाकर रख लिये। अेक दिन मि० मास्टरने मेनेजिंग कमेटीके चेयरमैन रावसाहब हरिलालभाओसे पूछा कि मेरे कागजातका क्या हुआ ? मुझे नुकसान होता है असलिअे अुनका निपटारा जल्दी हो जाना जरूरी है। साथ ही अितना और कह दिया कि मेरी मांगके अनुसार भत्ते न मिल सकते हों, तो मैं यहां रहनेके लिअे तैयार नहीं हूं। हरिलालभाओने यह बताकर

कि वे कागजात सेनिटरी कमेटीके पास हैं तुरन्त मि० मास्टरके रूबरू ही बुनकी कही हुआ सारी बातें सरदारसे कह दीं। सरदारने साफ-साफ सुना दिया कि “सरकारने बेतन बगैरा निश्चित करके बुनकी नियुक्ति करके यहां भेजा है। बुन्हें पुसाता हो तो रहें और जाना हो तो चले जायें।” मि० मास्टर यह सुनकर चुप हो गये। फिर थोड़े समय बाद चले गये।

अिन दिनों अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैट नामक व्यक्ति थे। अुनका विशेष परिचय हमें खेड़ा सत्याग्रहकी लड़ाजीके अध्यायमें होगा। वे होशियार माने जाते थे, परन्तु अिसके साथ ही अुनमें नौकरशाही ढंगका रोबदाब भी अुतना ही था। वे चाहते थे कि अपने विभागकी सारी म्युनिसिपैलिटियों और लोकल-बोर्डों पर अुनका नियंत्रण रहे। अुनके मनमें तो शायद यह भी होगा कि अिसी तरह सब जगह कार्यदक्षता कायम रहेगी। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें म्युनिसिपल कमिश्नर तो गोरा सिविलियन था ही। अिनकी कोशिश थी कि म्युनिसिपल अिजीनियर और हेल्थअफसर भी गोरे लाये जायें।

अितनेमें अहमदाबादमें म्युनिसिपल अिजीनियरकी जगह खाली हुआ। अुसके लिअे दो भारतीय अुम्मीदवार थे और वे पूरी योग्यतावाले थे। फिर भी प्रैट साहबने मेकासे नामके अेक गोरेको अुम्मीदवारके तौर पर खड़ा किया और अुसके लिअे काफी प्रयत्न करने लगे। सरकार द्वारा मनोनीत कौंसिलरों पर अुन्होंने चिट्ठियां भी लिखीं। अुनके अिन विचारोंकी जानकारी होनेसे पहले अेक डिप्टी कलेक्टरने अेक हिन्दुस्तानी अुम्मीदवारके लिअे किसी म्युनिसिपल कौंसिलरको पत्र लिख दिया था। अिसका पता चलने पर प्रैट साहब अुस डिप्टी कलेक्टर पर बड़े नाराज हो गये और अुसका तबादला अहमदाबादसे खेड़ा करवा दिया। यह मेकासे रेलवेमें अिन्जीनियरकी हैसियतसे काम कर चुका था। परन्तु जानकारी और अनुभवकी दृष्टिसे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका अिजीनियर बननेके लिअे गोरी चमड़ीके सिवाय अुसमें और कोअी योग्यता नही थी। दोनों भारतीय अनुभव और जानकारीमें अुससे कही बढ़कर थे, फिर भी १९ विरुद्ध २० मतोंसे मेकासे अिजीनियर नियुक्त किया गया। अुस समयके राजनैतिक क्षेत्रमें काम करनेवाले भी अंग्रेज अधिकारियोंके रोबमें कैसे आ जाते थे, अिसका अेक अुदाहरण अिस प्रकरणमें देखनेको मिलता है। मेकासेके पक्षमें राय देनेवालोंमें अहमदाबादमें १९०२ में कांग्रेसका जो अधिवेशन हुआ था, अुसकी स्वागत-समितिके अेक मंत्री और अिस घटनाके समय भी गुजरातकी मुख्य राजनैतिक संस्था गुजरात सभाके मंत्री डॉक्टर जोजेफ बेन्जामिन थे। दोनों तरफ लगभग समान मत आये थे, अिसलिअे यों कहा जा सकता है कि अुनके अेक मतसे

ही अुस आदमीका चुनाव हो सका। असलिये सब डॉक्टर जोजेफ बेन्जामिन पर बड़े नाराज हुअे।

मेकासेकी नियुक्तिसे म्युनिसिपैलिटीमें बड़ा असन्तोष पैदा हो गया। वह अपने काममें होशियार होता, तो कठिनायियां खड़ी न होतीं और कोअी झगड़ा भी न होता। परन्तु वह बिलकुल निकम्मा आदमी था। अिसी बीच शहरमें पानीकी कमीका बहुत शोर मचने लगा। शहरके अूचे स्थानों पर तो, अुदाहरणस्वरूप ढालकी पोलमें, दिनमें पानी बिलकुल पहुंचता ही नहीं था। रातको भी बहुत थोड़ा आता था। अिसलिये शहरमें बड़ी खलबली मच गयी। गुजरात सभाकी तरफसे गांधीजीकी अध्यक्षतामें शहरियोंकी अेक सभा हुअी। अुसमें जो प्रस्ताव हुअा, अुसकी नकल म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष और कलेक्टर तथा कमिश्नर तीनोंके पास भेज दी गयी।

कमिश्नरने गुजरात सभाके मंत्रियोंसे मिलनेकी अिच्छा प्रगट की। अुसका अिरादा अुन पर अपना रोब जमा देनेका था। सभाके मंत्रियोंकी हैसियतसे श्री शिवाभाभी मोतीभाभी पटेल और दादासाहब मावलंकर अुनसे मिलने गये। कमिश्नर साहबने अपना गुस्सा अुगलना शुरू किया : “आपने यह पत्र मुझे क्यों भेजा ? मेरा और म्युनिसिपैलिटीका क्या सम्बन्ध ?” यह कहकर डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्ट अुनके सामने रख दिया।

शिवाभाभीने ठंडेपनसे जवाब दिया : “You can use your good offices with the municipality. — आप म्युनिसिपैलिटी पर अपना असर काममें ला सकते हैं।”

अिससे कमिश्नर यह समझे कि यह संकेत अुन्होंने म्युनिसिपल अिजीनियरकी नियुक्तिमें जो भाग लिया अुस पर है। वे फिर बोले कि “म्युनिसिपैलिटीसे मेरा कोअी वास्ता नहीं है।”

शिवाभाभीने अुत्तर दिया : “और कुछ नहीं तो म्युनिसिपैलिटीके सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों पर तो आप असर डाल सकते हैं।”

अिस पर वे खूब बिगड़। म्युनिसिपल अेक्ट सामने रखकर गुस्सेमें बोले : “The Act speaks of ‘the Municipality’. It makes no distinction between the elected and nominated sections of the municipality. If you have any grievance go to the Municipal Hall. Don't let the municipal committee have peace till you get what you want. Beat drums there.

If you still do not get water, go to their houses and burn them — कानूनमें म्युनिसिपैलिटी शब्द है। इसमें चुने हुए म्युनिसिपल अंग और मनोनीत म्युनिसिपल अंगका कोई भेद नहीं किया गया है। इसलिये आपको कुछ भी शिकायत हो, तो म्युनिसिपल ाँलमें जाइये और आप जो चाहते हैं सो न मिले तब तक म्युनिसिपल कमेटीको चैन न लेने दीजिये। वहां ढोल पीटिये। अतने पर भी पानी न मिले तो मेम्बरोंके घर जाइये और उनके घरोंमें आग लगा दीजिये।”

मुलाकात इस तरह पूरी हुई। मंत्रियोंने घर आकर अपने मित्रोंको सारा हाल कह सुनाया। दूसरे दिन सभाके मंत्रीकी हैसियतसे दादासाहब म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष सर रमणभाभीसे मिलने गये। उनके पास अंक तरफ रावसाहब हरिलालभाभी मेनेजिंग कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे और दूसरी तरफ सरदार सेनिटरी कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे बैठे हुए थे। दादासाहबने उनके सामने सार्वजनिक सभाका प्रस्ताव पेश किया, तब सरदारने अध्यक्षसे अंक दो सवाल पूछनेकी अनुमति लेकर दादासाहबसे पूछा :

सरदार — क्या आप कल इस सम्बन्धमें अुत्तरी विभागके कमिश्नरसे मिलने उनके बंगले पर गये थे ?

दादा — जी, हां।

सरदार — तब क्या अुन्होंने आपको कौंसिलरोंके घर जलानेकी सलाह दी थी ?

जवाबमें दादासाहबने जो कुछ हुआ सो सब कह सुनाया और यह स्पष्ट किया कि कमिश्नरने वह सलाह किस तरह दी थी। अुन्होंने यह भी कहा कि अुस सलाहका शब्दार्थ लेनेके बजाय यह समझना चाहिये कि वह अंक आलंकारिक भाषा थी। इस तरह दादासाहबकी मुलाकात पूरी हुई।

म्युनिसिपैलिटीमें होनेवाले तमाम हालचालसे मि० प्रैट वाकिफ रहते थे। इसलिये इस मुलाकातकी खबर भी अुन्हें लगी होगी। उनके लिये मेकासेको कायम रखने और अुसकी योग्यता साबित करनेका यह नाजुक मौका था। इसलिये अुन्होंने बम्बई सरकारसे लिखा-पढी करके यह प्रबन्ध किया कि सरकारके सलाहकार इंजीनियर मि० डायर अहमदाबाद आकर पानीकी स्थितिकी जांच कर जायं। आठ दिनमें ये सलाहकार इंजीनियर अहमदाबाद आये और म्युनिसिपल इंजीनियरसे मिलकर शहरके अलग अलग स्थानोंको देखनेका कार्यक्रम बनाया। सेनिटरी कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे साथ घूमनेके लिये सरदारको निमंत्रित किया गया। इस मामलेसे मि० प्रैटको कुछ लेना-देना नहीं था और यह मंडली शहरमें जगह-जगह फिरे तब अुनके मौजूद रहनेकी भी जरूरत नहीं थी।



फिर भी ये मंडलीमें शरीक हो गये। अंचीसे अंची जगह ढालकी पोल थी। जिसलिये पहले वहां गये। क्या हो सकता है? पानीकी व्यवस्था किस तरह करनी चाहिये? वगैरा चर्चा हुआ। कुछ न कुछ सूचना करनेके अदृश्यसे सरदार बोले : "The best way to meet the situation to my mind is — परिस्थितिका सामना करनेका अुत्तम अुपाय मेरे खयालसे यह है कि ..."

सरदारको वाक्य पूरा भी न करने देकर अन्दरसे जलते हुए मि० प्रैट अुबल पड़े : "The best way, Mr. Patel, is for your committee to co-operate with the Municipal Engineer, and not to — मि० पटेल अुत्तम अुपाय तो यह है कि आपकी कमेटी म्युनिसिपल अिजीनियरके साथ सहयोग करे और....।"

सरदार जिस अधिकारीकी अैसी मनमानी सह लेनेको तैयार नहीं थे, जिसलिये अुसे वाक्य पूरा करने दिये बगैर अुन्होंने गर्जना की : "The best way is to dispense with the services of this incompetent fellow (pointing at Mr. Maccassay, who was standing by), whom you have fastened on this municipality. What is it that the Municipal Engineer wanted and my committee has not done? Ask him if there be any such thing. Yet, when the secretaries of the Gujarat Sabha waited on you in deputation, you had the impertinence to advise them to burn our houses. Why burn our houses? Why not burn the bungalow of that fellow where all the mischief is centred? — अुत्तम अुपाय तो जिस (मि. मेकासे, जो पास ही खड़े थे, की तरफ अिशारा करके) नालायक आदमीको नौकरीसे निकाल देना है। आपने अिसे म्युनिसिपैलिटीके सिर पर थोप दिया है। म्युनिसिपल अिजीनियरने मेरी कमेटीसे क्या कहा, जो हमने नहीं किया? अैसा कुछ तो बताअिये। अिन्हींसे पूछिये कि अैसी अेक भी बात है? फिर भी जब गुजरात सभाके मंत्री आपसे मिलने गये, तब आपने अुन्हें यह सलाह देनेकी धृष्टता की कि जाकर हमारे घर फूंक दें! हमारे घर क्यों जलाने चाहिये? जिस सारे फसादकी जड़ तो यह आदमी है। जिसका बंगला जलाना चाहिये!"

प्रेट — मि० पटेल, मि० पटेल, आप बात करनेकी मनःस्थितिमें नहीं हैं.....

सरदार — किस तरह हो सकता हूँ ?

बात यहीं रुक गयी। मि० प्रैट, मि० मेकासे और मि० डायर वगैरा मंडली जल्दीसे अपनी-अपनी गाड़ीमें बैठकर वहांसे भाग गयी। शहरमें सब जगह घूमनेका कार्यक्रम हवामें अड गया। अणुका पानीका दुःख दूर करने अितने बड़े साहब आये थे, अिसलिये वहां लोगोंकी बड़ी भीड़ जमा हो गयी थी। सरदारने ऐसा धड़ाका किया, जिसे देखकर सबको बड़ा मजा आया। अिस घटनाके थोड़े ही दिन बाद मेकासे अिस्तीफा देकर चल दिया। प्रैट साहबने ही अुसे समय रहते चले जानेकी सलाह दी होगी।

अिस मेकासेकी नियुक्तिके बारेमें दीवानी अदालतमें दावा भी हुआ था। कर-दाताओंकी हैसियतसे डॉ० कानूगा और पुरुषोत्तमदास गज्जर दो मुद्दी थे। परन्तु मेकासे चला गया, तो दावा आगे चलानेका कोअी कारण नहीं रहा।

बादमें सरदारने अेक और प्रश्न हाथमें लिया। म्युनिसिपैलिटीके तमाम कर कुछ मनुष्योंसे पूरी तरह वसूल नहीं होते थे। म्युनिसिपैलिटीकी सेवाओंका लाभ लेनेमें आगे रहनेवाले परन्तु अुसके कर चुकानेमें मुट्ठी बन्द कर लेनेवाले और आपत्तियां अुठानेवाले लोगोंमें कुछ सरकारी कर्मचारी, कुछ सार्वजनिक संस्थाअें और कुछ प्रमुख माने जानेवाले नागरिक थे। सरदारने पुराने कागजातकी जांच-पड़ताल करके ये सब बातें खोज निकालीं और जनरल बोर्डकी बैठकमें अध्यक्षसे अिस बारेमें सवाल पूछकर अुन लोगोंकी मनमानीका भंडाफोड़ किया। अुनके नाम, पते, कितने बरससे वे कर नहीं चुकाते और अुन पर कितनी रकम बाकी है, ये सब बातें प्रकाशमें लाये। अेक सज्जन तो सरकारी पेन्शनर, खान बहादुरकी पदवीवाले और ऑनरेरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट थे। साथ ही जिस समयका कर नहीं चुकाया था, अुस सारे अरसेमें वे म्युनिसिपल मजिस्ट्रेटके तौर पर काम करते थे। अिसलिये जिला मजिस्ट्रेटसे लिखा-पढ़ी करके अुन्हें म्युनिसिपल मजिस्ट्रेटके पदसे हटा देनेकी प्रार्थना करने, अुन पर वारन्ट निकालने और अन्तमें अुनके पानीके नल काट डालनेकी सूचनाअें देकर अुनसे सारी बाकी रकम वसूल कर ली।

अिस वक्त वाटर वर्क्सका अिजीनियर अेक वाड़िया नामक व्यक्ति था, जो म्युनिसिपैलिटीके सिर पड़ा हुआ था। शहरमें पानीकी कमीकी बड़ी शिकायत थी और वाटर वर्क्सके अुस समयके कुओंमें पानीकी काफी मात्रा नहीं थी। अिसलिये कुओंसे पानी खींचने और शहरमें पानी वितरण करनेके दोनों काम सावधानी रखकर खबरदारीके साथ किये जायं, तो ही लोगोंको कुछ भी संतोष दिया

जा सके, ऐसी स्थिति थी। परन्तु यह वाड़िया इंजीनियर अपने काममें गाफिल और लापरवाह होनेके साथ ही ऐसा घाघ था कि म्युनिसिपल इंजीनियर, अध्यक्ष या विशेषज्ञोंकी हिदायतों पर ध्यान ही नहीं देता था। सरदार इस आदमीको पकड़नेकी ताकमें ही थे कि अतनेमें दो-तीन घटनाओं अकेके बाद अंक ऐसी हुआं, जिसमें उसकी अयोग्यता बिलकुल खुल गयी।

चार महीनेकी अवधिमें शहरमें दो बड़ी आग लगनेकी घटनाओं हुआं। पानीके लिये जो विशेष नल खोलने चाहियें, अन्हें खोलनेके मामलेमें गफलत की गयी, जिससे पानी बहुत देरसे मिल सका और आग बुझानेमें केवल पानी न मिलनेके कारण हो विलम्ब हुआ और इसलिये जबरदस्त नुकसान हुआ। सरदार दोनों बार आगके स्थान पर पहुंच गये थे, इसलिये पानीके बारेमें होनेवाली इस गफलतको अन्होंने आंखों देखा था। इसलिये बोर्डकी बैठकमें सवाल पूछकर वाटर वर्क्सके इंजीनियरकी लापरवाही जाहिर करायी।

साथ ही यह इंजीनियर वाटर वर्क्समें चार इंजिन होने पर भी यह कहकर कि तीनमें बहुत मरम्मतकी जरूरत है, अंक ही इंजिन चौबीसों घंटे घमधमाये रखता था। इस बारेमें भी सवाल पूछकर जनरल बोर्डके सामने यह तफसील पेश करायी कि अगर इस चौथे इंजिनमें कोअी मरम्मत करानी पड़े या किसी आकस्मिक घटनासे वह बन्द हो जाय, तो ऐसा हो सकता है कि शहरको बिलकुल पानी न मिले। म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल इंजीनियर इस बारेमें उसे समय-समय पर हिदायतें देते थे, परन्तु अुनके साथ वह बिलकुल सहयोग नहीं करता था और हिदायतोंके कागजात दबा लेता था।

इस इंजिनके चौबीसों घंटे लगातार चलनेसे शहरमें रातको जिस समय पानी काममें कम आता हो, उस समय हीज भरकर छलकता रहता और कुओंमें पानीकी मात्रा कम होने पर भी रोज पांच छः लाख गैलन पानीका बिगाड़ होता था। इस बारेमें म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल इंजीनियरकी रिपोर्ट यह थी कि हम दोनोंने पानीका बिगाड़ रोकनेकी मि० वाड़ियाको लिखित सूचनाओं दी हैं, परन्तु अुनका कोअी परिणाम नहीं निकला। म्युनिसिपल इंजीनियरका कहना यह था कि हीजमेंसे अधिक पानी तो रातके अंकसे पांच बजेके बीचमें छलक जाता था। उस समय इंजिनकी गति धीमी कर दी जाय या इंजिन थोड़े समय बिलकुल बन्द रखा जाय तो पानी न छलके।

इसका स्पष्टीकरण वाड़ियाने यह किया कि “इंजिनकी मौजूदा स्थितिको देखते हुए उसकी गति बीच-बीचमें धीमी करना संभव नहीं और

शहरको जब कम पानी दिया जाता है, उस समय खर्चके हिसाबसे ही पानी पम्प करनेकी व्यवस्था करना भी संभव नहीं है।”

एक बार पांचकुआ दरवाजेके बाहर शक्कर बाजारमें आग लगी थी, सब भी इसी अिजीनियरने गैरजरूरी वाल्व खोलकर पानीका जबरदस्त नुकसान किया था । इस बारेमें म्युनिसिपल कमिश्नरने उसे चेतावनी दी थी । उस चेतावनीके कागजको उसने खो दिया या जानबूझकर नष्ट कर दिया, यह हकीकत सरदारने बोर्डमें सवाल पूछकर प्रगट करायी । इस अिजीनियरकी अयोग्यताके अितने दृष्टान्त प्रगट करके उसका मामला सरदार जनरल बोर्डमें लाये और तारीख १९-५-’१९ की बैठकमें प्रस्ताव पेश किया कि वाड़िया अिजीनियरको तुरन्त मुअ्तिल किया जाय, म्युनिसिपल कमिश्नरसे अनुरोध किया जाय कि वह उससे जवाब तलब करे कि उसे अलग क्यों न कर दिया जाय, और पन्द्रह दिनके भीतर यह स्पष्टीकरण सेनिटरी कमेटीकी रिपोर्टके साथ बोर्डके सामने पेश किया जाय । म्युनिसिपल कमिश्नरसे यह भी अनुरोध किया जाय कि वह वाटर वर्क्सको योग्य अिजीनियरके चार्जमें रखनेकी जल्दी व्यवस्था करे ।

अिस अिजीनियरके विरुद्ध मामला अितना स्पष्ट था और उसकी लापरवाही और जिद्दीपनके कारण म्युनिसिपैलिटी और शहरको जो भारी नुकसान हो रहा था, उसके निश्चित प्रमाण बोर्डके सामने उपस्थित हो चुके थे, फिर भी ‘अुससे जवाब मांगा जाय’, ‘अुसके अपरी अफसरसे रिपोर्ट मांगी जाय’ अिस तरहके संशोधन लाकर बातको ढिलाअीमें डालनेके प्रयत्न कुछ कौंसिलरोंने किये । परन्तु अन्तमें सरदारका प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया । अुसकी अयोग्यताके बारेमें किसीके मनमें जरा भी शक नहीं रह सकता था, फिर भी बहुतसे सवाल पूछ-पूछ कर बोर्डके सामने काफी तफसील पेश करानेके बाद ही और चूकि यह शास्त्रीय विषय माना जाता था अिसलिअे अुस पर विशेषज्ञोंका समर्थन प्राप्त करनेके बाद ही वे अपना प्रस्ताव लाये । अिससे अुनकी लोकतंत्रीय ढंगसे काम करनेकी चतुराअी प्रगट होती है ।

म्युनिसिपैलिटीकी सफाअीके काममें अेक महत्त्वका अुल्लेखनीय प्रकरण कैम्पके अिलाकेमें पानी मुहैया करनेका था । वहां फौजी छावनी थी और अधिकांश बड़े-बड़े सरकारी अफसर और अुनमें भी मुख्यतः गोरे अधिकारी वहां रहते थे । अुस अिलाकेमें म्युनिसिपैलिटीके वाटर वर्क्ससे पानी दिया जाता था, परन्तु अुस पानीकी दर शहरसे बहुत ही कम थी । सरदार सेनिटरी कमेटीके मारफत जनरल बोर्डमें प्रस्ताव लाये कि छावनीके अधिकारियोंको बता दिया जाय कि अुनसे प्रारम्भिक खर्च और चालू खर्च शहरके हिसाबसे लिया जायगा । छावनीवालोंकी दलील यह थी कि तय की हुअी दरसे हमें पानी देनेके लिअे

म्युनिसिपैलिटी अिकरारनामेसे बंधी हुआ है। यह मामला बहुत लम्बा चला और बीचमें म्युनिसिपैलिटी मुअत्तिल रही। असलिअे अस प्रश्नका निपटारा बादमें १९२४ में हुआ, जब सरदार म्युनिसिपैलिटीमें गये। असका सारा हाल अुस समयके म्युनिसिपल प्रकरणमें दिया गया है।

अिसी तरहका अेक लम्बा प्रकरण वाटर वर्क्सके लिअे अिअिनकी खरीदीका था। वाटर वर्क्सके लिअे अिअिनकी जरूरत थी यह बात सच है। परन्तु किस प्रकारका और कितने हाँस पावरका अिअिन चाहिये, अस बारेमें म्युनिसिपैलिटीके अधिकारियों, सेनटरी कमेटी या जनरल बोर्डसे कुछ भी पूछे-ताछे बिना सरकारने अपने अिअीनियरोंकी ही राय लेकर अिअिनका आर्डर दे दिया। सरदारने देखा कि अहमदाबादके वाटर वर्क्सको चाहिये, अुससे यह अिअिन बहुत ज्यादा बड़ा है। असलिअे अुन्होंने सरकारको लिखा कि आप आर्डर रद्द कराअिये, नहीं तो हम अस अिअिनको नहीं लेंगे। अस सवालका निपटारा भी सन् १९२४ के बाद ही, जब सरदार म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष थे, हुआ। अन्तमें वह अिअिन अुसकी कीमत और सारा खर्च देकर सरकारको लेना पड़ा था।

## म्युनिसिपैलिटीमें रचनाकार्यका आरम्भ

सन् १९१९ के फरवरी मासमें म्युनिसिपल बोर्डका त्रैवार्षिक चुनाव हुआ। अस बोर्डमें कुछ नया खून म्युनिसिपैलिटीमें प्रविष्ट हुआ और सरदारका दल कुल मिलाकर सबल हुआ। पुराने बोर्डमें उनका खास तौर पर कोअी दल नहीं था, फिर भी अपनी होशियारी और मेहनतसे और शहर तथा म्युनिसिपैलिटीके भलेकी दृष्टिसे अपने कामके अुपयोगीपन और न्यायपरायणतासे वे ज्यादातर कामोंमें बहुमत प्राप्त कर सकते थे। अिसीलिअे वे बड़ी जरूरी सफाअी कर सके थे। जब यह नया बोर्ड चुना गया, अुस समय रौलट बिलके विरुद्ध आन्दोलनके कारण देशका राजनैतिक वातावरण क्षुब्ध था। फिर भी म्युनिसिपैलिटीमें उनका जो दल बना था, वह राजनैतिक अुद्देश्य ध्यानमें रखकर नहीं बना था। अुसका अुद्देश्य यही था कि जोश, लगन और निर्भयतापूर्वक लोकहितके काम किये जायं और हमारा शासन हम अपने आप ही कर सकें, अिसकी तालीम और शक्ति प्राप्त की जाय। सन् १९१५ के शुरूमें गांधीजी हिन्दुस्तानमें आये और अप्रैल महीनेसे अहमदाबादको अुन्होंने अपना निवास-स्थान बनाया। तबसे देशके सार्वजनिक जीवन पर उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। परन्तु सरदार लगभग ढाअी वर्ष तक उनसे दूर रहे। उनके प्रभावमें तो नवम्बर १९१७ में जब गोधरामें पहली गुजरात राजनैतिक परिषद गांधीजीकी अध्यक्षतामें हुअी। तबसे आये अैसा समझना चाहिये। अुस परिषदमें गांधीजीने कहा था कि हमारे अपने गांवोंका स्वराज अगर हम दक्षता, प्रामाणिकता और न्यायपूर्वक न चला सकें, तो देशके स्वराजकी अंग्रेजोंसे मांग करनेका कोअी अर्थ नहीं। यही दृष्टिकोण अिस नये चुनावमें जीतकर जो लोग सरदारके साथी बने उनका था। सन् १९२० के अुत्तरार्धसे स्वतंत्रता-प्राप्तिके लिअे असहयोगका जो समस्त देशव्यापी आन्दोलन गांधीजीने शुरू किया, अुसे केवल अेक राजनैतिक मामला समझना हो, तो सरदार और उनके साथियोंने अुससे प्रेरित होकर म्युनिसिपल स्कूलोंके लिअे जो सरकारी सहायता और सरकारी नियंत्रण हटा दिया, अुसके लिअे यह कहा जा सकता है कि अुन्होंने म्युनिसिपल शासनमें राजनैतिक तत्त्व प्रविष्ट किया। हां, सरकारी अंकुश हटा देनेमें हमारे बच्चोंकी शिक्षाको हमारे देशकी परिस्थितिके अनुकूल बनानेका अेक अुद्देश्य जरूर था। साथ ही म्युनिसिपैलिटीकी यह लड़ाअी अुन्होंने कानूनकी सीमामें रहकर अिस ढंगसे की थी कि राजनैतिक

मामलोंमें न पड़नेवाले और असहयोगी तो हरगिज न कहे जा सकनेवाले कौंसिलरोंने भी अच्छी तादादमें अुसमें साथ दिया था । ये सब तफसीलें तो इसी विषयके अलग प्रकरणमें आयेंगी ।

जैसे म्युनिसिपैलिटीकी दृष्टिसे शहरकी हालत सुधारनेके लिये म्युनिसिपैलिटीके कारबारमें सफाओी करना जरूरी था, वैसे ही कुछ रचना-कार्य भी तेजीसे हाथमें लेनेकी आवश्यकता थी । प्रवेश करते ही सरदारने देख लिया कि जब तक शहरकी पानी और नालियोंकी व्यवस्था अच्छी तरह नहीं सुधारी जायगी, तब तक शहरके लोगोंकी दिक्कतें और असंतोष दूर नहीं किये जा सकेंगे । अितना ही नहीं, काफी पानीके बिना कितने ही जरूरी नये काम भी शुरू नहीं किये जा सकते । जबसे अहमदशाह बादशाहने अहमदाबादकी स्थापना की, तभीसे यह शहर अुद्योग-धंधे और कारीगरी दोनोंका बड़ा केन्द्र रहा है और अुसकी आबादी बढ़ती ही रही है । मुगलोंके पतनके बाद दूसरे स्थानोंकी तरह अहमदाबादमें भी थोड़ी बहुत अराजकता रही थी, परन्तु अंग्रेजी राज्यके स्थिर होते ही फिर अुसकी कला, अुद्योग तथा आबादी बढ़ते रहे हैं । १८९१ में अहमदाबादमें वाटर वर्क्सकी जो रचना हुओी, वह अुस समयकी जनसंख्याके हिसाबसे की गओी थी । परन्तु अुसके बाद थोड़े ही वर्षोंमें वह वाटर वर्क्स बहुत ही छोटा पड़ने लगा । अुसे बढ़ानेके आधे-दूधे अुपाय करके काम चलाया जाने लगा, परन्तु सरकारी इंजीनियरों और विशेषज्ञोंको लगा कि अैसे छुटपुट अुपायोंसे काम नहीं चलेगा । पानीकी मात्रा बढ़ानी हो तो नदी पर पक्का बांध बनाकर पानी रोकना चाहिये और स्वच्छ मिलनेके लिये पानी छनकर आये, इसकी भी निश्चित योजना बनानी चाहिये । अिन लोगोंने १९११ में बम्बओी सरकारके तरफसे ही यह योजना तैयार की । अुसमें सब पहलुओंसे विचार किया गया था, इसलिये वह सर्वग्राही योजना (काम्प्रिहेंसिव स्कीम) कही जाती थी । अुसके खर्चका अन्दाज लगभग ९ लाख रुपयेंका था । परन्तु अुस पर अमल होनेसे पहले अलग-अलग निष्णातोंने अुसमें अलग-अलग सुधार सुझाये । अिस कारण खर्चका अनुमान भी बदलता रहा । अितनेमें १९१४-१८ का महायुद्ध बीचमें आ गया । इसलिये १९२० तक अुस योजना पर कोओी अमल ही नहीं हो सका था, जब कि शहरमें पानीकी पुकार तो मची ही रहती थी । कोओी कुछ अुपाय सुझाता तब वह 'सर्वग्राही योजना' सामने रख दी जाती । हरअेक चौमासेमें कहा जाता कि अैसा अितजाम हो जायगा जिससे अगले जाड़ोंमें पानीकी तंगी नहीं रहेगी । परन्तु गरमी आने पर स्थिति ज्योंकी त्यों ही रहती ।

सन् १९१९ में म्युनिसिपैलिटीके नये बोर्डके अध्यक्ष सर रमणभाभी थे और सरदार सेनिटरी कमेटीके चेयरमैन थे।

सरदारने देखा कि दस वर्ष होने आये, तो भी उस 'सर्वग्राही योजना'का कुछ परिणाम नहीं होता। पहलेके बोर्डमें भी वे सेनिटरी कमेटीके चेयरमैन थे, अिसलिये वाटर वर्क्सकी सारी परिस्थिति अुनकी जानकारीमें आ चुकी थी। अुस परसे और विशेषज्ञोंके साथ सलाह-मशविरा करके कम खर्चीली और जल्दी अमलमें लायी जा सकनेवाली योजना अुन्होंने तैयार कर ली और सेनिटरी कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे वाटर वर्क्सके सारे अितिहासके साथ विस्तृत रिपोर्टके रूपमें म्युनिसिपल बोर्डके सामने पेश कर दी। अुस रिपोर्टसे अहमदाबादके वाटर वर्क्सका अितिहास जाननेको मिलता है और सरदारकी योजना-शक्ति और योजनाको व्यावहारिक बनानेकी कुशलताकी कल्पना होती है। अिसलिये यहां अुनकी रिपोर्टका थोड़ासा सार दिया जाता है। अिसमें यांत्रिक रचनाओं सम्बन्धी शास्त्रीय तफसील छोड़ दी गयी है :

“अहमदाबाद शहरमें वाटरवर्क्सका काम १८९१ में पूरा हुआ और १८९२ में वह म्युनिसिपैलिटीको सौंप दिया गया। अुसमें लगभग ८ लाख रुपया खर्च हुआ। पानी लेनेके लिये २५ फीट व्यासके चार कुओं बनाये गये थे। और पानीके भंडारके लिये पक्का हौज बनाया गया था, जिसमें डेढ़ लाख गैलन पानी रह सकता था। सवा लाख आदमियोंकी आबादीके लिये फी आदमी १० गैलन पानीका खर्च मानकर अितना पानी तीन घंटेके खर्चके बराबर माना जायगा। चार कुओं अिस हिसाबसे रखे गये थे कि अुनसे १८०० गैलन प्रति मिनट पानी मिले और पम्प १२ घंटे चले तो तेरह लाख गैलन पानी खिंचे और १० गैलन प्रति व्यक्तिके हिसाबसे १३०००० मनुष्योंको पानी मुहैया किया जा सके। १८९८ में अहमदाबादकी आबादी लगभग डेढ़ लाख थी। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती गयी और अधिक पानीकी जरूरत होती गयी, त्यों-त्यों म्युनिसिपैलिटी और कुओं खुदवाती गयी।

“सन् १९०८ में पानीका रोजका खर्च ४६ लाख गैलन तक पहुंच गया, अिसलिये म्युनिसिपैलिटीने नये कुओं खुदवानेके सिवाय पानी देनेकी पद्धतिमें भी फेरबदल करनेका निश्चय किया। अिसके सारे खर्चका अन्दाज साढ़े तीन लाख रुपया था। अिसके अतिरिक्त अेक और योजना पर विचार किया गया, जिसके खर्चका अनुमान पौने दो लाख रुपया था।

“अिस बीच पानीका खर्च बढ़कर ५५ लाख गैलन रोज पर जा पहुंचा। शहरके परकोटेके भीतरकी आबादी बीस वर्षमें यानी १९११ में बढ़कर पौने दो लाख हो गयी और परकोटेके बाहरके मोहल्लोंकी आबादी पचास हजार हो



गयी। अिन सब लोगोको शहरके वाटरवर्क्ससे पानी देना था, अिसलिअे प्रति व्यक्ति बहुत कम पानी मिलता था। अतः १९०८ के बाद जो सुझाव आये थे अुन सबका विचार करके नअी पैदा हुअी सारी जरूरतोंको पूरा करनेके लिअे १९११ में सरकारी विशेषज्ञोंसे अेक सर्वग्राही योजना तैयार कराने का निश्चय किया गया। अिसमें यह हिसाब रखा गया था कि शहरकी आबादी ढाअी लाख मानी जाय और हर आदमीको रोज बीस गैलन पानी दिया जाय। फी मिनट ९००० गैलन पानी खीचनेकी शक्तिवालें चार अिंजिन लगानेका फैसला किया गया। अुसमें यह सुझाव भी दिया गया कि पानी छानकर शुद्ध करनेकी रचना रखी जाय। पानीका भंडार बढ़ानेके लिअे अुसमें यह भी सुझाया गया कि नदीके थोड़े भाग पर पक्का बांध बना दिया जाय।

“यह योजना सरकारने तारीख १७-१०-१३ को मंजूर की। अुसव लिअे नौ लाख रुपयेके खर्चका अन्दाज भी मंजूर किया और सरकारी अेक्जिक्यूटिव अिंजीनियरको हिदायत दे दी गअी कि योजनाके अनुसार काम पूरा कर दिया जाय।

“१९१४ के बरसातके बाद नदीका प्रवाह पश्चिमकी तरफ अधिक दूर चला गया। कुओंमें पानीकी मात्रा जल्दी-जल्दी घटने लगी। अिसलिअे जनवरी मासमें म्युनिसिपैलिटीको नदीमें से नाली खोदकर पानी पास लानेक कामचलाअू अुपाय अख्तियार करना पड़ा। पानी मिलता रहे अिसलिअे म्युनिसिपैलिटी दस हजार रुपया खर्च करके यह कामचलाअू तरकीब करती रही है।

“अुस सर्वग्राही योजनाको सरकारने मंजूर किया, अुसके बाद सरकार मेकेनिकल अिंजीनियरने और सेनिटरी अिंजीनियरने अुसमें महत्त्वपूर्ण और अधिक खर्चीले सुधार सुझाये। शहरमें पानीकी तंगी अितनी थी कि मंजूर हुअी योजनाको भरसक जल्दी पूरा करनेकी जरूरत थी फिर भी अुन सुधारोंको सुझानेके कारण अेक्जिक्यूटिव अिंजीनियरने काम मुत्तवी कर दिया।

“म्युनिसिपल चीफ अफसरने बम्बअी सरकारके सेनिटरी अिंजीनियरक पत्र लिखा कि आपके बताये हुअे सुधारके अनुसार योजना और अुसके खर्चक अन्दाज जल्दी तैयार करके दें तो अच्छा हो। अिसका अुन्होंने छोटासा और असभ्य जवाब दिया कि अहमदाबाद जैसे बड़े शहरकी म्युनिसिपैलिटीक अपना ही होशियार और योग्य अिंजीनियर रखना चाहिये, जो अैसी योजना और अुसके खर्चका अन्दाज तैयार कर सके। हम और हमारा स्टाफ कोअ

अकेले आपके कामके लिये ही नहीं बैठे हैं। इसलिये सब कुछ तैयार करनेमें हमें तो लम्बा समय लगेगा।”

तारीख १५-६-१४ को अहमदाबादके नागरिकोंकी सेठ मंगलदास गिरधर-दासकी अध्यक्षतामें प्रेमाभाभी हालमें सार्वजनिक सभा हुई। उसमें इस बातकी तरफ सरकार और म्युनिसिपैलिटीका ध्यान खींचनेवाला प्रस्ताव पास हुआ कि शहरको पीनेके पानीकी तंगी रहती है और लोगोंमें जबरदस्त असंतोष फैल गया है। यहां यह अुल्लेखनीय है कि उस समय म्युनिसिपैलिटीका जनरल बोर्ड कुव्यवस्थाके कारण मुअत्तिल था। और कामकाज सरकारकी नियुक्त की हुई कमेटी ऑफ मेनेजमेंटके हाथमें था। सार्वजनिक सभाका यह प्रस्ताव सरकारके पास भेजेते हुअे कलेक्टरने अपनी तरफसे राय दी कि ‘यह प्रश्न अितना जरूरी है कि इसका निपटारा जल्दी होना ही चाहिये। सरकारकी योजनाके अनुसार काम आगामी जाड़ोंमें शुरू कर ही देना चाहिये। इस बीच यह जरूरी है कि अगस्त या सितम्बरमें इस योजनासे सम्बन्ध रखनेवाले तमाम विशेषज्ञोंकी अेक बैठक अहमदाबादमें रखी जाय और उसमें सब कुछ तय कर डाला जाय। नहीं तो आगामी गरमियोंमें यह स्थिति भुगतनी पड़ेगी कि कुअें आधे खाली होंगे, अिजिन बेकार, पाअिप आधे ही भरे हुअे और शिकायतोंकी वर्षा होगी।’ अन्तमें सुझाये गये सुधारके अनुसार योजना बदल दी गयी। उसके खर्चका संशोधित बजट १२ लाख रुपयेका बना, परन्तु काम कुछ नहीं हुआ। हर साल इस तरहके वादे किये जाते कि बरसातके बाद काम शुरू करेंगे और गरमियोंमें पानीकी पुकार नहीं रहेगी।

१९१७ में गुजरात सभा द्वारा बुलायी गयी नागरिकोंकी सार्वजनिक सभा और गुजरात सभाके मंत्रियोंके साथ कमिश्नर मि० प्रेंटके बरतावका हाल छठे प्रकरणमें आ जाता है, इसलिये अुसे दोहराया नहीं गया है। यहां यह अुल्लेखनीय है कि कैंपको पानी देनेकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियोंने अैसी करा दी थी कि वहांके लोगोंको चौबीसों घंटे पानी मिले।

अितना पूर्व अितिहास देनेके बाद सरदार अपनी रिपोर्टमें बताते हैं कि पानीकी जरूरत कितनी थी और अुसे पूरा करनेके लिये क्या करना चाहिये।

फ्री आदमी पानीका दैनिक खर्च कमसे कम तीस गैलन और आबादी कमसे कम तीन लाख मानकर अुन्होंने यह हिसाब लगाया कि हर रोज नब्बे लाख गैलन पानीकी जरूरत रहेगी। उस वक्त जितने कुअें थे, वे पचास लाख गैलनसे अधिक पानी नहीं दे सकते थे; और वह सर्वग्राही योजना पूरी तरह अमलमें लायी जाय, तब भी साठसे सत्तर लाख गैलनसे अधिक पानी

नहीं मिल सकता — यह बम्बयीके सेनिटरी इंजीनियरने अपनी राय बतायी थी। इसलिये उसने भी यह राय दी कि और पानी प्राप्त करनेका अुपाय तुरन्त तो यही है कि नदीका पानी सीधा लिया जाय।

रिपोर्टमें पानीके भंडारके साथ पानीकी सफाईका भी विचार किया गया है। लोग मानते हैं कि अहमदाबादके लिये नदीकी रेतसे कुदरती तौर पर छन कर पानी मिलता है, परन्तु यह पूरी तरह सही नहीं है। बरसातमें कुअें नदीकी बाढ़से भर जाते हैं। विशेषज्ञोंको पृथक्करण करने पर मालूम हुआ था कि बाढ़के दिनोंमें और बाढ़ अुतर जानेके बाद भी अुसका पानी जंतुओंवाला होनेके कारण पीने योग्य नहीं होता। साथ ही पानी कुदरती तौर पर छना हुआ तो तभी मिल सकता है, जब कुआं नदीके प्रवाहसे कमसे कम १५० फूट दूर हो। परन्तु कुअें जितने दूर रखे जाय अुतना ही पानी कम आता है, इसलिये कुअें नदीके प्रवाहके नजदीक रखनेके सिवाय और कोअी अुपाय नहीं था।

सरदारने खानगी निष्णातोंकी सलाह ली थी। अुनका कहना यह था कि सिर्फ कुदरती तौर पर छना हुआ पानी लेनेका विचार ही छोड़ देने योग्य है। यह पद्धति ही बहुत खर्चीली है। दवाओंसे पानी स्वच्छ रखा जायगा, तो अुसके लिये यंत्रकी कीमत लगभग २३००० रुपये होगी और दवाओं वगैराका चालू खर्च १३००० रुपये रखना पड़ेगा। इस पर सरकारके सेनिटरी इंजीनियरकी राय ली गयी, तो अुसने भी इस तरीकेको लाभदायक बताया। स्वच्छ पानी प्राप्त करनेके दूसरे तरीकोंमें दस लाख रुपयेका प्रारंभिक खर्च और सवा लाख रुपयेका चालू खर्च करना पड़ता। साथ ही अुस योजनाके अनुसार काम पूरा होनेमें कमसे कम तीन वर्ष लगते, जब कि इसमें छः सप्ताहमें सारा प्रबन्ध किया जा सकता था।

रा० सा० हरिलालभाजीने सुझाया था कि अेकदम बड़ी खर्चीली योजनाको हाथमें लेनेसे पहले कमसे कम अेक महीने तक पानीके स्थान पर ही अुसकी वैज्ञानिक जांच करायी जाय, ताकि हम करदाताओंका विश्वास संपादन कर सकें और बड़ा खर्च करना हो तो अुनका समर्थन प्राप्त कर सकें।

अिन सब हालातका विचार करके सरदारने यह सुझाव दिया कि हम बम्बयी सरकारके सेनिटरी बोर्डसे अनुरोध करें कि वह सेनिटरी बोर्डके विशेषज्ञोंको जरूरी साधनों सहित भेज दे। सरकारसे यह भी अनुरोध किया जाय कि पूना और कराची जैसी ही शतों और तरीके पर पानीकी जांच

करनेके लिये अेक स्थायी प्रयोगशाला स्थापित की जाय। अैसी लेबोरेटरीकी शहरको बड़ी जरूरत थी।

अिस प्रकार पानीकी कमी पूरी करनेके लिये कामचलाअू व्यवस्था करनेके बाद पानीका भंडार बढ़ानेके लिये आगे क्या कदम अुठाये जायं, अिस बारेमें मि० आर० सेंट जॉर्ज मूर नामके अेक निष्णातको ६००० रुपये फ्रीस देना तय करके रख लिया। क्योंकि सरकारी विशेषज्ञों पर आधार रखनेसे काम नहीं चल सकता, अिसका काफी अनुभव हो चुका था।

पानीके बाद दूसरा महत्त्वका काम शहरकी भीड़ कम करनेका था। मि० मिरेम्स नामके टाअुन प्लैनिंग अेक्सपर्टने शहरके विस्तारके लिये अेक योजना नकशे सहित बनाकर दी थी। अिस योजनामें शक्कर बाजारसे लाल दरवाजे तककी अेक रिलीफ रोड नअी बनानेका सुझाव दिया गया था, ताकि रिची रोड (वर्तमान गांधी रोड) परकी भीड़ कुछ कम हो जाय। अिस योजनाके अनुसार रास्ता बनानेमें कितने मकान कानून द्वारा लेने (अेक्वायर करने) पड़ेंगे और रास्ता बनानेमें कितना खर्च होगा, अिसके नकशे और खर्चका अन्दाज चीफ अफसर भरसक जल्दी तैयार करे, अैसा प्रस्ताव जनरल बोर्डकी ता० ८-७-२० की बैठकमें पास कराया।

अिस समय देशका राजनैतिक वायुमंडल दिन-दिन गरम होता जा रहा था। गांधीजीने देशमें असहयोगका प्रचंड आन्दोलन जगाया था और सरदार अुसमें पूरी तरह पड़ गये थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा भी अुसके कौंसिलरोंकी शक्तिके अनुसार और म्युनिसिपैलिटी अेक कानून द्वारा स्थापित संस्था होनेके कारण अुसकी मर्यादाओंमें रहकर तथा अिस ढंगसे कि शहरकी बहबूदीमें कोअी दिक्कत न आये, जितनी मदद स्वातंत्र्यकी महान लड़ाअीमें दिलाअी जा सके अुतनी दिलानेका सरदारका प्रयत्न था। फिर भी सरकारी अफसरोंको, अब तक अुनकी जो आदतें पड़ी हुअी थीं अुन्हें देखते हुअे, यह पसन्द न होना स्वाभाविक था। म्युनिसिपैलिटीसे बाहरकी सरदारकी असहयोग सम्बन्धी हलचलें भी अुन्हें खटकती ही होंगी। अेक मनुष्यके म्युनिसिपल कार्य और बाहरके राजनैतिक कार्यको निष्पक्षतासे भेद करके अलग-अलग दृष्टिसे देखनेकी अुनकी आदत नहीं थी। अिसका अेक अुदाहरण यहां दे देना काफी होगा। १९१९-२० की अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी शासन-रिपोर्ट भेजते समय अुसके साथ कलेक्टरने जो पत्र लिखा, अुसमें सरदार द्वारा अुस वर्षमें की गअी कीमती सेवाकी कद्र करना तो दूर रहा, अुलटे यह आलोचना की कि "बोर्डमें कुछ गरम खोपड़ीवाला अैसा अंश है जिसके असरसे कुछ अवसरों पर बोर्डने

विचाररहित और दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय किये हैं, जिनमें अध्यक्षका कोअी कसूर नहीं है।”

यह आलोचना किसे ध्यानमें रखकर की गयी थी यह स्पष्ट था। और सरदार भला अिसे कैसे बरदाश्त कर लेते ? अिसलिअे ता० २७-९-'२० की बोर्डकी बैठकमें वे प्रस्ताव लाये कि :

“‘साधारण आलोचनाअें’ शीर्षकसे अपने पत्रमें अहमदाबादके नये कलेक्टरने (यह ‘नये’ शब्द ध्यान देने लायक है, क्योंकि पुराना कलेक्टर तो सरदारके कामका मूल्य समझ गया होगा और यह नया अभी सरदारको भलीभांति पहचानता न होगा) अकारण जो अपमानजनक आलोचना की है, अुसके विरुद्ध यह बोर्ड सख्त अेतराज्ज करता है और आग्रह करता है कि अुसे यह आलोचना वापस ले लेनी चाहिये।

“जब तक ये आलोचनाअें वापस नहीं ली जातीं, तब तक बोर्ड रिपोर्ट पर विचार करनेसे अिनकार करता है।

“अिस प्रस्तावकी नकल सरकारको भेज दी जाय।”

अिस प्रस्तावके तथ्योंसे तो अिनकार नहीं किया जा सकता था, फिर भी अुसे नरम बनानेके लिअे अुस पर संशोधन लानेवाले लोग तो बोर्डमें मौजूद ही थे। अन्तमें सरदारका प्रस्ताव भारी बहुमतसे पास हुआ।

असहयोगकी लड़ाअीमें म्युनिसिपैलिटीसे सरदारने जो हाथ बंटवाया, अुसकी पूरी बातें अलग अध्यायमें देना ठीक होगा। परन्तु अुस पर आनेसे पहले राजनैतिक क्षेत्रमें सरदारके प्रवेश और असहयोगकी लड़ाअी तककी अुनकी हलचलोंका वर्णन कर देना चाहिये।

## गुजरात सभा

अस समय गुजरातका तमाम राजनैतिक काम गुजरात सभा करती थी। यह संस्था सन् १८८४ में स्थापित हुआ थी और सारे गुजरातके राजनैतिक प्रश्नोंमें रस लेती थी। वह राजनैतिक दृष्टिसे शिकायत करने लायक या अंतराज करने योग्य प्रश्नों पर पुरानी नरम विचारसरणीके अनुसार सरकारको अर्जियां देकर जनताकी अड़चनें और कठिनाइयां सरकारको जतलाती थी। अहमदाबादके दो प्रसिद्ध वकील श्री गोविन्दराव अप्पाजी पाटील और श्री शिवाभाजी मोतीभाजी पटेल तथा अेक डॉक्टर श्री जोसेफ बेन्जामिन - अिन तीनों सज्जनोंने बहुत वर्षों तक अुसके मंत्रीके रूपमें काम किया । अहमदाबादमें सन् १९०२ में कांग्रेसका जो अठारहवां अधिवेशन हुआ था, अुसका श्रेय भी अिस गुजरात सभाके प्रयत्नोंको ही था और अुसके मंत्रियोंमें से श्री गोविन्दराव पाटील स्वागत-समितिके प्रधान मंत्री और दूसरे साधारण मंत्री चुने गये थे। सन् १९१६ में अहमदाबादमें कायदे-आजम जिन्नाकी अध्यक्षतामें बम्बअी प्रांतीय राजनैतिक परिषदका जो अधिवेशन हुआ, अुसकी तैयारियां भी अिस सभा द्वारा ही शुरू हुआ थीं। अुस समय कायदे-आजम जिन्ना कट्टर कांग्रेसी नेता थे, हिन्दू-मुस्लिम अेकताके जबरदस्त हिमायती थे और यह कोशिश करनेमें अगुआ थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अेक दूसरेके साथ मिल-जुलकर देशकी राजनैतिक नौकाको चलायें । १९१५ में दोनों संस्थाओंके बीच अेकता कराकर दोनोंके अधिवेशन साथ-साथ बम्बअीमें करानेमें वे सफल हुआे थे। अहमदाबादकी यह परिषद अेक और प्रकारसे भी बड़े महत्त्वकी थी । १९०७ की सूरतकी कांग्रेसकी फूटके बाद तिलक महाराजके नेतृत्वमें गरम दल कांग्रेससे अलग हो गया था। परन्तु १९१५ में नरम दलके दो बड़े नेता फिरोजशाह मेहता और गोखलेजीके गुजर जानेके बाद तिलक महाराजके दलका कांग्रेसके साथ समझौता हो गया और अहमदाबादकी परिषदमें बहुत वर्षोंके बाद नरम दल और गरम दलके नेता अेक ही मंच पर अिकट्टे हुआे । अिस परिषदमें बम्बअी प्रांतके नरम दलके नेता सर चिमनलाल सेतलवाड़ और गोकुलदास कहानदास पारेख वगैरा अुपस्थित हुआे थे और गरम दलके नेता

तिलक महाराज और श्री केलकर वगैरा भी आये थे । तिलक महाराजके आगमनके सम्बन्धमें अेक अुल्लेखनीय घटना हुी। अहमदाबादके सारे युवकवर्गमें तिलक महाराजका जबरदस्त सार्वजनिक स्वागत करने और स्टेशन परसे अुनकी ठहरनेकी जगह पर जुलूसमें ले जानेके लिअे बड़ा अुत्साह था । परन्तु परिषदकी स्वागत-समिति, जो मुख्यतः नरम विचारके सदस्योंकी बनी हुी थी, अैसा कुछ करना नहीं चाहती थी । किसीने, बहुत करके डॉक्टर हरिप्रसादने, यह बात गांधीजीसे कही । गांधीजीको नौजवानोंकी यह मांग सच्ची लगी कि लोकमान्यका स्वागत तो अहमदाबादको शोभा देनेवाला बड़ा ही शानदार होना चाहिये । अुन्होंने स्वागत-समितिके पास न जाकर अपने नामसे ही परचा निकाला और तिलक महाराजके सम्मानमें शहरको सजाने और स्टेशन पर अुनका भव्य स्वागत करने तथा जुलूसमें भाग लेनेकी अहमदाबादके शहरियोंसे अपील की । अुसके परिणामस्वरूप स्टेशन पर तिलक महाराजका शानदार स्वागत हुआ और अितना बड़ा जुलूस निकला जो पहले अहमदाबादमें कभी नहीं निकला था । अिसके सिवाय श्री श्रीनिवास शास्त्री भी, जो गोखलेजीकी मृत्युके बाद भारत सेवक समाजके अध्यक्ष बनाये गये थे, परिषदमें आये । गांधीजी अहमदाबादमें आश्रम स्थापित करके रह रहे थे, अिसलिअे स्वाभाविक तौर पर ही वे परिषदमें पूरी तरह भाग लेते थे । साथ ही अुस समय मिसेज्र अेनी बेसैंटको सरकारने नजर-बन्द कर दिया था और बम्बअीके होमरूल लीगवाले अुन्हें छुड़ानेके लिअे कोअी सीधी कार्रवाअी करनेका विचार कर रहे थे तथा अुसमें गांधीजीका नेतृत्व प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे थे । वे सब भी परिषदमें आये थे । अिसके सिवाय अुगते हुअे नेताओंमें श्री विट्ठलभाअी पटेल मुख्य थे । अिस प्रकार अहमदाबादकी प्रांतीय परिषद बड़े अुत्साहपूर्ण और कुछ गरम वातावरणमें हुी थी । सरदार अहमदाबादमें ही रहते थे और अिस परिषदमें श्री विट्ठलभाअीके साथ अुपस्थित होते थे । परन्तु परिषदमें सब कुछ देखते रहनेके अलावा अुन्होंने और कोअी भाग नहीं लिया था । मुफस्सिल शहरोंकी म्युनिसिपैलिटियोंमें सरकारने सिविलियन अफसरको म्युनिसिपल कमिश्नरके तौर पर मुकर्रर करनेकी जो प्रथा शुरू की थी, अुसका विरोध करनेवाला अेक प्रस्ताव अिस परिषदमें पास किया गया था । अुसमें भी सरदारने भाग नहीं लिया था । अुन्होंने तो विट्ठलभाअीके साथ कामका बंटवारा कर लिया था कि वे कुटुम्ब-सेवा करें और विट्ठलभाअी देशसेवा करें । परन्तु यह कारण तो अूपरी

था। सही बात यह थी कि नरम दलवाले सरकारको अजियां देते और गरम दलवाले लोगोंके सामने तेज तमतमाते हुए भाषण करते। परन्तु सरकार जनताकी बात न माने, तो दोनोंमें से अेकके पास भी अिसका कोअी कार्यक्रम नहीं था कि प्रतिकार किस तरह किया जाय। अुस समयकी प्रचलित प्रार्थनापत्र देनेवाली या व्यर्थ गाल बजानेवाली राजनीतिमें सरदारको ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। यह चीज अुन्हें ज़रा भी आकर्षित नहीं कर सकती थी। फिर भी अहमदाबादकी अिस परिषदके हो जानेके बाद जब मित्रोंने अुनसे आग्रह करना शुरू किया कि सिविलियन म्युनिसिपल कमिश्नरको काबूमें रखनेके लिये म्युनिसिपल बोर्डमें अुसका दृढ़तापूर्वक विरोध करनेकी शक्ति रखनेवाले कौंसिलरोंकी जरूरत है और आपको और किसी बातके लिये नहीं, तो खास तौर पर अिसीके लिये म्युनिसिपैलिटीमें आना चाहिये, तब अुनकी रगोंमें बसी हुअी योद्धावृत्तिके कारण सहज ही प्राप्त होनेवाले सार्वजनिक हकोंकी रक्षाके युद्धप्रसंगसे वे अिनकार नहीं कर सके और म्युनिसिपैलिटीमें गये। अलबत्ता, साथ ही यह भी कहना चाहिये कि म्युनिसिपल कार्य अुनके स्वभावमें ही है। केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि अपने आसपासके सारे क्षेत्रकी स्वच्छता और सुघड़ताका विचार करना और अुसकी रक्षाकी भारी चिन्ता रखना अुनके रग-रगमें है। सफाअीकी लगन अुनके सारे परिवारमें वंश-परम्परासे आअी हुअी जान पड़ती है। अिसलिये म्युनिसिपल कार्य अुन्होंने अुत्साहसे हाथमें लिया और अुसे सुशोभित किया। राजनैतिक कामके लिये अुन्हें प्रेरणा मिलने और दर्शन होनेमें अभी देर थी। अुनकी योद्धावृत्तिको पूरा मौका मिले, अैसा रास्ता बतानेवाला मिल जाने पर अुसमें लग जानेमें अुन्होंने देर नहीं की।

गांधीजी सन् १९१५ के शुरूमें हिन्दुस्तान आये। थोड़े दिन शान्तिनिकेतनमें रहकर अप्रैल मासमें वे अहमदाबाद आये और कोचरब नामक अुपनगरके पास बंगला किराये लेकर वहां अपना आश्रम आरम्भ किया। आश्रमकी और साथ ही आश्रमके अेक अंगके रूपमें जो राष्ट्रीय पाठशाला खोलनेका अुनका विचार था अुसकी योजना समझानेके लिये वे अेक-दो बार गुजरात क्लबमें आये थे। दूसरे बहुतसे सदस्य अुन्हें सुननेके लिये अिकट्टे हुअे थे, परन्तु सरदार, जो अपने मित्रोंके साथ क्लबके मकानके चबूतरे पर बैठे-बैठे ताश (ब्रिज) खेल रहे थे, वहांसे नीचे नहीं अुतरे। दादासाहब मावलंकरने अेक जगह लिखा है कि मैं सरदारकी मंडलीमें बैठा था, वहांसे गांधीजीके पास जानेके लिये अुठा, तो वे मुझे यह कहकर रोकने लगे कि 'अिसमें क्या सुनना है'? फिर भी जब



कोअी नअी चीज होती है, तो अुसके बारेमें कुतूहल वृत्ति अैसी होती है कि सरदार और अुनके दूसरे साथी खिलाड़ियोंके कान तो गांधीजीकी बातकी तरफ ही लगे हुअे होंगे। कुछ तिरछी नजर करके समय-समय पर वे अुनकी तरफ देखते भी होंगे; क्योंकि थोड़ी देर बाद अुनकी मंडलीमेंके अेक बैरिस्टर चिमनलाल ठाकुरसे न रहा गया, तो वे गांधीजीके पास आकर कहने लगे: “गांधी साहब, आप तो बड़े आदमी हैं। परन्तु आप जैसी पाठशाला खोलनेको कहते हैं, वैसी पाठशालाओंमें पढ़ाकर हमें लड़कोंको ‘भिक्षां देहि’ कहकर भीख मांगनेवाले नहीं बनाना है। अैसे आटा मांग कर खानेवाले लड़कोंकी पाठशालाअें अहमदाबादमें बहुत है।” गांधीजी अपनी बातचीतमें यह सावधानी रखते थे कि अंग्रेजी शब्द बिलकुल न आयें। असलिये अुन्होंने जहां हाअीस्कूल शब्द अभिप्रेत होगा वहां पाठशाला शब्द काममें लिया होगा और यह कहा होगा कि विद्यार्थियोंको मातृभाषा गुजरातीके साथ ही हिन्दी और संस्कृत भी पढ़ानी चाहिये। अस परसे चिमनलाल ठाकुरने यह कल्पना करके कि गांधीजी शास्त्रियोंकी संस्कृत पाठशाला जैसी ही कोअी चीज खोलना चाहते हैं, अस प्रकार विरोध किया था। कुछ भी हो, परन्तु यह सच है कि गांधीजीकी गुजरात क्लबकी बातोंसे सरदार अुनकी तरफ आकर्षित नहीं हुअे थे।

परन्तु अप्रैल १९१७ में चम्पारन जिलेसे चले जानेके मजिस्ट्रेटके हुक्मका गांधीजीने सविनय अनादर किया, तब अुन पर मुकदमा चला और अुस समय अदालतमें अुन्होंने जो गौरवपूर्ण बयान दिया, वह सब अखबारोंमें आया। अुस समय सबको खयाल हुआ कि यह कोअी सच्चा मर्द है। थोड़े दिन तो क्लबमें मुख्य बात यही रही। गांधीजीके लिये आदरका भाव बहुत बढ़ गया और सबने निश्चय किया कि अुनसे गुजरात सभाके अध्यक्ष बननेके लिये अनुरोध किया जाय।

सरदार सन् १९१५ से गुजरात सभाके सदस्य बने थे, परन्तु अुसके कामकाजमें सक्रिय भाग नहीं लेते थे। अलबत्ता, सार्वजनिक जीवनकी शुद्धिके हितका, परन्तु आगे होकर करनेमें कुछ कटुता सहन करनी पड़े अैसा अेक काम सरदारने सभाके लिये कर दिया था। सभाके तीन मंत्रियोंके नाम अिसी अध्यायमें दिये गये हैं। अुनमें से श्री गोविन्दराव पाटील गुजर गये, तो अुनकी जगह श्री कृष्णलाल नृसिंहलाल देसाअी, जो अहमदाबादमें बच्चूभाअीके नामसे अधिक प्रसिद्ध थे, नियुक्त किये गये। दूसरे मंत्री श्री शिवाभाअी पटेल तो थे ही। तीसरे मंत्री डॉक्टर

जोसेफ़ बेन्जामिन थे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें सन १९१६में जब अिजीनियरकी नियुक्ति करनेका अवसर आया, तब अधिक योग्यतावाले हिन्दुस्तानी अिजीनियर अुम्मीदवार होने पर भी अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैटकी अिच्छाके वश होकर म्युनिसिपल कौंसिलरोंने बहुमतसे गोरे अिजीनियरकी नियुक्ति की थी और अुसे सरदारने भगा दिया था। यह बात अससे पहलेके अध्यायमें कही जा चुकी है। डॉ० जोसेफ़ बेन्जामिनने, जो गुजरात सभामें बहुत वर्षोंसे मंत्रीपद पर आसीन थे और सन् १९०२ में अहमदाबादमें कांग्रेस हुआ तब जो स्वागत-समितिके मंत्री भी थे, सरकारी अफसरोंको खुश करनेके लिये अस गोरे अिजीनियरके पक्षमें मत दिया था। फिर भी अुन्हें गुजरात सभाके मंत्रीपदसे हटानेका प्रस्ताव कोअी सदस्य ला नहीं रहा था। मनमें यही वृत्ति थी कि कौन कड़वा बने? हमारा क्या बिगड़ता है? अुस समयके सार्वजनिक जीवनमें अस प्रकारकी शिथिलता तो कितनी ही चल जाती थी। सरदारके सदस्य बन जानेके बाद जब मंत्रियोंकी नियुक्तिका सवाल आया, तब अुन्होंने झट खड़े होकर पुराने तीन मंत्रियोंमें से डॉक्टर जोसेफ़ बेन्जामिनका नाम निकालकर दादासाहब मावलंकरके नामका प्रस्ताव रखा। सबको यह प्रस्ताव बिलकुल पसन्द आ गया और वह सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ।

गुजरात सभाने १९१७ में गांधीजीको अपना अध्यक्ष बनानेके बाद निश्चय किया कि गुजरातमें हर वर्ष राजनैतिक परिषदें की जायें। पहली परिषदके स्थानके रूपमें गुजरातके पिछड़े हुए माने जानेवाले पंचमहाल जिलेका गोधरा शहर चुना गया। चुनावमें वहांके निवासी श्री वामनराव मुकादमका अुत्साह भी बड़ा कारण था। वे तिलक महाराजके अनुयायी थे और बंग-भंगके समयसे राजनैतिक हलचलोंमें भाग लेते थे। हाल ही में होमरूलकी हलचलके सिलसिलेमें बेगार मिटानेका जो आन्दोलन शुरू हुआ था, अुसमें वे प्रमुख भाग लेते थे। जब सरकारी अफसरोंका गांवोंमें मुकाम होता था, तब गांवके कुम्हार, नाअी वगैरा लोगोंको अफसर तथा अुनकी कचहरीके आदमियोंकी तमाम सुविधाओंके लिये अलग-अलग काम मजबूरन करने पड़ते थे और अुसके लिये पूरे दाम नहीं मिलते थे, और कअी बार तो बिलकुल नहीं मिलते थे। बढ्डीको साहबके तम्बू खड़े करनेके लिये लकड़ीकी खूंटियां तैयार करके देनी पड़ती थीं, कुम्हारको मिट्टीके बर्तन मुहैया कर देने पड़ते थे और पानी भरना पड़ता था, नाअीको बुहारने-झाड़ने और

दीया-बत्तीका काम करना पड़ता था, भंगीको सफाई और सन्देश पहुंचानेका काम करना पड़ता था, गांवके बनियेको जो चाहिये सो खाद्य सामग्री जुटा देनी होती थी और साहबका डेरा अेक गांवसे अुठकर दूसरे स्थान पर जाता, तब किसानोंको तमाम सामान पहुंचानेके लिये गाड़ियां जोतनी पडती थीं। अिस प्रकार गांवके हरअेक आदमीको कुछ न कुछ काम करना पड़ता था। अिन सब बातोंकी व्यवस्था गांवका मुखिया पटेल करता था। जब तक साहबका डेरा रहता, तब तक अुसे और अुसके चौकीदारोंको हाजिरीमें खड़े रहना पड़ता था और साहबके सिवाय सरिस्तेदार और कारकुनोंकी लल्लो-चप्पो भी करनी पड़ती थी। अिन तमाम कामोंका अुचित मेहनताना और दी गयी खाद्य-सामग्रीका अुचित मूल्य शायद ही मिलता था। तमाम लोगोंको डेरे पर कयी दिन तक घंटों बेकार वक्त खोना पड़ता सो अलग। जिस-जिस गांवमें होमरूल लीगकी स्थापना हुयी थी, अुस-अुस गांवमें लीगके सदस्योंने यह बेगार विरोधी आन्दोलन शुरू किया था।

गोधराकी पहली गुजरात राजनैतिक परिषदके अध्यक्ष गांधीजी बनाये गये। गांधीजीने अिस परिषदको अब तक देशमें होनेवाली राजनैतिक परिषदोंमें कयी तरहसे अपूर्व बना दिया। परिषद गुजरातकी थी, तो भी बम्बअीके ज्यादातर राजनैतिक नेता अुसमें सम्मिलित हुअे थे। माननीय विट्ठलभाभी पटेल बम्बअीमें रहते थे, परन्तु वे तो गुजरातके ही माने जाते थे। अिसलिये वे अुसमें अुपस्थित हों और प्रमुख भाग लें अिसमें कोयी विशेषता नहीं थी। परन्तु कायदे-आजम जिन्नाका अिस परिषदमें आना जरूर अुसकी विशेषता थी। हिन्दू-मुस्लिम अेकताके कट्टर हिमायतीकी हैसियतसे अुनका गोधरामें जबरदस्त सम्मान हुआ। अिसके सिवाय तिलक महाराज और अुनके खास मित्र श्री खापर्डेने अुस परिषदमें सम्मिलित होकर अुसका गौरव बढ़ाया था। विशेष खूबी तो यह हुयी कि सभी नेताओंसे गांधीजीने आग्रह करके गुजरातीमें भाषण कराये। कायदे-आजम जिन्नासे भी गांधीजीने गुजरातीमें ही भाषण दिलवाया। यह बात जब अखबारोंमें आयी, तब सरोजिनी देवीने गांधीजीको पत्र लिखा था कि हमारे जैसों पर तो आप हर बार हिन्दुस्तानीमें भाषण करानेका जुल्म करते ही हैं और हम अुसके सामने झुक भी जाते हैं, परन्तु आपने महान (ग्रेट) जिन्नासे गुजरातीमें भाषण दिलवाया, अिसे मैं आपकी अेक चमत्कारी फतह मानती हूं और अिसके लिये आपको मुबारकबाद देती हूं। तिलक महाराजसे गांधीजीने हिन्दीमें बोलनेकी प्रार्थना की। परन्तु

अन्होंने कहा कि मैं हिन्दीमें अच्छी तरह नहीं बोल सकता, तब अन्तमें उनसे मराठीमें भाषण दिलवाया और खापर्डेने अपनी विलक्षण शैलीमें उनका सारा भाषण अितने बढ़िया ढंगसे गुजरातीमें समझाया कि अुसमें श्रोताओंको स्वतंत्र भाषण जैसा ही आनन्द आया। अब तक प्रांतीय तो क्या, परन्तु जिलेकी राजनैतिक परिषदोंमें भी ऐसा होता था कि महत्त्वके भाषण अकसर अंग्रेजीमें ही होते थे। वक्ताओंको यह मोह रहता था कि अंग्रेजीमें बोलेंगे तो हमारा कहा हुआ सरकारके कानों तक पहुंचेगा, परन्तु अिस परिषदमें अेक भी भाषण अंग्रेजीमें नहीं हुआ।

अब तक होनेवाली तमाम परिषदोंकी — जिला परिषदसे लगाकर अखिल भारतीय कांग्रेस तककी — अेक प्रणाली यह थी कि पहला प्रस्ताव ब्रिटिश साम्राज्य और ताजके प्रति वफादारीका किया जाय। अिस प्रणालीको गांधीजीने तुड़वाया। यह अिस परिषदकी दूसरी विशेषता थी। बहुतोंका यह कहना था कि ऐसा प्रस्ताव करनेमें हमारा क्या जाता है? अब तक होता रहा है, अिसलिये भले ही होने दिया जाय। गांधीजीकी दलील यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्यकी वफादारीमें मैं आप किसीसे कम नहीं हूं, परन्तु बिना किसी कारणके ऐसे प्रस्ताव पास करके हम अपनी लघुता दिखाते हैं। अंग्रेज अपनी परिषदोंका आरम्भ कोअी ब्रिटिश साम्राज्य और ताजके प्रति वफादारीके प्रस्तावसे नहीं करते। गांधीजीके अिस रवैयेसे बहुतोंको अेक नया ही दर्शन हुआ। जो साम्राज्य या ताजके प्रेमी नहीं थे, अुन्हें अपनी दृष्टिसे खूब आनन्द हुआ।

तीसरी बात परिषदके सामने यह रखी और अुस पर अमल भी कराया कि परिषद अेक कार्यसमिति मुकर्रर करे और वह दूसरे वर्ष दूसरी परिषद होने तक काम करती रहे। यह प्रथा भी नअी ही थी। अब तक तो परिषदें और कांग्रेसें भी वार्षिक अुत्सव जैसी ही होती थीं। अुनके होनेके समय तो लोगोंमें अुत्साह आ जाता, परन्तु बादमें वर्षभर शायद ही कुछ करनेको होता था। कांग्रेसका अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति बनाये और वह सतत काम करती रहे, यह प्रथा जो आगे चलकर डाली गअी, अुसका बीज गोधरामें बोया गया था। परिषदके अध्यक्षके नाते स्वाभाविक तौर पर ही गांधीजी अिस कार्यसमितिके अध्यक्ष बने और सरदारको अुसका मंत्री बनाया गया। अुनके साथ संयुक्त मंत्रीके तौर पर बहुत करके श्री अिन्दुलाल याजिक नियुक्त हुअे थे। अुसके कामकाजका केन्द्र अहमदाबादमें रखना तय हुआ।

पहले मैं बेगारकी प्रथाका अल्लेख कर चुका हूँ। इस बारेमें परिषदमें प्रस्ताव किया गया और तय हुआ कि परिषदकी कार्यसमिति यह प्रश्न हाथमें लेकर इस अन्यायी और कष्टदायक प्रथाको मिटा देनेका प्रयत्न करे। परन्तु जनताको कोअी भी सलाह देनेसे पहले यह जान लेनेको कि सरकारका इस बारेमें क्या कहना है, प्रान्तके माल-विभागके अफसरके नाते अत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैटको पत्र लिखनेकी गांधीजीने सलाह दी और पत्रका मसविदा भी अुन्हींने तैयार कर दिया। अस पत्रका आशय यह था कि इस प्रथाके लिअे कोअी कानूनी आधार नहीं पाया जाता और हमें यह गैरकानूनी लगती है। परन्तु यह प्रथा बहुत वर्षोंसे चली आ रही दीखती है, असलिअे इस मामलेमें सरकारकी कोअी प्रबन्ध-विभागीय आज्ञा हो या प्रस्ताव हो और असके कारण असका जायज होना माना जाता हो, तो हमें बताअिये। हमें असै हुकम या प्रस्तावकी कुछ भी जानकारी नहीं है। परन्तु गुजरातके तमाम जिलोंमें यह प्रथा जारी है और माल-विभागवाले अससे अधिकसे अधिक लाभ अुठाते हैं। यह सवाल तमाम जिलोंसे सम्बन्ध रखता है, असलिअे हम कलेक्टरके पास न जाकर सीधे आपको लिख रहे हैं। इस प्रथाके गैरकानूनी होनेकी हमारी मान्यता गलत हो तो हमें बताअिये। क्योंकि जो चीज कानूनके विरुद्ध हो रही है, असके बारेमें जनताको चेतावनी देकर कानूनके अल्लंघनको रोकने और बेगार प्रथाको मिटानेका परिषदने प्रस्ताव किया है। इस पत्रके साथ परिषदके प्रस्तावकी नकल भेजी और प्रथाके विरुद्ध कानूनके आधार अुद्धृत किये।

कमिश्नर मि० प्रैटका पाठकोंको थोड़ासा परिचय हो चुका है। अुनके जैसे निरंकुश अधिकारीके लिअे असै यह पहला ही पत्र था। पत्र पढ़ते ही साहब खूब नाराज अुअे और 'अुद्धृत' (impertinent) कहकर अस पत्रको अपनी मेजके नीचे रहनेवाली कचरेकी टोकरीके हवाले कर दिया। यह खबर सरदारको अपनी गुप्त व्यवस्था द्वारा मिल गअी। कमिश्नरका यह कृत्य जनताका साफ अपमान करनेवाला और जनताके प्रतिनिधियोंके प्रति तिरस्कारकी भावना प्रगट करनेवाला था।

अुस समय गांधीजीने चंपारनके किसानोंमें रचनात्मक काम शुरू किया था और वे सारे समय वहीं रहते थे, फिर भी हर महीने थोडे दिनके लिअे अहमदाबाद आ जाते थे। आते तब यहां अपनी देखरेखमें होनेवाले कामकाजके बारेमें सलाह-मशविरा देते। अुन्हींने

कहा कि यह असहनीय अपमान तो है ही, फिर भी कमिश्नरको हमारे पत्रकी याददिहानीका दूसरा पत्र और लिखो। मालूम हुआ कि कमिश्नरने इस पत्रकी भी पहले पत्रके जैसी ही व्यस्वथा की। इस पर गांधीजीकी सलाहके अनुसार सरदारने तीसरा पत्र लिखा। उसमें पिछले दो पत्रोंका अुल्लेख करके लिखा कि हमारे पहलेके पत्रोंमें बताये अनुसार हमारी इस मान्यताके विरुद्ध आपकी तरफसे कोअी आधार नहीं मिले कि बेगार प्रथा गैरकानूनी है। इसलिअे अुन पत्रोंमें बताये अनुसार बेगारके कानून विरुद्ध होनेके बारेमें जनताको सार्त्रजनिाक चेतावनी और आभिदा लोगोंको बेगार न करनेकी सलाह देनेवाली पत्रिका परिषदकी तरफसे निकाली जायगी। अगर इसमें कोअी कानूनी आपत्ति हो, तो दस दिनके भीतर हमें बता दीजिये। यह पत्र देखकर कमिश्नर आगबबूला हो गये। अुन्होंने जवाब दिया कि इस मामलेकी चर्चा करनेके लिअे मंत्री कमिश्नर साहबसे अमुक दिन अमुक समय शाहीबागमें मिलने आयें। सरदारने अुत्तर दिया कि मुझे इस मामलेमें चर्चा करने जैसी कोअी बात नहीं मालूम होती। सिर्फ कानूनके कोअी आधार हों तो आप लिख भेजिये। फिर भी आपको मिलना हो, तो आप परिषदके दफतरमें अमुक समय मुझसे मिलने आयें तो मैं खुशीसे मिलूंगा। मि० प्रैट जैसे बड़े अधिकारीके लिअे यह तो और भी बिलकुल नअी बात थी। परन्तु अुन्होंने स्वयं ही दो पत्रोंका जवाब नहीं दिया था, इसलिअे क्या करते? मन मसोसकर बैठ रहे। सरदारने तो दस दिनकी मियाद बीतने पर पत्रिका प्रकाशित करके गुजरातके गांव-गांवमें खूब बंटवा दी। हरअेक जिलेमें कार्यकर्ता प्रचार करने निकल पड़े। श्री वामनराव मुकादमने सारे पंचमहाल जिलेमें भ्रमण करके खूब काम किया। बेगार विरोधी आन्दोलनने अच्छा जोर पकड़ा। कुछ मुकदमे भी हुअे। यह तो नहीं कहा जा सकता कि बेगार प्रथा बिलकुल ही बन्द हो गअी, परन्तु अुसका आतंक बिलकुल जाता रहा।

सन् १९१७ के अन्तिम भागमें अहमदाबादमें प्लेग शुरू हो गया और अुसने भयंकर रूप धारण कर लिया। स्कूल-कचहरियां सब बन्द हो गअीं और शहरसे अधिकतर लोग बाहर रहने चले गये। और जिन्हें शहरसे बाहर रहनेकी सुविधा थी वे वहां रहने चले गये। सरदार अुस समय म्युनिसिपैलिटीकी सेनिटरी कमेटीके चेयरमैन थे। इस आपत्तिके समय सरदारने शहर नहीं छोड़ा, परन्तु भद्रके अपने

मकानमें ही रहकर हर रोज शहरमें सब जगह घूमते और सफाजी कराते। अिसका असर म्युनिसिपैलिटीके काम करनेवालों पर बहुत हुआ और सारे तंत्रमें अेक प्रकारका नवचेतन आ गया।

१९१७-१८ में अहमदाबाद जिलेमें अकाल पड़ा था। गुजरात सभाकी तरफसे ही अकाल संकट-निवारणका काम शुरू किया गया था। अुस काममें भी सरदार पड़े और अकाल पीड़ित लोगोंके लिअे राहतकी अच्छी व्यवस्था करके अिस प्रकारके कामोंमें नयी पद्धति चलायी। अुसकी रिपोर्ट गांधीजीको चम्पारन भेजी गयी। अुसे देखकर वे बड़े प्रसन्न हुअे और सरदारको बधायीका पत्र भेजा।

दूसरे वर्ष १९१८ में अहमदाबादमें अिनफ्लुअेन्जा बड़े जोरसे फैला। अुस समय गुजरात सभाकी तरफसे भगूभाभीके बाड़ेमें अेक विशेष अस्पताल खोला गया और लोगोंको घर-घर दवा पहुंचानेकी व्यवस्था भी की गयी।

ये सब वर्ष यूरोपमें होनेवाले महायुद्धके (सन् १९१४ से १९१८) थे। १९१७ में और १९१८ के आरम्भके महीनोंमें जर्मनीके आक्रमणका जोर बढ़ गया था। और अिंग्लैन्ड अितने संकटमें आ गया था कि वह मददके लिअे चारों तरफ हाथ-पैर पीट रहा था। १९१७ के अन्तमें भारतमंत्री मि० मांटेग्यूने हिन्दु-स्तानको रिझानेके लिअे अेक बड़ा मीठा भाषण दिया था। हिन्दुस्तानमें ब्रिटिश हुकूमत काठवत् बन गयी है, युद्ध खतम होते ही अुसमें परिवर्तन किया जायगा और हिन्दुस्तानियोंको जिम्मेदार शासन दिया जायगा, अैसे वचन अुन्होंने कहे थे। अुसके बाद यहांकी परिस्थिति खुद देखने और किस तरहके सुधार दिये जायें, अिसकी वायसरॉय तथा अलग-अलग प्रान्तोंके गवर्नरों, बड़े-बड़े अधिकारियों और देशके भिन्न-भिन्न दलोंके राजनैतिक नेताओंके साथ चर्चा करने वे १९१८ में हिन्दुस्तान आये। यहांके नेताओंमें अुन्होंने गांधीजीसे भी मुलाकात की थी। गांधीजीने अैसी योजना बनायी थी कि जब वे मिलने जायें, तब गुजरातसे कमसे कम अेक लाख आदमियोंके हस्ताक्षरोंवाली स्त्रराज्यकी दरखास्त अुन्हें हाथों हाथ दी जाय। अुस दरखास्त पर दस्तखत करानेका काम गुजरात सभाकी तरफसे किया गया।

१९१७ की बरसातमें अतिवृष्टिके कारण खेड़ा जिलेमें फसल मारी गयी थी। अिस कारण गुजरात सभाने लगान मुलतवी करानेका आन्दोलन अुठाया था। अुसके सिलसिलेमें गांधीजीके नेतृत्वमें सत्याग्रहकी लड़ायी शुरू की गयी थी। सरदारको पूरी तरह रंग तो अिस लड़ायीमें लगा। अुसकी सारी बातोंके लिअे अलग अध्यायकी जरूरत है।

पहली राजनैतिक परिषद गोधरामें हुआ, अुसके बाद सन् १९२३ तक अलग-अलग स्थानों पर परिषदें होती रहीं। किस वर्षमें कहां किसकी अध्यक्षतामें परिषद हुआ, अिसकी सूची यहीं दे देना ठीक है :

वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
(१) १९१७	गोधरा	गांधीजी
(२) १९१८	नड़ियाद	श्री विट्टलभाभी पटेल
(३) १९१९	सूरत	" गोकुलदास कहानदास पारेख
(४) १९२०	अहमदाबाद	" अब्बास साहब तैयबजी
(५) १९२१	भड़ौच	सरदार वल्लभभाभी पटेल
(६) १९२२	आणंद	श्रीमती कस्तूरवा गांधी
(७) १९२३	बोरसद	श्री काकासाहब कालेलकर

१९२० के नागपुर अधिवेशनमें कांग्रेसका ध्येय स्पष्ट किया गया तथा अुसका विधान नये सिरेसे तैयार किया गया। अुसीके अनुसार हरअेक प्रांतमें ध्येयको स्वीकार करनेवाले बाकायदा भरती हुअे सदस्यों द्वारा चुनी हुआ प्रांतीय समितियोंका निर्माण हुआ। अिसलिअे गुजरात सभाका स्थान गुजरात प्रांतीय समितिने ले लिया। सरदार अुसके अध्यक्ष चुने गये और मंत्रियोंके रूपमें अिन्दुलाल याज्ञिक और दादासाहब मावलंकर चुने गये। गुजरात प्रांतीय समितिने अपनी हलचल केवल राजनैतिक कामों तक ही सीमित नहीं रखी थी, परन्तु गांधीजीकी प्रेरणाके अनुसार वह गुजरातके समग्र सार्वजनिक जीवनमें पथप्रदर्शन करनेका काम करती थी। राजनैतिक विपत्तियोंका सामना तो अुसने सदा ही किया है। अुनके अलावा जब-जब दैवी विपत्तियां आ पड़ी हैं, तब-तब अुसने संकट-निवारणका काम हाथमें लिया है और यशस्वी ढंगसे पूरा किया है।



## खेड़ा सत्याग्रह—१

### जांच और कष्ट-निवारणके प्रयत्न

जबसे गांधीजी हिन्दुस्तानमें आकर बसे, तबसे श्री मोहनलाल पंड्या जिसके लिये बड़े अतुसुक थे कि गांधीजी कोआ सत्याग्रहकी लड़ाई शुरू करें। वे खेड़ा जिलेके कठलाल गांवके निवासी थे और बड़ोदा राज्यमें डेरी सुपरिटेंडेंट थे । अुनके राजनैतिक विचार बहुत अुग्र थे । सन् १९०४-५ में बंग-भंगके आन्दोलनके बाद बमका जो आतंकवादी आन्दोलन चला, अुसके प्रति अुनकी सहानुभूति ही नहीं थी, प्रत्युत विशेष आकर्षण भी था । सन् १९०९ में वायसरॉय लाईडें मिटो जब अहमदाबाद आये, तब शहरमें अुनके घूमनेके लिये निश्चित मार्ग पर रायपुर दरवाजेके बाहर अेक बम पाया गया था। खुफिया पुलिसवालोंको सन्देह था कि अुसके रखनेवाले पंड्याजी होंगे। साथ ही 'वनस्पतिकी औषधियां' नामक गुमनाम छपाई हुआ पुस्तकमें यह कहकर कि हमारे देशमें जो बेकार वनस्पतियां ( अंग्रेजोंके रूपमें ) बहुत अुग आती हैं, अुन्हें नष्ट करनेकी दवाअें हम अिस पुस्तकमें दे रहे हैं—भिन्न-भिन्न प्रकारके बम बनानेके नुसखे दिये गये थे। वह पुस्तक सरकारने जब्त की थी। परन्तु अुसके लिखने और छपवानेवाले श्री मोहनलाल पंड्या हैं, यह बात बहुत लोग जानते थे। पुलिसको भी अुन पर शक था, परन्तु कोआ सबूत नहीं मिल सका था। जब दिसम्बर १९११ में सम्राट पंचम जॉर्ज हिन्दुस्तान आये और दिल्लीमें अुनके राज्याभिषेकका दरबार हुआ, तब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ निश्चित नियमके अनुसार कोरनिश नहीं बजा लाये थे। अिस कारण अुन पर भारत सरकारकी कड़ी नजर हो गयी थी। अिस निमित्तसे गायकवाड़ राज्यके जिन अधिकारियों और संस्थाओं पर ब्रिटिश पुलिस विभागको शक था, अुन अफसरोंको राज्यकी नौकरीसे अलग कर देने और अुन संस्थाओंको बन्द कर देनेके लिये गायकवाड़को विवश किया गया। अिस सपाटेमें पंड्याजी भी आ गये। बादमें ब्रिटिश पुलिस अुन पर देख-रेख और काबू रखनेके बहाने अुन्हें बहुत तंग करती थी। जब मोहनलाल

## खेड़ा सत्याग्रह - १

पंड्याने गांधीजीको अपनी तमाम आप-बीती सुनाओ, तो अन्होंने सदी कि अपनी तमाम हलचलें और प्रवृत्तियां पुलिसकी जानकारीमें बिलकुल खुले ढंगसे करोगे, तो तुम जिसे परेश मानते हो, वह परेशानी नहीं रहेगी। तुम अपनी हलचलें इस करनेकी कोशिश करते हो कि पुलिसको पता न चले। इससे परेशान होती है और वह तुम्हें तंग करती है। यों तो पुलिस पीछे भी लगी रहती है, परन्तु मैं तो अुसमे अकसर मदद लेता हूं। ये लोग मेरे मित्र बन जाते हैं। पंड्याजी ज्यों-ज्यों गांधी सम्पर्कमें आते गये, त्यों-त्यों आतंकवादी नीतिका मिथ्यात्व अन्हें प्र होता गया और अहिंसा पर अुनकी श्रद्धा जमती गयी। खेड़ाकी लड़ा मूल अुत्पादकका अितना परिचय पाठक यहां अप्रस्तुत नहीं समझेंगे।

सन् १९१७ की वर्षा ऋतुमें खेड़ा जिलेमें अतिवृष्टि हुआम तौर पर वहां बरसातका औसत तीस अिचका है, परन्तु साल लगभग सत्तर अिच वर्षा हुयी। साथ ही ठेठ दशहरेके तक पानी पड़ता रहा, असलिये पहली बारकी बुवाओ बरस बह जानेके बाद दूसरी बारकी बुवाओ सम्भव नहीं रही। प्रकार बरसातकी फसल बिलकुल मारी गयी। पशुओंका अिचारा भी अत्यधिक पानीके कारण गल गया। पानी ज्यादा जाता है, तब जाड़ेकी फसल, जिसे रबी कहते हैं, अच्छी होनेकी अरहती है। परन्तु अुसमें चूहोंका अुत्पात हो गया और अलग-अलग तरहके रोग लग गये, जिससे अस फसलको भी बड़ा नुकसान हुआस प्रकार तमाम वर्ष लगभग व्यर्थ गया और गरीब लोगों मवेशियोंको खाद्य मिलना बहुत मुश्किल हो गया। अैसी कठिनाअि यह बड़ा सवाल था कि लोग जमीनका लगान कहांसे लाकर चुकायें।

जब वर्षा नहीं होती और सूखा अकाल पड़ता है, तब सम् अेक प्रकारका आतंक फैल जाता है और कठोर सरकारी कर्मचाअि दिलमें भी लगान-वसूलीके मामलेमें छूटछाट करने और राहत देनेकी भावना पैदा हो जाती है। महाजन भी अकाल अ निवारणके काम करनेको निकल पड़ते हैं। परन्तु गीले अब जबरदस्त हानि होने पर भी अुसका आतंक अितना खुला दि नहीं देता। सरकारी अफसरोंको तो अस वर्ष यह विचार ही होता कि लगानमें रियायतें देना जरूरी है? लगान-वसूलीके कानून यह है कि हर वर्ष फसलका अनुमान लगाया जाय

फसल छः आनेसे कम मालूम होती हो, तो आधा महसूल लेना मुलतवी कर दिया जाय और चार आनेसे कम दीखती हो, तो सारा मुलतवी कर दिया जाय । और अुसके बादका साल भी खराब निकल जाय, तो पिछले वर्षका मुलतवी किया हुआ लगान माफ कर दिया जाय। अब तक वर्ष तो कितनी ही बार खराब निकले होंगे, परन्तु अज्ञानी और गरीब होनेके कारण लोगोंने कोअी झगड़ा नहीं किया था। अधिकारियोंको स्वयं ठीक लगा होगा, तब अुन्होंने कुछ लगान मुलतवी या माफ कर दिया होगा। अिस साल तो किसानोंके हकोंकी बात करनेवाले पंड्याजी कठलालमें बैठे थे और अुनकी बात सच्ची लगनेसे अुनका समर्थन करनेवाले और लड़ाअीको आगे बढ़ानेवाले गांधीजी और सरदार थे। अधिकारी समझदार होते और अुन्होंने सरकारको गलत सलाह न दी होती, तो यह लड़ाअी छिड़ती ही नहीं। रुपया जमा करानेमें असमर्थ किसानोंका लगान अुस साल लेना मुलतवी रखा जाता, तो जितनी रकम बाकी रहती अुतनी रकमके अेक वर्षके व्याजकी ही सरकारको हानि होती । परन्तु सरकारी अफसर अिस ढंगसे नहीं सोचते थे। अुनके दिमागमें तो यह नशा भरा हुआ था कि लगानके मामलेमें हम जो निर्णय कर दें, वही अन्तिम माना जाय । अुसके विरुद्ध आपत्ति करनेवाले दूसरे कौन हो सकते हैं? हम सरकार माअी-बाप हैं, किसानोंके सुख-दुःख हम जानते हैं और किसानोंके हित हमारे हृदयमें बसे हुए हैं। किसानोंकी तरफसे बातें करनेवाले ये दूसरे लोग तो शहरोंमें रहकर वकालतका या और कोअी धंधा करनेवाले राजनैतिक आन्दोलनकारी हैं। अिस प्रकार अिस लड़ाअीमें यह सवाल महत्वका बन गया था कि किसानोंके सच्चे हितैषी कौन है? सरकारी कर्मचारी या लोकसेवक? और सरकारी अफसर जो कहते थे वह सच है या लोग कहें सो सच है? सरकारी कर्मचारियोंका आक्षेप यह था कि लोग जो कुछ बोलते हैं, वह तो अुन आन्दोलनकारियोंके सिखाने और अुकसानसे बोलते हैं। लोगोंका कहना मान लें तो अुनमें अिन आन्दोलनकारियोंकी अिज्जत बढ़ती है और अफसरोंकी प्रतिष्ठा घटती है। अिस प्रकार सरकारी अधिकारियोंके लिये सारी लड़ाअी अुनके दुराग्रहकी, अुनके मान लिये गये प्रतिष्ठाके भूतकी थी। लोगोंके लिये लड़ाअी यह थी कि सारी जनता अपने पर बीती हुई कहे सो गलत और सरकारी अधिकारी पूरी सचाअी जाने बिना और

अच्छी तरह जांच किये बिना जो कहें सो सच — इसमें जनताका भारी अपमान है और इसलिये स्वाभिमानकी खातिर अन्हें लड़ना चाहिये। वे निष्पक्ष पंचका फैसला माननेको तैयार थे, परन्तु सरकारी अधिकारी पंचकी बात स्वीकार करें, तो फिर अनुकी हुकूमत क्या रही? इस प्रकार यह लड़ाई सत्ता और सत्यके बीचकी लड़ाई थी।

पंड्याजीने कठलालके किसानोंसे नये वर्षके दिन तारीख १५-११-१७ को अर्जी दिलवायी कि इस साल अतिवृष्टिके कारण जिलेमें कुल मिलाकर फसल चार आनेसे कम हुयी है, इसलिये सरकारको लगान लेना मुलतवी कर देना चाहिये। इस अर्जीको देखकर नड़ियादके मित्रोंकी यह राय हुयी कि अर्जीमें सारे जिलेका हाल बहुत अच्छी तरह पेश हुआ है, इसलिये अधिकसे अधिक गांवोंसे अर्जियां दिलवायी जायं। इस परसे बहुतसे गांवोंसे अर्जियों पर हस्ताक्षर कराये गये। नड़ियाद होमरूल लीगकी शाखा द्वारा अलग-अलग गांवोंके १८००० किसानों और कठलाल होमरूल लीगकी शाखा द्वारा ४००० किसानोंके हस्ताक्षरवाले प्रार्थना-पत्र बम्बयी सरकारके नाम भेजे गये और अनुकी नकलें जिलेके कलेक्टर, उत्तरी विभागके कमिश्नर, बम्बयी प्रांतके माल-मेम्बर, गांधीजी, माननीय गोकुलदास पारेख, माननीय विट्टलभायी पटेल और गुजरात सभाके मंत्रियोंके नाम भेजी गयीं। बम्बयी सरकारकी तरफसे जवाब आया कि “अस मामलेमें कलेक्टरको सब अधिकार है और अर्जीमें बताये गये मुद्दे पर वे पूरा ध्यान दे रहे हैं।” बादमें अनेक गांवोंमें सार्वजनिक सभायें की गयीं। तारीख २५-११-१७ को नड़ियादमें अंक बड़ी सभा देसायी गोपालदास विहारीदासकी अध्यक्षतामें हुयी, जिसमें प्रस्ताव किया गया कि धारासभामें गुजरातकी तरफसे चुने गये माननीय गोकुलदास पारेख तथा माननीय विट्टलभायी पटेलसे यह सवाल अुठाकर किसानोंको राहत दिलवानेका अनुरोध किया जाय। इस बीच कपड़वंज और ठासरा तालुकोंमें लगान-वसूलीकी किस्त पांच दिसम्बरसे शुरू होनेवाली थी, इसलिये अंक छोट्टेसे प्रतिनिधि-मंडलने तारीख २७ नवम्बरको कलेक्टरसे मुलाकात की और अनुसे प्रार्थना की कि जब तक हमारी अर्जियोंका फैसला न हो, तब तक किस्तकी मियाद बढ़ा दी जाय। कलेक्टरने बताया कि “जाडेकी फसलकी अच्छी आशा है, फिर भी मौजूदा हालातमें फसलका अन्दाज निश्चित रूपसे तैयार हो जानेके बाद किसानोंको राहत

देनेकी जरूरत मालूम होगी तो राहत दी जायगी।” गांव-गांवमें सभाओं करना तो जारी ही था और अनुके समाचार गांधीजीको, जो उस समय चंपारनमें रहते थे, भेजे जाते थे। अन्होंने वहांसे लिखा था कि :

“ जो-जो सभाओं की जायें उनमें मर्यादा न छोड़ी जाय, बातें विवेकपूर्वक हों और साथ ही जरा भी अतिशयोक्ति न हो,— यह आप लोगोंसे जहां तक हो सके करना।”

नड़ियादकी सभाके अनुरोध पर माननीय गोकुलदास पारेख और माननीय विठ्ठलभाभी पटेल तारीख १२ दिसम्बरको नड़ियाद आ पहुंचे। अन्होंने कलेक्टरसे मिलनेके पहले नड़ियाद, कपड़वंज और ठासरा तालुकोंके बीस गांवोंका दौरा करके लोगोंके कष्ट आंखों देखे और सैकड़ों किसानोंके लिखित प्रमाण लिये। साथ ही वे कठलाल, महुधा और नड़ियादमें सार्वजनिक सभाओंमें अुपस्थित हुअे। हरअेक सभामें हजारों किसानोंने भाग लिया और बरसातकी फसलके मारे जाने और जाड़ेकी फसल पर चूहों वगैराके अुत्पात और अनेक प्रकारके रोगोंसे होनेवाली हानिका हूबहू वर्णन किया। अिस प्रकार सारी जानकारी प्राप्त करके वे तारीख १५-१२-'१७ को किसानोंके प्रतिनिधि-मंडलके साथ ठासरेमें जिलेके कलेक्टरसे मिले और अनुके सामने अपना लिखित बयान पेश किया। असमें वर्षकी खराब स्थितिको देखते हुअे मांग की गअी कि पिछड़े हुअे वर्गके किसानों और तीस रुपयेसे कम लगान देनेवाले गरीब कृषकोंका लगान माफ करने और जिलेके दूसरे तमाम किसानोंका लगान चालू सालके लिअे मुलतवी कर देनेकी जरूरत है। कलेक्टरने बताया : “ फसलके अन्दाज वगैराके आंकड़े तैयार करनेमें सावधानी और अुदारतासे काम लिया जायगा और नियमानुसार अुचित राहत दी जायगी। साथ ही जिन तालुकोंमें किस्तकी मियाद शुरू हो जाने पर भी जिन किसानोंने लगान नहीं चुकाया, उन पर अन्तिम आज्ञा जारी होने तक सस्तीके अुपाय नहीं किये जायेंगे।”

किसानोंकी अर्जीकी अेक नकल गुजरात सभाको भेजी गअी थी। माननीय पारेख और पटेलके साथ जांचमें वह भी शामिल हो, अिसके लिअे अुसे निमंत्रण भी दिया गया था। अिस परसे असके अेक मंत्री श्री दादासाहब मावलंकर और कुछ दूसरे सदस्य माननीय पारेख और पटेलके साथ धूमे थे और अन्होंने बहुतसे किसानोंके बयान लिये थे। साथ

दैन्यके जुल्मोंका हाल अखबारमें छपा, तो उसे देखकर श्री ठक्कर बापा कठलाल गये और अन्होंने दैन्य और दूसरे गांवोंमें खुद जाकर जांच की। अन्होंने अपनी जांचका लम्बा पत्र 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में लिखा। उसमें बताया कि :

"...दसके गांवोंमें गया जिसके परिणामस्वरूप साफ मालूम हो गया है कि बरसातकी फसल बिल्कुल मारी गयी है और जाड़ेकी फसलकी आशा व्यर्थ है; क्योंकि उसमें कयी रोग लग गये हैं और चूहे पड़े गये हैं। लोगोंकी अेक और जबरदस्त शिकायत यह है कि गांवोंके मुखियों और पटवारियों द्वारा किये गये अन्दाजके आंकड़े तालुकेके अफसरोंके दबावसे बढ़ा दिये गये हैं। चार आनेसे नीचेके आंकड़े बढ़ाकर कुछ गांवोंके साढ़े चार, छः और अन्तमें आठ आने तक कर दिये गये हैं। पटवारीके विरुद्ध लोगोंकी शिकायतके सम्बन्धमें मैंने खूब जांच की, जिसके परिणामस्वरूप मालूम होता है कि अेक किसानको अपनी सनदी जमीन बेचनी पड़ी, अेक किसानको ७५ प्रतिशत ब्याज पर रुपया कज लेना पड़ा, छः ढेढ़ किसानोंसे दो घंटे अंगूठे पकड़वाये गये और अन्तमें लगान जमा करानेका निश्चित वचन देने पर छोड़ा गया। अन्हें ३७।) फी सदी ब्याज पर रुपया अधार लेना पड़ा। कुछ लोगोंको हक्सबेजा रखकर जमीनका लगान चुकानेके वचन लिये गये। सारा लगान वसूल करनेके अलावा सन् १९१२ में सरकार द्वारा दी गयी तकावी अिस साल सारी वसूल की जा रही है। अनारा या बारशीदाके अेक मुसलमान किसानको जमीनका लगान अदा करनेकी खातिर अपनी दस वर्षकी कन्याका विवाह करके जंवाअीसे १५ रुपये लेने पड़े थे। उसकी जातिके लोगोंसे पूछने पर भरोसा हो गया कि अगर उसने कन्याके बदलेमें लिये हुअे रुपये लगान चुकानेके सिवाय किसी और कारणसे लिये होते, तो उसे जातिसे बाहर कर दिया जाता; क्योंकि उसकी जातिमें लड़कीका रुपया लेनेकी सख्त मनाही है। अिस मुसलमान किसानको अैसा अधम कार्य केवल चौथाअी दंडसे बचनेके लिये करना पड़ा।"

दूसरी तरफ तालुकेके अधिकारी पटेल-पटवारियोंको वसूलीकी सख्तीके लिये किस तरह प्रोत्साहन देते थे, यह तारीख १-१-१८ के कपड़वंज तालुकेके तहसीलदारके नीचे लिखे सरक्यूलर परसे मालूम होगा :

“बकार सरकार तहसीलदार तालुका कपड़वजकी तरफसे पटेल-पटवारियोंको मालूम हो कि अस वर्ष कठलाल होमरूल लीगकी तरफसे लोगोंको लगान अदा न करनेके बारेमें सार्वजनिक भाषण देकर, विज्ञप्तियां बांटकर या आदमी भेजकर समझाया जा रहा है। असलिअे नीचे लिखा सरक्यूलर गांवके कारकूनों और मालगुजार पटेलोंकी जानकारीके लिअे जारी किया जाता है:

१. लगान वसूल करनेके सम्बन्धमें श्रीमान कलेक्टर साहब बहादुरका हुक्म तुम्हारे पास भेजा जा चुका है। अुससे वसूल करनेका आंकड़ा अब तय हो चुका है। अुसमें कोअी परिवर्तन नहीं होगा, अैसा लोगोंको गांवमें और गांवडेंमें घोषणा कराकर समझा देना चाहिये और बता देना चाहिये कि अब अगर लगान जमा नहीं कराया जायगा, तो कठोर अुपाय काममें लिये जायंगे।

२. मालगुजारी कानूनके अनुसार मुल्की पुलिस पटेल और मालगुजार पटेल मियादके भीतर लगान अदा न करें और नंगापन करें, तो वे नौकरीके लिअे अयोग्य ठहराये जा सकते हैं।...यह हुक्म पहुंचनेके सात दिनमें बाकियात जमा न करा दें, तो कानूनके अनुसार नौकरीके लिअे अयोग्य ठहरानेकी रिपोर्ट अविलम्ब कर दी जाय।

३. ...जो लोग लगान न देनेकी सीख देत हों, अुनके नाम दर्ज करके अुनका लगान बाकी हो तो अुसे चौथाअी दंडके साथ वसूल करनेके लिअे जल्दी पत्रक भरकर भेजा जाय।

४. जो नेता फसल पकने पर भी लगान न देते हों, अुनके बारेमें जंगम संपत्ति जब्त करनेका हुक्म मंगवानेमें देर न की जाय।

५. होमरूल लीग या और किसी शख्सकी तरफसे लगान न देनेके सम्बन्धमें जो सूचना दी जाय, अुसे लिखकर रखा जाय और तालुकेमें रिपोर्ट भेज दी जाय।

६. चूकि लगान न देनेके लिअे लोगोंको सिखाया जाता है, असलिअे तुमको वसूलीके काममें सावधानी रखकर, धीरजसे लगे रहकर कामको पूरा करना चाहिये। अगर डरकर आलस्यसे नौकरीमें गफलत करोगे, तो समझ लेना कि सजाके पात्र बनोगे।”

अिस लड़ाअीकी अुत्पत्ति कठलाल गांवसे हुआ थी और वहांके लोगोंने अब तक बिलकुल लगान दिया नहीं था, असलिअे वहांके लोगोंको लालच देकर फोड़ लेनेके अुद्देश्यसे तहसीलदारने तारीख ८ जनवरीको

अेक सरवयूलर जारी किया कि कठलालमें लगान और तकावी आधे लिये जायंगे । परन्तु अुसका कोअी असर नहीं हुआ ।

गुजरात सभाकी कार्यसमितिने अपने मंत्रियों और कुछ सदस्योंको खेड़ा जिलेकी फसलकी जांच करनेके लिये मा० पारेख और पटेलके साथ दौरा करनेको भेजा था । अुनकी रिपोर्टसे गुजरात सभाको लगा कि हमारी तरफसे भी माफी और मुलतवीकी दरखास्त बम्बअी सरकारको भेजी जानी चाहिये । तदनुसार तारीख १-१-१८ को मंत्रियोंके हस्ताक्षरसे अेक अर्जी भेजी गयी । अुसके बाद थोड़े ही दिनोंमें गांधीजी अहमदाबाद आये । अुनसे मिलने आये हुअे खेड़ा जिलेके किसानों और गुजरात सभाके सदस्योंके साथ सलाह-मशविरा करके अुन्होंने यह सलाह दी कि जब तक बम्बअी सरकारको दी हुअी अर्जीका परिणाम मालूम न हो, तब तक गुजरात सभा खेड़ा जिलेकी जनताको लगान देना मुलतवी रखनेकी खबर दे दे और अुसके प्रतिनिधि अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैटसे रूबरू मिलकर अुनसे चर्चा करें और अुन्हें सारी परिस्थिति समझायें । अिस पर सरदारके यहां गुजरात सभाकी कार्यसमितिकी बैठक की गयी । अुसमें बहुमत तो गांधीजीकी सलाहका स्वागत करनेको तैयार था । परन्तु सभाके पुराने और बुजुर्ग माने जानेवाले कार्य-कर्ताओंमें रा० ब० रमणभाभी, श्री शिवाभाभी मोतीभाभी पटेल, रा० सा० हरिलाल देसाजीभाभी, श्री मूलचन्द आशाराम शाह, श्री मगनभाभी चतुर-भाभी पटेल वगैरा नरम विचारोंके थे । अैसी सलाहके परिणामोंकी जिम्मेदारी लेनेको वे तैयार न थे । लोगोंको न्याय न मिले, तो गांधीजी तो लोगोंको लगान न देनेकी लड़ाअी छेड़नेकी सलाह भी दे सकते थे । पर अिससे वे हरगिज सहमत नहीं थे । अुनकी राजनीतिमें सरकारको अर्जियां देने, विरोध-सभाओं करके आन्दोलन करने और अधिकसे अधिक दुःखी लोगोंको भरसक राहत पहुंचानेका प्रबन्ध करनेसे आगे जानेकी बात ही नहीं थी । गांधीजीका आग्रह यह था कि अिस प्रकारका कदम देशमें बिलकुल नया होनेके कारण सभामें सर्वसम्मति हो, तो ही अुसे किसानोंको सलाह देनेके लिये सामने आना चाहिये । सभाकी कार्य-समितिके खूब चर्चा हुअी । सदस्योंमें अधिकांश वकील थे, अिसलिये अुन्होंने बहुतसे सवाल अुठाये । अेक दिनमें किसी निर्णय पर न पहुंचे, अिसलिये दूसरे दिन अेकत्र हुअे, फिर तीसरे दिन हुअे । अिस प्रकार आठ दिन तक रोज शामको सरदारके घर पर दो-दो घंटे सभा होती रही । रोज क्या चर्चा हुअी, अिसके समाचार सरदार, दादासाहब और बचूभाभी गांधीजीसे



कहते। सरदार गांधीजीसे कहते कि आपको बहुमत मिल रहा है, फिर क्या आपत्ति है? परन्तु गांधीजीको सर्वसम्मतिके लिये आग्रह था। अन्तमें श्री मगनभाभी चतुरभाभी पटेलके सिवाय और सब सदस्य सहमत हो गये कि अब अंसी सलाह देनेमें हर्ज नहीं है। श्री मगनभाभीको तो सरकारके प्रस्तावका विरोध करके किसानोंको थोड़े समयके लिये भी लगान देना मुलतवी करनेकी सलाह देनेमें अन्तःकरणकी आपत्ति मालूम होती थी। साथ ही अुनकी यह दलील भी थी कि अेक बार किसानोंको लगान न देनेका चस्का लग गया, तो फिर दूसरे दिन जमीनके मालिकोंको किराया देनेसे भी अनिकार कर देंगे और अिस प्रकार जनतामें आपसमें संघर्ष पैदा हो जाय यह ठीक नहीं है। अुन्हें बहुत समझाया गया तो अन्तमें किसी भी तरफ मत न देना, अुन्होंने स्वीकार किया। सरदारने गांधीजीसे कहा कि अब आपको ज्यादा नहीं खीचना चाहिये। गांधीजीने यह बात मान ली। अुनकी दूसरी मांग यह थी कि अगर हमें खेड़ा जिलेमें लड़ाअी छेड़नी ही पड़े, तो गुजरात सभाके प्रौढ कार्यकर्त्ताओंमें से किसी अेकको तो मेरे साथ ही खेड़ा जिलेमें आकर लड़ाअी खतम होने तक बैठ जाना चाहिये। बादमें वकालत या और कामोंके लिये आते-जाते रहें, तो काम नहीं चल सकता। अुक्त लोगोंमें से तो कोअी तैयार हो ही नहीं सकता था, परन्तु जब सरदार यह बीड़ा अुठानेको तैयार हुअे, तब गांधीजी बहुत खुश हुअे। फिर गुजरात सभाने दो प्रस्ताव पास किये। अेक प्रस्तावमें पहली तारीखको सभाकी दी हुअी अर्जीका फैसला होने तक वसूली मुलतवी रखनेकी सरकारसे प्रार्थना की। दूसरे प्रस्तावमें खेड़ा जिलेकी जनताको सूचना देनेके लिये अिस प्रकारका मसविदा पास किया:

### खेड़ा जिलेकी जनताको सूचना

“खेड़ा जिलेके अलग-अलग स्थानोंसे पूछा जा रहा है कि लगान मुलतवी रहनेके आन्दोलनके बारेमें क्या हुआ और माल-विभागकी तरफसे लगानके लिये जो ताकीद हो रही है, अुस बारेमें क्या किया जाय? अिस सम्बन्धमें बताया जाता है कि बम्बअी सरकारकी तरफसे अभी तक जवाब नहीं मिला है। अिसलिये जब तक बम्बअी सरकारका आखिरी निश्चय मालूम न हो जाय, तब तक यही ठीक है कि जिनकी फसल बिलकुल न आअी हो, वे अभी अिन्तजार करें और लगान देना मुलतवी रखें।”



मि० प्रैट : आप आजकलके अगते हुअे 'पोलिटिशियनों'ने यह सूचना प्रकाशित की है, परन्तु अुसकी जिम्मेदारी आप समझते हैं ?

श्री देसाजी : हां, यह सूचना हमने प्रकाशित की है।

मि० प्रैट : आपने अिसे बंटवा दिया ?

श्री मावलंकर : हां, कल खेड़ा जिलेमें भेज दी है।

मि० प्रैट : ( मावलंकरसे ) आपको बुरा न लगे तो पूछूं कि आपकी अुम्र कितनी है ?

श्री मावलंकर : तीस वर्षकी।

मि० प्रैट : अभी आप बहुत ही छोटी अुम्रके हैं, अनुभवहीन हैं। अभी आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह नहीं समझ सकते। शायद आपने अपने अध्यक्ष (गांधीजी) को बताये बिना ही यह सूचना प्रकाशित कर दी है।

श्री मावलंकर : वे जानते हैं अितना ही नहीं, बल्कि अुन्हींकी हिदायतसे पत्रिका प्रकाशित की गयी है।

श्री देसाजी : अुसका मसविदा गांधीजीने ही तैयार किया है।

मि० प्रैट : मुझे अफसोस है। परन्तु खेड़ा जिलेमें ठीक शासन करनेकी कुल जिम्मेदारी वहांके कलेक्टरकी है। क्या आप समझ सकते हैं कि अिस सूचना द्वारा आप किसानोंसे अुनके हुक्मका अुल्लंघन करनेको कहते हैं ?

श्री मावलंकर : हमारा अुद्देश्य यह नहीं है। हमने तो अिस सूचना द्वारा सिर्फ सरकारकी तरफसे आखिरी फैसला होने तक लगान देना मुलतवी रखनेकी जनताको सलाह दी है। वह भी अिसलिअे कि लोग लगातार पूछते रहते थे। लोग कलेक्टरका हुक्म न मानें, यह अुसका भावार्थ है ही नहीं।

मि० प्रैट : आप वकील है, अिसलिअे अितना तो समझ ही सकते हैं कि हरअेक व्यक्त स्वयं जो काम करता है अुसके लिअे वह जिम्मेदार माना जाता है। अिस सूचनाका अर्थ यह हो सकता है कि फसलका अन्दाज लगानेका काम आप खुद किसानको ही सौंप देते हैं, फिर भले ही वह कितना ही मामूली आदमी हो।

श्री देसाजी : आप सूचनाका जो अर्थ करते हैं वह ठीक नहीं।

मि० प्रैट : मैं बहसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं सूचनाका ठीक अर्थ कर सकता हूं। आप जवान और अनुभव हीन आदमी हैं।

में चाहता हूँ कि आप इस सूचनाके बारेमें फिर गम्भीर विचार करें और कल शाम तक अपने अन्तिम निर्णयकी मुझे सूचना दे दें।

श्री देसायी: इस प्रश्नके बारेमें हमें फिरसे विचार करनेकी, जरूरत मालूम नहीं होती। साथ ही आप मियाद बहुत कम दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी तो चंपारन (बिहार) गये हैं।

मि० प्रैट: मुझे पता नहीं कि आपके नेता हिन्दुस्तानमें चारों दिशाओंमें घूमते फिरते होंगे। मुझे यह जाननेकी जरूरत भी नहीं।

श्री मावलंकर: इस मामले पर फिरसे विचार करनेको तो हमें कार्यसमितिकी बैठक करनी पड़ेगी। यह अतने थोड़े समयमें हो नहीं सकता।

मि० प्रैट: इसका मैं क्या करूँ? यह कोअी मेरा काम नहीं है। अगर कल शाम तक आपकी तरफसे कोअी समाचार नहीं मिलेगा, तो सरकारको इस बारेमें लिखा जायगा और सभाको सरकार गैरकानूनी करार दे देगी।

अुसी दिन गुजरात सभाकी कार्यसमितिकी जरूरी बैठक करके अुसके सामने मुलाकातका सारा हाल पेश किया गया। अुसने प्रस्ताव किया कि :

“... खेतोंमें फसल चार आनेसे कम होने पर भी अुसका लगान मांगा जाय, तो अैसे अवसर पर लगान चुकाना मुलतवी करना गैरवाजिब नहीं और गैरकानूनी भी नहीं है। ... इसलिअे लगान देना मुलतवी रखनेकी खेड़ा जिलेके किसानोंको दी गयी सूचना नाजायज, अनुचित या आपत्तिजनक नहीं है। सभाका अुठया हुआ कदम इसलिअे जरूरी है कि लगान मुलतवी करानेके लिअे किये गये प्रयत्नका लाभ किसानोंको मिले।”

अिस प्रस्तावकी नकल कमिश्नरको भेज दी गयी।

अुसी दिन गांधीजीको भी जो कुछ हुआ अुसकी खबर तारसे भेज दी गयी। अुसका अुनकी तरफसे तारसे यह जवाब आया :

“कमिश्नरको लिखित अुत्तर दीजिये कि अफसरोंके भय और आतंकके कारण कुछ गरीब किसानोंको लगान चुकानेके लिअे ढोर वगैरा बेचने पड़े हैं और कुछ अिससे भी विषम स्थितिकी भविष्यवाणी कर रहे थे। अैसे हालातमें सभा द्वारा दी गयी सूचना बड़ी विचारपूर्ण और वाजिब है। अुस सूचनामें होनेवाले जुल्मोंका आभास नहीं होने दिया गया है।

“वसूलीके काममें जिन-जिन गावोंमें जुल्म गुजारे जाते हैं, उनके समाचार सरकारको तुरन्त देते रहिये।

“कमिश्नरको यह भी लिख दीजिये कि सभाके बारेमें आपको सरकारको जो लिखना हो बेशक लिख दीजिये।

“जिन सज्जनोंसे कमिश्नरने मुलाकात नहीं की, उनके अिससे होनेवाले अपमानका विरोध प्रगट करनेके लिये अेक सख्त, किन्तु सभ्यतापूर्ण पत्र लिखिये। लगान मुलतवी रहे और अभी वसूलीका काम बन्द हो जाय, अिसके लिये ज़बरदस्त आन्दोलन छेड़ा जाय। कमिश्नर द्वारा किये गये अपमान और दी गयी धमकीका यही अुपाय हो सकता है। अैसे नाजुक अवसर पर मैं वहां नहीं हूं, अिसके लिये अफसोस है।

— गांधी ”

पत्रमें गांधीजीने लिखा :

“कमिश्नरने अपना असली रूप दिखा दिया है। भूल बतानेकी गरजसे नहीं लिख रहा हूं, परन्तु भविष्यकी सूचनाके तौर पर लिखता हूं कि जब अुन्होंने सारे डेपुटेशनसे मिलनेसे अिनकार लिखा तब मंत्री भी स्वाभिमान रखकर न गये होते तो अधिक अच्छा होता। ... आपमें शक्ति हो, तो आप निर्भय होकर रैयतके पक्षमें खड़े होकर लगान न देनेकी सलाह दीजिये। अैसा करते हुअे आप पकड़े जायं, तो आपका काम पूरा हो गया कहा जायगा। ... यह सत्याग्रह है। यह निश्चित है कि अिसीसे स्वराज्य मिलेगा। संभव है वह अभी न मिले। मौका पड़ने पर अपनी शक्तिके अनुसार सत्याग्रहकी महिमा दिखाना परम धर्म है।”

खेड़ा जिलेके कार्यकर्त्ताओंको लिखा :

“आपके पत्रोंसे मुझे बड़ा आनन्द आ रहा है। परन्तु अिस समय मैं वहां नहीं हूं, अिससे व्याकुल रहता हूं। हम निर्भय होकर अपना कर्तव्य करें, तो जनताको अद्भुत पदार्थ-पाठ मिले। अधिकारी वर्गका क्रुद्ध होना बिलकुल समझमें आनेवाली बात है। जनता नींदसे जागे, यह अिन लोगोंको कैसे अच्छा लग सकता है? मैं आशा रखता हूं कि आप सब हिम्मत नहीं छोड़ेंगे। अगर हम अिस समय पूरी तरह कर्तव्य-परायणताका परिचय दें, तो स्वराज्यका शुद्ध समर्थन हो सकता है।”

अेक और पत्रमें लिखा :

“... जो लोग लगान देनेमें असमर्थ हैं, उनुकी असमर्थता सरकार माने या न माने, फिर भी वह असमर्थता तो रहेगी ही। फिर वे किस लिअे लगान दें? लोगोंको अितना ही समझ लेना है। भले ही अेक ही आदमी मजबूत रहे। वह तो विजयी हुआ माना जायगा। अिसमें से और लोग पैदा हो सकेंगे।...”

दूसरी तरफ माननीय पारेख-पटेल बम्बयी सेन्ट्ररियेटमें प्रयत्न कर रहे थे। वे माल-मेम्बर मि० कार्माअिकलसे मिले और उनसे फसल सम्बन्धी स्वतंत्र जांच करनेका अनुरोध किया। परन्तु अुन्होंने सस्तीसे जवाब दिया: “वहां कलेक्टर मि० नामजोशी अेक हिन्दुस्तानी हैं। और आपसे और मुझसे अिस विषयकी अधिक जानकारी रखते हैं। चूंकि वे खुद अिस सम्बन्धमें जिम्मेदार हैं, अिसलिअे सरकार अिसमें दखल नहीं देगी।” माननीय पारेख-पटेलने बताया कि धारासभाकी अगली बैठकमें हम अिस सवालको चर्चाके लिअे पेश कर रहे हैं, तब तक मेहरबानी करके कलेक्टरके हुक्म पर अमल मुलतवी रखा जाय। अिसका माल-मेम्बर साहवने जवाब दिया कि: “मैं अैसा कुछ भी नहीं करना चाहता।”

अुधर खेड़ाके कलेक्टरने तारीख १४-१-१८ को अेक सरक्यूलर निकाला। अुसमें गुजरात सभाकी तारीख १०-१-१८ की विज्ञप्तिका अुल्लेख करके कहा गया कि:

“अिस सम्बन्धमें खातेदारोंको चेतावनी दी जाती है कि लगान वसूल करने या मुलतवी रखनेका अधिकार जिलेके कलेक्टरको है। अुस अधिकारकी रूसे हमने जिलेकी फसलकी बारीक जांच करके अन्तिम आज्ञाअें जारी कर दी है। जिलेके कुछ गांवोंमें जहां जरूरत जान पड़ी वहां लगानका अमक भाग मुलतवी कर देनेका हमने हुक्म दे दिया है। अिसलिअे अुन हुक्मोंके अनुसार जमीनका लगान और तकावी चुका देनेका जो हुक्म हुआ है, अुसके अनुसार किसानोंको चुका देना चाहिये। फिर भी लोगोंकी बुरी सलाहके अनुसार लगान चुकानेमें जो कोअी जान-बूझकर नंगापन करेगा, अुस पर लाचार होकर कानूनके अनुसार सस्त कार्रवाअी करनेकी जरूरत पड़ेगी।”

अिसके सिवाय कलेक्टर और कमिश्नरके हाथ मजबूत करनेके लिअे बम्बयी सरकारने तारीख १६-१-१८ को अेक बयान प्रकाशित किया।

असमें कलेक्टरने सावधानीके साथ जांच-पड़ताल करनेके बाद योग्य मनुष्योंको अुचित राहत दे दी है, वगैरा बातें कहकर गुजरात सभाके बारेमें लिखा कि :

“असका केन्द्र अहमदाबाद है। असके अधिकांश सदस्य खेड़ा जिलेमें नहीं, परन्तु अहमदाबादमें ही रहते हैं। असने खेड़ा जिलेकी जनताको लगान देना मुलतवी रखनेकी तारीख १०-१-१८ को सलाह दी, अससे पहले बम्बयी सरकारको अेक प्रार्थना-पत्र भेजा था। परन्तु कलेक्टरको, जिसे अस मामलेका संपूर्ण अधिकार है, या कनिश्चरको अर्जी नहीं दी और न अससे मुलाकात मांगी। साथ ही असने किसानोंमें विज्ञप्ति बांटी, अससे पहले कलेक्टरकी अन्तिम आज्ञाओं निकल चुकी थीं। असलिअे कलेक्टरके हुक्मकी अवज्ञा करने अथवा असे मानना मुलतवी रखनेकी किसानोंको सलाह देनेकी असकी कार्रवायीको सरकार विचारहीन और अुपद्रवी समझे बिना नहीं रह सकती। . . अस धनवान और खुशहाल जिलेमें लगान वसूल करनेके काममें लोगोंको अुकसाकर खड़े किये गये और जिलेके बाहरके मनुष्यों द्वारा संचालित राजनीतिक आन्दोलनकी दस्तन्दाजी सरकार चलने नहीं देगी।”

अस बयानके समाचार गांधीजीको तारसे भेजे गये। असका जवाब अन्होंने तारसे दिया कि :

“माननीय पारेख-पटेलको, जिन्होंने स्थानीय जांच की है, दृष्टान्तों और दलीलोंके साथ जोरदार जवाब देना चाहिये। स्वतंत्र जाचकी मांगके लिअे आग्रह कीजिये। यह साबित कीजिये कि लड़ायीकी अुत्पत्ति प्रजावर्गमें से हुआ है, और पारेख-पटेल और गुजरात सभाने जनताकी मांग पर ही मदद दी है। जिन किसानोंको लगान चुकानेके लिअे कर्ज लेना पड़ता हो या मवेशी बेचने पड़ते हों, वे अपने आप अैसा न करे, भले ही सरकार अैसा कर ले। यह सलाह देनेमें मैं नहीं हिचकिचाअंगा। संकटका कारण सन्चा और काम करनेवाले होशियार हों, तो लडायीमें जरूर विजय होनी चाहिये।”

सरकारी बयानके जवाब माननीय पारेख-पटेल, गुजरात सभा और श्री शंकरलाल परीखने अुदाहरणों और दलीलोंके साथ विस्तार-पूर्वक दिये। अनमें कलेक्टरकी ‘बारीक और ध्यानपूर्वक जांच’ के बारेमें बताया गया कि तारीख १५ दिसम्बरको तो अन्होंने माननीय पारेख-पटेलसे मुलाकात की। तारीख १९ को फसलके अन्दाजके पत्रक हरअेक तालुकेसे अुनके नाम रवाना किये गये और तारीख २२ दिसम्बरको

अन्होंने अपनी आज्ञाओं प्रसारित कर दीं। तब जिलेमें छः सौ गांवोंकी बारीक और ध्यानपूर्वक जांच अन्होंने तीन दिनमें कैसे कर ली? गुजरात सभाने अपने जवाबमें बताया कि सभासे यह आलोचना किये बगैर नहीं रहा जाता कि मोटरमें बैठकर तेजीसे जाते समय देखी हुयी फसल परसे लगाये हुअे अनुमानको या डेरा-तम्बू खड़े करके वहांसे आसपासके खेतोंमें अूपरी नजरसे देखकर प्राप्त की हुयी जानकारीको 'ध्यानपूर्वक की गयी जांच' नहीं कहा जा सकता। अिसी तरह रेल्गाडीमें सफर करते हुअे नजर आनेवाले खेतोंकी स्थिति देखनेसे ही सारे जिलेकी फसलके सम्बन्धमें पूरी कल्पना कभी नहीं हो सकती। गुजरात सभा खेड़ा जिलेसे बाहरकी कोयी संस्था नहीं है। परन्तु सारे गुजरातकी संस्था होनेके कारण खेड़ा जिलेके बहुतसे निवासी अिसके सदस्य है। वह सारे गुजरातके कामोंमें दिलचस्पी लेती है और तमाम गुजरातके कामकी जिम्मेदारी रखती है। वह खेड़ा जिलेके किसानोंको भड़काना नहीं चाहती, परन्तु अुन पर आयी हुयी आफतके समयमें अुन्हें मदद देना चाहती है। साथ ही किसानोंकी विपत्तियों सम्बन्धी अर्जियों और किसानोंको दी हुयी सलाहमें राजनैतिक अुद्देश्यका आरोपण करना भी विचित्र है। और जिलेको 'धनवान और खुशहाल' कहकर अुसकी मांगको अुड़ा देनेमें तो अुसकी क्रूर हंसी है। पिछले चालीस वर्षमें अुसकी आबादीमें ११ फी सदी कमी हुयी है। अिससे अुसका 'अुपजाअुपन और समृद्धि' कितनी बढ़ी है या घटी है, सो देखा जा सकता है। तीनों जवाबोंका सार यह था।

अब तक खेड़ा जिलेके कार्यकर्ताओं और गुजरात सभाको सलाह-मशविरा देने और यथाशक्ति अुसका पथप्रदर्शन करनेके सिवाय गांधीजीने अिस मामलेमें कोयी सीधा भाग नहीं लिया था। परन्तु दिन-दिन वसूलीकी सख्ती बढ़ती जा रही थी और वसूली करनेवालोंके जुल्म मर्यादा छोड़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ कलेक्टर और कमिश्नरके नादिरशाही दौरके सामने लोग अिस तरह सिर अुठायें, यह देखकर वे यह हठ कर बैठे थे कि अुन्हींकी बात सच्ची और अुन्हींकी आज्ञा अन्तिम है। और बम्बयी सरकार अुनकी पीठ थपथपा रही थी। अैसे भयंकर संकटमें अेक साल लगानको मुलतवी करनेकी तुच्छ — क्योंकि अुसे अेक सालका ब्याज ही छोड़ना पड़ता था — राहत भी देनेको सरकार तैयार नहीं थी। और वह किसानोंको झूठा साबित



अबे दृढ़ बन गये थे। साथ ही जिलेके और गुजरात सभाके कार्यकर्त्ता नके पक्षमें खड़े रहनेको तैयार हो गये थे। अिस प्रकार सरकार र लोगोके बीच जिच पैदा हो गयी। अैसी परिस्थिति देखकर िस मामलेमें प्रत्यक्ष भाग लेनेका विचार करके गांधीजी चम्पारनसे िस ओर आये। वे चार फरवरीको बम्बयी पहुंचे। अुसी दिन शामको लजी जेठा मार्केटमें सार्वजनिक सभा हुयी। अुसमें अुन्होंने अपने िनेका अुद्देश्य समझाया। अुसका सार यह था :

“ मैं खेड़ा जिलेकी स्थिति समझानेके लिये नहीं परन्तु समझनेको आया हूं। गुजरात सभावाली सूचना तैयार करनेमें मेरा हाथ था। अुसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेता हूं। संकट अुठाने-वाले लोगोको आश्वासन देनेकी आवश्यकता प्रतीत हुयी, तब अुक्त विज्ञप्ति निकाली गयी। . . . कमिश्नर साहबने बम्बयी सरकारको गलत सलाह न दी होती, तो अैसी गम्भीर परिस्थिति पैदा न होने पाती। . . . सबसे अच्छा मार्ग यह था कि अेक स्वतंत्र पंच मुकर्रर करके जांच करायी जाय। सरकार भले ही यह कहे कि सूचनाका अुद्देश्य शुद्ध नहीं था, परन्तु जो हक सरकारी कर्मचारियोंको है, वही हक जनताको भी है। सत्ताधारी मान लेते हैं कि वे प्रजासे जो चाहें सो ले सकते हैं। परन्तु अुनकी यह मान्यता बहुत विषम स्थिति अुत्पन्न करती है। अैसे हालातमें मुझे साफ कहना चाहिये कि जिन्होंने लोगोको सच्ची सलाह दी है, अुन्हें लोगोकी मदद पर अंत तक डटे रहना चाहिये। . . . प्रजाके पास दो हथियार हैं : या तो विद्रोह करे या सत्याग्रह करे। सत्याग्रहका आश्रय लेकर दुःख सहन करके शुद्ध न्याय प्राप्त करनेके लिये मेरी खास तौर पर हिमायत है। यह सच्चा क्षात्र धर्म है। अिस हथियारका प्रयोग करके मझे ब्रिटिश सरकारको और दुनियाको विश्वास दिला देना है कि अिस तरहसे जनताको शुद्ध न्याय मिल सकता है। . . . ”

दूसरे दिन यानी तारीख ५ फरवरीको पहलेसे किये गये प्रबंधके अनुसार सर दिनशा वाच्छा, माननीय पारेख-पटेल तथा गांधीजीने गवर्नरसे मुलाकात की। गवर्नरके साथ माल-मेम्बर मि० कार्माअिकल और श्रुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैट भी मौजूद थे। चर्चाके अन्तमें गवर्नरने कहा कि वे अपना निर्णय दो-तीन दिनमें लिखकर बता देंगे। गांधीजीने अपने डेरे पर पहुंचकर गवर्नरको नीचे लिखा पत्र भेजा :

“मैं आशा रखता हूँ कि मेरे आजके सुझावके अनुसार सरकार जांच करानेका फैसला करेगी। अितना ही नहीं, वह अिसके लिये अेक स्वतंत्र पंच नियुक्त करेगी। अिसके लिये पांच सदस्य चुने जायँ और अुनमें माननीय पारेख और माननीय पटेलको रखनेकी मेरी खास तौर पर सिफारिश है। अिन दोनों सज्जनोंने अिस विषयमें शुरूसे ही दिलचस्पीके साथ भाग लिया है। अिसलिये अुनके निर्णयके विरुद्ध किसीका कुछ कहना नहीं होगा। पंचके मुखियाके तौर पर डॉक्टर हेराल्ड मैनका नाम मेरे खयालसे सबको मंजूर होगा। अुनके बजाय मि० यूबैकका चुनाव भी अुतना ही स्वागत-योग्य होगा। मैं आज साबरमती जा रहा हूँ। दो-तीन दिन आश्रममें ठहरूंगा। मेरी जरूरत पड़े तो मुझे वहां समाचार दीजियेगा।”

९ तारीखको गांधीजीको गवर्नरके मंत्रीका अुत्तर मिला कि :

“... तारीख ५ को गवर्नर साहबके साथ हुअी बातचीत और अखबारोंमें प्रकाशित विवरणोंको देखते हुअे अुन्हें जरा भी यह माननेका कारण दिखायी नहीं देता कि स्थानीय अधिकारी जानबूझकर सख्त बने है। अिसलिये वे नहीं मानते कि जांच करनेके लिये स्वतंत्र पंच मुकर्रर करनेसे लाभ होगा।

“लोगोंके मनमें जो संदेह भर गया है अुसे निकालना चाहिये, अैसा आपकी तरह वे भी मानते हैं। औअ ५ तारीखको आपने जो हकीकतें सुनीं, अुस परसे वे यह आशा रखते हैं कि आप लोगोंके दिलोंसे झूठा भ्रम दूर करनेमें भरसक सहायता देंगे।”

अिस प्रकार गवर्नर साहब जिम्मेदारीमें से निकल गये।

छ: तारीखको साबरमती आश्रम पहुंचनेके बाद तहसीलदारों और कलेक्टरोंके समय-समय पर निकाले हुअे तमाम नोटिस और सरक्यूलर गांधीजीको बताये गये। अुनकी भाषा अुन्हें बहुत कड़ी और धमकियां अत्यधिक मालूम हुअीं। अिसलिये अुन्होंने ७ तारीखको कमिश्नरको पत्र लिखा :

“कपड़वंजके तहसीलदारके हस्ताक्षरोंकी थोड़ीसी सूचनाअें मैंने पढ़ी हैं। ... अुनमें लिखा है कि ११ तारीखसे पहले लगान नहीं चुका दिया जायगा, तो जमीनें जब्त कर ली जायेंगी। जिन आसामियों पर नोटिस जारी किये गये हैं, अुनमें से कुछ मुझसे मिले। मुझे तो वे अिज्जतदार आदमी मालूम हुअे। अुन्होंने अपने हकका झगड़ा अुठाया है। अुनमें से कुछकी जमीनें सनदी हैं। मैं मानता हूँ कि

सरकारका निर्णय कुछ भी हो, परन्तु उसका अुद्देश्य ऐसे अुपाय अख्तियार करना तो हरगिज नहीं हो सकता, जिनमें वैरभाव छिपा हुआ समझा जा सके।

“अिसी तहसीलदारका अेक और बयान मुझे बताया गया है। अुसमें अिज्जतदार और प्रतिष्ठित खातेदारोंके लिये ‘नंगे’ शब्द काममें लिया गया है। मैं मानता हूँ कि अिस शब्दका अर्थ ‘लुच्चा’ या ‘बदमाश’ हो सकता है। मेरी रायमें बयानकी भाषा अशोभनीय और बहुत जी दुखानेवाली है।”

अिसका जवाब मि० प्रैटने दस तारीखको अिस प्रकार दिया :

“... लगान चुकानेमें कसूर करनेवालेकी जिम्मेदारी ‘लैन्ड रेवेन्यू कोड’ में स्पष्ट है।... कानूनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया और न किया ही जायगा। फिर भी कानूनके अनुसार की जाने-वाली कार्रवाअियोंको आप वैरभावपूर्ण कैसे कहते हैं, यह मैं नहीं समझ सकता।... कपड़वंगके तहसीलदारका बयान अुसके मातहत कारकुनका लिखा हुआ है। आप मुझे वह बयान दिखाअिये और अुसके बारेमें जो आपत्तियाँ हों वे बताअिये।”

अुपरोक्त पत्रके अुत्तरमें गांधीजीने लिखा :

“कलेक्टरके हस्ताक्षरवाले अेक नोटिसकी नकल साथमें भेजता हूँ। जिस भाषाको मैं अशोभनीय और बहुत जी दुखाने-वाली मानता हूँ, अुस पर निशान लगा दिया है। अुस वाक्यसे सभाके मंत्रियों और अुनकी सलाह माननेवाले दोनोंका अपमान होता है। मैं मानता हूँ कि गुजराती भाषामें अुन शब्दोंका जो अर्थ होता है, वैसा लिखनेका अुनका अिरादा नहीं होगा।

“तहसीलदारका बयान भी साथमें भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि अुसकी भाषा बड़ी आपत्तिजनक है।

“जब्तीके नोटिसोंके बारेमें मुझे लिखना चाहिये कि लगानकी अेक तुच्छ रकमके लिये हजारों रुपयेकी कीमती जमीन जब्त करना अपराधके हिसाबसे बहुत अधिक सजा मानी जायगी, और अिसलिये वह वैरभावपूर्ण मानी जायगी।”

१६ तारीखको मि० प्रैटने छोटासा जवाब दिया :

“बयानोंकी भाषाके बारेमें आपने कठोर शब्द अिस्तेमाल किये हैं। परन्तु अिन सब बयानोंकी जांच करने पर मुझे लगता है कि आपकी शिकायतके लिये कोअी अुचित कारण नहीं है।”

अब आगे क्या कदम उठाये जायें, इसका विचार करनेके लिये सरदारके घर पर तमाम कार्यकर्त्ताओंकी सभा हुई, जिसमें गांधीजीकी सूचना अनुसार जिलेके गांव-गांवमें घूमकर फसलके अन्दाजकी जांच करनेका निश्चय हुआ। अब स्पष्ट दिखायी देता था कि सत्याग्रह शुरू करनेके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। गुजरात सभाके सारे सदस्य सत्याग्रहका उपाय अपनानेमें विश्वास न भी रखते हों, असा सोचकर आगेके काममें सारी संस्थाको सम्मिलित न करनेके अिरादेसे गांधीजीने अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया। सभाके जो सदस्य इस काममें शामिल हों, वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर काम करें, यह समझौता हुआ। दूसरे दिन १६ तारीखको गांधीजीके साथ लगभग बीस आदमियोंकी मंडली नडियाद रवाना हुई और वहांके अनाथाश्रममें ठहरी। उसमें सरदार भी थे। अब तक वे इस काममें गुजरात सभाके एक सदस्यके तौर पर प्रसंगोपात्त भाग लेते थे, परन्तु अब वे इस काममें पूरी तरह लग गये। कोट-पतलून और हैट छोड़कर धोती, कमीज और अपूर हाफकोट और सिर पर तुर्की ढंगकी टोपी, जो बंगलौर केप कहलाती थी, पहनकर नडियाद गये। जानेसे पहले गांधीजीने कमिश्नरको लम्बा पत्र लिखा। उसके अन्तिम भागमें बताया था :

“ मैं आपको पूरी तरह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल आन्दोलन खड़ा करने या उसे अकारण प्रोत्साहन देनेकी मेरी लेश-मात्र भी अिच्छा नहीं है। मैं केवल शुद्ध सत्यकी तलाशमें ही खड़ा जिलेमें जा रहा हूं। मैं देखता हूं कि जब तक आपके स्थानीय अफसरोंकी रिपोर्ट गलत साबित न हो जाय, तब तक आप हिलेंगे नहीं। साथ ही जिलेके प्रतिष्ठित नेताओंकी दृढ़ मान्यता होने पर भी इस बारेमें सच्चे हालातका मुझे खुद यकीन कर लेना चाहिये।

“ मेरी जांचका परिणाम मालूम होने तक आप लगान वसूल करनेका काम मुलतवी रखवा देंगे, तो लोगोंमें फैले हुए असंतोषको शान्त करनेमें बड़ी सहायता मिलेगी।

“ अंक लोकसेवककी हैसियतसे मुझे भरसक मदद देनेके लिये आप कलेक्टरको हिदायत दीजिये। मेरी जांचके दरमियान आप अपने किसी प्रतिनिधिको मेरे साथ भेजें तो मुझे आपत्ति नहीं।...”

अुसी दिन कमिश्नरने जवाब दिया। अुसमें लिखा :

“ ... जांच होने तक लगान वसूलीका काम मुलतवी रखनेकी मांग फिरसे की गयी है, परन्तु असा करनेकी बिलकुल जरूरत

दिखायी नहीं देती।... कलेक्टर मि० घोषलसे आप मांग करेंगे, तो वे जरूरी जानकारी और मदद देंगे। ...”

१६ तारीखको नडियाद पहुंचने पर कार्यकर्त्ताओंके दल बना दिये गये और अन्हें गांव बांट दिये गये और दूसरे दिनसे काम शुरू कर दिया गया। सबको अेक सप्ताहमें सौपा हुआ काम पूरा करके अुसकी रिपोर्ट लेकर नडियाद आना था। गांधीजीने स्वयं ३० गांवोंकी जांच की। सरदारके दलने भी अितने ही गांवोंकी जांच की। जिलेके ६०० गांवोंमें से ४२५ गांवोंकी जांचकी रिपोर्टें सप्ताहके अन्तमें मिल गयीं। अुन परसे २६ तारीखको गांधीजीने कलेक्टरको पत्र लिखा :

“मेरी अपनी की हुयी जांच और मेरे साथ काम करनेवाले भाअियों द्वारा प्राप्त की हुयी जानकारी परसे मुझे तो निश्चित विश्वास हो गया है। फिर भी आपको अससे संतोष न होता हो, तो सरकारी और सार्वजनिक व्यक्तियोंके पंच द्वारा जांच करानेका समय अभी तक भी बीत नहीं गया है।

“मैं देखता हूं कि खातेदारों पर सख्त दबाव डालनेके कारण हजारों किसानोंने पहली किस्तकी रकम चुका दी है और कुछने दोनों किस्तें अिकट्टी चुका दी है। असके लिये कुछ लोगोंको मजबूरन मवेशी वगैरा बेचने पड़े है। साथमें जिन गांवोंमें फसल चार आने या अुससे कम हुयी है, अुनकी सूची भेज रहा हूं। मैं आशा रखता हूं कि आप अुन गांवोंकी लगान वसूली मुलतवी रखनेकी आज्ञा जारी करेंगे।”

गांवोंकी पैदावारके जो पत्रक कलेक्टरको भेजे गये, अुनसे फसलका अन्दाज लगानेकी पद्धतिके बारेमें अेक महत्त्वका प्रश्न अुपस्थित हुआ। वड़थल नामक गांवकी जांच खुद गांधीजीने की थी। वहां पाटीदारोंकी आबादी बड़ी संख्यामें है। वे अच्छे किसान है। खेतीके लिये कुओंकी संख्या भी बड़ी है। जमीन अच्छी कसवाली है। अस गांवके किसान साधारण अच्छे वर्षोंमें खरीफ (बरसाती) और रबी (जाड़ेकी) दोनों फसल लेते है। गांधीजीने अपनी जांचमें यह नतीजा निकाला कि अस गांवकी फसल दो आने हुयी। चूंकि यह गांव जिलेके अुत्तम गांवोंमें से अेक माना जाता है और गांधीजीने खुद वहां जांच की थी, असलिये वहांका जो परिणाम निकले, अुससे अच्छा परिणाम जिलेके किसी भी गांवका नहीं हो सकता। असलिये गांधीजीने कलेक्टरको सुझाया कि आप अस गांवकी अच्छी तरह जांच कीजिये और अपनी जांचके समय मुझे

अनुपस्थित रहनेका अवसर दीजिये। परन्तु गांधीजीको मौजूद रखनेके अनुरोध पर ध्यान न देकर कलेक्टरने अकेले जांच की और गांवकी पैदावारके सम्बन्धमें लम्बी टिप्पणी तैयार की। इस गांवकी पैदावारका सरकारी अन्दाज शुरूमें बारह आने था। कलेक्टरने अपनी अकतरफा जांचके परिणामस्वरूप कमसे कम सात आने बताया। सरकारकी अन्दाज लगानेकी पद्धति ऐसी थी कि सारे गांवकी पैदावारकी कुल मात्रामें जितनी जमीन बोधी गयी हो उसके क्षेत्रफलका भाग लगा दिया जाता था। साथ ही खरीफ और रबी दोनों फसलोंके अन्दाजका जोड़ लगा लिया जाता था। कलेक्टरने तारीख ७ मार्चको इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाला पत्र लिखा। उसमें बताया :

“आपके हिसाबके अनुसार एक खेतमें खरीफकी पैदावार बिलकुल न हुयी हो और उसी खेतमें बादमें रबीकी फसल दस आने हुयी हो, तो आप  $\frac{0+10}{2}=5$  आने गिनते हैं। इस हिसाबसे किसानको लगानकी आधी रकम मुलतवी करनेका हक हो जाता है। परन्तु इस तरह हिसाब नहीं लगाया जाता। एक ही जमीनमें दूसरी फसल ली जाय, तो अन्दाज लगानेके लिये दोनों फसलोंके अन्दाजमें दोका भाग लगाकर अन्दाज नहीं लगाना चाहिये। (परन्तु दोनोंके जोड़के बराबर अन्दाज समझना चाहिये) क्योंकि दूसरी फसलसे जो विशेष लाभ होता है, उसके बदलेमें कोअी विशेष लगान नहीं लिया जाता। खरीफसे रबीकी फसल अधिक कीमती होती है। उस पर खर्च भी कम होता है। बैलों, औजारों या निदायी पर कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। दूसरे, लगान भी नहीं देना पड़ता। बीज और थोड़ा बहुत फुटकर खर्च होता है। इस प्रकार जितनी दूसरी फसल होती है, अतना उससे नफा ही रहता है।

“(साथ ही जैसा आपने लगाया है वैसे) खेतवार हिसाब लगानेका तरीका भी गलत है। हरअक किसानकी फसलकी स्थितिकी जांच करना और हिसाब लगाना असम्भव है। सारे गांवकी सम्मिलित स्थितिके हिसाबका खंयाल रखना चाहिये।

“और मुझे बता देना चाहिये कि आम तौर पर इस जिलेमें रबीकी फसल थोड़ी मात्रामें की जाती है, परन्तु इस साल रबीकी फसल ज्यादा होना सम्भव है। अतिशय वर्षासे खरीफकी फसलको जो कुछ नुकसान हुआ है, उसे हम गिनें तो अतिशय वर्षाके कारण रबीकी फसलको जो लाभ हुआ है, उसे भी देखना चाहिये।”

अस पत्रमें यह तर्क किया गया है कि अेक ही खेतमें दो फसलें ली जायं, तो अुनका दुगुना अन्दाज मानना चाहिये; यह हिसाब लगाया गया है कि जितनी दूसरी फसल होती है अुतना ही किसानको नफा रहता है; और किसानके दो फसलें लेने पर भी सरकार दुगुना लगान नहीं लेती, तो मानो वह मेहरबानी करती है, अैसा असमें भाव है। साथ ही यह बात तो अुड़ा ही दी गयी है कि रबीकी फसलको कभी रोग लग गये थे और अुसमें चूहे भी हो गये थे। ये सब बातें देखते हुअे अस बारेमें अधिक तर्क करनेकी जरूरत नहीं रह जाती कि सरकारका रैयतके मां-बाप होनेका जो दावा था वह कितना खोखला था। सत्याग्रहकी लड़ायी शुरू होनेके बाद किन हालातमें और किन कारणोंसे लड़ायी छेड़नी पड़ी, अस बारेमें गांधीजीने अखबारोंमें अेक बयान प्रकाशित किया। अुसमें वड़थलका दृष्टान्त देकर अुन्होंने लिखा: "मेरे खयालसे वड़थलकी पैदावारके बारेमें कलेक्टरकी लम्बी टिप्पणीका मेने अच्छी तरह खंडन कर दिया है। ... साथ ही जैसा कलेक्टर कहते हैं, वैसी पैदावारका अन्दाज लगानेकी बिलकुल गलत पद्धतिको चलायें, तो अुस हिसाबसे भी (जैसा कलेक्टर कहते हैं वैसे सात आने नहीं परन्तु) छः आनेसे कम फसल होती है। किसानोंके हिसाबसे तो फसल चार आने भी नहीं बैठती।"

प्रजापक्षकी तरफसे पेश किये जानेवाले तथ्य माननेको सरकारी कर्मचारी तैयार नहीं थे और न कोअी और दलील सुनते थे। अुन्होंने तो अब तक होनेवाली फसल लगान चुकानेके लिये काफी सन्तोष-जनक है, अैसी छपी हुअी पत्रिकाअें बांटकर अुन पर किसानोंको फूसलाकर और दबाकर अुनके हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिया। सरकारके अैसे कामोंके प्रति अपना विरोध प्रदर्शित करने और अधिकारियोंको समझानेका प्रयत्न करनेवाले पत्र गांधीजीने बहुत लिखे। अुन सबके अुत्तरमें कमिश्नरने लिखा कि :

"आपके और कलेक्टरके बीच में अितना अधिक मतभेद पाता हूं कि अेक-दूसरेसे मेल नहीं खा सकता। मुझे स्वयं महसूस होता है कि आपका और आपके मित्रोंका दृष्टिकोण गलत है। कलेक्टरकी दलील सही है। अैसे हालातमें किसानोंके लिये सही और समझदारीका मार्ग यही है कि वे समय रहते लगान जमा करा दें।। अुनकी पुकार नहीं सुनी गयी, यह शिकायत करनेका अुनके लिये कोअी कारण नहीं है। प्रजाको राज्यका भाग राज्यको

देना ही चाहिये । खास तौर पर दीवानी हुकूमतसे भी मुक्त रखे गये अचलित कानूनके हुकमका विरोध करने और कानूनके अुल्लंघन करनेको मैं नंगापन ही कहता हूं । मैं जानता हूं कि नंगापन शब्द आपको पसन्द नहीं है, परन्तु गुजरातके किसान जैसे व्यवहारके लिये इस शब्दका अुपयोग करते हैं।...

“हिन्दुस्तानमें लगान अदा करनेके कानूनका भंग करना, जिसके परिणामस्वरूप शासनकार्य रुक जाय, दूसरे कानूनोंको तोड़नेसे अलग चीज है। ... ”

बादमें गांधीजीने गवर्नरको पत्र लिखकर बताया कि :

“... मुझे आशा है कि मेरे और मेरे मित्रों द्वारा प्राप्त किये हुअे तथ्यों और प्लेग तथा महंगाओके संकटको ध्यानमें रखकर लगान मुलतवी रखा जायगा या मेरी प्रथम मांगके अनुसार पंच द्वारा जांच करायी जायगी । परन्तु मेरी यह अन्तिम प्रार्थना सर्वथा अस्वीकार कर दी जायगी, तो जायदादे कुर्क हों या बिक जायें, या खेत जब्त कर लिये जायें, तो भी लगान न देनेकी किसानोंको खुले तौर पर सलाह देना मेरा फर्ज हो जायगा ।

“... मैंने जब खेड़ा जिलेमें पैर रखा, तब आपको विश्वास दिलाया था कि कोयी भी अुग्र अुपाय करनेसे पहले आपको सूचना दूंगा । मैं अुम्मीद रखता हूं कि इस पत्र द्वारा निवेदन किये गये तथ्यों पर आप ध्यान देंगे । रूबरू मिलनेकी जरूरत मालूम हो, तो सूचना मिलते ही आ जाअूगा ।”

गवर्नर साहबका ता० १७ मार्चको अुत्तर आया कि :

“सरकारको खेड़ा जिलेमें होनेवाली घटनाओंसे परिचित रखा जाता है । सरकारको पूरा विश्वास है कि कलेक्टर और माल (रेव्हेन्यू) विभागके अधिकारी किसानोंके हितों पर पूरी तरह ध्यान देकर नियम और कानूनके अनुसार चलते हैं ।”

अभी भी अेक मौका सरकारको और देनेके लिये गांधीजीने मि० प्रैटको २० तारीखको पत्र लिखा :

“सत्याग्रहके प्रतिज्ञापत्र प्रकाशित करने और सभाओं करनेसे पहले आपसे अेक अन्तिम प्रार्थना करनेकी अिजाजत चाहता हूं कि दूसरी किस्तकी रकम सारे जिलेमें मुलतवी रखनेके हुकम जारी कीजिये । अुनमें बताअिये कि सरकार यह आशा रखती है कि सनदी जमीन रखनेवाले पूरा लगान चुका देंगे । क्या इस तरहकी



आजाओं निकालना असम्भव है? इससे खलबली मिट जायगी। मेरे खयालसे मौजूदा परिस्थितिमें यह दयापूर्ण राहत मानी जायगी।”

कमिश्नरने जवाब लिखा :

“आपके पत्रमें की गयी मांगके अनुसार घोषणा करना संभव नहीं। खूब सावधानीके साथ जांच करनेके बाद और परिस्थिति पर पूरा ध्यान देनेके पश्चात् जो राहत देनी जरूरी थी, सो दे दी गयी है और वह काफी है। बाकी रही हुयी रकम वसूल करनेके लिये कलेक्टरके हुक्म जारी हो चुके है।”

अस प्रकार समझौतेकी कोशिशें खत्म हुयी। समझौतेका अक भी प्रयत्न बाकी न रहने और विरोधी पक्षकी तरफसे तमाम द्वार बन्द कर देनेके बाद ही सत्याग्रह किया जा सकता है, अस सिद्धान्तका गांधीजीने कितनी सावधानीसे पालन किया था, यह अपूरके वर्णनसे देखा जा सकता है। जो राहत पानेका किसानोंको हक था, वह अगर न मिले तो हिन्दुस्तानमें जमीनका लगान देनेसे अिनकार करके कानूनका सविनय भंग करनेका यह पहला ही प्रयोग था। अपने पर गुजरनेवाले आतंकसे लोग क्षुब्ध थे और अुसका सक्रिय विरोध करनेके लिये अधीर हो अुठे थे। परन्तु अपयुक्त समय आने तक गांधीजीने अुनसे खामोशी रखवायी। अब तक अखबारोंमें भी कोअी चर्चा नहीं छेड़ी थी। परन्तु लड़ाअी शुरू करनेके बाद अिसकी धूम मच गयी।

## खेड़ा सत्याग्रह-२

### लड़ाओ

तारीख २२ मार्चको शामके छः बजे खेड़ा जिलेके तमाम किसानोंकी अेक बड़ी सभा नड़ियादमें हुआ । अुसमें सत्याग्रहकी लड़ाओका मंगला-चरण करते हुअे गांधीजीने अेक प्रेरक और भव्य भाषण दिया । अुसके थोडेसे अंश यहां दिये जाते हैं :

“यह जिला बहुत सुन्दर है। लोगोके पास दौलत है। जिलेमें हरियाली और सुन्दर वृक्ष हैं। बिहारके सिवाय अितने सुन्दर वृक्ष मैने और कहीं नहीं देखे। बिहारको कुदरतने सुन्दरता दी है। परन्तु अिस जिलेने तो किसानोंकी अपनी मेहनत और लगनसे सुन्दरता प्राप्त की है। अिस जिलेके किसान बड़े होशियार और अुद्योगी हैं। अुन्होंने अपने प्रदेशमें सुन्दर अुपवन निर्माण किया है। वह अभिमान करने लायक है। अैसा होने पर भी यह नहीं हो सकता कि पैदावार न हुआ हो, तो भी लोगोको लगान देना चाहिये। सरकारकी कड़ी लगान-नीतिसे अैसे अुद्योगी लोग नष्ट होते जा रहे हैं और बहुतोंको खेती छोड़कर मजदूरी करनेकी नौबत आ गयी है।

“असलमें तो जो पैदावार हो अुसमें से लगान लिया जाता है। पैदावार न होने पर भी सरकार दबाव डालकर लगान ले, तो यह असह्य है। परन्तु अिस देशमें तो नियम बन गया है कि सरकारकी बात ही रहनी चाहिये। लोग कितने ही सच्चे हों, तो भी अुनकी बात न मानकर सरकारको अपने ही मनकी करनी है। परन्तु बात तो न्यायकी ही टिक सकती है। अुसके सामने अन्यायका फैसला बदलना पड़ेगा। . . . लगान मुलतवी कराकर अेक वर्षके ब्याजकी बचतके लिअे हजारों लोग झूठ बोलें, यह मानने जैसी बात नहीं है। सरकार अैसा कहे तो वह हमारा अपमान है। अिसलिअे मेरी सलाह है कि सरकार हमारी मांग मंजर न करे, तो हमें सरकारसे कह देना चाहिये कि हम लगान नहीं देंगे और अुसके लिअे हमें जो कष्ट सहन करना पड़ेगा, अुसे भोगनेको हम तैयार है ।

“क्या दुःख पड़नेवाला है, इसकी हमें कल्पना कर लेनी चाहिये। सरकार हमारे ढोर-डंगर और सामान-असबाब बेचकर लगान वसूल कर सकती है। चौथायी दंड ले सकती है। सनदी जमीनों जब्त कर सकती है। और यह कहकर कि लोग नंगापन करते हैं, कैदमें डाल सकती है। ‘नंगापन’ शब्द सरकारका है। यह मुझे बहुत खटकता है। जो सच कहे, उसे नंगा कैसे कह सकते हैं? वह नंगा नहीं परन्तु बहादुर है। अच्छी स्थितिवालोंके पास रुपया होने पर भी खेतमें पैदावार न हुयी हो, इस कारण और गरीबोंकी रक्षाकी खातिर वे अपना लगान न चुकायें, तो इसमें नंगापन नहीं परन्तु बहादुरी है। अंसा करनेमें घर-बार खोना पड़े तो उसे खो दे, वही मनुष्य यह व्रत ले सकता है। लोग प्रतिज्ञा लेकर तोड़ें और अीश्वरसे विमुख हो जायें यह मेरे लिये असह्य है। आप झूठी प्रतिज्ञा लेंगे तो मुझे अत्यन्त दुःख होगा, मुझे अपुवास करना पड़ेगा। मुझे अपुवाससे अितना दुःख नहीं होता, जितना लोगोंके धोखा देनेसे और अपनी प्रतिज्ञा तोड़नेसे होता है। सत्याग्रहमें प्रतिज्ञा सबसे कीमती है। इसकी रक्षा होनी ही चाहिये। अीश्वरके नाम पर ली हुयी प्रतिज्ञा कदापि भंग नहीं की जा सकती। हजारों मनुष्योंकी प्रतिज्ञा मेरे कुरबान होनेसे पूरी होती हो, तो भले ही यह शरीर नष्ट हो जाय। प्रतिज्ञा न ली जाय तो मुझे दुःख नहीं, परन्तु लेनेके बाद प्रतिज्ञा तोड़कर मुझे आघात पहुंचानेसे तो रातको आकर मेरी गरदन काट लेना अच्छा है। मेरी गरदन काटनेवालेको माफ करनेके लिये मैं अीश्वरसे कह सकता हूं, परन्तु प्रतिज्ञा तोड़नेवालेके लिये मैं माफी नहीं मांग सकता। इसलिये आप जो निर्णय करें, वह समझ-बूझकर करें। अपने निश्चय पर कायम रहनेवाले लोग अनुत्ति करेंगे। तब सरकार भी उनका आदर करेगी। वह जान लेगी कि ये लोग प्रतिज्ञाका पालन करनेवाले हैं। प्रतिज्ञा तोड़ने-वाला न देशके कामका है, न सरकारके कामका है, और न अीश्वरके ही कामका है।”

अुसी दिन लगभग दो सौ मनुष्योंने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये। फिर तो दिन-दिन प्रतिज्ञा लेनेवालोंकी संख्या बढ़ती गयी।

दूसरे ही दिन अेक मजेदार किस्सा हुआ। कपड़वंग तालुकेके गांवोंमें घूमकर लड़ाकीका प्रचार करनेवाले अेक स्वयंसेवक शाह भूलाभाअी रूपजी पर तहसीलदारने हुक्म जारी किया :

“वसूलीके काममें लोगोंको गलत समझाकर अुकसानेके बाबत सन् १८७९ के 'लैंड रेवेन्यू कोड' की धारा १८९ के अनुसार जवाब देनेके लिये ता० २६-३-१८ को कचहरीमें हाजिर हो।”

शाह भूलाभाजी निश्चित दिन समय पर तहसीलदारकी कचहरीमें हाजिर हुअे। कार्रवाजी शुरू होने पर सरदार अुनके बैरिस्टरके रूपमें खड़े हुअे और भूलाभाजीसे अिस प्रकार जवाब पेश करवाया :

“... समनमें बताया गया है कि वसूलीके काममें लोगोंको गलत समझाकर अुकसाते हो। परन्तु मैंने किसीको न गलत सलाह दी और न किसीको गलत अुकसाया ही। यह हुआ भी नहीं कि लोग किसी तरह गलत समझे हों या अुकसाहटमें आये हों। मैं लोगोंको सर्वथा अुचित और सच्ची सलाह देता हूं। मेरे गांवकी पैदावार चार आनेसे कम हुअी है और अिसलिये सरकारके नियमके आधार पर मेरे गांवके लोग लगान न देनेके हकदार है।

“महात्मा गांधीने ता० २२ मार्चको खेड़ा जिलेके किसानोंकी अेक बड़ी सभा करके सबको खुले तौर पर यह सलाह दी है कि अपना स्वाभिमान कायम रखनेके लिये और साथ ही यह साबित करनेके लिये कि रैयत झूठ नहीं बोलती, यह जरूरी है कि लोग अपनी खुशीसे रुपया जमा न करायें। मैं मानता हूं कि यह सलाह अुचित है। मैं अैसा समझता हूं कि लोगोंको अैसी सलाह देना मेरा फर्ज है। अिसीलिये मैं अिस प्रकार लोगोंको सलाह देता हूं। यह समझमें नहीं आता कि अिसमें कानून या नीतिका भंग होता है। फिर भी कानूनका भंग होता हो, तो अुसकी सजा भोगनेको तैयार हूं। अिसलिये आपको ठीक मालूम हो तो सजा देनेकी कृपा कीजिये। मुझे आपसे कह देना चाहिये कि जिस धाराके अनुसार आपने समन जारी किया है, वह धारा अिस कामके लिये बिलकुल लागू नहीं होती। परन्तु यह मैं कैसे मान सकता हूं कि आप यह बात नहीं जानते होंगे? फिर भी आपने मुझे आमंत्रण दिया है, अिसके लिये मैं आभारी हूं और अब अधिक आभारी बनायेंगे, तो यह आपके अधिकारकी बात है।”

तहसीलदार तो सरदारको भूलाभाजीकी तरफसे खड़े हुअे देखकर और यह अुत्तर पढ़कर ठंडे ही हो गये और तुरन्त कह दिया कि :  
“अिसमें अपराध नहीं होता। अिसलिये तुम्हें छुट्टी है।”

अस पर सरदारने भूलाभाजीसे पछवाया कि : “लगान न देनेकी बात कहनेमें अब आपको कोजी अपराध होता तो नहीं दीखता ?”

तहसीलदार : “हां, भाजी हां। तुम जो चाहो सो कहना।”

अतना कहकर भी सरदार और भूलाभाजीके चले जानेके बाद तहसीलदारने जवाबके नीचे निम्न लिखित सेरा लगाया, जो बादमें मालूम हुआ :

“शाह भूला रूपजी बैरिस्टर मि० वल्लभभाजी झवेरभाजी पटेलके साथ हाजिर हुअे और अपना लिखित बयान पेश किया है। असे पढनेसे वे होमरूल लीगके मेम्बर मालूम होते है। अन्हें वसूलीके काममें बाधा न देनेकी समझाकर जानेकी अजाजत दी गयी। असलिअे दाखिल दपतर हो।”

बादमें यह लड़ाजी किस कारण और किन हालतोंमें शुरू करनी पड़ी है और सरकारके साथ मतभेदके मुद्दे कौनसे है, अिन सब बातोंकी खेड़ा जिलेके बाहरके लोगोंको स्पष्ट कल्पना करानेके लिअे गांधीजीने अखबारोंमें अेक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित किया। अुसके अन्तिम भागमें बताया कि :

“लगान कानून अधिकारियोंको अमर्यादित सत्ता देता है। माल-विभागके अधिकारियोंके निर्णयके विरुद्ध फरियाद करनेका भी लोगोंको हक नही है। अैसी परिस्थितिमें लोग सिद्धान्तके लिअे और अधिकारी अपनी प्रतिष्ठाके लिअे लड़ते हैं। ...

“खेड़ाके किसानोंने न्याय और सत्यकी लड़ाजी लड़नेका साहस किया है। अुन्हें मदद देनेके लिअे पत्रकारों और सार्वजनिक नेताओंसे प्रार्थना करनेकी अजाजत चाहता हूं। पाठकोंको यह भी याद रखना चाहिये कि खेड़ा जिलेकी जनताका अस वर्ष प्लेगने कचूमर निकाल दिया है। अस समय भी लोग गांवके बाहर खेतोंमें खास तौर पर खड़े किये हुअे छप्परोंमें रहते है। ... भाव बढ गये है, परन्तु कोजी पैदावार नहीं हुअी, असलिअे किसानोंको बढे हुअे भावोंका कोजी लाभ नहीं मिल रहा है और महंगाजीकी सारी असुविधाअें अुन्हें अुठानी पड़ रही हैं। फिर भी अुन्हें रुपयेकी मददकी जरूरत नहीं। वे तो अेक स्वरसे सारी जनताका समर्थन और सहानुभूति चाहते हैं।”

बादमें तुरन्त ही अिन्दीरके हिन्दी साहित्य सम्मेलनके अध्यक्ष नियुक्त होनेके कारण थोड़े दिन अुन्हें वहां जाना पड़ा। अुनकी गैर-मौजूदगीमें सरदार सारा काम सम्हालते थे। तारीख ३० मार्चको

खेड़ा जिलेके किसानोंकी अेक और बड़ी सभा नड़ियादमें की गयी । अुसमें बम्बयीकी होमरूल लीगके बहुतसे प्रमुख सदस्य सम्मिलित हुये । अुस सभाके सभापतिपदसे सरदारके दिये हुये भाषणमें से कुछ अुद्गार यहां देता हूं :

“अिस लड़ायीसे सारे देशमें आग लग जायगी । दुःख सहन किये बिना सुख नही मिलता, और मिल जाय तो वह लम्बे समय तक टिकता नहीं । मजबूत और दृढ़ विचारोंकी जनता हो, अिसीमें राज्यकी शोभा है । नालायक और डरपोक प्रजाकी वफादारीमें सार नहीं । निडर और स्वाभिमानकी रक्षा करनेवाली वफादार प्रजा ही सरकारको शोभा देती है । . . .

“२३ लाखके लगानमें से पौने दो लाखकी रकम मुलतवी की गयी है । साथ ही पहली किस्त अधिकतर चुका दी गयी है । अिस प्रकार बाकी दसेक लाखकी रहेगी । अितनीसी रकम बम्बयी या गुजरातसे चन्दा करके अिकट्टी कर ली जाय और सरकारको चुका दी जाय, तो लोगोंको राहत मिले और सरकारकी तरफसे दी जानेवाली तकलीफोंसे वे बच जायें, अैसा विचार कुछ लोगोंको होता होगा ।\*

\* ‘अिडियन सोशियल रिफॉर्मर’ साप्ताहिकमें श्री नटराजनने खेड़ा सत्याग्रहके विषयमें अेक अग्रलेख लिखा था । अुसका मतलब यह था कि मान लें कि जिलेमें फसल बिलकुल मारी गयी, अिसलिअे लगान मुलतवी करानेके किसान हकदार हैं । फिर भी सरकार मुलतवी नहीं करती, तो अिसका अुपाय यह नहीं है कि सत्याग्रह करके लगान न दिया जाय । परन्तु बम्बयी सरकार न माने तो भारत सरकारके पास जायें, सारे देशमें लोकमत जाग्रत करें और अिससे भी आगे अंग्लैंड जाकर पार्लियामेंटमें आवाज अुठायें और अंग्लैंडका लोकमत जाग्रत करनेका प्रयत्न करें । कानून भंगके आन्दोलनका कुल मिलाकर लोक-मानस पर खराब असर होता है, और समाजमें अच्छे कानूनोंके प्रति भी आदरकी वृत्ति घटती है । साथ ही अैसी लड़ायीसे तो लोग और भी दुःखी होते हैं । खराब वर्षका दुःख तो है ही, अिसके सिवाय सरकारकी कुर्कीमें लगानसे भी कहीं ज्यादा कीमतका माल जाता है और वह पानीके मोल नीलाम होता है । यह अतिरिक्त दुःख होता है । अिसलिअे जो चुका सकते हों, अुन्हें आपत्तिके साथ चुकानेकी सलाह दी जाय और जो गरीब हों अुनके लिअे चन्दा करके लगान चुका दिया जाय और हमारी वैधानिक लड़ायी जारी रखी जाय । सरदारके भाषणमें अिस चीजका जवाब दिया गया है ।

परन्तु जिस वीर पुरुषने यह लड़ाई छेड़ी है, वह नामदोंको मर्द बनानेवाला है और खेड़ा जिला हिन्दुस्तानमें वीर पुरुषोंकी भूमि है। वे असी मददका विचार तक नहीं कर सकते। रुपयेकी सहायतासे सच्चा लाभ नहीं हो सकता। असिसे कुछ असली दुःख नहीं मिटता। अक बार दुःख अुठाकर सरकारकी पद्धति बदल देंगे, तो ही हमेशाका दुःख मिटेगा।”

अिस लड़ाईकी जड़ डालनेमें श्री मोहनलाल पंड्याके साथ श्री शंकरलाल परीखका भी हाथ था। वे शुरूसे अखीर तक लड़ाईमें शामिल रहे थे। अिसी अरसेमें शंकरलालकी जानकारीके बिना अुनकी जमीनका लगान अुनके किसानोंको समझाकर और दबाकर गांवके मुखियाने जमा करवा दिया और सरकारी कागजातमें वह श्री शंकरलालके नाम पर जमा हो गया। शंकरलालने यह हाल अत्यन्त दुःखके साथ गांधीजीसे कहा। अुन्हें भी दुःख हुआ। अुन्हें खयाल हुआ कि अिस चीजका बड़ा अनर्थ होगा। अुन्होंने शंकरलालसे कहा कि, “तुम्हारा लगान किसी भी तरह चुकाया गया हो, परन्तु मेरे खयालसे अिससे तुम्हारे प्रतिज्ञा-पालनमें दोष तो आ ही जाता है। अिसलिअे दोषमुक्त होनेका अुपाय यही है कि तुम जमीन गांवके सार्वजनिक अुपयोगके लिअे दान कर दो।” शंकरलालने यह सलाह मानकर जमीन गांवको दे दी और अपनी गफलतके दोषका निवारण किया।

गांधीजी जब अिन्दौर गये हुअे थे, तब वड़थलके कुछ नेताओंकी हजारां रुपयेकी कीमतकी जमीन थोड़ेसे लगानके रुपयोंके लिअे जब्त कर ली गयी। गांधीजीने आकर अुन्हें सलाह दी कि तुम खेतोंमें जो काम करते हो, अुसे यह मानकर करते रहो मानो जब्तीके नोटिस तुम पर तामील ही नहीं हुअे। अधिकारियोंने सोचा था कि जब्तीसे डरकर किसान खुशामद करते हुअे और सलामें झुकाते हुअे लगान चुकाने आयेंगे, परन्तु अिन किसानोंने तो जब्तीके नोटिसोंकी परवाह ही नहीं की और अुल्टे अधिक दृढ़ बन गये। अिसलिअे अधिकारियोंने जब्तीके नोटिस देकर भी अुन आसामियोंके यहां कुर्कियां करके लगान वसूल कर लिया।

सरकारी अधिकारियोंका कुर्कियोंका सपाटा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ गांधीजी, सरदार और दूसरे कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर लोगोंको हिम्मत बंधा रहे थे और अुन्हें अपनी प्रतिज्ञाके विषयमें जाग्रत रखते थे। खेड़ा जिलेकी प्रजा और गुजरातके कार्यकर्ताओंके

लिअे यह कीमती तालीम थी। सरदारमें नेतृत्वके गुण तो जन्मसे ही थे, परन्तु अिस लड़ाीमें तो अुन्होंने सचमुच सिपाहीगीरी की थी। वे अनिवार्य होने पर ही बोलते थे। गांधीजी किस तरह सरकारी अधिकारियोंके साथ पत्र-व्यवहार चलाते हैं और बातचीत करते हैं, किस तरह लोगोंको कसते हैं और अूँचा अुठाते हैं, और तीव्रसे तीव्र लड़ाी हो रही हो, तब भी समझौतेके प्रयत्न तो जारी रखते ही हैं और अुसका अेक भी मौका हाथसे नहीं जाने देते, ये सब बातें वे अपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे देखते थे। अिस लड़ाीमें मिली हुअी दीक्षा और पदार्थपाठोंसे थोड़े ही वर्षोंमें अुन्होंने गांधीजीको गुजरातके बारेमें बिलकुल निश्चिन्त कर दिया। दूसरी तरफ गांधीजी भी सरदारको बारीकीसे देख रहे थे। तारीख ४ अप्रैलको करमसदकी सभामें गांधीजी द्वारा प्रगट किये गये ये अुद्गार हमें अिस बातकी प्रतीति कराते हैं:

“यह गांव वल्लभभाजीका है। वल्लभभाजी यद्यपि अभी आगमें हैं और अुन्हें अच्छी तरह तपना है, परन्तु मेरा खयाल है कि वे अुसमें से कुन्दन बनकर निकलेंगे।”

अिस सभामें प्रतिज्ञा पर किसानोंके दस्तखत करानेका काम हो रहा था, अुस बीच गांधीजीने कहा कि किसीको कोअी शंका हो तो पूछे। अेक जनने कहा कि गांवमें विरोधी पक्षके कुछ लोग अैसे हैं, जो सरकार द्वारा जमीने बेचे जानेका अितजार कर रहे हैं और नीलाम होते ही ले लेंगे। गांधीजीने जो जवाब दिया वह बड़ा सूचक है। जमीन पर सरकारका हक कितना और किसानका कितना है, अिस बारेमें कानूनमें कुछ भी लिखा हो, परन्तु अिस विषयमें गांधीजीकी भावना कितनी तीव्र थी, सो अिन पंक्तियोंमें व्यक्त होती है:

“यह लड़ाी भीख मांगने तककी नौबत ला सकती है। बुरी नियत रखकर जो हमारी जमीन पर टकटकी लगाये बैठे हैं, वे अिसे लेकर पचा नहीं सकेंगे। सरकार भी जब जमीन पर हाथ डालेगी, तब हमें अुसके विरुद्ध विद्रोह करना है। थोड़ेसे लगानके रूप्योंके लिअे सरकार हजारों रूप्योंकी जमीन लेगी, तो वह अुसे पचा नहीं सकेगी। यह लूट-खसोटका राज्य नहीं, परन्तु न्यायका है।\* जिस दिन मुझे यह पता लग जायगा कि यह राज्य जान-बूझकर लूट-खसोट करनेवाला है, अुस दिन यह समझ लो कि मैं बेवफा

\* अुस समय ब्रिटिश न्याय पर गांधीजीको खूब भरोसा था।







खेड़ा सत्याग्रहके समय

हूँ। यह डर क्यों रखना चाहिये कि हमारी जमीन चली जायगी तो हम क्या करेंगे? इस जमीनको कोअी हरगिज नहीं बिकवा सकेगा।”

सरदारको अपने जन्मस्थान करमसदकी फूटकी बात सुनकर बड़ा दुःख हुआ। अिसे अुन्होंने अिन शब्दोंमें प्रगट किया :

“गांवकी मौजूदा स्थिति देखकर मुझे अपने छुटपनके दिन याद आते हैं। अुस समय यहांके बुजुर्गोंका अितना मान-मरतबा था कि अधिकारी अुनके सामने आकर बैठते और पीछे-पीछे चलते थे। परन्तु हममें फूट घुस गयी है। अैसे अवसर पर फूट नही मिटायेंगे तो कब मिटायेंगे? भगवान आपकी लाज रखे।”

कमिश्नर मि० प्रैटको विचार आया कि किसानोंकी कानूनमें क्या स्थिति है और सरकार कितनी रहमदिल है, यह मैं लोगोंको रूबरू समझाऊं तो वे जिस अुल्टे रास्ते लग गये हैं, अुससे अुन्हें लौटा सकता हूँ। परन्तु वे या जिलेके अधिकारी सभा करें तो अुसमें आये कौन? सरकारके अितने जुल्मों और नीचेके कर्मचारियोंकी बेहद छेड़छाड़के बावजूद गांधीजी तो अपना काम बिलकुल द्वेष रहित होकर और अत्यन्त सद्भावपूर्वक करते थे। अिस लड़ाअीके सिलसिलेमें अुनका मि० प्रैटसे कअी बार मिलना हुआ था, अिसलिअे मि० प्रैट अिस वस्तुको समझ गये थे। अुन्होंने अपनी सभाके लिअे जिलेके लोगोंको अिकट्टा कर देनेकी गांधीजीसे मांग की और गांधीजीने पत्रिका निकालकर सारे जिलेके लोगोंको कमिश्नरकी सभामें शरीक होनेकी सलाह दी। ता० १२ अप्रैलको नडियादमें तहसीलदारकी कचहरीके मैदानमें शामके तीन बजे जिलेके मुख्य-मुख्य लगभग दो हजार किसानोंकी सभा हुआ। अुसमें जिला कलेक्टर और तमाम तालुकोंके तहसीलदार और दसरे सरकारी नौकर अुपस्थित हुअे। गांधीजी स्वयं अुस सभामें नही गये, परन्तु सरदार और अन्य कार्यकर्ताओंको भेजा। कमिश्नरने अपनी टूटी-फूटी गुजराती भाषामें बड़ा लम्बा भाषण दिया। अुसका महत्त्वपूर्ण भाग यहां दिया जाता है :

“मेरी बात सुनकर व ध्यानमें रखकर जब घर जायें तब मेहर-बानी करके गांवमें अुसे प्रसिद्ध कीजिये, ताकि सारे जिलेमें जानकारी फैल जाय। कारण यह है कि मैं अभी जो कुछ कह रहा हूँ, वह कोअी आपके लिअे ही नहीं है, परन्तु तमाम जिलेके लिअे है।

“आपको मेहरबान गांधी साहबने — श्रीयुत महात्मा गांधीजीने—और मेहरबान वल्लभभाजी साहबने और उनके साथ जो सज्जन काम कर रहे हैं, अन्होंने बहुत सलाह दी है, गांव-गांव घूमकर भाषण दिये हैं। आज कृपा करके हमारा भाषण सुन लीजिये।

“किसान लोगोंके हक और सैस हैं कि आप जमीनको अपने अधिकार और अुपभोगमें वंशपरम्परा तक रख सकते हैं। असके साथ ही आपका फर्ज है कि कानूनके अनुसार जो लगान मुकर्रर हुआ है वह आप अदा करें। अस कर्तव्यपालनकी शर्त पर आप अपनी जमीन रख और भोग सकेंगे। ... सरकार लगान लगाती है। असके अफसर लगाते है। असमें वकीलों या वैरिस्टरोंका हाथ नहीं है। कर लगानेमें सरकारके सिवाय और किसीका अधिकार नहीं है। असका झगड़ा दीवानी अदालतमें जा नहीं सकेगा। यह कहकर कि लगान अधिक है, कोअी दावा करेगा तो वह चलेगा नहीं। ... किसान लोगोंको कानूनके अनुसार हक नहीं है कि वे यह मांग और झगड़ा करें कि लगान मुलतवी रखना चाहिये। अस मामलेमें हक हमारा है। फसलकी हालतको ध्यानमें रखकर जो अंतराज हों, अन्हें सुनकर हम अन्तिम आज्ञा जारी करते हैं। अन्तिम आज्ञाके बाद विवाद नहीं हो सकता। अन्तिम आज्ञा देनेकी सत्ता अफसरोंके हाथमें है, मेहरबान गांधी साहबके हाथमें नहीं है, मेहरबान वल्लभभाजी साहबके हाथमें भी नहीं। आपको दिलमें समझ लेना चाहिये कि अस मामलेमें आपकी कोअी लड़ाअी चल नहीं सकेगी। मेरे शब्द आपको सुन लेने चाहियें। मेरे शब्द मेरे ही नहीं हैं, परन्तु अन्तिम आज्ञाके रूपमें हैं। मेरे शब्द अकेले मेरे ही नहीं हैं, परन्तु माननीय लार्ड विल्किन्सन साहबके हैं। मेरे हाथमें अुनका पत्र है कि अस काममें आप जो हुक्म देंगे अुसे मैं बहाल रखूंगा। आपको समझ लेना चाहिये कि यह मैं ही नहीं कह रहा हूँ, माननीय गवर्नर साहब कह रहे हैं।

“मेहरबान गांधी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, पवित्र मनुष्य हैं। वे अच्छे अुद्देश्यसे, पवित्र अंतःकरणसे आपका लाभ समझकर आपको सलाह देते हैं। वे अस तरहसे कहते हैं कि लगान न देकर आप गरीब लोगोंका बचाव करेंगे। कलकी मुलाकातमें वे मुझसे यही कहते थे। ... परन्तु क्या सरकार गरीब-परवर नहीं है ? गरीबोंकी रक्षा करनेका फर्ज आपका है या सरकारका ? क्या आपको

अकालकी याद नहीं है? ५६ के सालमें और ५८ के चूहोंसे होनेवाले अकालमें मैं अहमदाबाद और पंचमहालमें कलेक्टर था। आपको याद होगा कि गरीबोंके बचावके लिये सरकारने कितने अधिक अमारती काम खोल दिये थे। गरीब लोगोंके लिये भोजनालय खोले, तालाब बनवाये, तकाबी दी और लाखों रुपये खर्च किये, यह मुझे याद है। आपमें से जो बूढ़े हैं, अन्हें जरूर याद होगा। ऐसी सरकारके विरुद्ध आजकल जिलेमें आपकी लड़ाई हो रही है। दुनियामें बड़ी लड़ाई हो रही है। समय ऐसा है कि सरकारको सब तरहसे मदद देनी चाहिये, परन्तु इस जिलेमें सरकारको क्या मिल रहा है? मदद मिल रही है या लड़ाई मिल रही है?

“सरकारके विरुद्ध आप लड़ाई करेंगे, तो उसका जो परिणाम होगा सो आपके सिर पर होगा; होमरूलवाले सज्जनोंके सिर पर नहीं होगा। उनकी कोअी हानि नहीं होगी। जो होमरूलवाले भाषण देते हैं, वे कोअी जेलमें नहीं जायेंगे। अफ्रीकामें जब ऐसी लड़ाई की थी, तब श्रीयुत महात्मा गांधी जेलमें गये थे। इस राज्यमें वे जेलमें नहीं जायेंगे। जेल उनके योग्य नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि वे बहुत अच्छे और पवित्र मनुष्य हैं।

“सरकारके मनमें गुस्सा नहीं है। मां-बापको बच्चे लात मारते हैं, तो मां-बापको अफसोस होता है, गुस्सा नहीं आता। यह सब नुकसान — कुर्की, चौथाअी, जब्ती, स्थायी बन्दोबस्तवाले गांवको बांट देना वगैरा तमाम हानियां आपको क्यों सहन करनी चाहियें? क्या आप अपनी जायदाद फेंक देंगे, अपने स्थायी पट्टे फेंक देंगे? अपने बाल-बच्चोंका विचार नहीं करेंगे? क्या आप मजदूर-वर्गमें अुतर जायेंगे? किसलिये?

“जमीनके कानूनके बारेमें मेरा २८ वर्षका अनुभव है। श्रीयुत महात्मा गांधी मेरे मित्र हैं। वे अभी दो-तीन बरससे अफ्रीकासे आये हैं। जीवनका बड़ा भाग अन्होंने अफ्रीकामें बिताया है। वे विद्यामें, भाषाके मामलेमें और धर्मके बारेमें बड़े पंडित हैं। अिन विषयोंमें वे जो अुपदेश देते हैं सो सही हैं। परन्तु शासनकार्यमें, जमीनके मामलेमें और लगानके बारेमें वे कम जानते हैं। इसमें मैं अधिक जानता हूं। तुम्हारे लिये जो परिणाम होगा, अुससे मुझे अफसोस होगा। अच्छे पाटीदार लोगोंके नम्बर जम्त होंगे तो मुझे दुःख होगा। सरकार जानती है कि

किसानोंके हकके बारेमें गलतफहमी हुयी है, अिसलिये दयालु सरकार आपको मेरी सलाह सुननेका यह आखिरी मौका देती है।

“मैं अन्तिम परामर्श देने आया हूं। मुझे अितना ही कहना है कि किसान लोगोंका फर्ज है कि हमारे खजानेमें रुपया जमा करा दें। आप यह न समझिये कि हमारे तहसीलदार साहब और पटवारी आपका माल कुर्क करके रुपया लेंगे। हम अितना कष्ट नहीं उठायेंगे। हमारे अफसरोंका वक्त कीमती है। वे वसूलीके लिये किसीके घर नहीं जायेंगे। मैं आपको धमकी नहीं देता। आप अच्छी तरह समझ लीजिये। मां-बाप धमकी नहीं देते, परन्तु सलाह देते हैं। आप लगान नहीं चुकायेंगे तो जमीन जब्त हो जायगी। बहुत लोग कहते हैं कि जमीन जब्त नहीं होगी। मैं कहता हूं अैसा ही होगा। मुझे प्रतिज्ञा करनेकी जरूरत नहीं है। मैं अपने शब्द सच्चे साबित करूंगा। जो लोग जान-बूझकर अिनकार कर रहे हैं, अुन्हें फिर जमीन नही दी जायगी। अैसे किसान सरकारी कागजातमें नहीं चाहिये। अैसे किसानोंके नाम हमारे अधिकारपत्रों( रेकार्ड ऑफ राअिट्स ) में नहीं लिखे जायेंगे। जो निकल जायेंगे, वे फिर दाखिल नहीं होंगे।

“अब मुझे दो शब्द कहने बाकी है। कोअी मनुष्य गलतफहमीमें या भूलसे प्रतिज्ञा करे, तो वे अुससे बंधे हुअे नहीं रहेंगे। अैसी प्रतिज्ञा टिक नहीं सकेगी। अैसी प्रतिज्ञा आप तोड़ देंगे, तो कोअी मनुष्य नहीं कह सकेगा कि यह आपका पाप है, दोष है। कोअी गलत प्रतिज्ञा तोड़ेगा, तो दुनिया अुसे निर्दोष करार देगी। अहमदाबादमें क्या हुआ, अुस पर आपने ध्यान दिया होगा। परन्तु बहुत लोग अखबार नहीं पढ़ते, अिसलिये मैं कह देता हूं कि अहमदाबादमें अेक लड़ाअी हो रही थी। लड़ाअी सेठों और मजदूर लोगोंकी थी। मजदूरोंने यह प्रतिज्ञा की कि हमें ३५ फीसदी वृद्धि मिलनी चाहिये। ३५ से कम मंजूर नहीं करेंगे। वह न मिले तब तक काम नहीं करेंगे। अन्तमें क्या हुआ? मालूम हो गया कि वह प्रतिज्ञा अुचित नहीं थी। वह प्रतिज्ञा कायम नहीं रह सकी। अब वे सब प्रतिज्ञा तोड़कर २७॥ फीसदी मंजूर करके अपने काम पर लग गये हैं। अिसी तरह मैं कहता कि हूं जिस समय आपने गलत प्रतिज्ञा ली, अुस समय सरकारके प्रति आपका जो फर्ज है अुसे भूलकर प्रतिज्ञा ली। अिसके सिवाय यह प्रतिज्ञा करनेसे जो नतीजा होगा,

अुसके बारेमें आपको पूरा खयाल नहीं था। अपने लिअे ही नहीं, परन्तु अपने बच्चोंके लिअे भी आपने परिणामोंका विचार नहीं किया। अिन सब बातों पर ध्यान देकर अब आप फिर विचार कीजिये कि सरकारके प्रति फर्ज अदा करें या प्रतिज्ञासे चिपटे रहकर जो परिणाम हो असे भोगें।”

बादमें रुमसदके अेक खातेदारने खड़े होकर कहा कि: “हमारी यह लड़ाअी सरकारको तंग करनेके लिअे नहीं है। परन्तु रुपयेवाले लगान चुका दें, तो गरीबोंको मजदूरीसे कर्ज करके रुपया चुकाना पड़े।”

कमिश्नर: “तो क्या तुम यह कहते हो कि यह लड़ाअी नहीं है? यह लड़ाअी ही है। मेहरबान गांधी साहब कहते हैं, सब कहते हैं।”

यह कहकर अुन्होंने सरदारकी तरफ देखा, तो सरदारने खड़े होकर बताया कि, “यह लड़ाअी है, यह तो ये किसान भी कहते हैं। परन्तु अिनका यह कहना है कि लड़ाअी सरकारको तंग करनेके लिअे नहीं है।”

फिर सरदार आगे बोलनेवाले थे कि कमिश्नरने पूछा “आपको भाषण देना है?” सरदारने जवाब दिया: “मुझे और कुछ तो नही कहना है, परन्तु आपन अहमदाबादके मजदूरोंके विषयमें जो कुछ कहा है अुसके बारेमें स्पष्टीकरण करना है।” कमिश्नरने कहा: “अच्छा आप बोलिये, परन्तु आज हमारी बारी है, हमारे पक्षमें बोलियेगा।” फिर सरदारने बताया कि:

“मेहरबान कमिश्नर साहबने अहमदाबादके मजदूरोंकी प्रतिज्ञाकी जो बात बताअी, अुसका स्पष्टीकरण करना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि अुस समय काम करनेवालोंमें मै भी अेक था। वहां मजदूरोंकी प्रतिज्ञा टूटी ही नहीं। जबसे लड़ाअी छिड़ी तबसे यह निश्चय था कि अगर सेठ लोग पंच स्वीकार करें, तो वह पंच जो वृद्धि तय कर दे वह मजदूरोंको मंजूर होगी और वे काम पर लग जायेंगे। बादमें पंच मुकर्रर हुअे। पहले दिन मजदूर ३५ फी सदी लेकर काम पर गये और पंचका फैसला होने तक २७।। प्रतिशत ले रहे हैं। पंचके फैसलेके अनसार बादमें कमी-बेशीका हिसाब होगा। पंचकी बात तो समझौतेसे पहले भी अखबारोंमें आ गअी थी। समझौतेके दिन मजदूरोंकी सभामें हमारे कमिश्नर साहब भी पधारे थे। अुनके दिलमें गांधी साहबके लिअ बहुत आदर है। (कमिश्नर: हां, है) गांधी साहबके दिलमें भी प्रैट साहबके लिअ आदर है। मेरे दिलमें भी है। अिन साहबने मिल मजदूरोंको अुस दिनकी सभामें सलाह दी थी कि, ‘गांधी साहब तुम्हें सच्ची-सच्ची सलाह देंगे। तुम अिनकी सलाहके अनुसार चलोगे, तो तुम्हारा सुधार होगा और तुम्हें न्याय प्राप्त

होगा ।' मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी इस मामलेमें महात्माजीकी सलाहके अनुसार चलेंगे, तो अिन्हीं कमिश्नर साहबके हाथों न्याय प्राप्त कर सकेंगे। यहां भी कमिश्नर साहब कमेटी नियुक्त करके जांच करायें तो हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। सब मामला सीधा हो जायगा।"

श्री मोहनलाल पंडयाने कहा: "जो प्रतिज्ञा ली गयी है, वह विचार करके ली गयी है। सूर्य भगवान अिधरसे अुधर अुगें, तो भी वह बदल नहीं सकती। फिर भी सरकार माओ-बाप तमाम रैयतको मार डालेगी, तो वह दुःख हम धीरजसे सहन कर लेंगे परन्तु रुपया नहीं चुकायेंगे।"

चिखोदराके अेक किसानने कहा: "कमिश्नर साहबको मैंने आज ही दखा। बड़े भले मालूम होते है। साहब कहते है कि ८० फी सैकड़ा तो चुका दिया गया है, तब बाकी थोड़े ही रुपये रहे होंगे। अितने रुपयेके नौ महीनेके ब्याजका नुकसान सरकारको हो सकता है। असलिये राजा और प्रजाके बीच अेकता होती हो, तो अुस नुकसानके पेटे, मैं बाल-बच्चेवाला हूँ तो भी, १००० रुपया देनेको तैयार हूँ।"

कमिश्नर: "सरकारको रुपयेके मामलमें कोअी मुश्किल नहीं है। अेक रुपया भी अधिक नहीं दोगे तो कोअी हर्ज नहीं।"

अुत्तरसंडाका अेक किसान: "मुझे पर जब्तिका नोटिस आया है। मुझे चार रुपये देने है। मैंने असिस्टेन्ट कलेक्टर साहबसे कहा कि चार रुपयेकी ही जमीन जब्त कीजिये। परन्तु क्या सरकार चार रुपयेके लिये १००० रुपयेकी जमीन ले सकती है?"

कमिश्नर: "हां, यह सरकारकी मरजीकी बात है। यह झगड़ा चार रुपयेका नहीं है। झगड़ा ३६ करोड़का है। तुम झगड़ा करोगे तो सारा देश झगड़ा करेगा।"

अुपसंहार करते हुअे कमिश्नरने कहा: "मुझे जितना कहना था सो मैं कह चुका। अन्तिम निश्चय आपके हाथमें है। जो मनुष्य संन्यासी है अुसकी जायदाद चली जाय तो कोअी फिकर नहीं। परन्तु आप संन्यासी नहीं हैं, असका विचार कीजिये।"

यह भाषण प्रैट साहबने तो किसानोंकी 'गलतफहमी' दूर करने और वे अपना जो नुकसान कर रहे थे, अुससे अुन्हें बचानके लिये दिया था और अुसमें मिठास लाने तथा सहानुभूति दिखानेका अुन्होंने काफी प्रयत्न किया था। फिर भी वे अपना अफसरी घमंड छिपाकर नहीं रख सके थे। वे होशियार और बड़े अनुभवी सिविलियन अफसर माने जाते थे। परन्तु अैसे होशियार समझ जानेवाले अंग्रेज अफसर ही साम्राज्यवादी-मानस



अधिक रखनेवाले पाये जाते हैं। इस मानसने ही ब्रिटिश राज्यके खिलाफ बेदिली और विरोधको पोषण दिया। पिछले ५० वर्षोंमें स्वाभिमानी और जिन्दादिल हिन्दुस्तानियोंमें ब्रिटिश हुकूमतसे आजाद होनकी जो तमन्ना जागी, उसमें जैसे अधिकारियोंके घमंडका बहुत बड़ा हाथ था। गांधीजी जैसेकी ब्रिटिश साम्राज्यके प्रति रही कट्टर वफादारीकी जड़मे कुल्हाड़ी जैसे अफसरोंके निरंकुश और जालिम कृत्योंने ही मारी थी। उनके विचार प्रामाणिक होना संभव है, परन्तु उसके साथ ही उनका 'दयालु' पन, 'माअीबाप' पन और उनका इस प्रकारका घमंड कि उनके 'आखिरी हुक्म' के विरुद्ध 'रैयत' हो ही नहीं सकती, अिन्हीं चीजोंने गांधीजी और सरदार जैसे अनेक बड़े-छोटे विद्रोही पैदा किये और साम्राज्यकी कबर खोदी।

जमीन सम्बन्धी अेक और मान्यता भी, जो इस भाषणमें समय-समय पर प्रगट होती है, अुल्लेखनीय है। हम जिन्हें जमीनके मालिक कहते हैं, अुन्हें लगान कानूनमें 'कब्जेदार' कहा गया है। ये कब्जेदार जमीनका अुपभोग वंशपरंपरागत कर सकते हैं, परन्तु वह अेक ही शर्त पर कि सरकार समय-समय पर जो लगान तय करे अुसे वे नियमपूर्वक निर्विवाद रूपमें अदा करते रहें। लगान चुकानेमें वे किसी भी कारण कसूर करें, तो सरकार अनकी तमाम जमीन जब्त कर सकती है, असा सरकारका दावा था। दूसरे सरकारी करोंके बारेमें असा नहीं होता। मनुष्य कर चुकानेमें गुनाह करे, तो कर और वसूलीके खर्चकी अन्दाजसे जितनी रकम हो अुतनी कीमतका माल कुर्क कर लिया जाय और अुस मालकी जो कीमत आये अुसमें से अपना लेना काटकर कोअी रकम बाकी रहे तो सरकार अुस आसामीको मुजरा दे दे। परन्तु लगानका कर न देनेके कारण तो जमीन जब्त कर ली जाती है, असलिये जमीन रखनेवाला अुस पर अपने तमाम हक खो बैठता है। और जमीन सरकार दूसरेको दे दे तो मिलनेवाली कीमतमें से लगानके सिलसिलेमें अुसका जो कुछ लेना हां, वह काटकर अतिरिक्त रकम जमीनके मूल कब्जेदारको नहीं मिलती। असिलिये सरकार अुसे मालिक नहीं परन्तु कब्जेदार कहती है। गांधीजीका जबरदस्त अेतराज सरकारके इस प्रकारके दावेके विरुद्ध था और असिलिये इस लड़ाअीमें वे किसानोंसे कहते थे कि अगर इस तरह किसीकी जमीन जायगी, तो अुसके लिये मैं विद्रोही बनूंगा। सन् १९२८ की बारडोलीकी लड़ाअीके समय और १९३०-३२ के सत्याग्रहके समय भी जिनकी जमीनें जब्त कर ली गयी थीं, उनकी जमीनें वापस लनेमे यही मुद्दा अुपस्थित हुआ था।

मि० प्रैटकी सभा खतम होनके बाद जिलेस आये हुअे तमाम किसान गांधीजीके पास गये। अन्हें गांधीजीने प्रतिज्ञाका महत्त्व समझाया और यह विश्वास दिलाया कि प्रतिज्ञा पालन करोगे तो जीत तुम्हारी ही है। असके सिवाय गांव-गांवमें बांटनेके लिये अंक लिखित पत्रिका प्रकाशित की गयी, जिसमें मि० प्रैटके अुठाये हुअे तमाम मुद्दोंका खंडन किया गया। अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी प्रतिज्ञाके बारेमें अन्होंने पत्रिकामें बताया :

“मुझ अफसोस है कि प्रैट साहबने अपने भाषणमें अहमदाबादके मिल-मजदूरोंकी हड़तालके विषयमें सत्यसे विरुद्ध बात कही है। असमें अिन महाशयने विनय, न्याय, मर्यादा और मित्रताका भंग किया है। मैं आशा रखता हूं कि अन्होंने ये दोष अनजानमें किये हैं। अस दुनियामें किसीने अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया है, तो वह अहमदाबादके मजदूरोंने किया है। अन्होंने सदा कहा था कि पंच जो तय कर देगा, वह वेतन लेना हमें मंजूर होगा।”

पत्रिकाके अन्तिम भागमें कमिश्नरकी धमकियोंके बारेमें अन्होंने लिखा :

“कमिश्नर साहबने धमकियां खूब दी हैं। अन्होंने यह भी कहा कि ये धमकियां वे स्वयं पूरी करेंगे यानी ये साहब प्रतिज्ञा करनेवालोंकी सारी जमीन जब्त करेंगे, और अुनके वारिसोंको भी खेड़ा जिलेमें जमीनके मालिक बननेके हकसे वंचित करेंगे।

“ये घोर वचन हैं, क्रूर हैं, कठोर हैं। मैं मानता हूं कि अिन वचनोंमें अत्यन्त तीव्र रोष भरा हुआ है। जब कमिश्नर साहबका क्रोध शान्त हो जायगा, तब वे अिन घोर वचनोंके लिये पश्चात्ताप करेंगे। सरकार और प्रजाक बीचके सम्बन्धको ये साहब ‘मा-बाप और बच्चों’ के बीचका सम्बन्ध जैसा मानते हैं। किसी मा-बापके द्वारा बच्चोंको सविनय विरोध करनेके लिये पदभ्रष्ट किये जानेका अदाहरण सारी दुनियाके अितिहासमें भी कहीं पाया गया है? यह असंभव नहीं कि खेड़ा जिलेकी प्रतिज्ञा गलत हो, परन्तु अुस प्रतिज्ञामें अविनय, अुद्धतता या नंगापनका अंश तक नहीं है। धार्मिक भावस अपनी अुन्नतिके लिये ली गयी असी प्रतिज्ञा पर अुपरोक्त घोर दंड दिया जाय, यह बात मैं अब भी असम्भव समझता हूं। हिन्दुस्तान असी सजाको बरदास्त नहीं कर सकता। ब्रिटिश राज्याधिकारी अिसे कभी मंजूर नहीं करेंगे और ब्रिटिश जातिको असी सजासे कंपकंपी होगी। अगर अैसा घोर अन्याय

गांधीजीने अुत्तरमें लिखा :

“मैं तो सत्याग्रही हूं। अपने हथियार तो क्या, परन्तु अपना सर्वस्व भी मैं दूसरी तरह अर्पण कर दूं, परन्तु सिद्धान्त मरते दम तक नहीं छोड़ सकता।”

अेक और पत्रमें लिखा :

“आपके मनमें होमरूलवालोंके लिये गलत कल्पना भर गयी है। उनमें जो अच्छे गुण हैं, उनका मेरी तरह आप भी अुपयोग कीजिये। . . . मैं यह जरा भी नहीं पाता कि खेड़ा जिलेके लोग अंधश्रद्धाके रास्ते ले जाये जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अगर वे मेरी सलाह मानेंगे तो अुनकी नैतिक और आध्यात्मिक हानि तो हरगिज नहीं होगी।”

दूसरी तरफ अिस लड़ाीके लिये सुशिक्षित लोगोंकी सहानुभूति, प्राप्त करनेके लिये गांधीजी सर नारायण चन्दावरकर, सर स्टेनली रीड, श्री नटराजन और माननीय शास्त्रीजी वगैराके साथ सतत पत्र-व्यवहार कर रहे थे। २३ अप्रैलको लड़ाीका समर्थन करनेके लिये माननीय विट्ठलभाजीकी अध्यक्षतामें बम्बयीमें अेक बड़ी सार्वजनिक सभा हुयी। गांधीजीने लड़ाीकी अुत्पत्ति और तफसीलकी कल्पना करानेवाला प्रास्ताविक भाषण किया। अुसमें बताया कि :

“ . . . अिस लड़ाीकी जड़में बैरिस्टर या वकील लोग नहीं हैं, परन्तु हल चलानेवाले किसान हैं। गोधराकी परिषदके बाद कुछ किसानोंने विचार किया कि हमें अपने हितोंकी रक्षाका प्रयत्न करना चाहिये। अुन्होंने मुझे लिखा कि सरकारसे न्याय मांगनेका हमें हक है, आप सहायता करेंगे? आप देख सकेंगे कि अिस लड़ाीकी जड़ बाहरका आन्दोलन नहीं। बाहरकी सहायतासे यह लड़ाी सुशोभित हो गयी। हमारे अध्यक्ष महोदय और माननीय गोकुलदासभाजीने अुसे शोभा प्रदान की। अिसलिये लोगोंमें जीतके लिये विश्वास पैदा हुआ। . . . गुजरात सभाके प्रतिष्ठित और समझदार सदस्योंने भी जांच की और दिलजमयी कर ली कि राहत मिलनी चाहिये। लोगोंके अिन्साफके लिये अितना समर्थन काफी था। अिसके अलावा भी अफसरोंको रिझानेके लिये कम नहीं किया गया। मैं अिस बातका साक्षी हूं। . . .

“अिस लड़ाीमें खेड़ाके पुरुष ही नहीं परन्तु स्त्रियां भी शरीक हैं। देहातकी सभाओंमें अेक अलौकिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। वे कहती हैं कि भले ही सरकार हमारी भेसों ले जाय, गहने ले जाय और खेत जब्त कर ले, परन्तु हमारे पुरुषोंको ली हुयी प्रतिज्ञाका पालन करना ही चाहिये। . . .

“खेड़ा और चम्पारनका अनुभव मुझे यह सिखाता है कि लोकनायक लोगोंमें जायेंगे, और अ उनके साथ खाये-पीयेगे, तो दो वर्षमें अैसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सकेंगे जिनके लिये कुछ कहा नहीं जा सकता । अिस लड़ाइकी गहरा अध्ययन कीजिये । खेड़ा जिलेके लोगोंको पहचान लीजिये । भावना और वचनसे जितनी सहायता दी जा सके, दीजिये । हम अविनयपूर्वक न्याय नहीं चाहते, परन्तु सरकारके हृदयमें सत्यको जाग्रत करके न्याय मांगते हैं । जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये लोग लड़ते रहेंगे । ”

अिस सभाकी विशेषता यह थी कि खेड़ा जिलेके प्रति सहानुभूति देखानेवाला और निष्पक्ष जांचका परिणाम निकलने तक लगान वसूली मुलतवी रखनेकी सरकारसे प्रार्थना करनेवाला मुख्य प्रस्ताव लोकमान्य तिलक महाराजने पेश किया था । अुसके शब्द ये थे :—

“यह प्रश्न सिर्फ खेड़ा जिलेके किसानोंसे ही सम्बन्ध नहीं रखता । सन् १८९६ में असी परिस्थिति कोलाबा जिलेमें पैदा हो गयी थी । और अिन्हीं मि० प्रैंट और अुस समयके मि० (अब सर) जेम्स डुबोलेके साथ मतभेद हो गया था । अुस समय किसानोंकी जमीन जब्त कर ली गयी थी । जमीन किसानोंकी होने पर भी सिर्फ अेक सालके लगानके लिये सरकार किसानको भिखमंगा बना देती है ! फसल अच्छी हुयी है या नहीं, अिसकी जांच करनेकी सरकारको परवाह नहीं होती और वह लोगोंकी बात नहीं मानती । अुसका तो अेक ही लक्ष्य होता है कि किसी न किसी तरह लगान वसूल कर लिया जाय ।

“खेड़ा जिलेके किसानोंने अिन्साफ मांगा । परन्तु मि० प्रैंट कहते हैं कि फसल सम्बन्धी निर्णय करनेका हक केवल अुन्हीको है । अिस कठिन प्रश्नका निपटारा करनेके लिये स्वतंत्र कमीशन नियुक्त होना चाहिये ।

“संकटमें आ पड़नेवाल खेड़ा जिलेके हमारे देशबन्धुओंको प्रोत्साहन देनेके लिये हमें अिस प्रस्तावको स्वीकार करना ही चाहिये ।”

बम्बअीमें सभा करके वहांसे गांधीजी दिल्ली गये । युरोपका महायुद्ध नाजुक स्थितिमें पहुंच गया था । और हिन्दुस्तानसे अधिकसे अधिक सहायता माप्त करनेके लिये वाअिसराँयने युद्ध-परिषद बुलवायी थी और अुसमें गांधीजीको आग्रहपूर्वक आमन्त्रण दिया था । अिस परिषदमें लोकमान्य तिलक महाराज और श्रीमती बेसेंटको नहीं बुलाया था और अलीभायी तो नजरबन्द थे । अिसलिये गांधीजीका पहले तो यही विचार था कि वाअिसराँयसे रूबरू यह बात कहकर लौट आयं कि देशके अिन महान नेताओंके बिना वे परिषदमें भाग नहीं ले सकते । परन्तु वाअिसराँयने

जिस भावसे बात की और अपनी कठिनाइयां बतायीं, उस परसे अन्होंने भाग लेनेका निश्चय किया। अितना ही नहीं, परन्तु सनिक भरतीमें मदद देनेके प्रस्तावका समर्थन किया। खेड़ाके स्वयंसेवकोंको सूचना देते समय अन्होंने कहा था कि जमीनके लगानके प्रश्न पर अधिकारियोंने जो गलत हठ पकड़ लिया है, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। परन्तु सरकारके दूसरे कामोंमें तो हमें मदद देने ही चाहिये। यह अन्होंने अपने अुदाहरणसे बता दिया। अितना ही नहीं, परन्तु दिल्लीसे आकर अन्होंने गुजरात सभासे फौजी भरतीमें मदद देनेका प्रस्ताव भी कराया।

अिस बीच २४ अप्रैलको सरकारने अक लम्बा बयान प्रकाशित करके गांधीजीकी जांचको 'निराधार जांच' बताया और कहा कि कलक्टरने बड़ी बारीकीसे जांच की है। साथ ही यह भी बताया कि "अधिकांश तालुकोंमें चालू वर्षके लगानका अधिकांश पहले ही वसूल कर लिया गया है और अब जांचके लिये कमेटीकी जरूरत नहीं। मि० गांधी और दूसरे लोग अब भी अेक स्वतंत्र जांच करानेके लिये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, परन्तु सरकार अैसा करनेको बिलकुल तैयार नहीं है। . . . महसूल मुलतवी या माफ करानेके लिये खेड़ाके किसान जैसा दावा कर रहे हैं, वैसा दावा हकके तौर पर किसान कर ही नहीं सकते, केवल मेहरबानीके तौर पर राहतकी मांग कर सकते हैं। . . . फिर भी घड़ी भरके लिये मान लिया जाय कि जांचके लिये कमेटी मुकर्रर करनेकी सरकार तैयारी दिखाये, परन्तु स्पष्ट है कि प्रबन्ध विभागमें अैसी जांच जरा भी अुपयोगी साबित नहीं हो सकती, क्योंकि प्रबन्ध करनेका अन्तिम अधिकार तो अुस विभागके हाथमें रहेगा।"

गांधीजीने दिल्लीसे आनेके बाद तारीख ६ मअीको अिस बयानके अेक-अेक मुद्देका विस्तृत खंडन किया। मुख्य बात अन्होंने यह कही कि "सरकारको स्वतंत्र पंच मुकर्रर करनेकी आवश्यकता न जान पड़ती हो, तो जब लगानकी थोड़ीसी रकम बाकी है तब सरकार अुसे मुलतवी क्यों नहीं कर देती? अिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार हठ किये बैठी है और कमिश्नर अिसमें नेता बने हुअे हैं।"

गांधीजी दिल्ली गये तबसे और अुनके लौटनेके बाद सारे मअी महीनेमें बाकी रहा हुआ लगान वसूल करनेके लिये कुर्कियोंका सपाटा बहुत बढ़ चला था। सरकारने अिसके लिये खास तौर पर अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये थे। बहुतसे आसामियोंकी जमीन जब्त कर ली गयी थी, फिर भी अिन जब्तीवाले आसामियोंका लगान भी अुनके घरमें

कुर्की करके वसूल किया जाता था। और लगान वसूल हो जाने पर जमीन जब्त नहीं रहती थी। यह देखकर १२ तारीखको गांधीजीने बोरसद तालुकेके ढुंडाकुवा नामक गांवमें अिस प्रकार भाषण दिया :

“आपने देखा होगा कि हमारी लड़ाओमें पूरी नहीं तो लगभग पूरी जीत हुआ है। प्रंट साहबने जो धमकी दी थी और जो प्रतिज्ञा की थी, अुसे वे पूरा नहीं कर सके। कोओ प्रतिज्ञा ले और अुसे पालन सके, तो अिसमें सत्याग्रही जीत नहीं मान सकता। परन्तु प्रतिज्ञा दैवी भी हो सकती है और राक्षसी भी हो सकती है। दैवी प्रतिज्ञाका मृत्यु पर्यन्त पालन करना ही चाहिये। राक्षसी प्रतिज्ञाके विरुद्ध मरते दम तक लड़ना ही चाहिये। प्रंट साहबकी प्रतिज्ञा राक्षसी थी। अुन्होंने कहा था कि तुम्हारी जमीने जब्त होंगी और तुम्हारे वारिसोंके नाम भी सरकारी कागजातमें नहीं रखे जायंगे। परन्तु वे जमीन जब्त नहीं कर सक। असा करते तो प्रजाकी हाय अुन्हे जरूर लगती। सारे हिन्दुस्तानमें खेड़ाकी काली करतूतों पर शोर मच जाता। प्रंट साहब अिस स्थितिसे बच गय है।”

जब कुर्कियोंका दमन जिलेमें पूरे जोरसे चल रहा था, अुस समय गांधीजीको विशष कार्यवश बिहार जाना पड़ा। अिसलिअे लोगोंका जोश कायम रखनेकी मुख्य जिम्मेदारी सरदार पर आ पड़ी। वे और दूसरे कार्यकर्त्ता पैर पसारकर नहीं बठते थे। परन्तु सारे जिलेका अेकसा पथप्रदर्शन करनकी जरूरत थी, अिसलिअे प्रजाको पत्रिका द्वारा सरदारने सन्देश दिया कि :

“ ... लोकमत और अंधाधुंध शासन, अिन दोनोंके बीच दारुण धर्म-युद्ध हो रहा है। सरकारने सत्ताके जोरसे लगान वसूल कर लेनेका निश्चय किया है। ... अिसके लिअे खास तौर पर विशष अफसर नियुक्त किये हैं और कचहरीके कारकूनोंको अिस काममें लगा दिया है। सारे जिलेमें जब्तीके नोटिस जारी करके जब्तीके हुक्म भी दे दिये, मुख्य मनुष्योंके घर कुर्की की, चौथाओ दंड लिया, खड़ी फसल कुर्क कर ली, जेलका डर दिखाया। परन्तु लोग अचल रहे और अधिकारी थक गये। तब कमिश्नर साहब अुनकी मददको आय। तमाम किसानोंको नड़ियादमें जमा करके अुन्हे खूब धमकियां दीं, गवर्नर साहबका पत्र पढ़कर सुनाया, कुर्कियां बन्द करनेका निश्चय करके जब्तीके अितने नोटिस जारी किये कि फार्म खतम हो गय और जब्तीके हुक्म दिये। किसानोंने अिसका सहर्ष स्वागत किया और सरकारी

खजानमें रुपया नहीं आया। ... असलिये जल्तीकी बात छोड़ दी गयी और कुर्कियोंका काम शुरू किया है।.....

“किसानोंको अधिकसे अधिक सताकर डरानेके अुद्देश्यसे कुर्क करने लायक दूसरी सम्पत्ति होने पर भी बहुनसी भैंसे कुर्क करते हैं; खास तौर पर दुधारू भैंसे ले जाते हैं। अुन्हे धूपमें बांधा जाता है, पाड़ा-पाड़ीसे अलग रखा जाता है। जानवर चिल्लाते हैं जिसे सुनकर स्त्रियां व्याकुल हो अुठती हैं और बच्चे हृदयवेधक रुदन करते हैं। अससे भैंसोंकी कीमत आधी हो जाती है। फिर भी धर्मका पालन करनेवाले किसान धीरजसे प्रतिज्ञाका पालन करते हैं और शान्तिसे दुःख सहन करते हैं। चुटकी भरनेसे जिन्हें खून निकल आये, अस तरह रखे हुअे ढोरों पर गुजरनवाले ये कष्ट स्त्रियां देख नहीं सकतीं। तथापि अैसे प्रसंगों पर स्त्रियां बड़ा साहस दिखाती हैं। ...

“जैसे-जैसे लड़ायी लम्बी होती जा रही है, वसे-वैसे लोगोंकी परीक्षा होती है। अगर दुःख अुठानेका मौका ही न आया होता, तो प्रजाको यह लाभ न मिलता। सत्ताके जोर पर साहबी करनेवाले अफसरोको आज गांवोंमें कोअी सत्कार करनेवाला नहीं मिलता। मुंह मांगी चीजें मुफ्त पानेवालोंको दाम देने पर भी जरूरी वस्तुअें नहीं मिलतीं। ... अब अुनके हृदय भी पिघले हैं। रैयतके पक्षमें सत्य है, असी अुनके हृदयोंमें झांकी हुअी मालूम होती है। परन्तु आजकलकी प्रचलित शासन-पद्धतिमें वे मजबूर है। असी कठिन परिस्थितिमें वे कभी मर्यादा छोड़ दें, क्रोध करें और कष्ट दें, तो भी यह जरूरी है कि हम मर्यादा न छोड़ें, विनय न छोड़ें और अुन पर रोष न करें बल्कि दया करें और शान्ति रखें। कठोरसे कठोर हृदयको भी प्रेमसे वशमें किया जा सकता है और सामनेवालेकी कठोरताके मुकाबलेमें हमारा प्रेम अुतना ही सबल हो, तो हम जरूर जीत सकते हैं। सत्याग्रहकी लड़ायीका यही रहस्य है। ...”

लगातार कुर्कियां जारी रहने पर भी लोग हिम्मत रख सके थे और आनन्दसे अपने ढोर-डंगर, जेवर तथा बरतन-भांडे कुर्क होने दते थे। असमें पुरुषोंके साथ स्त्रियोंने प्रमुख भाग लेना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर बम्बअीके अखबारोंके प्रतिनिधि दंग रह गये और अखबारोंमें किसानोंकी बहादुरीकी प्रशंसाके लेख लिखने लगे। अेक अवसर पर तो खुद कलक्टर बोल अुठे कि, “जिस ढंगसे रैयत लड़ रही है वह बहुत

बढ़िया है।" दूसरे प्रान्तोंमें भी बड़ी-बड़ी सभाओं होने लगीं और वहांसे सहानुभूतिके तार आने लगे।

बाहरसे लौटनेके बाद ता० ३ जूनको गांधीजी नड़ियाद तालकेके अत्तरसंडा गांव पहुंचे ही थे कि तहसीलदार गांधीजीके डेरे पर गये और थोड़ी बातचीतके बाद अन्होंने बताया कि अगर अच्छी स्थितिवाले लोग लगान चुका दें, तो गरीब लोगोंका लगान मुलतवी कर दिया जायगा। गांधीजीके कहनेसे तहसीलदारने यह बात लिखकर दे दी। गांधीजीने तुरंत कलेक्टरको लिखा कि अिस प्रकारका हुकम सारे जिलेके लिअे जारी कर दिया जाय और चौयाओ वगैरा दंड माफ कर दिया जाय, तो हमारे लिअे लड़नेकी बात ही नहीं रह जाती। गांधीजीके मतसे तो यह लड़ाओ सिद्धान्तकी और टेककी थी, कलेक्टरकी 'अटल' मानी जानेवाली 'अन्तिम आज्ञाओं' बदलवाने की थी। अिसलिअे अेक भी आसामीका लगान बाकी रहा हो और बाकायदा हुकम दकर अुसे मुलतवी कर दिया जाय, तो अिसमें भी प्रजाकी जीत होती थी। जैसे कमिश्नरके जबरदस्त धूमधड़ाके साथ निकाले गये जब्तीके हुकम हवामें ही रह गये थे, वैसे ही वारीक जांचके बाद दिये गये कलेक्टरके 'आखिरी हुकम' भी अिसी प्रकारकी मुलतवीमें बहे जा रहे थे। प्रजाको कष्ट तो बहुत अुठाना पड़ा और नुकसान भी बहुत सहना पड़ा, परन्तु अफसरोंकी बातको लोकमत झूठी साबित कर सकता है, अिस प्रकारके आत्मविश्वासकी लोगोंने बड़ी कीमती कमाओ की। गांधीजीकी बात कलेक्टरने मंजूर की और अुसीके अनुसार हुकम जारी कर दिये गये। अिस प्रकार ता० ६ जूनको गांधीजी और सरदारके हस्ताक्षरोंवाली पत्रिका निकालकर लड़ाओ बन्द हुआ घोषित कर दी गयी।

यह पत्रिका निकालनेसे पहले गांधीजीकी कलेक्टरके साथ अेक मुलाकात हुआ। अुसमें अधिकारियोंकी अेक चालबाजीका भेद खुल गया। कलेक्टरने गांधीजीसे कहा कि, "अुपरोक्त छूट देनेका हुकम तो २५ अप्रैलको ही तहसीलदारोंके नाम भेज दिया गया था। साथ ही अुस पर अच्छी तरहसे अमल होनेके अुद्देश्यसे फिर ता० २२ मओको हुकम भेजा गया था। अुन्हें यह भी बताया गया था कि लगान दे सकनेवालोंकी और न दे सकनेवालोंकी दो सूचियां तैयार की जायं।" अितने पर भी अिन हुकमोंकी लोगों या कार्यकर्ताओं किसीको होओ जानकारी नहीं कराओ गयी। अितना ही नहीं, परन्तु कुर्कियोंका काम अेन हुकमोंकी तारीखके बाद भी सारे मओके महीनेमें ज्यादा जोरके साथ किया गया था। अधिकारियोंके अिस व्यवहारकी तहमें क्या भेद होगा, अिसका



अनुमान लगाने पर यह मालूम होता है कि दिल्लीकी युद्ध-परिषदके लिखे रवाना होते समय गांधीजीने कमिश्नर मि० प्रैटको पत्र लिखा था कि :

“युद्ध परिषदमें सम्मिलित होनेके लिखे मैं दिल्ली जा रहा हूं। जिस परिषद और अुसके अुद्देश्योंको सामने रखकर मैं आपसे फिर यह अनुरोध करते नहीं हिचकिचाता कि बाकी रहा लगान अगले वर्ष तक मुलतवी कीजिय। आप विश्वास रखिये कि सरकारका अँसा निश्चय प्रगट होते ही अच्छी स्थितिवाले लोग अपने आप लगान जमा करा देंगे। मैं अगर दिल्लीमें माननीय वाअिसराँयसे कह सकूँ कि हमने खेड़ामें अपना घरका झगड़ा निपटा लिया है, तो अुन्हे कितनी शान्ति मिलेगी ?”

संभव है कि गांधीजीको अिसका जवाब न दकर अुपरोक्त आज्ञाअें जारी करके बम्बयी सरकार और भारत सरकारको सूचना दे दी गयी हो, ताकि अधिकारी युद्ध-परिषदमें वाअिसराँयसे कह सकें कि हमने तो गांधीकी मांगके अनुसार हुकम जारी कर दिये हैं, फिर भी अुसने सत्याग्रहकी लड़ायी जारी रखी है। अिस प्रकार वाअिसराँयके सामने अपने दूधके धुले होने और गांधीजीको झूठे साबित करनेकी अधिकारियोंकी चाल हो। अेक और संभव अनुमान यह भी है कि वाअिसराँयके कहनेसे बम्बयीके गवर्नरने कलेक्टर और कमिश्नरको हिदायत दी हो कि साम्राज्यके नाजुक समयमें यह झगड़ा निपटा डालो। परन्तु सिविलियनोंको यह चीज पसन्द न हो, तो वे वाअिसराँय या गवर्नरकी नीतिमें हजार किस्मकी कठिनाअियां खड़ी करके अुस पर अमल होना असम्भव बना सकते हैं, यह कअी बार देखा जाता है। अिसलिखे यह हुकम अुन्हांने केवल अूपरवालोंको दिखानेके लिखे ही निकाला हो और जिलेमें अपनी मरजीके अनुसार ही चलते रहे हों।

लड़ायी बन्द करनेकी पत्रिकामें गांधीजी और सरदारने बताया कि :

“... लड़ायी तो खत्म हो गयी है, परन्तु हमें अफसोसके साथ कहना पड़ता है कि यह समाप्ति माधुर्यरहित है। अूपरका हुकम अुदार हृदयसे प्रसन्न होकर नहीं दिया गया, परन्तु मजबूर होकर दिया गया दीखता है।... यह हुकम २५ अप्रैलको लोगोंको मालूम हो जाता तो लोग कितने कष्टोंसे बच जाते ? कुर्कियां करनेका जो व्यर्थ खर्च जिलेके अफसरोंको अिसी काममें लगाये रखनेमें हुआ सो बच जाता। जहां-जहां लगान बाकी है, वहां लोग व्यग्र रहे हैं। कुर्की न होने देनेके लिखे वे घर छोड़कर बाहर रहे हैं; खाना भी पूरा नहीं खाया। स्त्रियोंने न सहने लायक कष्ट सहन किये हैं। कभी-कभी अुद्धत हलका अिसपेक्टरोंका अपमान भी सहा ह। दुधारू भैंसोंका ले जाना बरदास्त किया है।

चौथाओका दंड चुकाया है। ... अधिकारी वर्गको पता था कि लड़ाओकी जड़ ही गरीब लोगोंकी कठिनाओ थी। अस कठिनाओकी तरफ देखनेसे कमिश्नर साहबने शुरूसे ही अनकार कर दिया। बहुतेरे पत्र लिखे तो भी अनका अनकार अकरार न हुआ। अनके शब्द ये थे कि 'आसामी-वार छूट दी ही नहीं जा सकती, असा कानून ही नहीं।' अब कलेक्टर साहब कहते हैं कि अस तरह छूट देनेकी बात तो विश्व विदित है, तब क्या लोगोंने जानबूझकर हठसे दुःख सहन किया? दिल्ली जाते वक्त हममें से गांधोजीने कमिश्नर साहबसे असा ही हुक्म जारी करनेकी प्रार्थना की थी, परन्तु अन्होंने यह बात नहीं सुनी। हम दोनोंसे पूछकर असी ही मांग ता० २५ अप्रैलके बाद रा० सा० दादूभाओीने की थी। परन्तु अनसे कलेक्टर साहबने कहा था कि असी मांग मंजूर करनेका अब समय ही नहीं रहा।

"परन्तु लोगोंके दुःख देखकर वे पिघल गये। अन्हें अपनी भूल मालूम हो गयी और वे आसामीवार छूट देनेको तैयार हुअे। अधिकारी-वर्गने अुदार हृदयसे यश लेनेका रास्ता हठपूर्वक छोड़ दिया है। अब भी जो दिया है, सो संकोचके साथ, विवश होकर, भूल स्वीकार किये बिना और यह कहकर दिया है कि यह कोओ नओ बात नहीं है। असिलिअे हम कहते हैं कि समझौतेमें मिठास नहीं है।

"अधिकारी वर्गके असे व्यवहारके बावजूद हमारी मांग स्वीकार होती है, तो समझौतेका स्वागत करना हमारा फर्ज है। अब लगान ८ फी सदी ही वसूल होना बाकी है। अब तक लगान न देनेमें सम्मान था। स्थिति बदलने पर सत्याग्रहियोंके लिअे लगान चुका देनेमें अिज्जत है। सरकारको जरा भी तकलीफ दिये बिना जो समर्थ हैं, अन्हें लगान तुरन्त जमा कराकर बता देना है कि जहां आध्यात्मिक कानून और मानव कानूनमें विरोध नहीं है, वहां सत्याग्रही कानूनको माननेमें किसीके भी साथ स्पर्धा कर सकता है। ... असमर्थोंकी सूची तयार करनेमें हम असा कड़ा नियम रखें कि हमारी सूची पर कोओ आपत्ति कर ही न सके।

"अपनी बहादुरीसे खेड़ाके लोगोंने सारे हिन्दुस्तानका ध्यान खींचा है। सत्य, निर्भयता, अेकता, दृढ़ता और स्वार्थत्यागका रस खड़ाके लोग आज छः माससे चखते रहे हैं। हमें आशा है कि अन महान गुणोंका लोग और विकास करेंगे, अधिक अुन्नति करेंगे और मातृभूमिका नाम अधिक अुज्ज्वल करेंगे। हमारा पक्का विश्वास है कि खेड़ा जिलेके लोगोंने खुद अपनी, स्वराज्यकी और साम्राज्यकी शुद्ध सेवा की है।"

अिस लड़ाओका अन्त माधुर्यहीन था और यद्यपि अधिकारियोंको अपने वचन और धमकियां निगल जानी पड़ी थीं, फिर भी अुनके दिलों पर कोओ असर नहीं हुआ था। अितना ही नहीं, बल्कि लोगोंको सतानेका अेक भी अवसर वे हाथसे जाने देनेको तैयार नहीं थे। अिसका प्रत्यक्ष परिचय अिन समझौतेके दिनोंमें ही मिल गया। सरकारने मातर तालुकेके नवागाम नामक गांवके अेक किसानकी जमीन जब्त कर ली थी और अुसके साथ ही अुसमें से अेक नंबरकी फसलको भी जब्त हुआ मान लिया था। जब्तीके नोटिसमें यह नंबर नहीं बताया गया था, अिसलिये गांधीजीने कलेक्टरको पहलेसे लिख दिया था कि वह जब्त हुआ नहीं माना जा सकता। अिस कथित जब्त नंबरमें लगभग छः सौ रुपयेके मूल्यकी प्याजकी फसल थी। बरसात सिर पर आ रही थी, अिसलिये फसलको बचा लेनेके लिये गांधीजीने प्याज खोद लेनेकी सलाह दी। गांवके लोगोंको प्रोत्साहन देनेके लिये श्री मोहनलाल पंड्या नवागाम गये और ता० ४ जूनको अुनके नेतृत्वमें गांवके लगभग दो सौ आदमियोंने वह प्याज खोदना शुरू कर दिया। तहसीलदार अेकदम खेत पर जा पहुंचे और पंड्याजी और नवागामके चार नेताओं पर चोरीका अिलजाम लगाकर अुन्हें पकड़ लिया और प्याज पर कब्जा कर लिया। ८ तारीखको खेड़ामें कलेक्टरके सामने अुनका मुकदमा हुआ। दो जनोंको दस-दस दिनकी और पंड्याजी और दूसरे दो यानी तीन जनोंको बीस-बीस दिनकी सजा दे दी गयी। मुकदमेके समय गांधीजी और सरदार मौजूद थे। और भी तीन चार सौ मनुष्य होंगे। अदालतके बाहर अुन्हें सम्बोधन करके गांधीजीने कहा : “यह मामला अैसा है कि अपीलमें अेक क्षणमें जीता जा सकता है। वल्लभ-भाओने या मैंने सवाल नहीं पूछे सो अिसलिये नहीं कि मुकदमा कमजोर था। हमने कोओ जिरह नहीं की, फिर भी कोओ भी निष्पक्ष मजिस्ट्रेट, जिसे कानूनका अच्छा ज्ञान हो, कह सकता है कि अिसमें चोरी नहीं है। अितने पर भी हमें अपील नहीं करनी है। सत्याग्रही कर नहीं सकता। अुसके लिये तो जेल भोगना ही अच्छा मार्ग है। ... भूलाभाभी (अुनमेंका अेक सत्याग्रही)के लगानके ९४ रुपये बाकी हैं, सो कल ही तहसीलदारके यहां जमा करा दिये जायं। हमें समझौतेका पालन करना है। ... ”

ता० २७ जूनको पंड्याजी और दूसरे कैदी छूटनेवाले थे। गांधीजीने तय किया कि अुनका खूब सम्मान किया जाय। गुजरातमें जेल भोगनेवाले ये पहले ही सत्याग्रही थे। अिसलिये जेलसे निकलते ही अुनका स्वागत करनेके लिये महमदाबादसे सात मील पदल चलकर गांधीजी, सरदार, डॉ० कानूगा, श्री मावलंकर, श्री कृष्णलाल देसाओ वगैरा गये। पंड्याजीको नवागाम और

कठलालमें खूब सम्मान मिला । अुनके सम्मानकी सारी सभाओंमें गांधीजी और सरदारने भाग लिया । अिस घटनासे पंड्याजी गुजरातमें 'प्याज चोर'के अुपनामसे प्रसिद्ध हो गये ।

बादमें तारीख २९ जूनको नड़ियादमें अिस लड़ाीकी पूर्णाहुतिका अुत्सव मनाया गया । अिसी लड़ाीमें गांधीजीको सरदार प्राप्त हुअे और दोनोंके बीच जीवनभरका प्रेम सम्बन्ध और सेवा सम्बन्ध कायम हो गया । अिसे ध्यानमें रखकर सभामें गांधीजीने कहा :

“सेनापतिकी चतुराी अपनी कार्यसमिति चुननेमें होती है । बहुत लोग मेरी सलाह माननेको तैयार थे, परन्तु मुझे विचार हुआ कि अुपसेनापति कौन हो । अितनेमें मेरी नजर भाी वल्लभभाी पर गयी । मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मेरी भाी वल्लभभाीसे जब पहली मुलाकात हुआ, तब मुझे खयाल हुआ था कि ये अकड़वाला आदमी कौन है ? यह क्या काम करेगा ? परन्तु ज्यों-ज्यों मैं अिनके अधिक सम्पर्कमें आया, त्यों-त्यों मुझे महसूस हुआ कि मुझे वल्लभभाी तो अवश्य चाहियें । वल्लभभाीने भी माना कि जबरदस्त वकालत चलती है और म्युनिसिपैलिटीमें बड़ा काम कर रहा हूं, परन्तु यह काम अुसस भी बड़ा है । धंधा तो आज है और कल न रहे । रुपया कल चला जाय । अुत्तराधिकारी अुसे अुड़ा दें । अिसलिअे मैं अुनके लिअे रुपयेसे अूची विरासत छोड़ जाऊं । अिन विचारोंसे वे लड़ाीमें शरीक हो गये । वल्लभभाी मुझे न मिले होते, तो जो काम हुआ है वह हरगिज न होता । मुझे अिस भाीका अितना शुभ अनुभव हुआ है ।”

## अहमदाबादकी मजदूर हड़ताल

खेड़ामें गांधीजीने खुद जांच शुरू की, अुसी अरसेमें अहमदाबादमें मिल-मालिकों और मजदूरोंमें गांधीजीके नेतृत्वमें अेक छोटी किन्तु दोनों पक्षोंमें जो मिठास कायम रही और अुसके जो जबरदस्त परिणाम हुअे हैं अुन्हें देखते हुअे महत्त्वकी लड़ाी हो गयी। स्व० महादेवभाओने अुसे 'धर्मयुद्ध' नाम दिया है। गांधीजीने अुसका संचालन किया और वे सारे समय मौजूद रहे, असलिये सरदारकी अुसमें सीधी जिम्मेदारी नहीं थी। फिर भी अुन्होंने अुसमें पूरी तरह भाग लिया था। गांधीजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है कि, " अस हड़तालके दिनोंमें श्री बल्लभभाओी और श्री शंकरलाल बंकरसे मैं अच्छी तरह परिचित हुआ।" असलिये सरदारके जीवन चरित्रमें संक्षेपमें अुसका वर्णन आ जाय तो अुचित ही होगा।

सन् १९१७ की बरसातमें जब अहमदाबादमें भयंकर प्लेग फैला हुआ था, तब मजदूर अहमदाबाद छोड़कर चले न जायं, असके लिये अुन्हें वेतनके ७० से ८० फी सदीके बराबर प्लेग बोनस दिया गया था। प्लेग बन्द हो जानेके बाद भी अुस समय हो रहे युरोपके महायुद्धके कारण बढनेवाली सख्त महंगाओीकी वजहसे वह बोनस जारी रहा। बादमें जब मालिकोंने बोनस बन्द करनेका नोटिस निकाला, तब बुनाओी विभागवाले मजदूरोंमें खलबली मची और वे श्री० अनसूयाबहनसे मिल कर यह मांग करने लग कि प्लेग बोनसके बजाय महंगाओीकी वृद्धि कमसे कम ५० फी सदी मिलनी चाहिये। स्थिति दिन-दिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही थी। अिसे देखकर अहमदाबादके कलेक्टरने ता० ११-२-'१८ को गांधीजीको पत्र लिखा कि अस झगड़ेके कारण अहमदाबादमें बड़ी गम्भीर स्थिति अुत्पन्न होनेकी संभावना है। मिल-मालिक मिल बन्द करनेकी धमकी दे रहे हैं। वे किसीकी सलाह मान सकते हैं, तो आपकी ही मान सकते हैं। असलिये आप बीचमें पड़िये।

गांधीजी कलेक्टरसे मिले, मजदूरोंसे मिले और मिल अजण्टोंसे मिले। अुनके साथ सलाह-मशविरा करके प्लेग बोनसके बजाय महंगाओीके कारण कितनी वेतन-वृद्धि करनी अुचित है, यह तय करनेके लिये ता० १४-२-'१८ को पंच मुकर्रर करनेका निश्चय करवाया। पंचके तौर पर गांधीजी, शंकरलाल बंकर और सरदार मजदूरोंकी तरफसे, सेठ अम्बालाल

साराभाजी, सेठ जगाभाजी दलपतभाजी और सेठ चन्दूलाल मिल-मालिकोंकी तरफसे और अध्यक्षके रूपमें कलेक्टर साहब नियुक्त हुअे। अिसके बाद कुछ मिलोंमें गलतफहमीसे मजदूरोंने हड़ताल कर दी। मजदूरोंको भूल बता दी गयी, तो वे अुसे सुधारनेको तैयार हो गये। परन्तु मालिकोंने कहा कि मजदूरोंने पंच मुकर्रर हो जाने पर भी हड़ताल कर दी, अिसलिये अब हम पंचकी बात रद्द करते हैं। अिसीके साथ अुन्होंने यह निश्चय किया कि जो मजदूर वेतनकी २० फी सदी वृद्धि पर रहना न चाहते हों अुन्हें निकाल दिया जाय। बुनाभी विभागवालोंने अितनी वृद्धि मंजूर नहीं की, तो मालिकोंने ता० २२-२-१८ को अुनका 'लाक आठुट (कामबन्दी)' शुरू कर दिया। मजदूरोंकी तरफके पंचोंको अैसा लगा कि मजदूर अुचित वृद्धि क्या मांग सकते हैं, अिस मामलेमें सलाह देना अुनका फर्ज है। अुन्होंने मालिकों और मजदूरोंका हित सोचकर और तमाम परिस्थितिकी जांच करके तय किया कि ३५ फी सदी वृद्धि अुचित है। मजदूरोंको अिस प्रकारकी सलाह देनेसे पहले पंचने मालिकोंको अपनी अिस रायका समाचार देकर सूचित किया कि अिस मामलेमें अुन्हें कुछ कहना हो तो कहें। परन्तु मालिकोंने अपना विचार नहीं बताया। अिसलिये मजदूरोंको ३५ फी सदी वृद्धि मांगनेकी सलाह दी गयी। अिस अुन्होंने मान लिया और निश्चय किया कि जब तक ३५ फी सदी वृद्धि न मिले, तब तक काम पर न जायें। अिस प्रकार लड़ायी शुरू हुअी। गांधीजीने रोज पत्रिकाओं निकालकर और मजदूरोंकी सभामें वह पत्रिका सुनाकर और अुस पर विवेचन करके मजदूरोंको टेक, अेकता, हिम्मत, मजदूरीकी प्रतिष्ठा, पूंजीसे भी श्रमके अधिक महत्त्व और प्रतिज्ञाकी पवित्रता और गम्भीरताकी शिक्षा देना शुरू कर दिया। और अिस प्रकार लड़ायीको धार्मिक स्वरूप देनेके अपाय करने लगे।

ता० १३-३-१८ को मिल-मालिकोंने कामबन्दी अुठा दी और यह घोषणा कर दी कि जो २० फी सदी वृद्धि लेकर काम पर आना चाहेंगे, अुन मजदूरोंको भरती कर लिया जायगा। अुस दिनसे मजदूरोंकी हड़ताल शुरू हुअी, क्योकि अुनका तो निश्चय था कि जब तक ३५ प्रतिशत वृद्धि न मिलेगी तब तक काम पर नहीं जायेंगे। दूसरी ओर मजदूरोंको फोड़ने, फुसलाने, अुकसाने, आदिकी अनेक तरकीबें मालिकोंके दलकी तरफसे की जाती थीं। मजदूर पक्षके मित्र मजदूरोंके लिये कोष जमा करके अुन्हें आर्थिक सहायता देनेके सुझाव देने लगे। अिन सब हितैषियोंसे गांधीजी कहते: मजदूरोंको रुपया देकर आप सत्याग्रह करायेंगे या आप रुपया देकर अुन्हें खड़ा रखेंगे, अिस आशासे मजदूर अिस लड़ायीमें पड़े होंगे तो अिसमें सत्याग्रह क्या हुआ ?

सत्याग्रहका महत्त्व क्या? सत्याग्रहका रहस्य तो खुशी-खुशी दुःख सहनमें है। सत्याग्रही जितना दुःख अधिक सहन कर, अतनी अुसकी अधिक परीक्षा होती है।” मजदूरोंसे भी कहते : “तुमने पसीना बहाकर रुपया कमाया है, तो कभी किसीके सामने हाथ फैलाकर मुफ्त रुपया न लेना। असमें तुम्हारी अिज्जत नहीं है। तुम पराये रुपयेसे लड़े, यह कहकर दुनिया तुम्हारी हंसी अुड़ायगी।” जैसे लड़ाी लम्बाती गयी वैसे मजदूरोंको खानेका टोटा पड़ने लगा। अैसोंके लिये कुछ न कुछ काम ढूँढा गया। अेक पत्रिकामें गांधीजीने मजदूरोंको वचन दिया था कि, “अिस लड़ाीमें जिन्हें भूखों मरनेकी नौबत आ जायगी और जिन्हें कोअी काम नहीं मिल सकेगा, अुन्हे ओढ़ाकर हम ओढ़ेंगे और खिलाकर हम खायेंगे।” थोड़े ही दिनोंमें अिन वचनोंके पालन करनेका अवसर आ गया। गांधीजीके कानों पर आलोचनाकी बातें आयीं कि, “गांधीजी और अनसूयाबहनको क्या? अुनके लिये मोटर आने-जानेको और अच्छा खाने-पीनेको है। परन्तु हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं।” यह सुनकर गांधीजीका हृदय विदीर्ण हो गया। तेअीसवें दिन सुबह जब सभामें गये, तब पहलेसे ही दुःखित अुअे हृदय और अपनी करुणार्द्र दृष्टिसे अुन्होंने क्या देखा? ये है अुन्हींके शब्द : “अपने मुख पर झलकते अुअे अटल आत्म-निश्चयकी भावनासे हमशा नजर आनेवाले दस-पांच हजार मनुष्योंके बजाय मैंने निराशासे खिन्न मुखवाले अेकाध हजार आदमी देखे।” अेक क्षणमें अन्तरका संकल्प हो गया और हजार सभाजनोंसे अुन्होंने कह दिया कि “तुम अपनी प्रतिज्ञासे विचलित हो जाओ, यह मुझसे क्षणभर भी बरदाश्त नहीं हो सकता। जब तक तुम्हें ३५ प्रतिशत वृद्धि न मिले या तुम सब हार न जाओ, तब तक मैं न भोजन करूंगा और न मोटर काममें लूंगा।” अिसका बिजलीका-सा असर अुआ। जो मजदूर सभामें नहीं आये थे, वे भी मजबूत बन गये। मिल-मालिकों पर भी गांधीजीके अिस अुग्र निश्चयका जबरदस्त प्रभाव पड़ा। यद्यपि अुनका खयाल था कि हम अेक बार मजदूरोंकी बात मान लेंगे, तो वे सिर पर चढ़ जायेंगे, फिर भी बहुतसे मालिकोंक दिलमें गांधीजीके प्रति प्रेम और पूज्य भाव था। वे आकर कहने लगे कि, “अिस बार हम आपकी खातिर मजदूरोंको ३५ फी सदी दे देते हैं।” गांधीजी अैसा करनेसे साफ मना करते और कहते कि, “मुझ पर दया करके नहीं, परन्तु मजदूरोंकी प्रतिज्ञाका आदर करके, अुनके साथ न्याय करनेके लिये ३५ फी सदी दीजिये।” फिर भी मेरे अुपवाससे मालिकों पर दबाव पड़ता है और अिस प्रकार अिस अुपवासमें दोष है, यह बात गांधीजीके मनसे निकलती नहीं थी। अेक तरफ

दस हजार मजदूरोंकी प्रतिज्ञाके टूटनेसे होनेवाले अधःपतनको रोकनेकी बात थी और दूसरी ओर मालिकों पर पड़नेवाले दबावका दोष आता था। यह दोष अन्होंने सिर पर ले लिया और मानो मालिकोंके अपराधी हों, इस तरह गरीब बनकर अुनके साथ समझौतेकी चर्चा करने लगे। व मालिकोंकी कथित प्रतिज्ञा कायम रखनेके ऋत्रिम अुपाय स्वीकार करनेको तैयार हो गये और यह मंजूर कर लिया कि मजदूरोंकी प्रतिज्ञाके अक्षरोंकी रक्षा हो जाय तो बादमें पंच जो कहेंगे सो मजदूर मंजूर कर लेंगे। इस प्रकार अुपवासके चौथे दिन ता० १९-३-१८ को सवेरे समझौता हुआ कि मजदूरोंकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये पहले दिन ३५ फी सदी वृद्धि दे दी जाय, मालिकोंकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये दूसरे दिन २० फी सदी वृद्धि दी जाय और तीसरे दिनसे मजदूरों और मालिकोंके मुकर्रर किये हुअे पंच जितना तय कर दें अुतने फी सदी वृद्धि दी जाय। पंचके रूपमें दोनों पक्षको मान्य आचार्य आनन्द-शंकर ध्रुवको नियुक्त किया गया। वे तीन ही दिनमें निर्णय नहीं कर सकते थे इसलिये फैसलेके लिये तीन महीनेकी मियाद मुकर्रर की गयी और इस बीचके अरसेमें मजदूरोंको २७॥ प्रतिशत वृद्धि देना और पंचका फैसला होने पर दोनों तरफसे कमीवेशी मुजरा देना तय हुआ। परन्तु पंचको जांच करनेके काममें पड़नेकी जरूरत ही नहीं हुयी, क्योंकि परिस्थिति अैसी अुपस्थित हुयी कि पंचका फैसला होनेसे पहले मालिकोंने मजदूरोंके साथ आपसमें समझौता करके लगभग ५० फी सदी वृद्धि देना शुरू कर दिया था। इसलिये श्री आनन्दशंकरभात्रीने व्यावहारिक न्याय करके तय किया कि जितने दिन मालिकोंने मजदूरोंको २७॥ फी सदी वृद्धि दी हो, अुतने दिनकी ७॥ फी सदी वृद्धि वे मजदूरोंको मुजरा दे दें। इस प्रकार दोनों पक्षोंमें खूब मिठासके साथ यह लड़ायी खतम हुयी।

और आज हम देख सकते हैं कि इसके परिणाम बहुत सुन्दर हुअे हैं। इस लड़ायीमें पंचकी मध्यस्थतासे दोनों पक्षोंके झगड़ोंको निपटा लेनेके सिद्धान्तका जो बीजारोपण हुआ, अुसे गांधीजीने जतन करके पोषित किया और अुसमें मिल-मालिक संघ और मजूर महाजन संघने अच्छा साथ दिया। इसके परिणामस्वरूप ही अहमदाबादका मजूर महाजन संघ हिन्दुस्तानमें अेक अद्वितीय संस्था बन गया है। आज मजदूरोंके सामने अमुक वेतन वृद्धि या अमुक सुविधाअें प्राप्त करनेका ही ध्येय नहीं रहा, परन्तु मजदूर यह समझने लगे हैं कि जैसे पूंजी धन है, वैसे मजदूरी भी धन है, बल्कि अधिक कीमती धन है। और इस समझसे मिलोंके प्रबन्ध तकमें कथित मालिकोंके साथ समान भाग रखनेकी भावनाका अुदय हुआ है।



## सैनिक भरती

खेड़ाकी लड़ाओ जारी थी अन्हीं दिनों वाजिसरायकी बुलाओ हुआ युद्ध-परिषदमे शरीक होने गांधीजी दिल्ली गये। वहां तारीख २९-४-'१८ की परिषदमें अन्हींने सैनिक भरतीके प्रस्तावका समर्थन किया। समर्थनमें गांधीजीने भाषण नहीं दिया था, परन्तु वे हिन्दीमें अितना ही बोले थे कि: "मुझे अपनी जिम्मेदारोका पूरा खयाल है और वह जिम्मेदारी समझकर भी मैं इस प्रस्तावका समर्थन करता हूं।"\* अुस दिनसे गांधीजीने निश्चय किया था कि गुजरातमें सैनिक भरतीका काम किया जाय। दिल्लीसे अहमदाबाद लौटनेके बाद गुजरात सभासे प्रस्ताव कराया कि युद्धके लिअे बिना शर्त फौजी भरतीका काम हाथमें लिया जाय। नडियाद पहुंचनेके बाद सरदार और दूसरे कार्यकर्त्ताओंके साथ चर्चा की। हम ब्रिटिश नागरिकोंके सम्पूर्ण हक मांगे और ब्रिटिश साम्राज्यमें अुनके बराबरीके हिस्सेदार माने जानेका दावा करें, तो साम्राज्यकी आफतके मौके पर जितना अेक अंग्रेज करनेको तैयार होता है अुतना करनेको हमें भी अवश्य तैयार होना चाहिये, यह बात सरदार तो अिशारेमे ही समझ गये। अुन पर अिस दलीलका ज्यादा असर हुआ कि लोग नामर्द जसे बन गये है, अुनमें लड़ाओमें जानेको हिम्मत और मर्दानगी आयेगी। साथ ही शिक्षित और मध्यम वर्गके लोगोंको हथियार चलाना सीखनेका अितना अच्छा मौका और किसी तरह कदापि नहीं मिल सकता। अिसलिअे अिस अवसरका अच्छी तरह अुपयोग कर लेनेमे ही सच्ची समझदारी है। फिर भी यह बात कुछ लोगोके गले न अुतरी। बहुतांको कार्यमें सफलता मिलनेके बारेमें सदेह था। जिन वर्गोंमें से भरती करनी थी अुनमें सरकारके प्रति कोओ प्रीति नहीं थी और सरकारी कर्मचारियोंका कड़वा अनुभव ताजा ही था। फिर भी यह काम शुरू करनेके लिअे गांधीजी कार्यकर्त्ताओंसे आग्रह करने लगे। सत्याग्रह बन्द होनेकी घोषणा करनेवाली पत्रिका निकालनेके थोड़े ही दिन बाद फौजी भरतीकी पत्रिका निकाली

---

\* गांधीजी अहिंसाधर्मी होने पर भी सैनिक भरतीके काममें कैसे पड़े, अिसके विवेचनके लिअे देखिये 'महादेवभाओकी डायरी'—भाग ४, मूल्य ३ रुपये (नवजीवन प्रकाशन मंदिर)

और भरतीके लिये गांधीजी और सरदारने दौरा करना शुरू किया। गांधीजीके साथ सरदार भी गांधीजीके शब्दोंमें 'रिक्विटिंग साजेंट' (भरती अफसर) बन गये। परन्तु कार्य कठिन था। युद्धमें अप्रैजोंको मदद देनेका लोगोंको जुत्साह नहीं था। लगानकी लड़ाईके समय लोग सवारी देनेमें स्पर्धा करते और अंक स्वयंसेवककी जरूरत होती वहां चार अस्थित हो जाते। परन्तु यह सब अब कठिन हो गया। फिर भी गांधीजी या सरदार अिस तरह निराश होनेवाले नहीं थे। अंक गांवसे दूसरे गांव पैदल जानेका ही निश्चय किया। शायद गांवोंमें खानेको भी न मिले और मांगना तो हरगिज अुचित नहीं, यह सोचकर निश्चय हुआ कि प्रत्येक सेवक खाना अपने थैलेमें ही लेकर निकले। गर्मीके दिन थे। अिसलिये बड़े बिस्तरकी जरूरत नहीं थी। गांधीजी अिस भ्रमणमें अपना मुख्य भोजन सेककर कूटी हुआ मूगफली और गुड़-केले और दो-तीन नीबूका पानी रखते थे। सरदार भी अिसीसे काम चला लेते थे। भरतीके लिये थोड़े दिन मातर तालुकेके नवागाममें डेरा डाला। वहां गांधीजी खाना बनाते और रोटी या खिचड़ी और शाक तैयार करके वे और सरदार खाते। महादेवभाजी नड़ियादसे रोज डाक लेकर वारेजड़ी स्टेशन पर रेलसे जाते। वहांसे नवागाम ग्यारह मील पड़ता था, सो पैदल जाते। अंक वार महादेवभाजीको खयाल हुआ कि मैं सरदारके लिये रोटी और साग लेता जाऊ तो ठीक हो। तुरन्त गांधीजीने कहा: "तुम वल्लभभाजीको अैसे पराधीन क्यों समझ लेते हो? वे तो पकाकर मुझे भी खिलायेगे।" बादमें सरदारको रोटी बनानेके लिये बैठाना शुरू किया।

यह काम लोगोंको अितना अप्रिय लगता था कि जिस घर्मशालामें वे ठहरे हुए थे, वहां शायद ही कोअी मिलने आता था। अिसलिये अच्छी तरह आराम मिलता था। दोनों कोशिश करके विनोद कर लेते थे। नवागाममें या आसपासके देहातमें सभाअें होतीं तो अुनमें लोग आते जरूर। परन्तु भरती होनेके लिये नहीं, सवाल पूछनके लिये आते थे। मुख्य प्रश्न ये थे: "आप अहिंसावादी होकर कैसे हमें हथियार अुठानेको कहते हैं? अिस सरकारने देशका क्या भला किया है कि अुसे मदद देनेको आप कहते हैं?" भरतीमें तो भूले-भटके अंक-दो नाम ही मिलते, परन्तु गांधीजी और सरदार अिसमें लगे रहे और अुनके सतत कार्यका असर होने लगा।

सौ अंक नाम हो गये तो कमिश्नरके साथ चर्चा हुआ कि अुनकी तालीमक लिये केन्द्र कहां रखा जाय। गुजरातमें तो अंक भी तालीम-केन्द्र नहीं था, और अितने थोड़े मनुष्योंके लिये केन्द्र खोलनेके बजाय कमिश्नर कहते

थे कि रंगरूटोंको किसी और प्रान्तके चालू केन्द्रमें भेज दिया जाय । साथ ही सैनिक भरतीके लिये गांधीजीने जो पत्रिका निकाली थी, उसकी एक दलील कमिश्नरको बहुत खटकती थी। उसका सार यह था: “ब्रिटिश राज्यके बहुतसे दुष्कृत्योंमें से अतिहास सारी जातिको निःशस्त्र करनेके कानूनको उसकी सबसे काली करतूत मानेगा। यह कानून रद्द कराना हो और शस्त्रोंका उपयोग सीखना हो तो यह सुवर्ण अवसर है। राज्यके विपत्तिकालमें शिक्षित और मध्यमवर्ग स्वेच्छासे मदद देंगे, तो उनको प्रति रक्षा अविश्वास दूर होगा और जिसे शस्त्र धारण करने हों, वह खुशीसे कर सकेगा।” कमिश्नरको यह वाक्य बहुत खटकता था। परन्तु सब बातें ठेठ ऊपरसे तय हुआ थीं, इसलिये “अस मामलेमें आपके और मेरे बीच मतभेद है”, इसके सिवाय कमिश्नर साहब और कुछ नहीं कह सके। गांधीजीका आग्रह था कि गुजरातमें तालीम केन्द्र खुलवाना चाहिये। उनकी दलील यह थी कि प्रान्तके प्रमुख माने जानेवाले लोगोंको फौजी तालीम पाते और कूच, कवायद, निशानबाजी वगैरा सब कुछ करते देखेंगे, तो लोगोंमें अतसाह आयेगा और पहला दल रणक्षेत्रके लिये रवाना हो जायगा तो बहुतसे लोग भरती हो जायेंगे। अस मुद्दे पर लिखा-पढ़ी और बातचीत हो ही रही थी कि अतनेमें गांधीजी सख्त बीमार पड़ गये। जब गांधीजी फौजी भरतीके लिये खेड़ा जिलेमें दौरा कर रहे थे, उस समय अन्हें पेचिशकी सख्त बीमारी भोगनी पड़ी थी। अच्छे होनेके बाद व आश्रममें आये। वहां अपना जन्म-दिवस यानी भादों वदी बारस ता० १-१०-१८ का सारा दिन अन्होंने सबसे मिलन-जुलनेमें बिता दिया। परन्तु रातको लगभग बारह बजे अंकाअंक बहुत ज्यादा घबरा गये और अन्हें असा महसूस हुआ कि तुरन्त प्राण निकल जायेंगे। आश्रमके मुख्य मनुष्योंको जगाकर सूचनाओं दे दीं। सरदारको बुलाने आदमी भेजा। बे डॉ० कानूगाको लेकर दो बजे आये। सरदारको आश्रम सम्हला दिया। यह भी कह दिया कि हो सके तो आश्रममें रहने आ जायं। डॉ० कानूगाने गांधीजीकी जांच की तो अन्हें घबराने जैसी कोअी बात मालूम नहीं हुआ। नाड़ी व हृदय सब ठीक थे। परन्तु गांधीजीको जबरदस्त कमजोरी मालूम होती थी। बिस्तर पर हिलना-डुलना भी मुश्किल और कष्टप्रद लगता था। लगभग अंक सप्ताह तक मरणोन्मुख होकर गीता और अपने प्रिय भजन सुननमें दिन बिताये। बादमें अंतःप्रेरणा हुआ और जिजीविषा जाग्रत हुआ। बिस्तर पर तो अन्हें दो अंक महीने पड़े रहना पड़ा। अतनेमें अंक दिन सरदार खबर लेकर आये कि कमिश्नरने कहलवाया है कि जर्मनीकी पूरी हार

हो गयी है और अब फौजी भरतीकी कोओी जरूरत नहीं रही। अिस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ।

गांधीजीने अहिंसक होने पर भी सैनिक भरतीका काम कैसे हाथमें लिया, अिस बारेमें देश-विदेशमें, खास तौर पर अहिंसावादी मित्रोंकी तरफसे बड़ी चर्चा अुठी। अुसके जो जवाब गांधीजीने दिये हैं, अुनमें जानेका यह स्थान नहीं है। यहां अितना ही कहेंगे कि पहले दलके सेनापतिके तौर पर गांधीजी और अुप-सेनापतिके रूपमें सरदार जानेवाले थे। अिसमें गांधीजीने घोषणा की थी कि वे रणक्षेत्रमें दलके आगे रहेंगे, परन्तु बिलकुल शस्त्र धारण नहीं करेंगे।

## रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलन

ब्रिटिश हुकूमतमें हिन्दुस्तानने राजनैतिक अधिकार धीरे-धीरे प्राप्त किये और अन्तमें आजादी हासिल की, जिसकी पिछली चार मंजिलोंका अतिहास असा है कि जब-जब सुधार किये गये, तब-तब अुससे पहले देशको भारी दमनचक्रमें से गुजरना पड़ा है। अेक तरफ राजनैतिक सुधार जारी करके लोगोंको अधिकार देनेकी प्रवृत्ति होती थी, तो दूसरी तरफ लोगोंकी नागरिक स्वतंत्रताको कुचल डालनेवाले कानून पास करके सैकड़ों मनुष्योंको जेलमें धकेल दिया जाता था और निर्वासित कर दिया जाता था। जब १९११ में मार्ले-मिन्टो सुधार देकर धारासभाओंमें लोक-प्रतिनिधियोंकी संख्या बढ़ाओ गयी, तब अुससे पहले १९०८ का राजद्रोही सभाओं सम्बन्धी कानून (सिडीशस मीटिंग्स अेक्ट) और १९१० का फौजदारी कानूनमें सुधार करनेवाला कानून (क्रिमिनल लाँ अमेंडमेंट अेक्ट) पास करके सैकड़ों मनुष्योंको जेल और काले पानीकी सजाअें दी गयी थीं। अेक सदी पुराने अेक कानूनका यानी सन् १८१८ के रेग्युलेशन नं० ३ का अुपयोग करके कुछ देशभक्तोंको निर्वासित किया गया था। लोकमान्य तिलक महाराजको राजद्रोहके अभियोगमें ६ बरसकी सजा दी गयी थी। जिस प्रकार जिस समय नयी धारासभाओंकी बैठकें हुआँ, अुस समय लगभग १८०० राजनैतिक कैदी जेलके सीखचोंमें बन्द थे।

मांटैग्यू-चम्सफोर्ड सुधारोंके समयका अतिहास भी असा ही है। जिस समय सुधारोंकी चर्चाअें और तैयारियाँ हो रही थीं, अुसी समय पुलिसको अमर्यादित सत्ताअें देकर नागरिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात करनेवाले रौलट कानून पास किये गये थे। अुनके विरुद्ध जो आन्दोलन अुठा और अुससे असहयोगकी जो लड़ाओ छिड़ी, अुसके सिलसिलमें जब नये सधारोंका अमल हुआ अुस समय कमसे कम २०००० मनुष्य, जिनमें देशके बड़ेसे बड़े नेता भी थे, जेलके सीखचोंमें बन्द थे।

जिसी तरह जब प्रान्तीय स्वराज्य देनेके लिये वधानिक सुधारोंके सम्बन्धमें बातचीत करनेके लिये अिगलैंडमें सन् १९३० और सन् १९३२ में गोलमेज परिषदें हो रही थीं, तब लोगोंका सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके सहयोगके बिना कोयी भी सुधार अमलमें नहीं

लाये जा सकते थे, अपने लगभग अेक लाख स्वयंसेवकोंके साथ जेलमें थी । अिसके बाद १९४२ से ४५ तक कांग्रेसके आदेशको मानकर देशने ब्रिटिश राज्यके खिलाफ विद्रोह किया और बेशुमार तकलीफें अुठानेके बाद आजादी प्राप्त की ।

अभी तो हम रौलट कानूनका ही, जो अुस समय काला कानून कहलाता था, विचार करेंगे । यद्यपि १९३० और १९३२ में तथा १९४२ में जिन कानूनों और आर्डिनेन्सों(फतवों)का दौरदौरा चला अुनके सामने तो रौलट कानून बड़ा नरम था, फिर भी अिस प्रकारका यह पहला ही कानून होनेके कारण वह काला कानून कहलाया और देशके प्रत्येक दलने अुसका तीव्र विरोध किया । धारासभामें भी अुसके विरुद्ध कड़े भाषण हुअे, तथापि सरकारी पक्षके बहुमतवाली धारासभामें यह कानून पास हो गया ।

गांधीजी अुस समय गंभीर बीमारीसे मुश्किलसे अुठे ही थे और अशक्त थे; फिर भी अिस रौलट कानूनकी बात पढ़कर अुनका पुण्यप्रकोप जाग अुठा । सरदार लगभग रोज अुन्हें आश्रममें देखने आते । गांधीजीने अुन्हें कहा : “ अिस बारेमें कुछ किया जाना चाहिये । ” सरदारने पूछा : “ क्या किया जाय ? ” गांधीजीने कहा : “ कुछ आदमी भी तैयार हो जायं, तो धारासभामें कानून पास होते ही हमें सत्याग्रह करना चाहिये । बीमार न पड़ा होता, तो मैं अकेला ही जूझता और बादमें दूसरे लोगोंके मिल जानेकी आशा रखता । परन्तु अपनी लाचार स्थितिमें अकेले जूझनकी मेरी शक्ति बिलकुल नहीं है । ” दूसरी तरफ बम्बअीके होमरूल लीगवाले, खास तौर पर श्री अुमर सोबानी और श्री शंकरलाल बैंकर गांधीजी पर यह दबाव डाल रहे थे कि अिस मामलेमें कुछ करना चाहिये । परिणामस्वरूप बीसेक मनुष्योंकी अेक छोटीसी सभा साबरमती आश्रममें की गअी । अुसमें सरदारके सिवाय श्रीमती सरोजिनी नायडू, मि० हार्निमेन, श्री अुमर सोबानी, श्री शंकरलाल बैंकर और श्री अिन्दुलाल याज्ञिक मुख्य थे । अेक प्रतिज्ञापत्र तैयार किया गया और अुपस्थितोंमें से सभीने अुस पर हस्ताक्षर किये । कोअी मौजूदा संस्था सत्याग्रहका नया हथियार न अुठा ले, अिसके लिये सत्याग्रह सभा नामकी नअी संस्था स्थापित की गअी । साथ ही यह कानून पास न करनेके लिये गांधीजीने वाअिसरायसे बहुत विनती की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिट्ठियां लिखीं और साफ तौर पर बता दिया कि सत्याग्रहके सिवाय अुनके पास और कोअी मार्ग नहीं है । परन्तु यह सब कुछ व्यर्थ हुआ और कानून पास हो गया ।

गांधीजीने निश्चय किया कि सत्याग्रहकी लड़ाअी आत्मशुद्धिकी होनेके कारण अुसका आरंभ अुपवास और हड़तालसे किया जाय । हिन्दू लोग साधारण

तौर पर ३६ घंटेका अपुवास करते हैं, परन्तु मुसलमान रोजेसे अधिक अपुवास नहीं रख सकते। असलिये गांधीजीने पहले दिन शामसे दूसरे दिन शाम तक २४ घंटेका राष्ट्रीय अपुवास खोज निकाला। अुस समय गांधीजी इसी प्रश्नके सिलसिलेमें मद्रास गये हुअे थे। वहींसे अुन्होंने अस प्रकारकी सूचना निकाली। अुसमें ३० मार्च १९१९ का दिन अपुवास और हड़तालके लिये बताया गया। परन्तु अितनेसे समयमें सारे देशमें खबर पहुंच नहीं सकेगी, यह महसूस होने पर बादमें वह तारीख बदलकर ६ अप्रैल कर दी गयी। अस फेरबदलकी खबर दिल्ली समय पर न पहुंची, असलिये दिल्लीमें ३० मार्च मनाया गया। अँसी हड़ताल हुअी जैसी पहले कभी नहीं हुअी थी। हिन्दू और मुसलमान अेक दिल होकर असमें शरीक हुअे। अुस समय दिल्लीमें हकीम अजमलखां साहब और स्वामी श्रद्धानन्दजीकी चलती थी। श्रद्धानन्दजीको जुम्मा मसजिदमें भाषण देनेके लिये निमंत्रित किया गया। ये सब बातें सत्ताधारी सहन न कर सके। जुलूसको पुलिस रोकने लगी परन्तु वह बिखरा नहीं, तो पुलिसने गोली चला दी। बहुतसे जख्मी हुअे और थोड़ेसे मारे भी गये। वातावरण बहुत ही अुग्र हो गया। श्री श्रद्धानन्दजीने गांधीजीको दिल्ली बुलाया। पंजाबमें लाहौर और अमृतसरमें भी अँसा ही गरमागरम वायुमंडल था। वहांसे डॉक्टर सत्यपाल और किचलूने गांधीजीको पंजाब आनेके लिये तार दिया। गांधीजी ६ तारीख बम्बयीमें मनाकर ७ ता०की रातको दिल्ली होकर अमृतसरके लिये रवाना हुअे। परन्तु दिल्ली पहुंचनेसे पहले अुन्हें पलवल नामक स्टेशन पर गाड़ीसे अुतारकर पकड़ लिया गया। ६ तारीख सारे देशमें— शहरों और गांवों दोनोंमें— बड़े अुत्साहके साथ मनायी गयी। अहमदाबादमें बहुत लोगोंने अपुवास किया। हड़ताल तो पूरी ही थी और शामको निश्चित समय पर सरदारके नेतृत्वमें शहरमें अितना बड़ा जुलूस निकला, जैसा पहले कभी नहीं निकला था। स्टेशनस शुरू होकर नदीकी रेतमें पहुंचने पर जुलूस सभाके रूपमें बदल गया। सभा विसर्जन होनेके बाद कानून भंगका कार्यक्रम शुरू हुआ। असके लिये गांधीजीकी जव्त की हुअी पुस्तकें 'हिन्द स्वराज' और 'सर्वोदय' छपवाकर बेचनेका निश्चय हुआ था। सरदार और दूसरे लोग, जिन्होंने प्रतिज्ञाअें ली थीं, अुन्हें बचने निकल पड़े। लोगोंने अुन्हें छपी हुअी कीमतसे भी अधिक दाम देकर खरीदा। परन्तु किसीको पकड़ा नहीं गया। अँसा मालूम हुआ कि सरकारने तो खास संस्करण ही जव्त किये थे, असलिये नये संस्करण छापने, बेचने या खरीदनेमें अपराध नहीं माना गया। दूसरे दिनसे प्रेस-अेक्टके अनुसार सरकारकी अनुमति लिये बिना 'सत्याग्रह पत्रिका' नामक दैनिककी

साबिकलोस्टाबिलसे निकाली हुअी प्रतियां बेचनी शुरू कीं। यह पत्रिका तैयार करनेका सारा काम सरदारके भद्रके मकानमें ही होता था। अिसमें सरकारने कोअी कानून-भंग नहीं माना। ९ तारीखको गांधीजीके पकड़े जानेके समाचार देशमें बिजलीकी तरह फैल गये और लाहौर, अमृतसर, अहमदाबाद, वीरमगांवमें जबरदस्त दंगे हो गये। अहमदाबादमें जितनी हथियार-बन्द पुलिस और फौज थी, अुसकी मददसे खुले हाथों गोलाबारी करके पहले दिन तो कुछ समय तक दंगोंको काबूमें रखनेका सत्ताधारियोंने प्रयत्न किया। परन्तु १० तारीखको दंगाअियोंकी संख्या और अुनका जोश अितना बढ़ गया कि पुलिसको कुछ नहीं चली। दंगेमें अुत्तेजित लोगोंने पुलिस थाने जला दिये, तारघर जला दिया, कलेक्टरका दफ्तर और भद्रके सरकारी दफ्तर जला दिये। अुन दिनों मैट्रिककी परीक्षा हो रही थी; अुसका मंडप भी जला डाला और अेक गोरे साजेंटकी हत्या कर दी। तीसरे दिन बम्बअीसे सेना आ पहुंची और मार्शल लाँ घोषित कर दिया गया। अुसमें बहुत लोग घायल हुअे और मारे गये। अुसके बाद दंगा काबूमें आया। अुन दिनों सरदार, शहरके कुछ कार्यकर्त्ता और आश्रमवासी शहरमें घूमते, लोगोंको शांत करते और घायलोंको अस्पताल पहुंचाने और अुनके सगे-सम्बन्धियोंको अनाज मुहैया करने आदिकी सहायता देते। शहरसे फौजी पहरा अुठ जानेके बाद भी तारघर और अिम्पीरियल बैंकके सामने और सरदारके घरके पास गुजरात क्लबमें गोरी पलटनें रखी गअीं। अेक दिन शामको अिन्दुलाल याज्ञिक, जो अकसर सरदारके यहां सलाह-मशविरेके लिअे आते थे, अैसे वक्त आये जब घरमें कोअी नहीं था। वे मुंह धोनेके लिअे स्नानघरमें गये और वहां बत्ती जलाअी। अुसे बन्द करके दूसरे कमरेमें गय। वहांकी बत्ती बुझाकर तीसरे कमरेकी बत्ती जलाअी। अुन पलटनवालोंको खयाल हुआ कि सरदारके मकानमें से यह कोअी संकेत हो रहे हैं, अिसलिअे अुन्होंने मकानके आसपास पहरा लगा दिया। सरदार अुसी समय बाहरसे घर आये, तो सेनाके अफसरने फौजी ढंगसे अुन्हें घरमें घुसनेसे रोककर पिस्तौल सामने करके बात करना शुरू किया। सरदारने अुसे कहा कि कोअी जांच करनी हो तो घरमें आकर कर लो। वह अिस व्यर्थकी धांधलीके लिअे शर्मिन्दा होकर चला गया।

सरकारी अधिकारियोंकी हलकी खुशामद करनेवाले अेक म्युनिसिपल कौंसिलरने पुलिसको यह खबर दी कि मैंने सरदारको तारघर जला डालनेके लिअे दियासलाअी लगाते देखा था। अुनके साथ डॉ० कानूगा और बच्चू-भाअी वकोल भी थे। अिस खबर परसे पूनासे खुफिया पुलिस आअी।



असने जांच करना शुरू किया। कलेक्टरको असका पता चला, तब असने कहा: "ये मकान जलाये गये तब तो सारे समय सरदार मेरे ही पास बैठे थे और हम यह चर्चा कर रहे थे कि क्या अुपाय किये जायं।" अस परसे यह जांच छोड़ दी गयी। अस खबरको देनेवालेका नाम बताकर कलेक्टरने स्वयं बादमें यह बात सरदारसे कही, तब पता चला कि सार्वजनिक संस्थाओंमें भाग लेनेवाले हमारे आदमी अधिकारियोंके प्रिय बननेके लिये किस हद तक जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। अिन दंगोंके दिनोंमें और बादमें सरदारके शान्ति स्थापित करनेके प्रयत्नोंसे अहमदाबादके पुलिस सुपरिन्टेंडेंट मि० हेलीका सरदार पर अितना अधिक विश्वास जम गया था कि असने असके दस बरस बाद सरकारको अंसी सलाह दी थी कि "वल्लभभाभीके बिना बारडोलीमें शान्ति कायम नहीं रह सकती।"

गांधीजीको ८ तारीखको पलवल स्टेशन पर पकड़नेके बाद पुलिसने १० तारीखकी दुपहरको बम्बयी लाकर छोड़ दिया। अुनके पकड़े जानेके समाचार तो अुनसे पहले ही बम्बयी पहुंच गये थे और लोग दंगा मचाने लगे थे। गांधीजी अुतरते ही दंगेके स्थान पर पहुंचे, परन्तु अुनके कुछ कर सकनेके पहले ही भाले चलाती हुयी पुलिसकी घुड़सवार टुकड़ियोंने लोगोंको बिखेर दिया। बहुत लोग कुचले गये और घायल हो गये। यह गांधीजीने आंखों दखा। वे वहांसे पुलिस कमिश्नरके दफ्तर गये और अुसे समझाने लगे कि "मेरे खयालसे तो घुड़सवार दल भेजनेकी जरूरत नहीं थी।" कमिश्नरने जवाब दिया: "अिसका आपको पता नहीं हो सकता। आपकी शिक्षाका लोगों पर कैसा असर हुआ है, अिसका पता आपकी अपेक्षा हम पुलिसवालोंको ज्यादा होता है। ... आप जानते हैं अहमदाबादमें क्या हो रहा है? अमृतसरमें क्या हुआ है? लोग सब जगह पागल-से हो गये हैं। मुझे भी पूरा पता नहीं है। कुछ जगह तार भी टूट गये हैं। मैं तो आपसे कहता हूं कि अिन सब दंगोंकी जिम्मेदारी आपके सिर पर है।"

गांधीजीका अिरादा तो लौटती ट्रेनसे वापस जाकर अपने अूपरकी आज्ञा भंग करनेका था, परन्तु बम्बयीका मामला देखकर अुन्हें लगा कि अुसी दिन तो जाना नहीं हो सकता। शामको चौपाटी पर जो सभा की गयी, अुसमें अेकत्रित प्रचंड मानव-मेदिनीको अपने लिखित भाषण द्वारा गांधीजीने समझाया कि: "लोग शान्ति नहीं रखेंगे तो मैं सत्याग्रहकी लड़ायी कभी नहीं लड़ सकूंगा।"

दूसरे दिन अहमदाबादके अधिक समाचार मिले। अहमदाबादमें सत्ताधारियोंका काबू नहीं रह गया था। बम्बयीसे अहमदाबाद जानेवाले सैनिक

दलको रोकनेके अिरादेसे कुछ लोगोंने नडियाद स्टेशनके पास रेलकी पटरियां अुखाड़ डाली थीं और वीरमगांवमें तहसीलदारकी हत्या हो चुकी थी, वगैरा । असलिये अुन्होंने दिल्ली और पंजाब जानेका अिरादा तो छोड़ ही दिया और अुसी रातको अहमदाबादके लिअे रवाना हो गये । वहां पहुंचकर देखा कि वहां तो मार्शल लॉ जारी है । स्टेशनसे सीधे कमिश्नर मि० प्रैटसे जाकर मिले । वे तो बड़े गुस्सेमें थे, फिर भी भरसक बातें करके परिस्थिति समझ ली और रविवार १३ तारीखको आश्रममें सभा करनेकी अिजाजत ले ली । और यह प्रबन्ध किया कि लोगोको वहां आने देनेमें पुलिस या सिपाहियोंकी तरफसे कोअी बाधा न हो । गांधीजीका लिखा हुआ भाषण सरदारने पढ़ा । भाषणमें लोगोको अपने दोषोंका भान करानेका प्रयत्न था । गांधीजीने प्रायश्चित्तके तौर पर तीन दिनका अुपवास किया और लोगोको अेक दिनका अुपवास करनेकी सलाह दी । लोगोको अपना अपराध स्वीकार करने और सरकारको अपराध क्षमा करनेका सुझाव दिया । यह सलाह दोनोंमें से अेकने भी नहीं मानी । न लोगोंने अपराध स्वीकार किया और न सरकारने माफ किया । गांधीजीने जब तक लोग शान्तिका पाठ न सीख लें, तब तक सत्याग्रह स्थगित करनेका अपना निश्चय घोषित कर दिया ।

पंजाबमें तो लोगोको दबा देनेके लिअे बेशुमार अत्याचार हुअे । जिस गलीमें अेक गोरी स्त्री पर हमला हुआ था, अुसमें होकर जाने-आनेवाले लोगोको हमलेकी जगह पर कितने ही दिनों तक पेटके बल चलाया गया । कॉलेजके विद्यार्थियोंको यूनियन जैकको सलामी देनेके लिअे जाते-आते १६-१६ मील तक लाहौरकी अप्रैल महीनेकी धूपमें पैदल चलाया गया और अमृतसरमें जलियांवाला बागकी सभा पर गोलीबार करके सैकड़ों आदमियोंको कत्ल कर दिया गया । जब ये सारे समाचार प्रगट हुअे, तब सारे देशमें क्रोध भड़क अुठा ।

जब अहमदाबादमें दंगा हो रहा था, अुस समय नडियाद स्टेशनके पास कुछ लोगोंने रेलकी पटरियां अुखाड़ डाली थीं और बारेजड़ी स्टेशनके पास तार काट डाले थे । असके लिअे अिन दोनों स्थानों पर अेक वर्षके लिअे अतिरिक्त पुलिस रखनेका सरकारने निश्चय किया और अुसके खर्चके १५,५५६ रुपये नडियादके पाटीदारों और बनियोंसे और ६,०२८ रुपये बारेजड़ी और नांदेजके खातेदारोंसे जुर्मानेके रूपमें लेना तय करके अुसके अनुसार खेड़ाके कलेक्टरने ता० १६ को आज्ञा प्रसारित कर दी । असमें मजा यह है कि अिस तमाम अुथल-पुथलके दिनोंमें नडियादमें अच्छी शान्ति रही ।

असके लिये अुसी कलेक्टरने नडियाद म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष श्री गोकुलदास तलाटीके नाम ता० ३१ अप्रैलको बधाओका यह पत्र लिखा था :

“मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि चिन्ता और खलबलीके जिस समयमें से सौभाग्यसे अब हम निकल चुके हैं, अुस समय नडियादके निवासियोंने अच्छी तरह कानून और शान्तिकी जिस तरह रक्षा की वह प्रशंसनीय थी। जिन नेताओंने अमन कायम रखनेमें अपने प्रभावकी काममें लिया, वे खास तौर पर बधाओके पात्र हैं।”

मगर असके बाद कलेक्टर, बम्बयी प्रान्तके पोलिस अिस्पेक्टर जनरल और अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैटके बीच सलाह-मशविरे हुअे और सारी बाजी बदल गयी। यह जाच करके कि पटरियां किसने अुखाड़ीं, कुछ आदमियोंको गिरफ्तार किया गया। अुनके मामलेका फैसला अदालतने तो १२ अगस्तको सुनाया, परन्तु अुससे पहले ही नडियादके पाटीदारों और बनियोंको कलेक्टरने गुनहगार ठहरा दिया और अुन पर जुर्माना कर दिया। असके लिये जो कारण कलेक्टरने अपने हुकममें दिये थे, वे मजेदार हैं। असलिये संक्षेपमें यहां दिये जाते हैं :

१. असमें कोअी शका ही नहीं है कि रेलकी पटरियां नडियादके लोगोंने अुखाड़ डाली। अुनमें से अधिकांश पाटीदार हैं।

२. पिछले साल जमीनका लगान न देनेका आन्दोलन चल रहा था, तब मि० गांधीका केम्प नडियादमें था। अुस आन्दोलनसे लोगोंमें अधिकारियों और सरकारके प्रति आदर घट गया।

३. बनियोंको खास तौर पर जिम्मेदार माननेका कारण यह है कि अुन्होंने सरकारके विरुद्ध लोगोंको अुकसाया। बनिये मुख्यतः व्यापारी हैं। अुन्होंने दुकानें बन्द करके खलबली मचायी और हुल्लड़बाजोंको प्रोत्साहन दिया। ६ अप्रैलको नडियादमें बिना किसी कारणके हड़ताल की गयी और अुसीसे ११ तारीखको जो दंगा हुआ अुसकी तैयारी हुअी। . . . मि० गांधी, मि० गोकुलदास तलाटी और मि० फूलचंद शाह बनिये हैं।

४. जो अपराध नडियादमें हुआ, अुसे साबित करनेमें मदद देनेका मैंने नडियादियोंको मौका दिया था। परन्तु नडियादके अेक भी नेताने मुझे महत्त्वपूर्ण खबर नहीं दी।

जैसे नडियाद - वारेजड़ी पर जुर्माना किया गया, वैसे अहमदाबाद शहर पर भी नौ लाख रुपया जुर्माना किया गया और वीरमगांव पर ४२,००० रुपये जुर्माना किया गया। शहरियोंमें से जिसे ठीक समझा जाय अुसे मुक्त

करनेका कलेक्टरको अधिकार था। फिर भी सरदार और दूसरे, जिन्होंने ब्रह्म सहायता दी थी, इस जुर्मानेसे मुक्त नहीं किये गये।

अससे जो घटनाओं घटीं उनके बारेमें गांधीजी ता० ११-७-२० के 'नवजीवन' में लिखते हैं :

“कुछ लोगोंको दंडसे मुक्ति दी गयी, परन्तु श्री वल्लभभायी पटेल और डॉ० कानूगाको अस मुक्तिका लाभ नहीं मिल सका। ... अन्होंने दंगा मिटाने और लोगोंको शान्त करनेमें जान जोखममें डालकर अधिकारियोंकी सहायता की थी। . . . बेकसूर होकर भी व्यर्थ जुर्माना देना अिन दोनों सज्जनोंके लिये कठिन कार्य था। सरकारको तंग करनेकी अिनकी अिच्छा नहीं थी, परन्तु स्वाभिमानकी रक्षा करने और सत्यको ही माननेकी अिनकी अिच्छा तीव्र थी। असलिये कोअी हलचल या धांधली किये बिना जुर्माना देनेकी अपनी अनिच्छा अन्होंने सरकारको बता दी। परिणामस्वरूप कुर्कीका नोटिस निकला। डॉ० कानूगाके दवाखानेमें अुनके गल्लेको कुर्क करके असम से वांछित रुपया वसूल कर लिया गया। श्री वल्लभभायीके यहां कुर्की-अफसरको गल्ला दिखायी न दिया, असलिये दीवानखानेमें से अेक कोच कुर्क करके बाकायदा नोटिसके साथ नीलाम करके अससे जुर्माना वसूल करना पडा। अिन दोनों सत्याग्रही भाअियोंने अपने अन्तरकी आवाजको मानकर शुद्ध सत्याग्रहका अुदाहरण प्रस्तुत किया, असके लिये हम अुनका अभिनन्दन करते हैं।”

बादमें अेक और घटना हुयी। सरदार तथा अहमदाबादके अेक और बैरिस्टर श्री जीवनलाल ब्रजराय देसायी और वकीलोंमें से श्री गोपालराव रामचन्द्र दाभोलकर, श्री कृष्णलाल नरसीलाल देसायी, श्री कालीदास जसकरण झवेरी तथा श्री मणिलाल वल्लभजी कोठारीके लिये, जिन्होंने रौलट कानूनके विरुद्ध सत्याग्रह करनेकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किये थे, अहमदाबादके डिस्ट्रिक्ट जजने हायीकोर्टको अस आशयकी तहरीर भेजी कि ये लोग जब तक सत्याग्रह-सभासे अलग न हो जायं, तब तक अुन्हें वकालत करनेके लिये अयोग्य मानना चाहिये। अस पर हायीकोर्टने अुनके नाम पर नोटिस जारी किया और ता० २४-७-१९ को बम्बयी हायीकोर्टके जजोंकी 'फुल बैच' के सामने मुकदमेकी सुनवायी हुयी। वकील-बैरिस्टरोंकी तरफसे सर चिमनलाल सेतलवाड़ने मुख्य बहस की। सर चिमनलालकी दलीलोंकी ध्वनि यह थी :

‘सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना वकालतके धंधके सिलसिलेमें बेजा हरकत कही ही नहीं जा सकती। ... अस प्रतिज्ञाके लेनसे किसी

अन्य प्रकारकी बेजा हरकतका आरोप भी अतः पर नहीं लगाया जा सकता । असी प्रतिज्ञा लेनेसे अन्हें कलंक नहीं लगता, परन्तु अलुटे वे अज्जतदार ठहरते हैं, क्योंकि अतः अपने अंतःकरणका विश्वास प्रगट करनेकी हिम्मत है । यह विश्वास गलत हो सकता है, परन्तु असमें कोअी नैतिक दोष नहीं है । प्रतिज्ञामें साफ बताया है कि सत्य पर चलना है और किसीको हानि नहीं पहुंचानी है । असी प्रतिज्ञा लेनेवाले मनुष्योंको कलंकित कैसे माना जा सकता है ? ’

सर चिमनलालने दूसरा मुद्दा यह पेश किया कि :

‘सरकारके कुछ कृत्योंके बारेमें आलोचना करते हुअे अंग्लैंडमें बहुत अंची पदवी धारण करनेवाले कुछ नामी बैरिस्टरोंने सैनिक बलसे सरकारका सामना करनेकी धमकी दी थी । अतने पर भी अतकी सनद छीन लेनेके बारेमें कोअी विचार नहीं किया गया था । हां, वे कोअी कानूनके विरुद्ध काम करें, तो अतके खिलाफ फौजदारी कानूनकी रूसे मुकदमा चलाया जा सकता है । परन्तु अतकी सनदको हानि नहीं पहुंचाअी जा सकती । ... यह मुकदमा बहुत ही जल्दी चला दिया गया, क्योंकि अभी तक कोअी भी गैरकानूनी कृत्य नहीं किया गया ।’

हाअीकोर्टके जजोंने यह दलील स्वीकार की और यह निश्चय किया कि मनुष्यने कानून भंग किया हो, तो भी जब तक अतमें असा दोष न हो, जिससे किसी प्रकारका नैतिक कलंक लगता हो, तब तक किसी वकीलकी सनद नहीं छीनी जा सकती और न मनुष्यको दूसरी बातोंमें नालायक ही ठहराया जा सकता है । अस फैसलेने वकील-बैरिस्टरोंके लिये सविनय कानून-भंगकी लड़ाअीमें भाग लेनेका मार्ग खोल दिया, अतना ही नहीं, परन्तु असी लड़ाअियोंमें जो लोग जेल हो आये हों, अतमें से हर किसीके लिये धारासभाओं, म्युनिसिपैलिटियों और लोकल बोर्डोंके द्वार बन्द नहीं किये जा सकते, यह भी स्पष्ट कर दिया ।

बादमें पटरियां अखाड़ने, तार काटने और अहमदाबाद वीरमगांवके दंगोंमें भाग लेनेके कारण जिन्हें पकड़ा गया था, अत पर मुकदमे चलानेके लिये अेक विशेष न्यायालय नियुक्त हुआ और मुकदमे चले । अतमें से बहुत ज्यादा लोगोंके मामलेमें बैरिस्टरके रूपमें सरदार और अतके साथ वकीलोंके तौर पर श्री कृष्णलाल देसाअी तथा श्री मणिलाल कोठारी खड़े हुअे । अधिकांश अभियुक्तोंको निर्दोष साबित करके बरी कराया गया । अेक केसमें बड़ा मजा रहा । नड़ियादके स्टेशनके पास रेलकी पटरियां अखाड़नेका अेक

पाटीदार किसान पर आरोप लगाया गया था और अुसके घरमें कुर्की करके मुद्दामालके तौर पर नट घुमानेके कुछ पेंचकस रेलकी पटरियोंके नटोंके समझकर पकड़ लिये गये थे। अभियुक्तके कुअें पर अेंजिन पम्प लगे हुअे थे, अिसलिये अुनके वास्ते अुसके घर पर अेंसे पेंचकस रहते थे। कार्रवाअीके दरमियान अपराधका मौका देखनेके लिये जज, सरकारी वकील, सरदार और दूसरे वकील जानेवाले थे। जाते समय सरदारने मुद्दामाल साथ रखनेकी अदालतसे प्रार्थना की। जब जजने स्थान वगैराकी जाच कर ली, तो सरदारने कहा कि पकड़े हुअे मुद्दामालमें से पेंचकसोंके द्वारा पटरियोंके नट घुमाकर देखिये। घुमाने लगे तो अेक भी पेंचकस नहीं लगा। जांच करनेवाले पुलिस अफसरोंकी अैसी हालत हो गअी कि काटो तो खून न निकले। सरदारने जजसे कहा कि अिन मुकदमोंमें अिस प्रकारका गड़बड़ घोटाला है। अपराध हुआ है अिसलिये किसीको भी पकड़कर मुकदमा तो चलाना ही चाहिये न!

## असहयोग

लाहौर और अमृतसरके दंगोंके बाद सरकार द्वारा पंजाबमें किये गये अत्याचारोंके समाचार जब देशमें फैले, तब सारे देशमें जबरदस्त पुण्य-प्रकोप प्रगट हुआ। सरकारने पंजाबके अुन तमाम नेताओंको पकड़ लिया था, जो सरकारके जालिम कारनामोंके खिलाफ आवाज अुठा सकते थे। असलिये कांग्रेसने निश्चय किया कि वहां जाकर जांच की जाय। असि निश्चयके अनुसार सारी परिस्थिति देखनेको वहां जानेकी अिच्छा करनेवाले मि० अेन्ड्रूज, पंडित मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी और देशबन्धु दास वगैराको पंजाबमें प्रवेश करनेकी मंजूरी ठेठ जुलाजीमें मिली और गांधीजीको तो ठेठ अक्तूबरमें मिली। गांधीजीको अिजाजत मिलनेसे थोड़े ही दिन पहले यानी ता० १४-१०-'१९ को फौजी कानूनके दिनोंमें पंजाबके अधिकारियों द्वारा किये गये कृत्योंके बारेमें जांच करनेके लिये सरकारकी तरफसे अेक कमेटी नियुक्त की गयी। यह कमेटी अुसके अध्यक्ष लार्ड हन्टरके नाम परसे हन्टर कमेटी कहलाती है। परन्तु अुस कमेटीको नियुक्त करनेसे पहले वाअिसरायने अधिकारियोंको मुक्ति देनेवाला अेक कानून पास करके कमेटीके अधिकार सीमित कर दिये। अुस कानूनकी मुख्य धाराका सार यह था कि, "३० मार्च १९१९ को या अुसके बाद शुद्ध हेतुसे और अुचित रूपमें यह समझकर कि यह काम जरूरी था, किसी अफसरने दंगा मिटाने और शान्ति कायम रखनेके लिये जो काम किया होगा, अुसके बारेमें अुसके खिलाफ किसी भी अदालतमें दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकेगा।" अेक और धारा यह थी कि, "किसी भी आदमीको मार्शल लॉके दिनोंमें सजा हुयी होगी, तो वह सजा जब तक गवर्नर या अुसके जैसा अधिकार रखनेवाली और कोअी सत्ता रद न कर दे तब तक कायम रहेगी।" दूसरे, असि कमेटीमें पांच गोरे सदस्य और तीन हिन्दुस्तानी सदस्य थे। कांग्रेसकी मांग यह थी कि हिन्दुस्तानी सदस्योंमें अेक कांग्रेसका प्रतिनिधि और अेक मुस्लिम लीगका प्रतिनिधि लेना चाहिये। परन्तु यह मांग वाअिसराय साहबने अस्वीकार कर दी। तीसरे, पंजाबके जिन नेताओंको जेलमें डाल दिया गया था, अुन्हें न केवल बयान देनेके लिये बुलवाया जाय, बल्कि कमेटीके सामने सबूत पश करनेके लिये अुन्हें वकीलोंके साथ सलाह-मशविरा करनेकी पूरी सुविधा दी जाय, यह जो

कांग्रेसकी मांग थी असे भी नामंजूर कर दिया गया। खास तौर पर अिस और दूसरे कुछ कारणोंसे कांग्रेसकी तरफसे पंजाबमें हन्टर कमेटीका बहिष्कार कर दिया गया। परन्तु वहांके अत्याचारोंकी अधिकृत तफसीलका देशके सामने रखा जाना जरूरी था, अिसलिये कांग्रेसने पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु दास, अब्बास साहब तैयबजी, श्री जयकर और गांधीजी तथा मंत्रीके रूपमें श्री के० सन्तानम्की अेक जांच-समिति नियुक्त की।

पंजाबका यह प्रकरण चल ही रहा था कि अुसके साथ ही अेक और महान प्रश्न देशके सामने अुपस्थित हो गया। युरोपीय महायुद्धमे तुर्की जर्मनीके पक्षमें मिल गया था। तुर्कीका सुलतान खलीफा कहलाता और अिस प्रकार सारी अिस्लामी दुनियाका धर्मगुरु माना जाता था; और मुसलमानोंका यह विश्वास था कि मुसलमानोंके पवित्र माने जानेवाले स्थान अुसीकी हुकूमतके अधीन रहने चाहिये। हिन्दुस्तानके मुसलमान अपने खलीफाके विरुद्ध लड़नेमें संकोच न रखें, अिसके लिये अिग्लैंडके प्रधान मंत्रीने स्पष्ट वचन दिये थे कि हमारी जीत होनेके बाद दूसरे दुश्मनोंका कुछ भी किया जाय, परन्तु तुर्कीके सुलतानकी हुकूमतके अधीन तमाम प्रदेश हम अक्षुण्ण रहने देंगे। अितने पर भी अिन वचनोंके देनेके थोड़े ही समय बाद मुसलमानोंके दिलोंको चोट पहुंचाने-वाली यह बात जाहिर हुअी कि जिस समय अेक तरफ अिग्लैंडका प्रधानमंत्री ये वचन दे रहा था, अुसी समय अपने साथी अिटली, यूनान और रूसके साथ अिग्लैंड गुप्त कौल-करार कर रहा था, जिसमें तुर्कीके सुलतानकी हुकूमतके अधीन प्रदेशोंकी सारे देशोंके बीच अमुक-अमुक ढंगसे बांट देना तय किया गया था। युरोपमें अिन गुप्त संधियोंकी जानकारी जल्दी ही गअी थी, परन्तु सेंसरशिपके कारण हिन्दुस्तानमें ठेठ अप्रैल १९१८ में, जब अेंड्रूज विलायतसे यह खबर लाये, यह मालूम हुआ। गांधीजीको वाअिसरायकी तरफसे युद्ध-परिषदमें भाग लेनेका आमंत्रण दिया गया, तब और कारणोंके साथ अिस कारणसे भी भाग लेनेके बारेमें अुन्होंने अपनी कठिनाअी बताअी। वाअिसरायने गांधीजीके सामने यह दलील दी कि ये सब तो अखबारोंकी बातें हैं। ब्रिटिश मंत्रि-मंडलका क्या कहना है, यह सुने या जाने बिना यह कैसे माना जा सकता है कि ये सच है? गांधीजीको वाअिसरायका यह तर्क अुचित प्रतीत हुआ और अुन्होंने सैनिक भरतीमें मदद देना मंजूर किया। परन्तु युद्ध पूरा होनेके बाद सुलहकी जो शर्तें हुअीं, अुनके अनुसार जब तुर्कीके सुलतानकी हुकूमतके अधीन प्रदेशोंका बंटवारा हुआ, तब मुसलमानोंको साफ महसूस हो गया कि खलीफाकी हुकूमत यानी खिलाफतके मामलेमें हमारे साथ वचनभंग और दगा हुआ है। यह सोचकर कि अपने देशबान्धव मुसलमानोंको अुनके विपत्तिकालमें मदद



देनी ही चाहिये, गांधीजी खिलाफतके प्रश्नमें पूरी तरह अुनके साथ हो गये । मार्च १९२० में मुस्लिम अुलेमाओंकी सभामें गांधीजी गये थे । वहां असके अुपायों पर विचार करते-करते अचानक गांधीजीको सूझा कि जब तक खिलाफतके मामलेमें मुसलमानोंको न्याय न मिले, तब तक सरकारको हुकूमत करनेमें सहायता नहीं देनी चाहिये । पहले तो अुन्हें अंग्रेजीका 'नॉन-कोआपरेशन' शब्द सूझा था । अुस परसे गुजरातीमें 'असहकार' शब्द अुन्होंने बनाया । खिलाफतके सिलसिलेकी सभाओंमें धीरे-धीरे अुन्होंने अस विचारका विकास किया और अुसकी तफसील बताते गये ।

ता० २६-५-२० को हन्टर कमेटीकी रिपोर्ट और अुसकी सिफारिशों पर सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ । गांधीजीकी सत्याग्रह और सविनय कानून-भंगकी हलचलोंसे लोगोंकी कानून माननेकी वृत्ति शिथिल हुअी और अुसके कारण दंगे हुअे, अस प्रकारके हन्टर कमेटीके निर्णयमें गोरे सदस्योंके साथ हिन्दुस्तानी सदस्य सहमत हुअे । परन्तु और सब बातोंमें वे गोरे सदस्योंसे अलग हो गये । हिन्दुस्तानी सदस्योंने स्पष्ट मत दिया कि दंगोंको बगावत समझकर मार्शल लॉ जारी करनेमें पंजाबकी सरकारने भूल की है और मार्शल लॉमें जो जुल्म किये गये, वे अमानुषिक और भारतीय प्रजाका अपमान करनेवाले थे । फिर भी अस मामले पर भारत सरकारने जो प्रस्ताव प्रकाशित किया, वह तो साफ तौर पर सारी बातों पर परदा डालनेवाला था । पंजाबके अमानुषिक अत्याचारोंकी जड़में पंजाबके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माअिकेल ओडवायरका हाथ था । अुसके बारेमें प्रस्तावमें बताया गया कि अुन्होंने जिस जबरदस्त शक्ति और साहसके साथ महान कठिनाअीके समय अपना कर्तव्य पालन किया, अुसके लिअे सम्राट महोदयकी सरकार अुनकी कदर करती है । जलियांवाला बागका हत्याकांड करनेवाले जनरल डायरके बारेमें कहा गया कि अुसने जलियावाला बागमें जो सैनिक बल काममें लिया, वह भीड़को बिखेरनेके लिअे जरूरतसे बहुत ज्यादा था और अुसे आज्ञा दी जाती है कि वह अपने पदसे त्यागपत्र दे दे । सर माअिकेल ओडवायरकी प्रशंसा करनेवाले और जनरल डायरको सिर्फ नौकरीसे अिस्तीफा दिलाकर छोड़ देनेवाले अस प्रस्तावसे भारतीय प्रजाका असन्तोष बहुत ही बढ़ गया ।

अब खिलाफतके धोखेके साथ पंजाबके अत्याचार और दोनों मामलोंमें जनताके साथ हुआ अन्याय असहयोगके लिअे कारण बन गया । हमारा स्वराज्य स्थापित न हो जाय तब तक अैसे अन्याय बन्द नहीं किये जा सकते, असलिअे स्वराज्य असहयोगका तीसरा मुद्दा बना । देशमें जगह-

जगह सभाओं द्वारा प्रचार होने लगा। अलाहाबादमें ता० १-६-'२० को हुआ खिलाफत परिषदने असहयोगके प्रस्तावको अन्तिम रूप दिया और परिषदकी तरफसे वाअिसराँयको आखिरी मीका देनेके लिये अेक पत्र लिखा गया। गांधीजीने भी वाअिसराँयको अिस मामलेमें तारीख २२-६-'२० को अन्तिम पत्र लिखा। अुनके जवाब सन्तोषजनक नही मिले, अिसलिये देश भरमें असहयोगकी तैयारियां शुरू हुअी।

गुजरात राजनैतिक परिषद हर वर्ष होती थी। अुसकी तरफसे वर्ष भर काम जारी रखनेके लिये नियुक्त गुजरात राजनैतिक मंडलकी अेक बैठक ता० ११-७-'२० को नडियादमें हुआ। अुसमें सरदारके प्रस्ताव पर असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

गांधीजीने अेक अगस्तको अपने प्राप्त किये हुअे सभी तमगे—'बोअर वार मेडल', 'जूलू वार मेडल' और 'कैसरे हिन्द' स्वर्ण पदक—वाअिसराँयको लौटाकर असहयोग शुरू कर दिया। असहयोगके बारेमें विचार करनेके लिये सितम्बरके शुरूमें कांग्रेसका विशेष अधिवेशन कलकत्तेमें होनेवाला था। अुससे पहले गुजरातकी राय वहां पश हो सके, अिसके लिये ता० २७-२८-२९ अगस्तको गुजरात राजनैतिक परिषद श्री अब्बास साहब तैयबजीकी अध्यक्षतामें अहमदाबादमें की गअी। सरदार स्वागत-समितिके अध्यक्ष चुने गय। अुनके भाषणसे कुछ अुद्धरण यहां दिये जायेगे। परिषद बुलानेका कारण बताते हुअे अुन्होंने कहा :

“कलकत्तेमें अगले सप्ताहमें कांग्रेस होगी। आल अिडिया कांग्रेस कमेटीने यह प्रस्ताव किया है कि अुससे पहले हिन्दुस्तानकी जनता असहयोगके विषयमें खूब विचार करके अपना मत कांग्रेसके सामने प्रगट करे। अिसलिये यह परिषद जल्दी की गअी है। . . . असहयोगका मार्ग प्रचलित दिशासे विपरीत है और बड़े जोरसे बहते हुअे प्रवाहको अुस दिशामें ले जानेका महान प्रश्न हमारे सामने अुपस्थित हुआ है। . . . असहयोगके पक्षवाले और अुसके विरोधी, दोनों विचारवालोंको अिस परिषदमें आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया गया है . . . अुभय पक्षको खूब धीरज और सभ्यताके साथ सुननेकी जरूरत है। स्वराज्य चाहनेवाली जनता लोकमतके किसी भी पक्षका अनादर नहीं कर सकती। सभी दलोंका अन्तिम लक्ष्य तो अेक ही है। केवल साधनोंके चुनावमें मतभेद है। . . .”

अिसके बाद हम असहयोग करनेकी हद तक कैसे पहुंचे, अिसका अितिहास दिया गया है। अुसमें से मुख्य मुद्दे यहां दिये जाते हैं :

“जब सन् १९१४ में यूरोपमें युद्ध छिड़ा, उस समय यह कहा गया कि छोटे-छोटे राज्योंकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये और साथ ही सत्य और न्यायकी खातिर अंग्लैन्डको तलवार अुठानी पड़ी। हिन्दुस्तानके लाखों सिपाही यूरोप, अफ्रीका और अशियाके अलग-अलग रणक्षेत्रोंमें अपना खून बहाने गये। उस समय हिन्दुस्तान जैसी गरीबी पृथ्वीतल पर शायद ही कही होगी। फिर भी अपने करोड़ों बालकोंको भूखों मारकर हिन्दुस्तानने अंग्लैन्डको डेढ़ अरब रुपया भेंट किया। शुरूमें हिन्दुस्तानकी वफादारीके लिये जबरदस्त शंकायें रखी गयी थीं। परन्तु हिन्दुस्तानकी अैसी अकल्पित राजभक्ति देखकर अंग्लैन्डकी जनता आश्चर्यचकित हो गयी। . . . हमारे समझदार और विचक्षण नेताओंने साम्राज्यको नाजुक मौके पर मदद देनेमें किसी भी किस्मकी शर्त करना शराफतके खिलाफ समझा। . . . अंग्लैन्डके प्रधान मंत्री और दूसरे मंत्रियोंके वचनों पर विश्वास करके हजारों बहादुर मुसलमान खुद तुर्कीके विरुद्ध लड़ने गये। . . .

“असके बदलेमें लड़ाई खत्म होने पर हमें क्या मिला? व्यक्तिकी स्वतंत्रताको जड़से नष्ट करनेवाले रौलट नामसे प्रसिद्ध कानूनकी भेंट हमें अत्यन्त आग्रहपूर्वक दी गयी . . . पंजाबके शासककी जालिम नीतिके बोझसे कुचली हुयी जनता जल रही थी। सरकारने रौलट कानूनके विरुद्ध होनेवाले आन्दोलनको जबरदस्ती दबा देनेकी नीति ग्रहण करके आगमें घी डाला। महात्मा गांधीको पंजाब जानेसे रोक दिया और वहाँके नेताओंको गायब कर दिया। नतीजा यह हुआ कि जनताका कुछ भाग पागल बन गया और क्षणिक पागलपनमें असने अनेक अत्याचार कर डाले। क्रोधके आवेशमें होश भूलकर लोगोंके किये हुअे अत्याचारोंका हम बचाव नहीं कर सकते। . . . निर्दोष मनुष्योंकी हत्या हो, सरकारी मकान जला दिये जायं, गिरजोंको आग लगा दी जाय और स्त्रियों पर हमले हों, तब सरकार क्रुद्ध हो जाय और किसी हद तक सख्तीकी मर्यादा न रख सके तो समझमें आ सकता है। . . . परन्तु सरकारने तो जुल्म करनेमें कोअी कमी ही नहीं रखी। किसी भी सुधरे हुअे राज्यके अितिहासमें जनता पर अैसा जुल्म करनेका अुदाहरण नहीं पाया जाता। ... अिन अत्याचारोंकी जिम्मेदारीसे अपराधी अफसरोंको बचानेके लिये सरकारने मुक्तिका कानून पास किया। असबं बाद अस कांडकी जांच करनेके लिये कमेटी नियुक्त हुयी। ... अस कमेटीने तो सारे कांड पर परदा डाल दिया।”

बादमें अधिकारियोंके अत्याचारोंके विषयमें और कमेटीकी रिपोर्टके सम्बन्धमें अंग्लैडकी पार्लियामेंटमें कैसी चर्चा हुई, जिसका वर्णन करते हुअे कहा :

“लोक-सभा ब्रिटिश न्यायकी आखिरी अदालत है। अश्वरके अस्तित्वसे भी ब्रिटिश न्यायमें ज्यादा आस्था रखनेवाले लोग जिस देशमें मौजूद हैं। लोक-सभाने अनुकं अंधकारके परदे अुघाड़ दिये । कोअी मनुष्य पत्थरको हीरा मानकर लम्बे समय तक अुसे संभालकर रखे और संकटके समय अुसे भुनाने जाय और पछताये, तो जिसमें पत्थरका क्या दोष ? ब्रिटिश न्यायमें विश्वास रखनेसे जिस समय हमारी यह दशा हुअी है । ... लार्ड-सभामें तो अुमरावोंने सचमुच अपनी कुलीनताका परिचय दे दिया ! अन्होंने पंजाबके गंभीर दुःखोंकी हंसी अुड़ाअी। अक नीच गोरे अफसरकी अिज्जत रखनेके लिये सैकड़ों निरपराध मनुष्योंकी हत्या भुला दी गअी। असे बहादुर कहा गया और निर्दोष मारे गये लोगोंको विद्रोही करार दिया गया।...

“सैकड़ों हत्यायें करनेमें जनरल डायरकी नियत साफ थी, अुसने केवल हिसाब लगानेमें भूल की, अुसने जरा ज्यादा गोलियां चलाअीं, परन्तु अुसने हिन्दुस्तानको बचा लिया। ... सर माअिकल ओडवायर, जो अिन तमाम अत्याचारोंके लिये मुख्यतः जिम्मेदार था, द्वारा की गअी सेवाअें याद करके मंत्रि-मंडलने अुसकी प्रशंसा की। पंजाबकी जनताने जो सेवाअें की थी सो पानीमें गअी !”

बादमें पंजाबके अत्याचारोंकी थोड़ी तफसील देकर हिन्दुस्तानकी धारा-सभामें हुअे घटनाचक्रका वर्णन करते हैं :

“फौजी शासनके दिनोमें पंजाबमें आतंक जमानेके लिये जान-बूझकर हत्याकांड किया गया, पंजाबियोंसे नाक रगड़वायी गअी, अन्हें पेटके बल चलाया गया, आम रास्तों पर खड़े करके कोड़े लगवाये गये, शहरके बीचमें फांसीके तस्ते खड़े किये गये, हवाअी जहाजसे गोले बरसाये गये, ब्रिटिश झंडेको सलामी देनेके लिये विद्यार्थियोंको सोलह-सोलह मील पैदल चलाया गया, नेताओंको पकड़-पकड़ कर कैदमें डाला गया, हिन्दू-मुसल-मानोंकी अेकताकी हंसी अुड़ाअी गअी, स्त्रियोंकी अिज्जत लूटी गअी और इसी तरहके अनेक राक्षसी कृत्य किये गये।...

“जब हिन्दुस्तानकी धारासभामें पेटके बल चलानेकी आज्ञाकी चर्चा हुअी, तब सरकारी पक्षके कुछ सदस्योंने अैसी भाषा अिस्तेमाल की, जैसी जुआरियों और शराबियोंकी भीड़ जमा होकर काममें लेती है और पेटके

बल चलनेवालोंका मजाक अुड़ाया। भले मानस पंडित मदनमोहन मालवीयजीका अपमान करनेमें कोअी कसर नहीं रखी गयी।”

अुपरोक्त वर्णन करनेके बाद कुछ सूचक प्रश्न पूछते हैं :

“पंजाबकी नाक काटकर हिन्दुस्तानकी अिज्जत पर हाथ डाला गया और न्याय देनेके बजाय असह्य दुःखसे पीड़ित जनताके दुःखोंकी हंसी अुड़ायी गयी, यह कैसे भूला जा सकता है ? भावी संतानोंका हम पर कुछ तो हक है। हम अुनके संरक्षक हैं। अगर हम अुनके लिये अपमानका अुत्तराधिकार छोड़ जायं, तो हमारी दौलत और हमारा वैभव अुनके किस कामका ? अगर हम अिस अपमानको सहन कर लें, तो सुधरी हुअी संतानें हमारा तिरस्कार करें, अिसमें आश्चर्यकी क्या बात ?”

फिर खिलाफतके धोखेके बारेमें कहते हुअे बताया :

“तुर्कीके राज्यके टुकड़े कर दिये, कुस्तुन्तुनियामें तुर्की सम्राटको अेक कैदी जैसा बना दिया, सीरियाको फ्रांसने हड़प लिया, स्मर्ना और थ्रेसको यूनान निगल गया, और मेसोपोटेमिया और फिलस्तीन पर हमारी सरकारने अधिकार कर लिया। अरबस्तानमें भी अपना काबू रखकर अेक नाममात्रका शासक खड़ा कर दिया। खुद वाअिसरायं साहबने भी स्वीकार किया कि सुलहकी कुछ शर्तें मुसलमान कौमका जी दुखानेवाली हैं। लड़ाअीके दरमियान प्रधानमंत्रीके मुसलमानोंको दिये गये पवित्र वचन भंग करके, अुस जातिकी भावनाओंका अपमान करके, मित्र राज्योंने केवल स्वार्थबुद्धिसे खलीफाकी सत्ताको नष्ट किया है। अिस अन्यायसे सारी मुसलमान कौमका हृदय फट गया है। ... मुसलमानोंकी अैसी दुःखी स्थितिमें हिन्दू तटस्थ नहीं रह सकते। ...

“कुछ लोग यह दलील देते हैं कि तुर्कीके प्रतिनिधियोंने सुलहकी शर्तें स्वीकार करके हस्ताक्षर कर दिये, तब फिर हिन्दुस्तानको बोलनेका क्या हक है ? बन्दूक दिखाकर कराये गये हस्ताक्षरोंसे अन्याय कोअी न्याय नहीं हो जाता। और न्याय चाहनेवालेका हक अुससे मारा नहीं जाता। पंजाबमें मार्शल लॉके दिनोंमें पंजाबियोंको पेटके बल चलानेवाले अफसरोंने यह अजीब सफाअी दी थी कि लोग खुशीसे पेटके बल चलते थे और कुछ लोग अिस हुक्म पर फिदा होकर दो-दो तीन-तीन बार पेटके बल चले और अन्तमें अुन्हें रोकना पड़ा। साथ ही अुन्होंने यह भी कहा कि मार्शल लॉ लोगोंको अितना अधिक पसन्द आया कि वे ‘मार्शल लॉकी जय’ बोलने लगे और मार्शल लॉ जारी रखनेकी विनती करने लगे। क्या अिससे मार्शल लॉके अन्यायके विरुद्ध बोलनेका हक जाता रहा ?”

गांधीजी भी, जो अब तक ब्रिटिश साम्राज्यके बड़े वफादार थे, ब्रिटिश जाति पर मोहित थे और उसके साथ सहयोग करनेमें सम्मान समझते थे, असहयोग करनेकी सलाह दे रहे हैं, यह कहकर १९१९ की अन्तिम सहयोगी कांग्रेसका एक दृश्य वर्णन करते हैं :

“अिस स्थान पर अमृतसर कांग्रेसके आखिरी दिनके अधिवेशनका चित्र मेरी आंखोंके सामने खड़ा हो रहा है। हिन्दू, मुसलमान और सिक्खोंके खूनसे ताजा रंगी हुयी जलियांवाला बागकी भूमिका स्पर्श करके, पंजाबके अत्याचारोंसे क्रोधमें भरे हुये प्रतिनिधियोंसे खचाखच भरे मंडपके बीच महात्मा गांधीने टोपी अुतारकर शुद्ध सहयोगका मार्ग ग्रहण करने और शाही घोषणाके अुदार वचनों पर विश्वास करके मित्रताके बढ़ाये हुये हाथको प्रेमसे पकड़ लेने और अविश्वासका त्याग करनेके लिये गद्गद कंठसे प्रार्थना की।\* वे ही महात्मा गांधी आज सारे हिन्दुस्तानमें मुक्त कंठसे असहयोगकी पुकार कर रहे हैं।”

अिस परिषदके थोड़े ही दिन पहले सर नारायण चन्दावरकर और कुछ नेताओंने असहयोगके विरुद्ध एक घोषणापत्र निकाला था। अुसमें कहा गया था कि दुनियाके मुख्य धर्मग्रन्थ — गीता, कुरान, बाइबिल और पारसी अवेस्ता — असहयोगको धर्म-विरुद्ध मानते हैं। अुसके जवाबमें सरदारने कहा :

\* हिन्दुस्तानमें नये जारी होनेवाले राजनैतिक सुधारोंके सिलसिलेमें की गयी बादशाही घोषणामें अमृतसर कांग्रेसके समय गांधीजीकी आंखें आशाकी किरणें देखती थीं। पंजाब और खिलाफतके प्रश्न अुस समय भी थे ही। परन्तु अुस समयके भारत मंत्री मांटैग्यू हिन्दुस्तानके साथ दगा नहीं होने देंगे, अैसी गांधीजी आशा रखते थे। देशबन्धु दासका दृढ़ मत था कि सुधारोंके बिलकुल असन्तोषजनक और अधूरे मानकर अस्वीकार कर देना चाहिये। लोकमान्य अिस हद तक नहीं जाते थे, फिर भी अुनका निश्चय था कि देशबन्धु जो प्रस्ताव पसन्द करें, अुसके पक्षमें वे अपना असर डाल देंगे। अिस प्रकार अनुभवी और बहुमान्य नेताओंकी राय गांधीजीसे भिन्न थी। अुन्हें यह खटकता था। परन्तु अुनका अन्तर्नाद अुन्हें साफ कह रहा था कि ब्रिटिश राजपुरुषों पर विश्वास रखकर सुधार मंजूर कर लिये जाय। अिसलिये कांग्रेसमें देशबन्धु दासके प्रस्ताव पर गांधीजीने संशोधन रखा। भाषण हुअे। आपसमें मत लेने तककी नौबत आयी। अितनेमें समझौतेका प्रयत्न करनेवालोंने गांधीजीके संशोधनमें कुछ सुधार सुझाया, जो गांधीजी और देशबन्धु दोनोंने मान लिया। अिसकी तफसीलके लिये देखिये डॉ० पट्टाभि कृत कांग्रेसका अितिहास।

“कुछ लोग असहयोगमें धर्मभंगका दोष देखते हैं। मैं उनके बराबर विद्वत्ता या धर्मके तत्वोंके ज्ञानका दावा नहीं करता। फिर भी उनसे पूछता हूँ कि जनताको असहयोगमें शरीक न होने, असहयोगसे दूर रहने, गरज यह कि असहयोगवादियोंसे असहयोग करनेकी सलाह देते समय धर्मभंगका दोष कहां चला जाता है? हम सर नारायण चन्दावरकरसे अितना तो विनयपूर्वक पूछ ही सकते हैं कि जिस साम्राज्यमें सर माअिकल ओडवायर जैसे ‘सर’ का खिताब धारण कर सकते हैं और सर रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान कविको अपनी ‘सर’ की पदवी छोड़ देनी पड़ती है और जिन्हें आप सिर झुकाने योग्य ‘प्रोफेट’ (पैगम्बर) मानते हैं, उन्हें भी अपने पदक छोड़ देने पड़ते हैं, वहां आपको ‘सर’ का खिताब लौटा देनेमें गीताजीके श्लोक कहां बाधक होते हैं?”

असहयोगके आन्दोलनमें जोखम है, दंग होनेका डर है, आदि आक्षेपोंका उत्तर देते हुअे कहा :

“यह सच है कि अिसमें जोखम है। स्वतंत्रता दुनियाके किस मुल्कको आसानीसे मिली है? चुपचाप बैठे रहनेमें क्या कम जोखम है? ... जोखमके डरसे क्या किसीने जनताकी अन्नतिके महान प्रयोग छोड़ दिये हैं? अितना बड़ा साम्राज्य बनानेवालोंने जोखमका भय रखा होता, तो आज अुसका अस्तित्व कहां होता? . . . हर समय जनताको हारते देखा करें और अुससे बचनेका कोअी मार्ग बतावे तो अुसमे वाधक बनें, तो जनताकी अुन्नति कैसे हो सकती है? बंगालके विभाजनसे जनताका जो अपमान हुआ था, अुससे खिलाफत और पंजाबके अन्याय क्या कम अपमानजनक हैं? अुस समय सारे देशमें आग लगा देनेवालोंको आज कुछ भी महसूस नहीं होता? . . .”

अिस समय हमारे सामने सुधारोंका जाल बिछाया गया है, यह कहकर सुधारोंकी पोल खोलते हैं :

“मौजूदा शासन जनताका धन और तेज चूसकर अुसे कुचल डालनेवाले यंत्रकी तरह है। अुसमें से थोड़ासा विलायती भाग हटाकर देशी भाग बैठा देनेसे क्या फर्क पड़ जायगा? अेक देशी गवर्नर हो जानेसे हमारा क्या अुद्धार हो जायगा? अंग्रेज गवर्नरोंमें क्या अूंचे स्वभाव और चरित्रवाले नहीं होते? अपने पर घातक हमला होने पर भी चांदनी चौक या दिल्लीमें किसीका बाल भी बांका न होने देनेवाले लॉर्ड हार्डिज जैसे महान पुरुष क्या अुनमें नहीं होते? परन्तु

अस परिषदमें दूसरा महत्वका प्रस्ताव गुजरात विद्यापीठकी स्थापना सम्बन्धी था। प्रस्ताव अस प्रकार है :

“१. अस परिषदका विश्वास है कि अंग्रेज सरकारकी जारी की हुअी शिक्षा-प्रणाली हमारे देशकी संस्कृति और परिस्थितिके प्रतिकूल और साथ ही अव्यावहारिक सिद्ध हुअी है। और असलिअे विद्यार्थियोंको स्वदेशाभिमानी, स्वावलम्बी, और चरित्रवान भारतीय बनानेकी तालीम देनेके लिअे यह परिषद सरकारसे स्वतंत्र ढंग पर राष्ट्रीय शिक्षाकी संस्थाअें कायम करनेकी जरूरत स्वीकार करती है।

“२. अपरोक्त अुद्देश्यको खास तौर पर गुजरातमें सफल करनेके लिअे राष्ट्रीय ढंग पर पाठशालाअें, विद्यालय, अुद्योगशालाअें, अुर्दू पाठशालाअें और आयुर्वेदिक आरोग्य-शालाअें स्थापित करने और अनि सब संस्थाअेंका समन्वय करनेके लिअे गुजराती विद्यापीठ (युनिवर्सिटी) स्थापित करनेकी अस परिषदको आवश्यकता प्रतीत होती है।

“३. अपरोक्त ढंगसे गुजरातमें राष्ट्रीय शिक्षाका प्रचार करनेकी अुचित व्यवस्था करनेके लिअे यह परिषद अेक कमेटी अधिक सदस्य जोड़ लेनेके अधिकार सहित मुकर्रर करती है।”

अस कमेटीके मंत्रीके रूपमें श्री अिन्दुलाल याज्ञिक और श्री किशोरलाल मशरूवाला नियुक्त हुअे। कमेटीने विद्यापीठका विधान और नियमावली तैयार कर दिये। गुजरात विद्यापीठकी स्थापना अक्तूबर १९२० में और गुजरात महाविद्यालयकी स्थापना नवम्बरमें हुअी। विद्यापीठकी स्थापना हुअी तभीसे सरदारने अुसे अपना लाड़ला बच्चा मान लिया है और अुसका अत्साहपूर्वक पालन-पोषण किया है। अुसके शिक्षा सम्बन्धी पहलूको विशेषज्ञों पर छोड़कर अुन्होंने अुसमें कभी दखल नहीं दिया। परन्तु विद्यापीठकी स्थापनासे आज तक अुसके लिअे रुपयेका भार अुन्होंने अुठाय़ा है और अस मामलेमें अुसे सदा निश्चिन्त रखा है।

सितम्बरमें लाला लाजपतरायकी अध्यक्षतामें हुअी कलकत्ताकी विशेष कांग्रेसने बहुमतसे असहयोगका प्रस्ताव पास किया। अुसमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कार और खादीकी बात खास तौर पर जोड़ी गयी। कलकत्तेमें बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता, जैसे बैरिस्टर (बादमें देशबन्धु) दास, विपिनचन्द्र पाल, बैरिस्टर जयकर, बैरिस्टर (बादमें कायदे आजम) जिन्ना, पं० मालवीयजी, श्रीमती बेसैंट, पं० गोकर्णनाथ मिश्र, बैरिस्टर बैपटिस्टा तथा श्री सत्यमूर्ति आदिने प्रस्तावका विरोध किया और मतगणनाकी मांग हुअी। अुसमें गांधीजीके पक्षमें १८५२ और विरोधमें ९०८ मत आये। यह कहा जा सकता है कि



अस कांग्रेससे देशकी राजनीतिमें गांधीयुगका आरंभ हुआ। यों तो अमृतसरकी कांग्रेस पर गांधीजीका प्रभाव कम नहीं था, परन्तु कलकत्तेकी कांग्रेससे नयी ही नीति शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकारकी मेहरबानीसे हमें स्वराज्य नहीं मिलेगा, वह तो हमारी स्वराज्यकी कूचमें यथासंभव रुकावटें ही डालेगी। असलिये असका विरोध करके लोगोंको अपने पुरुषार्थसे अपने पराक्रमसे स्वराज्य स्थापित करना है, यह चीज कांग्रेसने स्पष्ट रूपमें घोषित कर दी। अस कारण नरम दलने तो कांग्रेस छोड़ ही दी और जो गरम दलके कहलाते थे परन्तु असहयोगमें शरीक होनेको तैयार नहीं थे, अन्होंने भी नागपुरकी कांग्रेसमें अन्तिम प्रयत्न करके कांग्रेसका त्याग कर दिया।

असके बाद दिसम्बर मासमें नये सुधारोंके अनुसार विस्तृत मताधिकारवाली धारासभाओंका चुनाव आया। दास बाबू जैसे नेताओंको धारासभाओंका बहिष्कार पहलेसे ही पसन्द नहीं था। कलकत्तेमें अन्होंने असहयोगके प्रस्तावका विरोध किया था, परन्तु धारासभाओंके बहिष्कारके मामलेमें प्रबल लोकमत देखकर अन्होंने अुम्मेदवारी नहीं की। जनताके प्रसिद्ध नेताओंमें से शायद ही किसीने अुम्मेदवारी की, परन्तु नरम दलके नेताओं और कुछ दूसरे लोगोंको तो बिना रखवाले या बाड़के खेतमें विगाड़ करनेका अच्छा मौका मिल गया। चुनाव-केन्द्रों पर मतदाता कही अेक फी सदी, कही दो फी सदी और पांच फी सदीसे अधिक कहीं मत देने नहीं गये। बहुतसे स्थानोंमें घोषित किया गया कि अेक भी मतदाताने मत नहीं दिया। कुछ अुम्मीदवार किसी भी विरोधी अुम्मीदवारके खड़े न होनेसे निर्विरोध चुन लिये गये। स्वाभिमानको ताकमें रखकर वे अपने आप ही प्रजाके प्रतिनिधि कहलाने लगे। सूरतमें सरदारकी अध्यक्षतामें मतदाताओंकी अेक परिषद की गयी। असमें धारासभाके अिन सदस्योंसे स्वाभिमानका विचार करके अपनी जगहोंसे अिस्तीफे दे देनेकी प्रार्थना करनेवाले, और जो अपनी हठ न छोड़कर धारासभामें बैठनेकी अपनी जिद कायम रखें अुनके बारेमें यह घोषणा करनेवाले कि अुनमें मतदाताओंका बिलकुल विश्वास नहीं है और अन्हें धारासभामें जनताके प्रतिनिधिकी हैसियतसे बोलनेका कोअी अधिकार नहीं है, प्रस्ताव पास किये गये।

बादमें नागपुरकी कांग्रेस हुआ। यह कांग्रेस कांग्रेसके अितिहासमें कअी तरहसे महत्त्वकी समझी जायगी। पहलेकी किसी भी कांग्रेससे असमें प्रतिनिधियोंकी संख्या अधिक थी। कलकत्तेकी कांग्रेसमें असहयोगका प्रस्ताव पास तो हो गया था, परन्तु वहां विरोधी मतोंकी संख्या काफी थी, जब कि नागपुरमें लगभग बीस हजार प्रतिनिधियोंमें से विरोधी मतवाले दो ही थे। जहां तक मेरा खयाल है अुनमें से अेक तो जनाब जिन्ना साहब थे। अन्होंने असहयोगके

प्रस्तावके विरुद्ध बड़ा जबरदस्त भाषण दिया था। बादमें प्रस्ताव पर मत लेने पर अनुके हाथके सिवाय दूसरा अंक ही हाथ अुठा था, जिसलिअे वे कांग्रेस छोड़कर चले गये। नागपुरमें जो महत्त्वका काम हुआ, वह था कांग्रेसका पक्का विधान तैयार होना। अुस विधानका मसविदा गांधीजीने बनाया था और १९४७ में हमें स्वराज्य मिला तब तक अधिकांशमें वही विधान कायम रहा। कांग्रेसका पुराना ध्येय बदलकर जिस प्रकार रखा गया :

“भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका ध्येय भारतीय जनता द्वारा शान्तिमय और शुद्ध अुपायोसे स्वराज्य प्राप्त करना है।”

पहलेका ध्येय साम्राज्यकी छत्रछायामें औपनिवेशिक स्वराज्यका था, जब कि जिस नये ध्येयमें साम्राज्यका अुल्लेख तक नहीं था। जिसका स्पष्टीकरण सरदारने अपने अुस समयके अंक भाषणमें जिस प्रकार किया है :

“कुछ लोग कहते हैं कि हम साम्राज्यसे अलग हो जाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान साम्राज्यमें रहेगा या अलग हो जायगा, जिसका दारमदार अंग्रेजोंकी नियत और कृत्यों पर है। अभी तो हमारा निश्चय अितना ही है कि साम्राज्यमें रहकर संपूर्ण स्वतंत्रता भोग सकें, तो शामिल रहना वांछनीय है; परन्तु अँसा न हो सके, तो अलग होकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना अुतना ही वांछनीय है। फिर भी, अगर अँसा समय आया कि हमें साम्राज्यसे अलग ही होना पड़ा, तो अुस स्थितिकी जिम्मेदारी हम पर हरगिज नहीं हो सकती। जिसके लिअे तो जिम्मेदार अंग्रेज जाति ही रहेगी।”

विधानके दूसरे महत्त्वके मुद्दे ये थे कि अुपरोक्त ध्येयको मानकर अुस पर हस्ताक्षर करने और कांग्रेसकी वार्षिक फीसके चार आने देनेवाले अिक्कोस वर्षकी आयुवाले स्त्री-पुरुष कांग्रेसके सदस्य बन सकते हैं। अुन्हें कांग्रेसके प्रतिनिधि चुननेका अधिकार था। पचास हजारकी आबादीवाले प्रदेशको अंक प्रतिनिधि चुननेका अधिकार दिया गया। जिस प्रकार कांग्रेसके प्रतिनिधियोंकी संख्या ६००० से ६५०० तक नियत हुआ। साथ ही भाषावार प्रदेशोंके अनुसार प्रान्तीय समितियां बनायीं गयीं। और कांग्रेसका काम वर्षभर जारी रखनेके लिअे कांग्रेसकी महासमितिके सिवाय केवल पंद्रह सदस्योंकी कार्यसमिति अध्यक्ष द्वारा बना लेनेका सिलसिला डाल दिया गया। जिस विधानके अनुसार गुजरातमें जो प्रान्तीय समिति बनी, अुसके अध्यक्ष सरदार चुने गये। वे १९४२ में अहमदनगरके किलेमें नजरबन्द होने तक चुने जाते रहे। कलकत्तेकी कांग्रेसमें ही गांधीजीने घोषणा कर दी थी कि असहयोगके प्रस्तावमें बताया गया सारा कार्यक्रम लोग शान्तिसे पूरा कर दें, तो अंक

वर्षमें स्वराज्य स्थापित किया जा सकता है। नागपुर कांग्रेसके बाद 'अक सालमें स्वराज्य' के नारने बहुत जोर पकड़ा और लोगोंमें अजीब जोश फैल गया। लोगोंको अकके बाद अक निश्चित कार्यक्रम देनेके अदृश्यसे नागपुर कांग्रेसके बाद महासमितिकी जो बैठक हुअी, अुसमें तय किया गया कि ३० जून १९२१ से पहले पहले कांग्रेसके लिये तिलक स्वराज्य कोषमें देश अक करोड़ रुपया जमा करे, चार आनेवाले अक करोड़ सदस्य बनाये जायं और देशमें बीस लाख चरखे जारी किये जायं। अिसमें गुजरात काठियावाड़के हिस्सेमें दस लाख रुपये चन्दा करना, तीन लाख सदस्य बनाना और अक लाख चरखे चालू करना आया था। सब प्रान्तोंके हिसाबसे तो गुजरातको तीन लाख रुपयेका चंदा करना होता, परन्तु चूंकि गुजरात लड़ाअीका मोर्चा बनना चाहता था, अिसलिये अुसपर अधिक भार डाला गया। बस, स्वतंत्रताके प्रेमी कार्यकर्ताओं और स्वयसेवकोंको काम मिल गया। सरदारने गांधीजीसे गुजरातकी तरफसे निश्चिन्त रहनेको कह दिया था। सदस्यों और चन्देके लिये सरदार और तमाम कार्यकर्ता गांव-गांव और घर-घर घूमने लग गये। अिसमें सबसे भव्य दृश्य बुजुर्ग अब्बास साहबको घूमते देखना था। अब तक अुन्होंने बिलकुल विलायती ढंग पर जीवन बिताया था और देहातमें तो अुन्हें सोनेका अलग कमरा नहीं मिल सकता था, पाखानेकी ठीक सुविधा नहीं मिल सकती थी, नहानेकी कोठरी नहीं मिल सकती थी और कपड़े बदलनेकी जगह नहीं मिल सकती थी। फिर भी वे पैर फैलाकर बैठे बिना गांव-गांव घूमे और परिणामस्वरूप अुन्हें अनुभव हुआ कि वे अुम्में बीस वर्ष छोटे हो गये हैं। अिन सब कार्यकर्ताओंकी मेहनतके फलस्वरूप गुजरात और काठियावाड़ने तिलक स्वराज्य फंडमें दसके बजाय पन्द्रह लाख रुपये अिकट्ठे किये, सदस्य लगभग पूरे बना लिये और चरखोंकी संख्या भी पूरी कर दी, यद्यपि वे चालू नहीं रह सके।

सरकार अिस आन्दोलनको किस नजरसे देख रही थी, यह जरा देख लें। पहले असे खयाल हुआ होगा कि असहयोग चलेगा ही नहीं, अिसलिये अुसने आन्दोलनकी हंसी अुड़ाअी। परन्तु जब विद्यार्थी स्कूल और कॉलेज छोड़ने लगे, तब अिसकी गंभीरता अुसके ध्यानमें आअी और वर्षके अन्त तक तो वह तंग ही आ गअी। आन्दोलनके शुरूमें भारत सरकारकी तरफसे प्रकाशित हुअे अक बयानमें से कुछ अुद्धरण यहां देता हूं। अुनका भीतरी अर्थ पढ़ने पर सरकारकी परेशानीकी झलक दिखाअी पड़ती है :

“अिस आन्दोलनोंके प्रवर्तकोंने तो दृढ़तापूर्वक अपनी प्रतिज्ञाओं घोषित कर दी हैं कि अूनका अुद्देश्य मौजूदा सरकारका नाश करना और

हिन्दुस्तानकी ब्रिटिश हुकूमतको जड़से अखाड़ देना है। अन्होंने अपने अनुयायियोंको आश्वासन दिया है कि यदि वे उनका कहा मानेंगे, तो अेक सालमें हिन्दुस्तान स्वतंत्र और स्वराज्य-भोगी बन जायगा। ... स्थिर शासन और अविच्छिन्न शान्तिके जो लाभ अेक सदीसे भी अधिक समयके श्रमसे प्रगति कर-करके हिन्दुस्तानने प्राप्त किये हैं और सुधारोंकी योजनाके कारण जिसके और भी अधिक लाभ हिन्दुस्तान अुठानेकी तैयारीमें है, वे लाभ और साथ ही अपनी खुशहाली और अपनी राजनैतिक प्रगतिके— सब कुछ होम देनेकी यह बात है।

“सत्रसे अनीतिमय बात यह है कि अस आन्दोलनके संचालकोंका कोप देशके युवक वर्ग पर हुआ है। . . . अस आन्दोलनके नेता गृह-जीवनकी जड़ें ढीली करने या बाप-बेटों या शिक्षक-छात्रोंके बीच दुश्मनी पैदा करनेमें बिलकुल नहीं हिचकिचाते। . . . अन नेताओंके अविश्रान्त अुद्यमका यह भी परिणाम हो सकता है कि किसी भी समय दंगे छिड़कर भयंकर रूप धारण कर लें। ये नेता अेक गांवसे दूसरे गांव भटकते हैं, अुपद्रवी भाषण देते हैं और लोगोंको अुभाड़ते हैं। . . . अस खतरेको दूर करनेका अुत्तम शस्त्र स्थिर चित्त और नरम विचारोंवाले मनुष्योंकी अमली मदद और हमदर्दी है। असलिअे जिस किसीके दिलमें भारतका सच्चा हित है, उन सबको अिकटूठे होकर अस आन्दोलनका मुकाबला करना चाहिये और कानून और अमनके शासनके लिअे संगठित प्रयत्न करना चाहिये। ... सरकार अैसी सहायता देनेवाले वर्गकी सहायता चाहती है।”

सरकारकी अैसी अपील देखकर अहमदाबाद शहरके ‘मॉडरेटों’ और सरकारके पक्षवाले आदमियोंने स्थानीय नेशनल होमरूल लीगकी तरफसे ‘असहयोग—अुसका कार्य, विकास और क्षय’ विषय पर अेक सार्वजनिक भाषण रखा। अस सभामें असहयोगी भी अच्छी तादादमें अुपस्थित हुअे और सरदार भी अुसमें गये। हर शहरमें सरकारकी हिदायत पर अैसी सभाअें होतीं और उनमें अच्छा मजा रहता। असके नमूनेके तौर पर अुसकी थोड़ीसी तफसील दे देनेका लालच छोड़ा नहीं जा सकता। यह घोषणा हुअी थी कि रा० ब० रमणभायी अध्यक्ष बनेंगे, परन्तु उनके आनेमें जरा देर हो गयी तो बैरिस्टर मजमुदारको अध्यक्षपद दिया गया। सभामें कलेक्टर साहब, पुलिस विभागके अफसर, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और अुन सबकी कचहरियोंके कर्मचारियोंने भी काफी जगह घेरी थी। वक्ता अपना भाषण अंग्रेजीमें लिख कर लाये थे। अुसके पूरा होने पर अध्यक्षकी अिजाजत लेकर सरदार अुसका

जवाब देने खड़े हुए। अन्होंने गुजरातीमें बोलना शुरू किया, तो कलेक्टरकी प्रार्थना पर अध्यक्षने अन्हें अंग्रेजीमें बोलनेकी हिदायत की। सरदारने कहा कि, “आप चाहते हों कि मैं चर्चा करूं, तो फिर मुझे जिस भाषामें बोलना अुचित प्रतीत हो अुसमें बोलनेकी छूट होनी चाहिये। कलेक्टर साहबको तो मैं जानता हूं। वे मुझसे भी अच्छी गुजराती जानते हैं। अुनके साथ जो दूसरे गोरे सज्जन बैठे हैं, अुनसे मैं परिचित नहीं हूं। परन्तु अगर वे अधिकारी हैं, तो अुन्हें गुजराती आनी ही चाहिये।” अन्तमें किस भाषामें बोलें, यह अध्यक्ष महोदयने वक्ताके विवेक पर छोड़ा और सरदारने गुजरातीमें बोलनेका विवेक काममें लिया। परन्तु कलेक्टर साहबसे यह सहन नहीं हुआ, असलिये सरदारके बोलना शुरू करते ही तुरन्त अुन्होंने और अुनके साथ आये हुए गोरे सज्जनोने अुठकर चले जानेका विवेक अिस्तेमाल किया! सरदारने अपनी देहाती गुजरातीमें वक्ताओके सारे मुद्दोंका जोरदार खंडन किया। परन्तु सहयोगियोंको अधिक आड़े हाथों तो अुन्हींके चुने हुए अध्यक्ष महोदयने लिया। अुन्होने कहा:

“असहयोगियोंका जोर जो अितना बढ़ गया है, अुसका कारण यही है कि वे खूब भाषण देते हैं, लोगोमें मिलते-जुलते हैं और काम करके अुनका मन हर लेते हैं। हम ‘मॉडरेटो’ का यह खयाल है कि वे दिशा भूले हुए हैं, परन्तु हमने लोगोंको सच्ची दिशामें ले जानेके लिये क्या किया? अहमदावादमें रा० ब० रमणभाजी जैसे, श्री मलचन्द शाह जैसे और दी० ब० हरिलाल देसाजी जैसे जबरदस्त ‘मॉडरेटों’के मौजूद होने पर भी असहयोगका विरोध करनेका काम आजके व्याख्याता जैसे छोटे आदमीके सिर पर आ पड़ता है, यह मॉडरेटोंकी कर्तव्य-विमुखता सूचित करता है।”

बादमें ३० मजी और अेक जूनको पांचवी गुजरात राजनैतिक परिषद हुआ। सरदार अुसके अध्यक्ष चुने गये। अुस परिषदमें मौ० मुहम्मदअली और शौकतअली शरीक हुए थे। यह परिषद ‘अेक वर्षमें स्वराज्य’ के अुत्साहके पूरे जोशमें हुआ थी। सरदारका अध्यक्षीय भाषण अुम अुत्साहको प्रतिबिम्बित करनेवाला था। हमें कैसा स्वराज्य चाहिये, असकी कल्पना कराते हुए अुन्होंने कहा:

“हम अैसा स्वराज्य चाहते हैं कि जिसमें सूखी रोटी न मिलनेके कारण सैकड़ों मनुष्य मरते न हों, पसीना बहाकर पैदा किया हुआ अनाज किसानोंके बच्चोंके मुहमें से छीनकर विदेशमें न ले जाया जाता हो, जिसमें लोगोंको कपड़ेके लिये पराये मुल्कों पर आधार न रखना पड़ता हो, थोड़ेसे

विदेशियोंकी सुविधाकी खातिर राजकाज विदेशी भाषामें न चलता हो, हमारे विचारों और शिक्षाका माध्यम विदेशी भाषा न हो, राज्यका शासन जमीन और आसमानके बीच पृथ्वीतलसे सात हजार फुटकी ऊँचाईसे न होता हो और महान देशभक्तोंकी स्वतंत्रता तो खतरेमें हो, परन्तु शराबियोंकी आज्ञादीकी रक्षा करनेकी खास तौर पर चिन्ता रखी जाती हो, अंसी स्थिति स्वराज्यमें नहीं हो सकती । . . . स्वराज्यमें देशकी रक्षाके लिये अितना सैनिक व्यय नहीं हो सकता कि देशको गिरवी रखकर दिवाला निकालनेकी नौबत आ पहुंचे। स्वराज्यमें हमारी फौज भाड़ेकी टट्टू नहीं हो सकती। उसका उपयोग हमें गुलाम बनाने और दूसरी जातियोंकी स्वतंत्रता नष्ट करनेमें नहीं होगा। बड़े अफसरों और छोटे नौकरोंके वेतनमें आकाश-पातालका अन्तर नहीं होगा, अन्साफ अत्यन्त महंगा और असंभवसा नहीं होगा और सबसे अधिक तो यह है कि जब हमारा स्वराज्य होगा, तब हमारे अपने देशमें और साथ ही विदेशोंमें जहां तहां हमारा तिरस्कार नहीं किया जायगा।”

ब्रिटिश हुकूमतसे छूटने पर उस हद तक हम स्वतंत्र हो गये, परन्तु ऊपर स्वराज्यका जो चित्र दिया गया है और उसकी जो कुछ तफसील दी गयी है, उसमें से बहुतसी अभी तक पूरी होनी बाकी ही है।

पश्चिमकी पद्धति जारी करनेमें कितनी जोखम भरी हुयी है, इस बारेमें बुनकी दी हुयी चेतावनी आज भी विचार करने योग्य है :

“कुछ लोग पश्चात्य सुधारोंके पुजारी हैं। उन्हें चरखेमें डेढ़ सौ वर्ष पीछे ले जानेका डर दिखायी दे रहा है। वे यह नहीं देख सकते कि पश्चिमी सुधार जगतकी अशान्तिकी जड़ है। राजा-प्रजाके बीच कलह करानेवाला, बड़ी-बड़ी सल्तनतोंका नाश करानेवाला, महान राज्योंको ग्रहोंकी तरह टकराकर पृथ्वीका प्रलय करानेवाला और मालिकों तथा मजदूरोंके बीच गृह-युद्ध मचवानेवाला पश्चिमी सुधार शैतानी शस्त्रों और सामग्री पर निर्मित है। इस सुधारका फंदा सारी दुनिया पर जोरके साथ फैलता जा रहा है। जैसे समय अकेला हिन्दुस्तान उसके विरुद्ध अचल रहकर अपना और संभव हो तो जगत्का बचाव करना चाहता है। पश्चात्य सुधार हिन्दुस्तानमें जारी करनेकी अच्छा रखनेवालोंके पास उस सुधारको पचानेकी क्या सामग्री है? हिन्दुस्तान इस सुधारके पीछे दौड़नेमें सदा पीछे ही रहेगा। वह इस भूमिके अनुकूल ही नहीं है। आत्मबलको पूजनेवाला हिन्दुस्तान इस शैतानके तेजमें कभी बहनेवाला नहीं है।”

देशके कुछ शहरोंमें अमन-सभाओं ( Leagues of Peace and Order ) होने लगी थीं, उनका पोल खोलते हुए अन्होंने कहा :

“सब जगह अमन-सभाओं बनने लगी है। मैं समझता था कि गुजरात अिस ढोंग और प्रपंचसे बचा रहेगा, मगर वह खयाल गलत निकला। . . . अधिकारियोंकी प्रेरणासे या उनके आश्रयमें ये संस्थाओं स्थापित होती हों, तो अिससे शान्तिके बजाय अशान्तिका भय अधिक है। मेरी समझमें नहीं आता कि अिस संस्थाके कायम करनेवालोंका अुद्देश्य क्या है। क्या आज तक वे अशान्ति या अराजकता पसन्द करनेवाले थे ? अुन्हे पता होना चाहिये कि जनता पर उनका कितना नियंत्रण है। यह सोचनेका काम मैं अुन्हें सौंपता हूँ कि अैसी संस्थाओं खोलकर वे अपना कार्य सिद्ध कर सकेंगे या जाने अनजाने सरकारके हथियार बनकर थोड़ी बहुत रही-सही प्रतिष्ठा भी गंवा देंगे। क्या अुन्हें पता नहीं कि आजकलकी हिन्दुस्तानकी अद्भुत शान्ति सरकारकी तोप-बन्दूकोंसे कायम नहीं है ? देशमें जो शान्ति विद्यमान है, वह तो अहिंसात्मक असहयोगका ही प्रताप है। अमन-सभाओं असहयोगियोंने गांव-गांव और गली-गलीमें लड़ाई शुरू की तभीसे स्थापित है। गाड़ीके नीचे घुसकर कुत्ता गाड़ीको घसीटनेका घमंड रखना चाहे तो भले ही रखे, परन्तु यह याद रखना जरूरी है कि कहीं बकरीको निकालनेमें अूट न घुस जाय। . . .”

अिस भाषणके बारेमें गांधीजी ‘नवजीवन’ की अेक टिप्पणीमें लिखते है :

“अध्यक्षका भाषण छोटा, सादा और प्रस्तुत अेवं विनम्र था। अुसमें जितना विवेक था अुतना ही शौर्य था। हम अकसर मान लेते हैं कि हिम्मत या शौर्यके साथ असभ्यता और गरम विशेषण वगैरा होने ही चाहियें। श्री वल्लभभाभी पटेलने दिखा दिया है कि शुद्ध बलके साथ तो शुद्ध सभ्यता ही हो सकती है।”

ता० ३० जूनको अेक करोड़ रुपयेका तिलक स्वराज्य कोष अिकट्टा करनेका कार्यक्रम पूरा हो गया। बादमें लोगोंके सामने ३० सितम्बरसे पहले विदेशी कपड़ेका बहिष्कार पूरा करनेका कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि अेक वर्षमें स्वराज्य स्थापित करना था और गांधीजी कलकत्तेकी विशेष कांग्रेससे अेक वर्ष गिनते थे। विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेके लिये पहली अगस्त यानी तिलक महाराजकी पहली बरसीके दिन सारे देशमें — शहरोंमें तथा गांव-गांवमें विदेशी वस्त्रोंकी होली करनेका निश्चय किया गया। अिसमें अहमदाबाद और बम्बयीकी होलियां शायद सबसे बड़ी थीं। सरदारने अपने बैरिस्टरोंके चोगोंके

सिवाय दर्जनों सूट, नेकटाअियां, दो अढाअी सौ कॉलर (कॉलर बम्बअी धुलने भेजते थे) और दसेक जोड़ी बूट जलाये थे। लोगोंका जोश भी समाता नहीं था। होली शुरू होनेके बाद लोगोंने अपने शरीरसे अुतार-अुतारकर विदेशी वस्त्रों और टोपियोंकी अुसमें वर्षा कर दी।

विदेशी कपड़ोंकी होलीके साथ ही विदेशी कपड़ेकी दुकानों और शराब-खानों पर धरना शुरू हुआ। अिसमें बहनोने अग्रगामी भाग लिया। विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका कार्यक्रम बड़ी तेजीसे चला, अिसलिये स्वाभाविक रूपमें ही देशमें कपड़ेकी तंगी पैदा हो गअी। परन्तु नियंत्रण और महंगाअीके कारण आज लोग कपड़ेके लिये जैसी पुकार मचा रहे हैं, वैसी पुकार अुस समय लोगोंने जरा भी नहीं मचाअी। चरखे चलने लगे थे, परन्तु खादीकी अुत्पत्ति कोअी बहुत नहीं होने लगी थी। सरदार अपने भाषणोंमें चरखेकी बात करनेके साथ कम कपड़े काममें लेने, पैबन्द लगाकर पहनने और किसी भी परिस्थितिमें नया कपड़ा न खरीदने पर खास जोर देते थे। अिसके बाद कपड़ेकी होलियां बहुत हुआं। अुनमें सरदार विदेशी टोपियां जलवाने पर विशेष ध्यान रखते थे।

सरदारने १९२१ की गर्मियोंसे खादी पहनना शुरू किया। अिसी अरसेमें बहुत करके अुमरेठकी अेक सभामें गांधीअीकी विदेशी कपड़ा जलानेकी अपीलके परिणामस्वरूप जो होली हुआ, अुसमें सरदारने अपने सिर पर जो टोपी थी अुसे डाल दिया और सभामें बहुतोंकी टोपियां जलवाअीं। अुनके दूसरे कपड़े स्वदेशी अर्थात् हमारे देशकी मिलोंके थे। परन्तु अुन्हें छोड़कर वे खादी धारण करनेका विचार कर रहे थे। अितनेमें गोधरामें जिला या तालुका परिषद थी, वहां गांधीअीके साथ अनका जाना हुआ। अुस समय महादेवभाअी अलाहाबाद थे। अिसलिये गुजरातमें भ्रमण होता, तब अकसर गांधीअीके साथ मै जाता। हम सवरेकी गाड़ीसे चलनेवाले थे। पिछली शामको सरदार आश्रममें आये थे। वहां मुझे कहा कि अपने कपड़ोंमें दो धोतियां और दो कुरते ज्यादा लेते आना। गोधरा पहुंचकर नहानेके बाद सरदारने धोती कुरता पहना और मिलके कपड़ोंको सदाके लिये तिलांजलि दे दी। मणिबहन और डाह्याभाअीने अुससे पहले खादी पहनना शुरू कर दिया था। मणिबहनको कअी बार खयाल आता कि वापू (सरदार) अभी तक खादी क्यों नहीं पहनते। परन्तु सरदारके साथ वे बात तक नहीं करती थीं, तब अैसा सवाल तो पूछती ही क्योंकर? साथ ही अुस समय खादी काफी मोटी मिलती थी। लम्बे पनेकी तो बहुत ही थोड़ी मिलती थी। अिसलिये धोतियां और साड़ियां बीचमें जोड़ लगाकर बनानी पड़ती थीं। मणिबहनने संकल्प किया था कि अपने कते अुअे



सूतकी बापूके लिअे धोतियां बनाअूंगी । परन्तु कातना नया-नया सीखा था, असलिअे डेढ़ वर्षमें १९२३ के शुरूमें संकल्प पूरा कर सकीं । असके बाद कुछ वर्ष तक अधिकतर और १९२७ के बाद पूरी तरह सरदार मणिबहनके काते हुअे सूतकी खादी पहनते रहे हैं ।

शराबखानोंके पहरमें पुलिसकी तरफसे और पुलिसकी हिमायतसे दुकानदारोंकी ओरसे ज्यादाती होने लगी । अहमदाबादके सुपरिन्टेंडेंट पुलिसने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अेक्टकी दफा ४८(१)अ के अनुसार हुकम जारी किया कि पहरा देनेवाले स्वयंसेवकोंकी संख्या हर शराबखाने पर अतनी ही होनी चाहिये, जितनी पुलिस मुकर्रर करे और पहरा देनेवालोंको शराबखानेके दरवाजेसे तीस फुट दूर खड़ा रहना चाहिये । अन शर्तसे पहरा लगभग असंभव हो जाता था । स्वयंसेवक तो अस आजाको भंग करके लड़ाी छेड़नेको छटपटाने लगे । परन्तु सरदार जल्दबाजी करनेवाले नहीं थे । अन्होंने देखा कि सुपरिन्टेंडेंटका हुकम बिलकुल कानूनके विरुद्ध है, असलिअे मद्यनिषेध-समितिसे प्रस्ताव कराकर घोषित करा दिया कि हुकम अवैध है और समितिका अुद्देश्य पुलिस अधिकारियोंकी तरह ही, बल्कि अुससे अधिक, शान्तिकी रक्षा करना है । सुपरिन्टेंडेंट पुलिस समझदार आदमी होना चाहिये । वह अपनी भूल समझ गया । पहले तो अपने हुकममें तबदीली की, परन्तु बादमें सारा हुकम वापस ले लिया ।

सितम्बर मासमें सेनामें बदअमनी फैलानेके अभियोगमें अली भाअियोंको सजा दे दी गअी । बम्बअीके गवर्नरको असमें राजद्रोह दिखाअी दिया, तो गांधीजीने घोषणा की कि :

“गवर्नर महोदयको ज्ञात होना चाहिय कि मौजूदा सरकारके विरुद्ध अप्रीति फैलाना तो कांग्रेसकी प्रतिज्ञा बन चुकी है । जिसे कानूनका रूप दे दिया गया है, अुस ताकत पर स्थापित अस सरकारके खिलाफ अप्रीति फैलानेके लिअे प्रत्येक असहयोगी बंधा हुआ है । असहयोग असलमें धार्मिक और नैतिक आन्दोलन होने पर भी वर्तमान शासन-प्रणालीको जान-बूझकर अुखाड़ देनेका अिच्छुक आन्दोलन है और असलिअे बेशक अिंडियन पिनल कोडकी रूसे राजद्रोही प्रवृत्ति है ।”

असके सिवाय ता० ५-१०-२१ को सैकड़ों असहयोगियोंके — जिनमें सरदार तो अवश्य ही थे — हस्ताक्षरोंसे अेक घोषणा-पत्र प्रकाशित किया गया । अुसमें जोर देकर कहा गया :

“हिन्दुस्तानकी सार्वजनिक आकांक्षाओंको कुचल डालनेवाले अस शासनतंत्रमें कोअी हिन्दुस्तानी असैनिक और खास तौर पर सैनिककी

हैसियतसे नौकरी करे, यह हिन्दुस्तानके राष्ट्रीय सम्मानको धक्का पहुंचानेवाली बात है। हरअक भारतीय सिपाही और असैनिक मुलाजिमका यह फर्ज है कि वह सरकारसे अपना सम्बन्ध छोड़ दे और अपने गुजारेका कोअी भी अुपाय ढूँढ ले। ”

अिस प्रकार जिस अपराधमें अली भाअियोंको सजा दी गअी थी, वही अपराध लगभग तमाम नेताओंने सार्वजनिक रूपमें किया।

कच्छके कुछ भाअियोंके आग्रहसे गांधीजी दीवालीके बाद कच्छके दौरे पर गये। सरदार साथमें थे ही। अुनके सिवाय श्री लक्ष्मीदासभाअी, वेला-बहन, और अुनकी पांच-छः वर्षकी अुम्रकी लड़की चि० आनन्दी भी साथ थी। महादेवभाअी अलाहाबाद गये हुआे थे, अिसलिये अुनकी जगह काम करनेवाले अेक बंगाली भाअी कृष्णदास साथ थे। सारी मंडली बम्बअीसे जहाजमें कच्छ गअी। मांडवी बन्दर पर अुतरने पर स्वागत करने आनेवालोंको मंडलीका परिचय देते हुआे सरदारने बड़े गंभीर ढंगसे आनन्दीको गांधीजीकी गोद ली हुआी हरिजन लड़की लक्ष्मी और भाअी कृष्णदासको अेक हरिजन बताया। अुस समय कच्छमें अस्पृश्यताका बड़ा जबरदस्त जोर था, यह बात सरदार जानते थे। कुछ ही समय पहले गांधीजीके लक्ष्मी नामकी हरिजन लड़कीको गोद लेनेकी बात घोषित हुआी थी। अिसलिये सरदारने स्वागत करनेवालोंको तंग करनेके लिये यह विनोद किया और अुसे सारे प्रवासमें जारी रखा। जहां जाते वहां कही न कहींसे मौका ढूँढकर सरदार भाअी कृष्णदास और आनन्दीका अिस प्रकार परिचय देनेमें नही चूकते थे। जिन दू-चार व्यक्तियोंके प्रयत्नसे गांधीजीको निमंत्रण दिया गया था, वे तो अस्पृश्यतानिवारणके समर्थक थे। अिसलिये अुन्हें जरा भी अंतराज नहीं था, परन्तु सरदारके अिस अमली मजाकसे अुनकी मुश्किल बहुत बढ़ गअी। किस-किस जगह जायंगे, यह कार्यक्रम पहलेसे घोषित हो चुका था। गांधीजीके साथ हरिजन हैं, यह बात जानने पर कुछ स्थानोंके लोग अुन्हें बुलानेसे नाराज हो सकते थे। फिर भी गांधीजी कार्यक्रममें फेरबदल हरगिज नहीं होने देते थे। अिसलिये अैसा भी हुआ कि जिनके यहां ठहरानेका अिन्तजाम किया गया था, अुन लोगोंने अपने यहां गांधीजी और अुनके साथियोंको ठहरानेसे अिनकार कर दिया। अैसी जगहों पर ठहरनेकी व्यवस्था धर्मशालामें करनी पड़ी। अैसी घटनाओं भी हुआीं कि जिन्होंने गांधीजीको अपने यहां ठहराया और मंडलीको खिलाया, अुन्होंने गांधीजीके साथियोंको अछूत मानकर अूपरसे परोसा और अुनके चले जानेके बाद सारा घर धो डाला। अेक स्थान पर तो धर्मशालामें भी गांधीजीकी मंडलीके लिये कोअी भोजन बनानेवाला

नहीं मिला। तब सबने हाथोंहाथ रसोड़ी बना ली। कुछ स्थानों पर सभाओंमें घांघली हुई। फिर भी सरदारने तो जब तक कच्छसे रवाना हुअे तब तक गंभीर मुद्रासे अपना विनोद जारी रखा और गांधीजीको कच्छका असली दर्शन कराया।

अिस सारे वर्षके दौरानमें वाअिसराँय और गवर्नरसे लेकर कलेक्टर तक गोरे अधिकारी असहयोगके आन्दोलनसे काफी तंग आ गये थे। और अिसके विरुद्ध क्या अुपाय किये जायं, यह अुन्हें सूझता न था। कुछ भी करने लगते तो अुससे आन्दोलन अुलटे अधिक जोर पकड़ता और वे बेवकूफ बन जाते। अन्तमें वाअिसराँयको अेक नअी तरकीब सूझी। भारतीय लोगोंमें राजा और राजपरिवारक प्रति अेक प्रकारका भक्तिभाव होता है, अिसलिअे युवराजको हिन्दुस्तानमें बुलवाकर सर्वत्र घुमाया जाय और अुनसे भाषण दिलवाये जायं, तो लोगोंका ध्यान दूसरी तरफ खीचा जा सकता है, लोगोंको असहयोगसे विमुख किया जा सकता है और गांधीजीकी लोकप्रियतामें भी कमी हो सकती है। अिस प्रकारके खयाली पुलाव पकाकर अुन्होंने युवराजको भारत बुलानका निश्चय किया। युवराजको बुलवानेमें साफ तौर पर राजनैतिक अुद्देश्य था, फिर भी लॉर्ड रीडिंगने घोषणा की कि युवराज अपनी भावी भारतीय प्रजाके प्रति सद्भाव और प्रेमकी वृत्तिके वश होकर ही हिन्दुस्तान आ रहे हैं। युवराजके आनेकी बात सुनते ही गांधीजीने अैलान कर दिया था कि व्यक्तिकी हैसियतसे राजा या युवराजके प्रति हमारे दिलोंमें अप्रीति नहीं है। परन्तु युवराज अभी साम्राज्यके अेक प्रतिनिधिकी हैसियतसे यहां आ रहे हैं और साम्राज्यको मिटा देनेके लिअे सारे देशने लड़ाअी छेड़ रखी है, अतः अैसे समय अुनके यहां न आनेमें ही अुनकी शोभा है। अितने पर भी प्रजाकी भावनाओंकी परवाह न करके अुन्हें यहां बुलाया जायगा, तो अुनके सम्मानमें होनेवाले तमाम समारोहों और जुलूसों वगैरका बहिष्कार करनकी मुझे लोगोंको सलाह देनी पड़ेगी। गांधीजीकी अिस चेतावनीकी सरकारने अुपेक्षा की और युवराज हिन्दुस्तान आये। वे १७ नवम्बरको हिन्दुस्तानके किनारे बम्बअी बन्दरगाह पर अुतरे। अुस दिन तमाम देशमें शोक मनाया गया और हड़तालें हुईं। परन्तु आम लोगोंको अुकसानेवाली कुछ घटनाअें होनेके कारण बम्बअीमें दंगे हो गये। अुस दिन गांधीजी बम्बअीमें थे। अुन्होंने दंगे शान्त न हों, तब तक अनशन करनेकी घोषणा कर दी। शहरकी तमाम कौमोंके नेता बम्बअीके मुहल्ले-मुहल्लेमें शान्ति-स्थापनाके लिअे घूमे। जब गांधीजीको शान्ति कायम होनेका विश्वास हो गया, तो अुन्होंने २२ तारीखको अपना अुपवास छोड़ दिया। वर्ष पूरा होनेसे

पहले स्वराज्य न मिले तो गांधीजी अपने चुने हुए क्षेत्रमें सामूहिक सविनय भंगकी लड़ाई छेड़नेवाले थे। परन्तु बम्बईके दंगोंके कारण यह कार्यक्रम फिलहाल मुलतवी किया और कब लड़ाई छेड़ी जाय, इसका विचार अहम-दाबादमें दिसम्बरके अन्तमें कांग्रेस होनेके समय करनेका निश्चय रखा। इस बीच लोगों पर अच्छी तरह नियंत्रण रख सकनेवाले और अनुशासनका पालन कर और करा सकनेवाले स्वयंसेवक दल बनाकर अन्हें संगठित करनेका कांग्रेसने निश्चय किया। अिनके विरुद्ध सरकारने खुले हाथों दमन शुरू कर दिया। कांग्रेसके स्वयंसेवक दलोंको गैरकानूनी करार दिया गया, और अखिल भारतीय माने जानेवाले अधिकांश नेताओंको गिरफ्तार कर लिया गया। अिनमें देशबन्धु दास, पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल, पुरुषोत्तमदास टंडन, लाला लाजपतराय, मौलाना अबुलकलाम आज़ाद और राजाजी आदि मुख्य थे। अिनके अतिरिक्त पच्चीससे तीस हजार छोटे-बड़े कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकोंको पकड़ लिया गया। तथापि जहां-जहां युवराज गये वहां-वहां अुनका सख्त बहिष्कार हुआ। जहां अुनका जुलूस निकलता वहीं लोग रास्तेके दोनों ओर काले झंडे लेकर खड़े रहते और मकानोंके द्वार और खिड़कियां तथा दुकानें बन्द रखते। यह स्थिति लाहौर, दिल्ली, अलाहाबाद और पटना वगैरा शहरोंमें हुआ। अन्तमें इस अुद्देश्यसे कि कलकत्तेमें युवराजके पहुंचनेसे पहले समझौता हो जाय, तो वहां खराब प्रदर्शन होनेसे रुक जाय, वाअिसराँयने अेक तरकीब निकाली। अुन्होंने मालवीयजीको गांठा। अुन्होंने अुनसे कहा कि गांधीजी युवराजका बहिष्कार वापस ले लें, तो वे गोलमेज परिषद बुलानेको तैयार हैं। इस पर गांधीजीको १६ दिसम्बरको मालवीयजीने तार दिया कि :

“मैं अँसी तजवीज करता हूँ कि वाअिसराँयके मन पर गोलमेज परिषदकी जरूरत जमानेके लिये सात आदमियोंका प्रतिनिधि-मंडल २१ तारीखको अुनसे मिले। वे अगर परिषदकी बात मंजूर करें और दमन बन्द करके नेताओंको छोड़ दें, तो आप युवराजके सत्कारका विरोध छोड़ देंगे और परिषदके खत्म होने तक सविनयभंग मुलतवी कर देंगे, अँसा वाअिसराँयसे कह देनेकी आपकी अनुमति चाहता हूँ।”

बंगाल सरकारने जेलमें ठूसे हुए देशबन्धु दासके साथ खानगीमें संधि-चर्चा करके अुनसे तथा अबुलकलाम आज़ादसे गांधीजीके नाम इस प्रकार तार दिलवाया :

“कलकत्ता, ता० १९ दिसम्बर। नीचे लिखी शर्तों पर हड़ताल वापस लेनेकी हम सिफारिश करते हैं : १. कांग्रेसके अुठाये हुए तमाम

प्रश्नों पर विचार करनेके लिये सरकार अेक परिषद तुरन्त नियुक्त करे।  
२. सरकारने हालमें ही जो घोषणापत्र प्रकाशित किया है, उसे और पुलिस तथा मजिस्ट्रेटोंके हुकमोंको वह वापस ले ले। ३. अिस नये कानूनकी ह्से पकड़े हुअे तमाम कैदियोंको बिना शर्त छोड़ दे। तुरंत जवाब दीजिये।”

गांधीजीने अुत्तर दिया :

“तार मिला। परिषदके सदस्योंके नाम और तारीख पहल्लेसे तय होना चाहिये। छोड़े जानेवाले कैदियोंमें फतवेके लिये पकड़े गये — कराचीवाले भी — कैदियोंका समावेश होना चाहिये। आपकी शर्तोंके अलावा ये और हों, तो मेरी रायमें हड़ताल वापस ले सकते है।”

गांधीजीकी शर्तोंमें अली भाअियों और फौजमें बदअमनी फैलानेके अभियोगमें सजा पाये हुअे दूसरे कैदियोंका समावेश होता था। सरकारने ये शर्तें मंजर नहीं कीं और कलकत्तेमें भी युवराजके स्वागतका और शहरोंकी तरह ही फजीता हुआ। देशबन्धु दासको गांधीजी द्वारा ग्रहण किया हुआ रवैया पसन्द नहीं आया और छूटनेके बाद अन्होंने सार्वजनिक रूपमें “गांधीजीने बड़ा धोखा खाया, घमंडीसे घमंडी सरकार झुकनेको तैयार हो गयी थी परन्तु घोटाला कर दिया। हाथमें आयी हुअी बाजी बिगाड़ दी” वगैरा आलोचनाओं कीं। अिसमें गांधीजीने धोखा खाया या दासबाबू धोखेमें आनेको तैयार हो गये थे, यह पाठकोंके लिये विचारणीय है। जब अनिश्चित परिषदके अनिश्चित वचन पर विश्वास करके युवराजके स्वागतके बहिष्कारको वापस ले लेनेको गांधीजी तैयार नहीं थे, तब अंसे वचन पर दासबाबू आशाओंके किले बांध रहे थे। छूटनेवाले कैदियोंमें कराची केसके और फतवेवाले कैदियोंको शामिल किये बिना हड़ताल अुठा लेनेका विचार तक गांधीजीको स्पर्श नहीं कर सकता था, जब कि दासबाबू अुन कैदियोंको जेलमें पड़े रहने देनेको तैयार थे। साथ ही दासबाबूके मारफत भेजी गयी शर्तोंमें यह स्वीकृति कहां थी कि यह परिषद जिस किसी निश्चय पर पहुंचेगी वह सरकारके लिये बंधनकारक होगा ? अपरोक्त तारमें कोअी बाजी हाथमें आनेकी बात ही नहीं थी।

अितनेमें अहमदाबाद कांग्रेसकी तारीखें आ पहुंची। अुस अधिवेशनके लिये हम अलग अध्याय ही रखेंगे। असहयोगके सारे सालमें अूपर बताये हुअे कार्योंके अलावा सरदारने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा शिक्षाके मामलेमें जो सख्त असहयोग कराया और नडियाद तथा सूरत म्युनिसिपैलिटियोंको अिसी तरहके असहयोगमें जो रास्ता बताया था, अुसकी तफसील भी अलग-अलग अध्यायोंमें दी गयी है।

## म्युनिसिपैलिटी द्वारा असहयोग

१९२० की नागपुर कांग्रेसमें असहयोगका प्रस्ताव पास होनेके बाद और सरकारी शिक्षा, सरकारी अदालतों, सरकारी धारासभाओं और विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके चतुर्विध कार्यक्रम पर पूरी तरह अमल किया जाय तो अेक सालमें स्वराज्य हमारी गोदमें आ पड़ेगा, गांधीजीके यह घोषणा करनेके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी भी अपनी मर्यादामें रहकर अिस लड़ाीमें अपना हिस्सा दे, अैसा बहुतसे कौंसिलरोंका विचार था। अिसके लिये वे अिस विचार पर पहुंचे कि म्युनिसिपैलिटीके अधीन जितनी शिक्षा थी और जिस शिक्षाका प्रबन्ध करना अुसका कर्तव्य माना जाता था, अुस शिक्षाके लिये सरकारी सहायता बिलकुल न ली जाय और अुस पर सरकारका किसी प्रकारका नियंत्रण स्वीकार न किया जाय। अिसकी तहमें क्या विचारसरणी थी, अिसे गांधीजीने पहले ही 'नवजीवन' में लिखकर स्पष्ट कर दिया था। यहां अुन्हींके शब्द दिये जाते हैं :

“झगड़ा तो शिक्षाका था। रोशनी, सफाी और पानी वगैरामें म्युनिसिपैलिटी सरकारके अनुकूल ही रहना चाहती थी। रास्तोंकी रोशनी सरकार करे, अिसमें हमें भारी नुकसान नहीं था। हमारे बच्चोंके हृदय-मन्दिरमें सरकार ज्योति जलाये या अुनके दिमागों पर सरकार संस्कार डाले, यह हमारे लिये असह्य था। वह ज्योति और संस्कार स्वाभाविक नहीं थे। अिसलिये हमने शिक्षाको राष्ट्रीय बनाया। अिसी विषय पर 'हां' और 'ना' में बैर हो गया। अिसमें शहरी सर्वोपरि रह सकते हैं। रास्ते सरकार साफ करे तो भले ही करे। हम रास्ते कोअी अुसके यहां साफ करने नहीं भेजते। परन्तु बच्चोंको तो जब हम स्वेच्छासे पाठशालाओंमें भेजते हैं, तभी सरकार अुन्हें पढ़ाती है। अिसलिये शिक्षाके बारेमें नागरिक केवल विचार ही कर लें, तो वे अुसकी स्वतंत्रताकी पूरी तरह रक्षा कर सकते हैं।”

कलकत्ता कांग्रेसमें असहयोगका निश्चय हो जानेके बाद म्युनिसिपैलिटीके सदस्योंमें से कितने सदस्य असहयोगमें साथ दे सकते हैं, यह निश्चित रूपमें जान लेनेके लिये सरदारने अक्तूबर १९२० में दो शिक्षकोंसे म्युनिसिपल स्कूल कमेटीको पत्र लिखवाया कि हम कांग्रेसके असहयोगके निश्चयका पालन करना चाहते

हैं, अगर म्युनिसिपल स्कूल कमेटी भी पाठशालाओंको असहयोगी बनाना चाहती हो, तो हमें बड़ी खुशी होगी; और वह न चाहती हो तो अिसे हमारा त्यागपत्र माना जाय और हमें नौकरीसे मुक्त किया जाय। अिस पत्र पर म्युनिसिपैलिटीमें अच्छी तरह बहस हुअी। अुससे यह पता चल गया कि कितने सदस्य असहयोग करनेके अुत्साहवाले हैं, कितने मतदाताओंके विचार जानकर तदनुसार कदम अुठानेके खयालवाले हैं और कितने असहयोगका विरोध करनेवाले हैं। परन्तु सदस्योंको अपने मतदाताओंकी राय जाननेका अवसर देनेके लिये निर्णय मुलतवी किया गया। फिर नागपुर कांग्रेसके बाद यह जानकर कि नागरिकोंका रुख कुल मिलाकर कैसा है, ता० ३-२-'२१ की जनरल बोर्डकी बैठकमें सरदार यह प्रस्ताव लाये :

“नागपुर कांग्रेसमें स्पष्ट तौर पर घोषित किये गये राष्ट्रके आदेशको मानकर यह बोर्ड निश्चय करता है कि म्युनिसिपल पाठशालाओंमें प्रारंभिक शिक्षा पर सरकारका जो नियंत्रण है, अुसे हटा देनेकी दृष्टिसे आभिन्दा सरकारकी शिक्षा सम्बन्धी सहायता बिलकुल न ली जाय।

“अिस प्रस्तावकी नकल सरकारको भेज दी जाय।”

अिस पर दो कानूनी आपत्तियां अुठाअी गअीं :

१. प्रस्तावमें कांग्रेसका जो अुल्लेख आता है वह ठीक है या नही ?
२. 'म्युनिसिपल पाठशालाओंमें प्रारंभिक शिक्षा पर सरकारका जो नियंत्रण है, अुसे हटा देनेकी दृष्टिसे' ये शब्द जो प्रस्तावमें हैं ठीक हैं या नहीं ?

अध्यक्षने निर्णय दिया कि कांग्रेस या और किसी बाहरी संस्थाके निर्णयोंके अनुसार म्युनिसिपैलिटी चल नहीं सकती, फिर भी अुसका अुल्लेख कानूनके बाहर नहीं है, क्योकि अुससे अिस प्रस्तावके लानेका कारण ही जाहिर होता है। परन्तु चूकि म्युनिसिपैलिटीकी प्रारंभिक पाठशालाओं पर सरकार कानूनकी रूसे कुछ नियंत्रण रखती है, अिसलिये 'सरकारका नियंत्रण हटा देनेकी दृष्टिसे' ये शब्द कानूनके बाहर हैं और अुन्हें अिस प्रस्तावसे निकाल देनेका मैं निर्णय देता हूं। अिसलिये प्रस्तावमें से अुतने शब्द निकाल दिये गये। अुन शब्दोंके हटा देने पर भी प्रस्ताव पर बहुतसे संशोधन लाये गये और बड़ी नुक्ताचीनी हुअी, फिर भी अन्तमें सरदारका प्रस्ताव भारी बहुमतसे पास हो गया।

परन्तु अिस प्रस्तावके लानेका मुख्य अुद्देश्य सरकारका नियंत्रण हटा देना तो था ही, अिसलिये स्कूलस कमेटीने ता० ११-२-'२१ को निश्चय किया :

“जनरल बोर्डके ता० ३-२-'२१ के प्रस्तावकी दृष्टिसे स्कूलस कमेटी अिस रायकी है कि म्युनिसिपल पाठशालाओंकी वार्षिक परीक्षा तथा

निरीक्षण डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर या अुसके सहायकों द्वारा नहीं होना चाहिये ।”

यह प्रस्ताव डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके पास अुसकी जानकारीके लिअे भेज दिया गया और अुसके साथ पत्र लिखा गया कि वार्षिक परीक्षाओंके लिअे आप न आयें और अपने सहायकोंको भी न आनेकी सूचना दे दें । दूसरी तरफ स्कूल्स कमेटीने अपने सुपरवाअिजरोको परीक्षाओंका काम निपटा डालनेकी सूचना दे दी ।

अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षको ता० १४-२-'२१ को पत्र लिखा कि स्कूल्स कमेटीका प्रस्ताव कानूनके विरुद्ध है, अिसलिअे आप स्कूल्स कमेटीको हिंदायत कर दीजिये कि वह डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर और अुनके सहायकोंको परीक्षाओं और निरीक्षणका काम करने दे ।

अध्यक्षने स्कूल्स कमेटीके चेरमैनको लम्बा पत्र लिखकर बताया कि आपका प्रस्ताव कानूनके विरुद्ध है । अिसलिअे अुस प्रस्तावको मैं मुअित्तिल करता हूं और अिस सवालको जनरल बोर्डमें रखनेकी व्यवस्था करता हूं । तदनुसार ता० २८-२-'२१ को जनरल बोर्डकी बैठकमें यह प्रश्न पेश हुआ । अध्यक्षने प्रस्ताव रखा कि चूंकि सरकारके शिक्षा-विभागको कानूनके अनुसार हमारी पाठशालाओंकी परीक्षाएं लेने और निरीक्षण करनेका अधिकार है, अिसलिअे तत्संबन्धी नियमोंका पालन किया जाय । सरदारने डॉ० कानूगाके समर्थनसे संशोधन रखा कि जनरल बोर्डके ता० ३-२-'२१ के प्रस्तावका जो अर्थ स्कूल्स कमेटीने किया है, अुसे यह बोर्ड मंजूर करता है और निश्चय करता है कि कागजात दाखिल दफ्तर किये जायं । अध्यक्षने निर्णय दिया कि अिस संशोधनमें कानूनका भंग अभिप्रेत है, अिसलिअे मैं अुसे कानूनके बाहर ठहराता हूं । अिस पर कृष्णलाल नरसीलालने कालिदास झवेरीके अनुमोदनसे दूसरा संशोधन रखा कि अध्यक्षके स्कूल्स कमेटीके नामके ता० १५-२-'२१ के पत्रसे लेकर सारे कागजात दाखिल दफ्तर किये जायं । अिस पर बहुतसे संशोधन पेश हुअे । वे सब नामंजूर हो गये । अन्तमें अध्यक्षके प्रस्ताव और कृष्णलालके संशोधन पर मत लेने पर कृष्णलालका संशोधन बहुमतसे पास हो गया ।

अिस प्रकार आपसमें पैतरेबाजी होने लगी । ता० ११-३-'२१ को डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने अध्यक्षको पत्र लिखकर सूचित किया कि शिक्षा-विभागको जो अधिकार है, अुसकी रूसे मैं कल पाठशालाओंकी परीक्षा लूंगा । अध्यक्षने यह पत्र स्कूल्स कमेटीके चेरमैनको भेज दिया । अुन्होंने तुरन्त अध्यक्षको जवाब दिया कि परीक्षाएं तो ली जा चुकी हैं, अिसलिअे



कृपा करके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको सूचित कर दीजिये कि वे दुबारा परीक्षा नहीं ले सकते। अिसके बाद अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने अध्यक्षको पत्र लिखकर सूचित किया कि आप स्कूल्स कमेटीको सूचित कर दीजिये कि चौथी कक्षाकी परीक्षा हमारे नियमके अनुसार नहीं ली जायगी, तो वे विद्यार्थी सरकारी या दूसरी सरकार द्वारा मान्य पाठशालाओंमें भरती होनेके योग्य नहीं माने जायंगे।

अिस प्रकार खींचतान चल रही थी कि अिसी बीच ता० ३-३-२१ को कलेक्टरने अपने अधिकारकी रूसे हुकम दिया कि स्कूल्स कमेटीका ता० ११-२-२१ का प्रस्ताव गैरकानूनी है, अिसलिअे अुस प्रस्तावका अमल में रद्द करता हूं और अुस प्रस्तावके अनुसार कुछ भी काम करनेसे म्युनिसिपैलिटीको मना करता हूं। कमिश्नरने ता० १८-३-२१ के अपने हुकमसे अुस आज्ञाका समर्थन कर दिया।

ता० ३-३-२१ के कलेक्टरके हुकम पर विचार करनेके लिअे अध्यक्षने ता० १७-३-२१ को जनरल बोर्डकी विशेष बैठक बुलायी। अुसमें श्री चाहेवाला यह प्रस्ताव लाये कि कलेक्टरकी आज्ञाको नोट किया जाय और जानकारी और पथ-प्रदर्शनके लिअे यह हुकम स्कूल्स कमेटीके पास भेज दिया जाय।

अिस पर सरदार संशोधन लाये कि कागजात दाखिल दफ्तर किये जायं और कलेक्टरको सूचित कर दिया जाय कि :

१. म्युनिसिपल पाठशालाओंकी परीक्षा डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर या अुसके सहायकोंके नियंत्रणके बिना स्वतंत्र रूपमें ली जा चुकी हैं।

२. कलेक्टरके हुकममें स्कूल्स कमेटीके जिस प्रस्तावका अुल्लेख है, वह प्रस्ताव जनरल बोर्डकी गंभीर विचारके बाद निश्चित की हुअी नीतिका आवश्यक परिणाम है।

३. डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टकी धारा ५४ में जो काम करना म्युनिसिपैलिटीके लिअे अनिवार्य बताया गया है, अुन कामोंको कर देनेवाले नागरिकोंकी अिच्छाके अनुसार ही म्युनिसिपैलिटी कर सकती है।

४. चूंकि म्युनिसिपैलिटीने नागरिकोंकी अिच्छाके अनुसार अपनी नीति निश्चित की है, अिसलिअे अगर म्युनिसिपैलिटीको नागरिकोंकी अिच्छाके विरुद्ध चलनेके लिअे मजबूर किया जायगा, तो म्युनिसिपैलिटीके सामने पाठशालाओं बन्द कर देनेके सिवाय और कोअी विकल्प नहीं रहेगा। जरूरत पड़ने पर अैसा करनेकी स्कूल्स कमेटीको हिदायत कर दी गअी है।

यह संशोधन बहुमतसे पास हो गया और मूल प्रस्ताव गिर गया।

बादमें ता० २६-४-२१ को असिस्टेंट डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने स्कूल्स कमेटीको पत्र लिखकर सूचना दी कि हम आपके हिसाबकी जांच करने आयेंगे। असका स्कूल्स कमेटीके चेयरमैनने अुसी दिन अुत्तर दे दिया कि हमने सरकारी सहायता न लेनेका निश्चय कर लिया है और तदनुसार सहायता लेना बन्द भी कर दिया है। असलिअे आपके विभागके लिअे हिसाबकी जांचके लिअे आनेका कोअी कारण नहीं और म्युनिसिपैलिटी सरकारी निरीक्षकोंको हिसाबकी जांच करने देनेके लिअे तैयार नही।

अभी शिक्षा-विभागका विचार म्युनिसिपैलिटीको अधिक परीक्षा करके देख लेनेका था, असलिअे अुसने डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरसे ता० ११-६-२१ को म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षके नाम पत्र लिखवाया कि मैं और मेरे सहायक शहरकी म्युनिसिपल पाठशालाओंका निरीक्षण करने अगले महीने आनेवाले हूँ और अुसका कार्यक्रम साथमें भेज रहा हूँ। असकी सूचना म्युनिसिपल पाठशालाओंके शिक्षकोंको दे दीजिये। असमें युक्ति यह थी कि पाठशालाओंके शिक्षकोंको खबर देनेका अनुरोध स्कूल्स कमेटीके चेयरमैनसे न करके सीधे म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षसे किया गया था। अध्यक्षने यह पत्र स्कूल्स कमेटीके चेयरमैनके पास भेज दिया। अुन्होंने अुस पर कमेटीमें प्रस्ताव करा कर डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको ता० २९-६-२१ को पत्र लिखकर सूचित किया कि हमने अपनी नीति निश्चित कर दी है और अुसकी जानकारी भी आपके विभागको साफ तौर पर दे दी है। अितने पर भी आप निरीक्षणके लिअे आनेको अध्यक्ष महोदयको लिख रहे हैं, अससे मुझे आश्चर्य होता है। यह समझ लीजिये कि हम आपको निरीक्षण नहीं करने देगे। असिके साथ शिक्षकोंको सरक्यूलर द्वारा सूचना दे दी गयी कि :

“सरकारी अधिकारियोंमें से कोअी आपकी पाठशालाका निरीक्षण करने आये, तो अुसे निरीक्षण न करने दिया जाय। अितने पर भी वह आग्रह करे तो आप पाठशाला बन्द करके स्कूल्स कमेटीके चेयरमैनको फौरन रिपोर्ट करें।”

अितने पर भी अेक असिस्टेंट डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको सरसपुरकी पाठशालामें निरीक्षणके लिअे भेजा गया। पाठशालाके मास्टरजीने निरीक्षण न करने दिया और स्कूल्स कमेटीके चेयरमैन श्री बलूभाभीको खबर दी। वे पाठशालामें गये और अुन महाशयको पत्र लिखकर दिया कि :

“मुझे अफसोस है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके प्रस्तावकी रूसे मैं आपको पाठशालाका निरीक्षण नहीं करने दे सकता। म्युनिसिपैलिटीका निर्णय लिखित शब्दोंमें श्रीमान अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर महोदयके पास

होने पर भी अन्होंने आपको यहां आनेके लिये मजबूर किया यह देखकर मुझे दुःख होता है। मुझे विशेष खेद तो इसलिये है कि अुत्तरी विभागके अिस्पेक्टर महोदय जैसे जिम्मेदार अधिकारीकी तरफसे असा मार्ग ग्रहण करनेका हुक्म दिया गया है, जिससे शिष्टाचारका भंग हो सकता है और शिक्षकों तथा अधिकारियों दोनोंकी प्रतिष्ठा जन-समाजमें गिर सकती है।”

अस घटनाके बाद तुरन्त अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया कि हम सरकारके शिक्षा-विभागके साथ कोअी सम्बन्ध नहीं रखना चाहते। इसलिये आप अपने तमाम शिक्षकोंको वापिस बुला लीजिये। शिक्षकोंकी संख्या ३०० से अूपर थी। अन्हें वापस बुला लें तो कहां काम दें, यह अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके सामने बड़ा प्रश्न था। अहमदाबादमें सरकारकी कोअी पाठशाला नहीं थी इसलिये वह घबराया। शिक्षा-विभागके डाअिरेक्टरकी सलाह लेकर अुसने सूचित किया कि अभी तुरन्त तो शिक्षकोंको वापिस नहीं लिया जा सकता। जवाबमें म्युनिसिपैलिटीने लिखा कि अब अगर आप शिक्षकोंकी मांग करेंगे, तो हम अपनी सुविधासे अन्हें छोड़ सकेंगे। परन्तु अेक ही महीने बाद ता० १६-८-’२१ को डी० पी० आओ० ने अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको पत्र द्वारा सूचित किया कि, “अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी स्कूलस कमेटी कानूनके विरुद्ध होकर शिक्षा-विभागके अिस्पेक्टरोंको परीक्षा नहीं लेने देती और निरीक्षण नहीं करने देती, इसलिये म्युनिसिपैलिटीकी नौकरीमें अस समय काम करनेवाले शिक्षकोंको, जिनका तबादला नियमानुसार सरकारी या लोकल बोर्डकी पाठशालाओंमें किया जा सकता हो, म्युनिसिपल पाठशालाओंमें रहने देना संभव नहीं है। इसलिये आप शिक्षकोंको सीधी सूचना दे दीजिये कि वे अहमदाबाद विभागके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके सामने अुपस्थित हों। म्युनिसिपल अध्यक्षको भी सूचित कर दीजिये कि वे म्युनिसिपल प्रारंभिक पाठशालाओंमें काम करनेवाले तमाम शिक्षकोंको खबर दे दें कि म्युनिसिपल अध्यक्षको अस पत्रके मिलनेके दस दिनके भीतर जो शिक्षक डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके सामने हाजिर होनेमें चूकेंगे, वे सरकारसे पेंशन पानेका हक खो बैठेंगे और सरकारकी तरफसे चलनेवाली, मदद पानेवाली या मान्य की हुअी किसी भी पाठशालामें कभी भी नौकरीके योग्य नहीं माने जायेंगे।” यह जानते हुअे भी कि वह खुद शिक्षकोंको काम नहीं दे सकेगी, सरकारने म्युनिसिपैलिटीको झुकाने और धमकी देकर शिक्षकोंको वापस लेनेके लिये यह तहरीर लिखी थी।

यह पत्र अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरकी तरफसे म्युनिसिपल अध्यक्षको और म्युनिसिपल अध्यक्षकी तरफसे स्कूलस कमेटीके चेयरमैनको भेजा गया।

स्कूलस कमेटीने तो अेक सरक्यूलर निकालकर तमाम शिक्षकोंको वेतन और पेंशनका पूरी तरह आश्वासन दे दिया था और जिन्हें डर लगता हो अुन्हें समय रहते चले जानेकी चेतावनी भी दे दी थी। फिर भी अिस पत्रके मिलने पर सरक्यूलर निकालकर तमाम शिक्षकोंको सूचना दे दी गयी कि :

“अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके जनरल बोर्डकी बैठकमें ता० १७-८-’२१ को अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके शिक्षकोंको सिविल सर्विसके नियमानुसार पेंशन देने और अुनके वेतनकी जो दरें सरकारका शिक्षा-विभाग समय समय पर नियत करेगा, अुससे कम न रखनेका प्रस्ताव पास किया है।

“फिर भी जिन शिक्षकोंने म्युनिसिलिपैटीकी नौकरीमें रहनेकी तैयारी दिखायी है, अुनमें से किसीका भी विचार बदल गया हो और अुन्हें लोकल बोर्डकी नौकरीमें जानेकी अिच्छा हो, तो वे अिस बारेमें लिखित सूचना ता० २४-८-’२१ बुधवारकी शामके ५ बजे तक म्युनिसिपल स्कूलोंके सुपरिन्टेंडेंट महोदयको दे जायं, ताकि अुन्हें डाअिरेक्टर महोदयकी निश्चित की हुयी मियादके भीतर मुक्त करके भेज देनेकी व्यवस्था कर दी जाय।”

अिसके जवाबमें म्युनिसिपैलिटीके ३०० से अधिक शिक्षकोंमें से सिर्फ ग्यारह ही जानेको तैयार हुअे।

शिक्षा-विभागके डाअिरेक्टरका पत्र म्युनिसिपल अध्यक्षको १८-८-’२१ को मिला था और अुसमें लिखे अनुसार अुस समयसे दस दिनके भीतर यानी २७ तारीख तक जो शिक्षक म्युनिसिपैलिटीकी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, अुन्हें सरकारसे सम्बन्ध रखनेवाली किसी भी पाठशालामें कभी न लिये जानेकी बात थी। फिर भी अुनका वार व्यर्थ चला गया, तो ता० २८-८-’२१ को अहमदाबाद विभागके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने ‘गुजराती पंच’ पत्रमें अिस प्रकार विज्ञापन दिया :

### नयी सरकारी प्रारंभिक पाठशालाअें

‘सरकारकी तरफसे अहमदाबाद शहरमें कुछ प्रारंभिक पाठशालाअें खोलनी हैं, जिनमें अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीसे सरकारी नौकरीमें लौट आनेवाले शिक्षकोंको जगह दी जायगी। जो शिक्षक सरकारी पेंशनका हक और पिछली नौकरीका लाभ खोना न चाहते हों, वे डाअिरेक्टर साहब बहादुरके निश्चयके अनुसार दस दिनके अन्दर हमसे आकर मिलें।’

यह विज्ञापन ता० ४ सितम्बरके अंकमें दुबारा दिया गया, यानी वह ‘फिर कभी नहीं लिये जायंगे’ वाली धमकी तो हवामें अुड़ ही गयी। बादमें

अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने अपने विज्ञापनके अनुसार कुछ सरकारी पाठशालाओं खोलीं और विद्यार्थियोंके अभिभावक डरकर अुनकी खोली हुअी पाठशालाओंमें बच्चोंको भेज दें, अिस अुद्देश्यसे डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने अिस प्रकार विज्ञापन निकाला :

### विज्ञापन

अहमदाबाद, नडियाद और सूरतकी म्युनिसिपैलिटियोंने अपने अधीन पाठशालाओंको सरकारी नियंत्रण और देखरेखसे स्वतंत्र बनानेकी अिच्छा प्रगट की है, अिसलिये, शिक्षा-विभागके श्रीमान डाअिरेक्टर महोदयके नम्बर सा० १८ ता० ३१-८-२१ से अुपरोक्त पाठशालाओंको सरकार द्वारा स्वीकृत पाठशालाओंकी सूचीमें से निकाल दिया गया है। आअिन्दा अिन पाठशालाओंके दिये हुअे लीविंग सर्टिफिकेट शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत कोअी भी पाठशाला स्वीकार नहीं करेगी। —३-९-२१

परन्तु सरकारी पाठशालाओंमें कोअी भी नहीं गया। लेकिन अधिकारी अितना करके ही रुक नहीं गये। अपने सहायकों द्वारा लालच और भय वगैरा फैलाकर शिक्षकोंको फोड़नेका प्रयत्न किया गया। अितने पर भी मुश्किलसे सात और शिक्षक अुन्हें मिले। स्कूल्स कमेटीके चेयरमैनकी हैसियतसे श्री बलूभाअीने डाअिरेक्टरका ध्यान खींचा कि, “आप मेरे यहांसे दस-बारह शिक्षक ले जायं, अिसका मुझे दुःख नहीं। परन्तु अपनी मुकर्रर की हुअी भियाद पर आप ही कायम नहीं रहते और आपके सहायक खटपट करते हैं। अिससे शिक्षाके क्षेत्रमें अनुशासनका जो अुच्च प्रकारका मापदंड होना चाहिये अुसे गिराया जाता है। अिसकी तरफ आपका ध्यान खींचता हूं।” अिसका जवाब डाअिरेक्टरने म्युनिसिपल अध्यक्षके मारफत दिया कि “हमारे जो शिक्षक अस्वीकृत पाठशालाओंमें नौकरी कर रहे हैं, अुनमें से किसीको भी किसी भी समय वापस लेनेका हक हम सुरक्षित रखते हैं।”

म्युनिसिपैलिटीका साथ देनेवाले शिक्षकोंको डरानेके लिये शिक्षा-विभागने साथ-साथ अक और दाव भी फेंका। ट्रेनिंग कॉलेजमें तालीमके लिये अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे भेजे गये शिक्षकोंको ट्रेनिंग कॉलेजसे ता० ३-९-२१ को निकाल दिया गया। अिसका भी अुन शिक्षकों या अन्य शिक्षकों पर कोअी प्रभाव नहीं पड़ा। अुल्टे म्युनिसिपैलिटीकी अपनी शिक्षक संख्यामें अितनी वृद्धि हो गअी। विभागकी जबरदस्त कोशिशोंके बाद कुल १८ ही शिक्षकोंने म्युनिसिपल नौकरी छोड़ी थी। अुनके बजाय म्युनिसिपैलिटीको ट्रेनिंग कॉलेजसे लौटे हुअे १९ शिक्षक मिल गये।

म्युनिसिपैलिटीको अड़चनमें डालनेके लिये अेक तीसरा दाव शिक्षा-विभागने चला। म्युनिसिपल पाठशालाओंके सुपरिन्टेन्डेन्ट श्री प्राणलाल किरपाराम देसाजीकी नौकरी सरकारने अधुआर दी थी। सरकारने अुन्हें सरकारी नौकरी पर लौट आनेको लिखा। सरदार और श्री बल्लभाजीकी सलाहसे श्री प्राणलाल देसाजीने अपनी सरकारी नौकरीसे अिस्तिफा दे दिया और म्युनिसिपल नौकरीमें ही रहे। म्युनिसिपैलिटीने दो सौसं चार सौ रुपयेके ग्रेडमें अुनकी स्थायी नियुक्ति कर दी। अिस नियुक्तिके लिये अुत्तरी-विभागके कमिश्नरकी मंजूरी चाहिये थी। सो अुसने दी नहीं। अिस प्रकार अुनकी तरक्की बिलकुल अनिश्चित हो गयी। फिर भी यह जोखम अूठाकर श्री प्राणलाल म्युनिसिपैलिटीके साथ रहे। अिसका असर शिक्षा-विभाग पर बहुत हुआ और वह घबराहटमें पड़ गया। अिसके सिवाय शिक्षाके अतिरिक्त और मामलोंमें भी म्युनिसिपैलिटीको तंग करनेके प्रयत्न किये गये।

शहरमें रास्ते चौड़े करनेके लिये और कुछ दूसरे कामोंके लिये मकान और जमीन अेक्वायर करनेकी (सरकार द्वारा निश्चित की हुयी कीमत पर बेचनेको मालिकको मजबूर करनेकी) जरूरत थी। सरकारने अुन्हें अेक्वायर करनेसे अिनकार कर दिया, साफ यह कहकर कि आप असहयोग करते हैं तो फिर सरकारको आपकी मदद क्यों करनी चाहिये? मगर म्युनिसिपैलिटीके साथ लोगोंका सहयोग और हमदर्दी अैसी थी कि मकानों और जमीनोंके मालिकोंके साथ बात-चीत करनेसे सरकारके हस्तक्षेपके बिना म्युनिसिपैलिटीको वे मकान और जमीन मिल गये और शहरके सुधारकी निश्चित योजनाके अनुसार म्युनिसिपैलिटीका काम जरा भी रुके बिना चलता रहा।

म्युनिसिपैलिटीके टैक्सोंका आंकड़ा तय करनेके लिये मकानोंके किरायेका अन्दाज लगाया जाता है और अुसके विरुद्ध जिन्हें आपत्ति हो अुनकी अपीलें सुननेके लिये विशेष अफसर नियुक्त किये जाते हैं। अिन अफसरोंको मुकर्रर करनेका अधिकार सरकारको होता ह। परन्तु सरकारने अूपर जैसा ही कारण बताकर अफसरोंकी नियुक्ति करनेसे अिनकार कर दिया। परन्तु अिससे भी म्युनिसिपैलिटीका काम नहीं रुका। म्युनिसिपल कानूनके अनुसार मकानोंके किरायेके अन्दाजके विरुद्ध अपीलों सुननेके लिये सरकार द्वारा नियुक्त अफसरोंके बजाय म्युनिसिपल बोर्ड अपने सदस्योंमें से विशेष समितियां बना सकता है। अिसलिये अैसी समितियां बना दी गयीं। श्री दादासाहब मावलंकर कहते हैं कि समितियोंमें नियुक्त हम लोगोंको लगभग ३ महीने तक रोज सुबह

तीन-तीन घंटे शहरमें अिस कामके लिय भटकना पड़ा था, परन्तु अिसस लोगोंको अुल्टे अधिक संतोष हुआ।

अिस प्रकार सरकारके सारे पासे अुल्टे पड़े और सरकारका नियंत्रण हटा देने पर भी अहमदाबादकी म्युनिसिपल पाठशालाओंको न तो विद्यार्थियोंकी कमी रही और न शिक्षकोंकी कमी रही। और स्कूलस कमेटिके चेयरमैन श्री बलूभाजी और पाठशालाओंके सुपरिन्टेंडेन्ट श्री प्राणलाल किरपाराम देसाजी दोनोंकी होशियारी और तमाम शिक्षकोंकी लगन, अुत्साह और वफादारीके कारण पाठशालाओंमें कार्यदक्षताका मापदण्ड बहुत अंचा रहा। अन्तमें बम्बअी सरकार स्वयं मैदानमें अुतर आअी। अब तक अुत्तरी-विभागके कमिश्नर मि० घोषल थे। परन्तु हाल ही में अुनका तबादला हो गया और अुनकी जगह प्रैट साहब, जो पहले १९१७ में सरदारके साथ अखाड़ेमें अुतरकर अुनकी पहलवानीका स्वाद चख चुके थे और जिनका १९१८ में खेड़ा सत्याग्रहकी लड़ाअीमें अफसरी घमंड कुछ चूर हो चुका था, आ गये थे। अुनके खयालसे अपनी खोअी हुअी अिज्जत वापस प्राप्त करनेके लिये अुन्होंने म्युनिसिपैलिटीको ठिकाने लानेका बीड़ा अुठाया।

पहले तो म्युनिसिपैलिटीके विरुद्ध जितने तत्त्वोंको अुभाड़ा जा सकता था अुन्हें अुभाड़नेवाला और म्युनिसिपल कौंसिलर कितनी ब्यक्तिगत जोखम अुठा रहे हैं अिसकी सृचना देकर अुन्हें ढीला करनेके प्रयत्न करनेवाला अेक प्रस्ताव सरकारने ता० २३-९-२१ को प्रकाशित किया :

“१. बम्बअी सरकारने अपनी शिक्षा-विभाग संबन्धी ता० ५-४-२१ की आज्ञा नं० १८३३ द्वारा, जिसका अुस समय काफी प्रकाशन किया गया था, अुस कृत्यके बारेमें जो नड़ियादकी म्युनिसिपैलिटीने सरकारी सहायता लेनेसे अिनकार करके और प्रारम्भिक शिक्षा परसे सरकारी नियंत्रण हटाकर किया था, सरकारी रवैया स्पष्ट कर दिया था। अुसके बाद अहमदाबाद और सूरतकी म्युनिसिपैलिटियोंने अिसी प्रकारके प्रस्ताव पास किये हैं। अिसलिये म्युनिसिपल कौंसिलरों, करदाता नागरिकों और साथ ही आम जनताके हितार्थ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि अंसा करनेसे कुछ परिणाम, जो बहुत स्पष्ट है, कैसे हो सकते हैं और अुनसे कैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

२. पहला सवाल तो यह अुठता है कि म्युनिसिपैलिटीका अधिकार कितने मामलोंमें बिलकुल स्वतंत्र है। ये संस्थाअें सरकारने कानून द्वारा अिसलिये स्थपित की हैं कि बड़े नगरों और मुफस्सिल शहरोंमें म्युनिसिपल कामकाजका अधिक अच्छा प्रबन्ध हो। कानूनन अुनकी अुतनी ही सत्ता हो

सकती है, जितनी सरकारने अन्हें बोम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टकी रू से दी है। अपनी मर्यादामें रहकर अन मिली हुआ सत्ताओंका अुपयोग करनेकी अन्हें छूट है। परन्तु सरकारसे अन्हें जो अधिकार मिले हों, अुनके सिवाय अुनके कोअी अधिकार नहीं है। अगर अुन्हें अैसा लगता हो कि अुनके अधिकार बढ़ने चाहियें, तो असके लिअे वैध मांग यह है कि अपने प्रांतकी धारासभाके सामने तत्सम्बन्धी अपने जो प्रस्ताव हों वे लाये जायें। परन्तु अभी अुन्हें जो अधिकार मिले हुअे हैं अुनका दुरुपयोग करनेका रवैया अस्तियार करनेकी अुन्होंने जिद् पकड़ ली है; तो अससे जो अधिकार अुन्हें प्राप्त हैं, अुनसे अधिक मांगनेका अुनका पक्ष मजबूत होता है या क्या, सो म्युनिसिपल कौंसिलरोंके विचारने योग्य है। तथापि यह विचार अेक तरफ रख दें तो भी अितना तो निश्चित है कि अभी जो अधिकार अुन्हें मिले हुअे हैं या भविष्यमें प्राप्त होंगं, वे अुन्हें सरकारके ही दिये हुअे होंगं। जो म्युनिसिपैलिटी सचमुच सरकारके साथ संबन्ध तोड़ देतो हैं, वह शरीरसे कटकर अलग पड़े हुअे मनुष्यके हाथ जैसी हैं। यानी वह मुर्दा है।

३. म्युनिसिपल अेक्टकी रू से कुछ नियम तैयार किये गये हैं। ये नियम स्वयं कानून जैसे ही बन्धनकारक हैं। सभी म्युनिसिपैलिटियां जानती हैं कि म्युनिसिपल अेक्टकी ५८ वीं दफाके अनुसार कारोबारी सरकारके बनाये हुअे नियमों द्वारा असकी मर्यादा निश्चित कर दी गयी है कि सार्वजनिक शिक्षाके मामलेमें म्युनिसिपैलिटियोंकी रवतंत्र सत्ता कितनी है। जो कोअी म्युनिसिपैलिटी अन नियमोंका अुल्लंघन करती है, वह अुस हद तक अपने अधिकारोंका अतिक्रमण करती है। और म्युनिसिपल अेक्ट द्वारा अुस पर डाले हुअे कर्तव्यको पूरा करनेमें चूकनी है; और असलिअे म्युनिसिपल अेक्टकी दफा १७८ और १७९ में बताये गये अुपायोंकी पात्र बनती है, यद्यपि अस मंजिल पर सरकारकी अिच्छा अून अुपायोंको काममें लानेकी नहीं है। असके बजाय वह म्युनिसिपैलिटीके करदाता नागरिकों और जनताकी समझदारी पर भरोसा करना ज्यादा पसन्द करती है।

४. म्युनिसिपल क्षेत्रमें प्रारंभिक शिक्षाका फैलाव होनेके लिअे म्युनिसिपैलिटीकी हदमें रहनेवाले सरकारको कर देते हैं और साथ ही म्युनिसिपैलिटीके कर भी अदा करते हैं। म्युनिसिपैलिटी प्रारंभिक शिक्षा पर जितना खर्च करे, अुसकी आधी रकमकी मदद आम तौर पर सरकार देती है। यानी अेक वर्षमें अगर अेक लाख रुपया खर्च किया जाय, तो पचास हजार रुपया सरकार देती है और पचास हजार म्युनिसिपैलिटी देती है। जो पचास हजार रुपये सरकार देती



है, वे वहाँके निवासियों द्वारा सरकारको दिये गये करसे ही आते हैं। इसलिये अगर म्युनिसिपैलिटी ये पचास हजार लेनेसे अिनकार करे, तो उसे प्रारंभिक शिक्षा पर अतनी रकम कम खर्च करनी चाहिये और उस हद तक नागरिकोंके बच्चोंकी शिक्षाकी हानि करना चाहिये या नागरिकोंसे अतने रुपये बसूल करने चाहियें और उस हद तक नागरिकों पर डोहरा बोझ डालना चाहिये। ऐसी नीति पसन्द करनी चाहिये या नहीं, यह अहमदाबाद, सूरत और नडियादके नागरिकोंको सोचना चाहिये। अुन्हें या तो अपने बच्चोंकी शिक्षाकी हानि होने देनी पड़ेगी, या बच्चोंकी शिक्षाके लिये दुगुना खर्च अठाना पड़ेगा। अगर यह नीति अुन्हें पसन्द न हो, तो अुन्हें अपनी नापसंदगी म्युनिसिपल कौंसिलरोंको बता देनी चाहिये।

५. मालूम होता है अूपर बताअी हुअी तीनों म्युनिसिपैलिटियां अेक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह भूल गअी हैं कि अुन्हें बाम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टमें बताये गये कामोंके लिये ही और असमें सूचित की गअी शतोंके अधीन रहकर ही कानूनके अनुसार खर्च करनेका अधिकार है, और किसी तरह नहीं। इसलिये अेक्टकी दफा ५८ की रू से जो नियम बनाये गये हैं, अुन्हें अलग रखकर चलाअी गअी पाठशालाओं पर जो खर्च अुन्होंने किया होगा, वह रकम अेक्टकी दफा ४२ के अनुसार अुनके द्वारा गलत तौर पर अिस्तेमाल की गअी (misapplied) समझी जायगी। हरअेक कौंसिलर, जिसने यह खर्च करनेमें भाग लिया होगा, अस रकमके लिये अस दफामें बताये अनुसार निजी रूपमें जिम्मेदार होगा। जिन कौंसिलरोंने सरकारका नियंत्रण हटा देनेके पक्षमें मत दिया है, वे जो कोअी खर्च अधिकारसे बाहर किया गया होगा असमें हिस्सेदार बने हैं। अुन्हें सोच लेना होगा कि अेक्टकी ४२ वीं धाराके अनुसार क्या वे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बढाते ही रहेंगे? इसके सिवाय अुन पर दावा किया जायगा, तो उसके खर्चके लिये भी वे जिम्मेदार होंगे। इसलिये जिस प्रस्तावमें अुन पर दिन-दिन बढती जाने-वाली जिम्मेदारी आ पड़ती है, उसे रद्द करके अपनी स्थिति अेक्टके अनुकूल बना लेनेका अपाय करनेके लिये अुन्हें विचार करना चाहिये।

६. सभी दलोंको अपनी स्थिति पर विचार कर लेनेके लिये अुचित समय मिल जाय, अस गरजसे सरकारका यह विचार है कि आगे कुछ भी कार्रवाअी करनेसे पहले अिन तीनों म्युनिसिपैलिटियोंसे अक्तूबरके अन्तमें परिस्थितिका विवरण मंगाया जाय। परन्तु तब तक म्युनिसिपैलिटीके

करदाता नागरिकोंमें से किसीको औसी सलाह मिले, तो उसे किसी भी जिम्मेदार कौंसिलर पर दीवानी दावा दायर करनेमें कोअी रुकावट नहीं है।”

यह प्रस्ताव प्रकाशित होनेके बाद म्युनिसिपल कौंसिलरों पर दावा करानेकी सरकारकी तरफसे कोशिशें शुरू हुईं। असमें नडियाद और सूरतमें तो सफलता नहीं मिली, परन्तु अहमदाबादमें अेक सरकार द्वारा नियुक्त म्युनिसिपल कौंसिलरसे दावा करानेमें सफलता मिल गयी। हम आगे चलकर देखेंगे कि सरकारने खुद अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके १७ कौंसिलरों पर दावा किया था, जो खर्च सहित खारिज हो गया और उसके साथ ही यह दावा भी खारिज हो गया था। सरकारने यह आशा रखी थी कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी आ पड़नेके डरसे असहयोगी कौंसिलर डर जायेंगे और म्युनिसिपैलिटीमें उनका बहुमत टूट जायगा, परन्तु अिनमें से कोअी भी बात होनेके बजाय ता० २४-१०-’२१ की म्युनिसिपल जनरल बोर्डकी बैठकमें सरदारने श्री बल्लभाजीके अनुमोदनसे निम्न लिखित प्रस्ताव रखा, जो भारी बहुमतसे पास हो गया :

“निश्चय किया जाता है कि ता० २३-९-’२१ के सरकारी प्रस्तावकी मनमानी भाषासे और उसमें दी गयी सलाहसे, जो करदाता नागरिकोंको अुभाड़नेवाली है और जो करदाताओंके प्रति हमारे कर्तव्यपालनमें हस्तक्षेप करनेवाली है, अस बोर्डको दुःख होता है।

“अिस बोर्डका यह दावा है कि करदाताओंकी शिक्षा सम्बन्धी जरूरतोंके बारेमें सरकारकी अपेक्षा हम अधिक समझते हैं और हम यह कहना चाहते हैं कि हमने करदाताओंकी अिच्छा साफ-साफ जान लेनेके बाद केवल उसी पर अमल किया है।”

अिस अुद्देश्यसे कि म्युनिसिपल कौंसिलरोंको समझाकर कोअी समझौता हो सके तो किया जाय, स्थानीय स्वराज्य विभाग, जो लोकप्रिय सदस्योंको सौंपा गया ( Transferred subject ) था, के मंत्री सर रघुनाथ परांजपे अहमदाबाद आये। वे सेठ अम्बालाल साराभाजीके बंगले पर ठहरे थे। म्युनिसिपैलिटीके सरकारी सदस्य उनसे मिलने गये परन्तु सरदार नहीं गये और मंत्रीको मुख्यतः तो अुन्हींसे मिलना था। असलिअे परांजपे साहबके कहनेसे अम्बालालभाजीने अुन्हें चायके लिअे बुलाया। बातचीतमें सरदारने मंत्रीसे साफ पूछा कि हम समझौता कर लें, परन्तु गवर्नर साहब अुसे नामंजूर कर दें तो आप क्या करेंगे ? सर रघुनाथ अिस प्रश्नके लिअे तैयार नहीं थे। सरदारको तो पूरा विश्वास था कि म्युनिसिपैलिटी भले ही कानूनकी सीमामें

रहकर लड़ी हो, परन्तु इस बारेमें कोअी शंका नहीं थी कि म्युनिसिपैलिटीका कदम असहयोगके महान युद्धका अेक अंग था। सिविलियन नौकरशाही अुसे अिसी तरह समझती थी और अैसी जरा भी आशा नहीं थी कि अिन लोगोंकी परवाह न करके गवर्नर अेक लोकप्रिय विभागके मंत्रीकी बात मान लेगा। सरदारने सर रघुनाथके साथ बिलकुल समानताके नाते बात की थी। म्युनिसिपैलिटीके अेक दलका नेता अैसी साफ-साफ बात अुनसे कहकर अुन्हें यह भान कराये कि सरकारमें अुनका स्थान कहां है, यह भी मंत्री महोदयको खटका। सरदारके जानेके बाद वे बोले: “मुझे अैसा सवाल पूछनेकी अिस आदमीकी धृष्टता तो देखिये!” (Look at the cheek of that man!)

अिस प्रकार जब म्युनिसिपैलिटी दृढ़ रही और अुसकी पाठशालाअें घड़ाकेसे चलती रहीं, तो सरकारने आखिरी कदम अुठानेका निश्चय किया। अुसने ता० ७-१२-२१ को नीचेका प्रस्ताव प्रकाशित किया:

“बम्बअी सरकारको मालूम हुआ है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीने सन् १९०१ के बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टकी धारा ५८ की रूसे सरकारके बनाये हुअे नियमोंमें से नियम नं० ३ का अुल्लंघन करके ता० २०-६-२१ के अपने प्रस्ताव नं० १८१ द्वारा यह निश्चय किया है कि सरकारके अिस्पेक्टरोंको म्युनिसिपल पाठशालाओंकी परीक्षा न लेने दी जाय। अुक्त प्रस्तावको अुसने कार्यान्वित भी कर दिया है। और अैसा करके अुक्त अेक्टकी अुक्त धाराके अनुसार बनाये गये नियमोंके अधीन रहकर अुन नियमोंके अनुसार प्रारम्भिक पाठशालाअे अुक्त अेक्टके अनुसार चलानेके अुस पर डाले गये फर्जको अदा करनेमें गलती की है।

“साथ ही बम्बअी सरकारको अुचित जांचके बाद सन्तोषजनक विश्वास हो गया है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी अुपरोक्त कसूरवें लिअे अपराधी है और अुसका यह अपराध जारी ही है।

“अिसलिअे अुक्त अेक्टकी १७८ वीं धाराके अनुसार बम्बअर्ब सरकारको जो अधिकार दिये गये हैं अुनकी रूसे वह अुत्तरी-विभागवें कमिश्नरको आज्ञा देती है कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीसे अुपरोक्त कर्त्तव्यपालन करानेके लिअे वे निश्चित मियाद मुकर्रर करें।”

अिस प्रस्तावके अनुसार कमिश्नर मि० प्रैटने म्युनिसिपल अध्यक्षके ता० ८-१२-२१ को पत्र लिखकर सूचित किया कि म्युनिसिपैलिटी कानूनवें अनुसार अपना कर्त्तव्यपालन करने लग जाय, अिसके लिअे :

ता० १७-१२-'२१ की शामके पांच बजे तककी मियाद मुकर्रर करता हूं।  
अन्होंने यह भी सूचना दी कि आपको इस पर म्युनिसिपल बोर्डसे विचार  
करवानेके लिये जनरल मीटिंग जल्दी ही बुलानी चाहिये।

ता० १२-१२-'२१ को म्युनिसिपल बोर्डकी विशेष बैठक की गयी।  
असमें सरकार और असहयोगी दलमें समझौता करानेकी गरजसे दी० ब०  
हरिलालभाभी प्रस्ताव लाये कि :

“अस समय प्रारंभिक पाठशालाओंकी परीक्षाओं और निरीक्षण  
सम्बन्धी जो नियम कानूनके अनुसार बनाये गये हैं, उनमें मान लिया गया  
है कि सभी म्युनिसिपैलिटियां अपनी प्रारंभिक पाठशालाओं चलानेके लिये  
सरकारी सहायता अवश्य लेंगी। परन्तु स्थानीय स्वराज्यकी संस्थाओंको  
अुत्तरोत्तर अधिक स्वतंत्रता देनेका सरकारका मूल अुद्देश्य होनेके कारण  
जो म्युनिसिपैलिटियां अपने ही कोषसे प्रारंभिक पाठशालाओं चलाना चाहें,  
अुनके लिये विशेष प्रकारके नियम बनाये जायं और जो म्युनिसिपैलिटियां  
मदद लेती हों अुनके लिये अलग प्रकारके नियम बनाये जायं। अैसा  
करनेसे जो अधिक जिम्मेदारी अुठाना और अधिक स्वतंत्रता भोगना  
चाहती होंगी, अुन्हें अधिक अधिकार दिये जा सकेंगे और आजकल जो  
संघर्ष पैदा हो गया है अुसे दूर किया जा सकेगा।

“अस मामलेका जल्दी निर्णय होनेकी जरूरत है, असलिये अध्यक्षसे  
अनुरोध किया जाता है कि यह प्रस्ताव सीधा स्थानीय स्वराज्य विभागके  
मंत्रीको भेज दिया जाय।”

सरकारको समझौता करनेका अवसर देनेके अुद्देश्यसे सरदार और  
दूसरे कुछ कट्टर असहयोगियोंने तटस्थ रहकर किसी भी तरफ वोट नहीं  
दिया। म्युनिसिपैलिटी ग्रांट ले या न ले परन्तु तमाम म्युनिसिपैलिटियों पर  
सरकारका अेक-सा ही अंकुश रहना चाहिये, अैसे कट्टर सहयोगियोंने भी वोट  
नहीं दिया। असलिये दीवान बहादुर हरिलालभाभीका प्रस्ताव निर्विरोध  
पास हो गया।

ता० १४-१२-'२१ को म्युनिसिपैलिटीकी दुबारा विशेष जनरल मीटिंग  
हुयी। असमें दीवान बहादुर हरिलालभाभीका यह प्रस्ताव पास हुआ कि चूकि  
म्युनिसिपैलिटीने अलग प्रकारके नियम बनानेका सरकारको सुझाव देनेवाला  
प्रस्ताव पास किया है, असलिये कमिश्नरने सरकारी प्रस्ताव पर अमल  
करनेके लिये ता० १७-१२-'२१ तककी जो मियाद दी है, अुसे बढ़ानेकी  
अुनसे प्रार्थना की जाय।

अस प्रस्तावका कोअी जवाब न देकर अुत्तरी विभागके कमिश्नरने १७ तारीखको अहमदाबादके कलेक्टरके मारफत म्युनिसिपल अध्यक्षको हुकम भेजा कि आज शामके पांच बजेसे स्कूलस कमेटीको प्रारंभिक पाठशालाओं सम्बन्धी तमाम अधिकारों और जिम्मेदारीसे मुक्त किया जाता है और वह अुनके प्रबन्धमें अब कोअी दखल न दे। म्युनिसिपल अध्यक्षसे अनुरोध किया जाता है कि वे तमाम म्युनिसिपल प्रारंभिक पाठशालाओं और स्कूलस कमेटीके दफतरका कामकाज अहमदाबाद विभागके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको संभला दें और अिन पाठशालाओंके खर्चके लिअे आजसे सात दिनके भीतर ७२,००० रुपयेकी रकम डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके हवाले कर दें।

म्युनिसिपल अध्यक्षने अस हुकम पर यह सेरा लगा दिया कि ता० २३-१२-२१ की जनरल बोर्डकी विशेष बैठकमें अिसे रखा जाय। डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर तो १८ तारीखको पाठशालाओंके खुलते ही अुन पर अधिकार करनेवाले थे। वे अैसा न कर सकें अिसके लिअे और कांग्रेसका अधिवेशन भासके अन्तमें अहमदाबादमें होनेवाला था अिसलिअे तमाम कार्यकर्त्ता अुसमे लगे हुअे थे अिस कारण स्कूलस कमेटीने सरक्यूलर निकालकर तमाम पाठशालाओंमें अेक महीनेकी छुट्टी कर दी और १८ तारीखको सुबह अहमदाबादकी जनतासे अपील करनेवाली निम्न लिखित पत्रिका १७ म्युनिसिपल कौंसिलरोंके हस्ताक्षरोंसे प्रकाशित कर दी गयी :

“म्युनिसिपल पाठशालाओंमें आपके बालकोंको राष्ट्रीय शिक्षा मिल सके, अिसके लिअे जनताके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे हम नीचे हस्ताक्षर करनेवालोंने अब तक हमसे जो कुछ हो सका किया है। हमारी निश्चित राय है कि अिससे बच्चोंमें नवचेतन आया है। पर सरकारको यह बात अच्छी नहीं लगी। अिसलिअे अुसने कड़ी कार्रवाअी करना शुरू किया है अहमदाबाद, सूरत और नडियादकी तीनों म्युनिसिपैलिटियों पर धावा हुअ है। सूरत और नडियाद म्युनिसिपैलिटियोंने सरकारका यह अिराद जानकर अपनी पाठशालाओं स्थानीय शिक्षा मंडलको सौंप दीं, फिन् भी सरकारने ताले तोड़कर जबरन् पाठशालाओं पर कब्जा कर लिय है। अहमदाबादमें हमने कांग्रेसको निमंत्रित किया है, अिसलिअे सारे भारतवं नेता हमारे यहां पधारनेवाले हैं। अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० प्रैट गुजरातकी शिक्षा सम्बन्धी असहयोगकी हलचलको जोशके साथ चलते देखकर घबरा गये हैं। अुनका अिरादा कांग्रेस और लीगकी बैठकोंसे पहले ही अिस हलचलको दबा देनेका साफ दिखाअी देता है। कांग्रेसके अधिवेशनं बाधा डालनेका कोअी भी बहाना न मिले, अिसके लिअे हमने १७ तारीखसे

अेक मासके ललअे म्युनलसलडल डलठशलललललके डनूद रखनेकल नलशुऑ कलडल है। कडलशनर सलहडके आऑलसे शलकुल-वलडलडलवललने सुकुलस कडेटेके डडुतर डर कल शलडसे कडऑल कर ललडल है और अनुकल अलरलडल डलठ-शललललललके खललकर अनुकल डुरडनुध अडने हलथडें लेकर सरकलरी डंग डर शलकुल डेनेकल है। हड डह डलनते हैं कल ऑुकल हड सब कलंग्रेसके कलडडें लगे हुअे हैं, अलसललअे अलस अडसरसे ललड अुठलकर डह कररवलडी कल गअी हगेी। आऑ तलक हडने ऑनतलकी अलऑऑलनुसलर डथलशकुतल सेवल की है। हड आशल रखते हैं कल शलकुल-वलडलडलकी तरडसे कैसे डी डुषणलडडुर डुरकलशलत कलडे ऑलडं, तल डी डलं-डलड डऑऑुके अेक डहीनेकी ऑुऑुरलडुके अरसेडें डलठशलललललडें नहलं डेऑेंगे। हड कलंग्रेसके कलडसे नलवृऑ होनेके डलड अलस डलडलेडें अुऑलत अुडलड करनेसे नहलं ऑुकेंगे। ऑलस डडड डेशके डहलन नेतल करलरगृहडें डडे हुअे हलं, अुस डडड हडलरे डऑऑुकी शलकुल थुडे डलन सुथगलत रहे तल अलससे हड कुऑ खल नहलं डेंगे। डह लुकडतकी डरीकुलकल डडड है। और हडें आशल है कल अहडडलडलडके लुग अलसकल करलरल ऑवलड डेंगे।”

तल० १९-१२-’२१ कु सुकुलस कडेटेने नलशुऑ कलडल कल:

“डलसुऑरकुत म्युनलसलडल अेकुऑकी डडल ५ॡ डें डतलडे गडे कलरुतुवुड हड अऑुऑी तरह डललन करते रहे हैं, अलसललअे हडने अंसल कुअी कसूर नहलं कलडल ऑु अुकुत अेकुऑकी १७ॢ वलं धलरलडें डतलडल गडल है। अलसललअे कडलशनरकल हुकुड नलऑलडऑ है। हडलरल डह दुडु डत है कल म्युनलसलडल अधुडकुषकु सुकुलस कडेटे डल ऑेडरडैनसे डूऑे डलनल डलडुऑी अेऑुडुकेशनल अलसुडेकुऑरकु डलठशललललललके डुरडनुध नहलं सुलडनल ऑलहलडे थल। सलथ ही डह कडेटे ऑनरल डुर्डसे डुरलरुथनल करती है कल कडलशनरकी आऑलनुसलर डलडुऑी अेऑुडुकेशनल अलसुडेकुऑरकु ७२,००० रुडडेकी रकड न सुलडल ऑलड।”

म्युनलसलडल अधुडकुषकु नलशुऑलनुसलर तल० २३-१२-’२१ कु ऑनरल डुर्डकी डैठक हुअी। अुसडें डीवलन डहलदुर हरलललडलडल डुरसुतलव ललडे कल:

“अेऑुडुकेशनल अलसुडेकुऑरकु तल केवल डरीकुललें लेने और नलरीकुषण करनेकल अधलकरल है और सुकुलस कडेटेकल कुअी कसूर हल तल अलतनल ही है कल अुसने अंसल नहलं करने डलडल। अुसु सुधलर लेनेके ललअे कडलशनर डीऑडें डडे सकते थे। डरनुतु अलससे सुकुलस कडेटे अडने अधलकरलसे वऑलत नहलं हल ऑलती। सलथ ही डरीकुलललं और नलरीकुषणके ललअे अब तलक डलडुऑी अेऑुडुकेशनल अलसुडेकुऑर डुरलरल म्युनलसलडुललडुसे

कोअी खर्च लेनेका रिवाज नहीं था। असलिये ७२,००० रुपयेकी रकम अन्हें देनेकी जरूरत नहीं है।”

अिस बार कांग्रेस अहमदाबादमें होनेवाली थी। अुसकी तैयारियां तेजीसे ी रही थीं। सब लोग अुसमें लगे हुअे थे और कानूनकी पेचीदगियोंकी र्चा करनेकी किसीको फुरसत नहीं थी। असलिये सरदारने प्रस्ताव रखा कि यह बैठक ता० ६-१-२२ तक स्थगित की जाय। यह प्रस्ताव पास ी गया।

अिस बीच स्कूलस कमेटीके सरक्यूलर द्वारा जो पाठशालाओं अेक मासके लअे बन्द हो गयी थीं, अुन्हें डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने अपने कुछ शिक्षकों ारा खोलने और अुनका प्रबन्ध अपने हाथमें लेनेकी कोशिश की। परन्तु ठशालाओंमें विद्यार्थी अुपस्थित नहीं हुअे। दूसरी तरफ कमिश्नरकी रुपयेकी ांग पर विचार करके जनरल बोर्ड प्रस्ताव पास करे और म्युनिसिपैलिटीकी ारफसे जवाब दिया जाय, अिससे पहले अपनी निश्चित की हुअी मियाद पूरी ाने पर म्युनिसिपैलिटीको खबर दिये बिना अिम्पीरियल बैंकके म्युनिसि- लिटीके खातेसे कमिश्नरने ७२,००० रुपये डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरके ाम करवा दिये। अिन रुपयोंमें से १०,००० रुपये लेकर वे भाअी तारीख १ जनवरीको म्युनिसिपल शिक्षकोंका वेतन देनेके लिये दफ्तरमें गये, परन्तु म्युनिसिपल शिक्षकोंने अुनसे वेतन लेनेसे अिनकार कर दिया।

बादमें तारीख ६-१-२२ को जनरल बोर्डकी बैठक हुअी। दी० ब० हरिलालभाअी जो प्रस्ताव ता० २३-१२-२१ की बैठकमें लाये थे, अुसमें बदली हुअी परिस्थितिके अनुसार फेरबदल करके अिस बार वे अपना प्रस्ताव लाये। अुसमें बताया गया कि डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको हेवल परीक्षाओं लेने और निरीक्षण करनेका अधिकार है। अिसलिये स्कूलस कमेटी पाठशालाओंका कब्जा और प्रबन्ध जारी रखेगी। साथ ही बैंकसे रुपया अुठानेका कमिश्नरका कार्य गैरकानूनी है, अिसलिये अिम्पीरियल बैंकको नोटिस दिया जाय कि अुपरोक्त रकम म्युनिसिपैलिटीके खातेमें जैसे रहले थी वैसे बदल डाले, और वह अैसा न करे तो अुस पर दावा दायर किया जाये। यह प्रस्ताव भारी बहुमतसे पास हो गया।

कमिश्नरको विश्वास ही था कि असहयोगी सदस्य, अुन्हें सरदार जैसे नेता प्राप्त होनेके कारण, अुसके हुक्मको नहीं मानेंगे और पाठशालाओंका कब्जा नहीं छोड़ेंगे। साथ ही अुसके मनमाने और कानून विरुद्ध व्यवहारके कारण दी० ब० हरिलालभाअी जैसे गैर-असहयोगी सदस्य भी नाराज हो गये थे और अन्तिम भागमें तो अिस लड़ाअीमें प्रमुख भाग वे ही ले रहे थे।

कमिश्नरने म्युनिसिपल अध्यक्षसे कह रखा था कि जनरल बोर्ड जो प्रस्ताव करे, उसकी नकल तुरन्त उनके पास भेजी जाय। तदनुसार चीफ आफिसर उस दिन रातको ही उनके पास नकल लेकर गये। अन्होंने कलेक्टरके साथ मशविरा करके उससे निम्न लिखित आज्ञा प्रसारित कराओ। उस पर तारीख ७ थी तथापि ६ तारीखकी रातको ही — लगभग आधी रातको — वह म्युनिसिपल अध्यक्षके पास पहुंचाओ गओ :

“अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी ता० ६-१-२२ को हुओी जनरल मीटिंगकी कार्रवाओी पढ़कर कलेक्टरकी यह राय हुओी है कि प्रारंभिक पाठशालाओंके बारेमें जनरल बोर्डके प्रस्तावका यह भाग गैरकानूनी है कि ‘अुत्तरी-विभागके कमिश्नरको सूचित किया जाय कि स्कूलस कमेटी पाठशालाओं चलाना और अुनका प्रबन्ध करना जारी रखेगी और अहमदाबाद विभागके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको निरीक्षण करनेका अपना कथित कर्तव्य पालन करनेके सिवाय और कोओी दखल देनेका अधिकार नहीं रहेगा,’ क्योंकि अिससे अुत्तरी विभागके कमिश्नरका डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टकी दफा १७८ (२) और (३) के अनुसार जारी किया गया हुकम कारगर नहीं रहता।

“अिसलिये कलेक्टर दफा १७४ (१) के अनुसार अुपरोक्त प्रस्तावके अुपर बताये गये भाग पर अमल करनेसे रोकता है और म्युनिसिपल अध्यक्षको हुकम देता है कि वे अुस पर अमल न करें।”

६ तारीखकी रातको कलेक्टर और कमिश्नरके बंगले पर जो भाग-दौड़ हुओी और जो-जो प्रपंच रचे गये अुसका पता सरदारको अपने आदमियों द्वारा रातको ही चल गया था। रिवाजके अनुसार तो यह हुकम म्युनिसिपल दफतरमें चीफ अफसर लगभग १२ बजे आते, तब म्युनिसिपल अध्यक्ष अुन्हें पहुंचाते। अिससे पहले ७ तारीखको प्रातःकाल सरदारने स्कूलस कमेटीकी बैठक बुलवाओी और शिक्षकोंका वेतन म्युनिसिपल खजानेसे चुका देनेका प्रस्ताव कराया। चीफ अफसरके पर्सनल अिसिस्टेन्टको चेक पर दस्तखत करनेका अधिकार होता है, अिसलिये अुसे बुलाकर वेतनकी रकमका चेक लिखवाकर १० बजे बैंक खुलते ही चेकका रुपया मंगवाकर स्कूलस कमेटीके चेयरमैनने शिक्षकोंको वेतन बांट दिया। चीफ अफसर १२ बजे दफतरमें आये। वे रातकी सारी बातचीतमें शामिल थे, अिसलिये अुन्हें कलेक्टरके हुकमका पता तो था ही। फिर भी म्युनिसिपल अध्यक्षके मारफत अुस हुकमकी नकल जब वे आये तब मिली और अुसे स्कूलस कमटी तक पहुंचाये और अुस पर अमल करें अिससे पहले तो शिक्षकोंका वेतन बट भी गया था।



चीफ अफसरके आनेके बाद कलेक्टरके हुक्मकी नकल मैनेजिंग कमेटीके चेररमैनकी हैसियतसे सरदारको रिवाजके अनुमार मिली। सरदारने तुरन्त चीफ अफसरको कैफियत लिखी कि, “कलकी बैठक होनेके बाद तुरन्त कार्रवाहीकी नकल कलेक्टरको किस तरह मिली यह बताइये।” चीफ अफसरने जवाब दिया कि, “कलेक्टरने जबानी हुक्म दिया था जिसलिये मुसी रातको अध्यक्ष महोदयके हस्ताक्षर कराकर वह अनेक यहां पहुंचा दी गयी थी।” सरदारने तुरन्त मैनेजिंग कमेटीकी बैठक बुलाकर इस प्रकार प्रस्ताव पास कराया :

“अस कमेटीको यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि म्युनिसिपैलिटीसे सम्बन्ध रखनेवाले जिम्मेदार आदमियोंने म्युनिसिपैलिटीको अड़चनमें डालनेके साफ अिादेसे बोर्डका प्रस्ताव स्थगित करानेके लिये कलेक्टरके बंगले पर रातोंरात दौड़धूप करनेकी कार्रवाहीमें भाग लिया है। यह दुःखकी बात है कि अध्यक्ष महोदय या चीफ अफसरने म्युनिसिपल सदस्योंको यह बताना अुचित न समझा कि प्रस्ताव पास हो अुसी रातको कलेक्टर अुसकी नकल प्राप्त करनेके लिये आतुर है। यह साफ दिखायी देता है कि प्रस्तावके अेक खास भागको स्थगित करनेवाला हुक्म ६ तारीखकी रातको ही जारी किया गया होगा और ७ तारीखको दफ्तरके समयसे बहुत पहले अध्यक्ष महोदय या चीफ अफसरको मिल गया होगा। अस कमेटीकी यह राय है कि म्युनिसिपल कार्रवाहीकी नकलें किसी भी सरकारी अधिकारीको दफ्तरके प्रचलित रिवाजसे बाहर जाकर मैनेजिंग कमेटीकी अिजाजतके बिना नहीं दी जानी चाहिये। स्थगित करनेके हुक्मके बारेमें कमेटी सूचित करती है कि प्रस्तावका स्थगित किया हुआ भाग अमली स्वरूपका न होनेके कारण स्थगित करनेका हुक्म व्यर्थ है। स्कूलस कमेटीको म्युनिसिपल पाठशालाअें चलाने और अुनका प्रबन्ध करनेका जो अधिकार है, वह कोअी कलेक्टरके स्थगित किये हुए प्रस्तावसे नहीं मिला है। असलिये स्कूलस कमेटीके अुक्त अधिकारमें, जो अुसे कानूनसे प्राप्त है, कलेक्टरके स्थगित करनेके हुक्मसे कोअी बाधा नहीं पड़ती। स्थगित करनेके हुक्मका अर्थ अितना ही होता है कि स्कूलस कमेटीके अधिकार और सत्ता कायम ही रहते हैं असकी कमिश्नरको खबर न दी जाय। परन्तु अैसा मालूम होता है कि कलेक्टरने जो कार्रवाही की है, अुसकी कमिश्नरको जानकारी करा कर खबर दे दी है। असलिये यह कमेटी सिफारिश करती है कि कलेक्टरका हुक्म दाखिल दफ्तर किया जाय और कागजात स्कूलस कमेटीके मारफत बोर्डके पास भेज दिये जायं।”

कलेक्टरके हुकममें रह गयी गंभीर त्रुटि मैनेजिंग कमेटीने अपने अपरोक्त प्रस्तावमें प्रगट कर दी, जिस बातकी जानकारी कमिश्नरको म्युनिसिपैलिटीके किसी अधिकारीने दे दी होगी। जिसलिअे कमिश्नरने उसी दिन म्युनिसिपैलिटीको अपनी संशोधित आज्ञा भिजवा दी :

“वस्तुस्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाय, जिसके लिअे कलेक्टरके हुकममें मैं परिवर्तन कर रहा हूं और नीचे लिखी आज्ञा भेज रहा हूं :

“म्युनिसिपैलिटीके ता० ६-१-२२ के प्रस्तावसे मालम होता है कि कमिश्नरके दफा १७८ (२) के अनुसार ता० २७-१२-२१ के हुकमका म्युनिसिपैलिटी गैरकानूनी तौर पर अल्लंघन करनेका अिरादा रखती है और स्कूल्स कमेटीके द्वारा ही अपनी पाठशालाओं चलाना और उनका प्रबन्ध करना जारी रखनेका अिरादा रखती है। जिसलिअे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टकी दफा १७४ के अनुसार दिये गये अधिकारोंकी रूसे मैं म्युनिसिपैलिटीको मनाही करता हूं कि जब तक कमिश्नरका अपरोक्त हुकम मौजूद है, तब तक म्युनिसिपल प्रारंभिक पाठशालाओंको चलाने और उनका प्रबन्ध करनेका काम म्युनिसिपैलिटी न करे।”

जिस प्रकार ७ तारीखको दिनभर नौकझोंक होती रही। वेतनके लिअे जो चेक जारी किया गया, उसके बारेमें ऑडिटरने आपत्ति अुठायी। परन्तु मैनेजिंग कमेटीने उसके अंतराजको रद्द कर दिया, जिसलिअे वह भी घबराहटमें पड़ा। कलेक्टरका हुकम ताकमें पड़ा रहा और शिक्षकोंको वेतन बंट गया। पर जिस पर्सनल असिस्टन्टने चैक पर दस्तखत किये थे, उसे भी चीफ अफसरने घबरा दिया कि आपको स्कूल्स कमेटीके बिल या चैक पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिये। जिसलिअे उसने मैनेजिंग कमेटीसे लिखकर सवाल पूछा कि अैसे परस्पर विरोधी हुकम हों वहां मुझे क्या करना चाहिये? कलेक्टर और कमिश्नरके हुकम म्युनिसिपल नौकरोंको म्युनिसिपल बोर्डकी आज्ञाओंका पालन करनेसे रोकते हैं क्या?

जिस पर सरदारने मैनेजिंग कमेटीसे ता० ९-१-२२ को जिस प्रकार प्रस्ताव पास कराया :

“कमेटीकी यह राय है कि कलेक्टर या कमिश्नरके हुकमके कारण म्युनिसिपल बोर्डके स्पष्ट प्रस्तावकी जान-बूझकर अवज्ञा करनेका किसी भी म्युनिसिपल नौकरको कारण नहीं मिलता। कलेक्टर और कमिश्नरके हुकम म्युनिसिपैलिटीके लिअे होते हैं, म्युनिसिपल कर्मचारियोंके लिअे नहीं होते। साथ ही जिस कमेटीकी राय है कि य हुकम उनके अधिकारके बाहर और गैरकानूनी हैं। अैसे हुकमोंके कानूनी या लागू

होनेका विचार बोर्डको करना है। बोर्डके निर्णयोंकी सचाहीके बारेमें सवाल अठानेका म्युनिसिपल कर्मचारियोंको अधिकार नहीं है। कलेक्टर और कमिश्नरके म्युनिसिपैलिटीके नाम निकाले हुअे हुक्मोंके औचित्य या अनौचित्यका विचार करने तथा वे मानने लायक है या नहीं, इसका अन्तिम निर्णय करनेका अधिकार बोर्डको है। इसलिये जब तक कलेक्टर या कमिश्नरकी आज्ञाके अनुसार बोर्डने अपना निणय न बदला हो, तब तक पर्सनल असिस्टेन्ट तथा म्युनिसिपल खजांची, जो म्युनिसिपलिटीके नौकर हैं, बोर्डके निर्णयोंको माननेके लिये बंधे हुअे हैं। अनुशासन कायम रखनेके लिये जरूरत हुअी तो बोर्डके निर्णयों पर अमल करानेके लिये इस कमेटीको बन्दोबस्त रखनेकी अपनी सत्ताओंको काममें लेनेका दुःखदायक कर्त्तव्य पालन करना पड़ेगा। कितने ही अूचे ओहदेवाला अफसर भी आज्ञाभंग करेगा, तो यह कमेटी असे बरदास्त नहीं करेगी। चीफ अफसरका पर्सनल असिस्टेन्ट इस प्रस्तावको नोट कर ले, और ऑडिटर तथा दूसरे खजानेके अफसरोंको इसकी जानकारी दे दे। मैनेजिंग कमेटी आज्ञा देती है कि स्कूल्स कमेटी द्वारा पेश किये गये चूकोंका रुपया तुरन्त चुका दिया जाय।”

चीफ अफसर और ऑडिटर, जो ७ तारीखको शिक्षकोंको चुकाये ये वेतनके सम्बन्धमें बेचैन हो गये थे और म्युनिसिपल नौकर होने र भी जिनकी वफादारी सरकारकी तरफ झुक रही थी, इस प्रस्तावको ढकर ठंडे हो गये। अुन्होंने देख लिया कि यहां रहनेमें अुनकी खैरियत हीं है, इसलिये वे अुसी दिन छुट्टी पर चले गये।

बादमें ता० १६-१-२२ को म्युनिसिपल बोर्डकी विशेष जनरल मीटिंग अी। अुसमें ६ तारीखकी रातको किस लिये म्युनिसिपल कमेटीका प्रस्ताव लेक्टरको पहुंचाया गया, कौन-कौन म्युनिसिपल कर्मचारी या कौंसिलर लेक्टरके बंगले पर गये थे और म्युनिसिपल शिक्षकोंको वेतन देनेसे कूल्स कमेटीको रोकनेके लिये वहां क्या-क्या सलाह-मशविरे हुअे थे, गैरा सवाल सरदारने अध्यक्षसे पूछे। बादमें दी० ब० हरिलालभाअी स्ताव लाये कि :

“कलेक्टरके हुक्मसे तो म्युनिसिपल बोर्डके प्रस्तावका यही भाग स्थगित होता है कि स्कूल्स कमेटी द्वारा पाठशालाओंका प्रबन्ध जारी रखने वगैराके मामलेमें म्युनिसिपैलिटी कमिश्नरको खबर दे। इसलिये इस हुक्मका कोअी अर्थ नहीं है। आप कहते हैं कि खबर न दी जाय, तो हम खबर नहीं देंगे। बादमें कमिश्नरने दूसरा हुक्म भेजा है, परन्तु वह

अनुके अधिकारसे बाहर है। म्युनिसिपल अेक्टकी धारा १७४ (२) के अनुसार अुन्हे कलेक्टरका हुकम रद्द करने या कोअी भी फेरबदल किये बगैर कायम रखनेका ही अधिकार है। असके बजाय अुन्होंने तो दूसरा नया ही हुकम भेजा है। और यह हुकम भी गैरकानूनी है, क्योंकि प्रारभिक पाठशालाअें चलानेका म्युनिसिपैलिटीको जो अधिकार है, अस अधिकारका अुपयोग करनेसे कोअी असु रोक नहीं सकता। असलिअे तमाम कागजात दाखिल दफ्तर कर दिये जायं। स्कूलस कमेटी तथा मैनेजिंग कमेटीने म्युनिसिपल खजानेसे शिक्षकोंको जो वेतन दिया है, असु यह बोर्ड मंजूर करता है।”

यह प्रस्ताव बहुमतसे पास हुआ। अस प्रस्तावकी नकल स्थानीय स्वराज्य विभागके मंत्रीके नाम भेजकर असुने बीचमें पड़नेकी प्रार्थना की गयी। असुकी तरफसे जवाब आया कि, “प्रस्ताव गवर्नर-अिन-कौंसिलके सामने रखा जायगा।” परन्तु असुके लिअे अुत्तर देना भारी हो गया होगा और कमिश्नर साहबको तो विश्वास हो ही गया था कि म्युनिसिपैलिटीको किसी भी तरह झुकाया नहीं जा सकता। असलिअे अन्तमें ता० ९-२-’२२ को म्युनिसिपल बोर्डको सरकारी आज्ञा द्वारा पदच्युत कर दिया गया।

हम अूपर देख चुके हैं कि जिन दिनों पाठशालाअेंके अधिकार और प्रबन्धकी लड़ायी हो रही थी, असु दिनों म्युनिसिपैलिटीको दूसरी तरह परेशान करनेके प्रयत्न कमिश्नर साहबने कम नहीं किये थे। जब यह सब नोंकझोंक हो चुकी, असुके बाद ‘नवजीवन’ के प्रतिनिधिने सरदारसे मुलाकात की थी। म्युनिसिपल बोर्डमें असहयोगी दलका कितना बल है, अस प्रश्नके अुत्तरमें सरदारका दिया हुआ जवाब अुल्लेखनीय है :

“मौजूदा बोर्डकी मियाद खत्म होने आयी है। सिर्फ दो ही महीने रह गये हैं। वर्तमान बोर्डमें हमारा बहुमत बहुत थोड़ा है। परन्तु कमिश्नर साहबके स्वेच्छाचार और साथ ही म्युनिसिपैलिटीको सतानेमें असुके द्वारा बार-बार कानूनका अुल्लंघन किये जानेके कारण कुछ कट्टर सहयोगी सदस्य भी मौजूदा लड़ायीमें हमारे साथ पूरी तरह शरीक हैं। असलमें आजकल म्युनिसिपैलिटी और कमिश्नरके बीच होनेवाली लड़ायीमें प्रमुख भाग कुछ सहयोगी भाअियोंने ही लिया है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें सहयोगी और असहयोगी सदस्योंमें न केवल कोअी कटुता ही नहीं है, बल्कि असहयोग शुरू होनेसे पहले हमारी अेक-दूसरेके साथ जितनी मित्रता थी अुतनी ही हमने कायम रखी है। और अस बातके लिअे

बम्बयी सरकारने यह पदच्युत करनेका हुक्म देकर समर्थन किया है। ... भारत सरकारके प्रस्तावमें आगे चलकर कहा गया है कि :

“साथ ही इस प्रस्तावकी अधिकांश सूचनाओं पर कानूनमें फेरबदल करनेकी प्रतीक्षा किये बगैर ही अमल किया जा सकता है और इसलिये जहां असा हो सकता हो वहां अविलम्ब अुस तरहका अमल किया जाय।’

“अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके मामलेमें तो म्युनिसिपल अेक्टमें कोअी परिवर्तन किये बिना ही बम्बयी सरकार भारत सरकारकी अपरोक्त सिफारिशों पर अमल कर सकती थी, क्योंकि नये चुनावोंका समय बिलकुल नजदीक आ पहुंचा था। चुनावकी तारीखें तक नियत हो चुकी थीं। और मिल-मालिकोंकी तरफसे तो प्रतिनिधिका चुनाव हो भी गया था। अितना होने पर भी तमाम वाजिब अुपायोंको ताकमें रखकर बम्बयी सरकारने अेक सपाटेमें म्युनिसिपैलिटीको पदच्युत करके भारत सरकारकी सिफारिशोंका साफ अनादर किया है।”

## अहमदाबादकी कांग्रेस — १९२१

नागपुर कांग्रेसके समय ही गुजरातकी तरफसे कांग्रेसके अधिवेशनके लिये आमंत्रण दिया गया था और वह स्वीकार हुआ था। गुजरात प्रान्तीय समितिने अहमदाबादमें कांग्रेस करनेका निश्चय किया। अहमदाबादमें पहले १९०२ में कांग्रेस हुई थी, जिसलिये यह कांग्रेस अहमदाबादमें बहुत वर्षों बाद हो रही थी। इस कारण इस बारमें अहमदाबाद शहरको खूब अुत्साह था, परन्तु अुत्साहका बड़ा कारण तो यह था कि यह वर्ष स्वराज्यका समझा जाता था। लोगोंमें यह आशा जाग्रत हो गयी थी कि अहमदाबादकी कांग्रेसमें हमें स्वराज्यका अुत्सव मनानेके लिये अिकट्ठे होना पड़ेगा। इस अुत्साहके साथ विशाल पैमाने पर सुन्दर रचना करनेकी कुदरती शक्ति और होशियारीवाले सरदार स्वागताध्यक्षके रूपमें और हरअेक कामकी बारीकसे बारीक बातों पर अच्छी तरह ध्यान देकर अुसको व्यनस्थित रूपमें जमा देनेकी आदतवाले दादासाहब मावलंकर स्वागत-मन्त्रीके रूपमें मिल गये। और तमाम तैयारियोंमें नयी दृष्टि और नयी प्रेरणा देनेवाले गांधीजी तो मौजूद थे ही।

नये विधानके अनुसार यह पहली ही कांग्रेस थी। जिसलिये प्रतिनिधियोंकी संख्या मर्यादित — लगभग ६००० थी। जो प्रतिनिधि बनकर नहीं आ सकते थे, अुन्हें कांग्रेसके अधिवेशनसे लाभ अुठाना हो तो अुनके लिये दर्शकोंकी हैसियतसे आनेकी व्यवस्था की गयी थी। नरम दल और दूसरे स्वतंत्र दलोंके नेताओंको विशेष निमंत्रण दिये गये थे। अब तककी कांग्रेसोंमें नेताओंके लिये अच्छी व्यवस्था होती होगी, परन्तु साधारण प्रतिनिधियोंके लिये अधिक खर्च करने पर भी खाने-पीनेका अिन्तजाम रद्दी होता था और पाखाने, पेशाबघर और मामूली सफाअीके बारेमें तो कुछ न कहना ही अच्छा है। सरदारका संकल्प था कि प्रतिनिधियों और दर्शकों वगैरा मेहमानोंके रहने, खाने-पीने, नहाने-धोने और शौच वगैराके प्रबन्धमें कोअी कमी न रहनी चाहिये। गांधीजीका आग्रह सादगीका था, परन्तु अुनकी सादगीमें सफाअी अुल्टी अधिक होती है, कचरे और मैलेकी वैज्ञानिक व्यवस्था होती है और मैलेको चाहे जिस तरह ढंक देनेकी बात नहीं होती। जिसलिये पाखाने, पेशाबघर और कचरापेटियोंकी संख्या बहुत अधिक रखी गयी और अुनकी सफाअीके लिये

केवल भंगियों पर आधार न रखकर हरिजन सेवाके पुराने जोगी मामासाहब फड़केके नेतृत्वमें सफाई स्वयंसेवकोंका बड़ा दल रखा गया। पाखानों और पेशाबघरोंको किस तरह अस्तेमाल किया जाय और साधारण सफाईके लिये क्या सावधानी रखी जाय, इसकी स्वयं गांधीजी द्वारा तैयार करके दी हुई सूचनाओं पहलेसे समाचारपत्रोंमें दे दी गयी थीं। इसके सिवाय अर्दू, हिन्दी और गुजरातीमें छपी हुई पत्रिकाओं भी प्रतिनिधियोंमें काफी बांट दी गयी।

पीनेके और नहाने-धोनेके पानीके लिये अलग वाटर वर्क्स खड़ा किया गया था। कांग्रेसका स्थान नदीके किनारे ही होनेके कारण वहां नहाने-धोनेकी सुविधा थी ही। इसके सिवाय प्रतिनिधियों और दर्शकोंके ठहरनेकी जगहके पास स्थान-स्थान पर नहाने-धोनेके बड़े-बड़े पक्के चौके बना दिये गये थे। वहां जिसे चाहिये उसे गरम पानी दिया जाता था। बहनों और कमजोर स्वास्थ्यवालोंके नहानेके लिये कोठरियां भी बनायी गयी थीं। नागपुरमें देखा गया था कि ढुलनेवाले पानीकी निकासीका काफी बन्दोबस्त न होनेसे जहां-तहां पानीके तालाबसे भर जाते थे। यहां ऐसा न होने देनेके लिये नालियोंकी भी सुन्दर व्यवस्था की गयी थी। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीने यह सारी व्यवस्था करनेमें अपनी तरफसे सभी संभव सहायता दी थी।

खानेकी सुविधासे भी प्रतिनिधि और दर्शक खुश हुए थे। अब तककी कांग्रेसोंमें देशी और विलायती दो तरहकी व्यवस्था की जाती थी, परन्तु अहमदाबादमें केवल देशी ढंगकी ही व्यवस्था की गयी थी। जिन्हें विलायती ढंगकी सुविधा चाहिये, उन्हें पहलेसे सूचना देनेके लिये कहा गया था। और जिनकी तरफसे सूचना मिली उनका प्रबन्ध बालाबाला उस ढंगके होटलोंमें किया गया था। इस प्रकारके होटलोंके नाम, पते और दरें वगैरा भी स्वागत-समितिकी ओरसे समाचारपत्रोंमें दे दी गयी थीं। स्वागत-समितिकी तरफसे अेक आम भोजनालय था, जिसमें निश्चित दरों पर साफ और अच्छा भोजन मिलता था। परन्तु किसी प्रान्तवालोंको अपने ढंगका भोजन बनाना हो और वे अपना भोजनालय चलानेकी सारी जिम्मेदारी लेनेको तैयार हों, तो उन्हें भोजनालय और बरतन-भांडेकी सुविधा मुफ्त दी गयी थी और आम भंडारमें से खाने-पीनेका सामान लागत दामों पर दिया गया था। थोड़े खर्चसे कांग्रेस देखने आना चाहनेवाले दर्शकोंके लिये अेक विशाल मंडप बनाया गया था, जिसमें वे रहते, बैठते और सोते थे। वहां पानीकी व्यवस्था भी की गयी थी और खानेके लिये पूरी-शाक वगैराकी दुकानोंका अिन्तजाम किया गया था।

प्रतिनिधियों और दर्शकोंके रहनेके लिये झोंपड़ियां खादीकी ही बनायी गयी थीं। खादीकी झोंपड़ियोंके इस नगरको खादी-नगर सार्थक नाम दिया गया था। उसकी रचना किसी आदर्श नगर जैसी थी। अनेक रास्ते और गलियां तथा बीचमें विशाल चौक, रास्तों पर बिजलीकी बत्तियां, हरएक झोंपड़ीमें भी बिजलीकी बत्ती आदि बातोंसे सारी नगरी रातको जगमगा अठती थी। वे दिन पूर्णिमाके आसपासके थे। इस प्रकार रातकी दूध जैसी चांदनीमें दूध जैसी खादीकी शोभा सभीके हृदयोंमें नवीन आशा और अत्साहका संचार करती थी। कांग्रेसके साथ-साथ ही खिलाफत परिषद और मुस्लिम लीगकी बैठकें थी। अन्होंने अपने प्रतिनिधियोंके लिये मुस्लिम नगरकी रचना की थी। गांधीजीकी खादीकी झोंपड़ी अेक छोटेसे चौकमें इस ढंगसे बनायी गयी थी कि वह खादी-नगर, मुस्लिम-नगर और साथ ही कांग्रेसके मंडपसे यथासंभव नजदीक रहे।

कांग्रेसके सभामंडपकी रचना भी अद्भुत थी। कांग्रेसके मंडपसे पहली ही बार कुर्सियोंको देश निकाला दिया गया था। सभाके लिये किसी जगहको खोदकर तो किसी जगहको भरकर अेकसी ढालवाली जमीन बनायी गयी थी और उस पर नदीकी स्वच्छ रेत बिछा दी गयी थी। अध्यक्ष और स्वागत-समितिके सदस्योंके लिये सामनेके किनारेको भरकर लम्बा-चौड़ा चबूतरा बना दिया गया था। व्यासपीठकी रचना अिन दोनोंके बीचमें की गयी थी। स्व० डॉ० हरिप्रसादने गांधीजीके साथ मीठा झगड़ा करके मंडपमें फूल-पत्तोंकी सजावट करनेकी स्वीकृति ले ली थी और फूल-पत्तोंसे मंडपको कलामय ढंग पर सजाया गया था।

मंडपसे कुर्सियां निकाल दी गयी थीं, असलिये यह नियम रखा गया था कि वहां सब लोग जूते पहने बगैर जायं। असलिये यह सवाल पैदा हुआ कि हजारों आदमियोंके जूतोंकी बाहर रक्षा कैसे की जाय ? अेक अेसा सुझाव आया कि अलग-अलग दरवाजोंके बाहर जूते सम्हालनेवाले रखे जायं, जो अेक खास नंबरकी चिट्ठी जूतेके मालिकको दें और अुसी नंबरकी चिट्ठी जूतेमें रख दें, जिससे मनुष्य बाहर निकले तब अुसे अुसीके जूते वापस दिये जा सकें। परन्तु हजारों जूतोंकी व्यवस्था करना कठिन प्रतीत हुआ और चिट्ठीसे जूते पहचानकर वापस सौंपनेमें बड़ा वक्त लगता। यह सुझाव भी आया कि बाहर कागजकी थैलियां बेची जायं और अुनमें रखकर हरअेक आदमी अपने जूते अपने साथ अन्दर ले जाय। परन्तु यह कागजकी थैली अेक ही बारके अिस्तेमालमें फट जाती। असलिये अन्तमें बाहर खादीकी थैलियां ४-४ आनेमें बेचनेकी व्यवस्था की गयी, जिनमें जूते रखकर अन्दर ले जाये



जा सकते थे। यह व्यवस्था सफल हुई और हजारों थैलियां वहां बिकीं। कांग्रेसके मंडपके पास ही एक खुला व्याख्यान-मंडप बनाया गया था। कांग्रेसकी बैठकोंमें होनेवाली कार्रवाही और अन्य विषयों पर प्रसिद्ध नेता वहां आकर आम जनताके समक्ष भाषण देते थे।

कांग्रेसके साथ एक सुन्दर स्वदेशी प्रदर्शनी रखी गयी थी। उसमें कपड़ेमें हाथ-कती और हाथ-बुनी खादी ही रखी गयी थी। उस समय खादी नयी-नयी थी, असलिये प्रदर्शनीका प्रयोग-विभाग, जिसमें कपाससे खादी बनाने तक की सारी क्रियायें— खास तौर पर आन्ध्रकी बारीक खादीकी क्रियायें— दिखायी जाती थीं, खूब ध्यान खींच रहा था। साथ ही एक संगीत-परिषद भी की गयी थी। उसकी तरफसे प्रसिद्ध संगीताचार्यों और अस्तादोंके संगीतके जलसे हर रोज होते थे। जिस प्रकार लाखों लोग, जो वहां आते थे, भले ही कांग्रेसकी बैठकमें भाग न ले सकते हों, परन्तु ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि वे विविध ज्ञानप्रद मनोरंजक प्रवृत्तियोंमें भाग ले सकें और देशके नेताओंके भाषण सुनकर राष्ट्रीयताके रसका पान कर सकें।

प्रदर्शनीकी सारी व्यवस्था श्री लक्ष्मीदास आसरने और संगीत-परिषदका तमाम प्रबन्ध संगीतशास्त्री खरेने किया था। प्रदर्शनीमें चित्रकला-विभाग बड़ा समृद्ध था। उसे सजानेमें श्री रविशंकर रावल और श्री काकासाहबने बहुत परिश्रम किया था।

जिस कांग्रेसके बारेमें लोगोंमें अतना अधिक था कि उसमें अकसर विवेककी मर्यादा नहीं रहती थी और लोगोंमें तरह-तरहकी अफवाहें फैलती थीं। एक जोरदार अफवाह यह थी कि कांग्रेसके पहले ही दिन मंडप पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जायगा और उसी समय गांधीजी, सरदार और दूसरे नेता देशकी स्वतंत्रताकी घोषणा करेंगे और सरकार कांग्रेसकी बैठक पर गोली चलायेगी। इसके लिये अडरके राजा कर्नल प्रतापसिंह अपनी फौजके साथ खास तौर पर आयेंगे। उनकी सेनाको रखनेके लिये कांग्रेसके स्थानके नजदीक अहमदाबादका कोचरब नामका अपनगर और गुजरात कॉलेजके मकान खाली कराये जायेंगे। यह अफवाह अतनी जोरदार हो गयी और उससे अज्ञान और भोले लोगोंमें ऐसी घबराहट फैलने लगी कि गांधीजीको 'नवजीवन' में 'पधारिये कर्नल प्रतापसिंहजी' शीर्षकसे टिप्पणी लिखनी पड़ी। सरदारने भी 'झूठी अफवाह' शीर्षकसे स्पष्टीकरण प्रकाशित किया :

“फौज लाने और गोली चलानेकी तमाम अफवाहें बिलकुल झूठी हैं। ये फसादी और डरपोक लोगोंकी फैलायी हुई हैं। आज ही

अहमदाबादके पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट साहब मुझसे मिले थे। अन्होंने खुद मुझसे कहा कि कांग्रेस सप्ताहमें वे अेक भी फौजी सिपाही या हथियार-बन्द पुलिसका अतिरिक्त सिपाही अहमदाबादमें नहीं लायेंगे और कांग्रेस-मंडप या नगरकी तरफ अिन दिनोंमें पुलिस नजर तक नहीं डालेगी।”

और सचमुच अन्होंने वैसा ही किया। खादी नगर, प्रदर्शनी और कांग्रेसके मंडपमें तो सारी व्यवस्था कांग्रेसके स्वयंसेवक करते ही, परन्तु अेलिस ब्रिजके पार आम रास्ते पर मोटरों, तांगों और लोगोंके आवा-गमनकी सारी व्यवस्था भी पुलिसने स्वयंसेवकोंको करने दी। स्वयंसेवक दलके कप्तान श्री जीवणलाल दीवान थे। अुनकी देखरेखमें स्वयंसेवकोंको सुन्दर तालीम दी गयी थी। छोटे-बड़े सभीके साथ नम्रता और अदबसे बरताव करने, मदद देनेके लिये तैयार रहने और कांग्रेस देखने आनेवाले सहयोगी भाओ-बहनोंके प्रति खास तौर पर नम्रता रखने और साथ ही पुलिसकी आज्ञाओंका पालन करनेकी हिदायतें गांधीजीने स्वयंसेवकोंको समय-समय पर दी थी।

अहमदाबादमें जिस समय कांग्रेसकी जोरदार तैयारियां हो रही थीं, अुस समय अुत्तरी हिन्दुस्तानमें युवराजका दौरा हो रहा था। वे जिन-जिन शहरोंमें जाते, वहां अुनके स्वागतका सख्त बहिष्कार होता था। अुसे न होने देनेके लिये ही सरकार पहलेसे स्वयंसेवकों और नेताओंको गिरफ्तार कर लेती थी। अिस कार्यक्रमके अनुसार बंगाल सरकारने कलकत्तेमें देशबन्धु दासको, जो कांग्रेसके मनोनीत अध्यक्ष थे, गिरफ्तार कर लिया। गांधीजीने तुरन्त ‘नवजीवन’में टिप्पणी लिखी :

“हमारे अध्यक्ष पकड़ लिये गये, अिससे हमें जरा भी घबराना न चाहिये। अुनकी आत्मा हमारी कांग्रेसमें विराजमान होगी। . . . हमारी कांग्रेस होने तक हममें से जो कोअी जेलके बाहर रह जायं, अुन्हें किसी अेकको अध्यक्षका काम करनेके लिये चुन लेना पड़ेगा। . . . अिससे अधिक शुभ और मंगलमय परिस्थितिमें अब तक कांग्रेसका कोअी अधिवेशन नहीं हुआ। . . . हममें से अधिकांश नेताओंका जेलमें होना ही स्वराज्य है।

“और यह सारी खटपट छोड़कर अगर सरकार अेक-अेक असहयोगीको ता० २६ दिसम्बरसे पहले सबसे निकटकी पुलिस चौकी पर जाकर गिरफ्तारीके लिये हाजिर होनेका अेक ही बारमें हुक्म दे दे तब तो मैं अिसे सम्पूर्ण स्वराज्य मिल जाना समझूंगा। अिस शर्त पर तो श्री बल्लभभाओ और अुनकी बहादुर टोलीने आज महीनोंसे दिन-रात अेक करके कांग्रेसके प्रतिनिधियों और दर्शकों दोनोंके लिये गुजरातके मुख्य नगरको शोभा देनेवाला स्वागत करनेके लिये चाहे जैसी भारी

तैयारियां की हों, तो भी मैं कांग्रेसकी बैठकको मौकूफ कर सकता हूँ। . . . ”

परन्तु यह सौभाग्य अहमदाबादकी कांग्रेसको नहीं मिला और कांग्रेसका अधिवेशन निश्चित किये हुअे दिनोंमें हुआ। देशबन्धु दासने अपना भाषण लिखकर भेज दिया था। कांग्रेसके अधिवेशनका काम चलानेके लिये दिल्लीके हकीम अजमलखां साहबको अध्यक्ष बनाया गया। सरदारने स्वागताध्यक्षकी हैसियतसे बहुत ही संक्षिप्त भाषण दिया। इस अधिवेशनके लिये की गयी विशेष तैयारियोंका स्पष्टीकरण करते हुअे अन्होंने कहा :

“हमने आशा रखी थी कि हम स्वराज्यकी स्थापनाका अुत्सव मनानेके लिये जमा होंगे और इसलिये अैसे अवसरको शोभा देनेवाले ढंगका स्वागत करनेका हमने प्रयत्न किया है। वह शुभ अवसर मनाना संभव नहीं हुआ। दयानिधि परमात्माने हमारी परीक्षा लेने और अैसे महंगे दानके योग्य बननेके वास्ते हमारे लिये कष्ट भेजा है। कैद, शारीरिक हमले, जबरदस्ती तलाशी और हमारे कार्यालयों और पाठशालाओंके ताले तोड़ने आदिकी तमाम घटनाओंको पास आनेवाले स्वराज्यके स्पष्ट चिन्ह समझ कर तथा हमारे मुसलमान भाअियों और साथ ही पंजाबियोंको लगे हुअे जख्मों पर टंटा मरहम समझकर आपके स्वागतके लिये की गयी हमारी सजावटमें, संगीतके जलसोंमें या दूसरे आनन्दके कार्यक्रमोंमें हमने किसी प्रकारकी तबदिली या कमी नहीं की है।”

यह बताते हुअे कि खादी-नगर और मंडपोंका निर्माण मुख्यतः गुजरातमें तैयार हुअी खादीसे किया गया था, अन्होंने कहा :

“अब तक हमने लगभग दो लाख पौंड खादी तैयार की है। . . . यह सारे मंडप और खादी-नगर बनानेमें किया गया खादीका अुपयोग इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम स्वदेशीके मामलेमें क्या कर सके है।”

फिर गुजरातको दमनका लाभ अभी तक्र नहीं मिला, इस बारेमें कहा :

“बंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रान्त और दूसरे प्रान्त जिस अग्नि-परीक्षामें से गुजर रहे हैं, अुममें से हम नहीं गुजरे यह मैं जानता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि हमारी जिस अहिंसाका मैंने जरा गर्वके साथ अुल्लेख किया है, वह अहिंसा दुर्बलताकी नहीं परन्तु हमारे स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किये हुअे संयमका परिणाम है।”

फिर गुजरातकी लड़ाओके लिये की हुअी तैयारियोंका अुल्लेख किया :

“सूरत और नडियादकी म्युनिसिपैलिटियोंसे राष्ट्रीय पाठशालाओंका जबरदस्ती कब्जा लेकर सरकारने हमें अपनी शक्ति दिखानेका अवसर दिया है। अहमदाबादकी भी यही प्रश्न हल करना है। यह सवाल अन्तमें तो केवल कानूनके सविनय भंगसे ही हल होगा। सामूहिक सविनय कानून भंगके लिअे बारडोली और आणन्द तालुके भारी तैयारी कर रहे हैं। मैं अिस कांग्रेसकी प्रार्थना प्रगट कर रहा हूं कि अीश्वर हमें अुस कष्टसहनकी परीक्षामें पास होने और दूसरे प्रान्तोंकी कतारमें खड़े रहने लायक सामर्थ्य दे।”

अिस कांग्रेसमें मुख्य प्रस्ताव सामूहिक सविनय कानून भंग सम्बन्धी था। यह प्रस्ताव गांधीजीने पेश किया और श्री विट्टलभाभी पटेलने अुसका समर्थन किया। प्रस्ताव बड़ा विस्तृत और लम्बा था। अुसमें मुद्देकी बात यह थी कि किसी भी सत्ताका स्वेच्छाचारी, अन्यायी और पौरुष हनन करनेवाला अुपयोग रोकनेके लिअे दूसरे तमाम अुपाय आजमा लेनेके बाद हथियारबन्द बलवेके अेवजमें सविनय कानून भंग ही अेकमात्र सुधरा हुआ और कारगर अुपाय है। अिसलिअे मौजूदा सरकारको हिन्दुस्तानके लोगोंके प्रति केवल गैरजिम्मेदार स्थानसे अुतार देनेके लिअे लोग व्यक्तिगत और जहां अिसके लिअे पूरी तैयारी हो वहा सामूहिक सविनय कानून भंगका भी आश्रय लें। वह अुचित सावधानी रखकर और कार्यसमिति या अपनी प्रान्तीय समिति समय-समय पर जो सूचनाअें जारी करे अुनके अनुसार शुरू किया जाय। अिसके लिअे गांधीजीको कांग्रेसका सर्वाधिकारी नियुक्त किया गया है। गांधीजीने यह प्रस्ताव पेश करते समय जो छोटा-सा परन्तु भव्य भाषण दिया, अुसके निम्न लिखित वाक्य अुनकी तीव्र वेदनाके द्योतक हैं :

“अिस प्रस्तावमें हम अुद्धत होकर युद्ध नहीं मांग रहे हैं। परन्तु जो सत्ता अुद्धतता पर आरूढ़ है, अुसे चुनौती जरूर दे रहे हैं। जो सत्ता अपनी रक्षा करनेके लिअे वाणीका और संस्थाअें बनानेका स्वातंत्र्य कुचल डालना चाहती है — जनताके अिन दो फेंफड़ोंको दबाकर अुसे प्राणवायुसे वंचित करती है — अुसे मैं आपकी तरफसे नम्र किन्तु अटल चुनौती देता हूं। अगर अैसी कोअी हुकूमत बनी रहना चाहती हो, तो अुसे मैं आपकी तरफसे कह देता हूं कि या तो वह नेस्तनाबूद हो जायगी या अिस महान कार्यको करते हुअे जब तक हिन्दुस्तानका हर-अेक नर-नारी अिस पृथ्वीतल परसे नष्ट नहीं हो जायगा, तब तक चैनसे नहीं बैठेगा।

“अस प्रस्तावमें दृढता, नम्रता और निश्चय तीनों मौजूद हैं। अगर मैं समझौतेकी बातचीतमें भाग लेनेकी सलाह दे सकता तो जरूर देता। मेरा अीश्वर ही जानता है कि समझौता और शान्ति मुझे कितने प्रिय हैं। परन्तु मैं किसी भी कीमत पर अुन्हें प्राप्त नहीं करना चाहता। स्वाभिमान खोकर मैं समझौता नहीं चाहता। पत्थरकी-सी शान्ति मैं नहीं मांगता। मुझे कब्रस्तानकी शान्ति नहीं चाहिये। सारी दुनियाकी बाणवर्षाके सामने छाती खोलकर अेकमात्र अीश्वरके सहारे घूमनेवाले मनुष्यके हृदयमें निवास करनेवाली शान्तिकी मुझे जरूरत है।”

यह कांग्रेस खूब गरमागरम वातावरणमें हुआ थी। अुससे भी गरम वातावरणमें वह बिखरी। अस विषयमें गांधीजीने ‘नवजीवन’ में लिखा :

“यह कहा जा सकता है कि गुजरातने प्रशंसनीय काम किया। साढ़े तीन लाख रुपयेकी खादीके तम्बू तने, मंडप बनाये गये, बिजलीकी बत्तियां लगायी गयीं, सुन्दर प्रदर्शनी हुई, भजन-कीर्तन किये गये, हिन्दुस्तानके संगीतकी महिमा दिखायी गयी। हिन्दू-मुसलमान साथ-साथ घर बनाकर रहे। किसीने अेक शब्द भी अूंकी आवाजसे अेक-दूसरेको न कहा। गुजराती लड़कियां स्वयंसेविकायें बनीं। गुजरातके नौजवानोंने भंगीका भी काम करके प्रतिनिधियोंकी सेवा की, औरतोंकी विराट सभा हुई, व्याख्यान हुअे और कांग्रेसके मंडपमें कफायतके नियमोंका पालन करके सभी लोग जितना चाहिये अुतना ही बोले। लम्बे भाषण किसीने भी नहीं दिये और सरकारकी शुरू की हुई दमन-नीतिका जवाब देनेवाला सरकारको चौंका देनेवाला सचोट परन्तु मर्यादापूर्ण प्रस्ताव पास किया।”

अुस प्रस्तावके अनुसार सामूहिक सत्याग्रहके लिअे बारडोली तालुका चुना गया।

जहां कांग्रेसका मंडप बनाया गया था, अुस जगहको सरकार द्वारा प्राप्त करके (अेक्वायर करा कर) वहां गोखलेके भारत सेवक समाज जैसा गुजरात सेवक समाज स्थापित करके अुसके मकान बनवानेकी सरदारकी अिच्छा थी। परन्तु अुसकी कीमत ५ लाख रुपया मांगी गयी। सरदार ४ लाख रुपये तक देनेको तैयार हो गये थे, मगर यह बातचीत टूट गयी। बादमें भाव गिर जानेसे वह जमीन म्युनिसिपैलिटीको १॥ लाख रुपयेंमें मिली और आज वहां सेठ वाड़ीलाल साराभाअी अस्पतालके मकान हैं। अस्पतालकी मुख्य अिमारतके सामने जो फव्वारा है, वह कांग्रेसके समयका ही है। अस कांग्रेसका तमाम खर्च निकालनेके बाद जो रुपया बचा, अुससे अहमदाबादका कांग्रेस भवन बनाया गया है।

## म्युनिसिपैलिटीकी बरखास्तगीके बाद

म्युनिसिपैलिटीकी बरखास्तगीका हुकम गुरुवार ता० ९-२-'२२ को सरकारी गजटमें प्रकाशित होते ही अहमदाबादके नागरिकोंकी अेक विराट सार्वजनिक सभा हुआ और अुसमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“अहमदाबादके नागरिकोंकी यह सार्वजनिक सभा निश्चय करती है कि चूकि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको बरखास्त करके सरकारने जनताकी प्रारंभिक शिक्षाको अपने हाथमें लेनेका निश्चय कर लिया है, असलिअे शहरके बच्चोंको सरकारके नियंत्रणसे स्वतंत्र शिक्षा देनेके लिअे अस शहरमें अेक सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षामंडल स्थापित किया जाय और जब तक अुसकी योजना तैयार करके अमलमें न लायी जाय, तब तक अभिभावक अपने बच्चोंको सरकारके नियंत्रणवाली म्युनिसिपल शालाओंमें न भेजें । सरकारके अस कृत्यके विरोधमें शिक्षाके सिवाय दूसरे मामलोंमें क्या कार्रवायी की जाय, यह बादमें तय किया जायगा ।

“अिस सभाकी यह राय है कि जनताकी तरफसे नियुक्त जिन म्युनिसिपल कौंसिलरोंने निडर होकर अपना फर्ज अदा किया है, अुनसे राष्ट्रीय कार्यको खूब मदद मिली है । यद्यपि हमारी सेवा करते हुआे म्युनिसिपैलिटीके अधिकार छीन लिये गये हैं, फिर भी अपने प्रतिनिधियों पर हमारा पूरा विश्वास है । और अब तक जिन सदस्योंने स्वदेश-भक्तिका परिचय दिया है, अुन सबका हम हृदयसे आभार मानते हैं ।”

नये स्थापित हुआे सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षामंडलने चौथी कक्षाके विद्यार्थियोंकी वार्षिक परीक्षा ता० २६-२-'२२ को लेनेकी व्यवस्था की और २३ तारीख तक ३३ पाठशालाओं खोली, जिनमें अठारह लड़कोंकी, १० लड़कियोंकी, १ मिलीजुली और ४ अुर्दूकी पाठशालाओं थीं ।

अहमदाबादके साथ सूरतकी म्युनिसिपैलिटीको भी अिसी कारण पदच्युत किया गया था, असलिअे अहमदाबाद और सूरतके नागरिकोंको संबोधन करके गांधीजीने ता० १९-२-'२२ के 'नवजीवन' में अेक टिप्पणी लिखी । अुसमें कहा गया था कि :

“आपकी अुपेक्षा करके सरकारने अपनी कमेटी मुकर्रर की है । अुसमें आपके ही नगर-निवासी काम करनेको तैयार हुआे हैं, यह देखकर

मुझे तो खूब अफसोस हुआ है। परन्तु इसमें निराश होनेकी कोअी बात नहीं। नगर-निवासियोंकी सहायताके बिना वे कारबार हरगिज नहीं चला सकते। उस कमेटीकी पाठशालाओंमें अेक भी बच्चा आपके भेजे बिना तो जा ही नहीं सकता। अपनी अिच्छाके बिना कर भी आप नहीं देंगे। भले ही अेक तरफ जबरदस्ती नियुक्त की हुअी सरकारकी कमेटी रहे और दूसरी तरफ आपकी शहर-पंचायत रहे। इसमें पता चल जायगा कि लोग किसके साथ है। . . .”

फिर दुबारा ता० २६-२-’२२ के ‘नवजीवन’ में ‘अहमदावाद व सूरतकी परीक्षा’ शीर्षक लेखमें गांधीजीने लिखा :

“ . . . नये सुधार कितने खोखले हैं, इसका अिन दो बड़ी म्युनिसिपैलिटियोंको बन्द करने जैसा और अच्छा सबूत नहीं मिल सकता। अगर शहरी प्रतिनिधि स्वेच्छाचारी होते, तो उनुके अधिकार छीन लेना शायद अुचित होता। परन्तु यहां तो सरकार जानती है और स्थानीय स्वराज्य-विभागके भारतीय मंत्री भी जानते हैं कि अिस झगड़ेमें नागरिक और उनुके प्रतिनिधि दोनों अेकमत हैं, दोनों शिक्षा-विभागको स्वतंत्र रखना चाहते हैं। अितने पर भी म्युनिसिपैलिटीके विरुद्ध कोअी कानूनी अुपाय किया जा सकता हो तो अुसे करनेके बजाय म्युनिसिपैलिटियोंको बन्द कर दिया गया है। अिस प्रकार सरकार और ‘हमारे’ मंत्री लोकमतके विरुद्ध हो गये हैं! अिस प्रकार नये सुधारोंमें केवल स्वेच्छाचार ही भरा है।

“परन्तु हमें तो अिस स्थान पर सुधारोंकी हानियोंका विचार करनेकी अपेक्षा यही सोचना अुचित है कि नागरिकोंका लाभ किसमें है। मैं तो यही कहूंगा और दुनिया भी कहेगी कि अगर अैसे साधारण मामलोंमें नागरिक हार जायें, तो वे स्वराज्य भोगनेके योग्य नहीं हैं। स्वराज्यकी योग्यता जैसे अुसके लेनेसे साबित होती है, वैसे ही अुसे कायम रखनेकी शक्तिसे भी साबित होती है। बाहरसे होनेवाले हमलेके बावजूद टिक सकें, तो ही हम शक्तिमान कहलायेंगे। बाहरके कीड़ोंका आक्रमण होने पर भी जो स्वस्थ रह सके, अुसीका शरीर अच्छा माना जायगा। अिस लड़ाअीका केन्द्र शिक्षा है। और मामलोंमें नागरिक अपने हकोंकी रक्षा करें या न करें, परन्तु शिक्षाके मामलेमें वे हार गये तो बिलकुल हारे हुअे माने जायेंगे और साफ तौर पर यही साबित हो जायगा कि नागरिक अभी स्वतंत्र विचार या कार्य करने नहीं लगे हैं। अगर वे टेक छोड़ देंगे तो यह सिद्ध होगा कि प्रतिनिधि कलावान थे, अिसलिये

सरकारके साथ लड़ लेते थे और अुसमें नागरिकोंको मजा आता था, परन्तु वे खुद कुछ करने या सोचनेका कष्ट नहीं अूठाते थे ।

“अिसलिये दोनों शहरोंके नागरिकोंका प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने बच्चोंकी शिक्षा पर स्वयं पूरा अधिकार ही न रखें, बल्कि अुस शिक्षाको अितने सुन्दर आधार पर खड़ी कर दें कि कोअी सरकारी पाठशालामें जानेको ललचाये ही नहीं । . . . ”

बादमें गांधीजी पकड़े गये और १८ मार्चको अुन्हें ६ बरसकी सजा हो गयी । परन्तु अिससे तो अुल्टे अहमदाबादके नागरिकोंका अुन्साह बढ गया । कमेटीने म्युनिसिपल पाठशालाअें जारी रखीं परन्तु वे खाली जैसी रहीं, जबकि सार्वजनिक पाठशालाओंमें विद्यार्थी अुमड़ते रहे । ता० २५-६-'२२ के 'नवजीवन' में सरदारने 'हमारा हिसाब' शीर्षक लेखमें अिसकी तफसील दीये जैसी साफ बताअी है :

“अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको बर्खास्त हुअे चार महीने हो गये । सरकारने म्युनिसिपैलिटीको पदच्युत करके पुनः शिक्षा पर अपना नियंत्रण कर लेनेकी आशा रखी थी । सरकारको सुननेमें प्रिय लगनेवाली बातें ही सुननेकी आदत पड़ी हुअी है, अिसलिये सच्चे हालात अुसे शायद ही जाननेको मिलते है । म्युनिसिपैलिटीको बर्खास्त कर देनेसे सारा आन्दोलन ठप हो जायगा, रूपयेके अभावमें स्वतंत्र पाठशालाअें कोअी चला नही सकेगा, लोग रूपया देंगे नहीं, मा-बाप बच्चोंको नअी सार्वजनिक पाठशालाओंमें भेजनेसे डरेंगे, शिक्षक बेचारे अपंग है और वे स्थायी नौकरी छोड़कर अैसी नअी पाठशालाओंमें हरगिज नही जायेंगे — अैसी अनेक बातें सुनकर व अुन पर विश्वास करके अहमदाबाद और सूरतकी म्युनिसिपैलिटियोंको बर्खास्त किया गया । परन्तु सरकारकी सारी धारणाअें झूठी निकलीं । सार्वजनिक शिक्षामंडलकी तरफसे आज अहमदाबादमें ४३ पाठशालाअें चल रही है । अिनमें १३ कन्या पाठशालाअे है और आठ अुर्दू स्कूल है । पाठशालाओंके मकानोंके लिअे जातियोंकी बाड़ियोंके कअी भव्य और सुन्दर मकान मिल गये है । अिन पाठशालाओंमें २७० शिक्षक काम कर रहे है । अिनमें ६५ प्रतिशत ट्रेन्ड शिक्षक है । अिनमें से १६० म्युनिसिपैलिटीकी नौकरी छोड़कर आये हुअे है । अिस सप्ताहमें विद्यार्थियोंकी संख्या ८४०० तक पहुंच गयी है । मुसलमान लड़कोंकी तादाद ९०४ है । कन्या पाठशालाओंमें २१०७ लड़कियां पढती है । अधिकांश पाठशालाओंमें संख्या अभी भी बढती जा रही है ।



“अब तक ३०,००० हजार रुपया खर्च हुआ है। मासिक खर्च लगभग १०,००० रुपये होगा। सार्वजनिक शिक्षामंडलने अब तक अेक लाख पचीस हजार रुपया चन्दा लिखाया है, जिसके पेटे ५०,००० रुपये बसूल हो गये हैं।

“सरकार द्वारा नियुक्त कमेटीकी तरफसे होनेवाले प्रबन्धमें अभी नयी खोली हुयी दो पाठशालाओंके साथ ५७ पाठशालाअें चल रही हैं। उनमें २५० शिक्षक है और विद्यार्थियोंकी संख्या अधिकसे अधिक २००० के भीतर होनी चाहिये। म्युनिसिपैलिटीके बर्खास्त होनेसे पहले म्युनिसिपल पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंकी संख्या साढ़े दस हजारसे ज्यादा कभी नहीं हुयी थी। अिस हिसाबसे आजकल कमेटीकी पाठशालाओंमें १७०० से कम संख्या होनी चाहिये। कुछ पाठशालाअें तो बिलकुल खाली ही हैं। कुछमें शिक्षकों जितने भी विद्यार्थी नहीं हैं। फिर भी सार्वजनिक पाठशालाओंको तोड़नेकी आशासे दस हजार विद्यार्थी थे अुस समय जितनी पाठशालाअें चलती थीं, उनमें दो बढ़ाकर ५७ पाठशालाअें १६००-१७०० विद्यार्थियोंके लिये चलायी जा रही है।”

ता० १३-८-२२ के ‘नवजीवन’ में ‘स्थानीय स्वराज्यकी दुर्दशा’ शीर्षक लेखमें प्रान्तकी म्युनिसिपैलिटियोंके विषयमें सरदार लिखते हैं :

“७५ फीसदी म्युनिसिपैलिटियां मौतके किनारे पर हैं। जहां देखिये वहां आमदनीसे खर्च बहुत बढ़ गया है। अधिक कर लगानेकी गुजाअिश नहीं रही। शिक्षा-विभागका प्रबन्ध होशियार मंत्रीके हाथमें है। अुन्होंने शिक्षकोंके वेतनका दर्जा तय कर दिया, परन्तु अुसके अनुसार म्युनिसिपैलिटियां वेतन दे सकेंगी या नहीं, अिसका विचार अुन्होंने नहीं किया दीखता है। म्युनिसिपैलिटियां यह भार अुठा नहीं सकतीं। और सरकार कोअी मदद दे नहीं सकती। . . . अितने पर भी प्रान्तकी बड़ीसे बड़ी दो म्युनिसिपैलिटियोंने शिक्षाका प्रबन्ध अपने खर्च पर अपने हाथमें लेनेका प्रयत्न किया तो सरकारको सहन नहीं हुआ। . . . सरकारी शिक्षा-विभागके नियमोंमें से तीसरे नंबरके (सरकारी अिस्पेक्टरोंको परीक्षा लेने और निरीक्षण करने देनेके ) नियमका अहमदाबाद, सूरत और नड्डियादकी म्युनिसिपैलिटियोंने भंग किया, अिसलिये सरकारकी अुन म्युनिसिपैलिटियों पर नाराजी हुअी। आज ७५ प्रतिशत म्युनिसिपैलिटियां दूसरे नंबरके (सरकार द्वारा निश्चित वेतन शिक्षकोंको देने वगैराके) नियमका भंग कर रही हैं, क्योंकि अुस नियमका पालन करने लायक रुपया नहीं है। परन्तु सरकार अुनका कुछ नहीं कर सकती। साथ ही

अस नियमके पालनके लिअे कोअी मदद भी नहीं दे सकती, क्योंकि जब सरकारके पास अपने अधीन विभाग चलानेके लिअे ही काफ़ी रूपया नहीं है, तो वह जनताके प्रति जिम्मेदार विभागोंको कहाँसे सहायता दे ?”

ता० ९-२-२४ से अहमदाबादमें सार्वजनिक म्युनिसिपैलिटी फिरसे अस्तित्वमें आओ, तो भी सार्वजनिक शिक्षामंडल द्वारा खोली गओ पाठशालाओं कायम रखी गओ और म्युनिसिपैलिटीने अुन पाठशालाओंको चलानेके लिअे सार्वजनिक शिक्षामंडलको डेढ़ लाख रूपयेकी सहायता दी। कानूनके अनुसार सरकार द्वारा मंजूर न की गओ शिक्षा-संस्थाओंको म्युनिसिपैलिटी ग्रांट दे सकती है। अस समयके शिक्षा-विभागके डाअिरेक्टर मि० लॉरीको खयाल हुआ कि अितने अधिक बच्चे सरकारी शिक्षा-विभागके बाहर और सरकार द्वारा अमान्य पाठशालाओंमें पढ़ें यह ठीक नहीं। असके कारण सरकारी शिक्षा-विभागकी प्रतिष्ठाकी हानि तो होती ही थी। असलिअे अस समयके अुत्तरी विभागके अेज्युकेशनल अिस्पेक्टर श्री वकीलके मार्फत अुन्होंने बातचीत करना शुरू किया। कांग्रेसमें भी परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दलोंके बीचके वादविवादके कारण विदेशी कपड़ेके सिवाय दूसरे बहिष्कारोंके बारेमें आग्रह न रखनेका वातावरण पैदा होने लगा था। असलिअे सरदारको लगा कि अब पाठशालाओं पर यदि नाममात्रका सरकारी नियंत्रण आता है, तो अुससे घृणा करनेका समय नहीं रहा। श्री वकील और म्युनिसिपल स्कूलस कमेटीके सेक्रेटरी श्री प्राणलाल देसाओमें अवैध ढंग पर बातें हो चुकीं और भूमिका तैयार हो गओ, तो मि० लॉरी सब बातें पक्की करनेके लिअे अहमदाबाद आये और म्युनिसिपैलिटीके साथ समझौता किया। असके परिणामस्वरूप ता० १६-९-२४ से सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षामंडलकी तरफसे चलनेवाली सब पाठशालाओं बन्द कर दी गओ। डाअिरेक्टरने स्वीकार किया कि म्युनिसिपैलिटीने सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षामंडलको जो डेढ़ लाखकी ग्रांट दी थी, अस पर शिक्षा-विभाग कोअी आपत्ति नहीं करेगा। म्युनिसिपैलिटीके जो पुराने शिक्षक म्युनिसिपैलिटीकी नौकरी छोड़कर सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा-मंडलकी पाठशालाओंमें शरीक हो गये थे, अुन्हें वापस म्युनिसिपैलिटीकी नौकरीमें ले लिया गया। समझौतेकी शर्तोंके अनुसार बीचके समयकी अुनकी अवैतनिक छुट्टी मान ली गओ और अुन्हें तरक्कीमें नुकसान न अुठाना पड़े असके लिअे लगभग ढाओ वर्षकी पेशगी वेतन-वृद्धि दे दी गओ।

श्री प्राणलाल देसाओके मामलेमें कमिश्नर मि० ग्रैट फिर सामने आये। अुनके वेतनका २०० से ४०० रूपयेका ग्रेड कमिश्नरने मंजूर नहीं किया था। समझौता करते समय सरदारने आग्रह किया कि यह पहले मंजूर होना चाहिये

और वह भी मार्च १९२१ से, जब प्राणलाल देसाजीका सरकारी नौकरीमें २०० रुपया वेतन हुआ उसी तारीखसे, मंजूर होना चाहिये। मि० लॉरीने जवाब दिया कि “यह मंजूर करा देना मेरे जिम्मे रहा, आप इस मामलेमें कमिश्नरको फिर लिखिये।” जिसके बारेमें लिखा गया तो कमिश्नरने ग्रेड तो मंजूर कर दिया, परन्तु ‘रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता’ के ढंग पर उसने स्वीकृतिके पत्रमें लिखा:

“स्कूलस कमेट्रीके सेक्रेटरीका २२५ से ४०० रुपये तकका वेतन मुझे अधिक मालूम होता है। साथ ही मेरा यह खयाल होनेके कारण कि श्री देसाजीने जो सरकारी नौकरीसे अस्तीफा देकर सदाके लिये म्युनिसिपैलिटीकी नौकरी स्वीकार की है उसके बदलेमें पुरस्कारके तौर पर उन्हें यह वेतन दिया जा रहा है, मैंने सन् '२१ में यह ग्रेड मंजूर नहीं किया था। आज भी मेरी तो वही राय बनी हुई है और इसलिये मैं खुद तो यह ग्रेड मंजूर करनेके विरुद्ध हूँ। परन्तु शिक्षा-विभागके डायरेक्टर मुझसे खास तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि मैं यह ग्रेड मंजूर कर लूँ। इसलिये इस आग्रहके वश होकर अपनी मरजीके विरुद्ध मुझे यह ग्रेड मंजूर करना पड़ रहा है।”

इस प्रकार पाठशालाओंका कांड निपट गया, परन्तु सरकारने उसे आसानीसे निपटने नहीं दिया था। म्युनिसिपैलिटीकी बर्खास्तगीके बाद तुरन्त अिन पाठशालाओंको चलानेमें जब ता० १-३-२१ को म्युनिसिपैलिटीने शिक्षा-विभागको परीक्षाओं न लेने और निरीक्षण न करने देनेका प्रस्ताव पास किया तबसे लेकर ता० १७-१२-२१ तक, जब कमिश्नरके हुक्मसे डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने स्कूलस कमेट्रीके दफ्तर पर कब्जा किया, तक हुअे खर्चके १६८६०० रुपये म्युनिसिपैलिटीके जिन १९ कौंसिलरोंने उसे प्रस्ताव पास करनेमें भाग लिया था, उनसे वसूल करनेके लिये सरकारने उन पर अहमदाबादके डिस्ट्रिक्ट कोर्टमें दावा दायर कर दिया। सरकारी वकीलकी मुख्य दलील यह थी कि अेक्टकी दफा ५८ के अनुसार बनाये गये नियम २ और ३ का तथा ‘वर्नाक्युलर मास्टर्स कोड’ (गुजराती शिक्षकोंके लिये कानून) के नियम ७ का म्युनिसिपैलिटीने भंग किया है, इसलिये उसने पाठशालाओं कानूनके अनुसार नहीं चलायीं; और कानूनको ताकमें रखकर पाठशालाओं चलानेमें जो खर्च हुआ है, वह म्युनिसिपल रुपयेका दुरुपयोग (misapplication) है जिसके लिये १९ कौंसिलर अलग-अलग और अेक साथ जिम्मेदार हैं। सरकारकी तरफसे पैरवी सरकारी वकील रा० ब० गिरधरलाल पारेखने की थी। अभियुक्तोंकी तरफसे अलग-अलग वकील किये गये थे। यद्यपि सरदार,

बलुभाओी, दादासाहब मावलंकर, डॉ० कानूगा, कृष्णलाल देसाओी तथा कालिदास झवेरीने किमीको वकील नहीं बनाया था, परन्तु सभी अभियुक्तोंकी तरफसे दी० ब० हरिलालभाओीने दावेकी पैरवी की थी और श्री दादासाहब अनुक सहायक थे। तश्योंके बारेमें तो कोओी मतभेद था ही नहीं।

सरकारी नियंत्रणको तोड़कर चलाओी गओी पाठशालाओंके सिलसिलेमें हुअे खर्चको म्युनिसिपल रूपयेका दुरुपयोग कहा जा सकता है या नहीं, असिी कानूनी सवालका जजको निर्णय करना था।

मुकदमेमें अकेले स्कूल्स कमेटीके सेक्रेटरी श्री प्राणलाल देसाओीका ही बयान लिया गया और वह भी मुद्दओीकी तरफसे। म्युनिसिपल अक्टके अनुसार बनाये गये नियम नं० २ में पाठचक्रम, पाठच-पुस्तकों और शिक्षकों सम्बन्धी बातें हैं और गुजराती शिक्षकों सम्बन्धी नियमोंकी सातवी धारामें मुलाकातियोंको आने देने और अनुकी मुलाकातोंकी याददाश्त रखनेकी बातें हैं। श्री प्राणलाल देसाओीने अपने बयानमें कहा कि दावेके अरसेमें पाठशालाओकी व्यवस्थाके मापदंडमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया था। पाठचक्रम और पाठच-पुस्तकें जैसी पहले थी वैसी ही जारी रखी गओी हैं। शिक्षकोंको भी निश्चित किये गये ग्रेडके अनुसार वेतन दिया गया है। पाठशालाअें मुलाकातियोंके लिअे खुली रखी जाती थीं, मुलाकाती मुलाकातोकी किताबमें जो कुछ लिखते असकी नकल स्कूल्स कमेटीके दफ्तरमें भेजी जाती थी और वहीं असकी फाइल रहती थी। अस परसे जजने तय किया कि नं० २ और शिक्षकों सम्बन्धी नियम विलकुल भंग नहीं हुअे।

नियम नं० ३ के अनुसार शिक्षा-विभागके निरीक्षकोंको पाठशालाओंकी परीक्षाअें लेने और निरीक्षण करनेका अधिकार है। म्युनिसिपैलिटीने अैसा नहीं करने दिया। अस बारेमें जजने फैसला दिया :

“यह स्पष्ट है कि असने यह नियम भंग किया है। सरकारी निरीक्षकोंको परीक्षा न लेने दी और निरीक्षण न करने दिया, म्युनिसिपैलिटीका यह काम गैरकानूनी था। परन्तु अससे पाठशालाअें चलानेका असका काम असके अधिकारसे बाहर नहीं ठहरता। पाठशालाअें चलानेका फर्ज तो कानूनने ही अस पर डाला है और असे असने खर्चकी अेक-अेक तफसील बजटमें पास कराकर व योग्य अधिकारीकी मंजूरी लेकर पूरा किया है। असलिअे पाठशालाअें चलानेका असका काम तो कानूनके अनुसार ही था। सिर्फ अस कानूनके अनुसार कामको अमलमें लानेमें असने अेक गैरकानूनी काम किया। परन्तु अससे यह नहीं माना जा सकता कि अस कानूनके

अनुसार काम पर खर्च किया हुआ रुपया उसके अधिकारके बाहर और मलत तौर पर खर्च किया गया है।”

असि निर्णयके समर्थनमें अपने कारण देते हुअे जज कहते हैं कि :

“हम म्युनिसिपल अेक्टका पृथक्करण करें, तो जान पड़ता है कि कानूनकी मूल धाराओंमें और साथ ही अनुके अनुसार तैयार किये गये नियमोंमें असि बातकी विविध पद्धतियां बतायी गयी हैं कि कार्यकारी अधिकारी नियंत्रण किस तरह रखें और ये हिदायतें भी दी गयी हैं कि म्युनिसिपल कर्मचारी अपना फर्ज किस तरह अदा करें। असि प्रकार अेक्टकी धारा १७३ के अनुसार कलेक्टरको अधिकार दिया गया है कि म्युनिसिपैलिटीका कोयी भी काम हो रहा हो, तो वह वहां जाकर उसका निरीक्षण कर सकता है। अब अुदाहरणके लिअे मान लीजिये कि जनरल बोर्डके प्रस्ताव द्वारा कलेक्टरको वाटर वर्क्सके दालानमें घुसने और उसका निरीक्षण करनेसे रोक दिया गया, तो क्या वाटर वर्क्स पर किया जानेवाला तमाम खर्च म्युनिसिपल कोषका दुरुपयोग (misapplication) माना जायगा ? असि तरह पाठशालाओं पर नियंत्रण रखनेके जो नियम बनाये गये हैं, उनमें दूसरे नम्बरका नियम कहता है कि म्युनिसिपल शिक्षकोंको निश्चित दरके अनुसार वेतन देना चाहिये। अब अगर रुपयेकी कमीके कारण कोयी म्युनिसिपैलिटी अपने शिक्षकोंको निश्चित दरसे कम वेतन दे — और सभी जानते हैं कि अैसा तो बहुतसी म्युनिसिपैलिटियोंमें होता है — तो क्या अनुके कौंसिलर फंडके दुरुपयोगके लिअे जिम्मेदार समझे जायेंगे ? दूसरा अुदाहरण लें। गुजराती शिक्षकोंके नियमोंके पहले अध्यायके चौथे नियमके अनुसार यह देखना शिक्षकोंका फर्ज है कि पाठशालामें विद्यार्थी साफ कपड़े पहनकर और साफ शरीर रखकर आयें। पांचवें नियममें बताया गया है कि पाठशालाका मकान और दालान स्वच्छ और व्यवस्थित रखनेके लिअे हेडमास्टर जिम्मेदार है। पांचवें अध्यायके आठवें नियममें लिखा है कि कक्षाके कमरेमें हेडमास्टरके हस्ताक्षरवाला समयपत्रक टंगा हुआ होना चाहिये। तो क्या सचमुच यह दलील दी जा सकती है कि गुजराती शिक्षकों सम्बन्धी नियमोंमें से, जिनका स्पष्ट अुल्लेख नियंत्रण सम्बन्धी नियमोंमें से दूसरे नंबरके नियममें किया गया है, कोयी नियम भंग करनेसे प्राथमिक पाठशालाअें स्थापित करने और चलानेमें किया गया खर्च उस कोषका दुरुपयोग समझा जाय ? असि प्रकार देखें तो विद्वान सरकारी वकीलने जोशके साथ जो दलीलें दी हैं, उनका निचोड़ हमें बेहूदी स्थितिमें पहुंचा देता है।

“परन्तु सरकारी वकीलने यह दलील दी है कि शिक्षा-विभागका नियंत्रण कायम रखना कानूनके अनुसार दी जानेवाली प्राथमिक शिक्षाके लिये अनिवार्य है, नहीं तो इसका भरोसा क्या कि ठीक तरहकी शिक्षा दी जायगी? इसका संक्षिप्त उत्तर अतना ही है कि जो कथित अनुचित शिक्षा दी जा चुकी, उस पर हुआ कथित नाजायज खर्च कौंसिलरोंसे वसूल करनेका यह दावा दायर किया गया है, परन्तु यह दावा नाजायज खर्च रोकनेका नहीं है। . . . ट्रस्ट फंडको नुकसान पहुंचे ऐसे ढंगसे होनेवाले कानून-भंगको रोकनेका अुपाय करना और जो रुपया खर्च हो चुका है—भले ही वह गलत तौर पर खर्च हुआ कहा जाय—अुसे वसूल करनेकी कार्रवाजी करना अिन दोनोंमें बड़ा फर्क है। शायद यह कहा जाय कि म्युनिसिपल कौंसिलरोंने कानूनके विरुद्ध चलकर सरकारी नियंत्रणको मिटा दिया, असिलिये अुन्होंने ट्रस्टके नियमोंका भंग किया। परन्तु ऐसे नियम-भंगको रोकनेका अुपाय तो मनाहीका हुकम प्राप्त करनेके लिये अर्जी देना है। जब ट्रस्टके नियमोंका भंग होनेसे ट्रस्ट फंडको नुकसान पहुंचे, तभी ट्रस्टी निजी तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं। मौजूदा मामलेमें ट्रस्ट फंडको हरगिज कोअी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि फंडका अुपयोग जायज कामके लिये ही किया गया है। असिलिये मैं नहीं समझ सकता कि कौंसिलरोंको निजी तौर पर जिम्मेदार कैसे माना जा सकता है। . . . मेरा तो यह खयाल है कि म्युनिसिपल अेक्टकी ५८ वीं धाराके अनुसार नियंत्रण रखनेके जो नियम बनाये गये हैं, वे मार्गदर्शक हैं, आज्ञारूप नहीं। म्युनिसिपैलिटी अुन नियमोंको भंग करे, तो जरूर यह अुसके लिये अधिकारके बाहर और गैरकानूनी माना जा सकता है। अितने पर भी म्युनिसिपैलिटीका किया हुआ खर्च अुसके अधिकारके भीतर है और गैरकानूनी नहीं है।

“अिस प्रकार अिस मामलेको किसी भी दृष्टिसे देखा जाय, धाराकी भाषाकी दृष्टिसे देखें या म्युनिसिपल अेक्टकी सारी योजनाकी दृष्टिसे देखें, या जिन कामोंको अनधिकार माना जाता है, अुससे सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धांतकी दृष्टिसे देखें या ट्रस्टके और रुपयेके दुरुपयोगके नियमोंकी दृष्टिसे देखें, मेरे खयालसे मुद्दीने गलत कार्रवाजी की है और कानूनके अनुसार अुसका दावा कायम नहीं रह सकता।

“अिसलिये यह दावा खारिज किया जाता है। प्रतिवादियोंका खर्च वादी दे और अपना स्वयं बरदाश्त करे।”

मामला बड़ा रस्साकशीका था, जिसलिअे दोनों तरफके वकीलोंने बड़ी लम्बी बहस की थी और जजका फैसला भी बहुत लम्बा था। मैंने तो उसका सार बहुत ही संक्षेपमें ऊपर दिया है।

डिस्ट्रिक्ट जजने अपना फैसला ता० १४-४-२३ को दिया। उसके बाद इस मुकदमेके बारेमें सरदारने ता० २२-४-२३ के 'नवजीवन'में अेक लेख लिखा। उसमें अुन्होंने बताया :

“... कानून और व्यवस्था (Law and Order)के नाम पर अनेक प्रकारकी अनीति करनेकी सरकारको जो आदत पड़ी हुअी है, उसीके अनुसार इस काममें भी किया गया है। जिन १९ सदस्योंने शिक्षा परसे सरकारका नियंत्रण दूर करनेके लिअे लड़ाी छेड़ी थी, उनसे शिक्षा पर 'गलत तौर पर किये गये' खर्चकी रकम वसूल करनेके लिअे दावा किया गया। प्राथमिक शिक्षा पर जो वाजिब खर्च करनेके लिअे म्युनिसिपैलिटी कानून द्वारा वंधी हुअी है, वह खर्च करनेके लिअे उसके सदस्योंसे वसूल करनेके लिअे लाखों रुपयेका दावा करनेकी सरकारको हिम्मत हो और वह भी सुधारोंके राज्यमें — जबकि स्थानीय स्वराज्यका महकमा लोकप्रिय मंत्रीके हाथोंमें सौप दिया गया है — तो स्थानीय स्वराज्यके नामसे होनेवाले पाखंडका और क्या प्रमाण चाहिये ?

“अहमदाबादमें सरकारकी हार हुअी। अदालतने सरकारका दावा खारिज किया और फैसला दिया कि प्रतिवादियोंका खर्च सरकार दे। इससे कुछ लोगोंको आश्चर्य होता है। यह स्वाभाविक है कि अन्याय सहनेकी अभ्यस्त जनताको कभी न्यायके दर्शन हो जायं तब आश्चर्य होता है। परन्तु अैसे कभी-कभी होनेवाले न्यायसे जनता धोखेमें आती है। असलमें इस मामलेमें न्याय प्राप्त करनेका प्रयत्न थोडे ही था। अैसे खुले अन्यायकी मांग करनेका साहस तो सरकारका ही हो सकता है, क्योंकि अुसे हुकूमतका सहारा है। सरकारी वकीलने यह मामला जितना हो सके जल्दी चलानेकी अदालतको अर्जियां दीं। जल्दी फैसला हो जानेसे सरकारको कुछ मिलनेवाला नहीं था। परन्तु सरकार मामलेमें असाधारण दिलचस्पी ले रही है अैसा अदालत पर असर डालनेका और इससे जितना लाभ अुठाय जा सकता हो अुतना अुठा लेनेका अेक आम तरीका हो गया है। न्याय-विभाग सरकारके हाथमें है। उसके अुच्चाधिकारीको हजारों रुपया वेतन दिया जाता है। सरकारी वकीलको भी बड़ा वेतन मिलता है और सरकारी वकीलके बगैर इस राज्यमें कोअी अदालत होती ही नहीं। कानूनकी अितनी अधिक मदद होने पर भी यह दावा करनेका साहस

सरकारको कैसे हुआ होगा ? अिस दावेमें हुआ खर्च और प्रतिवादियोंको जो खर्च देना पड़ेगा वह सब रुपयेका सदुपयोग माना जायगा या दुरुपयोग (misapplication)? सरकारी वकीलको अैसे खुले अन्यायपूर्ण दावेकी पैरवी करनेके बदलेमें जो बड़ी फीस मिलेगी, क्या वह भी रुपयेका सदुपयोग समझा जायगा ? रुपयेका अैसा सदुपयोग करनेवाली साहकारोंकी टोली, अपना रुपया अपने बच्चोंकी शिक्षा पर खर्च करनेवालोंको रुपयेका दुरुपयोग करनेवाले ठहरानेका दावा करें, यह पाखंड तो अिसी राज्यमें चल सकता है ! अगर स्थानीय स्वराज्यका महकमा लोकप्रिय मंत्रीके हाथमें न होता, तो अितना साहस हरगिज न होता ।

“अहमदावादके करदाताओंमें से किसीको अपने रुपयोंका दुरुपयोग या कुप्रबन्ध होता नहीं दिखता । करदाताओंको दावा करनेका अधिकार है, परन्तु कोअी दावा नहीं करता । सरकारको यह अच्छी तरह मालूम था कि जनताके प्रतिनिधियोंने जनताकी सम्मतिसे ही यह खर्च किया था और सरकारके विरुद्ध लड़ाअी छेड़ी थी । फिर भी सरकारको करदाताओंके हितके लिअे यह दावा करनेका झूठा ढोंग करनेकी क्यों जरूरत पड़ी, यह किसीसे छिपा नहीं होगा ।”

डिस्ट्रिक्ट जज और लोगोंके अितने थपड़े लगने पर भी सरकारने हाअीकोर्टमें अपील की । वहां अुसकी अपील खर्च सहित खारिज कर दी गअी ।



## नड़ियाद और सूरत म्युनिसिपैलिटीकी लड़ाई

अिसी समय नड़ियाद और सूरतकी म्युनिसिपैलिटियोंने भी सरकारके शिक्षा-विभागके साथ असहयोगकी लड़ाई चलायी थी। बुसकी तमाम बातोंमें तो नहीं (क्योंकि यह चीज स्वाभाविक तौर पर ही स्थानीय कार्यकर्त्ताओंके हाथमें रहती है), परन्तु मुख्य मुद्देके बारेमें सरदारका पथ-प्रदर्शन था। असलिअे अुन दोनों म्युनिसिपैलिटियोंकी लड़ाअियोंका हाल संक्षेपमें यहां दे देना अुचित होगा।

नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीने तो अहमदाबादसे भी जल्दी लड़ाई शुरू कर दी थी। अगस्त १९२० में अहमदाबादमें हुअी गुजरात राजनैतिक परिषदमें और सितम्बरमें कलकत्तेमें हुअी कांग्रेसके विशेष अधिवेशनमें सरकारके साथ असहयोग करनेका प्रस्ताव पास करनेके बाद तुरन्त ही नड़ियादमें श्री गोकुलदास द्वारकादास तलाटी और फूलचन्द बापूजी शाहने नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीकी तमाम पाठशालाओंको असहयोगी बना डालनेके लिअे लोकमत तैयार करनेको अलग-अलग मुहल्लोंमें सभाअें करना शुरू कर दिया। अन्तमें ता० १-१०-'२० को नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीके करदाताओंकी सार्वजनिक सभामें प्रस्ताव पास किया गया कि :

“शिक्षाके मामलेमें असहयोग करनेके लिअे यह सभा म्युनिसिपैलिटीको मिलनेवाली शिक्षाकी ग्रांट छोड़ देनेके लिअे म्युनिसिपैलिटीके तमाम प्रतिनिधियोंसे आग्रहपूर्वक अनुरोध करती है।”

अिस प्रस्तावका विचार करनेके लिअे म्युनिसिपैलिटीके सदस्य सन्तराम महाराजके मन्दिरमें अिकट्टे हुअे। वहां म्युनिसिपल सदस्योंके सिवाय दूसरे कार्यकर्त्ता भी बुलाये गये थे और अिस बाग्में रास्ता दिखानेके लिअे सरदारको विशेष निमंत्रण दिया गया था। सरदारने म्युनिसिपल कानूनकी अच्छी तरह छानबीन करके अिस बातकी कल्पना कराअी कि असहयोगका निश्चय करनेमें सदस्य कितनी जिम्मेदारी अुठायेंगे और सरकारके साथ किया जानेवाला असहयोग लोगोंसे कितना सहयोग मिलने पर सफल होगा। अुन्होंने सलाह दी कि सदस्य दृढ़ रहें और लोगोंके साथका भरोसा हो तो यह कदम अुठाय़ा जाय। बादमें ता० ८-१०-'२० की म्युनिसिपल बोर्डकी बैठकमें श्री फूलचन्दभाअीने यह प्रस्ताव पेश किया :

“चूँकि कलकत्तेकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने असहयोगका प्रस्ताव पास कर दिया है, असलिये यह बोर्ड निश्चय करता है कि सरकारको सूचना दे दी जाय कि हम प्राथमिक शिक्षाके लिये सरकारी ग्रांट नहीं लेना चाहते और अपनी प्राथमिक पाठशालाओं सरकारके नियंत्रणके बिना चलाना चाहते हैं। असलिये सरकार प्राथमिक शिक्षाके लिये हमें दी जानेवाली ग्रांट बन्द कर दे।”

यह प्रस्ताव ९ विरुद्ध ४ मतोंसे पास हो गया।

खेड़ा जिलेके कलेक्टरने म्युनिसिपैलिटीकी आर्थिक स्थितिकी तरफ ध्यान दिलाकर प्रस्ताव पर फिर से विचार करनेकी सलाह दी। म्युनिसिपल बोर्डने प्रस्ताव करके सूचना दे दी कि “हमने पहला निश्चय सब पहलुओं पर विचार करके ही दिया है। लोगोंसे चन्दा करके रुपयेका प्रबन्ध कर लेनेका हमने विचार किया है और सारी मौजूदा परिस्थिति देखकर कांग्रेसने जो आदेश दिया है उस पर किसी भी कीमत पर अमल करनेका हमारा निश्चय है। हमने यह कार्रवाही करदाताओंकी अच्छाके अनुसार ही की है।” शिक्षा-विभागकी तरफसे पूछा गया कि “अभी जो शिक्षक म्युनिसिपैलिटीकी नौकरीमें हैं, उन्हें आप रखना चाहते हैं या नहीं?” असे जवाब दे दिया गया कि “शिक्षा-विभागसे स्वतंत्र होकर जो शिक्षक पूरी तरह म्युनिसिपैलिटीके नौकर बनकर रहनेको तैयार हों उन्हें हम रखना चाहते हैं।” अिस बारेमें शिक्षकोंके साथ भी सफाई कर ली गयी और जिन्हें सरकारी नौकरी पर लौट जाना था, उन्हें मुक्त करके उनकी जगह दूसरे शिक्षकोंका अिन्तजाम कर दिया गया।

अिसी बीच अुत्तरी विभागके अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरने सूचना दी कि पाठशालाओंमें परीक्षा लेने और निरीक्षण करनेके लिये मैं अपने अिस्पेक्टरोंको फलां तारीखको भेजूंगा। म्युनिसिपैलिटीने अुन्हें जवाब दिया कि हमने परीक्षाओं स्वतंत्र रूपमें ले ली हैं और हम सरकारका नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहते; असलिये परीक्षाओं या निरीक्षणके लिये न आप आअिये और न किसी अिस्पेक्टरको ही भेजिये। साथ ही म्युनिसिपैलिटीके स्कूल बोर्डने पाठशालाओंका पाठचक्रम भी नये सिरेसे तैयार किया और तमाम पाठशालाओंको गूजरात विद्यापीठके साथ जोड देनेका निश्चय किया। म्युनिसिपैलिटीसे लौटकर आये हुअे शिक्षकोंको चूँकि नड़ियादमें ही रखनेका वचन दिया हुआ था और वे वफादारीका बदला मांगते थे, असलिये सरकार अुन्हें देहातमें नहीं भेज सकी। अिस प्रकार यद्यपि विद्यार्थियोंके हिसाबसे शिक्षकोंकी संख्या बड़ी थी

और अन्हें पूरा काम नहीं दिया जा सकता था, फिर भी तमाम शिक्षकोंको नड़ियादमें रखकर सरकारने अपने खर्चसे अलग पाठशालाओं खोलीं। इस प्रकार सरकारने म्युनिसिपैलिटीके विरुद्ध स्पर्धा शुरू की। परन्तु सरकारी पाठशालाओंमें बच्चोंकी संख्या बहुत कम रही और शिक्षक बेकार-से रहे। अुनकी गलत सलाहसे शिक्षा-विभागने कलेक्टरको सूचित किया कि म्युनिसिपैलिटीकी पाठशालाओंके तीन मकानों पर सरकारका हक माना जा सकता है। असलिये अुन पर कब्जा कर लिया जाय, तो अुनमें सरकारी पाठशालाओं लगा दी जायं और म्युनिसिपैलिटीकी असहयोगी पाठशालाओंको धक्का पहुंचे। कलेक्टरने ता० ८-३-२१ को अुन मकानोंको तुरन्त खाली कर देनेकी म्युनिसिपैलिटीको सूचना दी, परन्तु म्युनिसिपैलिटीने अुन मकानों पर अपना हक बताकर कब्जा नहीं सौपा। इस पर कलेक्टरने कानूनको ताकमें रखकर पुलिसकी मददसे पाठशालाओंके मकानोंके ताले तोड़कर जबरदस्ती मकानों पर अधिकार कर लिया। इस सम्बन्धमें 'नवजीवन'के प्रतिनिधिसे मुलाकात करते हुअे सरदारने कहा :

“जिन तीन मकानोंका कब्जा सरकारने जबरन ले लिया है, अुन तीनोंमें से अेक भी मकान पर मेरी जानकारीमें सरकारका स्वामित्व नहीं है। अेक मकान 'अिन्फेन्टीसाअिड फंड' से बनाया हुआ है, दूसरा ज्यादातर लोगोंकी मददसे बना है और तीसरे मकानके स्वामित्वके बारेमें झगड़ा है। साथ ही ये मकान जिन शर्तों पर म्युनिसिपैलिटीको दिये गये हैं, वे भंग नहीं की गयीं। अितने पर भी कब्जा कर लेनेका सरकारका हक मान लें, तो भी १२ घंटेके भीतर अधिकार सौंपनेके लिये म्युनिसिपैलिटीको नोटिस देना और तदनुसार अधिकार न मिले तो हथियारबन्द पुलिसकी मददसे अधिकार कर लेना तो खेड़ा जिलेमें डाकुओं द्वारा बदला लेनेके पत्र भेजकर धाड़ा डालनेकी धमकी देकर लोगोंसे रुपया अंठने जैसा है। वार्षिक किरायेनामे पर मकान किराये लेनेवाले किरायेदारको भी कमसे कम अेक महीनेका नोटिस पानेका अधिकार होता है। तब लगभग ३५ वर्षसे जो मकान दानमें दिये हुअे कहे जाते हैं, अुनका कब्जा १२ घंटेके भीतर मांगना और म्युनिसिपल अध्यक्षको म्युनिसिपैलिटीकी राय लेने तकका समय न देना अुचित है या अनुचित, इस बारेमें किसीकी रायकी जरूरत मालूम नहीं होती। परन्तु यह सरकार अैसी कार्रवायी करे, इसमें मुझे कोअी आश्चर्य नहीं होता। आजकल सरकार आम तौर पर अुचित समझे जानेवाले काम शायद ही करती है।”

अुसी मुलाकातमें आगे चलकर सरदार कहते हैं :

“अिन मकानों पर कब्जा करनेके लिअे सरकारको दीवानी अदालतमें जाना चाहिये था। परन्तु सरकारने जबरदस्ती की, असलिअे अभी तो कब्जा छोड़नेके सिवाय म्युनिसिपैलिटीके पास दूसरा मार्ग नहीं था। असहयोगका सिद्धान्त स्वीकार कर लेनेके कारण वह अदालतमें जाकर मनाहीका हुक्म ले सकनेकी स्थितिमें नहीं थी। अिन मकानों पर कब्जा करनेमें सरकारका अुद्देश्य नड़ियादमें होनेवाले असहयोगके आन्दोलनको हानि पहुंचाना है। परन्तु यह स्पष्ट है कि अगर नड़ियादके लोग अिन मकानोंमें सरकार जो पाठशालाअें खोलनेका अिरादा रखती है, अुनमें अपने बच्चोंको न भेजें तो सरकारको अिन मकानों पर कब्जा करके कोअी फायदा नहीं होगा।” ( नवजीवन, १३-३-२१ )

जैसा सरदारने अूपर बताया है, जबरदस्ती मकानों पर कब्जा कर लेनेसे सरकारका अुद्देश्य पूरा नहीं हुआ और सरकारी पाठशालाअें लगभग खाली-सी ही रहीं। कुछ मास बीतनेके बाद सरकारको किसी समझदार आदमीने सलाह दी होगी कि तुम्हारा यह काम बिलकुल कानूनके विरुद्ध है और अुसे माननेकी अुसे सदबुद्धि आअी होगी, असलिअे सरकारने अपने आप ये मकान म्युनिसिपैलिटीको वापस सौंप दिये और अपनी पाठशालाअें वह दूसरी जगह ले गअी।

अिस बीच सरकारने दूसरी चाल चलनेका प्रयोग कर देखा। ता० ५-४-२१ को बम्बअी सरकारने अेक बयान प्रकाशित किया, जिसमें नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीकी सारी परिस्थितिका वर्णन करके कहा कि :

“म्युनिसिपैलिटीने जो प्रयोग शुरू किया है, अुसकी अुचित परीक्षा न हो जाय तब तक सरकार दखल देना नहीं चाहती। . . . जब तक म्युनिसिपैलिटी अुस पर कानून द्वारा डाला हुआ कर्त्तव्य पालन करती रहेगी, तब तक वह अपना खर्च अपने कोषसे करती रहे अिसमें कोअी हर्ज नहीं। म्युनिसिपैलिटीका यह कार्य स्वागत करने योग्य है, क्योंकि अिससे शिक्षाके लिअे खर्च होनेवाली जो रकम सरकारके पास बचेगी वह कम समृद्ध प्रदेशोंमें अिस्तेमाल की जा सकेगी। हां, म्युनिसिपैलिटीने जैसी शिक्षा देनेका विचार किया है, वह नड़ियादके जिन मां-बापोंको अपने बच्चोंके लिअे न चाहिये, अुनके लिअे सरकारका अलग पाठशालाअें खोलना स्वाभाविक है; और सरकार आशा रखती है कि खुद म्युनिसिपैलिटीको जो स्वतंत्रता मिली है, वैसी ही स्वतंत्रता वह अिन पाठशालाओंको भोगने देगी।”

यह बयान म्युनिसिपैलिटीके असहयोगी सदस्योंमें यह विश्वास पैदा करनेका कारण बना कि सरकारका विरोध अिस प्रयोगसे नहीं है और

सरकारकी अुसके साथ हमददीं न हो तो भी अरुचि तो हरगिज नहीं है। यद्यपि सरकारके अैसे रवैयेकी तहमें अुसका अनुमान तो यह था कि रुपये और व्यवस्थाकी कठिनाअियोंके कारण म्युनिसिपैलिटी सरकारकी मददके बगैर स्वतंत्र रूपमें पाठशालाअें अधिक समय तक नहीं चला सकेगी। परन्तु सरकारका यह अनुमान गलत निकला। लोकमतका अन्दाज लगानेमें सरकार और म्युनिसिपैलिटीमें लगभग अेक वर्ष तक स्पर्धा चलती रही। जब सरकारने देख लिया कि असमें म्युनिसिपैलिटी थक नहीं रही है, तब अुसने अपनी चाल बदली। ता० २३-९-२१ को अेक प्रस्ताव प्रकाशित करके अहमदाबाद, नडियाद और सूरतकी तीनों म्युनिसिपैलिटियोंको सूचना दी गयी कि आप सरकारी नियंत्रण हटाकर पाठशालाओं पर जो खर्च कर रहे हैं, वह म्युनिसिपल फंडका दुरुपयोग (misapplication) है। असके लिये वे कौंसिलर व्यक्तिगत रूपमें जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सरकारी नियंत्रण हटा देनेके पक्षमें मत दिया है। अुन्हें अपनी स्थिति पर विचार करनेको अक्तूबरके अन्त तकका समय दिया जाता है। अस बीच अगर करदाताओंमें से किसीको भी अैसी सलाह मिले तो वह जिम्मेदार कौंसिलरों पर दावा दायर कर सकता है। तीनों म्युनिसिपैलिटियोंने अस प्रस्तावके लगभग अेकसे ही कड़े जवाब दिये।

दिसम्बर १९२१ में सरकारने तीनों म्युनिसिपैलिटियोंको चेतावनी दी कि चूंकि आपने शिक्षा-विभागका नियंत्रण स्वीकार न करके भूल की है, असलिये ता० १७-१२-२१ तक आप अपनी भूल सुधार लें। नडियाद म्युनिसिपैलिटीको रुगा कि सरकारका अिरादा किसी भी तरह राष्ट्रीय पाठशालाओंको तोड़ देनेका है और दोनोंकी टक्करमें बच्चोंकी शिक्षा खराब होगी। असलिये अुसने ता० १६-१२-२१ को बोर्डका प्रस्ताव करके अपनी पाठशालाअें स्थानीय राष्ट्रीय शिक्षा समितिको सौंप दीं और म्युनिसिपल फंडसे अस समितिको २५०० रुपयेकी ग्रांट देनेका निश्चय किया। कलेक्टरने अस निश्चयको म्युनिसिपैलिटीके अधिकारसे बाहर मानकर अुम पर अमल होना रोक दिया और अुत्तरी विभागके कमिश्नरके हुक्मसे तमाम म्युनिसिपल पाठशालाओंका प्रबन्ध शिक्षा-विभागके अधिकारीके सुपुर्द करवा दिया और अुसके खर्चके लिये ९००० रुपया म्युनिसिपल कोषसे देनेका हुक्म दिया। म्युनिसिपैलिटीकी राष्ट्रीय पाठशालाओंमें, जो अब राष्ट्रीय शिक्षा समितिके अधिकारमें आ गयी थीं, दिसम्बरके अन्तमें अहमदाबादमें कांग्रेस होनेवाली थी असलिये १७ तारीखसे अेक महीनेकी छुट्टी कर दी गयी थी। असलिये सरकार अुन पर कब्जा न कर सकी। परन्तु अब तक जो पाठशालाअें सरकारके खर्चसे चलती थीं, सरकारने अुन्हें म्युनिसिपल फंडसे चलानेका प्रबन्ध कर दिया। सरकारने म्युनिसिपैलिटीसे ९००० रुपये

मांगे। म्युनिसिपैलिटीने देनेसे अिनकार कर दिया, तो म्युनिसिपैलिटीकी जो रकम सरकारके छोटे खजानेमें जमा थी, अुसमें से ३००० रुपयेकी पहली किस्त म्युनिसिपैलिटीसे पूछेताछे बिना अुठाकर शिक्षा-विभागके अधिकारीको सौंप दी गयी। चूँकि सरकारकी यह कार्रवायी म्युनिसिपैलिटीका अपमान करनेवाली थी, असलिये अुसके खिलाफ नाराजी जाहिर करने और लोकमतके अपने पक्षमें होनेका अधिक प्रमाण देनेके लिये म्युनिसिपैलिटीके ग्यारह असहयोगी सदस्योंने जनवरी १९२२ को अिस्तीफे दे दिये। असके बाद फरवरीमें जब दुबारा चुनाव हुअे, तो अुसमें लोकमत साफ मालूम हो गया। शिक्षाके मामलेमें सरकारी नियंत्रण न रखनेके मतवाले वे ग्यारहों सदस्य निर्विरोध चुन लिये गये।

अप्रैल १९२२ में म्युनिसिपल बोर्डकी मियाद पूरी हो जानेके कारण सारे बोर्डका आम चुनाव नये सिरसे हुआ। अस चुनावमें २० सार्वजनिक सदस्य चुने जानेको थे। अुनमें से १९ सदस्य असहयोगी शिक्षा देनेके विचारवाले चुन लिये गये। अस नये बोर्डको अपना कार्यकाल शुरू होते ही मालूम हो गया कि सरकारकी तरफसे चलनेवाली पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंकी संख्या बहुत ही थोड़ी होने और कुछ पाठशालाओंमें तो बिलकुल संख्या न होने पर भी शिक्षकोंके वेतन और मकान किराया वगैरका बड़ा खर्च व्यर्थ किया जा रहा है। असलिये म्युनिसिपल कोषसे यह खर्च देना बन्द करनेका प्रस्ताव करके शिक्षा-विभागके अधिकारी और कमिश्नरको अुसकी लिखित सूचना दे दी गयी। कमिश्नरने अपने मनमाने हुक्म द्वारा छोटे खजानेसे नौ हजारमें से बाकी रहे तीन हजार निकालकर शिक्षा-विभागके अधिकारीको सौंप दिये और पाठशालाओंका खर्च जारी रखवाया।

राष्ट्रीय-शिक्षा समितिकी तरफसे चलनेवाली राष्ट्रीय पाठशालाओंमें लगभग २३०० विद्यार्थी थे और अुनका खर्च लोगोंसे वसूल होनेवाले चन्देसे चलता था, जबकि सरकारकी तरफसे म्युनिसिपैलिटीके खर्च पर चलनेवाली पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंकी संख्या शिक्षा-विभागकी तरफसे म्युनिसिपैलिटीको बताये अनुसार ३९१ थी। अस प्रकार सरकार जनता पर कर लगाकर म्युनिसिपैलिटी द्वारा वसूल किये हुअे रुपयेका दुरुपयोग लोगोंकी अिच्छाके विरुद्ध जाकर कर रही थी। नये बोर्डने राष्ट्रीय शिक्षा-समितिको राष्ट्रीय पाठशालाओं चलानेके खर्चके लिये ९०० रुपये मासिक देनेका निश्चय किया। पिछले बोर्डने पहले २५०० रुपये देनेका जो प्रस्ताव किया था वह और हर महीने ९०० रुपय देनेका नये बोर्डका प्रस्ताव — दोनोंके विरुद्ध सरकारने दीवानी अदालतसे

देनेसे रोक दिया। जिसके सिवाय १५ फरवरी १९२१ से ५ जनवरी १९२२ तकके समयमें सरकारी नियंत्रण हटाकर म्युनिसिपल पाठशालाओं पर किये गये खर्चके रु० १७०६७-७-० के लिये म्युनिसिपल अध्यक्ष श्री गोकुलदास तलाटीके साथ दूसरे दस सदस्योंको निजी तौर पर जिम्मेदार मानकर वह रकम अनुसे लेनेके लिये सरकारने अप्रैल १९२२ में दावा कर दिया। अनि ग्यारह सदस्योंमें से अकने यह मांग की कि चूँकि अनि सदस्यों द्वारा अपना फर्ज अदा करते हुअे लोगोंकी अिच्छानुसार वाजिब खर्च किया जाने पर भी अनुको अदालतमें घसीटा गया है, असिलिये अनुका बचाव करनेमें जो खर्च हो वह म्युनिसिपैलिटीको देना चाहिये। असि पर म्युनिसिपैलिटीने अनुहें ५०० रुपये तक खर्च देनेका प्रस्ताव किया। परन्तु कलेक्टरने असि प्रस्तावको म्युनिसिपैलिटीके अधिकारसे बाहर मानकर रद्द कर दिया।

अूपर अदालतके जिस कच्चे मनाही हुक्मका अल्लेख है, अुमके रद्द होने पर बोर्डने राष्ट्रीय शिक्षा-समितिको विनय मन्दिर तथा मिडिल स्कूलके खर्चके लिये ९०० रुपये मासिककी ग्रांट देनेका फिर निश्चय किया। म्युनिसिपैलिटीके कागजातसे मालूम होता है कि ता० २७-१०-२२ तक असि ग्रांट पेटे कुल २२०० रुपयेकी रकम दी गयी थी। बादमें जब सारे सार्वजनिक सदस्य म्युनिसिपैलिटीसे निकल गये तो यह ग्रांट बन्द हो गयी।

अगस्त १९२२ में सरकारने यह हुक्म दिया कि सरकारके प्रबन्धमें चलनेवाली पाठशालाअें म्युनिसिपैलिटियोंको सौंप दी जायं। चूँकि म्युनिसिपल अेक्टकी दफा ५८ के अनुसार प्राथमिक शिक्षाके मामलेमें अपना फर्ज अदा करनेके लिये सरकार म्युनिसिपैलिटीको जिम्मेदार समझती है। असिलिये अुसने यह हुक्म दिया कि १ सितम्बर १९२२ से पाठशालाओंका प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी करे। सरकारको अच्छी तरह पता था कि पिछले चुनावमें लोगोंकी तरफसे चुनकर आये हुअे तमाम सदस्य जनताका आदेश (मैण्डेट) लेकर चुने गये थे। सरकारके नियंत्रणसे स्वतंत्र रहकर पाठशालाअें चलानेका मौका मिलने पर ही वे पाठशालाअें चलाना चाहते थे। परन्तु सरकारने जब तक म्युनिसिपैलिटीके खजानेमें रुपया था, तब तक स्वेच्छाचार पूर्वक अुसे अुठाकर अपनी अिच्छानुसार खर्च किया, शिक्षकोंको बिना काम किये वेतन दिया, यह जाननेकी परवाह न की कि बच्चोंको शिक्षा मिल रही है या नहीं या बच्चे शिक्षा लेने आते हैं या नहीं। और जब म्युनिसिपल खजानेमें रुपया खत्म हो गया और शिक्षकोंकी दो महीनेसे ज्यादाकी तनखाहें चढ गयीं, तब अनु अनावश्यक पाठशालाओंका गलत और व्यर्थ खर्च म्युनिसिपैलिटीके

सिर पर थोपकर उसे मुश्किलमें डालने और अयोग्य सिद्ध करनेकी यह चाल चली। असलिये म्युनिसिपैलिटीने प्रस्ताव पास किया कि:

“सरकारकी अपुरोक्त कार्रवायियोंसे साबित होता है कि म्युनिसिपैलिटी स्थानीय स्वराज्यकी संस्था नहीं है, परन्तु जनताको और भी परतंत्र बनानेकी संस्था है। अनुभवसे हमें लगता है कि सरकार म्युनिसिपैलिटीके सदस्योंको जनताको पराधीन बनानेके हथियार बनाना चाहती है। परन्तु हम सार्वजनिक सदस्य इस तरह हथियार बननेको तैयार नहीं हैं। हम जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य सत्ता या सम्मानके लोभसे म्युनिसिपैलिटीमें नहीं आये। अपने समय और शक्तिका अपुयोग दूसरी सार्वजनिक संस्थाओंमें करके हमें जनताकी सेवा करनेका मौका बहुत मिलेगा। असलिये चुनाव होनेके बाद उसका पहला वर्ष पूरा होनेसे पहले ही हम अफसोसके साथ म्युनिसिपैलिटीसे अलग हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि सरकारको थोड़े ही समयमें अपनी भूलका पता लग जायगा।”

अपुरोक्त प्रस्ताव ता० १७-८-२२ की जनरल बोर्डकी बैठकमें पास हुआ और बीस सार्वजनिक सदस्योंमें से अठारहने त्यागपत्र दे दिये। परन्तु उनके स्थान पर नये सदस्योंका चुनाव होने तक वे म्युनिसिपैलिटीसे अलग नहीं हुआ थे। वे नवम्बरके मध्य तक म्युनिसिपैलिटीमें बने रहे। सरकारने अपने प्रबन्धमें चलनेवाली पाठशालाओं म्युनिसिपैलिटीको सौंप देनेका काम किया, इस बारेमें उनकी अेक छोटीसी झड़प इस अरसेमें शिक्षा-विभाग और कलेक्टरके साथ हो गयी। ता० २५-८-२२ को कलेक्टरने अेक कैफियत लिखकर म्युनिसिपल अध्यक्षको सूचित किया कि “मैंने शिक्षा-विभागके अधिकारीको सूचित कर दिया है कि वे अपनी व्यवस्थामें चलनेवाली पांच पाठशालाओं ३१ तारीखको बन्द कर दें और उनका प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटीको सौंप दें।” म्युनिसिपल अध्यक्षने चीफ अफसरको हिदायत दी कि, “शिक्षा-विभागके अधिकारीने जो पाठशालाओं बन्द की हैं, वे म्युनिसिपल पाठशालाओं तो थी ही नहीं। असलिये उन पाठशालाओंमें म्युनिसिपैलिटीका जो कुछ सामान हो उसे आप संभाल लें; पाठशालाओं संभालनेका तो प्रश्न ही नहीं अुठता।” चीफ अफसरने अेसा ही शिक्षा-विभागके अधिकारीको लिख दिया। उसने अिन्हें जवाब दिया कि, “जहां तक हमारे प्रबन्धका सवाल है, ये पाठशालाओं बन्द हो गयी हैं। अब म्युनिसिपैलिटी उनके लिये जिम्मेदार है और मुझे कुछ नहीं करना है।” उन पाठशालाओंमें काम करनेवाले शिक्षकोंने तो और भी असम्य और अुद्धत ही जवाब



दिये। इसलिये म्युनिसिपल अध्यक्षने चीफ अफसरको हिदायत दी कि “अस तरह लिखा-पढी करते रहनेसे तूमार लम्बा बड़ेगा। असलिये पांचों पाठशालाओंके मकानों पर कब्जा करके वहां ताले लगाकर मुहर लगा दी जाय और शिक्षा-विभागके अधिकारीको लिखा जाय कि पाठशालाओं बन्द करके पत्र लिखकर चार्ज देनेका आपका तरीका ठीक नहीं है। असलिये आप म्युनिसिपल सम्पत्तिका बाकायदा चार्ज देनेका प्रबन्ध कीजिये। शिक्षक लापरवाहीसे अद्धत जवाब देते हैं, असलिये स्कूलोंके मकानोंको ताले लगाना हमारा फर्ज हो जाता है।” यह बात तारीख ११-९-'२२ को हुयी। अणु पाठशालाओंमें लगभग पांच सौ बच्चे और ३६ शिक्षक थे। बच्चोंके मा-बापको सूचित कर दिया गया कि, “म्युनिसिपैलिटीने अपनी पाठशालाओं स्थानीय राष्ट्रीय शिक्षा समितिको सौंप दी है। और वह जो राष्ट्रीय पाठशालाओं चलाती है, अणुमें आपके बालकोंको भेजनेकी सुविधा है।” तदनुसार अधिकांश बच्चे अणुमें पढ़नेको जाने भी लग गये। परन्तु वे शिक्षक कामके बिना भटकते रहे। बादमें सरकारने ता० ८-११-'२२ को हुक्म जारी करके नडियादके तहसीलदारको म्युनिसिपैलिटीका अध्यक्ष बना दिया और अणुने १६ तारीखको चार्ज लेकर अणु पाठशालाओंको खोला। अस प्रकार दो महीने पाठशालाओं बन्द रहनेके बाद यह कांड पूरा हुआ।

अस बीच अणु-चुनावका जो नाटक किया गया, अणुका वर्णन ता० २२-१०-'२२ के ‘नवजीवन’ में सरदारने ‘नडियादका स्थानीय स्वराज्य’ शीर्षक लेखमें किया है। अणुसे अणुहीके शब्दोंमें देंगे :

“जनताके चुने हुअे सत्रह सदस्योंने त्यागपत्र दिये। . . . अणुकी स्थानपूर्तिके लिये अेक अणु-चुनाव किया गया। अणुमें सत्रह जगहोंमें से नौके लिये तो कोअी अुम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। आठ जगहें भरी गयीं, जिनमें से अेक पर म्युनिसिपैलिटीके भूतपूर्व चपरासीको और दो पर अछूत भाअियोंको निर्विरोध जानेका अवसर मिला।

“खाली रही नौ जगहोंके लिये दुबारा चुनाव न करके लोकप्रिय मंत्री महोदयके राज्यमें ये जगहें नौ सहयोगियोंको ढूढकर व अणुमें मनोनीत करके भर दी गयीं। अहमदाबाद और सूरतकी म्युनिसिपैलिटियोंको बर्खास्त करके प्राप्त किये हुअे अनुभवसे कुछ समझ आ गयी थी। असलिये नडियाद म्युनिसिपैलिटीको बर्खास्त करनेमें डर लगा तो यह नया रास्ता खोज निकाला। सरकार द्वारा मनोनीत नौ सहयोगियोंमें से कुछ कट्टर सनातनी और अस्पृश्यताके हिमायती हैं। अस प्रकार असहयोगकी हलचलसे अनायास छुआछूत दूर करनेके नये मार्ग निकल आते हैं।

“म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष अनि नौ स्थानोंको भरनेका सरकारका अधिकार नही मानते और अनसे म्युनिसिपैलिटीका काम लेनेसे अनिकार करते हैं। अन्होंने सरकारको लिखा है कि ये स्थान चुनाव द्वारा ही भरे जाने चाहिये। साथ ही किसी करदाताने म्युनिसिपैलिटीके विरुद्ध अनि नौ सदस्योंके विरुद्ध अन्हें म्युनिसिपैलिटीके सदस्य न माननेका दावा दायर किया है, और अदालतने अनके विरुद्ध कामचलाअू मनाही हुक्म दिया है। असलिअे अभी तो म्युनिसिपैलिटीका काम फिर रुक गया है।

“अिस प्रकार स्थानीय स्वराज्यका कुछ न कुछ फजीता रोज होता है और सुधारोंकी और सरकारकी पोल खुलती जा रही है।”

अहमदाबाद और सूरतकी तरह नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीको पदच्युत नहीं किया गया, परन्तु जबसे जनताकी तरफसे चुने गये १७ सदस्य म्युनिसिपैलिटीसे निकल गये और अनकी जगह जनताको नापसन्द चाहे जैसे लोगोंको बैठा दिया गया और अध्यक्षके रूपमें सरकारने नड़ियादके तहसीलदारको नियुक्त कर दिया, तबसे व्यवहारमें तो नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीकी स्थिति पदच्युत म्युनिसिपैलिटी जैसी ही हो गयी थी।

बादमें सरदारकी सलाहसे लोगोंने म्युनिसिपैलिटीको कर न देनेकी लड़ायी शुरू की। सूरतके नागरिकोंने भी अैसे ही हालातमें वहांकी म्युनिसिपैलिटीको कर न देनेकी लड़ायी छोड़ी। अप्रैल १९२३ में दोनों शहरोंमें यह लड़ायी खूब जोशमें आयी। ता० २२-४-२३ के ‘नवजीवन’ में ‘गुजरातमें स्थानीय स्वराज्य’ शीर्षक अेक लेखमें सरदारने असका वर्णन अिस प्रकार किया है:

“गुजरातके स्थानीय स्वराज्यकी लड़ायीका नया अध्याय सूरत और नड़ियादमें जोरसे चलना शुरू होनेके समाचार मिले हैं। दोनों शहरोंमें करदाताओंको कर देना बन्द किये हुअे अेक वर्ष होनेको आया। सूरतमें बहुतसे पानीके नल काट देने पर भी लोग नहीं झुके। असलिअे सरकारी माल-विभागके अफसरोंको कुर्कियां करके कर वसूल करनेका काम सौंपा गया। वहां कुछ समयसे कुर्कियोंका काम रोज हो रहा है। नड़ियादमें तो म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष ही तहसीलदार थे। लेकिन चूकि वे अितने कठोर हृदयवाले नहीं थे कि लोगों पर अितनी सख्ती करके कर वसूल करते जिससे सरकार खुश हो जाय, असलिअे अनका तबादला कर दिया गया है। नये तहसीलदारका शासन शुरू हो गया है। असके सिवाय ३०० रु० मासिक खर्च मंजूर करके सरकारी माल-विभागके तीन अफसरोंको कुर्कियां करनेके काममें लगाया गया है। कानून और सुव्यवस्थाका राज्य पूरे जोरसे चल रहा है! कुर्कियां

करते वक्त न पंच रखे जाते हैं, न पंचनामे किये जाते हैं। अतना ही नहीं परन्तु कुर्क किये गये मालकी रसीद तक नहीं दी जाती। शरीरके गहने तहसीलदार साहब खुद अतारते हैं। महाशयजीको डिप्टी कलेक्टर बननेकी आशा है। पुलिसके थानों पर हथियारबन्द पुलिस लगा दी गयी है। डाकू लोग डरसे रातके वक्त मुंह पर बुर्के बांधकर जल्दी और अव्यवस्थासे अपना काम कर लेते हैं। यहां तो दिन दहाड़े खुल्लमखुल्ला लापरवाही और व्यवस्थापूर्वक कानूनके नाम पर काम हो रहा है। देख लीजिये गुलामीकी हालत ! कुर्की करनेवाले हमारे, तहसीलदार हमारे, कुर्कीका माल ले जानेवाले हमारे, म्युनिसिपैलिटीसे त्यागपत्र देनेवालोंकी जगहों पर जा बैठनेवाले हमारे और जिन बेचारोंके यहां कुर्की होती है वे भी हमारे ही भाभी हैं ! ये सब खेल खिलानेवाले खिलाड़ीको तो वहां आनेकी जरूरत भी नहीं पड़ती। नड़ियादके लोग दृढ़ हैं और दृढ़ रहेंगे, तो स्थानीय स्वराज्यकी लड़ाीका फैसला अुनके हकमें ही होगा। कर देनेसे अनकार करनेके अलावा लोग अपने मुहल्ले आप साफ करनेका और रोशनीका काम भी हाथमें ले लें तो मामला जल्दी हल हो जाय।”

ता० २९-४-’२३ के ‘नवजीवन’ में ‘नड़ियादमें गैरकानूनी कार्रवायियोंका दौर’ शीर्षक लेखमें महादेवभाभी लिखते हैं :

“श्री वल्लभभाभीने पिछले अंकमें नड़ियाद म्युनिसिपैलिटीके अधिकारियोंके कुछ कृत्योंके बारेमें संकेत किया था। अुसके बाद हम नड़ियाद हो आये। वहां जो कुकिया होती है वे देखी। हमने अपनी आंखों देख लिया कि श्री वल्लभभाभीने अुनकी जो तुलना दिन दहाड़े निकले हुअे डाकूओके साथ की है, अुसमें अुन्होंने जरा भी अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा काममें नहीं ली। अेक जगह अेक मकानवालेसे चौदह आनेका कर लेना था। वहां कुर्की करनेवाले नौकरोंके सिवाय बड़ी-बड़ी बांसकी लाठियोंवाले बारह पुलिसके सिपाही, अुनके सिर पर अेक रिवाल्वरवाला थानेदार, और अुनके संरक्षणमें खड़ा हुआ तहसीलदार मैंने देखा। अेक और अैसी ही भीड़ लिये डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट घूम रहे थे। तीसरी जगह अेक और झुंड खड़ा था, जिसका नायक अेक पठान था, अैसा कहूं तो कोअी हर्ज नहीं। क्योंकि जब लाठीवाले सिपाहियोंको पठानकी भी जरूरत पड़ी, तो यही कहा जायगा न कि अुनका रक्षक वह पठान ही था ? अेक लड़का अिस धाड़को देखकर वन्देमातरम् बोल अुठा। अुसे पकड़कर थानेमें बन्द कर दिया गया। शायद यही देखकर कि हम वहां जा पहुंचे हैं, अेकाध घंटे बाद अुसे छोड़ दिया गया !

“मैं म्युनिसिपल कानूनमें कहीं भी ऐसी चढ़ाओके लिअे प्रस्ताव किया गया नहीं पाता। असमें तो साफ लिखा है कि “वसूल करनेके करकी रकमसे कुर्की बहुत ज्यादा न होनी चाहिये, यानी जो सम्पत्ति कुर्क की जाय असकी कीमत यथासंभव वसूल करनेकी रकमके बराबर होनी चाहिये।” मौजूदा कुर्कियोंमें यह धारा ताकमें रख दी गयी है। आज ही नड़ियाद म्युनिसिपल अध्यक्षके हस्ताक्षरवाला घोषणापत्र मिला है। असने तो खुल्लमखुल्ला अस शर्तको तिलांजलि दे दी है। असमें वे लिखते हैं कि :

“ ‘ कुछ लोग कुर्कियोंमें फूटे हुअे वरतन और नाममात्रकी कीमतका माल देते है। लेकिन अससे पूरी रकम मिलना संभव नहीं। असलिअे जान लेना चाहिये कि आअिदा फी कुर्की दस रुपयेसे कम मूल्यका माल कुर्क नहीं किया जायगा। ’

“नड़ियादकी ग्रामसमिति हर रोज होनेवाली गैरकानूनी कार्रवाओका हाल प्रकाशित करती है। असमें वह स्वयं लोगोंके ही दस्तखतोंसे दिये गये बयान पेश करती है। अेक जगह तहसीलदार समझाते है कि :

“ ‘ अपने भाओी डाह्याभाओीको समझाकर म्युनिसिपल कर अदा करा दें, तो मैं आपका आय-कर कम कर दूंगा। लोगोंके बहकानेमें क्यों आते है ? अस तरह स्वराज्य नहीं मिलेगा। आप लोग कर नहीं चुकायेंगे, तो काबुली लोगोंको बुलाकर अन्हें ठेका दे दूंगा। तब वे लोग आपको सताकर रुपया ले लेंगे। ’

“अेक और सज्जन लिखते है : ‘ मैं नीचे अुतर रहा था कि अितनेमें दो पुलिसवाले और तहसीलदार साहब आ गये। अन्होंने मुझे सीढियोंसे अुतरते देखकर पुलिसवालेसे मेरे दोनों हाथ पकड़वाये और मुंह और गला दबवाया और मेरे गलेसे सोनेकी अेक कड़ीवाली चेन और सोनेका डोरा जबरन निकलवा लिया और हाथकी पहुंची निकालनेका प्रयत्न करने लगे। परन्तु मैं चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया तो धमकाकर चले गये। ’ अेक बहन्ने हाल बताया है कि : ‘ चीफ अफसर, अुमेदभाओी और राजूमियां कुर्की करने आये और मुझे हट जानेकी सूचना दिये बिना व मेरी साससे भी कहे बिना रोटियां रखनेकी पीतलकी बडी थाली अुठाली और तुरन्त कुर्की अहलकार अुमेदभाओीने मेरी गोदमें छोटी बच्ची होने पर भी मुझे धक्का मारकर जीनेकी तरफ धकेल दिया। ’ अन्वास तैयबजी साहबने असका तहसीलदारसे स्पष्टीकरण मांगा । असका जवाब तहसीलदारने दिया : ‘जाअिये, जाअिये, आपके लोग तो गांवकी गप्पों पर आधार रखते है। ’ कहीं-कहीं ली हुओी सम्पत्तिमें से आधीकी रसीद

दी जाती है और आधी यों ही ले जाते हैं। तहसीलदार कहते हैं कि कहीं-कहीं इस तरह ले जायी हुयी वस्तुओं लौटा दी गयी हैं, परन्तु इसका कोयी पता नहीं लगता।

“अस प्रकार अधिकारी सरकारकी प्रतिष्ठाका बढिया नमूना पेश कर रहे हैं। नडियादके लोगोंको शान्तिकी अतनी सुन्दर तालीम मिल रही है, इसके लिअे वे बधाओके पात्र है। शान्तिकी तालीममें सरकारको भविष्यमें अेक भी कर न देनेकी तैयारी छिपी हुयी है।”

म्युनिसिपैलिटीकी कर न देनेकी यह लड़ाओ अेक वर्ष चली।

सरकारने अप्रैल १९२२ में म्युनिसिपैलिटीके ग्यारह सदस्यों पर जो दावा दायर किया था, उसका फैसला जनवरी १९२५ में हुआ। दावेकी पैरवीके समय सरकारी वकीलने पूछताछ करके दावेकी रकम, जो रु० १७०६७-७-० थी, घटाकर रु० १२९६०-१५-३ कर दी। जब अस मामलेका फैसला दिया गया तब अहमदाबादके म्युनिसिपल कौंसिलरों पर दायर किये हुअे मामलेमें हाओीकोर्टमें सरकारकी की हुयी अपीलका फैसला दिया जा चुका था। परन्तु डिस्ट्रिक्ट जजने नडियादके मामलेके हालातको अहमदाबादके मामलेके हालातसे भिन्न माना। अहमदाबादकी म्युनिसिपल पाठशालाओंमें दी गयी शिक्षाके बारेमें सरकारका यह झगड़ा नहीं था कि उसके स्वरूपमें कोओ फेरबदल किया गया था। असलिअे यद्यपि शिक्षा-विभागको परीक्षाओं नहीं लेने दी गयीं और निरीक्षण नही करने दिया गया, तो भी म्युनिसिपैलिटीने प्राथमिक पाठशालाओं चलाकर प्राथमिक शिक्षा देनेका अपना कर्तव्य तो पालन किया ही था। जब कि नडियादके मामलेमें जजकी यह राय हुओी कि म्युनिसिपैलिटीने पाठ्यक्रममें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करके खास तौर पर अपूरकी तीन कक्षाओंमें अंग्रेजी, हिन्दी और अुद्योग जारी करके और अनि विषयोंको जारी करनेके लिअे अंकगणित, भूमिति और अितिहास-भूगोलके पाठ्यक्रममें जबरदस्त काट-छांट करके शिक्षाका स्वरूप ही बदल दिया था। नीचेकी कक्षाओंमें भी विषयोंमें बहुत फेरबदल कर दिये थे। अनमें राजनैतिक बातें शामिल कर दी थीं। साथ ही विद्यार्थियोंमें देशभक्ति पैदा करनेके लिअे पाठ्यक्रममें जो राष्ट्रीय गीत शामिल किये गये थे, वे देशभक्ति पैदा करनेके बजाय द्वेषभावको पोषण देनेवाले थे। ये सब दलीलें देकर जज अस निर्णय पर पहुंचे कि म्युनिसिपैलिटीने पाठ्यक्रममें अितने महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं कि उसकी दी हुओी शिक्षाको डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल अेक्टके अनुसार प्राथमिक शिक्षा नहीं कहा जा सकता। असलिअे प्रतिवादी कौंसिलरोंने म्युनिसिपल कोषका दुरुपयोग (misapplication) किया है। अस प्रकार अुन्हें जिम्मेदार मानकर

अनु पर रु० १२२९६-२-० की डिग्री दे दी गयी। इसके विरुद्ध प्रतिवादी कौंसिलरोंने हाजीकोर्टमें अपील की, परन्तु अपीलमें डिस्ट्रिक्ट जजका फैसला कायम रहा।

ता० १६-१२-२१ को म्युनिसिपैलिटीने अपनी पाठशालाओं राष्ट्रीय शिक्षा समितिको सौप दी थीं, तबसे ३१-५-२५ तक, यानी लगभग साढ़े तीन वर्ष तक राष्ट्रीय शिक्षा समितिने ग्यारह पाठशालाओं चलायीं। लगभग दो बरस तक तो सरकारी पाठशालाओंसे अिनमें विद्यार्थियोंकी संख्या बहुत ज्यादा रही। परन्तु स्वराज्य दलके अस्तित्वमें आनेके बाद अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादियोंकी बहसके कारण असहयोगमें अुतार आने लगा। असलिये ता० १-६-२५ से ये तमाम पाठशालाओं म्युनिसिपैलिटीको लौटा दी गयीं। कुल ३२ शिक्षकोंकी, जो असहयोगको अपनाकर सरकारी स्कूलोंमें जानेके बजाय राष्ट्रीय पाठशालाओंमें रह गये थे, नौकरी अिस अरसेकी अवैतनिक छुट्टी मानकर पुरानी नौकरीके साथ जोड़ दी गयी। अिस सिलसिलेमें तरक्की और पेंशनके हकोंके बारेमें शिक्षकोंको कुछ नुकसान अुठाना पड़ा, फिर भी यह कहना चाहिये कि ठेठ तक डटे रहकर अुन्होंने अच्छा काम किया।

अिन प्राथमिक पाठशालाओके सिवाय नडियादकी राष्ट्रीय शिक्षा समिति लोकमान्य तिलक विनयमन्दिर नामकी अेक माध्यमिक पाठशाला भी चलाती थी। ये सब पाठशालाओं चलानेमें हुआ खर्च और दावेकी डिग्री दोनोंको मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा समितिने कुल पौने दो लाख रुपयके करीब खर्च किया। यह अुसने गांवमें चन्दा करके, व्यापारियों पर लाग लगाकर और बाहर रहनेवाले नडियादियोंसे चन्दा करके प्राप्त किया। रुपया अिकट्टा करनेमें श्री गोकुलदास तलाटी तथा श्री फूलचन्द बापूजी शाहके सिवाय दरबार साहब गोपालदास और अब्बास तैयबजी साहबने अच्छी सहायता की थी।

अब सूरतको लें। सूरत म्युनिसिपल बोर्डके तीन साल ता० ३१-३-२० को पूरे होते थे। परन्तु नये चुनाव करनेमें कुछ स्थानीय कठिनाअियां होनेके कारण पुराने बोर्डकी मियाद दो बार छः छः महीने करके कुल अेक वर्ष बढ़ा दी गयी और मार्च १९२१ में नये चुनाव हुअे। ये चुनाव नये प्रसारित मॉन्टफर्ड सुधारोंके अनुसार हुअे, असलिये तीस सदस्योंके पुराने बोर्डके बजाय नया बोर्ड पचास सदस्योंका हुआ, जिसमें चालीस लोगोंकी तरफसे चुने हुअे और दस सरकारकी तरफसे मनोनीत सदस्य थे। जब चुनाव हुअे, तब असहयोगका आन्दोलन देशमें पूरे जोरसे चल रहा था। नडियाद और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटियोंने अपनी प्राथमिक पाठशालाओंके बारेमें

असहयोग शुरू भी कर दिया था। असलिये म्युनिसिपैलिटीमें चुने जाकर पाठशालाओं द्वारा असहयोग करनेकी बात चुनावके अंक मुख्य मुद्देके रूपमें कर देनेवाले मतदाताओंके सामने स्पष्ट तौर पर रखी गयी थी और इसी मुद्दे पर जनताके चालीस सदस्योंमें से अधिकांश चुने गये थे। उनमें दयालजीभाभी, कल्याणजीभाभी और डॉ० घीया मुख्य थे। श्री मोहननाथ केदारनाथ दीक्षित म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष चुने गये।

अस नये बोर्डने तारीख ४-७-२१ को श्री दयालजीभाभीके प्रस्ताव पर यह ठहराव किया गया :

“सूरत म्युनिसिपैलिटी यह प्रस्ताव करती है कि नागपुरमें हुआ राष्ट्रीय कांग्रेसके आदेशको माननेके लिये और लडकों और लड़कियोंकी शिक्षाको स्वराज्य प्राप्तिके लिये अनुकूल बनानेकी खातिर म्युनिसिपैलिटीकी पाठशालाओंको सरकारी नियंत्रणसे मुक्त किया जाय और सरकारकी ओरसे शिक्षाके लिये जो सहायता मिलती है उसे न लिया जाय।

“अस प्रस्तावकी नकल सरकारकी जानकारीके लिये अचित स्थान पर भेज दी जाय।”

दूसरे ही दिन म्युनिसिपल पाठशाला समिति (स्कूल बोर्ड) ने प्रस्ताव करके सूरत विभागके डिप्टी अेज्युकेशनल अिस्पेक्टरको सूचना दे दी कि आप म्युनिसिपल पाठशालाओंका निरीक्षण करनेका कष्ट न उठायें।

बादमें इसकी जांच करके कि म्युनिसिपैलिटी कितने शिक्षकोंको रखना चाहती है, शिक्षा-विभागकी तरफसे शिक्षकोंको यह चेतावनी मिली कि जो म्युनिसिपैलिटीके नौकर बनकर म्युनिसिपैलिटीकी पाठशालाओंमें रहेंगे, वे पेंशन वगैराके हक खो बैठेंगे। सरकारने अपने खर्चसे पाठशालाओं खोलीं और म्युनिसिपल पाठशालाओं तोड़नेके प्रयत्न किये। ये विधियां नडियाद और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीकी तरह यहां भी हुईं। कुल ३४६ शिक्षकोंमें से २७२ सरकारी नौकरीमें लौट गये।

कलेक्टरने ता० २१-७-२१ को पत्र लिखकर बम्बयी सरकारको म्युनिसिपल प्रस्तावकी नकल भेज दी और पूछा कि मुझे म्युनिसिपल प्रस्ताव कानूनके विरुद्ध प्रतीत होता है, असलिये अस बारेमें हिदायत दीजिये कि मैं उसे रद्द करूं या नहीं। यह पत्र अुत्तरी विभागके कमिश्नरके मारफत सरकारको दसके दिनमें पहुंचा होगा। सरकारने अपने कानूनी विशेषज्ञ (रिमेम्ब्रेन्सर ऑफ लीगल अफेअर्स) से राय पूछी। असने अपनी राय ता० ८-९-२१ को अस प्रकार दी :

“पाठशालाओंकी व्यवस्था, नियंत्रण और प्रबन्धके मामलेमें म्युनिसिपैलिटीके अधिकारोंको मर्यादामें रखनेकी सत्ता डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल ऐक्टकी धारा ५८ के अनुसार गवर्नर-इन-कौंसिलको है और अउसके लिअे अिस धाराके अनुसार नियम बनाये गये हैं। अिसलिअे यह स्पष्ट है कि अुन नियमोंका पालन करनेको म्युनिसिपैलिटी बंधी हुअी है। अगर म्युनिसिपैलिटी अिन नियमोंको भंग करे, तो यह समझा जायगा कि अूसने कानून द्वारा अुस पर डाले गये कर्तव्यके पालनमें भूल की। अिसलिअे निश्चित मियादके भीतर वह अपना फर्ज अदा न करने लगे, तो अुसके खिलाफ धारा १७८ (२) के अनुसार कार्रवायी की जा सकती है।”

अिस पर सरकारने ता० २०-१-’२१ को अिस प्रकार आज्ञा दी :

“अुत्तरी विभागके कमिश्नरसे अनुरोध किया जाता है कि वे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल ऐक्टकी धारा १७८ में बताये अनुसार जांच करें कि सूरत म्युनिसिपैलिटीकी बतायी गयी भूलके लिअे वह कसूरवार है या नहीं; और अपनी जांचका जो परिणाम निकले अुसे अिस सिफारिशके साथ कि क्या कार्रवायी की जाय सरकारको सूचित करें।”

अिस आज्ञाके अनुसार जांचका काम कमिश्नरने ता० ५-१०-’२१ को सूरतके कलेक्टरको पत्र लिखकर अुसे सौपा । सूरतके कलेक्टरने ता० २६-१०-’२१ को म्युनिसिपल अध्यक्षको पत्र लिखकर सरकारके हुक्मकी जानकारी दी, अुसके विरुद्ध कोअी अंतराज हो तो ता० ३-११-’२१ से पहले सरकारको अर्जी देनेकी सूचना दी और अिस अरसेमें कुछ तफसील मुहैया करनेकी हिदायत की। चूकि बीचमें दीवालीकी छुट्टियां पड़ती थीं, अिसलिअे म्युनिसिपल अध्यक्षने कलेक्टरको अंतराजकी अर्जीकी मियाद बढ़ानेको लिखा और मियाद ता० १५-११-’२१ तक बढ़ा दी गयी। ता० ७-११-’२१ को म्युनिसिपैलिटीने जनरल बोर्डके प्रस्ताव द्वारा कलेक्टरके पत्रका जवाब दिया। अुस प्रस्तावमें म्युनिसिपैलिटीने अपना रुख बहुत साफ तौर पर पेश किया :

ता० २६-१०-’२१ के कलेक्टरके पत्र पर पक्का विचार करके यह बोर्ड अुन्हें सूचित करता है कि :

१. जांच सम्बन्धी सरकारी हुक्मकी पूरी तफसीलके अभावमें हम अिस मुद्दे पर पूरी तरह अंतराज नहीं भेज सकते ।

२. करदाताओंके स्पष्ट आदेशके विरुद्ध चले बिना यह बोर्ड अुनके प्रतिनिधिकी हैसियतसे सरकारी नियंत्रण स्वीकार नहीं कर सकेगा । अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीतिके बारेमें अिस बोर्डने जो भी कदम अुठाये हैं, वे करदाताओंकी अिच्छा साफ तौर पर जानकर ही अुठाये हैं ।



सूरत म्युनिसिपैलिटीके पिछले चुनावके समय मतदाताओंके सामने सबसे बड़ा प्रश्न तमाम म्युनिसिपल पाठशालाओंको राष्ट्रीय बनानेका था। हिन्दुस्तानकी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व रखनेवाली और सबसे ज्यादा अधिकारवाली सार्वजनिक संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने सिफारिश की थी कि पाठशालाओंको राष्ट्रीय बनाना इस समय देशकी सबसे बड़ी जरूरत है। सूरतके नागरिकोंने अुस सिफारिशको स्वीकार किया और म्युनिसिपैलिटीमें अुस सिफारिश पर अमल करनेवाले अधिकांश सदस्योंको चुना। हमें मतदाताओंके प्रति विश्वासघात करनेका आरोप मोल न लेना हो, तो कितनी ही जोखम अुठाकर भी हमें जल्दीसे जल्दी यह प्रस्ताव पास करना चाहिये।

पाठशालाओंको राष्ट्रीय बनानेमें म्युनिसिपैलिटीकी अेकमात्र अिच्छा विद्यार्थियोंमें स्वाभिमानकी, सेवा करनेकी और देशके लिये कष्ट सहन करनेकी भावना अुत्पन्न करने और अैसी शिक्षा देनेकी है, जो देशके मौजूदा हालातमें अधिकसे अधिक अुपयोगी हो।

यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि म्युनिसिपैलिटीको सूरतके नागरिकोंका विश्वास प्राप्त है। कुछ समयसे सूरत शहरमें १६ सरकारी पाठशालाअें खोली गयी है। ये पाठशालाअें म्युनिसिपल पाठशालाओंसे लगभग लगते हुअे मुहल्लोंमें ही खोली गयी है और वहांके शिक्षक म्युनिसिपल पाठशालाओंमें से विद्यार्थियोंको फुसलाकर भगा ले जानेके लिये आकाश-पाताल अेक कर रहे है। हमारी पाठशालाओंकी लड़कोंको बुलानेवाली स्त्रियोंको म्युनिसिपैलिटीसे अधिक वेतनकी लालच देकर फुसलाकर ले जाया जाता है। सरकारी पाठशालाओंमें शामिल होनेवाले शिक्षकोंने जिन आखिरके थोड़े दिनोंमें वे म्युनिसिपल पाठशालाओंमें रहे अुनमें विद्यार्थियोंको झूठे सर्टिफिकेट दे दिये जिससे वे सरकारी स्कूलोंमें भरती हो सकें। इस प्रकार म्युनिसिपल पाठशालाओंमें से विद्यार्थियोंको भगानेके लिये अनेकानेक अशोभनीय प्रयत्न करने पर भी आज तक म्युनिसिपल पाठशालाओंके ८००० छात्रोंमें से सरकारी स्कूलोंको केवल ८०० छात्र मिल पाये हैं। अिनमें अधिकांश विद्यार्थी तो सरकारी नौकरोंके या अुनके किसी न किसी तरह आश्रित लोगोंके बालक हैं। इससे शायद ही अिनकार किया जा सकेगा कि लोगोंका सरकारी स्कूलों पर विश्वास नहीं है।

म्युनिसिपैलिटीने जो कुछ किया है, वह मतदाताओंके आदेशको बफादारीसे अमलमें लानेके लिये ही किया है। अुसे अब भी मतदाताओंका

हथियार बन्द पुलिसकी मददसे पाठशालाओंके मकानोंके ताले तोड़-तोड़कर मकानों पर और अन्दर जो सामान मिला उस पर कब्जा कर लिया।

बारडोलीमें सत्याग्रहकी लडाओ छेड़नेके वारेमें ता० ३१-१-'२२ को मूरतमें कांग्रेसकी कार्यसमितिनी बैठक हुआ थी। यह बैठक हो जानेके बाद गांधीजीने सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुअे कहा :

“मूरतकी म्युनिसिपैलिटीने अच्छा साहस दिखाया है। नागरिकोंको चाहिये कि वे प्रतिनिधियोंको अपनी पूरी ताकत दें। आपने शिक्षाको स्वतंत्र कर लिया, अतना काफी नहीं है। सारी म्युनिसिपैलिटीको स्वतंत्र करना चाहिये। इसमें तो जेल वगैराका भी भय नहीं है। इसमें केवल होशियारी, आत्मविश्वास और अक-दूसरेके विश्वासकी जरूरत है। हम अपने पाखाने और अपने रास्ते खुद साफ रखें, अपने गरीबोंकी खुद सम्भाल रखें, अपने बीमारोंकी सेवा करें, और इसके लिये आवश्यक रुपया स्वयं जमा करें और उसका शुद्ध प्रबन्ध रखें।

“असमें सरकार या सरकारके कानूनकी आवश्यकता ही क्या हो सकती है? दुर्भाग्यसे हममें से आत्मविश्वास चला गया था। पंचायतें अप्रामाणिक हो गयी थीं। लोग भी अप्रामाणिक हो गये थे। इससे सरकारकी बन आओ। सूरतके नागरिक स्वयं स्वेच्छासे निश्चित किये हुअे कर पंचायतको दें और पंचायत उनका उपयोग अमानदारीसे पूरा हिसाब रखकर मेरी बताओ हुआ बातोंमें करे, तो यह आपकी स्वतंत्र म्युनिसिपैलिटी हो गयी। पंचायतका बदनाम यानी आजकी म्युनिसिपैलिटी। सरकारकी म्युनिसिपैलिटी यानी स्वाधीनताको बेचकर पराधीनता मोल लेना।

“मुझे अुम्मीद है कि सूरतके नागरिक अपने निश्चय पर दृढ रहेंगे और अुन्होंने जो कुछ किया है उससे अधिक करके मूरत, गुजरात और हिन्दुस्तानका नाम अुज्ज्वल करेंगे।”

अन्तमें ता० २२-२-'२२ को बम्बई सरकारने अपना प्रस्ताव प्रकाशित करके अहमदाबाद और सूरत दोनों म्युनिसिपैलिटियोंको पदच्युत कर दिया।

अहमदाबाद, मूरत और नडियाद अिन तीनों म्युनिसिपैलिटियोंके असहयोगी सदस्य कानूनका जो अर्थ सरकारी अफसर करें अुसे माननेके बजाय करदाताओंकी मरजी और करदाताओंके आदेशको मानना अधिक पसन्द करते थे, बल्कि अैसा करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। इसलिये दोके सदस्योंने पदच्युत होना और तीसरीके सदस्योंने त्यागपत्र देकर निकल जाना पसन्द किया।

अप्रैल १९२२ में सरकारने सूरत म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्ष और तीस अन्य कौंसिलरों पर ता० ४-७-'२१ से ता० १७-१२-'२१ तक सरकारके नियंत्रणके बिना चलाओ हुओ पाठशालाओं पर खर्च किये गये रु० ६७९०३-६-३ और राष्ट्रीय शिक्षा मंडलको ग्रांटके रूपमें दिये गये ४०,००० रुपयेको मिलाकर कुल रु० १०७९०३-६-३ के म्युनिसिपल फंडका गलत और गैरकानूनी अपुयोग बताकर दावा कर दिया। अिस अरसेमें सरकारने जो पाठशालाअें चलाओं — यद्यपि उनमें छात्रोंकी संख्या आठ सौ ही रहती और म्युनिसिपल पाठशालाओंमें लगभग ७००० रहती तो भी — उनमें सरकारने आठ सौ विद्यार्थियों पर ६०२८२ रुपये खर्च किये थे। अुसने रुपयेका यह सदुपयोग किया ! यद्यपि ये पाठशालाअें सरकारने अपने खर्चसे चलाओ थीं, फिर भी अुसने दूसरे वर्षकी म्युनिसिपल शिक्षाकी ग्रांटमें से कमेटी ऑफ मेनेजमेंटसे यह रकम काट ली।

वादमें नडियादकी तरह सूरतने भी सरकारके हाथमें चली गओ म्युनिसिपैलिटीको कर न देनेकी लड़ाओ छेड़ दी, जो अप्रैल १९२३ में बड़े जोरसे चली। अुसका थोड़ासा वर्णन पहले अुद्धृत किये गये सरदारके लेखमें आ चुका है। कर न देनेकी लड़ाओ अेकाध वर्ष चली। अिस बीच जून १९२२ में राजद्रोही भाषण देनेके लिये दयालजीभाओको अेक वर्षकी सजा हो गओ और जून १९२३ में जिम दिन वे छूटकर आये अुसी दिन कल्याणजीभाओको अुसी अभियोगमें दो वर्षकी सजा हो गओ।

राष्ट्रीय शिक्षा मंडलको पाठशालाअें सौंपनेके बाद अुसने ५४ प्राथमिक पाठशालाअें चलाओं। १९२५ में जब म्युनिसिपैलिटी लोगोको वापस सौंप दी गओ, अुसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा मंडलने पाठशालाअें म्युनिसिपैलिटीको लौटा दीं। कुल ७४ शिक्षक सरकारके साथ असहयोग करके राष्ट्रीय शिक्षा मंडलमें रहे थे। अुन्हें म्युनिसिपैलिटीने वापस ले लिया और अमहयोगके तीन वर्षके समयकी अवैतनिक छुट्टी मानकर अुनकी नौकरी पुरानी नौकरीके साथ जोड़ दी। अिसके सिवाय राष्ट्रीय शिक्षा मंडलने कुछ समय तक अेक राष्ट्रीय महा-विद्यालय चलाया था और अेक राष्ट्रीय विनयमन्दिर तो अप्रैल १९२७ तक चलाया।

सरकारने म्युनिसिपल अध्यक्ष श्री मोहननाथ केदारनाथ दीक्षित और अन्य ३० कौंसिलरों पर जो दावा किया था, अुसका फंसला सूरतके डिस्ट्रिक्ट जजने जून १९२४में दिया। सरकारी वकीलने ये दलीलें दीं कि शिक्षा-विभागके अिस्पेक्टरोंको परीक्षा न लेने दी और निरीक्षण नही करने दिया; अिसके सिवाय योग्य शिक्षकोंके मिल सकने पर भी १३७ बिना योग्यतावाले (अनक्वालिफाइड) शिक्षकोंको नौकरीमें रखा, पाठशालाओंका समय ११ से ५

रखनेके बजाय कुछ दिन सुबह और दोपहर दो बारका रखा, हररोज प्रार्थनाके बाद 'स्वराज कीर्तन' में से अक-अक गीत गवाया, पाठशालाओंमें विद्यार्थियोंसे कतवाया । अिन सब कारणोंसे म्युनिसिपल कौंसिलरोंने रुपयेका दुहपयोग किया । परन्तु जजने यह निर्णय दिया कि सरकारी वकील जो कुछ कहते हैं, वह सब साबित नही कर सके; और वह साबित भी हो गया हो, तो ये बातें ऐसी नहीं हैं जिनसे यह माना जा सके कि म्युनिसिपल कौंसिलरोंने प्राथमिक शिक्षा देनेके अपने कर्तव्यमें भूल की । साथ ही अिस्पेक्टरोंको पाठशालाओंमें परीक्षा और निरीक्षणके लिअे नही आने देना गैरकानूनी काम था, फिर भी अन्होंने जो पाठशालाओं चलायी है, यह अुनके अधिकारके भीतरकी ही बात है । असलिअे जजने निर्णय दिया कि पाठशालाओं पर अुनका किया हुआ रु० ६७९०३-६-३ का खर्च वाजिब और जायज है और अिस रकमका दावा खारिज किया जाता है । परन्तु राष्ट्रीय शिक्षा मंडलको पाठशालाओं सौंपकर अुनके खर्चके लिअे जो ४०,००० रुपये दिये, यह खर्च म्युनिसिपैलिटीने कानूनके अनुसार नही किया, असलिअे जजने प्रतिवादी कौंसिलरों पर अिस रकमकी डिग्री दे दी ।

अिस सम्बन्धमें गांधीजीने ता० १५-६-'२४ के 'नवजीवन' में लिखा था :

“सूरतके २२ भूतपूर्व म्युनिसिपल कौंसिलरों पर ४०,००० रुपयेकी जो डिग्री हुअी है, वह अुन २२ पर नही हुअी परन्तु सारी पुरानी म्युनिसिपैलिटी पर हुअी है । बल्कि म्युनिसिपैलिटी पर भी नहीं हुअी । जो नागरिक म्युनिसिपैलिटीकी मदद पर थे, जिन मतदाताओंने सदस्योंको चुना था, अुन पर यह डिग्री हुअी कही जा सकती है । यानी अिस रुपयेकी जिम्मेदारी सूरतके असहयोगी नागरिकों पर है ।

“असहयोगियोंकी जिम्मेदारी रुपये देकर पूरी नहीं हो जाती । यह तो सूरतके असहयोगी हरगिज नहीं होने देंगे कि रुपया २२ प्रतिनिधियोंको खुद ही चुकाना पड़े । परन्तु अुनकी जिम्मेदारी अैसी स्थिति पैदा कर देनेकी है कि जिससे सरकार अिस डिग्रीकी वसूली ही न कर सके । अिसका अुपाय अिस डिग्रीके खिलाफ स्थानीय सत्याग्रह है । यानी नागरिक सरकारको दिनयपूर्वक लिखें कि सरकार अिस डिग्रीकी वसूली करेगी, तो नागरिक अुमके प्रति नाराजी जाहिर करनेके लिअे दूसरे कर नही देंगे । ४०,००० रुपयेका अुपयोग किसीने व्यक्तिगत रूपमें नहीं किया । असलिअे सरकार रुपया भले ही वसूल करे, परन्तु अुसके साथ कर वसूल करनेका भार भी अुठाये । तमाम कर देना बन्द करना मुश्किल हो, तो जो बन्द करने लायक दिखायी दें, वे बन्द कर दिये जायं ।

“अैसा समय था जब हम अैसी कार्रवाओकी आसान समझतं थे । अब लोगोका अुत्साह मन्द हो गया है, असलियं यह कदम कठिन लग सकता है । परन्तु गुजरातमें बोरसदका अुदाहरण ताजा है, असलिये यह कदम मुशिकल न लगना चाहिये ।”

अिन तीनों म्युनिसिपैलिटियोंकी लड़ाओ सच्चे स्थानीय स्वराज्यके लिये थी । वह सारे स्थानीय शासनके लिये नही, परन्तु शिक्षा तक ही मर्यादित रखी गयी थी । असके लिये तीनों स्थानों पर नागरिकों और शिक्षकोको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ा, परन्तु अुससे अुन्हें बड़ी कीमती तालीम मिली । लोग म्युनिसिपैलिटीके काममें सक्रिय दिलचस्पी लेने लगे और अुनमें यह आत्म-विश्वास आ गया कि वे अपने कारवारके स्वयं मालिक बन सकते हैं ।

## लड़ाकीकी चुनौती, चौरीचोरा हत्याकांड और गांधीजीकी गिरफ्तारी

हमारे देशके स्वातंत्र्य-युद्धके अतिहासमें सन् १९२१ का साल सवर्णाक्षरोंमें लिखा रहेगा। गांधीजीने लोगोंको वचन दिया था कि यदि वे अनकी घोषित शर्तोंका पालन करें, तो अेक ही वर्षमें हिन्दुस्तानके लोगोंके हाथमें स्वराज्य आ पड़ेगा। अिसालअे लोगोंके दिलोभे अेक अजीब अुत्साह और आशाका संचार हो गया था। खादी, अस्पृश्यता-निवारण और हिन्दू-मुस्लिम अैक्यके और अदालतों, पाठशालाओं और साथ ही धारासभाओंके बहिष्कारके कार्यक्रमके पीछे लोग पूरे जोशके साथ लग गये थे। ३० जूनसे पहले तिलक स्वराज्य कोषमें अेक करोड़ रुपये जमा करने और कांग्रेसके रजिस्टरमें अेक करोड़ सदस्य दर्ज करनेका कार्यक्रम पूरा हो जानेके बाद जुलाअी मासमें महासमितिकी बैठक बम्बअीमें हुअी। अुस बैठकमें जोशसे अुभरते हुअे कुछ सदस्योंने सत्याग्रह गुरू करनेको गांधीजी पर बड़ा दवाव डाला। सरकारकी तरफमें अेकके बाद अेक अैसी कार्रवाअियां हो रही थीं कि लोग व्याकुल हो अुठे थे। अुत्तरी हिन्दुस्तानमें जहां-तहां कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवकोंकी पकड़-धकड़ जारी थी। फिर भी गांधीजीने अभी धीरज रखनेकी सलाह दी और ३० सितम्बर तक विलायती कपड़ेका बहिष्कार पूरा करनेकी सूचना दी। अुसके बाद ता० ३ और ४ नवम्बरको दिल्लीमें हुअी महासमितिकी बैठकमें सत्याग्रहके सम्बन्धमें यह निश्चय हुआ :

“अिस वर्षके अन्तसे पहले स्वराज्य स्थापित करनेके राष्ट्रके निश्चयको पूरी तरह अमलमें लानेके लिये अब अेक महीनेसे बहुत ज्यादा समय नहीं है। अली भाअियों और दूसरे नेताओंके गिरफ्तार और कैद होने पर सम्पूर्ण अहिंसाका पालन करके लोगोंने आत्मसंयमके लिये अपनी शक्ति दिखा दी है; और स्वराज्य स्थापनके लिये जरूरी मानी जानेवाली तालीम लेनेको अभी और अधिक दुःख सहन करने और शान्ति कायम रखनेकी शक्ति बताना राष्ट्रके लिये जरूरी है। अिसलिये महासमिति नीचे लिखी शर्तों पर हरअेक प्रान्तकी प्रान्तीय समितिकी अपनी-अपनी जिम्मेदारी पर

और अपनेको विशेष रूपमें अनुकूल प्रतीत होनेवाले तरीके पर सत्याग्रह (कर देनेसे अनिकार करनेकी हद तक) शुरू करनेका अधिकार देती है।

“१. व्यक्तिगत सत्याग्रह करनेवाले हरअेक आदमीके लिये जरूरी शर्त यह है कि उसे कातना आना चाहिये और असहयोगके कार्यक्रमका जो भाग उस पर लागू होता है, उसका उसने पूरी तरह पालन किया होना चाहिये। अुदाहरणार्थ, उसने विदेशी कपड़ेका पूरी तरह त्याग करके हाथकते हाथबुने कपड़ेको अगीकार किया होना चाहिये; हिन्दू मुसलमानोकी अेकता पर और साथ ही हिन्दुस्तानकी अलग-अलग धर्मको माननेवाली जातियोकी अेकदिलीके बारेमें उसे विश्वास होना चाहिये; उसका यह पक्का विश्वास होना चाहिये कि खिलाफत और पंजाबके अन्याय मिटानेके लिये और स्वराज्यकी स्थापनाके लिये अहिंसाका पालन अनिवार्य है; और अगर वह हिन्दू हो, तो उसे अपने व्यवहारसे साबित कर देना चाहिये कि वह अस्पृश्यताको भारतकी राष्ट्रभावना पर अेक कलक मानता है।

“२. सामूहिक सत्याग्रहके लिये अेक-अेक जिला या तालुका अेक अिकाअी माना जायगा। जो जिला या तालुका अैसी अिकाअीके रूपमें सामने आये, उसकी अधिकाश आवादीने पूर्ण स्वदेशीको अपनाया हो और उस जिले या तालुकेकी कपड़े सम्बन्धी तमाम जरूरतें वहीके लोगोके हाथकते हाथबुने कपड़ेसे पूरी होती हो। साथ ही अपरोक्त जिले या तालुकेकी अधिकतर आवादीका असहयोगके अन्य अगो पर विश्वास होना चाहिये और उनका पालन करना चाहिये।

“कोअी भी सत्याग्रही यह आशा न रखे कि राष्ट्रीय चन्दोंके रुपयोंसे उसका गुजर होगा। कैद भोगनेवाले सत्याग्रहियोके कुटुम्बके आदमियोंको भी किसी सार्वजनिक सहायताकी आशा न रखनी चाहिये और पीजकर, कातकर या बुनकर अथवा और किसी भी तरह अपना गुजर कर लेनेकी तैयारी रखनी चाहिये।

“किसी भी प्रान्तीय समितिकी प्रार्थना पर अिन शर्तोंमें से किसीको भी ढीली करना अुचित है, अैसा विश्वास कार्यसमितिको हो जाय तो यह महासमिति कार्यसमितिको सत्याग्रह सम्बन्धी शर्तोंमें अैसी रियायत करनेका अधिकार देती है।”

यह प्रस्ताव पास करनेके समय गांधीजीने महासमितिके सदस्योंको बताया कि कोओ भी प्रान्तीय समिति सत्याग्रह करनेकी जल्दी न करे, परन्तु मैं गुजरातके अक चुने हुअे तालुकेमें सामूहिक सत्याग्रहका जो प्रयोग करनेवाला हूं, असे देखे और अस प्रयोगके समय अपने-अपने प्रान्तमें असकी सावधानी रखे कि वहां पूरी तरह शान्ति कायम रहे। अस समयके १३ नवम्बरके 'नवजीवन'में 'बैठा विद्रोह' शीर्षक लेखमें अस प्रस्ताव पर भाष्यके तौर पर अन्होंने लिखा है :

“यद्यपि अखिल भारतीय महासमितिने प्रान्तीय समितियोंको अपने-अपने प्रान्तमें अपनी जिम्मेदारी पर सत्याग्रह करनेका अधिकार दिया है, फिर भी मुझे आशा है कि हरअेक प्रान्त 'जिम्मेदारी' शब्द पर काफी जोर देकर बार-बार विचार करके देख लेगा और कोओ सत्याग्रहको आसान समझकर असे शुरू न कर देगा। सत्याग्रह करनेवाले जिले या तालुकेके लिअे जो शर्ते रखी गअी हैं, अुन पर पूरी तरह अमल होना ही चाहिये। अिन शर्तेमें हिन्दू-मुस्लिम अेकता, अहिंसा, स्वदेशी, और अस्पृश्यता-निवारणका अुल्लेख करना पड़ा है, असका अर्थ ही यह है कि ये चीजे अभी तक हमारे सावजनिक जीवनका अंग नहीं बन गअी है। अस प्रकार जो व्यक्ति या समूह हिन्दू-मुस्लिम अेकताके बारेमें अब भी शंकित है; पंजाब, खिलाफत और स्वराज्यके लिअे अहिंसाकी जरूरत अभी तक जिसके दिलमें नहीं समाओी है; जिसने अभी तक पूर्ण स्वदेशीको नहीं अपनाया है; और अुसमें से जिन हिन्दुओंने अभी तक अस्पृश्यतारूपी पापको अपनेमें कायम रख छोड़ा है, वह व्यक्ति या समूह सत्याग्रह करनेका अधिकारी नहीं है। तो सबसे अच्छा यह है कि अधीर न होकर सब रखें और अेक निश्चित प्रदेशमें जो प्रयोग शुरू हो, असे बाकी सारा देश ध्यानपूर्वक देखता रहे।

“परन्तु जिस व्यक्तिको अैसा महसूस हो जाय कि अपनी सुख-सुविधाअें कायम रखनेके लिअे कम-ज्यादा अन्यायी सरकारके अधीन होना अधर्मके साथ समझौता करनेके समान है, जिसे सरकारकी अैसी शैतानियतके बारेमें सन्देह न रहा हो, और जिसके लिअे अैसे जालिमकी दया पर अपनी कथित स्वतंत्रता घड़ी भर भी आश्रित रखना सिरका घाव बन जाता हो, वह तो नीति-नियमोंकी सीमामें रहकर भी सरकारको मजबूर कर देनेकी कोशिश करेगा कि वह अुसे जेलमें बन्द कर दे।

“अैसा विद्रोही सत्याग्रही राजसत्ताको कुछ भी नहीं गिनेगा। वह अराजक बन जायगा और राज्यके तमाम कानूनोंके विरुद्ध, जिनका भंग करनेमें नीतिका भंग न होता हो, बगावत कर देगा। मिसाल के तौर पर, वह सरकारके



कर देनेसे अिनकार कर सकता है; अपने दैनिक व्यवहारके हर मामलेमें उसकी दुहाजी माननेसे अिनकार कर सकता है; अिजाजतके बिना किसी जगह प्रवेश न करने सम्बन्धी मनाहीके कानूनको भंग कर सकता है; फौजी सिपाहियोंको वर्तमान परिस्थिति समझानेके लिये अुनकी छावनियोंमें अिजाजतके बगैर प्रवेश करनेके लिये अपनेको स्वतंत्र समझे; शराबकी दुकानों पर धरना देनेके सम्बन्धमें निश्चित की गयी मर्यादाओंका जान-बूझकर अुल्लंघन करे और जो हद बांध दी गयी है उसके भीतर घुसकर शराबियोंको समझाये और शराब न पीनेकी प्रार्थना करे। ये सब बातें करनेमें स्वयं कभी शरीरबल काममें न ले और उसके विरुद्ध शरीरबल अिस्तेमाल किया जाय तो भी वह खुद कभी प्रतिकार न करे। असलमें अैसा सत्याग्रही जेल और साथ ही दूसरे शरीरबलके प्रयोग अपने अूपर आमंत्रित करेगा।”

अिसके बाद १३ नवम्बरको यह तय करनेको कि सामूहिक सत्याग्रहके लिये कौनसा तालुका चुना जाय, गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक हुयी। खेड़ा जिलेका आणन्द तालुका और सूरत जिलेका बारडोली तालुका, ये दो अुम्मीदवार थे और सामूहिक सत्याग्रह के लिये तेजीसे तैयारियां कर रहे थे। दोनों तालुकोंमें तीव्र स्पर्धा थी। प्रान्तीय समितिकी बैठकमें दोनों तालुकोंके प्रतिनिधियोंने अपना-अपना मामला खूब जोरके साथ पेश किया। हां, अुसमें अेक-दूसरेके प्रति पूरी तरह सद्भाव था, कटुता या रोषका नामनिशान तक नहीं था। वयोवृद्ध पूज्य अम्बास तैयबजी साहबने आणंदका मामला पेश करते हुअे अैसी वाणीमें अत्यन्त नम्रता पूर्वक कहा मानो गांधीजीको प्रेमपूर्ण अपालंभ दे रहे हों:

“अब आप बताअिये कि हमें और क्या शर्तें पूरी करनी हैं ? अिस बार हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी जो शर्तें हों वे हम पूरी तरह पालन करनेको तैयार हैं। परन्तु अपनी तमाम शर्तें आप अिकट्ठी कह दीजिये। आपने कहा कि करोड़ रुपये अिकट्टे करो। हमने गांव-गांव भटककर व खून-पसीना अेक करके आपको रुपया जमा नहीं कर दिया ? आपने कहा कि खादी पहनो। अुसका अितमीनान मेरे सामने देखकर कर लीजिये। अिस अुम्त्रमें आपकी यह बात भी मान ली। चरखे और खादीके लिये लोगोंके घर-घर भटककर मेरी तो हड्डी-पसली ढीली हो गयी है। अब आप खुद आकर हमारे गांव देख लीजिये। अभी भी कुछ बाकी रह गया हो तो बता दीजिये। परन्तु बाबा, बादमें कोअी नअी बात खड़ी करके हमारी आशाओं और अुत्साह पर पानी फेर दें तो नहीं चलेगा।”

अपनी टूटी-फूटी गुजराती भाषामें यह सब कहकर बुजुर्ग अब्बास-साहबने अन्तमें कहा कि :

“सत्याग्रहका झंडा पहले पहल खेड़ा जिलेमें फहराया है और उसके सिलसिलेमें आणन्द तालुकेके लोगोंको सत्याग्रहकी तालीम मिल चुकी है। असलिये सामूहिक सत्याग्रहके लिये चुनावमें प्रथम आनेका उसका विशेष हक और अधिकार है।”

बारडोलीका केस श्री कल्याणजीभाभीने अपने बढ़िया ढंगसे उपस्थित किया। अन्होंने यह दलील पेश की कि :

“अंग्रेज जब पहले पहल आये, तब सूरतके बन्दरगाह पर अतरे। सूरतमें अन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की और सूरतसे ही अन्होंने धीरे-धीरे अपने पंजे फैलाकर सारे हिन्दुस्तानमें अपनी हुकूमत जमायी। असलिये अब जब अन्हें विदा देनी है तो वह सूरतसे ही मिले, यह हर प्रकार अचित है।”

अस चर्चाके अन्तमें तैयारीकी दृष्टिसे दोनों तालुकोंकी योग्यता स्वीकार की गयी और निश्चय किया गया कि गांधीजी सरदारके साथ दोनों तालुकोंमें — पहले बारडोलीमें और फिर आणन्दमें — घूमें और दोनों तालुकोंकी तैयारी स्वयं देखकर दोनों मिलकर अस बातका निर्णय करें कि सामूहिक सत्याग्रह किस तालुकेमें शुरू किया जाय।

ता० १७ नवम्बरको युवराजका बम्बयीमें आगमन होनेवाला था। कांग्रेसने श्रुनके स्वागतका कड़ा बहिष्कार करनेका निश्चय किया था। उस दिन बम्बयीमें मौजूद रहनेके लिये गांधीजीके नाम बम्बयी प्रांतीय कांग्रेस कमेटीके मंत्रीका श्राग्रहपूर्ण तार आया। असलिये गांधीजीने १७ तारीखको बम्बयी जाकर उसी दिन रातको वहासे रवाना होकर १८ मयीको सुबह बारडोली पहुंचनेका निश्चय किया। परन्तु बम्बयीमें १७ तारीखको दंगे शुरू हो गये। जबतक वे बन्द न हो जाय और सब जातियोंमें अकता स्थापित न हो जाय, तब तक के लिये गांधीजीने अुपवास किया। अपना अुपवास टूटनेके बाद गांधीजीने सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर दिया और असे कब शुरू किया जाय यह तय करनेका काम अहमदाबादकी कांग्रेस पर छोड़ दिया। सत्याग्रहके लिये आतुर बने अूँजे बारडोली और आणन्दको आश्वासन देते अूँजे गांधीजीने लिखा :

“मैं जानता हूँ कि आपके दुःखका पार नहीं है। आपने बड़ी आशाओं रखी थीं। आपने इसी वर्षमें अपने यज्ञसे और अपनी कुर्बानीसे स्वराज्य लेने, मुसलमान भाअियों और पंजाबके घाव भरने और अली भाअियों

आदि कैदियोंको छुड़ानेका बीड़ा अुटाया था। परन्तु अीश्वरने और ही कुछ सोच रखा था।

“‘नीपजे नरथी तो कोअी न रहे दुःखी’ ( मनुष्यकी चले तो कोअी दुःखी न रहे ) यह सत्य नरसिहने कहा है। हममें कुछ करनेकी शक्ति ही नहीं। हम तो केवल अिच्छा कर सकते है और मेहनत कर सकते है।

“ मेरे परम मित्र, पंजाबके साथी (अब्बास साहब तैयत्रजी) जिन्हें मैंने पंजाबके दुःखसे रोते देखा है और जिन्होंने आज बृढापेमें जवानोंके बराबर काम करना शुरू किया है, सारी जिन्दगी अंशो-आराममें रहकर भी जिन्होंने आपके और मेरे लिये अंश-आराम छोड़ा है और अिसीमें सुख मान लिया है, अुनके दुःख पर मैं विचार कर रहा हूं। अुन्हें अिसका जबरदस्त दुःख हो रहा है कि वे अपने खेडा जिलेको और अुसमें भी आणन्दको तुरन्त जेलमें नही भेज सकते। मैं अुन्हें और आपको विश्वास दिलाता हूं कि धीरजका फल मीठा ही मिलेगा।

“अभी कुछ विगडा नही है। हम बाजी हार नही गये है। हम तो दुःखमें से सुख पैदा कर सके है। अशान्ति हो गअी परन्तु अुसमे से शान्ति प्राप्त कर ली है, अंसा लगता है। अीश्वरने छोटा दुःख देकर हमें बडे दुःखसे बचा लिया है।

“मैं तो आपसे अत्यन्त शुद्ध यज्ञ चाहता हूं। अीश्वरके दरबारमें शुद्ध बलिदान ही स्वीकार होता है। बिना मांगे जो समय मिल गया है, अुसमें अपनेमें बाकी रहे तमाम दोष निकाल दीजिये।”

यह समझाते हुअे कि स्वराज्य अपने पुरुषार्थसे ही मिल सकता है गांधीजीने लिखा :

“जो यह मान बैठे है या जिन्होंने यह मनवाया है कि स्वराज्य तो गांधी किसी न किसी तरह दिसम्बरसे पहले दिलवा देगा, वे दोनों, अनजाने ही सही, अपने व देशके शत्रु माने जायंगे। वे स्वराज्यका अर्थ ही नहीं समझे। स्वराज्यका मतलब है स्वावलम्बन। मेरे हाथों स्वराज्य लेनेमें तो केवल परावलम्बन हुआ। मैं तो लेनेका रास्ता बताता हूं। लेना तो लोगोंके हाथमें ही है। मैं वैद्य हूं, दवा बता सकता हूं। खानेका तरीका, अुसका अनुपान और मात्रा वगैरा बता सकता हूं। परन्तु अन्तमें पुरुषार्थ तो मरीजको ही करना पड़ेगा।

“मैं अपने बारेमें तमाम भ्रम मिटा देना चाहता हूं। मैं लोगोंको यह समझाना चाहता हूं कि मैं अल्प प्राणी हूं। . . . यह माननेके बजाय

कि मेरी ताकतसे कुछ मिला, लोग यह मानें कि अन्हें जो कुछ मिला अन्होंने अपने बलसे, अपनी तपश्चर्यासे और अपनी ही आत्मशुद्धिसे प्राप्त किया। और ऐसा हो यही अिष्ट है।”

बादमें अहमदाबादकी कांग्रेस हुई। अुसमें सरकारकी दमन-नीतिके जवाबके तौर पर सत्याग्रह शुरू करनेका निश्चय हुआ और अिसके लिये गांधीजीको कांग्रेसका सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया। अुन्होंने अपनी सीधी देखरेखमें गुजरातमें सामूहिक सत्याग्रहका प्रयोग करनेका फैसला किया। अब यह सवाल सामने आया कि बारडोली और आणन्द अिन दोमें से कौनसा तालुका चुना जाय। दोनों तालुकोंने बड़े जोश और अुत्साहके साथ तैयारी की थी। परन्तु सरदारका रुख बारडोलीकी तरफ झुक गया। अुनका यह कहना था कि खेड़ा जिलेके लोग होशियार और अुत्साही तो जरूर हैं, परन्तु वहांकी आबादीमें ऐसा तत्त्व भी है जो अधिक अुत्तेजनाका अवसर आने पर काबूमें न रहे और दंगा-फसाद पर अुतर आकर हमारी बाजी बिगाड़ दे। अुधर बारडोलीके लोग कुल मिलाकर सरल और शान्त स्वभावके माने जाते हैं। गांधीजीको भी १९१८ में खेड़ा जिलेका कुछ अनुभव हो चुका था, अिसलिये अुन्होंने सरदारकी सलाह मान ली और स्वतंत्रताके धर्मयुद्धके लिये बारडोली तालुका अन्तिम रूपसे चुन लिया गया। वहांके लोगोंने सरकारी शिक्षाका लगभग पूर्ण बहिष्कार किया था। तालुकेके छोटे-बड़े अस्सी गांवोंमें से अिक्कावनमें राष्ट्रीय पाठशालाअें स्थापित हो चुकी थीं। लोगोंने घर-घर चरखे रख लिये थे और खूब सूत कातना शुरू कर दिया था। अिस प्रकार अुन्होंने सुन्दर तैयारी की थी।

अपने यहां सत्याग्रहका यज्ञ रचा जाना तय हो गया, तो बारडोलीने जमीनका लगान न देनेकी तैयारी करनी शुरू कर दी। यह देखकर तारीख १८-१-२२ को बारडोली मुकामसे वहांके असिस्टेंट कलेक्टर श्री शिवदासानीने अिस प्रकार विज्ञप्ति प्रकाशित की :

“आजकल लगान न देनेके बारेमें लोगोंसे दस्तखत कराये जा रहे हैं। जिस आदमीको अिस प्रकार हस्ताक्षर करने हों वह खुशीसे करे, ऐसा करनेकी हरशकको आजादी है। परन्तु मेरी लोगोंसे सिफारिश है कि वे केवल समझकर ही हस्ताक्षर करें। जो मनुष्य हस्ताक्षर करेगा अुसे कानूनके अनुसार लगान अेक मुश्त चुकाने सम्बन्धी नोटिस कलेक्टरकी तरफसे दिया जायगा। अुसे अेक मुश्त रुपया अदा करना पड़ेगा या अैसी जमानत देनी पड़ेगी कि किस्तके समय रुपया भर दिया जायगा। अैसा न करेगा तो खातेदारकी सारी जमीन कानूनके अनुसार जब्त कर

ली जायगी। बादमें अगर सारा तालुका अँसा करे, जो संभव नहीं दीखता, तो भी सरकारका रुपया कहीं नहीं जायगा। अिस बारडोली तालुकेके खेतोंमें केवल कपास ही अितनी खड़ी है कि अुसकी कीमत कमसे कम दस लाख रुपये होगी। सरकार अगर यह सारी कपास अेक बाहरके किसी बड़े व्यापारीको बेच दे, तो भी सरकारको सात-आठ लाखसे कम आमदनी नहीं होगी। और यह भी (लोगोंको) यकीन रखना चाहिये कि फिर वह व्यापारी चाहे जिस तरह अपने आदमी लाकर कपास बीन कर ले जायगा। यह तो सिर्फ अुस कपासकी बात है, जो खेतोंमें खड़ी है। अिसके सिवाय तमाम जमीन सरकारकी हो जायगी। अिस सारे तालुकेका लगान सिर्फ पौने चार लाख है। अिसलिअे सरकारको लोगोंके ढोरडंगर या और किसी भी व्यक्तिगत चीजको छूनेकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग सब कुछ गंवा देनेको तैयार हों, वे शौकसे दमखत करें। परन्तु मेरी जांचसे अँसा मालूम होता है कि लोगोंको ये सब बातें नहीं समझाअी जाती। अुन्टे लोगोंसे हस्ताक्षर करनेके लिअे आग्रह किया जाता है। अँसा करना बुरा है, क्योंकि लोग हस्ताक्षर करके मुकर जायंगे, और यह मैं जानता हूँ कि अधिकांश फूट जानेवाले हैं। असलमें तो हस्ताक्षरके लिअे आग्रह करनेसे पहले लोगोंसे कहना चाहिये कि जो लोग हस्ताक्षर करते हैं, अुन्हें अपने आसामीसे लगान नहीं मांगना चाहिये और लगानके बदले जो कुछ चावल, घास या अनाज मिला हो वह भी लौटा देना चाहिये। साथ ही वे लोग पूरी तरह योग्य और प्रामाणिक तभी कहे जा सकते हैं जबकि आसामियोंको हस्ताक्षरसे होनेवाले नुकसानकी भरपाअी कर दें। क्योंकि लगान चुकानेमें खातेदारके कसूर करनेसे बेचारे आसामीको हानि अुटानी पड़े यह अनुचित है। मेरी जानकारीके अनुसार हस्ताक्षर करानेसे पहले लोगोंको यह नहीं कहा जाता।

“यह धमकी या चेतावनी नहीं है, केवल समझानेके लिअे है। यह बात नहीं है कि सरकारको किमीकी फसल या जमीन चाहिये। परन्तु सरकार सब कुछ किसानोंके फायदेके लिअे ही करती है। अिसीलिअे सरकारी लगान अेक मास बादमें लिया जायगा। अिस तालुकेमें कपासकी फसल अधिक होने और देरसे तैयार होनेके कारण किसानोंको जनवरी और मार्चमें सरकारी लगान चुकाना असुविधाजनक प्रतीत होता था। परन्तु जब लोग सरकारी लगान न चुकानेके लिअे हस्ताक्षर करेंगे, तो सरकारी अधिकारियोंको कार्रवाअी करनी पड़ेगी और खातेदारोंसे दोनों किस्ते नोटिस देकर अेक मुश्त मांगनी पड़ेगी।”

गांधीजीको जिस विज्ञप्तिकी भाषा बड़ी विनम्र मालूम हुई। उन्होंने जिस पर आलोचना करते हुए लिखा :

“सरकारी नौकरीमें रहते हुए भी देशी अफसर विवेक रखन लग जायं, तो यह कोअी अधिक बात नहीं होगी। लेकिन अगर जिस विज्ञप्तिकी भाषा अंग्रेज अधिकारीने देख और समझकर पसन्द की हो, तो जिसे मैं बड़ा परिवर्तन मानता हूं और हमारी लड़ाईका शुभ आरम्भ समझता हूं। . . . जिस विज्ञप्तिका स्वागत करनेके साथ मैं अतना ही कहना चाहता हूं कि बारडोली तालुकेके अक भी किसानको अंधेरेमें नहीं रखा गया है। हरअक स्त्री-पुरुषसे कह दिया गया है कि सरकार

१. सारी फसल बेच सकती है।
२. लावोंकी पैदावार कौडियोंके मोल ले सकती है।
३. ढोरडंगर और बरतन-भांडे भी ले जा सकती है।
४. अिनामी जमीन भी जब्त कर सकती है।
५. लोगोंको जेल भेज सकती है।
६. लोगोंका रेल, तार और डाक वगैराके साथका सम्बन्ध बन्द करके व बारडोली तालुकेके आसपास घेरा डालकर लोगोंको अुसमें बन्द करके थकानेका प्रयत्न कर सकती है।

“लोग ये तमाम अुद्रव शान्तिपूर्वक सहन करनेको तैयार हों तो ही लड़ें।”

आगे जब लड़ाई बन्द रखी गयी और अुमके बाद मार्च महीनेमें गांधीजीको गिरफ्तार किया गया, तब अपरोक्त विज्ञप्ति निकालनेवाले असिस्टेंट कलेक्टर श्री शिवदासानीने अपनी नौकरीसे अिम्तीफा दे दिया था।

गांधीजी और सरदारने तो बारडोलीकी योग्यताके बारेमें अितमीनान कर लिया था, फिर भी विशेष चौकसाजीके लिये अच्छी तरह जांच करनेका काम गांधीजीने श्री विट्टलभाभी पटेलको सौंपा। वे ता० २४ जनवरीसे बारडोलीमें अपना मुकाम रखकर गांव-गांव घूमकर जांच करने लगे। फिर ३० तारीखको सत्याग्रहका निश्चय करनेके लिये बारडोली तालुकेकी परिषद बुलायी गयी। बारडोली तालुका कांग्रेसके अध्यक्ष श्री कुंवरजी विट्टलभाभी महेता स्वागताध्यक्ष थे। परिषदका अध्यक्षपद श्री विट्टलभाभी पटेलको दिया गया था और गांधीजी, सरदार और कांग्रेस कार्यसमितिके जो सदस्य अुस समय बाहर थे, वे जिस परिषदमें शरीक हुए थे।

माननीय विट्टलभाभीने अध्यक्षकी हैसियतसे अपने भाषणमें कहा :

“मैं जिस परिषदके अध्यक्षकी तैयारीसे ही यहां नहीं आया हूँ। तालुकेमें आकर जांच करनेका काम भी मुझे सौंपा गया है। तदनुसार मैं यहां २४ तारीखसे आया हूँ। .... सरकारी अधिकारी कहते हैं कि आपने प्रतिज्ञापत्रों पर जो हस्ताक्षर किये हैं सो बिना समझे किये हैं पूरी हकीकत आपके सामने रखे बगैर आपसे धोखा देकर हस्ताक्षर कराये गये हैं। मैं लगभग साठ गांधीके लोगोंसे मिला हूँ। उनमें पूछकर मैंने अतिमीनान कर लिया है कि तालुकेके लोगोंने ९९ फी सदी हस्ताक्षर तो पूरी तरह समझकर ही किये हैं।.....”

अन्होंने अपनी जांचका वर्णन करते हुअे कहा :

“जिस तालुकेमें ८७ हजारकी आबादी है। उसमें लगभग ३० हजार पाटीदार, लगभग ४५ हजार दूबले और ढोड़िये वगैरा रानीपरज है, तीनेक हजार मुसलमान, तीनेक हजार अनाविल ब्राह्मण, दो हजार बनिये और दोअेक हजार अछूत स्त्री-पुरुष है। ..... बनिये-ब्राह्मण लड़ाकीके विरुद्ध नहीं है तो पक्षमें भी नहीं है। पाटीदार लोगोंका बारह आने भाग लड़ाकीमें अत्साहपूर्वक शगीक है और वे जितना त्याग करना पडे करनेको तैयार है। यह सच है कि दूबले वगैरा वर्गोंमें कार्यकर्ताओंने अभी तक प्रवेश नहीं किया है, फिर भी पाटीदार उनसे चाहे जैसा काम ले सकते हैं अैसी उनकी स्थिति है। हिन्दू, मुसलमान और दूसरी कौमोंकी आपसी अेकताके मामलेमें मुझे यहां कमी नहीं जान पडती। अस्पृश्यता-निवारणके वारेमें जिस तालुकेकी प्रगति मुझे संतोषजनक प्रतीत हुअी है। मैं जिस गांवमें गया वहां अुच्च वर्णके बहुतसे लोग मेरे साथ अछूत मुहल्लेमें गये थे। उनमें मैंने कोअी धन या हिचकिचाहट नहीं पाअी। राष्ट्रीय पाठशालाओंमें अछूत बच्चोंको भरती करनेका काम अभी कम हुआ है, यद्यपि सविनय भंगमें देर करने लायक कम तो मैं नहीं कहूंगा। जिस छोटेसे तालुकेमें शराबकी दुकानें और ताड़ीघर अधिक कहे जा सकते हैं—परन्तु पीनेवाला वर्ग अधिकतर दूबलोंका है। उन पर यहांके पाटीदार असर डालें तो ये सब दुकानें और ताड़ीघर खाली रहें। जिस तालुकेमें शांतिभंगका मुझे बहुत थोडा खतरा मालूम होता है। तालुकेमें अपराध कम होते हैं। यहांके लोगोंमें सरकार-दरवारमें जानेकी अधिक आदत नहीं है। बहुतसे झगड़े घरमें ही निपटा लिये जाते हैं।”

बादमें तालुकेके लोगोंको सम्बोधन करके कहा :

“आपने जो कीर्ति कमा ली है, हिन्दुस्तान आपसे उसकी कीमत मांग सकता है। अगर आप उस कीर्तिका मूल्य चुकानेके लिये अयोग्य हों, तो

अभीसे वैसा कह दीजिये । अिस तरह साफ कह देंगे तो आपका सारे हिन्दुस्तान पर अुपकार होगा । अेक बार रणक्षेत्रमें आ जानेके बाद कायर बनकर पीठ दिखानेकी अपेक्षा पहलेसे ही अयोग्यता स्वीकार कर लनेमें शूरवीरता है ।

“अिसलिये बार-बार विचार कर लीजिये । तहसीलदार या असिस्टेन्ट कलेक्टर या कलेक्टर भले ही आपसे कहें कि आपकी दूसरी सम्पत्ति, जेवर या ढोरडंगर सरकार नहीं लेगी । केवल खेतोंमें खड़ी कपास ही, जो दस लाखकी है, व्यापारियोंको दे देगी । परन्तु मैं कहता हूं कि आपकी जंगम संपत्ति लेनेका सरकारको अधिकार है । और सरकार वह न ले अितनी दयालु हो तो मुझे यह नयी ही बात सीखनी पड़ेगी । मैं यह मान ही नहीं सकता कि सरकार जमीनें जब्त नहीं करेगी । वह आपके विरुद्ध हजार तरकीबें करके कायदे-वेकायदे अिस युद्धमें लड़ेगी । आपको कैद करेगी, और आपका भाग्य होगा तो आप पर गोलियां भी चलायेगी । यह सब सहन करनेको तैयार हों तो ही लडाओमें पड़िये । अीश्वरको साक्षी समझकर मुझे जो सत्य प्रतीत होता है वही आपसे कहता हूं कि अेक तरफ आपके हाथों हिन्दुस्तानको स्वतंत्रता दिलवानेका काम होगा और दूसरी तरफ आपको अपनी सम्पत्ति और अपनी जान पानीमें भी सस्ती करनी पड़ेगी । संभव है सारा बारडोली तालुका नकशे परसे मिट जाय, यह हिसाब लगाकर काम कीजिये । कुछ लोग कहेंगे कि विद्रुलभाभीने बहुत डराया, परन्तु सचेत करनेके लिये बहुत डर दिखाना अच्छा है ।”

गांधीजीने भी लोगोंको विस्तारसे सब बातें साफ खोलकर समझाया कि सत्याग्रहके योग्य बननेके लिये कितनी तैयारियां करनी चाहियें और अुसमें कितनी जोखमें अुठानी होंगी । यह सारी सफाअी अिसीलिये की गयी कि कोअी अनजानमें न रहे और समझे विना हाथ न अुठाये । गांधीजीने साफ कहा कि हाथ अुठा देनेसे स्वराज्य नहीं मिल जायगा । स्वयं मरकर, जमीन-जायदाद बरवाद करके, बरतन-भांडे, ढोरडंगर गंवाकर, और पामाल होकर ही स्वराज्य लेना है । गांधीजी और विद्रुलभाभी सब कुछ कह रहे थे, अिसलिये सरदारको कुछ वोलना नहीं था । परन्तु अुनकी तीखी नजर चारों ओर फिर रही थी और अुन्होंने ताड़ लिया था कि अिस तालुकेके लोगोंको ठीक रास्ता बताया जाय और अुनका विश्वास जम जाय, तो अुन्हें त्याग और बलिदानके मार्ग पर अच्छी तरह अग्रसर किया जा सकता है । अिस परस्वका अुपयोग अुन्होंने १९२८ में बारडोली सत्याग्रहकी लडाओमें



अच्छी तरह किया। लोगोंने १९३० और १९३२ की लड़ाकियोंमें भी अच्छा जवाब दिया।

गांधीजीने अपने भाषणके अन्तमें कहा :

“कोओ यह न मान बैठे कि मैं यहां रहनेवाला हूं असलिय आपकी बचा लूंगा। मैं जहां जाता हूं वहां तो अुल्टे अुपद्रव ही होते हैं। हम सब परेशान हो जाते हैं। मैं आपमें शान्ति कायम करने नहीं आया परन्तु अशाान्ति पैदा करने आया हूं। अशाान्तिके बिना शान्ति नहीं है। परन्तु वह अशाान्ति हमारी अपनी है। जब हमें खूब मानसिक कष्ट होगा, जब हम कष्टोंकी अग्निमें खूब तपेंगे, तभी सच्ची शान्ति प्राप्त कर सकेंगे।”

अितनी समझ और चेतावनी मिलनेके बाद परिषदने सर्वसम्मतिसे और खूब अुत्साहक साथ यह प्रस्ताव पास किया :

“सामूहिक सविनय भंगके लिये कांग्रेसकी निश्चित की हुओी शर्तें पूरी तरह समक्षनेके बाद बारडोली तालुकेकी यह परिषद निश्चय करती है कि :

१. यह तालुका सामूहिक सविनय भंगके लिये तैयार है।

२. यह परिषद मानती है कि

(१) हिन्दुस्तानके दुःख दूर करनेके लिये हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ओसाओी वगैरा जातियोंमें मित्रताकी आवश्यकता है।

(२) अुपरोक्त दुःखोंकी दवा शान्ति, धैर्य और सहनशीलता ही है।

(३) हिन्दुस्तानकी स्वतंत्रताके लिये प्रत्येक घरमें चरखा चलाने और सबके हाथकते सूतके हाथबुने कपड़ेका अुपयोग करनेकी आवश्यकता है।

(४) हिन्दू जब तक छुआछूत बिलकुल छोड़ नहीं देंगे, तब तक स्वराज्य असंभव है।

(५) लोगोंकी अुन्नतिके लिये और बंधनमुक्त होनेके लिये गुस्सा किये बिना जमीन-जायदाद खोने, कैदमें जाने या जरूरत पड़ने पर प्राण देनेको भी तैयार होनेकी आवश्यकता है।

३. यह परिषद आशा रखती है कि बारडोली तालुकेको अपनी कुर्बानी देनेका सबसे पहले मौका मिलेगा।

४. यह परिषद कांग्रेस कार्यसमितिको सूचित करती है कि अगर कार्यसमिति दूसरे कोओी भी बन्धनकारक प्रस्ताव पास न करे या गोलमेज

परिषद न हो, तो बारडोली महात्मा गांधी और परिषदके अध्यक्षकी सलाहके अनुसार तुरन्त सामूहिक सविनय भंग शुरू कर देगा।

५. यह परिषद सिफारिश करती है कि जो कांग्रेस द्वारा निश्चित शर्तोंका पालन करनेको तैयार हों, वे बारडोली तालुका निवासी दूसरा निश्चय होने तक सरकारी लगान न दें।”

सत्याग्रहकी लड़ाई छेड़नेके लिये आणन्द तालुका बारडोली तालुकेका प्रतिद्वंद्वी था। परन्तु यह स्पर्धा दोनोंके लिये सुन्दर और अनुभूतिकर थी। आणन्द तालुकेके बुजुर्ग नायक श्री अब्बाससाहब तैयबजी अपने तालुकेको ऐसा अमूल्य लाभ न मिलने पर मनमें दुःखी हुआ हों तो आश्चर्य नहीं। परन्तु अन्हीने परिषदमें बारडोलीको प्रसन्नता और सच्चे मनसे बधाई और दुआ दी।

आलोचक कहने लग कि बारडोलीके लोग तो भोले और नरम हैं और उनका विश्वास करनेमें गांधीजी बड़ी भूल कर रहे हैं। इसका गांधीजीने जो जवाब दिया, वह सुन्दर ढंगसे बताता है कि सत्याग्रही सेनापतिकी वृत्ति कैसी होनी चाहिये :

“मैं तो भूल करता ही रहता हूं और अश्वर सुधारता रहता है। मुझ लोग हजागें बार धोखा दें, तो भी मैं अविश्वास कैसे कर सकता हूं? जब तक विश्वास करनेका जरा भी कारण पाऊंगा तब तक तो विश्वास ही रखूंगा। अविश्वासका स्पष्ट कारण मिल जाने पर विश्वास करना मूर्खता है। परन्तु सन्देहमें ही अविश्वास कर लेना अज्ञानता और नास्तिकता है। विश्वास पर तो दुनिया चलती है।

“मुझे तो बारडोलीके लोगोंने अितने सच्चे दिलसे बात की है कि उनका अविश्वास करना मुझे पाप मालूम हुआ। मैं उनके प्रतिनिधियोंके साथ अविश्वाससे बात करन बैठा और अन्हीने मुझमें विश्वास पैदा कर दिया।

“बारडोलीके लोग सादे हैं, भोले हैं, अन्हें किसी अश-आरामकी जरूरत नहीं। वे मालदार नहीं तो भिखारी भी नहीं। वे फसादी नहीं तो कमजोर भी नहीं। वे झगड़ालू नहीं परन्तु स्नेहशील हैं। उनमें आपसमें झगड़े-टंटे नहीं। अन्होंने अधिकारी वर्गके साथ मिठास कायम रखी है। अन्हें स्थानीय दुःख नहीं है अर्मलिये उनकी लड़ाईकी मांग केवल निःस्वार्थ ही है। अन्होंने योग्य बननेके लिये खूब प्रयत्न किया है। अपनी शक्ति चुराई नहीं। वे स्वदेशीमें सम्पूर्ण नहीं बने, परन्तु सम्पूर्ण बननेके लिये काफी प्रयत्न कर रहे हैं। अन्होंने अस्पृश्यताको जिस हद तक मिटा दिया

है, उस हद तक वह हिन्दुस्तानके किमी और भागमें नहीं मिटी। असलिये म मानता हूँ कि कोअी भी तालुका योग्य माना जा सकता है तो वह बारडोली ही है।”

बादमें ता० २१ को सुरतमें कांग्रेस कार्यसमितिकी जो बैठक हुआ, उसमें मंजूर कराकर गांधीजीने वाअिसरायको १ फरवरीको अक लम्बा पत्र लिखा। अूसके अन्तिम पैरेमें सूचित किया कि :

“परन्तु बारडोलीमें सविनय भंगका काम शुरू होनेसे पहले भारत सरकारके प्रधान शासककी हैसियतसे आपसे मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि अपनी नीति अन्तिम रूपसे बदलिये। जिन असहयोगी केंदियोंको शान्तिपूर्ण हलचलोंके सम्बन्धमें गिरफ्तार या कैद किया गया है उन सबको छोड़ दीजिये। साफ तौर पर घोषणा कीजिये कि देशके भीतर जो-जो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो रहे हैं, सरकार उनमें जरा भी दखल नहीं देगी; फिर भले ही वे आन्दोलन खिलाफत, पंजाब या स्वराज्य सम्बन्धी हों और भले ही वे शान्त आन्दोलन फौजदारी अपराधोंसे सम्बन्ध रखनेवाले या दमन नीतिवाले किसी भी कानूनके भीतर आ जाते हों। अिसी प्रकार अखबारों परसे सारा गैरकानूनी नियंत्रण हट जाना चाहिये और जो जूरमाना या कुकियां की गयी हैं वे वापस मिलनी चाहियें। अिस प्रकार मांग करनेमें अुन देशकी अपेक्षा, जहां सभ्य शासननीति प्रचलित मानी जाती है, मैं कोअी अधिक मांग नहीं करता। अगर अिस धोषणापत्रके प्रकाशित होनेके बाद सात दिनके भीतर मेरी मांगको स्वीकार करनेकी आप घोषणा कर देंगे, तो जो कांग्रेसी कैदमें हैं वे छूटकर सारी वस्तुस्थितिका नये सिरेसे विचार कर सकें तब तक आक्रमणकारी सविनयभंग स्थगित रखनेकी सलाह देनेको तैयार हूँ। अगर सरकार अिस प्रकार मेरी मांग मंजूर कर लेगी, तो मैं यह मानूंगा कि लोकमतका आदर करनेका अुसका शुभ अिरादा है, और असलिये लोगोंको मैं यह सलाह दूंगा कि वे किसी तरफसे लगाये प्रतिबन्धके बिना सार्वजनिक मतको अधिक शिक्षित बनानेमें लग जायें और यह विश्वास रखें कि देशकी निश्चित मांगें अुसके द्वारा स्वीकार करायी जा सकेंगी। अैसा होनेके बाद अगर कदाचित् सरकार पूरी निष्पक्ष नीतिकी त्याग कर दे या भारतीय जनताके स्पष्ट रूपसे विदित हो जानेवाले मतका आदर न करे, तो ही आक्रमणकारी सविनय भंग शुरू किया जाय।”

सरकारने अिस पत्रका जो जवाब दिया, अुसमें अपने निर्दोष होनेका दावा किया और असहयोगियोंको दोषी साबित करनेका प्रयत्न

किया। अुदाहरणके ललअे, सभाबन्दी और जवानबन्दीके नोटिसोंके बाबत सरकारने बताया कि असहयोगियोंकी बदमाशीके कारण ही ये मनाहियां करनी पड़ी है। दूसरे आक्षेपोंके मामलेमें सरकारने जान-बूझकर कोभी ध्यान नहीं दिया। गांधीजीने सरकारके अस अुत्तरका प्रत्युत्तर दिया, जिसमें सरकारकी तरफसे की जानेवाली लूट, मारपीट, खादी जलाने, कांग्रेस कार्यालयों पर रातके समय धावे करने वगैराके दृष्टान्त अुद्धृत किये। दूसरी ओर बारडोली तालुकेके लोगोंके ललअे रोज पत्रिकाअें निकालकर अुन्हें तैयार करनेकी हलचल जारी थी। अितनेमें संयुक्त प्रान्तके गोरखपुर जिलेके चौगीचोरा नामक गांवके लोगोंकी तरफसे हुअे हत्याकांडके चौकानेवाले समाचार आये। अुस गांवमें अेक जुलूस निकला था। अुस जुलूसमें पीछे रहनेवाले लोगोंको पुलिसने सताया और गालियां दीं। लोग चिल्लाये तो आगे निकल गयी भीड़ लौट पड़ी। पुलिसने अुस पर गोली चला दी। परन्तु थोड़ी देरमें अुसके पासके कारतूस खतम हो गये, तो पुलिसवाले अपनी सुरक्षाके ललअे थानेमें घुस गये। भीड़ने थानेको आग लगा दी। ज्यों ही भीतर घुसे हुअे पुलिसके सिपाही जान बचानेको बाहर निकले, त्यों ही विकराल भीड़ने अुन्हें चीर डाला और अुनकी छिन्न-भिन्न लाशोंको घधकती आगमें डालकर जला दिया। कुल २१ सिपाही और थानेदारका अेक जवान लड़का असमें मारे गये। असके बचावमें यह कहा गया कि लोगोंकी भीड़को अुस समय पुलिसने सताया ही नहीं था, बल्कि अुस जिलेमें पुलिसका जुन्म और आतंक भी जारी था और अससे लोग भड़के हुअे थे। गांधीजीके ललअे अस सफाशुकी कोभी अर्थ नहीं था। अुन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि पुलिसकी तरफसे पहले कितनी ही ज्यादाती हुअी हो, तो भी जब वे निराधार हो गये थे और लोगोंकी भीड़की दया पर आ पड़े थे, तब अुनकी अस निर्दयतासे हत्या करनेका किसी भी तरह बचाव किया ही नहीं जा सकता। अस पर भी जब हम अहिंसापरायण होनेका दावा करते हों और केवल शुद्ध साधनों द्वारा ही स्वतंत्रता लेनेके अुम्मीदवार बनें, तब अैसी हुल्लडबाजी करके मारकाट करना अक्षम्य ही माना जा जायगा। छोटे-छोटे दंगे तो और जगह भी हुअे ही थे। असललअे अैसे हिंसामय वातावरणमें बारडोलीका सामूहिक सविनय भंग नहीं चलाया जा सकता, यह विचार अुन्हें तत्काल सूझा। कांग्रेसने अुन्हें सर्वाधिकारी बनाया था। असललअे अुन्हें सविनय भंग मूलतवी कर देनेका अधिकार तो था, परन्तु अस विचारसे कि कार्यसमितिके जो-जो सदस्य बाहर हैं, अुनसे सलाह-मशविरा करके जो भी निर्णय हो वह घोषित किया जाय, अुन्होंने ता० ११ फरवरीको बारडोलीमें कार्यसमितिकी बैठक

बुलाओ। अउस समयकी अपनी मनोव्यथाका वर्णन गांधीजीने 'घरका घाब' शीर्षक लेखमें किया है :

“परन्तु अभी-अभी तो वाअिसराँय साहबको समझौतेका लम्बा-चौड़ा पत्र लिखकर भेजा और अउसके जवाबका जवाब भी दे दिया, अउसका क्या होगा?’ अिस प्रकार शैतान कानके पास गुनगुनाया। मेरी लज्जाकी सीमा न दिखाओ दी। ‘बड़ा ढोंग करके सरकारको बड़ी-बड़ी धमकियाँ दीं। बारडोलोके लोगोंको बड़ी-बड़ी आशाओं दिलाओं और दूसरे दिन अिस तरह पीठ दिखा दी। कितनी भारी मर्दानगी!’ अिस प्रकार शैतान मुझसे सत्यका और अिसलिये धर्म और ओश्वरका अिनकार करानेको पच रहा था। मैंने अपनी शंकाओं और अपना दुःख कार्यसमितिके सामने और साथ ही जो साथी मेरे पास दिखाओ दिये अुनके सामने रखा। पहले तो अुनमें से सभीको मेरा कहना गले नहीं अुतरा, कुछको शायद अब भी मेरी बात समझमें न आओ हो। परन्तु ओश्वरने मुझे जैसे समझदार और अुदारहृदय साथी और सहयोगी दिये हैं, वैसे शायद ही किसीको दिये होंगे। अुन्होंने मेरी मुश्किल समझी और धीरजसे मेरी सारी बात सुनी।”

ता० ११ और १२ फरवरीके दो दिन कार्यसमितिकी बैठक चली। अुसमें स्वीकृत प्रस्तावके मुद्दे अिस प्रकार हैं :

“१. चौरीचोराके अमानुषिक अत्याचारोंके लिये खेद।

“२. पूर्ण अहिंसामय वातावरण पैदा होने तक सामूहिक सविनय भंग मुलतवी किया जाय। सरकारके स्थगित किये गये कर चुका दिये जायं। आक्रमणकारी सविनय भंगकी तैयारियां बन्द कर दी जायं।

“३. जेल आमंत्रित करनेवाली हलचलें बन्द करके कांग्रेसकी साधारण प्रवृत्तियां जारी रखी जायं। अच्छे चरित्रवाले और कांग्रेस समितियों द्वारा खास तौर पर चुने हुअे लोगोंसे ही शराबकी दुकानों पर धरना दिलवाया जाय। दूसरे सब धरने बन्द कर दिये जायं।

“४. सभाबन्दी कानूनको भंग करनेके लिये स्वयंसेवकोंके जुलूस निकालना और सार्वजनिक सभाओं करना बन्द किया जाय। कांग्रेसकी खानगी बैठकें और साधारण सार्वजनिक सभाओं करनेकी छूट रखी जाय।

“५. जमींदारोंका लगान न रोकनेके लिये किसानोंको समझाया जाय। कांग्रेसके आन्दोलनोंका अुद्देश्य जमींदारोंके जायज हकों पर आघात करना नहीं है।”

प्रस्तावमें लोगोंको भावी कार्यक्रम भी दिया गया :

“१. कांग्रेसके कमसे कम अेक करोड़ सदस्य बनाये जायं। स्वराज्यके लिये सत्य और अहिंसाको अनिवार्य माननेवालोंको ही भरती किया जाय।

“२. चरखे और शुद्ध खादीकी अुत्पत्तिका काम बढ़ाया जाय। हरअेक कार्यकर्ता शुद्ध खादी ही पहने और प्रोत्साहनके लिये कातना भी सीख ले।

“३. राष्ट्रीय पाठशालाअें स्थापित की जायं और चलायी जायं। सरकारी पाठशालाअों पर धरना न दिया जाय।

“४. अछूतोंकी स्थिति सुधारी जाय। अपने बच्चोंको राष्ट्रीय पाठशालाअोंमें भेजनेको अुन्हें समझाया जाय और दूसरी साधारण सुविधाअें कर दी जायं। जहां अुनके प्रति अरुचि न मिटी हो, वहां कांग्रेसकी तरफसे अुनके लिये अलग पाठशालाअें और अलग कुअें बनवा दिये जायं।

“५. शराब पीनेकी आदतवाले लोगोंके घर-घर घूमकर मद्यनिषेधका आन्दोलन चलाया जाय।

“६. शहरो और गांवोंमें पंचायती अदालतें स्थापित की जायं। अुनके फैसले मनवानेके लिये सामाजिक बहिष्कारका अुपयोग हरगिज न किया जाय।

“७. अेक सेवा-विभाग खोला जाय, जो कोअी भेदभाव न रखकर सब जातियोंकी बीमारी या दुर्घटनाके समय सहायता करे।

“८. तिलक स्वराज्य कोषका चन्दा शुरू किया जाय और कांग्रेसके हरअेक सदस्यसे और कांग्रेसके प्रति सहानुभूति रखनेवालेसे अपनी १९२१ की आयका सौवां हिस्सा देनेका अनुरोध किया जाय।”

गांधीजीने चौरीचोराके दोषके प्रायश्चित्तके रूपमें पाच दिनका अुपवास किया। प्रायश्चित्तकी घोषणा करनेकी जरूरत नही पड़ती। परन्तु अिस अुपवासकी घोषणा करनेका गांधीजीने यह कारण दिया कि यद्यपि यह अुपवास अुनके अपने लिये प्रायश्चित्त था, परन्तु साथ ही चौरीचोराके दोषी लोगोंके लिये वह सजाके रूपमें था। गांधीजीने लिखा था:

“प्रेमकी सजा अैसी ही हो सकती है। प्रेमीका जी दुखता है तब वह प्रियाको दंड नहीं देता, परन्तु स्वयं पीड़ा भोगता है, खुद भूखसे पीड़ित होता है, अपना ही सिर पीट लेता है। प्रियजन समझे या न समझे, अिस बारेमें वह निश्चिन्त रहता है।”

ता० २५ फरवरीको दिल्लीमें अिस मामले पर विचार करनेको महासमितिकी बैठक हुअी। अुसमें कार्यसमितिका बारडोलीका प्रस्ताव कुछ

परिवर्तनोंके साथ पास हुआ। परन्तु गांधीजीने देखा कि वह प्रस्ताव महासमितिके बहुत थोड़े सदस्योंको सचमुच पसन्द आया था। गांधीजीको जो मत मिले, वे उनके अपने लिये मिले थे। सदस्योंने अनकी राय और विचारोंकी सत्यता स्वीकार करके अन्हें मत नहीं दिये थे। असिलिये अन्हें बहुत दुःख और निराशा हुआ। परन्तु लोगों और दूसरे नेताओंको दूसरे ही कारणोंसे अुनसे भी ज्यादा दुःख और निराशा हुआ थी। बारडोलीके लोगोंकी निराशाका तो पार नहीं था। वहांके स्वयंसेवकोंने अेक सालसे न रात देखी, न दिन देखा और भटक-भटककर सारे तालुकेको तैयार किया था। खेड़ा जिला और खास तौर पर आणन्द तालुका, अिन दोनोको भले ही सामूहिक सविनय भंगका लाभ न मिला, परन्तु वे व्यक्तिगत सविनय भंग तो करने ही वाले थे और असिके लिये अन्हें मंजूरी भी मिल गयी थी। असिके लिये जिलेके बहुत लोगोंने जमीनका लगान नहीं चुकाया था। अस प्रकार अन्हें निराशा हुआ। परन्तु अुन लोगोंकी गांधीजी पर अनन्य श्रद्धा थी। असिलिये अुन्होंने अुनकी बात शिरोधार्य कर ली और वे अुनकी सलाहके अनुसार रचनात्मक काममें, खास तौर पर खादी काममें, लग गये। परन्तु बड़े राजनैतिक नेताओं और राजनैतिक लड़ाओके रसिया नौजवानोंके लिये गांधीजीकी यह बात समझना कठिन था। अुनका यह खयाल था कि देशके किसी भी भागमें दंगे हों और सामूहिक सविनय भंगकी लड़ाओ रोक दी जाय — तो अस शर्त पर तो सामूहिक सविनय भंग कभी हो ही नहीं सकता। अैसे दो-चार दंगे तो युक्ति-प्रयुक्ति करके हमारे विरोधी और सरकार भी जहां चाहे और जब चाहे पैदा कर सकती है। हम जनता पर कितना ही काबू जमा लें, तो भी जनतामें अैसे तत्त्व तो रहेंगे ही, जिनसे अैसे दंगे आसानीसे कराये जा सकते हैं। लाला लाजपतराय और पंडित मोतीलाल नेहरू वगैराको, जो जेलमें थे, गांधीजीके निर्णयसे बड़ा आघात पहुंचा। वे नाराज हुए और दिल्लीकी महासमितिकी बैठकसे पहले गांधीजीको पत्र लिखा कि यह निर्णय देशको भारी नुकसान पहुंचायेगा, लोग हिम्मत हार जायंगे और देश तथा कांग्रेसकी अिज्जतको बड़ा धक्का पहुंचेगा। जेलके भीतर और बाहर-वालोंमें से बहुतांका यह खयाल था कि जिस समय हमारी स्थिति बहुत मजबूत थी, सरकारके दमनका लोगों पर कुछ भी असर नहीं होता था, सभी मोर्चों पर हमारी विजय ही होती दिखाओ देती थी, वाअिसरायने स्वयं खुल्लमखुल्ला कहा था कि सरकार तंग आ गयी है और परेशानीमें पड़ गयी है, अस समय लड़ाओ मुलतवी करनेमें गांधीजीने भूल की। बम्बओके गवर्नरने नवम्बर १९२३ में अेक अंग्रेजके साथ अपनी मुलाकातमें कहा था :

“है तो अितना-सा सूखी लकड़ी जैसा, परन्तु अुसने तैंतीस करोड़ भारतीयों पर अधिकार जमा लिया है। अुसके मुंहसे निकलते ही सारी जनता अुसकी बात मान लेती है। सांसारिक बातोंकी अुसे परवाह ही नहीं होती। हिन्दुस्तानके आदर्शों और धर्मका ही अपुदेश दिया करता है। आदर्शोंसे किसीने राज्य किया है? फिर भी अुसने लोगोंके दिलोंमें अच्छी तरह स्थान प्राप्त कर लिया है। वह लोगोंका परमेश्वर बन गया है। हिन्दुस्तानको कोअी न कोअी तो परमेश्वर जरूर चाहिये। पहले तिलक थे। फिर गांधी हुआ। कल कोअी और हो जायगा। अुसने हमें परेशान कर दिया। अुसके कार्यक्रमने हमारी तमाम जेलें भर दीं। परन्तु अिस तरह आदमी कहां तक लोगोंको जेलमें बन्द करता रहे, खास तौर पर जहां तैंतीस करोड़की आबादी हो? और अगर लोगोंने अगला कदम अुठाय़ा होता, अगर कर देनेसे अिनकार कर दिया होता, तो भगवान जाने आज हम कहां होते! गांधीका प्रयोग सारी दुनियामें अपूर्व था और बड़ा जबरदस्त था। अुसके और विजयके बीच अेक बालिशतका ही अन्तर था, परन्तु वह लोगोंके आवेशको अंकुशमें न रख सका। लोगोंने हिसा-मार्ग ग्रहण किया और गांधीने अपनी लड़ाअी मुलतवी कर दी।”\*

गांधीजीके सिवाय सब नेताओंका यह खयाल था कि अगर लड़ाअी सिर्फ अिस कारण बन्द कर दी जाय कि देशके अेक कोनेमें अुत्तेजित भीड़ने कुछ अत्याचार किया, तो यह राजनैतिक दृष्टिसे देशको पीछे धकेलनेवाली बात है। श्री विट्ठलभाअीको, जो बारडोलीकी लड़ाअीमें शुरूसे दिलचस्पी ले रहे थे, लड़ाअी बन्द करनेकी गांधीजीकी बात जरा भी पसन्द नहीं थी। केवल सरदार और राजेन्द्रबाबूने विरोध या निराशाका अेक शब्द भी कहे बिना ज्ञानयुक्त श्रद्धाके साथ गांधीजीका निर्णय शिरोधार्य किया था। जवाहरलालने अपनी जीवनकथामें अिस चीजका पृथक्करण बड़े सुन्दर ढंगसे किया है :

“सच बात तो यह है कि फरवरी १९२२ में सदिनय भंगकी लड़ाअी बन्द हुआ, सो केवल चौरीचोराके कारण ही तो नहीं हुआ, यद्यपि बहुत लोग यही मानते थे। चौरीचोरा तो अेक अस्तित्म निर्मित्त बन गया। गांधीजी अकसर अपनी अन्तःप्रेरणाने ही काम करते हैं। लोगोंके साथके लम्बे और निकट सम्पर्कके कारण बड़े लोकनेताओंकी जो अेक नअी दृष्टि खुल जाती है, वैसी ही नअी दृष्टि अिनकी खुल गअी है। अिससे वे आसानीसे



देख लेने है कि लोगोंका क्या खयाल है, लोग क्या कहते हैं और लोग क्या कर सकेंगे। इसी सहज दृष्टिका ये अुपयोग करत है, अुसीके अनुसार अपने कामकी व्यवस्था करने हैं और बादमें अपने आश्चर्यनकित और रोषमें भरे हुअे साथियोंको सन्तोष देनेके लिये अपने निर्णयक कारण देनेकी कोशिश करने है। यह कोशिश अकसर बहुत ही छिछली होती है— जैसी हमें चौरीचोराके बाद लगी थी। यद्यपि अुस समय लड़ाकी अूपरसे बड़े जोशमें दिखायी देती थी और लोगोंका अुत्साह सर्वत्र अुमडता जान पड़ता था, फिर भी लड़ाकी वास्तवमें छिन्न-भिन्न हो गयी थी। व्यवस्था और नियम-पालनका नामनिशान नहीं रह गया था। हमारे अधिकांश अच्छे आदमी जेठमें थे\* और आम लोगोंको आज तक स्वतंत्र रूपसे काम करनेकी कोश भी तालीम नहीं मिली थी। स्थिति ऐसी हो गयी थी कि चाहे जैसा अज्ञान मनुष्य कांग्रेस कमेटी पर कब्जा करना चाहता तो कर सकता था। अनेक अत्राङ्गनीय आदमी और शत्रुके अजेन्ट आगे आ गये थे और कुछ कांग्रेस और खिलाफत संस्थाओं पर अधिकार जमा बैठे थे। अिन लोगोंको रोकनेका कोश अुपाय नहीं था।

“गांधीजीके मनमें अिस प्रकारके कारणों और विचारोंने काम किया होगा। अुनकी मानी हुअी बातें स्वीकार की जायं और अर्हिसाके तरीकेसे लड़ाकी लड़नेकी अिष्टता मंजूर की जाय, तो अुनका निर्णय सही था। गंदगीको रोकना और नयी रचना करना अुनका काम था।”

अब तक लड़ाकीके मामलेमें पहल करना कांग्रेस या गांधीजीके हाथमें रहा था। गांधीजी सरकारका विरोध करने और अुसकी झूठी प्रतिष्ठा मिटा देनेकी नयी-नयी योजनाओं और नये-नये कार्यक्रम देशके सामने रखते और सारा देश अुनका स्वागत करता और अुन्हें अपना लेता। ये कार्यक्रम और विरोध जैसे नये और मौलिक प्रकारके थे कि अुनसे निपटनेका रास्ता ही सरकारको नहीं सूझ पड़ता था। अिसलिये वह चाहे जैसी बिना विचारे दमन और जुल्मकी कार्रवाअियां अंधी होकर करती थी। मगर अिससे तो लोगोंका जोश और विरोध अुल्टे बढ़ता था। यद्यपि गुजरातके सिवाय दूसरे प्रान्तोंके लगभग सभी असहयोगी नेताओंको पकड़ लिया गया था, फिर भी वहां अुत्साह तिल भर भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया था। गांधीजी खुल्लम-खुल्ला सैकड़ों बार कह चुके थे कि यह सरकार शैतानी है और अुसका नाश

\* गुजरातकी स्थिति अिसमें अपवाद स्वरूप मानी जानी चाहिये, क्योंकि गुजरातमें गांधीजीके सिवाय सरदार और दूसरे मुख्य कार्यकर्ता बाहर थे।

करना ही चाहिये। परन्तु अन्हें गिरफ्तार करनेकी अुसकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अुसे यह डर था कि अुन पर हाथ डालते ही कहीं भारतीय फौज और पुलिसमें बलवा न हो जाय। परन्तु जब अुन्होंने लड़ाही मुलतवी करनेकी घोषणा कर दी और नेताओं और जनतामें असन्तोष और निराशा फैली, तब सरकारकी बन आओ। लॉर्ड बर्कनहेडने पार्लियामेंटमें भाषण दिया कि 'ब्रिटिश जाति अभी तक ज्योंकी त्यों मजबूत है। सबको याद रहे कि अुसके हाथ-पैर साबूत हैं।' भारतको जल्दी जिम्मेदार हुकूमत देनेकी बात करनेवाले मॉन्टेग््यू साहब भी कोओ लाग-लपेट न रखकर साफ-साफ बोले कि

“अगर कोओ हमारी सलतनतके खिलाफ ही अुठेंगे, अगर कोओ हिन्दुस्तानके प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनेमें ब्रिटिश सरकारको रोकनेके लिअे सामने आयेंगे और अगर कोओ अस भ्रममें पड़कर कि हम अुसके कहनेसे ही हिन्दुस्तानसे चले आयेंगे मनमानी मांग करेंगे, तो अैसा करनेवाले खता खायेंगे। दुनियाकी सबसे अधिक निश्चयी ब्रिटिश जातिको ललकारकर वे फायदा नही अुठायेंगे। अुन्हें ठिकाने लगानेके लिअे ब्रिटिश जाति फिर अेक बार अपना समस्त पौरुष और दृढ़ निश्चयीपन दिखा देगी।”

यह स्पष्ट मालूम होता है कि वाअिसराँयको पत्र लिखकर गांधीजीने साम्राज्यको जो चुनौती दी थी, अुपरोक्त वाक्य अुसके देरसे दिये हुअे जवाबके रूपमें थे। गांधीजीने ता० २३-२-२२ के 'यंग अिडिया' में असका करारा जवाब दिया :

“लॉर्ड बर्कनहेड और मि० मांटेग््यू दोनोंको पता नहीं है कि समुद्र पारसे जितने 'साबूत हाथ-पैरोंवाले' लाकर अुतारे जा सकते हों अुन सबका सामना करनेको हिन्दुस्तान आज भी तैयार है; और वह ब्रिटिश जातिको चुनौती तो आज नहीं परन्तु अुसी दिन दे चुका है, जब १९२० की कलकत्तेकी कांग्रेसने भारतीयोंका यह निश्चय घोषित किया था कि खिलाफत, पंजाब और साम्राज्यकी त्रिविध मांगको पूरा किये बिना वे चैनसे नहीं बैठेंगे। असमें साम्राज्यकी हस्तीको चुनौती जरूर है और ब्रिटिश साम्राज्यके मौजूदा शासक अगर भलमनसाहतके साथ अस साम्राज्यको बराबरीके हकवाले हिस्सेदार मित्रों और अैसी जातियोंके, जो जब जीमें आये तब शरीफोंकी तरह अेक-दूसरेसे अलग होनेकी सत्ता व स्वतंत्रता रखते हों, राष्ट्र संघमें बदल देनेको तैयार न होंगे, तो यह भी निश्चित समझ लेना चाहिये कि, 'दुनियाकी सबसे अधिक निश्चयी जाति' का यह 'सारा पौरुष और दृढ़ निश्चयीपन' और ये तमाम 'साबूत हाथ-पैर' हिन्दु-

स्तानकी अटल और अचल टेकको मिटानेमें असफल रहेंगे। . . और अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाये हुअे अिस अविश्रान्त यज्ञमें चौरी-चोराकी हत्यारी घटनाने विघ्न न डाला होता, तो वह ब्रिटिश सिंह भी जी भरकर देख लेता कि अुसके सामने हिन्दुस्तान अत्यन्त शुद्ध तरोताजा शिकारोंके कितने ढेर लगा सकता है। परन्तु भगवानको यह मंजूर नहीं था।

“फिर भी अभी समय चला नहीं गया। डाअुनिंग स्ट्रीट और व्हाअिट हालके शासकोंको नाअुम्मीद होनेकी जरा भी जरूरत नहीं। अुन्हें अपना पौरुष पूरी तरह आजमा लेनेके रास्ते खुले है। . . ”

अिस प्रकार आपसमें साफ-साफ बातें हो गयीं और सरकारने १० मार्चको रातके दस बजे साबरमती आश्रममें गांधीजीको पकड़ लिया। ता० १८ मार्चको अुनका मुकदमा चला। ‘यंग अिडिया’ के तीन लेखोंको राजद्रोही मानकर अुनके लेखककी हैसियतसे गांधीजी पर और छापनेवालेकी हैसियतसे शंकरलाल बैकर पर राजद्रोहके अभियोग लगाये गये। दोनोंने अपराध मंजूर किया। गांधीजीका अिस अदालतके सम्मुख किया हुआ लिखित अिकरार जगतके अमर साहित्यमें अुच्च स्थान पा चुका है। जब अदालतमें अुन्होंने अपना वह लिखित अिकरार पढा, तब अैसा दृश्य हो गया कि मानो अुन पर राजद्रोहका मुकदमा चलनेके बजाय ब्रिटिश साम्राज्य पर प्रजाद्रोहका मुकदमा चल रहा हो। जजने भी सजा सुनाते समय अपने हृदयके भाव बड़े सुन्दर ढंगसे व्यक्त किये। अुन्होंने कहा :

“कानून मनुष्यके व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देता। परन्तु मैंने आज तक जिनके मुकदमे सुने या भविष्यमें सुनने होंगे, अुन सबसे आप भिन्न कोटिके ही पुरुष हैं। आपके करोड़ों देशवासी आपको पूज्य मानते हैं और राजनैतिक मामलोंमें आपसे मतभेद रखनेवाले भी आपको अुच्च आदर्शवाले सन्त पुरुष मानते हैं, यह बात मैं भूल नहीं सकता। परन्तु अिस समय मेरा फर्ज तो आपका विचार अेक अैसे कानूनके अधीन मनुष्यके तौर पर ही करना है, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अिसलिअे बारह वर्ष पहले अिसी धाराके अनुसार श्री बाल गंगाधर तिलकको जो छः वर्षकी सादी कैदकी सजा दी गयी थी अुतनी ही सजा आपको अुनकी पंक्तिमें मानकर आपको भी देता हूं। हां, साथ ही अितना कह देना चाहता हूं कि भविष्यमें परिस्थिति बदलने पर सरकार आपको जल्दी छोड़ देगी, तो मेरे बराबर आनन्द और किसीको नहीं हो सकता।”

श्री शंकरलाल बेंकरको अेक वर्षकी कैद और अेक हजार रुपये जुर्मानेकी सजा दी गयी ।

अपनेको लोकमान्य तिलककी कोटिमें गिननेके लिअे और अपने साथ अत्यन्त सभ्य व्यवहार करनेके लिअे गांधीजीने अदालतको धन्यवाद दिया ।

अदालतमें अुपस्थित जब सभी लोग गांधीजीको प्रणाम करके बिदा लेने लगे, वह दृश्य अत्यन्त अुत्कट भावनाओंसे पूर्ण था । कुछ तो अपने पर कावू न रख सके और सिसक-सिसककर रोने लगे । गांधीजीने हंसते-हंसते सबको अुनके योग्य अेक प्रेमपूर्ण वाक्य या शब्द कहकर प्रोत्साहन दिया । बिदाकीका काम पूरा होने पर पुलिस सुपरिन्टेण्डेन्ट गांधीजी और शंकरलाल बेंकरको साबरमती जेलमें ले गये ।

## गांधीजीकी गिरफ्तारीके बाद

गांधीजीको जेलमें विदा करके आनेके बाद सब साथियोंके हृदयोंमें मानो सुनसान लगने लगा। पिछले डेढ़ सालमें गांधीजीने अकेले बाद अकेले लगातार अतने कार्यक्रम दिये थे और वे सारे कार्यक्रम अतने गरमागरम थे कि रात-दिन काममें लगे रहने पर भी अुनके नशेमें किसीको थकावट जैसी चीज महसूस ही नहीं हुआ थी। जेल जाते समय गांधीजी यही कहते हुअे गये थे कि 'मेरे हाथमें खादी रख दो और मुझसे स्वराज्य ले लो।' परन्तु सरकारसे लड़ाई करनेकी गरमीमें चरखा चलाना अेक बात थी और बिलकुल ठंडे वातावरणमें चरखा चलाना दूसरी बात थी। सबसे ज्यादा बोझ सरदार पर था। जब गांधीजी बाहर थे तब भी सरदार कम काम नहीं करते थे, परन्तु वे पूरी तरह निश्चिन्त रह सकते थे। अब तो भिन्न-भिन्न प्रकृतिके सब साथियोंको संभालना था। हरअेकको अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार काम देना था, लोगोंका अुत्साह कायम रखना था और भले ही सरकारने गांधीजीको छः बरसकी सजा दे दी फिर भी सजाकी मियाद पूरी होनेसे पहले अुन्हें छुड़ाया जा सके, अैसा वातावरण पैदा करना था। सरदारकी गिनती अभी बड़े नेताओंमें नहीं होती थी, परन्तु अुस समय भी वे गुजरातके सूबा (गवर्नर) तो कहलाते ही थे और दूसरे प्रान्त गांधीजीकी गैरमौजूदगीमें गांधीजीके रास्ते पर चलें या न चलें, परन्तु अुनकी यह अभिलाषा थी कि गुजरात तो गांधीजीके दिये हुअे कार्यक्रम पर ही कायम रहे, रचनात्मक कार्यक्रमकी जितनी संस्थाओं चल रही थीं, वे अुतने ही जोरसे चलती रहें और प्रसंग आने पर गांधीजीकी अनुपस्थितिमें भी गुजरात सविनय भंगकी लड़ाई लड़कर दिखा दे। गांधीजीके कारावासके समयमें कैसी-कैसी मुसीबतें आयीं और अुनमें से रास्ता निकालकर गुजरातके अुत्साहका पारा अुन्होंने कैसे चढा हुआ रखा, यह हम अुनकी आगेकी कारगुजारीसे देखेंगे।

सरदारको अपने मनमें जिम्मेदारीका बोझा कितना ही भारी लगा हो, परन्तु धीरवीर नायककी तरह जरा भी घबराये बिना अुन्होंने वह बोझा हलके फूलकी तरह अुठाकर दिखा दिया। गांधीजीकी गिरफ्तारीके दूसरे ही दिन अुन्होंने गुजरातके भाभी-बहनोंको सम्बोधन करके निम्न लिखित वक्तव्य प्रकाशित किया :

“ब्रिटिश सिंहको आज तक हिन्दुस्तानने अनेक शिकार भेंट किये हैं। परन्तु ऐसा पवित्र शिकार मिलनेका सौभाग्य तो उसके लिये यह पहला ही है। अिससे पचाना कोअी आसान बात नहीं है। अप्रैल सन् १९१९ में पहले अेक बार उसने अिस शिकारके लिये अपना पंजा फैलाया था, परन्तु जैसे फैलाया वैसे ही छोड़ देना पड़ा था। अिस बार तो हमने सिंहको अच्छी तरह छोड़ा है। उसकी आंखें गुस्सेसे विकराल हैं। कुछ दिनसे वह अपने अयालको फड़फड़ा रहा है। परन्तु हिन्दुस्तानके ऋषि-मुनियोंने अपने तपोबलसे सैकड़ों विकराल सिंहको भेड़ोंसे भी गरीब बना दिया है। अिसी तरह यह सिंह भी जल्दी या देरसे अिस महापुरुषके तपोबलके सामने बकरी बनकर रहेगा, अिस वारेमें शंका नहीं है।

“गुजरातके सिर पर भारी जिम्मेदारी है। गुजरातकी परीक्षाका समय अब शुरू हुआ है। अिस समय हमारा क्या धर्म है, यह गांधीजीने स्वयं साफ तौर पर बता दिया है। अुनके प्रति हमारी भावना बता देनेका सही तरीका अुनके नामकी ‘जय’ बोलना या अुनके दर्शनोंके लिये भागदौड़ करना नहीं, परन्तु अुनके तैयार करके दिये हुअे चतुर्विध सार्वजनिक कार्यक्रमको पूरा करनेमें सबको लग जाना है।

“सारा हिन्दुस्तान भले ही अुन्हें झट न समझ सके, परन्तु गुजरातको तो, जहां अुन्होंने प्रत्यक्ष अपना जीवन अुड़ेला है, अुनके कांच जैसे पारदर्शी हृदयके अुद्गार निकलनेसे पहले ही अगीकार कर लेनें चाहियें और अुन्हें सफल बनानेकी योग्यता साबित कर देनी चाहिये।”

गांधीजीको सजा हो जानेके बाद अुन्होंने ‘नवजीवन’ में ‘श्रद्धाकी परीक्षा’ शीर्षक लेख लिखा। अुसमें गांधीजीके साथी क्या कर सकते हैं, यह बहुत अच्छी तरह वर्णन किया :

“कुछ लोग कहते हैं कि ‘गांधीजी गये, अब अुनके साथी क्या करेंगे? अुनमें अैसा कोअी चरित्रवान या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है, जो अुनकी नावको आगे बढ़ा सके।’ यह वात बिलकुल सच है। अुनके साथी भूलोंसे भरे हैं। अुनमें और अुनके साथियोंमें जमीन-आसमानका फर्क है। अुनके साथियोंकी त्रुटियां वेशुमार हैं और अिन साथियोंकी अपूर्णताके कारण ही गांधीजीको कारागृहवास करना पड़ा है। साथियोंकी वाणीमें मिठास नहीं है और संयम तथा सहनशीलताकी कमी है। अैसी बहुतसी त्रुटियोंका अुनमें से हरअेकको पूरी तरह भान है।

“परन्तु जैसे अेक अिमारतको बनानेवाला राज अुसकी प्लान बनाने-वाले अिजीनियरके बराबर शक्ति रखनेका दावा नहीं करता परन्तु फिर भी

वह प्लानके अनुसार अमारतको पूरी करनेमें कठिनायी नहीं पाता, अुसी, तरह गांधीजीके साथी अुनकी तैयार की हुअी स्वराज्यकी अमारतका प्लान अच्छी तरह समझ गये होंगे, तो अुस प्लानके अनुसार अमारतका काम आगे बढ़ानेमें घबरायेंगे नहीं। फिर भी अुनकी मुश्किलें बेगुमार है। अुनकी त्रुटियोंको ढंकनेवाला अब कोअी नही रहा। फिर भी लोगोंका गांधीजीके प्रति प्रेम और अुनके जेल जानेसे स्वराज्यकी जागृत हुअी भावना अुनकी सबसे बड़ी पूजी है। गांधीजीकी अहिंसा वृत्ति, अुनका प्रेम, अुनकी ममता, अुनकी स्वराज्यकी लगन, और अुनका अथक परिश्रम आखोंके सामने रखकर अगर वे दिन-रात मेहनत करेंगे और गांधीजीका तैयार करके दिया हुआ स्वराजका चतुर्विध कार्यक्रम पूरा करेंगे, तो वे अपनी तमाम त्रुटियोंको पार करके गांधीजीके नाम और अपनी वफादारीको अुज्ज्वल करेंगे, अिसमें सन्देह नही।”

सरदारकी अिस वाणीने साथियोंको अुत्साहित बनाये रखा और अुनके पथ-प्रदर्शनने गुजरातको सीधे रास्ते पर रखा। परन्तु कुछ प्रान्तोमे तो शुद्धसे ही गांधीजीके कार्यक्रम पर विश्वास नही था। अिसलिअे थोड़े ही समयमें कांग्रेसकी वीणासे बेसुरे सुर निकलने लगे। महाराष्ट्रके नेताओमे जबसे असहयोग शुरू हुआ, अुसी दिनसे अुसके वारेमें असन्तोष था। खास तौर पर धारासभाओंका बहिष्कार अुन्हें नापसन्द था। अुन नेताओने ये आशाअें बाध रखी थी कि नये सुधारोंके अमल होने पर धारासभाओंमें जानेकी अुनकी बहुत वर्षोंकी साध पूरी होगी। परन्तु गांधीजीका असहयोग बाधक हो गया और अुनकी मुराद मनमें ही रह गअी। धारासभामें गये हुअे नरमदलके नेताओंने जब सरकारकी दमन नीतिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करना शुरू किया, तब वे कहने लगे कि हम धारासभाओंमें गये होते तो अैसा न होने देते। हम विरोध करते, अंतराज करते और अुसमें सफल न होते तो भी सरकारका संसारके सामने भंडाफोड़ तो करते ही। अतः अप्रैल मासमें पेणमें महाराष्ट्रकी दूसरी राजनैतिक परिषद हुअी, तब अुसमें श्री केलकर कांग्रेसके कार्यक्रममें कुछ सुधार सुझानेवाला प्रस्ताव लाये। यद्यपि वह प्रस्ताव तो बहुमतसे गिर गया, क्योकि लोकहृदय गांधीजीको छोड़ नही सकता था, परन्तु वे असहयोगके कार्यक्रमकी दुबारा जांच करनेके लिअे अेक समिति मुकर्रर करनेका प्रस्ताव पास करा सके। नागपुरकी प्रान्तीय समितिने अहिंसात्मक असहयोग पर पुनर्विचार करनेको अेक अुपसमिति बनाअी। अुसने तो यहां तक कह दिया कि अहिंसा और आत्मत्यागके सिद्धान्त पर ही सारा जोर देकर और राष्ट्रीय कार्यमें बाधक होनेकी हद तक नीति और धर्मकी बुनियाद पर राजनैतिक

लड़ाओ लड़नेकी हिमायत करके कांग्रेसने अितने दिन साफ तौर पर दिशाभूल ही की है। अलबत्ता, आम जनताका दिल अितना मजबूत था कि जिस दिन अुस समितिका वह प्रस्ताव प्रकाशित हुआ, अुसी दिन नागपुरमें बड़ी सार्वजनिक सभा हुअी और अुसमें अुस रायकी निन्दा की गअी। बंगालका वायुमंडल भी कुछ डांवाडोल होने लगा था। देशबन्धु दासकी पत्नी श्रीमती बासन्तीदेवीने बंगालकी राजनैतिक परिषदमें अपने भाषणमें यद्यपि असहयोगके सारे कार्यक्रमकी जोरदार हिमायत की, फिर भी अुसीके साथ अुन्होंने यह भी कहा कि जरूरत मालूम हो तो धारासभाओंमें जाकर भी राष्ट्रीय युद्धको आगे बढ़ाया जाय। अिस प्रकार आगे चलकर कांग्रेसमें अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी जो दो दल बननेवाले थे, अुनकी शुरुआत गांधीजीके जेल जानेके दूसरे ही महीनेसे होने लगी।

अिसके बाद ता० २५ और २६ मअीको आणन्दमें छठी गुजरात राजनैतिक परिषद पू० कस्तूरबाकी अध्यक्षतामें हुअी। अुसमें रचनात्मक कार्यको तेज करनेके प्रस्ताव पास किये गये। धारासभाओंके सम्बन्धमें देशमें चर्चा होने लगी थी, अिसलिये अुसके विषयमें नीचे लिखा प्रस्ताव परिषदमें सर्वसम्मतिसे पास किया गया :

“धारासभाओंके बहिष्कारके विरुद्ध जो चर्चा देशके कुछ भागोंमें चल रही है, अुस पर पूरा ध्यान देकर और सम्पूर्ण विचार करके यह परिषद यह निश्चय करती है कि धारासभाओंमें धुसकर शासनकार्यमें भाग लेना असहयोगके मूल सिद्धान्तोंके विरुद्ध है और पिछले अठारह महीनोंका अनुभव भी स्पष्ट बताता है कि बहिष्कारके निश्चय पर कायम रहनेमें ही जनताका हित है।”

पू० बाने अपने अपसंहारके भाषणमें अिस विषयमें कहा :

“कुछ लोगोंका खयाल है कि धारासभाओंमें जानेसे जीत होगी। तो क्या आज तक कभी आप धारासभाओंमें नहीं गये थे ? वहां जाकर कोअी प्रस्ताव करना तो आपके हाथमें है ही नहीं, फिर वहां जाकर क्या करेंगे ? कानूनभंग करनेकी कुछ लोग बात करते हैं, परन्तु क्या हममें अितनी तैयारी है ? अगर हममें तैयारी होती तो जिस समय हमारे अितने सारे भाअी जेलमें हैं, अुसी समय हम बरात न ले जाते, विदेशी कपड़े पहनकर विवाह न करते। अहमदाबादमें तो बहुत बरातें चढीं। यद्यपि अहमदाबादके लोगोंने बहुत कुछ किया है, जहां अेक भी चरखा नहीं था वहां बहुतसे चरखे चलवा दिये, खादी बनाअी और दूसरा बहुत काम किया। परन्तु अिसके साथ ही विदेशी कपड़े पहनकर निकाली गअी बरातें भी सरकारको



बतायीं। उनके चित्र विलायत गये, यह बतानेको कि देखो, गांधी क्या कहता है और उसके भाभी-बहन क्या कर रहे हैं!"

अतनेमें सूरतके सिंह माने जानेवाले श्री दयालजीभाभीसे राजद्रोही भाषण करने पर अेक हजार रुपयेकी जमानत मांगी गयी। अुन्होंने स्वाभाविक तौर पर जमानत नहीं दी, तो अुन्हें अेक सालकी सजा हो गयी। गांधीजीके जेल चले जानेके बाद 'यंग अिडिया'के सम्पादक श्री इवेब कुरेशी बने थे। अुन पर राजद्रोही लेख लिखने पर मुकदमा चलाया गया और अुनके साथ अुसके प्रकाशककी हैसियतसे श्री वालजीभाभी देसाजीको, मुद्रककी हैसियतसे श्री भणसालीको और छापखानेके व्यवस्थापककी हैसियतसे स्वामी आनन्दको गिरफ्तार कर लिया गया। और चारोंको अेक अेक वर्षकी सजा हो गयी।

जून मासमें लखनअूममें महासमितिकी बैठक हुयी। अुसमें जो चर्चा हुयी अुससे पता चल गया कि महासमितिके अधिकांश सदस्य सत्याग्रहकी लड़ाीका असली रहस्य समझे नहीं थे। रचनात्मक काम हो या न हो, वे सविनय भंग शुरू करनेकी अधीरता दिखा रहे थे। शान्त रचनात्मक काममें अुनकी दिलचस्पी नहीं थी। अस बातको छिपानेके लिये वे यह दलील देते थे कि लोगोंमें रचनात्मक कामके लिये अुत्साह नहीं है और यह कहते थे कि सविनय भंग छोड़ा जाय तो लोगोंमें अुत्तजना आये। अन्तमें श्री विद्वलभाभीके प्रस्ताव पर अेक समिति मुकर्रर की गयी, जिसे देशमें घूमकर देशकी परिस्थिति देखकर अस बारेमें रिपोर्ट देनी थी कि किसी भी प्रकारके सविनय भंगके लिये देशकी तैयारी कितनी है। यह समिति मशहूर तो हुयी सविनय भंग समितिके नामसे, परन्तु देशमें वह जहां घूमि वहां अुसके निमित्तसे धारासभा प्रवेशकी चर्चा ही अधिक हुयी। विचारोंके अस तमाम चक्करसे गुजरातको बचाने और अुसे स्पष्ट मार्ग दिखानेके लिये सरदारने जुलायी मासमें 'सिपाहीका कर्तव्य' शीर्षक लेख लिखकर सविनय भंग समितिकी रिपोर्ट प्रकाशित होने तक दूसरी कोयी भी चर्चा न करके रचनात्मक काममें ही लगे रहनेकी गुजरातको सलाह दी।

अस समय गुजरातमें राष्ट्रीय शिक्षाका काम दूसरे प्रान्तोंसे अधिक ठोस हो रहा था। गुजरात विद्यापीठके महाविद्यालयमें २५० विद्यार्थी शिक्षा पा रहे थे। गुजरातके सारे विनयमन्दिरों और कुमार-मन्दिरोंमें विद्यार्थियोंकी संख्या कुल ३७००० तक थी। विद्यापीठके पुरातत्त्व मन्दिर और महाविद्यालयके पुस्तकालयमें ७५००० से अधिक पुस्तकें थीं। अितना होने पर भी विद्यापीठका अपना मकान न होनेसे बड़ी दिक्कत होती थी। असलिये अगली गांधी जयन्ती अर्थात् २ अक्टूबरसे पहले विद्यापीठके चन्देमें दस लाख

रुपये दे देनेकी गुजरातमें और गुजरातके बाहर रहनेवाले गुजरातियोंसे सरदारने भिक्षा मांगी, यह कहते हुअे कि सारे देशको स्वराज्य दिलानेके लिये सामूहिक सविनय भंगका बीड़ा उठानेवाले गुजरातके लिये अतना काम तो सरल ही होना चाहिये। अन्होंने कहा :

“हमारे सामने हमारी भक्तिकी बहुत ही हलकी परीक्षा रखी गयी है। कड़ी परीक्षामें मनुष्य असफल हो जाय, तो भी अस पर अतना लांछन नहीं लगता। अस कड़ी परीक्षामें वह खड़ा रहा, यही असके लिये गौरवकी बात है। परन्तु परीक्षा जितनी हलकी हो, अतना ही असमें असफल होने पर अधिक नीचा देखना पड़ता है। सातवीं कक्षाके विद्यार्थीको तीसरी कक्षाकी परीक्षामें बैठकर तो पहले नंबर ही पास होना चाहिये। वह फेल हो जाय तब तो असे डब ही मरना पड़े। नीचे नंबरसे पास हो तो भी शर्मके मारे पाठशालासे छुट्टी ले लेनेमें ही असकी अिज्जत है।

“हम अस लड़ायीमें सातवीके विद्यार्थी हैं। हम बारडोलीके सविनय भंगकी लड़ायी छेड़नेको तैयार हुअे थे। हमारे लिये सारे गुजरातसे दस लाख रुपये अकट्टे करना तीसरी कक्षाकी परीक्षा जैसा ही है। परीक्षा आसान है परन्तु आसान है असलिये हमें असमें पास होना चाहिये और वह भी अूचे नंबरसे।”

गुजरातियोंने अस अपीलका अच्छा जवाब दिया । ठीक दो अक्तूबरको चन्देमें दस लाख रुपये पुरे हो गये। यह चन्दा जमा करनेमें श्री मणिलाल कोठारिने बहुत भारी मदद करके राष्ट्र-भिक्षुकी अुपाधि प्राप्त की। वम्बडीका कुछ चन्दा जब तक बाकी था तब तक रकम अधूरी थी, परन्तु अहमदाबादसे पौन लाखका अेक बड़ा दान मिल गया और सरदार तथा गुजरातकी टेक रह गयी। अिन दस लाखमें से चौथायी, यानी ढाअी लाख रुपयेका दान गांधीजीके परम मित्र रंगनवाले डॉ० प्राणजीवनदास महेताका था। अस रकमसे गुजरात विद्यापीठका मौजूदा मकान बना है।

विद्यापीठके चन्देका काम खतम करके सरदारने तुरन्त गुजरातके लिये दूसरा काम ढंढ निकाला। विदेशी कपड़े पर सारे गुजरातमें धरना देनेका काम छेड़नेके लिये गुजरात प्रान्तीय समितिसे ता० १६-१०-’२२ की बैठकमें यह प्रस्ताव पास करवाया :

“१. गुजरातमें विदेशी कपड़े पर धरना देनेकी जरूरत है।

“२. धरना देनेकी अिच्छा रखनेवाले स्वयंसेवकको अस प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने चाहियें :

‘स्वयंसेवक सेनामें शरीक होनेसे पहले इस कामके लिये नियुक्त समितिको मैं साबित कर दूंगा कि अपने कुटुम्बमें जिन पर मैं कुछ भी असर डाल सकनेकी स्थितिमें हूँ, उनसे मैंने विदेशी कपड़ेका सम्पूर्ण त्याग कराया है।’

“३. स्वयंसेवककी उम्र १८ वर्षसे कम नहीं होनी चाहिये।”  
स्वयंसेवकोंके लिये अपील करते हुए सरदारने कहा कि :

“गुजरातके पास रुपया है, व्यवस्था-शक्ति है और विवेक है। परन्तु गुजरातके पास काम करनेवालो यानी स्वयंसेवकोंकी कमी है। जिन गुजरातियोंको देशकी लगन हो, उन सबको अपना अंक अंक लडका देशमेवाके काममें दे देना चाहिये। गुजरात-काठियावाडके देशकी सच्ची लगनवाले नौजवानोको गांधीजीके जेलसे छूटने तक केवल देशसेवा करनेकी प्रतिज्ञा लेनी चाहिये। गुजरातकी लाज रखनी हो तो आलस्य छोड़ो। नही तो समय निकल जायगा और कलंक रह जायगा कि जिस महात्मा गांधीको दुनियाभरने पहचान लिया, उसे अकेले गुजरातने नही पहचाना।”

अन्होंने विदेशी कपड़ेके व्यापारियोंसे भी अपील की कि :

“गुजरातके कार्यकर्ता गुजरातकी अन्य सेवाका कार्य छोड़कर आपकी दुकानों पर धरना दें यह क्या आपको पसन्द होगा ?

“जब तक महात्माजी जेलमें है, तब तक विदेशी कपड़ेका व्यापार बन्द करनेकी हिम्मत क्या आप अब भी नहीं करेंगे ? अगर आप पहले करें तो संभव है कि सारा देश आपका अनुकरण करे और महात्माजी जेलसे जल्दी छूट जायं।”

धरनेका काम बहुत ही शान्ति और विनयपूर्वक किया जाय, इसके लिये स्वदेशी सेनाके नियमोंकी पत्रिका अपने हस्ताक्षरसे छपवाकर प्रकाशित की। अूममें कपडा खरीदने आनेवाले ग्राहकोंको विनय और आजिजीके साथ समझाने, कपड़ेकी दुकानके नजदीक अपदेश देनेके बजाय रास्तेके सिरे पर खड़े रहकर या पासके मकानवालेकी सहानुभूति प्राप्त करके, उसके चबूतरे पर बैठकर लोगोंको समझाने और आम रास्ते पर भीड़ न होने देनेकी सावधानी रखनेकी सूचनाओं थीं। साथ ही यह कहा गया था कि पुलिस नाम पूछे तो कुछ भी चर्चा किये बिना नाम-पता बता दिया जाय और पकड़ना चाहे तो गिरफ्तार हो जाय। सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना यह थी कि दूसरोंकी तरफसे कितना ही फसाद हो, तो भी स्वयंसेवक शान्ति रखे और कदाचित् उसके साथ मारपीट हो तो भी उसे शान्तिसे सहन कर ले। कितना ही

नाराज या अतुल्य किये जाने पर भी कोअी स्वयंसेवक क्रोध न करे, न मारपीट करे।

ता० १ दिसम्बरसे अहमदाबादमें धरनेका शुभ प्रारंभ किया गया। सुबह नगर-कीर्तन किया गया और अुसके बाद तुरन्त खादीकी विक्री की गयी। दोपहरको तीन बजे सरदार, अब्बास साहब तथा डॉ० कानूगा हाथोंमें धरनेके तख्ते लेकर बाजारमें आये। अुनके पीछे स्वयंसेवकोंकी लम्बी कतार थी। श्रीमती विजयालक्ष्मी कानूगाके नेतृत्वमें शहर और आश्रमकी बहनोंने रतनपोलके खास स्त्रियोंके कपड़ेके बाजारमें घेरा डाल दिया। कुछ कपड़ेवाले बहुत शरमाये। ग्राहकों पर भी असर हुआ। फिर तो सारे गुजरातमें गांव-गांव घरना लग गया। कुछ गांवोंने तो जब स्वयंसेवकोंकी भरती हो रही थी, तभीसे विदेशी कपड़ा न मंगवानेके लिये हस्ताक्षर कर दिये। अहमदाबादके कपड़ेकी पंचायतोंमें से किसीने छः महीने तक, किसीने आठ महीने तक और किसीने नौ महीने तक विदेशी कपड़ा नहीं मंगवाना मंजूर किया। सूरत और नडियादकी पंचायतोंने अेक साल तक विदेशी कपड़ा न मंगवानेके लिये हस्ताक्षर कर दिये। सूरत और भड़ौच जिलेके कुछ तालुकोंके गांवोंके कपड़ेवालोंने अेक वर्ष पर्यन्त या कांग्रेसके कार्यक्रममें फेरबदल न होने तक विदेशी कपड़ा न खरीदने और न बेचनेकी प्रतिज्ञाओं कीं। जहां अैसी स्वीकृति मिल जाती थी, वहांसे भरना अुठा लिया जाता था।

व्यापारी विदेशी कपड़ा न मंगवानेकी अैसी अल्पकालीन प्रतिज्ञाओं करे अिसका क्या अर्थ, अैसी आलोचनाओं कांग्रेसके ही कुछ कार्यकर्त्ता और साथ ही दूसरे लोग करने लगे। सरदारने अिसकी सफाअी अहमदाबादके माणिकचौकमें हुअी अेक सार्वजनिक सभामें दी :

“असलमें विदेशी कपड़ेके बहिष्कारको सफल करना लोगोंका अर्थात् हमारा काम है। अगर हम विदेशी कपड़ा खरीदें ही नहीं, तो कोअी भी व्यापारी विदेशी कपड़ा नहीं लायेंगे। . . . अुन्हें अभी तो अपना व्यापार छोड़ना प्राण निकलनेके बराबर कठिन लगता है। अुन पर गुस्सा करना व्यर्थ है। हमें अुनकी दुर्बलताका खयाल रखना चाहिये। . . . मुझे अिन कुछ दिनोंमें अुनका जो अनुभव हुआ है, अुस परसे तो मैं आपको अितमीनान दिलाता हूं कि जितनी गालियां हम कपड़ेवाले भाअियोंको देते हैं, लुच्चा, प्रपंची, चोर, ठग वगैरा जो जो विशेषण अुनके लिये काममें लेते हैं, वे सब गालियां और विशेषण अुनके लिये अिस्तेमाल करनेकी अपेक्षा हमारे अपने लिये अिस्तेमाल करना अधिक अुचित है। क्या हम खुद गांधीजीकी जय नहीं पुकारते थे? हमारा कोअी लाखोंका व्यापार

नहीं था। घरमें सौ दो सौके विदेशी कपड़े हों अतने ही जलाने थे। घरमें अक-दो बच्चे हों अन्हींको सरकारी स्कूलोंसे हटा लेना था। हमारे अपने ही बच्चे जिन राष्ट्रीय पाठशालाओंमें पढ़ते हैं, अन्हें चलानेके लिये थोड़ीसी रकम देनी थी। क्या हमने अिनमें से अक भी काम पूरी तरह किया है? हम अपना खुदका हिसाब जांचते नहीं और दूसरोंका हिसाब लगाने बैठ जाते हैं।


“अब हमारा फर्ज है कि व्यापारियोंको अुनके शुभ प्रारंभमें प्रोत्साहन दें और अैसी कोअी बात न कहें जिससे अुन्हें निराशा हो। अिस अरसेमें हम सब देशी कपडा अपना लेंगे, तो वे विदेशी कपड़े क्यों लायेंगे?”

अभी तक रचनात्मक कामके बारेमें लोग कितना कम समझे थे, अिसकी कल्पना करानेके लिये अक छोटीसी परन्तु महत्वपूर्ण घटनाका अुल्लेख करनेका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। नवम्बरके महीनेमें काठियावाड़ राजनैतिक परिषद अब्बास साहबकी अध्यक्षतामें वद्वानगमें हुअी। अुसमें अस्पृश्यता-निवारणका प्रस्ताव भी पास किया गया। फिर भी मजाककी बात कहनेसे अिसे हमारी शर्मकी बात कहना ही अधिक अुचित है कि हरिजनोंके लिये — अुस समय अुन्हें यह नाम नहीं मिला था, वे अछूत कहलाते थे — परिषदमें बैठनेका अक अलग अस्पृश्य स्थान रखा गया था। अक स्वयंसेवक भाअी अछूत प्रतिनिधियों और दर्शकोंको दूसरोंको न छूने और अुनके लिये अलग रखे गये स्थान पर बैठनेकी सूचनाअें दे रहा था। हरिजन भी ‘हां बापू हां’ कहकर अुन सूचनाओं पर अमल करते हुअे सिकुड़कर बैठ रहे थे। सरदार अिसे देखते ही अुठकर हरिजनोंके बीचमें जाकर बैठ गये। दरबार साहब गोपालदास और श्रीमती भवितलक्ष्मीने भी अुनका अनुसरण किया और वे हरिजनोंके बीच सरदारके पास जाकर बैठे। फिर तो हरिजनोंके लिये रखा गया अलग स्थान परिषदमें आकर्षणका केन्द्र बन गया। सरदारने वहीसे खड़े होकर अपना भाषण दिया। अिस घटनाके बारेमें जरा भी अिशारा किये बिना — अिशारा किस लिये करते, अिस बारेमें तो अुनका मौन ही अधिक कारगर था — अुन्होंने कहा कि :

“काठियावाड़के युवक वर्गमें विशेष शक्ति है। वे जहां जाते हैं वहां अपनी शक्तिका परिचय दिये बिना नहीं रहते। अुनमें देशभक्तिका जोश है। यह माननेमें हर्ज नही कि अिस परिषदका भविष्य अुनके हाथों और वृद्धोंके नियंत्रणमें अुज्ज्वल है।”

अिस प्रकार सबको खुश करके, लोगोंकी मुसीबतोंकी कद्र करके और अुनकी कमजोरियोंके प्रति सहानुभूति दिखाकर सरदार जब गुजरातको

रचनात्मक काममें आगे बढ़ानेका प्रयत्न कर रहे थे, तब धारासभाओं बहिष्कारके मामलेमें नेताओंके मनमें शंका-कुशंका पैदा होनेसे देशका वातवरण बिगड़ने लगा था। जूनके महीनेमें पंडित मोतीलाल नेहरू छूटव बाहर आये और अगस्तके महीनेमें देशबन्धु दास बाहर आये। इस सम्मेलनकी महासमिति द्वारा नियुक्त सविनयभंग समिति देशमें जांचके लिए भ्रमण कर रही थी। उसके सदस्य श्री विठ्ठलभाजी धारासभा प्रवेशके लिए लोकमत तैयार कर रहे थे। पं० मोतीलालजीको भी इस समितिका सदस्य बना लिया गया। उनका झुकाव भी धीरे-धीरे धारासभाओंकी तरफ हो गया देशबन्धु दासका तो १९२० की कलकत्ता कांग्रेसके समयसे ही यह विचार : कि धारासभाओंका बहिष्कार करनेके बजाय धारासभाओंमें जाकर उनके अच बुरे सभी प्रस्तावोंका विरोध करके उनका काम असंभव बना देनेकी युक्ति अधिक अच्छी है। नागपुर कांग्रेसमें गांधीजीके समझानेसे उन्होंने अपना विचार बदलकर असहयोगके प्रस्तावका पूरी तरह समर्थन किया था। परन्तु दिसम्बर १९२१ में लॉर्ड रीडिंगका गोलमेज परिषदका प्रस्ताव मान लेनेको उन्हें जेलसे गांधीजीको सन्देश भेजा था और गांधीजीने उस प्रस्तावको अस्वीकृत माना था। साथ ही फरवरी १९२२ में लडाजी मुलतवी करनेके निश्चयके बारे में भी उन्होंने जेलसे ही विरोध प्रगट किया था। फिर भी गांधीजीने दिल्लीकी महासमितिसे वह प्रस्ताव पास कराया, तबसे उनके मनमें गांधीजीकी कार्यपद्धति विषयमें असन्तोष हो गया था। जेलसे बाहर आते ही उन्होंने अपना पुरा विचार जाहिर किया कि हम धारासभाओंसे बाहर रहकर उन्हें नहीं तें सकेंगे, परन्तु भीतर जाकर तोड़ना चाहिये। सविनय भंग जांच समिति ता० ५-११-'२२ को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रायसे सब सदस्य सहमत थे कि देश बड़े पैमाने पर सामूहिक सविनय भंग करनेके लिए अभी तैयार नहीं है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा कि देशके किसी भागमें को खास कानून तोड़ने या कोअी विशेष कर देनेसे अिनकार करनेकी जरूरत और लोगोंकी इसके लिए तैयारी हो, तो उसे सीमित सामूहिक सविनय भंगकी मंजूरी अपनी जिम्मेदारी पर देनेका प्रान्तीय समितियोंको अधिक दिया जाय। धारासभा-प्रवेशके मामलेमें पक्ष और विपक्षमें बराबर आये। हकीम अजमलखां साहब, पंडित मोतीलालजी और श्री विठ्ठलभाजी धारासभाओंमें जाकर उनके कामकाजमें रुकावटें डालकर उन्हें तोड़ने प्रयत्न करनेके मतके थे और डॉ० अन्सारी, श्री राजाजी तथा श्री कस्तूरी आर्यंगर इस रायके थे कि कांग्रेसके धारासभा बहिष्कारके कार्यक्रममें को परिवर्तन न किया जाय। देशबन्धु दास इस समितिके सदस्य नहीं थे।



गुजरातका गौरव

कांग्रेसके मनोनीत अध्यक्षके नाते उनसे यह अपेक्षा थी कि वे तटस्थ रहेंगे, फिर भी उन्होंने सार्वजनिक वक्तव्य देकर धारासभा-प्रवेशके पक्षमें अपनी राय जाहिर की और यह दलील दी कि वहां जाकर निरपवाद प्रतिरोध ही करते रहें, तो असहयोगके सिद्धान्तका कोअी अुल्लंघन नहीं होता। बादमें ता०२०-११-'२२ को कलकत्तेमें कांग्रेस कार्यसमिति और महासमितिकी जो बैठकें हुआं, उनमें यह रिपोर्ट पेश हुआ। कार्यसमितिके भी धारासभा-प्रवेशके पक्ष और विपक्षमें समान मत आये। महासमितिकी बैठकमें पहले ही दिन सरदार प्रस्ताव लाये कि जांच समितिने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करनेमें बहुत देर कर दी है और गयाकी कांग्रेस अब पास आ गयी है, इसलिये रिपोर्टका निर्णय उस पर छोड़ दिया जाय। फिर भी चार दिन तक चर्चा करके अन्तमें महासमितिकी यही निर्णय करना पड़ा।

राजाजीने अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण प्रकाशित किया कि :

“मेरा आन्तरिक विश्वास है कि अगर कांग्रेस किसी भी रूपमें धारासभा-प्रवेश स्वीकार कर लेगी, तो असहकार खत्म ही हो जायगा। सर्वसम्मति करनेके लिये मैं इस आन्तरिक विश्वासको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं हकीम साहब और पंडितजीका अनुयायी बनूं, इससे अधिक मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है? परन्तु मैं अपनी अन्तरात्माका यह समाधान नहीं कर सका कि इस मामलेमें मुझे अपने विश्वासको दबा रखना अुचित है।”

सरदारने इस विषयमें अपने विचार अपने ही ढंगसे प्रगट किये। ता० ८ दिसम्बरको सूरतमें विदेशी कपड़े पर धरना शुरू होनेवाला था। इसके लिये ७ तारीखको वहां सार्वजनिक सभा की गयी थी। उसमें अेक भाजीने दुश्मनके किलेमें घुसकर उसे सर करनेकी श्री विट्ठलभाजीकी दलीलके बारेमें सवाल पूछा। सरदारने समझाया कि :

“धारासभा-प्रवेशके हिमायती पटेल साहब गवाही देने विलायत गये थे, इसलिये धारासभाओंका विधान बनानेवाले अुन्हें जानते हैं। यह खयाल रखकर कि पटेल साहब जैसे सज्जन धारासभाओंमें अवश्य आयेंगे, अुन्होंने उनसे निपट लेनेका अुपाय कर रखा है। दुश्मनका किला धारासभाओंमें हरगिज नहीं है। किला तो बाहर सर करना है। बाहर सर नहीं करेंगे, तो यह हुकूमत सौ वर्ष तक भी धारासभाओंके बिना चल सकती है।”

गया कांग्रेसमें धारासभाओंके पक्ष और विपक्षमें बड़ी हलचल रही। देशबन्धु दासने सभापतिकी हैसियतसे अपने भाषणमें कहा :



“अिन धारासभाओंको या तो सुधारना या मिटाना ही होगा। अब तक हमने धारासभाओंका बाहरसे बहिष्कार किया है। हम अिस दशामें बहुत कुछ कर सके हैं। धारासभाओंकी प्रतिष्ठा खूब घट गयी है। देशने जान लिया है कि वहांकी कुंसियोंकी शोभा बढ़ानेवाले कोयी जनताके प्रतिनिधि नहीं हैं। फिर भी धारासभाओंका अस्तित्व तो है ही। अिसलिये कांग्रेसका फर्ज है कि वह अुनका भीतरसे अधिक कारगर बहिष्कार करे। धारासभाओं नौकरशाहीका अपना स्वरूप छिपानेके लिये धारण किया हुआ वेष है। अुस परसे यह परदा हटाकर अुसे नंगा कर देना हमारा कर्तव्य है। बहिष्कारके विचारमें ही सिर्फ अुनसे दूर रहनेकी अपेक्षा कुछ अधिक बात छिपी हुयी है। विदेशी वस्त्रके बहिष्कारका अर्थ यह होता है कि अैसे अुपाय किये जायं जिससे हमारे बाजारमें विदेशी कपड़ा न रहने पाये। अिसी तरह धारासभाओंके बहिष्कारका अर्थ यह होता है कि ये धारासभाओं हमारे स्वराज्यमें बाधक बननेको रह न सकें। धारासभाओंका बहिष्कार सफल हुआ तभी कहा जा सकता है, जब हम अुनमें अैसे सुधार करा सकें जिनसे वे स्वराज्य-प्राप्तिमें हमारे अनुकूल बन जायं या हम अुन्हें पूरी तरह नष्ट कर डालें। मैं देशको धारासभाओंका अिस तरह बहिष्कार करनेकी सलाह देता हूं। . . .

“सेना जब शत्रुकी भूमिमें प्रवेश करती है, तब यह नहीं माना जाता कि अुसने शत्रुसे सहयोग किया। अिसी तरह हम नौकरशाहीके किलेमें घुसनेमें अुसके साथ सहयोग नहीं करते। अिस सवालका आधार अिस पर रहता है कि हम किस अुद्देश्यसे प्रवेश करते हैं।”

सरदारने धारासभा-प्रवेशका विरोध करते हुअे अपने भाषणमें कहा :

“मैं कोयी नेता नहीं। मैं तो अेक सिपाही हूं। किसानका बेटा हूं और यह मानता नहीं कि जबानके जोरसे स्वराज्य मिल सकता है। हम बदमाशीमें सरकारकी बराबरी नहीं कर सकते। . . . हम अगर धारासभाओंकी हलचलमें पड़ जायंगे, तो लोग अधिक ठंडे पड़ जायंगे और कांग्रेस जनताका विश्वास खो बैठेगी। धारासभाओंका आन्दोलन कांग्रेसके लिये विनाशकारी बन जायगा। कांग्रेसने सबसे असहयोगकी घोषणा की है, तबसे अुसमें किसान आये हैं, मजदूर आये हैं और स्त्रियां भाग लेने लगी है, क्योंकि अुसमें अुनके लिये काम करने और त्याग करनेकी गुंजाअिश है। सुधारोंके पहले सरकार जानती थी कि अुसे कैसे आदमियोंके साथ काम करना है। सरकार अुनकी शक्तिको जानती थी, अिसलिये

अुसीके अनुसार सुधार तैयार किये हैं। धारासभाओंका यह आन्दोलन सौ वर्ष तक चलायें तो भी स्वराज्य नहीं मिलेगा।”

कुछ वक्ताओंने अपने भाषणोंमें यह दलील दी थी कि या तो सविनय भंग करो, नहीं तो धारासभाओंमें जाकर सरकारको छकाओ ; रचनात्मक कामकी रट लगानेसे कुछ नहीं होगा। अुनको जवाव देते हुअे राजाजीने कहा :

“सरकारकी हिसाके सामने बहादुरीके साथ कष्ट सह कर ही हम लड़ाई जीत सकते हैं। धारासभाओंके कमरे हमारा समरांगण नहीं है। हमारा समरांगण हिन्दुस्तानका विशाल प्रदेश है। कष्ट सहनेकी हमारी तैयारी और हमारी ताकत ही हमारे शस्त्र है। . . .

“धारासभाओंमें जाना केवल व्यर्थ ही होता तो भी मैं अुसका विरोध न करता, परन्तु धारासभाओंका आन्दोलन तो हमारे कामका सीधा नुकसान करनेवाला है। सविनय भंग या धारासभा-प्रवेश — अिस विकल्पका विचार हमारी दुर्बलताका सूचक है। धारासभाओंसे रचनात्मक काममें कोअी सहायता नहीं मिलेगी, और सविनय भंगमें भी कोअी सहायता नहीं मिलेगी। अब तक हमने ये चर्चाअें करते रहनेके बजाय रचनात्मक काम अधिक जोशके साथ किया होता, तो देश कभीसे सविनय भंगके लिये तैयार हो गया होता। अब भी हम जोशसे काम करें, अपनी पूरी परीक्षा होने दें और सर्वस्व त्याग करके जूझें। . . .

“अब तक हम बड़ी मेहनत करके धारासभाओकी प्रतिष्ठा नष्ट कर सके हैं। और जो वातावरण अुत्पन्न कर सके हैं, अुसे अगर हम बिगाड़ देंगे और नया ही प्रयोग ले बैठेंगे, तो किये कराये पर अपने हाथों ही पानी फेरकर सारी रचना नये सिरेसे करनेको बैठना पड़ेगा।”

अन्तमें राजाजीका नीचे लिखा प्रस्ताव बहुमतसे पास हो गया :

“चूंकि यह सरकार जिन संस्थाओं पर अपनी सत्ता जमाकर गैरजिम्मेदार हुकूमत चला रही है, अुनका नैतिक बल १९२० के चुनावोंके समय किये गये धारासभाओंके बहिष्कारके परिणामस्वरूप नष्ट हो गया है, और धारासभाओंके चुनावमें भाग न लेना अर्हिसात्मक कार्यक्रमका मुख्य अंग होनेके कारण अगले वर्षके चुनावोंमें भी हिन्दुस्तानके लोगोंका किसी भी प्रकारका भाग न लेना जरूरी है, अिसलिये यह कांग्रेस अिस प्रस्ताव द्वारा यह सलाह देती है कि कांग्रेसका कोअी भी सदस्य धारासभाके अुम्मीदवारके रूपमें खड़ा न रहे; और कांग्रेसकी सलाहके विरुद्ध कोअी धारासभाके लिये अुम्मीदवारी करनेवाला निकल आये, तो अुसे कोअी

भी मतदाता मत न दे और अिस मामलेमें महासमिति समय-समय पर जो हिदायतें दे अुनके अनुसार वे अपने बहिष्कारका स्वरूप रखें।”

अिस प्रकार धारासभाओंका बहिष्कार कायम रहा, परन्तु लोग अब सविनय भंगके लिअे अधीर होने लग गये थे। अिसलिअे सविनय भंगकी तैयारीका निम्न लिखित प्रस्ताव अब्बास साहब तैयबजीने पेश किया :

“यह कांग्रेस अपनी अिस राय पर कायम है कि जब निरंकुश, अत्याचारी और लोगोंका पौरुष नष्ट करनेवाली राजसत्ताको सुधारनेके समस्त अुपाय किये जा चुकें, तब शस्त्रयुद्धके अेवजमें सविनय भंग ही अेकमात्र सभ्य और कारगर अुपाय बाकी रह जाता है। लोगोंमें स्वराज्यकी आकांक्षा अधिकाधिक जाग्रत हुआी दिखायी देती है और अुनके दिलमें यह बात बस गयी है कि हमें अपना राष्ट्रीय ध्येय प्राप्त करनेके लिअे सविनय भंग करना ही पड़ेगा। साथ ही अुत्तेजना और क्षोभके जबरदस्त कारण मिलने पर भी देशमें आवश्यक अहिंसाका वातावरण कायम रहा है। अिसलिअे यह कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओंको आदेश देती है, कि वे आगामी ३० अप्रैलसे पहले अिस प्रकार तैयारियां पूरी करें :

“१. कांग्रेस समितियां बढ़ायी जायं और अुन्हें अधिक संगठित और मजबूत बनाया जाय।

“२. स्वराज्य कोषमें कमसे कम २५ लाख रुपये अिकट्टे किये जायं।

“३. अैसे पचास हजार स्वयंसेवक भरती किये जायं, जो अहम-दाबाद कांग्रेसमें निश्चित की हुआी प्रतिज्ञाका पालन करनेको तैयार हों।”

कांग्रेसमें अपने मतके विरुद्ध प्रस्ताव पास होने पर दास बाबूने कांग्रेस अधिवेशन खत्म होनेके बाद अपने अध्यक्षपदसे अिस्तीफा दे दिया और धारा-सभा-प्रवेशका समर्थक ‘स्वराज दल’ नामक नया दल स्थापित किया। वे अिस दलके नेता बनाये गये और पंडित मोतीलालजी अुसके मंत्री नियुक्त हुअे। अिन दोनोंके सिवाय हकीम साहब, श्री विठ्ठलभाभी पटेल तथा श्री केलकर अुसके मुख्य नेता थे। चूंकि वे अिस ‘स्वराज्य दल’के द्वारा कांग्रेसमें अपना बहुमत बनानेका प्रयत्न करनेवाले थे, अिसलिअे अुन्हें कांग्रेसका अध्यक्ष बने रहना अुचित प्रतीत नहीं हुआ। जबसे धारासभाओंमें जानेकी बात निकली, तबसे कांग्रेसमें खींचतान तो ही रही थी। परन्तु अब तो खुल्लमखुल्ला दो दल हो गये। लोकभाषामें धारासभावादी ‘परिवर्तनवादी’ कहलाते और रचनात्मक कार्यक्रम पर ही डटे रहनेवाले ‘अपरिवर्तनवादी’ कहलाते थे। अिनके मुख्य नेता राजाजी, डॉ० अन्सारी, राजेन्द्रबाबू, सैठ जमनालालजी

तथा सरदार थे। कांग्रेसमें इस प्रकारके दल बन जानेसे लोगोंमें बुद्धिभेद पैदा होने लगा और काममें मन्दता आने लगी। अभी तक बहुतसे नेता और कार्यकर्ता जेलमें थे और दल बन जानेकी बातें सुनकर दुःखी होते थे। जो नेता छूटकर बाहर आते, वे दोनों दलोंमें समझौता करानेकी कोशिश करते। गया कांग्रेसके बाद थोड़े ही समयमें मौलाना अबुल कलाम आजाद और दूसरे कुछ नेता छूटकर आये। अउनकी समझौतेकी कोशिशोंके परिणामस्वरूप फरवरी १९२३ के अन्तिम सप्ताहमें कांग्रेस कार्यसमिति और महासमितिकी बैठकें अलाहाबादमें हुईं। दासबाबूके त्यागपत्र दे देने पर कांग्रेसने दूसरा अध्यक्ष मुकर्रर नहीं किया था, इसलिये बैठकोंका सभापतिपद दासबाबूको ही दिया गया। अउनमें समझौतेका प्रस्ताव हुआ कि ३० अप्रैल तक दोनों दल धारासभाओंके प्रश्न पर मौन रखें; रचनात्मक काम, स्वयंसेवकोंकी भरती और स्वराज्य कोषके कामोंमें नया स्वराज्य दल पुराने स्वराज्य दलको मदद दे; और ३० अप्रैलके बाद दोनों दल जो जीमें आये करें। इस समझौतेकी तहमें भाव यह था कि अपरिवर्तनवादियोंको अपना सविनय भंगकी तैयारियोंका कार्यक्रम ३० अप्रैलसे पहले पूरा करना था; और अितने समयमें वे देशको सविनय भंगके लिये तैयार कर सकें, तो धारासभाओंमें जानेका सवाल ही न रहे। पंडित मोतीलालजीने साफ कहा कि अीश्वर करे दो महीने बाद जब हम दुबारा विचार करनेके लिये अिकट्टे हों, तब देशमें अैसी स्थिति अुत्पन्न हो जाय कि हमारे लिये पुनर्विचार करनेकी कोअी बात ही न रह जाय। परन्तु सविनय भंगकी तैयारीका कार्यक्रम ३० अप्रैलसे पहले पूरा न हो सका। स्वराज्य कोषमें २५ लाखके बजाय १५ लाख रुपये जमा हुअे और स्वयंसेवकोंकी संख्या पचास हजारके स्थान पर आठ हजार ही हुअी। इसलिये स्वराज्य दल कांग्रेससे अपना कार्यक्रम स्वीकार करानेका प्रयत्न करने लगा।

लोगोंको यह समझानेके लिये कि यह डर रखनेका कोअी कारण नहीं है कि दोनों दल फिर अपने-अपने मतका प्रचार करेंगे और वैरभाव तथा जहर फैलेंगे, सरदारने 'नवजीवन' में 'व्यर्थका भय' शीर्षक लेख लिखा। अुसमें अुन्होंने कहा :

“अलाहाबादमें दोनों दलोंके बीच हुअे समझौतेकी मियाद कल खत्म हो जायगी। कलसे दोनों दल फिर अपने-अपने मतका खुला प्रचार करने लगेंगे। स्थायी समझौतेके असम्भव होनेकी बात तो समझौतेके स्वरूपसे ही मालूम होती थी। मतभेद बहुत गहरे हैं। दोनोंमें से अेक दल अपना प्रामाणिक मत छोड़कर दूसरे दलमें मिल जाय, तो ही स्थायी अेकता

हो सकती है। परन्तु ऐसी अकेलासे नुकसान ही हो सकता है। दोनों दल अपने-अपने प्रामाणिक विश्वास पर दृढ़ रहकर काम करें, अन्तमें इसीमें देशका लाभ है। इसीसे लोग तैयार होंगे।

“धारासभाके बहिष्कारका प्रचार करनेसे या उसे अमलमें लानेके लिये जो उपाय किये जायं उनसे, कांग्रेसके धारासभाओंमें जानेवाले दलके प्रति अप्रीति पैदा होगी, यह माननेका कोई कारण नहीं। जहां पिता-पुत्रमें, भाओ-भाओमें और मित्र-मित्रमें मतभेद हो सकता है, वहां ऐसा डर रखनेका कोई कारण ही नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा परिणाम न आने देनेके लिये जितनी सावधानी रखनी चाहिये उतनी दोनों दल रखेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है।

“परन्तु संभव है कि धारासभाके बहिष्कारके बारेमें कांग्रेसका निश्चय कार्यान्वित करनेमें हमें अग्र उपाय करनेकी जरूरत ही न पड़े। सरकारने ही हमारा काम आसान कर दिया है। नमक-कर बढ़ानेमें सरकारने जिस ढंगसे काम लिया है, उसे देखते हुए धारासभाकी व्यर्थताके बारेमें लोगोंको थोड़ी ही शंका रह गयी है। धारासभाके सदस्योंने विरुद्ध मत दिये। मतसे तो सरकारको हरा दिया। दो बार हराया। तो भी वाजिसराय साहबने बहुमतको ठुकरा दिया। अब सबकी अच्छा यह है कि धारासभाके सदस्य धारासभा छोड़ दें। फिर वहां जानेके बाद छोड़नेके बजाय पहले ही क्यों न छोड़ दें? हम वहां जाकर बहुमतसे सरकारको हरानेके सिवाय और क्या कर सकते हैं? यह तो मौजूदा धारासभाओंने कभी बार करके दिखा दिया है, फिर भी जब-जब सरकारको ठीक लगा, उसने इसकी रायकी परवाह नहीं की। ऐसी स्थितिमें धारासभाकी व्यर्थताके बारेमें मतदाताओंको समझानेके लिये जबरदस्त आन्दोलन करनेकी शायद ही जरूरत पड़े। इसलिये द्वेष या वैमनस्य पैदा होना संभव नहीं।”

असके बाद ता० २५ मओको बम्बओमें महासमितिकी बैठक हुओ। उस समय जवाहरलालजी छूटकर बाहर आये थे। उनका रुख अपरिवर्तनवादी था, फिर भी वे यह चाहते थे कि दोनों दलोंमें समझौता हो जाय। अपरिवर्तनवादियोंमें से डॉ० अन्सारी और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी समझौतेके पक्षमें थे। कुछ प्रान्तीय समितियोंकी भी राय थी कि समझौता हो जाय तो अच्छा। इसलिये श्री पुरुषोत्तमदास टंडन प्रस्ताव लाये कि ‘मया कांग्रेसके आदेशानुसार चुनावोंके विरुद्ध प्रचार करना बन्द किया जाय।’ जवाहरलालजीने उसका अनुमोदन किया। यह आपत्ति अुठाओ गओ कि प्रस्ताव अनियमित है, क्योंकि कांग्रेसके अधिवेशनमें पास हुओ प्रस्तावको

खुलट देनेवाला प्रस्ताव महासमिति नहीं कर सकती। परन्तु अध्यक्षपद पर दासबाबू थे। अन्होंने प्रस्तावको यह कहकर नियमित माना कि गया कांग्रेसका प्रस्ताव तो कायम ही रहता है। महासमितिके प्रस्ताव द्वारा केवल अुसका प्रचार ही बन्द किया जा रहा है। थोड़ेसे अधिक मतोंसे प्रस्ताव पास हो गया, जिसलिअे गयामें चुनी गयी कार्यसमितिके सदस्योंने, जिनमें सरदार वगैरा तमाम कट्टर अपरिवर्तनवादी थे, अिस्तीफे दे दिये और अुनकी जगह न तो कट्टर परिवर्तनवादी और न कट्टर अपरिवर्तनवादी, बल्कि समझौता-वादियोंकी कार्यसमिति चुन ली गयी।

दासबाबू बम्बयीसे मद्रासके दौरे पर गये। वहां अेक भाषणमें अुन्होंने लॉर्ड रीडिंगके साथ समझौतेकी बातका संकेत करते हुअे कहा :

“अुस समय सरकार सत्याग्रहसे दब गयी थी और अुसने झुककर समझौता करनेकी तैयारी दिखायी थी। मैं जेलमें था। वहां मेरे पास शर्ते भेजी गयी थी। मैंने अुन्हें मुख्य केन्द्रमें यानी गांधीजीके पास भेज दिया। परन्तु अुन्होंने सब गड़बड़ कर दी और अब हमसे चरखा चलानेको कहा जाता है।”

अिन शर्तोंमें कोअी दम नहीं था और गांधीजीने तो अुन्हें लॉर्ड रीडिंगकी जालमें फंस जानेसे बचा लिया था, यह पिछले अध्यायमें कहा जा चुका है। ये आक्षेप पढकर सरदारसे नहीं रहा गया। अुन्होंने दासबाबूको जवाब देकर अुनकी नीतिकी कलअी खोल दी :

“जेलसे छूटनेके आठ महीने बाद आज यह कहनेका क्या अर्थ है कि वाअिसरॉय साहबने समझौतेकी जो शर्ते पेश की थीं, अुन्हें न मानकर गांधीजीने गड़बड़ कर दी? श्री विट्टलभाअी जैसे दासबाबूके अनुयायीको अिसका अर्थ समझना कठिन हो रहा है, यह आश्चर्यकी बात है। अर्थ बहुत आसान है। दासबाबू जबसे बाहर आये हैं लोकमतको अपने विचारोंकी ओर घसीट लेनेके लिअे लोग जितने सहन कर सकें अुतने कोड़े वे विरोधी दलको लगाते रहे हैं। जेलसे छूटनेके बाद कुछ समय तक धारासभाओंके प्रश्न पर मौन धारण किया; धार्मिक और मार्मिक व्याख्यान देना शुरू किया। कुछ लोगोंको सन्देह हुआ कि श्री अरविन्द घोषकी तरह वे कहीं अेकान्तमें न जा बैठें। परन्तु समय आते ही फौरन सविनय भंग समितिके सदस्योंमें से श्री विट्टलभाअी और अुनके साथियोंने जो बात शुरू की थी अुसका समर्थन किया। कलकत्तेमें हुअी महासमितिकी बैठकमें जितनी खींच-तान हो सकती थी अुतनी करके अनिश्चित स्थिति रखी। गया कांग्रेसमें

पूरी तरह जोर आजमाया, फिर भी प्रतिनिधियोंने चलने न दिया तो अग्र रूप धारण करके अध्यक्षपदसे कांग्रेसके प्रस्ताव पर प्रहार किये, अध्यक्षपदसे त्यागपत्र दे दिया और महासमितिकी बैठकको लटकती छोड़कर चल दिये। कांग्रेसके विरुद्ध दल खड़ा किया, और बम्बयी आकर उसके प्रस्तावोंके विरुद्ध हमले शुरू किये। लोगोंको अजीर्ण होता देखकर, समयका विचार करके अलाहाबादमें दो मासका मौन व्रत लिया। बम्बयीमें हुआ पिछली महासमितिकी बैठकमें जीत गये, तो अधिक जोरदार कोड़े लगानेका साहस हुआ। मद्रास जाकर महात्माजी पर कड़े आक्षेप करने लगे। आठ महीने पहले यह बात सुननेको कौन तैयार था? . . . ”

अिसी अरसेमें श्री विठ्ठलभाभीने यह आक्षेप किया कि गुजरातके सूबा बम्बयी महासमितिके निश्चयका आदर नहीं करते। अिस कारण आज मैं कांग्रेसकी प्रतिष्ठा मटियामेट होते देख रहा हूं। अुन्हें भी करारा जवाब दिया :

“पटेल साहब कहते हैं कि ‘अब तो कार्यकर्ताओं और नेताओंमें मतभेद हो गया है, अिसलिये आशा नहीं कि धारासभाओं पर कब्जा किया जा सके। गुजरात प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष यदि महासमितिके निश्चयका आदर करना सीखें, तो काम हो और कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़े। महात्मा गांधी भी महासमितिके निश्चयोंकी अिज्जत करते थे।’ बात सही है। दल आज नहीं बने हैं। अिसके लिये स्वराज्य दल खड़ा करनेवाले जिम्मेदार हैं। अब भी कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बचानी हो तो अुन्हें स्वराज्य दलसे हाथ धो लेने चाहियें, और धारासभाओं पर अधिकार जमानेकी अुम्मीद छोड़ देनी चाहिये। गुजरात प्रान्तीय समितिको जब अितमीनान हो जायगा कि धारासभाओंमें स्वाभिमानपूर्वक काम हो सकता है, तब वह अैसा करनेमें नहीं चूकेगी। गुजरात गांधीजीको पटेल साहबसे अधिक जानता है। अुनके दलने तो गांधीजीका जरूरतके अनुसार ही अुपयोग किया है, जब कि गुजरात यथाशक्ति गांधीजीके कदमों पर चलनेका प्रामाणिक प्रयत्न करता है। गुजरातकी कमजोरी गांधीजी माफ कर देंगे, दुनिया माफ कर देगी और अीश्वर भी माफ कर देगा। अशक्ति अपराध नहीं है। परन्तु गुजरात विश्वासघातका अपराध नहीं करेगा। गांधीजी महासमितिके निश्चयोंका आदर करते थे, अिसकी याद गुजरातको दिलानेकी पटेल साहबको कोअी जरूरत नहीं है। गुजरातको पता है कि जब गांधीजी बाहर थे, तब सारा देश अुनकी जबानसे निकली हुआ बात पर चलता था। आज नेता लोग ही कांग्रेसके प्रस्तावोंको नहीं मानते और दूसरोंसे अपने

मतके अनुकूल प्रस्ताव मनवाना चाहते हैं। फिर कांग्रेसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े?"

अस प्रकार दोनों भाअियोंमें राजनैतिक मामलोंमें तीव्र मतभेदोंके कारण सख्त झगड़ा होता था, परन्तु भाअीके नाते व्यक्तिगत भावनाओंके सम्बन्धमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। जब-जब विट्टलभाअी अहमदाबाद आते तब सरदारके यहीं ठहरते और बड़े भाअीके नाते सरदार उनकी बड़ी अिज्जत करते। दोनों भाअियोंकी अेक-दूसरेके साथ सीधी बातचीत या चर्चा करनेकी बहुत आदत ही नहीं थी। अेक-दूसरेके बारेमें जो कहना होता सो तीसरे आदमीसे कहते। श्री विट्टलभाअी सरदारके लिये हमेशा 'आपके सूबा' या 'गुजरातके सूबा' कहकर बात करते और सरदार उनके लिये 'माननीय पटेल' या 'पटेल साहब' कहकर बात करते। श्री विट्टलभाअीको अंग्रेजीमें जिसे 'प्रेक्टिकल जोक' कहते है, वैसी अमली मजाक करनेकी बड़ी आदत थी। अुसके शिकार बहुत लोग होते और कभी-कभी उनका मजाक अस हद तक पहुंच जाता कि अुसका शिकार बननेवाला उनका दुश्मन बन जाता। अैसे कुछ अुदाहरण प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमारे विषयके लिये वे अप्रस्तुत हैं। अेक दिन अहमदाबाद आये, तब अेक छोटासा प्रयोग सरदार पर किया। भद्रमें सरदार जिस मकानमें रहते थे, वहां सरदारके दीवानखानेके कमरेके बराबर झरोखेमें पाखाना था। श्री विट्टलभाअी आये हुअे थे, असलिये कुछ मित्र मिलने आये थे। बातें हो रही थीं कि बीचमें सरदार पाखाने चले गये। थोड़ी देर बाद विट्टलभाअीने अुठकर बाहरसे सांकल लगा दी। फिर गंभीर मुख बनाकर हमसे कहते हैं, 'ये है तुम्हारे सूबा! अितनी-सी पाखानेकी सांकल खोलकर तो बाहर आया नहीं जाता और सारे देशका स्वराज्य लेंगे! फिर हम कहते हैं सो मानते नहीं और हमारे साथ झगड़ा करते हैं।' बादमें आधेक घंटेमें विट्टलभाअी सांकल खोल आये और सरदार बाहर आकर अस तरह काममें लग गये जैसे कुछ हुआ ही न हो।

बम्बअीमें महासमितिका जो प्रस्ताव हुआ, वह कहलाया तो समझीतेका प्रस्ताव, परन्तु अुसके कारण दोनों दलोंमें कटुता अुल्टी बढ़ गअी। अपरि-वर्तनवादी यह कहते कि महासमिति कांग्रेसकी मातहत संस्था है, असलिये वह कांग्रेसके मूल प्रस्तावको अुलट नहीं सकती। असलिये हम तो कांग्रेसके निश्चय पर ही कायम रहेंगे। अस पर स्वराज्य दलवालोंने तरकीब करके जुलाअी मासमें नागपुरमें महासमितिकी बैठक बुलाअी और बम्बअी महासमितिके निश्चयको न माननेवाली प्रान्तीय समितियोंके विरुद्ध अनुशासनकी कार्रवाअी करनेका प्रस्ताव लाये। असमें खास तौर पर हमला तामिलनाडु और गुजरात



पर यानी राजाजी और सरदार पर था। दोनों दलोंके कानूनवाजोने कानूनके मुद्दों पर झगड़ा किया और अन्तमें अनुशासनकी कार्रवाही करनेका प्रस्ताव ६३ के विरुद्ध ६५ मतोंसे गिर गया। धारासभाके चुनाव नवम्बर मासमें होने-वाले थे, इसलिये अब स्वराज्य दलको ऐसा लगा कि कांग्रेसका विशेष अधिवेशन करके उसमें जैसा तैसा निश्चित फैसला हो जाना चाहिये। ता० १० सितम्बरको दिल्लीमें कांग्रेसकी बैठक करनेका निश्चय हुआ। उस समय मौलाना मुहम्मदअली और लालाजी जेलसे छूटकर बाहर आये। अपरिवर्तनवादियोंका खयाल था कि हमारे दलका वे दृढ़ समर्थन करेंगे। परन्तु दोनों समझौतावादी निकले। लालाजी बीमार थे, इसलिये वे इस प्रश्नमें सक्रिय रस न ले सके। परन्तु मौलाना किसी भी कीमत पर स्वराज्य दलके साथ समझौता करनेके लिये अपरिवर्तनवादियों पर दबाव डालने लगे। उस समय ऐसी स्थिति थी कि अन्हें नाखुश करना सारी मुसलमान जनताको अप्रसन्न करना होता। देशमें बहुतसे स्थानों पर हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़े भी शुरू हो गये थे। इसलिये कांग्रेसी मुसलमानोंको नाराज करना बिल्कुल वांछनीय नहीं था। राजाजी खराब तन्दुहस्तीके कारण इस विशेष कांग्रेसमें आ नहीं सके थे। इसलिये सरदार, राजेन्द्रबाबू, जमनालालजी और गंगाधरराव देशपांडे पर इसका निर्णय करनेकी जिम्मेदारी थी कि अपरिवर्तनवादी क्या करें। चारोंके हृदयोंमें जबरदस्त मंथन हो रहा था। साथ ही मौलाना मुहम्मद-अलीने समझौतेका प्रस्ताव पेश करते हुअे अपने भाषणमें ऐसी विचित्र और गूढ़ बात कही, जिसके कारण बहुतसे प्रतिनिधि तर्क-वितर्कमें पड़ गये। अन्होंने कहा :

“मुझे असहयोगसे भी महात्मा गांधी पर अधिक विश्वास है। महात्मा गांधीने किसी आध्यात्मिक युक्ति या बेतारके सन्देशसे मुझे यह फरमान भेजा है कि ‘मेरा यह आग्रह नहीं कि आप मेरे कार्यक्रमसे चिपटे रहें। मैं तो अब भी अपने सारे कार्यक्रमके विषयमें दृढ़ हूं। परन्तु देशकी हालत देखते हुअे आपको बहिष्कारकी अक-दो विगत निकाल देने जैसी लगे या ढीली करने योग्य प्रतीत हो या नही विगत शामिल करने लायक मालूम हो, तो मैं देशके प्रेमके नाम पर हुक्म देता हूं कि आपको जो अुचित जान पड़े सो विगत निकाल दीजिये, अुचित प्रतीत हो सो फेरबदल कर लीजिये और ठीक मालूम हो सो नही विगत शामिल कर लीजिये।”

प्रतिनिधि विचारमें पड़ गये कि किसी भी प्रकारका सन्देश जेलसे भेजना तो गांधीजीके सिद्धान्तके विरुद्ध है, फिर यह क्या? परन्तु इस सन्देशमें क्या नही बात थी? बात यह हुअी कि भाभी देवदास जब गांधीजीसे

मिलने गये थे, उस समय मौलानाके सम्बन्धमें जिस आशयकी बात हुई थी : “कैदीकी हैसियतसे मैं कोअी सन्देश नहीं दे सकता। जब और लोग मुझे सन्देश भेजते थे, तब मैं उन्हें अुलाहना दिया करता था। परन्तु मौलानासे मैं अितना ही कहूंगा कि आपकी वफादारी पर मैं मुग्ध हूं। फिर भी मेरे प्रति रही वफादारीको अुद्देश्य न समझिये, देशकी वफादारीका ध्यान रखिये। मैं अपने विचार जाते-जाते बता चुका हूं और अुन पर कायम हूं। परन्तु आप दूसरा मार्ग ग्रहण करेंगे, तो हमारे प्रेममें कोअी आंच नहीं आयेगी।”

भाअी महादेव और देवदासने मिलकर सरदारसे पूछे बिना राजाजीको सारी परिस्थितिका वर्णन करनेवाला तार दे दिया और अुनसे तार द्वारा जवाब मांगा। यह जवाब आनेसे पहले ही सरदार वगैरा निर्णय पर पहुंच चुके थे कि मौलानाका विरोध न करनेमें ही बुद्धिमत्ता है। हां, राजेन्द्रबाबू और सरदार खुले अधिवेशनमें अपरिवर्तनवादियोंकी स्थिति स्पष्ट कर दें। पहले राजेन्द्रबाबू बोलनेको खड़े हुए। अुन्होंने गद्गद् कंठसे कहा :

“मैं यह मानता हूं कि किसी भी अुद्देश्यसे धारासभाओंमें जानेसे असहयोगका सिद्धान्त टूटता है। परन्तु मेरे कन्धे कांग्रेसमें फूट डलवानेकी जिम्मेदारी लेने लायक मजबूत नहीं है। असलिये मैं जिस प्रस्तावका विरोध नहीं करूंगा। मुझे खेद है कि मुझसे जिसका समर्थन भी नहीं हो सकता। परन्तु मैं अपने अन्तरकी गहराअीसे कहूंगा कि धारासभाओंमें जानेसे असहयोग नहीं मिट जाता, यह साबित करनेकी जिम्मेदारी पंडित मोतीलालजी पर और स्वराज्य दलके धुरंधर नेता देशबन्धु दास पर रहेगी। मैं तो आगे बढ़कर यह कहता हूं कि यह जिम्मेदारी सबसे अधिक मौलाना मुहम्मदअलीके मजबूत कन्धों पर रहेगी।”

अुनके बाद सरदार बोलनेके लिये खड़े हो रहे थे कि राजाजीका तार आ पहुंचा। अुसे पढ़कर मानो अुनका आधा भार हलका हो गया। जब खड़े हुए तो जिस वीर योद्धाकी आंखें गीली दिखाअी दे रही थीं और तार पकड़े हुए अुनकी अुंगलियां कांप रही थीं। अुन्होंने अत्यन्त विषादपूर्ण स्वरमें बोलना शुरू किया :

“हमने अब तक बड़ोंके साथ लड़ाअी की और अपनी अल्पशक्तिके अुनुसार असहयोगका झंडा फहराता रखा। हम सब तो सिपाही ठहरे। हममें अेक भी नेता नहीं है। परन्तु हममें अेक आदमी साफ दिमागवाला, साफ विचारवाला है। अुसने रोगशय्यासे सन्देश भेजा है, जो अभी-अभी आया है। वे कहते हैं : ‘मेरी सलाह है कि सारी जिम्मेदारी मौलाना

मुहम्मदअलीके कन्धों पर डाल दीजिये। मैं चाहता हूँ कि अन्हें कोअी अरुचिकर बात करनेको मजबूर न कीजिये। समझौतेके लिये अुनका बहुत ही आग्रह हो तो वह करने दीजिये। मुझे महसूस हो रहा है कि देशके भाग्यमें कठिन अनुभवोंसे गुजरना लिखा है। दलीलें और चर्चाअें बेकार हैं। अब औरोंके लिये बाधक बनना हमारा काम नहीं है। हमसे जितना हो सका हम कर चुके। हमने बहुतोंको खो दिया, अब मौलाना मुहम्मद-अलीको हमें खोना नहीं है।' हमें अिनकी बात मंजूर है।

“मैंने अपने हृदयका मंथन करके देख लिया है कि मौलानाको मदद देनेके लिये यदि मैं कमसे कम कुछ भी कर सकता हूँ तो वह यह है कि अपना विरोध वापस ले लूँ। वे कहते हैं कि दो वर्षकी अनुपस्थितिके बाद आनेवालेकी स्थितिका आपको खयाल करना चाहिये। दो साल तक बाहर रहनेवालोंकी मुश्किलोंकी भी अब तक अुन्हें कल्पना हो गयी होगी। . . . मैं जानता हूँ कि मेरे अिस रवैयेसे सैकड़ों नौजवानोंके दिल चूर-चूर हो जायेंगे। मुझे अभी तक यह अितमीनान नहीं हुआ कि अिस समझौतेसे असहयोगके मर्मको चोट नहीं लगेगी। . . . परन्तु आज अेक-दूसरेके बारेमें सन्देह है, प्रेमभाव नहीं है। यह प्रेमभाव स्थापित करनेका प्रयत्न है। . . . अिस सारे समयमें देशके बड़े-बड़े नेताओंका विरोध करना दुःखद काम था। आज वह विरोध छोड़ देना पड़ रहा है, यह भी अुतना ही दुःखद है। फिर भी मैं आपसे (अपरिवर्तनवादियोंसे) अनुरोध करता हूँ कि आप अिस दुःखद स्थितिमें से गुजरिये। मैं तमाम जिम्मेदारी मौलाना मुहम्मदअली पर डालता हूँ। मेरे मित्र जमनालालजी और गंगाधरराव देशपांडे अिस सारे समयमें विरोधमें हमारे साथ थे। वे भी मेरी जैसी राय रखते हैं। अब बैठते हुअे अन्तमें साफ शब्दोंमें कहता हूँ कि अिस प्रस्तावका न हम विरोध करते हैं, न समर्थन।”

अिस प्रकार कहकर मत लिये जाने तक ठहरे बिना सरदार कांग्रेस मंडपसे चले गये। गुजरात सारा समझौतेके खिलाफ था, परन्तु सरदारके अपुरोक्त भाषणके बाद किसीने प्रस्तावके पक्ष या विपक्षमें मत नहीं दिया, यद्यपि मुझे कुछ अैसा खयाल है कि दरबार साहब और भाअी मणिलाल कोठारीने प्रस्तावके विरुद्ध हाथ अुठाये थे। बहुतसे प्रतिनिधि तटस्थ रहे, अिसलिये प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमतसे पास हुआ। अुसका मतलब यह था कि ‘जिन कांग्रेसियोंको धारासभाओंमें जानेमें किसी भी प्रकारकी धार्मिक या अन्य आपत्ति न हो, अुनको धारासभाओंके अुम्मीदवारके तौर पर खड़े होने

और आगामी चुनावोंमें मत देनेकी छूट दी जाती है। और कांग्रेस धारासभा-प्रवेशके विरुद्ध तमाम आन्दोलन बन्द करती है।'

अिस प्रकार धारासभा कांड खत्म हुआ। गया कांग्रेस तक सरदार महा-समितिकी बैठकोंमें या कांग्रेसमें बोलते ही न थे। अहमदावादकी कांग्रेसमें अन्होंने अपना स्वागत-भाषण हिन्दीमें पढ़ा था। गया कांग्रेसमें वे पहली ही बार हिन्दीमें बोले और उसके बादकी महासमितिकी बैठकोंमें उनको कभी बार हिन्दीमें बोलनेका काम पड़ा। उनके हिन्दी भाषणोंमें गुजराती शब्द और मुहावरे अकसर आ जाते थे, फिर भी हिन्दीवाले और अर्दूवाले दोनों अंनके भाषण शब्दशः समझ सकते थे। अिसका मुख्य कारण यह था कि हिन्दीका शब्द न मिलने पर वे अुसके लिये संस्कृतका आश्रय लेते ही नहीं थे। अैसे मौकों पर हिन्दी तथा अर्दू वक्ताओंने जो शब्द काममें लिया हो वह ध्यानमें रह गया हो तो अुसे अिस्तेमाल करते, नहीं तो गुजराती शब्द ही काममें लेते और श्रोतागण आगे-पीछेका सम्बन्ध ध्यानमें रखकर अुमका अर्थ पकड़ लेते। अिस प्रकार धीरे-धीरे राष्ट्रीय हिन्दुस्तानीमें अुनकी गाड़ी अच्छी तरह चलने लगी।

गया कांग्रेसके बाद नौ महीने तक परिवर्तनवाद और अपरिवर्तनवादका झगड़ा रहा। अिस बीच गुजरातमें क्या-क्या हुआ, अिसका जिक्र करके अिस अध्यायको समाप्त करूंगा।

गया कांग्रेसके निश्चयानुसार ३० अप्रैलसे पहले जो स्वराज्य-कोष जमा करना था और स्वयंसेवकोंकी भरती करनी थी, अुसमें से गुजरातके हिस्सेमें तीन लाख रुपयेका चन्दा और तीन हजार स्वयंसेवकोंकी भरती करना आया था। गुजरातसे तीन लाख रुपये अिकट्टा करना सरदारको कठिन नहीं लगता था, परन्तु गुजरातकी सच्ची परीक्षा तो अुस समयके ठंडे वातावरणमें ज्ञानपूर्वक कष्ट सहन करनेवाले स्वयंसेवक जुटानेमें थी। अिसके लिये भाअी अिन्दुलाल याज्ञिक अुत्साहपूर्वक गांव-गांव भटकने लगे और अुन्होंने जबरदस्त मेहनत अुठाअी। अुन्हें यह खयाल था कि कब तीस अप्रैल आये और स्वयंसेवकोंकी संख्या पूरी करके सविनय भंगकी लड़ाअी शुरू की जाय। परन्तु सरकारने अिससे पहले ही अुनके अडास ग्रामके भाषणको राजद्रोही मानकर अुन पर जमानतका मुकदमा चला दिया और अुन्हें अेक वर्षकी सजा दे दी। अिससे पहले काकासाहब पर, जो 'नवजीवन'में सविनय भंगकी तैयारीके लिये तेज लेख लिख रहे थे, नेकचलनीकी जमानतका अभियोग लगाकर अुन्हें सरकारने अेक सालके लिये अपना मेहमान बना लिया था। स्वराज-कोषमें तो गुजरातने तीन लाखके बजाय

सवा तीन लाख रुपये अिकट्टे कर लिये थे, परन्तु स्वयंसेवकोंकी भरती वह अप्रैलके अन्त तक तीन हजारके स्थान पर आठ सौकी ही कर सका। फिर भी जबसे अिन्दुलालको सजा हुआ, तबसे गुजरातके कार्यकर्ताओंकी अधीरता बढ़ने लगी थी। अलबत्ता, अिन्दुलालने जेल जानेसे पहले जितने स्वयंसेवक जुटा दिये थे, उनमें और अधिक वृद्धि नहीं हो रही थी। ता० १५-१६ अप्रैलको महादेवभाभीकी अध्यक्षतामें आमोद गांवमें भड़ोच जिला परिषद हुआ। अुन्होंने अपने भाषणमें कहा कि हिन्दू-मुसलमानोंमें बढ रहे अन्तरको मिटानेके लिये, लोगोंकी कार्यविमुखता दूर करनेके लिये और रचनात्मक कामको गति देनेके लिये अेकमात्र साधन व्यक्तियोंका शुद्ध बलिदान है। यह कहकर अुन्होंने परिषदसे प्रस्ताव कराया कि ३० अप्रैलके बाद तुरन्त व्यक्तिगत परन्तु आक्रमणकारी सविनय भंग शुरू करनेकी प्रान्तीय समितिसे प्रार्थना की जाय।

सरदार लगभग डेढ़ महीनेसे कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि-मंडलमें गुजरातके बाहर घूम रहे थे। वहांसे लौटकर अुन्होंने महादेवभाभीकी अध्यक्षतामें पास हुआ यह प्रस्ताव देखा और कार्यकर्ताओंकी अधीरता देखी, तो 'केसरिया बाना या अन्धा साहस' शीर्षक लेख लिखकर कहा :

“गयाजीका कार्यक्रम सविनय भंगकी तैयारीके लिये है। वह तैयारी पूरी करनेका समय तो खत्म नहीं हुआ, अुससे पहले वह काम अब पूरा नहीं हो सकता अैसा मानकर अुसे यहीं छोड़ दिया जाय और सविनय भंगके लिये अुतावली की जाय, तो यह केसरिया बाना पहनना नहीं परन्तु अन्धा साहस करना है। मैं देखता हूं कि रचनात्मक काम करनेवालोंने भी स्वयंसेवकोंके प्रतिज्ञापत्र भरे हैं। मालूम होता है अुन्हें जेल जानेकी अुतावली हो रही है। परन्तु मैं रचनात्मक काममें लगे हुए अेक भी कार्यकर्ताको जेल जाने देनेको तैयार नहीं हूं। जेल तो मेरे जैसे घूमते-फिरते लोगोंके लिये या जिन्हें रचनात्मक काममें विश्वास न हो अुनके लिये है। अैसे लोग भी जब तक प्रान्तीय समिति अिजाजत न दे दे, तब तक जेलमें जानेकी कोशिश न करें।”

सरदारके अिस लेखसे महादेवभाभी और श्री मोहनलाल पंड्या वगैरा कार्यकर्ताओंके मनका समाधान नहीं हुआ, अुल्टे अुनका असन्तोष बढ गया। अुन्हें रूबरू समझानेका तो सरदारने प्रयत्न किया ही, साथ ही 'शान्त विचारकी जरूरत' शीर्षक लेख लिखकर बताया कि :

“हमारा रचनात्मक काम जारी रहे और हममें से कुछ लोगोंके जेल जानेसे अिस कार्यकी गति बढे तो ही सविनय भंगका अुपयोग है। अगर कोअी

यह मानता हो कि हमसे बाहर कुछ नहीं हो सकता, इसलिये जेलमें जा बैठें, तो यह मानना गलत है।”

सच बात तो यह थी कि सरदारको ऐसा लगता था कि लोगोंको सविनय भंगके द्वारा तैयार करना हो, जनताको साहसी और निडर बनाना हो, तो आक्रमणकारी व्यक्तिगत सविनय भंग करनेके बजाय लड़ाईको किसी निश्चित मुद्दे तक ही सीमित रखकर सामूहिक सविनय भंग करनेसे जनताको अधिक शिक्षा दी जा सकेगी। इसके लिये जबलपुर और नागपुरमें जो झंडा सत्याग्रह शुरू हो गया था. उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ था। वहां जरूरत पड़ने पर अवसर मिलते ही हम गुजरातसे टोलियां भेज सकेंगे, यह कहकर और तदनुसार प्रान्तीय समितिसे प्रस्ताव कराकर छटपटाते हुये कार्यकर्ताओंको अनुहोंने शान्त किया। जमनालालजी इस लड़ाईके नेता थे। उनको गिरफ्तारीके बाद इस लड़ाईका संचालन करनेका भार कांग्रेस कार्यसमितिके सरदारके सिर पर डाला। नागपुर झंडा सत्याग्रहकी इस लड़ाईका वर्णन अलग अध्यायमें करेंगे।

## नागपुर झंडा सत्याग्रह

अिस लड़ाीका बीज जबलपुरमें बोया गया। अगस्त सन् १९२२ में सविनय भंग जांच समिति जबलपुर गयी। तब वहांकी म्युनिसिपैलिटीने अेक प्रस्ताव पास करके हकीम अजमलखां साहबको मानपत्र भेंट किया और म्युनिसिपल हॉल पर राष्ट्रीय झंडा लगाया। केवल अितना ही हुआ होता तो किसीका ध्यान अुस तरफ न जाता। परन्तु अुस समय म्युनिसिपैलिटीके सामने दो और प्रस्ताव ये पेश हुअे थे कि म्युनिसिपैलिटी पर यूनियन जैक लगाया जाय अथवा यूनियन जैक और राष्ट्रीय झंडा साथ-साथ लगाया जाय। ये दोनों प्रस्ताव नामंजूर हुअे और राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया। अिस पर पार्लियामेंटमें अेक सदस्यने सवाल पूछा कि यह तो यूनियन जैकका अपमान है, अिसलिअे भारतमंत्री अिस विषयमें क्या कार्रवाही करनेका विचार रखते हैं? भारतमंत्रीने अुत्तर दिया कि अैसी सूचना दे दी जायगी कि आयंदा अैसा न होने पाये और अिस बारेमें सावधानी रखी जायगी। बादमें मार्च १९२३ में कांग्रेस कार्यसमितिके प्रतिनिधि-मंडलमें राजाजी वगैरा जबलपुर गये। म्युनिसिपैलिटीमें पहले जैसा ही प्रस्ताव पास हुआ, परन्तु जिला मजिस्ट्रेटने सावधानी रखकर अुस प्रस्तावको रद्द कर दिया और टाअुन हॉलके सामनेके मैदानमें सभा न होने देने और म्युनिसिपैलिटी पर राष्ट्रीय झंडा न लगाने देनेके लिअे वहां १४४ वीं धारा लगा दी गयी।

ता० १८ मार्चको गांधीजीके कारावासकी वर्षगांठके दिन पं० सुन्दर-लालजीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय झंडेके साथ बड़ा जुलूस निकाला गया। पं० सुन्दरलालजी और अन्य दस जने पकड़ लिये गये और अुनसे राष्ट्रीय झंडा छीन लिया गया। दूसरे दिन अुन सबको छोड़ दिया गया। अुन्होंने राष्ट्रीय झंडा वापस मांगा, तो कहा गया कि वह तो जब्त कर लिया गया है अिसलिअे वापस नहीं मिल सकता। पं० सुन्दरलालजीने आपत्ति की कि यह तो राष्ट्रीय झंडेका अपमान है और अिसकी चिनगारीसे प्रचंड अग्नि भड़क अुठेगी। पंडितजीको पकड़कर छः मासकी सजा दे दी गयी।

ता० १३ अप्रैलके दिन नागपुरमें राष्ट्रीय झंडेके साथ बड़ा जुलूस निकाला गया और घोषणा की गयी कि यह जुलूस सिविल लाअिन्समें होकर सदर बाजार जायगा और वहां सभा की जायगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्टके पास चौराहे

पर, जहांसे सिविल लाइन्स शुरू होती है, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट पुलिसकी बड़ी सेनाके साथ मौजूद थे। अन्होंने जुलूसको रोका। स्वयंसेवकोंने आगे बढ़नेका अपना निश्चय घोषित किया, तो पुलिस अुन पर टूट पड़ी। झंडेके डंडेसे ही स्वयंसेवकोंको खूब मारा और जो नीचे गिर गये, अुन्हें घसीटकर रास्तेके अेक तरफ नालीमें डाल दिया। अेक बैरिस्टर श्री दीक्षित, जो असहयोगी नहीं थे, वहांसे गुजर रहे थे; अुन्होंने यह भीषण दृश्य देखकर घायलोंको अपनी मोटरमें डाल लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। और अपनी आंखों देखा पुलिसकी निर्दयताका हाल अखबारोंमें छपा दिया।

नागपुर प्रान्तीय समितिकी कार्यकारिणीने निश्चय किया कि चूँकि किसी भी आम रास्ते पर शान्तिपूर्वक राष्ट्रीय झंडा लेकर चलनेका जनताका अधिकार है और सरकार अुसमें रुकावट डालती है, असलिये ता० १ मअीसे अुसके लिये लड़ाअी लड़ी जाय और जबलपुर और नागपुर दोनों स्थानोंके बजाय नागपुर पर ही शक्ति केन्द्रित की जाय। वर्धाके सेठ जमनालालजीने लड़ाअीका नेतृत्व किया और अुनकी सूचनानुसार दस-दस प्रतिज्ञाबद्ध सैनिक रोज लड़ाअीके मोर्चे पर भेजना तय हुआ। अस प्रकार हर हफ्ते अेक छुट्टीके दिनके सिवाय और विशेष कारणवश छुट्टी घोषित की गअी हो तो अुस दिनके सिवाय स्वयंसेवक भेजने और गिरफ्तारी आमंत्रित करनेका काम अुस वक्त तक जारी रहा, जब तक १८ अगस्तको निषिद्ध क्षेत्रोंमें से स्वयंसेवकोंका जुलूस बेरोक-टोक गुजर न गया और कांग्रेसकी विजय न हो गअी। हम देखेंगे कि अिन स्वयंसेवकोंमें अच्छे-अच्छे व्यापारी, किसान, वकील, डॉक्टर और अध्यापक अित्यादि थे। कुल १७४८ व्यक्तियोंने जेलकी यातनाओं भोगीं। अेक २२ वर्षका बिहारी युवक जेलमें चल बसा और लगभग सभी जेलके अमानुषिक बरतावसे, अत्यधिक मेहनतसे, और खराब खुराकसे थोड़ी-बहुत तन्दुरुस्ती बिगाड़कर भी राष्ट्रीय झंडेकी शान संसारके आगे अुज्ज्वल करके हर्षसे फूली हुआ छायी और गर्वसे अुन्नत सिरके साथ बाहर आये।

लड़ाअीका मुद्दा बहुत साफ था। राष्ट्रीय झंडा लेकर या राजनैतिक या धार्मिक स्वरूपका और कोअी भी झंडा लेकर शान्तिपूर्वक, दूसरे लोगोंको आपत्ति न हो अस ढंगसे, किसी भी आम रास्तेसे छोटे या बड़े व्यवस्थित जुलूसकी शकलमें जानेका नागरिकोंका मौलिक अधिकार हरअेक सुधरे हुआ माने जानेवाले देशमें माना गया है। जिन दिनों नागपुरमें यह लड़ाअी चल रही थी, अुन्हीं दिनों अिंग्लैंडमें बोल्शेविक दलके लोग अपना लाल झंडा लेकर नारे लगाते हुआ खुद पार्लियामेंट भवनके सामनेसे जाते थे और अस



पर कोअी अंतराज नहीं किया जाता था। हमारे देशमें भी और तमाम शहरोंमें राष्ट्रीय झंडेके जुलूस आजादीके साथ निकलते थे। खुद नागपुरमें भी और सब जगह राष्ट्रीय झंडा लेकर जुलूस घूमे, तो सरकारको आपत्ति नहीं थी। परन्तु वहांकी सिविल लाइन्समें राष्ट्रीय झंडा लेकर जानेका अपना हक स्थापित करनेकी लड़ाई छेड़नेका निश्चय जब स्थानीय कांग्रेस कमेटीने किया, तब वह नागपुरके गोरे सिविलियनोंको सहन नहीं हुआ। और वहांके जिला मजिस्ट्रेटने ता० १ मअीको जुलूसबन्दी और सभाबन्दीका हुक्म दे दिया। प्रान्तीय सरकारने भी अुसी दिन अपनी कार्रवाअीका स्पष्टीकरण करनेवाला अेक बयान प्रकाशित किया।

यह 'सिविल लाइन्स' क्या थी? जिसे 'केन्टोनमेंट' कहा जाता है, वैसी फौजी छावनीका अिलाका वह हरगिज नहीं था। कुछ सुधरे हुए माने जानेवाले लोगोंका मुहल्ला था। वहां थोड़ेसे गोरे अधिकारी और पश्चिमी ढंगके रहन-सहनकी थोड़ी या बहुत मात्रामें नकल करनेवाले बहुतसे हिन्दुस्तानी रहते थे। गोरोंकी संख्या तो स्त्रियों और बच्चोंको गिनकर दो सौसे ज्यादा नहीं होगी। सरकारी बयानसे स्पष्ट प्रतीत होता था कि अिन गोरांग 'प्रभुओं' के झूठे घमंड और बड़प्पनको सरकार पोषण और प्रोत्साहन देना चाहती थी। अुस बयानमें लिखा हुआ था कि :

“स्वराज्यके झंडेके विरुद्ध सरकारको कोअी अंतराज नहीं, परन्तु कुछ राजभक्त लोगोंसे यूनियन जैकका अपमान देखा नहीं जाता और अुनकी भावनाओंको बड़ी ठेस लगती है। असिलअे वहां स्वराज्यके झंडेके साथ निकलनेवाले जुलूसोंकी मनाही करना जरूरी मालूम होता है।”

अिसमें दो बातें गलत रूपमें मान ली गअी दिखाअी देती हैं: अेक तो यह कि 'सिविल लाइन्स' यानी 'सभ्य बस्ती' में ही तमाम राजभक्त लोग रहते थे और दूसरे, स्वराज्यके झंडेके जुलूससे 'यूनियन जैक'का अपमान होता था। अिस लड़ाअीके संचालकोंको सपनेमें भी 'यूनियन जैक'के अपमानका खयाल नहीं था। अुन्होंने अुसके बारेमें अेक शब्द तक नहीं कहा था, न जबलपुरमें और न नागपुरमें। जहां पहले जुलूसोंको मारपीट करके बिखेर डाला गया था, वहां भी किसीने युनियन जैकके बारेमें अपमानजनक शब्द या नारे नहीं लगाये थे। और स्वराज्यके झंडेके साथ निकलनेवाले जुलूसोंसे यूनियन जैकका अपमान होता हो, तो अिस सभ्य बस्तीमें ही अपमान क्यों हो? शहरमें राष्ट्रीय झंडेके साथ जुलूस घूमते थे और कितने ही मकानों पर राष्ट्रीय झंडे लहरा रहे थे। अुनसे वहां यूनियन जैकका अपमान क्यों नहीं होता था? क्या वहां यूनियन जैककी हुकूमत नहीं थी या कोअी राजभक्त लोग नहीं

रहते थे? परन्तु यह तो न्यायकी दलील हुआ। गोरे अधिकारी अपने घमंडके नशेमें न्यायका विचार नहीं कर सकते थे। नहीं तो क्या सरकारी बयानमें यह दलील देनेकी बात लेखकको सूझ सकती थी कि 'स्वराज्यका झंडा देखकर कुछ राजभक्त लोगोंका अतुल्य हो जाना संभव है और इसलिये सरकारको यह डर रहता है कि कहीं शान्तिभंग न हो जाय।' इस वाक्यमें निहित ध्वनिको स्पष्ट करें तो यह अर्थ हो सकता है कि सिविल लाइन्स — सभ्य बस्ती — में रहनेवाले कुछ सिरफिरे राजभक्त गोरे लोगोंको क्रोध आ जाय और वे स्वराज्यके झंडेवाले स्वयंसेवकों पर हमला कर बैठें और शान्तिभंग हो जाय; असे रोकनेके लिये सरकारको इस क्षेत्रमें जुलूसबन्दी और सभाबन्दीकी आज्ञाओं निकालनी पड़ी हैं। साथ ही, अधिक स्पष्ट करें तो यह अर्थ हो सकता है कि असे दो-चार घमंडी और तेज मिजाजवाले गोरे लोगोंको रोकनेकी सरकारमें ताकत नहीं है, इसलिये वह अहिंसाकी प्रतिज्ञासे बंधे हुए सैकड़ों स्वयंसेवकोंको रोकना चाहती है और वे न रुकें तो उनके साथ मारपीट करने या अन्हें जेल भेजनेको तैयार है। सरकारी बयानकी एक बात और अल्लेखनीय है। सरकारको स्वराज्यके झंडेके विरुद्ध कोअी अंतराज नहीं, अिन शब्दोंसे शुरू होनेवाले स्पष्टीकरणोंमें आगे चलकर यह आता है कि 'कोअी म्युनिसिपल कमेटी या लोकलबोर्ड अपने मकान पर स्वराज्यका झंडा लगानेका निश्चय करेगा, तो सरकार अैसी कार्रवाअीको बरदाश्त नहीं करेगी। इस चेतावनीके बावजूद कोअी संस्था अैसा दुराग्रह करेगी, तो सरकार अपनी ग्रांट बन्द करके अपनी नाराअी जाहिर करेगी और असे जो जरूरी मालूम होगी सो अनुशासनकी दूसरी कार्रवाअी करेगी।' अिन सब बातोंसे अितना स्पष्ट दिखाअी देता है कि नागपुरका झंडा सत्याग्रह एक तरफ अपना सादा मौलिक अधिकार स्थापित करनेके लोक-प्रयत्नका और दूसरी तरफ असे कुचल डालनेके गोरे घमंडी अधिकारियोंके पागलपनका देवासुर संग्राम था।

सरदारको किसी निश्चित मुद्दे तक सीमित जैसा सत्याग्रह चाहिये था यह वैसा ही था। इसलिये गुजरात प्रान्तीय समितिमें अन्होंने ठहराव कराया कि नागपुर भेजनेके लिये स्वयंसेवक तैयार रखे जायं। खेड़ा जिलेने तो तुरन्त ७५ सैनिकोंकी टोली श्री मोहनलाल पंड्याके नेतृत्वमें नागपुर भेजनेको तैयार कर दी। दूसरे जिले भी तैयारीमें लग गये। तामिल प्रान्त और बिहारने भी अैसे ही निश्चय किये। ता० २५ मअीको बम्बअीमें महासमितिकी बैठक हुआ, जिसमें राष्ट्रीय झंडेकी रक्षाके लिये नागपुरमें किये गये सत्याग्रहके लिये मध्यप्रान्तके स्वयंसेवकोंको बधाअी देनेवाला और सारे हिन्दुस्तानके तमाम

स्वयंसेवकोंको बुलाते ही तुरन्त लड़ाईमें शरीक होनेको तैयार रहनेकी सूचना देनेवाला प्रस्ताव पास किया गया। महासमितिकी बैठक खत्म होनेके बाद तुरन्त राजाजी, सरदार और कुछ अन्य कार्यकर्त्ता लड़ाईकी स्थितिका अवलोकन करने और सरकारके शब्दोंमें यह 'सारी कारस्तानी' रचनेवाले जमनालालजीके साथ मशविरा करने नागपुरके लिअे रवाना हो गये।

दूसरी तरफ सरकारने भी जहर अगलना शुरू कर दिया था। नागपुरका कमिश्नर सिविल लाइन्समें रहता था और वहांके तमाम गोरोंका नेता था। हमारे राष्ट्रीय झंडेसे अुसे बड़ी जबरदस्त घृणा थी। जुलूस सिविल लाइन्ससे गुजरे तो अुसका बंगला रास्तेमें जरूर पड़ता था। वह बार-बार धमकियां देता था कि मेरे बंगलेके सामने जुलूस आयेगा तो मैं अुस पर गोली चला दूंगा। मध्यप्रान्तकी सरकार अुससे बहुत डरती थी। वह हिन्दुस्तानके सनदी नौकरोंकी संस्थाका मंत्री था। अिस संस्थामें यह शक्ति थी कि वह चाहे तो गवर्नरों और वाअिसराय तकका तख्ता अुलट सकती थी। अिसलिअे अैसी संस्थाका मंत्री होनेसे स्वाभाविक रूपमें अुसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त था। साथ ही अिस लड़ाई सम्बन्धी प्रकाशन और प्रचारका काम वह खुद ही संभालता था। अिसलिअे वह क्यों कसर रखता? आगे चलकर हम देखेंगे कि बम्बअीके 'टाअिअिस ऑफ अिअिया' और कलकत्तेके 'स्टेट्समैन' के संवाददाताकी हैसियतसे वह खुद अुनमें लिखने लगा था। "यह सारी लड़ाई कृत्रिम है। केवल कानूनभंग करने, युरोपियनोंको तंग करने और किसी भी तरह फसाद मचानेके लिअे यह छेड़ी गअी है। अिन्हें तो सरकारी भवन और बड़े दफ्तर पर स्वराज्यका झंडा लगाना है। अैसे अुद्देश्योंसे लड़ने पर अुतारू झूठे, लुच्चे-लफंगे, जंगली और आवारा लोगोंको तो पकड़कर जेलमें ही न भेज दिया गया और अुनकी अच्छी तरह खबर नहीं ली गअी तो कानून द्वारा स्थापित हुकूमत अुलट जायगी," अैसी चेतावनीका सुर अुसने 'टाअिअिस ऑफ अिअिया' के लेखोंमें निकलवाया। साथ ही यह सुझाव भी दिलवाया कि अैसे बदमाशोंसे राजभक्त प्रजाको बचानेका अुपाय गोली चलाना है। अपने गोरे सजातियोंको अुकसानेके लिअे अुन्हें यह सलाह दिलवाअी कि जैसे मुसलमानोंकी मस्जिदोंके सामने बाजा बजाया जाय तो मुसलमानोंकी भावनाओंको ठेस पहुंचती है, अुसी तरह गोरोंके मुहल्लेसे या अुनकी कलबके सामनेसे स्वराज्यका झंडा ले जाया जाय तो अुनकी भावनाओंको ठेस पहुंचनी चाहिये। मध्यप्रान्तके डिप्टी कमिश्नरोंने जो विज्ञप्तियां निकालीं, वे अुनके विपर्यास और कुटिल नीतिके बढिया नमूने हैं। सिवनीके डिप्टी कमिश्नरकी विज्ञप्ति देखिये:

“लोगोंको मालूम हो कि जिस गलत अुत्तेजना द्वारा तुम्हें नागपुर भेजनेका प्रयत्न हो रहा है, वहां तुम्हें सभ्य बस्तीमें राष्ट्रीय कहलानेवाला झंडा लेकर जाना पड़ेगा और गिरफ्तार होना पड़ेगा। तुम्हें समझाया जाता है कि हमारे देशका झंडा है और देशकी अिज्जत रखनेके लिये तुम्हें अितना त्याग करना चाहिये। परन्तु सच बात क्या है सो तुम जान लो। यह झंडा न तुम्हारे देशका है और न तुम्हारे बापदादोंका। कभी नहीं सुना गया कि अुनका अैसा झंडा था। दो-तीन वर्षसे कांग्रेसके कुछ बाबुओंने राजनैतिक अुद्देश्यसे यह झंडा पैदा कर लिया है। ये लोग यह चाहते हैं कि तुम जेल जाओ। अिसमें अुनका अुद्देश्य यह बताकर कि सरकार जालिम है अपना स्वार्थ साधना है। ये नेता नागपुरमें छिपे रहकर अपढ़ देहातियोंको भेड़-बकरियोंकी तरह हांकते हैं। बेचारे देहाती जब गिरफ्तार होते हैं, तब नेता घर जाकर खा-पीकर मौज करते हैं और चैनसे सोते हैं। परन्तु झंडा लेकर गिरफ्तार होनेसे तुम्हारा क्या भला होगा? क्या तुम पर जो जुर्माना होगा अुसे नेता चुकायेंगे? जेल जानेसे तुम्हारी खेती बिगड़ेगी। क्या अुसे नेता संभालने आयेंगे? तुम जेलमें रहोगे तब तुम्हारे कुटुम्बका भरण-पोषण वे करेंगे?

“तुम्हें जानना चाहिये कि भोले किसानोंके लड़कोंको जेलमें भेजा जा रहा है। परन्तु व्यापारियों, वकीलों और विद्वानोंके लड़के जुलूसोंमें शामिल नहीं होते। अिसका क्या कारण? कारण यही है कि ये लोग पढ़ेलिखे होनेके कारण समझते हैं कि यह तो बेवकूफी है। अिसमें तो बेचारे गरीब, अपढ़, भोले लोग ही नेताओंकी झूठमें फंस गये हैं।”

नरसिंगपुर जिलेके डिप्टी कमिश्नरका ‘फरमाने आम’ तो ओछेपन और हलकेपनमें अिससे भी कहीं बड़ कर है। देखिये :

## शहनशाह पंचम जॉर्जकी जय

### फरमाने आम

“कुछ मास पहले अपनेको असहयोगी कहनेवाले गिनतीके आदमियोंने अेक झंडा निकाला। अिसे वे जबरदस्ती ही राष्ट्रीय झंडा कहने लगे। परन्तु अिस झंडेको माननेवाली जब केवल अेक छोटीसी टोली ही है, तब साधारण मनुष्य भी समझ सकेगा कि न वह राष्ट्रीय झंडा है और न वह राष्ट्रीय झंडा हो सकता है।

“सरकार बहादुर मामूली झंडेबाजीकी बिल्कुल परवाह नहीं करती। कोअी किसी भी तरहका झंडा लेकर घूमे अथवा अपने मकान पर

रुगाये, तो इसमें कभी असने बाधा नहीं दी। परन्तु कुछ समयसे कुछ आदमी अहिंसाके नाम पर अैसे झंडे जुलूसमें लेकर चिल्लाते हुए नागपुर 'सिविल लाइन्स' में, जहां सरकारी अधिकारी रहते हैं और जहां अनुका क्लब भी है, अन्हें तकलीफ देनेके लिये जबरदस्ती जाने लगे हैं। इसी तरह कभी-कभी हिन्दू-मुसलमानोंकी मस्जिदोंके सामने झगड़ा करनेके लिये बाजे बजाते हैं। अैसी छेड़खानीसे झगड़े होनेकी संभावना रहती है। भारी आश्चर्यकी बात यह है कि इस प्रकारके झगड़े और अत्याचार ये लोग अहिंसा, आजादी और स्वराज्यके नाम पर करते हैं। अैसी कारस्तानियां अंग्रेजी राजमें शुरूसे ही गैरवाजिब मानी गयी है और अनुकी मनाही है। इसीलिये सरकारने इस कामको सिविल लाइन्समें होने देनेकी मनाही की है। ये लोग सिविल लाइन्सको छोड़कर और कहीं भी झंडा लेकर जा सकते हैं। इस हुक्मके होते ही जो कमबख्त अपनेको नेता कहते हैं और जो दूसरे लोगोंको लड़ाने और फसाद मचवानेमें ही मशगूल रहते हैं, वे कौन जाने कैसी दगाबाजीसे लोगोंको बहकाकर इस हुक्मको तोड़नेके लिये नागपुर भेजने लगे हैं।

“ये लोग अपने भोलेभाले भाअियोंको फंसाकर खुद अलग रहते हैं और दूसरोंकी मदद लेकर सरकारको सताते हैं। अनु बेचारे सीधे-सादे लोगोंको जेलकी सजा और जुर्माना होता है। सब भले आदमी अफसोस करते है कि अिन गरीब लोगोंको अन्होंने क्यों फंसाया ? अिन बदमाशोंने नरसिगपुर जिलेसे पच्चीस-तीस देहातियोंको नागपुर भेजा। वहां अन्हें जेल और जुर्मानेकी सजा हुयी और अनुकी जमीन-जायदाद नीलाम होनेकी नौबत आ गयी। यह भी सुना जाता है कि अभी और कुछ ग्राम-वासियोंको नागपुर भेजनेवाले हैं। अब सरकार बहादुरके हुक्मसे १४३, ११७, १८८ और १२० ब धाराओंके अनुसार पुलिस जांच कर रही है। और ज्यों-ज्यों अस जांचसे मालूम होता जायगा, त्यों-त्यों अनु धाराओंके अनुसार लोग गिरफ्तार होते रहेंगे। आअिन्दा कोअी भी शरूस अपराध करनेके अिरादेसे नागपुर जानेवाला होगा या किसीको भी नागपुर भेजनेकी कोशिश करता होगा, तो असु तुरन्त गिरफ्तार किया जायगा। परन्तु सब विश्वास रखें कि सरकारके हुक्मों पर अमल करते समय हम अस तरह ठगे गये अभागों पर पहलेकी तरह रहम रखेंगे और दया करेंगे।

“हमें अच्छी तरह मालूम है कि नरसिगपुर जिलेमें अैसी बदमाशीमें फंसनेवाले आदमी बहुत थोड़े हैं। परन्तु हम जानते हैं कि भोलेभाले नादान

देहाती लोग इस चालमें फंस जाते हैं। इसलिये इस घोषणा-पत्र द्वारा हम सच्ची बात लोगों पर रोशन कर देते हैं।

“आइन्दा जो लोग कानून-भंग करेंगे, उन पर कानूनी कार्रवाजी की जायगी। परन्तु जो कानूनके भीतर रहकर चलेंगे, वे तो पहलेकी तरह आजाद और बेफिक्र रह ही सकेंगे। इसलिये भाअियो, दंगा-फसाद छोड़ दो, और आफतमें न पड़ो। हमारी सरकार बड़ी मजबूत है और अपनी प्रजा पर बड़ी मेहरबानी रखनेवाली है। वह हमेशा रयतके भले और आजादीका बन्दोबस्त करती रही है। इस सरकारके साथ लड़ना व्यर्थ है। परन्तु जो कमबस्त लोग गलत तरीके पर लड़ेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचेगा और वे आफतमें फंस जायेंगे। इसलिये सरकारके साथ मिल-जुलकर रहो और आजादीके साथ निश्चिन्त, प्रसन्न और सकुशल रहो।”

अन फरमानोंमें मध्यप्रान्तके गोरे सिविलियन अधिकारियोंके मानसका प्रतिबिंब पड़ता है। अन घोषणा-पत्रों और अखबारोंमें आनेवाले अतृप्त लेखोंको देखकर बड़े सरकारी दफ्तरके किसी समझदार अधिकारीको लगा होगा कि असा प्रचार करनेमें तो बेवकूफी हो रही है, सरकारकी अिज्जत घट रही है और लोगोंको अुलटे प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये अुसने नागपुरके कमिश्नरको खानगी पत्र लिखकर अुलाहना दिया। परन्तु वे साहब अैसे अुलाहनों पर ध्यान देनेवाले नहीं थे।

अब सरकारी अधिकारियोंकी हलचलोंको छोड़कर स्वयंसेवकोंकी हलचलों पर आऊं। गुजरातकी पहली टोली ता० ११ जूनको सूरतसे निकली। जमनालालजीका विचार ता० १८ जूनको गांधीजीके कारावासके दिन सरकारको बड़ी भेंट चढ़ानेका था और इस अुद्देश्यसे कि अुस पवित्र दिवस पर सभी प्रान्त अपने-अपने सत्याग्रहियोंका हिस्सा दें, देशकी तमाम प्रान्तीय समितियोंको आमंत्रण दिया था। अुस निमंत्रणको मानकर कर्णाटकसे अेक दल डॉक्टर हार्डीकरके नेतृत्वमें और तामिलनाडुसे श्री वरदाचारीकी सरदारीमें १६ सैनिकोंकी अेक टोली नागपुर पहुंची थी। गुजरातकी टोलीमें से श्री गोकुलदास तलाटी, रविशंकर महाराज और दूसरे मिलकर कुल पंद्रह आदमी ता० १५ को सत्याग्रह करके पकड़े गये। उन सबको छः महीनेकी सख्त कैद और अेक-अेक मासकी सादी सजा हुई। श्री भक्तिलक्ष्मीबहन खेड़ाके दलको पहुंचाने नागपुर तक और वहां भी जेलके सीखचों तक गयी थीं। मजिस्ट्रेटने सजा सुनायी तब अुन्होंने विनोद किया कि ‘हरअेकको छः-छः लड्डू शक्करके और अेक-अेक गुड़का मिला।’ श्री भक्तिलक्ष्मीबहनके साथ खेड़ा जिलेकी तीन बहनें और भी गयी थीं। अुन्हें सत्याग्रह करके जेल जानेकी बड़ी लगन थी। परन्तु

जमनालालजीने अन्हें मना कर दिया और छावनीका भोजनालय संभालनेका काम सौंप दिया।

नागपुरके जिला मजिस्ट्रेटका सिविल लाअिन्समें सभाबन्दी और जुलूस-बन्दी करनेवाला ता० १ महीका हुकम दो महीनेके लिअे होनेके कारण अभी तक जारी था। परन्तु नागपुर शहरमें झंडे लेकर घूमनेवाले सैनिकोंको रोकनेके लिअे पहले हुकमके बजाय ता० १७ जूनको दूसरा हुकम दो महीनेके लिअे निकाल दिया गया, जिसकी रूसे जुलूसबन्दी और सभाबन्दी सिविल लाअिन्सके सिवाय नागपुर शहरकी सारी म्युनिसिपल हदमें लागू कर दी गयी। अिसका अुद्देश्य ता० १८ जूनके बड़े कार्यक्रमके किसी भी प्रदर्शनको रोकना होना चाहिये। अिसीलिअे जमनालालजी तथा भगवानदीनजीको ता० १७की शामको पकड़ लिया गया और आधी रातके बाद छावनी पर घेरा डालकर १८ तारीखको तड़के ही साढ़े तीन बजे छावनीमें जो लगभग अढ़ाई सौ सैनिक थे, अुन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अुनमें विनोबाजी भी थे। अिन लोगों पर कौनसी धारा लगायी जाय, यह समस्या बन गयी। जमनालालजी और भगवानदीनजी पर तो षड्यंत्र करने वगैराकी कयी धाराअें लगा दी गयीं। परन्तु स्थानीय और साथ ही दूसरे प्रान्तोंसे आये हुअे सैनिकोंने अभी तक कोअी जुर्म नहीं किया था, अिसलिअे यह बड़ा प्रश्न था कि अुन्हें कौनसी धाराके अुनुसार सजा दी जाय। परन्तु सिविलियन अफसरोंके मस्तिष्क अुपजाअू थे। अुन्होंने १०९ वीं धारा ढूढ़ निकाली। यह धारा अुन लोगोंके लिअे बनायी गयी थी, जिनका कोअी जाहिरा गुजरका जरिया न हो और जिनके बारेमें बदमाश और आवारा होनेका शक हो। आजीविकाका साधन न होना कोअी अपराध नहीं है। परन्तु यह धारा अुन लोगों पर लगायी जा सकती है, जो आवारा यानी भटकनेवाले हों और गुजरके लिअे मेहनत ही न करें और जो बदमाश हों यानी गुजरके लिअे या और किसी अुद्देश्यसे लुच्चाअी लफंगापन करें। अिन सैनिकों पर, जिनमें बहुतसे हाअीकोर्टके वकील थे, युनिवर्सिटीकी दो-दो डिग्रियां धारण करनेवाले थे, विद्वान अध्यापक थे, और प्रतिष्ठित किसान और व्यापारी थे और जिनसे परिचय होनेका मौका आने पर नागपुरके अधिकारी अपना अहोभाग्य समझते, यह धारा लगाकर अुन्हें आवारा और बदमाश मानकर सजा दे दी गयी। यह धारा लगानेमें सरकारका अेक और अुद्देश्य यह भी हो सकता था कि कभी झंडे सम्बन्धी आज्ञाका भंग करनेके लिअे सजा पाये हुअे सत्याग्रहियोंका हिसाब लगानेका अवसर आये, तो अिस धारावालोंको अुसमें से अलग रखकर सत्याग्रहियोंकी संख्या कम बतायी जा सके।

जमनालालजी और दूसरे नेताओं और साथ ही जमा हुआ सैनिकोंको अके साथ घेरकर पकड़ लिया गया, तो भी सत्याग्रही ध्वज-सैनिकोंका प्रवाह जारी रहा। मध्यप्रान्त और साथ ही दूसरे प्रान्तोंके सैनिक नियमित रूपसे आते। अन्हें अब १०९ वीं धाराके अनुसार ही पकड़ लिया जाता। जिसके विरुद्ध और इसी तरह इस बारेमें कि जमनालालजी और भगवानदीनजीको कोअी अपराधी कृत्य करनेसे पहले ही पकड़ लिया गया था, अखबारोंमें खूब आलोचना होने लगी। जिसलिये सरकारने ता० २८ जूनको अके वक्तव्य प्रकाशित करके स्पष्टीकरण किया। अुसमें भगवानदीनजीको 'अके पुराना स्थायी आन्दोलनकारी', 'राजद्रोहमें सजा गया हुआ अके मुजरिम' और 'हड़तालें कराकर नाम पाया हुआ अके शस्त्र' बताया गया। अुनका नया अपराध यह बताया गया कि अुन्होंने भरी सभामें यह घोषणा की थी कि सरकारी महल पर राष्ट्रीय झंडा लगाना चाहिये। जमनालालजीका यह वर्णन किया गया कि 'सेठ जमनालाल बजाज वर्धाके अके धनिक मारवाड़ी और गांधीजीके कट्टर अनुयायी' हैं। मानो अैसा होना ही अुनका अपराध हो! अुनके भाषणोंसे अुलटे-सीधे अुद्धरण लेकर अुनका बड़ा जुर्म यह बताया गया कि वे सरकारको जबरदस्त चुनौतियां देते थे। साथ ही अपने 'तरुण महाराष्ट्र' नामक मराठी पत्रमें अुन्होंने लिखा है कि 'नागपुरकी लड़ाअी खत्म होनेके बाद सत्याग्रही सरकारके दूसरे अन्यायोंकी तरफ अपना ध्यान देंगे, क्योंकि सत्याग्रहका मूल अुद्देश्य ही स्वराज्य लेनेमें आनेवाली तमाम बाधाओंको मिटाना है।' अुन्होंने हाल ही के अपने भाषणमें घोषणा की है कि 'नागपुरके बाद बंगाल और मद्रासमें अैसे ही आन्दोलन छेड़नेका अुनका विचार है।' अुस वक्तव्यमें आगे चलकर बताया गया है कि 'स्वराज्यके संडेको ये लोग गलत अुत्तेजना फैलाने और अराजकता मचानेके अके साधनके रूपमें अिस्तेमाल करते हैं।' अन्तमें वक्तव्यमें कहा गया है कि 'सत्याग्रहका सही अर्थ तो सत्यका आग्रह रखना होता है। परन्तु नागपुरमें तो वह अज्ञान और अुलटे रास्ते लगे हुआे मनुष्योंके हाथमें साफ अराजकता भड़कानेका अ्रेक भद्दा हथियार बन गया है। सैकड़ों गरीब और अज्ञान लोगोंको, कुछको रुपयेका लालच देकर और कुछको व्यक्तिगत और सूक्ष्म रूपमें यह समझाकर कि वे कूर्बानी कर रहे हैं, अिस अराजकतामें शरीक किया गया है।'

अिस स्पष्टीकरणमें दलीलोंके बजाय गालियां ही दिखाअी देती हैं। मध्यप्रान्त और दूसरे प्रान्त दोनोंके स्वयंसेवकोंकी नामावली देखते ही यह अगट हो जाता है कि वे कहां तक रुपयेके लोभमें या और किसी तरहके बहकावेमें आनेवाले थे।



ता० ३ जुलाओको डॉ० चन्दूभाओ देसाओके नेतृत्वमें भड़ौच जिलेके ४५ सैनिकोंकी टोली नागपुर पहुंची। नागपुर कहां पहुंची? नागपुर स्टेशन दो-तीन मील दूर रहा होगा कि अंजनी नामक छोटेसे स्टेशन पर, जिसके नजदीक ही नागपुरकी जेल स्थित है, गाड़ी रोक ली गयी। रेलकी पटरियोंके दोनों तरफ पुलिस कतारमें रखी गयी थी। पुलिसके अफसरने आकर डॉ० चन्दूभाओसे कहा कि आपको और आपके दलको गिरफ्तार किया जाता है। १०९ वीं धाराके अनुसार ही तो। गाड़ीसे अतरकर बरसते मेहमें यह दल कदम मिलाकर नागपुर जेलमें दाखिल हो गया। बादमें दो टोलियां अक दयाशंकर भट्टके और दूसरी परीक्षितलालके नेतृत्वमें अहमदाबादसे रवाना हुयीं। ये सब टोलियां नागपुर स्टेशन पर अतरते ही गिरफ्तार कर ली गयीं। अस बीचमें अक आन्ध्रकी, पांच बिहारकी, दो सिंधकी, दो महाराष्ट्रकी, अक पंजाबकी, अक बंगालकी, दो कर्णाटककी, दो संयुक्तप्रान्तकी और अक हैदराबाद (निजाम) की, अस प्रकार लगातार टोलियां पहुंचीं और गिरफ्तार हो गयीं। मध्यप्रान्तमें तो नागपुर सत्याग्रह करने जानेवालोंको स्टेशनसे ही टिकट न मिलें, असा प्रबन्ध किया गया था; और वे पैदल भी नागपुर न पहुंच सकें, असके लिअे नागपुर शहरके आस-पासकी पगडंडियों पर पुलिस बिठा दी गयी थी। अहमदाबादसे सुरेन्द्रजीके नेतृत्वमें सात आदमियोंका अक दल पैदल प्रयाण करता हुआ निकल पड़ा। डॉ० घियाके नेतृत्वमें समस्त गुजरातकी अक ४८ आदमियोंकी टोली ३१ तारीखको नागपुर पहुंची और पकड़ी गयी। अक बार तो फक्त अक ही आदमी झंडा लेकर जा रहा था, असे भी पुलिसने पकड़ लिया। मजिस्ट्रेटको खयाल हुआ कि असे कैसे सजा दी जाय। तब जुलूसकी व्याख्या की गयी कि दो मनुष्य साथ-साथ या अकके पीछे दूसरा जा रहा हो और दोमें से अकके हाथमें भी झंडा हो तो वह जुलूस कहलायेगा।

अब जरा जेलकी झांकी करें। जो लोग १९३०-३२ में या १९४२ में जेल भोग आये हैं, अन्हें नागपुर जेलकी कल्पना होना कठिन है। जेलमें कैदियोंका वर्गीकरण कर दिया जाता था। जो कैदी अधिक काम करके दे सकते थे, वे पहले वर्गमें और अुनसे कम काम दे सकें वे दूसरे वर्गमें और अुनसे भी कम काम कर सकनेवाले तीसरी श्रेणीमें रखे जाते। रविशंकर महाराज तो पहली श्रेणीमें ही हो सकते थे। अुन्हें पक्का पच्चीस सेर यानी हमारा सवा मन पीसनेको दिया जाता। दूसरी श्रेणीवालोंको पक्का पंद्रह सेर यानी हमारा पौन मन पीसना पड़ता था। नड़ियादवाले गोकुलदास तलाटी जैसे दूसरी श्रेणीमें थे। तीसरी श्रेणीवालोंको सन कूटने और अिसी तरहके हलके काम

दिये जाते। दूसरा मुख्य काम पत्थर तोड़नेका था। जिसके भी श्रेणीके अनुसार अलग-अलग माप तय कर दिये गये थे। खानेको अंक बार जुवारकी रोटी और दाल, और अंक बार जुवारकी रोटी और साग। दालमें दाल दूढ़नेको बुबकी लगानी पड़ती और दालके बदले कीड़ा मिलता। और सागका अर्थ था बिलकूल पके हुअे कोअी भी पत्ते। रोटियोंमें कंकरोका शुमार नहीं और कच्ची होतीं सो अलग। भारी कष्ट पाखानोंका था। कतारबन्द पाखाने और अुनके दरवाजे नदारद। नियम पांच मिनटमें निपट लेनेका था। परन्तु तीन मिनट होते ही वार्डर अुठो-अुठोकी पुकार मचाने लगते। यह तो वहांके नियमकी बात हुअी। परन्तु बड़ी ज्यादती तो कैदियोंसे माफी मंगवानेके लिये होनेवाले वार्डरोंके निष्ठुर प्रयत्नोंकी थी। कोअी कैदी जरा भी ढीलाढाला दीखता, तो वार्डर अुसके पीछे पड़ जाते: 'अबे, माफी क्यों नहीं मांग लेता? बेकार मर जायगा।' अिस तरह शुरू करके डराने, तंग करने और तकलीफ देनेकी सारी युक्तियां वार्डर काममें लेते थे। अुन्हें अिसी तरहकी हिदायतें जो दी गअी होंगी? माफी मंगवानेकी कोशिशोंमें तो जेलके डॉक्टर भी काफी भाग लेते थे। अुनमें दयाका लेश भी नहीं था। कैसी ही बीमारी क्यों न हो, परन्तु दवा अंक ही शीशीमें से पिलाते थे। और कोअी अपनी बीमारीकी बात करने लगता तो तुरंत कहते: 'बीमार था तो यहां क्या मरनेको चला आया? माफी क्यों नहीं मांग लेता?' अिसके सिवाय दुबले-पतलोंको गालियोंका अुपहार दिया जाता सो अलग। साथ ही काम पूरा करके न देने पर या किसी मनगढ़ंत आरोप (जेलमें तो कैदीको किसी भी अपराधका अपराधी बनाया जा सकता है) पर हथकड़ी, डंडाबेड़ी, आड़ीबेड़ी, टाटके कपड़े, अधेरी कोठड़ी आदि अनेक प्रकारकी सजाओंका लाभ हमारे भाअियोंको मिला था। जब नागपुर जेलमें संख्या बढ़ गअी, तो सत्याग्रही कैदियोंका तबादला अकोला जेलमें कर दिया गया। वहां भी स्थिति नागपुर जेलसे अच्छी नहीं थी, बल्कि अुससे खराब ही होगी। लड़ाअी कुल ११० दिन चली। अिस अरसेमें सत्याग्रहियोंकी तादाद करीबन १७५० तक पहुंची थी। अिनमें से लगभग २०० कैदियोंसे माफी मंगवानेमें जेलका दुर्व्यवहार सफल हुआ था। जमनालालजीकी गिरफ्तारीके बाद फौरन ही नागपुरमें कांग्रेसकी महासमितिकी बैठक बुलाअी गअी। अुस समय अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्य दलमें तीव्र मतभेद जारी था। अिस बैठकमें दोनों तरफके नेता अुपस्थित थे। अपरिवर्तनवादी दलकी ओरसे झंडा सत्याग्रहकी सब तरहकी मदद देनेका प्रस्ताव लाया गया था। जिस दिन यह बैठक हो रही थी अुसी दिन जमनालालजीका मुकदमा हुआ था और फैसला होना बाकी था। अगर स्वराज्य दलवाले अिस प्रस्तावका विरोध करते, तो सरकार आन्दोलनको

दबा देनेके लिये कड़ाबीसे काम लेती; और प्रस्तावका समर्थन करते तो औरोंकी तरह जमनालालजीको भी डेढ़-दो महीनेकी थोड़ी सजा होती। स्वराज्य दलने झंडा सत्याग्रहकी निन्दा की और अुसी दिन जमनालालजीको दो वर्षकी सख्त सजा दे दी गयी। जिसके बाद दूसरे दिन कांग्रेस कार्यसमिति (वर्किंग कमेटी) की बैठक हुयी। उस समय स्वराज्य दलवाले चले गये थे।

कांग्रेस कार्यसमितिनै लड़ायीका संचालन सरदारको सौंपा। कार्य-समितिके निश्चयको मानकर गुजरातके कामका अितजाम करके वे ता० २२ जुलायीको नागपुर पहुंचे। नागपुर पहुंचते ही मध्यप्रान्तकी सरकार अुन्हें पकड़ लेगी, अैसी अफवाहें जोरोंसे अुड़ रही थीं। जब सरदार पहले नागपुर गये थे, तब वे किसी टीकेकरजीके यहां ठहरे थे। परन्तु अिस बार सरदारके नागपुर पहुंचनेसे पहले ही श्री टीकेकरजीकी गिरफ्तारीका वारंट निकल गया, तो वे अपना घर बन्द करके गांव चले गये। अिसलिये जमनालालजीकी पत्नी श्री० जानकीदेवीने धनतोलीमें, जो नागपुरका अेक मुहल्ला है, सरदारके लिये मकान किराये लेकर अुनके ठहरनेकी व्यवस्था की थी। जमनालालजीको सख्त सजा दे दी गयी, टीकेकर चले गये और स्वयंसेवकोंकी छावनी पर पुलिसने छापा मारकर कब्जा कर लिया। अिसलिये नागपुरमें सरदारको अकेले दम काम करना पड़ा। स्थानीय कार्य-कर्ता सब जेलमें थे। और नागपुरमें स्वराज्य दलका जोर अधिक था। ये सभी लोग अिस लड़ायीके विरुद्ध थे, अिसलिये नागपुरके बाहरसे ही सारी सहायता जुटाकर सत्याग्रह चलाना पड़ा। गुजरातसे बाहर काम करने जानेका अुनका यह पहला ही अवसर था। जानेसे पहले अुन्होंने गुजरातियोंको 'भिक्षां देहि' कहकर सूचित किया कि :

“यह तो भगवान ही जाने कि गुजरातका वियोग कितने समयके लिये होगा। यह सपनेमें भी खयाल न था कि मुझे दूसरे प्रान्तकी सेवा करनेका मौका मिलेगा। गुजरातकी मुझे चिन्ता नहीं है। परन्तु मध्य-प्रान्तमें जाकर मैं क्या कर सकूंगा, अिसकी मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। . . . हमें सैनिकोंकी कमी नहीं रहेगी। हरअेक प्रान्त बहुतसे सैनिक भेजनेको तैयार है। परन्तु वहांसे सैनिकोंको लानेमें लाखों रुपये चाहियें।”

यह कहकर अुन्होंने मारवाड़ियों और गुजरातियोंसे रुपयेका कष्ट-जरा भी न होने देनेके लिये अपील की और अुनसे रुपया अिकट्टा करनेका काम भायी मणिलाल कोठारीको सौंपा। नागपुर पहुंचकर सारी परिस्थितिकी जांच कर ली और कामको व्यवस्थित कर दिया। अिस सम्बन्धमें वहांसे अेक पत्रमें लिखा था :

“यहां आकर हरअक प्रान्तके लिअे स्वयंसेवकोंकी संख्या और तारीखें मुकर्रर करके अुन प्रान्तोंको खबर भेज दी है। तदनुसार स्वयंसेवक आते रहेंगे, तो रोज कमसे कम ५० सैनिक स्टेशन पर गिरफ्तार होंगे। चार-पांच दिन बाट देखकर अिस क्रममें कोअी फेरबदल करना ठीक लगेगा तो करूंगा।”

फिर थोड़े ही दिन बाद श्री विठ्ठलभाअी भी नागपुर पहुंच गये। अुस समय नागपुरमें धारासभाकी बैठक होनेवाली थी। वे नागपुर अिस अुद्देश्यसे आये थे कि धारासभा द्वारा अिस लड़ाअीका समर्थन करानेमें स्वराज्य दलके अपने साथियोंको मदद दें।

सूरतसे डॉ० घियाके नेतृत्वमें गअी हुअी टोलीकी गिरफ्तारीके बाद डॉ० कानूगा अहमदाबादसे अेक दल लेकर जानेको तैयार हुअे और पू० कस्तूरबा बहनोंकी अेक टोली लेकर जानेको तैयार हुअी। ता० १८ अगस्तको कारावास दिवस पर बड़ा कार्यक्रम रखना था। अुस दिन नागपुर पहुंचनेका अुन्हें कहा गया।

अिस अरसेमें नागपुरसे महादेवभाअीके नाम लिखे अेक पत्रमें सरदारने सारी परिस्थितिका हूबहू चित्र दिया था :

“... लड़ाअी बहुत ही सुन्दर है। अगर जनता अेकमत हो सके, तो अेक सप्ताहमें सरकारके नाकों दम किया जा सकता है। परन्तु अभी जहां अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग हो रहा है, वहां नागपुरकी आवाज कौन सुनने देता है। तमाम अंग्रेअी अखबार तो विरुद्ध या अुदासीन हो गये हैं। नेताओंको अपने-अपने विचारोंकी ममता हो गअी है। अिस प्रान्तमें सरकारकी सख्ती खूब है। स्थानीय कार्यकर्ता सभी पकड़े जा चुके हैं। यहांकी प्रान्तीय समिति शुरूसे ही अलग रही है। अिस हालतमें लड़ाअी लड़नी है। दासबाबू विरुद्ध हो गये हैं। २८ तारीखको कांग्रेस वॉकिंग कमेटीकी बैठक थी, अुसे वे बम्बअीसे विजगापट्टम घसीट गये। तारीख भी बदल डाली। साथ ही ऑल अिडिया कांग्रेस कमेटीकी बैठक फिर रख दी। सबको वहां बुलानेका अड़ंगा खड़ा कर दिया। अिन सब मुश्किलोंके बावजूद अैसा काम करना है कि फिर सबका ध्यान नागपुरकी तरफ लग जाय। सरकारको पता चल गया कि फिरसे आग लग गअी है। आदमी व्यवस्थानुसार खूब आने लगे हैं। ३ तारीखको सी० पी० सरकारकी अेक्जिक्यूटिव कौंसिलकी बैठक है और छः तारीखको धारासभा है। धारासभामें अिस सवालकी चर्चा तो होगी ही, परन्तु कुछ होना जाना नहीं है। केवल सरकारको हमारे विरुद्ध दिलका गुबार निकालनेका मौक

मिल जायगा। फिर भी अुस समय सरकारका अिरादा जाननेका अवसर हमें भी मिलेगा। धारासभाकी बैठकसे पहले वे लड़ाी खत्म कर देनेकी जो अुम्मीद रखते थे, अुसमें तो सफल नहीं हुअे। यह सब छाप डालनेके लिये नहीं है। . . .

“आगामी १८ तारीखको अेक अच्छी टोली तैयार करनी है। कितने आदमी भेजे जायं, यह बादमें लिखूंगा। सूरतसे चिनाभी तो तैयार ही है। वह नेता बन सकता है। सूरतमें और भी २०-२५ सैनिक हैं। और भी जुटानेका बन्दोबस्त करना है।

“रूपयेके लिये अभी अेक-दो अंकोंमें और अपील करनी है। बढ़िया अपील छाप देना। सैनिकोंकी मांग करते रहना।

“अैसा नहीं लगता कि मुझे अभी पकड़ेंगे। पहले तो खास कारण नहीं था। अब चेतन आने लगा है, अिसलिये विचार करेंगे। परन्तु अैसा मानता हूं कि धारासभा खत्म होने तक तो कुछ नहीं करेंगे। . . .

“देवदासको केवल छापखानेमें ही बन्द न कर देना। थोड़ा-थोड़ा बाहर घुमाना। गुजरातसे अभी अुसका परिचय नहीं हुआ। अवसर ही नहीं मिला।

“जेलमें चन्दूभाभी और पंड्यासे मिला था। दोनोंको मामूली कैदियोंकी तरह ही रखा है। अुनसे छापखानेका काम ले रहे हैं। आनन्दमें हैं। अधिकारियोंका प्रेम सम्पादन कर लिया है। स्वास्थ्य अच्छा है।

“देवदास और तुम घर जाते रहना। देखते रहना कि बच्चोंको सूनापन न लगे। मणिबहन क्यों रोअी, यह मैं नहीं समझ सका। अब तो रोनेकी बात ही नहीं हो सकती। अुसमें तो बड़ी हिम्मत है। मध्यप्रान्तमें लोगोंको जेल जानेकी सलाह दी, फिर वह रो कैसे सकती है?

“पू० बासे कहना कि जेलकी तैयारी कर लें। गुजराती बहनोंको आगामी १८ तारीखको नागपुर आनेके लिये अेक अपील प्रकाशित की जा सके तो बाके हस्ताक्षरसे प्रकाशित कर दो।

“१७ तारीखको आज्ञाकी अवधि पूरी होती है। अगर अुसे और बढ़ा दिया जाय, तो १८ तारीखसे स्त्रियोंका बलिदान शुरू करना चाहिये। देशको जाग्रत करनेका यह बढ़िया अुपाय है। हमें तो यही मानना चाहिये कि सरकार हुक्मकी मियाद बढ़ायेगी। न बढ़ाये तो किस मुंहसे कैदियोंको जेलमें रख सकती है?

“आश्रममें सबको याद करना। पू० बाको प्रणाम कहना।”

नागपुरमें अेक दिन छूटकर आये हुअे कैदियोंके सम्मानमें सभा हुअी। छूटनेवालोंने बड़े रोषसे भरे हुअे तेज भाषण दिये। सरदार सभामें मौजूद थे। वे वहां यह सावधानी रखनेके लिअे ही तो थे कि हमारी लड़ाी विनयपूर्वक चले। अुन भाअियोंको और अुनके निमित्तसे सारी सभाको हमारी लड़ाीके सिद्धान्त साफ तौर पर समझानेका सरदारको मौका मिला :

“आज जेलसे सजा भोगकर आये हुअे भाअियोंने हमसे कुछ बातें कही हैं। अुनके दिलमें बहुत रोष भरा है। अुन्होंने सभ्यता छोड़कर जेलमें दिये जानेवाले कष्ट हमें बताये। भीतर जो अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, अुसका वर्णन अुन्होंने बड़े आवेशमें आकर किया।

“परन्तु हम अिस तरह बोलें, तो सरकारी नौकरोंके मुकाबलेमें हम अच्छे कैसे? वे तो नौकरीमें हैं, हम स्वतंत्र हैं। अुन लोगोंका विचार करनेके बजाय यह विचार कीजिये कि हमने क्या किया। हमें अुन्हें गालियां देने और अुनके दोष देखनेसे पहले स्वयं अपना विचार कर लेना चाहिये। योग्यता प्राप्त करके कर्तव्यपरायण बनना ही हमारा धर्म है।

“जेलसे छूटकर आये हुअे भाअियोंको मेरी सलाह है कि वे लोगोंको प्रेम और धर्मका पाठ समझायें। यही आपका परम कर्तव्य है। परमात्मा आपको अैसे सत्य और धर्मके युद्ध लड़नेका बल दे।”

अगस्तके आरंभमें मध्यप्रान्तकी धारासभाकी बैठक हुअी। अुसमें अिस लड़ाीके बारेमें गवर्नर साहबने अपने प्रारंभिक भाषणमें कहा :

“जो लोग सरकारके साथ किसी भी प्रकारका सहयोग न करनेकी गांठ बांधकर बैठे हैं, अुन लोगोंकी तरफसे कानूनभंग हो रहा है।... मेरी जानकारीके अनुसार अेक भी सुधरा हुआ देश अैसा नहीं है, जहां लोगोंको जुलूस ले जानेका निरंकुश अधिकार हो। जिला मजिस्ट्रेटने नागपुरके मनाही किये हुअे क्षेत्रमें हर प्रकारके जुलूसोंकी मनाही नहीं की है, अुनकी अिजाजतके बिना निकलनेवाले जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया है। वह अिसी अुद्देश्यसे कि अिससे किसी भी वर्गके लोगोंको परेशानी न हो। अिस हलचलके कारण अुल्टे रास्ते लगे हुअे बहुतसे लोगोंको कैदमें डालना पड़ा है, अिस पर सरकारको अफसोस होता है। परन्तु कानूनकी व्यवस्थित अवहेलनाका सजाके सिवाय कोअी अिलाज नहीं। अिस सरकारको यह साफ तौर पर सविनय भंगका आन्दोलन प्रतीत होता है। यह सरकारकी हुकूमतको अुलट देनेका ही प्रयत्न है। सरकारका निश्चय है कि कानून द्वारा स्थापित सत्ताको दी गअी चुनौतीका, अुसे अुलट देनेके अिस प्रयत्नका, तमाम साधनों द्वारा प्रतिकार किया जाय। सरकारको विश्वास


है कि सरकारकी इस नीतिमें कानूनको माननेवाले सभी नागरिक, धारासभाके सदस्य भी, सरकारका समर्थन करेंगे।”

गवर्नरके यह सलाह देने पर भी श्री विट्टलभाजीकी कोशिशोंसे धारासभामें प्रस्ताव आया कि (१) राष्ट्रीय झंडेकी लड़ाीके सिलसिलेमें जो मुकदमे चलाये जा रहे हैं, वे सब वापस ले लिये जायं और नागपुरका टिकिट लेनेसे किसीको न रोका जाय। (२) १४४ वीं धाराके अनुसार नागपुरमें झंडेके जुलूसोंको रोकनेवाला हुक्म तुरन्त वापस ले लिया जाय। (३) इस लड़ाीके सिलसिलेमें पकड़े गये और सजा पाये हुअे तमाम कैदियोंको बिना शर्त छोड़ दिया जाय। इस प्रस्ताव पर हुअी चर्चाका अुत्तर देते हुअे गृह-मंत्रीने साफ कहा कि ‘झंडेके खिलाफ कोअी रुकावट नहीं। किसी भी प्रकारके जुलूस निकालनेके मामलेमें नियम बनाना सुधरी हुअी सरकारका काम है। अगर अिजाजत मांगी जाय तो जुलूस ले जानेकी जरूर अनुमति मिलेगी।’ अुन्होंने यह भी कहा कि ‘जुलूसबन्दीकी मियाद आगामी १७ तारीखको पूरी हो रही है। इस बीचमें कोअी दंगा-फसाद न हो, तो कानूनके अनुसार भी वे आज्ञाअें जारी नहीं रह सकतीं। प्रस्ताव २७ के विरुद्ध ३१ मतोंसे पास हो गया। परन्तु गवर्नर साहबने यह कहकर कि जब तक सविनय भंग बन्द न हो, तब तक किसी भी प्रस्ताव पर अमल होनेका विचार नहीं हो सकता, अपने विशेषाधिकार द्वारा धारासभामें बहुमतसे स्वीकृत प्रस्तावको रद्द कर दिया। इस प्रकार श्री विट्टलभाजीके प्रयत्न असफल होनेसे धारासभावादी निराश हुअे।

गवर्नर साहब और गृहमंत्रीने धारासभाके सदस्योंकी तो अवहेलना कर दी, परन्तु दोनोंको महसूस होने लगा था कि लड़ाीका जोर बढ़ता जा रहा है और बाहरसे प्रतिष्ठित लोग आकर नागपुरकी जेलें भर रहे हैं। इसलिये समझौता हो जाय तो अच्छा। इसलिये वहांके गृहमंत्रीकी तरफसे १३ तारीखको गवर्नरके साथ सरदार तथा श्री विट्टलभाजीकी मुलाकातका बन्दोबस्त किया गया। दोनों पक्षोंने अपना-अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया, इससे अधिक मुलाकातमें कुछ भी तय नहीं हुआ। और श्री विट्टलभाजीने समझौतेकी आशा छोड़ दी। गवर्नरकी मुलाकातमें यह साफ प्रतीत हुआ कि जुलूसबन्दीकी आज्ञाकी अवधि पूरी होने पर सरकार नया हुक्म देगी। साथ ही यह भी निश्चित मालूम हुआ कि नया हुक्म जारी होनेके साथ-साथ पहले सरदारको ही पकड़ा जायगा। धारासभाकी बैठक समाप्त होनेके बाद श्री विट्टलभाजीको लगा कि सरदारको पकड़ा जाय तब तक यहां ठहरनेसे अुनकी स्थिति विषम होगी और वे कुछ कर नहीं सकेंगे।







नागपुर और बोरसदकी लड़ाइयोंके विजेता

अिसलिये गवर्नरसे मुलाकात हो जानेके बाद अुन्होंने बम्बयी चले जानेका निर्णय किया ।

दूसरी तरफ, धारासभामें जो भाषण हुअे थे, अुनमें सत्याग्रहकी लड़ायीका गलत रूपमें वर्णन किया गया था और सरकारकी तरफसे अैसा प्रचार किया जाता था जिससे लोगोमें गलतफहमी पैदा हो। अिसलिये कांग्रेसकी नीति साफ करनेके लिये कार्यसमितिसे मशविरा करके नया हुक्म जारी होनेसे पहले सरदारने १६ तारीखको यह वक्तव्य प्रकाशित किया :

“जुलूसबन्दीका हुक्म कल १७ तारीखको खत्म होता है। १७ तारीखको सदाकी भांति तीन जनोंकी टोली न जाकर पांच आदमियोंका जुलूस सिविल लायिन्स होकर सदर बाजारके लिये रवाना होगा। रास्ता, समय और दूसरी सब सूचनाअें स्वयंसेवकोंको जो सूचना भेजी गयी है अुसमें बता दी गयी है। अगर अधिकारी स्वयंसेवकोंको रोकेंगे, तो लड़ायीका दूसरा पहलू शुरू होगा। लोगोसे मेरा अनुरोध है कि कोअी अधीर न होवें और देखें कि क्या होता है। अिस बीच, जगह जगह—सरकारके मनमें भी— कांग्रेसके रवैयेके बारेमें जो गलत कल्पनाअें और गलतफहमियां पैदा कर दी गयी हैं, अुनकी कांग्रेसकी कार्यसमिति द्वारा मुझे दिये गये अधिकारोंकी रूसे में सफाअी देना चाहता हूं।

“खुद मध्यप्रान्तके माननीय गवर्नर साहब जैसे आदमीने हम असहयोगियों पर यह अिलजाम लगाया है कि हम किसी भी सार्वजनिक आवागमनके मार्गको किसी भी प्रकारके नियंत्रणके बिना अपने जुलूसोंकी खातिर अिस्तेमाल करनेके अैसे अधिकारका, जो किसी भी सुधरे हुअें देशमें नहीं सुना गया, दावा करते हैं। कार्यसमितिने मुझे घोषणा करनेकी आज्ञा दी है कि अैसी कोअी बात नहीं है। आमदरपत और जुलूसोंके लिये किसी कानूनकी सचमुच जरूरत होनेके बारेमें मनुष्य क्षण भरके लिये भी अिनकार नहीं कर सकता। परन्तु नागपुर सत्याग्रहकी लड़ायीके बारेमें में स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह तो अनुचित प्रतिबन्धों और कानूनके व्यभिचार द्वारा होनेवाले हस्तक्षेपसे हमारे जन्मसिद्ध अधिकारकी रक्षा करनेके लिये ही शुरू की गयी है। साथ ही कार्यसमितिने मुझे यह भी स्पष्ट करनेको कहा है कि जुलूसोंके संयोजकोंका अिरादा जनताके किसी भी वर्गको तकलीफ पहुंचानेका हरगिज नहीं है। यह मामला अनेक जिम्मेदार नेताओंने अपने भाषणों और लेखोंमें साफ कर दिया है। नागपुर झंडा सत्याग्रह समितिने भी सत्याग्रह छेड़नेसे पहले अप्रैल मासमें अपनी पहली ही पत्रिकामें, जो छापकर नागपुरमें खूब बंटवायी गयी

थी, यह बात साफ तौर पर प्रगट कर दी है। मध्यप्रान्तके सरकारी सदस्यने जो कहा है कि राष्ट्रीय झंडेके जुलूस यूनियन जैकका अपमान करनेके लिये निकाले जा रहे हैं, उसका भी जोरदार खंडन करनेकी मुझे कार्यसमितिकी तरफसे आज्ञा हुयी है।”

यह बयान प्रकाशित होनेसे गवर्नरके धारासभाके भाषणमें सत्याग्रहकी लड़ाजीके संचालकोंके विरुद्ध जो झूठे आक्षेप किये गये थे, उन सबकी पोल खुल गयी और सरकारी हलकोंमें खलबली मच गयी। दूसरे दिन जो निषेधाज्ञा निकलनेवाली थी, वह न निकाली जाय तो सरकारकी हार हो जाय; और निकाल दी जाय तो लड़ाजी और भी जोरसे चले और उसका भार सरकार पर पड़े, अंसी स्थिति उत्पन्न हो गयी। असलिये १६ तारीखकी शामको ही गृहमंत्री सरदारसे मिले और समझौतेकी बातें कीं। अन्होंने सूचित किया कि १८ तारीखका जुलूस सिविल लाइन्समें से गुजरने दिया जाय तो आप लड़ाजी बन्द कर दें। सरदारने कहा कि अकेले जुलूसके गुजर जानेसे लड़ाजी बन्द नहीं हो सकती। लड़ाजीमें जितने कैदी जेल भेजे गये हैं, उन सबको छोड़ देनेका वचन मिलना चाहिये और जुलूसके निकल जानेके बाद लड़ाजी बन्द करनेकी घोषणा होने पर तुरन्त कैदी छूट जाने चाहियें। ये सब शर्तें गृहमंत्रीको मंजूर थीं और आपसमें खानगी लिखापढी होनेसे पहले वे गवर्नरकी सम्मति ले आये। बादमें अन्होंने मध्यप्रान्त सरकारकी तरफसे अिस प्रकारकी शर्तें पालन करनेका सरदारको लिखित वचन दिया। यह समझौता हो जानेके बाद गृहमंत्रीने विट्टलभाजीसे आखिरी मुलाकात कर लेनेकी अिच्छा प्रगट की। विट्टलभाजी अुसी दिन मेलसे बम्बयीके लिये रवाना होनेकी तैयारीमें थे कि गृहमंत्री उनसे मिले और समझौतेकी सारी बातें अुन्हें बतायीं। साथ ही दोनों पक्षोंमें यह भी तय हुआ कि समझौते पर पूरा अमल हो जाने तक दोनों ओरसे अखबारोंमें कोअी भी बात प्रकाशित न की जाय। अिस प्रकार समझौता हो गया, तो सरदारने तार देकर बाहरसे आनेवाले सैनिकोंको रोक दिया। डॉ० कानूगा और कस्तूरबाको भी ठहर जानेका तार दे दिया।

१७ तारीखको जिला मजिस्ट्रेटके १४४ वीं धाराके अनुसार मनाही हुक्मकी अवधि पूरी हो गयी और समझौतेके मुताबिक वह हुक्म फिर जारी नहीं किया गया। परन्तु अुसके बजाय पुलिस अेक्टकी रूसे पुलिस सुपरिन्टेंडेंटका अेक हुक्म निकला कि सिविल लाइन्समें से अुनकी अिजाजतके बिना कोअी जुलूस न निकाला जाय। यह हुक्म देखकर सरदारको आश्चर्य हुआ। अुन्हें खयाल हुआ कि परिस्थिति कहीं बदल तो नहीं गयी? शायद सरकार

समय — जुलूस दोपहरके बारह बजे राष्ट्रीय झंडा सत्याग्रह कार्यालयसे रवाना होगा और दो बजेके लगभग सदर बाजार पहुंचेगा।

पुलिस सुपरिन्टेंडेंटके हुक्मसे आजके परिणामके बारेमें सरदारके मनमें थोड़ासा अन्देश था। परन्तु क्या किया जाय, यह सोचना सरकारका काम था। हमारा कार्यक्रम तो निश्चित था।

पुलिस सुपरिन्टेंडेंटके यह हुक्म निकालनेका कारण तो बादमें मालूम हुआ। नागपुरके कमिश्नरकी आंखोंमें धूल झोंककर समझौतेकी सारी बात अुससे छिपी रखनेकी गवर्नर और गृहमंत्रीकी चाल थी। कमिश्नर स्वयं जिन्हें विद्रोही मानता था, अुनके साथ समझौता करनेका सख्त विरोधी था। सिविल लाइन्ससे जुलूस गुजरता तो रास्तेमें अुसका बंगला जरूर आता ही था। और अुस समय जुलूस पर वह गोली चला देगा, अुसी खुली धमकी अुसने कभी बार दी थी। जब १८ तारीखको जुलूस निकला तब कुछ अधिकारी अुसे सिविल लाइन्सके दूसरे सिरे पर, जहां गोरोंकी क्लब थी, ले गये और जब तक जुलूस सिविल लाइन्ससे पार न हो गया, तब तक पहलेसे किये हुअे अितजामके मुताबिक अुसे खेलमें लगाये रखा।

निश्चयके अनुसार दोपहरके बारह बजे सौ स्वयंसेवक स्थानीय नेता पं० माखनलाल चतुर्वेदीके नेतृत्वमें राष्ट्रीय झंडेके साथ रवाना हुअे। वे नियमित अन्तर पर गंभीर आवाजमें महात्मा गांधीकी जय और दूसरे राष्ट्रीय नारे लगाते जाते थे।

रेलवे पुल पर, जिसे अिस लड़ाीके कारण झंडा पुल कहा जाता था और जहां पहुंचते ही स्वयंसेवक पकड़ लिये जाते थे, पुलिस दल सुसज्जित होकर खड़ा था। परन्तु अुसने कुछ नहीं किया। झंडा चौक आया, जहां अनेक स्वयंसेवकोंका बलिदान हो चुका था। वहां भी पुलिस दल खड़ा था। वहांसे भी गुजरकर जुलूस आगे चला।

तमाम रास्ते पुलिस सुपरिन्टेंडेंट घुड़सवार दलके साथ जुलूसके साथ-साथ चल रहा था। रास्तेकी दोनों ओर पुलिसकी कतारें खड़ी की गयी थीं। अुनके बीचमें होकर जय-जयकार करता हुआ झंडेका जुलूस पत्रिकामें बताये गये रास्तेसे सदर बाजार पहुंच गया। बीचमें अिसाभी गिरजा आया तो वहां स्वयंसेवकोंने पूरे गांधीर्यके साथ शान्ति रखी। सदर बाजारमें जुलूस विसर्जित कर दिया गया।

रातको टाउन हॉलमें पं० माखनलालकी अध्यक्षतामें सार्वजनिक सभा हुअी। अुसमें तबीयत ठीक न होनेके कारण सरदारने बहुत छोटासा भाषण देते हुअे घोषणा की कि :

“अन्तमें राष्ट्रीय झंडेकी प्रतिष्ठा मान ली गयी है। आम रास्तोंसे शान्तिपूर्वक और व्यवस्थित रूपमें राष्ट्रीय झंडेके साथ जुलूस ले जानेका हमारा हक हमें वापस मिल गया है। अिसे मे सत्य, अहिंसा और तपकी विजय मानता हूं। असलिये अीश्वरकी कृपासे अब मैं धोषणा कर सकता हूं कि नागपुर सत्याग्रहका आजके पुण्य दिवस पर महात्मा गांधीके अपुदेशके भावों और शब्दोंके अनुसार विजयी अन्त होता है। आज शामसे हमारा झंडा सत्याग्रह मै बाकायदा बन्द हुआ घोषित करता हूं।”

बादमें, जिन वीर भाअियों और बहनोंने देशकी खातिर, राष्ट्रकी खातिर और राष्ट्रीय झंडेकी खातिर दुःख अुठाये थे, अुस समय भी अुठा रहे थे और लड़ाअी आगे जारी रही होती तो अुठानेको कमर कसे हुआे थे, अुन सबको हृदयकी गहराअीसे बधाअी दी और जिन्होंने लड़ाअी जारी रखनेमें और अुसका विजयी अन्त लानेमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता दी थी, अुनका सार्वजनिक रूपमें आभार माना। असके बाद राजेन्द्रबाबूने, जो सरदारके गिरफ्तार होनेकी बात सुनकर नागपुर आ गये थे, विस्तृत व्याख्यान दिया।

परन्तु लड़ाअीमें विजय प्राप्त होनेसे सरदारकी मुश्किलोंका अन्त नहीं हुआ। असलमें तो अुनकी मुश्किलें बादमें ही शुरू हुईं। अब तक सैनिकोंको बुलाकर अुन्हें गिरफ्तार करा देनेकी बात ही थी। यह काम आसान था। परन्तु लड़ाअीमें विजय होनेकी घोषणा करनेके साथ ही संबन्धित लोग और आलोचक अुन पर टूट पड़े। पहले तो पुलिसवाले कहने लगे कि ‘हमारी मंजूरीसे हमारे बन्दोबस्तके अनुसार ही हमने जुलूसको सिविल लाअिन्ससे गुजरने दिया है।’ झगड़ा और मारपीट करनेकी आदतवाली पुलिसको जुलूस शान्तिसे गुजर गया वह ‘आरंभसे अन्त तक अेक श्मशान-यात्रा जैसा लगा। जुलूसके बहुतसे लोग तो जानते ही नहीं थे कि क्या हो रहा है। और अुन्हें यह भी खबर नहीं थी कि वे गिरफ्तार होंगे या नहीं।’ ‘पटेलने अपने भाषणमें यह तो बताया ही नहीं कि वे सरकारके पास कअी बार पहुंचे थे और अुन्होंने समझौतेकी बातचीत की थी। अुन्होंने अैसा प्रदर्शन किया है मानो सब कुछ अुनकी रखी हुआी शर्तोंके अनुसार ही हुआ हो। अससे तो लोग यही अनुमान करेंगे कि सरकार हार गयी और पटेलने अपना सोचा हुआ कार्यक्रम पूरा कर दिया। परन्तु सच तो यह है कि सरकारने अपने सभी महत्वके मुद्दों पर अमल कराया है। असलिये सरकारको स्पष्ट वक्तव्य प्रकाशित करके पटेलके भाषणका विरोध करना चाहिये।’

नागपुरके कमिश्नर और जिलोंके डिप्टी कमिश्नरों वगैरा तमाम गोरे सिविलियनोंको सरदारके अस भाषणसे कि लड़ाअीका विजयपूर्ण अन्त हुआ

है, असा लगा कि अुनकी नाक कट गयी है और कैदियोंको छोड़नेके बारेमें अुन्होंने सरकारके सामने विरोधका असा जबरदस्त बवंडर खड़ा किया कि प्रान्तीय सरकार और सिविलियन अफसरोंके बीचके झगड़ेमें भारत सरकारको दखल देना पड़ा।

अंग्लो-अिडियन अखबार नागपुरकी सरकार पर टूट पड़े। गवर्नरका धारासभाका भाषण अुद्धृत करके यह लिखने लगे कि 'अितना जबरदस्त भाषण करनेके बाद और असहयोगियोंके खुली शोखियां मारते हुअे भी कांग्रेसकी कार्यसमिति द्वारा लड़ायी चलानेके लिअे नागपुर भेजे हुअे आदमीको वे मिलनेके लिअे बुला ही कैसे सकते थे? और मि० विठ्ठलभाजी पटेल तो बम्बअीमें असी बातें कह रहे हैं कि अुनके सत्याग्रहकी विजय हुअी है और अेक सप्ताहमें कैदी छूट जायेंगे। जो आन्दोलन खुल्लमखुल्ला क्रांतिकारी है, अुसमें सक्रिय भाग लेनेके अपराध पर जिन लोगोंको फौजदारी अदालतोंसे सजा हुअी है, अुन सबको अेक साथ छोड़ दिया जाय तब तो प्रान्तीय सरकार विषम स्थिति अुत्पन्न कर देगी, असहयोगियोंको अुनके आन्दोलनमें प्रोत्साहन मिलेगा और कानूनको माननेवाले लोग निराश हो जायेंगे। सरकारसे अितनी अपेक्षा रखनेका अुन्हें हक है कि सरकार अपने लिखे या बोले हुअे शब्दोंका पालन करे, देशमें अच्छी तरह बन्दोबस्त रखे और अिन्साफ कायम रखे।'

अिस तरफ, लड़ायीकी विजय घोषित होनेके बाद नागपुरकी जेलोंमें अलग-अलग प्रान्तोंके जो लगभग दो हजार सत्याग्रही कैदमें पड़े हुअे थे, सारा देश अुनके छूटनेकी बाट देख रहा था। नागपुरके लोग जेलके दरवाजे पर चक्कर लगाने लगे थे। शहरमें सत्याग्रहियोंके स्वागतकी तैयारियां हो रही थीं। गृहमंत्रीने सरदारसे कहा था कि कैदियोंके छूटनेमें दो-तीन दिन लगेंगे; क्योकि भारत सरकारकी मंजूरी आनेमें अितना समय लग जायगा। अिसलिअे सरदार अुस आशामें थे। अितनेमें २१ तारीखको सुबह गृहमंत्री सरदारके पास गवर्नरका पत्र लेकर आये। अुसमें विठ्ठलभाजी द्वारा बम्बअीमें दिये गये भाषणसे अुत्पन्न हुअी कठिन परिस्थितिकी जिम्मेदारी सरदार पर डाली गयी थी। विठ्ठलभाजीने बम्बअीमें अपन भाषणमें कहा था कि हमारी जीत हुअी है और कैदी दो-तीन दिनमें छूट जायेंगे। अिस भाषणसे वह कमिश्नर खूब भड़का और अुसके अुकसानसे सिविलियन अफसरोंकी सारी संस्था मध्यप्रान्तकी सरकारके विरुद्ध हो गयी और अुसने कैदियोंके छोड़नेका विरोध किया। गवर्नरके पत्रका सरदारने लगे हाथों ही जवाब दिया कि श्री विठ्ठलभाजीका सत्याग्रहकी लड़ायीके साथ कोयी सम्बन्ध नहीं है। वे तो स्वराज्य दलके

अक नेताकी हैसियतसे धारासभाके द्वारा अपना काम करने यहां आये थे। जिसलिये अुनके किसी भाषण, बयान या कार्यके लिये हमारी कोअी जिम्मेदारी नहीं, यह बात मैंने पहले ही स्पष्ट कर दी थी। साथ ही सरकारके साथ हुअे समझौतेकी जानकारी विट्टलभाओीको करानेके लिये भी गृहमंत्री स्वयं ही जिम्मेदार हैं। जिसके सिवाय सत्याग्रहकी हार होने, सत्याग्रहियोंके बिना शर्त शरणमें आ जाने, अिजाजत लेकर छिपे-छिपे जुलूस निकालने और सरकारकी दमन-नीतिकी विजय होनेका अक लम्बा लेख, जो 'टाअिम्स आफ अिडिया'में प्रकाशित हुआ है, अुसकी जिम्मेदारी तो सरकार पर है ही। सरदारका यह कड़ा जवाब और 'टाअिम्स' का लेख देखकर गवर्नर और गृहमंत्री ठंडे हो गये, और कैदियोंको जल्दीसे छोड़नेके लिये भारत सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सिविलियन अधिकारियोंकी संस्था ठेठ भारतमंत्री तक पहुंची। अस झगड़ेमें सप्ताह भर लग गया, परन्तु कैदी न छोटे। जिसलिये देशी अखबार सरदार पर टूट पड़े कि असहयोगी होकर अुन्होंने गवर्नरसे मुलाकात मांगी, अुसके साथ संधिवार्ता की और राष्ट्रीय झंडेके जिस जुलूसके लिये अितने दिन लड़ाओी की और अितने लोगोंने कष्ट अुठाये, अुसके लिये अन्तमें पुलिस अधिकारियोंकी अिजाजत मांगी। अैसा करके अुन्होंने सिद्धान्तको तोड़ा है और कांग्रेसकी अिज्जत घटाओी है। स्वराज्य दलके बड़े-बड़े नेता भी लगभग अैसी ही आलोचना करने लगे।

चारों तरफसे अुठी हुओी अस आंधीमें सरदार कैसा संतुलन रख रहे थे, यह अुनके ता० १-९-'२३ के नागपुरसे महादेवभाओीको लिखे गये खानगी पत्रसे प्रगट होता है:

“प्रिय महादेवभाओी,

“मैं बड़ी लड़ाओीमें लग गया हूं। जो लड़ाओीमें शामिल न हों, हमारी जीतकी महत्ता अुनकी समझमें नहीं आ सकती। अभी तो मैं मुंह पर ताला लगाये बैठा हूं। सरकार तंग आ गओी है। अक अक्षर भी नहीं बोलती। 'पायोनियर' की अक प्रति तुम्हारे देखनेको भेजता हूं। तुम्हारे यहां 'टाअिम्स' के सम्पादकीय लेखको रोते हैं, पर वह सब झूठा है। सच्ची बात समय आने पर ही कही जा सकती है। परन्तु हम लोगोंमें अधीरता और अविश्वास बहुत है। . . . मैंने अपना वक्तव्य प्रकाशित करके हमारी विजय घोषित की, अुसके बाद सरकारका बोलनेका धर्म था। परन्तु अुससे बोला नहीं जाता। 'पायोनियर' का रोष तुम देख लेना। मेरे खयालसे विट्टलभाओीने जल्दबाजी की। वे बम्बओीमें जो कुछ बोल अुठे, अुससे सिविल सर्विसमें खूब डर पैदा हो गया है।

“यहांके कमिश्नरको मैंने खूब अपने शिकंजेमें कस लिया है। अुसके पक्षमें यहांके बहुतसे सिविलियन हैं। सिविल सर्विसका अेक क्लब है, जो सारा सरकारके खिलाफ हो गया है। अिन्हें अिस काममें सरकारकी पूरी तरह हार दिखाअी देती है। अैसा मालूम होता है कि वे कैदियोंको छोड़नेके विरुद्ध हो गये हैं। यहां तो कोअी विरोध चला नहीं, परन्तु भारत सरकारने दखल देकर मामला अपने हाथमें ले लिया है। सारा मामला वहां गया है। बाहरकी हमारी लड़ाअीकी अपेक्षा अिनकी भीतरी लड़ाअीका रंग देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है।

“ ‘केसरी’ और ‘मराठा’ भुझ पर गालियोंकी वर्षा कर रहे हैं। फिर भी मैं चुप बैठा हूं। जब तक हमारे कैदी छूट नहीं जाते, तब तक नहीं बोलूंगा। यहां कितने दिन लगेंगे, यह कहना कठिन है।

“अब देखना है भारत सरकार क्या करती है। अगर वह कैदियोंको नहीं छोड़ती है, तो स्थानीय सरकारकी अिज्जत और अीमान जाता है। और छोड़ती है तो सिविलियन चिढ़ेंगे। ये तमाम खानगी बातें तुम्हारी जानकारीके लिये लिख रहा हूं। कहीं भी जाहिर न होनी चाहिये।

“लड़ाअीमें क्यों और कैसे जीत हुआ, यह तो वहां आकर कहूंगा। कैदियोंके छूटने पर थोड़े ही जीतका आधर है? झंडा लेकर जुलूस सिविल लाअिन्समें घुस गया, अिसीमें हमारी जीत तो हो गअी। अब कैदी न छूटें तो भी मुझे चिन्ता नहीं। केवल सरकारकी अिज्जत जायगी और अिसके लिये मेरे पास पूरा मसाला भरा पड़ा है। सरकारके अन्तिम निर्णयकी प्रतीक्षामें बैठा हूं।

“अैसा माननेवाले गुजरातमें मौजूद हैं कि धारासभा द्वारा कैदी छूट जायंगे, अिससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। धारासभा न होती तो मामला कभीका निपट गया होता। देखो, किसीसे कुछ न कहनेका खयाल रखना। अभी मेरे वहां आने तक अखबारमें कछ भी नहीं जाना चाहिये। नहीं तो मामला और भी बिगड़ जायगा। मेरा खयाल है कि बम्बअीमें यदि विट्टलभाअी बोल न बैठे होते, तो मैं २२ तारीख तक कैदियोंको लेकर यहांसे विदा हो गया होता।

“अुस कमिश्नरने ‘टाअिम्स’ वगैराको खबरें भेज्ीं कि हमारी तरफसे अनुमति लेनेके लिये पुलिस सुपरिन्टेंडेंटको अर्जी दी गअी थी। अुसे मैंने पकड़ लिया है। अुसकी छिपी हुआ लड़ाअीका भंडाफोड़ करके मैंने अुसका मुंह बन्द कर दिया है। ‘पायोनियर’ को सरकारके खिलाफ भड़कानेवाला वही है। अिस प्रकार यहां थोड़े दिन कैदी अधिक रह



रहे हैं, परन्तु ऐसा रंग जमाया है कि सरकारकी परेशानीकी कोजी हद नहीं है। देखें आगे क्या होता है। दो-तीन दिनमें नतीजा निकलना चाहिये। परन्तु जहां दो सरकारोंमें रस्साकशी हो रही है, वहां कितना समय लग जायगा, यह कौन कह सकता है? असलिये सब लोग जरा धीरज रखें।”

परन्तु सारे देशमें लोगोंकी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। बहुतोंकी लगता था कि सरदारने थप्पड़ खायी है। अन्तमें अन्होंने मध्यप्रान्त सरकारको सूचना दी कि अब अगर चौबीस घंटेमें कैदी न छोड़े, तो सरकार पर विश्वासघातका अिल्जाम लगाकर उसके साथ हुअे सारे पत्रव्यवहारको प्रकाशित कर दूंगा और सत्याग्रह आन्दोलन फिरसे शुरू कर दिया जायगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। अस पर गवर्नर और गृहमन्त्रीने भारतमन्त्रीको तार दिया कि अगर कैदी तुरन्त नहीं छोड़े गये, तो हम दोनोंको अिस्तीफा देना पड़ेगा। सरदारके नोटिसके चौबीस घंटे तो सवरे पूरे होते थे, परन्तु अुससे पहले ही रातके दो बजे सरदारको सूचना दे दी गयी कि सरकारने कैदियोंको छोड़नेका हुकम दे दिया है। वह कमिश्नर लम्बी छुट्टी पर चला गया और फिर लौटकर आया ही नहीं।

ता० ३ सितम्बरको कृष्ण जन्माष्टमीके दिन तमाम सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये। वे राष्ट्रीय झंडेके साथ सिविल लाअिन्सके सारे क्षेत्रमें जुलूस बनाकर घूमे। शामको नागपुरमें विराट सार्वजनिक सभा हुअी, जिसमें सरदारने अपना भाषण लिखित वक्तव्यके रूपमें पढ़कर सुनाया। अुसमें सत्याग्रहके सिद्धान्तोंका निर्मल निरूपण किया, अपने पर होनेवाली आलोचनाओंकी सफाी दी और लड़ाीका सम्मानपूर्ण अन्त लानेकी नागपुर सरकारकी अिच्छाकी भी कदर की। सत्याग्रहकी लड़ाीका अध्ययन करनेकी अिच्छा रखनेवालोंके लिये सारा भाषण अुनके भाषणोंकी पुस्तक \* में से पढ़ लेने लायक है। अुसमें से कुछ अुद्धरण ही यहां दिये जायंगे:

“मनाही किये हुअे क्षेत्रसे जुलूस निकाला गया और लड़ाीमें जीत होनेकी घोषणा कर दी गयी, तो सारे देशमें और खास तौर पर अंग्लो-अिडियन पत्र हर तरहकी झूठी, बुद्धिभेद करनेवाली और कपटपूर्ण रिपोर्टोंसे अुमडने लगे। देशी समाचारपत्रोंमें मध्यप्रान्तके गवर्नर साहबके साथकी हमारी मुलाकातके सम्बन्धमें भी आलोचना की गयी है। यह मुलाकात किस तरह हो पायी, अिसमें मुझे थोड़ा ही महत्व मालूम होता है। आम तौर पर जो यह खयाल है कि असहयोगी बाह्याचारसे चिपटे रहनेवाले

\* हिन्दीमें यह पुस्तक हमारे यहां से ‘सरदार पटेलके भाषण’ नामसे प्रकाशित हो चुकी है। मूल्य ५ रुपया, डाकखर्च ०-१०-०.

हैं वह बेबुनियाद है। मैं खुद तो अगर विरोधी पक्षमें आपसके समझौतेकी सच्ची अिच्छा देखूँ, तो शिष्टाचारपूर्ण निमंत्रणकी प्रतीक्षा भी न करूँ। परन्तु रियायतें करने या कौल-करार होनेकी जो खबरें या अफवाहें फैलायी गयी हैं, उनका मैं आज अिस स्थानसे निश्चित शब्दोंमें खंडन करता हूँ। अिन समाचारोंमें बिलकुल सचायी नहीं है। हमने सरकारके साथ कोयी समझौता नहीं किया, कोयी कौल-करार नहीं किया और किसी तरहका वचन भी नहीं दिया। गवर्नरके साथ तारीख १३ अगस्तको मुलाकात हुयी थी। अुससे अितनी ही बात हुयी कि आपसमें अेक-दूसरेके मुद्दे रूबरू समझानेका हमें मौका मिल गया।”

अिजाजत मांगनेके आक्षेपका सरदारने अिस प्रकार स्पष्टीकरण किया :

“साधारण परिस्थितमें जुलूसके लिये अिजाजत मांगनेमें आपत्ति नहीं हो सकती। अैसा करनेकी कांग्रेसकी मनाही नहीं है। परन्तु लड़ायीके अिस हद तक पहुंच जानेके बाद अिजाजत मांगना मेरे लिये असंभव था। जब सरकार तलवारके जोरसे हमसे अर्जी दिलवानेकी कोशिश कर रही हो, तब अगर मैं अर्जी दू तो कांग्रेसकी नाक कट जाय। . . . डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिन्टेंडेंटके हुक्मके खिलाफ मैंने १८ तारीखको जो योजना बनायी थी, अुसकी मैंने अुन्हें सूचना दी। अुसमें अैसी कोयी भी बात नहीं, जिससे अुस सूचनाको अिजाजत मांगनेकी दरखास्त कहा जा सके। . . . कार्यक्रममें बड़ा और असाधारण परिवर्तन किया जाय और वह भी सारी लड़ायी शुरू होनेके बाद पहली बार किया जाय और मैं अुसकी सूचना न दूँ, तो अिसमें कोयी शक नहीं कि मैं अपने कर्तव्यसे च्युत होता हूँ। जिला मजिस्ट्रेटके मैदान छोड़कर चले जानेके बाद पुलिस पर अकस्मात धावा करना अनुचित होता। मेरी बुद्धिके अनुसार अिस प्रकारके युद्धमें अचानक हमलेकी छूट नहीं हो सकती। . . . हमारी कार्रवायीसे सरकारको अिस प्रतिकूल लड़ायीसे निकल जानेकी अनुकूलता मिली हो, तो मैं खुद तो अिस बातसे खुश ही होअंगा कि सिद्धान्तको किसी तरह कुर्बान किये बिना मैंने किसी हद तक सरकारकी रुकावट दूर कर दी और अुसके लिये अिज्जतके साथ पीछे हटनेका रास्ता बना दिया। मैं दुबारा कहता हूँ कि सरकारको न तो अर्जी दी गयी और न अुससे अिजाजत या रियायत ही ली गयी।”

नागपुरके कमिश्नरकी करतूतोंकी कलअी खोलते हुअे अुन्होंने कहा :

“१८ तारीखकी घटनाओंकी जो कपटपूर्ण खबरें फैली हैं, मैं अुन सबकी जड़ ढूँढनेकी कोशिश कर रहा था। ढूँढते-ढूँढते मुझे अेक विचित्र प्रमाण

मिल गया। . . . कलकत्तेके 'स्टेट्समैन' पत्रके ता० २१ अगस्तके अंकमें नागपुरके कमिश्नरका १९ तारीखका दिया हुआ तार छपा है। उसका शीर्षक है: 'सत्याग्रह बन्द हुआ' 'नेता हुकूमतके सामने झुक गये।' 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के संवाददाताका उसी तारीखका तार पत्रके २० अगस्तके अंकमें 'सरकारकी सत्ता मान ली' शीर्षकसे छपा है। यह तार कमिश्नरके उस तारकी शब्दशः नकल है। ये दोनों तार अिकट्टे करके पढ़ने पर यह जान लेना कठिन नहीं है कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का संवाददाता कमिश्नर है या नागपुरका कमिश्नर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का संवाददाता है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की तरह 'हमारे संवाददाता द्वारा' छापनेके बजाय 'नागपुरके कमिश्नर द्वारा प्राप्त तार' छापनेमें 'स्टेट्समैन'की हुअी गफलतके कारण कमिश्नर साहबकी कलजी खुल गयी। यह सब्त मिल जानेके बाद भी कुछ समय तक तो मैं मान ही नहीं सका कि अैसी खबर अुन्होंने भिजवायी होगी। जांच करने पर मुझे मालूम हुआ कि यह सच है। मुझे यकीन दिलाया गया है कि नागपुरके कमिश्नरने 'स्टेट्समैन'को जो समाचार भेजे, अुनके भेजनेका अुन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। अिसके सिवाय मैंने यह भी देखा कि कमिश्नरके अखबारोंके साथके सम्बन्ध और अुस सिलसिलेमें अुनकी हलचलों पर नियंत्रण रखनेका सामर्थ्य मध्यप्रान्तकी सरकारमें नहीं है। पहले भी अिस लड़ायी सम्बन्धी अेक अवसर पर यह हुक्म होते हुअे भी कि आपको सरकारके काममें दखल नहीं देना चाहिये, अुन्होंने अिस प्रकारकी अपनी प्रवृत्तियोंसे सरकारको मुश्किलमें डाल दिया था। . . . अुनके कामसे सरकारको अफसोस हुआ है, अिसमें मुझे सन्देह नहीं है। फिर भी अितना कहना मैं अपना फर्ज जरूर समझता हूं कि अन्तमें सरकार कमिश्नरके कृत्योंकी जिम्मेदारीसे बच नहीं सकती।"

नागपुर सरकारकी कद्र करते हुअे अुन्होंने कहा :

"जुलूसको गुजर जाने देनेके बाद तमाम कैदियोंको छोड़ देना सरकारका धार्मिक फर्ज था। और अिस फर्जके अदा करने पर मैं मध्यप्रान्तकी सरकारको धन्यवाद देता हूं। . . . यह मैं अेकदम स्वीकार करता हूं कि लड़ायीको सम्मानपूर्वक समाप्त कर देनेकी सरकारकी शुभ अिच्छा थी।"

बयानके अन्तमें अुन्होंने बताया :

"मैं आपसे सच कहता हूं कि हमारी जीत हुअी, अिस बातका जरा भी श्रेय मुझे नहीं है। सारा श्रेय आपको है, जो जेलके कष्ट और यातनाओं सहन करके आये हैं और जो अिस लड़ायीके लिये कष्ट सहन

करनेको तैयार थे; और साथ ही श्रेय है सारी लड़ाईके दरमियान अथक परिश्रम और अद्भुत व्यवस्थाका परिचय देनेवाली नागपुरकी कांग्रेस कमेटीको । . . . निर्मलता और निर्भयताके साधनोंके साथ चलाये गये इस धर्मयुद्धको लोग भविष्यमें गर्वके साथ याद करेंगे और यह धर्मयुद्ध सत्य, अहिंसा और त्यागके शस्त्रोंकी श्रेष्ठताके प्रति लोगोंमें अधिक श्रद्धाका संचार करेगा।”

अस प्रकार विरोधियों और बाहरके आलोचकोंको सरदारने गौरवपूर्ण ढंगसे अच्छी तरह जवाब दिये और वे जवाब देना आसान था। परन्तु स्वराज्य दलके पं० मोतीलालजी जैसे नेताओंने भी जैसे आक्षेप किये थे कि सरदारने समझौता कर लिया। यह घरका आघात दुःसह था। फिर भी जवाब तो अन्हें भी देना ही चाहिये। नागपुरसे छूटकर आनेवाले सैनिकोंके सम्मानमें अहमदाबादमें जो बड़ी सार्वजनिक सभा हुआ, अुसमें अस बारेंमें बोलनेका अन्हें अवसर मिल गया। अन्होंने नम्र भावसे कहा :

“पं० मोतीलालजीने मेरे कामकी आलोचना की हो, तो मैं तो अुनके सामने बच्चा हूं। अुनके त्यागका, अुनकी देशसेवाका मूल्यांकन मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे जैसे कच्चे सिपाहीकी जहां भूल दिखायी दे, वहां अुसे बतानेका अुनके जैसे अनुभवियोंको हक है। परन्तु अस काममें शुरूसे अन्त तक मेरे बड़े भाभी विठ्ठलभाभी मेरे साथ थे। अेक विरोधी विचारके नेता भी मेरे साथ हैं, अस खयालसे मुझे सन्तोष था। अस लड़ाईमें जीत हुआ हो और गर्व करनेका कारण मिला हो, तो अुसका श्रेय अुन्हें है, जिन्होंने कष्ट सहन किये और जो सहन करनेको तैयार थे। परन्तु जीत न हुआ हो, लड़ाई बन्द करनेमें भूल हुआ हो और शर्मिन्दा होनेकी बात हुआ हो, तो अुसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने लड़ाई असलिये बन्द नहीं की कि मेरे पास सैनिक नहीं थे। मेरे पास तो आखिरी दिन भी १४८ सैनिक थे। अधिक लोगोंको आनेसे रोकनेका मुझे प्रयत्न करना पड़ता था। फिर भी रोज आदमी आते और स्टेशन पर गिरफ्तार होते। सरकार जानती थी कि मुझे पकड़ लेने पर भी १५००० मनुष्य आते ही रहते। असलिये लड़ाईको समेट लेनेका मेरे लिये कोई कारण नहीं था।

“अीसाअी गिरजेके सामने शान्ति रखने और अंग्रेज लोगोंके घरोंके सामने पहुंचकर नारे न लगानेकी सूचना स्वयंसेवकोंको देकर मैंने सभ्यताके अनुसार काम किया है। हमें अंग्रेजोंको बताना था कि हम आपकी अुचित भावनाओंमें बाधक नहीं बनना चाहते। सरकारका

जितना असत्य था, उसीका हमने विरोध किया। परन्तु अगर सरकारी विमारतों पर झंडा फहरानेका हमारा अिरादा हो, तो मैं कहता हूँ कि हम हार गये।

“जिनका लड़नेका ढंग दूसरा है, उन्हें इसमें भूल दिखायी दे सकती है। मैं तो खेड़ाकी लड़ाईमें नौ महीने महात्माजीके साथ था। वे कोसी भी कदम अुठानेसे पहले सरकारको सूचना देते और फिर कदम अुठाते थे। अगर मैं पहलेसे ही नागपुरमें होता, तो अवश्य दरखास्त देकर अिजाजत मांगता। परन्तु मेरे पास असका निश्चित प्रमाण है कि सरकार जरूर अनिकार ही करती। ६ अप्रैलको जबलपुरमें सुन्दरलालको अिजाजतके बिना सिविल लाअिन्समें जानेसे रोका, तब अुन्होंने तुरन्त अर्जी लिखकर दे दी थी। परन्तु अुसे नामंजूर कर दिया गया था। नागपुरमें तो मंजूरीकी बात बादमें आयी। पहले तो अेक आदमी — अेक स्त्री तक — झंडा लेकर नहीं जा सकता था। जब तक सरकारकी आज्ञा कायम रही, तब तक अन्तिम दिन और अन्तिम क्षण तक मैं अुसके विरुद्ध लड़ता रहा। परन्तु जब जिला मजिस्ट्रेट घरमें घुस गये और पुलिस सुपरिन्टेंडेंट सामने आये, तब अुन्हें मैंने सूचित किया कि आपके साथ अब मैं अस प्रकार लड़ूंगा। अितने हजार सैनिकोंको छोड़ा, परन्तु अेकसे भी यह कहनेका सरकारका साहस नहीं हुआ कि आअिन्दा अैसा न करना। सरकार जानती है और दुनिया जानती है कि ये लोग फिर यही करेंगे।”

सरदारकी अपरोक्त सफाअीसे जो समझना चाहते थे, वे तो सारी परिस्थिति समझ गये और अुन्हें सन्तोष हो गया; परन्तु मध्यप्रान्तके गोरे सिविलियन खूब बिगड़े। वैसे गवर्नर और होममेम्बरके रवैयेसे वे अुबल तो रहे ही थे। असलिये अुन्होंने सेक्रेटरिअेटमें दबाव डालकर चीफ सेक्रेटरीसे अेक वक्तव्य प्रकाशित कराया और अुस वक्तव्यके अनुसार पोलिटिकल विभागका सरकारी प्रस्ताव ता० ८-९-’२३ को प्रकाशित कराया। चूकि सेक्रेटरिअेटमें ये कारस्तानियां हो रही थीं, असलिये होममेम्बरने अपनी स्थिति साफ करनेके लिये श्री विट्टलभाअीके साथ मिलकर दोनोंका संयूत वक्तव्य प्रकाशित किया। यह वक्तव्य ठीक था और अुस पर सरदारको जरा भी आपत्ति न थी। परन्तु अुस सरकारी प्रस्तावमें घटनाओंको विकृत रूप देकर अस प्रकार पेश किया गया था :

“१. माननीय गवर्नरके साथकी १३ अगस्तकी मुलाकातमें पटेल बन्धु गवर्नरके निमंत्रण पर मिलने गये थे, यह बात गलत है।

“२. इसके बाद होममेम्बरके साथ हुआ मुलाकातोंमें होममेम्बरने श्री वल्लभभाजी पटेलसे साफ कह दिया था कि अमुक शर्तों पर ही निषिद्ध क्षेत्रोंमें जुलूस ले जानेकी अजाजत दी जायगी और इसके लिये आपको स्थानीय अधिकारियोंके यहां अर्जी देनी होगी। अतः शर्तोंको मानकर श्री वल्लभभाजी पटेलने दरखास्त दी, तब उन्हें जुलूस ले जाने दिया गया।

“३. १८ अगस्तको जिन शर्तों पर जुलूसको जाने दिया गया, अतः निषिद्ध चलकर छूटे हुए कैदी नागपुर झंडा सत्याग्रहमें भाग नहीं लेंगे, ऐसा वचन देने पर सरकारने दया करके उन्हें छोड़ दिया। अतः कैदियोंमें अधिकांश तो जैसे गुमराह नौजवान थे, जो आन्दोलनके बारेमें कुछ नहीं समझते थे।”

नागपुरके अतः कमिश्नरकी पीठ न थपथपायी जाती और अखबारोंके मामलेमें अतः सरकारी नौकरोंके अधिकारसे बाहर जाकर जो गंदा खेल खेला, अतः बचाव न किया जाता तो वह कैसे चैनसे बैठता। अतः लिये प्रस्तावमें अतः बारेमें लिखा गया :

“नागपुरके कमिश्नर मि० क्लार्कके अच्छे पथप्रदर्शनमें तमाम अफसरोंने अपनी जिम्मेदारीके अतिरिक्त कामोंका भार अतः परीक्षाके समयमें बड़ी होशियारीसे वहन किया है, अतः सरकार बड़ी कद्र करती है। नागपुरके कमिश्नरको अतः आन्दोलन सम्बन्धी प्रकाशनका काम भी सौंपा गया था।”

अतः उन्होंने किस तरह किया, अतः कलजी तो सरदारने अपने बयानमें अच्छी तरह खोल ही दी है। फिर भी भले ही अतः पीठ ठोक दी जाय, अतः हमें वास्ता नहीं। सरदारने प्रस्तावमें किये गये दूसरे आक्षेपोंका करारा जवाब दिया और अतः प्रकार अतः लड़ाईकी कुछ बातें, जो अन्धेरेमें रह जातीं, प्रकाशमें आयीं। अतः जवाबके मुद्दे संक्षेपमें नीचे दिये जाते हैं :

“श्री विठ्ठलभाजी पटेल और होममेम्बरने अपने संयुक्त वक्तव्यमें जो यह कहा है सो सच है कि दोनोंमें से किसी भी पक्षको अक भी मुलाकातका कोजी हाल प्रकाशित नहीं करना था। परन्तु मध्यप्रान्तकी सरकारने मुझे अतः बन्धनसे मुक्त कर दिया है। नीचे जो हकीकतें दे रहा हूं अतः से सरकार अकसे भी अतः करेगी, तो मैं सारा पत्रव्यवहार ही प्रकाशित नहीं कर दूंगा, बल्कि मुलाकातोंका जितना हाल मुझे याद होगा वह सब भी प्रगट कर दूंगा। सरकारने जिन मुलाकातोंको गुप्त रखनेका वचन दिया था, अतः हाल सच्ची बातोंको तोड़-मरोड़कर बिलकुल अल्टे रूपमें पेश करके अतः विश्वासभंग किया है। मध्य-

प्रान्तकी सरकारके बारेमें मुझ पर कुछ अच्छा असर पड़ा था। परन्तु अब मुझे उस पर दया आती है।

“पहले तो गवर्नरके साथकी मुलाकातके बारेमें श्री विट्टलभाजीके नाम चीफ सेक्रेटरीका एक पत्र आया। उसमें उनसे मिलकर परिस्थितिकी चर्चा करनेका हमें निमंत्रण दिया गया था। तदनुसार हम दोनों उनसे मिले। बातचीतमें यह सुझाव दिया गया कि हम गवर्नरसे मुलाकात करें। हमने इसका कोअी जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन श्री विट्टलभाजीके नाम चीफ सेक्रेटरीकी चिट्ठी आयी कि अगर आपको गवर्नरसे मिलना हो, तो वे आपसे रेसिडेंसीमें कल प्रातः ११ बजे मिलकर प्रसन्न होंगे। इसके अनुसार हम मिलने गये। उनके साथ लगभग तीन घंटे तक सारी परिस्थितिकी चर्चा की। मुलाकातके लिये जबानी या लिखित प्रार्थना हमने कभी नहीं की थी।

“दूसरी बात जुलूसकी मंजूरीके बारेमें। हमने मंजूरीके लिये दरखास्त नहीं दी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुलिस सुपरिन्टेंडेंटके नाम मेरा पत्र है। श्री विट्टलभाजी धारासभाकी बैठक होनेसे पहले होममेम्बरसे मिले थे। होममेम्बरने विट्टलभाजीको लिखा था कि कांग्रेस कमेटीकी तरफसे कोअी भी आदमी जिला मजिस्ट्रेटसे अजाजत मांगेगा, तो सरकार जुलूसको निकलने देगी। हमने तुरन्त उत्तर दे दिया कि जिला मजिस्ट्रेटके हुक्मके कारण तो यह सारा सत्याग्रह पैदा ही हुआ है। हम असा कोअी प्रार्थनापत्र नहीं दे सकते। सरकारी बयानमें जो यह कहा गया है कि हमने पुलिस सुपरिन्टेंडेंटको आवेदनपत्र भेजा, सो बिलकुल झूठ और केवल बुद्धिभेद उत्पन्न करनेकी बात है।

“तीसरे, यह जो कहा गया है कि हमने यह वचन दिया था कि कैदी छूटनेके बाद नागपुरकी राष्ट्रीय झंडेकी लड़ाईमें कुछ शर्तों पर ही भाग लेंगे, सो बिलकुल निराधार है और स्पष्ट अुद्देश्यसे जान-बूझकर कहा गया है।

“किसी भी मामलेमें न सरकारने हमें वचन दिया था और न हमने सरकारको दिया था। पहले तो श्री विट्टलभाजी ही होममेम्बरसे मिलते थे। बादमें होममेम्बरने धारासभाके अपने भाषणमें साफ शब्दोंमें सुलहके लिये लगभग निमंत्रण देने जैसे अुद्गार प्रगट किये, तो यह देखकर कांग्रेस कार्यसमितितने मुझे सुलह करनेकी सलाह दी। तबसे मैं होममेम्बरसे मिलने लगा। ये सारी मुलाकानें परस्पर विश्वासके सिद्धान्त पर हुई थीं और यह बात दोनों पक्षोंमें कअी बार स्पष्ट कर दी गयी थी। परन्तु

चीफ सेक्रेटरीने अणु मुलाकातोका अिकतर्फा और सत्यको तोड़-मरोड़कर विकृत अर्थ कर दिया है। हमारे लिखे हुअे और जो अिस समय सरकारके कब्जेमें है वे तमाम पत्र (सरकारके जीमें आये अुतने ही नहीं) प्रकाशित करनेके विरुद्ध हम अपनी आपत्ति वापस ले लेते हैं और सरकारके अधिकारियोंके जो पत्र हमारे पास हैं अुन्हें हम प्रकाशित कर दें अिसमें अुन्हें कोअी अंतराज नही हो सकता, अैसा हम दावा करते हैं।”

अिस प्रकार सरकारको साफ जवाब देकर अुसके अधिकारियोंके मुंह बन्द कर दिये। बादमें वे कुछ न बोले। परन्तु जिस ढंगसे यह लड़ाअी खत्म हुअी, वह ढंग यद्यपि सत्याग्रहके सिद्धान्तोंके अन्सार सौ फी सदी शुद्ध था, फिर भी अुस समय अधिकांश लोग अणु सिद्धान्तोंको साफ तौर पर नहीं समझ सके थे। हमारे कुछ नेता और राष्ट्रीय माने जानेवाले समाचारपत्र भी शंका-कुशंकाअें किया करते थे और अिसकी चर्चा करते रहते थे कि लड़ाअीमें जीत हुअी या नहीं। अपनेको असहयोगी माननेवाले कुछ सुशिक्षित लोगोंके मनमें भी अैसी कल्पना घुसी हुअी थी कि जब सरकारके साथ लड़ाअी करनी हो, तब अुसके साथ संधि-वार्ता करना भी शरण जानेके समान है। अुसमें असहयोगके सिद्धान्तका त्याग होता है। ठेठ दक्षिण अफ्रीकासे गांधीजी तो कहते और करते आये थे कि किसी भी लड़ाअीमें और हिसात्मक लड़ाअीकी अपेक्षा अहिंसात्मक लड़ाअीमें खास तौर पर सुलहनामों, संधि-वार्ताओं, समझौतों और कौल-करारके लिअे सम्मानपूर्ण स्थान है। सत्याग्रही अपने सिद्धान्त और स्वाभिमानकी रक्षा करता हुआ प्रतिपक्षीके लिअे भरसक सुविधा कर देगा, अुसकी जितनी अड़चनें दूर की जा सकें अुतनी दूर करनेका प्रयत्न करेगा। अपने सिद्धान्त और स्वाभिमान कायम रखता हुआ वह समझौतेके लिअे सदा अुत्सुक रहेगा। विजयका हिसाब अिस परसे नहीं लगाना है कि विरोधीको कहां तक झुकाया, बल्कि अिस परसे लगाना है कि सत्य कितना प्रगट हुआ, लड़नेवालोंकी कितनी शुद्धि हुअी, अुनका आत्मबल कितना बढा और अुनमें कितना आत्मविश्वास पैदा हुआ। अिस लड़ाअीमें हमारे सैनिकोंने पुलिस और जेल-विभागके कर्मचारियों पर जो अच्छी छाप डाली और बाहर आकर सरदारसे अुन्होंने आम सभामें जो यह कहा कि ‘जेलके कटु अनुभवोंके बावजूद हमारा अुत्साह जरा भी मन्द नहीं पड़ा बल्कि बढा है। अिसलिअे स्वराज्यके लिअे जेलके और अन्य कष्ट हमें फिर अुठाने पड़ें, अैसे काम हमारे लिअे जल्दी-जल्दी ढूंढिये,’ अिसमें अिस लड़ाअीकी सबसे बड़ी जीत थी।



## बोरसदके डाकू और 'हैड़िया कर'

नागपुर कांडमें सरकारके अन्तिम वक्तव्यका जवाब देकर सरदार दिल्लीकी विशेष कांग्रेसमें गये। इस अरसेमें बोरसदमें सरदारके लिये एक और काम तैयार हो रहा था। अम ताल्केमें डाकूओका आतक बहुत बढ़ चला था और हत्या और डाकेके अपराधोंकी सख्या बढ़ गयी थी। पुलिस बैसी रिपोर्ट करती रहती थी कि चूकि लोग डाकूओको आश्रय देने हैं और छिपनेमें मदद करते हैं, इसलिये अन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अधर लोगोका यह आश्रय था कि पुलिस डाकूओसे मिली हुयी है और वही डाके डलवाती है। स्थानीय अफसरोंकी यह राय थी कि डाकूओको पकडनेके लिये तालुकेमें अनिश्चित पुलिस रखनी चाहिये और अुसका खर्च लोगों पर जुर्माना करके वसूल करना चाहिये। इस पर सरकारने ता० २५-९-'२३ को प्रस्ताव प्रकाशित करके तालुके पर २४००७४ रुपयेका जुर्माना किया और सोलह वर्षसे अपरकी अुम्रके हर स्त्री-पुरुषसे, बूढ़ों और अपंगोंको भी छोडे बिना, प्रति व्यक्ति रु० २-७-० वसूल करनेका निश्चय किया। लोगोने इस जुर्मानेका नाम 'हैड़िया कर' रखा। अन्हें यह जुर्माना जले पर नमक जैसा लगता था। दिल्ली कांग्रेससे सरदारके अहमदाबाद आते ही बोरसदके लोग अुनके पास शिकायते लेकर अुमडने लगे। अन्होंने तारीख २०-१०-'२३ को प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलवायी और इस 'प्युनिटिव'—दण्ड-पुलिसके वारेमें मौके पर जाकर जांच करके रिपोर्ट देनेके लिये श्री मोहनलाल पंड्या और श्री रविशंकर महाराजकी कमेटी मुकरर की गयी। अन्होंने तुरन्त बोरसद तालुकेमें पहुचकर गाव-गाव दौरा किया और बडी वारीकीसे जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस बीच सरदारने अहमदाबादमें बैठे-बैठे जांच कर ली। वे खेडा जिलेके लोगोके और सरकारी विभागोके तमाम गली-कूचोके पक्के जानकार थे। इसलिये सरकारकी पोल पकड़ लेनेमें अन्हें देर न लगी। और अन्हें पूरा अितमीनान हो गया कि हमारा पक्ष बिलकुल साफ और मजबूत है। तब यह विचार करनेको कि इस मामलेमें क्या कदम अुठाये जायं, ता० २-१२-'२३ को बोरसदमें बोरसद तालुका परिषद बुलायी गयी। अुससे पहले दिन गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक भी वही रखी गयी।

कमेटीको जांच यह करनी थी कि ये डाकू कौन हैं? वे कानूनके विरोधी क्यों बने? वे कैसे जुर्म करते हैं? पुलिस अन्हें क्यों नहीं पकड़ सकती? लोगोंकी रक्षा पुलिस क्यों नहीं करती? सरकार सारा दोष लोगोंके सिर क्यों थोपती है? लोगोंका असि दण्ड-पुलिसके प्रति कितना विरोध है? लोग जुर्माना देनेको तैयार है या नहीं?

कमेटीने लोगोंके बयान लेकर अिन सब प्रश्नों पर तफसीलसे भरी हुआ रिपोर्ट पेश की। असका सार असि प्रकार है:

बाबर देवा नामका पाटणवाड़िया गोल्लेला गांवका रहनेवाला था। अपराधी जातियों सम्बन्धी कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स अेक्ट) के अनुसार असे सुबह-शाम दो बार पुलिसमें हाजिरी देनी पड़ती थी। असिमें किसी कारणसे असे अेक दिन नागा हो गयी और असके बदलेमें छः महीने जेलमें जानेका मौका आ गया। असलिअे वह निकल भागा और छोटी-छोटी चोरियां करते हुआ भटकने लगा। पुलिसने गांववालों पर असे पकड़ा देनेको दबाव डालना शुरू किया। अेक आदमी असकी मांसे रोज कहने लगा कि बाबर पकड़ा जाय तो सारे गांवका कष्ट मिट जाय। मांने लड़केसे यह सब हाल कह दिया तो बाबरने जवाब दिया कि कल मे घर रहूंगा। वह आदमी अुस दिन भी आया, तो बाबरने असकी नाक काट ली और भाग गया। तबसे वह डाकू बन गया और डाके डालने लगा। फिर तो वह घोड़ी, बन्दूक वगैरा रखने लगा और अुसने अेक बड़ी टोली बना ली। अुसने कोअी पन्चीस हत्यायें की होंगी। डाका डालनेके लिअे तो असे मारपीट या हत्या करनेका मौका क्वचित ही आता था, परन्तु यह पता लगने या सन्देह होने पर कि कोअी पुलिसको खबर देता है, वह अैसे मनुष्यका सफाया कर डालता था। यह शक होने पर कि असकी स्त्री और क्छ रिश्तेदार असे पकड़वा देनेके षड्यंत्रमें शरीक हैं, अुसने उनको भी कत्ल कर दिया। पुलिसको खबर देनेवाले या गवाही देनेवाले क्छ लोगोंका तो अुसने बड़ी निर्दयतासे खून किया था। किसीको पेड़से कीलें ठोककर मार डाला गया, तो किसीकी नाक काट ली गयी। असिसे लोग कांप अुठे। पुलिस तो यहां तक फूट गयी कि खबरका अुपयोग करके डाकुओंको पकड़ने जानेके बजाय वह अुन्हें पहले ही चेतावनी दे देती और कभी-कभी तो खबर देनेवालेका नाम भी बता देती। असके कअी अुदाहरण अुन्होंने अपनी रिपोर्टमें दिये हैं। अुनमें से नमूनेके तीर पर अेक यहां देता हूं। अेक राजपूतने बयान दिया कि नोंघणा और अमलपुर गांवोंकी सीमा पर अेक खेतमें बाबर देवा और दूसरे डाकू बैठे हुआे थे। अुन्हें बोरसदके अेक जत्थेके थानेदार और पुलिस दलको

नेन असी जगह ले जाकर पासके ही खेतमें रहकर बता दिया और कहा कि रकड़िये अन्हें। वे लोग सात आदमी थे और पुलिसकी संख्या अधिक थी, जो भी पुलिस वहां नहीं गयी। अतना ही नहीं, पुलिसने अन्हें चेताकर भगा देनेकी युक्ति की। खेतमें खड़े हुअे अेक ढेढ़की थानेदार पीटने लगा। ढेढ़ चिल्लाया कि पुलिस मुझे मार रही है। यह चिल्लाहट सुनकर डाकू चेत गये और भाग निकले। यह कहनेमें हर्ज नहीं कि पुलिस डाकूअसे मिल गयी थी। खबर देनेके कारण लोगोंमें से कअी आदमी मारे गये, फिर भी आश्चर्यकी बात यह थी कि पुलिसवालोंमें से कोअी नहीं मारा गया। बड़े-बड़े अफसरोंकी डाकूओके आगे कुछ नहीं चलती थी, असकी अेक मिसाल अन्होंने रिपोर्टमें दी है। अेक प्रथम श्रेणीके मजिस्ट्रेट वासदसे बोरसद जा रहे थे कि रास्तेमें डाकू मिल गया। मजिस्ट्रेटके पास जो बन्दक थी, असे डाकूने थप्पड़ मारकर छीन ली। जान बचानेके लिअे मजिस्ट्रेट साहब गिड़गिड़ाये और कह दिया कि मैं तो कारकून हूं।

बाबर देवाके सिवाय अली नामक बोरसदका अेक मसलमान डाकू भी अुस समय डाके डाल रहा था। वह भी पहले तो डाकू नहीं था। जमीनके किसी झगड़ेमें बोरसद गांवकी सीमामें आमके झगड़ेमें दिन दहाड़े अुसने अेक वकीलकी हत्या कर डाली थी और फिर भाग गया और डाकू बन गया। अुनरसंडाका अेक आदमी अुसका शागिर्द था, जो अुसकी लटका माल रखता और अुसे आश्रय देता था। पुलिसके प्रलोभनसे कहिये या डरसे, वह आदमी फूट गया और अुसने धोखा देकर अलीको पकड़वा दिया। मगर बादमें वह घबराया और अुसने अलीको छुड़ानेकी अेक तरकीब की। अली हवालाती कैदमें था, तब अुसके साथ साठगाठ करके पुलिससे कहा कि अगर अलीको यहासे भाग जाने दिया जाय, तो वह बाबरियाको पकड़वा देना मंजूर करता है। पुलिसको यह दाव पसन्द आ गया और अलीके भाग जानेका बन्दोबस्त कर दिया गया। बाहर निकलनेके बाद अलीने बाबरको फंसानेके लिअे अेक खास जगह मिलने बुलाया। परन्तु बाबरको षड्यंत्रकी गंध आ गयी थी, असलिअे वह वहां गया ही नहीं। अलीने पुलिससे कहा कि बाबरको मुझ पर शक हो गया है, परन्तु मुझे डाके डालने दो तो अुसका सन्देह मिट जायगा और मैं अुसे गिरफ्तार करा दंगा। पुलिसने यह बात मान ली और अलीको डाके डालनेका परवाना मिल गया। अुसमें से पुलिसको भी अच्छा हिस्सा मिलने लगा और अुसने अुसे बन्दूक और कारतूस भी मूहैया करना शुरू कर दिया।

अब असकी रिपोर्ट देखें कि दण्ड-पुलिस ताल्केमें क्या कर रही थी। अधिकांश गांवोंमें कमसे कम पांच पुलिसके आदमी रखे गये थे। बड़े गांवोंमें

ज्यादा थे। देहातमें अनुका बड़ा आतंक था। रिपोर्टमें लिखा है कि आसोदर गांवमें जब हम पहुंचे, तो देखा कि सुबहसे पांच पुलिसवाले, अक जमादार बारह डेढ़ खेतोंमें निकल पड़े थे। वे जहा घासके पृलोकी गंजी देखते, वहीसे पूले ले लेते थे। पाटीदारसे पांच और बारैयासे तीन लेनेका नियम बना लिया था। पूले अच्छी कडवीके लेते थे। अस प्रकार लगभग डेढ़ सौ पूले अिकट्टे किये। हमने असे नोट किया। गावमें अक आदमी साग बेचने बैठता, अुससे ये लोग साग लेते। आज ज्यादा मागा और अुसने देनेसे अिनकार किया तो अुसे डंडा मारा। वाघरियोंकी बाड़ीसे रोज पाच-पाच सेर शाक लाते। कभी देनेसे अिनकार कर दिया तो गालिया देते। कुम्हार मुहल्लेमें भी बड़ा आतंक था। हर रोज दस-बारह बेड़े पानी भरनेकी कुम्हार लोगोकी बारी वाध दी थी।

रिपोर्टके अन्तमें कहा गया था कि :

“तालुकेके बहुतसे गावोंमें हमने खुद भ्रमण किया और खूब वारीक जांच की। अस जाचके परिणामस्वरूप हमारे दिलको यकीन हो गया है कि प्रजाका बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग, बिलकुल निर्दोष है। . . . डाकू रातको लूटते हैं, पुलिस दिन दहाड़े लूटती है और अस कानूनी मानी जानेवाली लूटके साथ लोगोको कलकका टीका लगाती है। सरकार कहती है कि लोग डाकुओंका साथ देते हैं, अन्हें आसरा देते हैं और अन्हें खानेको देते हैं। लोग कहते हैं कि पुलिस मिल गयी है, डाकुओंको बन्दूकें देती है, कारतूस पहुंचाती है और लूटके मालमें से हिस्सा बंटाकर जेवें भरती है”

सरदारने जुर्मनिका अितिहास और जुर्मनिके बारेमें नीचेसे अपर तकके अधिकारियोंकी रिपोर्टें प्राप्त कर ली थी। अनुका जो सार तालुका परिषदके अपने भाषणमें अुन्होंने बताया था, अुससे सारे मामलेकी कल्पना हो सकती है :

“जवसे बाबर डाकू बना, तबसे सरकारने गोलेल गांवमें पुलिसका अक थाना रख दिया था। अुसके बाद पुलिसकी यह रिपोर्ट हुअी कि खडाणा और जोगण नामक दो गांवोंके पाटणवाडिया और वारैया बाबर देवाकी टोलीको मदद देते हैं, असिलअे अनु गांवोंमें थाने रख दिये गये। और अनुका खर्च जुर्मनिके रूपमें अनु दो गांवों पर लाद दिया। अस दण्ड-पुलिमने लोगोंकी कैमी रक्षा की सो देखिये। जोगण गांवमें ही बाबर देवाने शीभाअी नामक आदमीकी, अुस पर खबर देनेका शक हो जानेके कारण, दिन दहाड़े हत्या कर दी। फिर भी पुलिसकी रिपोर्ट कायम रही कि लोग डाकुओंकी खबर नहीं देते। गोलेलमें तो डाकुओंने

एक बार पुलिसके आदमियों पर ही हमला कर दिया और पुलिस डरकर दब गयी। ऐसी दण्ड-पुलिस लोगोकी क्या रक्षा कर सकती है? खड़ाणा और जोगणके लोग कलेक्टरके पास गये और कहा कि यह कर हमसे नहीं चुकाया जाता। तहसीलदारने भी रिपोर्ट की कि अिन लोगोकी स्थिति ऐसी है कि अनुसे कर वसूल करना असंभव है। अिसमे लोगोकी अुद्धतता नहीं है, परन्तु अनुमे देनेकी शक्ति ही नहीं है। अगर तकाजा करगे तो लोग गाव छोडकर चले जायंगे। पुलिस सुपरिन्टेडेतेने तहसीलदारसे असहमत होकर यह रिपोर्ट की कि अतिरिक्त पुलिसके थाने अभी कायम रखने चाहिये, क्योंकि (१) बाबर देवा और अुमकी टोली अभी तक पकडी नहीं गयी है ; (२) जोगणमे हुअी शीभाजीकी हत्याकी कोअी गवाही नहीं देता, अिसलिअे मुकदमा नहीं चल सकना ; (सरदारकी आलोचना जो पुलिस वहां बैठी है सो तो गवाही नहीं दे सकती और सरकार लोगोमे गहादत मागती है।) (३) बाबरको जोगणके पाटणवाडिये अपने खेतोमे आश्रय देते है और अुमे खाने-पीनेकी मदद देते है, (४) बाबर खड़ाणामे आता है, तो भी अुस गावके लोग कोअी खबर नहीं देते, और (५) वहा पुलिसका अितना जावता न होता तो खड़ाणाके क्तिने ही पाटणवाडिये बाबरकी टोलीमे मिल गये होते। यह रिपोर्ट पढकर कलेक्टरने तीसरी ही रिपोर्ट दी। अुसने कहा : अिन तीनों ही गावोमे थाने रखनेसे कोअी लाभ नहीं क्योकि वहाके लोगोको दण्ड-पुलिसकी रक्षाकी कोअी जरूरत नहीं। परन्तु तमाम बोरसद तालुकेमे अपराध खूब दढ गये है और डाकुओकी संख्या भी बढी है, अिसलिअे अुसका बन्दोवस्त करना चाहिये। हमारी और पुलिस सुपरिन्टेडेतेकी अेक कान्फरेन्स अिस वारमे विचार करनेके लिअे हुअी थी। हम मानते है कि अिन तीन ही गावोका कोअी डोप नहीं, तालुकेमे अैसे बहुनमे गाव है जो खबर नहीं देते। फिर यही कलेक्टर साहब कहते है कि लोग केवल डरके मारे ही खबर नहीं देते। कमिश्नर साहबको पुलिस सुपरिन्टेडेतेके ही कारण मजबूत मालूम हुअे और अेक वर्षके लिअे और दण्ड-पुलिसकी सजा अनु दो गावो पर कायम रखी गयी।”

कलेक्टर और पुलिस सुपरिन्टेडेतेकी जो कान्फरेन्स हुअी, अुसमे सारे तालुके पर दण्ड-पुलिस बैठानेकी बात पैदा हुअी दीखती है। परन्तु यह अन्यायपूर्ण जुर्माना लगानेसे पहले सरकारने अपने बचावकी पेशबन्दीका अेक अुपाय किया। बम्बअी सरकारके प्रकाशन-विभागके अफसरको आणन्द और बोरसद तालुकोमे देख आनेके लिअे भेजा गया। अुसके बाद थोडे ही दिनोंमे 'टाअिम्स ऑफ अिडिया' मे तीन-चार दिन तक खेड़ा जिलेके डाकुओं सम्बन्धी लेख आये।

अनुमें लोगोंको दोष दिया गया। सन् १९१८ में खेड़ा जिलेमें हुआ सत्याग्रहकी लड़ाकीको भी इसमें लपेटा गया, यह कहकर कि अुस कानून भंगके आंदोलनके कारण जिलेमें अपराधोंकी मात्रा बढ़ गयी। सरदारने परिषदमें ही अुसका जवाब देते हुए बताया कि बोरसद और आणन्द तालुकेके पिछले तीस वर्षके अपराध-पत्रकोंकी जांच की जाय, तो पता चलेगा कि गांधीजी जिस अरसेमें खेड़ा जिलेमें रहे और सत्याग्रहकी लड़ाकी चली अुसमें जिलेमें कमसे कम अपराध हुए हैं। सरदारने दूसरी बात यह कही कि 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लेख पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि ये लेख प्रकाशन-विभागके अफसर द्वारा भेजे हुए होने चाहियें और वे नागपुरके कमिश्नरकी तरह ही किसी स्थानीय कर्मचारीके मुहैया किये हुए होने चाहियें या अनुमेंकी तमाम बातें ऐसे ही किसी अफसरसे मिली होनी चाहियें। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लेख प्रकाशित होनेके बाद तुरन्त ही दण्ड-पुलिस रखनेकी सरकारी आज्ञा प्रसारित हो गयी।

सरकारी अधिकारियोंकी अपरोक्त रिपोर्टोंके सिवाय पुलिस सुपरिन्टेंडेंटेने तमाम थानेदारों और जमादारोंके नाम अलीके बारेमें जो गुप्त सरक्यूलर भेजा था वह भी सरदारने पकड़ लिया। अुसमें यह सूचना थी कि अली बाबर देवाको पकड़वा देगा, इसलिये अुसके डाको वगैराके मामलेमें चश्म-पोशी की जाय। पंड्याजी और रविशंकर महाराजने अपनी रिपोर्टमें लोगोंके कहने परसे यह बात लिखी थी, परन्तु सरदार तो निश्चित प्रमाण हाथमें लेकर बैठे थे, इसलिये सरकारको वे अच्छी तरह चुनौती दे सके।

लड़ाकीकी तफसीलमें जानेसे पहले यह देख लें कि इस भूमिमें डाकू लोग पैदा क्यों होते रहे थे :

खेड़ा जिलेमें मही नदीके किनारेके गांवोंमें पाटणवाडिया और बारैया जातियोंकी आवादी है। अधिक डाकू अिन्ही जातियोंमें पैदा होते हैं। पाटण-वाडिया और वारैया अपनेको क्षत्रिय कहते हैं। इस जातिके प्रमुख लोग छोटी-बड़ी ठकुरायतोंवाले थे और दूसरे लोग राजा-महाराजाओंके यहां सिपाहीगिरी करते थे। इन बातोंके पुराने अितिहासमें हम नहीं पढ़ेंगे। पिछले पौन सौ या सौ वर्षके अितिहास परसे तो यही लगता है कि ज्यों-ज्यों इनकी जमीनें अंग्रेजी राज्यके अदालती कानूनकी मददसे गैरकाश्तकार साहूकारों और किसान पाटीदारोंके हाथोंमें जाती रहीं, त्यों-त्यों वे बेरोजगार बनने लगे। शुरूसे ही यह जाति जुनूनी, साहसी और लडाकू तो थी ही। इसलिये जरा-सा कारण मिलते ही चोरी और लूट-खसोटकी तरफ

मुड़ जानेमें अन्हें देर नहीं लगती थी। आर्थिक कारणके सिवाय सामाजिक अन्यायके कारण भी अत्तेजित होकर वे फसादके रास्ते लग जाते थे। अंसे विविध कारणोंसे अिन जातियोंमें डाकू किस तरह पैदा होते थे, अिसकी कहानियोंका भंडार रविशंकर महाराजके पास खूब है; क्योंकि वे अपने पूर्व जीवनमें अिन जातियोंके पुरोहित और अुत्तर जीवनमें अुनके गुरुका काम बहुत कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। कभी बार अुनसे सुनी हुआ अलग अलग कहानियोंमें से थोड़ेसे चुटकुले यहां दिये जाते हैं।

अेक बारैया कर्जदारकी स्थितिमें गुजर गया। अुसके जवान लड़केसे जब साहूकार रुपया मांगता, तब वह लड़का कहता कि मेरे बापका जो कर्ज है वह मैं हाथ जोड़कर दूंगा। मजदूरी करके अुसमें से थोड़ा-बहुत बचाकर कर्ज पेटे वह कुछ न कुछ देता भी जरूर था। बादमें अुसका विवाह हुआ। अुस समय पुराने साहूकारने अुसे रुपया अुधार न दिया, तब शादीके लिये अुसने दूमरे साहूकारसे कर्ज कर लिया। पुराने साहूकारने सोचा कि अिसने नया साहूकार कर लिया है और अब मेरा रुपया नहीं देगा। अिसलिये अुसने दावा करके डिग्री करा ली। जब वह बारैया शादी करके बहूके साथ घर आया, अुसी समय वह अुसके घर पर डिग्रीकी कुर्की लेकर आया, अिस आशासे कि अिस समय अुसके घरमें गहना-गाटा कुछ न कुछ जरूर होगा, जिसे ले लेनेका अच्छा मौका मिलेगा। घर पर कुर्क लगाकर बनिया बेलिफके साथ अन्दर घुसा। सामने अलगनी पर अेक अच्छे पोतवाली रेशमी ओढनी और रेशमी लहंगा लटक रहे थे। अुन्हें देखकर बनियेकी राल टपकी। अुस जवान बारैयाने ये कपड़े बहूके लिये खास तौर पर शौकसे लिये थे। बनियेकी निगाहसे बारैया समझ गया कि अुमकी नियत अुन कपड़ों पर है। अुसने बनियेको चेतावनी दी कि सेठ, घरमें से सब कुछ अुठा ले जाओ परन्तु अिन कपड़ोंको हाथ लगाया है तो याद रखना; अुसी क्षण या तो तुम नहीं या मैं नहीं। बनिया कुर्कीके लिये बेलिफ और चार-पांच आदमी लेकर आया था और यह तो अकेला ही था। अिसलिये घमंडमें बोला कि लेने आया हूं तो क्या यों ही लौट जाऊंगा? यह कहकर वह लहंगा लेने गया और अुसीके साथ घरके अेक कोनेमें जो गंडासा पड़ा था, अुसे अुठाकर अुसने बनियेका सिर धडसे अलग कर दिया। कुर्की करने बनियेके साथ जो और लोग आये थे, अुनमें से किसकी मजाल जो बिगड़े हुआ और गंडासेके साथ अुछलते हुआ अिस जवान ठाकुरभाजीके सामने खड़ा रहे? वे सब नौ दो ग्यारह हो गये। और गंडासेके साथ बारैया जो भागा तो मही नदीकी गुफाओंमें जा छिपा। वह डाकू बन गया। यह किनारेका

प्रदेश पहाड़ी नहीं, परन्तु वहां मही नदीकी गुफाओं अितनी गहरी और टेढी-मेढी है कि डाकुओंको अुसमें पहाड़ी प्रदेशके बराबर ही संरक्षण मिल जाता है। गुफाओंसे अपरिचित पुलिसकी मजाल नहीं कि डाकुओंको पकडने वहां जाय। परन्तु वहा छिपे रहकर गुजरकी तो कोथी व्यवस्था करनी ही चाहिये। अिसलिये अिस तरह भागा हुआ आदमी चोरी और डाकेजनीका काम करनेवाली किसी पुरानी टोलीमें शामिल हो जाता है और कभी अधिक होशियार व पराक्रमी होता है, तो नही टोली बना लेता है।

समाजमें प्रचलित अ्च-नीचका अभिमान भी डाकु पैदा करनेका कारण बनता है। बोरसद तालुकेमे कुछ गांव सिर्फ बारैया अथवा पाटणवाड़िया लोगोंकी बस्तीके है। कुछ गावोंमें अधिकतर बस्ती पाटीदारोकी है और कुछ गांव मिली-जुली आवादीवाले है। गांवमें जिस जातिकी आवादी अधिक होती है, वहां अुसका जोर होता है। कम आवादीवाली जातिके लोग अुनके साथ मिल-जुलकर या कुछ दक्कर व झुककर रहते है। पाटीदार और वारैयोंकी मिली-जुली आवादीवाले अेक गावमे वारैयोकी बारात आथी। जिस गावसे वारैयोकी बारात आथी थी, वह अकेले वारैयोकी बस्तीका गाव था और वारैया जातिमें प्रमुख माना जाता था। बारातमे आये हुअे वूठे वारैये हाथमे हुक्का लेकर गुडगुडाते हुअे गांवमें घूमने निकले। हुक्कोकी नैमे चांदीकी खोलियां चढी हुअी थी। अपने घरके सामनेसे वारैयोको अिस तरह हुक्का लेकर जाते देखकर गावके मुखीमे, जो पाटीदार थे, नहीं रहा गया। वे बैठे-बैठे गरज अुठे: 'कौनसे गावके कोली\* निकले है। हमारे गांवमे यह ढंग नहीं चल सकता।' वे वारैये आगे चले गये। परन्तु जिमके घर बारात आथी थी, अुस वारैयेको खयाल हुआ कि पटेल कुछ न कुछ गडबड करेगा। अिसलिये वह पटेलके घर जाकर खुशामद और मिधते करके अुमे शान्त कर आया। परन्तु अुस गांवके दो-तीन वारैयोने यह सुन लिया था। अुनकी आंखोंमें क्रोध भर गया। दूसरे दिन सुबह वर-कन्याके साथ बारात विदा हो गथी। अुनी दिन रातको वे वारैया नौजवान अिस गावके मुखीके घर जा पहुचे। अुमके दरवाजे तोड़कर घरमें घुमे और अपमानके वचन कहनेवाले अुस मुखीका खून करके भाग गये। तबसे वे डाकू हो गये।

बहुत शरीफ आदमीको भी डाकू बनना पडा, अुसका अुदाहरण लीजिये। गांवमें वानियेके लडकेका विवाह था। रातको असका जलूस निकला। अुसमें आतिशबाजी छोड़ी गथी। अुससे अेक वारैयेके झोंपड़ेको आग लग

\* वारैयोंके लिये तिरस्कारसूचक शब्द।



गरी और सब कुछ जल गया। शादीके अत्साहमें बनियेने कहा कि तुम्हारा झोंपड़ा मैं बनवा दूंगा, तुम कोअी चिन्ता न करगे और दावा करने न जाओ। यह बात बैसाख या जेठमें हुआ थी। वह वारैया रोज बनियेसे कहता, तुम मुझे लकड़ी और दूसरा सामान ला दो, मेहनत मैं कर लूंगा। बरसानसे पहले मेरा झोंपड़ा बन जाय, तो मेरा आसरा हो जाय। बनिया रोज वादे करता और आशाओं दिलाता। अन्तमें चौमासा सिर पर आ गया, तब तक बनियेने कुछ न किया। अउसने आडे-टेढे लक्कड़ जमाकर खाना बनान लायक जगह कर ली और बड़ी मुश्किलसे दिन बिता रहा था। अक दिन बड़ी गरजके साथ रातको खूब वर्षा हुआ, परन्तु छप्पर अच्छा नहीं था असिलिअे गनको सब कुछ भीग गया और छोटे बच्चोंने रो-पीटकर शोर मचाया। वारैया खूब व्याकुल हो गया। सुबह होते ही वह भीगे और चूने अडे कपडोंमे बनियेके पास गया और जरा व्याकुल स्वरमें बनियेमें कहने लगा, रोज वादे करने हो परन्तु मेरे घर चलकर मेरे बाल-बच्चोंका हाल तो देखो। बनियेने शगरतमे हसते-हसते कहा, यो कोअी झोपडे बना देता है? कह दिया होगा परन्तु तू भी पागल है जो अितने दिन बैठा रहा! बनियेके नगेपन पर अम वारैयेके रोम रोममें क्रोध व्याप्त हो गया। घर जाकर गडामा लेकर वह बाहर निकला। बनियेके घरसे बाहर निकलने पर मौका मिलते ही असे काट डाला। वहासे भागकर वह चोगी और डाकेजनी करने लगा।

श्री मेधाणीने सोरठके डाकुओंका जो वर्णन किया है, अमे देखते अडे यह खयाल होता है कि काठियावाडके डाकुओंके साथ खेडा जिलेके डाकुओंकी तलना हो सकती है या नहीं। आनवान, शराफत और शूरवीरतामें शायद काठियावाडके डाकू बढ़कर हो। अलवत्ता, जो किमी अचे अदृश्यसे डाकू बने हो, यह बात अन्हींके लिअे है। वैसे खेडा जिलेके डाकू भी अपने व्यवहारके कुछ नीति-नियम तो रखते ही थे। जिस समय डाकुओंका अुपद्रव अधिक हो रहा था, अुस समय भी अुनकी तरफमें किसी स्त्री पर अत्याचार होनेकी घटना नहीं हुआ। कोअी अकेली स्त्री जाती हो, तो अुसे भी वे नहीं लूटते थे। बाबर देवा तो किसी गावमें जाता, तो वहा पाठशालाके लडकोंको दूध पिलवाता, ब्राह्मणोंको भोजन कराता और कोअी ब्राह्मण गरीब होता तो अुसकी लडकीका व्याह भी करा देता। ये डाकू मानते थे कि अैसे कामसे अुन्हे पुण्य मित्रा। अुन्हे यह लाभ तो प्रत्यक्ष ही मिलता था कि वे अिन बातोंसे लोकप्रिय बनते थे।

आर्थिक और सामाजिक अन्यायके कारण डाकू बननेवालोंके अुदाहरण अुपर दिये गये है। परन्तु अैसे कारणोंसे जो डाकू बने हैं अुनकी संख्या

बहुत बड़ी नहीं है। डाकुओंकी फसल तैयार करनेवाला और अपराधोंकी संख्या बढ़ानेवाला बड़ा कारण तो ब्रिटिश सरकारका 'क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट'—अपराधी जातियों सम्बन्धी कानून था। खेड़ा जिलेकी तमाम ठाकुर जाति पर यह कानून लागू किया गया था। इस कानूनके अनुसार इस जातिके तमाम वयस्क मनुष्योंको—पुरुष और स्त्री दोनोंको—सुबह-शाम हाजिरी देनेके लिये मजबूर किया गया था। साथ ही किसी जगह अपराधकी एक घटना हो जाती, तो बहुतसे मनुष्यों पर नेकचलनीकी जमानतका मुकदमा दायर कर दिया जाता। वे बेचारे जमानत कहाँसे लाते? इसलिये बादमें अन्हें सजा देकर जेल भेज दिया जाता था। कोअी अपराध करनेकी वृत्तिवाला न हो तो भी वह अपराध करनेकी वृत्ति लेकर जेलके बाहर आता। हाजिरीके कष्टसे तंग आकर भी बहुतसे लोग भागते-फिरते और बादमें गुजर चलानेके लिये चोरी और लूटका धंधा अपना लेते। नये अधिकारी आते तो अन्हें सुधारनेकी कोशिश न करके अधिक सख्ती करने लगते और इससे और अधिक अपराधी पैदा होते।

अब हम असली विषय पर आयें। ता० १ दिसम्बरको बोरसदमें प्रान्तीय समितिकी बैठक हुआ, अउसे पहले सरकारका पक्ष गलत और अन्यायपूर्ण साबित करनेके लिये सरदारके पास काफी मसाला अिकट्टा हो गया था। पंडथाजी और रविशंकर महाराजने भी खूब मेहनत करके लोगोंसे विस्तृत बातें जानकर बटिया रिपोर्ट तैयार की थी। परन्तु बैठक शुरू होनेसे पहले सरदारने अउनकी रिपोर्ट पर बड़ी बारीकीसे जिरह की और अउसमें अउन दोनोंको अितना तंग किया कि रविशंकर महाराजको तो क्षण भरके लिये असा खयाल हो गया कि हमारी मेहनतकी कद्र करना तो दूर रहा, अउल्टे हम जो अितनी जानकारी ले आये हैं अउसे ये अविश्वासकी नजरसे देखते हैं। अउस दिन तक अउनका सरदारसे निकटका परिचय नहीं हुआ था। इसलिये मनमें गांठ बांध ली कि अैसे सख्त आदमीके साथ हम काम नहीं कर सकेंगे। परन्तु बादमें प्रान्तीय समितिकी बैठकमें सरदारने जो भाषण दिया, रिपोर्टकी जो प्रशंसा की और जो प्रस्ताव पेश किया, अउसे देखकर रविशंकर महाराज समझ गये कि हमसे जो सवाल पूछे थे, वं तो हमें अच्छी तरह कसकर अिनमीनान कर लेनेके लिये ही पूछे थे। घड़ी भर पहले जो सरदारके साथ काम न करनेकी मनमें गांठ बांध रहे थे, वे घड़ी भर बाद सरदारके परम भक्त बन गये। आज वे सरदारके सबसे अधिक विश्वस्त साथियोंमें प्रमुख पद पर हैं और गुजरातमें अउनके हाथ-पैर बने बैठे हैं; या बैठे क्या हैं, हाथ-पैर बनकर धूमते रहते हैं।

प्रान्तीय समितिकी बैठकमें निम्न लिखित प्रस्ताव पास किया गया :

“बम्बयी सरकारने २५ सितम्बर १९२३ के प्रस्ताव नं० ३८२८ द्वारा बोरसद तालुकेके ८८ गांवों और आणन्द तालुकेके १४ गांवों पर २४००७४ रुपयेका जुर्माना लगाकर जो दण्ड-पुलिस रखी है, अुसके सम्बन्धमें अिस समिति द्वारा नियुक्त कमेटीकी रिपोर्ट पढ़कर और साथ ही अुसकी बानें सुनकर यह समिति निश्चय करती है कि सरकार जनताकी डाकुओंसे रक्षा करनेमें बिलकुल असमर्थ साबित हुयी है। लोगोकी रक्षा करना और अिसके लिये पुलिसका आवश्यक बन्दोबस्त रखना सरकारका फर्ज है। यह फर्ज अदा करनेके बजाय निर्दोष जनता पर झूठे अिलजाम लगाकर जो जुर्माना किया गया है, वह बिलकुल अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। अिसलिये यह समिति लोगोको अिस अन्यायके विरुद्ध लडाओ लड़ने, यह जुर्माना न देने और अँसा करते हुअे जो दुःख अुठाने पड़ें अुन्हें शान्तिसे सहन करके अपने स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी सलाह देती है।”

दूसरे दिन सारे बोरसद तालुकेकी परिषद हुयी। अिसकी तैयारीके लिये आठ ही दिन मिले थे, फिर भी लोगोकी जबरदस्त भीड थी। सारा मंडप खचा-खच भर गया था। जितने लोग मंडपके भीतर थे अुतने ही बाहर थे। जुर्माना किये गये हरअेक गांवसे प्रतिनिधि आये थे। सरदारने अपने भाषणमें समितिकी रिपोर्टकी विस्तृत बाने और खुदको मिले हुअे हालचाल बताते हुअे कहा :

“लोगों पर जुर्माना डाकुओंको मदद देनेके कारण किया गया है। परन्तु सरकारने डाकुओंकी मदद करके अुनके हाथोंमें बन्दूकें दी, अिसका क्या जुर्माना किया जाय? अुसे दंड देनेवाला तो अेक अीश्वर ही है। सरकारका पास पलट रहा होना चाहिये ; अुसका सूर्यास्त हो रहा होगा, नही तो अुसे अिस प्रकार हत्यारोसे दोस्ती न करनी पड़ती। यह तो ही नही सकता कि सरकार न जानती हो कि हथियार हाथमें आनेके बाद अुस आदमीने कितने खून किये और डाके डाले हैं। सरकारका अुद्देश्य अलीकी सहायतासे बाबरको पकड़ना होगा, परन्तु लोगोको कैसे पता चले कि सरकारका हेतु क्या है? सरकारको घोषणा करनी चाहिये कि अुसने भूल की है। अलीने जो जो अत्याचार गरीब लोगो पर किये हैं, अुनकी जिम्मेदारी सरकार पर ही है।”

जुर्मानेसे किसे मुक्त किया गया है सो बताते हुअे कहा :

“जिनका अपराधोंमें सबसे ज्यादा हाथ है, अधिकसे अधिक मदद है अुन्हें मुक्त किया गया है। सरकारी नौकरोका फर्ज अपराधियोको पकड़ना है। मगर वे जुर्मानेसे बरी हैं। पादरियोको मुक्त किया गया है। अुन्हें डाकुओंके

साथी कहा जाय, तो वे सरकारके विरुद्ध बन्दूक लेकर खड़े हो जायें। मगर अतने मातहत आसाओ डेढ़ोंकी हमारी जैसी ही स्थिति है। मुखी और चौकीदार डाकुओंके हाथोंसे बचे हुए हैं, अतने भी जुर्मानेसे मुक्त किया गया है। सच्ची बात यह है कि तमाम चौकीदार और हरअके पुलिस पटेल यह जानता है कि बाबर कहा रहता है, परन्तु उसे पकड़नेकी किसीकी हिम्मत नहीं होती। अत सबको मुक्त किया गया है, परन्तु धारासभामे जानेवालोंकी दशा हमारे जैसी ही है। वे भी डाकुओंके साथी हैं।”

बादमें यह समझाया कि जुर्माना न देनेमें क्या दृष्टि रखनी चाहिये :

“अतने छोटे खयालसे कि अठाओ रुपयेकी बचत हो जायगी, जुर्माना न देना हो तो अस लडाओमे पडनेमें कोओ सार नहीं है। अगर यह खयाल हो कि हम चोर-डाकुओंके साथी नहीं है और चक्रवर्ती सरकारको भी हमें असा कहनेका हक नहीं है तो ही लडाओ छोड़ो। फिर भले ही सरकार दो रुपयेके बदले दस रुपयेका माल ले जाय। डाकुओंके साथी कहलाकर सरकारको अठाओ रुपया देनेसे तो यह अच्छा है कि डाकु लूट ले जायें। हम ओमानदार और अज्जतदार आदमी है और डाकुओंके साथी नहीं है, असलिये जुर्माना नहीं देगे; फिर भी जैसे डाकु आकर ले जाते हैं वैसे ही चाहो तो तुम भी आकर ले जाओ, असा खयाल हो तो ही लडाओ छोड़ो।”

फिर अस बात पर जोर दिया कि सरकारके साथ लड़नेके लिये अहिंसा अनिवार्य है :

“लडाओके दिनोंमें सरकारके आदमी और तुम्हारे विरोधी तुम्हें बहकाकर फसाद करानेका प्रयत्न करेगे। तुम दंगा-फसाद बिलकुल न करना। यह महात्माजीके तरीकेकी लडाओ है। असमे गंडासो और लाठियोंका काम नहीं। असमें हमारी रीढका ही काम है। अस पर सरकारको जितनी पिटाओ करनी हो, कर ले। तुम गालिया दोगे या लाठी चलाओगे, तो असके पास बहुत अधिकार है। डाकुओंको वह नहीं पकड़ सकती, परन्तु तुम्हें तो तुरन्त पकड़ लेगी। बडप्पन किसीको गाली देने या मारनेमें नहीं है। धर्मकी खातिर दुःख सहनेमें ही बडप्पन है।”

लडाओकी तमाम शर्तों और जोखमोको समझानेके बाद, ये सब बातें मंजूर करके लोगोंने सर्व सम्मतिसे कर न देनेका अपना निश्चय यह प्रस्ताव पास करके घोषित किया कि तालुकेकी समस्त निर्दोष जनता पर झूठे अलजाम लगाकर जो जुर्माना किया गया है, वह बिलकुल अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। अस अन्यायके विरुद्ध लड़नेके लिये यह परिषद लोगोंको जुर्माना न देने

और असा करनेमें जो दुःख अुठाने पड़ें अुन्हें शान्तिसे सहन करके अपना स्वाभिमान कायम रखनेकी सलाह देती है।

सरदारने फौरन लड़ाीके लिअे सैनिकोंकी अपील करते हुअे कहा कि जनता पर आभी हुआी अिस आफतके समय अुसके साथ कधेसे कथा मिलाकर खड़े रहकर अुसकी सेवा करनेका मौका गुजरातके नौजवानोंको मिला है। नागपुर तक सहायताके लिअे दौडकर जानेवाले गुजरातके युवक अपने ही प्रान्तके पीडित भाअियोंको निस्सहाय नही रख सकने।

अधिकाश स्वयंसेवक तालुकेसे ही मिल गये और लडाीका व्यूह रच लिया गया। स्वयंसेवकोंके दल बना दिये गये और हरअेक दलको कुछ गावोंके जत्थे बाट दिये गये। सारी लडाीकी बात समझानेके लिअे और लोगोंको क्या क्या करना है, कैसे सावधान रहना है, आपसके झगडे-टटे कुछ हों तो अुन्हें भूलकर अेक होकर गावकी रक्षा करनी है, और ये सब वाते पूरी तरह शान्ति रखकर करनी हैं, अिसकी पत्रिकाअें तालुकेके मुख्य केन्द्र बोरसदसे निकाली जाती थीं। पहली पत्रिका सरदार और दरबार गोपालदासभाअीके संयुक्त हस्ताक्षरोंसे निकाली गयी थी और बादकी पत्रिकाअें दरबारसाहब या पंड्याजीके नामसे निकलती थी। पहली पत्रिकामें लोगोंको शान्ति और खामोशी रखकर दुःख सहन करनेका सरदारने अच्छी तरह प्रोत्साहन दिया :

“ली हुआी प्रतिज्ञाका अच्छी तरह पालन करके तुम अपने स्वाभिमानकी रक्षा करो। सरकार अपने स्वभावके अनुसार तुम पर क्रोध करेगी, कुकियोंका जुल्म करेगी, मवेशी ले जायगी, अढाअी रुपयेके लिअे पच्चीस रुपयेकी कीमतकी चीजें कुर्क कर ले जायगी। यह सब कुछ तुम शान्ति और सब्रके साथ बरदाश्त करना, परन्तु सरकारके आदमियोंको अपने हाथसे अेक पाअी भी न देना और किसी भी तरहका फसाद न करना। सरकार असत्य और अनीतिके मार्ग पर अग्रसर है। तुम्हारे पक्षमें सत्य है। अुसके साथ तुम अहिंसाका पालन करोगे तो जरूर तुम्हारी जीत होगी। सत्य और अहिंसाका पालन करनेवाला कभी हारता ही नही। अीश्वर तुम्हें शान्तिसे दुःख सहन करनेकी शक्ति दे।”

मोहनलाल पंड्या जवान स्वयंसेवककी तरह घोडे पर बैठकर सारे तालुकेमें घूम आये और यह देख आये कि सब केन्द्रोंमें स्वयंसेवक अच्छी तरह लगा दिये गये हैं या नही। अिनका मुख्य काम घोडे पर बैठकर सारे तालुकेमें दौरा करना था। रविशंकर महाराजको नदीतटके १८ गाव, जिनमें सिर्फ पाटणवाडिया और बारैया कौमोंकी ही बस्ती है, सौपे गये थे। वे रोज जल्दी तड़केसे शुरू करके रात तकमें अठारह गांवोंका चक्कर लगा लेते और सब

गांवोंमें 'आलबेल' (सब सलामत है) पुकार आते। मूल बोरसद मिलीजुली बस्तीवाला बड़ा गांव था। वहां तहसीलदार मुंसिफकी कचहरी थी, तालुकेके पुलिस अफसर भी वहीं रहते और अफसरोंके साथ अुठने-बैठनेवाले लोगोंकी संख्या भी गांवमें खासी थी। असलिये कार्यकर्ताओंके मनमें सन्देह रहता था कि वह कैसा जवाब देगा। सरदारने तालुका परिषदसे पहली रातको बोरसद गांवके निवासियोंकी सभा करके अुन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि :

“अिस लड़ाओकी गंभीरता पर विचार करना। अगर आपसमें लड़ना हो, तो पहलेसे ही लड़ाओका विचार छोड़ देना। बोरसदके सिर पर बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा तुम करोगे वैसा दूसरे गांववाले करेंगे। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे, तो और सबकी खराबी होगी। . . . दो-तीन रुपयेकी कोओ बड़ी बिसात नहीं है। हम कोओ भिखारी नहीं हैं कि दो-तीन रुपया न फेंक सकें। परन्तु सरकार तो डाकुओंके साथी बताकर हमसे लेना चाहती है। सरकार अपनी गरीबी मंजूर करे और यह घोषणा कर दे कि अुसकी सत्ता खत्म हो गयी है, तो हम अपना बन्दोबस्त आप कर लेनेको तैयार हैं।”

अिसके जवाबमें बोरसद निवासियोने कहा कि हम भी लड़नेके लिये दृढ़ हैं। और तदनुसार अुन्होंने अच्छी दृढ़ता प्रकट की। लोगोंने जातिवार अिकट्टे होकर प्रस्ताव पास किये कि कोओ जुर्माना न दे और जो कुर्कीका माल नीलाममें ले, अुससे पचास रुपया जुर्माना लिया जाय। पचरंगी बस्तीवाले दूसरे बड़े गांवोंने भी अिसी तरहके प्रस्ताव पास किये।

अिसके विपरीत सरकारने भी तालुकेमें अपनी सारी शक्ति जमा करके कुर्कियोंके हमले शुरू कर दिये। तहसीलदारकी कचहरीका दूसरा सब काम स्थगित करके तमाम कारकुनोंको कुर्किके काममें लगा दिया गया। लोगोंको डरानेकी दृष्टिसे अतिरिक्त पुलिसका भी बन्दूकोंके साथ अुपयोग किया जाने लगा। यह कहा गया था कि यह पुलिस लोगोंकी रक्षाके लिये रखी गयी है। अुसका अुपयोग सरकारके अन्यायपूर्ण हुक्मकी तामीलके लिये और कुर्किके कारकुनोंकी रक्षाके लिये किया गया, यद्यपि कुर्किके कारकुनोंकी रक्षाकी कोओ जरूरत नहीं थी। लोगोंने अिस लड़ाओके लिये तो अहिंसाकी प्रतिज्ञा ली ही थी।

कुर्कियोंके समाचार देहातसे प्रधान कार्यालयमें आने लगे। अुनमें से छंटकर थोड़ेसे अुदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

१. अेक लुहाणा सज्जनको रुपये ४-१४-० जमा कराने थे। अुसके यहांसे पेटलाद मिलका सौ रुपयेका शेयर कुर्क कर लिया गया।

२. रासमें अेक पाटीदारको रुपये ७-५-० चुकाने थे, जिसके लिये पन्द्रह दिन पहले ही ब्याजी हुआ डेढ़ सौ रुपयेकी कीमतकी भंस सौ रुपये कीमत मानकर ले ली गयी ।

३. दाबोलमें अेक पाटीदारकी भंस खोलकर ले जाने लगे, परन्तु भंस मारकनी थी अिसलिये न ले जा सके ।

४. दाबोलमें तहसीलदार, जो मुसलमान है, घरमें घुसकर अन्दरसे घी और तेलकी बरनियां खुद बाहर निकाल लाये । मुखी और चौकीदार वगैराने निश्चय किया है कि किसीके घरमें घुसकर कोअी चीज हम खुद न लेंगे ।

५. नापामें कुर्की कारकूनने मुखीसे अेक घरमें जाकर बरतन लानेको कहा । मुखीने कह दिया कि मेरा काम घर बतानेके लिये आपके साथ घूमना है । बरतन निकालनेके लिये घरमें घुसना हमारा फर्ज नहीं है ।

६. अुसी गावमें दो घरसे दुधारू भंसें पाड़ियोको घर छोड़कर कुर्क कर ली गयी ।

७. अलारसा गांवमें तहसीलदारने कुर्कीमें कोठियोसे अनाज निकाल कर ले लिया । अेक पाटीदारकी कोठीमें से अनाज निकालते वक्त कड़ोंकी दो जोड़ियां ९९ रुपयेकी निकली जो सात रुपये पांच आनेके करके बदलेमें कुर्क कर ली गयी । ठाकरडोंको बुलाकर तहसीलदारने कहा : 'तुममें यह कर चुकानेकी ताकत न हो तो चोरी करो, किसीके यहांसे व्याज पर लाओ या लूटकर लाओ ! कुछ भी करो परन्तु हमारा कर चुकाये बिना छुटकारा नहीं है । तुम्हारी जमीनें और घर नीलाम होंगे और तुम गरीब लोग बरबाद हो जाओगे । अिसलिये कर चुका दो ।' ठाकरडोंने तहसीलदारकी सीख नहीं मानी ।

८. वीरसद गावमें चौकीदारोंने घरमें घुसनेसे अिनकार कर दिया । सर्कल अिन्स्पेक्टर खुद माल निकालने घरमें घुसे । दिनभरमें सात कुर्कियां हो सकीं । पचायतनामे या रसीदकी कोअी कारंवाअी नहीं होती ।

९. देवाणके ठाकुरने स्वयंसेवकोंको सूचना दी कि तुम्हारे यहां आनेकी जरूरत नहीं । मैं अेक पैसा भी देने नहीं दूंगा । मैंने तो कलेक्टरको लिख दिया है कि अपने गांवकी रक्षा मैं करता हूं । आपकी पुलिसकी मुझे जरूरत नहीं और मेरी प्रजा अेक पैसा भी नहीं चुकायेगी ।

१०. अेक पेंशनरने कर अदा करना नापसन्द करके कुर्की करानेका आनन्द अुठाया ।

• ११. बोदालमें तहसीलदार पधारे। मुखी खेतमें थे। अन्होंने मुखीको बुलवाने आदमी भेजा। अिसके जवाबमें मुखीने कहलवा भेजा कि अपना काम पूरा करके आता हूं। तब तक चौपालमें बैठिये। तहसीलदार मुखी और चौकीदारोके निश्चयको जानते थे। अन्होंने चौकीदारसे कहा कि तुम्हें कुर्कियोंका माल अुठाना पड़ेगा, कुर्कियां करने घरोंमें घुसना पड़ेगा, सरकारी नौकरोंका पानी भरना पड़ेगा और लकड़ी तथा आवश्यक वस्तुअें लाकर देनी होंगी। चौकीदारोंने कह दिया कि हम अिस समय अिनमें से कोअी काम नही करेगे। आपको हमें नौकरीसे निकाल देना हो तो हम खुश हैं। अैसा अन्यायपूर्ण कर वसूल करनेका हुक्म हम नहीं मानेंगे। अितनेमें मुखी आ गये।

तहसीलदार - गांवका क्या हाल है ?

मुखी - गांव दूढ़ है। हैड़िया कर चुकानेसे अिनकार करता है।

तह० - हम कबसे आये है, फिर भी तुम्हें कुछ परवाह ही नही, क्यों ?

मुखी - नहीं साहब, मेरे लिअे तो कलेक्टर साहब और आप सब अफसर सरीखे ही है।

तह० - चलो, हमारे साथ कुर्कियां करने चल रहे हो न ?

मुखी - नही साहब, मैं सरकारी लगान सम्बन्धी कुर्की या जंगलकी लकड़ियोंका नीलाम करना हो तो कर सकता हूं। अैसे अन्यायपूर्ण करकी कुर्कियां मैं नहीं कर सकता। अपने भाअियोंके गले पर छुरी नही चला सकूंगा।

तह० - किसी भी गांवके मुखी गांववालोंसे नहीं डरते। तुम क्यों डरते हो ?

मुखी - हमारे गांवमें अेक बापकी औलाद है। मेरा गांवके साथ पीढ़ियोका व्यवहार है। हमारे भाअियोंसे सरकार बड़ी नही है।

तह० - तुमसे न हो सके तो अिस्तीफा दे दो।

मुखी - अपनी पांच-सात पीढ़ियोंमें हमने अैसा कर नहीं देखा। अैसा कर वसूल करने मैं नहीं आ सकता।

तह० - तो तुम्हें मुअत्तिल किया जाता है।

शामको गांववालोंने अिकट्रे होकर निश्चय किया कि मुखी और चौकीदारोंकी जगह गांवमें से कोअी न ले।

१२. सुणाव गांवमें सर्कल अिन्स्पेक्टर पटवारी पटेल, और चौकीदारोंको लेकर कुर्कियां करने निकले। अेक घरके सामने गये तो वहां पुरुष लोग मौजूद नहीं थे। स्त्रियोंसे पूछने पर जवाब मिला कि 'यह



रहा घर, हाथमें आवे सो ले जाओ।' सर्कल अिन्सपेक्टरने चौकीदारोंसे बरतन लानेको कहा। अुन्होंने साफ अिनकार कर दिया। सर्कल अिन्सपेक्टरने कहा 'अिस तरह कितने घरोंमें बरतन लाने नही घुसोगे?' चौकीदारोंने साहसके साथ कहा : 'किसीके घरमें नही घुसंगे।' सर्कलने पूछा : 'मे ला द तो चौपालमे ले जाओगे?' अिससे भी अुन्होंने अिनकार कर दिया। सर्कलने कहा : 'मारे तालुकेमें किसी गावके चौकीदार अिस हद तक नही पहुचे। लोगोंके घरोंमें चाहे न घुसे, पर बाहर माल ला दिया जाय तो ले तो जाते ही हैं। तालुकेमें अैसी पहल तुम्ही कर रहे हो, अिसका तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा।' चौकीदारोंने अुत्तर दिया : 'हम नौकरी छोड़ देंगे। साहूकार लोग रुपयेके लालचसे कुछ भी करें। हमें अुससे क्या? हमें तो यहा या और कही नौकरी ही करनी है न? हम तो डरेंगे भी नही और डिगेंगे भी नही।' फिर मुखीसे घरमें घुमनेको कहा तो अुसने जवाब दिया : 'मे गावका मालिक हूं। मुझे अिज्जत प्यारी है। लोगोके घरमें से बरतन निकालने और ले जानेका काम मेरा नही है।' सर्कलने मुखी और चौकीदारोसे लिखित अुत्तर लिया। फिर मजदूरोकी तलाश की, परन्तु कोअी मिला नही तो चौपालमें लौट आये।

कुर्कियोका काम शुरू होने पर थोड़े ही दिनामें लोगोने अेक नअी चाल ली। गावके बाहर पेड़ पर बडा नगाडा लेकर स्वयंसेवक बैठ जाते और कुर्कियालोंको आते देखते ही बजाने लगते, जिसे सुनकर लोग घर बन्द करके वेशियोंको लेकर खेतोंमें चले जाते। घरमें स्त्रियां रहती तो भी दरवाजे र ताला लगा होता। गावके लड़के गावमें गाते-गाते घूमते 'नहि देनारे नहि देना, अन्यायी कर तो नही देना।' बोरसद जैसे बड़े गांवोंमें तो जब तक लड़ाअी ली तब तक तमाम घरोंके ताले बन्द रहते और रातको सब काम होता। गह-जगह किटसनके लैम्प और स्वयंसेवकोके पहरे लगा दिये जाते। बाजार की रातको खुलता और बहनें पानी भरने भी रातको जाती।

अिस प्रकार कुर्कियोमें कोअी सफलता नही मिली, तो तहसीलदारने कुछ गांवोंमें कर नहीं चुकानेवालोंकी जमीनें जब्त करनेके नोटिस जारी किये। अरदारने अपने और दरबार साहबके नामसे तुरन्त पत्रिका निकाली। अुसमें बताया कि :

"अेक खास मियादके भीतर कर अदा न किया गया, तो खातेदारोंकी जमीनें जब्त करनेके तहसीलदारने नोटिस जारी किये हैं। हम नहीं मानते कि तहसीलदारके अिस कामका सरकारको पता होगा। जब दो-चार रुपयेका जुर्माना वसूल करनेके लिअे जमीनें जब्त होने लगेंगी, तब

डाकुओंकी और इस राज्यकी नीतिमें कोअी फर्क नहीं रह जायगा। बाबर देवाकी टोली जान लेनेकी धमकी देकर लोगोंसे रुपया अँठती है। सरकारके कर्मचारी यह अत्याचार और अन्यायपूर्ण कर वसूल करनेके लिये वह जमीन, जिस पर लोगोंके प्राण टिके हुअे हैं, छीन लेनेकी धमकी देती है। ... हम यह मानते हैं कि तहसीलदार साहब तुम्हें जो धमकी दे रहे हैं, उसका कलेक्टर साहबको पता ही न होगा। इस जुर्मानेके लिये जमीन जब्त हो ही नहीं सकती। फिर भी अगर सरकार इस निश्चय पर पहुँचे कि अँसे जुर्मानेके लिये भी किसानोंकी जमीन जब्त हो सकती है, तो हमें सरकारकी अँसी कार्रवाअीका स्वागत करना चाहिये। सरकार ज्यों-ज्यों अधिक जुल्म करेगी, त्यों-त्यों वह जल्दी कमजोर होती जायगी। क्रोध करनेके अनेक कारण मिलने पर भी जिस शान्तिसे लोगोंने कुर्कियोंका काम होने दिया है, उसके लिये हम अुन्हें मुबारकवाद देते हैं।”

अेक दिन पुलिस सुपरिन्डेँट, असिस्टेँट सुपरिन्डेँट और पुलिस इन्स्पेक्टर वगैरा पुलिस अफसर दो मोटरें लेकर दाबोल गाँवमें गये। अुनके साथ हुआ गाँववालोंका संवाद लोगोंकी दृढ़ता बताता है :

स० - तुम कुछ अर्ज करना चाहते हो ?

ज० - जी नहीं। हमें आपसे कोअी शिकायत नहीं करनी है।

स० - क्यों ? तुम्हारे गाँवमें अभी शान्ति तो है न ?

ज० - जी हाँ।

स० - तुम्हारे गाँवसे पुलिसका कर वसूल हुआ या नहीं ?

ज० - तहसीलदार साहब यहां आये थे। अुन्होंने गाँवमें कुर्कियां करके बरतन और अनाजके थैले लेकर चौपालमें डाल दिये है।

स० - अितनी कुर्कियां होने पर भी तुम कर क्यों नहीं चुका देते ?

ज० - यह अन्यायपूर्ण कर देनेको हम तैयार नहीं।

स० - यह कर नहीं चुकाओगे, तो हम पुलिसको अुठा लेंगे।

ज० - सरकारको जैसा ठीक लगे वैसा करे। अुसे मुल्कमें बन्दोबस्त रखना है, तो अेक पुलिससे रखे या सौ पुलिससे।

स० - तुम्हें शान्ति चाहिये या नहीं ?

ज० - आपको और हमें दोनोंको शान्तिकी जरूरत है। शान्तिमें दोनोंको सुख है।

स० - परन्तु करका रुपया अदा नहीं करोगे, तो तुम्हें शान्ति कैसे मिलेगी ? गाड़ीमें जितना रुपया खर्च करते हैं, वैसी ही बैठनेकी

जगह मिलती है। अँसी ही बात रक्षाकी समझ लो। तुम अगर रुपया अदा नहीं करोगे, तो तुम्हारी रक्षा भी वैसी ही होगी।

यह लड़ाही कुल पांच हफ्ते चली। इसमें भी अन्तिम भागमें तो अितनी कड़ी और कड़वी लड़ाहीको भी आंखमिचौनीके खेलकी तरह आसान और मजेदार बना दिया गया था। तालुकेमें कुर्कीके कामके लिअे जमा किये गये मुल्की और पुलिस कर्मचारियोंकी टोलियों पर लोगोंकी खुशमिजाजीका असर होने लगा था और वे द्वेष भूलने लगे थे। लोगोंकी सावधानी और समयसूचकतासे वे थक जरूर गये थे, परन्तु उनसे निपटनेके अुपाय करनेमें अुन्हें भी ममत्व हो गया था और अुसमें हारते तब भी अुन्हें मजा आता था। बड़े-बड़े अफसर लुक-छिपकर किसी गांव पर छापा मारने निकल पड़ते। अुनके गांवमें पहुंचनेसे पहले ही सत्याग्रही सेनाके दूतोंको खबर पहुंच जाती। वे अफसर दूरमे आते दिखायी देते कि फौरन पेड़ पर ढोल बजने लगता और अुनके गांवमें पहुंचते ही ढोल बजना बन्द हो जाता और सारे गांवके दरवाजे भी झटपट बन्द हो जाते। वे अपना-सा मुह लिये गांवमें घूमते और थककर लोगोंके घरोंके चबूतरे पर बैठ जाते। कभी-कभी सरकारी आदमी लोगोंको भुलावेमे डालनेके लिअे स्वयंसेवकोंका वेष धारण करके सफेद खादीके कुरते और सफेद टोपी पहनकर लोगोंके घर जाते। लोग बेचारे भुलावेमें आकर स्वागत करते। अितनेमें असली स्वयंसेवक आ पहुंचते और लोगोंको सचेत करते। अुनकी कलअी तो खुल जाती, परन्तु घरमें घुस चुके होते असलिअे कुर्की करने लग जाते। परन्तु कुर्कीमें मिलता क्या? घरमें चीजें अस तरह ठिकाने लगा दी जातीं कि अुन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बहुतसे लोगोंने तो तांबे-पीतलके बरतन ठिकाने लगाकर मिट्टीके घड़ोंसे पानी भरना शुरू कर दिया था और मिट्टीकी हांडियोंमें खाना बनाते थे। कहीं-कहीं अँसा हो जाता था कि किसी कारणसे दरवाजा खोलते ही तुरन्त कुर्की कर्मचारी अन्दर घुसने लगता। परन्तु घरकी बहादुर स्त्री फटाकसे दरवाजा बन्द करती, तो अुस आदमीका अेक पैर अन्दर और अेक बाहर रह जाता और दरवाजे पर धक्कमधक्का होनेकी नौबत आ जाती। इसमें कभी कुर्की कर्मचारीको सफलता मिल जाती, तो कभी पैर बाहर निकालनेमें भी अुसे बड़ा कष्ट होता था। कोअी किसान अपने खेतमें पैदा हुआ कपासकी गठरी सिर पर रखकर बेचने जाता हो, तो अुसे कुर्कीवाला रोक लेता और कहता: 'ले चलो गठरी थाने पर।' अितनेमें सफेद टोपीवाले स्वयंसेवक वहां आ पहुंचते। वे कहते कि चलो, सत्याग्रह छावनीमें। गठरी वहां रखो। वह किसान स्वाभाविक तौर पर

ही सत्याग्रह छावनीमें प्रसन्न होकर जाता। दूसरे दिन अुस पर चोरीका अिलजाम लगाया जाता। पुलिसमें डाकुओंको पकड़नेकी हिम्मत तो थी ही नहीं, फिर भी कुछ न कुछ कारगुजारी तो दिखानी ही पड़ती। असलिये खेतमें सोये हुअे किसी आदमीको पकड़ती और मारपीट करती। वैसे जबसे सत्याग्रह शुरू हुआ, तबसे तालुकेमें अपराध होने बन्द हो गये थे। और डाकू भी तालुकेमें होंगे, तो ठडे पड़ गये थे अथवा तालुकेसे बाहर चले गये थे। कचहरियोंमें मक्की मारते रहनेकी नौबत आ गयी थी, असलिये केवल मुकदमे चलानेका दिखावा करनेके लिये किसीको चौपालके पास पेशाब करनेके कारण १५ रुपया जुर्माना किया जाता था या किसी सभ्य आदमीके शरीर परसे असभ्य तरीके पर बटन अुतारनेसे तहसीलदारको रोकने पर अुस सज्जन पर मामला चलाया जाता था। अस तरह सताये जानेमें भी लोग मजा लेते और ये सारी मजेदार बातें अेक गांवसे दूसरे गांव फैलती।

अब तक बम्बयी सरकार असमें नहीं पडी थी। परन्तु लडाओ आगे बढी तो अपने लगाये हुअे करके समर्थनमें अुसने अपने प्रकाशन-विभागके अुच्चाधिकारियोंकी तरफसे अेक बयान प्रकाशित कराया। अुसमें सत्याग्रही कहे जानेवालोंमें से किसीके अनुचित और गैरकानूनी ढंगसे सरकारके खानगी पत्रव्यवहार हस्तगत करने, लोगोंमें पुलिसको मदद देनेकी वृत्ति ही न होने, और डाकुओंको छिपाने और संरक्षण देनेके बारेमें लोगों पर आक्षेप किये गये थे। साथ ही अुसके समर्थनमें पुलिस सुपरिन्टेंडेंटकी ७७ पैरोकी अेक लम्बी रिपोर्ट जोड़ दी गयी थी। अस बयानका सरदारने ता० २३ दिसम्बरको बड़ा सख्त जवाब दिया। अुन्होंने कहा कि :

“वह पत्रव्यवहार कितना ही ‘गुप्त’ होगा, परन्तु अस मामलेमें बहुत महत्वका है। प्रकाशन-विभागके अुच्चाधिकारीने सरकार और लोगोंके सामने पत्रव्यवहारका बड़ा पुलिदा फेंककर अिम मामले पर प्रकाश डालनेका जो प्रयत्न किया है, अुसकी अपेक्षा हम जिस पत्रव्यवहारकी बात कर रहे हैं, वह अस मामले पर अधिक रोशनी डालता है। अस पत्रव्यवहारमें सरकारी अधिकारियोंने खुद ही सरकारकी जो पोल मंजूर की है, अुसे अगर हम प्रगट न करें तो हम अपने कर्तव्यसे चूकते हैं। फिर भी हम तो सरकारने स्वयं ही अस बयानमें जो कागजात प्रकाशित किये हैं, अुनसे भी अैसा साबित कर सकते हैं जिससे सरकारका सारा केस खतम हो जाय।”

बादमें पुलिस सुपरिन्टेंडेंटकी सारे जिलेकी रिपोर्टसे बोरसद तालुकेमें ही हुअे अैसे मामले चुनकर निकाले गये कि जिनमें लोगोंने पुलिसको मदद

देनेकी कोशिश की थी, अुसके ललअे जान जोखममें डाली थी और प्राण भी गंवाये थे। वे पुललस सुपरलरलटेंडेंटकके शब्दोंमें ही नीचे दलये गये हैं :

१. पेड़से कीलें ठोककर और गोललयोंसे छेदकर ललस बेचारेको मार डाला गया है, वह खबर देनेवाला था।

२. मारनेवालेके कलसी कुटुम्बीने पुललसकी सहायता की थी, अुसीके फलस्वरूप यह हत्या हुअी थी।

३. अेक मुसलमानने डाकूके खललाफ शहादत दी थी। अुस पर हमला करके अुसकी नाक काटकर छोड़ दलया गया था।

४. बकोर पुललसके साथ मलल गया है, यह शक हो जाने पर बाबरने अुसे मार डाला।

५. बेड़वा गांवके लोगोंने डाकुओंका सामना करनेका साहस कलया, परन्तु अुन्होंने गोली चलाकर दो आदमलयोंको मार डाला।

६. अेक पाटीदारने डाकुओंका मुकाबला करनेकी हलमत की, परन्तु अुसे छुरा भोंककर मार डाला गया।

७. बाबर देवाने बंजेडामें अेक खबर देनेवालेकी हत्या कर डाली।

७. डाकुओंने हथलयारोंके साथ चार गावों पर छापा मारा परन्तु वे ललखर गये। (लोगोंने सामना कलया हुुगा तभी तो ललखरे होंगे न? भलमनसाहतसे तो हरगलज नही ललखरे होंगे? )

९. अेक दर्जीने डाकुओका सामना कलया, ललसके फलस्वरूप अुसे कअी घाव लगे। ।

१०. पुललसको खबर देनेवालेसे बाबरने बदला ललया और अुसे नलरदयतापूर्वक घायल कलया।

११. अेक कुम्हारकी छातीमें क्रूर आघात कलया। (अलबत्ता अलस कारण तो हरगलज नही कल अुसके पास रुपया था। या तो वह खबर देनेवाला हुुगा, या अुसने सामना करनेका साहस कलया हुुगा। )

१२. खबर देनेकी शंका होनेसे अुन्हें मार डाला।

१३. सुणावके लोग बाहर नलकले और अुन्होंने बाबर देवाका पीछा कलया।

१४. तीन कुंजडों पर हमला करके अुन्हें गोलीसे मार दलया। (अलबत्ता अुन लोगोंकी ललजोरलयां भरी होनेके कारण अैसा हरगलज नही हुुआ। अुन पर खबर देनेका सन्देह हुुआ हुुगा, अलसीललअे। )

पुलिस सुपरिन्टेंडेंटकी दण्ड-पुलिस बैठानेकी जरूरत साबित करनेके लिये तैयार की हुयी रिपोर्टमें लोगोंके सामना करने और जान जोखममें डालकर खबर देनेके अितने अुदाहरण होने पर भी अुत्तरी विभागके कमिश्नर साहबने दण्ड-पुलिस बैठानेके पक्षमें राय देते हुअे यह कहनेकी धृष्टता की थी कि 'आम लोगोंमें खबर देने या पुलिसकी मदद करनेकी वृत्ति यहां अितनी कम है कि अुसकी हद नहीं।' अगर अूपर लिखी सच्ची बातें लोगोंकी 'साहस-हीनता' और 'मदद देनेकी अिच्छा न होने' का सबूत हो, तो अिन सरकारी कर्मचारियोंका शब्दकोष कोअी अलग ही होना चाहिये।

सरदारने सरकारी रिपोर्टकी कुछ और त्रुटियोंकी ओर भी ध्यान दिलाया। रिपोर्टमें बताये गये मामलोंके सिवाय बहुतसे मामले अैसे थे, जिनमें लोगोंने डाकुओंके विरुद्ध बहादुरी दिखाअी थी और अुनकी खबर दी थी। साथ ही खबर मिलने पर भी पुलिसने अुन खबरोंका कोअी अुपयोग नहीं किया था, अैसे मामले तो स्वाभाविक रूपमें ही रिपोर्टमें दर्ज नहीं किये गये थे। पिछले अक्तूबर मासमें प्रकाशन-विभागके अुच्चाधिकारीने 'टाअिम्स ऑफ अिडिया' के विशेष संवाददाताकी हैसियतसे जिन मामलोंका अुल्लेख किया था, वे भी अिस रिपोर्टमें दर्ज नहीं किये गये थे। 'बाबर अुसकी खबर देनेवालोंसे बदला लिये बिना नहीं छोड़ता', तथा 'पुलिसको खबर देनेवालों पर अुसका गुस्सा अितना बड़ गया बताते हैं कि वह अपने नजदीकी रिश्तेदारोंको भी नहीं छोड़ता,' अैसा होने पर भी लोगोंने तो खबर देनेका साहस किया था।

सरकारी बयान आगे चलकर कहता है कि 'सवाल सिर्फ अितना ही है कि अतिरिक्त पुलिसका खर्च सारे प्रदेशके करदाताओं पर पड़ने दिया जाय या जिस फसादी भागके लोगोंने यह पुलिस रखनेकी जरूरत पैदा की है अुन्हें अुठाना चाहिये?' अिसके अुत्तरमें सरदार कहते हैं कि सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि लोगोंकी दाद-फरियाद सुने बिना अुन्हें दंड दिया जाय या नहीं? तालुकेके शान्तिप्रिय लोगोंकी अिज्जत पर अिस तरह कलंक लगाया जाय या नहीं? डाकुओंकी बारम्बार हुअी जीतसे जिलेके कानून माननेवाले दबे हुअे लोगोंको अिस तरह सजा दी जाय या नहीं?

सरकारी बयानके और अधिक सख्त धुरें तो सरदार अब अुड़ाते हैं : बयानमें यह आपत्ति अुठाअी गअी है कि सरकारके विरुद्ध पड़नेवाले कुछ कागजातकी बातें प्रकाशित करनेका हमें हक न था। परन्तु हमने अुस पर जो गंभीर आरोप लगाये हैं, अुनके बारेमें तो अुसने चुप्पी ही साध ली है। अितने खबर देनेवालों पर गोलियां चलाअी गअीं अथवा अुनकी हत्यायें हुअीं, परन्तु

पुलिसका बाल तक बांका नहीं हुआ। इसका कुछ तो कारण होगा न? अितनी खबरें पुलिसको मिलने पर भी मुख्य डाकुओंको पुलिस अभी तक पकड़ क्यों न सकी? लोग तो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकारने खुद ही कभी हत्यायें करनेवाले डाकूके साथ मिलकर उसे हथियार और गोला-बारूद दिया और उसीने उसे डाके डालने और हत्यायें करनेके लिये आजाद रहने दिया।

अन्तमें सरदार लोगोंके दिलका सवाल पेश करते हैं कि जिलेमें या तालुकेमें जो अपराधी स्थिति फैली हुआ है, उसके लिये किसे जिम्मेदार माना जाय? वे इसका उत्तर देते हैं कि हमें तो जरा भी शक नहीं कि सरकार ही दोषी है। उसने जैसा बोया वैसा ही वह काट रही है। उसीने अक प्राणवान, अुद्यमी और खेती करनेवाली जाति पर 'अपराधी' होनेका कलंक लगाया और इस ढंगसे उसे गिराकर व रोजमर्रा अपमानित करके निराशाके अन्तिम किनारे पर पहुंचा दिया। अपराधी जातियों सम्बन्धी कानून (क्रिमिनल ट्राइब्स अक्ट) के अनुसार हाजिरी लेना और जाब्ता फौजदारीके अनुसार जमानत लेना इस सरकारके हाथमें सरल और सस्ते साधन हो गये हैं। कुछ अधिकारी अपने जरूरतसे ज्यादा अुत्साहमें इस कानूनका अमल दुरुपयोगकी हद तक करते हैं। अक अफसर बहुत बिगड़कर वीखलाहट करता है कि 'परिस्थितिका सामना करनेके लिये लम्बा विचार करके और सावधानीके साथ हिसाब लगाकर अुपाय सुझाये गये थे। बहुतसे जिला मजिस्ट्रेटोंने भी इस योजनाका प्रबल समर्थन किया था। फिर भी विविध कारणोंसे वह योजना मंजूर न हुआ। दूसरी तरफ धारालोंके अपराध तो जारी ही रहे, इसलिये यह प्रस्ताव बार बार करने पड़े।' अक अफसर मंजूर करता है कि अिन अपराधोंका कारण आर्थिक है। परन्तु साथ ही उसका खयाल है कि यह कारण आसानीसे दूर नहीं हो सकता। अक और अफसर यह भी कहता है कि हम काफी कड़े नही बनें, अत्यधिक नरमी दिखाते हैं। अपराधी जातियों सम्बन्धी कानूनके अनुसार ही हमारे बल और हमारे निश्चयका अुन्हें परिचय मिले, अैसे अुपाय करने चाहियें। सरदार कहते हैं कि ये सब अधिकारी गोते खा रहे हैं। हाजिरीके अुपायसे ही अपराध बढ़े हैं। रोगकी अपेक्षा अुपाय ज्यादा खराब किये जाते हैं और हाजिरीसे जो बाकी रह गया सो जमानतके मुकदमोंने पूरा कर दिया। अैसे जिलेकी कल्पना कीजिये जिसमें अक वर्षमें १८ सौ जमानतके केस हुअे हों। जरासा शक हुआ कि चला दो जमानतका मुकदमा। वह बेचारा क्या करे? अुसे यह खयाल होता है कि हमेशा पुलिसकी निगरानीमें रहनेसे तो जेल भुगत लेना बेहतर है।

लोगोंकी गरीबीका अिलाज करनेसे सरकारने अनिकार कर दिया" और अिस जातिका नैतिक सुधार करनेकी तो अुसमे ताकत थी ही नही। अिसलिअे सरकार अपराधियों सम्बन्धी कानून और जमानतकी दफाओंकी चहारदीवारीमें फंस गयी। दण्ड-पुलिस रखना अुसके लिअे अपने संस्कारोंके अनुसार की हुअी अन्तिम कार्रवायी थी। अिस प्रकार अपने जवाबका अुपसहार करते हुअे सरदारने कहा कि :

"हमारा यह खयाल नहीं है कि हमें अिस अवसर पर अिस बारेमें अपने विचारोंकी चर्चा करनी चाहिये कि अिस प्रश्नका अुचित निपटारा किस तरह किया जाय। हम अितना ही कहेंगे कि कसे हुअे अनुभवी स्वयंसेवकोंको अिस कौमके बीच गांव-गांव बैठा देनेका हमारा छोटासा प्रयोग अच्छे परिणाम दिखा रहा है। वे सचायी, शान्ति और खादीका सन्देश घर-घर पहुंचा रहे हैं। सरकार अगर अिस प्रदेशसे हट जाय — और अिज्जतके साथ हट जाना ही अुसके लिअे अुचित है — तो हम लोगोंके बीचमें रहकर शान्ति और व्यवस्थाके पालनकी जिम्मेदारी बड़ी खुशीसे अुठा लेंगे।"

अुपरोक्त अुत्तर देनेके बाद सरदार कांग्रेसके अधिवेशनमें भाग लेनेके लिअे कोकोनाड़के लिअे रवाना हो गये। बम्बयीमें बोरसदकी लडाअीके बारेमें अुन्होंने सार्वजनिक भाषण दिया। सरकारी बयान और अुसके जवाबमें कही गयी सरकारके करतूतोंकी सारी कहानी सुनकर लोगोमें प्रकोप जागा। सरदारने साफ कह दिया कि :

"सरकारके गुप्त कागजात मैने हासिल किये हैं और अुनसे सरकारकी गन्दी चालोंका मैने भंडाफोड़ किया है। कानूनमें अिसे अपराध माना जाता हो, तो सरकार मुझ पर मुकदमा चलाये। मै मानता हूं कि मै अुससे निपट लूंगा। परन्तु सरकार मेरे अिस खुले आरोपका कि सरकारी अधिकारियोंने अेक डाकूको पकड़नेका सम्मान प्राप्त करनेके लिअे दूसरे डाकूका आश्रय लिया, अुसे बन्दूक और कारतूस दिये और अुसे डाके और हत्याओं करने दी, सरकार क्या जवाब देती है? अिस प्रकार सरकारने जो प्रजाद्रोह किया, अुसका मुकदमा सरकार पर कौन चलाये? डाकुओंकी साथी तो वह खुद है। फिर भी चोर कोतवालको दंड दे, वाली मसलके मुताबिक निर्दोष लोगोको डाकुओंका साथी बताकर अुनसे जुर्माना लेने चली है!"

यह भाषण बम्बयीके हरअेक अखबारमें बड़े-बड़े शीर्षकोंसे छापा गया। बम्बयीके गवर्नर सर लेस्ली विलसन बोरसदकी लडाअी छिड़नेके बाद नये



अपेक्षा रखे, तब तो यही माना जायगा कि सरकार अपने फर्जमें चूकती है। अितनेमें अक भाभीने श्री रामभाभीसे अजाजत लेकर बताया कि अस मामलेमें तालुकेसे सरकारको चार अजियां दी गयीं। कलेक्टर और कमिश्नरने यह बात मंजूर की।

फिर साहबने सूचित किया कि अतिरिक्त पुलिस द्वारा तालुकेमें शान्ति स्थापित हो गयी है, असलिये अब बहुत समय तक अतिरिक्त पुलिस नहीं रखनी पड़ेगी और सारा सवाल जल्दी ही निपट जायगा।

असके जवाबमें श्री रामभाभीने अतिरिक्त पुलिससे होनेवाले त्रास, परेशानी और लोगोंके डराने-धमकानेके काममें होनेवाले असके अपुयोगके अुदाहरण दिये। अस पर साहबने कहा कि अैसी बातोंकी लोगोंको अधिकाारियोंसे शिकायत करनी चाहिये। श्री रामभाभीने बताया कि शिकायत करनेका कोअी स्थान नहीं रहा। यह कहकर सामने बैठे हुअे डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिसको बताकर बोले : यह साहब दो दिन पहले ही नीसराया गांवके लोगोंको धमकी दे आये हैं कि कर चुका दो, नही तो डाकू झलुन्द गांवमें आये हैं अुन्हें तुम्हारे गांवमें भेज दूंगा। वे तुम्हें लूट लेंगे। अस पर अस पुलिस अफसरने अपना बचाव करना शुरू किया कि मैंने तो यह कहा था कि कर चुका दो। अगर तुम्हारे गांवसे अतिरिक्त पुलिस अठ जायगी, तो डाकू आकर तुम्हारा गांव लूट लेंगे। नीसरायाके अक आदमीने तुरन्त खड़े होकर कहा कि हमारे यहां पुलिसका थाना है ही नहीं। अस पर श्री रामभाभीने कहा कि तब तो शेष बात डाकूको भेजनेकी ही सच्ची ठहरती है।

अितनेमें अक जनने खड़े होकर कहा कि शिकायत किससे और क्या करें? हमारे आंकलाव गांवमें चार दिन पहले अिन तहसीलदार साहबका, जो सामने बैठे है, चौपालमें डेरा था। अक आदमीने अक जगह पेशाब कर दिया, जिस पर तहसीलदार साहबने पन्द्रह रुपये जुर्माना किया। और थोड़ी ही देर पहले असके पास अुनके घोड़ेने पेशाब किया था और पिछली रातको वे स्वयं अस जगह पर टट्टी फिरने बैठे थे! यह सुनकर सभी अफसर और सारी सभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दो ही जन न हंसे : वे पकड़े जानेवाले डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेंडेंट और जिनकी फजीहत हुअी थी वे तहसीलदार साहब ।

अफसरोंका अस तरह फजीता होते देखकर साहबने अस बातको छोड़ दिया और यह चर्चा छोड़ी कि डाकूओंको कैसे पकड़ा जाय? श्री रामभाभीने कहा कि अभी जैसा पुलिस-विभाग है, अससे तो डाकूओंके पकड़े जानेके

बजाय नये पैदा होनेका अन्देशा है। जब अली डाकू पहली बार गिरफ्तार हुआ, तब सरकारी प्रकाशन-विभागकी तरफसे यह घोषणा हुई थी कि अत्तरसंडाके जंगलमें से अली नामक डाकू पकड़ा गया है। हम तो सब जानते हैं कि अत्तरसंडामें जंगलका नामनिशान नहीं है। परन्तु अुस अलीके शागिर्द अेक पाटीदारने अपने गांवसे बाहरके अेक मकानसे अुसे धोखा देकर पकड़वा दिया था। और यह भी सबको मालूम है कि ये सामने बैठे अुसे थानेदार मगनलाल अुस अलिया डाकूके और साथ ही अत्तरसंडाके अुस पाटीदारके दिली दोस्त है। यह भी सबको मालूम है कि अत्तरसंडाके पाटीदारने अलीको पकड़वाया और पुलीससे मिलकर अुसे छुड़वाया। अिन तीनोंके घेरेमें थानेदार मगनलाल और डाकुओंका सम्बन्ध है, यह दीयेकी तरह स्पष्ट है। अिसके सिवाय थानेदार मगनलालकी कितनी ही पोलें यहां बैठे अुसे अिन डिप्टी कलेक्टर मि० गांधीके सामने अेक मुकदमेमें खुली थीं। अिसलिये यदि सच-सच जानना हो कि थानेदार मगनलाल कैसे आदमी है, तो पूछ लीजिये मि० गांधीसे। वे मगनलालके विरुद्ध सच्ची बातें कहनेको अपनी कुर्सीसे अुठ खड़े अुसे, परन्तु होममेम्बरको यह दृश्य अच्छा नहीं लगा। अुन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टरको जो कहना होगा सो मुझसे कहेंगे। आपको जो कहना हो सो कहिये। अिस पर श्री रामभाअीने कहा कि डिप्टी कलेक्टर साहब आपसे जो कुछ कहेंगे, वही सभाके तमाम आदमियोंको भी कहना है। आपके ही कर्मचारियोंने डाकू पैदा किये हों और वे अुन्हें पकड़ते न हों, तो अिसका जुर्माना हमसे कैसे मागा जा सकता है? अैसी सड़ी हुई पुलिसको हटा दें, तो डाकू लोग पुलिसके बिना भी ठिकाने लग सकते हैं। वे अिस तरहके पत्र अिस आन्दोलनके बाद सत्याग्रह छावनीको लिखने लगे हैं कि हम सुधरना चाहते हैं।

अिस प्रकार पुलिसके विरुद्ध बहुतसी हकीकतें बताअी गयीं। अिसके बाद डी० अेस० पी० से कहा गया कि वे सभाको बतायें कि डाकुओंके मामलेमें पुलिसने कितने काम किये हैं। वे ३०-४० आदमियोंके नामकी सूची बनाकर लाये थे, जो अुन्होंने पढ़नी शुरू की। 'मशहूर डाकू फलां पकडा गया', 'मशहूर डाकू अमुक मारा गया।' अुन्होंने पढ़ लिया तो श्री रामभाअीने कहा कि ये साहब जितने नाम पढ़ चुके अुनमें से कोअी मशहूर भी नहीं और कोअी डाकू भी नहीं। अुनमें से अेक भी डाकूके रूपमें प्रसिद्ध हो, तो पूछ लीजिये अिस सभासे।

यह सब रंग देखकर साहबने यह मुलाकात बन्द कर देनेकी सूचना दी। तब श्री रामभाअीने सब लोगोंकी तरफसे अन्तमें कहा कि लोगोंकी यह तमाम

कहानी सुनकर सरकार यह कर रद्द करनेके निश्चय पर आये, तो जैसा पहले कभी बार हुआ है वैसा अिस बार नहीं होना चाहिये कि लोग गरीब हैं, कर चुका नहीं सकते और हमसे अनुनय-विनय करते हैं, अिसलिये यह कर अुठा दिया जाता है। हम अैसे गरीब नहीं हैं कि अितना-सा कर चुकानेके लिये हमारे पास रुपया न हो। परन्तु हमारी बात न्यायकी है और सरकारकी बात अन्यायकी है, अिसलिये हमारा निश्चय है कि अिस करकी अेक पाअी भी सरकारको न दी जाय। होममेम्बरने कुर्कियां बन्द कराकर अपनी जांचका परिणाम सरकारके पास पेश करनेकी बात कहकर सभा बरखास्त कर दी।

सभाके दूसरे दिन पुलिसके गुणगान करनेके लिये स्थानीय अधिकारी थोड़ेसे अपनी पसन्दके आदमियोंको होममेम्बरके पास ले गये। अुन सबसे वे अेक ही प्रश्न पछते कि तुम कलकी सभामें मौजूद थे? वह 'हा' कहता तो अुसे तुरन्त बिदा कर देते। अुन्हें प्रतीति हो गअी थी कि सरकारका अन्याय है। अुनके बम्बअी पहुंचनेके बाद तुरन्त ता० ८-१-'२४ को बम्बअी सरकारने नीचे लिखा प्रेस नोट प्रकाशित किया :

बोरसद तालुकेके लोगोंके खर्च पर वहां अतिरिक्त पुलिस रखनेकी जरूरत है या नहीं, अिसकी गवर्नर महोदयने होम डिपार्टमेंटके सदस्य द्वारा विशेष जांच करवाअी है। गवर्नर महोदयके अनरोध पर होममेम्बर पिछले कुछ दिनों खेड़ा जिलेमें खुद गये थे। गवर्नर महोदयने अिस जांचके बारेमें अपनी कार्यकारिणी कौंसिलके साथ सलाह-मशविरा किया है, जिसके परिणाम-स्वरूप वे अिस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगोंकी रक्षाके लिये और साथ ही डाकुओंका पीछा करके अुन्हें दबा देनेके विशेष अुपाय करनेके लिये तालुकेकी साधारण पुलिसके सिवाय अतिरिक्त पुलिसके मजबूत जत्थे अभी थोड़े समय और रखने पड़ेगे।

परन्तु साथ ही साथ गवर्नर महोदयका यह निर्णय हुआ है कि अिन जत्थोंके खर्चके लिये लोगों पर लगाया हुआ अतिरिक्त कर अुन्हें वापस दे देनेके लिये सबल कारण है। साथ ही यह भी सच है कि अब तक कुल मिलाकर लोग डाकुओंको पकड़नेमें अुदासीन रहे, तो अिसका अधिकतर कारण कुछ प्रसिद्ध और मुख्य डाकुओंका दुष्ट और अमानुषिक ढंग है। अिसके सिवाय अिस समय बरसातका मौसम कुछ हद तक रूखा चला जानेके कारण अतिरिक्त पुलिसके खर्चके लिये कर चुकाना भी कुछ लोगोंके लिये मुश्किल पड़ सकता है। यह सब बातें देखकर गवर्नर महोदयने निश्चय किया है कि अिस समय जो अतिरिक्त पुलिस

रखी गयी है, उसका खर्च इस वर्ष सरकारकी साधारण आयमें से ही दिया जाय। और अगले साल उसे कायम रखनेके लिये उसके खर्चके लिये धारासभासे माग की जायगी।

अस तालुकेके लोग लम्बे अरसे तक आतंकपूर्ण अपराधोंके शिकार हो चुके हैं और अन्हें अतिरिक्त पुलिसका अनुभव अब तक हो चुका है। असिलिये डाकूओंको दबा देनेके लिये आखिन्दा की जानेवाली कार्रवायियोंमें सच्चे दिलसे सहायता और सहयोग देकर वे सरकारकी अस बुदार नीतिका अुचित अुत्तर देंगे, असा गवर्नर महोदयको विश्वास है।

सरकारका वयान प्रकाशित होते ही सरदारने तुरन्त पत्रिका प्रकाशित करके लड़ाी वन्द होनेकी घोषणा कर दी। असमे लिखा है:

“सत्य, अहिंसा और तपकी फिर अेक बार विजय हुयी है। यह विशेष आनन्दकी बात है कि यह जीत हमारी लड़ाी जितनी न्यायपूर्ण थी अुतनी ही जल्दी हो गयी। यह विजय अपूर्व है, क्योकि अस बार अुभय पक्षकी विजय हुयी है। सरकारने अपनी भूल खुले दिल और साहसके साथ स्वीकार की है। जो भूल हो गयी अससे प्रतिष्ठाकी खातिर किसी भी कीमत पर चिपटे रहनेकी परंपराको छोडकर, निर्दोष पददलित लोगोको दोषी और दुःखी बनानेके महा अपराधसे बचकर और सत्यको स्वीकार करके सरकारने अपनी भी विजय प्राप्त कर ली है। असा जवरदस्त नैतिक बल दिखानेवाले नये गवर्नर सर लैस्ली विलसनको हम सच्चे अंतःकरणसे मुबारकबाद न दें तो हम अपने कर्तव्यसे चुकेगे।

“हमारी जीत असमें नही है कि सरकारने वसूल हुआ जुर्माना और कुर्क किया गया माल लौटा देने और अतिरिक्त पुलिसका खर्च स्वयं अुठा लेना तय कर लिया। हमारी जीत असमें जरूर है कि सरकारने हम परसे कलंक वापस ले लिया है। परन्तु असली विजय तो असकी महत्ता समझने और अुसे पचानेकी शक्तिमें है। सरकार सदा अपनी भूल माननेमें डरती है। शुद्ध शस्त्रोसे अन्यायका सामना करनेवाली प्रजाके आगे झुकनेमें भी सरकार अपने लिये खतरा समझती है। यह पहला अवसर है जब सरकारने अपनी भूल निःसंकोच होकर और सार्वजनिक रूपसे स्वीकार करके सत्याग्रह शस्त्र द्वारा लड़नेवाली प्रजाके आगे झुककर यह स्वीकार किया है कि यह लड़ाी राजमान्य है। सरकारकी अस सभ्यताका दुरुपयोग न हो, असके लिये शब्दोंसे आश्वासन देनेकी अपेक्षा भावी व्यवहारसे दिखा देना हम अधिक अुचित समझेंगे।”

असके बाद सरकारी बयानमें रही हुआ अंक महत्त्वकी त्रुटिका अल्लेख करते हुए कहा :

“सरकारने अपने तरीकेका अमल बोरसदके धारालों पर वर्षों तक आजमाया, पर उसका परिणाम अल्टा हुआ है। हम अससे अनिकार नहीं करते कि सरकारका अुद्देश्य शुद्ध था। परन्तु सरकारसे यह छिपा नहीं है कि परिणाम बुरा हुआ है। अस दुःखी कौमके साथ सहानुभूति और मिठाससे काम लेनेकी जरूरत है। अंक-दो हत्यारों और डाकुओंको पकड़नेमें जिन बहुतसे मनुष्योंने अपने प्राण गंवाये हैं, उनके कुटुम्बके प्रति सान्त्वनाका अंक भी शब्द सरकारके किसी भी पत्रव्यवहार या पत्रिकामें हमारे देखनेमें नहीं आया। अससे हमें बड़ा दर्द हुआ है। सरकारी प्रेसनोटके अन्तिम पैरेग्राफके जवाबके लिये ही हमें मजबूर होकर अितना अल्लेख करनेकी जरूरत पड़ी है।”

सरकारी प्रेसनोट ‘रस्सी जल जाती है पर बल नहीं जाता’ जैसा तो था ही। फिर भी महादेवभाजीने ‘नवजीवन’ में लिखा था कि :

“असकी भाषा पर टीका-टिप्पणी करनेका प्रयत्न करनेमें हमारी शोभा नहीं हो सकती। हमारे लिये अितना काफी है कि लोगोंके सिरका कलंक मिट रहा है। नये गवर्नर साहबने असाधारण दृढ़ता और न्याय करनेकी तत्परताका रंग दिखाकर शासक वर्गको अंक नया रास्ता दिखाया है।”

‘सर्वेट्स ऑफ इंडिया’ जैसे सहयोगी पत्रको भी प्रेसनोटमें काफी मधुरता न दिखायी दी। असने लिखा कि :

“लोगोंकी अुदासीनताका कारण डाकुओंका आतंक होना सरकार मंजूर करती है, परन्तु वह असका कहां विचार करती है कि असलमें अुदासीनता लोगोंकी थी या पुलिसकी ? कर अुठा देनेके लिये सरकारने मौसम कमजोर होनेका कारण बताया है, परन्तु यह कारण न दिया होता तो कितना अच्छा होता ? अपनी मूर्खताको असे माधुर्यसे सुधार लेना चाहिये था।”

दूसरे सहयोगी पत्र ‘ट्रिव्यून्’ ने असहयोगियोंकी अच्छी कद्र की। असने लिखा :

“असहयोगियोंने सत्याग्रह बन्द ही नहीं कर दिया है, बल्कि उनके नेताओंने सरकारको बधायी भी दी है और असके सिवाय यह कहा है कि हम व्यवहारसे यह बता देंगे कि सरकारकी सभ्यताका दुरुपयोग नहीं

होगा। कौन कहेगा कि असहयोगी अल्टे और कभी समझौता न करनेवाले झक्की है?"

ऐसी सम्पूर्ण और शीघ्र होनेवाली विजयसे कार्यकर्ताओंका अति अतुसाहमें आ जाना स्वाभाविक था। परन्तु सरदार अुस समय अपने मस्तिष्कका सन्तुलन किस ढंगसे रख रहे थे और सत्याग्रहके सिद्धान्तोंकी कितनी गहरी समझ दिखा रहे थे और अुन्हें आचरणमें परिणत करानेका प्रयत्न कर रहे थे, यह अुनके दरबारसाहब तथा पंड्याजीके नाम लिखे गये अिस पत्रसे और विजयोत्सवके समय दिये गये नम्रतापूर्ण भाषणसे मालूम हो जाता है:

ता० ११-१-'२४

प्रिय भाजी गोपालदासभाजी तथा मोहनलाल पंड्या,

आपकी पत्रिका और भाषण भाजी भास्कर अभी लेकर आये। अिस अवसर पर मैं धर्मसंकटमें पड़ गया हूं। मुझे महसूस होता है कि दोनों लेख हमारी लड़ाजी और जीतके अवसरके प्रतिकूल हैं। सत्याग्रही जीतके अवसर पर विरोधीको हारकी चोट न लगने दे, तो ही सत्याग्रहको समझा हुआ माना जायगा। हम यह लेख प्रकाशित करेंगे तो मुझे पक्का अंदेशा है कि हम अपनी जीतकी महत्ता खो बैठेंगे। अिसलिये अिस समय अत्यन्त दुःखसे आप दोनोंकी अपेक्षा करके और यह लेख छापनेके विरुद्ध होकर अपने पास ही रख लेता हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी सलाह थोड़े समय बाद आप सही समझेंगे। अिस मौके पर हमारी शोभा अिसीमें है कि हम सरकारी अधिकारियोंके विरुद्ध अेक भी शब्द न बोलें। केवल हम अपनी कमजोरियोंको ही दूढ लें और प्रजाको आगे बढ़ानेका शुद्ध प्रयोग करें, तो ही हमारी जीत हुआ मानी जायगी।

कलकी सभामें संगीतका जो कार्यक्रम रखा हो, अुसमें केवल अीश्वर भजन और अवसरके अनुकूल 'रामबाण वाग्यां होय ते जाणे' अैसे ही भजन रखें तो अच्छा है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी सलाह अुदारतापूर्वक मान लेंगे। जब रूबरू मिलगा तब अधिक स्पष्टीकरण करूंगा।

शनिवार १२ जनवरीको बोरसदमें सत्याग्रहकी लड़ाजीकी पूर्णाहुतिका बड़ा अुत्सव हुआ। लोग तो चीटियोंकी तरह अुमड़ आये थे। अहमदाबाद और बम्बअीसे भी बहुतसे लोग अुत्सवमें भाग लेने वहां आ पहुंचे थे। लड़ाजीका आरम्भ करनेकी सभामें ५-७ हजार लोग आये थे, परन्तु अिस पूर्णाहुतिकी सभामें २५-३० हजार लोग होंगे। लड़ाजीमें जितना भाग

पुरुषोंने लिया था, अतना ही स्त्रियोंने लिया था और सभामें भी अधिक नहीं तो चौथे हिस्सेकी बहनें थी। अउसमें हर जातिके लोग अिकट्टा हुअे थे। बड़ी-बड़ी मूछोंवाले और अपने बड़प्पनका घमंड रखनेवाले पाटीदार, हुक्का गुड़गुड़ते हुअे कद्दावर शरीरवाले और हाथमें लम्बी लाठीवाले बारैया और पाटनवाड़िया तथा बड़े साफोंवाले मगरूर मौले-सलाम गरासिये अुनमें खास तौर पर ध्यान खीच रहे थे।

यह समझते हुअे कि लड़ाीमें तो हमें अीश्वरकृपासे विजय मिल गअी, परन्तु अब हमारा कर्तव्य क्या है, सरदारने गभीर वाणीमें सभाको संबोधन करके कहा :

“तुम्हारा अब अेक ही धर्म हो सकता है। अगर तुमने सच्ची विजय प्राप्त की हो, तो अब तुम सरकारके दोषोंकी तरफ देखना छोड़ दो और अपनी खुदकी कमजोरियोंका ही विचार करो। सरकारके साथका तुम्हारा छोटा झगड़ा निपट गया। परन्तु हमारा बड़ा झगड़ा अभी बना हुआ है। अुसके लिये सरकारके साथ लड़नेको हम तैयार न हों तब तक अुसके दोष देखना छोड़ दें। सरकारके साथ आखिरी मुकाबला करनेकी तैयारीके लिये अपनी दुर्बलताअें जल्दी देख लेना और अुन्हें दूर करना ही हमारा तात्कालिक धर्म है।

“अिस छोटीसी लड़ाीमें तुमने कितना तीव्र त्याग किया है, कितना साहस दिखाया है, कैसी अेकता रखी है, कितना अुत्साह बताया है! यह सब कुछ किया तभी तुम जो चाहते थे वह सब प्राप्त कर सके। परन्तु दरबार साहबकी या पंडचाजीकी या मेरी किसीकी भी बुद्धि या चतुराीसे यह सब तुम्हें नहीं मिला। बल्कि यह फतह आज जेलमें बैठे हुअे महान तपस्वीके बताये हुअे मार्ग पर चलनेसे हुअी है। अभी तो हमने अुनके हम पर चढे हुअे ऋणका व्याज ही चुकाया है, परन्तु मुख्य ऋण अदा नहीं किया है। अुनका सिखाया हुआ पाठ हमने अच्छी तरह पढ़ा होता, अुनकी बताअी हुअी सब बातें हमने पचाअी होतीं, तो आज डाकू हममें होते ही कहासे ?

“हमारी लड़ाी खतम हो गअी है। अुसे समेटनेमें जो कुछ बाकी रहा हो, अुसमें भरसक मिठाससे काम लेना चाहिये। तुममें से किसीने सरकारसे डरकर कमजोरीसे जुर्मानेका रुपया चुका दिया हो या सरकारको कुर्की करनेकी सुविधा दी हो, तो अुन्हें सजा देने या कष्ट पहुंचानेका विचार तुम छोड़ दो। मुझ मालूम हुआ है कि तुम विजयोत्सव मनानेवाले हो। भले ही मनाओ। परन्तु मेरी सलाह है कि अपने अुत्सवमें कुर्की करने

आनेवालों और पुलिसवालोंको भी भाग लेनेका निमंत्रण देना । अुनके साथ अब तुम्हारी कोअी लड़ाअी बाकी नहीं रही । पटेल, पटवारी, चौकीदार और पुलिस सबके साथ मोहब्बत करो । अुनकी की हुअी कुकियोंको भूल जाओ ।

“अिस साल अिस तालुकेमें वर्षा कम हुअी है । फसलका अन्दाज लगानेमें हमारे और सरकारके बीच मतभेद है । सरकार लगान लेनेकी दृष्टिसे अन्दाज लगाती है, हम न देनेकी दृष्टिसे लगाते हैं । यह मतभेद तो रहेगा ही । परन्तु अिस साल अदा न करेंगे तो अगले साल दुगुना लगान चुकाना पड़ेगा । हमने अेक लड़ाअी खतम की है अिसलिअे अिस सालमें दूसरी लड़ाअी छेडना ठीक नहीं है । अभी हमें लड़ाअीसे मिलनेवाले लाभको अच्छी तरह स्थिर करना जरूरी है । अिसलिअे अिस मामलेमें कलेक्टरका जो हुक्म हो, अुसके अनुसार लगान चुका देनेकी मेरी तुम्हें सलाह है । पसन्द आनेवाली सलाह तो सभी मानते हैं । परन्तु नापसन्द सलाह भी मानने लगोगे, तब स्वराज्य स्थापित करना संभव होगा । अगर हमारा अुतना ही कहना मानोगे जो तुम्हें रुचिकर हो तो हमारा पतन निश्चित है । सरकारको यह विश्वास करा दो कि हम सीधे रास्ते ही लड़नेवाले हैं ।”

तात्कालिक कर्तव्यके बारेमें अितना कहनेके बाद स्थायी कर्तव्यका विवेचन किया :

“हमारे यहां चोर-डाकू न रह सकें, अिसके लिअे हमारे गांवोंमें धार्मिक और पवित्र वातावरण पैदा करना चाहिये, अुन लोगोंको सीधे रास्ते लगाना चाहिये । यहांके साहूकारोसे मैं कहता हूं कि डाकोंका कष्ट सबसे अधिक तुम्हें हुआ है और वह जारी रहेगा तो भविष्यमें भी तुम्हें ही अधिक भुगतना पड़ेगा । अिसलिअे अैसा काम करनेमें, जिससे डाके न पड़ें, तुम्हें ही ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिये । तुम अपने हृदयोंमें रामको रक् कर अपना धंधा-रोजगार करो । लोगोंके रोषके कारण दूढो । सरकारका पुलिस तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती । वह तो अपराध हो जानेके बाद अुसे दर्ज करनेके लिअे आयेगी । तुमसे सबूत मांगेगी । अिसमें तुम्हें फायदा नहीं, नुकसान ही होगा । सरकारकी पद्धति अैसी है कि वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती । अिसलिअे अगर तुम भगवानसे नहीं डरोगे और तुम्हारी नियत गरीबोंसे रुपया अंठनेकी ही होगी, तो अुसका बदला भी तुम्हें वैसा ही मिल जायगा । गरीबोंके साथ व्यापारमें भगवानका डर रखकर बाजिब नफा ही लो और अुन्हें चूसनेका विचार छोड दो । किसी भी मनुष्यको अपराध या डाकूपन करनेका शौक नहीं होता, परन्तु वह साहू-



कारोंके जुल्मसे तंग आकर ही ऐसा घंथा करने लगता है। उन लोगोंके प्रति सहानुभूति रखना जरूरी है। हमें यह देखना है कि वे अपराधी न बनें।”

फिर डाकुओंको सन्देश देते हुए कहा कि :

“बाबर देवासे तुममें से किसीकी भी जान-पहचान हो, किसीकी भी अुससे भेंट हो या बातें करनेका अवसर आये, तो अुससे कहना कि तुम्हारी अराजकता अराजकता नहीं है। बन्दूकड़ी लेकर भागते फिरनेमें और निर्दोषोंको लूटने और मारनेमें कानूनका विद्रोह नहीं है। सच्चे विद्रोहीको हथियारोंकी जरूरत नहीं होती। विद्रोह तो ढसाके दरबारका है, गांधीजीका है। जो आदमी निहत्थोंको सताये, लोगोंको लूटे और हत्याओं करे, वह तो जातिके लिअे कलंक स्वरूप है।

“मैं अगर डाकूसे मिलूं तो अुसे अितनी ही बात कहूं: तेरा जीना व्यर्थ है। तू गोलीसे मरेगा, फांसी पर लटक कर मरेगा, ठोकर खाकर मरेगा, किसी न किसी तरह मरेगा जरूर। अितने पाप करनेके बाद पुलिसके थाने पर जाकर या पुलिस सुपरिन्टेंडेंटके बंगले पर जाकर अपराधोंको स्वीकार करके पश्चात्ताप कर, ताकि पाप दूर हों। यमके दूतोंसे कोअी भी छिपा नहीं रह सकेगा। वे तो पृथ्वीतल पर कहींसे भी तुझे ढूंढ निकालेंगे। अपराध स्वीकार करके फांसीके तस्ते पर लटकनेमें बहादुरी है। वैसे अिस प्रकार भागते फिरने और छिपकर रहनेमें तो कायरता ही है।”

बोरसदकी सभा हो जानेके बाद चार दिन सरदारने बोरसद तालुकेके और बहुतसे गांवोंका दौरा किया और लोगोंको अपना सन्देश सुनाया। दरबार साहब, पंड्याजी, रविशंकर महाराज तथा दूसरे लगभग ३२ भाअियोंने बोरसद तालुकेके अलग-अलग गांवोंमें पड़ाव डालकर तालुकेको स्वराज्यकी लड़ाअीके लिअे तैयार करनेकी प्रतिज्ञा करके आसन जमाकर बैठ जानेका अपना निश्चय घोषित किया और तालुकेमें काम करना शुरू कर दिया। खास तौर पर पंड्याजी और रविशंकर महाराजने बोरसदकी बारंया और पाटणवाड़िया जातियोंमें से चोरी-डाके वगैरा जुर्म करनेकी वृत्ति मिटानेके लिअे भगीरथ प्रयत्न आरंभ किया। उनकी कोशिशोंके परिणामस्वरूप ये कौमें आत्मशुद्धिके मार्ग पर खासी आगे बढ़ीं।

बोरसद सत्याग्रहकी समाप्तिके बाद सरकारके साथ सत्याग्रहकी अेक छोटीसी घटना हो गअी। अुसका अुल्लेख यहीं कर देता हूं। बोरसदकी लड़ाअी शुरू होनेसे कोअी साल भर पहले नड़ियाद और बड़ोदा स्टेशनोंके

बीच रेलवेकी मालगाड़ियोंमें से चोरीकी घटनाअें खूब होने लगी थीं । मालगाड़ियोंमें जो खुले डब्बे होते हैं, उन पर किन्हीं दो स्टेशनोंके बीच चलती हुअी गाड़ी पर रातके समय लोग चढ़ जाते । वे डब्बों परसे बोरियां और पासलें गिरा देते और उनके जो शागिर्द नीचे खड़े होते वे अुन्हें अुठा ले जाते । मालगाड़ी लम्बी होती है असलिये ड्राअिवर या गार्डको असका पता नहीं चलता । मालगाड़ीमें से माल गिरानेका काम अधिकतर बारैया और पाटणवाड़िया लोग करते थे और अिन चोरियोंका माल अपरोक्त गांवोंमें अूंकी मानी जानेवाली जातियोंके कुछ लोग लेकर रख लेते । अिन लोगोंने पुलिसको भी मिला लिया । अिसे चोरी कहिये या लूट, अिसे पकड़ना मुश्किल था; और ज्यों-ज्यों चोरी करनेवाले सफल होते गये, त्यों-त्यों अिन अपराधोंकी संख्या बढ़ती गयी । लाअिन परके गांवोंमें मालगाड़ियोंमें से गिराअी हुअी शकरकी बोरियां, कपड़ेकी गांठें और अिसी प्रकारका दूसरा माल धड़ल्लेके साथ बिकने लगा । शकर रुपयेकी मन भर और तरह-तरहके फैंसी कपड़े पानीके मोल बिकते थे । लोगोंको भी असका चस्का लग गया । माल भेजनेवाले रेलवेसे शिकायतें करने लगे । रेलवेने अिस लाअिन पर अपनी पुलिस बढ़ा दी । परन्तु अुससे कुछ नहीं हुआ । अन्तमें सरकारने लाअिन परके गांवोंमें दण्ड-पुलिस रख दी और अुन सब गांवों पर अुसका जुर्माना लगा दिया । अिन चोरियोंसे लाभ अुठानेवालोंने अिस पुलिसको भी फोड़ लिया । अपराध करनेवाले तो कुछ ही लोग होते और जुर्माना गांवके हरअेक आदमीको अदा करना पड़ता, असलिये लोगोंमें अूहापोह मच गया । गांवोंकी अिज्जत समाजमें घटने लगी और थोड़े ही दिनोंमें यह नौबत आ गयी कि अुन गांवोंके लड़कोंके लिये लड़कियां मिलना भी मुश्किल होने लगा । गांवोंके अच्छे लोगोंने यह सोचकर प्रान्तीय समितिको प्रार्थनापत्र दिया कि असका कुछ अुपाय होना चाहिये । सरदारने कहा कि 'हरअेक गांवके नेता यह जिम्मेदारी लेनेको तैयार हों कि अिस प्रकारका अेक भी अपराध नहीं होगा, तो ही मैं बीचमें पड़ सकता हूं । शायद आप लोग बारैया और पाटणवाड़िया लोगोंकी जिम्मेदारी अेकदम न ले सकें, परन्तु यह चोरीका माल तो अूंकी मानी जानेवाली जातियोंके लोग ही रखते हैं । ये लोग चोरीका माल रखना बन्द कर दें, तो अुन लोगोंको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और वे लोग चोरी करना बन्द कर देंगे । सरकारके साथ लड़ना हो तो हमारा अपने लोगों पर पूरा काबू होना चाहिये । हमारे बन्दोबस्तके बाद भी कोअी चोरी करे, तो अुसका भंडाफोड़ कर देनेकी हमारी तैयारी होनी चाहिये ।' बादमें श्री मोहनलाल पंड्याको अुन गांवोंमें जांच करनेके लिये भेजा । पंड्याजीने गांव-गांव सभाअें

करके बन्दोबस्तका प्रस्ताव कराना शुरू कर दिया। परन्तु अूसमें चोरीका माल रखनेवाले हहामखोर लोग बाधाओं डालने लगे। जुर्मानिका तो अुन्हें साल भरमें दस-बारह रुपया अदा करना पड़ता था, लेकिन चोरीके मालसे बहुत ज्यादा लाभ होता था। अस तरह करते-करते जुर्मानिका तीसरा वर्ष आ गया। सरकारने और भी सख्तीके अुपाय शुरू कर दिये। चोरीका माल पकड़नेके लिये कुकियां आरंभ कर दीं। अुसमें निर्दोष मनुष्योंके यहां भी कुकियां होने लगीं। अब लोग बड़े घबराये। अस प्रकार जुर्माना और कुकियां होती ही रहीं, तो समाजमें अुनकी अिज्जत रह नहीं सकती। पंड्याजीके प्रचारका भी असर पड़ा था। अन्तमें जुर्मानेवाले गांवके लोगोंकी आणन्दमें सभा हुआ। अुसमें सरदारको बुलवाया गया। सरदारने लोगोंको खूब समझाया कि हमारे लिये व्यक्तिगत रूपमें निर्दोष और शुद्ध होना ही काफी नहीं है, हममें अपने आसपासके समाजकी बुराइयां मिटानेकी शक्ति भी होनी चाहिये। गांवके अच्छे लोग ऐसे अपराधों पर परदा न डालकर अुन्हें करनेवाले आदमियोंकी कलजी खोलें, तो अुनकी जुर्म करनेकी हिम्मत ही न हो। आपमें से बहुतोंने जुर्मानेके खिलाफ अर्जियां दी होंगी, परन्तु अुन अर्जियोंके पीछे अपराधोंको रोकनेकी जिम्मेदारी लेनेकी हमारी तैयारी होनी चाहिये। तभी हम सरकारको चुनौती दे सकते हैं। यह तो हम देख ही रहे हैं कि अुसकी पुलिससे कुछ हो नहीं सकता। अस परसे गांव-गांव पक्का बन्दोबस्त करनेके प्रस्ताव पास हुअे और अुन गांवोंके नेताओंने अस बातकी जिम्मेदारी ली कि अुनके गांवोंमें चोरीका माल जरा भी न आयेगा। असके बाद सरदारने अुत्तरी विभागके कमिश्नरको पत्र लिखा। अुसमें कहा गया कि अिन गांवोंमें लगभग तीन बरससे दण्ड-पुलिस रखकर सरकार लोगों पर अुसका जुर्माना लगाती रही है। चोरीका माल पकड़नेके लिये अुसने कुकियां करना भी शुरू कर दिया है। फिर भी असका कोअी परिणाम नहीं हुआ और अुल्टे निर्दोष लोगोंकी परेशानी बढ़ गयी है। अैसी सामाजिक बुराइयोंका अिलाज पुलिस और जुर्माना नहीं, परन्तु गांव-गांव प्रतिष्ठित और प्रमुख आदमियोंको विश्वासमें लेना है। मैंने अपने स्वयंसेवकों द्वारा यह काम कर दिया है और मुझे अित-भीनान हो गया है तथा मैं असकी घोषणा करनेकी स्थितिमें हूं कि अब अस प्रकारकी चोरियां नहीं होंगी। असलिये मेरा अनुरोध है कि दण्ड-पुलिसका जुर्माना हटा दिया जाय और कुर्क किया हुआ माल अुन आसामियोंको लौटा दिया जाय। बोरसदमें पुलिससे कुछ न हो सका, परन्तु हमारे स्वयं-सेवकोंके प्रयत्नसे डाकुओंका कष्ट मिटाया जा सका है। यह अनुभव ताजा ही है। अतः यहां भी लोगों और कार्यकर्ताओं पर विश्वास रखा जायगा, तो

में विश्वास दिलाता हूं कि अच्छा परिणाम होगा। अितने पर भी जुर्माना नहीं हटाया गया, तो मुझे अनि गांवोंको जुर्माना न देनेका सत्याग्रह करनेकी सलाह देनी पड़ेगी।

कमिश्नरका मुकाम उस समय भड़ौचमें था। उसे यह पत्र देने और उसके साथ बातचीत करनेके लिये खेड़ा जिला समितिके अध्यक्षकी हैसियतसे अब्बास साहब तैयबजी भड़ौच गये। पत्र पढ़कर कमिश्नरने कहा कि इस पत्रमें से अन्तिम वाक्य निकाल दें, तो मैं जुर्माना रद्द करनेकी सिफारिशके साथ पत्रको बम्बयी सरकारके पास भेज दूंगा। अब्बास साहबने जवाब दिया कि मैं तो गुजरात प्रान्तीय समितिके अध्यक्षका पत्र आपको देने आया हूं। उसमें से अेक वाक्य तो क्या, अेक शब्द या मात्रा तक बदलनेका मुझे अधिकार नहीं है। इस पत्र परसे सरकारको सिफारिश करना हो या और जो कुछ आपको करना हो सो कीजिये; परन्तु जुर्माना हटना चाहिये, क्योंकि हमारे प्रयत्नसे अपराध होना बन्द हुआ है और भविष्यमें न होनेकी हम जिम्मेदारी लेते हैं।

कमिश्नर वस्तुस्थिति समझ गये और कुछ ही दिनोंमें जुर्माना हटा देने और कुर्क किया हुआ माल अन आसामियोंको लौटा देनेकी आज्ञाअें प्रसारित हो गयीं। धनुषके टंकारसे ही काम बन गया, बाण चढ़ानेकी जरूरत ही नहीं पड़ी।

## गृहजीवनकी झांकी

सरदारके लिये गृहजीवन जैसी अब तो कोअी चीज रह ही नहीं गयी है। जबसे गांधीजीके साथ खेड़ा जिलेकी सत्याग्रहकी लड़ाीमें शरीक हुअे, तबसे परिवारके लिये कमाने और बच्चोंको विलायतकी शिक्षा दिलवाने आदि विचारोंको अुन्होंने तिलांजलि दे दी। परिवारके प्रति ममता और परिवारके लिये सहायक बननेकी वृत्ति अुनमें पहलेसे ही थी। आज देश ही अुनका परिवार बन गया है और देशके लिये काम करनेवाले साथी ही अुनके कुटुम्बी हो गये हैं। पहले जो सगे-सम्बन्धियोंका छोटासा कुटुम्ब था, वह आज बड़ा विस्तृत हो गया है। परन्तु मूल संस्कार तो वही हैं। वे अुत्तरोत्तर विशुद्ध और विशाल होते रहे हैं।

विद्याभ्यास बहुत गरीबीमें, परिवार पर यथासंभव कम बोझ डालकर, किया। वकील बननेके बाद जब प्रैक्टिस शुरू की, तब घर बसानेका भी पासमें कोअी साधन नहीं था। इसलिये बरतनभांडे और दूसरा घरका सामान कर्ज करके नडियादके गुदड़ीबाजारमें से या ब्राह्मणोंको मृत्युके बाद मिले हुअे सामानमें से खरीदा था। गोधरामें वकालत शुरू करते ही वहां प्लेग फैल गया, इसलिये थोड़े महीने गांठकी रोटियां खाकर वहां रहना पड़ा। अैसी हालतमें भी अुन्हें अपने घरकी कितनी चिन्ता रहती थी, यह वहांसे ता० १६-३-'०१ को बड़े भाओकी लिखे गये पत्रसे मालूम हो जाता है :

पू० नरसीभाओ,

यहां प्लेगका जोर बढ़ने लगा है। रोज दस केस हो जाते हैं और चूहे बहुत मर रहे हैं। इसलिये संभव है प्लेग अभी बड़े जोरसे चलेगा। अभी कचहरीमें बिलकुल काम नहीं है और प्लेगके कारण अभी दो-तीन महीने तक कुछ भी चलना संभव नहीं है। इसलिये अभी तो घरका खर्च खाकर बैठे रहना पड़ेगा। परन्तु इसकी चिन्ता न करना। मैं पास ही गया इसीको ओश्वरका अुपकार मानना चाहिये। अच्छे दिन आयेंगे, तब बिलकुल अड़चन नहीं होगी। इसलिये मेरी तरफकी बिलकुल फिक्र न करना। मेरा यहां अच्छा काम चले तब मेरा वहां आनेका विचार था। परन्तु अभी तो अैसा कुछ नहीं होगा। परन्तु अन्तमें मुझसे जो कुछ हो सकेगी आपकी मदद करूंगा। घरकी तरफ मुझे हमेशा ममता रहती

है। पास हो जानेसे चिन्ता कम हो गयी है। रातदिन यह खयाल रहता है कि आपकी किस तरह मदद करूं। मुझे पर ओश्वरकी कृपा होनेके कारण जैसे खराब समयमें भी मेरे विचार अच्छे रहे हैं। किसी भी समय मेरी अच्छी स्थिति होगी तब आपको इसका विश्वास हो जायगा। अभी तो मैं विवश हूं। प्लेगका जोर बढ़ गया, तो काशीभायीको भेज देनेका विचार है। वहांके हालचाल लिखते रहिये।

पूज्य पिताजीकी अच्छी तरह देखभाल रखें। शेष कुशल। कामकाज लिखिये।

सेवक

वल्लभके प्रणाम

घरकी आर्थिक कठिनायियोंकी कल्पना अपरोक्त पत्रसे होती है। तीन ही वर्षमें कमाकर परिवारका कर्ज चुका देनेमें सरदार सहायता देते हैं और काशीभायीकी पढ़ायीकी चिन्ता करते हैं, यह बोरसदसे ता० १५-१-०४ को लिखे गये पत्रसे प्रगट होता है :

पू० नरसीभायी,

आपका पत्र आज मिल गया। मुझे खानगी कामसे नड़ियाद जाना था, इसलिये पत्र लिखा हुआ रहने दिया था। परन्तु अचानक कामके सिलसिलेमें जाना रुक गया, इसलिये मैंने कल ही नड़ियाद डूंगरभायीके नाम पत्र लिखा है। अुस परसे अुन्होंने आज नारायणभायीको रुपये दे दिये होंगे और न दिये होंगे तो कल दे देंगे। परन्तु मुझे बिलकुल खयाल नहीं था कि आपको अितनी ज्यादा जल्दी होगी। ब्याज सहित रुपया दे देनेको लिख दिया है। इसलिये आपको इस मामलेमें अधिक चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है। आपने बहनकी चीजें गिरवी रखने तककी बात लिखी, यह आपके योग्य नहीं। अितने पर भी आप बड़े हैं और आपको जो ठीक लगा सो सही। मैंने तो रुपया देनेके लिये लिख दिया है। जैसा आपने लिखा है, मेरा कोयी मजाक करनेका विचार नहीं है। अेक दो दिनमें आपको रुपया पहुंच जानेका पत्र मिल जायगा। साथ ही आप लिखते हैं कि हम पर कर्ज है। सो मैं यही समझता हूं कि जो कर्ज आप पर है वह मुझे पर ही है। आप मुझे जल्दी लिख दीजिये कि आप पर किस किसका कितना कितना कर्ज है। ताकि मैं आपको जल्दी ही अुससे मुक्त कर दूं और आप दुःखसे छूट जायं।

दूसरी बात आपको लिखनेकी यह है कि आजसे आप खेती बिलकुल न करें, सिर्फ घरके खर्चका हिसाब रखिये और जितना खर्च हो हमसे

मंगा लीजिये। जिससे आप बिलकुल बुरा न मानें, क्योंकि खेतीसे आप दोनों भाबियों\* के शरीर बिलकुल खराब हो रहे हैं। अतना ही नहीं, आपको अंसमें बहुत ही भारी परिश्रम करना पड़ता है और अतना अधिक लाभ भी नहीं है। जिसलिये आप आजसे जो कुछ खर्च करें, उसका हिसाब हर महीने हमारे पास भेज दीजिये और हम हर महीने रुपया चुका देंगे।

दूसरे, चि० काशीभाभी वहां आया हुआ है, उसे जल्दी ही यहां भेज दीजिये। उसे समझा दीजिये कि अब वयस्क हो जानेके बाद अधर-अधर घूमना फिरना अच्छा नहीं है, जिसलिये चिन्ता रखकर पढ़ाई करे। यह कुछ समझमें नहीं आता कि नडियाद छोड़कर वह किस कारण वहां आया। हमारा विचार उसे बम्बयी भेजनेका है। जिसलिये आप उसे यहां भेज दीजिये।

पूज्य सोमाभाभीका बुखार न मिटा हो तो यहां आ जायं, ताकि दवा वगैरका साधन मिल जाय और अच्छी तरह आराम हो जाय। साथ ही बुखार जाता रहा हो तो भी यदि वे थोड़े दिन यहां रह लेंगे, तो शरीर सुधर जायगा। जिसलिये यहीं भेज दीजिये।

शेष कुशल। कामकाज लिखिये।

आणन्दसे पाये आये या नहीं सो लिखिये। लकड़ी भेजनेको गोधरे पत्र लिखा है।

सेवक

वल्लभभाभी

अूपरके पत्रमें लिखे अनुसार रुपया भेजना शुरू कर देनेकी बात निम्न-लिखित पत्रसे मालूम होती है:

आणन्द, ता० २४

पूज्य भाभी श्री नरसीभाभी,

साथमें सौ रुपये भेज रहा हूं। पट्टुंच तुरन्त लिखिये और लाड़बायीके<sup>x</sup> समाचार भेजिये। अन्हें पेचिश हो गयी थी सो अब मिट गयी होगी। कल मुझे बोरसद जाना है, जिसलिये संभव हुआ तो अगले रविवारको आऊंगा।

शेष कुशल।

सेवक

वल्लभभाभी

\* दो भाभी अर्थात् सबसे बड़े श्री सोमाभाभी और दूसरे श्री नरसीभाभी। खेती छोड़ देनेकी सलाहके बावजूद श्री नरसीभाभीने अन्त तक खेती नहीं छोड़ी थी।

x यह पहले कहा जा चुका है कि माताजीको वे लाड़बायी कहते थे।

बादमें बैरिस्टर बननेके लिये अपने बजाय विट्टलभाजीको जाने दिया और वहांका अनुका सारा खर्च अुटायया तथा घर पर स्वयं पारिवारिक क्लेश सहन किया। भाभीकी खातिर पत्नीको दो साल पीहरमें रखा। विलायत जानेसे पहले पत्नी गुजर गयी, तो मित्रों और सम्बन्धियोंके बहुत आग्रह करने पर भी गृहिणी द्वारा बनाया हुआ घर दुबारा बनानेका विचार तक न किया। करमसदके घरबार और जमीनकी वहां रहनेवाले दो बड़े भाजियोंने जो कुछ व्यवस्था की, उसमें तो अन्होंने पहलेसे ही कभी दखल नही दिया था। बल्कि अुनकी भरसक मदद ही की है और छोटे भाजीकी शिक्षाकी भी चिन्ता रखी है।

वकालत करते थे तभीसे दोनों बच्चोंको विलायतकी शिक्षा दिलवानेका विचार था, असिलिये विलायत जाते समय अुन्हें बम्बयीके सेन्ट मेरीज हाथीस्कूलमें भरती करा दिया। वहां बोर्डिंग न था असिलिये अुस स्कूलकी अेक अंग्रेज शिक्षिकाके यहां अुन्हें बोर्डरके रूपमें रख दिया। दोनों वहां विलायती ढंगकी पोशाक पहनने लगे। मणिबहन कहती हैं कि 'हमारे बूट, मोजे, हैट और दूसरे कपड़े व्हाइट वे तथा अिवान्स फ्रेजरके यहांसे खरीदे जाते थे। हमारे लिये अेक अीसाअी आया रख दी गयी थी। अुसके साथ हम कभी-कभी रविवारको गिरजेमें जाते थे। शिक्षिकाओंके साथ तो हमें अंग्रेजीमें ही बातें करनी पड़ती थीं। परन्तु हम भाजी-बहनको आपसमें भी अंग्रेजीमें ही बात करनेको मजबूर किया जाता था। अुस अंग्रेज महिलाके यहांसे घर लौट आनेके बाद भी जब हमें अेक-दूसरेको पत्र लिखनेका अवसर आता था, तब हम अंग्रेजीमें ही पत्र लिखते थे। अस प्रकार सब तरहसे हमें विलायती ढंगकी शिक्षा दिलानेकी कोशिश हो रही थी।' दो-अेक साल अंग्रेज महिलाके यहां रहनेके बाद डाह्याभाजीको अुटाटी खांसी हो गयी, अससे विट्टलभाजी दोनों बच्चोंको अपने घर ले आये। सरदारके विलायतसे लौट आने पर भी दोनों भाजी-बहन बहुत समय तक बम्बयीमें विट्टलभाजीके पास रहे।

सरदारके विलायतसे लिखे हुअे कुछ पत्र मिले हैं। वे कुटुम्बके प्रति ममता और माता-पिताके प्रति भक्तिसे भरे हुअे हैं। पत्र क्यों नहीं लिखते, बड़े भाजीके अस अुलाहनेके जवाबमें नीचेका पत्र लिखा गया जान पड़ता है। साथ ही सबको सूचना दिये बिना अेकाअेक विलायतके लिये कैसे रवाना हो गये, असकी भी सफाअी दी है :

लंदन, ता० १६-१२-'१०

पूज्य भाजी श्री नरसीभाजी,

आपका पत्र मिल गया। चि० काशीभाजीको मैं पत्र लिखता रहता था। मैंने अुसे बार-बार लिखा था कि वह घर पर समाचार



देता और घरके समाचार लिखता रहे। परन्तु उसका कोजी जवाब नहीं आता।

मेरी तबीयत अच्छी है। घरके समाचार बार-बार लिखते रहिये। मणिके लिखे मैंने डाहीबाको पत्र लिखा है और बम्बडी भी पत्र लिखा है। इसलिखे मणि डाहीबाके\* पास रहेगी।

नया कानून<sup>x</sup> अमलमें आ जानेसे मजबूर होकर मुझे जल्दी ही यहां आनेकी जरूरत पड़ी। नहीं तो फिर मेरा आना नहीं हो सकता था। मेरे खयालसे आप सबको यह बुरा लगा होगा, परन्तु बादमें मेरे आनेकी संभावना न होनेके कारण मुझे अुतावल करनी पड़ी। अब अीश्वर करेंगे तो समयको जाते देर नहीं लगेगी और मैं फिर आप सबके और माता-पिताके दर्शनोंका सौभाग्य प्राप्त करूंगा।

मैं जब तक वहां था तब तक मुझसे जितना हो सका घरकी तरफ और सभी तरफ मैंने ध्यान दिया। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

माता-पितासे मेरा प्रणाम कहिये। पत्र बार-बार लिखिये।

शेष कुशल।

सेवक

बल्लभभाजीके प्रणाम

विलायत पहुंचनेके बाद थोड़े ही महीनेमें अेक परीक्षा दी। उसके परिणामका समाचार देते हुअे लिखा :

लंदन, ता० १९-१-'११

पूज्य भाजी नरसीभाजी,

चि० भाजी काशीभाजी बिलकुल पत्र नहीं लिखते और घरकी तरफका कोजी समाचार नहीं मिलता, इसलिखे आप बार-बार पत्र लिखते रहिये। साथ ही काशीभाजी आयें तो अुन्हें भी पत्र लिखनेके लिखे कहिये।

मेरी अेक परीक्षा हो गयी। अुसमें पहले नंबरसे पास हुआ हूं। पूज्य पिताजी और माताजीको मेरा नमस्कार कहिये।

\* बम्बडीकी पाठशालामें जब लम्बी छुट्टी होती, तब मणिबहन डाहीबाके पास रहतीं।

× कानून यह था कि यहांके अेल-अेल० बी० ही बैरिस्टरकी परीक्षा दे सकते हैं।

मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जिस तरफकी कोअी चिन्ता न कीजिये। अीश्वर करेंगे तो दो साल पूरे होनेमें देर नहीं लगेगी और मुझे आप सबके दर्शनोंका सौभाग्य मिलेगा।

भाअी काशीभाअीका साधारणतः अच्छा हाल होगा। सबको मेरी याद दलाना।

शेष कुशल।

सेवक

वल्लभभाअीके प्रणाम

आखिरी परीक्षा पास होनेके बाद लिखा :

मिडिल टैम्पल, अी. सी.

ता० ७-६-'१२

पूज्य नरसीभाअी,

मेरी परीक्षा पूरी हो गअी। मैं प्रथम श्रेणीमें पास हुआ हूं, जिसलिये अब ६ महीने जल्दी आना हो जायगा। आगामी जनवरी मासमें मैं लौट आऊंगा। अब अधिक समय नहीं है। अीश्वरकृपासे ६ महीने जल्दी आनेका लाभ प्राप्त हुआ है। माता-पिताको अिन समाचारोंसे परिचित कर दीजिये। सब स्नेहियोंको सचित कर दीजिये।

आप सब प्रसन्न होंगे। शेष कुशल।

सेवक

वल्लभके दण्डवत् प्रणाम

लंदन, ता० २२-८-'१२

पूज्य नरसीभाअी,

आपका पत्र मिल गया। परीक्षाका परिणाम जाननेके बाद मैं देहातमें घूमने चला गया था। अब वहांसे लंदन लौट आया हूं। जलवायुके परिवर्तनसे और पढ़ाअीसे मुक्त होनेके कारण मेरा स्वास्थ्य बहुत ही सुधर गया है। पूज्य माता-पिताके शुभ समाचार जानकर आनन्द हुआ। अब लौटनेमें पांच मास रह गये हैं। निश्चित दिन अभी तय नहीं हुआ। तय होने पर आपको लिखूंगा। तमाम प्रियजनोंको मेरी कुशलताके समाचार कह दीजिये और सबके कुशल समाचार बार-बार लिखते रहिये। माता-पिताको मेरा साष्टांग प्रणाम कहिये।

शेष कुशल।

सेवक

वल्लभके दंडवत् प्रणाम

देशमें आकर अहमदाबादमें बैरिस्टरी शुरू करनेके बाद जब तक प्रैक्टिस करते रहे, तब तक अहमदाबादका अपना घरखर्च, बम्बयीमें विट्टलभाभीका घरखर्च और करमसद रुपया भेजने वगैराका सारा भार अुठाते रहे। १९१८के खेड़ा सत्याग्रहके समय कोअी छः महीने प्रैक्टिस बन्द कर दी थी। फिरसे शुरू करते ही रोलट सत्याग्रह आ गया और कुछ समय अुसके कारण बन्द रही। फिर दुबारा शुरू की। अितनेमें असहयोग आ गया, असलिये हमेशाके लिये छोड़ दी। प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, असलिये सरदार रुपयेकी कोअी परवाह ही न करते थे। बड़े खर्चिले ढंगसे रहते और सारे कुटुम्बका भार अुठाते। असलिये प्रैक्टिस जब सदाके लिये छोड़ी, तब पासमें कोअी खास धन-संग्रह नहीं था। तो भी कमायी छोड़ना अिनके लिये बड़ी बात न थी। वह तो तृणवत् थी। अुन्होंने जो बड़ा त्याग किया, वह यह था कि बच्चोंको विलायत भेजकर दीर्घ अध्ययन करानेकी और अुनकी भावी कारगुजारीकी जो बड़ी-बड़ी योजनायें मनमें बना रखी थीं अुन सबको छोड़ दिया। मणिबहन १९१८ में ही अहमदाबाद आ गयी थीं और प्रोप्राअिटरी हाअीस्कूलमें भरती हो गयी थीं। डाह्याभाअीने असहयोग शुरू होनेके बाद बम्बयीकी पाठशाला छोड़ दी। वे भी अहमदाबाद आकर प्रोप्राअिटरी हाअीस्कूलमें भरती हो गये।

सन् १९१४ में पिताजीका देहावसान हुआ, अुस समयका श्री विट्टलभाभीका लिखा हुआ अेक पत्र मिल गया है। मरनेके बादके रीत-रिवाजोंमें सुधार करनेके बारेमें विट्टलभाभीका कितना कड़ा रवैया था और अिस मामलेमें सरदारके विचारोंके विषयमें वे क्या सोचते थे, अिसकी कल्पना अिस पत्रसे होती है :

बांदरा, ता० २१

भाअी सोमाभाअी, नरसीभाअी तथा काशीभाअी,

जो अीश्वरको मंजूर था सो सही। सबको अिसी रास्ते जाना है। मेरी अन्तःकरणपूर्वक प्रार्थना है कि भगवान अुनकी आत्माको शान्ति दे।

आपने मुझे आनेको लिखा। मुझे आनेमें कोअी आपत्ति नहीं। परन्तु मेरे कहे अनुसार हो तो ही मैं आऊं, नहीं तो मुझे नहीं आना चाहिये। मेरी अिच्छानुसार आप सब चलो, तो आपके तार या पत्र द्वारा खबर मिलते ही मैं तुरन्त आ जाअुंगा। परन्तु आपकी अिच्छानुसार ही करना हो और नये जमानेकी अुपेक्षा करनी हो, तो अब मेरा किसीके साथ कोअी वास्ता नहीं है। अीश्वरको जैसा पसन्द होगा वैसा होगा। भाअी

बल्लभभाजी कुछ-कुछ आपसे सहमत हों, तो अउनकी सलाहके अनुसार चलिये। मेरा कोअी आग्रह नहीं और मुझे आना भी नहीं। परन्तु अगर आपकी तरफसे तुरन्त समाचार मिलेगा कि सब काम मेरी सलाहके अनुसार ही होगा, तो मैं फौरन वहां चला आऊंगा। असलिये अुत्तर तुरन्त दीजिये।

सेवक  
विट्टलभाजी

सांसारिक रीत-रिवाजोंमें सुधार करनेके मामलेमें सरदार कोअी विट्टलभाजीसे पीछे रहनेवाले नहीं थे। परन्तु दोनों भाअियोंके स्वभावमें अितना फर्क था कि जहां विट्टलभाजी कड़ा और अन्तिम रवैया अस्तियार करते, वहां सरदार समाज और परिवारके लोगोंको भरसक साथ लेकर आगे बढ़ना पसन्द करते।

अहमदाबादमें बैरिस्टरी करते समय सरदार घरमें बहुत थोड़ा समय बिताते थे। प्रातःकालका समय मुकदमोंके कागजात देखनेमें चला जाता और म्युनिसिपैलिटीमें जानेके बाद वहांके किसी न किसी कामके सिलसिलेमें शहरमें घूमने जाना पड़ता। दोपहरका समय अदालतोंमें जाता और वहांसे क्लबमें जाते तो ८॥-९ बजे रातको घर आते। गांधीजीके साथ सम्बन्ध हो जानेके बाद गुजरात क्लबमें जाना बहुत कम कर दिया था। परन्तु म्युनिसिपैलिटीके साथियोंने, जिनमें से बहुतसे असहयोगका आन्दोलन चला तब अुसमें शरीक हो गये थं, अेक छोटीसी खानगी क्लब खोल ली थी। अुसमें रोज शामको जाते। वहां शहरकी सार्वजनिक प्रवृत्तियोंकी और म्युनिसिपल कार्यकी योजनाअें सोची और तैयार की जातीं। बादमें तो रातको ब्यालू भी घर पर न करते और बचु-भाजी ( कृष्णलाल देसाअी ) अथवा डाॅ० कानूगाके यही ब्यालू कर लेते। असलिये घर पर बहुत देरसे आना होता था। मणिबहन और डाह्याभाजीके अहमदाबाद रहनेके लिये आ जानेके बाद भी सरदारका समयपत्रक तो असिी प्रकार जारी रहा। डाह्याभाजी सरदारके साथ बोलते और कभी-कभी हंसी-दिल्लगी करते हुअे अुनसे चिपट जाते, परन्तु मणिबहन अुनके साथ अेक शब्द भी न बोलतीं और सरदार भी अुनसे बात न करते। यहां तक कि मणिबहनको सरदारके सामने आनेमें भी संकोच होता। सरदार सवेरे दीवानखानेमें चक्कर लगाते होते, तब मणिबहन नहा-धोकर पासवाले हिस्सेके दरवाजेमें आकर खड़ी रहतीं। सरदार अुनसे पृच्छते कि 'क्या हाल है?' मणिबहन जवाब देतीं कि 'अच्छा है।' दिनभरमें दोनोंके बीच अितनीसी बात होती। फिर दूसरे दिन सवेरे मणिबहन मुंह दिखातीं और यही संवाद

होता। मां छुटपनमें गुजर गयी थीं और सरदारके सामने जबान खुलती ही न थी। जिसलिये मणिबहनको तो माता-पिताके प्रेम या लाड़-प्यार पानेका अवसर ही नहीं मिला। सौभाग्यसे पड़ोसमें ही दादासाहब मावलंकर रहते थे। उनकी माताजी मणिबहनकी खूब देखभाल रखती थीं। और दादासाहबकी पहली पत्नीके साथ भी मणिबहनका दिल बहुत मिल गया था। मणिबहन सारा दिन दादासाहबके घर पर ही बितातीं। वहां मणिबहनको पारिवारिक प्रेम और आश्रय मिला। यद्यपि दोनों बालकोंको पिताकी तरफसे बेहद स्वतंत्रता मिली थी और उस स्वतंत्रताके देनेवाले पिताके मूक प्रेमसे अन्हें गरमी भी मिली होगी, फिर भी अपने बलसे बने हुए सरदारने यह मान लिया होगा कि उनके बच्चे भी अपने आप ही बन जायेंगे। बहुतसे मां-बाप अपने बच्चोंकी शिक्षा और निर्माणकी अत्यधिक चिन्ता और कोशिश करके अल्टे उनके विकासमें बाधक होते हैं। उनकी अपेक्षा तो सरदारकी दी हुई यह स्वतंत्रता बुरी नहीं मानी जायगी।

दोरसदकी लड़ाई खतम होनेके बाद जब सरदार करमसद गये थे, तब सरदारकी माताजीने मणिबहनके विवाहके बारेमें सरदारके साथ बातचीत की थी। महादेवभाजीने उसे 'नवजीवन' में पात्रोंके नाम लिखे बगैर दिया है। उसमें अपने बच्चोंके प्रति सरदारके रुखका सुन्दर चित्र मिलता है :

एक बड़े कमरेमें छोटासा दिया जल रहा था। एक किनारे पर तीन बच्चे (श्री काशीभाजीके) खूब ओढ़कर साथ सो रहे थे और दूसरे किनारे पर अन्दरके कमरेके दरवाजेके सामने कोठी ८० वर्षकी लकड़ी जैसे सूखे शरीरकी एक बुढ़िया बैठी थी। दीवारके सहारे गादी-तकिया लगा हुआ था और सामने छोटीसी किताबोंकी आलमारी पर कानूनकी थोड़ीसी पुस्तकें पड़ी हुई थीं।

कोठी ५० वर्षका बेटा सीढ़ियां चढ़कर 'क्यों मां' कहकर तकियेके सहारे बैठ गया। बुढ़ियाको आंखोंसे बहुत दीखता नहीं था। "कौन है भाजी? भाजी? आओ, बच्चे अच्छे हैं?" कहकर बुढ़ियाने स्वागत किया।

बेटेने जवाब दिया: "हां. सब अच्छे हैं।"

"गांधीजी छूट गये। बड़ा अच्छा हुआ। मुझे तो गोज खयाल हुआ करता था कि अन्हें कैसे छुड़ाया जाय। कैसे छुड़ाया जाय? परन्तु सरकारने छोड़ दिया।"

"हां।"

"यहां वे कब आयेंगे?"

“अभी तो कुछ दिन अस्पतालमें रहना पड़ेगा।” बेटेने थोड़ेमें निपटा दिया।

“भीतर रग पर फोड़ा हो गया था, अिसलिअे अुसे चीरा लगाना पड़ा, क्यों? बहुत दुःख पाया होगा?”

“हां, तो।”

“... भाअी आजकल कहां हैं?”

“दिल्लीमें सरकारके साथ लड़ रहे ह। जन्मका ही फसादी स्वभाव कहीं जाता है?”

बुढ़ियाने हां या नामें सिर नहीं हिलाया। यह समझकर कि कुछ अन्याय हो रहा होगा चुप ही बैठी रहीं। फिर थोड़ी देर ठहरकर बोलीं :

“यहां रहोगे?”

“नहीं, कल जाना है।”

“देखो तो, सबका ठीक हो गया। यहां भी लोगोंका ठीक हो गया। गांधीजी भी छूट गये। अब घरमें भी ...”

वाक्य पूरा होनेसे पहले ही बेटेने वह वाक्य पकड़ लिया :

“घरमें भी ठीक करो। यानी .... बहनके लिअे अब तलाश करो, यही न ?”

“सो तो है ही। मेरी अब भगवानसे कोअी मांग नहीं। बस, यह अेक काम हो जाय तो सब हो गया।”

“जो भाग्यमें लिखा होगा वही होगा।”

भाग्यमें लिखा न माननेवाले बेटेका ढोंग बुढ़ियाने समझ लिया। अिस लिअे तुरन्त बोलीं :

“वह तो होगा ही। परन्तु हमारे दलाल बने बिना भी क्या काम चल सकता है ?”

बेटा चुप रहा। यह समझकर कि यह विषय बेटेको पसन्द नहीं है, बुढ़ियाने फिर बात पलट दी। “तुम्हारे साथ बड़ी दादीवाले बुजुर्ग\* आया करते थे वे नहीं आये ?”

“नहीं, घर पर रह गये।”

बेटेने कहनेको तो कह दिया कि जो भाग्यमें लिखा होगा वही होगा, परन्तु अुनके मनमें विचार तो होने ही लगा था। वे बुढ़िया मांके सवालोकें जवाब यांत्रिक ढंगसे देते जा रहे थे और दिलमें तो मांकी पूछी हुआ बात पर ही विचार कर रहे थे।

बुढ़िया मां फिर बोली : ... बहन तो आकर चली गयी। परन्तु ... भाजी जिस बार बहुत दिन रहा। कैसी मीठी अुसकी वाणी ! दिन भर बोलता ही रहता। तमाम दिन कल्लोल किया करता।” अितनी भूमिका बनाकर बुढ़िया माने बेटेका मन फिर पहलेवाली बात सुननेको तैयार कर लिया।

“खैर, ... भाजीकी तो कोजी चिन्ता नहीं। परन्तु ... बहनकी चिन्ता रहा करती है। भगवानने मुझे अितने समय तक जिलाया है, सो शायद इसीलिये तो नहीं जिलाया है ? असा लगता है कि ... बहनको ब्याह देनेके बाद मरूंगी। इसके सिवाय अब और कोजी तृष्णा नहीं रह गयी है।”

बेटा चुप ही रहा। इसलिये बुढ़िया माने फिर बात बदलनेका ढोंग किया।

“दोनों पढ़ने जाते हैं क्या ?”

“हां।”

“दोनोंकी परीक्षा कब है ?”

... भाजी सटपिटाये। आसपास बैठे सब हंसने लगे। अन्हें पता नहीं था कि अुनके बच्चे कौनसी परीक्षामें बैठेंगे। इसलिये बुढ़िया माने व्यंग किया :

“सारी दुनियाका पता रखते हो और अपने बच्चोंका पता ही नहीं ?”

“बच्चे अब बड़े हो गये हैं। अपनी देखभाल खुद कर लें।”

सामने अेक लड़का बैठा था। अुसे सम्बोधन कर बुढ़िया मां बोली : “देख रे, सुन ले। काका क्या कह रहे है ? तुम्हें अपनी देखभाल खुद कर लेनी चाहिये।”

मैने ( महादेवभाजी ) कहा : “अब तो अहमदाबाद चलकर रहिये ना।”

“रहूं तो सही, भाजी। परन्तु वे छोटे-छोटे ( काशीभाजीके बच्चे ) जो सो रहे हैं अुन्हें कौन संभाले ?”

अस्सी वर्षकी बुढ़िया अुन मातृहीन बालकोंको संभालती थीं और बेटेको भोजन बनाकर खिलाती थीं।

अन्तमें सब अुठ गये। बेटेने कहा :


“तो अुठें।” इस पर बुढ़िया बोलीं :

“... भाजीसे कहना । वही कहीं देख रखे।”

“क्यों, अुनसे क्यों कहा जाय ?” :







[ पृष्ठ ३६७ ]

**बाढ़ संकटके समय नडियादमें**

बाड़ी ओरसे : श्री विठ्ठलभायी, श्री सामाभायी, मातुश्री, श्री नरसीभायी, सरदार  
(खड़े) श्री काशीभायी

“तुम्हें तो अतना भी पता नहीं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, फिर लड़कीके लिये वर क्या ढूंढोगे ?”

सब हंसते-हंसते नीचे अतर आये। थोड़ी ही देर बाद तो बुढ़ियाके बेटेको हजारोंकी सभामें भाषण देना था।

परन्तु मणिबहन और डाह्याभाभीके लिये सरदारका स्थान गांधीजीने अच्छी तरह ले लिया था और सरदारको यह मालूम था, असिलिये वे निश्चिन्त थे। गांधीजी मणिबहनसे पूछ लेते थे कि दोनों बालक क्या पढ़ रहे हैं और परीक्षाओंमें कैसे रहते हैं। डाह्याभाभी गांधीजीसे न बहुत बातचीत करते और न पत्रव्यवहार ही रखते। परन्तु मणिबहन गांधीजीसे बहुत बार मिलती रहतीं और अुनके साथ चिट्ठीपत्री भी रखतीं। विद्यापीठकी स्नातिका होनेके बाद क्या करें, असि बारेमें गांधीजीका पथप्रदर्शन अुन्हें मिलता रहता। गांधीजीने सुझाया कि डाह्याभाभीको डॉक्टरीकी पढाई करनी हो तो हकीम अजमलखां साहबके तिब्बिया कॉलेजमें चला जाय और अिजीनियर बनना हो तो किसी बड़े कारखानेमें काम करते-करते अिजीनियरी सीख ले और पढनेके लिये विदेश जाना हो तो असका प्रबन्ध कर देनेको भी कहा। बिडलाकी किसी मिलमें लगा देनेकी बात भी निकली थी, परन्तु डाह्याभाभीका कपडेकी मिलमें काम करना गांधीजीको पसन्द नहीं था। असि प्रकार कअी तरहके विचार हुअे। परन्तु डाह्याभाभीने स्वयं ही बीमेकी लाइन पसन्द कर ली और अुसमें अुन्होंने अपने आप ही अपनी व्यवस्था कर ली। अपने लिये कन्या भी डाह्याभाभीने खुद ही पसन्द कर ली। विवाहका दिन तय करनेका समय आया, तब डाह्याभाभीने गांधीजीसे कहा कि ‘मणिबहन बडी है, असिलिये अुनकी शादी हो जानेके बाद मैं ब्याह करूंगा।’ मणिबहनने गांधीजीसे कह दिया कि ‘डाह्याभाभी मेरे विवाहके लिये प्रतीक्षा करेगा तो अुसे प्रतीक्षा ही करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे विवाह नहीं करना है।’ असिके बाद मार्च १९२५में साबरमती आश्रममें गांधीजीकी मौजूदगीमें ही डाह्याभाभीका विवाह हुआ। असि बारेमें गांधीजीने ‘नवजीवन’ में लिखा था :

“श्री वल्लभभाभीके पुत्र चि० डाह्याभाभी तथा श्री काशीभाभी अमीनकी लड़की चि० यशोदाका विवाह तो स्वेच्छासे ही हुआ माना जायगा। दोनोंने अेक-दूसरेको ढूढ लिया और बड़ोंकी सम्मतिसे अपनी अिच्छानुसार ही विवाहका निश्चय किया। . . . पाटीदार जातिके लिये यह आदर्श विवाह कहा जा सकता है। दोनों प्रसिद्ध परिवार हैं। श्री काशीभाभी खर्च करना चाहते तो कर सकते थे। फिर भी अुन्होंने जान-बूझकर बिना खर्च किये विवाह करनेका निश्चय किया और किसी हद

तक अपने रिश्तेदारोंकी नाराजगी मोल ली। मुझे आशा तो यही है कि ऐसी शादियां और पाटीदार भी करेंगे और दूसरी जातियां भी करेंगी और अधिक खर्चके भारसे बचेंगी। ऐसा करें तो गरीबोंको शान्ति हो जाय और धनिक अपनी अच्छानुसार देशसेवा या धर्मके कामोंमें रुपया लगा सकें।”

असहयोगके शुरूमें डाह्याभाजी बम्बयीका स्कूल छोड़कर अहमदाबाद आ गये थे। उसके थोड़े समय बाद जब गांधीजीने विलायती कपड़ेकी होली करायी, तब उसमें अपने तमाम कपड़े जलाकर दोनों भाजी-बहनने खादी धारण कर ली। खादीमें भी मणिबहनने तो सफेदके सिवाय दूसरी खादी अस्तेमाल ही नहीं की। साडी भी रंगीन किनारवाली कभी नहीं पहनी। अणुके पास कुछ जेवर था, वह भी अणुहोंने अतारकर गांधीजीको दे दिया। गांधीजीने सलाह दी थी कि तुम स्वराज्य मिलने तक शादी न करनेका संकल्प कर लो तो अच्छा है। मणिबहनने यह सलाह मान ली। अतना ही नहीं, परन्तु सदाके लिये अविवाहित जीवन बितानेका संकल्प कर लिया। अणुका झुकाव तो पहलेसे ही कटोर और सादा जीवन बितानेकी ओर था। उसमें अणु-रोत्तर वृद्धि होती रही है। आजकल वे समय-समय पर अपुवास और अन्य कभी प्रकारके व्रत नियमित रूपसे करती हैं। कितने ही वर्षोंसे रोज कातनेका नियम भी बड़ी लगनके साथ पाल रही हैं। और अतना सूत कात लेती हैं, जिससे अपने और सरदारके कपड़े बन जायें।

गांधीजी चाहते थे कि मणिबहन स्त्रीसेवाके काममें पड़ें। जमनालालजीकी अच्छा वर्धामें महिला विद्यालय खोलनेकी थी। गुजरात विद्यापीठसे स्नातिका बननेके बाद वे कुछ समय वर्धा रही थी। बादमें गांधीजीने अणुहें तालीमके लिये श्री देवधरके सुपुर्द कर दिया और अणुहोंने अणुहें पूनाके सेवासदनमें रखा। फिर वे अेकाध साल साबरमती आश्रममें रहीं। वहां बहनोंकी जो संस्था थी, उसके मंत्रीका काम किया। सन् '२७ में बाढ संकटके समय कोजी छः महीने मातरमें मेरे साथ काम किया। बारडोली सत्याग्रहकी लड़ाकीके बाद अणुहें पिताकी सेवाका कार्य मिल गया। तबसे अब तक अुसीमें ओत-प्रोत हैं और अुसीमें जीवनकी सार्थकता और धन्यता अनुभव कर रही हैं। सरदारकी सेवा वे अनन्य भक्ति और कुशलतासे करती हैं। किस समय सरदारको क्या चाहिये, अुसे अणुके मांगे बिना पहलेसे सोचकर तैयार रखती हैं। अणुके स्वास्थ्यकी देखभाल बड़ी सावधानीके साथ करती हैं। कोजी अणुहें व्यर्थ अत्यधिक श्रम न दे, इसका वे बहुत खयाल रखती हैं। अिस चौकीदारीमें सरदारसे मुलाकात चाहनेवालोके साथ तारतम्य करते समय अणुहें अकसर सस्त बनना पड़ता है और मुलाकातियोंकी काफी नाराजगी मोल

लेनी पड़ती है। सरकारी कामोंके सिवाय सरदारके पास सार्वजनिक संस्थाओं तथा ट्रस्टोंके बहुतसे काम होते हैं। उनका पत्रव्यवहार संभालना, फाइलें रखना, भाषणोंके नोट लेकर रखना आदि सारे काम भी मणिबहन होशियारीसे करती हैं। अतनी अुध्र और अैसी तंदुरुस्तीमें सरदार अितना काम कर लेते हैं, असमें मणिबहनकी सेवाशुश्रूषा और चौकीदारीका बहुत बड़ा हाथ है।

सरदारने मणिबहनको बिलकुल नही और डाह्याभाअीको भी बहुत कम खेलाया था। परन्तु यह बात नही कि बच्चोंको खेलाना अुन्हें अच्छा नही लगता। मणिबहन और डाह्याभाअीको न खेलानेमें तो अपने बच्चोंसे बुजुर्गोंके देखते हुअे न बोलनेका पुराना रिवाज भी कारण होगा। वैसे तंदुरुस्त और शरीर बच्चोंके साथ धीगामस्ती करते समय सरदार अपना बड़प्पन भूल जाते हैं। अपने पौत्रों, भतीजेके बच्चों या मित्रोंके बच्चोंके साथ खेलनेका मौका वे कभी हाथसे नही जाने देते। अुन्हें कुदाना, गुलाटें खिलाना, अुनके साथ आंखमिचौनी खेलना और मुक्केबाजी करना अुनका खास शौकका विषय है। जब वे बच्चोंके साथ खेलते हों, तब बच्चोंको तमाम चीजें अस्तव्यस्त कर देनेमें अुनके प्रोत्साहनके कारण मणिबहनकी चीजोंकी व्यवस्था, सफाअी और क्रम सब कुछ ताकमे धरा रह जाता है। बच्चोंके साथ धीगामस्ती करना सरदारका अेक बड़ेसे बड़ा मनोरंजन है।

विट्टलभाअी और सरदारने अपना-अपना कार्यारभ किया तबमे अथवा वे पढ़ाअी करते थे तबसे भाअियोंका अेक साथ रहना शायद ही हुआ होगा। करमसद भी वे क्वचित ही जाते थे और सो भी किसी सार्वजनिक कामसे ही जाना होता था। १९२७ में गुजरातके बाढ-संकटके समय विट्टलभाअी बड़ी धारा-सभाके अध्यक्ष थे और वे नडियाद आकर रहे थे। अुस समय माताजी और पांचों भाअी परिवार सहित लगभग अेक महीना नडियादमें साथ रहे थे। तब बहुत वर्षों बाद माताजी और सब भाअियोंको गृहजीवन बितानेका अवसर मिला था। पांचों पुत्रोंसे घिरी हुअी वृद्धा माताजीका अुस समयका फोटो अस पुस्तकमें दिया गया है।

## कोकोनाड़ा, गांधीजीकी रिहाअी और स्वराज्य दल

बोरसदकी लड़ाअी जारी ही थी कि कोकोनाड़ा कांग्रेस आअी। लड़ाअीका तंत्र अितना अच्छी तरह व्यवस्थित हो चुका था कि सरदारको बोरसद छोड़कर आठ-दस दिन बाहर जानेमें दिक्कत नही हो सकती थी, यद्यपि कोकोनाड़ामें कोअी बड़ा काम होनेकी आशा नही थी। दिल्ली कांग्रेसमें अिजाजत मिल जानेपर स्वराज्य दलने धारासभाओके नवम्बर मासमें होनेवाले चुनावोंमें भाग लिया था और अनुमें बंगालमें अुन्हें काफी सफलता मिली थी। दूसरे प्रान्तोंमें वे निश्चित बहुमत प्राप्त नही कर सके थे, फिर भी काफी संख्यामें चुने जानेके कारण धारासभाओंमें अुन्होंने अेक गणनायोग्य दलका स्थान प्राप्त कर लिया था। बड़ी धारासभामें दूसरे स्वतंत्र दलोंके साथ मिलकर वे कअी बार सरकारके विरुद्ध बहुमत बना लेते थे।

यह कहें तो कोअी हर्ज नही कि १९२३ का कांग्रेसका लगभग सारा साल आपसके लड़ाअी-झगड़ेंमें बीत गया था। कार्यकर्ता अिससे अूब गये थे। अिसलिये कोकोनाड़ामें अितना तो सबके दिलोंमें निश्चित था कि अब लड़ाअी-झगड़े न किये जायं। सबकी परम अिच्छा अैसा वातावरण बनानेकी थी, जिससे कांग्रेसका भावी कार्य निर्विघ्न होने लगे। फिर भी अपरिवर्तनवादी दलके कुछ अधिक अुत्साही व्यक्ति अैसे थे, जो दिल्ली कांग्रेसके प्रस्तावको अिस कांग्रेससे रद्द कराना चाहते थे। अिस पर राजाजीने अपना रवैया स्पष्ट किया कि दिल्लीके निश्चयको बदलनेका झगड़ा करनेकी जरूरत नहीं है। धारासभाओंमें गये हुआंको वापस बुलाना भी आवश्यक नहीं है। परन्तु धारासभा-प्रवेशके सिलसिलेंमें जो बातें और चर्चाअें हो चुकी हैं, अनुसे देशके वातावरणमें खलवली मची है और कांग्रेसकी नीतिके बारेमें कछ मतभेद हो गया है। अिसलिये यह स्पष्ट करनेकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कांग्रेसकी नीति और कार्यक्रम दोनोंमें कोअी फर्क नहीं पड़ा है। अिसके लिये अुन्होंने देशबन्धु दासके साथ मशविरा करके और अनुकी सहमति प्राप्त करके निम्न लिखित प्रस्ताव कांग्रेसमें पेश किया। दासबाबूने अुसका समर्थन किया और वह पास

हो गया। राजाजी और दासबाबूने मिलकर यह प्रस्ताव तैयार किया था, जिसलिअे वह समझौतेका प्रस्ताव कहलाया। यह है वह प्रस्ताव :

“कलकत्ता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्लीकी कांग्रेसों द्वारा स्वीकृत असहयोगके प्रस्तावोंको यह कांग्रेस फिरसे स्वीकार करती है।

“चूंकि धारासभा-प्रवेश सम्बन्धी दिल्ली कांग्रेस द्वारा पास किये गये असहयोगके प्रस्तावके कारण यह शंका पैदा हो गयी है कि त्रिविध बहिष्कारकी कांग्रेसकी नीतिमें कोओ परिवर्तन हुआ है या नही, जिसलिअे यह कांग्रेस निश्चय करती है कि अुस बहिष्कारके सिद्धान्त और नीति ज्योंके त्यों कायम रहते हैं।

“साथ ही यह कांग्रेस घोषणा करती है कि अुक्त बहिष्कारके सिद्धान्त और नीति तो रचनात्मक कार्यक्रमकी बुनियाद है, जिसलिअे बारडोलीमें तय किये गये रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करने और सविनय भंगके लिअे तैयार होनेका यह कांग्रेस देशसे आग्रह करती है।

“हमारे ध्येयको जल्दीसे जल्दी प्राप्त कर लेनेके लिअे यह कांग्रेस जिस बारेमें तात्कालिक कार्रवाओ करनेकी प्रत्येक प्रान्तिक समितिको हिदायत करती है।”

जिस कांग्रेसकी विषय-समितिमें कांग्रेसका ध्येय बदलकर अुसमें पूर्ण स्वाधीनता शब्द जोड़नेका प्रस्ताव भी आया था। अुसके मुख्य कारणोंमें केनियामें हिन्दुस्तानियोंके साथ होनेवाला अन्याय और अुनका अपमान बताया गया था। सरदारने जिस प्रस्तावका विरोध करते हुअे कहा :

“मुझे पूर्ण स्वाधीनता अच्छी न लगती हो सो बात नही ; परन्तु जब अहमदाबादकी कांग्रेसने मौलाना हसरत मोहानीका जिस आशयका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया, तो आज तो हम अुस समयसे कही अधिक कमजोर हैं। केनियामें हिन्दुस्तानका अपमान महात्माजीको जेलमें रखनेके देशके अपमानसे बड़ा नही है। भावनाओके वश होकर हमें व्यावहारिक दृष्टि नही भूलनी चाहिये।”

कोकोनाड़ासे लौटनेके बाद ता० १२ जनवरीके दिन जब बोरसदका विजयोत्सव मनाया जा रहा था, अुसी रातको गांधीजीको यरवदा जेलसे पूनाकी सासून अस्पतालमें लाकर ‘अपेन्डिसाइटिज’ का ऑपरेशन किया गया और ता० ५ फरवरीको अुन्हें बिना शर्त छोड़ दिया गया। सरदार जब गांधीजीसे मिलने पूना गये, तब अुन्होंने अुनका अिन शब्दसे अभिनन्दन किया : ‘आजिये, बोरसदके राजा।’ सरदारके दिलमें भी अितना आत्मसंतोष

तो था ही कि जब बाकी तमाम देशमें थोड़े-बहुत झगड़े और निरुत्साहका वातावरण था, तब गुजरातमें वे अनुशासन, अकता और अत्साह बनाये हुअे थे और गुजरातको गांधीजीका स्वागत करने योग्य स्थितिमें रख सके थे। अिसीके साथ वे अिस बातसे शान्ति भी अनुभव कर रहे थे कि अुनके सिरसे चिन्ताका बड़ा बोझ अुतर गया। अुन्होंने गुजरातसे यह अपील की कि जब गांधीजी गुजरातमें पधारें, तब अुनके चरणोंमें पत्र-पुष्प भेंट करनेके लिये गुजरात दस लाख रुपया अिकट्टा करे; अिसके सिवाय रचनात्मक कामके कमसे कम तीन क्षेत्र, जहां कार्यकर्ता अिस अुद्देश्यसे बैठे ही थे, अैसे तैयार किये जाय कि गांधीजीके लिये यह तय करना मुश्किल हो जाय कि अुन तीनोंमें से वे किसे पसन्द करें और वहां अपना प्रयोग करके देखें।

सासून अस्पतालसे डॉक्टरों द्वारा मुक्ति मिलने पर गांधीजी मित्रोंके आग्रहसे आराम और जलवायु परिवर्तनके लिये जुहू जाकर रहे। ता० ६ अप्रैलसे अुन्होंने 'नवजीवन' और 'यंग अिडिया' में लिखना शुरू किया। अुसी अंकमें अुन्होंने अपने कारावासके समयकी गुजरात और सरदारकी कारगुजारीके विषयमें लिखा :

“गुजरातका पिछले दो वर्षका अितिहास गुजरातियोंके लिये शोभास्पद है। जो गुजरातके लिये शोभाकी चीज है, वह हिन्दुस्तानके लिये भी। हमारा आन्दोलन अैसा है कि अुसकी जो चीज अेक प्रान्तको लाभ पहुंचाती है, वह समस्त भारतको लाभ पहुंचाती है। अिसलिये जिस हद तक गुजरात अुन्नत हुआ है, अुस हद तक सारा देश अुन्नत हुआ है। वल्लभभायीकी कार्यदक्षता प्रत्येक अंगमें देखी जा सकती है। जैसे वे वैसे अुनके साथी। बोरसद सत्याग्रह सात्विक अुद्यमका अुज्ज्वल नमूना है।

“बोरसद सत्याग्रह खेड़ाके सत्याग्रहसे कअी बातोंमें बढकर है। खेड़ाकी जीत केवल सम्मानकी जीत थी। अहमदाबादके मजदूरोंके सत्याग्रहकी जीत पर तो मेरे अुपवासका कलंक था, क्योंकि अुस अुपवासका मिल-मालिकों पर अुनुचित दबाव पड़ा था।

“बोरसदमें सत्याग्रहकी ही पूरी जीत हुअी। अुसमें सम्मान और अर्थ दोनोंकी रक्षा हुअी और विजय प्राप्त करनेमें और किसी अुचित या अुनुचित साधनकी मिलावट बिलकुल नहीं हुअी।

“कोअी यह न समझ ले कि परिस्थिति अुनुकूल थी अिसलिये जीत हुअी, क्योंकि गवर्नर अच्छे साबित हुअे। गवर्नरको न्याय करनेके लिये हम अवश्य बधायी दें। परन्तु गवर्नर कठोर हृदयका होता, तो क्या वह

बोरसदके शुद्ध आग्रहको दबा सकता था ? श्रद्धालु यह मान लें कि सात्विक आन्दोलनको चलानेवाले सात्विक वृत्तिके हों, तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। सत्याग्रहका तरीका यह है कि विरोधीको मित्र बनाया जाय यानी सात्विक परिस्थिति पैदा की जाय।

“अगर बोरसदका सत्याग्रह करके गुजरातने आराम लिया होता, तो भी कोअी अंगली न अुठाता। परन्तु सत्याग्रहीको आराम कहा ? अुसकी छुट्टियां अुसका नित्य नया अुद्यम है। सत्याग्रहका अर्थ अन्तर्दर्शन भी किया जा सकता है। बोरसदमें लोगोंने अन्तर्दर्शन करके देख लिया कि बोरसद पर सजाके लिअे पुलिस बैठा दिये जानेमें कुछ न कुछ दोष अुनका भी है। अेक दोष देखने पर दूसरे अपने आप दिखाअी देने लगते हैं। असलिअे अब वहां भीतरी सुधारका काम हो रहा है। सरकारके विरुद्ध लड़नेसे यह काम अधिक कीमती भी है और कठिन भी है। सरकारके विरुद्ध लड़कर विजय प्राप्त करना निदाअीकी क्रिया थी। अब फसलको पकाने और काटनेकी मेहनत करनेमें अधिक कठिनाअी है। साथ ही अधिक मियादकी जरूरत है। मेने सुना है कि यह काम भी अच्छा हो रहा है। अस कार्यकी पूर्णतामें बोरसद तालुकेके निवासियों और स्वयंसेवकों दोनोंकी शक्ति और योग्यताकी परीक्षा होगी।”

ता० १३ मअीको श्री काकासाहबकी अध्यक्षतामें बोरसदमें सातवीं गुजरात राजनैतिक परिषदकी बैठक हुअी। अुसीके साथ श्री मामासाहब फडकेकी अध्यक्षतामें अछूत परिषद हुअी और श्री रविशंकर महाराजकी अध्यक्षतामें ठाकुर परिषद हुअी। यह आशा रखी गअी थी कि अिन परिषदोंमें गांधीजी आयेंगे। परन्तु मित्रों और डॉक्टरोंने अुन्हें जूहू नही छोड़ने दिया। बोरसदकी परिषदकी अुन्होंने प्रेरक संदेश भेजा। अुसमें अुन्होंने बोरसदके लोगसे कहा :

“बोरसदने गुजरातकी शोभा बढ़ाअी है। बोरसदने सत्याग्रह करके, कुर्बानी देकर और त्याग करके अपनी और हिन्दुस्तानकी सेवा की है। बोरसदने जमीन साफ कर दी है। अब अिमारत बनानेका काम बाकी है और वह कठिन काम है। मै जानता हूं कि वह काम हो रहा है। वह पूरा तो तब हुआ कहा जायगा, जब बोरसद तालुका हाथकती खादीके सिवाय दूसरा कपड़ा काममें न ले और न खरीदे; अुसकी हदमें अेक भी विदेशी या मिलके कपड़ेकी दुकान न हो; तालुकेमें कोअी शराब, गांजा या अफीम न पिये; कोअी चोरी और व्यभिचार न करे; तालुकेमें लड़के और लड़कियां, फिर भले ही वे अछूतोंके हों या दूसरे, राष्ट्रीय पाठशालाओंमें



पढ़ते हों; तालुकेमें झगड़े-फसाद न हों और कभी हों तो उनका निपटारा पंच द्वारा हो; हिन्दू-मुसलमान भाअियोंके समान होकर रहें; और अछूतोंका कोअी तिरस्कार न करे। करना चाहें तो यह सब आसान है। मुझे यकीन है कि बोरसद अतना कर ले, तो हिन्दुस्तानको स्वराज्य दिलवा सकता है। लोग असा करनेकी प्रतिज्ञा करें। मैं चाहता हूं कि यह प्रतिज्ञा करनेका तुममें बल पैदा हो। प्रतिज्ञा तभी ली जाय जब अुसका पालन करनेका पूरा आग्रह हो। अुसके पालनके लिये हरिश्चन्द्र जैसा ही आग्रह होना चाहिये, नही तो न लेनेमें ही समझदारी है।”

परिषदके प्रस्ताव अिस सन्देशके अनुसार ही हुअे। दरबार साहब पर गांधीजीके सन्देशका गहरा असर हुआ था। अुन्हें रातको नीद नही आअी। अपने साथी कार्यकर्ताओंको अुन्होंने रातके अेक बजे जगाया। अुनके साथ खूब चर्चा की और अुनके सामने बोरसदमें गड़े रहकर तालुकेको स्वराज्यकी लड़ाअीके लिये तैयार करनेका अपना संकल्प घोषित किया। अुनके साथ कोअी दस मर मिटनेवाले सेवक तैयार हुअे। परिषदमें जो ठहराव हुआ अुसमें गुजरातके कुछ क्षेत्रों और जातियोंकी सर्वांगीण सेवा करके अुन्हें स्वराज्यके लिये तैयार करनेका जिन भाअी-बहनोंने आजीवन व्रत लिया, अुन्हे बधाअी दी गअी। परन्तु सरदार अिस प्रकार भावनाके आवेशमें बह जानेवाले नही थे। अुन्हें पूरा पूरा खयाल था कि बोरसदका क्षेत्र कितना कठिन है। अिसलिये अुन्होंने वहांके लोगो और कार्यकर्ताओंको सावधान करनेके लिये हृदयभेदी शब्दोंमें कहा :

“बोरसदको यह प्रस्ताव स्वीकार करते समय खूब विचार कर लेना चाहिये। बोरसदको जितना मैं जानता हूं, अुतना यहां अेकत्रित लोगोंमें से कोअी भी नही जानता होगा। बोरसदकी शक्तिका भी मुझे पता है। बोरसदकी बुराअियां और अंब भी मुझे पूरी तरह मालूम हैं। कुन्दनके भीतर काजलके दाग देखनेकी वृत्तिवाले भी यहां मौजूद है। बोरसदको ठहराव करनेसे पहले यह खूब सोच लेना चाहिये।”

चेतावनीकी यह गंभीर ध्वनि निकालनेके सिवाय अुन्होंने अपने भाषणमें अेक और बड़ी बात यह कही कि :

“गांधीजीको बाहर निकलनेके वाद अमा महसूस हो रहा है कि देशकी निराधार दशा हो रही है। यह दुःखद स्थिति है। हमें गांधीजीको सारी चिन्ताओंसे मुक्त कर देना चाहिये। अिस प्रकारका प्रस्ताव करके हम अपना काम गांधीजीसे पूछे बिना पूरा करें, तो ही हम अुन्हें निश्चिन्त

कर सकते हैं। गुजरातसे मेरा अनुरोध है कि वह अपना दुखड़ा गांधीजीके पास न ले जाय। अन्हें दूसरे बेशुमार दुःखोंकी चिन्ता है।” \*

परिषदमें अेक और महत्त्वका प्रस्ताव देशसेवाका जीवनव्रत लेनेवालोंके अेक प्रान्तीय सेवामंडलकी योजना तैयार करके अुसे प्रान्तीय समितिके सामने पेश करनेके लिअे अेक छोटीसी समिति सरदारकी अध्यक्षतामें बना देनेका था। अुस योजनाने मूर्तरूप ग्रहण नहीं किया। परन्तु गांधीजीके अुपस्थित किये हुअे सेवाके आदर्शसे प्रभावित और सरदारकी सहायता और आश्रयसे पोषित अेक सेवक वर्ग तो गुजरातमें निर्माण हो ही चुका था। आज भी वे सेवक अलग-अलग संस्थाओंके आश्रयमें काम कर रहे हैं। अुन सबमें काफी अेकसूत्रता और पारिवारिक भावना है। गुजरातके अिस सेवक वर्गमें पारिवारिक भावना जाग्रत करने और अुसे पोषण देनेमें गांधीजीके साथ सरदारका बहुत अधिक हाथ रहा है।

गांधीजीके बाहर आते ही अुन्हें अपरिवर्तनवादियों और स्वराज्य दलके झगड़ेंमें पड़ना पडा। अुन्होंने जुहूमें दोनों दलोके नेताओसे खूब बातें कीं। दो वर्षमें जो घटनाअें हुअी थीं अुन्हें समझ लिया और दोनों दलोके दृष्टिकोण समझनेका प्रयत्न किया। पंचविध बहिष्कारवाले असहयोगकी नीतिके बारेमें अुनके विचारोंमें दो वर्षके कारावासके दरमियान रत्तीभर भी फर्क नहीं पडा था। सरकारके हृदय-परिवर्तनका अेक भी निशान अुन्हे दिखायी नहीं देता

\* गांधीजीके जेलसे निकलते ही अुन पर प्रश्नोंकी झड़ी लग गअी थी। फलां काम किया सां ठीक है? यो करें ता ठीक है? अब हम क्या करें? आपके कार्यक्रमसे कांअी परिणाम पैदा किया जा सके, अैसा तो नहीं लगता। परन्तु आप पर श्रद्धा है अिमलिअे अिम काममें लगा हुआ हू। क्या यह ठीक है? अित्यादि। अिम प्रकारके प्रश्न पुराने और अनुभवी माने जानेवाले कार्यकर्ता भी पूछने लगे थे। अिस बारेमें गांधीजीने ‘यंग अिंडिया’ में ‘हृदय शोधक’ (हार्ट संचर) शीर्षक लेख लिखकर अुसमें अपने हृदयका दुःख व्यक्त किया था: “देशकी अैसी निराधार दशा हो, अिससे तो यह जीमें आता है कि सारी सजा पूरी की होती तो ही अच्छा था, या यह जीमें आता है कि आश्रमका अंक कोना ढूँढकर अुसमें पड़े-पड़े कानने, पीजने और बुननेका काम करता रहूँ और बच्चोंके साथ खेलता रहूँ। और देश मुझे भूलकर अपना स्वतंत्र विचार कर ले और स्वतंत्र तौर पर अपना अुद्धार कर ले।” सरदारने अुनके अैसे अुद्गारोंको ध्यानमें रखकर गुजरातसे अुपरोक्त विनंती की थी।

था। सितम्बर सन् १९२३ में मि० डू पियर्सन नामक अंग्रेज सज्जन गांधीजीके साथ मुलाकातकी अिजाजत लेने बम्बईके गवर्नरके पास गये थे। उस समय गवर्नरने जो अुद्गार निकाले थे, उनमें से प्रगट होनेवाले सरकारके मानसमें कोअी फर्क नहीं पड़ा था। उस सज्जनने अिजाजतकी बात निकाली, उसके बादकी बातचीत यहां दी जाती है :

“बिलकुल असंभव”, माननीय गवर्नरने मेरी बातको बिलकुल काट ही दिया। “गांधीको कैद करनेका एक ही तरीका है और वह यह कि अुन्हें जिन्दा गाड़ दिया जाय। अगर यहां आकर लोगोंको अुन पर पड़ने दिया जाय, तो वे तो महात्मा बन जायं और जेल दुनियाके लिअे मक्का बन जाय। गांधीके सिर पर कांटोंका ताज पहनानेके लिअे हमने अुन्हें कैद नहीं किया है।”

“छः वर्षकी अवधि पूरी होनेसे पहले गांधीके छूटनेकी कोअी संभावना भी है?” जब मेने यह पूछा तो अुन्होंने जोर देकर कहा :

“जब तक मैं यहां हूं तब तक तो हरगिज नहीं। हां, मेरी मियाद दिसम्बरमें खत्म हो रही है। मेरे विलायत लौट जानेके बाद भले ही ये लोग अुनके साथ जो करना हो करें।”

अिसलिअे गांधीजी छूटे तो सिर्फ अिसी कारण कि अुन्हें अधिक समय तक ‘जिन्दा गाड़नेकी’ सरकारको जरूरत महसूस नहीं हुअी होगी। देशके अधिकांश भागमें लोगों पर अपरिवर्तनवादियोंका काबू घटने लगा था। अुनके और स्वराज्य दलवालोंके झगड़ेसे लोग तंग आ गये थे। फिर भी जब तक गांधीजी जेलमें थे, तब तक लोक-मानस पर अिसका अेक असर रहता था कि हमें कुछ करना चाहिये। अिसलिअे सरकारको यह खयाल हुआ होगा कि अब समय आ गया है जब कैदी गांधीसे मुक्त गांधी कम खतरनाक है। स्वराज्य दलवाले धारासभाओंमें, सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्रमें और सरकार द्वारा नियत सीमाओंके भीतर लड़ने गये थे। सरकार अच्छी तरह जानती थी कि वहां अिनसे निपट लेना अुसके लिअे बांये हाथका खेल है। अुसे यह भी भरोसा था कि अब अपरिवर्तनवादियोंका पंचविध बहिष्कार या असहयोग लोगोंमें अिस हद तक नहीं चलेगा, जिससे अुसके कारवारमें जरा भी दिक्कत पेश आये। अिसीलिअे गांधीजीको छोड़ा होगा। नअी पैदा हुअी मुश्किलोंके बीच गांधीजीको सारी रचना नये सिरसे करनी थी। बाहर आये तब अुनका विचार कांग्रेसको कट्टर असहयोगकी नीतिमें दढ़ करनेका था।

जुहमें स्वराज्य दलके नेताओंके साथ धारासभा-प्रवेशके बारेमें हुआ चर्चके अन्तमें गांधीजीने 'धारासभाओं और असहयोग' शीर्षक अक वक्तव्य अखबारोंमें प्रकाशित करके स्पष्ट किया कि :

“स्वराज्य दलके मित्रोंके साथ सहमत होनेकी अपनी सारी अुत्सुकता और तमाम कोशिशोंके बावजूद अुनकी दलीले मेरे गले नही अुतरी। हमारे ये मतभेद केवल गौण वस्तुओं और तफसीलोंके हों असा भी नही है। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच सिद्धान्तोंका ही मतभेद है। मैं अब भी अस राय पर ज्योंका त्यों कायम हूं कि मेरी कल्पनाके असहयोगमें धारासभा-प्रवेशके लिये स्थान नही है। हमारे बीचका यह मतभेद सिर्फ असहयोगकी व्याख्या या अर्थ करनेका ही भेद हो सो बात भी नही। यह मतभेद असहयोगीके स्वीकार करनेकी दृष्टि या वृत्तिसे सम्बन्ध रखता है, जिसके परिणामस्वरूप आज देशके सम्मुख अुपस्थित मौलिक प्रश्नोंको हल करनेमें अन्तर पड़ता है।”

पंडित मोतीलालजी और दासबाबूने अस वक्तव्यके विरोधमें अपना वक्तव्य प्रकाशित किया। \*

असके बाद गांधीजीने 'कांग्रेस संगठन' शीर्षक लेख लिखकर अपना यह मत प्रगट किया कि पंचविध बहिष्कारका अमल न करनेवाले कोअी अर्थात् स्वराज्य दलवाले कांग्रेसके पदाधिकारी नही रह सकते :

“कांग्रेस संगठनके संचालकोंमें पदवीधारियों, सरकारी शिक्षकों, वकील या कानून-पंडितों, धारासभाओंके सदस्यो और असी तरह विदेशी बल्कि देशी मिलका भी कपड़ा काममें लेने या वैसे कपड़ेका व्यापार करने वालोंके लिये स्थान नही हो सकता। अैसे लोग बेशक कांग्रेसमें रह सकते है, परन्तु कांग्रेसकी कार्यकारिणी संस्थाओंके सदस्य हरगिज नही हो सकते। अुन्हें होने भी न देना चाहिये। वे प्रतिनिधि बनकर कांग्रेसके ठहराव करानेमें अपने आग्रहका असर भले ही डालें। परन्तु अक बार कांग्रेसकी नीति निश्चित हो जानेके बाद जो कोअी अुस नीतिको न मानते हों, अुन्हें मेरे मतानुसार तो अुसकी कार्यकारिणी संस्थाओंसे बाहर ही रहना चाहिये। महासमिति और साथ ही कांग्रेसका कामकाज चलानेवाली सभी स्थानीय समितियां अैसी संस्थाओं है और अुनके संचालक वे ही हो सकते है, जो कांग्रेसकी नीतिको पूरे दिलसे मानते हों और अुस पर तन-मनसे अमल करनेको तैयार हो।”

\* देखिये श्री पद्मभिकृत 'हिस्ट्री ऑफ दी कांग्रेस' पहला संस्करण, सन् १९३५, पृष्ठ ४५४ से ४६३।

अससे किसीको यह शंका हो कि गांधीजी स्वराज्य दलवालोंको अपरिवर्तनवादियोंसे घटिया समझते हैं तो वह ठीक नहीं, यह स्पष्ट करनेके लिये गांधीजी अुस लेखमें आगे कहते हैं :

“मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अैसा विचार मेरा सपनेमें भी कभी नहीं हो सकता। यहां बढ़िया-घटियाका सवाल ही नहीं है। दोनों दलोंमें स्वभाव या प्रकृतिका भेद है। मैंने अितनी ही बात पर दृष्टि रखकर लिखा है कि कांग्रेसकी कार्यकारिणी संस्थाअें अधिक कारगर ढंगसे कैसे काम कर सकती है। अधिक लोक-प्रिय हों तो कांग्रेसकी सभी संस्थाअें अुन्हींके आदमियोंके हाथों चलनी चाहियें। . . अपरिवर्तनवादी परिवर्तनवादीको अपनेसे भिन्न विचार रखनेके कारण ही अपनेसे किसी भी तरह घटिया समझें तो वे अपने धर्ममें चूकते हैं।”

दोनों दलोंके बीचके अस मतभेदका निपटारा करनेके लिये ता० २७ जूनको अहमदाबादमें महासमितिकी बैठक बुलायी गयी। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका नया मकान ताजा ही बना था। यह कहा जा सकता है कि अुसके गांधी हॉलका अुद्घाटन महासमितिकी बैठकसे ही हुआ। गांधीजीका विचार कांग्रेसको धारासभाओंके मार्गसे लौटाकर लोगोंमें ठोस रचनात्मक काम करके, पंचविध बहिष्कारको अुग्र रूप देकर सामूहिक सविनय भंगके लिये तैयार करनेका था। असके लिये लोकमत तैयार करनेको अुन्हींने अपने प्रस्तावका मसौदा पहलेसे ही प्रकाशित कर दिया और महासमितिके सदस्योंको सम्बोधित करके अेक खुली चिट्ठी भी लिखी। अुसमें अपने असहयोगका तात्त्विक अर्थ बड़े सुन्दर ढंगसे समझाया :

“अगर सरकारी पाठशालाओं, अदालतों और धारासभाओंके बारेमें हमें मोह हो अैसी कोअी बात अुनमें हो, तो हमारा विरोध अुस संगठनके विरुद्ध नहीं हुआ, परन्तु संगठनके संचालकोंके विरुद्ध हुआ। असहयोग अससे अधिक अुन्नत अुद्देश्यके लिये बना है। अगर हमारा आशय अितना ही हो कि सरकारी महकमोंमें अंग्रेजोंके बजाय हमारे लोग भर दिये जायं, तो मैं मानता हूं कि ये बहिष्कार व्यर्थ ही नहीं, परन्तु हानिकारक भी है। सरकारकी नीतिका अन्तिम अुद्देश्य हमें अंग्रेज बना देना है। और जहां हम अंग्रेज बने कि हमारे अंग्रेज मालिक राज्यकी बागडोर हमारे हाथोंमें सौंप देंगे। वे खुशीसे हमें अपने अेजेंट बना लेंगे। अस प्राणघातक क्रियामें मुझे कोअी दिलचस्पी हो ही नहीं सकती, सिवाय असके कि मैं अपनी सारी ताकत लगाकर अुससे लड़ूं। मेरा स्वराज्य

संभव है सजावाला भाग गिर जाता। गांधीजीकी अिस अुदार कार्रवाओकी स्वराज्य दल और साथ ही तमाम अखबारोंने बडी प्रशंसा की।

स्वराज्य दलवालोंके चले जानेके बाद सभा जरा हंसी-दिल्लगी पर अुतर आओी। पंचविध बहिष्कारका स्वयं अमल करनेवाला प्रस्ताव कुछ लोगोंको अखरता था और अुसके बारेमें कुछ असन्तोष भी था। गोपीनाथ साहवाले प्रस्ताव पर जिस किस्मकी चर्चा हुआ, अुससे गांधीजी व्याकुल हो ही रहे थे, अुनका जी भर आया था। वे अपसंहारके तौर पर महासमितिको सम्बोधन करके बोल रहे थे कि अितनेमें अेक सदस्यकी कांग्रेसके सिद्धान्तोंकी अपेक्षा करनेवाली आलोचनासे बहुत देरसे रुके हुआ अुनके आंसू निकल पड़े। बोलते-बोलते अुनका कंठ रंध गया। परन्तु अुसी क्षण संभलकर अुन्होंने अपने आन्तरिक अुद्गार प्रगट किये :

“मै सीधा आदमी हूं और सीधे आदमीके साथ काम करना चाहता हूं। मगर आप सब ठहरे टेढ़े। कांग्रेस कोओी अैसी वैसी चीज नही है। वह अब भीख मांगनेवाली संस्था नहीं रही। वह मुख्यतः आन्तरिक शक्ति बढाकर आदर्श तक पहुंचनेके लिये बनाओी गओी आत्मशुद्धिकी अेक संस्था है। आप अिसे जैसी बनायेंगे वैसी वह बन जायगी। आप सच्चे बनना चाहते हों तो देहातमें जाअिये। आप मुझे गधेकी तरह मेहनत करा लीजिये, परन्तु सीधेपनसे, टेढ़ेपनसे नही। आप मुझे फुसला जरूर सकते हैं। परन्तु जब मै यह देखूंगा कि आप मुझे बेच रहे हैं, तब फिर मै ओीश्वरका सहारा ले लूंगा और आपके पास भी खड़ा नहीं रहूंगा।”

अिन शब्दोंका बिजलीका-सा असर हुआ। जो आड़े-टेढ़े बोले थे अुन्होंने अपनी भूल स्वीकार करके माफी मांगी और सबकी तरफसे क्षमा-याचना करते हुआ कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना मुहम्मदअली रोते-रोते गांधीजीके चरणोंमें गिर पड़े। अिस प्रकार अुस समय तो वातावरण निर्मल हो गया। सूत देनेके प्रस्तावमें से सजावाला भाग निकालकर गांधीजीने स्वराज्य दलवालोंको मना लिया। परन्तु अिस बैठकमें गांधीजीको यह पता चल गया कि सब कितने पानीमें है। अुन्होंने ‘यंग अिंडिया’ में ‘हारा और मरा’ (डिफीटेड अेन्ड हंबल्ड) शीर्षक लेख लिखकर अपनी ग्लानि व्यक्त की और भावी कार्यक्रमकी रूप-रेखा बताओी।

अिस बैठकमें सरदारको गांधीजीके अन्ध अनुयायीकी पदवी मिली। वे अन्ध अनुयायी हैं या समझदार अनुयायी हैं, यह तो दुनियाने अब देख लिया है। परन्तु अिस बैठकमें अुन्होंने जरूर अुसी प्रकारका भाग लिया था। महा-समितिके मेजबानकी हैसियतसे अुन्हें छोटी-छोटी बहुतसी बातोंका ध्यान रखना

पड़ता था। और सरदारका आतिथ्य तो बादशाही ही हो सकता था। इस बारेमें हिदायतें देने अन्हें कओी बार सभासे बाहर भी जाना पड़ता था। फिर भी जब गांधीजी अपने प्रस्ताव पर बोल रहे हों तब मौजूद रहें या न रहें, परन्तु हरअेक प्रस्तावका समर्थन करनेके समय वे अुपस्थित हो जाते। जो चर्चा हुआ अुसे न सुनने पर भी आकर यह कहते कि गांधीजीके प्रस्तावका मैं समर्थन करता हूं। बादके आचरणसे अन्होंने दिखा दिया कि अुनका समर्थन केवल शाब्दिक नहीं था, परन्तु अमली था। महासमितिके कामसे निपटनेके बाद अन्होंने १२ जुलाओीको गुजरात प्रान्तीय समितिकी बैठक बुलाओी। अुसमें अन्होंने प्रस्ताव पास कराया कि कांग्रेस कमेटीका हरअेक सदस्य नियमित काते और प्रतिमास दो के बजाय तीन हजार गज सूत दे और अुसे बढ़ाकर पांच हजार तक पहुंचा दे। साथ ही महासमितिके मूल प्रस्तावमें जो सजाका आग्रह था, अुसे गुजरात प्रान्तीय समितिने आवश्यक समझा।

अब गांधीजीने कांग्रेसमें स्वराज्य दलके लिअे भरसक सुविधा कर देनेकी नीति शुरू की। सितम्बरमें गांधीजीने हिन्दू-मुस्लिम अेकताके लिअे २१ दिनके अुपवास किये। अुसके बाद कुछ शक्ति आओी कि अितनेमें दासबाबूका कलकत्तेसे तार आया कि स्वराज्य दलकी कौंसिलकी बैठकमें जरूरी सलाह-मशविरा करना है। अुसमें आपके आये बिना काम नहीं चलेगा। सरकारने अुस समय बंगालमें जबरदस्त दमन शुरू कर दिया था और दासबाबूके बहुतसे साथियोंको केवल संदेह पर गिरफ्तार कर लिया था। अैसे वक्त कांग्रेसमे दो दलोका न होना भी जरूरी था। गांधीजीने कलकत्तेमें स्वराज्य दलने जो मांगा सो देकर अुसके साथ संधि कर ली। अन्होने नीचे लिखी बातें मंजूर की :

१. विदेशी कपड़ेके बहिष्कारके सिवाय असहयोगका सारा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रमके रूपमें कांग्रेस मुलतवी कर दे।

२. कांग्रेस संगठनके अेक अंगके तौर पर कांग्रेसकी तरफसे स्वराज्य दल बड़ी और प्रान्तीय धारासभाओंमें काम करे।

३. कांग्रेस कमेटियोंके सदस्योंके लिअे अुसी समय खादी पहनना लाजमी हो, जब वे कांग्रेसके काममें लगे हुआे हों।

४. अिन सदस्यों द्वारा दिया जानेवाला सूत दूसरोंसे कतवाया हुआ हो तो भी कोओी हर्ज नहीं।

पांच ही महीने पहले अहमदाबादकी महासमितिका गांधीजीका रवैया कहां और अिस संधिके समयका रवैया कहां? परन्तु गांधीजी जब देने लगते, तो फिर जरा भी संकोच नहीं रखते। सामनेवाला मनुष्य लेते-लेते थक जाता। यह संधि अन्होंने बेलगांव कांग्रेसमें, जहां वे खुद अध्यक्ष थे, मंजूर कराओी।

साथ ही कांग्रेसकी सदस्यताके लिये चार आनेकी जो फीस थी, उसके बजाय अपने या दूसरेके काते हुए २४ हजार गज सूतका चन्दा जारी कराया। इस प्रकार गांधीजीकी अध्यक्षतामें बेलगांवकी कांग्रेसमें श्रम-मताधिकार (लेबर फ्रैंचाइज) का तत्त्व जारी हुआ। बेलगांवकी कांग्रेसके बाद गांधीजीने गुजरातका थोड़ासा दौरा किया। उसमें उन्होंने गुजरातियोंको सम्बोधन करके कहा कि 'मैं यह देखना नहीं चाहता कि कोसी गुजराती कातनेके प्रस्तावमें की गयी रियायतका लेनेवाला निकले।' गांधीजीके गुजरातके दौरेमें सरदार तो उनके साथ होते ही। वे हरअेक सभामें यह पूछते और अच्छी तरह हिसाब लेते कि कितने आदमी कातकर कांग्रेसके सदस्य बनना चाहते हैं। परन्तु यह मताधिकार बहुत समय नहीं रहा। धारासभाओं द्वारा जो कुछ थोड़ा-बहुत मिल सकता था, उसका लालच लोग छोड़ नहीं सकते थे। और कांग्रेस भी धारासभाओंकी तरफ अधिकाधिक लुङ्कती जा रही थी। इसलिये अक्टूबर १९२५ में पटनेमें हुयी महासमितिकी बैठकमें गांधीजीकी अध्यक्षतामें और उनुकी सहमतिसे ठहराव किया गया, जिसके परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि कांग्रेस खुद ही स्वराज्य दलके द्वारा धारासभाओंका कार्यक्रम चलाये। यों कहा जा सकता है कि कांग्रेस स्वराज्य दलको सौंप दी गयी। सदस्यताके शुल्कमें केवल सूत था। उसमें परिवर्तन करके सालभरमें चार आने या दो हजार गज अपना काता हुआ सूत निश्चित किया गया। अलबत्ता, कांग्रेसके इस कार्यक्रममें गांधीजी, सरदार और अन्य कट्टर अपरिवर्तनवादियोंको दिलचस्पी नहीं रह गयी थी। गांधीजीके सुझाव पर कांग्रेसकी छत्रछायामें परन्तु आन्तरिक व्यवस्था और रुपये-पैसेके मामलोंमें पूरी तरह स्वतंत्र अखिल भारतीय चरखा संघकी स्थापना की गयी और गांधीजी अपना सारा ध्यान उसके विकासमें लगाने लगे। सरदार अपना सारा समय अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीमें और गुजरातकी रचनात्मक काम करनेवाली संस्थाओंका पोषण करनेमें देते थे। केवल राजनैतिक दृष्टिसे देखें तो १९२४ से १९२८ तकके चार वर्ष देशमें मंदीके माने जायंगे। हिन्दुस्तानको कैसे राजनैतिक सुधार दिये जायं, इस बारेमें हिन्दुस्तानकी परिस्थिति आंखों देखकर और राजनैतिक नेताओंके साथ सलाह-मशविरा करके रिपोर्ट देनेके लिये १९२८ के आरंभमें साजिमन कमीशन हमारे देशमें आया। उसमें किसी भारतीयको नहीं रखा गया था, इसलिये उसका बहिष्कार किया गया। वह देशव्यापी पैमाने पर सफल हुआ, तब देशमें कुछ जाग्रति आयी। परन्तु देशमें नवचेतन और आत्मविश्वास तो फिरसे पैदा हुआ बारडोलीके लगान-सत्याग्रहमें सरदार द्वारा प्राप्त की गयी अपूर्व विजयसे।



## म्युनिमिपल अध्यक्षके रूपमें

सन् १९२४ के शुरूमें कमेटी ऑफ मेनेजमेंटकी अवधि समाप्त हुअी और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके लिअे कौंसिलरोंका चुनाव हुआ। यह चुनाव नये मांटैग्यु-चेम्सफर्ड सुधारोंके अनुसार हुआ। असलिअे अुसमें म्युनिसिपल बोर्ड ६० सदस्योंका था, जिनमें ४८ चुने हुअे और १२ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे। ४८ चुने हुअे सदस्योंमें १० बैठकें मुसलमानोंके लिअे सुरक्षित थी। काँग्रेसमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दो दल हो जानेके कारण देशका राजनैतिक वातावरण बहुत डांवांडोल हो गया था। यद्यपि नागपुर तथा बोरसदकी विजयी लड़ाअियोंके कारण गुजरातके वातावरणमें अंसी शिथिलता नही आअी थी, फिर भी यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अिन दोनों ही जगहों पर सरकारकी भूलके कारण लड़ाअी की जा सकी थी और वह भी स्थानीय मुद्दे पर ही थी। वैसे स्वराज्यके बड़े प्रश्न पर कुछ हो सके, अंसा अुस समय देशका वातावरण नही था। रचनात्मक कार्यों द्वारा लोगोंकी शक्ति बढ़ाना ही अेकमात्र अुपाय था। सरदार गुजरातके रचनात्मक कामोंमें खूब मदद कर ही रहे थे। असके सिवाय अहमदाबादका म्युनिसिपल कार्य वे आसानीसे कर सकते थे, असलिअे अुन्होंने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका कारबार अपने हाथमें लेना तय किया। अिसी नीतिका अनुसरण करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेन्द्रबाबू अलाहाबाद और पटना म्युनिसिपैलिटियोंमें गये थे और अुन म्युनिसिपैलिटियोंके अध्यक्ष बने थे। अुन्होंने वहांकी अपनी कारगुजारीका वर्णन अपनी-अपनी आत्मकथाओंमें किया है।

सरदारको म्युनिसिपल कार्यके पिछले अनुभवसे विश्वास हो गया था कि अपने पक्षमें निश्चित बहुमतके बिना म्युनिसिपल कार्य करनेमें बहुत कठिनाअियां आती हैं और बहुतसा वक्त व्यर्थकी चर्चाओंमें बरबाद हो जाता है। असलिअे अुन्होंने अपने कार्यक्रमकी हिमायत करनेवाले अपने दलके अुम्मीदवार शहरके हर मुहल्लेसे खड़े किये। अस दलने कुल ४८ में से लगभग ३५ बैठकों पर कब्जा कर लिया। फरवरी सन् १९२४ में यह दल म्युनिसिपैलिटीमें अधिकाररूढ हुआ, तबसे आज तक बीचमें अेकाध वर्षके सिवाय अलग-अलग रूपमें वही अधिकार-रूढ रहा है। अस दलके अस्तित्वमें आनेसे म्युनिसिपैलिटीका काम अच्छा और

तेजीसे हुआ है और उसने लोगोंका अच्छा विश्वास संपादन कर लिया है। इस दलकी कार्यनीतिके मुख्य मुद्दे इस प्रकार गिनाये जा सकते हैं :

१. चूंकि स्थानीय स्वराज्य देशके बड़े स्वराज्यकी पहली सीढ़ी है, इसलिये स्वराज्यकी तालीमकी दृष्टिसे म्युनिसिपल प्रबन्धका संचालन करना बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह प्रबन्ध शुद्ध और न्यायपूर्ण ढंगसे, आम लोगोंकी सुख-सुविधा और खुशहालीके लिये और किसी भी प्रकारकी रूरियायतके बिना होशियारीसे करना चाहिये।

२. म्युनिसिपल सदस्यके लिये सबसे बड़ी योग्यता लोगोंका विश्वास और निर्भयतापूर्वक लोकहितका प्रतिनिधित्व करनेकी शक्ति होनी चाहिये।

३. स्वराज्यका सिद्धान्त स्थापित करनेके लिये म्युनिसिपैलिटीका शासन करनेवाली तमाम समितियोंमें चुने हुअे सदस्य ही आने चाहियें। सरकार द्वारा मनोनीत सदस्योंके लिये अनुमति स्थान नहीं हो सकता।

४. म्युनिसिपल बोडकी स्वतंत्रताके विकासके लिये सरकारका नियंत्रण भरसक कम कराया जाय।

५. शिक्षाके मामलेमें म्युनिसिपैलिटीकी स्वतंत्रता बढ़ायी जाय।

६. म्युनिसिपैलिटीके हरअेक काममें स्वदेशीकी भावनाको प्रोत्साहन दिया जाय।

७. सरकारी कर्मचारियोंकी व्यर्थ बढ़ी हुअी प्रतिष्ठाको उसके अचित् स्थान पर ले आना और राष्ट्रके सच्चे प्रतिनिधियोंकी प्रतिष्ठा बढ़ाना। अुदाहरणार्थ, गवर्नरों और दूसरे सरकारी अधिकारियोंको मानपत्र देनेके बजाय या अनुके सम्मानमें समारोह या जलसे करनेके बजाय लोकप्रिय नेताओंके वह सम्मान दिया जाय।

८. अहमदाबाद जैसे बढ़ते हुअे शहरके लिये पानी, नालियों, रास्त तथा रोशनीकी सुविधा यथाशक्ति अधिकसे अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक ढंग पर की जाय।

९. म्युनिसिपल पाठशालाओंके मकान वैज्ञानिक दृष्टिसे पूरी तरह सुविधाजनक बनाये जाय और बच्चोंके लिये खेलकूदकी सहूलियतें शहरमें जगह-जगह दी जाय।

१०. शहरमें नवीनतम ढंगके वैज्ञानिक साधन-सुविधाओंवाले अस्पताल खोले जाय।

११. म्युनिसिपैलिटीकी तमाम कार्यवाही अपनी भाषामें की जाय। यानी कमेटियोंके भाषण और प्रस्ताव स्वभाषामें किये जाय। जनरल बोर्डके

ठहराव अंग्रेजीमें करना सरकारकी तरफसे अनिवार्य था, तो भी १९२५ में गुजरातीमें करनेकी स्वतंत्रता प्राप्त की।

१२. म्युनिसिपैलिटीके हरिजन नौकरोंके लिये रहनेके अच्छे मकानोंकी सुविधा करना।

कहनेका मतलब यह नहीं है कि यह सारा कार्यक्रम पहलेसे लिखित रूपमें तैयार कर लिया गया था। परन्तु अपने दलके तमाम कौंसिलरोंके सामने सरदारने बातचीत और चर्चाओंमें अनि सारी योजनाओं पर विचार किया था और अनि योजनाओंके अनुसार ही अन्होंने काम करना शुरू किया। यह काम अितना बड़ा था कि अेक ही काममें लगा हुआ अेक आदमी जीवनभरमें भी अिस सारे कार्यक्रमको पूरा नहीं कर सकता और अुसमें कितनी मुश्किलें हैं, यह सरदारके खयालसे बाहर नहीं था। हमारे शहरोंकी स्थिति और अुनमें भी अहमदाबाद जैसे मध्यकालमें स्थापित शहरकी हालत तथा वहांके लोगोंकी आदतें सरदार पूरी तरह जानते थे। सन् १९२७ में पहली स्थानीय स्वराज्य परिषदके सभापतिपदसे भाषण देते हुअे अुन्होंने हमारे शहरोंका हूबहू चित्र खींचा है :

“हमारे शहर न शहर हैं न गांव। शहरोंमें रहते हुअे भी आधे लोग तो ग्रामीण जीवन बितानेकी स्थितिमें है। आधे मकानोंमें पाखाने नहीं हैं। अपने घरोंका कचरा डालनेकी जगह नहीं है। तंग गलियों और घनी बस्तीके बीचमें रहते हुअे भी लोग मवेशी रखते हैं। कितने ही रवारी शहरोंके बीचमें गायोंके झुंड रखते हैं। रास्तों पर जगह-जगह ढोरोंकी टोलियां फिरती रहती हैं। आम तौर पर लोग स्वास्थ्य और सफाअीके नियमोंके पालनमें अत्यन्त शिथिल हैं और अैसी बातोंमें न स्वधर्म समझते हैं और न पड़ोसी-धर्म जानते हैं। अपने घरका कूड़ा पड़ोसीके दरवाजे पर फेंक देनेमें कोअी बुराअी नहीं मानते। अटारियोंकी खिड़कियों या झरोखेमें से कूड़ा डालने या पानी फेंकनेमें हिचकिचाते नहीं। हमारी स्थानीय स्वराज्यकी संस्थाअें देखने पर और हमारे शहरोंमें प्रवेश करने पर विदेशियोंको किसी जगह भी स्वराज्यका चिन्ह मालूम नहीं हो सकता। कहीं भी थूकने, कहीं भी पेशाब करने और कहीं भी गन्दगी कर देनेकी लोगोंको आदत है। गांवोंकी हालत शहरोंसे अच्छी नहीं। किसी भी गांवमें घुसने पर घूरोंके ढेर पड़े नजर आयेंगे। गांवके तालाबके आसपास गांवका पाखाना बन जाता है। गांवके कुअेंके चारों ओर कीचड हो जाता है और पानी सड़ता है। अैसी दशामें सरकारकी तरफ देखते रहना मैं महापाप समझता हूं।”

अूपर शहरका जो वर्णन किया गया है, वह हमारे तमाम शहरों पर लागू करके किया गया है और वह ठीक भी है। परन्तु अुसे करते समय अुनकी आंखोंके सामने तो अहमदाबादका चित्र ही अच्छी तरह नाच रहा होगा। अहमदाबादमें अब तो सुधार हो गया है। अहमदाबादकी म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे शहरमें छोटे-बड़े कैसे बगीचे बन गये हैं, कैसी सड़कें बन गयी हैं और अुनके दोनों ओर कैसे पेड़ लगने लगे हैं, यह सब बतानेको अहमदाबादके म्युनिसिपल अिजीनियरने सन् १९४१ में मुझे अपने साथ शहरके भीतर और बाहरके भागोंमें दो-तीन दिन बहुत घुमाया था। तब बातों-बातोंमें अुन्होंने मुझसे कहा था कि अहमदाबादके रास्ते और दूसरी रौनक हम आधुनिक ढंगकी करनेका प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अधिकांश नागरिकोंका मानस और अुनकी आदते अभी तक मध्यकालीन ढंगकी है और असिलिअे हमें बड़ी कठिनायी होती है। यह स्थिति १९४१ में थी और आज १९५० में भी वह बहुत नहीं बदली है, तो १९२४ में जब सरदारने अहमदाबादकी शकल बदल डालनेका काम शुरू किया था, तब अुनके सामने मुश्किलोंके कितने बड़े पहाड़ होंगे, असकी पाठक कल्पना कर लें।

अहमदाबादकी नवरचनाकी तफसीलमें जानेसे पहले पुराने समयसे चले आ रहे कुछ प्रश्नोंके निपटारेका अुल्लेख कर दूं। पाठशालाओंके सिलसिलेमें पैदा हुअे झगड़के समाधानकी तफसील पिछले अेक अध्यायमें दे चुका हूं। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका सरकारके साथ अेक पुराना झगड़ा अहमदाबाद वाटर-वर्क्सके लिअे म्युनिसिपैलिटीसे पूछेताछे बिना सरकार द्वारा अेक तीन लाख रुपयेका बड़ा अेंजिन खरीद लेनेके बारेमें था। पिछले अेक अध्यायमें हम देख चुके हैं कि अहमदाबादमें पानीकी असुविधाको दूर करनेके लिअे बम्बयी सरकारके अिजीनियरी विभागकी तरफसे अेक बड़ी योजना तैयार कर ली गयी थी, परन्तु अुससे शहरका पानीका कष्ट दूर नही हुआ था। अस योजनामें अेक अतिरिक्त अेंजिन लगानेका समावेश होता था। बम्बयी सरकारने १९१४-१५ के सालमें अेक प्रस्ताव किया था कि योजना पूरी होने पर अेक अैसा नया अेंजिन, जो म्युनिसिपैलिटीको चाहिये और अुसके अनुकूल हो, म्युनिसिपैलिटीकी सलाह लेकर मंगवाकर लगा दिया जाय। बादमें म्युनिसिपैलिटीकी सलाह लिये बिना और यह जांच किये बगैर कि अेंजिन अनुकूल होगा या नहीं, सरकारके अिजीनियरी विभागकी तरफसे अेक अेंजिन विलायतसे तीन लाख रुपयेके खर्चसे मंगवा लिया गया। म्युनिसिपैलिटीको तो तब पता चला, जब अुससे रुपया मांगा गया। अुसने ता० २७-३-२० की जनरल बोर्डकी बैठकमें प्रस्ताव किया कि सरकारने जिस अेंजिनका आर्डर दिया है, अुसकी किस्म और शक्ति बगैराके बारेमें म्युनिसिपैलिटीसे कुछ पूछा-ताछा नहीं गया और अभी म्युनिसिपैलिटीके पास

जो अंजिन है उससे वह दुगुना पानी खींच सकता है। परन्तु मौजूदा अंजिन जितना पानी खींच सकता है, उतना भी पानी कुओंमें नहीं होता। साथ ही यह निश्चित दिखाओ देता है कि सरकारकी बड़ी योजनासे कुओंमें पानीका भंडार खास तौर पर नहीं बढ़ेगा। असलिये ऐसा अंजिन अुपयोगमें ही नहीं आयेगा। असलिये सरकारसे अनुरोध किया जाय कि जब तक म्युनिसिपैलिटीके साथ सलाह-मशविरा करके यह निश्चित न कर लिया जाय कि उसे कितनी शक्ति और किस प्रकारका अंजिन अनुकूल होगा, तब तक वह अंजिन न खरीदे। अितने पर भी सरकारने अपना दिया हुआ आर्डर कायम रखा और अंजिन आकर पड़ गया। यह अंजिन ऐसा था जो और किसी म्युनिसिपैलिटीके भी काममें नहीं आ सकता था। असलिये सरकारने सन् १९२२-२३ के अपने बजटमें अंजिनके तीन लाख रुपये अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीको सहायताके तौर पर देनेका विचार किया। परन्तु अितनेमें म्युनिसिपैलिटी बरखास्त हो गयी और धारासभाने बजटकी यह रकम नामंजूर कर दी। बम्बयी सरकारने कमेटी ऑफ मेनेजमेंटसे रुपयेकी मांग की। कमेटीको भी उसके अिजीनियरोंने सलाह दी कि अंजिन अुपयोगमें आने लायक नहीं है। असलिये उसने अपनी आपत्तियां और कठिनाइयां वगैरा बताकर अंजिनकी कीमत देनेके बारेमें हिचकिचाहट दिखायी। अस प्रकार अंजिन सरकारके यहां पड़ा रहा और वर्ष पूरा होने आया। सरकारके बजट पर धारासभाने बड़ी कैंची चला दी थी, असलिये रुपया खतम हो गया। हरअेक विभागमें खींचतान होने लगी। असलिये अन्तमें वह 'भूखी बिल्ली बच्चोंको खाय' वाला धंधा करने लगी। कमेटीको शिक्षा-विभागकी ग्राटके जो ७० हजार रुपये देना मंजूर किया था, सो उसने रोक लिया और यह हुक्म दिया कि यह रुपया म्युनिसिपैलिटीको तभी दिया जाय, जब वह अंजिनकी कीमतका रुपया दे दे।

नये बोर्डका चुनाव होनेके बाद सरकार उससे अंजिनकी कीमत मांगने लगी। उसने कानूनी प्रश्न उठाया कि अंजिनके लिये म्युनिसिपैलिटीकी कोअी जिम्मेदारी ही नहीं है। सरकारने अस प्रश्नका निपटारा करनेके लिये तीन आदमियों—अेक्जीक्यूटिव अिजीनियर, अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० पेंटर और म्युनिसिपल अध्यक्ष सरदार — को पंच बनानेका प्रस्ताव किया। अैसी सरकारी बहुमतवाली कमेटीमें काम करके म्युनिसिपैलिटीको बांध देनेसे सरदारने अिनकार कर दिया। परन्तु मि० पेंटरने कहा कि 'आप यह क्यों समझते हैं कि अस पंचायतमें सरकारका बहुमत है? सभी सरकारी कर्मचारी कोअी सरकारकी ही बात नहीं रखते।' तब सरदारने पंचायतमें रहना मंजूर किया। परन्तु स्पष्टीकरण कर दिया कि 'जिस क्षण मुझे यह लगेगा कि असमें न्यायका रवैया

नहीं है, उसी क्षण मैं पंचायतसे हट जाऊंगा। मैं म्युनिसिपल अध्यक्षके नाते नहीं, परन्तु एक व्यक्तिकी हैसियतसे उसमें आता हूँ।' मि० पेंटरने यह बात मान ली। पंचायतका फैसला म्युनिसिपैलिटीके पक्षमें हुआ और अंजिन सरकारके मत्थे पड़ा।

दूसरा पुराना झगड़ा छावनीके पानीके सम्बन्धमें था। लगभग सन् १९०० से छावनीको म्युनिसिपैलिटीसे सरकारने अढ़ाआ आने फी हजार गैलनके हिसाबसे पानी दिलानेकी व्यवस्था कर रखी थी। शहरके करदाताओंसे, जिनके रुपयेसे पानीका अितजाम किया गया था, आठ आने प्रति हजार गैलन लिये जाते थे। इस प्रकार छावनीवाले लगभग मुफ्त पानी लेते हुअे भी, वहांके रहनेवाले बड़े-बड़े अधिकारी होनेके कारण, वाटरवर्क्सके अिजीनियरको डरा-धमकाकर अैसा बन्दोबस्त रखते कि शहरमें पानीका कितना भी शोर मचा हो, तो भी छावनीमें चौबीसों घंटे जोरसे पानी आता रहे। सरदारने १९२० में म्युनिसिपैलिटीमें प्रस्ताव कराया था कि छावनीवालोंसे पानीकी दर और दूसरा खर्च हिस्से रसद लिया जाय। इसके विरुद्ध अुन लोगोंने यह सवाल अुठाय़ा कि हमारे साथ तो म्युनिसिपैलिटीका तीस वर्षका करार हो चुका है और इसलिअे म्युनिसिपैलिटी हमें अिसी दरसे पानी देनेको बंधी हुअी है। इस तरह बात झगड़ेमें पड़ गअी और बादमें म्युनिसिपैलिटी बरखास्त हो गअी। दुबारा चुनकर आते ही सरदारने मेनेजिग कमेटीसे ता० २२-४-१९२४ को निम्न लिखित प्रस्ताव कराया और जनरल बोर्डने असे बहाल रखा :

“१. छावनीके अधिकारियोंको नोटिस द्वारा सूचना दी जाय कि अन्हें १९२०-२१ के वर्षसे लेकर आज तक फी हजार गैलन पर आठ आनेके हिसाबसे अतिरिक्त रकम देनी ही पड़ेगी।

२. अगर इस प्रकार रकम नहीं दी जायगी, तो पानी मुहैया करना फौरन बन्द कर दिया जायगा।

३. वह कर वसूल करनेके लिअे सलाह मिलनेके अनुसार दूसरी कानूनी कार्रवाअी की जायगी।

४. रिमेम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेअर्सकी रायके मुताबिक छावनी यानी म्युनिसिपल हदसे बाहर म्युनिसिपैलिटीका पानी देना नाजायज है, इसलिअे छावनीके अधिकारियोंको सूचना दी जाय कि नोटिस देनेके बाद छः मास पूरे हो जाने पर वे आठ आना फी हजार गैलनसे अधिक देंगे, तो भी अुन्हें पानी मुहैया करनेके साधन हटा लिये जायेंगे।

अिस प्रस्तावके अनुसार अुन्हें नोटिस दे दिया गया। छावनीके अधि-कारियोंने बढ़ी हुअी दरकी रकम अपना विरोध दर्ज कराकर जमा तो करा

दी, परन्तु उसे वापस लेनेके लिये म्युनिसिपैलिटीके खिलाफ दावा दायर कर दिया और जब तक दावेका फैसला न हो जाय तब तक अुनके पानीके नल काट न दिये जायं, अैसा मनाही हुक्म मांगा। अदालतने दोनों पक्षोंकी बहस सुनकर मनाही हुक्म देनेसे अिनकार कर दिया। तब अन्तमें ता० २९-८-२४ को म्युनिसिपैलिटीके साथ समझौता कर लिया। अुममें अपना स्वतंत्र वाटरवर्क्स बना लेनेके लिये म्युनिसिपैलिटी द्वारा दी गयी छः मासकी अवधिके बजाय बारह महीनेकी अवधि दी गयी। अिस प्रकार यह कांड खतम हुआ।

अिस अरसेमें म्युनिसिपैलिटी द्वारा किये गये कुछ अुल्लेखनीय काम यहीं गिना दूं। म्युनिसिपैलिटीने प्रस्ताव पास किया कि गुजरात विद्यापीठके स्नातकों और विनीतोको दूसरी किसी भी सरकार-मान्य युनिवर्सिटीके ग्रेजुअेटों तथा मैट्रिकोंके बराबर माना जाय। गांधीजी जेलसे छुटकर तथा गंभीर बीमारीसे अच्छे होकर लम्बे समयके बाद अहमदाबाद वापस पधारे, तब म्युनिसिपैलिटीकी तरफसे अुन्हें मानपत्र दिया गया। नये बने म्युनिसिपल हॉलका नाम गांधी हॉल रखा गया और असे काममें लेनेकी शुरुआत वहां कांग्रेसकी महासमितिकी बैठक करके की कयी। हिन्दुस्तानके पितामह स्व० दादाभायी नौरोजीकी स्मृति कायम रखनेके लिये शहरमें चलनेवाले दादाभायी नौरोजी पुस्तकालय तथा वाचनालय नामक संस्थाका तमाम प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटीने अपने हाथमें ले लिया और असे हमेशा चलाना स्वीकार किया। विक्टोरिया गार्डनमें लोकमान्य तिलककी मूर्ति रखी गयी। म्युनिसिपल सीमामें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करनेका अिरादा जाहिर किया गया और पाठशाला जाने योग्य बालकोंकी गणना करनेका निश्चय किया गया।

अहमदाबाद शहरकी तात्कालिक और सबसे बड़ी आवश्यकताअें ये थीं कि पानीकी कमीको यथाशक्ति दूर किया जाय, शहरमें जहां नालियां नहीं थी वहां सब जगह नालियां बना दी जायं और शहरकी आबादीकी और रास्तों पर आने-जानेकी भीड़ कम करनेके लिये शहरका विस्तार किया जाय और नये रास्ते बनाये जायं। सरदारने अध्यक्ष बननेके बाद तुरन्त ये काम हाथमें लिये और अुन्हें जल्दी पूरा करनेकी तजवीजें शुरु कर दी। सवरे जल्दी अुठकर म्युनिसिपल अिजीनियरको साथ लेकर शहरमें जहां नालियां बनती हों वहां, वाटरवर्क्स पर और अन्यत्र जहां काम चल रहा हो वहां असे देखने निकल पडते और बारह बजे घर आते। फिर तीन बजनेसे पहले वापस म्युनिसिपल दफ्तरमें जाकर कामके कागजात खुद पढ़ लेते और भिन्न-भिन्न विभागोंके अफसरोंको रूबरू बुलाकर अुनके साथ सलाह-मशविरा करते और अुन्हें हिदायतें देते। किसी भी म्युनिसिपैलिटीमें सबसे महत्त्वपूर्ण अंग म्युनिसिपल अिजीनियर और अुसका

दफ्तर है। जिसलिये सरदार जिस विभागको सदा जाग्रत रखते और उसे यथाशक्ति सहायता और समर्थन देते। अधीन माने जानेवाले मनुष्योंके साथ उनका बरताव बराबरीवालों जैसा रहता और जिससे मनुष्योंमें काम करनेका शौक और उत्साह रहता। खुद भी फुरसतके वक्त घंटे दो घंटे म्युनिसिपैलिटीका काम या कागजात पर हस्ताक्षर कर आनेवाले आदमी नहीं थे। वे सारा समय म्युनिसिपैलिटीमें और दूसरे सेवाके कामोंमें देते थे। जिसलिये उनकी छूट म्युनिसिपैलिटीके अफसरों, कर्मचारियों और कौंसिलरोंको भी लगती थी। जो काम हाथमें आता उसका सब पहलुओंसे बारीक अध्ययन कर लेते। साथ ही नजी-नजी योजनाओं बनानेमें उनकी दृष्टि बड़ी विशाल थी। कितनी ही बड़ी योजना हो, परन्तु शहरकी भलाहीकी होती तो उसे साहसपूर्वक हाथमें लेते। उनके काममें एक बड़ी खूबी यह थी कि उसमें रूरियायत जरा भी नहीं चलती थी। अपनी काम करनेकी लगन और होशियारीके कारण उन्होंने अपने तमाम साथियोंका— फिर वह म्युनिसिपल अफसर हो या कौंसिलर— आदर, प्रेम और वफादारी संपादन कर ली थी। अपने साथियोंके प्रति भी वे यही भाव रखते थे। उनकी कोअी कठिनाही होती तो उसकी अच्छी तरह कद्र करते। परिणामस्वरूप म्युनिसिपैलिटीमें वफादार और होशियार अफसरों और कार्यकर्ताओंका उन्होंने एक समूह पैदा कर लिया और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका प्रबन्ध देशमें प्रसिद्ध हुआ।

अहमदाबाद शहरकी चारदीवारीके भीतरका भाग क्षेत्रफलमें १२०० अेकड़ है। जिसमें से केवल ४२५ अेकड़में ही नालियां थी। उसके बजाय सारे शहरमें नालियां बनवा देनेकी योजना बनायी और उसे अपने चार वर्षके कार्यकालमें ही पूरा कर दिया। नालियोंमें से भी पानी पंप करके खेतके अपुपयोगमें लानेके लिये जमालपुर दरवाजेके बाहर एक पंपिंग स्टेशन और उसीके पास सुअेज फार्म था। उनमें नये अेंजिन और दूसरे साधन लगाकर खूब वृद्धि की। नालियोंके साथ लोगोंके अिस्तेमालके लिये पानीकी बहुतायत हो तभी उनका अपुपयोग है। इसके लिये नदीका पानी वाटरवर्क्सके कुओके पास ले जाने और उसे साफ करके पीने योग्य बनानेकी सैनिटरी कमेटीके चेअरमैनकी हैसियतसे उन्होंने १९२० में जो योजना बनायी थी, उसमें आवश्यक संशोधन-परिवर्द्धन करके उसे सरकारसे मंजूर कराकर अमलमें लाया गया। उसके सिलसिलेमें नदीके पाटमें नये कुओं खुदवाने, वाटरवर्क्समें नया अेंजिन लाने और शहरमें पानी पहुंचानेके लिये जो छोटे नल थे उन्हें बदलकर बड़े लगवाने वगैरारेके काम हाथमें लिये। वाटरवर्क्स और नालियोंकी जिस संयुक्त योजनाके लिये सरकारसे मंजूरी लेकर शहरसे साढ़े पैंतालीस लाख रुपयेका ऋण जुटाया।



अिन सब कामोंमें बादमें और कोअी खामियां न बतायें या नुकताचीनी न करें, अिसके लिअे बम्बअी सरकारके सैनिटरी अिजीनियरको समय-समय पर निमंत्रण देकर बुलाते और होनेवाले कामकी अुससे जांच कराते। बोर्डके तमाम मेम्बर अुनसे मिल सकें, अिसके लिअे बोर्डकी बैठकोंमें भी अुन्हें बुलाते। ता० ११-१२-२६ की अैसी अेक बैठककी रिपोर्टके नीचे लिखे प्रस्तुत भागसे अिस बारेमें सरदारकी कार्यपद्धतिकी कल्पना होती है :

“बम्बअी सरकारके सैनिटरी अिजीनियर मि० मेडोक्स तथा अहम-दावादके अेक्जीक्यूटिव अिजीनियर मि० तैयबजीका बैठकमे स्वागत करनेके बाद म्युनिसिपल अध्यक्ष महोदयने बैठककी तारीख तक हुअे कामोंकी संक्षिप्त कल्पना कराअी और फिर जिस योजनाके अनुसार काम हो रहे थे, अुसके ठोस-पनके बारेमें और अिस बारेमें कि अुस योजना पर अच्छी तरह अमल हो रहा है या नहीं, बोर्डके सदस्योंके सामने अपनी राय बताानेके लिअे अुनसे अनुरोध किया। मि० मेडोक्सने खड़े होकर कहा कि अिन कामोंको देखनेके मुझे पहले भी अवसर मिले हैं। अिन योजनाओंकी तफसील और अुनके खर्चका अनुमान सरकारने मंजूर किया, अुससे पहले मैंने ध्यानपूर्वक जांच कर ली है और अिस बार दो दिन तक सब जगह घूमकर मैंने सब कामोंकी अच्छी तरह जांच की है। अुस परसे मैं यह कहनेकी स्थितिमें हूं कि बोर्डने जो नीति अख्तियार की है, वह ठोस है और सब कामोंका अमल म्युनिसिपल अिजीनियरने बहुत सन्तोषपूर्वक किया है। फिर अुन्होंने कहा कि अब सदस्य मुझसे कोअी सवाल पूछेंगे तो अुनका जवाब दूंगा। अिस पर कुछ सदस्योंने प्रश्न पूछे और अुनका अुन्होंने सन्तोषजनक स्पष्टीकरण किया। अिसके बाद दोनों सज्जनोंका आभार माना गया।”

शहरकी भीड़ कम करनेके लिअे अेलिसब्रिज टाअुन प्लानिंग और कांकरिया टाअुन प्लानिंग स्कीमोंका विकास होने लगा। दूसरी तरफ कालुपुर रिलीफ रोड बनवाने और शहरकोट तुड़वा डालनेकी योजनाको आगे बढ़ाया जाने लगा। अिन दो योजनाओंके प्रति लोगोंमें बड़ा विरोध पैदा हुआ। कालुपुर रिलीफ रोडका विरोध तो जिनके मकान गिरा दिये जानेको थे, वे अपना मकान हदमें न आये या आ जाय तो अुसका मुआवजा अधिक मिले अिसके लिअे जाती तौर पर विरोध करते थे। अिसके सिवाय अहमदावादमें मोहल्ले बनाकर रहनेका रिवाज है और अिस योजनासे कुछ मोहल्ले कट जाते थे और खुले हो जाते थे, अिस कारण कुछ सार्वजनिक विरोध भी था। शहरके चौ तरफका कोट तोड़ डालनेका भी लोगोंकी तरफसे अिस कारण विरोध था कि हमारे मोहल्ले और हमारे घर खुले हो जायंगे

और हमारी रक्षा नहीं रहेगी। यह भी एक दलील थी कि शहरकोट अहमदाबादकी मुसलमान बादशाहतका एक बड़ा स्मारक है और स्थापत्य कलाका एक नमूना है। परन्तु यह स्पष्ट बात थी कि इस चारदीवारीको हटाये बिना अहमदाबादकी बस्तीका गिचपिच-पन मिट नहीं सकता था। इसलिये विरोधसे जरा भी डिगे बिना अन्होंने अिन दोनों योजनाओंको आगे बढ़ाया। अलबत्ता, अुनका अितने समय तक म्युनिसिपैलिटीमें रहना न हो सका कि टाअुन प्लानिंगकी और अिन योजनाओं पर अमल किया जा सके। अिन सारी योजनाओं पर अमल बादमें धीरे-धीरे हुआ।

सरकारी सिविल अस्पताल और मेडीकल स्कूलके प्रबन्धमें जनता अधिक दिलचस्पी लेने लगे और जनताका अुन पर नियंत्रण हो अिस अुद्देश्यसे और सरकार द्वारा अपनी अैसी नीतिकी घोषणा करनेके कारण सरदारने वह प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटीको सौपनेकी मांग की। परन्तु लम्बे पत्रव्यवहारके बाद सरकारका अुत्तर आया कि अुनका प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटीको सौपना वांछनीय प्रतीत नहीं होता।

नदीके अुस पार जिस स्थान पर सन् १९२१ की स्मरणीय कांग्रेस हुआ थी, खास तौर पर जहां कांग्रेसकी बैठकके लिये मंडप बनाया गया था, वहां कांग्रेसकी बैठकके स्मारकके रूपमें कोअी बड़ा लोकोपयोगी काम हो, अैसी सरदारकी पहलेसे ही अिच्छा थी। अिसके लिये वहा अेक जनरल अस्पताल बनानेके लिये सेठ वाड़ीलाल साराभाअीके ट्रस्टियोंसे लगभग साढ़े पाच लाखका और अेक प्रसूतिगृह बनवानेके लिये सेठ चुनीलाल नगीनदास चिनाअीसे लगभग डेढ़ लाखका — अिस प्रकार दो बड़े दान सरदारने प्राप्त किये और अुन्हें म्युनिसिपैलिटीसे स्वीकार कराकर अुनके लिये नदीके किनारे पर २१ अेकड़ जमीन लैंड अेक्वीअीशन अेक्टके अुनुसार प्राप्त कर लेनेके लिये सरकारसे लिखापढ़ी करनेका प्रस्ताव पास कराया। साथ ही अिन संस्थाओंके प्रारंभिक खर्चमें ठोस सहायता देनेके लिये सरकारको लिखनेका भी निश्चय किया गया।

ये दोनों काम सरदारके म्युनिसिपैलिटी छोड़नेके बाद पूरे हुअे। आज वे शहरकी अेक बड़ी जरूरत पूरी करके शहरके लिये कल्याणकारी बने हुअे हैं।

सरदारके अिस समयके म्युनिसिपल कार्योंमें अेक ही म्युनिसिपल अफसर श्री भगतकी ओरसे भिन्न प्रकारका और कुछ विरोधी स्वर निकलता था। यों तो सरदारके जीवन चरित्रमें अुसका अुल्लेख करनेकी भी कोअी जरूरत नहीं हो सकती, परन्तु सरदारके अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी छोड़नेमें ये

भाभी निमित्त बने। सरदारके राष्ट्रके लिअे खूब अपयोगी और अत्यन्त तेजस्वी कार्यकाल पर तो अुसका कोअी असर नहीं पड़ा, बल्कि वे विशाल क्षेत्रमें काम करनेके लिअे मुक्त हो गये। परन्तु अहमदाबाद शहर अुनकी प्रत्यक्ष म्युनिसिपल सेवाओंसे वचित हो गया, यह अेक बड़ी हानि हुअी।

म्युनिसिपल कौंसिलर श्री गोवर्धनभाअी अीश्वरभाअी पटेलने श्री भगतकी म्युनिसिपल कारंवाअी सम्बन्धी बहुतसे सवाल पूछे थे और अुनका सारा हाल म्युनिसिपैलिटीके पुराने कागजातसे छांटकर ता० १०-९-२६ की जनरल बोर्डकी बैठकमें म्युनिसिपल अुपाध्यक्ष श्री बलूभाअी ठाकोरने तफसीलवार बताया था। अुसका सार नीचे दिया जाता है।

सन् १९२५ में अेक वर्षकी आजमाअिशके लिअे 'प्रोवेशनर' के तौर पर श्री भगतको चीफ अफसर मुकरंर किया गया था। अुन्होंने अुस समयके म्युनिसिपल अिअीनियर श्री गोरेके विरुद्ध लिखापडी करके तीव्र आक्षेप किये। म्युनिसिपल अिअीनियर चीफ अफसरके बराबरके ही दर्जेके अफसर माने जाते थे और अुनके विरुद्ध अैसे आक्षेप हों, यह गंभीर मामला था। अिसलिअे म्युनिसिपल अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारने अिस मामलेकी जाच हाथमें ली और अुस जाचमें मदद देनेके लिअे म्युनिसिपैलिटीके भूतपूर्व अध्यक्ष सर रमणभाअीसे अनुरोध किया। अुन्होंने खुशीसे स्वीकार कर लिया। अुस जांचसे यह मालूम हुआ कि भगत द्वारा लगाये गये आक्षेप बिलकुल बेबुनियाद हैं और श्री गोरेके प्रति श्री भगतका बरताव अुद्धत, जलदबाजीका और गैरवाजिब है। अितना ही होता तो श्री भगतको समझाकर अुन्हें ठीक रखनेका प्रयत्न किया जाता। परन्तु श्री भगत पहले जब चीफ अफसरके पर्सनल असिस्टेंटके पद पर थे, अुस समयसे अुनके व्यवहार और कुछ कामोंके कारण म्युनिसिपैलिटीमें बडा असन्तोष था। वे अपने मातहत आदमियोंके साथ और अिसी तरह दूसरे विभागोंके ओहदेदारोंके साथ बड़ा असभ्य और ओछा बरताव करते थे। अेक बार तो अेक जिला अिस्पेक्टरने अपने पर श्री भगत द्वारा किये गये हमलेके लिअे अुन पर दावा भी सिटी मजिस्ट्रेटके यहा किया था और अुसमें अुन्हें दोषी भी करार दिया गया था, यद्यपि अपीलमें वे निर्दोष करार दिये गये थे। अेक्सेस कलेक्शन सुपरिन्टेंडेंटेने चीफ अफसरसे हमेशा सताये जाने और खराब किये जानेकी धमकी देनेकी शिकायत की थी और अुसमें चीफ अफसरने श्री भगतके आचरणकी निन्दा की थी। अेक म्युनिसिपल कमिश्नर मि० भावने श्री भगतके अपने अफसरोंके प्रति अयोग्य व्यवहार और अुद्धतताके कारण अुनको अपने पर्सनल असिस्टेंटका काम देनेसे अिनकार कर दिया था। अन्तमें बोर्डने अिस मामलेका निपटारा अिस तरह किया कि अध्यक्ष सर रमणभाअी, अुपाध्यक्ष और सरदार तीनों जने जैसे

मसौदा बना दें, उसके अनुसार श्री भगत लिखित क्षमा मांगें। ऐसा मालूम होता है कि यह माफीका मसौदा और उसके सम्बन्धके कागजात फाइलमें से निकाल लिये गये। अक म्युनिसिपल अिजीनियर श्री मलिकने भगतके विरुद्ध सख्त शिकायत की थी कि वे चारों ओर कीचड़ अुछालते हैं और अनमें म्युनिसिपल मुलाजिमोंका अपमान करनेकी आदत है। चीफ अफसरने श्री भगतके आचरणकी निन्दा की थी। असके भी असली कागजात गुम हो गये। अहमदाबादके कलेक्टर मि० चेटफील्डने श्री भगतकी वेवफाअीके कारण अक निश्चित मियाद तक अनकी वेतनवृद्धि रोक देनेका हुक्म दिया। असा मालूम होता है कि ये कागजात भी फाइलमें से अुड़ा लिये गये। अन सब बातोंसे भी अुनके आचरणमें गंभीर रूपमें आपत्तिजनक बात यह थी कि वे म्युनिसिपैलिटीके विरुद्ध मुसलमानोंमें अुत्तेजना फैलानेवाले किस्से गढ़ा करते थे। कुछ अूचे माने जानेवाले मुसलमान खानदानोंका यह आग्रह रहता था कि अुनके मुर्दे शहरमें ही गड़ें। चूकि यह चीज शहरकी तंदुरुस्तीके लिअे हानिकारक थी, असलिअे सन् १९२१ से म्युनिसिपैलिटीके अपनियमोंमें सुधार करके यह प्रथा बिलकुल बन्द कर दी गअी थी। फिर भी जब श्री भगत अक वर्ष तक चीफ अफसरके पद पर प्रवेशनरके रूपमें रहे, तब अुन्होंने शहरमें मुर्दे गाड़नेके अैसे चार अुदाहरण होने दिये। जब चौथी घटना हुअी तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटने म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षकी हैसियतसे सरदारको खानगी सूचना दी कि यह घटना कैसे हो सकी, असकी जांच कराकर मुझे हाल लिखिये। साधारण तौर पर ही यह सब चीफ अफसरको मालूम हो जाता है। अुसने अस खानगी सूचनाको प्रगट कर दिया और अुसका अस तरहमे अपुयोग किया जिससे जांचका मुख्य अुद्देश्य ही नष्ट हो जाय। अुनके व्यवहारको सन्देहजनक जानकर सरदारने जांच खुद अपने हाथमें ले ली। जाचमें कुछ कॉमिलरों और म्युनिसिपल पदाधिकारियोंकी गवाहीमे और स्वास्थ्य-विभागके रजिस्टरमे मालूम हुआ कि श्री भगतने अस दफनानेकी क्रियाके बारेमें अपना कमूर साबित करनेवाले कुछ कागजात नष्ट कर दिये हैं।

श्री भगतके अस किस्मके बरतावका परिणाम यह हो रहा था कि बोर्डमें कुछ मुसलमान सदस्योंमे सरदारके प्रति विरोधभाव अुत्पन्न होता था और शहरमें भी साम्प्रदायिक भावनाअें अुभाड़नेवाला वातावरण पैदा होता था।

अिसलिअे सरदारने तय किया कि श्री भगतको चीफ अफसरकी जगह पर स्थायी न किया जाय। श्री भगतने स्थायी होनेके लिअे मुसलमान सदस्यों और कुछ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्योंमे मिलकर खटपट करना शुरू की। अिसलिअे सरदारने अुन्हें चीफ अफसरकी जगहसे हटाकर अुनकी

मूल पर्सनल असिस्टेंट टू दि चीफ अफसरके स्थान पर वापस रख दिया और बम्बयी कॉरपोरेशनसे श्री शेटे नामक सज्जनको बुलाकर अन्हें चीफ अफसर मुकरंर कर दिया। श्री भगत दीवानी अदालतमें यह दावा दायर करके कि म्युनिसिपैलिटी अुनके अुचित अधिकार छीनकर द्वेषवृद्धिसे अुनके साथ अन्याय करना चाहती है और म्युनिसिपैलिटीका अिरादा गैरकानूनी है अुस पर मनाही हुकम ले आये कि अुनकी दरखास्त पर ध्यान दिये बिना म्युनिसिपैलिटी चीफ अफसरकी नियुक्ति न करे। असिसे सरदार और बहुतसे म्युनिसिपल कौंसिलरोंको बहुत बुरा लगा।

अितनेमें १९२७ में म्युनिसिपैलिटीका नया चुनाव हुआ। अुसमें सेठ अंबालाल साराभायी तथा सेठ कस्तूरभायी सरकारी मनोनीत सदस्य बनकर बोर्डमें आये। मेठ अंबालालने अपना अेक नया दल बनाया, जिसमें सरदारके दलके कुछ लोग मिल गये। अिमलिअे सरदारका जो बहुमत रहता था, वह कुछ कम हो गया। तीसरा दल मुमलमानों और मनोनीत सदस्योंका था। चीफ अफसर मि० शेटे १९२८ के शुरुमें बम्बयी म्युनिसिपल कॉरपोरेशनमें डिप्टी कमिश्नरकी जगह मिल जानेके कारण बम्बयी लौट गये। अिमलिअे म्युनिसिपैलिटीने चीफ अफसरकी जगहके लिअे अखबारोंमें विज्ञापन दिया। अुसके लिअे तीन अुम्मीदवार थे। श्री अेच० अेल० दीवान, श्री मोरारजी देसायी (जो अुम समय सरकारी नौकरीमें थे) और श्री भगत। सरदारका दल श्री दीवानकी नियुक्तिके पक्षमें था, जबकि अंबालालभायीके दलकी राय श्री दीवानकी नियुक्तिके विरुद्ध थी। परन्तु अुनमें से बहुतोंकी अिच्छा भगतको लानेकी भी नहीं थी, असिलिअे अुस दलने मोरारजीभायीकी हिमायत की। परन्तु अन्तमें दलके रूपमें निरपेक्ष रहकर अुन्होंने अपने दलके सदस्योंको व्यक्तिगत रूपमें जैसा पसन्द हो अुसी तरह राय देनेकी आजादी दे दी थी। तीसरा दल ठोस रूपमें श्री भगतके पक्षमें था। अिन सारी बातोंके दरमियान सरदारने कह दिया था कि अगर श्री भगत चीफ अफसर बना दिये गये, तो मैं म्युनिसिपैलिटीमें नहीं रहूंगा। अन्तमें अंबालालभायीके दलने मुश्किल खड़ी कर दी। अुनमें से किसीने श्री दीवानको तो राय दी ही नहीं, परन्तु श्री भगतको मत देनेवाले अुनमें से कोअी निकल आये होंगे। फिर भी अेक ही रायके बहुमतसे श्री भगत चीफ अफसर नियुक्त हो गये। तुरन्त सरदारने म्युनिसिपैलिटीसे अिस्तीफा दे दिया। वह ता० १८-४-२८ की जनरल बोर्डकी बैठकमें सेठ अंबालाल साराभायीके असि प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर लिया गया :

“अध्यक्षका अिस्तीफा बड़े खेदके साथ स्वीकार करते हुअे यह बोर्ड अुन्हें विश्वास दिलाता है कि अुन पर बोर्डका विश्वास है और अुन्होंने

अपने कार्यकालमें जिस म्युनिसिपैलिटीकी जो जबरदस्त सेवाओं की हैं, उनकी यह बोर्ड कद्र करता है।”

अस समय बारडोलीका सत्याग्रह शुरू हो गया था और सरदारके सारे समय बारडोलीमें ही रहनेकी जरूरत थी। इसलिये म्युनिसिपैलिटीके कामसे छूट जाना सरदारके लिये तो अिष्टापत्तिके समान हुआ।

सन् १९२७ के जुलाही मासमें सूरतमें जो पहली स्थानीय स्वराज्य परिषद हुई थी, उसके सभापतिपदसे सरदारने अपने अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीके अनुभवके आधार पर इस बातका बढिया वर्णन किया है कि स्थानीय स्वराज्य संगठनके सामने कैसी मुश्किलें होती हैं और सरकार उसे मदद देनेके बजाय अुल्टे कैसे अधिक भार उस पर डालती है। उसमें से कुछ अुद्धरण देकर इस अध्यायको समाप्त करेंगे :

“स्वच्छ और काफी पानीकी, अच्छी नालियोंकी, तंग और मैले रास्तोंको चौड़े बनानेकी, अच्छे रास्तोंकी, हवा और रोशनीदार स्कूलोंके मकानोंकी, बच्चोंके खेलनेके स्थानोंकी, सफाई सुधारनेकी, म्युनिसिपैलिटीके दफ्तरके मकानोंकी, दवाखानोंकी अिमारतोंकी, बाजारोंकी, कसाई-खानोंकी और इसी प्रकारकी तात्कालिक आवश्यकताओंकी चारो तरफसे पुकार हो रही है ; जबकि अधिकांश म्युनिसिपैलिटियां रूपयेके अभावसे पीड़ित हैं और अिनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती।”

\*

\*

\*

“स्थानीय स्वराज्यके संगठनको चलानेके लिये सबसे अधिक महत्त्वका प्रश्न उसकी आर्थिक कठिनाई हल करना है। इस सवालने सुधारोंके अमलके बाद ही अधिक गंभीर रूप धारण किया है। अिममें पहले स्थानीय स्वराज्यकी जिम्मेदारियां कम थीं। सरकारका नियंत्रण अधिक मात्रामें होनेके कारण स्थानीय अधिकारियों और सरकारकी सहानुभूति रहती थी। जनता अधिकतर अुन्हें जिम्मेदार समझती थी। इसके सिवाय हरअेक महत्त्वके काममें रूपयेकी मदद मिल जाती थी। पानीकी, नालियोंकी, शहरके सुधारकी, लोकोपयोगी मकानोंकी, पाठशालाओंकी अिमारतोंकी और इसी तरहकी प्रत्येक सार्वजनिक अुपयोगकी योजनाओंमें सरकार अपना हिस्सा नियमित रूपसे देती थी। यह सारी सहायता सुधारों पर अमल शुरू होनेके बाद बन्द कर दी गयी है। इस सम्बन्धमें मैं अपना अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीका अनुभव आपके सामने रखूंगा। पानी और नालियोंकी योजना अमलमें लानेके लिये हमने सरकारकी मंजूरीसे पैंतालीस लाख रूपयेका कर्ज लिया है। इसमें सरकारके

प्रस्तावके अनुसार आधी मदद सरकारको देनी चाहिये। अुस मददकी दर-खास्त आज चार वर्षसे अधरमें लटक रही है। पूनामें भांबुर्डा नगर-रचनाकी योजनामें सरकारने सोलह लाख रुपये खर्च करके योजनाके शुरू होनेसे पहले पुल बनवाया। अिस परसे अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीने अुसके जैसी अेलिस ब्रिजकी नगर-रचनाकी योजना तैयार करके जिन शर्तों पर पूनामें पुल बनवाया गया अुन्हीं शर्तों पर अहमदाबादमें पुल बनवा देनेकी मंजूरीके लिअे योजना भेजी। वह दो सालसे सरकारके यहां पड़ी हुआ है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीने म्युनिसिपल दफ्तर, वरसातके पानीकी नालियां, लेबोरेटरी, मीट मार्केट, शाक मार्केट, पाठशालाओंके मकान, और नगर विस्तारकी योजनाअें वगैरा बड़े-बड़े काम लाखों रुपया खर्च करके पिछले तीन सालमें किये। परन्तु सरकारसे फूटी कौडी नही मिली और मिलनेकी आशा भी नहीं है।”

\*

\*

\*

“सन् १९२४ में सरकारने अेक प्रस्ताव प्रकाशित किया कि हरअेक म्युनिसिपैलिटीको अपने खर्चका साढे चार फी सदी डॉक्टरी सहायता पर खर्च करना चाहिये। और अुमके अनुमार कोअी म्युनिसिपैलिटी करती नही है, अिसलिअे आअिन्दा करे; और अगर वह अैसा न करे तो सरकारी अस्पतालोंको अुतनी रकमकी सहायता दे। असली मुद्दा म्युनिसिपैलिटियोसे सहायताके रूपमे रुपया अंठना होने हुआे भी अिस पर परदा डालनेके लिअे अुस प्रस्तावमें साथ-साथ यह कहा गया कि यह वांछनीय है कि म्युनिसिपैलिटियां अपने अस्पताल खोलें। और अगर कोअी म्युनिसिपैलिटी अैसा करेगी, तो सरकार अुसकी अुचित सहायता करके प्रोत्साहन देगी। साथ ही अगर कोअी म्युनिसिपैलिटी सिविल अस्पतालका अितजाम सम्हालनेको तैयार होगी, तो वह अुसे सौप दिया जायगा। अिस पर अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटीने सिविल अस्पताल अुसे सौंपनेकी मांग की, अुसकी अेक योजना पेश की और सरकारकी अधिकांश शर्तें मंजूर कर लीं। अिस मांगका स्थानीय अधिकारियोने प्रबल समर्थन किया। फिर भी दो वर्ष पत्रव्यवहार होते रहनेके बाद जैसा सोचा था, सरकारने सिविल अस्पताल सौंपनेसे अिनकार कर दिया। अब म्युनिसिपैलिटीने अपना स्वतंत्र अस्पताल खोलनेकी योजना बनाकर सरकारके अपने वचनके अनुसार अुससे ग्रांट मांगी है। देखना है अुसका क्या परिणाम होता है। अिस प्रकार हरअेक दिशामें स्थानीय संस्थाओंसे अप्रत्यक्ष रूपमें रुपया अंठनेकी

तरकीबें होती रहती हैं। मंत्रीके आधीन विभागमें ये संस्थाओं सरकारी अधिकारियोंकी हमदर्दी खो बैठी हैं और त्रिशंकुकी दशामें आ पड़ी हैं।”

\* \* \*

“मंत्री महोदयने कर्ज लेकर बड़े-बड़े काम करनेकी सलाह दी है। कर्ज किस तरह लिया जाय यह नहीं बताया। क्या सरकार म्युनिसिपैलिटियोंको कर्ज देनेको तैयार है? अिस विषयमें भी मेरा अनुभव कड़वा है। मने पिछले साल ही सरकारसे पांच प्रतिशत ब्याज पर केवल साढ़े तेरह लाखका कर्ज मांगा। सरकार चार फी सदी ब्याज पर कर्ज ले सकती है। अुसे अेक रुपये सैकड़का साफ नफा रहता था, फिर भी अुसने देनेसे अिनकार कर दिया और फिर हमने वह कर्ज बाजारसे लिया।”

\* \* \*

“और कर्जका ब्याज हमें अधिक देना पडता है। पहले अहमदाबादको साढ़े छः फी सदी पर कर्ज लेनेकी मंजूरी दी गयी, अुस समय म्युनिसिपैलिटीने अुस पर आय-कर माफ करनेकी मांग की। अुसे भी नामंजूर कर दिया गया।”

\* \* \*

“अहमदाबाद म्युनिसिपल स्कूल्स कमेटीकी अनिवार्य शिक्षाकी योजना तीन सालसे सरकारकी आलमारीमें पड़ी हुअी है। जितनी योजनाओं जाती हैं, वे अेकके बाद अेक नंबरवार अुसमें रख दी जाती हैं। और यह आशा कम ही है कि अिस युगमें अुनमें से कोअी मंजूर होगी।”

\* \* \*

“सरकार अपनी आर्थिक स्थिति तंग होनेका शोर मचाती है। परन्तु अुसके शासनके लाखोंके खर्चमें कअी दिशाओंमें कमी संभव होने पर भी कोअी कमी नहीं की जाती। प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध स्थानीय संस्थाओको सौप देनेके बाद अिस्पेक्टरों और डिप्टी अिस्पेक्टरों वगैराके दफ्तरोंका खर्च रखनेकी कोअी आवश्यकता नहीं। खुद डाअिरेक्टरका दफ्तर अुठा दिया जाय, तो भी कोअी आपत्तिकी बात नहीं। जिस दफ्तरसे अपने विभागके प्रबन्धकी रिपोर्ट दो-दो वर्ष तक प्रकाशित न हो, अुसकी अपयोगिता कितनी होगी अिस बारेमें स्वाभाविक रूपमें ही शंका अुत्पन्न होती है। स्वतंत्र शिक्षाकी व्यवस्था लोग सरकारकी मददके बिना अपने खर्चसे करें, यह सरकारको पसन्द नहीं। शिक्षा परसे नियंत्रण छोड़ना नहीं और खुदमें शिक्षा देनेकी शक्ति नहीं।”

\* \* \*



“सरकारके पब्लिक वर्क्स ( अिमारत ) विभागमें शासनका खर्च पचाससे साठ फीसदी तक होने लगा है। हरअेक जिलेमें अेक्जीक्यूटिव अिजीनियर, सब डिविजनल अफसरों, ओवरसियरों और दफतरका खर्च सरकार पर व्यर्थ पड़ता रहता है। अनुसे काम लेनेके लिअे सरकारके पास रुपया नहीं है। हरअेक जिलेमें अेकाध पुलिस लाइनकी कोठड़ियां या किसी थाने-चौकीके छोटे-छोटे मकान बनानेके सिवाय और कोअी काम नहीं। अधिकांश स्थानीय संस्थाअें अपने स्वतंत्र अिजीनियर रख नहीं सकतीं। जिलेकी स्थानीय संस्थाओं और जिलेके पब्लिक वर्क्सका काम मिला दिया जाय, तो भी पब्लिक वर्क्स विभागको पूरा काम नहीं मिल सकता। अितने पर भी अगर कोअी संस्था पब्लिक वर्क्स विभागके माफ्त काम कराना चाहे, तो अुससे २५ फी सदी तक कड़ा विभागीय खर्च मांगा जाता है। दो-दो जिलोंका काम मिलाकर चलाया जाय तो भी चल सकता है। कुछ स्थानों पर स्थानीय संस्थाओंके साथ प्रबन्ध करके काम चलाया जा सकता है।”

\*

\*

\*

“अब यह स्थिति नहीं रही कि पहलेकी तरह अपने कामसे निपटकर फुरसतके वक्त शामको घंटे दो घंटे हाजिरी देकर अिन संस्थाओंका कारबार चलाया जा सके। शुद्ध निष्ठासे सेवा करनेवालेको अिन संस्थाओंमें अपना सारा ही समय देना पड़ता है। अुसका माथेरान या महाबलेश्वर जाना नहीं हो सकता। अुसे आराम लेनेका अवकाश ही नहीं।”

## गुजरातमें बाढ़-संकट

जुलाबी सन् १९२७ में गुजरात-काठियावाड़के बहुतसे हिस्सोंमें बरसात और आंधीका असा भयंकर तूफान आया, जैसा अुस समयके जीवित मनुष्योंकी यादमें कभी नहीं आया था। और अुसने गुजरातके सारे अुद्यानको नष्टभ्रष्ट कर डाला। शनिवार ता० २३ जुलाबीकी रातको मूसलाधार वर्षा शुरू हुअी, जो शुक्रवार २९ तारीखको बन्द हुअी। रविवारको सबको असा लगा कि अिस बारकी झड़ी जबरदस्त है और थोड़ी देरमें बन्द हो जायगी। परन्तु अुस दिन शामसे वर्षाके साथ जबरदस्त हवा चलने लगी। जब वायु और वरुणका प्रचंड तांडव होने लगा, तब लोगोंको कल्पना होने लगी कि यह कोअी साधारण अुत्पात नहीं है। रविवारकी रातसे सरदार चिन्ता करने लगे कि लोगों पर सख्त आफत आअी मालूम होती है। अुन्हें नींद न आअी और यह देखनेके विचारसे कि शहरके भिन्न-भिन्न मोहल्लोंकी क्या हालत है, वे आधी रातको बारह बजे घरसे बाहर निकले। वदी ग्यारसकी अंधेरी रात थी। भयंकर गर्जना और आंधीके साथ मूसलाधार पानी पड़ रहा था। अुसमें रिची रोड (आजकलकी गांधी रोड) पर वे यों ही बिजलीकी चमक और रास्तों पर टिमटिमाती हुअी बत्तियोंके प्रकाशमें जो कुछ देखा जा सकता था, अुसे देखते-देखते अकेले चले जा रहे थे। विचार हुआ कि किसीको साथ ले लिया होता तो अच्छा होता। अितनेमें हरिलाल कापड़ियाका घर आ गया। वे मस्कती मार्केटके अेक व्यापारी थे। बहादुर आदमी थे और असे संकटके समय साहस करके काम करनेवाले थे। सरदारने अुनका द्वार खटखटाया। अुन्होंने दरवाजा खोला तो सरदारको भीगे कपड़ोंमें खड़ा पाया। जब यह पूछने लगे कि अैसी हालतमें अिस समय कहाँसे आये, तो सरदार बोले: "पहले चाय बना दो, फिर बात करेंगे।" कापड़ियाने सरदारके कपड़े बदलवाये और चाय बनानेका प्रबन्ध करने लगे, तो सरदारने कहा: "यह तो जबरदस्त तूफान मालूम होता है। अिसमें शहरकी क्या दशा हुअी होगी, यह देखनेको घूमने चलना चाहिये।" कापड़ियाका मकान अंचा और तीन तरफसे खुला था, अिसलिअे बरसात और हवाके सपाटेमें अेक तरफकी दीवार गिर पड़नेका घरमें सबको डर लग रहा था। फिर भी वे सरदारके साथ घूमने जानेको तैयार हो गये। रातको लगभग तीन बजेसे प्रभातमें अुजाला हुआ तब तक घूमकर और यह देखकर कि

शहरमें पानीकी मार कहां-कहां ज्यादा है और पानीके निकासके लिये कहां-कहां तोड़-फोड़ की जाय, दोनों जने सीधे म्युनिसिपल इंजीनियरके घर गये। अन्हें सोतेसे जगाया और साथ लेकर म्युनिसिपैलिटीमें गये। वहांसे सब जगह फोन करके स्टाफके आदमियों, जमादारों और मजदूरोंको जमा किया। कहां-कहां नाले, सड़कें वगैरा तुड़वाकर पानीके लिये रास्ता कर देनेकी जरूरत है, इसकी युद्ध-परिषदके ढंग पर चर्चा करके सबको काम सौंप दिया गया। अुसी सोमवारकी शामसे मकानोंका गिरना शुरू हो गया। अुसके कारण रास्ते बन्द न हो जायं, यह भी देखना था। अिन तीन-चार दिन तक सरदार और म्युनिसिपल इंजीनियर श्री गोरेने दिन-रात भीगे शरीर और चूते हुअे कपड़ोंसे शहरमें चारों तरफ घूमकर पानीका समय रहते निकास न किया होता, तो कौन जानता है शहरकी क्या स्थिति होती? यह कहा जा सकता है कि सरदारकी समयसूचकता और श्री गोरेकी इंजीनियरी बुद्धिने और अुन दोनोंके सिवाय इंजीनियरी विभागके सारे स्टाफकी जीतोड़ मेहनतने शहरको बहुत हद तक बचा लिया।

अैसे जबरदस्त तूफानमें सारे गुजरातकी क्या दशा हुअी होगी, इसकी चिन्ता सरदार अिस सारे समयमें किया ही करते थे। परन्तु मूसलाधार पानी पड़ रहा था और रेलगाड़ियोंका आना बन्द हो गया था। अिसलिये डाक नहीं आ रही थी और बहुत जगह तारोंको नुकसान पहुंचा था अिसलिये तारोंका भी पता नहीं था। बाहरके कोअी अधिकृत या विस्तृत समाचार नहीं मिल रहे थे। अैसी हालतमें कुछ समझमें नहीं आ सकता था कि कहां और कैसे मदद पहुंचाअी जाय। अकेले अहमदाबाद शहरमें छः हजारसे अधिक मकान गिर गये थे। अुन सबके लिये ठीकठाक करने और जो दूसरे बहुतसे मकान गिरनेवाले थे अुनको सहारा देनेके लिये लकड़ी चाहिये थी। अुसके भाव और राज-बढ़अियोंकी मजदूरी अितनी बढ़ गअी थी कि अुन पर नियंत्रण कैसे रखा जाय, यह सरकारी अधिकारियों और नेताओंके लिये चिन्ताका अेक विषय बन गया था।

अहमदाबादमें जो कुछ हुअा और अिस भयंकर संकटसे गुजरात अ काठियावाड़ पर कैसी आफत आअी, अुसके जो थोड़े-बहुत समाचार मिले, अुन परसे अगले रविवारके 'नवजीवन' में सरदारने संकटग्रस्तोंकी सहायताके लिये नीचे लिखी अपील प्रकाशित की :

“पिछले सप्ताहमें हुअी मूसलाधार वर्षाने गुजरात-काठियावाड़को अेकाअेक अकल्पित संकटमें डाल दिया है। गांवके गांव बह गये या पानीमें डूब गये हैं। लोग भूखे-प्यासे बैठे हैं। अैसी छुटपुट खबरें आ रही हैं। डाक, रेल और तार सभीके लगभग बन्द हो जानेके कारण अभी तक अैसा व्यवहार

जारी नहीं हुआ, जिससे अिस बारेमें कोअी अधिकृत हाल यहां तक पहुंच सकें कि देहातकी असली हालत क्या है और वहां जानमालकी कितनी बरबादी हुआ है । परन्तु अहमदाबादकी जो स्थिति हो गयी है अुस परसे और साथ ही देहातसे आनेवाली चौकानेवाली कहानियों परसे चारों तरफ फेले हुआे संकटकी थोड़ी-बहुत कल्पना की जा सकती है।

“अहमदाबादमें बरसातका सालाना औसत ३० अिच माना जाता है, जबकि अिस बार अब तक ७० अिच पानी पड़ चुका है। अुसमें से ५२ अिच सिर्फ पिछले सप्ताहमें ही पड़ा है। अैसी अतिवृष्टि होना पिछले ५० वर्षमें किसीको याद नहीं है। अहमदाबादमें ही हजारों लोग बेघरबार होकर व अपनी माल-जायदाद छोड़कर पहने हुआे कपड़ोंके साथ बाहर निकल पड़े हैं। मजदूरों और गरीब लोगोंके मोहल्ले पानीमें डूब गये हैं। अैसी हालतमें देहातके लोगों, अुनके खेतों और खेतीकी स्थितिकी कल्पना करते हुआे हृदय कांपता है।

“संकटकी सही कल्पना तो तभी हो सकती है, जब रेल-डाक आदिका आवागमन जारी हो जाय और चारों तरफके समाचार मिलें। परन्तु यह माननेका कारण है कि यह संकट लगभग सारे गुजरात-काठियावाड़ पर अचानक टूट पड़ा है।

“गुजरातने और गुजरातसे बाहर रहनेवाले गुजरातियोंने अब तक दूसरे प्रान्तोंके संकट-निवारणके लिये कअी बार खुले हाथों मदद की है। दयाधर्म गुजरातके लोगोंका विशेष गुण माना गया है। मुझे पूरी आशा है कि वे अिस घरकी विपत्तिके समय लोगोंके संकट निवारणार्थ तुरन्त मदद देनेमें पीछे नहीं रहेंगे...।”

अितनेमें खेड़ाके कलेक्टरका अहमदाबादके कलेक्टरके नाम संदेश आया कि सारा खेड़ा शहर चारों तरफ पानीसे घिर गया है। मीलों तक पानी ही पानी दिखायी देता है। खेड़ा शहरका जिलेके साथ सम्बन्ध टूट गया है। शहरमें अनाज और रोजमर्राकी जरूरतकी चीजोंके भाव बेहद बढ़ गये हैं। हम निरुपाय हैं, अिसलिये मदद भेजिये। अहमदाबादके कलेक्टर चिन्तामें पड़ गये, क्योंकि सरकारी कामकाजके तमाम तरीके ठहरे दीर्घसूत्री। अुन्होंने अपनी कठिनायीका सरदारसे जिक्र किया। अुन्होंने तुरन्त गेहूं, चावल, शक्कर और घासलेट वगैरा आवश्यक वस्तुओंका अेक डिब्बा भरवाकर महेमदाबाद स्टेशनके लिये रवाना किया। अुसके साथ श्री मणिलाल तेली तथा चार स्वयंसेवकोंको भेजा और महेमदाबादके तहसीलदारको हिदायत दिलवायी कि सारा माल किसी भी तरह खेड़ा पहुंचा दें। खेड़ाके कलेक्टरने श्री तेलीके हाथों सरदारके नाम पत्र भेज-

कर धन्यवाद दिया और यह लिखा कि गरीब लोगोंकी दयाजनक अवस्थामें ये चीजें आशीर्वादके समान सिद्ध होंगी ।

सरदारने तुरन्त निश्चय कर लिया कि गुजरातमें अनुकूल केन्द्रोंके साथ सम्बन्ध स्थापित करके संकटग्रस्त प्रदेशमें आवश्यक सहायता देनेके लिये स्वयं-सेवक रख दिये जायं । अउनके पास अनुभवी, तालीम पाये हुअे और गुजरातके कोने-कोनेके परिचित कार्यकर्ता और स्वयंसेवक तैयार थे । २९ तारीखको बरसात बन्द होनेके बाद ४-६ रोजमें, यानी ३ तारीखसे पहले स्वयंसेवक तमाम संकटग्रस्त प्रदेशमें रेलवे लाइन या पक्की सड़कसे दूर ठेठ कोनेके गांवोंमें घुटनों या कमर तकके पानीको लांघकर या कमरसे तूबे बांधकर नदी-नाले पार करके गांव-गांव पहुंच गये । जब अन्होंने संकटग्रस्त प्रदेशोंको प्रत्यक्ष देखकर विस्तृत समाचार भेजना शुरू किया, तब विपत्तिका ठीक चित्र सामने आया । कभी जगह लोगोंके घरबार, मालमत्ता, ढोर-ढंगर और खेतीबाड़ी सब कुछ बह गया था । अपूर आकाश और नीचे पानीके बीच किसीने पेड़ पर चढ़कर तो किसीने अंचे दासेवाले थाने या धर्मशालाओंका आश्रय लेकर, किसीने पड़ोसीके घरका आश्रय लेकर और अुसके भी गिर जाने पर दोनोंने किसी तीसरेका ही सहारा लेकर प्राणोंकी रक्षा की । निचले प्रदेशके जो गांव सारेके सारे डूब गये, वहांकी आबादीको केवल वृक्षोंका ही आसरा लेना पड़ा था । अैसे अिलाकोंमें तो ज्यों-ज्यों पानी चढ़ता गया, त्यों-त्यों लोग घर छोड़-छोड़कर निकलते गये । जिन्हें वक्त मिल गया अन्होंने पेड़ों पर खाटें बांधीं और वहां अपने बाल-बच्चोंको लेकर बैठ गये । जिन्हें अिस तरह वक्त नहीं मिला, वे ज्योंके त्यों पेड़ों पर चढ़ गये । लोगोंने अपने मवेशी छोड़ दिये, ताकि वे अपने सुभीतेके अनुसार प्राणरक्षा कर लें । और पेड़ों पर पांच-पांच दिनके अपुवास करके भी चैनसे बैठनेकी तो बात थी ही नहीं । बिलोंमें पानी भर जानेसे सर्पादि प्राणी भी अुन्हें छोड़-छोड़कर बाढ़में बहकर पेड़ोंका ही आश्रय लेनेको मजबूर हुअे थे । अपनी फुंकारसे ही कंपा देनेवाले सांप भी कुदरतके अिस कोपके सामने गरीब बनकर अपनी जान बचानेके लिये पेड़ोंकी डालियोंसे लिपटकर पड़े रहे । कभी जगह तो अुन्हींके साथ लोगोंको तीन-तीन और चार-चार दिन और रातें बितानी पड़ीं । ढाढर नदीके किनारेके अेक गांवके पासके अेक पुरेमें केवल सात भील किसानोंके छप्पर थे और अुनमें कुल मिलाकर ६१ मनुष्य रहते थे । पुरेमें अेक शमीका पेड़ और दो छोटे-छोटे नीम थे । अुन पर चढ़कर ये ६१ प्राणी जैसे तैसे चिपटे रहे । चार दिन तक तो वे लोग अैसी निराधार अवस्थामें टिके रहे । परन्तु पांचवें दिन बच्चे और बूढ़े ठिठुरकर निर्जीवकी तरह पटापट गिरने लगे और बहने लगे । अिस प्रकार ६१ में से ३१ चले गये । धोलका तालुकेके अेक गांवमें

छोटे-बड़े १८ मनुष्योंके इसी तरह बह जानेकी रिपोर्ट मिली थी। ऐसी आफतमें कुछ बहादुर लोगोंके अपनी जान जोखममें डालकर बाढ़में बहते हुए लोगोंको बचानेके भी कभी अुदाहरण मिले। अनिमें से बी० बी० सी० आजी० रेलवेके डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिन्टेंडेंट मि० मोरली और धोलका तालुकेके धीगड़ा गांवके तालुकेदार द्वारा लगभग ५० प्राणियोंके बचाये जानेके किस्से दर्ज हुए हैं।

अितना होने पर भी लोग पागल या बेहोश नहीं हो गये थे। कुदरतकी नजर फिरी हुई देखकर वे साहसके साथ अपनी और अपने गांवकी रक्षा करनेमें जुट गये। आत्मरक्षाके लिये जितनी शक्तिकी जरूरत थी, अुतनी रखकर बची हुई सारी शक्तिसे पड़ोसके गांवके लोगोंकी मदद की। इसमें लोग जातपांतके भेद भूल गये और ब्राह्मण, बनिया और पाटीदार वगैरा महाजनोंने अपने मोहल्लोंमें अपने मकानात खोल दिये और अुनमें भंगी-चमारोंको रखा, कपड़े दिये और कभी दिनों तक खिचड़ी खिलायी। गांव-गांवमें हरिजन आबादीके कष्टोंका पार न था। आम तौर पर अुनके मोहल्ले गांवके बाहर, गांवसे दूर अलग जगह पर होते हैं। इस बाढ़के दिनोंमें अधिकांश गांवोंमें हरिजन मोहल्लों और गांवके बीचका सम्बन्ध टूट गया था। और अुनके कच्चे घर या झोंपड़े जैसे तूफानके सामने टिक न सके, इसलिये अुन लोगोंको अपने गिरे हुए झोंपड़ोंके टोले पर बैठकर दिन और रातें बितानी पड़ीं। गांववालोंने जहां तक हो सका कामचलाअू नावें बनाकर या और कुछ अितजाम करके अिन लोगोंको गांवमें लाकर अपने घरों या धर्मशालाओंमें आश्रय दिया था। जहां हरिजन मोहल्ले अंची जगहों पर थे, वहां गांववालोंने अुन मोहल्लोंका भी आश्रय लिया था। सवर्ण और हरिजनकी तरह हिन्दू-मुसलमानका भेद भी बाढ़के संकटमें भुला दिया गया था। कितने ही गांवोंमें शिवालयों और दूसरे मंदिरोंमें और अपासरोमें लोगोंने मुसलमानोंको आसरा दिया था। अेक मुसलमान फकीरका अपना घर नहीं रह गया था, इसलिये वह कितने ही दिन तक शिवालयमें रहा था। अेक मर्जादी मंदिरमें मुसलमानों और हरिजनोंको ठेठ भीतर तक स्थान दिया गया था। वहां तमाम कौमोंने साथ-साथ चने मुरमुरे चबाये और खिचड़ी खायी। १२ सालसे गांधीजी गुजरातको जो पाठ पढ़ा रहे थे, वह अब सफल हुआ दिखायी देता था। मानवबन्धुता और स्वावलम्बनके ये अुदाहरण जल-प्रलयकी अुस विपत्तिका अेक बहुमूल्य अंग माना जायगा।

गुजरात-काठियावाड़के कितने भागमें बाढ़ फैल गयी थी, अुसका निश्चित क्षेत्र अब तय किया जा सका। अुत्तरमें सिद्धपुर, पाटन, भालुसणा तथा सत-लासणा वगैरा गांवोंके आसपासके प्रदेशसे लेकर शींझूझड़ा तक और अुससे कम मात्रामें ठेठ पालनपुर तक बाढ़ फैल गयी थी। पश्चिममें वड़वाणसे भी

आगे घांगघा, मूली, सायला और चूड़ा तकका प्रदेश नष्ट हो गया था और वांकानेर तथा राजकोट तक बाढ़का असर पहुंचा था। दक्षिणमें बाढ़के नुकसानकी हद नर्मदा तक थी और पूर्वमें गोधरासे भी आगे ठेठ पिपलोद तक हानि हुयी थी। परन्तु जल-प्रलयका अधिक जोर खेड़ा जिलेमें और बड़ोदेके अिलाकेके आसपास था। कष्ट-निवारणके काममें गुजरात प्रान्तीय समितिकी मदद पर बड़ोदा राज्य प्रजामंडल, अहमदाबाद जिला कष्ट निवारण समिति, सौराष्ट्र सेवा समिति, वढ़वाण सेवा समाज, सर्वेट्स ऑफ अिडिया सोसायिटी तथा रामकृष्ण मिशन वगैरा संस्थाओं थीं। परन्तु तमाम काम सरदारकी प्रेरणा और अुनके निश्चित किये हुअे तरीके पर चलता था। अिसके सिवाय अहमदाबाद और बम्बयीकी अनेक व्यापारी पंचायतोंने भी अच्छी सहायता दी थी। तार और रेलगाड़ियोंका व्यवहार शुरू होते ही अुदारहृदय और दानवीर धनिक स्वयं या अुनके आदमी गुजरात-काठियावाड़में पीड़ित क्षेत्रोंमें मदद देनेको रवाना हो गये। कुछकी अिच्छा अपने हाथों अन्न-वस्त्रका दान करनेकी थी। परन्तु वे ज्यादातर स्टेशनके नजदीक और सड़क परके गांवोंमें पहुंच सकते थे। अिसलिये अैसे गांवोंमें दोहरी तेहरी मदद पहुंचने लगी। यह देखकर सरदारने दानवीर धनिकोंसे अनुरोध किया कि अिस प्रकार तो दानका अुद्देश्य पूरा नहीं होता, अिसलिये दानी लोग प्रान्तीय समितिको रुपया भेज दें और जिन्हें अपने हाथों ही रुपया खर्च करना हो, वे समितिके केन्द्रों या परिचित स्थानीय कार्यकर्ताओंकी मदद लेकर जहां जरूरत हो वहां व्यवस्थित ढंगसे दान करें।

कार्यकर्ता तमाम बाढ़-पीड़ित क्षेत्रोंमें घूम आये थे, अिसलिये संकटके स्वरूप और विस्तारकी अच्छी तरह कल्पना हो गयी थी। और साधनहीन बने हुअे लोगोंको अनाज वगैरा दिलवाकर अुन्होंने तात्कालिक सहायता भी पहुंचा दी थी। परन्तु अब किसान और दूसरी आबादी अिस संकटके घावसे अुठकर फिर खड़ी हो जाय और स्वावलम्बी बन जाय, अिसके लिये अुन्हें कैसी सहायता दी जाय, अिसकी व्यवस्थित योजना बनानेकी जरूरत थी। अिसके लिये सरदारने ता० ११ अगस्तको आणन्दमें कार्यकर्ताओंकी बैठक बुलायी। अुसमें बम्बयीके सर पुरुषोत्तमदास भी शरीक हुअे थे। अिस सभाके निश्चयानुसार राहतका काम सब जगह समान ढंगसे चला। सारे गुजरातमें कुल मिलाकर अिस प्रकार काम हुआ :

१. जो बिलकुल साधनविहीन स्थितिमें पहुंच गये थे, अुन्हें मुफ्त अनाज और कपड़े देनेकी व्यवस्था की गयी। अिसके साथ यह सावधानी रखी गयी कि अकारण दूसरोंकी सहायता लेनेकी वृत्तिको पोषण न मिले। अैसा करनेके लिये लोगोंको जल्दीसे जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाना था। जो

अपनी खेती करते थे अन्हें नअी फसल आने तक मदद दी गअी और जो खेती नहीं करते थे उनसे टूटे हुअे रास्ते सुधारने और गाड़ियां चलने लायक बनानेका काम कराकर मदद दी गअी। अलबत्ता अत्यन्त वृद्ध, अपंग और छोटे बच्चोंको यों ही सहायता दी गअी। अस प्रकारकी सहायता बहुत ही गरीब प्रदेशोंमें लगभग तीन मास तक देनी पड़ी। परन्तु बहुत जगहों पर तो मदद देनेका काम दो महीनोंमें ही निपट गया। मुफ्त सहायताका कुल खर्च १,८६,००० रुपया हुआ।

२. सरदारका खास तौर पर आग्रह था कि अैसी अेक चप्पा भर जमीन भी, जिसमें खेती हो सकती हो, खेतीके बिना न रहनी चाहिये। अधिकतर दुबारा खेती मवेशियोंके चारेकी जवारकी ही हो सकती थी। असके लिअे बीजकी व्यवस्था करनेकी जरूरत थी। पिछले वर्षोंका यह अनुभव था कि बीजकी कमी होती है, तब असके भाव आकाश पर चढ़ जाते हैं। सरकारके पास केवल अेक हजार मन जवारका बीज था। वह असने रु० ४-१२-० मनके भावसे खरीदा था और अससे कम भावमें वह बेचनेको तैयार नहीं थी। असलिअे प्रान्तीय समितिने अेक अपसमिति नियुक्त की और असके मार्फत बीज खरीदनेका प्रबन्ध किया। औसतन् रु० ३-१२-० मनके भावसे बीज खरीदा गया और प्रति मन बारह आने राहत देकर किसानोंको तीन रुपयेके भावसे बेचा गया। समितिकी तरफसे लगभग तीस हजार मन जवार बेची गअी। अस अनुभवसे प्रोत्साहित होकर जाड़ेकी फसलके बीज — मुख्यतः गेहूं और चनेके बीज — की व्यवस्था भी समितिकी ओरसे की गअी। समितिने जवार, गेहूं और चने वगैरा कुल मिलाकर अस्सी हजार मन बीज कम भावसे बेचा और असमें साठ हजार रुपयेकी राहत दी। समितिने अुत्तम प्रकारका बीज मुहैया किया, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थायी लाभ हुआ कि बीजमें अच्छा सुधार हो गया। सरकारने बीजके लिअे किसानोंको तकावी बांटी थी, परन्तु तकावीकी रकम नकद न देकर यह अितजाम किया गया कि वह अुतने रुपयेकी चिट्ठी समितिके केन्द्र पर देती और अन्हें अुतनी कीमतका बीज समितिकी दुकानसे मिल जाता। कुछ किसान मूर्खतासे बीजके लिअे मिली हुअी तकावी दूसरे कामोंमें लगा देते हैं, पर यह चीज अस व्यवस्थासे वन्द हो गअी और तमाम किसानोंको बीज किफायती भावसे मिल गये।

३. बाढ़में जिनके बैल मर गये थे और जिनके पास बैल खरीदनेका साधन नहीं था, अन्हें बैल खरीदनेके लिअे कर्ज दिया गया। यह रकम लगभग सारी ही वसूल हो गअी।



४. अनाजके भाव चढ़ न जायं, अिसके लिअे सस्ते भावसे अनाज और बिनौले बेचनेकी दुकानें खोली गयीं। अनाज और बिनौलेकी बिक्री खूब हुयी। कुल नुकसानकी रकम ५२,००० रुपये हुयी।

५. बहुत जगहों पर बहकर आये हुअे ढोरोंकी लाशें और भीगकर बिगड़ा हुआ और गड़ा हुआ अनाज सड़ा करता था। अिसके कारण बदबू आती थी। साबरमती आश्रम और विद्यापीठके अध्यापकों और विद्यार्थियोंने गांव-गांव यह सफाई काम हाथमें ले लिया। ढोरोंकी लाशें और सड़ा हुआ अनाज गाड़ दिया गया। जहां पानीके बड़े खड्डे भर गये थे, वहां पानीके निकासका मार्ग बनाया। जहां निकास नहीं हो सकता था, वहां पानीमें कृमिनाशक दवायियां डालीं। चौमासेमें गाड़ियां नहीं चल सकतीं, अिसलिअे कूड़े-करकटकी गाड़ियां अुन्होंने खुद खींचीं। बदबू करनेवाली नालियां भी अुन्होंने साफ कीं।

६. भादों मासमें बुखारका अपद्रव हमारे देशमें लगभग सर्वत्र होता है। अिस साल पेचिशकी बीमारी भी हो गयी। बुखार और पेचिशकी निश्चित की हुयी औषधियां स्वयंसेवकोंको दे दी जाती थीं। वे अुन्हें गांव-गांव बांटते थे। कुछ केन्द्रों पर तो बाकायदा दवाखाने ही चलाने पड़े। आम तौर पर अकाल या बाढ़के बाद महामारी फैल जाती है। परन्तु स्वयंसेवकोंके प्रयत्नसे गुजरातमें अंसी कोअी बात नहीं हो पायी। २६ अगस्त, १९२७ के 'टाइम्स ऑफ अिंडिया' के अंकमें सम्पादकने अपनी टिप्पणीमें कहा कि 'पिछली बाढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्यके आंकड़ोंमें कोअी अन्तर नहीं डाल सकी, अिसके लिअे गुजरात बधाअीका पात्र है।' ३० अक्तूबरके अंकमें अुसी पत्रके पूनाके संवाददाताने पहलके आंकड़ोंकी तुलना करके लिखा कि 'बाढ़के कारण पीड़ित क्षेत्रके किसी भी भागमें पिछले वर्षोंसे मृत्यु-संख्या बढ़ने नहीं पायी।'

७. अनाज, बीज और दवाओं वगैराके साथ कपड़े भी खूब बांटे गये और जो गरीब लोग बिलकुल बेघरबार हो गये थे, अुनके सिर पर कामचलाअू छाया हो जानेके लिअे मदद दी गयी थी। सब प्रकारकी सहायतामें गुजरात प्रान्तीय समितिका कुल पांच लाख रुपया खर्च हुआ था। अिसके सिवाय जिन संस्थाओं और साहूकारोंने बालाबाला मदद दी थी वह अलग थी।

अिस संकटके निवारणके लिअे सरदारने झटपट व्यवस्था खड़ी कर दी, जिसके मुकाबलेमें सरकार निश्चेष्ट-सी पड़ी रही। वृष्टि बन्द हो जानेके बाद कोअी आठ दिनमें जब जिला कलेक्टरोंका तालुकों और गांवोंके साथ सम्बन्ध स्थापित हुआ, तब तालुका अधिकारियोंको नुकसानके नकशे तैयार करनेकी

आज्ञाओं मिलीं। अतरी विभागके कमिश्नर बाढ़के समय पूनामें थे, जहांसे वे ता० ४ अगस्तको अहमदाबाद आये। उसके बाद अन्होंने तालुकेवार दो-दो हजार मुफ्त सहायताके और पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये तकावी कर्जके मंजूर किये। सरकारका तंत्र आम तौर पर जिस मन्द गतिसे काम करता है, उसके अनुसार तहसीलदारोंके हानिपत्रक तैयार हों और बादमें मदद बंटने तक लोग बैठे रहें तब तो मरनेकी ही नौबत आ जाय। इसलिये सरदारने कमिश्नर साहबको सूचित कर दिया कि 'आप इस संकटको छोटासा न मानिये। लोगोंको अन्न-वस्त्रकी और इस तरहकी दूसरी जो तात्कालिक राहत देनी है, उसकी आप चिन्ता न कीजिये। यह हम अच्छी तरह देख लेंगे। परन्तु लोगोंकी नष्ट हो चुकी खेती नये सिरेसे हो सके इसके लिये और बरबाद हो गये घरबार फिरसे बनवानेके लिये भारी सहायताकी आवश्यकता होगी। जिस चीजको लोक-संस्थाओं और खानगी व्यक्ति नहीं कर सकते, उसका विचार कीजिये और उसके लिये सरकारको तैयार कीजिये।'

ऐसे संकटके अवसरों पर रैयतको मदद देनेके लिये बम्बजी सरकार अपनी वार्षिक आयका कुछ प्रतिशत अकाल निवारण फंडके लिये अमानत रखती थी। उसकी ढाई करोड़ तककी पूंजी अिकट्टी हो गयी थी। जब सरदारने बम्बजी सरकारको यह लिखा कि उसमें से इस संकट-निवारणके लिये बड़ी रकम निकालनी पड़ेगी, तब अकाअुण्टेंट जनरलने यह सवाल अुठाय़ा कि पूंजी अकाल निवारणके लिये है और यह तो बाढ़ है, इसलिये इसमें से कोयी मदद नहीं दी जा सकती! फिर बम्बजी सरकारके अर्थमंत्री सर चुनीलाल महेता संकटकी परिस्थिति देखने नड़ियाद आये और सरकारी अधिकारियों तथा संकट निवारणका काम करनेवाले मुख्य कार्यकर्ताओंसे मिले। अन्होंने विश्वास दिलाया कि अकाल निवारणके अमानती कोषसे मदद दी जा सकेगी, तब वह चर्चा बन्द हुयी।

संकट जितना बड़ा था, अतनी ही होशियारीसे राहतका काम भी व्यवस्थित कर दिया गया था। यह सब देखनेको बम्बजीके गवर्नरने ता० ८ सितम्बरसे १५ सितम्बर तक अेक सप्ताह गुजरातमें दौरा किया। अन्होंने बहुतसे गांव और संकट-निवारणके केन्द्र देखे। अन्होंने लोगोसे आजादीके साथ बातें करके सच्ची स्थितिकी कल्पना करनेकी कोशिश की। लोगोके दुःखकी अुन्हें अच्छी तरह कल्पना हो गयी और अन्होंने लोगोको सरकारकी तरफसे अुचित सहायता देनेका वचन दिया। गुजरातके किसानोंने बाढ़के दिनोंमें जिस हिम्मत और बहादुरीसे अपना बचाव किया था, उसकी अन्होंने तारीफ की। बाढ़के बाद जिस अुद्यम और लगनसे अन्होंने अपने छिन्न-भिन्न हो गये खेतोंको

सुधारकर फिरसे खेती करना शुरू कर दिया था, उसे देखकर वे आश्चर्य-चकित हो गये। वर्षा बन्द होनेके साथ सरदारके मुंहसे शब्द निकलते ही संकट-निवारणका सारा संगठन खड़ा हो गया था और गांव-गांव राहतका काम जम गया था, यह तो अन्हें अक चमत्कार ही लगा। खूबी तो यह थी कि किसीने अुनसे अन्न-वस्त्रकी कमीकी या अन्य प्राथमिक राहतकी मांग ही नहीं की। लोगोंने जो बड़ा भारी नुकसान हो गया था अुसके लिये हलके अ्याज पर कर्जकी मांग की।

ता० २० नवम्बरको सम्राट महोदयकी तरफसे बाढ़ संकट-निवारणके लिये २००० रुपयेकी सहायता घोषित की गयी और भारतमंत्री लार्ड बर्कनहेडने संकट-निवारण फंडमें दस पौंड भेज दिये।

अब लोग यह जाननेको अधीर होने लगे कि मकान वगैरा बनानेके लिये सरकार किन शर्तों पर कर्ज देती है। सरदार तो सरकारको हिला ही रहे थे। अन्तमें अुसकी योजना पर विचार करनेके लिये बॉम्बे सेंट्रल रिलीफ कमिटीके सदस्यों और साथ ही सरदार तथा ठक्करबापाको तार देकर पूना बुलाया गया। ता० २७-९-'२७ को दोपहरके अक बजे सर चुनीलाल महेताके बंगले पर मीटिंग हुयी। अुसमें कर्जकी शर्तोंका मसौदा तय हुआ। हरअक आसामीकी हानिका अन्दाज लगाकर अुसे देनेके कर्जकी रकम निश्चित करनेमें सरकारी अफसरके साथ प्रान्तीय समितिके अक अक प्रतिनिधिका रहना तय किया गया। दोनोंमें मतभेद हो जाय तो अुसका निर्णय अूपरका सरकारी अफसर और ठक्करबापा करें, यह भी तय हुआ। यह भी फैसला किया गया कि अिस प्रकार सरकार अक करोड़ तीस लाख रुपये तक कर्ज दे। अधिकसे अधिक कर्ज दो हजार रुपयेका और चुका देनेकी मियाद ज्यादासे ज्यादा दस वर्षकी रखी गयी। कमसे कम सालाना किस्त २० रुपयेकी तय की गयी। दलित जातियोंके गरीब तबकेके लोगोंके लिये मुफ्त सहायताके दस लाख रुपये तय किये गये और अधिकसे अधिक ५० रुपये तक मुफ्त मदद देना तय हुआ। ३० तारीखके दिन सरकारने यह मसौदा मंजूर किया और अुसीके अनुसार घोषणा कर दी गयी।

बरसात बन्द हो जानेके बाद तुरन्त तारीख ३ अंगस्तके रोज बम्बयीमें सेंट्रल फ्लड रिलीफ कमिटीकी स्थापना हुयी थी। अुस फंडमें साढ़े तेरह लाख रुपये अिकट्टे हुये थे। अुसमें से गुजरातमें सहायता देनेके लिये अुसने कुछ योजनाअें बनायीं। परन्तु गुजरात प्रान्तीय समितिकी तरफसे सारे संकटग्रस्त प्रदेशमें राहतके कामका बन्दोबस्त हो गया था और रुपया भी जितना चाहिये

प्रान्तीय समितिकी तरफसे मिल रहा था। जिसलिये बॉम्बे सेंट्रल फंडसे रुपया षर्च करनेकी गुंजाइश नहीं रही। जिसके कारण उस फंडके दाताओंमें कोअी गलतफहमी पैदा न होने पाये, जिसके लिये उसके मंत्री सर पुरुषोत्तमदास शकुरदास और सरदारके नामसे अक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया गया। श्रुसमें बताया गया कि अनाज, कपड़े, बीज और दवाअियां वगैरा तात्कालिक सहायता काफी मात्रामें गुजरात प्रान्तीय समितिकी तरफसे दी गअी है। अब शरबाद हुअे भागोंकी पुनर्रचनाका काम करना है। मकान फिरसे बनानेके सम्बन्धमें सरकारने मदद देनेकी अपनी नीति घोषित कर दी है। उसके अनुसार श्रोगोंको कर्ज और दलित वर्गके गरीब लोगोंको मुफ्त सहायता मिलेगी। परन्तु मध्यम वर्गके गरीब लोगोंको, जिनके पास किसी किस्मकी जमानत नहीं हो सकती, सरकारकी तरफसे मदद नहीं मिल सकती। अैसे लोगोंको सहायता देनेका भार सेंट्रल फंडने लिया है। जिसके सिवाय धर्मशालाओं, मन्दिरों, मस्जिदों और लाअिब्रेरियोंके मकानों, हरिजननोंके कुओं वगैराको जो नुकसान गहुंचा है, उनकी मरम्मतके लिये और ग्रामतल बदलनेके लिये जो जमीन क्रेनी हो उसके लिये सेंट्रल फंड सहायता करेगा। सेंट्रल फंड किस अेजेंसी द्वारा यह काम करे, जिसका विचार करने पर लगता है कि प्रान्तीय समितिके कार्यकर्ताओंके मार्फत ही यह काम करना सब तरह अुचित है। श्रुनमें से थोड़ेसे नाम लें, तो भड़ौचमें डॉ० चन्दूलाल देसाअी, बड़ोदामें डॉ० सुमन्त महेता, आणन्दमें ठक्कर बापा, मातरमें श्री नरहरि परीख, शकोरमें श्री मोहनलाल पंड्या, नड़ियादमें श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम आदि वेश्वस्त और अनुभवी कार्यकर्ता रख दिये गये हैं। तब सेंट्रल फंडकी तरफसे दूसरे आदमी हरगिज नहीं भेजे जा सकते। अैसे कार्यकर्ताओंमें अच्छोंकी शत तो अलग रही, परन्तु उनके जैसे भी सच्चे और विश्वासपात्र दूसरे कार्यकर्ता सेंट्रल फंडको मिलना असंभव है। जिसलिये सेंट्रल फंडने अपनी तरफका सारा काम अिनके मार्फत करनेका फैसला किया है।

सेंट्रल फंडकी तरफसे मकान बनवानेकी मुफ्त सहायताके लिये खेड़ा जिलेमें लगभग सवा तीन लाख रुपया दिया गया और बड़ोदा राज्यमें अक शख अिकत्तीस हजार रुपये दिये गये। जिसके सिवाय अच्छी रकमका सीमेंट मुफ्त बांटा गया। साथ ही बड़ोदा राज्यमें तो तात्कालिक प्राथमिक सहायताके लिये सेंट्रल फंडकी तरफसे कोअी चालीस हजार रुपये खर्च किये जा चुके थे। ग्रामतलकी जमीन प्राप्त करा देनेके लिये, धर्मशालाओं आदि सार्वजनिक मकानोंकी दुरुस्तीके लिये और हरिजननोंके कुओंकी मरम्मत करा देनेके लिये सेंट्रल फंडकी ओरसे लगभग पचहत्तर हजार रुपयेकी मदद दी गअी।

अिमारती कामके लिये नकद रुपयेकी मदद दी जाय और लोगोंको मुनासिब भावों पर माल न मिल सके, तो मददका अधिक भाग व्यापारियोंके नफेमें चला जाता है। असिलिये प्रान्तीय समितिकी तरफसे मकान बनानेका सामान बेचनेवाली दुकानें खोलनेकी योजना तैयार कर ली गयी और यह काम अेक अपुसमितिकी निगरानीमें बड़ोदेके ठेकेदार श्री मगनभायी शंकरभायी पटेलको सौंप दिया गया। अिसे अुन्होंने अीमानदारी, होशियारी और सफलतापूर्वक पूरा किया। बीज देनेमें अनुभव हुआ था कि तकावीकी नकद रकम देनेके बजाय अुतनी रकमकी प्रान्तीय समितिकी बीजकी दुकान पर चिट्ठी दे देनेसे तकावीकी रकम दूसरे कामोंमें लगा देनेका लोगोंको लालच नहीं रहता और अुन्हें बीज सस्ते दामों मिल जाता है। अिस अनुभवसे अिस बार भी सरकारकी तरफका कर्ज और सरकार तथा सेंट्रल फंडसे मुफ्त मदद पूरी तरह नकदमें न देकर कुछ रकम नकद और कुछ रकम अिमारती सामानकी दुकान पर चिट्ठीके रूपमें देनेका निश्चय किया गया। अिस व्यवस्थाके कारण लोग व्यापारियोंकी नफाखोरीसे बच गये। अकेले खेड़ा जिलेमें लगभग अठारह लाख रुपयेका माल चिट्ठियोंसे और लगभग आठ लाख रुपयेका माल नकदसे समितिकी दुकानोंसे बेचा गया। माल लेनेवालोंको बाजार भावसे कुल मिलाकर २० से २५ फी सैकड़ा बचत होनेका अनुमान है।

राहतका तमाम काम जाति या धर्मके भेदभावके बिना किया गया था। परन्तु जिन दिनों कष्टनिवारणका काम हो रहा था, अुन दिनों कुछ स्थानों पर हिन्दू-मुसलमानोंमें दूसरे कारणोंसे संघर्ष हो गया था और अिसलिये कुछ मुसलमानोंने यह आक्षेप करके कि हमें समितिकी तरफसे अच्छी तरह राहत नहीं मिलती, अलहदा सहायताकी अपील की। अिस पर बम्बयीसे सेठ अब्राहीमभायी करीमभायी और श्री लक्ष्मीदास रवजी तेरसी जांच करनेके लिये खेड़ा जिलेमें आये। नड़ियाद, खेड़ा, मातर, और महेमदाबाद वगैरा केन्द्रोंके राहतके नकशे और सहायताकी तफसीलके आंकड़े देखकर अुन्हें अितमीनान हो गया कि जरा भी भेदभाव न रखकर हरअेक कौमको मदद दी जाती है। अुन्होंने आंकड़ोंसे देख लिया कि आबादीके हिसाबसे मुसलमानों और अीसाजियोंको ज्यादा मदद मिली है। दूसरे, अुन्होंने यह भी देख लिया कि जिलेकी मुस्लिम रिलीफ कमेटी बनायी गयी है, परन्तु अुसके हिसाबका ठिकाना नहीं है और राहत देनेका भी कोअी निश्चित तरीका नहीं है। अितने पर भी मुसलमानोंके सन्तोषके लिये प्रान्तीय समितिकी तरफसे सत्याग्रह आश्रम-वाले अिमाम साहबको मुसलमानोंकी शिकायतोंकी जांच करनेके लिये खास तौर पर नियुक्त किया गया।

अस समय श्री विठ्ठलभाजी पटेल बड़ी धारासभाके अध्यक्ष थे। गुजरातमें बाढ़ आ जानेके समाचार मिले, तभीसे वे गुजरातमें आकर यथाशक्ति सेवा करनेके लिये अतुल्य थे। अन्होंने अपने नामसे कष्ट-निवारण कोष भी खोला था। धारासभाकी बैठक समाप्त होते ही वे शिमला छोड़कर ता० २७ सितम्बरको नडियाद आ पहुंचे और यह घोषणा की कि वे अदना स्वयं-सेवकके रूपमें गुजरात प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष श्री वल्लभभाजीके मातहत काम करने आये हैं। दूसरे ही दिनसे अन्होंने श्री दादूभाजी देसाजी तथ अिमामसाहब अब्दुलकादर बावजीरको साथ लेकर संकटग्रस्त अिलाकोंमें दौरा करना शुरू कर दिया। साधारण राहतका काम तो अच्छी तरह चल ही रहा था, परन्तु भारी नुकसान हो जानेसे जहां बड़ी सहायता देनी चाहिये थी अुस काममें अन्होंने ध्यान लगाया। कुछ स्थानों पर नदी सारेके सारे खेतोंको ही बहा ले गयी थी। अुनके मालिकोंको राहत देनेकी जरूरत थी। कुछ जगहों पर अेकड़की अेकड़ खेतीकी जमीन पर थर जम गयी थी, यानी नदीकी रेतकी पांचसे दस फुट मोटी चादर पड़ गयी थी और खेत अैसे हो गये थे कि वर्षों तक काम न आ सकें। कहीं-कहीं नदीके किनारेके खेतोंके कुअें सारेके सारे नदीकी रेतसे भर गये थे। श्री विठ्ठलभाजीने अैसी हानियोंकी ओर सरकारका खास तौर पर ध्यान खींचा और यह सब प्रत्यक्ष देखनेके लिये वाअिसरायंको पीड़ित क्षेत्रमें बुलाया। वे और लेडी अरविन ता० ११ दिसम्बरको गुजरातमें आये। अन्होंने अेक दिन खेड़ा जिलेको और अेक दिन अहमदाबाद जिलेको दिया। अिन दो दिनमें दोनों जिलेके जितने केन्द्रों पर घूमा जा सकता था वे घूमे। १२ तारीखकी शामको श्री विठ्ठलभाजीने नडियादमें वाअिसरायंके सम्मानमें गाडन पार्टी दी, जिसमें कष्ट-निवारणका काम करनेवाले मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं और गुजरातके धारासभा-सदस्योंको निमंत्रण दिया गया। वाअिसरायंने अुसमें कहा कि 'सब कुछ देखकर और सुनकर मुझे अितमीनान हो गया है कि गुजरात प्रान्तीय समितिके स्वयंसेवक संकटग्रस्त प्रदेशमें समय पर न पहुंच गये होते, तो अस जलप्रलयमें जो अपेक्षाकृत नगण्य प्राणहानि हुयी है वह बहुत भयंकर हुयी होती। अस प्राणहानिको रोकनेका श्रेय प्रान्तीय समितिके स्वयंसेवकोंको है।'

बहुत नीचे प्रदेशमें स्थित जो गांव बाढ़के कारण सारेके सारे बह गये थे, अुनके ग्रामतल बदलनेकी जरूरत थी। महमदाबाद तालुकेमें १०४ घरोंकी बस्तीवाला दंतावा नामक गांव नये स्थान पर, गांव और घर दोनोंकी वैज्ञानिक रचना करके, स्व० मगनलाल गांधीने बसानेकी योजना बनायी। अुसका शिलान्यास श्री विठ्ठलभाजीके हाथसे कराया गया और गांवका नाम विठ्ठलपुर रखा

गया। जैसे पांच-छः और गांवोंके भी ग्रामतल बदले गये और वहां नये गांवोंका निर्माण हुआ।

गांधीजी जिस सारे अरसेमें बीमारीके कारण बंगलोरमें थे। गुजरातसे कुछ लोगोंने अन्हें तार दिये थे कि गुजरातके जिस संकटके समय आपको गुजरातमें आना चाहिये। अन्होंने सरदारको तार देकर पूछा कि आबू? सरदारने उत्तर दे दिया कि आप दस वर्षसे हमें जो तालीम दे रहे हैं वह हमने कैसी हजम की है और अुस पर कैसा अमल हो रहा है, यह देखना ही तो न आजिये। जिससे वे रुक गये। सरदार और अन्य कार्यकर्ताओंके साथ अुनका पत्रव्यवहार तो होता ही था। जिसके सिवाय 'नवजीवन' में लेख लिखकर वे लोगोंको आश्वासन दे रहे थे और स्वयंसेवकोंका पथप्रदर्शन कर रहे थे। मददके लिअे रुपयेकी अपील करते हुअे अन्होंने लिखा:

“मैं दौड़कर चले आने योग्य नहीं रहा। जिस ओर (दक्षिण)की भारी बाढ़ोंकी जिन्हें कल्पना है, वे कुछ-कुछ कल्पना कर सकते हैं कि जिस समय गुजरातके गांव-गांव कैसे खानेको दौड़ते होंगे। खेड़ा जिलेके होशियार और मेहनती किसान वहांकी खुशहालीके आधारस्तंभ हैं। अुनके घरबार बरबाद हो जायं और गांवोंकी सीमाओं वहांके कीमती ढोरोंकी लाशोंसे सड़ रही हों, यह दृश्य हृदयविदारक है।

“करोड़ोंका नुकसान तुरन्त पूरा कर देनेमें मनुष्यकी बड़ीसे बड़ी मेहनत भी असमर्थ है। करोड़ोंकी कीमतकी पैदावार, मवेशी, घरका सामान तथा बीज नष्ट हो गये। किसानोंका बड़े परिश्रमसे खेतोंमें दिया हुआ कीमती खाद समुद्रमें जा समाया। यह हानि कौन पूरी कर सकता है? परन्तु जिसने अपना सर्वस्व खो दिया है, अुसके जर्म्हों पर प्रेम और आश्वासनका अेक बोल भी दवा बन जाता है। मुझे आशा है मेरी यह अपील जो भी पढ़ेगा, वह मदद दिये बिना नहीं रहेगा।

“कष्ट-निवारणका काम गुजरात प्रान्तीय समितिके मातहत हो रहा है। वल्लभभाओके पास अनुभवी और तालीम पाये हुअे गुजरातके गांव-गांवको जाननेवाले कार्यकर्ता और स्वयंसेवक मौजूद हैं। जिसलिअे दान देनेकी अच्छा रखनेवालोंके लिअे किसी प्रकारका अंदेशा रखनेका कारण नहीं है। . . . अभी जो जल्दी देगा अुसने दुगुना दिया, अैसा माना जायगा।”

विद्यार्थियोंको सम्बोधन करके अन्होंने अेक और लेखमें लिखा:

“विद्यार्थी कष्ट-निवारणके काममें व्यक्तिगत श्रम द्वारा अच्छा हाथ बंटा रहे हैं, यह पढ़कर मेरा हृदय फूल रहा है। . . . मुझे अुम्मीद है कि

कोजी विद्यार्थी यह नहीं मानता होगा या विद्यार्थिनी यह न समझती होगी कि 'पढ़ाओ छोड़कर इस झगड़ेमें कहां पड़ गये।' मनमें इस प्रकारका अुद्वेग हो, तो यह सेवा संकोच और बेमनसे की गजी मानी जायगी और अुतनी कच्ची होगी।"

दानका सदुपयोग हो, लोग लालची न बनें और स्वयंसेवक विचारपूर्वक सब काम करें, इस विषयमें अुनके सुझाव बड़े कीमती हैं :

"अिस खतरेसे भी बचना है कि बिलकुल गरीब तो रह जायं और बलवान ले जायं। यद्यपि तंगी होने पर भी मदद न लेनेवालोंके सुन्दर अुदाहरण मेरे पास अभीसे आने लगे हैं, तो भी मैं पहलेके अनुभवसे जानता हूं कि मदद मिल रही है, अिसलिये ले लेनेवाले भी मौजूद हैं। जहां देनेकी जरूरत न हो वहां झूठी दयासे, डरसे या संकोचसे अेक कौड़ी भी न देनेका नियम अुतना ही जरूरी है, जितना योग्यको किसी भी कीमत पर मदद पहुंचानेका है।

"अैसे भयानक अवसर पर मनुष्यका मन बहुत अुदार हो जाता है और मांगनेवालेको मुंहमांगी चीज देनेकी अिच्छा करता है। मैं यह नहीं मानता कि अैसे अमर्यादित दानसे लोगोंका भला होता है। साधारण नियम तो यह है कि सब अपने-अपने पर आ पड़ा दुःख अुठा लें। अगर सब अपना-अपना बोझा अुठा लें, तो अिस दुनियामें अंपंग बहुत थोड़े ही निकलें। परन्तु बहुतसे आदमी कजी प्रकारसे दूसरों पर भार बन जाते हैं और अधिकारसे अधिक भोग भोगते हैं। अिसीलिये दरिद्रों और अंपंगोंकी बड़ी संख्या पाओ जाती है। अिसलिये अैसे अवसर पर सच्ची और सबसे बड़ी मदद तो थोड़े ही दिनों तक करनी होती है। जिनके पास खाने-पहरनेको न हो, अुन्हें थोड़े अरसेके लिये दिया जाय। बादमें तो सबको रास्ता बतानेका काम रह जाता है। जिनके हाथ-पैर स्वस्थ हों, अुनके लिये रुपयेका दान अधिकतर हो ही नहीं सकता।"

नवरचनाके बारेमें अुन्होंने लिखा :

"महाप्रलयके बाद तो नअी ही सृष्टि रची जाती है। यह प्रलय भले ही महाप्रलयोंमें न गिना जाय, परन्तु प्रकार तो वैसे ही है। अिसलिये अगर स्वयंसेवक सुधारक हों, ज्ञानी हों, धैर्यवान हो, तो नअी सृष्टि भी रचेगे। लोगोंकी जो बुरी आदतें हों, अुनको मिटानेके लिये अुन्हें ललचायें। वे मकान बनानेमें नये विचार लागू करें। जो गांव अुजड़ गये हैं, वे ज्यों त्यों करके वापस बन जायं, अिसके बजाय अुनकी नअी सुव्यवस्थित रचना हो सकती



है। जिन गांवोंमें समय-समय पर बाढ़ें आती हैं, वे हटाकर दूसरे स्थान पर बसाये जा सकते हैं।

“परन्तु यह काम किसी अकेलेके बसका नहीं है। इसमें समाजके अग्रगण्य और समझदार स्त्री-पुरुषोंकी सलाह और प्रवृत्ति होनी चाहिये। इसमें तो हुकूमतका भी शुद्ध सहयोग चाहिये।

“मेरी प्रार्थना तो वल्लभभाभीकी और इसी प्रकारकी दूसरी टोलियोंके प्रति है।”

गांधीजीकी इस सलाहका लोगों और कार्यकर्ताओं दोनों पर अच्छा असर हुआ और अन्होंने नव निर्माणका काम भरसक सुव्यवस्थित करनेका प्रयत्न किया।

बम्बयी सरकारके अर्थमंत्री सर चुन्नीलाल महेताने धारासभामें कष्ट-निवारणके सिलसिलेमें हुअे खर्चका हिसाब पेश करते समय अपने भाषणमें सरदारकी समय-सूचकता, होशियारी और व्यवस्था-शक्तिकी बड़ी तारीफ की और जाहिर किया कि गांधीजीकी गैरहाजिरीमें अन्होंने अुनके स्थानको अच्छी तरह सुशोभित किया। यह भी स्वीकार किया कि कार्यकर्ताओ और स्वयंसेवकोंने जिस अनुशासन और कुशलताका परिचय दिया, वह गांधीजीकी अितने वर्षकी तालीमका सुपरिणाम है।

सरकारने मि० गैरेटको बाढकष्ट-निवारणका विशेष अफसर मुकर्रर किया था। अुसके सिलसिलेमें अुनका मुख्य मुख्य कार्यकर्ताओसे खासा परिचय हुआ। अुस समय सरकारी अधिकारियोंका आम तौर पर यह खयाल था कि असहयोगी सरकारके विरुद्ध अूधम मचानेका ही काम कर सकते हैं। परन्तु सरदारके म्युनिसिपल कार्यका अुन लोगोको अनुभव था और अुसके सिलसिलेमें कुछ अफसरके साथ अुनका मीठी मैत्रीका सम्बन्ध भी हो गया था। इस काममें तो सरकारी कर्मचारियोंके साथ तमाम कार्यकर्ताओने सुन्दर सहयोग किया था और अपनी व्यवस्था-शक्तिकी अुन पर गहरी छाप डाली थी। इसलिये मि० गैरेटने अेक बार सरदारसे पूछा कि ‘अितने अच्छे कामके लिये आपको और आपके मुख्य मुख्य साथियोंको सरकारसे कोअी तमगें प्रदान करनेकी मैं सिफारिश करूं तो आपको कोअी आपत्ति है?’ यह सुनकर सरदार खिलखिलाकर हंसे। अुन्होंने जवाब दिया कि ‘मेरे साथी आपके तमगोसे दस कोस दूर भागने-वाले हैं। अुन्हें सेवाके कार्योंमें ही आनन्द आता है। अुन्हें तो कीर्ति या विज्ञापन भी नहीं चाहिये।’

सरदार और अुनके साथियोंने यह काम लोकप्रीत्यर्थ अथवा आत्मसंतोषके लिये ही किया था। सरदारसे लेकर छोटेसे छोटे स्वयंसेवककी सबसे बडी और

गहरी अिच्छा तो यह थी कि गांधीजीने, जो बंगलोरमें रोगशय्या पर पड़े थे और जिनकी आत्मा गुजरातके पीड़ितोंके लिअे द्रवित हो रही थी, अितने वर्षोंसे हृदय निचोड़कर जो तालीम दी है, अुसको अच्छी तरह सुशोभित किया जाय । अिसीलिअे स्वयंसेवकोंने अूपरसे जो हुक्म आया, अुस पर अमल करनेमें कभी आनाकानी नहीं की । सरदारने भी हुक्म देनेमें संकोच नहीं रखा और साथ ही साधन जुटा देनेमें भी कसर नहीं रखी । जिन्हें केन्द्रों पर बिठाया था, अुन्हें मानो कोरी चैक बुकें दे दी थीं । अुनकी पेंसिलसे लिखी हुअी चिट्ठी सरदारको आधी रातको भी मिलती, तो अुसी वक्त अुठकर वे अुन्हें रूपया भेजते थे । अुनके दिलमें अेक ही लगन थी कि सारे संकटग्रस्त प्रदेशमें कोअी अनाजके बिना भूखा न रहे, कपड़ेके बिना जाड़ेमें न मरे और बीज या खेतीके साधनोंके बिना चप्पाभर जमीन भी बिना खेतीके न रहे । अुनकी यह अभिलाषा अक्षरशः पूरी हुअी । अिसके सिवाय गिरे हुअे मकान फिरसे बनाने और बिलकुल नष्ट हो चुके गांवोंकी नव रचनाका काम भी हुआ ।

गुजरातमें अिस समय जैसा जलप्रलय हुआ, वैसा अथवा अुससे भी अधिक विनाशकारी प्रकृति-कोप पहले बहुत हुअे होंगे । परन्तु अुनके लिअे राहतका काम जैसा व्यवस्थित और बड़े पैमाने पर अिस बार हुआ, वैसा शायद पहले नहीं हुआ होगा । अिस कामसे कष्ट-निवारण कार्यकी अेक नअी प्रणाली शुरू हुअी और बिहारके विकराल भूकंपके समय गुजरातके कार्य-कर्ताओंने वहां जाकर बिहारको अपने अनुभवका लाभ प्रदान किया ।

२. आबादीमें ३८०० की वृद्धि हो गयी है।
३. खेतीबाड़ीके साधनों, गाड़ियों और दुधारू ढोरोंकी संख्यामें वृद्धि हुयी है।
४. बहुतसे पक्के मकान बढ गये हैं।
५. शिक्षा और शराबबन्दीके आन्दोलनसे रानीपरज लोगोंकी स्थितिमें सुधार हुआ है।
६. अनाज और कपासके भाव गैरमामूली बढ गये हैं।
७. खेतीकी मजदूरी दुगुनी बढ गयी है।
८. जमीनकी कीमत और किरायेकी दरोंमें वृद्धि होती ही जा रही है।
९. तीस साल पहलेकी जमीनकी पैदावारका मूल्य सन् १९२४ के भावोंके अनुसार पंद्रह लाख रुपये बढ गया है।

बारडोली तालुका समितिने इस रिपोर्टका जवाब तैयार करनेके लिये अेक कमेटी मुकर्रर की। में अुसका अध्यक्ष था। रिपोर्टका अध्ययन करके और तालुकेमें घूमकर हमने सेटलमेंट अफसरकी बतायी हुयी बातोंको गलत साबित करनेवाले प्रमाण अिकट्ठे किये। मैंने 'नवजीवन' में अेक लेखमाला लिखकर रिपोर्टकी विस्तृत समालोचना की और लगान-वृद्धिकी सिफारिशके लिये दिये गये तमाम कारणोंके निश्चित अुत्तर देकर अुन्हें निराधार सिद्ध किया।

सरकारी लगान मुकर्रर करनेकी पद्धति किसी निश्चित तरीके पर तैयार की हुयी नहीं है, अैसी आलोचनाअें बहुत वर्षोंसे लोकनेताओं और कुछ सरकारी अफसरोंकी तरफसे होती रहती थी। असलिये सन् १९०२ में सरकारने अेक विस्तृत वक्तव्य प्रकाशित करके घोषणा की थी कि लगान खेतीके खालिस मुनाफेके ५० फी सदीसे अधिक नहीं होना चाहिये। इस तरीकेकी बड़ी आलोचनाअ हुयीं। असलिये सन् १९२४ में बम्बयी सरकारने अेक कमेटी नियुक्त की। अुसने बहुमतसे सिफारिश की कि किसानोंको जो खालिस मुनाफा हो, अुसका २५ फी सदी तक सरकारी लगान होना चाहिये। परन्तु सरकारने बहुमतकी सिफारिशको न मानकर तय किया कि "खालिस मुनाफेका ५० फीसदी तक लगान लेनेकी 'वर्तमान' पद्धति कायम रखनी चाहिये।" परन्तु यह कूट प्रश्न था कि खेतीका खालिस नफा किस तरह तय किया जाय। कुल मिलाकर खेती नफेका नहीं परन्तु नुकसानका धंधा है। परन्तु किसी अैसे धंधेके अभावमें, जिसमें करोड़ों लोगोंको काम मिल जाय, लोग मजबूर होकर खेतीसे चिपटे रहते हैं और अधभूखे रहकर कंगाल और कर्जदार हालतमें अपना जीवन बिताते ह।

अस समय मि० अण्डर्सन नामक सज्जन सेटलमेंट कमिश्नर थे। उनका कहना यह था कि हिन्दुस्तान जैसे विशाल देशमें, जहां खेती करनेकी पद्धति और मजदूरी देनेका तरीका वगैरा बातोंमें अितनी अधिक विविधता है, यह तय करना बड़ा कठिन है कि किसानका अपनी खेतीमें कितना खर्च हुआ; और जब खेतीके खर्चका हिसाब न लगाया जा सके, तो खेतीका खालिस नफा किस तरह निकाला जा सकता है? असलिये किरायेसे दी जानेवाली जमीनके किरायेको ही खेतीका खालिस नफा मानना चाहिये। लगानमें अन्हें वृद्धि तो करनी ही थी, परन्तु अुसके लिये अन्हें श्री जयकरकी दलीलें चलने लायक प्रतीत नहीं हुआं। श्री जयकरकी रिपोर्ट पर अुनकी मुख्य टीका यह थी कि :

“मुझे अफसोस है कि अन्होंने अिसी पर सारा आधार रखा है कि जमीनकी पैदावारकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। . . वे कहते हैं कि तालुकेकी खेतीकी कुल पैदावारमें लगभग पंद्रह लाख तककी वृद्धि हुआी है और यह बतानेके बाद अुनकी बुद्धिमें यह बात पैदा हुआी जान पड़ती है कि यह कहनेका कोअी अर्थ नहीं। क्योंकि अिस प्रकारकी खेतीका खर्च भी पंद्रह लाख बढ़ा हो, तो अधिक लगान लेनेका कोअी आधार नहीं रह जाता। खैर, परन्तु खेतीका खर्च पंद्रह नहीं बल्कि सत्रह लाख बढ़ा हो, तब तो लगान घटाना चाहिये, बढ़ानेकी तो बात ही अलग रही। . . . अिस प्रकार वे किलेका सदर दरवाजा ही खुला रखते हैं, यानी किसीको हमला करना हो तो जरासी देरमें अुनके कच्चे किले पर टूटकर अुसे सर किया जा सकता है। अगर कोअी बता दे कि खेतीका खर्च खेतीकी पैदावारसे बढ़ गया है, तो श्री जयकरके पास कोअी जवाब ही नहीं रह जाता। यह समझानेके बाद ही शायद समझमें आयेगा कि लगान खेतीके खर्च, पैदावार और अुसके भावों पर मुकर्रर नहीं किया जा सकता, बल्कि किराये पर ही मुकर्रर किया जा सकता है।”

यह कहकर अण्डर्सन साहबने श्री जयकरकी सारी रिपोर्टको रद्द कर दिया। सिर्फ किरायेके आंकड़ोंवाली अतिरिक्त रिपोर्ट ही, जो बादकी जांचसे बड़ी लापरवाहीके साथ तैयारी की हुआी और अनेक भूलोंवाली साबित हुआी, अन्होंने आंखें बन्द करके स्वीकार कर ली और अुसमें भी अेक मामलेमें वे रास्ता भूल गये। श्री जयकरने अपनी अतिरिक्त रिपोर्टमें सात वर्षके किराये लिये थे और सात वर्षमें किराये पर दी गयी जमीनका जोड़ ४२,९२३ अेकड़ होता था। असलिये असलमें तो हर साल छः हजार अेकड़ ही जमीन किराये पर दी जाती थी। परन्तु अण्डर्सन साहबने यह हिसाब लगाया कि तालुकेकी कुल जमीन १,२७,००० अेकड़ है, जिसमें से ४३,००० अेकड़ भूमि किराये पर दी जाती है, यानी सारे

तालुकेकी अेक तिहाअी तक जमीन किराये पर दी जाती है। असमें अघबट और दूसरी तरह दी जानेवाली जमीन जोड़कर अुन्होंने हिसाब लगाया कि कुल जमीनकी आधी किराये पर दी जाती है।

अैसे गलत हिसाब पर अिमारत बनाकर अुन्होंने कुल २९ फी सदी वृद्धिकी सिफारिश की। अस प्रकार सरकारके सामने दो बेढंगी रिपोर्टें पेश हुअीं। सन् १९२७ के जुलाअी मासमें सरकारने अेक प्रस्ताव प्रकाशित किया। असमें सेटलमेण्ट कमिश्नरके सुझावके अनुसार गांवोंका नया वर्गीकरण बहाल रखा और सेटलमेण्ट अफसरकी मालके बढ़े हुअे भावोंकी दलील स्वीकार की। सेटलमेण्ट कमिश्नरकी बताअी हुअी २९ फी सदी वृद्धि और सेटलमेण्ट अफसरकी सुझाअी हुअी ३० फी सदी वृद्धि — अन दोनोंके बजाय २२ प्रतिशत वृद्धि निश्चित की गअी। असका कारण यह बताया गया कि कपासके भावोंमें होनेवाली भावी कमीको ध्यानमें रखना चाहिये।

दोनों रिपोर्टोंमें दी गअी दलीलोंका लोकपक्षकी तरफसे यह जवाब था :

(१) सेटलमेण्ट कमिश्नर मि० अेण्डर्सनने तो तालुकेकी ओर ज्ञांके बिना दफ्तरमें बैठकर ही अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। परन्तु सेटलमेण्ट अफसर श्री जयकरने भी लोगोंसे मिले बिना, अनसे कोअी हाल जाने बिना और लोगोंको अपनी बात कहनेका मौका दिये बिना तालुकेके गांवोंमें घुड़े दौड़ाकर जो अपरी नजरसे दिखाअी दिया, अुसी परसे अपनी जमाबन्दीकी दरें तय कर दी थीं।

(२) ताप्ती वेली रेलवेसे गांवोंको लाभ हुआ, अस कारण श्री जयकरने कुछ गांवोंका दर्जा चढ़ा दिया और मि० अेण्डर्सनने अनकी दलीलका समर्थन किया। परन्तु १८९६ में जमाबन्दी करते समय अस वक्तके सेटलमेण्ट अफसरने रेलवेकी बात ध्यानमें रखकर ही अन गांवोंकी दरें बढ़ाअी थीं। अपनी रिपोर्टमें अुन्होंने साफ लिखा है :

“बी० बी० सी० आअी० रेलवेके अेजेण्टसे मुझे पता चला है कि ताप्ती लाइन अगले साल अस समय शुरू हो जायगी। कुछ भी हो, पांच वर्ष बाद बारडोली रेल द्वारा सूरतके साथ मिल जायगी, यह माननेमें कोअी हर्ज नहीं। और यह जमाबन्दी लागू हो जानेके बाद तीस वर्ष तक रहेगी। असलिअे जमीनके लगानकी दर तय करते समय भविष्यमें होनेवाले रेलवेके फायदेको ध्यानमें रखनेमें आपत्ति नहीं है।”

(३) बारडोली तालुकेके पक्के नये रास्तोंके बारेमें तो कुछ भी कहनेकी बात ही नहीं। आज १९५० में जो पक्की सड़कें कहलाती हैं, वे गांवोंके अबूबड़-

खाबड़ रास्तोंसे बहुत अच्छी नहीं हैं। कितने ही वर्ष पहले अेक जमाबन्दी अफसरने लिखा था कि ये रास्ते 'मनुष्यों और पशुओंके कलेजे तोड़ डालनेवाले हैं।' बारडोली तालुका जबसे हमारे हाथमें आया है, तबसे वह बहुत भारी लगान देता रहा है, असका विचार करके भी हमें वहां अच्छे रास्ते बनाने चाहियें। १९२६ तक तो अैसा कोअी अच्छा रास्ता बारडोली तालुकेमें बना नहीं था।

(४) तालुकेकी आबादीमें ३० वर्षमें ३८०० की वृद्धि हुआ, लेकिन यह भी क्या कोअी वृद्धि है?

(५) ढोरोंमें अकेली भैंसोंकी संख्या कुछ बढ़ी थी, परन्तु बैलोंकी संख्या घटना श्री जयकरने भी स्वीकार किया था।

(६) पक्के नये मकान ज्यादातर लोगोंने अफ्रीकासे कमाकर लाये हुआे धनसे बनाये थे।

(७) रानीपरज लोगोंमें शिक्षा और शराबबन्दीका आन्दोलन लोगोंने किया, तो क्या अससे अून पर २२ प्रतिशत लगान बढ़ा देना चाहिये? असलमें तो अिन लोगों पर कर्जका भार बढ़ता जा रहा था और वे जमीन खोते जा रहे थे।

(८) मालके भाव लड़ाअीके कारण १९१८ के बाद बढ़ने लगे थे, परन्तु १९२५ के बाद घटने भी शुरू हो गये थे।

(९) खेतीका खर्च दुगुना नहीं परन्तु चौगुना बढ गया था। बैलोंकी जिस जोड़ीका पहले १०० रु० लगता था, अुसका १९२५-२६ में ४०० रु० देना पड़ता था। जो गाड़ियां ५० या ७५ रुपयमें बन जाती थीं, अुनके १५० रु० देने पड़ते थे। जो दूबला २५-३० रुपयमें काम करता था, वह दो-तीन सौ रुपयमें भी नहीं मिलता था।

(१०) जमीनकी कीमतोंमें लड़ाअीके बादके वर्षोंमें जरूर वृद्धि हुआ थी, परन्तु गांव-गांव हुआ बिक्रियोंकी जांच करने पर यह पाया गया था कि अधिकांश खरीदारी विदेशसे कमाकर आये हुआे लोगोंने की थी। सेटलमेण्टकी रिपोर्टमें विदेशकी कमाअीका जिक्र तक नही था।

(११) किरायेके अुदाहरणोंमें बिक्री-गिरवी जिसमें ब्याजको किरायेके रूपमें माना गया हो, जमीनमें खाद डालने या और कोअी सुधार करनेसे अधिक किराया मिला हो, अपने खेतके नजदीकका ही खेत किसान किराये पर ले ले तो अुसके दाम प्रचलित दरसे अधिक भी दे देता हो— आदि कारणोंसे भारी किराया पैदा होनेके दृष्टान्तोंकी अच्छी तरह जांच करके अुन्हें

निकाल देना चाहिये और शुद्ध किराया निकालना चाहिये। परन्तु सेटलमेण्ट अफसरने ऐसी कोअी जांच नहीं की।

बारडोली तालुका समिति द्वारा नियुक्त जांच-समितितने रिपोर्टकी अेक अेक दलीलका अस प्रकार खंडन किया और किसानोंके आय-व्ययके आंकड़े देकर बताया कि वृद्धि तो क्या, परन्तु लगानकी मौजूदा दर भी अुचित नहीं है। धारासभाके अपने प्रतिनिधियोंको आगे करके लोग रेवेन्यू मेम्बरके पास डेपुटेशन ले गये। सरकारका प्रस्ताव प्रकाशित होनेके बाद रायसाहब दादूभाभी देसाओकी अध्यक्षतामें तालुकेके किसानोंकी अेक परिषद हुअी और बढ़ी हुअी रकम न चुकानेका निश्चय किया गया। अिन सब बातोंका कोअी असर न हुआ और लगानकी किस्तें नअी दरोंके अनुसार वसूल करनेके लिअे पटवारियोंपर हुकम जारी हो गये।

## २

ऐसी हालतमें लोग क्या करते? वे सरदारके पास गये। परन्तु अुन्होंने जवाब दिया कि जब तुम्हारा नेतृत्व धारासभाके सदस्य कर रहे हैं, तब मुझे अुनके काममें दखल देना शोभा नहीं दे सकता। धारासभाके सदस्योंने लोगोंसे साफ कह दिया कि हमसे अब कुछ नहीं हो सकता और अब तुम्हें दूसरा जो कुछ करना हो सो करो। अस प्रकार अुनकी सलाह और सम्मति लेकर लोग दुबारा सरदारके पास गये। अस बार अुनके साथ तालुका समितिके मन्त्री खुशालभाभी तथा बारडोली तालुकेके दूसरे कार्यकर्ता श्री कुंवरजीभाभी, कल्याणजीभाभी और केशवभाभी, वगैरा थे। सरदारने अुनकी बात शांतिसे सुनी, कुछ आशा दिलाअी और कहा 'तुम बारडोली वापस जाओ। किसान लोग सिर्फ वृद्धि ही नहीं, परन्तु सारा लगान न देनेको तैयार हों और ऐसा करते हुअे बिलकुल फना हो जानेको तैयार हों, तो मैं आनेको तैयार हूं। तुम सारे तालुकेमें घूम आओ और लोग क्या कहते हैं तथा कितने तैयार हैं, असकी जांच करके मुझे बताओ।

यह बात २० जनवरीके आसपास हुअी। लगानकी किस्त ५ फरवरीसे शुरू होती थी। असलिअे आठ-दस दिनमें ही जांच करनी थी। कार्यकर्ता रातदिन अेक करके सारे तालुकेमें घूम आये और अधिकांश गांवोंकी राय जानकर अहमदाबाद लौटे। अस बार वे अपने साथ दरबार साहब, पंड्याजी और रविशंकर महाराजको भी लाये थे। सारी मंडली सरदारके साथ आश्रममें गांधीजीके पास गअी। सरदारने गांधीजीसे कहा कि मैंने मामलेकी जांच कर ली है और लड़ाअी अुचित प्रतीत होती है। सरदारने

निश्चय कर लिया है, यह जानते ही गांधीजी बोले : 'तब मेरे लिये तो अितनी ही अिच्छा करना रह गया कि विजयी गुजरातकी जय हो।'

ता० ४ फरवरीको सरदार बारडोली पहुंचे। उस दिन अुनकी अध्यक्षतामें सारे तालुकेके किसानोंकी परिषद रखी गयी थी। अुसमें ८० गांवोंके छोटेसे लेकर बड़े तक सभी किसान आये थे। सबकी खूब जांच करके देख लेनेके बाद सरदारने सार्वजनिक भाषणमें अुन्हें गंभीर चेतावनी दी :

“मेरे साथ खेल नहीं हो सकता। बिना जोखमके काममें मैं हाथ नहीं डालता। जो जोखम अुठानेको तैयार हो, अुसकी मदद पर मैं खड़ा रहूंगा। १९२१ में हमारी परीक्षा होनेवाली थी, परन्तु नहीं हुयी। अब समय आया है। परन्तु क्या तुम तैयार हो? यह अेक तालुकेका प्रश्न नहीं, कयी तालुकों और जिलोंका प्रश्न है। तुम हारोगे तो सबका भविष्य बिगड़ेगा।”

अिस प्रकारकी बातें कहकर शान्तिसे तमाम जोखमोंका विचार करके निश्चय करनेके लिये लोगोंको सात दिनकी मोहलत देकर सरदार अहमदाबाद लौट आये। और ता० ६ फरवरीको गवर्नरको विस्तृत पत्र लिखा। अुसमें कहा :

“मेरी प्रार्थना अितनी ही है कि लोगोंके साथ न्याय करनेके लिये सरकार कमसे कम अितना करे कि नयी जमाबन्दीके अनुसार लगान-वसूलीका काम फिलहाल मुलतवी कर दे और सारे मामलेकी जांच नये सिरेसे करे। अिस जांचमें लोगोंको अपना मामला पेश करनेका मौका दिया जाय और सरकार आश्वासन दे कि लोगोंकी बातों पर पूरा ध्यान दिया जायगा। . . . संभव है यह लडायी तीव्र रूप ग्रहण करे। परन्तु अिसे रोकना आपके हाथमें है। रूबरू मिलनेकी जरूरत मालूम हो, तो जब आप बुलायें तब मैं मिलने आनेको तैयार हूं।”

गांवोंका नया वर्गीकरण करके कुछ गांवोंको अूपरके दर्जेमें चढ़ाकर अुनका लगान ५० से ६० प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। अिसमें सरकारने कुछ कानूनी भूलें की थीं। अिसी पत्रमें अिस ओर भी अुसका ध्यान दिलाया गया। अिस पत्रका अेक छोटासा अुत्तर गवर्नरके प्राअिवेट सेक्रेटरीने लिखा कि आपका पत्र निर्णयके लिये माल-विभागके पास भेज दिया गया है। ११ तारीख तक माल-विभागकी तरफसे जवाब नहीं आया, तो किसानोंको विचार करनेके लिये दी गयी अवधि पूरी होने पर १२ तारीखको सरदार बारडोली पहुंचे। लोगोंके साथ जी भरकर चर्चा की। अेक अेक गांवके आदमियोंसे घुमा-घुमाकर सवाल पूछे। अुनके अुत्तरोंमें सत्यकी झंकार, पक्की दृढ़ता और अडिग निश्चय दिखायी दिया। फिर भी सरदारने और चेतावनी दी :



“अस लड़ाजीमें जबरदस्त खतरे भरे हैं। जोखमभरा काम न करना अच्छा है, परन्तु किया जाय तो किसी भी कीमत पर उसे पूरा करना चाहिये। हारोगे तो देशकी लाज जायगी। मजबूत रहोगे तो सारे देशको लाभ पहुंचाओगे। अगर मनमें यह हो कि वल्लभभाजी जैसा लड़नेवाला मिल गया है, असलिअे लड़ेंगे तो लड़ो ही मत। क्योंकि अगर तुम हार गये तो निश्चित रूपसे मानना कि सौ वर्ष तक नहीं आओगे। हमें जो निश्चय करना है, वह तुम्हींको करना है। असलिअे पूरा विचार करके, अच्छी तरह समझकर जो करना चाहो सो करो।”

ता० ४ की और १२ की सभाओंमें चौरासी तालुकेके भी बहुतसे किसान प्राये थे, क्योंकि अस तालुकेमें भी नजी जमाबन्दी हुआ थी और जमीनके ऋगानकी दरोंमें वृद्धि की गयी थी। सरदारने अुनके साथ भी खूब बातें कीं और अुन्हें समझाया :

“बारडोलीका सत्याग्रह केवल बारडोलीकी ही सहायता नहीं करेगा, चौरासीका काम भी अनायास हो जायगा। हमारी अभी अैसी स्थिति नहीं है कि दो तालुकोंको संभाल सकें। . . . साथ ही, तुम्हारे यहां ४०-५० फी सदी तक खातेदार तो सूरत-रांदेरके धनाढ्य मनुष्य हैं। अुन पर कलेक्टर-कमिश्नरका दबाव भी पड़ सकता है। ये लोग झट रूपया जमा करा दें, तो बादमें तुम लोग घबरा जाओ। मैं तुम्हें अस तरह खड्डेमें कैसे गिराऊ? हमें चादर देखकर ही पांव पसारने चाहियें। वैसे यह निश्चित मानना कि बारडोलीका जो हाल होगा वही तुम्हारा होगा।”

चौरासीके लोग यह बात समझ गये। बादमें सरदार सार्वजनिक सभामें अये और सारी बात सभाको विस्तारसे समझाअी। असका सार नीचे दिया जाता है :

“मैने सरकारको पत्र लिखा था। असमें निष्पक्ष पंच मुकर्रर करके जांच करनेकी मांग की थी। सरकारका अुत्तर आ गया है कि आपका पत्र माल-विभागको विचार और निर्णयके लिअे भेज दिया गया है। अिसे जवाब ही नहीं कह सकते। सरकारका लगानका कानून बड़ा अटपटा और पेचीदा है। वह अस तरह बनाया गया है कि सरकार असका जब जैसा चाहे अर्थ कर सकती है। जालिमसे जालिम राज्यमें जैसा कानून हो सकता है, वैसा यह है। . . . अस कानूनके अनुसार तो किसानको खेतीमें जो खालिस नफा रहे, अस पर लगान मुकर्रर करनेका तरीका रखा गया है। परन्तु किसानको खालिस नफा होता हो तब न ? असलिअे सेटलमेंट कमिश्नरने किरायेको

ही खालिस नफा मानकर अिस आधार पर कि किरायेकी दरें बढ़ गयी हैं नयी जमाबन्दी तय की है। . . . अिसमें भी कानूनकी कयी भूलें की है। . . . सरकारको तो अिसी साल नयी जमाबन्दी अमलमें लानेकी अुतावल थी। अुसने सोचा कि लगान-कानूनकी बारीकियोंको शायद ही कोयी समझता होगा, अिसलिये हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। . . . मैने अपने पत्रका निपटारा होने तक किस्त मुलतवी करनेकी बात कही, परन्तु सरकार थोड़े ही मुलतवी करनेवाली थी ? . . . अैसी स्थितिमें मैं सरकारसे और क्या कहता ? हम सारे अुपाय आजमा चुके। अब अन्तिम अेक ही अुपाय बाकी रहा है। वह ताकतके सामने ताकतका है। सरकारके पास हुकूमत है, तोप-बन्दूक है, पशुबल है। तुम्हारे पास सचायीका बल है, दुःख सहन करनेकी शक्ति है। अिन दो बलोंका मुकाबला है। . . . सरकारकी बात अन्यायकी है और अुसका विरोध करना धर्म है। अगर यह बात तुम्हारे दिलमें बैठ गयी हो, तो तुम्हारे सामने सरकारकी तमाम ताकत कोयी काम नहीं दे सकेगी। अुसे लेना है, परन्तु देना तुम्हें है। देना न देना तुम्हारी अिच्छाकी बात है। तुम यह निश्चय कर लो कि हम फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, यह सरकार जीमें आये सो कर ले, कुकियां करे, जमीनें जब्त कर ले, हम अिस जमाबन्दीको नहीं मानते, तो सरकार कभी ले नहीं सकेगी। . . . अिस राज्यके पास अैसा कोयी साधन नहीं कि वह तुम्हारे निश्चयको तोड़ सके और तुम्हें हरा सके। परन्तु किसीके अुकसानसे और किसी पर या मेरे जैसे पर आधार रखकर निश्चय न करो। अपने ही बल पर जूझना हो, अपनी ही हिम्मत हो, अिस लड़ाीके पीछे बरबाद हो जानेकी अपनेमें शक्ति हो, तो ही यह काम करो। . . . जो निश्चय करो वह अीश्वरको हाजिर-नाजिर समझकर पक्का करो, ताकि बादमें तुम पर कोयी अुंगली न अुठाये। परन्तु यदि तुम्हारे मनमें यह हो कि जब मोमका हाकिम भी लोहेके चने चबवा सकता है, तब अितनी बड़ी सत्ताके सामने हमारा क्या बूता, तो तुम यह बात छोड़ दो। अगर तुम्हारा यह खयाल हो कि जो राज्य किसी भी तरह अिन्साफकी बात करनेको तैयार नहीं, अुसके विरुद्ध न लड़ने और रुपया जमा करा देनेमें हमारी और हमारे बाल-बच्चोंकी बरबादी ही नहीं होती है, बल्कि हमारा स्वाभिमान भी जाता है, तो ही तुम अिस लड़ाीको सिर पर अुठाना। . . . यह कोयी लाख सवा लाखकी वृद्धिका या तीस वर्षके सतीस लाखका सवाल नहीं, परन्तु सच-झूठका सवाल है, स्वाभिमानका सवाल है। अिस सरकारमें किसानकी कभी कोयी सुनवायी न करनेकी जो प्रथा पड़ गयी है, अुसीका अिसमें सामना करना है।”

परिषदमें धारासभाके तीन सदस्य शरीक हुअे थे। अन्होंने अपने भाषणोंमें बताया कि हमसे जो कुछ हो सकता था हम कर चुके और अुसमें सफल नहीं हुअे। अिसलिअे अब तुम्हें अैसे नेताको, जो सत्याग्रहके मार्ग पर चला सकता है, सौंपनेमें हमें आनन्द होता है।

फिर परिषदमें अनावला, बनिये, पाटीदार, पारसी, मुसलमान, रानीपरज, वगैरा तमाम जातियोंके प्रतिष्ठित खातेदारोंके समर्थनसे सत्याग्रहका यह प्रस्ताव पास किया गया :

“बारडोली तालुकेके खातेदारोंकी यह परिषद निश्चय करती है कि हमारे तालुकेमें लिये जानेवाले लगानमें सरकारने जो वृद्धि करनेकी घोषणा की है, हम मानते हैं कि वह अनुचित, अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण है। अिसलिअे जब तक सरकार वर्तमान लगानको पूरे लगानके रूपमें लेने या निष्पक्ष पंच द्वारा अिस जमाबन्दीकी दुबारा जांच करनेको तैयार न हो, तब तक सरकारको लगान बिलकुल न दिया जाय; और अैसा करनेमें सरकार कुर्की और जब्ती वगैरा जो भी अुपाय काममें ले, अुनसे होनेवाले सारे कष्ट सहन किये जायं।

“अगर सरकार बिना बढ़ाये वर्तमान लगान पूरे लगानके रूपमें लेना मंजूर करे, तो अुतना लगान बिना तकरारके तुरंत दे दिया जाय।”

अिस प्रकार संग्राम छिड़ गया। तालुकेमें कोअी कमजोर हो तो अुसे अुत्साहित करने, किसी जगह अलग-अलग जातियोंमें मेल न हो तो मेल कराकर अेकता रखने तथा कहीं सरकारी कर्मचारी किसानोंको फुसला-पटाकर, कहीं डर दिखाकर और कहीं जहरीला प्रचार करके लगान वसूल करनेकी जो तरकीबें कर रहे थे अुनसे लोगोंको सचेत रखनेके लिअे जगह-जगह छावनियां डाल दी गयीं और कल्याणजीभाजी, कुंवरजीभाजी, केशवभाजी, खुशालभाजी, डॉ० त्रिभुवनदास वगैरा तालुकेके चुनिंदा कार्यकर्ताओंको रख दिया गया। दूसरे कार्यकर्ता भी बारडोलीमें अुमड़ आये। अब्बास साहब तैयबजी, डॉ० चन्दूभाजी देसाजी, दरबार साहब, मोहनलाल पंड्या, रविशंकर महाराज, गोरधनदास चोखावाला, अिमाम साहब, डॉ० सुमन्त महेता तथा सौ० शारदाबहन वगैराने बारडोली पहुंचकर अलग-अलग केन्द्र संभाल लिये। श्री मणिलाल कोठारी लडाअीके लिअे रुपया अिकट्टा करनेके काममें लग गये। जुगतारामभाजी और कल्याणजीभाजीने

प्रकाशन-विभाग सम्भाल लिया। और अेकने अपनी मंजी हुआ कलमसे और दूसरेने फोटो खींचनेकी अपनी योग्यतासे अुसे सुशोभित किया। बादमें प्रकाशन-विभागमें श्री प्यारेलालजी शरीक हो गये और अुन्होंने अंग्रेजी विभाग कुशलता-पूर्वक संभाल लिया। प्रकाशन-विभागकी ओरसे निकलनेवाली पत्रिकाअें लोगोंकी रोजकी खुराक बन गयीं और बम्बअीके दैनिक पत्र रोज बरोज अिन पत्रिकाअोंको पूरीकी पूरी छापने लगे। काठियावाड़से भी अेक दल श्री फूलचन्दभाअी, अुनकी पत्नी श्री शारदाबहन, भाअी शिवानन्द और श्री रामनारायण ना० पाठकका आ पहुंचा। अुन्होंने छोटे और जल्दी याद हो जानेवाले सत्याग्रही गीतोंकी ध्वनिसे सारे तालुकेको गूंजा दिया। चौराहों और बाजारों, खेतों और गलियोंमें आबालवृद्ध सभी अिन गीतोंको ललकारने लगे:

हमें अपनी प्रतिज्ञा पालनी रे,  
चाहे टुकड़े हो जायं सारे तनके - हमें०

\* \* \*

डंका बजा लड़वैये वीरो जागना रे,  
वीरो जागना रे, कायर भागना रे - डंका०

\* \* \*

मत्था दे दो रख लो सच्ची टेकको,  
सच्ची टेकको रे, सच्ची टेकको - मत्था०

मुसलमानोंमें अुत्साह पैदा करनेका काम पाक मुसलमान अिमाम साहबने हाथमें ले लिया। वे अपनी बारह वर्षकी अुम्रसे अेक भी रोजा नहीं चूके थे। लड़ाअीके दिनोंमें रमजानका महीना आया। अुन दिनों खूब सफर रहता था, तो भी अुन्होंने रोजे रखे और रोजोंके बावजूद बारडोलीसे वालोड़ तक जाकर मस्जिदमें वाज कर आते। अिसका मुसलमान भाअियों पर अद्भुत असर हुआ। अुन्होंने भी सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर दिये।

अैसी लड़ाअी बहनोंके पूरे साथ और सहयोगके बिना नहीं चल सकती। कुर्कियोंमें जब अुनकी अिकट्ठी की हुआ गृहस्थी चली जाती है, जतनसे पाली हुआ भैसें जाती हैं, अुस समय अगर बहनोंने असली चीज न समझ ली हो तो अुनका जी बसमें नहीं रह सकता। वे ढीली पड़ जायं और घरमें कलह शुरू कर दें, तो पुरुषोंकी कुछ चल नहीं सकती। परन्तु बारडोलीकी अिस लड़ाअीमें बहादुरी दिखानेमें, त्याग करनेमें और कष्ट अुठानेमें बहनें भाअियोसे जरा भी पीछे नहीं रहीं, बल्कि आगे बढ़ गयीं। अिसका श्रेय गांव-गांव और घर-घर

घूमकर अन्हें शौर्य चढ़ानेवाली मीठुबहन, भक्तिबहन और शारदाबहन वगैरा कार्यकर्त्री बहनोंको है।

सरदारको तो अस पर नजर रखनी थी कि तालुकेके कोने कोनेमें क्या हो रहा है। अपने साथ चौबीसों घंटे रहकर मदद देनेवाले मंत्रीकी अन्हें खास जरूरत थी। यह काम स्वामी आनन्दने संभाल लिया और असे सुशोभित किया।

अस प्रकार थोड़े ही दिनोंमें लड़ाजीके व्यूहका फौलादी ढांचा जम गया। लड़ाजी शुरू होनेके साथ माघ मास होनेके कारण शादियोंका मौसम आ गया। लोगोंके जीमें आजी कि सत्याग्रह तो करना ही है, परन्तु जरा शादियोंका भी मजा लूट लें! अस प्रकार लोगोंको मूर्च्छित बनते देखकर सरदारने पत्रिका निकालकर अन्हें तुरन्त सचेत कर दिया :

“तुम जो विवाह हाथमें ले चुके हो, अन्हें जल्दी निपटा लेना होगा। लड़ाजी लड़नी हो तो विवाहोंका आनन्द लेनेसे काम नहीं चलेगा। कल सवेरे अुठकर तुम्हें सूर्योदयसे सूर्यास्त तक घरोंकी ताले लगाकर खेतोंमें घूमते रहना पड़ेगा, छावनी जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। बालक, वृद्ध, पुरुष, स्त्री, सब अस स्थितिको समझ लें। गरीब-अमीर तमाम वर्ग और सारी जातियां अकसूत्रमें बंधकर अस तरह रहें, जैसे अक ही शरीरमें प्राण हों। रात पड़ने पर ही सब घर आयें। असा करना पड़ेगा। सारे तालुकेकी असी हवा बन जानी चाहिये कि कुर्कीका माल ले जानेके लिअे सरकारको अक भी आदमी ढूँढे न मिले। मने अभी तक अक भी कुर्की अफसर असा नहीं देखा, जो कंधे पर बरतन अुठाकर ले जाय। सरकारी कर्मचारी तो अपंग होते हैं। पटेल, मुखी, बेगारी, पटवारी या कोअी भी सरकारको मदद न दे और साफ कह दे कि मेरे गांव और तालुकेकी अज्जतके साथ मेरी अज्जत है। तालुकेकी अज्जत चली जाय तो मुखीपन किस कामका? तालुकेका नुकसान हो जाय, वह अपंग हो जाय तो असमें पटेलका हित नहीं है। हम सारे तालुकेकी हवा असी बना दें कि अुसमें स्वराज्यकी सुगंध आने लगे, गुलामीकी बदबू नहीं; और सरकारके विरुद्ध जूझनेकी टेकका तेज सबके चेहरों पर दिखाअी देता हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि अब खेलकूदके फंदेमें, अश-आराममें क्षण भर भी न रहो और जाग्रत हो जाओ। . . . आज गुजरातकी लाज तुम्हारे हाथमें है। अपने हाथसे अक दमड़ी भी सरकारको न देनेके निश्चय पर कायम रहो। नहीं तो जीना न जीना बराबर हो जायगा और तालुके पर हमेशाके लिअे भार पड़ जायगा।”

३

६ फरवरीको सरकारको लिखे हुअे सरदारके पत्रका अुत्तर अंतमें १७ फरवरीको आया। अुसमें कहा गया :

“नअी जमाबन्दीको मंजूरी देनेवाले सरकारी प्रस्तावोंमें कहा गया है कि दूसरी जमाबन्दी होने तकके वर्षोंमें अिस तालुकेका अितिहास सतत बढ़ती हुअी खुशहालीका होगा। गवर्नर महोदय अिस कथन पर आग्रहके साथ कायम हैं। पिछले तीस वर्षोंका बारडोली और चौरासी तालुकोंका अितिहास अिस भविष्यवाणीका पूरा समर्थन करता है। . . . अब नयी जमाबन्दीके अनुसार वसूलीका काम स्थगित करने, या जमाबन्दी पर पुनर्विचार करने, या और किसी किस्मकी राहत देनेके लिअे सरकार तैयार नहीं। अिस प्रकारकी घोषणाके बावजूद बारडोलीके लोग अपनी ही बुद्धिके अनुसार चलकर या बाहरवालोंकी सिखावटमें आकर लगान देनेमें गलती करेंगे, तो लगान-कानूनके अनुसार जो कारंवाअी की जानी चाहिये, अुसे करनेमें गवर्नर और अुनकी कौंसिलको जरा भी संकोच नही होगा। और अुसके परिणामस्वरूप लगान न देनेवालोंको जानबूझकर जो नुकसान अुठाना पड़ेगा, अुसके लिअे सरकार जिम्मेदार नही होगी।”

सरदार वगैरा कार्यकर्ताओंको ‘बाहरवाले’ बताया गया। अिसलिअे अुपरोक्त पत्रका जवाब दिये बिना अुनसे नही रहा गया। जवाबमें सरकार द्वारा लोगोंको दी गअी धमकीके लिअे धन्यवाद देकर अुन्होंने कहा :

“मालूम होता है आप मुझे और मेरें साथियोंको ‘बाहरवाले’ समझते हैं। मे अुपने आत्मीय लोगोंको मदद दे रहा हूं और आपकी पोले खोल रहा हूं, अिसके रोषमें आप यह बात भूल जाते हैं कि जिस सरकारकी ओरसे आप बोल रहे हैं, अुसके संगठनमें मुख्य स्थानों पर बाहरके ही लोग भरे हुअे हैं। मैं आपसे कह ही दू कि यद्यपि मे अुपनेको हिन्दुस्तानके किसी भी भागके बराबर ही बारडोलीका निवासी मानता हूं, फिर भी मे वहांके दुःखी निवासियोंके बुलाने पर ही वहां गया हूं और मुझे किसी भी क्षण छुट्टी दे देना अुनके हाथमें है। अुनके सत्वको दिन-रात चूसनेवाली और तोप-बन्दूकके जोरसे विदेशियों द्वारा चलनेवाली अिस हुकूमतको भी अुतनी ही आसानीसे बिदा करना अुनके हाथमें होता तो कितना अच्छा था !”

सरकारके माल-विभागके मंत्री मि० स्माथिथ अिस जवाबको पढ़कर बहुत उत्तेजित हुअे। अुन्होंने पहले पत्रको भी मात करनेवाला दूसरा बेहयाभीभरा पत्र सरदारको लिखा :

“बारडोलीके लोगोंने दिवाला नहीं निकाला है और न वे दिवाला निकालनेके किनारे ही पहुंचे है। तालुकेकी आबादी बढ़ी है और अब भी बढ़ती ही जा रही है और दिवालेका अेक भी चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। . . . . मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अिस पत्रकी तरह पहले पत्रमें भी गवर्नर महोदय और अुनकी कौंसिलके ही पक्के विचार व्यक्त किये गये थे और आप यह समझ लें कि यह निर्णय अन्तिम है। . . . अब अिस सम्बन्धमें और पत्रव्यवहार करनेकी आपको जरूरत जान पड़े, तो जिलेके कलेक्टरके मार्फत करें।”

सरदारने सरकारकी अनुमति लेकर समस्त पत्रव्यवहार अखबारोंमें प्रकाशित होनेके लिअे दे दिया और अुसके साथ जो पत्र लिखा अुसमें सरकारकी वक्रताकी अच्छी तरह कलअी खोल दी। यह समझाते हुअे कि सत्याग्रहका अुद्देश्य कितना परिमित था अुन्होंने कहा :

“बारडोली सत्याग्रहका हेतु परिमित है। जो मामला अिस पत्रव्यवहार परसे विवादास्पद प्रगत होता है, अुसमें सत्याग्रहियोंका मकसद निष्पक्ष जांचकी मांग करना है। लोग तो कहते है कि लगान बढ़ानेके लिअे कोअी कारण नहीं है। परन्तु यह आग्रह रखनेके बजाय मैने तो निष्पक्ष पंचकी लोगोंकी अनिवार्य मांग पर ही आग्रह रखा है। मैने सेटलमेंट अफसरकी रिपोर्टके औचित्यसे अिनकार किया है और साथ ही सेटलमेंट कमिश्नरने जिस तरीकेसे काम लिया है अुसके औचित्यसे भी अिनकार किया है। सरकारकी अिच्छा हो तो अिसकी जांच करके मुझे गलत साबित कर दे।”

परन्तु माल-विभागके मुख्य अधिकारी तो अिस घमंडमें फिर रहे थे कि लगानके बारेमें हमारे निर्णयमें दखल देनेका किसीको अधिकार नहीं है। लोगोंके कोअी अेतराज या मुश्किलें हों तो हमें बतायें। हम अुन पर विचार करेंगे जांच करेंगे और अुसके बाद जो आखिरी हुक्म देंगे वह ब्रह्मवाक्य होगा अुसके खिलाफ किसीका अेतराज नहीं हो सकता। सर्वाधिकारी सरकार और अुसकी आज्ञाओंका पालन करनेके लिअे बंधी हुअी रैयत, अिन दोनोंके बीच पंच कैसा ? खेड़ा जिलेकी लड़ाअीके समय कमिश्नर प्रैट साहब यही कहते थे। यहां अेक बात विशेष अुल्लेखनीय है कि जब माल-विभागके मंत्री मि० स्माथिथ सरदारके साथ यह दर्पपूर्ण पत्रव्यवहार कर रहे थे और अुन्हें तथ अुनके साथियोंको ‘बाहरवाले’ कहकर अुनका अपमान कर रहे थे, ठीक अुर्स समय (२० फरवरी १९२८ के दिन) अर्थ-विभागके मंत्री सर चुन्नीलाल







बारडोली सत्याग्रहके बाद

महेता बाढ़संकट-निवारणके सिलसिलेमें अनि 'बाहरवालों' और उनके साथियों द्वारा की गयी सेवाकी जबरदस्त तारीफ कर रहे थे। ये हैं उनके शब्द: "आज महात्मा गांधीको अत्यन्त आनन्द हो रहा होगा कि देहातमें समाज-सुधार और लोकसेवाका काम करनेवाले सेवाव्रतियोंकी मंडली खड़ी करनेके उनके प्रयत्नको अच्छी सफलता मिली है। . . . और उनकी गद्दीको श्री वल्लभभाजी पटेलने अच्छी तरह सम्हाला है।" परन्तु अर्थ-विभागके मंत्री माल-विभागके मंत्रीका हठ नहीं छुड़ा सके होंगे।

'टाइम्स ऑफ इन्डिया' जैसे अँग्लो-इन्डियन पत्रोंने अपना काम करनेमें कसर न रखी। अभी कल तक तो वे सरदारके बाढ़संकट-निवारणके उत्तम कार्यकी प्रशंसा कर रहे थे। पर अब वे "सरकारकी सहायता करनेके बजाय सरकारको परेशान करनेवाले और सरकारके कामकाजको रोक देनेवाले आन्दोलनके 'नेता' के रूपमें और 'गैरकानूनी' हलचलमें गुजरातके किसानोंको प्रोत्साहन देकर उनकी भयंकर कुसेवा करनेवाले" के रूपमें सरदारको गालियाँ देने लगे। यद्यपि सरदारने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस लड़ाईका अद्देश्य बहुत सीमित है, फिर भी कुछ अखबारोंने उसे 'बारडोलीके पुराने कार्यक्रमका पुनरुद्धार' तथा 'सविनय भंग और कर न देनेकी लड़ाई' बताना शुरू कर दिया। 'टाइम्स ऑफ इन्डियाने' अेक और झूठ यह अुड़ाई कि गांधीजी इस लड़ाईमें इसलिये भाग नहीं ले रहे हैं कि अुन्हें यह पसन्द नहीं है। हकीकत यह थी कि बाढ़की तरह इस समय भी सरदारने ही गांधीजीको बारडोली आनेसे मना कर दिया था और यह कह दिया था कि आप साबरमती बेंठे-बेंठे देखते रहिये कि हम लड़ाई कैसे चलाते हैं। गांधीजी सार्वजनिक रूपमें लड़ाईको आशीर्वाद दे चुके थे और 'यंग इन्डिया' तथा 'नवजीवन' में समय-समय पर लेख लिखकर लड़ाईका पथ-प्रदर्शन कर रहे और उसे प्रोत्साहन दे रहे थे। सरदार और सरकारके बीचका पत्रव्यवहार 'नवजीवन' में छापते हुअे गांधीजीने लिखा:

"यह पत्रव्यवहार अेक दृष्टिसे दुखद कांड है। जहां तक मैं देख पाया हूं, श्री वल्लभभाजीकी पेश की हुयी हकीकतों और उनके आधार पर दी गयी दलीलोंमें कहीं भी खामी नहीं है। सरकारके अुत्तरोंमें चालाकी, टालमटोल और ओछापन है। सत्ता मनुष्यको इस तरह अंधा बना देती है और अुसके अभिमानमें वह मनुष्यत्वको खीकर होश भूल जाता है।

"सत्याग्रहके कानूनके अनुसार वल्लभभाजीने सरकारको विनयपूर्वक समझानेकी कोशिश की: 'संभव है आपकी गलती न हो और यह हो सकता

है कि लोगोंने मुझे चकमा दिया हो। परन्तु आप पंच मुकर्रर कीजिये और उससे अइन्साफ कराअिये। आप यह दावा न कीजिये कि आपसे भूल हो ही नहीं सकती।' सरकारने अइस संधि-प्रस्तावका अनादर करके गंभीर भूल की और लोगोंके ललअे सत्याग्रह करनेका मार्ग साफ कर दिया।

“परन्तु सरकार तो यह कहती है कि वल्लभभाभी पराये हैं, बाहरके हैं, वलदेशी हैं। वे और अुनके परदेशी साथी बारडोली न गये होते, तो लोग अवश्य लगान चुका देते। अुसके पत्रकी यह ध्वनि है। अुल्टे चोर कोतवालको डांट रहा है। बारडोली जब तक हलन्दुस्तानमें है, तब तक वल्लभभाभीको या काश्मीरसे लेकर कन्याकुमारी तक और कराचीसे लेकर डलबलरूगढ़ तकमें रहनेवाले किसी भी भारतीयको बाहरवाला कैसे कहा जा सकता है, यह न वल्लभभाभी समझते हैं और न हममें से और कोअी समझ सकेंगे। परदेशी, पराये और बाहरवाले तो सरकारके अंग्रेज कर्मचारी हैं और अधलक साफ कहा जाय तो अइस पराअी और बाहरकी सरकारके तमाम कर्मचारी हैं। फलर वे गोरे हों या काले। . . . यह पराअी सरकार वल्लभभाभी जैसेको बारडोलीके ललअे ‘वलदेशी’ कहे, यह कैसे वक्रता है? डलन दहाड़े अंधेर हो रहा है। अैसे ही कारणोंसे मेरे जैसेको सरकारका वफादार रहनेमें पाप समझकर असहयोग करना पड़ा। जहां अवलनय अइस हद तक पहुंच जाय, वहां न्यायकी क्या आशा रखी जाय?”

लड़ाअीका पहला धमाका सरकारने ता० १५ फरवरीको कलया। जलस तालुकेमें लगान न देने पर चौथाअी जुर्माना देनेके नोटलस शायद ही दलये जाते, अुसमें वालोड़ और बाजीपुराके १५ प्रतिष्ठलत वणलक सज्जनों पर १० डलनमें नया लगान चुका देनेके नोटलस जारी कलये गये। फलर पचास-साठ बनलयोंपर नोटलसोंका वार हुआ। सरकारने बनलयोंको कमजोर समझकर पहला हमला अुन पर कलया। ‘अलगतपुरी कनसेशन’ के नामसे प्रसलद्ध कुछ रलयायतें सरकारने धोषलत की थीं। अुनके अुनुसार जलनका लगान २५ प्रतिशतसे अधलक बढ़ा हो, अुनके ललअे हर २५ प्रतिशत पर दो बरस तक वृद्धल न चुकानेकी रलयायत धोषलत की गअी थी। लोगोंको अइसका प्रलोभन दलया गया। लोगों पर जुल्म ढाकर अुन्हें डरा देनेके ललअे बेंड़कुआ नामक गांवमें पटवारीने अेक रानीपरज कलसानसे लात-मुक्के मारकर रुपया अेंठ ललया। अुधर अेक डलप्टी कलेक्टरने अेक गांवके वृद्ध वणलक सेठको अपने यहां बुलाकर खुशामद करना शुरू की: ‘मेरी अलज्जतकी खातलर तो कुछ दीजलये। जाअलये, सलर्फ अेक रुपया ही दीजलये।’ बूढ़ेने जवाब दलया: ‘आपके ललअे आदर तो बहुत ही है, परन्तु हमें गांवमें जो रहना है! गांवने

निश्चय किया है कि कोअी लगान अदा न करे।' सरदारको जिस किस्सेका पता चला, तो अुस सेठको कहलवाया कि 'आपको तो यह जवाब देना था कि मेरे प्रति अितना भाव दिखाते हैं, तो मेरी अिज्जतकी खातिर आप ही अिस्तीफा दे दीजिये। दुःखके समय रैयतकी सहायता करे सो अफसर, बाकी सब तो चपरासी हैं।'

बारडोली तालुकेके लोगोंकी साख 'नरम' होनेकी थी। अधिकारियोंने समझा था कि जरा आंखें दिखायेंगे, तो लगान लोग थानेमें आकर दे जायंगे। परन्तु अुन्हें अच्छी तरह जागृत और सशक्त रखनेके लिअे कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकोकी छावनिया भलीभांति डाल दी गयी थीं। असलिअे लोग अधिकारियोंकी धमकियों, मारपीट और प्रपंचोंके विरुद्ध अच्छी टक्कर लेने लगे। सरदार लोगोंकी नब्ज देखते रहे और अुन्हें हजम होने लायक दवा देते रहे तथा धीरे-धीरे अुसकी मात्रा बढ़ाते रहे। लड़ाअीके शुरूके दिनोंमें अेक भाषणमें लोगों पर लड़ाअीका रंग जमाते हुअे अुन्होंने कहा :

"सरकार कहती है, तुम सुखी हो। मुझे तो तुम्हारे घरोंमें नजर डालने पर अैसा कुछ नहीं दिखाअी दिया कि तुम दूसरे जिलोंके किसानोंसे सुखी हो। हा, तुम डर-डरकर 'नरम' जरूर हो गये हो। तुम्हें लड़ाअी-झगड़ा नहीं आता। ये तुम्हारे गुण है। परन्तु तुम्हें अितने नरम नहीं बन जाना चाहिये कि अन्यायके विरुद्ध लड़नेका गुस्सा भी तुममें न रहे। यह तो डरपोकपन है। मैं अस तालुकेमें रातके बारह-अेक बजे घूमता हूं। परन्तु मुझे कोअी यह नहीं पूछता कि 'कौन है' ? रविशंकर कहते हैं कि अस तालुकेके गांवोंमें अनजान आदमी पर कुत्ता भी नहीं भौंकता और भैस सींग मारने भी नहीं आती ! तुम्हारी अस शराफतने ही तुम्हें दुःख दिया है। असलिअे आंखोंमें नशा आने दो और न्यायके लिअे और अन्यायके विरुद्ध लड़ना सीखो।"

४

अिस असेंमें अेक कर्मचारी वालोड़के दो वणिक खातेदारोंको अपने प्रपंच-जालमें फंसानेमें सफल हो गया। आसानीसे हाथ लग जाय, अस तरह घरमें रुपया रखकर कुर्की हो जाने देनेकी सलाह अुन्होंने मान ली और तहसील-दारको अेकके घरसे १५०० रु० और दूसरेके घरसे ७८५ रु० के नोट आसानीसे मिल गये। वालोड़के लोगोंको अस बातका पता लगने पर अुनके प्रकोपकी हद नहीं रही और अुन्होंने अिन दो जनोंका कड़ा बहिष्कार करनेका

निश्चय किया। सरदारको इस बातकी खबर मिली, तो वे बहुत रात गये वालोड़ पहुंचे। लोगोंको शांत करते हुअे अन्होंने कहा :

“तुम्हें इस कृत्यसे बहुत क्रोध आना स्वाभाविक है, पर क्रोधके आवेशमें कुछ भी न करो। जिन्हें तुम टेका लगाकर खड़े रखना चाहोगे, वे अन्त तक कैसे चलेंगे? हम सरकारसे लड़ने चले हैं। हमें इस समय अपने ही कमजोर आदमियोंके साथ नहीं लड़ना है। अनिके साथ लड़कर तुम क्या करोगे? . . . . मैंने सुना है कि अभी दो-चार अैसे ही कमजोर और हैं। अन्हें कह दो कि प्रतीज्ञा तोड़कर रुपया चुका देना हो तो सीधी तरह चुका दो। अनि भाअियोंकी तरह प्रपंच करोगे, तो असिसे सरकारके सामने तुम्हारी अिज्जत नहीं रह जायगी।

“मेरा तुमसे अितना ही अनुरोध है कि असि किस्सेसे हम सबक लें और खुद अपने बारेमें अधिक जागृत रहें, अपने भाअियोंके लिअे ज्यादा चिन्ता रखें। असि किस्सेकी निन्दा करते रहनेमें कोअी सार नहीं। गन्दी चीजको खरोचेंगे तो अुसमें से बदबू ही आयेगी। समझदार आदमी अुस पर मुट्ठीभर मिट्टी डाल देगा और आगे निकल जायगा। असिका अच्छा परिणाम होगा।”

लोग शान्त हो गये, परन्तु अन्हें लगा कि अनि लोगोंको यों ही छोड़ देंगे तो संगठन कमजोर हो जायगा। असिलिअे अनिसे प्रायश्चित्त कराया जाय। दोनोंमें से अेकने लोगोंकी बात मान ली और अुसने प्रायश्चित्तके रूपमें सत्याग्रहकी लड़ाअीके कोषमें ८०० रुपये दान दिये। दूसरे वणिक सज्जनको समझनेमें थोड़ी देर लगी, परन्तु अन्तमें अुसने भी ६५१ रुपये प्रायश्चित्तके तौर पर दान किये। असि और अन्य अुदाहरणोंसे लोग कुछ मर्यादाका अुल्लंघन करने लगे। बहिष्कारका शस्त्र ही अैसा है कि अुसमें विवेककी मर्यादा छोड़ देनेका हमेशा डर रहता है। अब तक तालुकेका कड़ोद गांव लड़ाअीमें सम्मिलित नहीं हुआ था। वहांके बनिये बड़े खातेदार थे और आसपासके दूसरे गांवोंमें भी अुनकी जमीनें थीं। वे अनि तमाम जमीनोंका लगान चुकाते जा रहे थे। पहले तो लोगोंने निश्चय किया कि अैसे आदमियोंकी जमीन किराये पर न जोती जाय। बादमें तय किया कि किसी भी मजदूरको अुनके वहां काम करने न जाने दिया जाय। फिर आगे बढ़कर निश्चय किया कि जब तक कड़ोद ठिकाने न आ जाय, तब तक सारे गांवके साथ बिलकुल असहयोग किया जाय। दूसरे गांवोंमें भी जाति या गांवके पंच कड़े बहिष्कारके ठहराव करने लगे। असि नअी हवाको सीमामें

रखनेके लिये गांधीजीको बहिष्कारके शस्त्रके बारेमें सावधानीकी यह टिप्पणी लिखनी पड़ी :

“सुना है जो लगान देनेको तैयार हैं, अुनके विरुद्ध बारडोलीके सत्याग्रही बहिष्कारका हथियार अिस्तेमाल करनेके लिये तैयार हो रहे हैं। बहिष्कारका शस्त्र तेज होता है। मर्यादामें रहकर सत्याग्रही अुसे काममें ले सकता है। बहिष्कार अहिंसककी तरह हिंसक भी हो सकता है। सत्याग्रही अहिंसक बहिष्कार ही काममें ले सकता है। अभी तो मैं दोनों बहिष्कारोंके थोड़ेसे अुदाहरण ही देना चाहता हूं :

“सेवा न लेना अहिंसक बहिष्कार है। सेवा न देना हिंसक बहिष्कार है।

“बहिष्कृतके यहां खाने न जाना, अुसके यहां विवाह आदि अवसरों पर न जाना, अुसके साथ सौदा न करना और अुसकी मदद न लेना अहिंसक बहिष्कार है।

“बहिष्कृत बीमार हो तो अुसकी सेवा न करना, अुसके यहां डॉक्टरको न जाने देना, अुसके यहां मौत हो जाय तो क्रियाकर्ममें मदद न देना और अुसे कुअें, मंदिर वगैराके अुपयोगोंसे वंचित रखना हिंसक बहिष्कार है। गहरा विचार करने पर मालूम होगा कि अहिंसक बहिष्कार लम्बे समय तक चल सकता है। अुसे तोड़नेमें बाहरकी शक्ति काम नहीं दे सकती। हिंसक बहिष्कार लम्बे समय तक नहीं चल सकता। अुसे तोड़नेमें बाहरकी शक्तिका खूब अुपयोग हो सकता है। हिंसक बहिष्कार लड़ाीको अन्तमें हानि ही पहुंचाता है। अैसे नुकसानके अुदाहरण असहयोग-युगसे बहुतसे दिये जा सकते हैं। परन्तु अिस अवसर पर मने जो भेद करके बताया है, वही बारडोलीके सत्याग्रहियों और सेवकोंके लिये काफी होना चाहिये।”

अिस टिप्पणीका बहुत अच्छा असर हुआ। लोग बहिष्कारकी मर्यादा समझ गये और अुसका पालन करने लगे।

सरकारके चौथाअी दण्ड और कुर्कियोंके पीले परचोंका लोगों पर कोअी असर नहीं हुआ। अिसलिये सरकारी अधिकारियोंको महसूस होने लगा कि अब अधिक तीव्र अुपाय करने चाहियें। २६ मार्चको बाजीपुराके सेठ वीरचन्द चेनाजी और वालोड़के सात बड़े खातेदारोंके दरवाजे पर नोटिस चिपकाये गये कि ता० १२-४-'२८ के पहले लगान नहीं चुका दोगे, तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जायगी। सेठ वीरचन्दने तहसीलदारको पत्र लिखा कि 'सारे तालुकमें आपने मुझे सबसे कमजोर समझकर पहले-पहल जब्तीके नोटिसके लिये चुना होगा। परन्तु जब तक न्याय नहीं होगा,

तब तक तालुकेमें अब कोअी रुपया जमा नहीं करायेगा और मैं भी नहीं कराअूंगा। . . . आपसे प्रेम है, बड़ा घरोपा है और अुठने-बैठनेका सम्बन्ध है। अिस हकसे आपके हितैषीकी हैसियतसे मैं आपको सलाह देता हूँ कि अगर किसानोंकी जमीनें जब्त करनेका काम आपके हाथों होना हो, तो अैसी नौकरी छोड़ देनेमें ही आपकी शोभा है।' वालोड़के सात बनियोंने सरदारको पत्र लिखकर विश्वास दिलाया कि 'नोटिस और कुर्कीके वारकी पहली शुरुआत हमारे गांवसे हुआ थी, परन्तु जैसे अुसमें सरकारको असफलता मिली वैसे ही आप निश्चिन्त रहिये कि अिस जब्तीके नोटिसके मामलेमें भी सरकारको असफलता ही मिलेगी।' अिन वणिकोंको बधाअी देनेके लिये हुआ सभामें सरदारने लोगोंको और अधिक सख्त लड़ाअीके लिये तैयार रहनेको कहा :

“अिस लड़ाअीमें मैं केवल तुम्हारे थोड़ेसे रुपये बचानेके लिये नहीं पड़ा हूँ। बारडोलीके किसानों द्वारा मैं तमाम गुजरातके किसानोंको पाठ सिखाना चाहता हूँ कि अिस सरकारका राज्य केवल तुम्हारी कमजोरीसे ही चलता है। अेक तरफ तो विलायतसे बड़ा (साअिमन) कमीशन यह जांच करने आया है कि लोगोंको किस प्रकार दायित्वपूर्ण शासन दिया जाय और दो वर्षमें लोगोंको मुल्की शासन सौंप देनेकी बातें हो रही हैं, और दूसरी तरफ यहां सरकार जमीनें जब्त करनेकी चालें चल रही है। ये सब निरी धमकियां हैं। किसानोंके बच्चे अिससे डरनेवाले नहीं हैं। अुन्हें तो विश्वास होना चाहिये कि यह जमीन हमारे बापदादोंकी थी और हमारी ही रहेगी। किसानोंकी जमीन तो कच्चा पारा है। अैसी हालतमें जो अुसे लेगा, वह अुसीके पेटसे फूटकर निकलेगी। दस साल पहले जब देशमें सुधारोंका अमल नहीं था, तब भी खेड़ा जिलेमें अेक बीघा जमीन भी सरकार जब्त न कर सकी थी। तो क्या अब कर सकेगी ? व्यर्थ कागज खराब करते हैं। अिस प्रकार जमीनें जब्त होने लगेगी, तब तो अिस कचहरीके मकानमें तहसीलदार नहीं रहता होगा और न अंग्रेजोंका राज्य होगा, परन्तु डाकुओंका राज्य होगा। मैं तो कहता हूँ कि डाकुओंको आने दो। अैसे बनियोंके राज्यमें रहनेसे तो अुनके राज्यमें मजा आयेगा। तालुकेके लोगोंसे मैं कहता हूँ कि कोअी डर नहीं। डेढ़ महीनेमें तुममें कितना फर्क पड़ गया, यह तो देखो। पहले तुम्हारे चेहरों पर कितना डर और घबराहट थी ? अेक-दूसरेके साथ बैठते तक न थे। और आज ? आज तहसीलदार तो सिर्फ अिस चारदीवारीका ही मालिक है। मकानके बाहर अुसकी हुकूमत नहीं रही। अभी देखो तो सही। यों ही चलता रहा तो समय आने पर अुसे चपरासी तक नहीं मिलेगा।”

जब्तीके नोटिसमें दी हुआ १२ अप्रैलकी मियाद आ पहुंची। सरकारी कर्मचारियोंने आशा लगा रखी थी कि जब्तीकी धमकीसे लोग डर जायंगे। अउनकी मनोदशाकी गूँज 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अउन दिनों लिखे गये अेक लेखके अिन वाक्योंमें मिलती है :

“सत्याग्रहकी लड़ाकीका जोर घटता हुआ दिखायी नहीं देता। जब्तीके नोटिस दे दिये गये हैं, परन्तु लगान-कानूनके अनुसार जमीन जब्त करनेका तरीका अितना अटपटा है कि सरकारकी कार्रवाअियोंका प्रत्यक्ष परिणाम दिखायी देनेमें कुछ सप्ताह लग सकते हैं। थोड़ीसी जंगम संपत्ति जरूर कुर्क की गयी है, परन्तु अुसका कोअी असर नहीं हुआ है। सरकारने जमीन जब्त करनेकी जो धमकी दी है, अुससे किसान जरूर डरेंगे; और जब वे देखेंगे कि सत्याग्रहसे अुनके सोचे हुअे फल नहीं मिल रहे हैं, तब सारी लड़ाकी अेकदम ठप हो जायगी।”

परन्तु अधिकारियोंकी यह आशा दिन प्रतिदिन व्यर्थ हो रही थी। बारडोलीमें नअी ही रौनक नजर आ रही थी।

५.

अब बारडोलीसे बाहर भी असर पड़ने लगा था। पूनामें बारडोलीके लिअे विशेष सभा की गयी और सत्याग्रहियोंकी सफलताकी कामना की गयी। बम्बअीकी प्रेसिडेन्सी अेसोसियेशन जैसी नरम दलकी संस्थाका बारडोलीके प्रति ध्यान आकर्षित हुआ और संस्थाकी विशेष बैठकमें अिस प्रकार प्रस्ताव पास किया गया :

“बारडोली, शास्ती और अलीबाग वगैरा तालुकोंमें सरकारी आज्ञाओं द्वारा लगान बढ़ानेकी जो नीति बम्बअी सरकार अपना रही है, अुसके प्रति अिस संस्थाकी कार्यसमिति सख्त नाराजगी जाहिर करती है और कहती है कि लगान-समितिकी सिफारिशोंके अनुसार आखिरी आवाज धारासभाकी होनी चाहिये। अिसलिअे यह सभा आग्रह करती है कि बम्बअी प्रान्तमें लैण्ड रेवेन्यू कोडमें संशोधन करके लगानका सारा सवाल धारासभाके अधिकारमें न दिया जाय, तब तक लगान बढ़ाना मुलतवी किया जाय।”

परन्तु सरकारने अिससे सचेत होनेसे अिनकार कर दिया। वह तो अपनी ही बात रखनेकी कोशिश करने लगी। लोगोंको फुसलाने और फोड़नेका प्रयत्न करना, धमकियां देना और गलतफहमी पैदा करना अुसके मान्य साधन बन गये थे। 'फलां आदमीने पैसे जमा करा दिये, तुम अभी तक कैसे बैठे हो? अब तो जमा कराने ही पड़ेंगे,' यह कहकर अधिकारी भोले किसानोंको भुलावेमें



डालनेकी कोशिश करने लगे। तहसीलदार पटेलसे कहता, 'बेगारी लाकर न दोगे, तो तुम्हें बेगार करनी पड़ेगी।' कोअी पटवारी बेचारा धोबीके लगानकी किस्तके कुछ आने अपनी जेबसे दे देता — अस आशासे कि अुससे कपड़े घुलवाकर वसूल कर लेंगे।

दूसरी ओर सरदार अपनी वीर वाणीसे किसानों पर मर्दानगीका रंग चढ़ा रहे थे। महादेवभाभी लिखते हैं:

“मैंने तो चार वर्ष पहले बोरसदमें अुस लड़ाईमें लगे हुअे सरदारके साथ चौबीसों घंटे बिताये थे। अुसके बाद भी अुन्हें कअी बार बोलते सुना था। परन्तु अस मर्तबा अुनकी वाणीमें जो तेज पाया, आंखोंसे कअी बार जो आग बरसती देखी, वह कभी नहीं देखी थी। लोगोंकी जमीन जब्त हो, तब जैसी अपने शरीरके टुकड़े-टुकड़े होने पर वेदना होती है वैसी वेदनासे भरे अुनके अुद्गार निकलते थे। अुन भाषणोंकी ग्रामीण भाषा, अुनमें क्षण-क्षणमें चमक अुठनेवाले, भूमिसे अुत्पन्न और भूमिकी सुगंधसे भरे हुअे प्रयोग देहातियोंको हिलाने लगे। अंग्रेजीसे अछूता स्वतंत्र अोजवाला अुनका भाषाका प्रभुत्व मैंने पहले-पहल अिन सभाओंमें प्रगट होते देखा।”

सरदारके बारडोलीके भाषणोंमें साहित्य-रसिकोंको भाषाका सामर्थ्य और भाषाका रस देखनेको मिलता है। अैसी कुछ देहाती अुपमायें देखिये, जिन्हें किसान भूल नहीं सकते:

आज यह सरकार अैसी मदमत्त हो गअी है, जैसे जंगलमें कोअी पागल हाथी घूम रहा हो और अुसकी टक्करमें जो कोअी आ जाय अुसे वह कुचल डालता हो। पागल हाथी मदमें यह मानता है कि मैंने जब बाघों व शेरोंको मारा है, तो अस मच्छरकी मेरे सामने क्या बिसात है? परन्तु मैं मच्छरको समझाता हूं कि अस हाथीको जितना खेलना हो खेलने दो और फिर मौका देखकर अुसके कानमें घुस जाओ।

\* \* \*

बड़े घड़ेसे बहुतसी ठीकरियां बनती है। लेकिन अुनमें से अेक ठीकरी भी सारे घड़ेको फोड़नेके लिये काफी है। घड़ेसे ठीकरी क्यों डरे? फूटनेका डर किसीको रखना हो तो वह घड़ेको रखना चाहिये। ठीकरीको क्या डर हो सकता है?

\* \* \*

मैं तो तुम्हें कुदरतका कानून पढ़ाना चाहता हूं। किसान होनेके कारण तुम सब जानते हो कि जब थोड़ेसे बिनौले जमीनमें गड़कर और सड़कर नष्ट होते हैं, तब खेतमें ढेरों कपास पैदा होती है। आप मरे

बिना स्वर्ग मिल सकता हो, तो ही केवल धारासभामें प्रस्ताव पास करनेसे हमें मुक्ति मिल सकती है।

\* \* \*

अगर भेड़ोंमें से अुनकी रक्षा करनेवाली भेड़ न निकले, तो क्या वे विलायतसे रक्षा करनेवाला ला सकेंगे? ला सकें तो भी अुनको पुसायेगा नहीं। वह कोअी अढ़ाअी आनेमें नही रह सकता। अैसे छप्परोंमें नहीं रह सकता। अुसे बंगले चाहियें, बगीचे चाहियें; अुसकी खुराक दूसरी; अुसकी आवश्यकताअें दूसरी; अुसे अलग धोबी चाहिये, अलग भंगी चाहिये। अस तरह तो सरकारको सिरसे मुंडन मंहंगा पड़ जाय। हर गांवमें दो दो अंग्रेज रखे तो अस तालुकेके पांच लाख रुपये वसूल करनेके लिअे कितने गोरे रखने होंगे और अुनका कितना खर्च पड़ेगा, असका हिसाब लगाना कठिन नहीं।

\* \* \*

दूध और पानी मिलकर अेक जीव हो जाते हैं और कभी अलग नहीं होते। दूध अुबलता है तब पानी दूधको बचानेके लिअे नीचे जाकर पहले खुद जल जाता है और दूधको अुपर निकालकर अुसका बचाव करता है। तब दूध पानीका बचाव करनेके लिअे खुद अुफनकर आगमें पड़कर आगको बुझानेकी कोशिश करता है। असी प्रकार आज किसान-साहूकार अेक हो जाओ, अेक-दूसरेकी मदद करो और यह निगाह रखो कि असमें कोअी बाधक न बन सके।

\* \* \*

मुझे शुरूमें कोअी-कोअी किसान कहते कि अस झगड़ेमें पड़कर जोखम मोल लेनेसे सुबह दो घंटे जल्दी अुठकर ज्यादा मेहनत कर लेंगे। अैसे लोगोंका दुनियामें जीनेका क्या काम? वे मनुष्यके रूपमें बैलका-सा जीवन बितायें, असकी अपेक्षा मरकर बैलका ही जन्म धारण कर लें। मैं गुजरातके लोगोंको तेजस्वी देखना चाहता हूं। . . . मैं गुजरातियोंसे कहता हूं कि शरीरसे भले ही तुम दुबले हो, परन्तु दिल शेरका-सा रखो, स्वाभिमानके लिअे हृदयमें मरनेकी ताकत रखो। ये दोनों चीजें, जो तुम्हें लाखों खर्च करने पर भी नहीं मिल सकतीं, अस लड़ाअीमें सहज ही मिल गयी हैं। साक्षात् लक्ष्मी तुम्हें तिलक लगाने आअी है। तुम्हारा धन्य भाग्य है कि तुम पर यह वृद्धि डाली गयी है।

सरदार किसानोंको तने हुअे रहने, मर्द बनने, टेक रखने और स्वाभिमानके लिअे लड़नेकी जो शिक्षा दे रहे थे, अुसका वर्णन रविशंकर महाराजने अिस लड़ाकीके समयके अेक भाषणमें बहुत बढ़िया किया है :

“मैं अेक बार किसी कामसे गांधीजीके पास गया था। अुस समय विद्यापीठकी स्थापना करनेके विचार चल रहे थे। और गुजरातकी विद्वान मंडली गांधीजीके साथ बैठकर यह चर्चा कर रही थी कि महाविद्यालयके आचार्यपद पर किसे नियुक्त किया जाय। मेरे जैसेको तो अिसमें क्या समझमें आता ? परन्तु अुस समयका सुना हुआ मुझे याद रह गया है। वल्लभभाभीने कहा था कि ‘और कोअी न मिले तो मुझे आचार्य बना दीजिये। लड़कोंको पढ़ा हुआ भुला दूंगा।’ यह सुनकर गांधीजी और सारी मंडली हंस पड़ी। परन्तु मुझे पता चल गया कि औरोंके हंसने और गांधीजीके हंसनेमें फर्क था। जबकि दूसरे लोग मजाक समझकर हंसे थे, तब गांधीजी तो यही समझकर हंसे थे कि वल्लभभाभी जो बात कह रहे हैं वह बिलकुल सही है।

“अुस समय जिसके आचार्यपदकी योग्यता हंसीमें अुड़ा दी गअी थी, अुसी आचार्यने आज बारडोली तालुकेकी ८८ हजार जनताको पढ़ानेकी पाठशाला खोली है। . . . वे सरकारको, जिसने राष्ट्रीयताका भान भुलवा दिया है, भूलनेका पाठ पढ़ा रहे हैं। गलत पढ़ा हुआ भूल चुके अेक गुरुसे सच्ची पढ़ाअी करके जो पुरुष आचार्यपद पर आरूढ़ हुअे हैं, वही अिस राष्ट्रीय पाठशालाके आचार्य हैं। अब्बास साहब और पंडचाजी जैसे अुसके अध्यापक हैं। मैं तो अिस भव्य पाठशालाका अेक क्षुद्र चपरासी हूं।”

अिस अरसेमें वल्लभभाभीका नाम किसानोंके सरदार पड़ गया। किसीके मुंहसे यह नाम निकल गया और जिस जिसने अिसे सुना अुसीने अपना लिया। और क्यों न अपनाये ? जिस किसीने बारडोलीके समय अुनके भाषण सुने और पढ़े, अुसने किसानोंके लिअे ली हुअी अुनकी फकीरी देखी, किसानोंके लिअे अुबलता हुअा अुनका दिल पहचाना और किसानोंके दुःखोंका अुनका ज्ञान जाना। किसान कितने कष्ट अुठाकर खेती करता है और किसान पर कहां-कहांसे किस-किस तरहकी मार पड़ती है, अिसका अनुभवज्ञान अुनके जैसा किसे होगा और अुसको प्रगट भी अुनके बराबर कौन कर सकता था ? अिस विषयमें महादेवभाभीने लिखा है :

“देशका केन्द्र किसान है, यह महासत्य वल्लभभाभीमें १९१७-१८ में गांधीजीने जाग्रत किया, यों कहंगा कि प्रगट किया। क्योंकि वह भीतर ही भीतर छिपा हुआ अवश्य था। परन्तु अुसके प्रगट होनेके साथ ही वह जैसा वल्लभभाभीमें चमक अुठा, वैसा शायद ही किसीमें चमक अुठा होगा। जो

किसान नहीं है, अुस तत्त्वदर्शीने बता दिया कि किसानका स्थान कहां है, किसानकी स्थिति कैसी है और अुसे खड़ा करनेका साधन क्या है। जिसकी नस-नस किसानकी है, अंसे अुनके शिष्यने अिशारेमें ये तीनों बातें समझ लीं और दृष्टासे भी अधिक अुनका रहस्य लोगोंके सामने खोलकर बता दिया। . . . किसानोंकी पहली सेवा करनेका अवसर अुन्हें खेड़ाकी लगानकी लड़ाीमें मिला और दूसरा बोरसदमें मिला, परन्तु जो अवसर बारडोलीमें मिला वह अपूर्व था।

“किसानों सम्बन्धी अुनके जितने अुद्गार बारडोलीके भाषणोंमें पाये जाते हैं, अुतने पहलेके किसी भाषणमें नहीं पाये जाते। खेड़ामें तो वे गांधीजीकी सरदारीमें सिपाही थे; असलिये ज्यादा बोलते ही नहीं थे। बोरसदकी लड़ाी थी तो किसानोंकी ही लड़ाी, परन्तु वह किसानमात्रके साधारण दुःखोंसे पैदा हुअी लड़ाी नहीं थी। बोरसदका प्रश्न विशिष्ट था, और वहां अुस विशिष्ट प्रश्नके सिलसिलेमें ही भाषण होते थे। परन्तु किसानोंका मुख्य प्रश्न लगानका ही प्रश्न है। असलिये अुनका पुराना निश्चय था कि गुजरातके किसानोंकी सेवा करनी हो, तो वह लगानका कूट प्रश्न हल करनेसे ही हो सकती है। अस सेवाका अवसर अुन्हें बारडोलीने दिया। बारडोलीवाले जब अुन्हें बुलाने आये, तब अुन्होंने भाअी नरहरिके लेख पढ़ रखे थे। गांधीजीने जब अुनसे पूछा कि क्या आपको विश्वास है कि बारडोलीके किसानोंकी शिकायत सच है, तब अुन्होंने कहा था कि नरहरिके लेख न पढ़े होते तो भी मुझे तो विश्वास था ही; क्योंकि हिन्दुस्तानमें और खास तौर पर गुजरातमें लगानकी विडम्बनाके बारेमें किसानोंकी शिकायत सच ही होनी चाहिये, यह मुझे पूरा विश्वास है।”

किसानों परके असीम प्रेमकी तहमें अपने दिलमें वसी हुअी भावना सरदार बार-बार कह बताते हैं: ‘कुनबीके सहारे करोड़, कुनबी किसीके सहारे नहीं’ और ‘अै, किसान तू सचमुच जगतका तात माना जाता है।’ वे बार-बार कहते हैं कि दुनियामें असली अुत्पादक वर्ग किसान और मजदूर हैं। बाकी सब किसानों और मजदूरों पर जीनेवाले हैं। अिन पैदा करनेवालोंकी स्थिति सबसे अच्छी होनी चाहिये, अुसके बजाय हमने अुसे सबसे बुरी बना रखी है। अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हुअे अुन्होंने अेक भाषणमें कहा :

“सारी दुनियाका आधार किसान पर है। दुनियाका निर्वाह अेक किसान और दूसरे मजदूर पर होता है। फिर भी सबसे ज्यादा जुलम कोअी सहन करते हों तो ये दोनों करते हैं। कारण वे दोनों चुपचाप जुलम बरदास्त कर लेते हैं। मैं किसान हूं, किसानके दिलमें घुस सकता हूं। और

असलिये उसे समझाता हूँ कि उसके दुःखका कारण यह है कि वह हताश हो गया है, यह मानने लगा है कि अतनी बड़ी सत्ताके सामने हमारी क्या चलेगी। सरकारके नाम पर एक चपरासी भी आकर उसे धमका जाता है, गालियां दे जाता है और बेगार करा लेता है। सरकार जितनी मरजी हो अतना कर-भार उसपर डाल देती है। वह वर्षों मेहनत करके पेट लगाता है उस पर कर; ऊपरसे वर्षाका पानी क्यारीमें पड़ जाय उसका अलग कर; कुआं खोदकर किसान पानी निकाले उस पर भी सरकार रुपया लेती है। व्यापारी ठंडी छायामें दुकान लगाकर बैठे, उस पर दो हजार वार्षिक तक कोअी कर नहीं। परन्तु किसानके पास केवल बीघेभर जमीन हो, उसके पीछे वह बैल रखता हो, भैंस रखता हो, पशुके साथ पशु बनता हो, खाद बनाता हो, बरसातमें घुटनों तक पानीमें बिच्छुओंके बीचमें हाथ डालकर चावलकी रोपाजी करे, उससे खानेका चावल पैदा करे, कर्ज करके बीज लाये, उससे थोड़ीसी कपास हो तो उसे अपने बाल-बच्चोंके साथ जाकर चूने, गाड़ीमें डालकर उसे बेच आये, और अतना करके दस-बीस रुपया मिल जाय तो उस पर भी सरकारका लगान !”

अक और जगह कहा :

“किसान डरकर दुःख अुठाये और जालिमोंकी लातें खाये उससे मुझे शर्म आती है। मेरे जीमें आता है कि किसानको कंगाल न रहने देकर खड़ा कर दूं और स्वाभिमानसे सिर अूंचा करके चलनेवाला बना दूं। अितना करके मरूं तो अपना जीना सफल समझूं।”

## ६

लोगोंमें पैदा हुआ अद्भुत जागृति देखकर सचेत होने और न्याय करनेका विचार करनेके बजाय सरकारने और भी सख्ती करनेका निश्चय किया। अुत्तरी विभागके कमिश्नर मि० स्मार्ट समुद्र तट पर हवा खा रहे थे। अुन्हें वहांसे सूरत जाकर वहां मुकाम करनेका हुक्म मिला। कलेक्टर पासके राज्यमें अक पहाड़ी पर हवा खा रहे थे। अुन्हें भी पहाड़ीसे अुतर आनेकी आज्ञा प्राप्त हुआ। खूबीकी बात तो यह है कि तालुकेमें अितना सब कुछ होते हुअे भी जिला कलेक्टरको अभी तक बारडोली जानेकी जरूरत प्रतीत नहीं हुआ थी। वे अपने डिप्टीके चश्मेसे ही सब कुछ देख रहे थे। परन्तु अूपरसे हुक्म मिलने पर तालुकेमें गये। वहां जाकर देखा तो तमाम दुकानें बन्द, तमाम घरोंके द्वार बन्द। कोअी अधिकारियोंके पास फटकता भी नहीं था। फिर देहातमें जानेका विचार किया।

पुलिसके आदमी किरायेकी मोटर लेने गये। मोटरवालेने कहा कि मोटर किरायेसे दी जा चुकी है। इस पर उसका लाइसेन्स छीन लिया गया। मुश्किलसे शामको सरभण गांव पहुंचे। नौजवानोंने खूब ढोल बजाये और कलेक्टरके गांवमें प्रवेश करनेसे पहले घरोंके दरवाजे धड़ाधड़ बन्द हो गये और गलियां सुनसान हो गयीं। कलेक्टरने पटेलोंको बुलवाया। उन्होंने अुत्तर दिया कि लोग हमारी नहीं सुनते। लोगोंको जब्ती या किसी बातको परवाह नहीं। फिर पटवारियोंकी सभा करके अुन्हें समझाया कि गांवोंके नकशों पर जमीनके अैसे अनुकूल विभाग करो, जिससे खरीदारोंको अेक साथ जमीनें दी जा सकें। अितनी कारगुजारी करके वे सरत चले गये और 'टाइम्स ऑफ अिडिया' वालेको मुलाकात दी :

“बहुतसे किसान लगान देनेको तैयार हैं, परन्तु दुर्भाग्यसे अिन लोगोंको आग, बरबादी और बहिष्कारकी धमकियां दी जाती है। बाहरसे आये हुअे अैसे असहयोगियों द्वारा, जिनका गांवमें घर नहीं और सीमामें खेत नहीं, दी हुअी गलत सलाह किसान मानेंगे, तो अन्तमें जो हानि अुठानी पड़ेगी वह अिन अभागे किसानोंको ही अुठानी पड़ेगी। अिन असहयोगी नेताओंकी लड़ाअीके परिणामस्वरूप तालुकेमें दंगा होनेकी हमेशा सम्भावना रहती है।”

रैयतके अेक भी आदमीसे मिले बिना कलेक्टर साहब मुलाकातमें अैसी सफेद झूठ बोल सके !

बादमें कुर्कियोंका दौर शुरू हुआ और अुसमें भैंसें पकड़नेका हुक्म हुआ। मौजूदा तहसीलदारको ढीला समझकर अुनका दूसरे दूरके तालुकेमें तबादला कर दिया गया और जिसने सख्त होनेकी शेखी बघारी होगी वैसे तहसीलदारको बारडोलीमें रख दिया गया। तीन कुर्की अफसरोंको लोगोंके घर तोड़ने, बाड़ें तोड़ने वगैराके विशेषाधिकारों सहित नियुक्त किया गया। अिन कुर्की अफसरोंकी मददके लअे बम्बअीके बदमाश माने जानेवाले आवारा पठान खास तौर पर लाये गये। अिनके विरुद्ध लोगोंने अपना संगठन और मजबूत करना शुरू किया और अफसरोंका कड़ा बहिष्कार करने लगे। बहिष्कारके बारेमें अुचित मर्यादा रखनेकी चेतावनी गांधीजी शुरूमें ही दे चुके थे। फिर भी सरदारने दुबारा सावधान कर दिया कि अधिकारी कोअी हमारे दुश्मन नहीं है। वे बेचारे दुश्मनके मातहत होनेके कारण आये है। अुन्हें खाने-पीनेको न देना या दूध, शाक, धोबी, नाअी वगैरा न मिलने देना या अुनकी दवा वगैरा जीवनकी आवश्यकताअें रोक देना सत्याग्रह नहीं परन्तु निर्दयता है। हां, कुर्कीके काममें अुनकी कोअी सहायता न की जाय। गाड़ी, मजदूर या पंच आदि कुछ भी देनेसे साफ अिनकार कर दिया जाय। दूसरी महत्त्वपूर्ण सलाह

सरदारने यह दी कि जब कुर्कीका काम हो रहा हो तब वहां लोग भीड़ न करें, क्योंकि सरकारका अिरादा झगड़ा या मारपीट करनेका हो तो लोगोंके भीड़ करनेसे वह अपना अिरादा पूरा कर सकती है। कलेक्टरने मुलाकातमें जो डरकी बात कही थी, उसका जवाब देते हुअे सरदारने कहा कि किसीको रुपया अदा करना हो और डर लगता हो तो मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे साथ तहसीलदारके यहां चलूंगा और कोअी तुम पर वार करने आयेगा तो अुसे पहले मेरे सिर पर वार करनेको कहूंगा। अिस खामोशीकी सलाहके साथ सरदारने अपने सिवाय और किसीको भाषण न देनेका मनाही हुकम जारी कर दिया और जो सत्याग्रही गीत गाये जाते थे अुन्हें भी बन्द कर दिया, ताकि अिन अधिकारियोंकी ओरसे अुत्तेजनाका कोअी बहाना न बनाया जा सके।

दूसरी ओर कुर्की अफसरोंने तो मर्यादा ही छोड़ दी। किसी भी समय, कोअी भी जांच किये बिना, यह खोज किये बिना कि मालिक कौन है, काश्तकारोंके साथ गैरकाश्तकारोंके ढोर भी कुर्क किये जाने लगे। रोज बहुतसे मवेशी पकड़े जाते, परन्तु अुनकी देखभाल कौन करे? अुन्हें समय-समय पर पानी कौन पिलाये? भैंसें पकड़ने और रखनेके लिये अुन पठानोंको भाड़ेके टट्टू बनाया गया था। बारडोलीमें पकड़ी गअी अेक भैंस चिल्लाती हुअी थानेमें मर गअी! गैरखातेदार अेक गरीब दर्जीकी तीन भैंसें पकड़कर थानेमें बन्द कर दी गअीं। वह छुड़वाने गया तो तहसीलदार कहने लगा: 'तुम्हारी भैंसें दो दिन हमें रखनी पड़ी है, अिसलिये अिसका खर्च देकर भैंसें ले जाओ!' वह कहने लगा: 'यह तो अुल्टा न्याय हुआ। आप मुझे हर्जाना दें या अुल्टा दण्ड दें?' अिन भैंसोंको नीलाममें लेनेवाला तालुकेमें कोअी मिलता न था, अिसलिये बाहरसे कसाअियोंको समझाकर लाने लगे। थानेमें भैंसें धूपमें पानीके बिना तड़पतीं, चिल्लातीं और अुन्हें पानीके मोल नीलाम किया जाता। यह देखकर बारडोलीके अेक दयालु वणिक सज्जनने तहसीलदारसे कहा: 'अिन बेचारी भैंसोंको अच्छी तरह घास-चारा और पानी मिले, अिसके लिये मैं कुछ दान देना चाहता हूं।' तहसीलदारने जवाब दिया: 'सरकारके खजानेमें काफी रुपया है। तुम्हारी मददकी जरूरत नहीं।'

अपने बच्चोंकी तरह प्यारे पशुओं पर होनेवाला जुल्म किसानोंसे देखा नहीं जाता था। कुछ भी हो जाय, परन्तु भैंसोंको अिस प्रकार सताने न देनेके विचारसे सारे तालुकेने कारागृह बननेका निश्चय किया। कुर्की न हो सके, अिसके लिये रात-दिन दरवाजे बन्द रखे गये और घरोंमें मनुष्यों और मवेशियोंको कैद रखा गया। ढोरोंको पानी भी घर लाकर पिलाया जाता। जिनके सगे-सम्बन्धी गायकवाड़ी अिलकेमें थे, अुन्होंने अपने जानवर वहां भेज दिये और बच्चोंको

छाछ-दूध पिलाना बन्द कर दिया। परन्तु तमाम ढोर कहीं किस तरह भेजे जा सकते हैं? इसलिये सबने कारागृहवास पसन्द किया। सरदारके इस अेक ही विनोदसे लोगोंके पेटोंमें हंसीके मारे बल पड़ गये और अुन्होंने सारा दुःख भुला दिया : 'ओहो ! तुम्हारी भैंसें तो घर ही घरमें रहकर गोरी मेमें बनने लगी हैं !'

जिस प्रकार भैंसोंका नाममात्रकी कीमत पर कथित नीलाम हो रहा था, अुसी प्रकार फरनीचर और दूसरा सामान भी सरकारी चपरासियों, पुलिसवालों और पठानोंको नाममात्रके मूल्य पर दे दिया जाता था। अैसे भी अुदाहरण थे जहां नीलाम करनेवाले अफसरोंने खुद ये वस्तुअें खरीद लीं। डेढ़-डेढ़ सौ, दो-दो सौ रुपये वेतन पानेवाले तहसीलदारके दर्जेके अफसरोंको पठान गुंडोंके साथ भैंसोंकी तलाशमें कड़ाकेकी धूपमें भटकते देखकर स्वेच्छासे कारावास भोगने-वाले लोगोंको भी मजा आता था। भैंसें पकड़नेके लिये अत्यधिक दौड़धूप करनेवाले अेक कर्मचारीका नाम सरदारने 'भैंसिया शेर' रख दिया था।

वालोज़की शराबकी दुकानवाले दोराबजी सेठके ३१४ रु० १४ आ० ५ पा०के खातेके बदलेमें दो हजार रुपयेकी कीमतका माल कुर्क किया गया और दुकान पर ताले लगा दिये गये। बादमें कुर्कीवालेको होश आया, तब ताले खोल दिये गये। फिर भी दोराबजी सेठने दुकान बन्द रखी, तो अुन्हें डांटने लगे कि 'दुकान क्यों नहीं खोलते? दुकान नहीं खोलोगे तो सजा होगी।' दोराबजी सेठने कहा कि जब्त हुअे पीपे जब तक दुकानसे नहीं हटाये जायंगे, तब तक मैं दुकान नहीं चलाना चाहता। और दुकान बन्द रहनेसे मुझे जो घाटा होगा, अुसके लिये सरकार जिम्मेदार मानी जायगी। दुकानके अन्दरवाले पीपे बहुत बड़े थे और हटाये नहीं जा सकते थे। इसलिये दुकानसे बाहर पड़े हुअे खाली पीपे जब्त किये गये और अुनमें अुन बड़े पीपोंकी शराब भरने लगे। परन्तु बाहर पड़े हुअे पीपे फूटे हुअे निकले और कितनी ही शराब जमीन पर बह गयी। बादमें और कहींसे पीपे लाये गये और अुनमें शराब भरकर पानीके मोल नीलाम की गयी। लोग विनोद करने लगे : 'साले पीपे भी स्वराज्यमें मिल गये !' अितना सब नुकसान कर देनेके बावजूद कुर्कीके मालके नीलामसे मिले हुअे रुपये बाद करके सरदारने १४४ रुपये ६ आने ८ पायीकी रकम दोराबजी सेठके लगान खातेमें बाकी निकाली और अुसके लिये अुनकी तीस-पैंतीस हजार रुपयेकी जमीन जब्त कर ली गयी। इस किस्सेमें अेक और अुल्लेखनीय वस्तु यह थी कि शराबकी जिस दुकानकी कुर्की हुअी, अुसके मालिक अकेले दोराबजी ही नहीं बल्कि अुनकी सास श्रीमती नवाजबायी भी थीं। अुन्होंने भी बड़ी हिम्मत दिखायी और सारी लड़ायीमें अखीर तक दूढ़ रहीं। बहुतसे शराबवालोंको तो लड़नेका मौका ही न मिला, क्योंकि अुन्हें रोज बित्रीका रुपया सरकारी खजानेमें भेज देना



पड़ता था। सरकार यह रूपया शराब खाते जमा न करके लगान खाते जमा कर लेती थी। अफीमके ठेकेवालोंका भी यही हाल होता था। परन्तु सरकार इस तरह रूपया अड़ा लेती, अिसे कौन अपराध कहता ?

जब आबकारी-विभागके अधिकारी लोगोंको अिस तरह सताने लगे, तो खेती-विभाग ही क्यों पीछे रहने लगा ? यह विभाग कहलाता तो था किसानोंकी भलाजीके लिअे खोला गया, परन्तु वह भी सरकारका हथियार बन गया। तालुकेके कुछ किसान खेती-विभागसे कपासका बीज लेकर अपनी रूअी खेती-विभागके ही मार्फत बेचते थे। यह रूअी जिनोंमें किसानोंके खाते अमानत रखकर जब अच्छे भाव आते तब विभाग बिकवा देता था। अेक जिनमें अैसी रूअीकी बहुतसी गाठें रखी हुअी थीं। तहसीलदारने अुन पर कुर्की लगा दी और डाअिरेक्टर ऑफ अेग्रिकल्चरको लगभग ७३ हजार रूपया किसानोंके लगान पेटे जमा करा देनेका हुक्म हुआ। परन्तु किसीको यह पता न था कि कौनसे किसान ? नाम तो बादमें मालूम कर लिये जा सकते हैं, परन्तु पौन लाख रूपया लगानका तो जमा हुआ कहलायेगा ! लगान न देनेके कारण बन्दूक-वालोंके लाअिसेन्स छीन लिये गये और पेंशनरोंको पेंशन खो बैठनेकी धमकी मिली। शिक्षा और डॉक्टरी विभागके अफसरों द्वारा अुनके अधीन नौकरों पर, जो खातेदार थे, दबाव डाला गया।

सरकारकी अिस सारी धमाचौकड़ीका कोअी असर दिखाअी नहीं देता था। अिसलिअे जैसे डूबता हुआ मनुष्य तिनकेको पकड़ने लगता है, अुसी तरह सरकारने कलेक्टर और पुलिस सुपरिन्टेण्डेंटसे ६ महीनेकी मियादवाले दो विचित्र हुक्म जारी कराये। पहला हुक्म 'किरायेकी सवारियां और बैलगाड़ियोंके हांकनेवालों' को समझानेवालोंको और 'सरकारी नौकरों और दूसरे लोगों पर जुल्म करनेवालों या जुल्म करनेके लिअे अिकट्ठा होनेवालों' को अपराधी करार देता था। और दूसरा हुक्म 'आम रास्तोंके नजदीक या मोहल्लोंमें या सार्वजनिक स्थानों पर' ढोल वगैरा बजानेको जुर्म करार देता था। तोप, बन्दूक और गोले-बारूदका दम भरनेवाली सरकार ढोल-नगाड़ोंसे डर गअी, यह कहकर सरकारकी निन्दा करनेका सरदारको मौका मिला। अुन्होंने लोगोंको सलाह दी, 'अब ढोल बजाना और शंख फूंकना बन्द कर दो। हमारे ढोल-शंखोंसे सरकार डर गअी है। हमारा धर्म तो लोगोंको लगान न देनेके लिअे समझाना है। यह धर्म न छोड़ा जाय। अैसी विज्ञप्तियां निकालकर सरकार हमें फंसाना चाहती है। अुनमें हमें नहीं फंसना चाहिये।' अिसी असेमें वालोड़में सरकारी थानेके सामने ही जो सभा हुअी थी, वहां सरदारका भाषण जब खतम होने आया, तब थानेमें बन्द की हुअी भेंसोंकी चिल्लाहट सुनाअी

देने लगी। सरदारको फिर कहनेका अवसर मिला : 'सुनो अिन भैंसोंकी चीख ! रिपोर्टर लिख लें। रिपोर्ट करो कि वालोड़के थानेमें भैंसें भाषण दे रही है। हमारे ढोल-नगाड़ोंकी आवाजसे यह राज्य अुलट रहा था, अब अिन भैंसोंकी पुकार सुन लो। अगर अब तक तुम यह नहीं समझते कि यह राज्य कैसा है, तो ये भैंसें पुकार-पुकारकर तुमसे कह रही हैं : अिस राज्यमें से अिन्साफ मुंह छिपाकर भाग गया।'

अिस तरहके हास्य-विनोदसे सरदार लोगोंके कष्ट भुला देते थे। अुन्हें रिझाते और हंसाते, परन्तु साथ ही असली मुद्देको नजरके सामनेसे हटने नहीं देते थे। अिसलिअे अितना विनोद कर लेनेके बाद अुन्होंने लोगोंसे ये गंभीर वचन कहे :

“मैं जानता हूं कि तमाम दिन दरवाजे बन्द करके मनुष्य और पशु सबका बन्द रहना तुम्हें अखरता है। तुम अपने मवेशी और जायदाद सरकारको लूट ले जाने देनेके लिअे तैयार हो। परन्तु मुझे तुम्हें समझकर दुःख सहन करना सिखाना है और तुम्हें तैयार करना है। अिसके बिना अिस होशियार और चालाक सरकारके मुकाबलेमें हम टिक नहीं सकते। मुझे तुम्हें दिखा देना है कि १०० रुपयेकी नौकरीके लिअे जनेअू पहननेवाला ब्राह्मण हाथमें रस्सियां लिये कसाअीको देनेके लिअे ढोर पकड़ता फिरता है। मुझे तुम्हें यह दिखाना है कि हमारे ही आदमियोंको, अूचे वर्णके लोगोंको, यह शासन कैसा राक्षसी बना देता है।”

७

सरकारने अपरोक्त निषेधाज्ञाअें प्रसारित करनेके बाद किसी भी बहाने कार्यकर्ताओंको पकड़ना शुरू किया। पहले-पहल रविशंकर महाराज पर हाथ डाला। अेक गाड़ीवालेको अुसकी अिच्छाके विरुद्ध सरकारी कामसे बेगारमें ले जाया जा रहा था। महाराजने अुसे समझाया कि तुम डरो मत और तुम्हारी जानेकी अिच्छा न हो तो मत जाओ। पुलिसवाले गाड़ी पर चढ़कर जबरदस्ती करने लगे, तो महाराजने कहा कि गाड़ी छोड़कर मेरे साथ चले आओ। यह देखकर दूसरे दो गाड़ीवाले हिम्मत करके वहांसे चले गये। महाराजके अिस अपराध पर अुन्हें ५ महीने दस दिनकी सख्त कैदकी सजा हुअी। गांधीजीने ता० ३०-४-२८ को रविशंकर महाराजको बधाअीका पत्र लिखा :

“तुम भाग्यशाली हो। जो कुछ खानेको मिल जाय अुसीसे संतुष्ट रहते हो। सर्दी-गर्मी तुम्हें बराबर है। चिथड़े मिल जायं तो वही पहन लेते हो। और अब जेलमें जानेका सौभाग्य तुम्हें पहले मिला। अगर

अश्वर अदला-बदली करने दे और तुम अुदार बन जाओ, तो तुम्हारे साथ जरूर अदला-बदली कर लू। तुम्हारी और देशकी जय हो !”

सरदारने भाषणमें कहा :

“हजारों बारैयों और पाटनवाड़ियोंके जीवन सुधारनेवाले, मुझे सहीं अधिक पवित्र, अस ऋषिको पकड़कर सरकार समझती होगी कि मेरे पंख कट जायंगे। सरकार मेरे पख काटना चाहती है, परन्तु मेरे पंख बहुतसे हैं। सरकारको न्याय न करना हो, तो मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। मैं सरकारसे कहता हूं कि मेरे पंख तो जैसे बरसातमें घास फूट निकलता है, वैसे नये-नये फूटते रहेंगे।”

फिर भाभी चिनाभीको तहसीलदारके काममें रुकावट डालने और बेगारियोंको घमकी देनेके दो अभियोग लगाकर पकड़ लिया गया और दोनोंकी मिलाकर ८ महीने २० दिनकी सख्त कैदकी सजा दी गयी। काठियावाड़से आये हुअे दो वीरों भाभी शिवानन्द तथा भाभी अमृतलालको तथा वालोडके ही रहनेवाले त्यागी कार्यकर्ता भाभी सन्मुखलालको बुलावा आया। भाभी सन्मुखलाल पर यह आरोप था कि अेक शख्सके घरसे जब पटवारी, माल विभागका चपरासी और कुर्की अफसर जवारकी तीन बोरियां कुर्क कर रहे थे अस समय कुर्कीका काम न करनेके लिअे समझानेके अुद्देश्यसे अभियुक्तने पटवारी और सरकारी चपरासीको सामाजिक बहिष्कार द्वारा नुकसान पहुंचानेके घमकी दी। भाभी शिवानन्द और अमृतलालके विरुद्ध अेक प्रचंड पठानने दाव दायर किया था कि शिवानन्दने अस पर हमला किया और अमृतलालने मारनेवे लिअे हाथ अुठाया। भाभी सन्मुखलालको ६ महीनेकी कड़ी कैदकी सजा और भाभी शिवानन्द तथा अमृतलालको ९-९ महीनेकी सख्त सजाअें दी गयी।

थोड़े दिन बाद वांकानेर नामके अेक गांवसे १९ जनोंको डिप्टी कलेक्टरक सामान ले जानेवाली ३ गाड़ियां रोकने और दंगा-फसाद करनेके अभियोगमें गिरफ्तार किया गया। उनमें अेक गुजरात विद्यापीठका विद्यार्थी, अेक सरदारके मोटरका क्लीनर और अन्य १७ किसान थे। परन्तु उनके विरुद्ध कोअी सबूत तो था ही नहीं। अेक मनुष्यने अपने पासकी टिमटिमाती हुअी अेव लालटेनके प्रकाशमें सारे अभियुक्तोंको पहचान लिया ! अिस प्रमाण प मजिस्ट्रेटका भी तमाम मुलजिर्मोंको सजा देनेका साहस न हुआ। ५ को अदालतमें पहचान न सकनेके कारण अिलजाम लगाये बिना छोड़ देना पड़ा और ३ कं पक्के सबूतके अभावमें निर्दोष ठहराकर छोड़ दिया गया। बाकी ११ को दं अपराधोंमें ६-६ महीनेकी सख्त कैद और सापराध बलप्रयोग पर १-१ महीनेके सांदी कैदकी सजा हुअी। मानो यह नाटक काफी नहीं था, अिसलिअे अि

भाबियोंको जेलमें ले जाते समय २-२ की जोड़ीमें रस्सियोंसे बांधा गया और हाथोंमें हथकड़ियां पहनायी गयीं। वांकाणेरके पटवारीसे यह दृश्य देखा न गया और अुसने अपनी २५ वर्षकी नौकरीसे त्यागपत्र दे दिया।

सरकारको अिन कार्यकर्ताओं और किसानोंको पकड़कर कोअी लाभ न मिला। रविशंकर महाराजका केन्द्र संभालने डॉक्टर सुमंत महेता और श्रीमती शारदाबहन आ पहुंचे। अुन्होंने सरभोगमें पड़ाव डाला। मोता गांवकी श्री चिनाअीकी छावनीको डॉक्टर घिया और श्रीमती गुणवन्तीबहनने आकर सम्हाल लिया। और काठियावाड़के कार्यकर्ताओंका स्थान लेनेके लिये श्री अमृतलाल सेठ और श्री बलवन्तराय महेता स्वयंसेवक बनकर आ पहुंचे। अिनके सिवाय भाअी रामदास गांधी, कुमारी मणिबहन पटेल और श्री जेठालाल रामजी काम करनेको आ गये। सरदारको भी अब अहमदाबाद जाने-आनेकी इंड्रट नहीं रही थी। वहांके मित्रोंने यह तजवीज की थी कि वे म्युनिसिपैलिटीका अध्यक्षपद छोड़ दें। यह कहनेमें कोअी हर्ज नहीं कि अैसा करनेकी अीश्वरने ही अुनसे प्रेरणा की, क्योंकि अब अैसा समय आ गया था जब सरदारके तालुकेमें चौबीसों घंटे मौजूद रहनेकी जरूरत थी।

वैशाखकी घूप जल रही थी और अुसके साथ सरकार भी रुद्र रूप धारण करती जा रही थी। लोगोंसे तरह-तरहकी छेड़खानी करके अुन्हें चिढ़ा रही थी और यह मानती थी कि वे फसाद पर अुतर आयें तो अुसका काम बन जाय। अैन वक्त पर सरदारने लोगोंको ठीक चेतावनी दी :

“यह ध्यान रखना कि हम पर कोअी कलंक न लग जाय। कोअी मर्यादा न छोड़े। गुस्सेका कारण मिलने पर भी अभी चुप्पी साध लेना। मुझे कोअी कह रहा था कि थानेदारने किसी मनुष्यको गालियां दीं। मैं कहता हूं कि अुसकी जबान गंदी हुअी। हमें शान्ति रखनी चाहिये। अभी तो मुझे कोअी गाली दे, तो भी मैं सुनता रहूंगा। अिस लड़ाअीके सिल-सिलेमें तुम गालियां भी खा लेना। तब वह अपने आप अपनी भूल समझ जायगा। पुलिसका या कोअी और कर्मचारी अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो भी तुम अपनी मर्यादा न छोड़ना। तुम्हारी प्यारीसे प्यारी वस्तु लुट जाय, तो भी कुछ न बोलना। हिम्मत न हारना, परन्तु अुल्टे हंसना। . . . तेज, बहादुरी और अुसके साथ मैं जैसा चाहता हूं वैसा विनय — शराफत — यह कमाअी हमें यों ही कभी मिलनेवाली नहीं थी। मैं अीश्वरसे यही मांगता हूं कि अिस लड़ाअीसे अिस तालुकेके किसानोंको यह कमाअी मिले।”

और अन्तमें अन्होंने लोहे और हथोड़ेकी जो अपमा दी, वह बारडोली तालुकेमें जहां-तहां परिचित हो गयी :

“अस बार सरकारका क्रोध अबल पड़ा है। लोहा जब गरम होता है, तब लालसुर्ख हो जाता है और अुसमें से चिनगारियां अुड़ने लगती हैं। परन्तु लोहा चाहे कितना ही गरम हो जाय, हथोड़ेको तो ठंडा ही रहना चाहिये। हथोड़ा गरम हो जाय तो अपने ही दस्तेको जलाता है। लोहेको अच्छा-नुसार रूप देना हो, तो हथोड़ेके गरम होनेसे काम नहीं चल सकता। अस-लिअे कितनी ही विपत्तिमें भी हमें गरम न होना चाहिये।”

८

ये सब बातें चल रही थीं, तब अुत्तरी विभागके कमिश्नरकी कैसी मनोदशा थी, यह अुनके द्वारा सूरतके अेक डॉक्टरको लिखे गये पत्रके निम्नलिखित वाक्योंसे मालूम हो सकता है :

“लोगों पर गुजर करनेवाले और अुन्हें अुल्टे रास्ते ले जानेवाले अिन खेड़ाके आन्दोलनकारियोंके झुण्डोंसे बेचारे गरीब किसान बरबाद न हों, असके लिअे मेरे बराबर और किसीको चिन्ता नहीं हो सकती। . . . जो भी गांव यह माननेके लिअे अुचित कारण बता दे कि वह गलत तौर पर अूचे वर्गमें रख दिया गया है, अुसके मामलेकी जांच करनेको मैं तैयार हूं। परन्तु अस शर्त पर कि सारे तालुके और तहसीलकी जो बीस फी सदी तक वृद्धि हुयी है, अुसे न देनेकी बात छोड़ दी जाय।

“लगान वसूल करनेके लिअे सरकार हर संभव अुपाय करना बन्द नहीं कर सकती। अैसा न हो तो कानूनके अनुसार तय हुयी हरअेक जमाबन्दीका विरोध किया जायगा। आजके बारडोलीके आन्दोलनकर्ता वे ही लोग हैं, जिन्होंने १९१८ में खेड़ा जिलेमें कर न देनेकी लडाअी छोड़ी थी। जो लगान चुकाना चाहते हैं, अुन्हें चुकानेसे रोकनेके लिअे अुन्होंने लगभग खेड़ा जैसी ही युक्तियां यहां आजमायी हैं—यानी लगान जमा कराना चाहनेवाले लोगोंको जातिसे बाहर निकाल देनेकी, सामाजिक बहिष्कार और जुर्मानेकी धमकियां दी जाती हैं।

“ये आन्दोलनकारी खेड़ा जिलेके पांच तालुकोंसे आये हैं। अुन तालुकोंकी नअी जमाबन्दी बाढ़के कारण दो वर्षके लिअे स्थगित की गयी है। पिछले सात-आठ महीनोंमें खेड़ा जिलेमें बाढ़कष्ट-निवारणके लिअे सरकारने लगभग १ करोड़ तक रुपया अुधार दिया है। अगर ये आन्दोलनकारी

बारडोलीमें सफल हो जायं, तब तो फिर खेड़ा जिलेमें सरकारी लगान और तकावीकी वसूलीका काम खतरेमें ही पड़ जाय।”

खेड़ा जिलेके बाढ़-संकटका कमिश्नर साहबने जो अल्लेख किया है, उस सम्बन्धमें सरदारका रवैया सरकारके लिअे कितना अधिक सहायक था, यह सरदारके पहलेके अेक भाषणसे मालूम हो जाता है। उसे यहां दे देना ठीक होगा :

“जब खेड़ा जिलेमें बाढ़ आयी और लोगोंके सिर पर महान दुःख आ पड़ा, तब बाहरसे खूब मदद आयी। सरकारने भी जितना बन पड़ा किया। अिन सब बातोंके परिणामस्वरूप किसान अपनी फसल खड़ी कर सके। बादमें जब किस्तका समय आया, तब मुझे कुछ लोग यह सुझाने लगे कि अैसी आफतके कारण अिस साल लगान माफ हो जाय तो अच्छा। मैंने कहा कि नहीं। जब मैं देखता हूं कि सरकार भरसक कोशिश कर रही है और दोष रहता हो तो वह सरकारकी बुरी नियतका नहीं परन्तु स्थानीय अधिकारियोंका ही है— जिन्हें अुदारताके काम करनेकी आदत नहीं है— तब अैसी बात हो ही कैसे सकती है? अिसलिअे मैंने उस समय तमाम किसानोंसे कह दिया कि जब अीश्वरकी कृपासे तुम्हारे खेतोंमें पैदावार हुआ है, तो लगान चुका देना तुम्हारा धर्म है। करोड़ रुपयेका जो कर्ज ले रहे हैं, वह कर्ज तुम्हारे ही सिर पर है। साथ ही दस लाख रुपया सरकार मुफ्त दे रही है। अिसके अलावा लोगोंने १५-२० लाख रुपयेकी सहायता दी है। सरकारने भी मनसे या बेमनसे यथाशक्ति मदद दी है। अैसी हालतमें उसके साथ झगड़ा करना हमें शोभा नहीं देता। मैं अभिमान नहीं करता, परन्तु जो सच्ची बात है वही कहता हूं कि अगर समितिके आदमियोंने समय पर सहायता न की होती और तुरन्त बीज मुहैया न किया होता, तो सरकारको अिस वर्ष गुजरातके लगानमें ५०-६० लाखका नुकसान हुआ होता। अितने पर भी जब मैंने बारडोली तालुकेके किसानोंकी बात लिखी कि अुनके साथ अन्याय हुआ है और कितने ही किसान बरबाद हो गये हैं और यह बताया कि गुजरातमें अेक दो खड़े रहे होंगे तो अुन्हें भी आपका स्टीम रोलर कुचल डालेगा, तब मुझे जवाब देते हैं कि ‘तुम तो बाहरके हो!’”

पहले अेक बार कलेक्टरने लोगों पर आग और नुकसानके जैसे आरोप लगाये थे, वैसे कमिश्नरने नहीं लगाये। अिसके लिअे अेक सार्वजनिक भाषणमें सरदारने अुनको धन्यवाद दिया और साथ ही यह याद दिलाया कि अगर ये ‘आन्दोलनकारी’ प्रलय-पीड़ित गुजरातकी मददको न दौड़े होते और अपनी जान

जोखममें डालकर अन्होंने किसानोंको अन्न, वस्त्र और बोनके बीज वगैरा समय पर न पहुंचाये होते, तो सरकारका तंत्र टूट गया होता। साथ ही यह भी कहा कि ये ही 'आन्दोलनकारी' थे तो सरकारके दिये हुअे रुपयेका सद्व्यय हुआ और बहुतसे स्थानों पर समितिकी दुकानोंसे सस्ता बीज और अिमारती सामान मिला। अिसी कारण सरकार रुपया बचा सकी।

विपरीत बुद्धिसे प्रेरित कमिश्नरके अिस पत्रसे देशमें जबरदस्त खलबली मची। गांधीजीने 'नवजीवन' में अेक लेख लिखकर कमिश्नरकी अच्छी तरह खबर ली और लड़ाअीके मुद्देकी फिरसे सफाअी की। अन्होंने स्पष्टता की कि बारडोलीके लोग यह आग्रह ही नहीं करते कि अुन्हीकी बात मानी जाय। अुनकी मांग तो अितनी ही है कि अिसकी जांच करनेके लिये कि अुनकी शिकायत कितनी सही है अेक स्वतंत्र और निष्पक्ष पंच मुकर्रर किया जाय और वह जो फैसला दे अुस पर अमल किया जाय। कार्यकर्ताओंकी मानहानि करनेवाले कमिश्नरके आक्षेपोंके बारेमें अुन्होंने लिखा :

“कार्यकर्ताओंको बारडोलीके लोगों पर जीनेवाले और अुन्हें अुल्टे रास्ते चलानेवाले आन्दोलनकारियोंकी टोली बताया गया है। यह अपमान अैसा है कि अधिक अच्छा समय होता और लोगोंको अपनी ताकतका भान होता तो कमिश्नरसे सार्वजनिक माफी मंगवाअी जाती। अुन्हें में सूचना देता हूं कि जिन्हें वे क्रोध और सत्ताके मदमें 'आन्दोलनकारियोंकी टोली' कहते हैं, वे जनताके प्रतिष्ठित सेवक हैं, जो अपनी सेवाअें बारडोलीको बड़ा त्याग करके दे रहे हैं। अुनमें बैरिस्टर वल्लभभाभी पटेलके सिवाय वयोवृद्ध अब्बास साहब तैयबजी भी हैं। वे भी बैरिस्टर हैं और किसी समय बड़ोदेमें प्रधान न्यायाधीश थे। अिसमें अिमाम साहब वावजीर हैं, जो फकीर जैसे हैं और जिन्हें बारडोलीसे अेक कौड़ीकी अिच्छा नहीं। साथमें डॉक्टर सुमंत महेता और अुन्हीके जैसी अुनकी संस्कारी पत्नी श्रीमती शारदाबहन हैं। डॉक्टर सुमन्तकी तंदुरुस्ती कुछ समयसे बड़ी कमजोर है परन्तु वे अपने स्वास्थ्यको बड़ी जोखममें डालकर बारडोली गये हैं। कमिश्नर साहबको मालूम हो जाय कि ये चारों खेड़ाके नहीं हैं। अिनके बाद ढसाके दरबार साहब और अुनकी जबरदस्त पत्नी भक्तिबा हैं। दोनोंने देशके लिये अपने राज्यकी कुर्बानी कर दी है। वे बारडोलीके लोगों पर गुजर नहीं करते। अिनके सिवाय डॉ० चन्दूलाल और डॉ० त्रिभुवनदास वहां काम कर रहे हैं। वे भी खेड़ाके नहीं हैं। अिनके अलावा फूलचन्द शाह और अुनकी पत्नी तथा अुनके साथी शिवानन्द, जो अब तो जेलमें पहुंच गये हैं, भी खेड़ाके नहीं हैं। अन्होंने कितने ही वर्षसे अपना जीवन मूक सेवाके लिये अर्पण

जांच-समिति नियुक्त करनेका वचन दिया ? अगर आप ऐसा समझें हों तो यह आपकी भूल है।' कमालकी अुद्धतताके अस नमूनेके बाद गुजरातके नौ धारासभा-सदस्योंने अिस्तीफे दे दिये। अुन्होंने अपने पत्रमें लिखा :

“जब सरकार अपनी जिम्मेदारीका खयाल छोड़कर कानूनका गंभीर भंग कर रही है और बारडोली जैसे अुत्तम और नरम लोगोंको कुचलनेका प्रयत्न कर रही है, तब सरकारकी मनमानी नीतिके विरोधके तौर पर धारासभाके अपने स्थानसे त्यागपत्र देनेका हमें अपना फर्ज मालूम होता है।”

अुस समय बम्बयीमें कांग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक हुयी। कमिश्नरने सरदार और अुनके साथियोंको ‘लोगों पर गुजर करनेवाले, अुन्हें अुल्टे रास्ते ले जानेवाले खेड़ाके आन्दोलनकारियोंकी टोली’ बताया था। यह बात सारे देशको सिर पर किये गये प्रहार जैसी लगी थी। कार्यसमितिने यह प्रस्ताव पास करके देशमें भड़क अुठी लोकभावनाको प्रतिबिंबित किया :

“बारडोली तालुकेमें हुयी लगान-वृद्धि अन्यायपूर्ण है और गलत व अुनुचित आधार पर सुझायी गयी है। अस सम्बन्धमें जांच करनेके लिये अेक निष्पक्ष और स्वतंत्र कमेटी मुकर्रर करनेकी बारडोलीके सत्याग्रहियोंकी मांग स्वीकार न करके बम्बयी सरकार अुनके विरुद्ध जो कार्रवायी कर रही है, अुसके सामने अचल बहादुरीसे टक्कर लेनेके लिये कांग्रेसकी कार्यसमिति बारडोलीके सत्याग्रहियोंको बधायी देती है।

“और बारडोलीके सत्याग्रहियोंकी मदद पर ठीक समय और बड़ी कुर्बानी करके खड़े होनेके लिये श्री वल्लभभाभी पटेल और अुनके साथियोंको धन्यवाद देती है; और बम्बयी सरकारकी मनमानी नीतिके विरोधमें बम्बयी धारासभाके जिन सदस्योंने अपने स्थानसे त्यागपत्र दिये हैं, अुन्हें बधायी देती है।

“तथा बम्बयीकी सरकारने सत्याग्रहियोंको दवानेके लिये जौ गैरकानूनी और सख्त कार्रवायी की है, अुसके प्रति अपनी सख्त नापसन्दगी जाहिर करती है।

“साथ ही अुत्तरी विभागके कमिश्नर द्वारा सूरतके अेक डॉक्टरको लिखा हुआ पत्र समितिने पढ़ा है। अुसमें कमिश्नर द्वारा श्री वल्लभभाभी पटेल, अब्बास साहब तैयबजी और डॉक्टर सुमन्त महेता जैसे जनताके तपे हुअे और विश्वासपात्र सेवकोंको ‘लोगों पर गुजर करनेवाले, अुन्हें अुल्टे रास्ते ले जानेवाले आन्दोलनकारियोंकी टोली’ बताया गया है; और दूसरी भी बहुतसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं, जिन्हें लगभग झूठ कहा जा सकता है। अुस



पत्रको यह समिति अत्यंत अपमानजनक और अेक अूचे पदवाले अधिकारीके लिअे अशोभनीय समझती है। असलिले यह समिति बम्बयी सरकारसे कहती है कि अुस कमिश्नरसे अुस पत्रके लिअे सार्वजनिक रूपमें क्षमा-याचना कराकर अुसे वापस लेनेकी आज्ञा दे और वह अँसा न करे तो अुसे बर्खास्त किया जाय।

“अन्तमें यह समिति बम्बयी सरकारसे अनुरोध करती है कि वह सत्याग्रहियोंकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांचकी वाजिब मांगको मंजूर करे। असि लड़ाीने अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण कर लिया है, असिलिअे यह समिति लोगोंसे आग्रह करती है कि वे सत्याग्रहियोंको तन, मन और धनसे सहायता दें।”

कार्यसमितिकी बैठकके समय सरदार बंबयी गये थे। सबने अुनका खूब ही स्वागत किया। वे चाहते तो अुन सबको बारडोली खीच ले जाते, परन्तु अुन्होंने किसीसे आग्रह नहीं किया। तथापि डॉ० अन्सारी और मौलाना शौकतअली बारडोली गये। वे सत्याग्रहियोंका अनुशासन और संगठन देखकर बहुत खुश हुअे। पारसी खातेदारों पर गुजरे हुअे जुल्मोंकी बातोंसे आकर्षित होकर श्री भरूचा और श्री नरीमान बारडोली गये। बारडोलीमें पठानोंका अत्याचार देखकर अुन पर अितना असर हुआ कि श्री नरीमानने अपने अेक भाषणमें सरकारकी दमन-नीति पर सख्त प्रहार किया :

“हमें कहा जाता है कि ब्रिटिश राज्यमें शांति और व्यवस्था स्थापित हो गयी है और चोर, डाकू और लुटैरोंका नाम भी नहीं रहा। और कहीं कुछ भी हो, बारडोलीमें तो आज पठानों और गुण्डोंका राज्य है। बम्बयीमें जिन पठानोंकी गतिविधि पर पुलिस चौबीसों घंटे निगाह रखती है, अुन्हींमें से ये पठान यहां बुलवाये गये हैं। अिन भाड़ेके टट्टुओंको लाकर सरकारने जितनी अपनी लाज गंवायी है, अुतनी वह और किसी भी तरह नहीं गंवा सकती थी।”

९

ता० २७ मयीको श्री जयरामदास दौलतरामकी अध्यक्षतामें सूरतमें सूरत जिला परिषद हुआ। अैसी परिषद सूरतके लोगोंकी जानकारीमें पहले कभी नहीं हुआ थी। बारडोलीके सत्याग्रहके बारेमें लोगोंको कितना अुत्साह था, यह जाननेके लिअे यह अपूर्व दृश्य काफी था। बारडोलीके देहातोंको आंखों देखे बिना अध्यक्षपद स्वीकार करना श्री जयरामदासको ठीक नहीं लगा। असलिले अुन्होंने बहुतसे गांव देखे। और वहां जो कुछ देखा अुसका

प्रत्यक्ष चित्र अन्होंने अपने भाषणमें खींचा। लीजिये अुनके कुछ सूचक अद्गार सुनिये: “सरकार साफ तौर पर क्यों नहीं कह देती कि हम निरे पशुबल और सत्ताके जोर पर खड़े हैं? जिस बातका नीतिकी दृष्टिसे कोजी बचाव नहीं हो सकता, अुसका झूठी और भ्रामक दलीलोंसे बचाव करनेमें क्या रखा है?” पठान-राज्यकी निन्दा करते हुअे अुन्होंने कहा: “दिन-दहाड़े चोरी करनेकी घटनाके बाद अेक दिन भी अिन पठानोंको तालुकेमें रखना अिस सरकारके लिअे अत्यन्त लज्जाजनक है।” बारडोली तालुकेमें हो रहे जुल्म और तालुकेकी भव्य शांतिका वर्णन करके अुन्होंने कहा: “सरकारी चश्मा अुतारकर तालुकेके किसी भी गांवमें घूम आअिये। बारडोलीके किसान, स्त्रियां और बच्चे सभी अिन नेताओं और लोकसेवकों पर कितने फिदा हैं! जैसे बम्बअी सरकारकी अन्यायपूर्ण नीतिका काला दाग अुसके शासनमें कायम रहेगा, वैसे अुसके जिम्मेदार अुच्च अधिकारियोंकी जनसेवकोंके प्रति अुद्धतताका यह अमिट कलंक भी अुसके अितिहासमें चिर स्थायी रहेगा।”

अब बारडोलीमें मेहमानोंकी बाढ़ आने लगी। सिक्ख नेता सरदार मंगल-सिंह बारडोलीकी लड़ाअी स्वयं देखने आये और बारडोलीके गुणगान करने लगे। पंजाब प्रांतीय समितिने लड़ाअीका अध्ययन करनेके लिअे डॉ० सत्यपालको भेजा। सेठ जमनालाल बजाज अपनेको बारडोलीका यात्री मानकर धन्य समझने लगे। महाराष्ट्रसे श्री जोशी और श्री पाटस्कर तटस्थ भावसे सब कुछ देखने आये। वे असहयोगी नहीं थे, परन्तु किसानोंकी छेड़ी हुअी लड़ाअीको देखने और यह देखनेमें कि सत्याग्रह किस तरह चलाया जाता है अुन्हें दिलचस्पी थी। बारडोलीसे वापस लौटते समय श्री जोशीने अेक अंग्रेज कविका वचन अुद्धृत करके कहा: ‘हंसी अुड़ाने आये थे, परन्तु स्तुति करते जा रहे हैं।’ अिस प्रकार सरदार चाहें या न चाहें, बारडोली लोगोंकी जबान पर चढ़ गया।

सरदारने अब तक रुपयेके लिअे सार्वजनिक मांग नहीं की थी। खर्चके लिअे बारडोली तालुकेमें से ही दसेक हजार रुपये मिल गये थे। बाहरसे कुछ बिनमांगे दान आ रहे थे। परन्तु अब बाहरसे तालुकेकी मददके लिअे आनेवाले स्वयंसेवकोंकी संख्या बढ़ती जा रही थी। बाहरसे बहुतसे किसान और कार्यकर्ता लड़ाअीकी रचना देखने और रहस्य समझने आते थे। अिसलिअे सरदारने मांग की कि लड़ाअीका खर्च गुजरात और बृहत् गुजरात दे; और विशेष प्रयत्नके बिना आवश्यक रूपया आने लगा।

ज्यों-ज्यों बारडोलीका बल बढ़ता जा रहा था, त्यों-त्यों सरकारकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। मअी मासकी गरमी सरकारसे भी सहन नद्रीं

हुआ। उसने देख लिया कि अंक भी पासा सीधा नहीं पड़ रहा है। इसलिये उसने युद्ध-परिषद बुलायी। उसमें दो गुजराती मंत्री थे। अन्हें समझौतेकी अत्कंठा अधिक थी। कमिश्नर और सेक्रेटरियोंकी पहली शर्त यह थी कि वृद्धि सहित लगान पहले चुका दिया जाय, तो फिर जांचके लिये सरकारी अफसर नियुक्त करनेका विचार हो सकता है। अंक मंत्री दी० ब० हरिलालभाभी देसाभी सरदारके पुराने मित्र थे। अन्होंने मान लिया कि सरदार यह तो स्वीकार कर लेंगे। इसलिये अन्होंने उसीके अनुसार पत्र लिखा। सरदारने तारसे जवाब दिया: 'पंच मुकर्रर होनेसे पहले बढ़ा हुआ लगान देना असंभव है। पुराना लगान दिया जा सकता है, यद्यपि वह भी जब स्वतंत्र और खुली जांचकी घोषणा हो जाय, उसमें प्रमाण पेश करने और सरकारी अफसरोंसे जिरह करनेकी लोगोंके प्रतिनिधियोंको आजादी हो, जब्त की हुयी जमीनें लौटा दी जायं और सत्याग्रही कैदियोंको छोड़ दिया जाय उसके बाद।' समझौतेका यह प्रयत्न जन्मते ही मर गया और सरकारी महारथी नये शस्त्रास्त्र लेकर रणक्षेत्रमें आये।

ता० ३१ मयीके दिन सरकारने 'बारडोली और वालोड़ तालुकेके खाते-दारोंके नाम घोषणा' प्रकाशित की। उसमें कहा गया कि 'सरकारी अुपायोंसे व्यवस्थित रूपमें बच जाने, घरोंको ताला लगाकर रखने, पटेलों और बेगारियोंका बहिष्कार करने और जातिसे निकाल देनेकी धमकी' देने वगैरा लोगोंके अपराधी कृत्योंसे कुकियोंका काम व्यर्थ सिद्ध हो गया, तो फिर सरकार क्या करे? 'हमें अनिच्छापूर्वक जमीन जब्त करनी पड़ी, भैंसों और जंगम सम्पत्तिको कुर्क करना पड़ा और पठानोंकी सहायता लेनी पड़ी।' परन्तु इसमें क्या बुराही है? 'पठानोंका आचरण तो हर तरहसे आदर्श है, इस बारेमें सरकारको विश्वास है।' उसमें किसानोंको दुबारा चेतावनी दी गयी: 'अुनकी जमीन सरकारी कागजातमें खेती न करने लायक दर्ज कर दी जायगी . . . . और इस प्रकार ले ली गयी जमीन अुन्हें कभी नही लौटायी जायगी।' 'अैसी १४०० अेकड़ जमीनका फंसला हो चुका है और दूसरी ५००० अेकड़का यथासमय कर दिया जायगा।' और 'अब तक तालुका और महालके लगानके पेटे अंक लाख रुपया सरकार वसूल कर चुकी है, . . .। बहुत लोग देनेको तैयार है, परन्तु सामाजिक बहिष्कार और जातिसे निकाल देने और सजाकी धमकियोंके कारण वे लोग आगा-पीछा करते हैं। इसलिये अगर १९ जून तक लोग लगान जमा करा देंगे, तो अुनसे चौथायी दंड नहीं लिया जायगा।'।

अनेक असत्यों और अर्धसत्योंसे भरी इस घोषणाको लोगोंने सरकारके दिवालियेपनकी अंक नयी घोषणा मान लिया। भविष्यवाणी जैसे प्रतीत होने-

वाले अिन वचनोंसे सरदारने लोगोंको जमीन जब्त होने और बिक जानेका डर न रखनेके लिये प्रोत्साहन दिया :

“याद रखो कि सत्यके लिये जो बरबाद होनेको तैयार हैं, वे ही अन्तमें जीतेंगे। जिन्होंने अधिकारियोंके साथ षड्यंत्र रचे होंगे अुनके मुंह काले होंगे। अिसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ लो कि तुम्हारी जमीन तुम्हारे दरवाजे खटखटाती हुअी तुम्हारे यहां वापस आयेगी और यह कहेगी कि मैं तुम्हारी हूं।”

थोड़े दिन तक तो सरदार अपने भाषणोंमें सरकारी घोषणाकी झूठ और धमकियोंकी पोल खोलकर सरकारकी अिज्जत किरकरी करने लगे :

“सरकार कहती है कि अुसने १४०० अेकड़ जमीन बेच डाली है और अभी ५००० अेकड़ और बेचेगी। सरकारके सेटलमेन्ट कमिश्नर कहते हैं कि जमीनकी कीमत १२३ गुनी हो गयी है। सरकार जाहिर करे कि अुसने बेची हुअी जमीनकी कीमत अितनी ही ली है या कम-ज्यादा। जिस कीमत पर सरकारने जमीन बेची हो, अुसके अनुसार लगान मुकर्रर कर दे। . . .

“अुस जमीनको रखनेवालोंके सामने तो पारसी भाअियों और बहनोंकी टोलियां खड़ी होकर कहेंगी : मारो गोलियां और पचाओ जमीन। तुम्हें जमीनमें हल चलानेसे पहले हमारे खूनकी नदियां बहानी पड़ेंगी और हमारी हड्डियोंकी खाद बनानी होगी। . . .

“घोषणामें पठानोंका आचरण ‘हर प्रकारसे आदर्श’ बताया गया है, तो करो न अुनका अनुकरण। अपने अधिकारियोंसे कह दो कि अिन पठानों जैसा चालचलन रखो, फिर तो तुम्हें किसीसे नेकचलनीकी जमानत ही नहीं लेनी पड़ेगी। . . .

“सरकारको हमारा संगठन खटकता है। किसानोंको मेरी सलाह है कि जो तुम्हारे साथ दगा करे अुसे बिलकुल न छोड़ो। अुससे कह दो कि हम सब अेक नावमें बैठे हैं। तुम्हें अुसमें छेद करना हो तो नावसे अुतर जाओ, तुम्हारा हमारा कोअी वास्ता नहीं। यह संगठन हमारी रक्षाके लिये है, किसीको दुख देनेके लिये नहीं है। आत्मरक्षाके लिये संगठन न करना आत्महत्या करनेके बराबर है। पेड़को बाड़ लगाकर बचाते हैं, गेरू लगाकर दीमकसे बचाते हैं, तो जब अितनी जबरदस्त सरकारके विरुद्ध युद्ध छेड़ा है, तब किसान अपनी रक्षाके लिये बाड़ क्यों न लगाये? . . . तुम किसीकी रोजी नहीं छीन रहे हो। तुम तो केवल अुसके साथ सम्बन्ध तोड़ते हो, अुससे सेवा लेना बन्द करते हो। अैसा बेहिष्कार करना प्रत्येक समाजका जन्मसिद्ध अधिकार है।

“सरकार कहती है कि पहले रुपया जमा करा दो। चौरासी तालुकेने तो करा ही दिया है। असलिये तुमने उसके साथ क्या अइन्साफ कर दिया?... ”

“घोषणामें यह शेखी बघारी गयी है कि कुर्कीका माल लेनेवाले और जमीनों लेनेवाले मिल गये हैं। मिले भी तो कौन मिले है? माल लेनेवाले तुम्हारे ही चपरासी और पुलिसवाले। और भैसे लेनेवाले सूरतसे खुशामद करके लाये हुअे अेक-दो कसायी ही तो हैं। और जमीनों लेनेवाले सरकारके खुशामदी और सरकारी नौकरोंके रिश्तेदार, जिनकी अज्जत कैसी है सो दुनिया जानती है।”

देशमें अिस घोषणाकी कड़ी आलोचना हुयी और हरअेक प्रान्तके समाचार-पत्र बारडोलीके समाचारोंसे भरने लगे। माननीय विट्ठलभायी पटेल अिस समय बड़ी धारासभाके अध्यक्ष थे और गुजरातकी ओरसे निर्वाचित सदस्योंकी हैसियतसे वे सारी लड़ायीका दिलचस्पीके साथ अध्ययन कर रहे थे। अुन्होंने सारी परिस्थिति वाअिसराँयके सामने रखी और अिस सम्बन्धमें अपने विचार बताये। अितनेमें बम्बयी सरकारकी अुपरोक्त घोषणा प्रकाशित हुयी। तब अुन्होंने तुरन्त गांधीजीको पत्र लिखा। अुसीके साथ लड़ायीके कोषमें १००० रुपयेका चेक भेजा और जब तक लड़ायी चले यह रकम भेजते रहनेका वचन दिया। बड़ी धारासभाके अध्यक्षपद पर रहकर अिस राजनैतिक समझी जाने-वाली और सरकारके प्रति विद्रोहके रूपमें निन्दित लड़ायीके लिये अुन्होंने जो सक्रिय सहानुभूति प्रगट की, अुससे बहुताँकी सानन्दाश्चर्य हुआ और कुछको यह बात खटकी भी। गांधीजीने लिखा : ‘श्री विट्ठलभायी पटेलका पत्र देखकर किसका हृदय नहीं अुछलने लगेगा।’ सचमुच अुस पत्रसे बारडोलीमें और बाहर भी बहुताँके हृदय अुछल पड़े। बम्बयीके श्री नरीमान और बालुभायी देसायीने, कराचीके श्री नारणदास बेचरने और सिध हैदरावादके श्री जयरामदासने बम्बयीकी धारासभामें अपने स्थानोंसे त्यागपत्र दे दिये। सूरतकी परिषदमें श्री जयरामदासने ता० १२ जूनका दिन बारडोली-दिवसके तीर पर मनानेका सुझाव दिया था और कांग्रेसके अध्यक्षने अुसका स्वागत किया था। अुस दिनके आनेसे पहले बारडोली तालुकेके ६३ पटेलों और ११ पटवारियोंने अिस्तीफे दे दिये। जबसे लड़ायी शुरू हुयी, तबसे पटेल-पटवारियों पर सरदारके मीठे प्रहार होते ही रहते थे :

“अिस शासन-शकटके दो पहिये हैं : अेक पटेल और दूसरा पटवारी। या सरकारी गाड़ीके ये दो बैल हैं। ये बैल रात-दिन खूब कोड़े खाते हैं, गालियां खाते हैं। परन्तु सरकार कभी-कभी थोड़ासा गुड़ चटा देती है। वह मीठा लगता है और वे मार और गालियां सब भूलकर गाड़ी खिचते हैं।”

गांधीजीने अिन पटेल-पटवारियोंको बधाजी दी और कहा कि अन्तमें अिनके जैसे बलिदान ही हमें स्वराज्य दिलवायेंगे।

बारडोली-दिवस देशभरमें खूब अुत्साहसे मनाया गया। बारडोलीके लोगोंने चौबीस घंटेके अुपवास और प्रार्थनाओं कीं। बम्बअीके युवकोंने घर-घर घूमकर चन्दा किया। अहमदाबादके मजदूरोंने अेक-अेक आनेकी रसीदें निकालकर डेढ़ हजार रुपये अिकट्ठे किये। बारडोली सत्याग्रहके कार्यालयमें तो चैकों और मनीआर्डरोंकी बरसात ही हो गअी। अिन तमाम स्वेच्छासे आनेवाले दानोंके सिवाय कुछ दाताओंके पास मणिलाल कोठारी जैसे भिक्षुक पहुंचे। अुन्होंने बम्बअीके बैरिस्टरों और वकीलोंसे बड़ी-बड़ी रकमें लीं। अच्छा चैक न दें तो अपनी मोटरकार दे दीजिये, और वह न दें तो जब तक लड़ाअी चालू रहे तब तक अिस्तेमालके लिअे ही दे दीजिये। अिस प्रकार तालुकेके कार्यकर्ताओंके सफरके लिअे अुन्होंने चार मोटरें प्राप्त कीं और सत्याग्रहका चन्दा दो लाख तक पहुंचा दिया।

## १०

अब तक जब्तीके नोटिसोंकी संख्या ५००० तक पहुंच गअी थी। अब सरकार जब्त हुआी जमीनोंको लुकछिपकर बेचनेके बजाय खुले नीलाम द्वारा बेचनेका ढोंग करने लगी। गांव-गांवमें लोगोंने ठहराव किये कि अिस प्रकार जमीन लेनेवालोंकी जमीनमें कोअी खेती न करे, और मजदूरी या और किसी तरहकी मदद न करे। बारडोलीसे बाहरके अेक पारसीने थोड़ी जमीन खरीद ली। अुसकी जाति और शहरके आदमियोंने अुसके कड़े बहिष्कारका प्रस्ताव किया। सरदारने 'बारडोली-दिवस' के अुपलक्ष्यमें बारडोलीमें भाषण देते हुआे अैसे जमीन खरीदनेवालोंको कड़ी चेतावनी दी:

“किसी भी किसान या साहूकारकी चप्पाभर जमीन भी जब तक जब्त रहेगी, तब तक यह लड़ाअी खतम नहीं होगी। अुस पर तो हजारों किसान अपने सिर कटा देंगे। यह कोअी धर्मराजका गुड़ नहीं लुट रहा है कि भड़ौंच जाकर अेक घासलेटवाला पारसीको ले आये, जो जैसा जीमें आये लूट मचा दे। यह तो किसानोंका खून पीने आना है। अैसा करने-वालेके साथ अीश्वर भी अिस जीवनमें कैसा न्याय करता है सो न भूलना। पक्का समझ लो कि मुफ्तमें जमीन लेनेको आनेवालेकी दशा अुस नारियल लेनेके लिअे जानेवाले लोभी ब्राह्मण जैसी होगी।”

मोताके अेक सज्जनको डिप्टी कलेक्टरने कअी बार समझाया: 'तुम्हारी बाड़ीके फल खाये हैं, अुसे मैं नीलाम कैसे करूं? अिसलिअे मेहरबानी करके

लगान जमा करा दो न। किसीको जरा भी पता नहीं चलने दूंगा।' वे सज्जन दूढ़ रहे। तब अेक वृद्ध पेंशनरसे अिस अफसरने कहा, 'आपके मित्रने अपनी तरफसे रुपया जमा करा देनेको आपसे कहलवाया है।' वे पेंशनर भुलावेमें नहीं आये और जांच करके देखा तो बात गलत निकली। मोतामें जाकर सरदारने अपनी कअी करारी अपुमाओंमें से अेकको काममें लेकर अुस अफसरको अैसा कर दिया कि गांवमें मुंह दिखाना कठिन हो गया :

“दो तरहकी मक्खियां होती है। अेक मक्खी दूर जंगलमें जाकर फूलोंसे रस लेकर शहद बनाती है। दूसरी मक्खी मैले पर ही बैठती है और गंदगी फैलाती है। अेक मक्खी संसारको शहद देती है, तो दूसरी छत फैलाती है। सुना है ये छूतकी मक्खियां तुम्हारे यहां काम कर रही हैं। अुन मक्खियोंको अपने पास आने ही न दो। अपनेमें गंदगी और मैल ही न रखो, जिससे वे मक्खियां तुम्हारे पास आयें।”

बारडोलीमें अिस लड़ाीके लिये खास तौर पर रेसिडेण्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। तालुकेमें अपराध तो होते ही न थे। कोअी जुर्म करता होगा तो पुलिसके आदमी, सरकारके लाये हुअे पठान और सरकारी कर्मचारी ही करते थे। परन्तु अिससे क्या मजिस्ट्रेटको बेकार रहने दिया जाय ? कलेक्टर साहब बारडोली आये थे। अुनकी गतिविधिकी देखरेख रखनेके लिये अेक स्वयंसेवक सरकारी बंगलेसे थोड़ी दूर रास्तेके सामनेकी तरफ बैठा था। कलेक्टरको यह पसन्द न आया। अुसे बुलवा लिया और थानेदारके सुपुर्द कर दिया। अुसने चेतावनी देकर स्वयंसेवकको छोड़ दिया। अिस बीच अुसका स्थान विद्यापीठके विद्यार्थी दिनकर महेता और अेक दूसरे स्वयंसेवकने ले लिया। अुन दोनोंको पकड़ लिया गया। अिसलिये अुनकी जगह जिसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था, अुसी स्वयंसेवकने ले ली तो अुसे भी गिरफ्तार कर लिया। परन्तु अुस पर दफा कौनसी लगाअी जाय ? आम रास्ते पर आवारा फिरनेवालोंकी दफा तैयार थी। तीनों युवकोंको ५० रुपये जुर्माने या दो महीनेकी सजा दे दी गअी। मजिस्ट्रेटने फैसलेमें लिखा : 'ये अभियुक्त बारडोलीमें सरकारी बंगलेके सामने जब वहां कलेक्टरका मुकाम था आवारा फिरते थे और आने-जानेवालोंके रास्तेमें रुकावट डालते दिखाअी दिये थे।' परन्तु रुकावट किसके रास्तेमें डाली गअी थी ? कैसी रुकावट डाली गअी थी ? अिसके सबूतकी कोअी जरूरत नहीं थी ! तीनोंने जुर्माना न देकर जेल जाना पसन्द किया। दूसरे दिन बहुतसे स्वयंसेवक जेल जानेके अनायास ही प्राप्त हुअे अिस अवसरसे लाभ अठानेको वहां जमा हो गये, परन्तु अुन्हें किसीने नहीं पकड़ा।

नानी फरोद नामक गांवके निवासी भवानभाओी हीराभाओी नामक गाय जैसे गरीब किसान पर कुर्की अफसरको रोकनेके लिये दरवाजे बन्द करने और उसे चोट पहुंचानेका आरोप लगाया गया। उसकी वीर पत्नीने कहा कि यह अपराध किसीने किया है तो मैंने किया है, दरवाजा मैंने बन्द किया है। अतने पर भी उसे नहीं पकड़ा गया और भवानभाओीको छः मासकी सख्त कैदकी सजा दे दी गयी। पतिको जेलके लिये बिदा करते हुअे उस वीरांगनाने जो शब्द कहे, वे अुल्लेखनीय हैं:

“देखना हो, कोओी कमजोर बात न निकले। जेलरसे कहना, तुझसे जितना दुःख दिया जाय दे ले। मेरी या बच्चोंकी तरफ न देखना। हिम्मत रखना और डटकर जवाब देना। क्या करूं? मुझ पर मुकदमा नहीं चलाया, नहीं तो बता देती। मन भर पीसनेको देते तो डेढ़ मन पीस कर रख देती। मेरे पति जेल जानेको तो तैयार हैं, परन्तु जरा ठंडे स्वभावके हैं, इसलिये बोलना नहीं आता। जैसे समय तो ऐसा जवाब देना चाहिये कि सरकारमें जितने भी हों वे सब याद रखें।”

बारडोलीकी बहनोंकी ऐसी वीरता और हिम्मतका इस लड़ाओीमें बहुत बड़ा हिस्सा था।

खेड़ा सत्याग्रहके दिनोंमें सरकारका प्रकाशन-विभाग नहीं खुला था। बोरसद सत्याग्रहमें उसके कुछ-कुछ दर्शन हुअे थे। परन्तु इस बार तो उसे पत्रिकाओं निकालनेका शौक चर्चाया था और अनमें रोज-रोज सरकारकी अिज्जतकी कलओी खोलनेवाले नमूने प्रकाशित होते जा रहे थे। अेक पठान नमक चुराते हुअे पकड़ा गया, तो प्रकाशन-विभागके अधिकारीने कहा: ‘पुलिसको मालूम हुआ है कि यह मामला झूठे मुकदमेका माना जाना चाहिये।’ अेक पठानने अेक सत्याग्रही पर छुरेसे हमला किया, तब हमलेसे तो अनिकार नहीं किया गया, परन्तु कह दिया गया कि छुरा भोंकनेका अिरादा नहीं था। अेक पठान कुअें पर नंगा खड़ा था, तो कहा गया कि पठानका अुद्देश्य बुरा नहीं था। फिर जब अनि ‘आदर्श आचरण’ वाले पठानोंको तुरन्त तालुकेसे हटानेका हुकम हुआ, तब प्रकाशन-विभागने लिखा: ‘अब वर्षाऋतु आरंभ हो गयी है, इसलिये पठानोंकी जरूरत थोड़ी ही रहेगी।’ साथ ही दलीलें दीं: ‘बनिये पठानोंको चौकीदार रखते हैं, तब उसके विरुद्ध तो कोओी कुछ नहीं कहता। तो फिर सरकार पठानोंको रखे, इसमें क्या खराबी है?’ कलेक्टर साहब ‘किसानोंके लिये शुभ वचन’ प्रकाशित करते थे, वे तो इस प्रकाशन-विभागको भी मात करनेवाले थे। अन शुभ वचनोंमें सरदार और उनके साथियोंको ‘दुराग्रही’ विशेषणकी बख्शिश दी गयी। अुन्हें ‘बारडोली तालुकेमें जिनकी गंवानेके लिये कोओी जमीन



नहीं, ऐसे परदुःखोत्पादक ऋषि' कहा गया। सरदारने जो यह कहा था कि जब्त हुआ जमीनको हजम करनेसे पहले स्वयंसेवकोंके खूनकी नदियां बहेंगी और उनको हड्डियोंकी खाद बनेगी, उस पर लिखा :

“अब तो तत्त्वज्ञान और शान्तिके पाठ भी भुलाये जा रहे हैं। शान्तिकी बातें अब शान्त होने लगी हैं और लड़ाई व रक्तपातकी गंभीर ध्वनि अिन परदुःखोत्पादक ऋषियोंके मुंहसे सुनायी देने लगी है। गोलीबार और हड्डियोंकी खाद वगैराकी बातें शान्तिके अपासकोंके मुंहसे निकलने लगी हैं।”

## ११

श्री कन्हैयालाल मुंशी उस वक्त बम्बयी धारासभाके सदस्य थे। अन्होंने गवर्नरको पत्र लिखकर अनुरोध किया कि अगर वे बारडोलीके मामलेमें दखल नहीं देंगे, तो जो मुद्दा है वह बदल जायगा और बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। अपने पत्रके आरंभमें अन्होंने कहा था कि मैं वैधानिक अपायोंको मानने-वालेकी हैसियतसे पत्र लिख रहा हूं, 'कर न देनेवाले असहयोगीके तौर पर नहीं।' गवर्नरने अन्हें लम्बा उत्तर दिया। उसमें कहा कि 'बारडोलीमें सविनय भंगका शस्त्र चलाकर सरकारको दबानेका प्रयत्न हो रहा है।' लोगोंकी शिकायतकी दुबारा जांच हो चुकी है। क्योंकि जब माल-मंत्री मि० रू छट्टी पर गये, तब मि० हैच नामक अत्यन्त अनुभवी माल-अधिकारी उनको जगह पर आये। अन्होंने निष्पक्ष बुद्धिसे तमाम कागजात देख लिये और अन्हें अितमीनान हो गया है कि किराये वगैरा निकाल दें, तो भी मालके भाव और जमीनोंकी बिक्रीकी कीमत वगैराको ध्यानमें रखकर सरकारने जो वृद्धि की है, वह जितनी चाहिये थी उससे कम है। अगर फिर जांच की जाय तो परिणाम यह होगा कि लगान कुछ भी कम होनेके बजाय अुल्टे बहुत बढ़ जायगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकारका अेक भी सदस्य अैसा नहीं, जिसे विश्वास न हो गया हो कि सरकार द्वारा बढ़ाया हुआ लगान न्यायपूर्ण ही नहीं, परन्तु अुदारतापूर्ण भी है।' अिस पर श्री मुंशीने जवाब दिया कि 'अगर आपकी कही हुआ बात सही हो, तो स्वतंत्र जांच-कमेटी मुकर्रर करके सरकार लोगोंसे यह स्वीकार करानेका अवसर हाथसे क्यों जाने देती है कि वह न्यायपरायण और अुदार है? अब गवर्नरने सरकारके जीमें सचमुच जो कुछ था वह बताया। 'आपकी सूचनानुसार सरकार शासन करनेका अपना निर्विवाद अधिकार किसी स्वतंत्र कमेटीको क्यों सौंप दे? मैं हर तरह परिस्थितिसे निपट लेनेको तैयार हूं। परन्तु कोअी भी सरकार खानगी व्यक्तियोंको अपनी लगाम हरगिज नहीं सौंप सकती। अैसा होने दे तो सरकार सरकार नामके योग्य ही न रहे।'

अस विचित्र विधानके अुत्तरमें गांधीजीने फिर अेक बार लोकपक्षका सत्य स्वरूप व्यक्त करनेवाला लेख लिखा और सरकारकी अपनाजी हुआ गलत वृत्तिका भण्डाफोड़ किया :

“गवर्नर महोदय कहते हैं कि राज्य और प्रजाके बीच स्वतंत्र जांच हो ही नहीं सकती । यह कहकर वे लोगोंकी आंखोंमें धूल झोंक रहे हैं । स्वतंत्र जांच भी सरकारी जांच ही होगी । न्यायविभाग शासनविभागसे स्वतंत्र होने पर भी सरकारी विभाग ही है । यह किसीने मांग नहीं की कि कमेटीकी नियुक्ति लोग करें । परन्तु लोगोंकी यह मांग है कि जैसे अदालतोंमें निष्पक्ष अधिकारियों द्वारा जांच होती है, अुसी तरह बारडोलीके लगानके मामलेकी भी जांच हो । असमें सरकारके शासनकी बागडोर छोड़ देनेकी बात ही नहीं; हां, मनमानी नादिरशाही छोड़ देनेकी बात अवश्य है । अगर लोगोंको स्वराज्य मिलनेवाला है और अुन्हें अुसे लेना है, तो अस नादिरशाहीका सर्वथा नाश होना चाहिये ।

“अस दृष्टिसे बारडोलीकी लड़ाीने अब व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, या हमारे सौभाग्यसे सरकारने अुसे व्यापक रूप दे दिया है ।

“श्री मुंशीका यह स्वीकार कर लेना खेदकी बात है कि सत्याग्रहका शस्त्र अवैधानिक है । अब वह जांचा हुआ शस्त्र माना जा सकता है । जब दक्षिण अफ्रीकामें अुसके प्रयोग हुअे थे, तब लॉर्ड हार्डिगने अुसका बचाव किया था । चंपारनमें बिहार सरकारने अुसे स्वीकार करके कमेटी मुकर्रर की थी । बोरसदमें श्री वल्लभभाभीने अिसी शस्त्रका अपुयोग किया था और मौजूदा गवर्नर महोदयने ही अुसे मानकर लोगोंके साथ न्याय किया था । अब वह शस्त्र कैसे कानूनके विरुद्ध माना जाय, यह समझमें नहीं आता ।

“परन्तु सत्याग्रह कानूनके विरुद्ध हो या न हो, अस समय यह सवाल नहीं है । लोगोंकी मांग वाजिब हो, तो अुनका मांग करनेका तरीका कुछ भी हो, अससे अुसका औचित्य घट नहीं जाता ।”

गवर्नरका जवाब कट्टर विधानवादीको संतोष देनेवाला नहीं था । श्री मुंशीने अस बातको यहीं नहीं छोड़ दिया । अुन्होंने गवर्नरसे मुलाकात की और जब अुस मुलाकातसे भी संतोष नहीं हुआ, तो अुन्होंने बारडोली जाकर वस्तुस्थितिको आंखों देखनेका निश्चय किया । अुन्होंने बारडोली आकर बहुतसे गांव देखे, बहुतसी सभाओंमें शरीक हुअे, बहुतसे स्त्री-पुरुषोंसे बातचीत की और अस जांचके परिणामस्वरूप अुन्हें ‘अपना विरोध प्रगट करनेका अत्यन्त गंभीर प्रकार अख्तियार करनेकी दुःखदायक आवश्यकता पैदा हुआ’ महसूस हुआ । अुन्होंने १७ जूनको गवर्नरको अेक वीरतापूर्ण पत्र लिखा, जो अस लड़ाीके

इतिहासमें एक महत्त्वका दस्तावेज बनकर रहेगा। देशके तमाम पत्रोंमें वह प्रकाशित हुआ। उस पत्रके कुछ अंश यहां दिये जाते हैं :

“वहां ८०,००० स्त्री, पुरुष और बच्चे सुसंगठित विरोध करनेकी अटल वृत्तिसे बैठे हैं। आपके कुर्की अफसरको हजामके लिअे मीलों तक भटकना पड़ता है। आपके अेक अफसरकी मोटर कीचड़में फंस गयी थी। वह अगर आपके कहनेके अनुसार ‘लोगों पर गुजर करनेवाले आन्दोलनकारी’ श्री वल्लभभायी न होते, तो जहांकी तहां पड़ी रहती। श्री गार्डको, जिन्हें हजारोंकी कीमतकी जमीन पानीके मोल बेच दी गयी है, अपने घरके लिअे झाड़ू लगानेवाला भंगी नहीं मिलता। कलेक्टरको श्री वल्लभभायीकी अिजाजतके बिना स्टेशन पर अेक सवारी भी नहीं मिलती। मेने जिन थोड़ेसे गांवोंको देखा, उनमें अेक भी पुरुष या स्त्री मुझे अैसी नहीं मिली, जिसे अपने पसन्द किये हुअे रवैये पर अफसोस हो या जो अपने स्वीकार किये हुअे धर्ममार्गमें डगमगा रही हो। . . . सरकारी रिपोर्टोंमें यह कहा गया है कि यह आन्दोलन तो कृत्रिम रूपसे खड़ा किया हुआ आन्दोलन है और लोगों पर अनुकी अिच्छाके विरुद्ध लाद दिया गया है। नरमसे नरम शब्दोंमें कहूं तो यह बिलकुल गलत है। लोग आपकी सरकारके लोगोंको थर्रा देनेके प्रयत्नोंकी हंसी अुड़ाते हैं। . . . यह सब बातें मैं अिस आशासे लिख रहा हूं कि मेरे जैसोंके निजी अनुभव जानकर आप और आपकी सरकारके हृदयमें और कुछ नहीं तो वस्तुस्थितिकी स्वयं जांच करनेकी अिच्छा अुत्पन्न हो। . . . अपने प्रिय ढोरोंको लूट ले जानेसे बचानेके लिअे स्त्री, पुरुष और बच्चे पशुओंके साथ तीन-तीन महीनेसे अपने छोटे और अस्वास्थ्यकर घरोंमें बन्द हैं। जब मैं खाली और सुनसान गांवोंमें होकर गुजरा, तब वहां अेक पक्षी भी नहीं फड़क रहा था, सिर्फ रास्तेके कुछ कोनों पर लोगोंने पहरेदार लगा रखे थे। कही कुर्की अफसर न आ रहा हो, अिस डरसे स्त्रियां खिड़कियोंके सीखचोंमें से कहीं-कहीं देखती हुयी नजर आ रही थी। जब अुन्हें अितमीनान हो गया कि मैं कुर्की अफसर नहीं हूं, तब अुन्होंने अपने घरोंके दरवाजे खोले और मुझे अन्दर आने दिया। जब मेने अनु घरोंका अन्धेरा, गोबर-कचरा और दुर्गंध देखी और कुर्की कर्मचारियोंकी निष्ठुरताके शिकार होने देनेकी अपेक्षा रोगसे पीले पड़े हुअे फोड़े-फुंसीवाले दुःखी ढोर देखे, अुनके साथ अेक ही कमरेमें बन्द रहना बेहतर समझनेवाले स्त्री, पुरुष और बच्चोंकी अपने प्यारे मवेशियोंके लिअे अब भी लम्बे समय तक यह कारावास स्वीकार करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा सुनी, तब मुझे विचार करना ही पड़ा कि कुर्कीकी अिस निष्ठुर नीतिकी कल्पना करनेवालोंकी, अुसे अमलमें लानेवालोंकी सस्तीकी

और उसे मंजूरी देनेवाली राजनीतिकी मिसाल मध्यकालीन युगके इतिहासके पन्नोंके सिवाय और कहीं भी मिलनी मुश्किल है।

“... कानूनका केवल शब्दार्थ करके माने जानेवाले अपराधोंके लिये गैरमामूली सख्त सजाओं, शोखीभरी घोषणाओंकी गर्जनाओं और सरकारके खांडेकी खड़खड़ाहटसे लोगोंमें अपहासके सिवाय और कुछ पैदा नहीं होता।”

वे अपने पत्रके अन्तिम भागमें बारडोलीके प्रश्न पर धारासभामें सरकारको मिले हुए बहुमतकी पोल खोलते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकारसे बहुमत प्राप्त करके सरकारने किसी भी विधानवादीका सरकारके पक्षमें खड़ा रहना मुश्किल कर दिया है। और इसलिये मेरे लिये यही उत्तर देना बाकी रह जाता है कि ‘धारासभाके अपने स्थानसे त्यागपत्र देकर मैं अपने समस्त प्रान्त-व्यापी निर्वाचक-मण्डलसे (क्योंकि वे बम्बयी विश्वविद्यालयके प्रतिनिधिके रूपमें धारासभाके सदस्य थे) अपील करके इस मुद्दे पर अपना निर्णय प्रगट करनेका सुझाव दूँ।’

श्री मुंशी अपने स्थानसे अिस्तीफा देकर सन्तोष मानकर नहीं बैठे रहे। लोगोंको दबानेके लिये जो अपाय किये गये थे, उनकी कानूनकी दृष्टिसे जांच करनेके लिये अन्होंने एक समिति बनायी। इस जांचमें मदद देनेको सरकारको भी निमंत्रित किया गया, परन्तु सरकारने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। समितिनै यह खास तौर पर सावधानी रखी कि वह अपने निर्णय जैसे ही प्रमाणोंके आधार पर करे, जो काफी मात्रामें मिलें और जिन पर अंतराज न किया जा सके।

## १२

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और भारतीय व्यापारियोंके चैम्बर ऑफ कॉमर्सके अन्य सदस्योंने अब समझौता करानेकी कोशिश की। यह निश्चित कर लेनेको कि सत्याग्रहियोंकी कमसे कम मांग क्या हैं, वे गांधीजीसे साबरमती आश्रममें मिलने गये और वहां सरदारसे भी मौजूद रहनेका अनुरोध किया। गांधीजीसे मिलनेके बाद सर पुरुषोत्तमदास, श्री मोदी और श्री लालजी नारणजी डेपुटेशनके रूपमें गवर्नरसे मिलने पूना गये। गवर्नर महोदयका कमसे कम यह आग्रह तो था ही कि किसानोंको बढ़ा हुआ लगान पहले जमा करा देना चाहिये या अन्तमें कोअी तटस्थ व्यक्ति वृद्धिके बराबर रकम सरकारी खजानेमें अमानत रख दे, उसके बाद ही दुबारा जांच की जाय। बादमें सर पुरुषोत्तमदास सरदारसे मिले। दोनोंको लगा कि सरकार और सत्याग्रहियोंमें कोअी मेल नहीं बैठ सकता। परिणामस्वरूप श्री लालजी नारणजीने धारासभाके अपने स्थानसे

त्यागपत्र दे दिया। उसमें साफ कह दिया कि लोगोंकी निष्पक्ष जांचकी मांग स्वीकार करनेसे पहले बढ़ी हुयी दरके अनुसार लगान जमा करा देनेकी अनुसे मांग करना बिलकुल बेजा है।

अिन समझौतेकी बातोंसे लोग अपने निश्चयमें जरा भी ढीले न पड़ें, अिसके लिये सरदार अुन्हें बार-बार कहते रहते:

“आमको बेवक्त तोड़ेंगे तो खट्टा लगेगा और दांत खट्टे हो जायंगे। परन्तु अुसे पकने देंगे तो वह अपने आप गिर पड़ेगा और अमृत जैसा लगेगा। अभी समझौतेका समय नहीं आया। समझौता कब होगा? जब सरकारकी मनोदशा बदलेगी, जब अुसका हृदय-परिवर्तन होगा, तब समझौता होगा। तब हमें लगेगा कि अुसमें कुछ मिठास है। अभी तो सरकार अीर्ष्या-द्वेषसे जल रही है।”

मित्रोंसे भी अुन्होंने बार-बार कह दिया था कि जल्दी न कीजिये। लोगोंमें अितनी जागृति हुयी है, अुस पर पानी न डालिये।

अब नरमदलके नेताओंको महसूस हुआ कि अिस लड़ाकीका अध्ययन करके अुन्हें भी अपनी राय जाहिर करनी चाहिये। जूनके तीसरे सप्ताहमें पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ‘सर्वेण्ट्स ऑफ अिडिया’ के सम्पादक श्री वझे तथा ठक्करबापा बारडोली आये। अुन्हें अितनी ही जांच करनी थी कि नअी जमाबन्दी आर्थिक दृष्टिसे ठीक है या नहीं। अिसलिये सरकारकी दमन-नीतिके बारेमें, लोगोंके संगठनके बारेमें या बारडोलीमें होनेवाले रचनात्मक कामके विषयमें कुछ भी देखनेसे अुन्होंने सधन्यवाद अिनकार कर दिया। लैण्ड रेवेन्यू कोड तथा सेटलमेण्ट मैनुअलके अनुसार यह जमाबन्दी कहां तक अुचित है, अिसकी प्रत्यक्ष जांच अुन्होंने बहुतसे गांवोंमें घूमकर की और वे अिस राय पर पहुंचे कि ‘दुबारा जांचकी मांग पूरी तरह न्यायपूर्ण है,’ और ‘वीरमगांव तालुकेकी नअी जमाबन्दी पर जब पुनर्विचार करना सरकारने जाहिर कर दिया है, तब बारडोलीकी जमाबन्दी पर भी दुबारा विचार करनेका केस अितना मजबूत बन जाता है कि अुसका जवाब नहीं दिया जा सकता।’ श्री वझेने अेक विशेष टिप्पणी प्रकाशित की, जिसमें अुन्होंने अिस बात पर खास तौर पर जोर दिया कि ‘बारडोलीकी वर्तमान लड़ाकी शुद्ध आर्थिक लड़ाकी है और सामूहिक सविनय भंगका अेक अंग नही है’:

“मझे अपनी जांचसे सन्तोष हो गया कि अिस आन्दोलनके संचालक बारडोलीके किसानोंके साथ जो क्रूर अन्याय हुअे हैं, अुन्हें दूर करानेके लिये भरसक प्रयत्न करनेके सिवाय और किसी अदृश्यसे अिस लड़ाकीको

आगे चलानेके लिये प्रेरित नहीं हुये हैं। इस लड़ाईमें व्यापक राजनैतिक अद्देश्य बिलकुल नहीं है। फिर भी सरकार अैसे अद्देश्यका आरोपण करती है, यह अत्यन्त अनुचित और अन्यायपूर्ण है।”

अिन तीन सज्जनोंकी रिपोर्ट अुनकी शान्त और तटस्थ विचारसरणीके योग्य ही थी। अुसमें अेक भी व्यर्थकी तफसील नहीं थी और न अेक भी व्यर्थका विशेषण था। अलग-अलग राजनैतिक दलोंके नेताओं पर अुसका बड़ा असर हुआ। ठीक अिसी समय भाभी मणिलाल कोठारीने सारे देशका दौरा कर डाला। वे अनेक दलोंके नेताओंसे मिले। अुन्हें बारडोलीके मामलेसे और बारडोलीकी परिस्थितिसे परिचित कराया और अुनसे अपने-अपने विचार प्रगट करनेका अनुरोध किया। अिसका सुन्दर परिणाम हुआ। अिन नेताओंने अेकके बाद अेक अपने विचार अखबारोंमें प्रगट किये, जिससे लोग अिस सम्बन्धमें विचार करने लगे। पंडित मोतीलाल नेहरूने अेक लम्बे अखबारी बयानमें कहा :

“में यह समझा हूं कि सरकार दुबारा जांच करनेको तो तैयार है, परन्तु जांच करनेसे पहले बड़ा हुआ सारा लगान जमा हो जानेका आग्रह करती है। सरकारका यह रवैया बड़ा अजीब मालूम होता है। अगर वृद्धि प्राथमिक प्रमाणसे ही अनुचित और अन्यायपूर्ण हो और अुस पर फिरसे विचार होनेकी जरूरत हो, तो अुस वृद्धिको वसूल करनेकी मांग करना बिलकुल अनुचित और न्यायविरुद्ध है।”

सर अली अिमामने अपनी राय जाहिर की कि बारडोलीमें पैदा हुअी गंभीर परिस्थितिका निराकरण ‘दोनों ओरके प्रतिनिधियोंकी जांच-समिति नियुक्त होनेसे ही हो सकता है।’ श्री चिन्तामणिका मत भी अुतना ही असंदिग्ध था। अुन्होंने कहा :

“जनस्वभाव अितना टेढ़ा या अुल्टी समझवाला हो नहीं सकता कि अितने अधिक लोग अितनी जबरदस्त सरकारके साथ, जिसकी मरजी ही कानून है और जिसका कानून अकसर अुसके अविवेकका सम्य पर्याय होता है, बिना कारण अैसी लड़ाई छेड़ें, जिसमें अुनका लाभ कुछ भी नहीं और हानि सर्वस्वकी है। . . जांच करनेसे पहले सरकार बड़ा हुआ लगान अदा करनेकी जो मांग करती है, वह तो अेक खिलवाड़ ही है।”

अिससे आगे बढ़कर अुन्होंने घोषित किया कि बारडोलीका सत्याग्रह ‘वैध आन्दोलन’ के अर्थमें आ सकता है और नरमदलके सिद्धान्तोंसे जरा भी असंगत नहीं है। सर तेजबहादुर सप्रूने कहा :

“सरकारकी प्रतिष्ठाके लिये मुझे तो आवश्यक जान पड़ता है कि लगान-वृद्धिके सम्बन्धमें बारडोलीके लोगोंकी जो शिकायत है अुसीके बारेमें

नहीं, परन्तु लगान वसूल करनेके लिये तथा परिस्थितिसे निपटनेके लिये की गयी कार्रवायियोंके बारेमें जो आक्षेप हो रहे हैं, उनको जांच करनेके लिये भी एक स्वतंत्र समिति मुकर्रर होनी चाहिये।”

विदुषी बेसेण्टको भी बारडोली सत्याग्रहके न्यायपूर्ण होनेके बारेमें कोअी शंका नही मालूम हुअी और अन्होंने लड़ाकीका समर्थन किया।

सारे देशके भारतीय समाचारपत्र तो सत्याग्रहियोंके पक्षमें थे ही। अँग्लो-अिडियन पत्रोंमें बम्बअीके ‘टाअिम्स ऑफ अिडिया’ के अपवादके सिवाय अन्य अधिकांश अखबार तटस्थ अथवा मौन थे। परन्तु अलाहाबादके ‘पायोनियर’ और कलकत्तेके ‘स्टेट्समैन’ने नौकरशाहीका पक्ष लेनेकी अँग्लो-अिडियन पत्रोंकी बेहूदा प्रथाको अिस बार तोड़ दिया और दोनोंने बारडोली सत्याग्रहकी हिमायत की। ‘पायोनियर’ने लिखा :

“मुख्य मुद्दा स्वीकार करना ही चाहिये कि बारडोलीकी लड़ाकीका कोअी भी निरपेक्ष निरीक्षक अिस निर्णय पर आये बिना रह ही नहीं सकता कि न्याय किसानोंके पक्षमें है। बढ़ाये हुअे लगान सम्बन्धी मामला निष्पक्ष न्याय-समितिके सामने रखनेकी अुनकी मांग न्यायपूर्ण और अुचित है।”

## १३

बारडोलीमें अब नाजुक स्थिति आ रही थी। लोगोंके अुत्साहकी बढ़ तो बढ़ती ही जा रही थी। सूरत जिला परिषदका अुल्लेख पहले किया जा चुका है। भड़ौचमें श्री नरीमान, नड़ियादमें श्री खाड़िलकर और अहमदाबादमें श्री केलकरकी अध्यक्षतामें जिला परिषदें हुअी। भड़ौचमें सरदारने कहा : ‘अगर सरकारकी नियत जमीन पर हो, तो मै अुसे चेतावनी देता हूं कि अगले मौसममें मैं अेक सिरसे दूसरे तक तालुकेमें आग लगा दूगा, परन्तु यों ही तो अेक पैसा भी नहीं देने दूगा।’ अहमदाबादमें कहा : ‘तुम्हें घमंड होगा कि हमारे पास रावणसे भी अधिक सामर्थ्य है। परन्तु रावण बारह महीने तक अेक बगीचेमें बन्द अबलाको भी बसमें नहीं कर सका और अुसका राज्य नष्ट हो गया। यहां तो अस्सी हजार सत्याग्रही है। अुनकी टेक छुड़वानेवाला कौन है?’ जहां सरदार जानेवाले हों, वहां लोग पागल होकर अुन्हें सुननेको जाते थे। श्रीमती शारदाबहनने अुनके बारेमें बोलते हुअे कहा था : ‘अुनका अेक अेक शब्द अन्तरकी गहराअीसे ही निकलता प्रतीत होता है। वल्लभभाअी अीश्वरी प्रेरणासे ही बोलते हैं। परिस्थिति अुन्हें वाचा देती है और सुननेवालेको अुच्च भूमिकामें ले जाती है।’

लोकजागृतिकी अिस अुमड़ती हुअी बाढ़ने बहुतोंको अपनी घोर निद्रासे जगा दिया। 'टाअिम्स आफ अिंडिया' भी जागा। अुसने अपना विशेष सम्वाद-दाता बारडोली भेजा।

महादेवभाभी लिखते हैं:

“किसी पापीको पुण्य खटकता है, स्वेच्छाचारीको संयम खटकता है, अव्यवस्थितको व्यवस्था खटकती है और स्वार्थीको त्याग खटकता है। अिसी तरह 'टाअिम्स' के अिस सम्वाददाताको अपनी टेकके लिये बरबाद होने बैठे हुअे किसानोंका निश्चय खटका, जबानसे निकलते ही हुअम बजा लानेवाले स्वयंसेवकोंका अनुशासन और तालीम खटकी और अपने सरदारकी आंखोंका प्रेम देखकर पागल बननेवाली वीरांगनाओंकी भक्ति खटकी। अुसने तो यह मान रखा था कि बारडोलीके २५० स्वयंसेवक लोगोंके पैसोंसे मौज अुड़ा रहे होंगे; स्वराज्यकी छावनीमें पड़े सो रहे होंगे। परन्तु बारडोलीमें आकर अुसकी आंखें खुल गयीं। वल्लभभाभीकी गैरहाजिरीमें भी आश्रममें तो अुसने काम, काम और काम ही देखा। स्वयंसेवक भी बोदे-पोचे नहीं, कठोर जीवन बितानेवाले देखे। बहुतसे पुराने जोगी देखे। विद्यापीठके विद्यार्थी देखे। आश्रममें अुसने मोटीपतली रोटियां और दालभात तथा केवल रातको ही शाक मिलते देखा। गांधीजीके लड़के रामदासको भी अुस भोजनालयमें जल्दी-जल्दी खाकर काम पर जानेकी तैयारी करते देखा। यह सब देखकर वह बेचारा क्या करता? अुसने आंखें मलकर यह भी देखा कि लोग कितना कष्ट सहन कर रहे हैं। अुसने कहा, 'बेशक, बारडोलीके गांव भयंकर परीक्षामें से गुजर रहे हैं। दिनभर बन्द रहनेवाले घरोंमें अपने ढोर-डंगरके साथ स्त्री-पुरुष हफ्तों तक किस तरह कैद रह सके होंगे!' अुसने आश्चर्य प्रगट किया कि मलमूत्रके कष्टसे कैसे कोअी बीमारी नहीं फैली। मवेशियोंकी दुर्दशा, अुनके शरीर पर निकलते हुअे फोड़े, अुन्हें होनेवाले अनेक रोग देखकर वह कांप अुठा। परन्तु अिसका रहस्य समझनेकी अुसमें शक्ति नहीं थी। अिसीलिअे अुसने जड़तापूर्वक आलोचना की कि वल्लभ-भाभीने अिन पशुओं पर अत्याचार किया है।”

अिस सम्वाददाताने अपने लेखोंके शीर्षक ये दिये थे: 'बारडोलीके किसानोंका बलवा', 'बारडोलीमें बोल्शेविज्म', वगैरा। सरकारको अुसने चेतावनी दी: 'वल्लभभाभीको बारडोलीमें सोवियट राज्य स्थापित करना है और वह लेनिनका-सा काम कर रहा है; और जब तक अिस आदमीका प्रभाव कायम रहेगा, तब तक बारडोलीमें शान्ति होना असंभव है।' परन्तु अुसके लेखोंमें सत्य, असत्य और कल्पनाओंके गोलोंसे भरी हुअी बातोंमें से कुछ सच्ची बातें



अपने आप सामने आ जाती थीं। अनुमें से यह ध्वनि भी निकलती थी : 'वल्लभभायी पटेलने तालुकेकी माल-तंत्रकी हड्डी-पसली ढीली कर डाली है। अस्सी पटेलों और अन्निस पटवारियोंने अिस्तीफे दे दिये हैं; और अब जो बचे-खुचे त्यागपत्र दिये बिना रह गये हैं, वे वफादार हैं यह माननेके लिये कोयी कारण नहीं है। वल्लभभायीने लोगोंको अितना बहका दिया है कि कोयी मानता ही नहीं कि सरकार कभी बढ़ाया हुआ लगान ले सकती है।' अिसके सिवाय तालुकेका आश्चर्यजनक संगठन, स्त्रियोंकी विलक्षण भक्ति, स्वयंसेवकोंका कड़ा अनुशासन, छावनियोंकी सुन्दर व्यवस्था, लोगोंके अपार कष्ट आदि सब बातोंकी भी अुसके लेखोंसे कल्पना होती थी।

अिन लेखोंका अेक परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सिंह अपनी नींदसे जागा। लॉर्ड विण्टर्टनने लोकसभामें बारडोली सत्याग्रहकी समीक्षा करते हुअे कहा कि श्री वल्लभभायीको थोड़ी सफलता जरूर मिली है, परन्तु अब जो किसान लगान नहीं चुकाते अुन पर कानूनी कार्रवायी की जाने लगी है। सर माअिकेल ओडवायर बोले कि 'कानून पर पूरे जोशके साथ अमल होना चाहिये।' १३ जुलायीको बम्बयीके गवर्नरको वाअिसराँयसे मिलने शिमला जाना पड़ा। वहां जानेसे ही कहीं लोग यह न कहें कि 'झुक गये', अिसलिये सरकारी प्रकाशन-विभागने लिखा कि 'गवर्नर महोदयका स्पष्ट कर्तव्य कानूनकी सर्वोपरि सत्ता कायम रखना है। परन्तु सम्राटके प्रतिनिधिकी हैसियतसे यह देखना भी अुनका फर्ज है कि बहुत लोगोंको बहुतसे संकट और कष्ट न हो।'

गवर्नर महोदय जिस समय माननीय वाअिसराँयके साथ शिमलामें सलाह-मशविरा कर रहे थे, अुस समय सरदार अहमदाबादकी जिला परिषदमें विशाल जनसमूहके समक्ष भाषण दे रहे थे। अिस परिषदके मंडपमें ही सरदारको कमिश्नरका बुलावा आया कि गवर्नर महोदय १८ तारीखको सवेरे सूरत आ रहे हैं, अतः आप बारडोली सत्याग्रहके बारह प्रतिनिधियों सहित अुनसे सूरतमें मिलिये। सरदारने यह निमंत्रण फौरन मंजूर कर लिया और अपने साथ अब्बास साहब तैयबजी, सौ० शारदाबहन महेता, सौ० भक्तिलक्ष्मी देसायी, कुमारी मीठुबहन पीटिट और श्री कल्याणजीभायी महेताको लेकर १८ तारीखको सुबह गवर्नर महोदयसे मिले। दिनमें दो बार तीन तीन घंटे गवर्नरसे बातें हुआं। बढ़ा हुआ लगान किसान पहले चुका दें या अुनकी तरफसे कोयी तटस्थ मनुष्य वृद्धिके बराबर रकम सरकारी खजानेमें अमानत रख दे, अिस बारेमें गवर्नर बहुत ही दृढ़ प्रतीत हुअे। दूसरे मुद्दों पर भी अैसा महसूस हुआ कि मुश्किल आयेगी और समझौतेकी संभावना नहीं जान पड़ी। अिसलिये सरदारने अनुरोध किया कि सरकारको

जो शर्तें मंजूर हों वे लिख भेजे, तो मैं अपने साथियोंसे सलाह करके जवाब दे दूंगा। समझौतेकी आवश्यक शर्तें सरकारने ये बतायीं :

१. सारा लगान अक मुश्त अदा कर दिया जाय; या पुराने और नये लगानके फर्ककी रकम किसानोंकी तरफसे कोअी भी व्यक्ति सरकारी खजानेमें अमानत रख दे।

२. लगान न देनेका आन्दोलन अकदम बन्द कर दिया जाय।

अगर ये दो शर्तें मान ली जायं तो आंकड़ोंके हिसाबमें अधिकारियों द्वारा भूल होनेके जो आक्षेप है, उनुके सम्बन्धमें विशेष जांचकी कार्रवाअी करनेको सरकार तैयार होगी। यह जांच अिस मामलेसे बिलकुल सम्बन्ध न रखनेवाले किसी रेवेन्यू अफसर द्वारा हो सकती है या रेवेन्यू अफसरके साथ अक न्याय-विभागका अफसर भी हो सकता है। और तथ्यों या आंकड़ों सम्बन्धी मतभेद हो जाय, तो न्याय-विभागके अफसरका निर्णय अन्तिम माना जायगा।

अिन शर्तोंमें विपरीत बुद्धिके सिवाय और कोअी बात नहीं पाअी जाती थी। नहीं तो 'आंकड़ोंके हिसाबकी जांच' जैसी पागल बात की जा सकती थी? और वृद्धिका रुपया अमानत रख देनेकी मांगका तो देशमें नरमदलके किसी नेताने भी समर्थन नहीं किया था। 'पायोनियर' और 'स्टेट्समैन' जैसे अंग्रेजी अखबारों तकने समर्थन नहीं किया था। गांधीजीने अिस बारेमें कहा : 'सरकारका हृदय पिघला तक नहीं, तब परिवर्तनकी बात ही कहां की जाय? वह दिल तो पत्थरसे भी कठोर हो गया है।' परन्तु सत्याग्रही संधिका अक भी मार्ग नहीं छोड़ सकता। अिसलिये सरदारने अपनी शर्तें बतायीं :

१. सत्याग्रही कैदी छूटने चाहियें।

२. जब्त जमीनें, फिर वे बिक गअी हों या केवल सरकारके यहां ले ली गअी हों, तमाम अपने असली मालिकोंको वापस मिलनी चाहियें।

३. भैंसें, शराब वगैरा जो जंगम संपत्ति लोगोंकी शिकायतके अनुसार हास्यास्पद कीमत पर बेच दी गअी है, अुसकी कीमत बाजार भावसे अुसके मालिकोंको मिलनी चाहिये।

४. बर्खास्तगीकी या और जो भी सजा अिस लड़ाअीके सिलसिलेमें दी गअी है, वह वापस ले लेनी चाहिये।

५. जांच-समितियोंमें भले ही सरकारी कर्मचारी ही हों; परन्तु वह जांच खुली, निष्पक्ष और न्यायकी अदालतोंके स्वरूपकी होनी चाहिये। अुस

जांच-समितिके सामने लोगोंको अच्छानुसार वकीलके द्वारा अपना मामला पेश करनेकी आजादी होनी चाहिये।

प्रत्येक राजनैतिक दलके नेता और लगभग हिन्दुस्तानभरके भारतीय और 'टाइम्स आफ इंडिया' के सिवाय अंग्लो-इंडियन पत्र सत्याग्रहियोंके पक्षमें थे। 'लीडर'ने सरकारकी शर्तोंको 'बारडोलीके किसानोंसे अपमानके साथ झुक जानेकी मांग' बताया। 'न्यू इंडिया'ने सुझाया कि 'बर्कनहेड अगर अपनी हठ पकड़े रहे और अपनी अकड़ कायम रखे तो उसकी अकल ठिकाने लानेके लिये पार्लमेंटमें आन्दोलन किया जाय। 'हिन्दू' पत्रने लिखा कि 'गवर्नरने समझौता करनेका उत्तम अवसर हाथसे खो दिया', और 'पायोनियर'ने तो सरकारकी शर्तोंको 'घोड़ेके आगे गाड़ी' रखनेकी तरह अुल्टी बताया।

फिर भी गवर्नर सर लेस्ली कानून और विधानका झंडा अंचा रखनेके अपने कार्यमें लगे रहे। ता० २४ जुलाओको धारासभाका अुद्घाटन करते हुअे अुन्होंने ज्वालामुखीके अुबलते हुअे रसकी तरह धधकता हुआ भाषण दिया। अुसमें यह धमकी दी गयी कि आजकी तारीखसे १४ दिनके भीतर सूरत जिलेके प्रतिनिधि सरकारकी दी हुअी शर्तें स्वीकार नहीं कर लेंगे, तो नतीजा बड़ा भयंकर होगा। अुन्होंने कहा कि :

“बारडोलीमें हुअी नअी जमाबन्दीके न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण होनेके बजाय अगर मुद्दा यह होगा कि “सम्राटके साम्राज्यके अेक भागमें सम्राटका हुकम चले या नहीं, तो सरकारके पास जितनी ताकत है अुसके साथ अिस मुद्देसे निपट लेनेको सरकार तैयार है ; परन्तु अगर अिसी प्रश्नकी जांच करना हो कि नअी जमाबन्दी न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण, तो जैसा सरकारकी ओरसे प्रकाशित वक्तव्यमें बताया गया है, अुसके अनुसार सरकार सारे मामलेकी संपूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच करनेको तैयार है। परन्तु सरकारका तमाम वाजिब लगान जमा हो जाना चाहिये और जो लड़ायी छेड़ी गयी है वह पूरी तरह बन्द होनी चाहिये। अुसके बाद ही जांच हो सकती है।”

अुन्होंने यह भी कहा कि :

“अितना स्पष्ट कर देना मेरा फर्ज है कि अगर ये शर्तें मंजूर नहीं की गयीं और अुसके परिणामस्वरूप समझौता नहीं हुआ, तो कानूनका पूरी तरह अमल करानेके लिये सरकारको जो भी कार्रवायी अुचित और आवश्यक प्रतीत होगी, वह की जायगी और सरकार अपनी विधिवत् सत्ताको हर प्रकारसे मनवानेके लिये अपनी सारी शक्तिका अुपयोग करेगी।”

अुसी दिन लोकसभामें दिया गया लॉर्ड विण्टर्टनका भाषण राअिटरके तार-समाचारों द्वारा प्रकाशित हुआ। अुससे यह रहस्योद्घाटन हो जाता था कि सर लेस्लीके भाषणको प्रेरित करनेवाला कौन था :

“बम्बअीकी धारासभामें आज सर लेस्ली विल्सनने बारडोलिके सम्बन्धमें जो शर्तें पेश की हैं, अुनका पालन न हो तो कानून पर अमल करनेके लिये और वहांके आन्दोलनको कुचल डालनेके लिये बम्बअी सरकारको भारत सरकारका पूरी तरह समर्थन है, क्योंकि ये शर्तें न मानी जाय तो अिस आन्दोलनका यही अर्थ होता है कि वह सरकारको दबानेके लिये किया जा रहा है, न कि लोगोंके वाजिब कष्टोंका निवारण करनेके लिये।”

अिन धधकती हुआ चिनगारियोंसे यह अन्दाजा लगता था कि अहिंसक आन्दोलनकी सफलतासे अंग्रेज लोगोंके दिलोंमें कितना क्रोध छा गया था। श्री वल्लभभाभीको तो अपने आपको बधाअी देनेका काफी कारण था क्योंकि अुन्होंने जिन ८०००० मनुष्योंका नेतृत्व स्वीकार किया था, अुनकी तरफसे अेक भी हिंसाका काम हुआ बिना अुन्होंने सरकारको अपना असली स्वरूप प्रकट कर देनेके लिये मजबूर कर दिया। धमकियोंसे भरे हुए अिन भाषणोंके जवाबमें वे अुन्हींकी तरह आग बरसानेवाला आह्वान प्रकाशित कर सकते थे और सरकारके जो जीमें आये सो कर लेने और अुसकी ताकत हो तो अिस आन्दोलनको कुचल डालनेकी चुनौती दे सकते थे। परन्तु अुन्हें जितना अपनी शक्तिका ज्ञान था, अुतनी ही अुनमें नम्रता भी थी। अिसलिये अुन्होंने तो अखबारोंमें अेक छोटासा बयान ही छपाया। अुसमें अपनी मांग फिरसे स्पष्ट करके अुन्होंने सन्तोष कर लिया और लोगोंको चेतावनी दी कि खाली शब्दोंसे किसीको गुमराह न होना चाहिये और न भाषणोंमें दी गअी धमकियोंसे घबराना चाहिये। वक्तव्यमें अुन्होंने कहा :

“मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैंने गवर्नर महोदयसे अैसे धमकियोंसे भरे हुए भाषणकी अपेक्षा नहीं रखी थी। परन्तु अुन धमकियोंको अलग रखकर अुस भाषणमें जाने अनजाने जो गड़बड़ अुत्पन्न करनेका अिरादा मालूम होता है, अुसे मैं दूर कर देना चाहता हूं। गवर्नर महोदयके कहनेका सार यह है कि अगर लड़ाअीका अुद्देश्य सविनय भंग हो, तो सरकारके पास जितना बल है अुतने बलके साथ वह अुसका मुकाबला करना चाहती है। परन्तु अगर ‘प्रश्न केवल नअी जमाबन्दीके अुचित या अनुचित होनेका हो तो’ ‘पूरा लगान सरकारके यहां जमा करा देने और मौजूदा लड़ाअी बन्द हो जानेके बाद सारे मामलेकी वे जैसी अपनी घोषणामें रूपरेखा बता चुके हैं वैसी सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच करानेको तैयार हैं।’ मैं यह बता देना चाहता

हूँ कि लड़ाईका मकसद सविनय भंग करनेका न तो था और न है। मैं जानता हूँ कि सविनय भंगकी वैधता और समझदारीके बारेमें सब दलोंकी अेक राय नहीं है। अुस मामलेमें मेरा अपना मत तो दृढ़ है। परन्तु बारडोलीके लोग सविनय भंग करनेका हक कायम करनेकी लड़ाई नहीं लड़े रहे हैं। वे तो सविनय भंगके तरीकेसे — या अुनके अपनाये हुअे तरीकेको जो भी नाम दिया जाय अुस तरीकेसे — अपने पर डाली हुअी लगान-वृद्धि सरकारसे रद्द कराने या अगर वह वृद्धि सरकारको गलत तौर पर डाली हुअी न लगती हो, तो सत्यकी खोजके लिअे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करानेके लिअे लड़ रहे हैं। अिस प्रकार प्रश्न तो केवल नअी जमाबन्दीकी न्यायपूर्णताका ही है। और अगर सरकार अुस 'प्रश्नकी सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच' करना चाहती हो, तो जो बात वह स्वयं ही स्वीकार करती है, अुससे स्पष्ट तौर पर फलित होने-वाला परिणाम अुसे जरूर स्वीकार करना चाहिये। अर्थात् जिस वृद्धिके बारेमें झगड़ा है, अुसे अदा कर देनेका आग्रह नहीं करना चाहिये और लड़ाई शुरू होनेसे पहले जो स्थिति थी अुसीमें लोगोंको रख देना चाहिये। साथ ही, 'सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच' के साथ 'प्रकाशित घोषणामें दी गअी रूपरेखाके अनुसार' जो विशेषण वाक्य जोड़ दिया गया है, अुसके सम्बन्धमें में लोगोंको सावधान करता हूँ। वह वाक्य बड़ा खतरनाक है, क्यौंकि सूरतके बयानमें 'सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच' का वचन नहीं है, परन्तु जांचकी खिलवाड़का ही अुल्लेख है। सूरतके बयानमें तो बहुत ही मर्यादित जांचके विचार बताये गये हैं। न्याय-विभागके अफसरकी सहायतासे रेवेन्यू अफसर जोड़, बाकी और तथ्योंकी भूलोंकी जांच करें, यह 'सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र जांच' से अेक अलग ही वस्तु है। अिसलिअे मैं आशा रखता हूँ कि गवर्नर द्वारा अपने भाषणमें दी गअी धमकियोंसे न घबराकर लोकमत मेरे बताये हुअे अेक ही मुद्दे पर अेकाग्र रहेगा।"

गांधीजीने भी 'यंग अिडिया' में लेख लिखकर सरदारकी मांगका औचित्य और सरकारके पक्षका अनौचित्य स्पष्ट किया। लेखके अन्तमें अुन्होंने कहा :

"मैं तो यह सूचित करना चाहता हूँ कि अगर वे (सरदार) अिससे जरा भी कम मांगें या मानें, तो यह अुनका जबरदस्त विश्वासघात माना जायगा। सम्मानपूर्ण समझौता करनेकी अुनकी तैयारी और न्यायपरायणताका तकाजा है कि वे अितनी कमसे कम मांग करें। नहीं तो वे लगान सम्बन्धी सरकारकी सारी नीतिका सवाल हाथमें ले सकते हैं, और अपना कोअी दोष न होने पर भी लोग चार-चार माससे जो सितम सह रहे हैं अुसके लिअे मुआवजेकी भी मांग कर सकते हैं।

“सरकारके सामने दो ही रास्ते खुले हैं: सारे देशके लोकमतका आदर करके वह श्री वल्लभभाभीकी मांग स्वीकार करे या अपनी झूठी प्रतिष्ठाको कायम रखनेके लिये दमन-नीतिका दौर चला दे। अभी वक्त निकल नहीं गया है। मैं तो सरकारसे सत्यका मार्ग स्वीकार करनेका ही अनुरोध करता हूँ।”

अस प्रकार सरकारने विकराल कालिकाका रूप धारण कर लिया था। फौजी अफसर बारडोलीमें आकर देख गये थे कि सैनिक रचना किस प्रकार हो सकती है। सैनिकोंके बरसातमें आकर वहां रहनेके लिये सामान, तिरपाल वगैराके सूरतसे बारडोली रवाना होनेकी बात देखी जाती थी। लोगोंको अतना अधिक ताप असह्य हो जायगा तो क्या होगा, यह प्रश्न गांधीजीने अपने मनसे पूछकर अपने आप ही जवाब दिया था: ‘अगर कष्ट असह्य हो जाय तो लोगोंको वह भूमि, जिसे अन्होंने अपनी माना है, छोड़कर हिजरत कर देनी चाहिये। जिस मकान या मुहल्लेमें प्लेगके चूहे मर गये हों या केस हो गये हों, उसका त्याग करनेमें ही समझदारी है। जुल्म अेक किस्मका प्लेग है। अगर यह संभव हो कि वह जुल्म हमें क्रोध दिलायेगा या कमजोर बना देगा, तो जुल्मका स्थान छोड़कर भाग जानेमें बुद्धिमत्ता है।’ परन्तु हम देखेंगे कि किसान तो बारडोलीको बड़ा अभेद्य किला बनाकर उसमें सुरक्षित बैठे थे।

बारडोलीसे बाहर स्थिति भिन्न थी। गवर्नर और अर्ल विण्टर्टनकी घमकियोंने बारडोलीके बाहर कुछ वर्गोंको क्षुब्ध कर दिया था तो कुछको डरा दिया था। गरमदलने तो गवर्नरके भाषणका हर्षपूर्वक स्वागत किया — अस कारण कि अब सत्याग्रहियोंकी अुत्तमोत्तम परीक्षा होने और स्वराज्यकी बड़ी लड़ाीका अवसर आयेगा। यह अच्छा सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वरने गांधीजीके नाम अेक खुल्ले पत्रमें प्रगट भी कर दी। अन्होंने गांधीजीको सलाह दी कि श्री वल्लभभाभीने बारडोली सत्याग्रहको मर्यादित रखा है, सो अव्यावहारिक मालूम होता है। असलिये अब सारे देशमें सविनय भंगका आन्दोलन शुरू होना चाहिये।

दूसरी ओर लोगोंका अेक वर्ग घबरा गया था। उसे खयाल हुआ कि अब तो कौन जाने कैसा भयंकर हत्याकांड हो जायगा। असलिये अब तक जो लड़ाीका समर्थन कर रहे थे और लोगोंकी मांग वाजिब मान रहे थे, वे भी भावी संकटके बादलोंसे डर गये। अस वर्गका मत आग्रहपूर्वक प्रगट करनेवाले बम्बयीके अेक प्रसिद्ध समाचारपत्रके सम्पादक थे। अन्होंने कहा कि श्री वल्लभभाभी पटेल कहते हैं कि बारडोलीमें सविनय भंगकी बात ही नहीं, फिर भी

सर लेस्लीने जो खतरा बताया है वह सही है। जिसलिये श्री वल्लभभाजीको गवर्नरकी दी हुयी शर्तें मान लेनी चाहियें।

गांधीजीने 'यंग अिडिया'में अधिर बने हुअे गरम वर्गको और डरे हुअे नरम वर्गको जिस प्रकार चेतावनी दी :

“मुझे पता नहीं सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वरके सुझाव पर वल्लभभाजी क्या कहेंगे। परन्तु बारडोलीकी सहानुभूतिके लिये अभी मर्यादित सत्याग्रह भी करनेका समय नहीं आया। बारडोलीको अभी परीक्षामें से पार होना है। अगर वह अन्तिम परीक्षा पास कर लेगा और सरकार आखिरी हद तक जायगी, तो सत्याग्रहको हिन्दुस्तानमें फैलनेसे रोकनेकी या बारडोली सत्याग्रहका जो संकुचित हेतु है उसके बजाय उसे विस्तृत होनेसे रोकनेकी वल्लभभाजीकी या मेरी मजाल नहीं है। फिर तो सत्याग्रहकी मर्यादा केवल देशभरकी आत्म-बलिदान और कष्टसहनकी शक्ति ही बनायेगी। अगर यह महाप्रयोग होना ही है, तो वह स्वाभाविक तौर पर ही होगा और कोअी भी उसे रोक नहीं सकेगा। परन्तु सत्याग्रहका रहस्य में जिस तरह मानता हूं, उस प्रकार तो श्री वल्लभभाजी और मैं सरकारकी कितनी ही अुकसाहटके बावजूद भी बारडोली सत्याग्रहको उसकी असली सीमामें ही रखनेको बंधे हुअे हैं, फिर भले वह अुकसाहट अितनी अधिक ही हो कि उस मर्यादाको पार कर जाना अुचित करार दिया जा सके। सच बात यह है कि सत्याग्रही सदा ही मानता है कि अीश्वर उसका साक्षी है, अीश्वर उसे रास्ता बता रहा है। सत्याग्रहियोंका नेता अपने बल पर नहीं जूझता, भगवानके बल पर जूझता है। वह अन्तरात्माके अधीन रहकर चलता है। जिसलिये कअी बार दूसरोंको जो शुद्ध व्यवहार लगता है, वह उसे अिन्द्रजाल लगता है। जब आज हिन्दुस्तान पर अत्यन्त तुमुल युद्ध मंडरा रहा है, उस समय अैसा लिखना मूर्खतापूर्ण और स्वप्नदर्शी महसूस हो सकता है। परन्तु मुझे जो सबसे गहरी सचाअी प्रतीत होती है, उसे मैं प्रगट न करूं तो मैं देशका और अपनी आत्माका द्रोही बनता हूं। अगर बारडोलीके लोग वैसे ही सच्चे सत्याग्रही हों जैसा वल्लभभाजी मानते हैं, तो सरकारके पास कितने ही शस्त्र हो तो भी सब कुशल ही है। देखते हैं क्या होता है। केवल समझौतेमें दिलचस्पी लेनेवाले धारा-सभाके सदस्यों और दूसरोंसे मेरा अनुरोध है कि बारडोलीके लोगोंको बचानेकी आशामें वे अेक भी गलत कदम न अुठायें। जिसे राम रखता है उसका कोअी बाल भी बांका नहीं कर सकता।”

अब सभी लोग मानते थे कि सरदार पकड़े जायेंगे। अ उनके गिरफ्तार होनेके बाद अ उनकी गद्दी संभालनेके बजाय अ उनकी गिरफ्तारीसे पहले वहां पहुंचकर अ उनसे आज्ञा लेना गांधीजीने बेहतर समझा। अतः वे २ अगस्तको बारडोली पहुंचे। वहां अ उन्होंने देखा कि बारडोलीके बारेमें बारडोलीसे बाहर जितनी बातें हो रही हैं, अ उसकी शतांश भी बारडोलीमें नहीं होतीं। सब भाजी और बहनें रामभरोसे बैठे थे और सरदारका हुक्म मिलते ही पालन करनेको तैयार थे। गांधीजीने आकर अ उन्हें अ लुटे ज्यादा वल्लभभक्त बना दिया।

## १४

अतनेमें सरदारको पूनासे रा० सा० दादूभाजीका बुलावा आया। बुलावेका वह तार गुजरातके धारासभाके सदस्योंके नामसे आया था। अ उसमें अर्थमंत्री सर चुनीलाल महेताके अतिथि बननेका आग्रह था। असलिये अ उस बुलावेमें सर चुनीलालका सुझाव या सम्मति होनी ही चाहिये। सरदार समझौतेकी बातोंसे तंग आ गये थे। परन्तु सत्याग्रही समझौतेसे अ इनकार नहीं कर सकता, असिलिये वे चले गये। साथ ही साथ तारसे रा० सा० दादूभाजीको सूचना दी: 'अखबारों वगैरासे तो किसीके कुछ करनेकी नियत दिखायी नहीं देती, फिर भी गुजरातके सदस्योंके बुलाने पर आना चाहिये असलिये आ रहा हूं।' पूनामें समझौतेकी जो बातचीत हुआ, अ उसमें सरदारके स्वभावका अ एक बड़ा अ मुद्दा पहलू प्रगट होता है। वह सारी ही बातचीत महादेवभाजीके शब्दोंमें नीचे दी जाती है:

“३ और ४ अगस्तको सर चुनीलाल महेताके यहां क्या क्या हुआ, वह सब बताना संभव नहीं। संभव हो तो बताना शोभा नहीं देता। परन्तु खास खास बातें संक्षेपमें सबके प्रति न्याय करनेके और सत्यके खातिर बता देना चाहिये। सरकारको पता चल गया था कि अ ल्टीमेटम तो अ उसने सूरतके सदस्योंको दिया था, परन्तु अन्तमें सुलहकी बात तो श्री वल्लभभाजीके साथ ही करनी थी। सूरतके सदस्यों और अ उनके साथ काम कर रहे अन्य सदस्योंने अन्त तक कोअी वचन देने या श्री वल्लभभाजीको किसी वचनमें बांधनेसे अ इनकार कर दिया। यह चीज अ उनके लिये शोभास्पद थी। जब सर चुनीलालके यहां समझौतेके वार्तालाप होते रहते थे, तभी सबको महसूस हो गया था कि समझौता करनेकी अ तुर्कंठा सूरतके सदस्योंसे सरकारको कम नहीं थी। परन्तु अ ऐसा कोअी शब्दजाल दूढ़नेकी कोशिश जबरदस्त चल रही थी, जिससे सरकारकी टांग अंची रहे। श्री वल्लभभाजीने अ एक सीधा सादा मसविदा तैयार किया, परन्तु वह सर चुनीलालको पसन्द नहीं आया। वे सरकारके दूसरे सदस्योंके साथ चर्चा कर रहे थे। रातको वे



एक पत्रका मसौदा लेकर आये। उनका सुझाव था कि सूरतके सदस्य सरकारको असा पत्र लिखें :

“हमें यह कहते हुअे आनन्द होता है कि हम सरकारको सूचना देनेकी स्थितिमें हैं कि गवर्नर महोदयकी अुनके २४ जुलाओके भाषणमें बताओ गओ शर्ते पूरी कर दी जायंगी।”

“वल्लभभाओने कहा : ‘जो सदस्य अिस पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे, वे यह कैसे कह सकते हैं कि शर्ते पूरी की जायंगी, जब कि ये शर्ते तो जांच-समितिके मुकरर होनेसे पहले पूरी करनेकी हैं? अुन्हें तो यों कहना चाहिये न कि शर्ते पूरी कर दी गओ है? और यह वे लोग कैसे कह सकते हैं, क्योकिक शर्ते पूरी तो हमें करनी है। और हम तो जांच-समितिकी मांग मंजूर न हो, तब तक पुराना लगान भी देनेको तैयार नही है।’

“ ‘अिसकी आपको क्या चिन्ता है?’ सर चुनीलालने कहा, ‘अितना सा पत्र दस्तखत करके भेज देना काफी है। अिन सदस्योंको अितना सा पत्र भेजनेमें आपत्ति न हो, तो फिर ये शर्ते कैसे, कौन और कब पूरी करेगा, अिसकी अंजटमें आपको पड़नेकी जरूरत नही। आप अपनी तरफसे तो जब जांच-समितिकी मांग घोषित हो जाय, अुसके बाद ही पुराना लगान चुकाअिये।’ ”

महादेवभाओ आगे कहते हैं: यह सफाओ हमारी समझ या बुद्धिके बाहर थी। अिस अवसर पर सरदारके साथ स्वामी आनन्द और मैं था। रातको सोनेसे पहले सर चुनीलालसे कह दिया था कि असा कुछ भी लिखकर नही दिया जा सकता। परन्तु किसी तरह नींद नही आ रही थी। अन्तमें मैं सवेरे चार बजनेसे पहले अुठा, सरदारको जगाया और कहा: ‘मुझे सर चुनीलालके अुस मसौदेमें कुछ भी नहीं लगता। अुसमें न हम बंधते हैं न सूरतके सदस्य बंधते हैं। सरकारके लिअे यह नाक रखनेका सवाल बन गया है और सरकार मान ले कि अिससे अुसकी नाक रह जाती है तो भले ही अुसकी नाक रह जाय।’

वल्लभभाओ: ‘परन्तु अिसमें झूठ जो है?’

मैंने कहा: ‘हैं तो, परन्तु वह सरकारकी तरफसे है।’

वल्लभभाओ: ‘क्या हम सरकारसे सत्यका त्याग नही करा रहे हैं?’

मैंने कहा: ‘नही, सत्यका त्याग सरकार कर रही है और अिसमें अुसे श्रेय मालूम होता है। अुसे मालूम होता है तो होने दो। हम अुससे कह दें कि अिसमें सत्यका त्याग हो रहा है।’

वल्लभभाभी : 'तो तुम सर चुनीलालसे साफ साफ कह दोगे कि य लोग सत्यका त्याग कर रहे हैं?' परन्तु देखो, तुम जानो! मुझे अिन लोगोंकी चालका पता नहीं चलता। अैसी गड़बड़ किसलिअे करते है? बापू क्या कहेंगे? स्वामी तुम्हारा क्या खयाल है?'

सरदारकी अुस समयकी तत्त्वनिष्ठा, हम जैसे छोटे साथियोंकी भी राय जाननेकी अिच्छा और 'हम जो कुछ कर रहे हैं अुसके लिअे बापू क्या समझेंगे?' अिस बारेमें अपार चिन्ता देखकर सरदार मेरे लिअे जितने पूज्य थे अुससे भी अधिक पूज्य बन गये। लड़ाीके दिनोंमें वे अकसर कहते, 'अिन राजनीतिज्ञोंके झुंडमें मे सीधा भोला किसान शोभा नही देता, अिनकी कला मुझे नहीं आती।' ये शब्द मुझे बहुत याद आये। मैंने कहा: 'बापू भी सरकारको अितना रूखा लाभ अुठाना हो तो जरूर अुठाने देंगे। सरकारको नामसे काम है, हमें कामसे काम है।'

स्वामी बोले: 'मेरी भी यही राय है।'

अन्तमें वल्लभभाभी कहने लगे: 'परन्तु सूरतके सदस्य अिस पर हस्ताक्षर कर देंगे?'

मैंने कहा: 'कर देंगे, सर चुनीलाल महेता कह रहे थे कि अुन्हें अिस बारेमें शंका नहीं है।'

वल्लभभाभी: 'अच्छा तो, वे हस्ताक्षर करें तो करने दो। परन्तु तुम्हें तो सर चुनीलालसे साफ कह देना है कि अिसमें सरकारके हाथसे सत्यका त्याग हो रहा है।'

मैं गया, सर चुनीलालसे बातें कीं। अुनके लिअे यह कोअी नअी बात नहीं थी। अुन्होंने कहा: 'आप अपनी स्थितिकी सफाअी कर दें यह ठीक है। सरकारसे भी मैं यह कह दूंगा।' अितनेमें श्री वल्लभभाभी आ गये। अुन्होंने फिर वही बात समझाकर कही और कहा: 'सरकारको अैसे अर्थहीन पत्रसे सन्तोष हो जायगा, अैसा मुझे नहीं लगता। फिर आप जानें।'

सर चुनीलालको कोअी शक ही नहीं था। वे खुश हो गये। भगवानकी तरह सरकारकी गति भी अगम्य है। श्री वल्लभभाभीने कहा कि सूरतके सदस्य यह पत्र लिखनेको तैयार हों तो मुझे कोअी आपत्ति नही। अिस पर फौरन समझौता तय हो गया।

सर चुनीलालके बारेमें दो शब्द बेजा नहीं होंगे। सर चुनीलालको और किसीकी अपेक्षा सरकारके मनका ज्यादा पता था, अिसलिअे वे सब कुछ सोच समझकर ही कर रहे थे। अिस नाजुक समयमें अुनकी देशभक्ति अुमड़ आअी थी और सरकार प्रतिष्ठाके भूतसे चिपटी रहकर अपना भण्डाफोड़

करा ले, जिस कीमत पर भी वे जिस बातके लिये आतुर थे कि यह काण्ड समाप्त होकर बारडोलीके किसानोंको न्याय प्राप्त हो। सरकारकी कलजी कोजी पहली ही बार थोड़े ही खुल रही थी!

परन्तु अगर सरकार प्रतिष्ठाकी मायासे चिपटी रहकर सन्तोष माननेको तैयार थी, तो श्री वल्लभभाजी तत्त्वके सत्यके बिना सन्तोष माननेवाले नहीं थे। अन्हें तो सम्पूर्ण, स्वतंत्र और न्यायपूर्ण जांच चाहिये थी। अितना करनेको तो सरकार तैयार ही थी, परन्तु वहां भी वह प्रतिष्ठाकी मायासे तो चिपटी हुअी थी ही। वह पत्र लिख दिया जाय तो जांच तुरन्त श्री वल्लभभाजी चाहते थे अन्होंने शब्दोंमें — जब्रके कृत्योंकी जांचको छोड़कर अन्होंने शब्दोंमें — घोषित हो जायगी यह तय हुआ और यह निश्चय हुआ कि पटवारियोंको वापस ले लेने, जमीनें लौटा देने और कैदियोंको छोड़नेके बारेमें सूरतके सदस्यों द्वारा रेवेन्यू मेम्बरको अेक जाबतेका पत्र लिखते ही तुरन्त अुचित कार्रवाजी की जायगी। मुआवजा सम्बन्धी भाग पत्रमें नहीं लिखना था, परन्तु यह तय हुआ कि सरकारी ढंगसे अुचित कार्रवाजी की जायगी। श्री वल्लभभाजीको जिससे अधिक कुछ नहीं चाहिये था। अन्होंने कामसे काम था, नामसे नहीं।

सर चुनीलाल महेताके प्रस्ताव पर रा० ब० भीमभाजी वगैरा कुछ सदस्य सूरतके कलेक्टरसे मिलकर सत्याग्रहियोंकी बिकी हुअी जमीनें असली मालिकोंके नाम करा देनेके लिये सूरत गये। सूरतके जिस कलेक्टरने कजी बार अपने 'शुभ वचनों' में कहा था कि बेची और जब्त की हुअी जमीनें कभी नहीं लौटायी जायगी, अुसका इसी अवसर पर सरकारने दूसरे जिलेमें तबादला कर दिया। नये कलेक्टर मि० गैरटको यह काम करनेमें कोजी बाधा नहीं हो सकती थी। अुसने जो दो-तीन खरीदार थे अन्हें बुलाया और अन्हें समझाकर और दबाकर कुल बारह हजार रुपये, जितनेमें जमीन खरीदी थी, वापस देकर अुनसे जमीन छुड़वा ली। जिस दिन सूरतके सदस्योंने वह पत्र लिखा, अुसी दिन गांधीजी और सरदारने जिन शब्दोंमें चाहा था अुन्होंने जांच-समिति नियुक्त करनेकी घोषणा हो गयी। सदस्योंके दूसरे पत्रके जवाबमें रेवेन्यू मेम्बरने लिखा कि तमाम जमीन वापस दे दी जायगी, तमाम कैदी छोड़ दिये जायंगे और पटवारियोंके अुचित शब्दोंमें दरखास्त देने पर अन्हें वापस नौकरीमें ले लिया जायगा। अितना हो जाने पर सरदारने अपना सन्तोष प्रगट किया और सार्वजनिक रूपमें सरकार सहित सबको धन्यवाद दिया। किसानोंको सम्बोधन करके अुन्होंने पत्रिका निकाली। अुसमें कहा कि, 'हमारी टेक रखनेके लिये हम अीश्वरका अहसान मानें। अब हमें पुराना लगान चुका देना है। बड़ा हुआ नहीं चुकाना है। पुराना

लगान जमा करा देनेकी तैयारी सब कर लें। जमा करानेका समय मुकर्रर होने पर बताया जायगा।' दूसरे ही दिन तमाम कैदी छोड़ दिये गये। पटवारियोंको वापस लेनेकी दरखास्त सरदारने ही तैयार कर दी। वह कलेक्टरको पसन्द आयी, असलिये अन्होंने तुरन्त नियुक्तिका हुकम दे दिया। अितना ही जाने पर पुराना लगान चुका देना लोगोंका धर्म था। अेक महीनेके भीतर अन्होंने सारा लगान चुका दिया।

सरदारकी तीन सफल लड़ाअियोंमें सबसे जबरदस्त यह लड़ाअी थी; स्वराज्यके रास्तेमें अुनके लगाये हुअे मंजिलें दिखानेवाले स्तंभोंमें यह तीसरा स्तंभ था। नागपुर सत्याग्रहमें सिर्फ अेक अधिकार साबित करना था, वह साबित हो गया। बोरसदकी लड़ाअी जैसी शीघ्र फलदायक और सफल लड़ाअी तो कोअी भी नहीं हुअी थी। परन्तु वह स्थानीय प्रकारकी थी और डेढ़ ही महीनेमें खतम हो गअी। असलिये देशमें बहुतोंको अुसका कुछ पता नहीं चला था। परन्तु बारडोली सत्याग्रह अपूर्व था, क्यौंकि अुसने देशका ही नहीं, परन्तु साम्राज्यका ध्यान आकर्षित किया था और लोगोंकी मांगके औचित्य और मर्यादाके कारण अुसने सारे देशकी सहानुभूति हासिल कर ली थी। अस सत्याग्रहकी विजय अितिहासमें अनेक कारणोंसे अपूर्व थी: मुख्य कारण यह था कि अुससे यह साबित हो गया कि सत्याग्रहके प्रथम क्षेत्रके तौर पर बारडोलीको चुननेमें गांधीजीने भूल नहीं की थी; दूसरे, हिन्दुस्तानमें सबसे गरीब समझे जानेवाले लोगोंकी फतह हुअी; तीसरे, लड़ाअीको कुचल डालनेके लिये प्रतिज्ञा-बद्ध सरकारको प्रतिज्ञाके पंद्रह दिनके भीतर अुन लोगोंने झुका दिया; चौथे, नौकरशाहीके अस सिद्धान्तके बावजूद कि माल-विभागमें बड़े तीसमारखां भी दखल नहीं दे सकते सरकारको झुकना पड़ा; पांचवें, तीन तीन चार चार वर्षकी राष्ट्रीय निराशा और गृहयुद्धोंके बाद अितनी बड़ी विजय प्राप्त हुअी; छठे, सत्याग्रहके नायकने प्रतिष्ठाके भूतको छोड़कर तत्त्वकी तरफ ही ध्यान दिया था; और अन्तमें जो गवर्नर कुछ समय तक अपने मातहतोंकी ही सुनते थे और भारत मंत्रीका कहा हुआ ही करते प्रतीत होते थे, अन्होंने समझौतेके लिये भरसक प्रयत्न किया। अुस अर्थहीन पत्रसे अन्होंने सन्तोष मान लिया, सो भी शायद शान्तिके लिये ही माना होगा। अिन कारणोंसे गांधीजी और वल्लभभाओने अपने लेखों और भाषणोंमें सत्याग्रहियों और गवर्नर दोनोंको बधाअी देना मुनासिब समझा।

१९२४ में अिसी गवर्नरने आते ही बोरसदका समझौता कराया था। अस बार शायद वे नौकरशाहीके जालमें फंस गये होंगे, असलिये लड़ाअी लम्बी हुअी। फिर भी अन्तमें वे अुसमें से निकल गये। हममें से बहुत थोड़ोंको यह

कल्पना होती है कि ब्रिटिश गवर्नरोंको भी कितने ही बन्धनों और मर्यादाओंमें रहकर काम करना पड़ता था। अतने पर भी सर लेस्ली अिन बन्धनोंको तोड़ सके, यह अुनकी महत्ता सूचित करता है।

१५

समझौतेकी बात देशमें बिजलीकी तरह फैल गयी। सरदार पर बधाओकी तारोंकी वर्षा हो गयी। और देशके तमाम अखबार अुनकी तारीफके लेखोंसे भर गये। अुन सबका यहां अुल्लेख करना संभव नहीं।

अिस प्रकार समझौता तो हो गया, परन्तु नौकरशाहीको वह पसन्द नहीं था। अुन्होंने झूठका स्रोत बहा दिया\* और सत्याग्रहके दिनोंमें जिन किसानोंसे चौथायी दण्ड वसूल कर लिया गया था, अुन्हें वापस करनेके मामलेमें मुश्किल पैदा कर दी। जिन सत्याग्रहियोंकी जंगम सम्पत्ति कुर्क नहीं हुयी थी और जिन्होंने समझौता होने तक अेक कौड़ी भी जमा नहीं करायी थी, अुन्हें यह चौथायी दण्ड नहीं देना था, तब जिन पर लड़ाओके दिनोंमें कुर्कियां हुयी थीं और जिनके ढोर-डंगर चले गये थे अुन्हें क्यों चौथायी दण्ड देना चाहिये? अिसके सिवाय जांच-समितिमें रखे जानेवाले अफसरोंके नामोंके बारेमें भी सर चुनीलालके साथ सरदारकी हुयी बातमें अिन अधिकारियोंने फेरबदल कर दिया और दूसरे नाम घोषित किये। सरदारको अिस पर भी आपत्ति थी। फिर भी सरदारने रेवेन्यू मेम्बरसे कहा कि अेक वार अफसरोंकी नियुक्ति जाहिर हो जानेके बाद अुसे बदलनेमें सरकारकी कठिनाओको मैं समझ सकता

\* १९२९ की 'टाइम्स ऑफ अिडिया' की 'अीयर बुक' में बारडोलीकी लड़ाओके बारेमें यह लिखा है: "बारडोलीके किसानोंने नअी जमाबन्दीके अनुसार लगान देनेसे अिनकार कर दिया और कुछ राजनैतिक नेताओंकी अुकसाहटसे वैध हुकूमतके साथ लड़ाओ मोल ले ली। परन्तु सरकारके अुन्हें अान्तम चेतावनी (अल्टीमेटम) देने पर वे समय पर झुक गये।" नये गवर्नरने १९२९ में अपने भाषणमें कहा: 'सूरतके धारासभा-सदस्योंने बदा हुआ लगान जमा करा देनेका आश्वासन दिया, अिसलिअे जांच-कमेटी मुकर्रर की गयी।' जांच-कमेटीकी रिपोर्ट प्रकाशित होनेके आठ महीने बाद रेवेन्यू मेम्बर बोले: 'झगड़ेका अन्त करनेके लिअे ही सरकारने जांच-कमेटीकी सिफारिशें मंजूर कीं। वैसे कमेटीकी अिकट्टी की हुयी और स्वीकार की हुयी हकीकतों परसे तो जो निर्णय किया गया, अुससे अुल्टा ही किया जा सकता था।'

हूँ। परन्तु यह चौथाजी दण्ड नहीं लौटाया जा सकेगा, तब तो किसान सत्याग्रही जांच-समितिके बिना ही काम चला लेंगे। इसलिये गवर्नरको फिर हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्होंने कहा कि चौथाजी दण्डके मामलेमें कोअी कठिनाअी नहीं होगी, केवल श्री वल्लभभाअीको कमेटीकी नियुक्ति स्वीकार कर लेनी चाहिये। फिर अेक बार साबित हो गया कि जब गवर्नर शान्तिके लिये अुत्सुक थे, तब अुनके सलाहकार मुश्किलें ही पैदा कर रहे थे। 'सावधान नर सदा सुखी' के सूत्रके अनुसार सरदारने रेवेन्यू मेम्बरको पत्र लिखकर बताया कि : 'कमेटीकी नियुक्ति तो मुझे स्वीकार है, परन्तु इस साफ शर्त पर कि जांचके दरमियान किसी भी समय मुझे महसूस होगा कि कारंवाअी न्यायपूर्ण ढंगसे नहीं हो रही है या जांचके अन्तमें मुझे असा लगेगा कि कमेटीका निर्णय असा नहीं है जो सबूतोंसे निकल सकता है और अन्यायपूर्ण है, तो फिर लड़ाअी करनेकी मुझे आजादी होगी।'

फिर बारडोलीमें, सूरतमें और गुजरातके दूसरे शहरोंमें विजयोत्सव मनाया गया। अुसके दृश्य जितने भव्य थे अुतने ही पावक थे। नागपुर और बोरसदकी जीतके समय गांधीजी जेलमें थे, परन्तु इस बारकी सभाओंमें गांधीजी मौजूद होते, इसलिये सरदारको बड़ी परेशानी मालूम होती थी। अुनके सामने मानपत्र लेना अुन्हें बड़ा कठिन प्रतीत होता था। बारडोलीमें अुन्होंने साफ कह दिया, मानपत्र लेनेका अभी समय ही नहीं आया, वह तो १९२२ की प्रतिज्ञाका पालन होगा तभी आयेगा। यह कहते हुअे कि मानपत्र लेनेकी मुझमें पात्रता नहीं है, वे बोले :

“अहिंसाके सिद्धान्तका पालन करनेवाले तो हिन्दुस्तानमें छुटपुट अज्ञात लोग बहुतसे मौजूद हैं। अुनके भाग्यमें विज्ञापन नहीं है। जो पूरी तरह पालन नहीं करते, अुनके भाग्यमें विज्ञापन आ पड़ा है। अहिंसाके पालनकी बात करना ही मेरे लिये तो छोटे मुंह बड़ी बात करना है — कोअी मनुष्य हिमालयकी तलहटीमें बैठकर अुसके शिखर पर पहुंचनेकी बात करे, वैसी ही बात है। परन्तु कोअी कन्याकुमारीके सामने बैठकर अुस चोटी पर पहुंचनेकी बात करे, अुससे तलहटीमें बैठकर वह बात करनेवाला कुछ अधिक समझदार कहा जायगा, बस अितना ही। वैसे मैं तो गांधीजीसे जो कुछ टूटाफूटा सन्देश मिल गया है, वही तुम्हारे सामने रखता हूँ। इसीसे तुममें प्राण आ गये तो अगर मैं पूरी तरह पालन करनेवाला होता तो हम १९२२ की प्रतिज्ञाका पालन कर चुके होते।”

जिस विजयसे हम फूल न अुठें, विरोधीकी भी जितनी करनी चाहिये अुतनी कद्र करें और अपनी पुरानी प्रतिज्ञा न भूलें, जिस बारमें गांधीजीके ये बचन बारडोली तालुके और सभीके हमेशा याद रखने लायक हैं :

“सरदारने कअी बार आपसे और सरकारसे कहा होगा कि जब तक सरकारी कर्मचारियोंका हृदयपरिवर्तन नही हो जाता, तब तक समझौता होना संभव नही है। अब समझौता हो सका है तो कुछ न कुछ हृदय-परिवर्तन हुआ ही होगा। सत्याग्रही यह गर्व सपनेमें भी न करे कि अुसने अपने बलसे कुछ भी किया है। सत्याग्रहीका अर्थ ही शून्य है। सत्याग्रहीका बल अीश्वरका बल है। अुसकी जबान पर यही हो सकता है: ‘निर्बलके बल राम’। सत्याग्रही अपने बलका अभिमान छोड़े, तो ही अीश्वर अुसकी मदद करेगा। कहीं भी हृदयपरिवर्तन हुआ हो, तो अुसके लिये हम अीश्वरका आभार मानें। परन्तु यह आभार भी काफी नहीं।

“हमें यह भी मानना चाहिये कि वह हृदयपरिवर्तन गवर्नर महोदयका हुआ। अगर अुनका हृदयपरिवर्तन न हुआ होता तो क्या होता? जो कुछ होता अुसका तो हमें कोअी दुःख नही था। हमारी तो प्रतिज्ञा ली हुआ थी और भले ही तोपें ले आते तो भी हमें चिन्ता नहीं थी। आज जीतका अुत्सव मनायें, हर्ष मनायें तो क्षन्तव्य है। परन्तु अुसके साथ ही मैं आपसे यह मनवाना चाहता हूं कि अुसके लिये जिम्मेदार गवर्नर हैं। अगर अुन्होंने अपने धारासभाके भाषणमें दिखाअी हुआ अकड़ ही कायम रखी होती और झुके न होते और अगर वे चाहते कि बारडोलीके लोगोंको गोलाबारी करके अुड़ा दिया जाय तो वे हमें मार सकते थे। आपकी तो प्रतिज्ञा थी कि मारने आयें तो भी बदलेमें आप नहीं मारेंगे; मारेंगे भी नहीं और पीठ भी नहीं दिखायेंगे। आप अुनकी गोलियोंके जवाबमें लाठी या अुंगली तक नहीं अुठायेंगे। आपकी यह प्रतिज्ञा थी। अिसलिये गवर्नरने चाहा होता, तो वे बारडोलीको जमींदोज कर सकते थे। अैसा करनेसे बारडोलीकी तो जीत ही होती, परन्तु वह दूसरी तरहकी जीत होती। अुस जीतको मनानेके लिये हम जीते न रहते; सारा हिन्दुस्तान, सारा संसार अुसका अुत्सव मनाता। परन्तु अितना कठोर हृदय हम किसीमें — अधिकारियोंमें भी — नहीं चाहते। बारडोली तालुकेकी जिस जबरदस्त सभामें, जहां १९२२ की महान प्रतिज्ञा लेनेवाले अिकट्ठे हुए हैं, यह बात हम कहीं भूल न जायं।”

सरदारने अपने अहमदाबादके भाषणमें जो आत्मनिरीक्षण किया है तथा अितने कष्ट सहन करनेवाले बारडोलीके किसानोंकी और अपने वफादार

और अनुशासनबद्ध साथियोंकी जो कद्र की है, वह भी सदा याद रहने लायक है :

“आपने अहमदाबादके नागरिकोंकी तरफसे जो मानपत्र दिया है, उसमें मुझे गांधीजीका पट्टशिष्य बताया है। मैं अश्वरसे मांगता हूँ कि मुझमें वह योग्यता आ जाय। परन्तु मैं जानता हूँ, मुझे अच्छी तरह पता है कि वह मुझमें नहीं है। वह पात्रता पानेके लिये मुझे कितने जन्म लेने चाहिये, यह मैं नहीं जानता। मैं सच कहता हूँ कि आपने प्रेमके आवेशमें जो अतिशयोक्तिपूर्ण बातें मेरे लिये लिखी हैं, वे गले नहीं अुतर सकतीं। आप सब जानते होंगे कि महाभारतमें द्रोणाचार्यका अेक भील शिष्य था, जिसने द्रोणाचार्यसे अेक भी बात नही सुनी थी। परन्तु वह गुरुका मिट्टीका पुतला बनाकर उसकी पूजा करता और उसके पैरों पड़कर उसने द्रोणाचार्यकी विद्या सीख ली थी। जितनी विद्या उसने प्राप्त कर ली थी, अुतनी द्रोणाचार्यके और किसी शिष्यने प्राप्त नहीं की थी। इसका क्या कारण? कारण यही था कि उसमें गुरुके प्रति भक्ति थी, श्रद्धा थी, उसका हृदय स्वच्छ था, उसमें योग्यता थी। मुझे आप जिस गुरुका शिष्य बताते हैं, वे तो रोज मेरे पास मौजूद रहते हैं। इसमें मुझे शंका नहीं कि अुनका पट्टशिष्य तो क्या, अुनके अनेक शिष्योंमें से अेक बन सकूँ, जितनी भी योग्यता मुझमें नही है। मुझमें अगर यह योग्यता होती, तो आपने भविष्यके लिये मेरे बारेमें जो आशाओं प्रगट की हैं, वे मैंने आज ही पूरी कर दी होती। मुझे आशा है कि हिन्दुस्तानमें अुनके बहुतसे शिष्य पैदा होंगे, जिन्होंने अुनके दर्शन नही किये होंगे, जिन्होंने अुनके शरीरकी नही परन्तु अुनके मन्त्रकी अुपासना की होगी। इस पवित्र भूमिमें कोअी न कोअी तो अैसा पैदा होगा ही। कुछ लोग कहते हैं कि गांधीजी नही रहेंगे तब क्या होगा? मैं इस बारेमें निर्भय हूँ। अुन्हें स्वयं जो करना था सो अुन्होंने कर लिया है। अब जो बाकी रह गया है, वह आपको और मुझे करना है। हम वह करेंगे तो अुनके लिये तो कुछ भी करना बाकी नही रहा। अुन्हें जो देना था दे चुके। अब हमारे लिये करना बाकी है। बारडोलीके लिये आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं, मैं उसका पात्र नहीं। जैसे कोअी असाध्य रोगसे पीड़ित बीमार खाटमें पड़ा हो, इस लोक और परलोकके बीचमें झूल रहा हो, और अुसे कोअी संन्यासी मिल जाय, जड़ीबूटी दे दे और अुस मात्राके घिसकर पिलानेसे रोगीके प्राण स्वस्थ हो जायं, वैसी ही हालत हिन्दुस्तानके किसानोंकी है। मैं तो केवल अेक संन्यासीने जो जड़ीबूटी मेरे हाथमें रख दी अुसे घिसकर पिलानेवाला हूँ। आदर किसीका होना चाहिये तो अुस



जड़ी देनेवालेका होना चाहिये। कुछ सम्मान परहेज रखनेवाले बीमारको मिलना चाहिये, जिसने संयम रखा और असा करके हिन्दुस्तानका प्रेम प्राप्त किया। और कोअी सम्मानका पात्र हो तो मेरे साथी हैं, जिन्होंने चकित कर देनेवाले अनुशासनका परिचय दिया है, जिन्होंने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि कल आप क्या हुकम देंगे ? कल आप क्या करनेवाले हैं ? कहां जानेवाले हैं ? किसके साथ समझौतेकी बातें करेंगे ? गवर्नरके डेपुटेशनमें किस-किसको ले जायेंगे ? पूना जाकर क्या करनेवाले हैं ? मुझे अैसे साथी मिले हैं, जिन्होंने मुझ पर जरा भी अविश्वास नहीं किया, सम्पूर्ण विश्वास रखा है और अनुशासन दिखाया है। यह भी मेरा काम नहीं। अैसे साथी पैदा हुअे हैं, जिनके लिअे सारा गुजरात गर्व करता है, यह भी गांधीजीका काम है। अिस प्रकार अगर अिस मानपत्रके बखान बांटे जायं, तो सारे बखान और ही लोगोंके हिस्सेमें आयेंगे और मेरे हिस्सेमें यह कोरा कागज ही रह जायगा।”

## १६

जांच-समिति किस तरह बनी और सरदारने अुसे किस शर्त पर स्वीकार किया, यह पहले कहा जा चुका है। ता० १ नवम्बरसे न्याय-विभागके अफसर मि० ब्रूमफील्ड और रेवेन्यू विभागके अफसर मि० मैक्सवेल अपने काममें लगे। प्रारंभिक तैयारी करनेके बाद १४ नवम्बरको जांचका काम शुरू हुआ और जनवरी महीनेकी आखिरी तारीखको बारडोलीमें और फरवरीकी आखिरी तारीखको चौरासी तालुकेमें खतम हुआ। चौरासी तालुकेके लोगोंमें सरदारने कहा था कि ‘बारडोलीके किसान जो दुःख अुठायेंगे अुसके परिणामस्वरूप अगर न्याय मिलेगा तो अुसका लाभ तुम्हें भी मिलेगा।’ ये वचन सच निकले। बारडोलीके साथ चौरासीको भी अपने साथ हुआ अन्याय साबित करनेका अवसर मिला। बारडोलीमें पचास और चौरासीमें बीस गांवोंकी जांच की गयी।

लोगोंकी तरफसे हकीकतें पेश करनेका काम सरदारने महादेवभायी, रामनारायण पाठक और मुझको सौपा था। हमारी सहायताके लिअे श्री मोहनलाल पंड्या, कल्याणजीभायी, चोखावाला वगैरा बहुतसे भायी थे। हमारे नकशे और दूसरी तैयारियां देखकर अधिकारियोंको अीर्ष्या होती और वे कअी बार कहते : ‘आपके जैसी तैयारी हमारे पास नहीं है। सरकारने हमें अैसी सुविधा नहीं दी। आपको तो सारा तालुका मदद देनेको तैयार है।’ अधिकारियोंने अपनी रिपोर्ट सरकारमें पेश करते हुअे जो पत्र लिखा है, अुसमें अुन्होंने हमारे साथके अपने सम्बन्ध ‘अत्यन्त मीठे’ बताये हैं, हमारी की हुअी सहायताको

‘कीमती मदद’ माना है और लोगोंकी वृत्ति ‘बिलकुल विरोधरहित और आशातीत सहयोग देनेकी’ बतायी है।

सरकारी आज्ञामें जांच-कमेटीका काम अिन शब्दोंमें नियत किया गया था :

“अेक रेवेन्यू अफसर और दूसरे न्याय-विभागके अफसरको जांचका काम सौंपा जायगा। अुन दोनोंमें मतभेद होनेके अवसर पर न्याय-विभागके अधिकारीका मत निर्णायक माना जायगा; जांचकी शर्तें अिस प्रकार होंगी :

“अुपरोक्त अफसर बारडोली तालुके और वालोड़ महाल तथा चौरासी तालुकेके लोगोंकी नीचे लिखी शिकायतोंकी जांच करके रिपोर्ट दें :

“(क) अिन तालुकोंमें की गयी लगान-वृद्धि लैण्ड रेवेन्यू कोडके अनुसार अुचित नहीं है;

“(ख) अुपरोक्त तालुकोंके बारेमें जो रिपोर्टें प्रकाशित की गयी हैं, अुनमें अुपरोक्त वृद्धिको अुचित ठहरानेके लिये काफी हकीकतें नहीं हैं और कुछ हकीकतें गलत हैं;

“और अगर अिन अफसरोंको अुपरोक्त शिकायतें ठीक मालूम हों, तो यह बतायें कि पुराने लगानमें कितनी वृद्धि या कमी होनी चाहिये।

“जांच सम्पूर्ण, खुली और स्वतंत्र होगी, अिसलिये लोगोंको अपने प्रतिनिधियों और कानूनी सलाहकारों तककी सहायतासे शहादतें देने और जिरह करनेकी आजादी होगी।”

श्री भुलाभाजी देसाजीने अपनी प्रारंभिक बहसमें कहा था कि सेटलमेण्ट अफसर श्री जयकर और सेटलमेण्ट कमिश्नर मि० अेण्डर्सनकी सिफारिशें किरायेके आंकड़ेके आधार पर की गयी हैं, जो लैण्ड रेवेन्यू कोडकी १०७वीं धाराके अनुसार ठीक नहीं। अुस धारामें तो जमीनसे होनेवाले खालिस नफे पर ही लगान-तय करना बताया गया है। और खालिस नफा तो किसानको होनेवाली पैदावारमें से अुसका होनेवाला खर्च बाकी निकालकर ही लगाया जा सकता है। साथ ही किराये पर आधार तभी रखा जा सकता है, जब सेटलमेण्ट मैनुअलके अनुसार किरायेसे दी गयी जमीनकी मात्रा बहुत बड़ी हो। मि० अेण्डर्सनने कहा है कि बारडोली तालुकेमें ३३ से ५० प्रतिशत तक जमीन किराय पर दी जाती है। यह बिलकुल कपोलकल्पित है, मुश्किलसे छः-सात प्रतिशत जमीन सचमुच किराये पर दी जाती है।

पहले ही दिन आफवा नामक गांवकी जांच हुयी, तो वहांके किरायेके आंकड़ेंमें जबरदस्त घोटाला मालूम हुआ। सेटलमेण्ट मैनुअलके अनुसार शुद्ध

किरायेके आंकड़े अलग निकालने चाहियें। श्री जयकरका दावा यह था कि अन्होंने सभी किरायोंकी जांच कर ली है और उनमें से शुद्ध किराये निकाले है। हमने जांच करनेवाले अफसरोंको बता दिया कि श्री जयकरके आंकड़े तो छांटकर न निकाले हुअे कुल किरायेके आंकड़ेसे भी अधिक हैं। अन्होंने अपने सरिश्तेदारसे दुबारा तमाम कागजातकी जांच कराकर कुल किरायोंका आंकड़ा निकलवाया। हमारे बताये अनुसार अस आंकड़ेसे श्री जयकरकी रिपोर्टका आंकड़ा अधिक था। अस प्रकार प्रथमग्रासे मक्षिका देखकर अधिकारी सावधान जरूर हो गये, परन्तु न्यायका सिद्धान्त है कि न्यायाधीशको हमेशा अपराधीको निर्दोष मानकर ही जांच करनी चाहिये। अस न्यायके अनुसार श्री जयकर और मि० अण्डर्सनने ठीक तरह जांच नहीं की, यह अन्हें मनवानेमें हमें पंद्रह दिन लग गये। साथ ही मि० ब्रूमफील्ड यह मानते प्रतीत हुअे कि किसान तो झूठ बोलते ही हैं। अेक गांवमें जब हमने कहा कि यहां कोअी जांच ही नहीं हुअी, तब मि० ब्रूमफील्ड कहने लगे: 'हां, अैसा किसान कहते हैं। दुनियामें सभी जगह किसान अैसी बातें करते हैं।' हमने कहा: 'वे सच्चे हैं या झूठे, असकी जांच करना आपका फर्ज है।' तब अन्होंने पूछा: 'तो क्या अस गांवमें मि० जयकर आये ही नहीं?' हमने कहा: 'हमारे कहनेके बजाय आप ही किसानोंसे पूछ लीजिये।' तब अन्होंने लोगोंसे पूछा। पटेल पटवारी दोनोंने जवाब दिया: 'हुजूर, जयकरका मुंह ही किसने देखा है?' अस पर मि० ब्रूमफील्डने पूछा: 'ये लोग जानते तो हैं न कि जयकर कौन है?' तब लोगोंने कहा: 'यह सुना है कि प्रान्तीय अफसर है, परन्तु उनकी शकल देखें तब पता चले कि वे कौन हैं?' फिर तो हर गांवमे मि० ब्रूमफील्ड यह सवाल पूछते कि यहां जयकर आये थे या नहीं। और बहुत जगह यह जवाब मिलता कि 'यहां न कोअी आया और न कोअी जांच हुअी।' साथ ही वे न छांट हुअे किरायेके आंकड़े और श्री जयकरके कथित छांटे हुअे आंकड़े भी सरिश्तेदारसे गिनवाते। कुल मिलाकर अन्हें जयकरके आंकड़े बेढंगे मालूम हुअे। अिन आंकड़ों पर आधार रखकर सेटलमेण्ट कमिश्नर मि० अण्डर्सनने अपनी सिफारिशें की थीं। मि० अण्डर्सनने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि अमुक किरायोंकी अमुक गांवोंमें जाकर अन्होंने खुद जांच की है। जांचमें पता चला कि अिन किरायोंकी जांच अिन महाशयने भी नहीं की थी।

हम सब जगह खेतीके घाटे-नफेका हिसाब बताते थे। अिन आंकड़ोंमें घाटा आता देखकर अफसरोंको परेशानी होने लगी। दो तीन गांवोंमें अन्होंने हमसे खूब जिरह की, किसानोंसे जिरह की और अेक दूबलेके बयान लिये, अस अुद्देश्यसे कि दूबले पर जो खर्च दिखाया जाता है वह ठीक है या नहीं।

परन्तु जिस जिरहसे वे हमारे हिसाबमें से अंक पायी भी नहीं निकाल सके। जिसलिअे अंक दिन हमारे साथ बड़े साफ दिलसे चर्चा की:

साहब लोग: 'मान लीजिये कि किसानको घाटा रहता है, परन्तु अतनी ही जमीन वह किराये पर देता हो तो असे नफा होगा। जिसलिअे असे पर लगान क्यों न लिया जाय?'

हम: 'परन्तु सच बात यह है कि जिस तरह किसान अपनी जमीन किराये पर देते ही नहीं और सभी किराये पर देने लगे तो किराये पर ले कौन?'

'परन्तु जो दे असे तो फायदा होता ही है न?'

'मगर कितने देते हैं, यही सवाल है। आप हमें साबित कर दें कि ८०-९० फी सदी किसान जमीन किराये पर देते हैं, तो आप भले ही अुनके किराये पर कर ले लीजिये।'

'लेकिन किराये पर लगानका हिसाब लगानेका हमें भी मोह नहीं रह गया। हमारा कहना तो यह है कि जमाबन्दीके लिअे कुछ न कुछ आधार तो जरूर चाहिये न? आप घाटे-नफेका जो हिसाब लगाते हैं, असे हिसाबके करने और जांचनेमें तो कितने ही दिन लग जायं और यह कितनी माथापच्चीका काम है?'

'असे ज्यादा माथापच्चीका काम आपको किरायोंकी जांचका नहीं लगता? और फिर भी किराये तो विश्वस्त नहीं मिलते।'

'परन्तु हम कहां किरायेके आधारसे बंधे अुअे हैं। हम तो कहते हैं कि असा हिसाब लगानेके लिअे हमें हरअेक गांवमें दो-तीन सप्ताह रहना चाहिये।'

'रहना तो चाहिये ही। तीस वर्षके लिअे सेटलमेण्ट करना कोअी खेल है? असेके लिअे गांव गांव और खेत खेतकी जांच करनी चाहिये।'

'यह बात तो सही है। परन्तु असेके लिअे कितने आदमी चाहियें, सरकारको कितना वेतन देना पडे?'

'यह तो आप जानें। हमने तो आपके सामने सच्ची बात रख दी। जिस पर आप और विचार कीजिये।'

अब साहबोंको हमारे प्रति विश्वास होने लगा था। अुन्हें अितमीनान हो गया था कि हम जो स्पष्टीकरण करते हैं, वह अुन्हें सहायता देनेके लिअे करते हैं। रिपोर्टमें हमें पक्षकार माननेके बजाय अुन्होंने अपने साथी कार्यकर्ता बताया है। और हमारे बारेमें यह टिप्पणी दी है:

"अिन सज्जनोंने अपने ढंगसे बहुत अुपयोगी जानकारी अिकट्टी करके हमारे सामने पेश की। अिसके सिवाय, वे किराये और बिक्रीके तमाम

हर साल लगभग अेक लाख चालीस हजारका लाभ हुआ। अिस प्रकार तीस वर्षके लिये ४५ लाख रुपयेका लाभ हुआ।

अिसके सिवाय तालुकेके बहुतसे गांवोंमें —

१. काममें न आनेवाले कुओंके लिये सरकार जो कर लेती है, वह जांचके दौरानमें सामने आया और अुसे रद्द कर देनेकी सिफारिश की गयी ;
२. क्यारीके काम न आनेवाली जमीन जराअतके रूपमें मानी जानेकी सिफारिश हुयी यानी जिस जमीन पर बहुत वर्षोंसे दोहरा लगान लिया जाता था, अुसके अिस अन्यायसे मुक्त होनेकी सिफारिश की गयी ;
३. कुछ गांवोंमें जो जमीन 'नदी तट'की और 'बागायत' की मानी जा रही थी, अुस पर बबूल और घास अुगा हुआ था। अुसके लिये यह सिफारिश की गयी कि वह 'नदी तट' और 'बागायत' की जमीन न समझी जाय।

**नैतिक परिणाम :** लोगोंकी की हुयी सारी शिकायत सच्ची साबित हुयी और लोगों और अुनके प्रतिनिधियोंकी भी प्रामाणिकता संसारके संमुख प्रमाणित हुयी। जांचके परिणामस्वरूप कुछ बातें साफ तौर पर सामने आयीं :

१. अपने जिस अफसरको सरकारने वल्लभभाजीके साथके अपने पत्र-व्यवहारमें 'रेवेन्यू विभागका अनुभवी अफसर' बताया था, अुसने जांच नहीं की थी। अितना ही नहीं, जिन ७० गांवोंकी कमेटीने जांच की, अुनमें से अुसने अेक भी गांवके किरायोंकी जांच नहीं की थी। फिर भी अुसने रिपोर्टमें यह झूठ लिखा कि जांच की है, अिस झूठसे सेटलमेण्ट कमिश्नरको गुमराह किया और सरकारको अुल्टी पट्टी पढ़ाकर मनवा दिया कि अैसे गंभीर दिखायी देनेवाले आंकड़े पर सेटलमेण्टका आधार रखा जा सकता है। (रिपोर्ट, पैरा ४३ )

२. मि० अेण्डर्सनने भी झूठसे काम नहीं लिया तो भयंकर लापरवाही जरूर दिखायी। जिन गांवोंके लिये वे कहते हैं कि अुन्होंने वहां जाकर अमुक किरायोंकी जांच की, अुनकी भी अुन्होंने जांच नहीं की। अड़ाजणके जिस किरायेका पिछले अध्यायमें जिक्र किया गया है और जिसमें २७ गट्टे जमीनके टुकड़के ५० रुपये किरायेके होते थे, अुस किरायेका मि० अेण्डर्सनने अपनी रिपोर्टमें अुल्लेख किया है, परन्तु अुसके लिये जो स्पष्टीकरण था अुसका अुल्लेख नहीं किया यानी कोअी जांच की ही नहीं थी। खरड़, छिन्ना और कुवाड़िया गांवोंमें साहब गये थे, फिर भी वहां भी अुनके दर्ज किये हुअे किराये कमेटीके देखनेमें नहीं आये ! अिस प्रकार मि० अेण्डर्सनने भी श्री जयकरसे कम लापरवाही नहीं दिखायी। (रिपोर्ट, पैरा ३६ )

३. महालकारी और हेड क्लर्कने अफसरोंके सामने जो शहादत दी, उससे भी सिद्ध हो गया कि सेटलमेण्ट अफसरने न कोअी देखभाल की थी और न जांच; किरायेके नकशे सभी पटवारियोंने तालुकेकी कचहरीमें बैठकर बनाये थे। और अउन पर हेडक्लर्कने खुद भी थोड़ी ही निगरानी रखी थी। (रिपोर्ट पैरा ४२) आम तौर पर सरकारके यहां कंसा अन्धेर होता है, यह अिस स्वतंत्र जांचसे मालूम हो गया। अितना ही नहीं, सरकारी कर्मचारियोंकी गवाहीसे भी मालूम हो गया। (रिपोर्ट, पैरा ४१)

४. किराये दर्ज करनेकी अभी जो प्रथा है, वह सर्वथा व्यर्थ है। असमें किरायेकी कोअी तफसील नहीं मिलती। पैमायशके नकशोंमें भारी भूलें होती हैं और वे नकशे जरा भी विश्वासपात्र नहीं। ( रिपोर्ट, पैरा ३८)

५. किरायेके आंकड़ेका अुपयोग करनेकी प्रचलित पद्धति भी गलत है और अस परसे अनुमान लगानेका तरीका बेजा है। ( रिपोर्ट, पृष्ठ ३५-४२ )

सरकारी कागजात भी जो आम तौर पर लोगोंको देखनेको नहीं मिलते परन्तु अिस जांचके सिलसिलेमें हमें देखनेको मिले थे, कितने गलत होते हैं, यह अिस जांचमें जाहिर हुआ। बारडोलीके परिणामस्वरूप सारे प्रान्तका सवाल पैदा हुआ और लोगोंमें अुत्साह और आत्मश्रद्धा जाग्रत हुई। बारडोली सत्याग्रहका यह सबसे बड़ा फल माना जायगा।

## १९२५ से १९२८ तककी राजनैतिक परिस्थिति

सितम्बर सन् १९२५ में पटनेकी महासमितिकी बैठकमें कांग्रेसका सारा संगठन गांधीजीने स्वराज्यदलको सौंप दिया और अुसके बाद कानपुरकी कांग्रेसमें अुसीके अनुसार प्रस्ताव कराया । ठेठ १९२२ में, जबसे बारडोलीका सामूहिक सविनय भंग बन्द कराकर गांधीजीने स्वराज्यकी अधिक तैयारीके लिअे रचनात्मक कार्यक्रम और अुसमें भी खास तौर पर खादीका कार्यक्रम देशके सामने रखा और कार्यकर्ताओंको देहातमें गड़ जानेकी हिदायत दी, तभीसे दीखने लगा था कि अुन्हें शिक्षित वर्गका समर्थन नही है। १९२४ में जेलसे बाहर आनेके बाद अहमदाबादकी महासमितिकी बैठकमें अुन्होंने कांग्रेसको अपने मार्ग पर ले जानेका प्रयत्न किया और अुन्हें बहुमत भी मिला, तथापि अुन्होंने देख लिया कि वह बहुमत मिथ्या था। फिर भी बहुतसी बातचीतके बाद १९२५ की कानपुर कांग्रेसमें स्वराज्य दलको सारा संगठन सौंप देनेके बाद गांधीजी नवस्थापित अ० भा० चरखा संघके काममें ही अपना सारा समय लगाने लगे। जब कांग्रेसके दूसरे नेता धारासभाओकी झंझटमें पड़े हुअे थे, तब सरदार, राजाजी, राजेन्द्र-बाबू और जमनालालजी गांधीजीका पूरा साथ दे रहे थे।

फिर तो धारासभावादियोंमें धीरे धीरे मतभेद पैदा होने लगे। जून १९२५में देशबन्धु दासके देहान्तके बाद सारे दलका भार पंडित मोतीलालजी पर आ पड़ा। वे अनुशासनके बड़े आग्रही थे और दिल्लीकी बडी धारासभामें अपने दल पर अच्छा नियंत्रण रख सके थे। धारासभाके दूसरे गैरसरकारी दलोंका सहयोग साधकर वे सरकारको कुछ महत्वपूर्ण मामलोंमें शिकस्त भी दे सके थे। परन्तु प्रान्तोंमें हालत और ही थी। कअी जगहों पर तो स्वराज्य दलका बल बहुत थोड़ा था और कुछ स्थानों पर जहां गणना योग्य था वहां बहुतसे सदस्योंका यह खयाल था कि सरकारकी हामें हां मिलानेवाले लोग ओहदो पर पहुंच जाते है, अुनके बजाय हमी पद स्वीकार कर लें तो देशका कुछ न कुछ काम हो सकेगा। कुछ लोगोंको ठेठ मंत्रीपदोंका नही तो सरकारी कमेटियोंमें नियुक्त होनेका लालच भी होने लगा था। अिस प्रकार भीतर जाकर असहयोग करनेकी प्रारंभिक वृत्ति कुल मिलाकर कमजोर होने लगी थी। दूसरी तरफ कांग्रेसमें अेक स्वाधीनता संघ ( अिंडिपेंडेन्स लीग ) की स्थापना हो गअी थी और अुसकी तरफसे कांग्रेसके ध्येयमें जो 'स्वराज्य' शब्द था, अुसके बजाय

‘पूर्ण स्वाधीनता’ शब्द रखवानेका प्रयत्न हो रहा था। स्वतंत्रता लेनेकी शक्ति तो कुछ बढ़ी नहीं थी। परन्तु वे ब्रिटिश साम्राज्यसे बिलकुल सम्बन्ध तोड़ लेनेकी स्पष्ट घोषणा कराना चाहते थे। १९२६ की गौहाटी कांग्रेसमें यह प्रस्ताव लाया गया। यद्यपि वहां वह पास न हो सका, फिर भी उसके बाद १९२७ की मद्रास कांग्रेसमें वह प्रस्ताव पास हो गया। उसके सिवाय मद्रास कांग्रेसमें और दो बड़े महत्वके प्रस्ताव पास हुए। नवम्बर १९२७ में वाअिसरायने अैलान किया कि ब्रिटिश पार्लियामेण्टकी तरफसे सर जॉन साअिमनकी अध्यक्षतामें अेक कमिशन मुकरंर किया गया है, जो हिन्दुस्तानमें आकर सरकारी अधिकारियों और लोकनेताओंसे मिलकर तथा देशमें सब जगह दौरा करके स्वयं जांच करके रिपोर्ट देगा कि मांण्टफर्ड सुधारोंके अमलके परिणामस्वरूप कितना काम हो सका है, ब्रिटिश भारतमें शिक्षाकी और लोक-प्रतिनिधित्ववाली संस्थाओंकी कितनी प्रगति हुअी है और हिन्दुस्तानके शासन-विधानमें जिम्मेदार हुकूमतका सिद्धान्त किस हद तक लागू किया जा सकता है। अस कमिशनमें अेक भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था। असलिअे कांग्रेसके अलावा और तमाम राजनैतिक दल भी कमिशनसे नाराज थे। कांग्रेसकी मांगका तो अस कमिशनसे जरा भी सन्तोष नही होता था। असलिअे मद्रास कांग्रेसमें अस साअिमन कमिशनका सख्त बहिष्कार करने और वह जिस जिस शहरमें जाय वहां उसके विरुद्ध प्रदर्शन करनेका प्रस्ताव पास हुआ। कांग्रेसको साअिमन कमिशनके बहिष्कारके नकारात्मक कामके साथ उसके अेवजमें निश्चित रचना-त्मक काम भी करना चाहिये। उसके लिअे कांग्रेसने अेक स्वराज्यकी योजना तैयार करके असमें जहां तक हो सके दूसरे राजनैतिक दलोंकी सहमति प्राप्त करनेका प्रस्ताव पास किया। उसके लिअे मुकरंर हुअी कमेटीका अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरूको बनाया गया। अस निश्चयके कारण कांग्रेस द्वारा असुी बैठकमें थोड़ी ही देर पहले स्वीकृत पूर्ण स्वाधीनताके प्रस्तावकी अवास्तविकता साफ मालूम हो गअी।

देशमें साअिमन कमिशनका दौरा और नेहरू कमेटीका काम दोनों साथ साथ हुअे। साअिमन कमिशन हिन्दुस्तानके किनारे बम्बअी बन्दरगाह पर ३-२-’२८ के दिन अुतरा। देशभरमें वह दिन उसके बहिष्कार दिवसके तौर पर मनाया गया। गांव गांव और शहर शहरमें बड़े जुलूस निकले। उनमें विद्यार्थी वर्गने बहुत ही अुत्साह दिखाया। ‘साअिमन गो बैक’ (साअिमन, लौट जाओ) के नारोंसे विद्यार्थियोंने सारे देशको गुंजा दिया। अस कमिशनने तमाम हिन्दुस्तानमें घूमकर सर जान साअिमनके शब्दोंमें ‘देशके अलग अलग भागोंमें तमाम जातियों और वर्गोंके साथ व्यक्तिगत संपर्क करके’ ता० ३१ मार्चको बम्बअीका किमारा



छोड़ा। कमिशनने लोगोंके साथ संपर्क किया हो तो अितना ही कि जहां जहां वह गया, वहां लोगोंकी भीड़ काले झंडोंके साथ अुसके विरुद्ध प्रदर्शन करनेको अुमड़ पड़ती और अुसे बिखेरनेको पुलिस अुस पर लाठीचार्ज करती थी। पंजाबमें लाला लाजपतराय पर लाठीकी सख्त मार पड़ी थी। अुसके कारण वे रोगशय्या पर पड़ गये और फिर कभी न अुठे। युक्त प्रांतमें जवाहरलालजीको भी पुलिसकी लाठियोंके थोड़ेसे प्रहारोंका स्वाद चखना पड़ा था। अिन दो घटनाओंने साअिमन कमिशनको और भी धिक्कारका पात्र बना दिया।

अिस सारे असेंमें नेहरू कमेटी अपना काम कर रही थी। फरवरी और मार्चमें दो सर्वदल सम्मेलन हुअे। तीसरा सर्वदल सम्मेलन मअीमें हुआ और अुसने मोतीलालजीको शासन विधानकी योजनाका आखिरी मसौदा तैयार करनेका काम सौंपा। अगस्तके अन्तमें लखनअुमें सर्वदल सम्मेलनकी अन्तिम बैठक नेहरू कमेटीकी रिपोर्ट पर विचार करनेको हुअी। अुसमें पूर्ण स्वाधीनताका ध्येय रखने-वाली राजनैतिक संस्थाओं पर कोअी बन्धन न रखकर सारी परिषद औपनिवेशिक स्वराज्यके प्रस्ताव पर अेकमत हो गअी। पंडित मोतीलालजीका खास तौर पर आग्रह था कि अुनकी रिपोर्टें ज्योंकी त्यों स्वीकार की जाय। कुछ भाग मंजूर किया जाय और कुछ छोड़ दिया जाय, यह अुन्हें मंजूर नहीं था।

दिसम्बरमें कलकत्तेमें होनेवाली कांग्रेसमें पंडित मोतीलालजीका नाम अध्यक्षपदके लअे सूचित किया गया था, परन्तु वे आनाकानी करते थे। बारडोलीके विजयी वीरके रूपमें सरदारका नाम जोरोंसे लिया जा रहा था और अिडिपेन्डेन्स लीगके अुत्साही और नौजवान नेताके तौर पर युवक वर्ग जवाहरलालजीके लअे आग्रह कर रहा था। परन्तु बंगालने पं० मोतीलालजीके सिवाय और किसी अध्यक्षको स्वीकार करनेसे अिनकार कर दिया। अुसके खयालसे देशके सामने जबर्दस्त राजनैतिक महत्त्वके प्रश्न अिस कांग्रेसमें आनेवाले थे, अिनको पं० मोतीलालजी जैसा राजनीतिज्ञ ही हल कर सकता था। अन्तमें सारे हालातका विचार करके पं० मोतीलालजीने सभापतिपद स्वीकार कर लिया, यद्यपि अुन्हें पहलेसे यह मालूम ही था कि अुनका अपना प्रिय पुत्र “औपनिवेशिक स्वराज्य” की अुनकी योजनाको पसंद नहीं करता था और बहुत बड़ा युवक वर्ग अुसका विरोध करेगा। यद्यपि अिस सारी राजनीतिमें गांधीजी दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, फिर भी पं० मोतीलालजीको अुन पर बड़ी श्रद्धा थी और गांधीजी भी मोतीलालजी पर फिदा थे। मोतीलालजीने गांधीजीको आग्रहपूर्वक लिखा : “मुझे सभापतिकी कुर्सी पर बिठाकर, मेरे सिर पर कांटोंका ताज रखकर मेरा संकट दूर बैठे बैठे न देखिये।” गांधीजी नेहरू रिपोर्टको अुस वर्षका अेक बड़ा

कार्य मानते थे। खास तौर पर अिसीलिये कि देशका हरेक दल उस पर अेकत्र हो गया था। अिसके सिवाय मित्रधर्म तो था ही, अिसलिये अुन्होंने पंडितजीको लिख दिया : “आप कहेंगे उस दिन सेवामें हाजिर हो जाअंगा और आप कहेंगे उस दिन विदा ले लूंगा।’ अुसीके साथ अुन्होंने मनमें निश्चय कर लिया कि नेहरू रिपोर्ट अेक अखंड और अखंडच मांगके रूपमें देशकी ओरसे सरकारके सामने पेश की जाय और सरकार अेक निश्चित अवधिके भीतर अुसे मंजूर न करे तो अुस अस्वीकृतिका अुचित अुत्तर दिया जाय। जवाहरलालजी, श्री श्रीनिवास आयगर, सुभाषबाबू और देशका युवक वर्ग तो पूर्ण स्वाधीनताकी धुनमें ही थे। गांधीजीने सबको बहुत समझाया और यह समझकर कि अुन्हें पसन्द आ जायगा कांग्रेससे यह प्रस्ताव करानेका सुझाव दिया कि नेहरू रिपोर्ट समस्त देशकी मांग होनेके कारण कांग्रेस अुसका स्वागत करती है और वाअिसरायको बता देती है कि अुस मांगको प्राप्त करनेको वह तैयार है। वाअिसरायको यह मांग मंजूर कर लेनेको दो वर्षकी मोहलत दी जाय और अितने असेमें वे कुछ न करें तो देशको संपूर्ण अहिंसात्मक असहयोगकी घोषणा कर देनी चाहिये और जरूरत हो तो पूर्ण स्वाधीनताका भी अलान कर दिया जाय। परन्तु जवाहरलालजीको तो स्वाधीनताके लिये दो मिनट भी ठहरना असंभव मालूम होता था, फिर दो वर्षकी बात तो वे मानते ही कैसे? गांधीजीकी दलील यह थी कि हमें स्वतंत्रता तो लेनी ही है, परन्तु अुसे लेनेके लिये काम भी तो करना है। काम ही बड़ी बात है। जवाहरलालजीका जवाब यह था कि ‘यह मैं समझता हूं। आप जैसेको मुझे कुछ नहीं कहना है। परन्तु लोगोंका मानस तैयार करनेके लिये ध्येय बड़े महत्त्वकी चीज है।’ साथ ही ‘पूर्ण स्वाधीनता’ दल को यह भी खटकता था कि स्वाधीनताका युद्ध करनेवाले हम लोग वाअिसरायके पास मांग लेकर कैसे जा सकते हैं? बात अितनी खिच गयी कि कांग्रेसमें फूट पड़ जानेका अन्देशा पैदा हो गया। अुसे टालनेके लिये गांधीजीको पसंद न होने पर भी अुन्होंने अपने प्रस्तावमें से वाअिसरायसे मांग करनेवाला भाग निकाल दिया और मियादके लिये दोके बजाय अेक वर्ष कर दिया। ‘पूर्ण स्वाधीनता’ वाले अुस समय तो खुश हो गये और विषय-समितिमें श्री श्रीनिवास आयंगरने ही गांधीजीके प्रस्तावका अनुमोदन किया और वह भारी बहुमतसे पास हो गया। परन्तु दूसरे दिन कांग्रेसके अधिवेशनसे पहले ही पता चला कि अिस समझौतेसे ‘पूर्ण स्वाधीनता’ वाले किसीको भी संतोष नहीं था। श्री श्रीनिवास आयंगरको लगा कि यह समझौता स्वीकार करके अुन्होंने बड़ी भूल की और सुभाषबाबूने समझौता मान तो लिया था, परन्तु हृदयकी श्रद्धाके बिना।

असलिये विषय-समितियों में मंजूर हुअे प्रस्तावकी स्याही सूखनेसे पहिले ही सुभाषबाबूने प्रस्तावको अमान्य कर दिया और अध्यक्षको सूचना दी कि वे कांग्रेसमें प्रस्तावका विरोध करेंगे। 'पूर्ण स्वाधीनता' की बड़ी बड़ी बातें करनेवालोंकी अैसी चंचल वृत्ति देखकर गांधीजीको बड़ा दुःख हुआ। स्वाधीनता-वादियोंके समझौता रद्द करनेके बाद गांधीजी अपने मूल प्रस्ताव पर जा सकते थे, परन्तु समझौतेमें जैसा तय हुआ था उसके अनुसार ही अपना प्रस्ताव अुन्होंने कांग्रेसमें पेश किया :

“सर्वदल समितिकी रिपोर्टमें जो विधान बताया गया है, अुस पर पूरा विचार करनेके बाद यह कांग्रेस अुस विधानका हिन्दुस्तानके राजनैतिक और साम्प्रदायिक प्रश्नोंके निपटारेका अेक बड़ा अुपाय मानकर स्वागत करती है। ये सिफारिशें लगभग अेकमतसे हुअी हैं। अस पर कांग्रेस नेहरू कमेटीको धन्यवाद देती है, और मद्रास कांग्रेसका स्वाधीनताका प्रस्ताव कायम रखते हुअे भी अस विधानको देशकी राजनैतिक अुन्नतियोंमें अेक महत्त्वपूर्ण कदम समझती है; क्योंकि अुस पर देशके सभी महत्त्वपूर्ण दलोंका अधिकसे अधिक अैक्य प्राप्त हो सका है।

“देशमें कोअी अकल्पित परिस्थिति पैदा न हो जाय और अस विधानको ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ३१ दिसम्बर १९२९ तक पूरी तरह स्वीकार कर ले तो कांग्रेस अुस पर कायम रहेगी। परन्तु अगर वह स्वीकार न करे तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोगकी घोषणा कर देगी और सरकारको कर न देनेकी और अैसी ही दूसरी सिफारिशें देशसे करेगी।

“अस प्रस्तावमें बाधा न पड़े, अस ढंगसे कांग्रेसके नाम पर स्वाधीनताका प्रचार करनेमें कोअी आपत्ति नहीं।”

अस प्रस्ताव पर सुभाषबाबूने अस आशयका संशोधन अुपस्थित किया कि ब्रिटिश सम्बन्ध तोड़े बिना काम नहीं चल सकता और पंडित जवाहरलालने अुसका अनुमोदन किया। गांधीजीकी हृदयवेदनाका पार नहीं था। प्रस्ताव पर दोनों पक्षोंके भाषण हो चुकनेके बाद गांधीजीने अपने अन्तिम भाषणमें अत्यन्त दर्दभरी वाणीमें जो शब्द कहे, वे हमेशाके लिये हृदयमें अंकित कर रखनेके लायक हैं। पहले हिन्दीमें कहा :

“यह नेहरू रिपोर्ट हमारे नेताओंकी कृति है। मद्रास कांग्रेससे अुसकी अुत्पत्ति हुअी है, अुसमें सरकारका जरा भी हाथ नहीं और अुसका नाम कुछ भी हो परन्तु अुसमें आजादीका परवाना है—आजके लिये तो है ही, कलके लिये है या नहीं सो मालूम नहीं। परन्तु अस समय तो मुझे आपके

सामने सम्मान और स्वाभिमानकी बात कहनी है। कोअी भी देश अपनी अिज्जत, प्रतिज्ञा और सचाओीको छोड़ दे, तो वह स्वाधीनताके योग्य नहीं रह जाता। मुझे महान वेदना अिससे होती है कि आपने कल जो समझौतेका प्रस्ताव स्वीकार किया था, अुसे आज आपने छोड़ दिया। मेरे दिलका प्रस्ताव तो दूसरा था, परन्तु आप नौजवानोंको खुश करनेके लिये मुझे कहां तक जाना चाहिये, यह सोचकर मैंने समझौतेका प्रस्ताव स्वीकार किया। भाओी सुभाष बोसने कहा कि औपनिवेशिक स्वराज्यका प्रस्ताव करके ये बूढ़े लोग हमारा झंडा नीचे गिरानेके लिये अिकट्टे हुअे हैं। अगर आपका यह खयाल हो तो आप अध्यक्षको क्यों नहीं हटा देते? दूसरा अध्यक्ष टूंड लीजिये, जो आपका झंडा अूंचा रखे। मैं आपका झंडा गिराता हूं तो आप मुझ पर थूकिये। मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे दांत गिर गये हैं। अगर आप यह मानते हैं कि मैं १९२० में सोनेका था और अब पीतलका हो गया हूं तो मुझे लात मारकर निकाल दीजिये। परन्तु यह अिज्जतका सवाल है। अंग्रेजीमें जिसे 'ऑनर' कहते हैं, अुसका सवाल है। आप 'पूर्ण स्वाधीनता' की बात कहते हैं और घड़ीभर पहले दिया हुआ वचन तोड़ रहे हैं, यह कैसे बरदाश्त किया जा सकता है? "

फिर बंगाली नौजवानोंको चेतावनी देते हुअे अंग्रेजीमें कहा :

"अगर तुम समझते हो कि यह बनिया तुम्हारी भावनाओको नहीं समझ सकता तो यह भूल है। अगर यह महसूस होता हो कि तुमने समझौता करके बेजा किया, यह खयाल हो कि अुसमें कोअी पाप हो गया, तो तुम्हें अुसका प्रायश्चित्त करना चाहिये। वह प्रायश्चित्त प्रस्तावमें संशोधन रखनेसे नहीं हो सकता। तुम्हें केवल विचारकी भूल प्रतीत होती हो, तो अुस भूल पर कायम रहना ही तुम्हें शोभा देगा। परन्तु तुम अपनी अिज्जतको न डुबोओ। तुम मुझे हटा दो, यह मुझे बहुत पसन्द है। परन्तु तुम्हारी अिज्जत, तुम्हारी विवेक-बुद्धिका हनन हो, तो अुससे मेरे हृदयमें खंजर लगता है। जैसे तुम्हें गुलामी असह्य हो अुठी है, वैसे मुझे भी असह्य है। परन्तु कलुषित वातावरण, फूट, विवेकशून्यता और कार्यदक्षताका अभाव मेरे लिये अधिक असह्य है, तुम्हें भी अधिक असह्य होना चाहिये। अगर तुम शुद्धि करो, नियमपालन सीखो और सारा रचनात्मक कार्यक्रम सफल बनाओ, तो स्वराज्य तो हस्तामलकवत् है। "

प्रस्तावों पर मत लेनेमें आधी रात हो गयी। ९०० के विरुद्ध १३०० मतोंसे गांधीजीका प्रस्ताव पास हो गया। मतगणना ठीक होती है या

नहीं, यह देखनेकी जिम्मेदारी कांग्रेसके मंत्रीकी हैसियतसे जवाहरलालजीकी थी। गांधीजीके पक्षकी तरफसे बहुमत प्राप्त करनेका कोअी प्रयत्न नहीं हुआ था, परन्तु स्वाधीनतावादियोंने अपने पक्षमें मत खींच लेनेके लिये बड़ी धांधली मचाओी। थोड़ी देरके लिये कांग्रेसका वातावरण दूषित हो गया। जब कुछ नौजवान मतोंकी गड़बड़ करते हुअे पाये गये, तब जवाहरलालजी अुस पक्षके होते हुअे भी अुनके विरुद्ध पुण्यप्रकोपके मारे जल अुठे और अुन्होंने अनुचित बातें रोकनेके लिये जी तोड़ प्रयत्न किया। राजाजी, सरदार वगैरा साथी गांधीजीको यह प्रस्ताव पेश करनेसे पहले ही मना कर रहे थे। अुनका कहना था कि प्रस्ताव पर बहुमत हो जायगा, तो भी अेक बड़े दलको वह पसन्द न होगा। अिसलिये कोअी काम न हो सकेगा। परन्तु गांधीजीको तो यही बात असह्य थी कि अेक अग्रगण्य पक्ष अपनी बातसे मुकर जाय। अिसलिये प्रस्तावकी अपेक्षा अुन्होंने सम्मान और विवेकके मुद्देको ही अधिक महत्त्व देकर प्रस्ताव अपुस्थित किया और अेक वर्षके बाद स्वाधीनताकी लड़ाअीमें देशका पथ-प्रदर्शन किया।

अिस कांग्रेसके झगड़े-टंटोंमें अेक मजेदार अुल्लेखनीय घटना हो गअी। बारडोलीके सत्याग्रहियोंको बधाओी देनेवाला प्रस्ताव सभापतिकी तरफसे ही पेश हुआ, क्यौंकि अुसमें किसीके मतभेदका प्रश्न ही नहीं था। सभापतिने प्रस्ताव पढ़कर सुना दिया, तो हजारों प्रतिनिधियोंने और दर्शकोंने सरदारके दर्शनकी मांग की। सरदार बड़े संकोचके साथ अपने स्थान पर खड़े हुअे, परन्तु अितनेसे लोगोंको सन्तोष न हुआ और अुन्होंने आग्रह किया कि सरदारको व्याख्यान-मंच पर लाया जाय। सरदार वहां जा नहीं रहे थे, अिसलिये अन्तमें अुन्हें घसीट कर वहां ले जाकर खड़ा किया गया। कअी क्षण तक अुनके अभिनन्दन और जय जयकारसे मंडप गूँजता रहा। सरदारने अिन दो हिन्दी वाक्योंमें सभाको धन्यवाद दिया :

“ बारडोलीके किसानोंको आपने धन्यवाद दिया, अिसलिये मैं आपका बहुत आभार मानता हूं। अगर आप अुनका सच्चा धन्यवाद करते हैं, तो मैं अुम्मीद करता हूं कि आप बारडोलीका अनुकरण करेंगे।”

परन्तु अधिक मजा तो विषय-समितिकी बैठकमें आया था। वहां सरदारको बधाओी देनेवाला जो प्रस्ताव पेश किया गया, अुसमें ‘सरदार वल्लभभाओी’ शब्द थे। स्वाधीनतावादी साम्यवादके सिद्धान्तोंको माननेवाले थे, अिसलिये वे किसी भी प्रकारका खिताब तो मंजूर कर ही नहीं सकते थे। परन्तु लोगोंके दिये हुअे सम्मानसूचक नाम भी अुन्हें मंजूर नहीं थे, अिसलिये अुन्होंने यह आग्रह किया कि प्रस्तावमें ‘सरदार वल्लभभाओी’ के बजाय ‘श्री वल्लभभाओी’

लिखा जाय। सरदार अुस समय विषय-समित्तमें मौजूद नहीं थे, नहीं तो वे खुद ही अिस संशोधनका समर्थन करते। जब अिस संशोधनकी खुशखबरी अुन्हें सुनायी गयी, तब वे हर्षसे बोले: “अच्छा हुआ, कांग्रेसने मेरी सरदारी छीन ली!”

अिस प्रकार सन् '२८ की कांग्रेसमें सन् '३० की लड़ायीकी वुनियाद पड़ी। नेहरू-योजनाको रद्द करके पूर्ण स्वाधीनताके प्रस्तावका ही आग्रह रखनेवालोंको अपने निश्चयकी जिम्मेदारीका कितना खयाल होगा, यह कहना कठिन है क्योंकि स्वाधीनताका प्रस्ताव तो कांग्रेसमें पहले कयी बार आ चुका था और सन् '२७ की मद्रास कांग्रेसमें पास भी हो गया था। परन्तु अुस प्रस्तावको पास करने-वालोंने अुसके अमलके लिये गंभीर होकर कोयी योजना या काम नहीं किया था, जब कि अिस प्रस्तावमें तो ता० ३१ दिसम्बर १९२९ से पहले नेहरू-योजनाके अनुसार विधान न मिल जाय तो सीधी लड़ायी करनेकी प्रतिज्ञा थी। अिसलिये गांधीजी और सरदार वगैरा अुसकी तैयारीमें लग गये।

## १९२९ का तैयारीका वर्ष

जब बारडोलीमें सत्याग्रहकी लड़ाई हो रही थी, तभी सूरत जिलेमें और उसके आसपासके देशीराज्योंके अिलाकेमें मद्यनिषेधका आन्दोलन करनेके लिये अेक संस्था स्थापित की गयी थी। सरदार उसके अध्यक्ष थे और श्री मीठुबहन पीटिट मंत्री थीं।

बारडोलीकी लड़ाईके समय जब वे बहनोंमें घूमती थीं, तभी अुन्होंने देख लिया था कि सूरत जिले जैसी शराब और ताड़ीकी बुराई देशमें और कहीं नहीं होगी। अुन्होंने यह भी देखा कि शराबकी दुकानोंके बहुतसे मालिक पारसी भाई हैं। असलिये अुन्होंने सारे सूरत जिलेमें मद्यनिषेधका कार्य करनेका निश्चय किया। अुन्हीके साहससे यह संस्था कायम हुयी थी।

लड़ाईके दिनोंमें शराबबन्दीका भी बहुतसा काम हुआ और लड़ाई समाप्त होनेके बाद तो जिलेके सभी कार्यकर्ता मुख्यतः इसी काममें लग गये। जिलेकी रानीपरज जातिमें तथा कोली जातिमें अस आन्दोलनके कारण नया जीवन आ गया। ज्यों ज्यों मद्यनिषेधकी हलचल बढ़ती गयी, त्यों त्यों पारसी खातेदार रानीपरज लोगोंसे जो बेगार और सस्ती मजदूरी कराते थे उसका भी विरोध होने लगा। पारसी खातेदार गुस्सा होने लगे और अुन्होंने मद्यनिषेधका काम करनेवाले रानीपरज कार्यकर्ताओं पर हमले करना शुरू कर दिया। सरदार यदाकदा रानीपरज लोगोंकी सभाओंमें जाते थे, परन्तु अस मारपीटका हाल सुननेके बाद अिन गरीब लोगोंमें शक्ति अुत्पन्न करनेके लिये अुनके अिलाकेमें ज्यादा घूमने लगे। बड़ौदा राज्यके कुछ अधिकारी शराबबन्दीके आन्दोलनके विरुद्ध रख रखकर शराबवाले पारसियोंको मदद देते थे। यह देखकर सरदारने बड़ौदा राज्यको चेतावनी दी:

“ आपके राज्यसे मेरी लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाईका क्षेत्र दूसरा ही है। अंग्रेज सरकारके खिलाफ मेरी लड़ाई कब पूरी होगी, असका मुझे पता नहीं। ब्रिटिश राज्यमें होनेवाली जाग्रतिका असर बड़ीदे पर हुअे बिना नहीं रहेगा। असलिये आप लोगोंको व्यर्थ न छेड़कर रहमसे काम लीजिये, कर्मचारियोंको शराबवालोंके साथ मिलकर षड्यंत्र करनेसे रोकिये और शराबवालोंसे हमें अपने आप निपट लेने दीजिये।”

गरीब रानीपरज लोगोंको सरदारने सलाह दी कि शराबवाले मारपीट करें या और किसी तरहका जुल्म करें, तो उनसे न डरकर सामना करें और उन्हें बदलेमें मारकर भी आत्मरक्षा करें। शराबवालों या दूसरे अजुले खातेदारोंका सामना हरगिज नहीं किया जा सकता; वे मारें, गालियां दें या बहूबेटीकी लाज लूटें तो भी देखते रहें — अिस प्रकारका डर जिस कौममें अनेक वर्षोंसे घर किये बैठा था, अुस कौमको यही सलाह देना सरदारको व्यावहारिक प्रतीत हुआ। जब अिस जातिको अपनी शक्तिका भान होगा, तब अुसे अहिंसाकी शिक्षा देनेका समय आयेगा; तब तक अुसे बहादुर बनाने और शरीर तथा अिज्जत-आबरू पर हमला होने पर अुसका सीधा प्रतीकार करनेका अुपदेश देना ही सरदारको ठीक मालूम हुआ।

अप्रैल मासमें अुनाअी गांवमें, जहां अुबलते पानीके कुण्ड है और जो यात्राका स्थान माना जाता है, अेक बड़ी रानीपरज परिषद हुआ। अुसमें भाषण देते हुआ देशीराज्योंकी आबकारी-नीतिके बारेमें सरदारने कहा :

“यहां बड़ोदा और बांसदा रियासतोंकी हद मिलती है। बड़ोदाके राजमहलसे लेकर गरीबकी झोंपड़ी तक शराबने सत्यानाश कर दिया है। गरीब लोगोंको व्यसनी बनाकर अुनके व्यसनसे राज्यकी आमदनी बढ़ानेकी नीति जिस राज्यकी हो, अुस राज्यमें और अुसके राजकुटुम्बमें सुख और शान्ति कैसे हो सकती है? मैंने सुना है बांसदाके राजा बहुत भले हैं। परन्तु जब शराबकी आमदनी घटती है, तो अुनकी श्रद्धा ढीली पड़ जाती है। महूअे अुनके अीश्वर है। अुन्हें शक होने लगता है कि कोअी और अीश्वर भी है। जिन राज्योंको अीश्वर पर विश्वास नहीं और जिस राज्यको यह चिन्ता होती है कि रैयत शराब-ताड़ी छोड़ देगी तो लगानका क्या होगा, अुस राज्य पर मुझे दया आती है।”

फिर राज्योंको चेतावनी दी :

“ये राज्य हमारे शराबबन्दी आन्दोलनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता। अिन राज्योंके साथ लड़ाअी करना मैं अपने लिये शरमकी बात समझता हूं। बांसदा जैसे बालिश्त भरके राज्यको तो हमारा अेक धाराला डाकूपन करके बसमें कर सकता है। अुसके साथ लड़नेमें मैं अपनी शक्ति क्या खर्च करूं? मेरा काम तो ब्रिटिश साम्राज्यके साथ लड़ना है। मैंने अपना क्षेत्र निश्चित कर रखा है, परन्तु रियासतें याद रखें कि अुनके कर्मचारी प्रजाको कष्ट देंगे, तो मैं अेक घड़ीके लिये भी बरदाश्त नहीं करूंगा।”



यहां पारसी जातिका बहिष्कार होता है, अिन झूठी गप्पोसे बम्बओके पारसी क्षुब्ध हो अुठे थे। सभामें बहुतसे पारसी भाओ-बहन मौजूद थे। अुन्हें सम्बोधन करके सरदारने कहा :

“ मैं बम्बओके पारसियोंको विश्वास दिलाता हूं कि यहांके जंगलमें रहनेवाला अेक भी पारसी सीधे रास्ते चलता होगा, तो अुस पर बहिष्कार या और किसी भी तरहका जुल्म न होने देनेकी जिम्मेदारी लेनेको मैं तैयार हूं। बम्बओके अखबारोंमें जो शिकायतें आती हैं, अुनमें कोओ तथ्य नहीं। मुझे दुःखके साथ कहना चाहिये कि जो लोग शिकायतें करते हैं, वे पारसी नहीं परन्तु पारसी कौमको बदनाम करनेवाले हैं। अुनके कृत्योंकी कुछ बातें मेरी जानकारीमें हैं, जिन्हें मैं जाहिर नहीं करना चाहता। जब तक अिस हलचलमें पारसी कौमके रत्नके समान मीठूबहन तथा दूसरे पारसी भाओ सम्मिलित हैं, तब तक अिस झूठी चिल्लाहटसे मैं नहीं डरता। . . . शराबकी दुकानोंवाले पारसियोंको सतानेकी बात झूठी है, परन्तु मैं जानता हूं कि शराबखानोंवाले मद्यनिषेधका आन्दोलन करनेवालोंको कओी तरहसे सताते हैं। मुझे जाहिर कर देना चाहिये कि बारडोली सत्याग्रहके बाद आज तक किसी भी पारसीका बहिष्कार हरगिज नहीं हुआ। किसीके यहां लोग मजदूरी पर जानेसे आनाकानी करते होंगे, परन्तु वे खतेदार अपने मजदुरोंके साथ ठीक बरताव नहीं करते होंगे। पाक-परवरदिगार पारसी कौमको सद्बुद्धि दे और अुन्हें अिस धन्धेसे छुड़ाये, यही मेरी प्रार्थना है। ”

बारडोली सत्याग्रहकी विजयके बाद जब लगानकी जांच-कमेटीका काम हो रहा था, अुस समय ता० ३१ जनवरीको गुजरातमें सख्त सर्दी पड़ी थी। कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी अुस सर्दीसे जल गये थे, अिसलिअे अुसे किसानोंने लकड़िया सर्दी कहा था। किसानोंको आश्वासन देने और सरकारसे लगान स्थगित करनेका आग्रह करनेके लिअे सरदारने ‘नवजीवन’ में ‘गैबी मार’ ( दैवी प्रहार ) शीर्षक लेख लिखा :

“ पिछले साल गुजरातमें अभूतपूर्व जलप्रलय हुआ। अिस वर्ष अभूतपूर्व ठंड पड़ी। सारे गुजरातमें चारों तरफ किसान चिल्ला रहे हैं। सोने जैसी लाखों रुपयेकी कपास और तम्बाकूकी फसल बिलकुल जलकर खाक हो गओी। सागभाजी और फलोंके पेड़ भी जल गये। जब बबूल जैसे कठोर पेड़ तक जल गये, तब खेतीबाड़ीका तो कहना ही क्या ? कहीं कहींसे मनुष्यों और ढोरोंके ठंडके मारे लाश बन जानेकी खबर आओी है।

“ किसान अिस बार दैवी प्रहारसे मूढ़ बन गये हैं। बाढ़के संकटसे भी अिस बारका दुःख अुन्हें सख्त प्रतीत हुआ, क्योंकि पूरी तरह मेहनत

और खर्च करनेके बाद बिलकुल तैयार हुयी फसल अेक ही रातमें नष्ट हो गयी और दैवने मुंहमें आया हुआ कौर छीन लिया !

“अिस बार लगान लेनेका विचार करना किसानोंके खूनकी आखिरी बूंद चूसनेके समान साबित होगा। मुझे अम्मोद हैं कि सरकार अिस बार गुजरातके किसानोंके साथ अुदारतासे काम लेगी।

“गुजरातके किसानोंको मेरी सलाह है कि वे कितनी ही बड़ी विपत्तिमें भी हिम्मत न हारें। यह समझकर कि अीश्वरको हमारी परीक्षा करनी होगी वे सावधान हीकर किसी भी प्रकार अगला मौसम पकड लेनेकी कोशिश करें।”

अिस चेतावनीके बावजूद अधिकारी तो अपने तरीकेके अनुसार अिस ढंगसे फसलके अन्दाजके आंकड़े तैयार करने लगे, जिससे लगान वसूल किया जा सके। ठंडकी मारके सिवाय अहमदाबाद और खेड़ा जिलेके कुछ भागोंमें टिड्डियां आ गयी थी और अिससे भी नुकसान हुआ था। खेड़ाके कलेक्टरसे सरदारने पत्रव्यवहार किया, जिसमें कलेक्टरने स्वीकार किया कि ‘लोगोंका बहुत नुकसान हुआ है और काफी राहत देनेके लिये मैं भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं तहसीलदारोंकी तरफसे फसलके अनुमानकी बाट देख रहा हूं।’ अहमदाबाद जिलेमें दक्षिण दसक्रोअी और धोलका तालुकेमें परिस्थिति अधिक विकट थी। अन्तमें सरकारकी राहत प्रकाशित हुयी। परन्तु वह काफी नहीं थी। मि० मैक्सवेल, जो बारडोलीकी जाच-समितियोंमें थे, अुस समय बम्बअी सरकारके रेवेन्यू मेम्बर थे। अुन्हें सरदारने लिखा और खास तौर पर मातर और महेमदाबाद तालुकेमें काफी राहत देकर किसानोंको खड़ा रखनेकी अुनके मार्फत गवर्नरसे प्रार्थना की। लगानको पूरी तरह मुलतवी करनेका यह साफ केस था परन्तु जिस समय बड़ी लड़ाअी नजदीक आ रही थी अुस समय अैसी छोटी लड़ाअियोंमें पड़नेसे लोगोंका ध्यान मुख्य बातसे हट जायगा, अैसा सरदारका खयाल था। अिसलिये पत्रव्यवहार द्वारा दबाव डालकर सरकारसे किसानोंको अधिकसे अधिक राहत दिलवाअी।

मार्चकी आखिरी तारीखोंमें मोरबीमें पांचवीं काठियावाड़ राजनैतिक परिषद हुयी। सरदार परिषदके अध्यक्ष चुने गये। परिषदके सम्बन्धमें आम तौर पर यह परिपाटी तय हो चुकी थी कि जिस राज्यमें परिषद हो, अुस राज्यकी लिखित नहीं तो गर्भित अनुमतिये परिषद की जाय। फिर भी अिसी परिषदके समय और अिसी परिषदके स्थान पर युवकोंने रियासतकी अिजाजतके बिना मुषक-परिषद करनेका निश्चय किया था। परिषदके संचालकोंका खूब ही आग्रह था कि गांधीजी तो परिषदमें अवश्य शरीक हों। अुनकी गैरहाजिरीमें परिषद

करनेकी अनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिसका कारण शायद युवकोंकी यह धांधली भी होगी। गांधीजीने मोरबीके युवकोंके नेताओंसे खूब बातचीत की। युवकोंके नेताओंकी यह दलील थी कि किसी भी राज्यसे अिजाजत लेनेकी जरूरत न होनी चाहिये, गांधीजी या सरदारसे पूछनेकी भी आवश्यकता न होनी चाहिये और राज्योंकी व्यक्तिगत आलोचना न करनेके बारेमें लिखित सफाई देनेकी भी जरूरत न होनी चाहिये। गांधीजीने अन्हें समझाते हुअे कहा कि 'युवकोंका विकास हो और वे बलवा करनेकी शक्ति प्राप्त करें, यह मुझे प्रिय लगता है। अनकी अपरोक्त सभी बातें मुझे मंजूर हैं। परन्तु जैसे भूमितिका अेक पद छोड़ दिया जाय तो सारा सिद्धान्त टूट जाता है, वैसे यह कहनेवाले अेक मुख्य बात भूल जाते हैं। असलिये ये सारी बातें बेमौका साबित होती हैं। वह मुख्य बात यह है कि युवक अपनी परिषद काठियावाड़ राजनैतिक परिषदके दिनोंमें और अुसीके स्थान पर करना चाहते हैं। आप अपनी परिषद जूनागढ़ या गोंडलमें करें, तो मुझे या सरदारको बीचमें न पड़ना पड़े। यहां भी आप अपनी परिषद महीने बीस दिन बाद कर सकते हैं। परन्तु आज यहां राजनैतिक परिषद हो रही है, जिससे लाभ अुठाना चाहते हो और फिर भी अुसकी मर्यादाओं स्वीकार करनेको तैयार नहीं, यह अनुचित है। ब्रिटिश राज्यमें और यहां पर स्थिति अलग अलग है। ये राजा स्वयं पराधीन और डरपोक हैं। अनकी मर्यादाओं हमें समझनी चाहियें। अगर परिषद करनेका मोह रखना ही हो, तो अनकी अिजाजत लेनेकी शर्त भी मान लेनी चाहिये। ये राजा कैसे भी हों परन्तु है देशी राजा और अपने ही हैं। यह विश्वास बना ही रहता है कि अन्हें किसी दिन सुधार लेंगे।' अस प्रकार कोअी डेढ़ घण्टे तक बातचीत हुअी। अन्तमें यह तय हुअा कि जैसी गांधीजीकी अिच्छा हो अुसी ढंगसे और अुसी रूपमें वे महाराजा साहबसे युवक-परिषदकी बात कर लें और वह काठियावाड़ राजनैतिक परिषदके अंगके रूपमें की जाय। परन्तु किसी न किसी कारणसे यह बात बदल गअी और युवक लोग रातको स्टेशन पर कूच करके मोरबी छोड़ गये। सरदारका अपसंहारका भाषण खास तौर पर अिन परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर हुअा।

सरदारने अध्यक्षके रूपमें जो लिखित भाषण दिया, वह भी सुन्दर तो था ही परन्तु परिषदके अन्तमें अपसंहारके तौर पर जो भाषण दिया वह अुसे भी मात करता था। अस बात पर कि परिषदको प्रजाका पूरा पूरा सहयोग मिलना चाहिये, बहुत जोर देकर अन्होंने कहा कि परिषदके साथ प्रजा न हो तो बोला हुअा सब कुछ व्यर्थ जायगा। हम जो कुछ बोलें अुसमें ताकत होनी चाहिये। राजाओंकी खाली निन्दा करें तो अससे कुछ नहीं होगा। दुनियामें अेक भी

अुदाहरण अैसे राजाका नहीं है, जो केवल निन्दासे हारा हो। जिससे तो राजा बेहया बन जाता है। राजा पर असर डालना हो तो अुसके सम्पर्कमें आना चाहिये, राज्यकी सेवा करनी चाहिये। परन्तु आज तो हम राजाओंसे दूर भागते हैं। राजासे सब बातोंकी आशा रखकर हम खुद कुछ नहीं करते। जिससे न हम राजाकी सेवा करेंगे, न प्रजाकी। यह कहकर अुन्होंने अपने भाषणमें कुछ बातें अैसी कहीं, जिनमें अपनी स्थितिका, अपनी शक्तिका और अपनी मर्यादाओंका सुन्दर चित्र खींचा। वे अंश यहां अुद्धृत किये जाते हैं :

“आपने मुझसे बड़ी आशा रखी है, क्योंकि कुछ ही समय पहले बारडोलीमें कुछ विश्वास पैदा करनेवाला काम हुआ है। परन्तु अपने दिलकी बात कह दूँ? आपके काठियावाड़में तो दीये तले अंधेरा है। अगर आप यह मानते हैं कि मैं कुछ सीखा हूँ और मुझमें कुछ शक्ति है, तो जो व्यक्ति आज काठियावाड़ और हिन्दुस्तानका पथ-प्रदर्शन कर रहा है, अुसीसे मैं सीखा हूँ और अुसीसे मैंने शक्ति प्राप्त की है। मेरे मनकी गहराओंमें भी यह मान्यता नहीं है कि बारडोलीमें मेरी अपनी शक्तिसे कुछ भी हुआ; और अगर कहीं भी यह मान्यता छिपी हो तो अीश्वरसे मेरी सदा यही प्रार्थना है कि वह अुसे निकाल दे। मैं तो अेक निमित्तमात्र था। आज मैं नहीं कह सकता कि काठियावाड़में पैदा हुआ होता और काठियावाड़में ही सेवा करता होता तो मैं क्या कर सकता था। मेरा और गांधीजीका अैसा सम्बन्ध हो गया है कि अुनके विचारमें और मेरे विचारमें तो कोअी भेद नहीं होता। परन्तु व्यवहारमें आकाश-पातालका भेद है। भगवान जाने अुनके चरणोंमें बैठने योग्य बननेके लिये मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे। परन्तु मैंने अुनसे जो चीज प्राप्त की, अुसे बारडोलीके लोगोंके सामने रख दी। क्या वह चीज आज काठियावाड़के लोगोंको दी जा सकती है? जिसे त्रिदोषकी व्याधि हो गयी हो, अुसे मिठाअी दे सकते हैं? काठियावाड़को त्रिदोषकी व्याधि है। त्रिदोष-वाला मनुष्य कपड़े फाड़ दे, अलजलूल बक दे; अुसे अपना भान नहीं होता। अैसे आदमीको मिठाअी दे दें, तो अुसके प्राण चले जायं। समझदार आदमी अैसे रोगीके लिये दूसरे अुपाय ढूँढेगा। ब्रिटिश भारतमें रहने पर भी, जहां बोलने पर यहांसे कम अंकुश हैं अैसे वातावरणमें रहते हुए भी आपसे सच कहता हूँ कि सार्वजनिक व्याख्यान देनेसे मैं अूब गया हूँ। बहुत बोलनेसे लाभकी अपेक्षा हानि अधिक होती है। काठियावाड़को आज जरूरत कम बोलनेकी और क्या बोलना चाहिये यह सीखनेकी है। . . .

“आपके पास जो गुण हैं अुनमें मैं कुछ न कुछ वृद्धि करूं तो ही आपकी सेवा होगी। जिसलिये आपमें जो बुराअियां दीखती हैं, वे मुझे

प्रेमभावसे बतानी चाहियें। आपकी-सी जबानकी मिठास मुझमें होती तो आपको प्रेमभावसे आपके दोष कह सुनाता। मैं तो किसान ठहरा। दो टूक बात कहनेकी मेरी जन्मकी आदत है। इसलिये आपसे कहता हूँ कि सभ्यता और खुशामदमें भेद करनेकी आदत डालिये।

“मैं बूढ़ा भी नहीं और जवान भी नहीं। परन्तु वृद्धावस्था और युवावस्थाके संगमके तट पर बैठा हूँ। जवानोंके खेल खेलनेकी मेरे जीमें आती है, परन्तु बूढ़ोंका अनुभव मुझे संयम भी सिखाता है। जवानोंके अतसाहसे जो प्रेरणा लेता हूँ, अुसके साथ बूढ़ोंका अनुभव भी जोड़ना चाहता हूँ। वृद्धोंकी हंसी अुड़ानेवाले बापकी विरासत गंवा देते हैं। आज सारे देशमें विद्रोहकी पुकार सुन रहा हूँ; परन्तु शोर मचानेवालोंने कभी विद्रोह नहीं किया। विद्रोह करनेवाले चुप रहते हैं। अपना जोश अपने अन्दर भरकर रखते हैं और वक्त आने पर ही बाहर निकालते हैं। ...

“मुझे बहुतसे लोग गांधीजीका अन्धभक्त कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझमें सचमुच अुनका अन्धभक्त बननेकी शक्ति हो। परन्तु वह नहीं है। मैं तो साधारण बुद्धिका दावा करनेवाला आदमी हूँ। मुझमें समझनेकी शक्ति मौजूद है। मैंने दुनिया भी काफी देखी है। इसलिये समझे बिना अेक हाथकी लंगोटी पहनकर फिरनेवालेके पीछे पागल होकर फिरता रहूँ, अैसा मैं नहीं हूँ। मेरे पास बहुतोंको ठगकर धनवान बननेका धन्धा था। परन्तु वह छोड़ दिया, क्योंकि मैंने इस आदमीसे सीखा कि किसानोंकी भलाजी यह धन्धा करके नहीं हो सकती। अुन्हींके मार्ग पर हो सकती है। जबसे वे हिन्दुस्तानमें आये, तबसे मैं अुनके साथ हूँ। और इस जन्ममें तो अुनके साथका सम्बन्ध छूटेगा नहीं। अितने पर भी मैं अुन्हें अपने कामसे दूर रखता हूँ। क्योंकि हम जो अपनी शक्ति खो बैठे हैं, वह हमेशा अुनकी तरफ देखते रहनेसे तो आयेगी नहीं। हमेशा हर जगह अुनसे आशा रखें तो हमारा काम कैसे चले? जब वे मैसूरमें बीमार थे तब कअी जनोंने अुन्हें तार दिया था कि प्रलय-निवारणके कामके लिये गुजरात आअिये। अुन्होंने मुझे तार दिया कि ‘आअूं’? मैंने अुन्हें लिखा कि दस वर्षसे आपने गुजरातको जो मंत्र दिया है सो पचा है या नहीं, यह देखना हो तो न आअिये। बारडोलीमें भी मैंने अुनसे कहा था कि मेरे जेल चले जानेके बाद ही आअिये। ...

“हममें तालीम और व्यवस्थाकी कमी है। सिपाहीगिरीकी कमी है। हमें हुकम बजा लानेकी आदत नहीं पड़ी। इस व्यक्ति-स्वातंत्र्यके जमानेमें हम स्वच्छंदताको स्वतंत्रता मान बैठे हैं। हिन्दुस्तानका दुःख,

काठियावाड़का दुःख नेताओंके अभावका दुःख नहीं, नेताओंके बाहुल्यका है, सिपाहीगिरीके अभावका है। काठियावाड़के युवकोंको भीश्वर वह शक्ति दे।”

अब तक सरदारका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात ही था। नागपुर झंडा सत्याग्रहका संचालन अन्होंने सफलतापूर्वक किया था। परन्तु गुजरातकी आम जनताके साथ, खास तौर पर किसान वर्गके साथ वे जैसे ओतप्रोत हो गये थे, वैसे ओतप्रोत होनेका वहां अवसर नहीं आया था। दूसरे प्रान्तोंकी जनतासे मिलनेका भी उनका काम नहीं पड़ा था। हर साल कांग्रेसमें जाते तब अन्य प्रान्तोंके लोगोंसे मिलना होता, परन्तु वह प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओंसे ही। परन्तु बारडोलीकी विजयके कारण दूसरे प्रान्तोंकी जनता, विशेष रूपमें किसान उनके प्रति आकर्षित हुअे। साथ ही बम्बयी प्रान्तमें अिस अरसेमें कभी तालुकोंमें, जैसे महाराष्ट्रके बागलान, मालेगांव, वसयी, पालगढ़ और देवगढ़ वगैरा तालुकोंमें, लगान बढ़ानेकी कोशिशें हो रही थी। अिसलिये मयी मासमें महाराष्ट्रकी राजनैतिक परिषद हुअी तो अुसमें सरदार अध्यक्ष चुने गये। सरदारको खयाल हुआ कि महाराष्ट्र तो ‘राजनीतिज्ञ’ लोगोंका केन्द्र है और उनकी परिषदका व्याख्यानमंच पंडितोंका अखाड़ा है। वहां मेरी क्या चलेगी? परन्तु गांधीजीने कहा कि ‘आपको जाना ही चाहिये,’ अिसलिये अन्होंने सभापतिपद स्वीकार कर लिया।

यह परिषद होनेकी तो थी नासिकमें, परन्तु अुस समय वहां प्लेग हो गया। अिसलिये अुपनगर जिलेके श्री जयसुखलाल महेता, श्री गोकुलभायी भट्ट और श्री वांदरेकर वगैराके प्रयत्नसे परिषदका स्थान बांदरा चुना गया। सरदारको यह जरा अनुकूल हुआ, क्योंकि बांदरा महाराष्ट्र व गुजरातका संगम स्थान माना जाता है। प्रचलित प्रथाके अनुसार सरदारने अपना भाषण अंग्रेजीमें लिख लिया था और चूकि लगान सम्बन्धी नीति अुस समयका मुख्य प्रश्न था, अिसलिये सरदारने अुसका खूब विस्तार किया था। लगान-वृद्धिके विरुद्ध महाराष्ट्रमें हलचल तो शुरू हुअी थी। परन्तु सरकारके विरुद्ध किस तरह लड़ा जाय, अिस सम्बन्धमें वहांके पंडित जो योजनाअें बना रहे थे, वे बड़ी अव्यावहारिक थी। उनकी आलोचना करते हुअे सरदारने अपने लिखित भाषणमें कहा :

“आपके प्रान्तका रुख रैयतको यह सलाह देनेका होना मालूम होता है कि सरकारके तय किये हुअे लगानमें से अेक रुपया कम चुकाया जाय या जितना बढ़ाया गया है अुतनी रकम जमा न करायी जाय। अैसी सलाहकी जड़में यही अुद्देश्य मालूम होता है कि सारा लगान न देनेसे रैयतको जो नुकसान

और कष्ट अठाना पड़ता है, वह गरीब रैयतको न अठाना पड़े। परन्तु जिस सलाहमें अंक हानि तो यह है कि कोअी यह माननेको ही तैयार नहीं होता कि आप सचमुच लड़ना चाहते हैं और अन्तमें यह आंखमिचौनीका-सा खेल हो जाता है। अगर सारी जमाबन्दी ही अन्यायपूर्ण हो, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वृद्धि ही अन्यायपूर्ण है। वृद्धि सहित सारा लगान अन्यायपूर्ण है, तो सारा लगान न देना ही युक्तिसंगत होगा और वही कारगर सिद्ध होगा। मैं नम्रतापूर्वक सूचित करता हूं कि अैसी लड़ाइयोंमें आर्थिक हानिका विचार ही नहीं किया जा सकता। हमारे गरीब और गुलामों जैसे बने हुअे किसानोंको मर्द बनाना हो तो, अुनमें स्वेच्छापूर्वक त्याग करने और कष्ट सहनेकी शक्ति पैदा करनी चाहिये।”


कअी तालुकोंमें जो लगान-वृद्धि की जा रही थी, वह कितनी स्वेच्छापूर्ण थी जिस बारेमें अुन्होंने कहा :

“ धारासभाके दो दो प्रस्ताव हो जाने पर भी कअी तालुकोंमें वृद्धि होती जा रही है। लगान किस तरह मुकर्रर किया जाय, यह तय करनेके लिअे अंक कमेटी बनायी गयी थी। परन्तु सरकार अुस कमेटीके बहुमतकी सिफारिशोंको घोलकर पी गयी और माल-विभागकी अंक चंडाल-चौकड़ीकी सूचनायें सरकारने स्वीकार कर लीं। लगानके मामलेमें रैयत जरा भी हाथ डाले, यह जिस चौकड़ीको खटकता है। अिन लोगोंकी करतूतोंके विश्द हमें अच्छी तरह जूझना चाहिये और अिनकी आदत छुड़वानी चाहिये।”

भाषण पढ़े जानेके बाद विषय-समितिकी बैठक हुअी। गुजरातकी परिषदोंमें तो प्रस्ताव तैयार करनेका काम आसानीसे निपट जाता था। परन्तु यहां तो बालकी खाल निकालनेवाले मस्तिष्क थे। परन्तु सरदारने अपने विनोदसे अुन सबको काबूमें कर लिया। महाराष्ट्रके सच्चे कार्यकर्ताओं और लोगोंको तो यह बहुत पसन्द आया। अंक जनने पूछा : ‘खादीका कोट पहने हों और घोती मिलकी हो तो कोअी हर्ज है?’ सरदारने तुरन्त अुत्तर दिया : ‘जो आधी खादी पहने वह आधा वोट दे!’ नियमित खादी पहननेवाला कअी खादी न पहने तो काम चल सकता है, प्रस्तावका अैसा अर्थ करनेकी चर्चा हो रही थी। अुसमें अंक भाजीने पूछा : ‘रोज खादी पहनता हो परन्तु क्वचित् अर्थात् आज खादी न पहने हो, तो क्या वह नियमित खादी पहननेवाला नहीं समझा जायगा?’ सरदारने कहा : ‘मेरे पास तो जो सिक्का रखा जायगा, अुसे मैं बजाकर देखूंगा। वह ठस बोले तो मेरे लिअे वह ठस ही है।’ अस्पृश्यताके प्रस्तावमें ‘हिन्दू धर्म पर जो कलंक-स्वरूप है’ शब्दों पर शास्त्र और भाषाके







वीर योद्धा (१९२९)

विद्वान महाराष्ट्रीयोंने खूब अुहापोह किया। अेक भाअीने पूछा : 'वह हिन्दू धर्म पर कलंक कैसे कहा जा सकता है?' अिस पर सरदारने कहा : 'तो क्या अिस्लाम पर कलंक कहलायेगा या अीसाअी धर्म पर? आप यह कहते हों तो यह लिखें।' धारासभामें जानेवाले नेहरू-रिपोर्ट और कांग्रेसके कार्यक्रमको स्वीकार करनेवाले होने चाहियें, अिस आशयके प्रस्तावका विरोध करते हुअे अेक भाअीने कहा : 'यह धारासभाका कार्यक्रम ही किसलिअे चाहिये?' सरदारने कहा : 'आपको तो नही जाना? जो जाय अुसके लिअे ही यह प्रस्ताव है। जिन्हें जाना हो अुन्हें भले ही जाने दीजिये।' अिस प्रकार किसीको हंसीमें अुड़कर और किसीको रिझाकर अुन्होंने काम अच्छी तरहसे निपटाया।

अुपसंहारका भाषण अुन्होंने गुजरातीमें दिया। वह लिखा हुआ नहीं था, अिसलिअे सबको अधिाक आनन्द आया। अुन्होंने मुख्य बात यह कही कि :

"मेरा तीन दिनका यह अनुभव बहुत मीठा रहा। मैंने महाराष्ट्रको जैसा समझा था अुससे दूसरा ही पाया। मुझे अैसा लग रहा है जैसे घरमें ही हूं। महाराष्ट्रके त्याग, महाराष्ट्रकी तपश्चर्या और महाराष्ट्रकी संस्कृतिके साथ गुजरातकी व्यवहार-बुद्धि जोड़नेकी जरूरत है। जब शिवाजीकी जरूरत थी, तब भगवानने शिवाजीको भेजा। जब लोकमान्यकी आवश्यकता थी, तब लोकमान्य मिल गये। आज अिस बनिया राज्यसे लड़ लेनेके लिअे वणिाक नेताकी जरूरत है। वह भगवानने गुजरातमें गांधीजीको भेजकर हमें दिया है। कहते हैं कि अेक पक्षी पेड़ पर है और अेक शिखर पर है। जिसे जहां अुड़ना हो वहां अुड़े। जिसे जो मार्ग अपनाना हो अपना ले। यह बात गलत है। हम सब खड्डेमें पड़े हुअे हैं। अुसमें से निकलनेका अेक ही मार्ग लेना है। अेक दूसरेकी टांग खीचेंगे तो गिर जायेंगे। गांधीजीकी शिक्षाको तो आप साधुकी शिक्षा कहकर फेक देते हैं। मैं तो साधु नहीं हूं। मैं तो व्यवहार समझनेवाला आदमी हूं। मैं अैसा नहीं हूं जो व्यर्थ घरबार छोड़कर बैठ जाऊं। मैं तो असेम्बलीके अध्यक्षसे भी कहता हूं कि वहां किसलिअे बेकार पानीको बिलो रहे हूं? यहां आअिये और देहातमें बैठकर काम कीजिये। हम सरकारके सारे जोड़ ढीले कर दें। आप वहां पार्लियामेण्टरी जाब्ता पढ़कर असेम्बलीके सामने दस टाअिप किये हुअे पत्रोंका निर्णय पढ़ दें और वह दौड़ता हुआ आकर खड़ा रहे और कह दे कि अपना रूलिंग अपनी जेबमें रखिये, मुझे तो कानून बनाना है, तो आपकी अुसमें कुछ नहीं चल सकती।"

हिंसा करनी हो तो अुसमें भी छुटपुट हत्यायें करने या बमके धमाके करनेसे सफलता नहीं मिल सकती। हिंसाको सफल बनानेके लिअे योजना और व्यवस्था

चाहिये। जिस भेदके सिवाय असली प्रश्न तो कायरता और बहादुरीका है।  
जुसे समझाया :

“श्री जयरामदासने कहा कि अक रास्ता बमका है और दूसरा अहिंसाका है। मगर यह ठीक नहीं। अक रास्ता हिंसाका और दूसरा अहिंसाका है। हिंसाको सफल करनेके लिये भी योजना चाहिये, व्यवस्था चाहिये। हमारे पास असी योजनापूर्वक हिंसा करनेके साधन या शक्ति कहां है? अगर यह शक्ति और साधन होते, तो आप अतने भोले नहीं हैं कि गांधीजीकी बात मानकर रह जाते। बहुत लोग यह कहते हैं कि गांधीजीने हिन्दू-मुस्लिम अकताकी बात कहकर लोगोंको धोखा दिया। मैं कहता हूं कि जो मुसलमानोंके हाथसे मार खाते हैं, वे अपनी कायरताको छिपानेका बहाना ढूंढनेके लिये गांधीजीका नाम लेते हैं। गांधीजीने किसीको नामर्द बनने या भागनेकी सलाह नहीं दी। अन्होंने तो छाती खोलकर मर जानेकी या दुश्मनका मुकाबिला करके असे मारनेकी बात कही है। आपमें ताकत हो तो लड़कर साबित कर दीजिये। हां, पीठ पर वार करके किसीको मारना बहादुरीका काम नहीं।”

अन्तमें कलकत्ता कांग्रेसके निश्चय पर अमल करनेके लिये देशको सविनय कानून भंगके लिये तैयार करनेमें साल भर काम करना चाहिये था, अुसके बजाय अक तरफ देशको धारासभाओंके चुनावोंके चक्करमें फंसा दिया गया और दूसरी ओर ‘पूर्ण स्वाधीनता’ और ‘अौपनिवेशिक स्वराज्य’ के झगड़ेमें डाल दिया गया। यह दुर्भाग्यकी बात है, यह कहकर सलाह दी कि :

“आज तो ‘स्वाधीनता’ या ‘अौपनिवेशिक स्वराज्य’ दोनोंमें से अक भी नहीं मिल रहा है। तो असका कारण ढूंढिये कि क्यों नहीं मिल रहा है। हमें अपूरकी मंजिल पर चढ़ना है, तो जल्दी चढ़नेका प्रयत्न करनेके बजाय असके लिये क्यों झगड़ते हैं कि आधी मंजिल चढ़नी है या पूरी? आधी तो चढ़िये। फिर जिसे आगे जाना हो असे आगे जाने दीजिये। हमारे अधीर नौजवानोंकी अधीरता मुझे पसन्द है। परन्तु यह अधीरता वे काममें दिखलायें तो कितना अच्छा हो! जिन्हें ‘क्रान्ति’ करनी है वे लोग मंच पर चढ़कर चिल्लाते होंगे? असलिये वादविवाद छोड़िये और हमारे साथ काममें शरीक होअिये।”

बारडोलीकी लड़ाअीमें सफलता मिलनेके बाद दूसरे तालुकोंमें भी लोगोंमें लगान-वृद्धिका विरोध करनेकी जाग्रति आअी। बम्बअी प्रान्तके बहुतसे तालुकोंमें अिसी अरसेमें लगानकी नअी जमाबन्दी हुअी थी और वृद्धि की गअी थी। यह पहले कहा जा चुका है। अुसके विरुद्ध आन्दोलन करनेके लिये सारे प्रान्तकी

अेक लैण्ड लीग स्थापित की गयी। चूकि यह संस्था किसानोंके आर्थिक प्रश्न सम्बन्धी ही काम करनेवाली थी, अिसलिये अुसमें सब दलोंके आदमी सदस्य बने थे। सरदार अुसके अध्यक्ष थे। नरसोपन्त केलकर मंत्रियोंमें से अेक थे और सर्वेण्ट्स आफ अिडिया सोसाअिटीके बहुतसे सदस्य अुसके सदस्योंमें थे। अुसकी अेक बैठक पूनामें हुअी, जिसमें तय किया गया कि लगानका आंकड़ा निश्चित करनेका काम केवल माल-विभागके अधिकारियोंके हाथमें है और वे अिसी दृष्टिसे विचार करते हैं कि लगान किस तरह बढ़ाया जाय। यह ठीक नहीं। जमीनके लगानकी सारी नीतिका नये सिरेसे विचार होना चाहिये। अिसलिये लैण्ड लीगकी तरफसे अेक प्रतिनिधि-मंडल गवर्नरसे मिलकर यह प्रार्थना करे कि जिन जिन तालुकोंमें लगानकी नअी जमाबन्दी हुअी है और वृद्धि की गयी है, वह सब स्थगित रखा जाय और कुछ तालुकोंका, जो पहलेसे ही गरीब है या कड़े लगानकी नीतिके कारण गरीब बन गये हैं, लगान घटाया जाय। गुजरातमें मातर तालुकेका मामला अैसा था कि और कारणोंके साथ साथ सरकारकी लगान-नीतिके भारी बोझके कारण वह तालुका बरबाद हो गया था। अिस बारेमें सरदारने सरकारके साथ लम्बा पत्रव्यवहार किया। अुसी समय गुजरात विद्यापीठकी तरफसे मातर तालुकेकी आर्थिक जांच की गयी। अुसमें अंकों सहित अुसकी बेहद गरीबी साबित हुअी। अितनेमें सन् ३० की नमक-सत्याग्रहकी लड़ाअी छिड़ गयी और सरदार तथा अन्य कार्यकर्ता जेल चले गये। फिर भी सरदारके पत्रव्यवहारका परिणाम तो हुआ ही। सरकारने लगानके मामलेकी जांच करनेके लिये अेक विशेष अफसर मुकर्रर किया और मातर तालुकेके लगानमें २५ फीसदी कमी कर दी गयी।

अब तक सरदारकी महत्त्वाकांक्षा अितनी ही मालूम होती थी कि गुजरातको अच्छी तरह संभाल लें और गांधीजीकी अिच्छानुसार अुसे सामूहिक सविनय भंगकी लड़ाअीके लिये पूरी तरह तैयार कर दें। परन्तु बारडोलीमें अुन्होंने जो यश सम्पादन किया, वह अुन्हें गुजरातके बाहर घसीटने लगा। महाराष्ट्र राजनैतिक परिषदके सभापतिपदको अुन्होंने पूरी तरह सुशोभित किया और महाराष्ट्र कांग्रेसके नेताओंकी शंका-कुशंकाअें दूर करनेमें अच्छा हाथ बंटाया। अब राजाजी अुनसे आग्रह करने लगे कि तामिलनाडुमें आकर हमारे किसानोंको बारडोलीकी छूत लगाअिये। अिसके लिये वेदारण्य नामक ठेठ दक्षिणके प्राचीन स्थान पर तामिलनाडु राजनैतिक परिषदको, जो अगस्तके अन्तमें होनेवाली थी, निमित्त बनाया गया और अुसका सभापतिपद स्वीकार करनेकी सरदारसे प्रार्थना की गयी। अध्यक्षपदके लिये आग्रह करनेमें कांग्रेससे पूर्ण स्वाधीनताका ध्येय स्वीकार करानेके अत्यन्त आग्रही श्री श्रीनिवास आयंगर भी थे। सरदारको

जब पता चला कि अन्होंने मद्रास प्रान्तीय समितिसे चार मास बाद होनेवाली लाहौर कांग्रेसको स्वराज्यके बजाय स्वाधीनताका ध्येय बनानेका आग्रह कराया है और तामिल प्रान्तीय परिषद भी अन्हें कांग्रेसका ध्येय बदलवानेके लिये ही करनी थी, तब अन्होंने जवाब दिया कि तामिल प्रान्तमें आकर मुझे झगड़ा बढ़ाना नहीं है। मैं वहां आऊ तो तटस्थ या निष्क्रिय अध्यक्ष रह नहीं सकता। इसलिये मेरा न आना ही अुचित है। इस पर राजाजीने गांधीजीको लिखा कि सारा प्रान्त सरदारकी प्रतीक्षा कर रहा है और सरदारको आना ही चाहिये। गांधीजीने जानेकी सलाह दी, इसलिये सरदार मजबूर हो गये।

राजाजीने सरदारको जल्दी बुलाकर अेक दिन अपने आश्रममें रखा। आश्रममें अुनका खादी कार्य, मद्यनिषेध कार्य, और अस्पृश्यतानिवारण कार्य आदि सब कुछ देखकर राजाजीकी कठिनाइयों और अुन्हें हल करनेकी अुनकी अद्भुत कर्तृत्व शक्तिकी कल्पना हुअी। शामको अेक बड़ी भीड़ने आश्रममें आकर राजाजीके साथ झगड़ा करना शुरू किया। तामिलमें बातें हो रही थी इसलिये कुछ समझमें नहीं आता था और राजाजी अुनके साथ खूब हंस-हंसकर विनोदके साथ बातें कर रहे थे इसलिये अुनके दिलका दर्द दिखाअी नहीं देता था। परन्तु अुन लोगोंके बिखर जानेके बाद राजाजीने सब बातें कही : 'अुनके साथ मजाक करके मैंने अुन्हें बिदा तो कर दिया, परन्तु मैं जानता हूं कैसी आफत आ रही है। अछूतोंको मिलाकर, जातिपांति अेक करके, हम धर्मका सत्यानाश कर रहे हैं और इसी लिये चारपांच वर्षसे वर्षा नहीं हो रही है, इसलिये आसपासके देहातने निश्चय किया है कि हमारा बहिष्कार करना चाहिये। ये लोग बहिष्कार करेंगे तो हानि अुन्हीकी है, परन्तु यह अुनकी समझमें कैसे आये ?' राजाजीकी स्थिति सरोतेके बीच सुपारी जैसी यों थी कि वहांका ब्राह्मणतर दल अुन्हें इस प्रकार गाली देता था कि वे सुधारोंके शत्रु हैं और जातिपांतिके बन्धन कायम रखना चाहते हैं !'

सरदारको तामिल प्रान्तमें बुलानेका लोगोंका अुत्साह कैसा था, यह वहांके शहरोंसे गांवोंमें अधिक दिखाअी दिया। राजाजीके आश्रमसे वेदारण्य जाते हुअे रास्तेमें दो तीन तालुके आते थे। हरेक तालुकेके केन्द्रमें तालुका बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीने सरदारको मानपत्र दिये और अुनमें अुन्हें गांधीजीके अग्रगण्य शिष्य और बारडोली सत्याग्रहके महान विजेता बताया गया।

वेदारण्य पहुंचनेके बाद सरदारने श्री श्रीनिवास आयंगरसे अनुरोध किया कि परिषदमें व्यर्थ विरोध क्यों कराते हैं ? चार महीने प्रतिक्षा कीजिये और लाहौरमें जो हो सो होने दीजिये। परन्तु श्री आयंगरने तो लाहौरके लिये भूमिका तैयार करनेको ही यह परिषद कराअी थी। इसलिये वे परिषदमें

पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव लाये और परिषदको अन्तिम सूचना दे दी कि : 'मुझे मत नहीं देंगे तो मुझे सार्वजनिक जीवनसे अलग हो जानेको मजबूर करेंगे। हमारे नेताओंके दिमाग तो फिर गये हैं। अन्हें पढ़ानेके लिये पाठशाला खोलनेकी जरूरत है, वगैरा'। मत लेनेसे पहले सरदारने जो भाषण दिया उसमें कहा :

“अस प्रस्ताव पर जो रस्साकशी जैसी चर्चा हुआ है उससे आप समझ लेंगे कि मैं यहां आनेसे क्यों अनिकार करता था। मुझे अस प्रस्तावमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। कलकत्तेमें श्री श्रीनिवास आयंगर और श्री सुभाष बोसने मिलकर समझौतेका प्रस्ताव कराया है। उसके अनुसार तो तमाम वादविवादको बन्द करके अेक वर्ष तक काम करके जरूरत पड़े तो देशको बडी लड़ाीके लिये तैयार करनेकी हमने प्रतिज्ञा ली है। अस तैयारीकी बात तो दूर रही और आज चार महीने पहलेसे कांग्रेससे ध्येय बदलनेकी सिफारिश करनेको आप अधीर हो अुठे हैं, यह क्या ? ध्येय न बदलनेके कारण आप कोअी काम न कर सकते हो तो जरूर ध्येय बदलिये। परन्तु आपकी प्रान्तीय समितिने तो यह माग की है कि धारासभाके चुनावके मामलेमें निश्चय करनेकी आपके प्रान्तको स्वतंत्रता मिले। तो क्या आपको अस सरकारकी धारासभाओंमें भी जाना है और पूर्ण स्वाधीनता भी लेनी है ? यह स्पष्ट विरोध आप क्यों नही देख या समझ सकते ? मुझे आपके कामसे द्वेष नहीं, मैं आपके प्रान्तकी कीर्तिको बट्टा लगाने नहीं, परन्तु मुझसे संभव हो तो अुसे बढ़ाने यहां आया हूं। मान लीजिये कि खादीसे स्वराज्य नहीं मिल सकता, मद्यनिषेधसे नहीं मिल सकता या अस्पृश्यतानिवारणसे नहीं मिल सकता। तो क्या ध्येय बदल जानेसे स्वराज्य मिल जायगा ? यह समझमें आ सकता है कि स्वराज्य लेनेके तरीकेके बारेमें झगडा हो। अस बारेमें मतभेद हो सकता है कि बम्बअीसे मद्रास किस रास्ते जायें। परन्तु मद्रास जाना है या नहीं, अिसी बारेमें झगडा करते रहें तो कहीं भी नहीं जा सकते। गांधीजीने तो तैयारीके लिये दो साल रखे थे, परन्तु श्री श्रीनिवास आयंगर और अुनके साथियोंने दोका अेक वर्ष कराया। अब कलकत्तेका प्रस्ताव मुलतवी करानेकी आपकी नियत हो तो वैसा कीजिये। मुझे तो ये चालें अैसा करनेकी ही मालूम होती है। मुझे अफसोस है कि मुझे आपसे अितना कहना पड़ रहा है, परन्तु आपने मुझे बुलाया है तो मैं चुपचाप सब कुछ नहीं देखता रह सकता। यह संभव है कि मैं दूसरे अनुभववी नेताओं जितनी दूर तक न देख सकता होअूं। वैसे मुझे तो साफ दिखायी देता है कि अभी जो चार महीने रह गये हैं अुनमें तामिल प्रान्तको

जितनी बहादुरी दिखानी हो अतनी दिखा सकता है और लाहौरमें जो कराना हो करा सकता है, परन्तु आज किसलिअे अधीर हो रहे है ? ”

अिस भाषणका चमत्कारी असर हुआ और श्री श्रीनिवास आयंगरका प्रस्ताव ६७के विरुद्ध १७५ मतोंसे गिर गया। श्री श्रीनिवास आयंगरने तो सपनेमें भी नहीं सोचा था कि अैसा हो जायगा। अिस प्रस्तावको अिस प्रकार रद्द करा देनेमें सरदारको आनन्द नहीं था, किसीको आनन्द नही होगा। स्वाधीनता किसे नहीं चाहिये? मगर वह प्रस्ताव तो झूठी धमकी था, अुसके पीछे ठोस कार्य नहीं था। प्रस्तावके पीछे विचारोंकी स्पष्टता नहीं थी, अितना ही नहीं परन्तु असंगति थी। अिस प्रकार आचार और विचारकी स्वच्छताके लिअे ही सरदारने ‘पूर्ण स्वाधीनता’के प्रस्तावका विरोध करनेका अप्रिय कार्य किया।

वेदारण्यसे राजाजीने सरदारको तामिल प्रान्तमें खूब धुमाया। मद्रासमें तो लगभग अेक अेक कालेजमें अुनके भाषण हुअे। सरदारको अंग्रेजीमें बोलनेसे अरुचि है। अिस दौरमें महादेवभाभी अुनके साथ थे। वे लिखते है कि :

“अुनकी अंग्रेजी भाषामें प्रौढता नहीं थी, शब्दचातुर्य नहीं था। सरदारने अंग्रेजी बोलनेकी कलाका विकास नहीं किया, अुल्टे अंग्रेजी भूलनेका प्रयत्न किया है। फिर भी अुनकी अंग्रेजी वाणीमें—अैसी वाणीमें जिसमें भले ही कभी-कभी व्याकरणकी भूलें होती हों—मद्रासके अंग्रेजीप्रिय संसारने वही चमत्कार देखा जो बारडोलीके किसानोंने अुनकी देहाती गुजराती बोलीमें देखा था। अिसका रहस्य अुनकी अन्यायके विरुद्ध लड़नेकी अद्भुत शक्ति और क्षण-क्षण पर चमक अुठनेवाली अुनकी देशभक्तिमें था। हृदयकी गहराअीसे निकलनेवाली अुनकी वाणी सुननेवालोंके हृदयमें अुतर जाती थी। अुनकी टूटी-फूटी और व्याकरणकी शुद्धिकी परवाह न करनेवाली परन्तु ज्वालामुखीके रसकी तरह धधकती हुअी वाणी सामनेवालोंको तपा डालती थी।”

दूसरी बात यह थी कि किसीकी भी शर्म न रखकर वे सीधी बात कह देते थे जो लोगोंको बहुत पसन्द आती थी। अुनके तमाम भाषणोंका सार महादेवभाभीने यह दिया है :

“जो कार्यक्रम अेक ही वर्ष तक देशके सामने रखा गया और जिसके वेगमें हमने आकाशमें अुड़कर नये-नये सपने देखे, जिसके परिणामस्वरूप स्वराज्य लगभग आंखोंके सामने आकर खड़ा हो गया था और जिस कार्यक्रमने अैसा वातावरण पैदा कर दिया था कि मनुष्य पाप करनेसे, बुराअी करनेसे सहज ही डरता था, वह कार्यक्रम अेक ही सालमें बन्द हो

गया। उसके बाद देशके सामने नया कार्यक्रम आया। वह ६ वर्षसे चल रहा है। उसके कारण हम जरा भी आगे नहीं बढ़े परन्तु हमारे देशमें झगड़े बढ़ गये हैं, दलबन्दी बढ़ गयी है और वातावरण दूषित हो गया है। धारासभाओंको तोड़नेके अिरादेसे जानेवालोंको आज धारासभाओंने चूर चूर कर दिया है। और आज तो आपके प्रान्तमें धारासभाओंमें जाकर मंत्रीपद लेनेकी बातें हो रही हैं, अमुक दलको निकाल देनेकी बातें हो रही हैं और साथ-साथ 'स्वाधीनता, लेनेकी बात हो रही है। सरकार भोली नहीं है कि आपकी अिन बातोंसे धोखेमें आ जाय। आपने अपने यहां लगान नीति बदलवानेके लिये सबसे पहले आन्दोलन किया था। पार्लियामेण्टको लगान धारासभाके अधीन कर देनेकी सिफारिश किये दस वर्ष हो गये। परन्तु आज आपकी सरकार मजेसे जमाबन्दी बढ़ाये चली जा रही है। इसका कारण क्या? कारण यही कि हम आपसमें खूब लड़ रहे हैं। सरकार कहती है, अच्छा है, लड़ते रहें। आपसमें लड़ना बन्द करेंगे तब अिन्हें हमारे साथ लड़नेकी फुरसद मिलेगी न? मैं आपसे कहता हूं कि आप अेक वर्षके लिये अपने झगड़े भूल जायिये और लगान नीति बदलवानेके लिये संगठन कीजिये। आज आपके नेता स्वाधीनताके नारे लगाते हैं परन्तु इसकी किसीको परवाह नहीं कि स्वतंत्रता किस प्रकार और क्या काम करके ली जाय। गांधीजीको अध्यक्ष पद पर बिठाना है परन्तु गांधीजीका चरखा किसीको नहीं चाहिये। अिस बीसवी सदीमे जिस शहरमें ७५ मिलोंके धूआदान धूआ अुड़ा रहे है अुसी शहरके पास नदीके परले किनारे बैठकर जो मनुष्य अपने चरखे पर सूतके तार निकाल रहा है अुसके बारेमें आपका क्या खयाल है? अगर आप अुसे पागल समझते हों तो क्या अध्यक्षपदके लिये अुसका नाम सूचित करनेवाले आप लोग अधिक पागल नहीं हैं? परन्तु वह पागल नहीं है। अुसका व्यवहार-ज्ञान मुझसे और आपसे अधिक है। हम आज नहीं तो कल अुसीके बताये हुअे मार्ग पर आ जायेंगे।”

मद्रास प्रान्तमें ब्राह्मण, ब्राह्मणतरके झगड़े खूब हो रहे थे, अब भी हो रहे हैं। सरदारको अिस प्रश्न पर बोलना ही पड़ा। तब अब्राह्मणोंको अेक जगह कहा :

“आपको ब्राह्मणोंसे क्यों द्वेष होता है? अिन ब्राह्मणोंने आपका क्या बिगाड़ा है? अुनकी अपेक्षा दूसरे ब्राह्मणोंने आप दोनोंका जो बिगाड़ा है अुसका आपको पता है? जो लोग ५००० मील दूरसे आकर राज कर रहे हैं वे ब्राह्मण बन बैठे हैं। अुनका कोअी वर्ण न होने पर भी आप 'ब्राह्मण' और 'अब्राह्मण' दोनों अुनकी 'ब्राह्मणों'की तरह पूजा करते हैं,



अनकी सुबहशाम खुशामद करते हैं। आपको अिन ब्राह्मणोंके साथ लड़ना है या नहीं? अुन ब्राह्मणोंको आप पर मनमानी करनेसे रोकना है या अिन ब्राह्मणोंको रोकना है? मान लीजिये कि अिन ब्राह्मणोंने आपका बहुत बिगाड़ा है। परन्तु अुन ब्राह्मणोंके बराबर तो हरगिज नहीं बिगाड़ा। अब क्या ये ब्राह्मण आपसे अूँचे हैं? आप अपने आपको अिनसे अूँचा क्यों नहीं मानते? जो मनुष्य खेती करके अनाज पैदा करता है वह दुनिया भरमें सबसे अूँचा है। मैं अुसी जातिका हूं। आप भी अुसी जातिके हैं। आप अपनेको क्यों नीचा समझते हैं? जहां रामानुज जैसे अब्राह्मणको गुरु बनाया, जहां गांधीजी जैसे अब्राह्मणके आगे बड़े-बड़े मानधाता जैसे ब्राह्मणोंकी गर्दन झुकती है वहां आप अिन ब्राह्मणोंके अूँचेपनसे क्यों डरते हैं?"

अेक और स्थान पर अधीर अब्राह्मणोंसे कहा :

“आप सब कुछ तोड़ने लगे हैं परन्तु अुसके स्थान पर अैसी कोअी चिरस्थायी चीज रखनेकी शक्ति न हो तो न तोड़िये . . . आपको चार आनेमें विवाह करना हो तो खुशीसे कीजिये परन्तु जब आप चार मिनटमें शादी करनेकी बात करते हैं तब मैं कांप अुठता हूं। भले ही आपको ब्राह्मण न चाहिये परन्तु अिस गंभीर विधिका कोअी न कोअी साक्षी तो चाहिये न? . . . आपको पता भी है कि विधिमात्रको नष्ट कर देनेसे कोअी बदमाश कितने ही प्रतिष्ठित मनुष्यकी लड़कीको अुड़ा ले जाय और ५ साक्षी खड़े करके कह दे कि, ‘यह मेरी स्त्री है,’ तो आप क्या करेंगे?”

यह सुनकर अब्राह्मणोंको भी कंपकंपी सी हुअी। सरदारकी अिन बातोंका साधारण अब्राह्मण समाज पर बहुत अच्छा असर हुआ। परन्तु अुनके अखबार सरदार पर गुस्से हुअे। अुनके तो धन्धे पर ही आघात होता था न! अेक बूढ़ा किसान तो सरदारके भाषणों पर अितना मुग्ध हो गया कि दौरेमें अुनके साथ ही घूमने लगा। ‘आज तक हमारे दुःखों और हमारी मुश्किलोंको जाननेवाला अैसा कोअी देखा नहीं और सब बातें अच्छी तरह समझाकर हममें जाग्रति लानेवाला भी कोअी आया नहीं,’ वह अिस तरह कहता जाता और सरदारके भाषण सुन-सुनकर पागल होता जाता।

अिस दौरेमें गुजराती लोग सरदारको ढूँढ निकालनेमें चूकते नहीं थे। मद्रास, त्रिचनापल्ली, सेलम और मदुरा सभी जगह वे अिकट्ठे हुअे। सरदार अुन्हें संक्षेपमें सलाह देते :

“गुजरातको सुशोभित कीजिये। जहां रुपया कमा रहे हैं अुस प्रदेशकी भलाअीमें पूरी दिलचस्पी लीजिये, अुसकी सेवा कीजिये। खादीके

लिअे अितना प्रेम पैदा कीजिये कि दूरसे खादीकी सफेद टोपी और खादीके तमाम कपड़े पहने देखकर यही खयाल हो कि यह तो गुजराती ही होगा ।”

तामिलनाडुसे लौटते समय दो दिन भी कर्नाटकमें ठहरकर जानेका श्री गंगाधरराव देशपाण्डेका बड़ा आग्रह था। अुन्होंने कर्नाटकमें किसान संघ स्थापित करने शुरू कर दिये थे और अुस काममें सरदारकी मदद चाहते थे। धारवाडसे बेलगांव तकके दो दिनके प्रवासमें अुन्होंने १० सभाओं रखी थी। अिन सभाओंमें कर्नाटकके साथ महाराष्ट्रकी भी अेक कुटेवका महादेवभाजीने बढ़िया वर्णन किया है। कैसी भी सभा हो परन्तु अध्यक्षका प्रस्ताव करनेवाला और अुसका अनुमोदन करनेवाला, अिसी प्रकार वक्ताको घन्यवाद देनेवाला और अुसका समर्थन करनेवाला और अन्तमें अध्यक्षको घन्यवाद देनेका प्रस्ताव करनेवाला और अुसका अनुमोदन करनेवाला अिस प्रकार कमसे कम छः जने तो स्थानीय वक्ता होते ही थे और ये सब कुछ सांगोपांग होना चाहिये। फिर अुसके साथ मानपत्र होता। वह कानड़ीमें पढ़ा जाता परन्तु अिससे सन्तोष कैसे हो? जिसे मानपत्र देना हो अुसके लिअे अंग्रेजी अनुवाद होता और अंग्रेजी अनुवाद करनेवालेको अुसे अंग्रेजीमें पढ़नेका शौक होता। साथ ही मराठी श्रोताओंके लिअे मराठी अनुवाद हो तो वह भी वहां पढ़ा जाय। माला हरेक संस्था अलग अलग पहनाये। कौन पहले पहनाये अिसकी होड़ हो। माला पहनाते समय मेहमानसे कहा जाता: ‘यह माला कांग्रेस कमेटीकी तरफसे, यह युवक संघकी तरफसे’ वगैरा। दिन भरका अेक ही कार्यक्रम हो तब तो ये सब बातें हो सकती हैं परन्तु यहां तो दो दिनमें दस सभायें करनी थीं। किसे टालने या कम करनेको कहा जा सकता था? अिसका अन्त नहीं आता देखकर सरदारने लगाम अपने हाथमें ली। अेक स्थान पर दो संस्थायें झगड़ा कर रही थीं कि सरदार पहले हमारे यहां आकर मानपत्र लें। सरदारको पता चला तो अुन्होंने मोटरमें बैठे बैठे ही कह दिया: ‘सार्वजनिक, सभामें आ जाअिये, वहीं सारे मानपत्र ले लूंगा।’ युवकोंने मोटर घेरकर ‘सत्याग्रह शुरू कर दिया। सरदार मोटरसे अुतरनेवाले थे कि अेक आदमीने मोटरके पायदान पर खड़े होकर जल्दी जल्दी मानपत्र पढ़ डाला और माला और मानपत्र अुनके अूपर फेंक दिया। अिस प्रकार सबसे पहला मानपत्र देनेका लाभ अुसे मिल गया! दूसरी जगह अैसी ही धांधली और ‘सत्याग्रह’ पान सुपारीके लिअे हुआ। सरदारने किसीकी भी पान सुपारी लेनेसे अिनकार कर दिया और भाषण देना भी नामंजूर कर दिया। अितना ही कहा कि, ‘आप जब लड़ाी-झगड़ेसे

निपट जायं तब मुझे भाषण देनेके लिये बुला लीजिये। तब तक आप सत्याग्रहके बारेमें कुछ भी सुननेके योग्य नहीं हैं।’

परन्तु देहातमें किसानोंकी सभायें अुत्तम हुआं। सब जगह सरकारी कर्मचारियोंका डर छोड़ने, कुर्की जेल वगैराका भय न रखने और विदेशी कपड़ा, शराब ताड़ी और अदालतें छोड़नेकी बात कही। अेक सभामें सरदारने किसानोंसे पूछा : ‘आपके प्रतिनिधि धारासभामें जाकर आपसमें लड़नेका धन्धा करते हैं और बाहर आपको लड़ाते हैं, क्या यह अच्छा है? क्या आप आर्िदा अुनके लड़नेसे लड़ेंगे?’ किसानोंने जवाब दिया : ‘अब हम अुनका कहना नहीं मानेंगे। अुन्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा।’ तब सरदारने सलाह दी : ‘तो आप अुनसे कह दीजिये कि किसान संघमें शरीक हो जाअिये और शरीक न हों तो अुसका कारण बताअिये। वे शरीक न हों तो समझ लीजिये कि वे सरकारसे डरनेवाले हैं, सरकारके पक्षके हैं। अुनसे पूछना, ‘आप सरकारका भला चाहते हैं या हमारा?’’ अेक जगह पूछा : ‘आपके प्रतिनिधि चिकोड़ी और अंगाड़ी किसलिये लड़ते हैं?’ किसानोंने कहा : ‘अपने स्वार्थके लिये।’ ‘तो अैसे लोगोंको आप क्यों चुनते हैं?’ किसान बोले : ‘अैसी सलाह देनेवाले अभी तक हमें आपके जैसे कोअी मिले नहीं।’

सरदारकी तेज और दो टूक वाणीमें श्री गंगाधररावको अपने आदि-गुरु तिलक महाराजकी वाणी सुनाअी दी। और सरदारकी आंखोंमें अुन्हें लोकमान्यका तेज और लोकमान्यका ‘रोष’ दिखाअी दिया। तामिलनाडुमें जब सरदार भाषण दे रहे थे तब अेक बार राजाजीने भी कहा था कि : ‘यह तो जैसे तिलक महाराज बोल रहे हों।’ महादेवभाअीने कहा : ‘यह खोज तो पहले मैंने की है।’ बादमें अपनी ‘वीर वल्लभभाअी’ पुस्तकमें अुन्होंने सरदारकी कअी प्रकारसे तिलक महाराजके साथ तुलना करनेकी बात कही। अुसमें अुन्होंने लिखा है :

“वल्लभभाअीके साथ बहुत रहनेके बाद अुनकी बोलचाल, अुनका हास्य, अुनका तेज, अुनका राग और आवेश देखनेके बाद तिलक महाराजका अधिक स्मरण होता है . . . अुलटा असर डालनेकी विशेषता भी तिलक महाराज और वल्लभभाअीमें समान है। अूपरसे दोनों जितने अभिमानी मालूम होते हैं अुतने ही भीतरसे निरभिमान, अूपरसे जितने रुक्ष और परुष अुतने ही अन्दरसे सौम्य और मृदु, अूपरसे जितने अटपटे और अभेद्य भीतरसे अुतने ही सरल और ऋजु, अूपरसे जितने गहरे मालूम देते हैं अुतने ही अंतरसे अलग।”

अलबत्ता महादेवभाषीने साथ ही साथ स्वीकार किया है कि, 'अस साम्यका विचार करते समय में क्षणभरके लिये तिलक महाराजकी अगाध विद्वत्ता, और विपुल शास्त्रज्ञानको अलग रख देता हूँ।' फिर आगे कहते हैं:

“परन्तु तिलक महाराज लोकमान्य बने सो न अपनी अगाध विद्वत्ताके कारण और न गहरे शास्त्रज्ञानके कारण, परन्तु अन्यायके विरुद्ध जूझनेकी अपनी अपार शक्तिके कारण, अपने अपूर्व त्यागके कारण, लोगोंके दुःख जानकर, लोगोंके अन्तरमें प्रवेश करनेकी अपनी जादूकी शक्तिके कारण। ये तीनों वस्तुओं वल्लभभाषीमें अतनी ही भरी है, यह गुजरातने बारडोलीकी लड़ाईमें विशेष रूपमें जाना। लोकमान्य भी जब आम लोगोंके सामने खड़े होते तब वे अपनी विद्वत्ता न अडोलते, परन्तु आम लोगोंके ही अंक आदमीके रूपमें खड़े होकर अन्हींकी भाषा बोलते। बारडोलीके अनेक भाषण देखेंगे तो उनमें तिलक महाराजके अहमदनगर और बेलगांवके अणु अतिहासिक भाषणोंकी गूँज सुनायी देगी।”

तिलक महाराजके अदुगार देखिये :

“सरकार हमें अधिकार देती है अउस गमलेमें हम अउसीके अनुसार पौदा लगाते हैं परन्तु बड़े पेड़ लगाने हों तब तो बीज बाहर डालकर जमीनमें बोने चाहियें। गमलेके पौदे खूबसूरत मालूम होंगे परन्तु वे नाजुक होंगे और लम्बे अरसे तक टिकनेवाले नहीं होते ... देशसे कितना कर वसूल किया जाय, यह हम समझें या आप अधिक समझें ! ... लड़ाई पर कितना रुपया खर्च किया जाय यह बादशाह तय नहीं करता परन्तु प्रधान मंत्री करता है। अउसकी भूल हो जाती है तो वह त्यागपत्र दे देता है और अउसे त्यागपत्र देनेको विवश करनेमें सरकारका अपराध नहीं होता ... हमें स्वराज्य मिलनेसे अंग्रेजोंका राज्य डूब नहीं जायगा। ... हमें जिस जिस दरवाजेसे बाहर निकलना है अणु दरवाजोंको रोककर नौकरशाही खड़ी है। अउसे धक्का मारकर हमें बाहर निकलना है। हमें अणुकी रुकावट नहीं चाहिये। रुकावट तो जरूर है। अउसके सिवाय बड़े-बड़े वेतन भी हैं ! ... अंग्रेज कर्मचारी कहते हैं, 'हम तुम्हारे लिये विलायतकी ठंडी हवा छोड़कर यहां आये हैं।' परन्तु तुम्हें यहां बुलाया किसने था ?”

अब सरदारके ये शब्द लीजिये :

“सरकार यानी कौन ? सरकार यानी कलेक्टर ? सरकार यानी तहसीलदार ? या थानेदार या पटवारी ? ये सब मिलकर सरकार बनी है, अउसलिये अउसका कहां पता लगे ? कोअी अंक व्यक्ति नहीं। अउसलिये हम किसे सरकार मानें ? हम स्वयं ही भ्रमसे किसी अंक आदमीको

सरकार मान लेते हैं और अउससे डरते हैं। परन्तु तुम्हारे लिये डरनेका कोजी कारण नहीं। तुमने किसीकी चोरी नहीं की। तुमने लूटपाट नहीं की, मार-पीट नहीं की, डरनेकी क्या बात ? ... ५००० मीलसे आये हुअे बनियोंसे तुम क्यों डरो ? तुम अिसी देशके निवासी अपने घरमें बैठे हुअे विदेशी बनियोंसे डरो ? राज करनेवाले विदेशी तो सूरतसे यहां (बारडोली) आते भी नही। वे वही बैठकर नायब तहसीलदार और तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टरसे कहते हैं कि तुम लोगोंको समझाओ और दबाओ। वे खुद तो किसी समुद्रतट पर या ठंडी पहाड़ी पर हवा खाते होंगे।”

ये शब्द और अनिसे पहल्लेके अुद्धरणके शब्द किसीको अलग अलग वक्ताओंके मालूम हो सकते हैं ?

दिसम्बरके महीनेमें सरदारने १५ दिनका बिहारका दौरा किया। गांधीजीके प्रथम शिष्यके रूपमें अुनके पीछे बिहारी पागल हो गये। तामिलनाडुमें सरदारको कम सम्मान नहीं मिला था परन्तु बिहारका सम्मान गांधीजीके प्रति भक्तिकी गुंज था। अिस श्रद्धासे कि जैसे गांधीजीने चम्पारनका अुद्धार किया है वैसे ही गांधीजीके ये शिष्य दूसरी आफतोंसे अुन्हें बचा लेंगे, हजारों किसानोंकी भीड़ अुन्हें सुननेके लिये आती थी। किसानोंके परिश्रम पर जीनेवाले और भोग-विलासमें रुपया बरबाद करनेवाले जमींदार, गरीब अमीरके बीच पड़ा हुआ बड़ा समुद्र, किसानकी पामरता, भीरुता और निराशा, बिहारका अेक दुःख था; जमींदारोंके तरह तरहके जुल्मोंसे किसानोंको जो तकलीफें भोगनी पड़ती थीं वह दूसरा दुःख था; और स्त्रियोंका परदा, पुरुषों और स्त्रियोंके बीच ही नहीं, बल्कि स्त्रियों और स्त्रियोंके बीच भी पर्दा, यह बिहारका तीसरा दुःख था। अनि तीनों दुःखोंके निवारणके अुपायोंके बारेमें सरदारको वहां बोलना पड़ा।

बृजकिशोर बाबू वहां बीमार थे और राजेन्द्र बाबू भी रोग-शय्या पर पड़े थे, अिसलिये सरदारके तमाम दौरेकी व्यवस्था बाबू अनुग्रह नारायण सिंहके हाथमें थी। अैसी योजना बनायी गयी थी कि दौरेके दिनोंमें सरदार अधिकसे अधिक किसानोंसे मिल सकें। मुंगेरमें प्रान्तीय परिषद रखी गयी थी और अुसके सिवाय चम्पारन जिला परिषद, सीतामढ़ी जिला परिषद, तथा गया जिला परिषद, अिस प्रकार तीन जिला परिषदें खास तौर पर सरदारके लिये ही रखी गयी थीं। सरदारसे अनि तमाम परिषदोंका सभापति बननेके लिये प्रार्थना की गयी परन्तु अुन्होंने शुरूसे ही अनिकार कर दिया। अिसलिये दूसरे सभापति बनाये गये। परन्तु वे दो तीन मिनट बोलते। अेक सभापतिने कहा :

“यहां में सभापति-पद पर बैठा हूं परन्तु यहां बोलनेका अधिकार सरदार वल्लभभाभीको ही है। अिन्होंने कुछ न कुछ काम करके दिखाया

है। हम गांधीजीसे आग्रह करके सरदारको बिहारमें खींच लाये हैं और हमें अनिका सन्देश लेना है।”

चम्पारन जिला परिषदके अध्यक्षने कहा :

“हम सरदारसे सन्देश लेकर अनुके द्वारा गांधीजीसे अितना कहल दें कि हम ‘स्वाधीनता या औपनिवेशिक स्वराज्य’ कुछ नहीं समझते। हमने तो १२ वर्ष पहले अपना मामला आपको सौप दिया था। वह मामला आप भी आप ही के हाथमें है। हम तो आपसे कहते हैं कि ‘स्वाधीनता या उपनिवेशिक स्वराज्य’ के बारेमें हमसे कुछ न पूछकर अपना हुक्म हमारे पास भेज दीजिये। हम आज्ञापालन करनेके लिए तैयार बैठे हैं।”

सरदारने अिन परिषदोंमें और दूसरी सभाओंमें डेढ़ डेढ़ घण्टे भाषण दिये। अनुके हिन्दी भाषणोंमें गुजराती शब्द भी आते थे, कुछ शब्द लोग भी समझते हों परन्तु अनुका भाव वे अनुकी आंखोंसे समझ लेते थे। कोई तीन स्थानों पर तो बृजकिशोर बाबूको बीमार होने पर भी सभामें आनेके जीमें आ गयी। सरदारके भाषण सुनकर वे बोले : ‘हमारे किसानोंको यह चाहिये था। निर्भयताका मंत्र आप जिस ढंगसे देते हैं उस ढंगसे शायद ही और कोई दे सकता है। मेरा तो खयाल है कि आप हमारे किसान संसारको जगाकर ही यहांसे जायेंगे।’ अनुके भाषणोंमें से कुछ अंश यह जुद्धत करेंगे :

“चम्पारनका अितिहास भारतके स्वातंत्र्यके अितिहासमें पहला अमूल्य अध्याय बनेगा। उस अितिहासके बनानेवाले तुम डरपोक क्यों हो? परन्तु तुम्हारे चेहरे यह नहीं बताते कि तुम्हारे यहां सत्याग्रह हो चुका है। उस सत्याग्रहके परिणाम तो यहां मौजूद है। निलहे गोरोंका कदम यहां नहीं रहा। अनुके लगाये हुअे अनुचित करोंका नामनिशान भी नहीं रहा। फिर भी यह नहीं जान पड़ता कि तुममें से डर निकल गया। जैसे बेल मोटरसे डरता है वैसे तुम सरकार या जमीदारके आदमियोंसे डरते हो। क्या सरकार और जमीदारके आदमी दो सिरों या चार हाथोंवाले हैं? डरो तुम या वे? तुम तो जगतके अन्नदाता हो। तुम्हारे जैसे पवित्र दुनियामें कौन है? यह नहीं कहता कि तुम निर्दाष हो परन्तु संसारमें कमसे कम पापी मनुष्य वह है जो अपने पसीनेकी कमायी खाता है। तुम तो अपने पसीनेकी रोटी पूरी खाये बिना दूसरोंके पेट भरते हो। तुम न हो तो दुनिया घड़ीभर भी नहीं टिक सकती। और दुनिया न टिके तो जमीदार तो टिके ही क्या?”

परदेके बारेमें बोलते हुअे अेक जगह कहा :

“गांधीजी आपको आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको गालियां देने आय हूं। आपको शरम नहीं आती कि अपनी स्त्रियोंको परदेमें रखकर आ

स्वयं अर्धांग (लकवे) की बीमारी भुगत रहे हैं? ये स्त्रियां कौन हैं? आपकी मां, बहन, पत्नी। अन्हें परदेमें रखकर आप यह मानते हैं कि आप अिनके सतीत्वकी रक्षा कर सकेंगे? अिनका अितना अविश्वास क्यों? या आप असलिले डरते हैं कि आपकी गुलामी वे बाहर आकर देखेंगी? आपने अुन्हें गुलाम पशु बनाकर रखा है असलिले अुनकी संतान आप भी पशुओं जैसे गुलाम रह गये हैं। बारडोलीमें मैंने लोगोंसे कह दिया था कि मुझे आपकी स्त्रियोंसे मिलने और बातें करनेकी आजादी न दोगे तो मैं सत्याग्रह नहीं कराअूंगा। स्त्रियां समझ गयीं। सभाओंमें आने लगीं और थोड़े समय बाद तो सभाओंमें पुरुषोंके बराबर ही स्त्रियां आती थीं। घर जाकर जो कुछ आपसे कहता हूं अपनी स्त्रियोंसे सुनाअिये और कहिये कि गुजरातसे अेक किसान आया था वह कह रहा था कि आप बाहर नहीं निकलेंगी तो हमारे लिये कभी सुख नहीं होगा। अगर मेरी चलती हो तो सब बहनोंसे कह दू कि अैसे डरपोक और नामर्दाकी स्त्रियां बननेके बजाय अुन्हें तलाक दे दीजिये।”

‘क्रांतिकी जय’ के नारे लगानेवाले युवकोंसे कहा :

“अेक बार क्रांति कर लो फिर जय बुलवाओ। जो चीज है नहीं अुसकी जय क्या बुलवाओ जाय? हां, अेक क्रांतिकी जय बोली जा सकती है। तुम्हारे यहां चम्पारनमें क्रांति हुआ थी। अुस क्रांतिसे तुम देशविदेशमें प्रसिद्ध हुए। अुसका अर्थ भी किसान समझते हैं। असलिले तुम्हें नये राष्ट्रीय नारेकी जरूरत हो तो बोलो ‘चम्पारनके सत्याग्रहकी जय’। यह पुकार किसानोंको जितना हिला देगी अुतनी और कोअी पुकार नहीं हिला सकती। और तुम क्रांति क्रांति क्या करते हो? तुमने अपने जीवनमें तो क्रांति की नहीं। पुराने वहम और रीति-रिवाजोंसे तुम चिपटे हुए हो। परदा तोड़नेकी तुम्हारी हिम्मत नहीं। वर्तमान स्कूलों और कालेजोंमें जाकर तुम्हें क्रांति करनी है। वह किस तरह होगी? ‘महात्मा गांधीकी जय’ की पुकारमें जिस क्रांतिकी जय सुनाओ देती है वह और किस नारेमें सुनाओ देती है? कारण, महात्माजी क्रांतिके अवतार हैं।”

सरदारके जिस सन्देशसे वहांके जमींदार घबराहटमें पड़ गये थे वह यह था। अुसमें क्रांतिकी सच्ची ध्वनि थी :

“तुम्हारे और सरकारके बीच ये दलाल कहाँसे आ गये? अिनके बापदादा जमीन जोतने या बोने गये थे? किसने अिनके अधिकार यावत्-च्चन्द्रदिवाकरी साबित कर दिये हैं? वे सरकारको अेक ही रकम दिया करें और तुमसे लेनेवाला लगान बढ़ाते ही रहें, यह कहाँका कानून है?

क्यों तुम इस कानूनको मानते हो ? किसलिअे तुम अिन्हें अिस वक्त तक कुछ भी देनेको तैयार होते हो जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता ? तुम्हें अपने खानेके लिअे जितना चाहिये अुतना ही अनाज पैदा करके बैठे रहो तब अिन लोगोंको पता चलेगा। जहां जहां अन्याय प्रतीत हो वहीं विरोध करो। अपने नेताओंसे बात करो, संगठन करो, अेक हो जाओ और हरअेक अन्यायपूर्ण कर देनेसे अिनकार कर दो। बारडोलीके किसानके पास कोअी और ताकत नहीं थी। अुनके पास अिनकार करके बैठ जानेकी ताकत थी। अुन्हें मौतका डर नहीं था, जमीन चले जानेका डर नहीं था, जेल जानेका डर नहीं था। किसलिअे तुम मौतसे डरते हो ? क्या जमीदार अमर होकर आया है ? अेक बार मरना है सो मरना है परन्तु अुसकी कुंजी न सरकारके पास है न जमीदारके। केवल अीश्वरके हाथमें है और जेलका डर किसलिअे ? तुम यहां बाहर जैसे रहते हो अुससे तो बहुत सुखमें रहोगे। यहां तुम्हें जिन्दा रखनेके लिअे कोअी दवा नहीं देगा, दूध नहीं देगा। वहां बीमार पड़ो तो तुम्हें दूध मिले, दवा मिले। अच्छे होंगे तो काम करके तीन बार खानेको मिलेगा। किसलिअे तुम जमीदारके गुलाम बनो ? किसलिअे तुम अुसके आधीन रहो। तुम अपना अनाज पैदा करो और सुखसे खाना सीखो . . . तुम्हारी जमीन पर जमीदार तुम्हें पेड़ न लगाने दे, तुम्हें अपनी जमीन दूसरेके नाम कर देने पर जमीनकी आधी चौथाअी कीमतके बराबर सलामी देनी पड़े ? यह कहांका न्याय है ? मैंने सुना है कि तुम्हारे बारेमें धारासभामें कानून बन रहा है। अुस कानून पर जरा भी आधार न रखना। तुम जो करोगे वही कानून बनेगा। सिर्फ ताकत पैदा कर लो, संगठन पैदा कर लो और अेक हो जाओ . . . तुम अपनी मांगें समझदार नेताओंसे तय कराकर अुन्हें माननेके लिअे जमींदारोंको मजबूर कर दो, नहीं तो अुनसे कह दो कि तुम्हें न अेक कौड़ी मिलेगी और न अेक दाना अनाज मिलेगा।”

अिस प्रकार सरदार आम जनताको लड़ाअीके लिअे तैयार कर रहे थे कि लाहौर कांग्रेसका अधिवेशन आ पहुंचा।



## पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव

दिसम्बर १९२९में लाहौरमें होनेवाले कांग्रेसके अधिवेशनमें महत्त्वपूर्ण और नाजुक फैसले करने थे। धारासभाओं परसे पंडित मोतीलालजीका भी विश्वास पूरी तरह अुठ गया था। अुन्हें साफ महसूस हो रहा था कि तमाम कांग्रेसियोंको धारासभाओंसे त्यागपत्र देकर निकल आना चाहिये। तो फिर करें क्या? औपनिवेशिक स्वराज्य या पूर्ण स्वाधीनता, दोनोंमें से कोअी भी ध्येय रखा जाय, अुस ध्येय तक जल्दी पहुंचनेके लिये सविनय कानून भंगके सिवाय और कोअी मार्ग नहीं था। अैसे समयमें बुजुर्ग नेताओंका यही खयाल था कि कांग्रेसकी बागडोर गांधीजी ही अच्छी तरह संभाल सकेंगे। प्रान्तोंकी सिफारिशें देखी जायं तो दस प्रान्त गांधीजीके पक्षमें थे, पांच सरदारके पक्षमें और तीन जवाहरलालजीके हकमें थे। परन्तु गांधीजीने अध्यक्ष बननेसे साफ अिनकार कर दिया। युवक वर्ग पंडित जवाहरलालजीको अध्यक्ष बनाना चाहता था। अध्यक्षका चुनाव करनेके लिये ही सितम्बरके अन्तमें खास तौर पर बुलाअी गअी लखनअूकी महासमितिके युवक वर्गकी तरफसे अेक भाअीने कह भी दिया कि :

“जब गांधीजी खुद ही कहते हैं कि मैंने सभापतिपद स्वीकार न करनेका निश्चय किया है तो क्यों हम अुन्हें तंग करें? अुनका अनुशासन हमें बहुत सख्त मालूम होता है। अुनके कार्यक्रम पर हमसे अमल होता नहीं, हम अुनके नामका व्यर्थ दुरुपयोग करते हैं। जवाहरलालजी ही युवकोंका नेतृत्व करनेकी शक्ति रखते हैं अिसलिये अुन्हींको बनाना अच्छा है।”

दोनों पक्षोंकी बात सुनकर गांधीजीने कहा :

“मुझे अफसोस है कि कांग्रेसका अध्यक्षपद स्वीकार करनेकी अुमंग या अुत्साह मुझे नहीं हो रहा है। मैं अपनी व्यक्तिगत कमजोरियोंकी आड़ नहीं लेता परन्तु अध्यक्ष बनकर देशकी सेवा करनेकी अपनेमें अशक्ति पाता हूं। मैं अध्यक्ष बनू तो ही कोअी चीज हो, यह भ्रम है। सरकार अितनी मूर्ख नहीं है कि मैं अध्यक्ष होअूं तो वह अेक नीति स्वीकार करेगी और मैं अध्यक्ष न होअूं तो अपनी नीति बदल देगी। आज आपका क्लर्क बनकर आप जो काम सौपेंगे वह कर दूंगा। परन्तु आपका सारथि नहीं बन सकता . . . किसी आदमीके — फिर वह कितना ही बड़ा क्यों न हो — सभापति

मिलना चाहिये। सर तेज बहादुर सप्रूने वाअिसरायकी नेकनियतीका आश्वासन दिलाया और कहा कि अिस समय मिले हुअे मौकेसे पूरा फायदा नहीं अुठाय़ा गया तो हिन्दुस्तान जबरदस्त गलती करेगा। सबकी बात सुन लेनेके बाद गांधीजीने कहा कि भारतमंत्री या वाअिसरायकी अीमानदारी या नेकनीयतीके बारेमें हम शंका न करें, परन्तु हमें अपनी शरतें स्पष्ट कर देनी चाहिये। हिन्दुस्तानको तुरन्त औपनिवेशिक स्वराज्य देना चाहिये, यह राय नरमदलके नेता कअी बार जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेसका कलकत्तेका प्रस्ताव तो हमारे सामने ही है। अगर हम अुससे तिलभर भी पीछे हटते है तो देशके प्रति जबरदस्त विश्वासघात होता है। अब यह बहसकी बात ही नहीं हो सकती कि औपनिवेशिक स्वराज्य कब स्थापित किया जाय अथवा किया जाय या नहीं। हम परिषदमें तभी जा सकते है जब अुसकी स्थापनाके अुपाय सोचनेके लिअे परिषद की जाती हो। मजदूर सरकारकी स्थितिका विचार करना या अुस पर दया करना हिन्दुस्तानके लिअे अप्रस्तुत है। यह कहकर अुन्होंने परिषदमें भाग लेनेके लिअे ये चार शर्तें पेश कीं :

१. तमाम राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायं।
२. औपनिवेशिक स्वराज्य कब दिया जाय, अिसकी चर्चाके लिअे नहीं, परन्तु हिन्दुस्तानके औपनिवेशिक विधानकी योजनाका विचार करनेके लिअे परिषद हो।
३. परिषदमें कांग्रेसको प्रधानता दी जाय।
४. परिषदके बाद कानून बनाकर जो कुछ देना है अुसकी भावना और सिद्धान्तको आजसे ही कार्यान्वित किया जाय जिससे लोगोंको महसूस हो कि स्वराज्यका नवयुग आजसे शुरू हो गया है। नया विधान तो अिस हकीकतको दर्ज करनेका ही काम दे।

कांग्रेसके सिवाय दूसरे दलोंके यह चीज गले अुतरनेमें देर लगी। फिर भी आश्चर्य यह था कि सर तेजबहादुर सप्रू वगैराने अिन शर्तोंका स्वागत किया और अुनके अनुसार घोषणापत्र तैयार करके सब नेताओंने अुस पर हस्ताक्षर कर दिये। वह घोषणापत्र संयुक्त घोषणापत्र ('जाँअिण्ट मैनीफैस्टो') के नामसे प्रसिद्ध हुआ।

अिस संयुक्त घोषणा पर टिप्पणी करते हुअे गांधीजीने लिखा कि :

“वास्तविक औपनिवेशिक स्वराज्य पर अमल शुरू हो जाय तो मैं तो औपनिवेशिक विधानकी भी परवाह न करूं। अर्थात् ब्रिटिश जातिका सच्चा हृदयपरिवर्तन हो जाय, अुसमें यह देखनेका सद्भाव प्रगट हो कि

हिन्दुस्तान मुक्त और स्वाभिमानपूर्ण राष्ट्र बन जाय और भारतमें आये हुअे अधिकारियोंमें सेवाकी सच्ची भावना जाग्रत हो जाय। असका अर्थ यह हुआ कि फौलादी संगीनोंके बजाय वे लोगोंके सद्भाव पर भरोसा करने लगें। अंग्रेज स्त्री-पुरुष अपनी जानमालकी सलामतीके लिअे शस्त्र-सज्जित किलोंके बजाय लोगोंके सद्भाव पर आधार रखनेको तैयार है? अगर तैयार न हों तो और किसी औपनिवेशिक स्वराज्यसे मुझे सन्तोष नहीं हो सकता। औपनिवेशिक स्वराज्यकी मेरी कल्पना यह है कि मेरी अच्छो हो जाय तो आज ही ब्रिटिश सम्बन्ध तोड़ देनेका मेरे पास अधिकार होना चाहिये। ब्रिटेन और हिन्दके आपसी सम्बन्धोंके नियमनमें जबरदस्तीकी कोअी बात नहीं होनी चाहिये।

“संभव है कि मैं जो अर्थ निकालता हूं उसकी मजदूर सरकारने कभी कल्पना ही न की हो। मैं तो यह नहीं मानता कि अैसा अर्थ निकालनेमें मैंने संयुक्त घोषणापत्रका खींचतान कर जरूरतसे ज्यादा अर्थ किया है। मगर मान लीजिये कि अिन तमाम अर्थोंका भार घोषणापत्र बरदाश्त न कर सके तो भी अिंग्लैण्ड और भारत दोनोंके मित्रोंके प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी बातका असली मुद्दा अुनके सामने स्पष्ट कर दूं।”

वाअिसरायकी घोषणामें कोअी बड़ी बात नहीं कह दी गअी थी। फिर भी अुस पर पार्लियामेण्टमें बड़ा शोर मचा। भारतमंत्रीने अुसकी सफाअीमें जो कुछ कहा अुससे भारतमें बड़ी निराशा फैली। पार्लियामेण्टमें हुअी चर्चा पर विचार करनेके लिअे ता० १६ नवम्बरको फिर सर्वदल सम्मेलन हुआ और अुसके साथ ही कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक भी हुअी। वाअिसरायकी अैसी निर्जीव घोषणासे खुश होकर कांग्रेसके नेताओंके अिस तरह भागदौड़ करनेमें जवाहरलालजी और सुभाषबाबूको कांग्रेसकी कमजोरी मालूम होती थी। अिसलिअे कांग्रेस कार्यसमितिके कोअी निर्णय करनेसे पहले ही अुन दोनोंने अपना विरोध प्रगट करनेके लिअे कार्यसमितिके त्यागपत्र दे दिये। पंडित मोतीलालजी भी पार्लियामेण्टकी चर्चासे बड़े रुष्ट हो गये थे। कुछ वृत्त-विवेचक वाअिसरायको सुझाने लगे कि लाहौर कांग्रेसके होनेसे पहले अुन्हें कोअी अैसी घोषणा करनी चाहिये जिससे नेताओंको यह न लगे कि हम कांग्रेसमें खाली हाथों जा रहे हैं। नरमदलके नेता लंदनमें होनेवाली परिषद्को गोलमेज परिषद कहते थे और अुसमें जानेके लिअे बेचैन हो रहे थे। यद्यपि वायसरायने अपनी घोषणामें या अुसके बाद गोलमेज शब्द काममें नहीं लिया था। अुन्होंने लन्दन परिषद ही कहा था और परिषदके सम्बन्धमें खास कोअी वचन भी नहीं दिया था। परन्तु सर तेज बहादुर सप्रू बहुत

चाहते थे कि वायसराय तथा गांधीजी और पंडित मोतीलालजीकी मुलाकात हो और उससे कोओ रास्ता निकले। अन्तमें तारीख २३ दिसम्बरको मुलाकात रखी गओ। वायसराय दक्षिणकी ओर गये हुअे थे वे वहांसे ओसी दिन दिल्ली आये। वे दिल्ली आ रहे थे तब नओी दिल्लीसे अक मील दूर ओनकी गाड़ीके नीचे बमका धमाका हुआ। वायसराय बालबाल बचे। ओनके खानेके डिब्बेको नुकसान पहुंचा और अक नौकरके चोट आओी। मुलाकातमें गांधीजी और पं० मोतीलालजीके सिवाय दूसरे दृष्टिकोण रखनेके लिये जनाब जिन्नाह, सर तेज बहादुर सप्रू और श्री० विट्ठलभाओी पटेलको भी बुलाया गया था। प्रातःकाल ही जान-जोखमवाली दुर्घटनामें से गुजरकर भी वायसरायने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक नेताओंका स्वागत किया। पौन घंटे तक तो बमकी बात होती रही। फिर वायसरायने कहा :—

‘कहिये, कहांसे शुरू करें? कैदियोंके छुटकारेका प्रश्न लें?’ गांधीजीने कहा कि, ‘परिषदकी कार्रवाओी औपनिवेशिक स्वराज्यकी बुनियाद पर ही होनी चाहिये। हमें आपसे अिस बारेमें आश्वासन चाहिये।’ वायसरायने कहा कि, ‘मेरी घोषणामें सरकारकी जो स्थिति स्पष्ट की गओी है उससे आगे मैं कोओी वचन नहीं दे सकता। साथ ही आप औपनिवेशिक स्वराज्यका जो स्पष्ट वचन मांग रहे हैं वह देकर परिषदका निमंत्रण देनेकी स्थितिमें मैं नहीं हूं।’

वायसरायके अितनी सफाओी दे देनेके बाद किसी भी तरहकी और आशा रखनेका सवाल ही नहीं रहा। सरकारके साथ जानकी बाओी लगाकर लड लेनेके सिवाय कोओी चारा नहीं, अैसी दृढ़ प्रतिज्ञाके वातावरणमें लाहौर कांग्रेसकी बैठक जवाहरलालजीकी अध्यक्षतामें हुओी और पिछले सालकी कलकत्ता कांग्रेसमें किये गये संकल्पके अनुसार उसमें पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव पास हुआ।

### पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव

“वायसराय महोदयकी ता० ३१ अक्टूबरकी घोषणाके जवाबमें कांग्रेसी और दूसरे नेताओं द्वारा प्रकाशित औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्रके बारेमें कार्यसमिति द्वारा की गओी कार्रवाओीको यह कांग्रेस बहाल रखती है और वायसराय महोदय द्वारा स्वराज्यके राष्ट्रीय आन्दोलन सम्बन्धी समझौतेके प्रयत्नोंकी कद्र करती है।

“परन्तु उसके बादकी तमाम घटनाओं और गांधीजी, पं० मोतीलालजी तथा अन्य नेताओंकी वायसरायके साथ हुओी मुलाकातको ध्यानमें रखकर, अिस कांग्रेसकी यह राय है कि सरकार द्वारा बुलाओी जानेवाली गोलमेज परिषदमें कांग्रेसके भाग लेनेसे कोओी लाभ नहीं होगा।

“असलिये गतवर्ष कलकत्तेकी कांग्रेसमें पास किये गये प्रस्तावके अनुसार कांग्रेस यह घोषणा करती है कि कांग्रेसके विधानमें जो स्वराज्य शब्द है उसका अर्थ पूर्ण स्वाधीनता किया जाय। यह कांग्रेस यह भी औलान करती है कि नेहरू कमेटीमें दी गयी विधान योजना अब सारी रद्द होती है और आशा रखती है कि आयंदा तमाम कांग्रेसी अपनी सारी शक्ति इसी पर केन्द्रित करेंगे कि हिन्दुस्तान पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर ले।

“स्वातंत्र्य संग्रामकी व्यूह रचनाके प्रारम्भिक कदमके तौर पर और कांग्रेसकी नीतिको उसके बदले हुअे ध्येयके भरसक अनुरूप बनानेकी गरजसे यह कांग्रेस कांग्रेसियों और राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेवाले दूसरे लोगोंको हिदायत करती है कि वे भावी चुनावोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोजी भाग न लें और जो कांग्रेसी धारासभाओंमें और अनुकी कमेटियोंमें काम कर रहे हैं वे अपनी जगहोंसे अस्तीफे दे दें।

“यह कांग्रेस लोगोंसे अपील करती है कि वे कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको आगे बढ़ायें और महासमितिको अधिकार देती है कि जब उसे अचित्त जान पड़े तब कुछ चुने हुअे क्षेत्रोंमें या अन्यत्र जरूरी मालूम हो तो वहां आवश्यक सावधानी रखकर कानूनके सविनय भंगकी और कर न देनेकी लड़ायी छेड़ दे।”

अस प्रकार लाहौरकी कांग्रेसमें रणदुंदुभी बज गयी। जिस महान युद्धमें सर्वस्व बलिदान करके कूद पड़ना था उसकी सूचक अक पूर्व-तैयारीके तौर पर सरदारने अपना अहमदाबादका मकान छोड़ दिया। वह मकान था तो किरायेका ही, अपना घरका नहीं था; परन्तु उसे भी छोड़कर वे अनिकेतन बन गये और सारे भारतको अपना घर मान लिया। बारडोली सत्याग्रहकी लड़ायी छिड़नेके बाद बारडोली आश्रमके प्रति अन्हें विशेष ममता हो गयी थी। असलिये जब गुजरातमें होते तब बारडोली आश्रमको अपना मुख्य निवासस्थान रखते। सन् ३० के शुरूसे सन् ३४ के अन्त तक लड़ायीके पांच वर्ष तो सरकारका जेलखाना ही घर बन गया था। उस समय बारडोली आश्रम भी सरकारके कब्जेमें था। बादमें सरदारका गुजरातमें रहना कम होता गया और सारे देशमें घूमनेका काम आ पड़ा।

## सूची

अजमलखां, हकीम १४२, २०४  
 अदन ३४  
 अनसूयाबहन १३२, १३४  
 अनुग्रह नारायण सिंह ५२४  
 अन्सारी, डॉ. २७२, २७६  
 अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दलोंकी  
 शुरुआत २६६-७  
 अफ्रीका ११५  
 अबुलकलाम आज़ाद १७२  
 अब्बास साहब तैयबजी १५१, २३१,  
 ३९३  
 अमन-सभा (League of Peace  
 and Order) १६७  
 अम्बालाल साराभायी १३३, ३९७  
 अमृतलाल ४५०  
 अमृतलाल सेठ ४५१  
 अमृतसर १४२-३, १५०  
 अलाहाबाद १५३  
 अलीभायी १२३, १६९  
 अली डाकू ३२३  
 अवेस्ता १५७  
 असहयोग—और पंजाबके अत्याचार  
 १५०;—और खिलाफतका प्रश्न  
 १५१;—कलकत्ता कांग्रेसमें दो  
 मुद्दे और जुड़े १६०;—कलकत्ता  
 कांग्रेससे गांधीयुगका आरंभ १६१;  
 —का कारण १५१;—के बारेमें  
 सरदारका प्रस्ताव १५३;—के मुख्य  
 मुद्दे १५९;—गांधीजी द्वारा शुरू

१५३;—युवराजके स्वागतका  
 बहिष्कार १७१-२;—विदेशी कपड़े  
 का बहिष्कार १६७, —की होली  
 १६७

अहमदनगर १६२

अहमदाबाद ३, ३०, ६३, १४४;—का  
 मजदूर आन्दोलन ११६;—का  
 मजूर महाजन संघ १३५;—की  
 मजदूर हड़ताल १३२-५;—कांग्रेस  
 (१९०२) ६९, (१९२१) १९९;  
 —में सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा  
 मंडलकी स्थापना २०७

अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी ४६;—असह-  
 योगका प्रस्ताव १७५;—असह-  
 योगमें भाग १७५-१९८;—और  
 कैम्पके पानीका झगड़ा ५९-६०;  
 —की पानीकी व्यवस्था ६२-७;  
 —की रिलीफरोड़ योजना ६७;—में  
 सरदारका चुनाव ४९;—शुष्कर  
 तालाबका झगड़ा ५०-१;—सरकार  
 द्वारा पदच्युत १९६

आनन्दशंकर धुव १३५

आनन्दी १७०

आनन्द १५, २६६

आर० सेंट जार्ज मूर, मि० ६७

आसोदर ३२४

अंग्लैण्ड १४०

अिटली १५१

अिन्दुलाल याज्ञिक ७५, ७९, १४१,  
 १४३  
 अिन्दौर ६, १११  
 अिन्द्रवदन महेता ३७  
 अिब्राहीमभाअी करीमभाअी ४१३  
 अिमाम साहब ४१३  
 अुत्तरसंडा ३२३  
 अुमर सौबानी १४१  
 अुमरेठ ४३  
 अेच० अेल० दीवान ३९७  
 अेनी बेसंट (मिसेज) ७०, १२३, १६०  
 अेण्डर्सन ४२१  
 अेण्ड्रूज १५०-१  
 कठलाल ८०, ८२, १३१  
 कन्हैयालाल मुंशी १०, ४६५-६८  
 कपडवंज ८३  
 करमसद ३, ५  
 कर्जन वायली ३७  
 कलकत्ताकी विशेष कांग्रेस १६०  
 कल्याणजीभाअी २३२, ४२४  
 कल्याणजीभाअी (बारडोली) २४४  
 कस्तूरबा २६६, ३०१  
 कस्तूरभाअी सेठ ४०, ३९७  
 कस्तूरीरंग आयंगर २७२  
 काकासाहब कालेलकर २०२, २८५  
 कानूगा, डॉ० ५७, १३०, १३८  
 कामा अस्पताल २३  
 कामा हॉटल ४०  
 कार्माअिकल, मि० ९४  
 कालिदास जसकरण झवेरी १४७  
 काशीभाअी पटेल (सरदारके भाअी) ६,  
 ३४

काशीभाअी अमीन ३६९  
 काशीभाअी शामलभाअी १६  
 किचलू १४२  
 किशोरलाल मशरूवाला १६०  
 कुरान १५७  
 कुस्तुनतुनिया १५६  
 कुंवरजीभाअी ४२४  
 कुंवरजी वि० महेता २४८  
 केलकर ७०, २६५, ४७१  
 केशवभाअी ४२४  
 के० सन्तानम् १५१  
 कोकोनाड़ा ३७२  
 कोचरब ७१  
 कृष्णदास १७०  
 कृष्णलाल नृ० देसाअी ७२, १३०,  
 १४७  
 क्लार्क, नागपुर कमिश्नर ३१८  
 खड़ाणा ३२४  
 खरे, पं० २०२  
 खाड़ीलकर ४७१  
 खापर्डे ७४  
 खिलाफत १५२  
 खुशालभाअी ४२४  
 खेड़ा ७८, १२३, १२९  
 खेड़ा सत्याग्रह ८०-१०५; -कपडवंज  
 तहसीलदारका सरक्यूलर ८७;  
 कमिश्नरसे गु० सभाके मंत्रियोंकी  
 मुलाकात ९०; -किसानोंकी अर्जी  
 ८३; कलेक्टरका सरक्यूलर ९४;  
 -की जांचका नमूना ९५; -का  
 कारण ८२; -का अन्त १२७;  
 -गवर्नरसे अन्तिम प्रार्थना १०४;

—गांधीजी और सरकारके फसलका अन्दाज लगानेमें फर्क १०१—१०३, —गांधीजी और प्रैटका पत्र-व्यवहार ९८—९, —की स्वयंसेवकोंको हिदायतें १२१, —द्वारा आरंभ १०६, —द्वारा प्रतिज्ञापालन पर जोर १२१, —द्वारा लगान मुलतवी रखनेकी सलाह ८८, —ने सत्याग्रहका रहस्य बताया १०६—७; —गुजरात सभाके दो प्रस्ताव ८९—९०; —गुजरात सभाकी तरफसे अर्जी ८८; —ठक्करबापाका पत्र ८६; —दोनों फसले बरबाद ८१; —पटवारियोंकी मनमानी ८५; —पूर्णाहुतिका अुत्सव १३१; —प्रैटका भाषण ११३—६; —सरदारका जवाब ११७; —बम्बयी सरकारका बयान ९५; —माननीय पारेख-पटेल कलेक्टरसे मिले ८४; —में भाग लेने गांधीजी आये ९७; —सरदारका किसानोंको प्रोत्साहन १२५; —सत्ता और सत्यके बीचकी लड़ायी ८३; समझौतेका अन्तिम प्रयत्न १०४

गया कांग्रेसमें धारासभा-बहिष्कार कायम २७६

गंगाधरराव देशपांडे ३८२, ४५५

गणना २३

गांधीजी ६, ३१, ३९, ५४, ७०  
८३, ९८, १०१, १११, ११९,  
१२७, १२९, १३२, १३६,  
१४४, १५०, २६१, ३४७,  
४४२

गिरधरलाल पारेख २१२

गीता १५७

गुजरात क्लब ४५, ७२

गुजरात बाढ़-मंकट ४०२—१८; —गांधीजी-की लोगोंसे अपील ४१५; —ने जाति-पांतिका भेद भुला दिया ४०६; —राहत कामकी पद्धति ४०८; —सरकारी सहायता ४०९—११; —सरदारकी अपील ४०३; —सेण्ट्रल फ्लड रिलीफ कमेटीकी स्थापना ४११

गुजरात राजनैतिक परिषदके विभिन्न अध्यक्ष ७९

गुजरात सभा ५३, ६५, ६९

गुजरात विद्यापीठ १६०

गुणवन्तीबहन ४५१

गैरेट, मि० ४१७

गोकर्णनाथ मिश्र १६०

गोकुलदास तलाटी १४६, २१८, २९५

गोकुलदास क० पारेख ६९, ८३

गोखलेजी ६९

गोधरा ७३

गोपालदास बिहारीदास ८३

गोपालराव रामचन्द्र दामालकर १४७

गोरधनदास चोखावाला ४२८

गोरे (म्यु० डिजीनियर) ३९५, ४०३

गोलेल ३२४

गोवर्धनभाभी आ० पटेल ३९५

गोविन्दराव पाटील ४७

घिया, डॉ० २३२

घोषल, कलेक्टर १०१, १८३

चन्द्रूभाभी देसायी, डॉ० २९८



चन्दूलाल मद्रादेविया ४९

चन्दूलाल शेट १३३

चम्पारन ७२, १२३

चाहेवाला १७७

चिनाई ४५०

चिमनलाल सेतलवाड़ ६१, १४७

चिमनलाल ठाकुर ४५, ४७-८, ७२

चुनीलाल महेता, सर ४१७, ४३३

चौरीचोरा २५४

छोटालाल मास्टर १४

जगाभाभी दलपतभाभी १३३

जमनालालजी वजाज २७७, ४५८

जयकर, डि० कलेक्टर १५१, १६०,  
४१९

जयरामदास दौलतराम ४५७

जर्मनी १५१

अलियांवाला बाग १४५

जवाहरलाल नेहरू १७२, २५८, २७८  
३८५

जिन्ना, कायदे आजम ६९, ७४, १६०

जोजीभाभी वस्ताभाभी देसाजी (सरदारके  
नाना) ६

जीवणलाल दीवान २०३

जीवणलाल ब्रजराय देसाजी १४७

जुगतरामभाभी ४२८

जेठालाल रामजी ४५१

जेम्स डुबोलो, सर १२३

जोगण ३२४

जोसेफ बेन्जामिन, डॉ० ५३, ७३

जोराभाभी भाभीबाभाभी पटेल ३४

जोशी ४५८

झवेरबा पटेल (सरदारकी पत्नी) १७, २२  
झवेरभाभी पटेल (सरदारके पिता) ५

ठक्करबापा ८६, ४६९

ठासरा ८३

डायर, जनरल ५५, १५२

डाहीबा (सरदारकी बहन) ७

दाह्याभाभी पटेल (सरदारके पुत्र) २३,  
१६८

डूंगरभाभी (सरदारके मामा) ६

डूंगरभाभी मूलजीभाभी १६

डेविस, मि० ३६

डू पियर्सन ३७८

डुंडाकुवा १२५

तिलक स्वराज्य कोष १६३

तुर्की १५१

त्रम्बकाय मजमुदार ४४

त्रिभुवनदास, डॉ० ४२८

थ्रेस १५६

दण्ड-पुलिस ३२१

दयाशंकर भट्ट १९८

दयालजीभाभी २३२, २६७

दरबार साहब गोपालदास २३१

दादासाहब भावलंकर ४०, ५४, ७१, ७३,  
१३०

दादूभाभी, रा० सी० १२९, ४२४

दिनशा वाच्छा ९७

दिल्ली ८०, १२३, १२८, १३६

देवदास गांधी २८३

देशबन्धु दास १५०

धर्मज ५

धीगरा ३७

नगीनदास सेतलवाड़ ३७  
 नटराजन १२२  
 नडियाद ५, ४६, १०६, १३१, १४५;  
 —म्युनिसिपैलिटीकी लड़ाई २१८-  
 ३०  
 नरवणे मास्टर १४  
 नरसिंहभाजी (सरदारके भाई) ७  
 नरीमान ४५७  
 नवागांव १३०  
 नागपुर १६१  
 नागपुर झंडा सत्याग्रह २८८-३२४;—  
 आलोचनाओंका सरदार द्वारा जवाब  
 ३१३-५; —कमिश्नरकी धमकी  
 २९२; —का कारण २८९; —गवर्नर  
 और गृहमंत्रीको सरदारकी चुनौती  
 ३१३; —अमनालालजीकी गिरफ्तारी  
 २९६; —जेलमें सत्याग्रहियोंके साथ  
 व्यवहार २९९; —नरसिंहपुरके डिप्टी  
 कमिश्नरका 'फरमाने आम' २९३;  
 —पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टको सरदारका  
 पत्र ३०७; —सत्याग्रहका विजयी  
 अन्त ३०९; सत्याग्रहियोंकी मुक्ति  
 ३१३; —सत्याग्रहियोंके छोड़नेमें देर  
 ३१०; —समझौता ३०६; —सरकारी  
 प्रस्तावका सरदार द्वारा अक्षर  
 ३१८-२०; —सिवनीके डिप्टी  
 कमिश्नरकी विज्ञप्ति २९३  
 नामजोशी, कलेक्टर ९४  
 नारणदास बेचर ४६१  
 नारायण चन्दावरकर, सर १२२, १५७  
 नांदेज १४५  
 पटना १७२  
 परीक्षितलाल ३९८

पलवल १४२  
 पंचम जार्ज ८०  
 पाटस्कर ४५८  
 पी० टी० पटेल, डॉ० ८-९  
 पुरुषोत्तमदास गज्जर ५७  
 पुरुषोत्तमदास टंडन १७२, २७८  
 पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास, सर ४०७,  
 ४६८  
 पेटलाद ११-१२  
 प्यारेलालजी ४२९  
 प्रतापसिंह, कर्नल २०२  
 प्रथम गु० रा० परिषदकी तीन विशेषताओं  
 ७४-५  
 प्राणजीवनदास महेता २६८  
 प्राणलाल देसाजी १८२  
 प्रैट, कमिश्नर ५३, ५५, ६५, १२३,  
 १४५-६, १८३, २११, ४३२  
 फ़तेहमुहम्मद मुंशी ५०  
 फ़िरोजशाह महेता ६९  
 फिलस्तीन १५६  
 फूलचन्द बा० शाह २१८  
 फूलचन्दभाजी ४२९  
 खड़ोदा २७  
 बच्चुभाजी वकील १४३  
 बम्बली ३, ३३, १२३, १४४  
 बम्बली प्रान्तीय राजनैतिक परिषद ४७  
 बर्कनहेड, लॉर्ड २६०, ४७५  
 बलवन्तराव महेता ४५१  
 बाजिबिल १५७  
 बाकरोल ८  
 बाबर देवा ३२२  
 बारडोली १४४

बारडोली सत्याग्रह ४१९-४९५; -  
 अधिकारियोंकी ज्यादाती ४४७-४८;  
 -कमिश्नरका पत्र और उसका  
 उत्तर ४५२-५३; -कमिश्नरको  
 गांधीजीका करारा जवाब ४५४;-  
 कलेक्टरकी सफेद झूठ ४४५;-का  
 कारण ४१९;-का अद्देश्य ४३२;-  
 कार्यकर्ताओंकी गिरफ्तारी ४४९-  
 ४५१;-किसानोंके बारेमें सरदारके  
 अद्गार ४४३-४४;-की फौलादी  
 व्यूह-रचना ४२८;-कुर्कियोंका दौर  
 ४४५;-के बारेमें कांग्रेस कार्य-  
 समितिका प्रस्ताव ४५६;-के बारेमें  
 अली अिमाम ४७०;-के बारेमें श्री  
 षिन्तामणि ४७०;-के बारेमें सर  
 तेजबहादुर सप्रू ४७०;-के बारेमें  
 'पायोनियर' ४७१;-के बारेमें  
 पं० मोतीलाल नेहरू ४७०;-  
 गांधीजीका लड़ाईकी आशीर्वाद  
 ४२५;-गांधीजी द्वारा बहिष्कारके  
 शस्त्रका स्पष्टीकरण ४३७;-गांधीजी  
 बारडोलीमें ४८०;-जांच समितिकी  
 नियुक्ति ४२६;-जांच समितिका  
 काम ४९१-९३;-जांचके परिणाम  
 ४९४-९५;- 'टाजिम्स ऑफ  
 अिडिया'का प्रतिनिधि बारडोलीमें  
 ४७२;-दो सरकारी रिपोर्टोंका  
 लोकपक्षी जवाब ४२२-२३;-  
 -धारासभाके सदस्योंका लोगोंको  
 अुत्तर ४२४;-धारासभाके सदस्योंका  
 प्रयत्न और अिस्तीफे ४५५-५६;-  
 -नरम दलका प्रयत्न ४६९;-  
 बारडोली तालुका परिषदका ठहराव

२५१;-मुंशीका सरकारको पत्र  
 ४६७;-मुसलमान भी सत्याग्रही  
 बने ४२९;-में बहनोंकी बहादुरी  
 ४२९;-लगान वृद्धिके सरकारी  
 कारण ४१९-२०;-वल्लभभाभीका  
 नाम सरदारपड़ा ४४२;-सत्याग्रहका  
 प्रस्ताव ४२८;-समझौतेके लिये  
 सरकार और सरदारकी शर्तें ४७४;-  
 -समझौता ४८३;-सरकारी पत्रका  
 सरदार द्वारा जवाब ४३१;-  
 सरकारके विचित्र हुक्म ४४८;-  
 सरकारी घोषणा ४५९;-सरकार  
 द्वारा समझौतका निष्फल प्रयत्न  
 ४५९ -सरकारी प्रकाशन-विभागकी  
 करतूतें ४६४;-सरकारी धमकियोंका  
 सरदार द्वारा अुत्तर ४७६;-सरदार  
 द्वारा सरकारसे लड़नेका निश्चय  
 ४२५;-सरदारकी लोगोंको  
 चेतावनी ४२५;-सरदारका  
 गवर्नरको विस्तृत पत्र ४२५;-  
 -सत्याग्रहका मर्म ४२७;-सरदारके  
 पत्रका अुत्तर ४३१;-सरदारकी  
 लोगोंको चेतावनी ४५१;-सरदारकी  
 गवर्नरसे मुलाकात ४७३;-सरदारकी  
 शर्तोंके बारेमें गांधीजी ४७७-७८;  
 सारा तालुका कारागृह बना ४४६  
 बारेझड़ी ४६, १४५.  
 बालुभाभी देसाजी ४६१  
 बासन्तीदेवी २६६  
 बिहार ४१८  
 बेगार विरोधी आन्दोलन ७६-७७  
 बेज़ वाटर ३४  
 बेसिल स्कॉट, सर ३८-९

बैपटिस्टा १६०  
 बोचासण ४  
 बोरसद ३, ३२  
 बोरसद सत्याग्रह ३२१-३५७; -कुर्कियोंके  
 खिलाफ अुपाय ३३७; -जांच कमेटी-  
 की रिपोर्ट ३२२-२४; -ढाकुओंकी  
 अुत्पत्तिके कारण ३२६-३०;  
 -दण्ड-पुलिसके कारणमे ३२४;  
 -पुलिस सुपरिंटेंडेंटकी रिपोर्ट ३२५;  
 -पुलिस सुपरिंटेंडेंटका गुप्त सरक्यूलर  
 ३२६; -बम्बयी सरकारका हस्तक्षेप  
 ३४०; -बम्बयी सरकारका प्रेसनोट  
 ३४८; -प्रान्तीय समितिका प्रस्ताव  
 ३३१; -लड़ायीकी व्यूह-रचना  
 ३३३; -लड़ायी बन्द होनेकी  
 घोषणा ३४९; -लड़ायीकी पूर्णा-  
 हुतिका अुत्सव ३५१; -सर मोरिस  
 हेवर्डकी बोरसदकी मुलाकात  
 ३४५-४८; -सरदारका करारा  
 जवाब ३४०-४४; -हैडिया कर  
 लगानेका कारण ३२१; -हैडिया  
 करका अरंभ ३२१

ब्रजकिशोरबाबू ५२४

ब्रूमफ्रील्ड, मि० ४२९

ब्रोकर, वकील ४६

भक्तिलक्ष्मीबहन २७१, २९५, ४३०

भगत, मि० ३९४

भगवानदीनजी २९६

भड़ौंच २७०

भणसाली २६७

भरुचा ४५७

भवानभात्री हीराभात्री ४६४

भादरण ५

भारत सेवक समाज ७०

भावे, म्यु० कर्मन्तर ३९५

भीमभात्री, रा० ब० ४८३

भूलाभात्री स० शाह १०७

भूलाभात्री देसायी ४९०

भगनभात्री च० पटेल ३७, ४७, १५९

भगनलाल गांधी ४१४

भणिवहन पटेल (सरदारकी पुत्री) २३

१६८, ४५१

भणिलाल भग्नाभात्री ४४, ५०

भणिलाल कोठारी १४७, २६८, ४२८

भणिलाल तेली ४०४

मलिक ३९६

मल्हारराव होलकर ६

महादेवभात्री ६, १०, ४४, १३२,

१३७

महानन्द मास्टर १४

मद्रास १४२

महुघा ८४

मंगलदास गिरधरदास सेठ ६५

माजीकेल ओडवायर, सर १५२, ४७:

माखनलाल चतुर्वेदी ३०८

मामासाहब फडके २००

मारसेल्स ३४

मालवीयजी १५०, १५६, १६०

मास्टर, मि० ५२

माटिग्यू, भारतमन्त्री ७८

मिडिल टेम्पल ३४

मिरेम्स, मि० ६७

मिटो, लॉर्ड ८०

मीहुबहन ४३०

मुहम्मदअली, मौ० १६५

मूलचन्द आ० शाह ८८

मेघाणी ३२९  
 मेसोपोटेमिया १५६  
 मैक्सवेल, मि० ४८९  
 मोड़ासा १५  
 मोतीलाल नेहरू १५०, १५१, ३१६,  
 मोदी ४६८  
 मोरली मि० ४०६  
 मोरारजी देसाजी ३९७  
 मोहननाथ के० दीक्षित २३२  
 मोहनलाल पंड्या ८०, १११, १३०

य्रवदा जेल १७  
 यशोदाबहन ३७९  
 यज्ञपुरुषोत्तमदासजी ५  
 यूनान १५१  
 यूबैक, मि० ९८

शुघुनाथ परांजपे, सर १८६  
 रमणभाजी नीलकंठ, सर ४७, ४९  
 रविशंकर महाराज २९५, ३२१, ४२८  
 रवीन्द्रनाथ टगोर १५८  
 रविशंकर रावल २०२  
 राजगोपालाचार्य (राजाजी) १७२, २७२,  
 २७३, ४५५  
 राजेन्द्रबाबू २५८, २७६, ३८५,  
 ५२४

रामदास गांधी ४५१  
 रामनारायण पाठक ४२९  
 रामभाजी वकील ३४५  
 रीडिंग, लॉड १७१  
 रू, मि० ४६५  
 रूस १५१  
 रौलट कानूनके विरुद्ध आन्दोलन १४०  
 -४९; -अभूतपूर्व देशव्यापी हड़-

ताल, १४२ -पंजाबमें दमन और  
 अत्याचार १४५

लखनशू २६७  
 लन्दन ३४  
 लक्ष्मीदास आसर १७०, २०२  
 लाडुबाजी पटेल (सरदारकी माता) ३  
 लालजी नारणजी ४६८  
 लाला लाजपतराय १६०  
 लाहौर १४२, १५०;  
 लाहौर कांग्रेसमें पूर्ण स्वाधीनताका प्रस्ताव  
 ५३२-३३  
 लॉरी, मि० २११  
 लेब्रुवा पाटीदार ५  
 लेस्ली विलसन, सर ३४४, ४७५  
 लोकमान्य तिलक ६९, ७३, १२३,  
 १४०

वझे ४६९  
 वरदाचारी २९५  
 वल्लभभाजी पटेल ३; -अभ्यासी  
 जीवनकी झांकी ३५; -अहमदाबादमें  
 बैरिस्टरी शुरू की ३९; -अहमदा-  
 बादके दफ्तरकी झांकी ४०;  
 -अहमदाबादका प्लेग ७७;  
 -अहमदाबाद जिलेमें अकाल-  
 निवारणका काम ७८; -अहमदाबाद  
 कांग्रेसके स्वागताध्यक्ष १९९  
 -अहमदाबाद कांग्रेस (१९२१)की  
 व्यवस्था १९२-२०६; -अहमदाबाद  
 म्यु० में आनेके निमित्त : मि०  
 शिडली ४८; -अ० म्यु० में चुन-  
 गये ४९; -अ० म्यु० द्वारा असह  
 योग १७५-१९८; -अ० म्यु० वे

अध्यक्षके रूपमें ३८५-४०१; -अिमलैंडसे प्रस्थान ३८; -और दहेजप्रथा १७; -और विद्रुलभाभीके बीच जिम्मेदारियोंका बंटवारा ४०; -और शुष्कर तालाबका मामला ५२; -कर न देनेवालोंसे कर वसूल करनेका प्रकरण ५७; -करमसदका जीवन ४; -का गरीबीमें विद्याभ्यास ११; -का बालप्रेम ३७१; - (बैरिस्टर) का शब्दचित्र ४०; -की जन्मतिथि १०; -की जिरहके नमूने ४३-४४; -की धर्मपरायणता ७-८; -की नैसर्गिक मातृवृत्ति १६-१७; -की पिताजीसे मुलाकात ३-४; -की महत्वाकांक्षाएँ १५; -की वकालत १९-३३; -की सहनशक्ति ८-९; -की सुघड़ताकी विरासत ९; -की हाजिर-जवाबी ३२; -के जीवनकी कुंजी १०; -के बजाय विद्रुलभाभी विलायत गये २२; -के भाभी-बहन ७; -के युवक-मस्तिष्ककी झांकी १५; -के लगन १७; -कोर्टके साथ लड़नेका नमूना ४२; -को अंग्रेजीका शौक १२; - खेड़ाकी लड़ाईमें शामिल हुअे ८९; -खादी धारण की (१९२१) १६८; -गांधीजीके प्रति आकर्षण ७२; -गुजरात बादसंकट-निवारणका काम ४०२-४१८; -गुजरात प्रान्तीय समितिके अध्यक्ष ७९; -गुजरात विद्यापीठका चन्दा २६७-६८; -गुजरातमें विदेशी करड़े पर

धरना २६८-७०; -गृह जीवनका आरम्भ १९; -गोधरामें वकालत १९; -तामिलनाडु और कर्नाटकका दौरा ५१६-५२३; -दस वर्षकी वकालतकी कुछ घटनाएँ २४-३३; -मि० मेकासेका विरोध ५६-७; -धारासभा-प्रवेशका विरोध २७३-७४; -नडियाद हाजीस्कूलमें तूफान १२; -नडियादमें हाजी-स्कूलकी शिक्षा १२; -नागपुर झंडा सत्याग्रहका संचालन ३००-३२०; -पत्नी झवेरबाकी मृत्यु २३; -परीक्षामें अद्भुत सफलता ३६; -पांचवीं काठियावाड़ राजनैतिक परिषदके अध्यक्ष ५०७; -पुत्र व पुत्रीका जन्म २३; -पेटलादमें प्राथमिक शिक्षा ११; -प्लेगकी बीमारी १९; -बड़ोदा हाजीस्कूलमें तूफान १३-४; -बारडोली सत्याग्रहका संचालन ४१९-४९५; बिहारका दौरा ५२४-२७; -ब्रिजकी शर्त ४६; -बैरिस्टरी ३९-४६; -बोरसदमें वकालत २०-२१; -बोरसद सत्याग्रहका संचालन ३२१-३५७; -महाराष्ट्र राजनैतिक परिषदके अध्यक्ष ५११; -म्युनिसिपल अध्यक्षपदसे अिस्तीफा ३९७; -रेलवेमें होनेवाली चोरी बन्द की ३५५-५७; -वकीलके रूपमें कुशलता ४१; -वाडिया (वाटर वर्क्सका डिजीनियर)का प्रकरण ५७-९; -विलायत जानेका विचार २२; -विलायतमें बैरिस्टरीका

अभ्यास ३४-८; -शराबबन्दीकी  
प्रवृत्ति ५०४-५; -सैनिक भरतीके  
काममें १३६

वाङ्मिया ४५

वामनराव मुकादम ७३

वालजीभाभी देसाभी २६७

विजयालक्ष्मी कानूगा २७०

विठ्ठलभाभी पटेल (सरदारके भाभी) ६,  
२०, २३, २५, ३४, ७०, ८३,  
२०५, ४६१;

विठ्ठल-कन्या विद्यालय ११

विण्टर्टन, लॉर्ड ४७३

विनोबा भावे २९६

विभिनचन्द्र पाल ३७, १६०

विल्सन, मिस २४

विल्किन्डन, लॉर्ड ११४

वीरचन्द्र चेनाजी ४३७

वीरमगांव १४३

'वीर वल्लभभाभी' ६

वुड, कलेक्टर ३१

वेलाबहन १७०

शंकरलाल बैकर १३२, १४१, २६१

शंकरलाल द्वारकादास परीख ९०

शान्तिनिकेतन ७१

शारदाबहन ४३०

शिडली, मि० ५०

शिवदासानी २४६

शिवानन्द ४२९

शिवाभाभी पटेल ५४

शेटे, मि० ३९७

शेपर्ड, मि० ३६

शौकतअली १६५

श्रीनिवास शास्त्री ७०

श्रीनिवास आयंगर ४९९

श्वेब कुरेशी २६७

स्वल्पपाल, डॉ० १४२, ४५८

सत्यमूर्ति १६०

'सत्याग्रह पत्रिका' १४२

सन्मुखलाल ४५०

सयाजीराव गायकवाड़ ८०

सरदार मंगलसिंह ४५८

सरदार शार्दूलसिंह, कवीश्वर ४७८

सरोजिनी नायडू ७४, १४१, २७२

'सर्वोदय' १४२

सहजानन्द स्वामी ४

साभिमान कमिशन ३८४, ४९७

साबरमती आश्रम १४१

सामूहिक सत्याग्रहके लिअे बारडोलीका  
चुनाव २४६

सावरकर ३७

सिंगलावका गुलाबराजा ३१

सीरिया १५६

सुन्दरलालजी, पं० २८८

सुभाषचन्द्र बोस ४९९

सुमन्त महेता, डॉ० ४२८

सुरेन्द्रजी २९८

सूरत म्युनिसिपैलिटीकी लड़ाजी २३१-  
३९

सूर्यशंकर महेता ३७

सोमाभाभी पटेल (सरदारके भाई) ७

स्टेनली रीड, सर १२२

स्थानीय संस्थाअे चलानेकी शर्त ४०१

स्मर्ना १५६

स्माथिथ, मि० ४३२

स्मार्ट, मि० ४४४  
 स्वराज्य दलकी स्थापना २७६  
 स्वामी आनन्द २६२, ४३०  
 स्वामी श्रद्धानन्दजी १४२  
 हन्टर, लॉर्ड १५०  
 हन्टर-कमेटी १५०  
 हरिप्रसाद देसायी, डॉ० २०१  
 हरिलाल कापडिया ४०२  
 हरिलाल देसायी, दी० ब० ४७  
 हसरत मोहानी ३७३

हार्डिज, लॉर्ड १५८  
 हार्डीकर, डॉ, २९५  
 हार्निमेन १४१  
 'हिन्द स्वराज' १४२  
 हिन्दी साहित्य सम्मेलन (अिन्दौर  
 १०९  
 हृदयनाथ कुंजरू ४६९  
 हेराल्ड मैन, डॉ० ९८  
 हेली, मि० १४४  
 'हैदिया कर' ३१











